विषय सूची

TABLE OF CONTENTS

		पृष्ठ PAGES
तालिका I—बजट एक नजर में	Table I.—Budget at a glance	1
तालिका II—योजना प्रगति एक नजर में	Table II.—Plan Progress at a glance	2
तालिका III—योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश	Table III.—Investment by Plan Heads	3—4
तालिका IV—यातायात योजना—माल	Table IV.Traffic Plan—Goods.	5
तालिका V—यातायात योजना—यात्री	Table V—Traffic Plan Passenger	6
तालिका VI—लक्ष्य और उपलब्धियां—रेलों की मुख्य विकास गतिविधियां	Table VI.—Targets and Achievements—Major Developmental Activities of the Railways	7—8
तालिका VII—पिछले वर्ष (1989-90) में रेलवे का रुपया	Table VII.—The Railway Rupee in the previous year (1989-90)	9

भाग I—राजस्व

PART 1—Revenue

रेलवे उपक्रम के वित्तीय परिणामों का सारांश

SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS OF THE RAILWAY UNDERTAKING

1989-90 के वित्तीय परिणाम	Financial Results of the year 1989-90	11—15
1990-91 का संशोधित अनुमान और बजट अनुमान 1991-92	Revised Estimate for the year 1990-91 and Budget Estimates 1991-92	
यातायात से प्राप्ति	Traffic Receipts	16—17
संचालन व्यय	Working Expenses	18—23
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions	24—25
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	25
शुद्ध वित्तीय परिणाम	Net Financial Results	26
निधियां	Funds	27

भाग II—रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम

PART II—Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways

वास्तविक खर्च, 1989-90	ACTUAL EXPENDITURE FOR 1989-90	28
संशोधित अनुमान, 1990-91	REVISED ESTIMATE, 1990-91	28—32
बजट अनुमान, 1991-92	BUDGET ESTIMATE, 1991-92	33—45
परिशिष्ट I—महत्वपूर्ण चालू लाइन निर्माण कार्य	APPENDIX I.—Important Open Line Works	46—70
परिशिष्ट II—1991-92 में यात्रियों और अन्य रेल-उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं	APPENDIX II.—Passenger Amenities and other Railway Users' Amenities in 1991-92	71—73
परिशिष्ट III—1991-92 में कर्मचारी कल्याण	APPENDIX III.—Staff Welfare in 1991-92	74

S/96 RB/91—1

		पृष्ठ PAGES
परिशिष्ट IV—1991-92 में योजना शीर्ष तथा रेलवे-वार खर्च	APPENDIX IV.—Plan-head and railwaywise expenditure during 1991-92	75—79
परिशिष्ट V—भारतीय रेलों का तुलन-पत्र	APPENDIX V.—Balance Sheet of Indian Railways	80
परिशिष्ट VI—ब्याजदेय पूंजी	APPENDIX VI.—Capital-at-charge	81
परिशिष्ट VII—विभिन्न कोटियों की रेल-परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य	APPENDIX VII.—Total value of Railway assets under various categories	82—83
परिशिष्ट VIII—परिचालन अनुपात और ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व और शुद्ध अधिशेष का अनुपात	APPENDIX VIII.—Operating ratio and ratio of net revenue and net surplus to Capital-at-charge	84—85
परिशिष्ट IX—ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का रेलवे-वार अनुपात	APPENDIX IX.—Railwaywise ratio of net revenue to Capital-at-charge	86
परिशिष्ट X—रेलों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में निधियों के साधन और उनका उपयोग	APPENDIX X.—Sources and Application of Funds in the Five-Year-Plan for Railways	87—91
परिशिष्ट XI—1991-92 में भारतीय रेलों की राजस्व प्राप्ति और उनके खर्च का विवरण	APPENDIX XI.—Statement of Revenue Receipts and Expenditure of Indian Railways for 1991-92	92—112
परिशिष्ट XII—मूल्यह्रास आरक्षित निधि	APPENDIX XII.—Depreciation Reserve Fund	113—116
परिशिष्ट XIII—राजस्व आरक्षित निधि	APPENDIX XIII.—Revenue Reserve Fund	117—121
परिशिष्ट XIV—विकास निधि	APPENDIX XIV.—Development Fund	122—125
परिशिष्ट XV—रेलवे पेंशन निधि	APPENDIX XV.—Railway Pension Fund	126
परिशिष्ट XVI—दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	APPENDIX XVI.—Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	127
परिशिष्ट XVII—आस्थगित लाभांश दायिता लेखा	APPENDIX XVII.—Deferred Dividend Liability Account	128
परिशिष्ट XVIII—भारत की सरकारी रेलों पर सामाजिक दायित्व का वित्तीय प्रभाव (1990-91 के अनुमान)	APPENDIX XVIII.—Financial effect of Social Burdens on Indian Government Railways (1990-91 Estimate)	129
परिशिष्ट XIX—अलाभप्रद शाखा लाइनों के कारण भारत की सरकारी रेलों पर वित्तीय भार से संबंधित विवरण	APPENDIX XIX.—Statement of financial burden on Indian Government Railways on account of Uneconomic Branch Lines	130—131

तालिका I

Table I

बजट एक नज़र में
BUDGET AT A GLANCE

(करोड़ रुपयों में) (In crores of rupees)

वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91		संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92	
				फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
10739.41	12060.00	(क) यातायात से कुल प्राप्तियां (*a*) Gross Traffic Receipts	12038.00	12665.00	13319.00
7444.73	8241.00	(ख) साधारण संचालन व्यय (*b*) Ordinary working expenses	8241.00	9270.00	9180.00
1715.00	1950.00	(ग) मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग (*c*) Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	1950.00	2050.00	2000.00
728.00	900.00	(घ) पेंशन निधि में विनियोग (*d*) Appropriation to Pension Fund	900.00	1000.00	1050.00
9887.73	11091.00	(ङ) कुल संचालन व्यय (ख)+(ग)+(घ) (*e*) Total working expenses . . . . (b)+(c)+(d)	11091.00	12320.00	12230.00
851.68	969.00	(च) यातायात से शुद्ध प्राप्तियां (क)—(ङ) (*f*) Net Traffic Receipts . . . . . . (a)—(e)	947.00	345.00	1089.00
130.39	149.00	(छ) शुद्ध विविध प्राप्तियां (*g*) Net Miscellaneous Receipts	135.00	180.00	183.00
982.07	1118.00	(ज) शुद्ध रेलवे राजस्व (च)+(छ) (*h*) Net Railway Revenue . . . . . . (f)+(g)	1082.00	525.00	1272.00
808.81	932.00	(झ) सामान्य राजस्व को देय लाभांश (*i*) Dividend Payment to General Revenues .	927.00	1037.00	1037.00
+173.26	+186.00	(ञ) अधिशेष/कमी (ज)—(झ) (*j*) Surplus/Shortfall (h)—(i)	+155.00	—512.00	+235.00
173.26	186.00	(ट) रेलवे विकास निधि में विनियोग (*k*) Appropriation to Railway Development Fund	155.00	..	235.00
91.5%	91.8%	(ठ) परिचालन अनुपात (*l*) Operating Ratio	91.8%	97.2%	91.8%
6.7%	6.9%	(ड) ब्याजदेय पूंजी पर सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान से पहले शुद्ध राजस्व का प्रतिशत (*m*) Percentage of net Revenue before payment of dividend to General Revenues on the Capital-at-Charge.	6.7%	3.1%	7.2%

तालिका II — TABLE II

योजना प्रगति—एक नजर में PLAN PROGRESS AT A GLANCE

			पंचवर्षीय योजना के अन्त में End of 5-year Plan							
		1950-51	पहली 1st	दूसरी 2nd	तीसरी 3rd	चौथी 4th	पांचवीं 5th	31-3-80	छठी 6th	सातवीं 7th
सामान्य	**General**									
व्याजदेय पूंजी (करोड़ रुपयों में)*	Capital-at-Charge (Rs. crores)*	827.0	969.0	1520.9	2680.3	3893.4	4797.1	5484.6	8285.65	14629.45
मार्ग किलोमीटर	Route kilometres	53,596	55,011	56,247	58,399	60,234	60,693	60,933	61,850	62,211
विद्युतीकृत मार्ग कि०मी०	Electrified Route Kms.	388	388	748	2,423	4,191	4,720	4,820	6,325	9,100
स्टेशनों की संख्या	Number of Stations	5,976	6,152	6,523	6,986	7,079	7,020	7,017	7,093	7,076
कर्मचारियों की संख्या (हजार में)	Number of staff (thousands)	914	1,025	1,157	1,352	1,432	1,495	1,551	1,603	1,647
चल-स्टाक	**Rolling Stock**									
रेल इंजनों की संख्या	No of Locomotives :									
(1) भाप	(*i*) Steam	8,120	9,026	10,312	10,613	8,847	8,215	7,856	5,970	3,336
(2) डीजल	(*ii*) Diesel	17	67	181	727	1,610	2,025	2,243	2,905	3,610
(3) बिजली	(*iii*) Electric	72	79	131	403	669	901	974	1,252	1,644
यात्री वाहनों की संख्या**	No. of Passenger vehicles**	13,109	15,984	20,178	22,804	26,108	26,647	27,290	27,823	27,992
बिजली गाड़ी के डिब्बे	Electric Multiple Unit Coaches	460	574	846	1,355	1,892	2,321	2,581	2,957	3,100
अन्य कोचिंग वाहन	Other Coaching Vehicles	6,059	6,730	7,415	8,763	8,422	8,260	8,295	7,789	6,861
माल डिब्बों की संख्या	No. of wagons	205,596	240,756	307,907	370,019	388,366	399,971	405,183	365,392	349,560
यातायात की मात्रा (दस लाख में)	**Volume of Traffic (in million)**									
प्रारंभिक टन भार—राजस्व	Tonnage originating—Revenue	73.2	92.2	119.8	162.0	162.1	210.8	193.1	236.4	310.0
गैर-राजस्व यातायात सहित जोड़	Total including non-Revenue traffic	93.0	115.9	156.2	203.0	184.9	137.3	217.8	264.8	334.3
शुद्ध टन किलोमीटर—राजस्व	Net Tonne Kilometres-Revenue	37,565	50, 35	72,333	98,978	109,391	150,250	144,559	172,632	229,602
गैर-राजस्व यातायात सहित जोड़	Total including non-Revenue traffic	44,117	59,576	87 660	116,936	122,354	162,687	155,995	182,161	236,917
प्रारंभिक यात्री	Passengers originating									
(1) उपनगरीय	(*i*) Suburban	412	495	680	1,018	1,437	1,929	1,903	1,884	2,109
(2) अनुपनगरीय	(*ii*) Non-suburban	872	780	914	1,064	1,217	1,575	1,602	1,449	1,544
जोड़	TOTAL	1,284	1,275	1,594	2,082	2,654	3,504	3,505	3,333	3,653
यात्री किलोमीटर	Passenger Kilometers									
(1) उपनगरीय	(i) Suburban	6,551	8,165	11,770	17,164	28,037	39,433	38,730	44,264	54,803
(2) अनुपनगरीय	(ii) (Non-Suburban	59,966	54,235	65,[illegible]	79,130	107.627	137,201	159,927	182,318	226,045
जोड़	TOTAL	66,517	62,400	77,665	96,294	135,664	176,634	198,657	226,582	280,848
*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं हैं।	*Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta.					8.65	41.96	78.85	360.27	857.20

**रेल कार सहित **Includes Rail Cars.

तालिका III / TABLE III

योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश / INVESTMENT BY PLAN HEADS

(करोड़ रुपये) (In crores of rupees)

वास्तविक Actual 1989-90	बजट Budget 1990-91	योजना शीर्ष Plan Head	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed.
269.55	357.78	(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New lines (Construction)	292.83	199.02	249·02
..	..	(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..
0.53	13.03	(ग) उखाड़ी गई लाइनों का पुनःस्थापन (c) Restoration of dismantled lines	13.03	15.00	15·00
94.95	124.00	(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge conversion	86.02	80.02	100·00
261.36	338.77	(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	301.24	203.66	311·50
195.68	199.71	(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और अन्य कार्य (f) Traffic facilities—Yard remodelling and others	199.32	152.26	211·44
45.07	46.00	(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	45.28	36.00	45·00
12.01	15.00	(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	5.83	10.00	5·00
582.78	680.02	(ज) चल-स्टाक (i) Rolling Stock	721.18	571.35	607·85
1055.77	1091.91	(झ) रेलपथ का नवीकरण (j) Track Renewals	1091.24	1294.35	1234·35
64.29	95.25	(ञ) पुल संबंधी काम (k) Bridge works	83.67	97.90	90·90
107.96	132.25	(ट) सिगनल और दूर संचार संबंधी कार्य (l) Signalling and Telecommunication works	140.31	117.76	135·76
0.07	..	(ठ) डाकतार विभाग से लाइन तारों को लेना (m) Taking over of line wires from P&T	0.18	..	..
236.23	230.60	(ड) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	235.05	164.00	235·00
49.53	50.32	(ढ) बिजली संबंधी अन्य काम (o) Other Electrical works	53.45	55.02	70·02
104.11	95.20	(ण) मशीन और संयंत्र (p) Machinery & Plant	99.57	82.00	115·00
265.38	300.22	(त) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops—including Production Units	247.46	246.21	275·21
34.13	40.00	(थ) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff quarters	38.23	35.01	38·01
29.50	32.00	(द) कर्मचारियों के लिये सुविधाएं (s) Amenities for staff	30.88	33.00	33·00
23.52	27.53	(ध) (i) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger amenities	29.07	30.50	31·00
0.07	0.49	(ii) अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिये सुविधाएं (ii) Other Railway users' amenities	0.10	..	

तालिका III

योजना-शीर्षों के अनुसार निवेश

TABLE III

INVESTMENT BY PLAN HEADS

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	योजना शीर्ष Plan Head	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed.
		(त) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश—सार्वजनिक उपक्रम (i) भा०रे०वि० निगम (ii) भा० रे० क० निगम (ii) को०रे० निगम			
		(u) Investment in Government Commercial Undertakings—Public undertakings			
72.00	..	(i) IRFC	..	1.00	1·00
13.00	5.00	(ii) CONCOR	15.00	5.00	14·00
..	..	(iii) KRC	70.00	5.00	51·00
		(थ) अन्य विनिर्दिष्ट निर्माण-कार्य			
29 52	30.22	(v) Other specified works	29.48	32.01	37·01
		(ब) भंडार उचन्त (शुद्ध)			
120.29	26.18	(w) Stores Suspense (Net)	16.03	—10.37	—0·37
		(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध)			
21.82	13.85	(x) Manufacture Suspense (Net)	27.02	27.73	27·73
		(म) विविध अग्रिम (शुद्ध)			
13.97	—0.03	(y) Miscellaneous Advances (Net)	—10.05	27.64	27·64
		जमा या वसूलियां			
—244.39	—235.30	Credits or Recoveries	—240.83	—301.07	—301·07
3458.70	3710.00	जोड़ TOTAL	3620.59	3210.00	3660·00
		महानगर परिवहन परियोजनाएं			
104.75	122.00	Metropolitan Transport Projects	126.51	111.50	166·50
		जमा या वसूलियां			
—1.21	—2.00	Credits or Recoveries	—1.10	—1.50	—1·50
£3562.24	£3830.00	कुल जोड़ GRAND TOTAL	£3746.00	£3320.00	£3825·00

£इसमें 1000 करोड़ रुपये (वास्तविक, 1989-90) 1170 करोड़ रुपए (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान, 1990-91) और भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1500 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

£Excludes Rs. 1000 crores (Actuals 1989-90) Rs. 1170 crores (Budget Estimates & Revised Estimates, 1990-91) and Rs. 1500 crores (Budget Estimate 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market, for financing the Railway Plan.

तालिका IV | TABLE IV

यातायात योजना—माल
TRAFFIC PLAN—GOODS

पण्य Commodity	वास्तविक Actuals 1989-90			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि०मी० (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि०मी० (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	प्रारंभिक मीटरिक टन भार (दस लाख में) Tonnage Originating (Millions)	शुद्ध टन कि०मी० (दस लाख में) Net tonne Kms. (Millions)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)
1. कोयला— Coal									
इस्पात कारखानों के लिए For Steel Plants	19.45	7,201	248.11	20.00	7,320	272.00	24.00	8,784	347.00
धुलाई कारखानों के लिए For Washeries	5.61	566	27.84	6.00	606	30.00	6.00	606	34.50
अन्य सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं के लिए For other public users	105.09	77,345	2,538.61	107 00	77,507	2473.00	115.00	83,390	3157.00
जोड़ TOTAL	130·15	85,112	2,814·56	133·00	85,433	2775·00	145·00	92,780	3538·50
2. इस्पात कारखानों को कच्चा सामान Raw Materials to Steel Plants	27.43	7,825	254.71	26.50	7,791	268.00	31.00	9,114	341.00
3. इस्पात कारखानों को कच्चा लोहा और तैयार इस्पात Pig Iron and finished Steel for Steel Plants	10.15	11,794	611.71	10.50	12,201	608.00	11.50	13,363	797.00
4. निर्यात के लिए लौह अयस्क Iron Ore for export	14.76	8,516	181.47	14.00	7,994	200.00	15.00	8,565	211.00
5. सीमेंट Cement	27.45	17,742	605.77	28.50	18,554	650.00	30.00	19,530	767.50
6. खाद्यान्न Foodgrains	23.66	31,676	594.35	26.00	38,454	694.00	26.00	38,454	722.00
7. उर्वरक Fertilizers	16.97	17,375	467.25	18.50	17,723	502.00	19.50	18,681	579.00
8. पेट्रोल, तेल व स्नेहक P.O.L.	24.31	15,674	913.53	25.00	15,025	1029.00	26.00	15,626	1021.00
9. अन्य माल Other Goods	35.09	33,888	1,017.43	34.00	34,136	1489.00	31.00	31,124	1075.00
10. विविध माल आमदनी Misc. Goods Earnings			163.71			165.00			170.00
जोड़ TOTAL	309.97	229,602	7,624.49	316.00	237,311	8380.00	335.00	247,237	9222.00

तालिका V
यातायात योजना—यात्री

TABLE V
TRAFFIC PLAN—PASSENGER

	वास्तविक Actuals 1989-90			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि०मी० (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि०मी० (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)	यात्रियों की संख्या (दस लाख में) No. of Passengers (Million)	यात्री कि०मी० (दस लाख में) Passenger kilometres (Million)	आमदनी (करोड़ रुपयों में) Earnings (Crores of rupees)
उपनगरीय Suburban									
पहला दर्जा First Class	127.27	3,433	34.17	146.19	3,718	40.00	150.57	3,829	46.00
दूसरा दर्जा (मेल व एक्सप्रेस) Second Class (M & E)	1.10	79	1.29	0.79	65	0.70	0.81	66	0.75
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	2,000.94	51,421	270.64	2197.63	54,808	303.30	2,263.55	56,452	328.95
जोड़ TOTAL	2,129.31 (a)	54,933 (b)	306.10 (c)	2344.61 (a)	58,591 (b)	344.00 (c)	2,414.93 (a)	60,347 (b)	375.70 (c)
अनुपनगरीय Non-Suburban									
वातानुकूल पहला दर्जा AC FIRST CLASS	0.51	288	23.05	0.52	297	27.00	0.53	305	31.00
वातानुकूल शयनयान A.C. Sleeper	4.14	2,627	120.72	4.50	2,915	152.00	4.63	3,002	172.00
पहला दर्जा First Class	12.44	4,591	155.94	13.06	4,807	188.00	13.45	4,951	213.00
दूसरा दर्जा (मेल व एक्सप्रेस) Second Class (M&E)	343.26	132,341	1467.56	358.73	137,598	1691.00	369.49	141,725	1875.80
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	1,182.09	85,342	577.78	1230.54	88,339	708.00	1267.54	90,989	804.00
वातानुकूल कुर्सीयान ACC Chair Car	1.15	856	17.76	1.39	858	20.00	1.43	883	21.50
जोड़ TOTAL	1,543.59	226,045	2363.82	1608.74	234,814	2786.00	1,657.07	241,855	3117.30
वातानुकूल पहला दर्जा AC FIRST CLASS	0.51	288	23.06	0.52	297	27.00	0.53	305	31.00
वातानुकूल शयनयान A.C. Sleeper	4.14	2,627	120.72	4.50	2,915	152.00	4.63	3,002	172.00
पहला दर्जा First Class	139.71	8,024	190.11	159.25	8,525	228.00	164.02	8,780	259.00
दूसरा दर्जा (मेल व एक्सप्रेस) Second Class (M&E)	344.36	132,420	1463.85	359.52	137,663	1691.70	370.30	141,791	1876.55
दूसरा दर्जा साधारण Second Class Ordinary	3183 03	136,763	848.42	3428.17	143,147	1011.30	3531.09	147,441	1132.95
वातानुकूल कुर्सीयान ACC Chair Car	1.15	856	17.76	1.39	858	20.00	1.43	883	21.50
कुल जोड़ GRAND TOTAL	3672.90	280,978	2668.92	3953.35	293,405	3130.00	4,072.00	302,202	3493.00

(क) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के यात्री के 19.75 मिलियन (वास्तविक), 22.78 मिलियन (सं०अ०) और 25.58 मिलियन (ब०अ०) शामिल हैं।

(ख) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता से सम्बन्धित 130 मिलियन (वास्तविक) 150 मिलियन (सं०अ०) और 168 मिलियन (ब०अ०) यात्री कि०मी० शामिल हैं।

(ग) इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के 2.47 करोड़ रुपये (वास्तविक), 2.85 करोड़ रुपये (सं०अ०) और 3.00 करोड़ रुपये (ब०अ०) शामिल हैं।

(a) Includes 19.75 millions (Actuals), 22.78 millions (RE) and 25.58 millions (BE) of passengers on Metro Railway, Calcutta.

(b) Includes 130 millions (Actuals), 150 millions (RE) and 168 millions (BE) of PKM's on Metro Railway, Calcutta.

(c) Includes Rs. 2.47 crores (Actuals), Rs. 2.85 crores (RE) and Rs. 3.00 crores (BE) of Metro Railway, Calcutta.

तालिका VI

TABLE VI

लक्ष्य और उपलब्धियां—मुख्य विकास गतिविधियां

TARGETS AND ACHIEVEMENTS—MAJOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

		1989-90 उपलब्धियां Achievement	1990-91 उपलब्धियां Achievement	1991-92 लक्ष्य Target
1. विद्युतीकरण (मार्ग कि॰मी॰)	I. *Electrification* (Route Kms.)	278	831	675
2. रेलपथ नवीकरण (रेलपथ कि॰मी॰)	II. *Track Renewals* (Track Kms.)			
(क) प्राथमिक	(i) Primary	2,872	2,712	2,800
(ख) गौण	(ii) Secondary	797	899	525
3. नयी लाइनों का निर्माण (मार्ग कि॰मी॰)	III. *Construction of New Lines* (Route Kms.)	237	107	314
4. उखाड़ी गयी लाइनों का पुनःस्थापन (मार्ग कि॰मी॰)	IV. *Restoration of dismantled Lines* (Route Kms.)	...	...	...
5. चल स्टाक	V. *Rolling Stock*			
(i) रेल इंजन : डीजल	(i) *Locos :* Diesel	182	174	180
बिजली	Electric	111	116	117
(ii) सवारी डिब्बे : बिजली गाड़ी/मिट्रो	(ii) *Coaches :* E.M.U.s/Metro	197	174	231
अन्य	Others	1,497	1999	2125
(iii) माल डिब्बे (चौपहियों में)	(iii) *Wagons* (in terms of 4-wheelers)	23,626	23,672	25,120
6. महानगर परिवहन परियोजनाएं	VI. Metropolitan Transport Projects			

बम्बई

(क) थाणे क्रीक पर पुल के निर्माण सहित मानखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन का विस्तार (18 कि॰मी॰)—इस परियोजना पर थाणे क्रीक पुल, अन्य बड़े/छोटे पुलों तथा मिट्टी का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया है। इस समय स्टेशन इमारतों, शिरोपरि उपस्करों, कर्षण सब-स्टेशनों, कार शेड तथा सिगनल एवं दूरसंचार संस्थापनों पर कार्य चल रहा है। इस लाइन के 1991-92 के दौरान पूरा हो जाने तथा इसे यातायात के लिए खोल दिए जाने की संभावना है।

(ख) रावली जं॰ पर एक फ्लाई ओवर सहित, बान्द्रा तथा अन्धेरी के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें तथा हार्बर ब्रांच लाइन पर आनुषंगिक सुविधाएं (7.2 कि॰मी॰)—अन्धेरी में मिट्टी का कार्य, पुलों तथा कर्षण सब-स्टेशन का काम पूरा हो गया है। ट्रैक बिछाने, प्लेटफार्मों/स्टेशन की शेष इमारतों के निर्माण, शिरोपरि उपस्कर तथा सिगनल एवं दूर संचार संबंधी निर्माण कार्य चल रहे हैं।

कलकत्ता

(क) मेट्रो रेल परियोजना (16.43 कि॰मी॰)—परियोजना के दो अलग-अलग खण्डों, अर्थात् दम-दम जं॰—बेलगछिया तथा एसप्लेनेड—टालीगंज खण्ड, जिनकी कुल लम्बाई लगभग 10 कि॰मी॰ है, पर इस समय वाणिज्यिक परिचालन चल रहा है। एसप्लेनेड से बेलगछिया तक की शेष लगभग 6.5 कि॰मी॰ लम्बाई पर कार्य चल रहा है।

BOMBAY

(a) *Extension of Railway line from Mankhurd to Belapur with a bridge across Thane Creek* (18 *Km.*).—Thane Creek Bridge, other major/minor bridges and bulk of the earthwork on the project have been completed. Work is presently in progress on station buildings, OHE, traction sub-stations, car shed and S&T installations. The line is likely to be completed and opened to traffic during 1991-92.

(b) *Additional pair of lines between Bandra and Andheri, with a flyover at Ravli Jn. and ancillary facilities on the Harbour Branch line* (7.2 *Km.*).—Earthwork, bridges and traction sub-xtation at Andheri have been completed. Laying of track, construction of platforms/remaining station buildings, OHE and S&T works are in progress.

CALCUTTA

(a) *Metro Railway Project* (16.43 *km.*).—Two separate stretches of the project, *viz.* Dum Dum Junction-Belgachia, and Esplanade-Tollyganj totalling about 10 km. are presently under commercial operation. Work on the balance about 6.5 km. length from Esplanade to Belgachia is progressing.

(ख) सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता—इसे जून, 1990 तक चरणों में यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। छोटे-मोटे अवशिष्ट निर्माण-कार्य 1991-92 के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है।

मद्रास

मद्रास बीच से लुज़ तक द्रुत परिवहन प्रणाली/मद्रास का निर्माण (8.55 कि०मी०)—इस परियोजना के मद्रास बीच से चीपाक तक (5.25 कि०मी०) के चरण-1 का काम चल रहा है। जो बड़े-बड़े कार्य पूरे कर लिए गए हैं, वे हैं: एक ऊपरी सड़क पुल तथा एक रेल पुल का निर्माण। साथ ही, पार्क टाउन स्टेशन तक रेलपथ बिछाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। मद्रास बीच-पार्क टाउन खण्ड का काम 1991-92 के दौरान पूरा करने की योजना बनाई गई है।

(b) *Circular Railway, Calcutta.*—Commissioned for traffic in stages by June, 1990. Minor residual works are expected to be completed during 1991-92.

MADRAS

Construction of RTS/Madras, from Madras Beach to Luz (8.55 *km.*).—Phase I of the project from Madras Beach to Chepauk (5.25 km.) is in progress. Major activities completed are : A road over-bridge, a rail bridge, and track laying up to Park Town Station have been completed. The section Madras Beach-Park Town is planned for completion during 1991-92.

तालिका VII — TABLE VII

वर्ष 1989-90 में रेलवे का रुपया
THE RAILWAY RUPEE IN THE YEAR–1989-90

रुपया कहाँ से आया
WHERE THE RUPEE CAME FROM

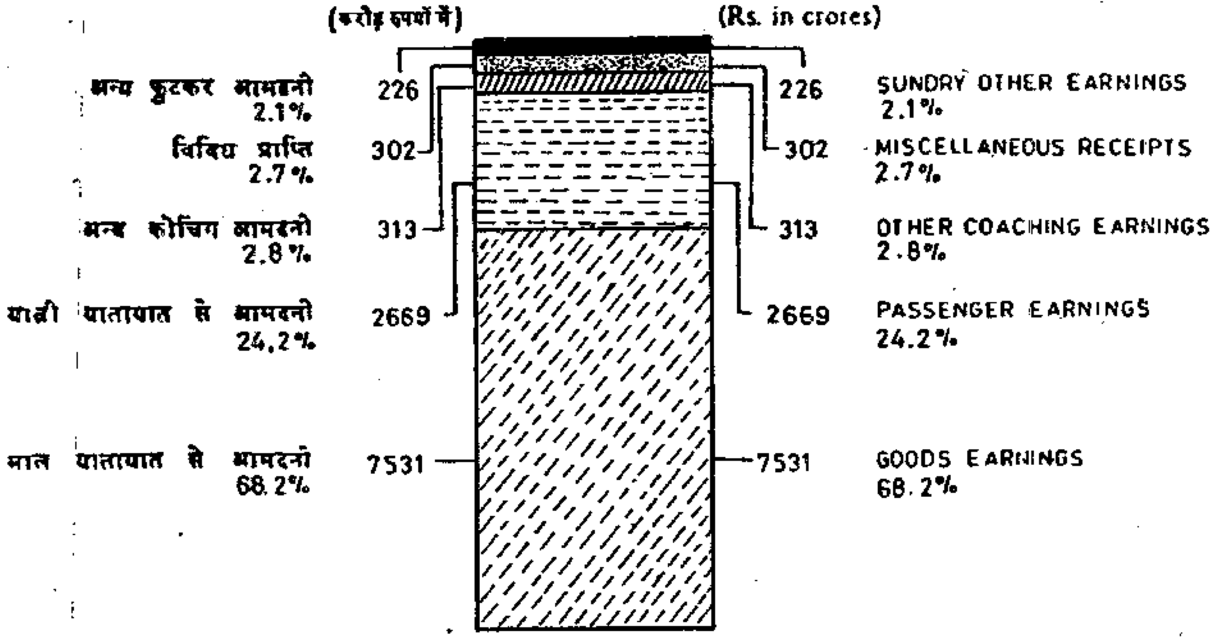

रुपया कहाँ गया
WHERE THE RUPEE WENT

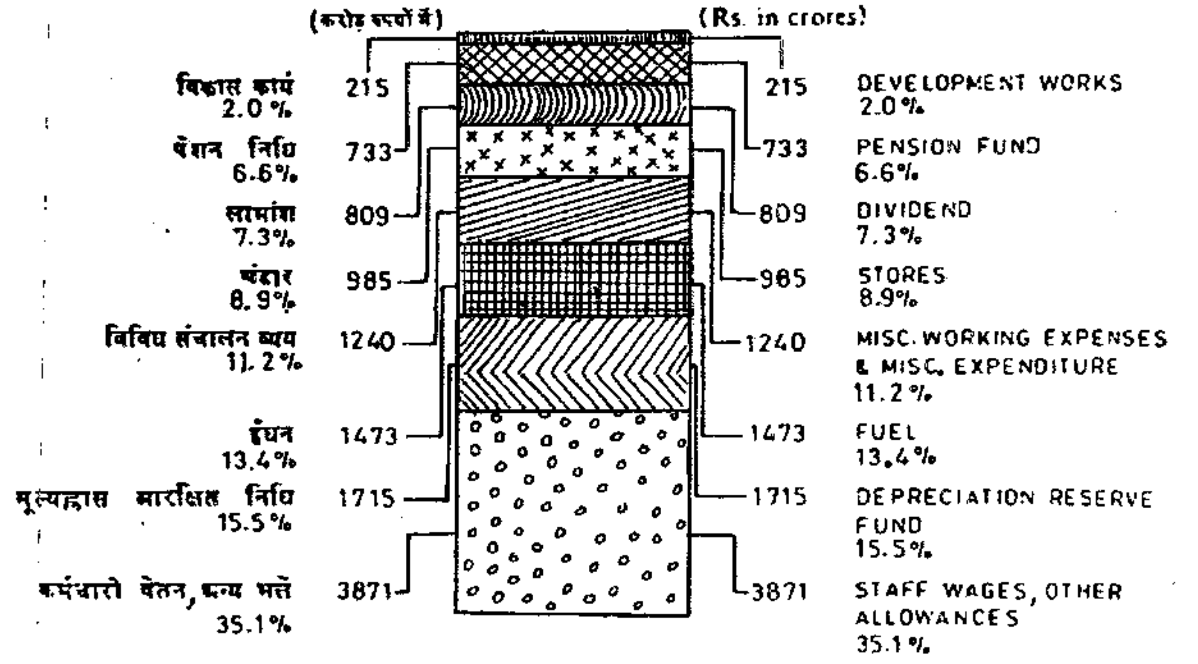

भाग I—राजस्व

PART I—REVENUE

रेलवे उपक्रम के वित्तीय परिणामों का सारांश

SUMMARY OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE RAILWAY UNDERTAKING

1989-90 के वित्तीय परिणाम

FINANCIAL RESULTS OF THE YEAR 1989-90

1989-90 के प्रमुख वित्तीय आंकड़े, उस वर्ष के संशोधित अनुमान और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े नीचे की तालिका में दिखाये गये हैं :—

The principal financial figures for the year 1989-90 together with the Revised Estimates for that year and the actuals of the preceding year are shown in the table below :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of rupees)

ब्योरा	Details	वास्तविक Actuals 1988-89	संशोधित Revised 1989-90	वास्तविक Actuals 1989-90
यातायात से प्राप्ति	TRAFFIC RECEIPTS			
यातायात से सकल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	9259.29	10732.00	10739.41
संचालन व्यय	WORKING EXPENSES			
साधारण संचालन व्यय (शुद्ध)	Ordinary Working Expenses (Net) . . .	6582.99	7447.00	7444.73
*मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	*Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	1500.00	1715.00	1715.00
**पेंशन निधि में विनियोग	**Appropriation to Pension Fund . . .	550.00	728.00	728.00
कुल संचालन व्यय	TOTAL Working Expenses	8632.99	9890.00	9887.73
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	111.03	113.00	130.39
कुल व्यय	TOTAL Expenditure	8521.96	9777.00	9757.34
शुद्ध रेलवे राजस्व	Net Railway Revenue	737.33	955.00	982.07
सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues	715.66	815.00	808.81
अधिशेष (+)/घाटा (—)	Surplus (+)/Shortfall (—)	+21.67	+140.00	+173.26
रेलवे विकास निधि में विनियोग	Appropriation to Railway Development Fund .	21.67	140.00	173.26
आस्थगित लाभांश दायिता का भुगतान	Payment of Deferred Dividend Liability . .	..	..	..
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	93.0%	92.1%	91.5%
***व्याजदेय पूंजी	***Capital-at-Charge	12987.51	14589.01	14629.45
शुद्ध रेलवे राजस्व का व्याजदेय पूंजी से अनुपात	Ratio of Net Railway Revenue to Capital-at-Charge	5.7%	6.5%	6.7%

*इसमें उत्पादन यूनिटों का अंशदान शामिल नहीं है (परिशिष्ट XII देखें)।

**इसमें विविध स्थापनाओं तथा उत्पादन यूनिटों के लिए पेंशन निधि में विनियोग शामिल नहीं है (परिशिष्ट XI और XV देखें)।

***इसमें महानगर परिवहन परियोजना का परिव्यय शामिल नहीं है (परिशिष्ट VI देखें)।

*Excludes contribution from the Production Units (*See* Appendix XII).

**Excludes Appropriation to Pension Fund for Miscellaneous Establishments and Production Units (*See* Appendices XI and XV).

***Excludes outlay on Metropolitan Transport Projects (*See* Appendix VI).

यातायात से प्राप्ति

अंतिम लेखों के अनुसार, 1989-90 में यातायात से कुल प्राप्ति, उस वर्ष के संशोधित अनुमान और पिछले वर्ष, 1988-89 के वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

TRAFFIC RECEIPTS

The details of the Gross Traffic Receipts for 1989-90 according to the Final accounts, the Revised Estimates for that year and the actuals of the preceding year 1988-89 are as under :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1988-89	संशोधित Revised 1989-90	वास्तविक Actuals 1989-90
यात्री—ऊंचे दर्जे	Passenger –Upper Classes	296 79	319.96	333.89
यात्री—दूसरा दर्जा	Passenger –Second Class	2158.71	2311.04	2335.03
यात्री यातायात से कुल आमदनी	Total Passenger Earnings	2455.50	2631.00	2668.92
अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी	Other Coaching Earnings	270.74	311.00	313.31
माल यातायात से आमदनी	Goods Earnings	6343.11	7611.00	7624.49
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings	224.97	199.00	226.35
कुल आमदनी	Total Earnings	9294.32	10752.00	10833.07
उचंत	Suspense	—35.03	—20.00	—93.66
यातायात से सकल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	9259.29	10732.00	10739.41

10833.07 करोड़ रुपये की कुल वास्तविक आमदनी संशोधित अनुमान से 81.07 करोड़ रुपये अधिक थी जिसमें यात्री यातायात से (37.92 करोड़ रुपये), माल यातायात से (13.49 करोड़ रुपये) तथा अन्य कोचिंग यातायात से (2.31 करोड़ रुपये) आमदनी तथा अन्य फुटकर आमदनी (27.35 करोड़ रुपये) शामिल है। उचन्त के अन्तर्गत वृद्धि वसूल न की गयी बकाया राशि 93.66 करोड़ रुपये थी जबकि संशोधित अनुमान 20 करोड़ रुपये का था। इसके परिणामस्वरूप यातायात से सकल प्राप्तियां 10739.41 करोड़ रुपये हो गयीं जो संशोधित अनुमान से 7.41 करोड़ रुपये अधिक हैं।

The actual Total Earnings at Rs. 10833.07 crores were higher than the Revised Estimate by Rs. 81.07 crores, comprising of Passenger (Rs. 37.92 crores) Goods (Rs. 13.49 crores), Other Coaching (Rs. 2.31 crores) and Sundry Other Earnings (Rs. 27.35 crores). Accretion to 'Suspense' representing unrealised earnings amounted to Rs. 93.66 crores instead of Rs. 20 crores as per Revised Estimate. In the result, Gross Traffic Receipts came to Rs. 10739.41 crores, that is, in excess of the Revised Estimate by Rs. 7.41 crores.

संचालन व्यय

नीचे की तालिका में 1989-90 के संचालन व्यय के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वास्तविक कुल रकमों की तुलना उस वर्ष के संशोधित अनुमान और 1988-89 के वास्तविक आंकड़ों से की गयी है :—

WORKING EXPENSES

The actual gross amounts of expenditure under various Grants of the Working Expenses for 1989-90 are compared in the table below with the Revised Estimates for that year and the actuals for 1988-89:—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

मांग सं० तथा नाम	Demand No. and Nomenclature	वास्तविक Actuals 1988-89	संशोधित Revised 1989-90	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित अनुमान की तुलना में कमी-बेशी का प्रतिशत Percentage variation over Revised Estimate
3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	393.11	438.16	439.14	+0.22
4—रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	820.34	910.98	894.34	−1.83
5—रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Motive Power	626.80	701.69	719.72	+2.57
6—सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	838.06	943.83	968.02	+2.56
7—संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	426.01	486.49	482.73	−0.77
8—परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses –Rolling Stock and Equipment	685.91	756.33	745.99	−1.37
9—परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses – Traffic . . .	944.04	1161.60	1166.10	+0.39
10—परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses – Fuel	1363.32	1506.02	1504.71	−0.08
11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare and Amenities . . .	283.94	314.97	313.15	−0.58
12—विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses . .	433.85	489.85	474.25	−3.18
13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits . . .	750.65	796.55	798.48	+0.24
जोड़	TOTAL	7566.03	8506.47	8506.63	..
जमा या वसूलियां	Credits or Recoveries	-236.58	−264.89	−269.67	+1.80
घटाइए—निधियों से प्रतिपूरित रकम	Deduct Amount recouped from Funds .	-746.46	−794.58	−792.23	−0.30
शुद्ध	NET	6582.99	7447.00	7444.73	−0.03

वर्ष 1989-90 के लिए साधारण संचालन व्यय (सकल) 8506.63 करोड़ रुपये था जो 8506.47 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 0.16 करोड़ रुपये अधिक था। मांग सं० 4, 7, 8, 10, 11 और 12 के अन्तर्गत गिरावट आयी जबकि मांग सं० 3,5,6,9 और 13 में वृद्धि हुई। जमा या वसूलियां तथा निधियों से प्रतिपूरित राशि जो संसद की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए अनुदान के बाहर हैं, मिलकर संशोधित अनुमान की तुलना में 2.43 करोड़ रुपये अधिक रही। अन्तिम विश्लेषण के अनुसार, शुद्ध संचालन व्यय 7447.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 2.27 करोड़ रुपये कम था।

जहां तक कुल संचालन व्यय में सम्मिलित अन्य मदों का संबंध है, 1989-90 में मूल्यह्रास आरक्षित निधि तथा पेंशन निधि में अंशदान क्रमश: 1715.00 करोड़ रुपये तथा 728.00 करोड़ रुपये के संशोधित स्तर पर बनाये रखा गया।

शुद्ध विविध प्राप्तियां

विविध प्राप्तियों में 1.05 करोड़ रुपये की वृद्धि होने तथा विविध व्यय में 16.34 करोड़ रुपये की कमी होने के परिणामस्वरूप, शुद्ध विविध प्राप्तियां 130.39 करोड़ रुपये हुई; जो संशोधित अनुमान से 17.39 करोड़ अधिक हैं।

1989-90 के शुद्ध वित्तीय परिणाम

पूर्वोक्त कमी-बेशी का समग्र प्रभाव यह पड़ा कि शुद्ध राजस्व में (सामान्य राजस्व को लाभांश का भुगतान करने से पहले) 955.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 27.07 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वास्तविक संगणना करने पर, सामान्य राजस्व को देय लाभांश 815 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 808.81 करोड़ रुपये था। अतः सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान को पूरा करने के बाद 140.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 173.26 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा।

सामान्य राजस्व का ऋण

वर्ष 1989-90 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, विकास निधि हेतु लिए गए ऋण के कारण रेलें सामान्य राजस्व को 534.44 करोड़ रुपये तथा आस्थगित लाभांश दायिता के रूप में सामान्य राजस्व को 428.44 करोड़ रुपये की देनदार हैं; जिससे कुल देनदारी 962.88 करोड़ रुपये हो गयी है।

The ordinary working expenses (Gross) for the year 1989-90 came to Rs. 8506.63 crores, which is more by Rs. 0.16 crore compared with the Revised Estimate of Rs. 8506.47 crores. The shortfall occurred under Demands No. 4, 7, 8, 10, 11 and 12 whereas Demands No. 3, 5, 6, 9 and 13 showed excess. Credits or recoveries and amounts recouped from Funds which are outside the grant for the purpose of Vote of Parliament, taken together, were Rs. 2.43 crores more than the Revised Estimate. In the final analysis, the net working expenses were Rs. 2.27 crores less than the Revised Estimate of Rs. 7447.00 crores.

As regards other items making up total Working Expenses, the contribution to the Depreciation Reserve Fund and Pension Fund in the year 1989-90 were retained at the revised level of Rs. 1715.00 crores and Rs. 728.00 crores respectively.

NET MISCELLANEOUS RECEIPTS

As a result of an increase of Rs. 1.05 crores in Miscellaneous Receipts and reduction of Rs. 16.34 crores in Miscellaneous expenditure, net Miscellaneous receipts which came to Rs. 130.39 crores, exceed the Revised Estimate by Rs. 17.39 crores.

NET FINANCIAL RESULTS 1989-90

The aggregate effect of the aforesaid variations is that the Net Revenue (before payment of Dividend to General Revenues) increased by Rs. 27.07 crores over the Revised Estimate figure of Rs. 955.00 crores. The Dividend payable to General Revenues on actual computation was Rs. 808.81 crores as against the Revised Estimate of Rs. 815 crores. Thus the surplus after meeting payment of Dividend to General Revenues came to Rs. 173.26 crores as against the Revised Estimate of Rs. 140.00 crores.

INDEBTEDNESS TO GENERAL REVENUES

As per the actuals for the year 1989-90 the Railways owe to General Revenue an amount of Rs. 534.44 crores on account of loan to Development Fund and Rs. 428.44 crores as Deferred Divident Liability totalling to Rs. 962.88 crores.

रेलवे निधियां

अंतिम लेखों के अनुसार, 1989-90 के दौरान विभिन्न रेलवे निधियों के ब्यौरे, उस वर्ष के संशोधित अनुमान तथा पूर्ववर्ती वर्ष 1988-89 के वास्तविक आंकड़ों का सारांश नीचे दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट XII से XVI में दिया गया है :—

RAILWAY FUNDS

The details of the various Railway Funds for 1989-90 according to the Final Accounts, the Revised Estimate for that year and the Actuals of the preceding year 1988-89 are summarised below. The detailed position are brough to utin Appendices XII to XVI.

(लाख रुपयों में/Rupees in lakhs)

		वास्तविक Actuals 1988-89	संशोधित Revised 1989-90	वास्तविक Actuals 1989-90
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	*Depreciation Reserve Fund*			
अथ शेष	Opening Balance	454,55	520,10	520,10
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	1512,73	1730,75	1730,74
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	1477,62	1489,00	1564,30
शेष पर ब्याज	Interest on balance	30,44	41,66	39,20
इतिशेष	Closing balance	520,10	803,51	725,74
रेलवे विकास निधि	*Railway Development Fund*			
अथशेष	Opening Balance	..	..	..
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	149,07	196,85	178,42
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	149,07	196,85	178,42
शेष पर ब्याज	Interest on balance	..	..	..
इतिशेष	Closing balance	..	..	..
राजस्व आरक्षित निधि	*Revenue Reserve Fund*			
अथशेष	Opening Balance	56	59	59
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	..	1	..
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	..	..	..
शेष पर ब्याज	Interest on balance	3	3	2
इतिशेष	Closing Balance	59	63	61
रेलवे पेंशन निधि	*Railway Pension Fund*			
अथ शेष	Opening Balance	222,49	56,27	59,98
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	565,99	745,68	742,59
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	744,15	790,00	791,66
शेष पर ब्याज	Interest on balance	8,57	2,22	2,31
इतिशेष	Closing Balance	52,90	14,17	13,22
दु.क्ष.नि.	*A.C.S.P.F.*			
अथशेष	Opening Balance	33,79	42,62	42,62
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	58,58	61,00	59,71
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	52,15	69,58	56,46
शेष पर ब्याज	Interest on Balance	2,40	2,49	2,83
इतिशेष	Closing Balance	42,62	36,53	48,70
सभी रेलवे निधियां	*All Railway Funds*			
अथशेष	Opening Balance	711,39	619,58	623,29
इतिशेष	Closing Balance	616,21	854,84	788,27

संशोधित अनुमान, 1990-91 और बजट अनुमान 1991-92

यातायात से प्राप्तियां

नीचे की तालिका में वास्तविक 1989-90, बजट तथा संशोधित अनुमान 1990-91 और बजट अनुमान 1991-92 यातायात से कुल प्राप्तियों के आंकड़ों की तुलना की गयी है :—

REVISED ESTIMATES 1990-91 AND BUDGET ESTIMATES 1991-92

TRAFFIC RECEIPTS

The details of the Actuals 1989-90, Budget & Revised Estimates 1990-91 and Budget Estimates 1991-92 of Gross Traffic Receipts are compared in the table below :—

(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92	
					फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
यात्री—ऊंचे दर्जे	Passenger—Upper Classes	333.89	381.71	407.00	420.00	462.00
यात्री—दूसरा दर्जा	Passenger—Second Class	2335.03	2733.29	2723.00	2804.00	3031.00
जोड़—यात्री यातायात से कुल आमदनी	Total—Passenger Earnings	2668.92	3115.00	3130.00	3224 00	3493.00
अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी	Other Coaching Earnings	313.31	334.00	350.00	342.00	369.00
माल यातायात से आमदनी	Goods Earnings . .	7624.49	8424.00	8380.00	8884.00	9222.00
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings .	226.35	207.00	226.00	235.00	255.00
कुल आमदनी	Total Earnings . .	10833.07	12080.00	12086.00	12685.00	13339.00
उचंत	Suspense	—93.66	—20.00	—48.00	—20.00	—20.00
यातायात से सकल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts .	10739.41	12060.00	12038.00	12665.00	13319.00

यात्री यातायात से आमदनी

1990-91 में यात्री आय का बजट अनुमान 3115.00 करोड़ रुपये था। इसमें 15.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथा संशोधित अनुमान 3130.00 करोड़ रुपये रखा गया था। उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्री यातायात में प्रत्याशित वृद्धि के आधार पर तथा 16-8-91 से किरायों में की जाने वाली प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 1991-92 में यात्री यातायात से 3493.00 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है।

Passenger Earnings

The Budget Estimate of Passenger Earnings for 1990-91 of Rs. 3115.00 crores was increased by Rs. 15.00 crores and the Revised Estimate placed at Rs. 3130.00 crores. Passenger Earnings for 1991-92 have been estimated at Rs. 3493.00 crores based upon an anticipated growth of suburban and non suburban passenger traffic and taking into account the proposed increase in fares w.e.f. 16-8-91.

अन्य कोचिंग आमदनी

वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक आमदनी का रुख देखते हुए, अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी के संशोधित अनुमान को 350.00 करोड़ रुपये अर्थात् उस वर्ष के बजट अनुमान से 16.00 करोड़ रुपये अधिक रखा गया था। 1991-92 में अन्य कोचिंग यातायात से 369.00 करोड़ रुपये की आमदनी होने का अनुमान लगाया गया है जो प्रत्याशित वृद्धि तथा 16-8-91 से पार्सल और सामान की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के आधार पर, पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से 19.00 करोड़ रुपये अधिक है।

माल यातायात से आमदनी

1990-91 के लिए माल यातायात से आमदनी का संशोधित अनुमान 8380.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, अर्थात् 8424.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 44.00 करोड़ रुपये कम। 1990-91 के संशोधित अनुमान के लिए अपनाये गए 316 मिलियन टन के प्रत्याशित स्तर की तुलना में प्रारंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात में 19 मिलियन टन की वृद्धि की प्रत्याशा करते हुए तथा 16-8-91 से माल भाड़ा दरों में प्रस्तावित वृद्धि को देखते हुए, 1991-92 के दौरान माल यातायात से आमदनी 9222.00 करोड़ रुपये पर रखी गयी है जो 842.00 करोड़ रुपये अधिक है।

अन्य फुटकर आमदनी

वर्ष 1990-91 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक आमदनी के रुख को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान 226.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 207.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 19.00 करोड़ रुपये अधिक है। 1991-92 में अन्य फुटकर यातायात से अब 255.00 करोड़ रुपये की अमादनी होने का अनुमान लगाया गया है।

उचन्त

वर्ष 1990-91 के दौरान, "उचंत" के अन्तर्गत वसूल न की गयी आमदनी का संशोधित अनुमान 48.00 करोड़ रुपये लगाया गया था, जो 20.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 28.00 करोड़ रुपये अधिक है। इस शीर्ष के अन्तर्गत 1991-92 के लिए बजट अनुमान 20.00 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है।

यातायात से कुल प्राप्तियां

उपर्युक्त कारकों का समग्र प्रभाव यह हुआ कि 1990-91 में यातायात से कुल प्राप्तियों का अनुमान 12038.00 करोड़ रुपये लगाया गया था जो 12060.00 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 22 करोड़ रुपये कम है। 1991-92 के लिए यातायात से सकल प्राप्तियों का बजट अनुमान 13319.00 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

Other Coaching Earnings

Taking into account the trend of actual earnings during the course of the year 1990-91, the Revised Estimate of earnings from Other Coaching Traffic was fixed at Rs. 350.00 crores *i.e.*, Rs. 16.00 crores more than Budget Estimate for that year. Other Coaching earnings for 1991-92 are estimated at Rs. 369.00 crores *i.e.*, Rs. 19.00 crores above the Revised Estimate of last year, based upon anticipated growth and the proposed increase of parcel & luggage rates w.e.f. 16-8-91.

Goods Earnings

The revised estimate for 1990-91 of goods earnings was fixed at 8380.00 crores *i.e.* a decrease of Rs. 44.00 crores from the Budget Estimate of Rs. 8424.00 crores. The Goods Earnings for 1991-92 have been placed at Rs. 9222.00 crores, an increase of Rs. 842.00 crores assuming an increase of 19 million tonnes in the originating revenue earning freight traffic over the anticipated level of 316 million tonnes adopted for the Revised Estimate for 1990-91 and taking into account the proposed increase of freight rates w.e.f. 16-8-91.

Sundry Other Earnings

Taking into account the trend of actual earnings under this head during the course of the year, the Revised Estimate for 1990-91 were fixed at Rs. 226.00 crores, *ie.*, an increase of Rs. 19.00 crores over the Budget Estimate of Rs. 207.00 crores. Sundry Other Earnings have now been assessed at Rs. 255.00 crores in 1991-92.

Suspense

The Revised Estimate of accretion to unrealised earnings held in 'Suspense' during the year 1990-91 was estimated at 48.00 crores i.e. an increase of Rs.28.00 crores over the Budget Estimate of Rs. 20.00 crores. The Budget Estimate for 1991-92 under this head has been kept at the level of Rs. 20.00 crores.

Gross Traffic Receipts

The aggregate effect of the above mentioned factors is that the Gross Traffic Receipts for 1990-91 were revised to Rs. 12038.00 crores *i.e.* Rs. 22 crores less than the Budget Estimate of Rs. 12060.00 crores. The Budget Estimates of Gross Traffic Receipts for 1991-92 comes to Rs. 13319.00 crores.

संचालन व्यय

निम्नलिखित तालिका में साधारण संचालन व्यय का वर्ष 1989-90 के वास्तविक, बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 1990-91 और बजट अनुमान 1991-92 के आंकड़ों से तुलना की गयी है :—

WORKING EXPENSES

The table below compares the actuals of the year 1989-90, Budget Estimates & Revised Estimates 1990-91 and Budget Estimates 1991-92 of Working Expenses :—

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92: फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented February 1991	बजट Budget 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मांग सं० 3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	Demand No. 3—General Superintendence and Services on Railways	439.14	471.72	470.08	519.96	519.96
मांग सं० 4—रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 4—Repairs and Maintenanee of Permanent Way and Works . . .	894.34	975.98	953.79	1054.31	1039.81
मांग सं० 5—रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 5—Repairs and Maintenance of Motive Power	719.72	770.70	765.45	824.96	824.96
मांग सं० 6—सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No 6—Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	968.02	1042.35	1026.38	1113.34	1106.34
मांग सं० 7—संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Demand No. 7—Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	482.73	523.28	508.50	557.44	542.90
मांग सं० 8—परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Demand No. 8—Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	745.99	810.80	793.50	872.19	872.19
मांग सं० 9—परिचालन व्यय—यातायात	Demand No. 9—Operating Expenses—Traffic. . .	1166.10	1394.90	1360.61	1686.61	1686.61
मांग सं० 10—परिचालन व्यय—ईंधन	Demand No. 10—Operating Expenses—Fuel . . .	1504.71	1601.31	1723.76	1915.46	1886.00
मांग सं० 11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Demand No. 11—Staff Welfare and Amenities . . .	313.15	348.70	346.80	383.41	383.41
मांग सं० 12—विविध संचालन व्यय	Demand No. 12—Miscellaneous Working Expenses . .	474.25	544.79	550.29	592.46	567.96
मांग सं० 13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Demand No. 13—Provident Fund, Pension & Other Retirement Benefits . .	798.48	841.65	883.41	970.72	970.72
जोड़	TOTAL	8506.63	9326.18	9382.57	10490.86	10400.86
जमा या वसूलियां	Credits or Recoveries . .	—269.67	—245.50	—256.25	—251.53	—251.53
घटाइए—निधियों से प्रतिपूरित राशि	Deduct—Amount recouped from Funds.	—792.23	—839.68	—885.32	—969.33	—959.33
शुद्ध	NET	7444.73	8241.00	8241.00	9270.00	9180.00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund . . .	1715.00	1950.00	1950.00	2050.00	2000.00
*पेंशन निधि में विनियोग	*Appropriation to Pension Fund	728.00	900.00	900.00	1000.00	1050.00

*इस राशि में विविध स्थापनाओं के लिए पेंशन निधि में विनियोग शामिल नहीं है।

*Excludes Appropriation to Pension Fund for Miscellaneous Establishments.

संचालन व्यय—संशोधित अनुमान 1990-91

1990-91 में साधारण संचालन व्यय के लिए स्वीकृत बजट अनुदान 9326.18 करोड़ रुपये (सकल) था । 9382.57 करोड़ रुपये (सकल) का संशोधित अनुमान बजट अनुदान से 56.39 करोड़ रुपये अधिक था । मांग सं० 10, 12 और 13 में बढ़ी हुई आवश्यकताएं दर्शायी गयीं थीं जबकि अन्य सभी मांगों में गिरावट का रुख परिलक्षित था । व्यय में कमी करने के लिए 256.25 करोड़ रुपये के जमा खातों का अनुमान लगाया गया है जो बजट से 10.75 करोड़ रुपये अधिक है । "निधियों" से प्रतिपूरित राशि 885.32 करोड़ रुपये है जो बजट की तुलना में 45.64 करोड़ रुपये अधिक है । इस प्रकार, शुद्ध संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 8241.00 करोड़ रुपये के बजट स्तर पर ही बनाए रखा गया है । संशोधित अनुमान में "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 56.39 करोड़ रुपये (सकल) की अतिरिक्त व्यवस्था मुख्यतः रेलवे पेंशनभोगियों को अनुमान से अधिक भुगतान, डीजल की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल-जन्य उत्पादों पर खाड़ी अधिप्रभार, और बिजली की दर में वृद्धि के कारण करनी जरूरी हो गयी थी, जो यातायात में कमी से संतुलित हो गयी । "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 3.89 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के संबंध में प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण थी ।

जहां तक कुल संचालन व्यय को पूरा करने के लिए अन्य मदों का संबंध है, 1990-91 के संशोधित अनुमान में मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में अंशदान क्रमशः 1950.00 करोड़ रुपए और 900.00 करोड़ रुपए के मूल बजट स्तर पर बनाए रखा गया ।

संचालन व्यय—बजट अनुमान, 1991-92

वर्ष 1991-92 के लिए साधारण संचालन व्यय (सकल) का बजट अनुमान 10400.86 करोड़ रुपये आंका गया है, जो 1990-91 के 9382.57 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 1018.29 करोड़ रुपये अधिक है । व्यय में कमी के रूप में जमा की अनुमानित राशि 251.53 करोड़ रुपये अर्थात् संशोधित अनुमान से 4.72 करोड़ रुपये कम है । निधियों से प्रतिपूरित राशि अनुमानतः 969.33 करोड़ रुपये है । जमा और निधियों से प्रतिपूरित राशि को मिलाने से 1991-92 के दौरान शुद्ध संचालन व्यय 9180.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जबकि 1990-91 का संशोधित अनुमान 8241.00 करोड़ रुपये है अर्थात् इसमें 939.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है ।

1018.29 करोड़ रुपये के व्यय (सकल) में वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

(क) कर्मचारी लागत में वृद्धि (512.62 करोड़ रुपये) जिसका विश्लेषण इस प्रकार है:—

(i) मंहगाई भत्ते का भुगतान (329.08 करोड़ रुपये),

Working Expenses—Revised Estimates 1990-91.

The sanctioned Budget Grant for 1990-91 for Ordinary Working Expenses was Rs. 9326.18 crores (Gross). The Revised Estimate of Rs. 9382.57 crores (Gross) was more than the Budget Grant by Rs. 56.39 crores. Demands No. 10, 12 and 13 showed increased requirement whereas in all other Demands there was declining trend. Credits in reduction of expenditure are estimated at Rs. 256.25 crores, i.e., Rs. 10.75 crores more than the Budget. The amount recouped from 'Funds' is Rs. 885.32 crores which exceeds the Budget by Rs. 45.64 crores. The Revised Estimates of Net Working Expenses has thus been kept at Budget level of Rs. 8241.00 crores. The additional provision of Rs. 56.39 crores (Gross) under 'Voted' portion in the Revised Estimate was necessitated mainly by more estimated payments to Railway Pensioners, hike in diesel prices, Gulf Surcharge on petroleum products and increase in power tariff offset by reduction in traffic. The increase of Rs. 3.89 lakhs under 'Charged' appropriation was on account of more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

As regards the other items making up total working expenses, the contribution to the Depreciation Reserve Fund and Pension Fund in the Revised Estimates 1990-91 were retained at the original Budget level of Rs. 1950.00 crores and Rs. 900.00 crores respectively.

Working Expenses—Budget Estimates, 1991-92

The Budget Estimate of Ordinary Working Expenses (Gross) for the year 1991-92 has been placed at Rs. 10400.86 crores involving an increase of Rs. 1018.29 crores over the Revised Estimates of Rs. 9382.57 crores for 1990-91. Credits in reduction of expenditure are estimated at Rs. 251.53 crores, i.e. Rs. 4.72 crores less than the Revised Estimate. The amount recouped from Funds is estimated at Rs. 969.33 crores. Taking together the credits and the amounts recouped from Funds the Net Working Expenses are estimated to be Rs. 9180.00 crores during 1991-92 as against the Revised Estimate for 1990-91 of Rs. 8241.00 crores, an increase of Rs. 939.00 crores.

The increase in expenditure of Rs. 1018.29 crores (Gross) is mainly on account of :

(a) Increase in staff costs (Rs. 512.62 crores) analysed as under :—

(i) Payment of Dearness Allowance (Rs. 329.08 crores);

(ii) वार्षिक वेतन वृद्धियों, किलोमीटर भत्ता, गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण अन्य कर्मचारी लागत में वृद्धि (96.03 करोड़ रुपये) और सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को पेंशन संबंधी भुगतान के लिए अधिक व्यवस्था (87.51 करोड़ रुपये);

(ख) मूल्यों में वृद्धि, परिसम्पत्तियों का अतिरिक्त अनुरक्षण, चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण, बिजली, सिगनल और दूर संचार सेवाएं; संविदागत भुगतान, यातायात में वृद्धि के कारण सामग्री और अन्य लागतों में वृद्धि (190.83 करोड़ रुपये);

(ग) यातायात में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों पर खाड़ी अतिप्रभार के पूरे वर्ष के प्रभाव के कारण ईंधन पर अधिक खर्च (161.28 करोड़ रुपये);

(घ) भारतीय रेल वित्त निगम को लीज़/किराया प्रभार (214.00 करोड़ रुपये)।

यह वृद्धि (i) अन्य विविध कारकों (58.69 करोड़ रुपये), (ii) अदालती डिगरियों के संबंध में प्रत्याशा से कम भुगतान (175.38 लाख रुपये) के कारण प्रभृत विनियोग के अन्तर्गत कम व्यवस्था से अंशतः संतुलित हो गयी।

इस कमी-बेशी का मांग-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मांग संख्या 3—रेलों पर सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं :

इस मांग के अन्तर्गत 519.96 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 49.88 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 49.90 करोड़ रुपये की वृद्धि मंहगाई भत्ते के भुगतान (4112.11 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (724.30 लाख रुपये) और अन्य विविध कारकों (153.35 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 2.36 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों का प्रत्याशा से कम भुगतान होने के कारण है।

मांग संख्या 4—रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण :

इस मांग के अन्तर्गत 1039.81 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 86.02 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि पूर्णतः "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत हुई जो मंहगाई भत्ते के भुगतान (5779.78 लाख रुपये), वार्षिक वेतन-वृद्धियां (1009.57 लाख रुपये), सामग्री की लागत (543.61 लाख रुपये) और संविदात्मक भुगतान (1565.74 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है जो विविध कारकों (296.87 लाख रुपये) के अन्तर्गत कम व्यवस्था करने के कारण अंशतः संतुलित हो गयी।

(ii) Increase in other staff costs due to annual increments, Kilometrage allowance, for increase in activity etc. (Rs. 96.03 crores); and more provision for Pensionary payments to retired Railway employees (Rs. 87.51 crores)

(b) Increase in material and other costs on account of increase in prices, additional maintenance of assets, repairs and maintenance of rolling stock, electrical, signalling and telecommunication services, contractual payments, increase in traffic (Rs. 190.83 crores);

(c) More expenditure on fuel arising from increase in traffic and full year impact of Gulf Surcharge on petroleum products (Rs. 161.28 crores);

(d) Lease/Hire charges to Indian Railway Finance Corporation (Rs. 214.00 crores).

Partly offset by less provision under :—

(i) Other miscellaneous factors (Rs. 58.69 crores);

(ii) *Charged* appropriation due to less payments anticipated in satisfaction of court decrees (Rs. 175.38 lakhs).

The variations are explained demand-wise a under :—

Demand No. 3—General Superintendence and Services on Railways.

The Budget Estimate of Rs. 519.96 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 49.88 crores over the Revised Estimate. This comprises an increase of Rs. 49.90 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 4112.11 lakhs), Annual increments (Rs. 724.30 lakhs) and other miscellaneous factors (Rs. 153.35 lakhs); and a reduction of Rs. 2.36 lakhs under *Charged* appropriation due to less payments anticipated in satifaction of court decrees.

Demand No. 4—Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works.

The Budget Estimate of Rs. 1039.81 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 86.02 crores over the Revised Estimate, entirely under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 5779.78 lakhs), Annual increments (Rs. 1009.57 lakhs), cost of materials (Rs. 543.61 lakhs) and Contractual Payments (Rs. 1565.74 lakhs), partly offset by less provision under other miscellaneous factors (Rs. 296.87 lakhs).

मांग संख्या 5–रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण :

इस मांग के अन्तर्गत 824.96 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 59.51 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत हुई 59.55 करोड़ रुपये की वृद्धि मंहगाई भत्ते के भुगतान (2163.15 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (399.49 लाख रुपये), सामग्री की लागत (2610.11 लाख रुपये), कारखाना अनुरक्षण (1819.97 लाख रुपये) और अन्य विविध कारकों (212.57 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है, जो नामे/जमा खाते के अन्तरण (1250.04 लाख रुपये) के अन्तर्गत कम व्यवस्था करने के कारण अंशतः संतुलित हो गयी और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 3.85 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान होने के कारण है।

Demand No. 5—Repairs and Maintenance of Motive Power.

The Budget Estimate of Rs. 824.96 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 59.51 crores over the Revised Estimate. This comprises an increase of Rs. 59.55 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 2163.15 lakhs), Annual increments (Rs. 399.49 lakhs), cost of materials (Rs. 2610.11 lakhs), workshop maintenance (Rs. 1819.97 lakhs) and other miscellaneous factors (Rs. 212.57 lakhs) partly offset by less provision under 'Transfer of Debits/Credits' (Rs. 1250.04 lakhs), and a reduction of Rs. 3.85 lakhs under *Charged* appropriation due to less payments anticipated in satisfaction of court decrees.

मांग संख्या 6–सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण :

इस मांग के अन्तर्गत 1106.34 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 79.96 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत हुई 79.96 करोड़ रुपये की वृद्धि मंहगाई भत्ते के भुगतान (2611.66 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (493.87 लाख रुपये), सामग्री की लागत (1858.94 लाख रुपये), कारखाना अनुरक्षण (3612.25 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है जो अन्य विविध कारकों (580.36 लाख रुपये) के अन्तर्गत कम खर्च होने के कारण अंशतः संतुलित हो गयी और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 0.74 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान होने के कारण है।

Demand No. 6—Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons.

The Budget Estimate of Rs. 1106.34 crores under this demand reflects an increase of Rs. 79.96 crores over the Revised Estimate. This compriss an increase of Rs. 79.96 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 2611.66 lakhs), Annual increments (Rs. 493.87 lakhs), cost of materials (Rs. 1858.94 lakhs) and workshop maintenance (Rs. 3612.25 lakhs), partly offset by less provision under other miscellaneous factors (Rs. 580.36 lakhs) and a decrease of Rs. 0.74 lakh under *Charged* appropriation due to less payment anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग संख्या 7–संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण

इस मांग के अन्तर्गत 542.90 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 34.40 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत हुई 34.40 करोड़ रुपये की वृद्धि मंहगाई भत्ते के भुगतान (2636.16 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (489.31 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (26.82 लाख रुपये) कारखाना अनुरक्षण (583.44 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है जो अन्य विविध कारकों (294.91 लाख रुपये) के अन्तर्गत कम खर्च होने के कारण अंशतः संतुलित हो गयी और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 0.07 लाख रुपये की वृद्धि अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है।

Demand No. 7—Repairs and Maintenance of Plant and Equipment.

The Budget Estimate of Rs. 542.90 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 34.40 crores over the Revised Estimate. This is made up of an increase of Rs. 34.40 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 2636.16 lakhs), Annual increments (Rs. 489.31 lakhs), Contractual Payments (Rs. 26.82 lakhs), workshop maintenance (Rs. 583.44 lakhs), partly offset by less expenditure under other miscellaneous factors (Rs. 294.91 lakhs) and an increase of Rs. 0.07 lakh under *Charged* appropriation due to more payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

मांग संख्या 8--परिचालन व्यय--चल स्टाक और उपस्कर

इस मांग के अन्तर्गत 872.19 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 78.69 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 78.79 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (4163.71 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (900.82 लाख रुपये), किलोमीटर दूरी भत्ता (264.15 लाख रुपये), सामग्री की लागत (1133.83 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (1382.33 लाख रुपये) और अन्य विविध कारकों (34.32 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 10.19 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

मांग संख्या 9 परिचालन व्यय-यातायात

इस मांग के अन्तर्गत 1686.61 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 326.00 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। इसमें "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 326.00 करोड़ रुपये की वृद्धि महंगाई भत्ते का भुगतान (7421.09 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (1384.28 लाख रुपये), किलोमीटर दूरी भत्ता (328.55 लाख रुपये), सामग्री की लागत (192.45 लाख रुपये), भारतीय रेल वित्त निगम को पट्टे/किराये के प्रभार (21400.00 लाख रुपये) नामे/जमा खाते के अन्तरण (5852.25 लाख रुपये) के लिए प्रावधान करने के कारण है, जो अन्य विविध कारकों के अन्तर्गत कम प्रावधान (3978.52 लाख रुपये) से अंशतः संतुलित हो गयी और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 0.11 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

मांग संख्या 10--परिचालन व्यय--ईंधन

इस मांग के अन्तर्गत 1886.00 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 162.24 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है जो समग्रतः "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत महंगाई भत्ते के भुगतान (78.30 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य कर्मचारी लागत (5.24 लाख रुपये), यातायात में वृद्धि के कारण ईंधन-डीजल तेल पर अधिक खर्च (लगाये गये खाड़ी अति-प्रभार के पूरे वर्ष के प्रभाव को भी लेखे में लेते हुए) (8925.19 लाख रुपये), बिजली (8335.11 लाख रुपये) के कारण है जो कोयला में कमी (1119.72 लाख रुपये) से अंशतः संतुलित हो गयी।

Demand No. 8—Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment.

The Budget Estimate of Rs. 872.19 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 78.69 crores over the Revised Estimate. This comprises an increase of Rs. 78.79 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 4163.71 lakhs), Annual increments (Rs. 900.82 lakhs), Kilometerage Allowance, (Rs. 264.15 lakhs), cost of materials (Rs. 1133.83 lakhs), Contractual Payments (Rs. 1382.33 lakhs), and other miscellaneous factors (Rs. 34.32 lakhs), and a reduction of Rs. 10.19 lakhs under *Charged* appropriation due to less payment anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 9—Operating Expenses—Traffic

The Budget Estimate of Rs. 1686.61 crores under this demand reflects an increase of Rs. 326.00 crores over the Revised Estimate, made up of an increase of Rs. 326.00 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 7421.09 lakhs), Annual increaments (Rs. 1384.28 lakhs), Kilometerage Allowance (Rs. 328.55 lakhs), cost of materials (Rs. 192.45 lakhs), Lease/Hire Charges to Indian Railway Finance Corporation (Rs. 21400.00 lakhs), and Transfer of Debtits/Credits' (Rs. 5852.25 lakhs), partly offset by less provision under other miscellaneous factors (Rs. 3978.52 lakhs) and a decrease of Rs. 0.11 lakh under *Charged* appropriation due to less payment anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 10—Operating Expenses—Fuel

The Budget Estimate of Rs. 1886.00 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 162.24 crores over the Revised Estimate entirely under 'Voted' portion for payment of Dearness Allowance (Rs. 78.30 lakhs), Annual increments and other Staff costs (Rs. 5.24 lakhs), more expenditure on fuel due to increase in traffic—Diesel oil (also taking into account the full year impact of Gulf Surcharge) (Rs. 8925.19 lakhs), Electric power (Rs. 8335.11 lakhs), partly offset by decrease in Coal (Rs. 1119.72 lakhs).

मांग संख्या 11—कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं

इस मांग के अन्तर्गत 383.41 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 36.61 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 36.63 करोड़ रुपये की यह वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (1995.01 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (541.59 लाख रुपये), सामग्री की लागत (416.18 लाख रुपये), संविदात्मक भुगतान (423.45 लाख रुपये), नामे/जमा खाते का अन्तरण (161.50 लाख रुपये), अन्य व्यय (110.77 लाख रुपये) अन्य विविध कारकों (14.27 लाख रुपये) के लिए किये गये प्रावधान के कारण है और 'प्रभृत' विनियोग के अन्तर्गत 1.77 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

मांग संख्या 12—विविध संचालन व्यय

इस मांग के अन्तर्गत 567.96 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से 17.67 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाता है। "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 19.03 करोड़ रुपये की यह वृद्धि महंगाई भत्ते के भुगतान (1947.04 लाख रुपये), वार्षिक वेतन वृद्धियां (487.77 लाख रुपये), खान-पान के सामान सहित सामग्री की लागत (619.91 लाख रुपये), नामे/जमा खाते का अन्तरण (114.71 लाख रुपये); और अन्य विविध कारकों (37.42 लाख रुपये) के लिए किये गये प्रावधान के कारण है; जो अन्य व्यय (272.43 लाख रुपये), उचंत (1031.69 लाख रुपये) के अंतर्गत कम व्यवस्था से अंशतः संतुलित हो गयी। और "प्रभृत" विनियोग के अन्तर्गत 136.01 लाख रुपये की कमी अदालती डिगरियों के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

मांग संख्या 13—भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ :

970.72 करोड़ रुपये का बजट अनुमान संशोधित अनुमान से "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत 87.51 करोड़ रुपये अधिक और "प्रभृत" विनियोग से 20.42 लाख रुपये कम है। "स्वीकृत" भाग के अन्तर्गत वृद्धि मुख्यतः रेलवे पेंशन-भोगियों की संख्या में वृद्धि होने तथा पेंशन पर अधिक महंगाई राहत प्रदान करने के कारण किये गये अधिक प्रावधान के कारण है। प्रभृत विनियोग के अन्तर्गत कमी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन की बकाया राशि के प्रत्याशा से कम भुगतान के कारण है।

कुल संचालन व्यय में शामिल अन्य मदें

जहां तक कुल संचालन व्यय में शामिल अन्य मदों का सम्बन्ध है, 1991-92 के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में अंशदान क्रमशः 2000.00 और 1050.00 करोड़ रुपये रखा गया है।

Demand No. 11—Staff Welfare and Amenities

The Budget Estimate of Rs. 383.41 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 36.61 crores over the Revised Estimate. This is made up of an increase of Rs. 36.63 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 1995.01 lakhs), Annual increments (Rs. 541.59 lakhs), cost of materials (Rs. 416.18 lakhs), Contractual Payments (Rs. 423.45 lakhs), 'Transfer of Debits/Credits' (Rs. 161.50 lakhs), Other Expenses (Rs. 110.77 lakhs), other miscellaneous factors (Rs. 14.27 lakhs) and a reduction of Rs. 1.77 lakhs under *Charged* appropriation due to less paymnts in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 12—Miscellaneous Working Expenses

The Budget Estimate of Rs. 567.96 crores under this Demand reflects an increase of Rs. 17.67 crores over the Revised Estimate. This arises from an increase of Rs. 19.03 crores under 'Voted' portion to provide for payment of Dearness Allowance (Rs. 1947.04 lakhs), Annual increments (Rs. 487.77 lakhs), cost of material including catering stores (Rs. 619.91 lakhs), Transfer of Debits/Credits (Rs. 114.71 lakhs) and other miscellaneous factors (Rs. 37.42 lakhs); partly offset by less provision under Other Expenses (Rs. 272.43 lakhs), Suspense (Rs. 1031.69 lakhs) and a reduction of Rs. 136.01 lakhs under *Charged* appropriation due to less payments anticipated in satisfaction of Court decrees.

Demand No. 13—Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits

The Budget Estimate of Rs. 970.72 crores is more than the Revised Estimate by Rs. 87.51 crores under 'Voted' portion and less by Rs. 20.42 lakhs under *Charged* appropriation. The increase under 'Voted' portion is mainly due to more provision made on account of increase in the number of Railway pensioners as also higher dearness relief on pension. The decrease under *Charged* appropriation is due to less payments of pension/family pension anticipated on account of Supreme Court judgement.

Other items making up total Working Expenses

As regards the other items making up total Working Expenses, the contribution to the Depreciation Reserve Fund and Pension Fund have been kept at Rs. 2000.00 and Rs. 1050.00 crores respectively for the year 1991-92

विविध संव्यवहार

नीचे की तालिका में विविध संव्यवहार के अन्तर्गत वास्तविक 1989-90, बजट और संशोधित अनुमान 1990-91 तथा बजट अनुमान 1991-92 के आंकड़ों की तुलना की गयी है :—

MISCELLANEOUS TRANSACTIONS

The following table compares the Actuals 1989-90, Budget & Revised Estimates 1990-91 and Budget Estimates 1991-92 under Miscellaneous Transactions :—

(लाख रुपयों में) (Rupees in lakhs)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in February 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
प्राप्तियां	RECEIPTS					
(i) सहायता प्राप्त कम्पनियों से प्राप्तियां	(i) Receipts from Subsidised Companies . . .	3	4	4	5	5
(ii) रेल भर्ती बोर्ड	(ii) Railway Recruitment Boards	1,22	56	47	58	58
(iii) अन्य विविध प्राप्तियां	(iii) Other Misc. Receipts	8,27	1,44	3,22	1,98	1,98
(iv) यात्रियों पर अधिभार से प्राप्तियां	(iv) Receipts from Surcharge on passengers . . .	59,72	67,25	65,00	67,00	67,00
(v) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	(v) Subsidy from General Revenues towards dividend relief and other concessions . .	23261	278,75	275,62	314,11	314,11
कुल प्राप्तियां	TOTAL	301,85	348,04	344,35	383,72	383,72
व्यय	EN DITURE					
(i) चालित लाइनों को भुगतान	(i) Payments to worked lines .	12	11	27	15	15
(ii) आर्थिक सहायता	(ii) Subsidy	—	..	..	..	..
(iii) सर्वेक्षण	(iii) Surveys	2,38	4,40	3,48	5,00	5,00
(iv) विविध रेलवे व्यय	(iv) Misc. Railway Expenditure.	62,92	72,28	85,60	78,57	78,57
(v) चालू लाइन निर्माण राजस्व	(v) Open Line Works Revenue	41,32	50,00	50,00	48,00	45,00
(vi) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	(vi) Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	59,72	67,25	65,00	67,00	67,00
(vii) पेंशन निधि में विनियोग	(vii) Appropriation to Pension Fund	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
जोड़	TOTAL	171,46	199,04	209,35	203,72	200,72
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Misc. Receipts . . .	130,39	149,00	135,00	180,00	183,00

शुद्ध विविध प्राप्तियां

1990-91 के बजट अनुमान में 149.00 करोड़ रुपये की शुद्ध विविध प्राप्तियां रखी गयी थीं जो मुख्यतः विविध रेलवे व्यय में वृद्धि के कारण संशोधित अनुमान में घटकर 135.00 करोड़ रुपये रह गयी हैं।

मुख्यतः लाभांश राहतों को आर्थिक सहायता और सामान्य राजस्व से अन्य रियायतों में वृद्धि तथा विविध रेलवे व्यय में कमी के कारण 1990-91 के संशोधित अनुमान की शुद्ध विविध प्राप्तियों की तुलना में 1991-92 के बजट अनुमान की विविध प्राप्तियों और व्यय में 48.00 करोड़ की वृद्धि की व्यवस्था की गयी है।

सामान्य राजस्व को लाभांश

1990-91 के लिए सामान्य राजस्व को देय लाभांश का बजट अनुमान 932.00 करोड़ रुपए था। 927.00 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान जिसके अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए की कमी हुई है, ब्याजदेय पूंजी के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों तथा नयी लाइनों आदि पर आस्थगित लाभांश के भुगतान की दायिता पर आधारित था।

1990-91 के 927.00 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 1991-92 के लिए सामान्य राजस्व को 1037.00 करोड़ रुपये की लाभांश दायिता का अनुमान लगाया गया है अर्थात् इसमें 110.00 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान रेलवे की ब्याज देय पूंजी में प्रक्षेपित वृद्धि के कारण यह वृद्धि हुई है।

सामान्य राजस्व का ऋण

1990-91 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, विकास निधि हेतु लिए गए ऋण के कारण रेलें सामान्य राजस्व को 589.22 करोड़ रुपये तथा आस्थगित लाभांश दायिता के रूप में सामान्य राजस्व को 428.44 करोड़ रुपये की देनदार होंगी, जिससे कुल देनदारी 1017.66 करोड़ रुपये हो जाएगी। 1991-92 के अंत तक कुल राशि 959.66 करोड़ रुपये हो जायेगी जो विकास निधि को ऋण के अन्तर्गत 531.22 करोड़ रुपये तथा आस्थगित लाभांश दायिता के रूप में 428.44 करोड़ रुपये होगी।

NET MISCELLANEOUS RECEIPTS

Net Miscellaneous Receipts placed at Rs. 149.00 crores in the Budget Estimate for 1990-91 had been decreased to Rs. 135.00 crores in the Revised Estimate mainly on account of increase in Miscellaneous Railway Expenditure.

The Budget Estimate for 1991-92 of Miscellaneous Receipts and Expenditure provides for an increase of Rs. 48.00 crores over the Revised Estimate of 1990-91 in Net Miscellaneous Receipts, mainly on account of increase in subsidy towards dividend reliefs and other concessions from General Revenues and decrease in Miscellaneous Railway Expenditure.

DIVIDEND TO GENERAL REVENUES

The Budget Estimate for 1990-91 of Dividend payable to General Revenue was Rs. 932.00 crores. The Revised Estimate of Rs. 927.00 crores, involving a decrease of Rs. 5.00 crores, was based on the latest available estimate of Capital-at-charge and liability for deferred dividend payment on new lines etc.

The dividend liability to General Revenues for 1991-92 is estimated at Rs. 1037.00 crores involving an increase of Rs. 110.00 crores over the Revised Estimate of Rs. 927.00 crores for 1990-91. The increase arises from the projected increase in Capital-at-Charge of the Railway during the year.

INDEBTEDNESS TO GENERAL REVENUES

As per Revised Estimates of 1990-91, Railways will owe to General Revenues an amount of Rs. Rs. 589.22 crores on account of loans to the Development Fund, and Rs. 428.44 crores as Deferred Dividend Liability, totalling Rs. 1017.66 crores. At the end of 1991-92, the total would be Rs. 959.66 crore, made up of Rs. 531.22 crores on account of loans to the Development Fund and Rs. 428.44 crores as Deferred Dividend Liability.

शुद्ध वित्तीय परिणाम

वास्तविक 1989-90, संशोधित और बजट अनुमान 1990-91 तथा बजट अनुमान 1991-92 के मुख्य वित्तीय आंकड़े इस प्रकार हैं :

NET FINANCIAL RESULTS

The principal financial figures of Actuals 1989-90, Revised & Budget Estimates 1990-91 and Budget Estimates 1991-92 are as under :—

(करोड़ रुपयों में) (Rupees in crores)

ब्यौरा	Details	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in February 1991	बजट 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
यातायात से प्राप्तियां	TRAFFIC RECEIPTS					
कुल आय	Total Earnings	10833.07	12080.00	12086.00	12685.00	13339·00
उचंत	Suspense	(—)93.66	(—)20.00	(—)48.00	(—)20.00	(—)20·00
यातायात से सकल प्राप्तियां	Gross Traffic Receipts	10739.41	12060.00	12038.00	12665.00	13319·00
संचालन व्यय	WORKING EXPENSES					
साधारण संचालन व्यय उचंत को छोड़कर	Ordinary Working Expenses excluding suspense	7471.70	8246.54	8249.98	9278.08	9199·08
उचंत	Suspense	(—)26.97	(—)5.54	(—)8.98	(—)8.08	(—)19·08
शुद्ध साधारण संचालन व्यय	Net Ordinary Working Expenses	7444.73	8241.00	8241.00	9270.00	9180·00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to DRF	1715.00	1950.00	1950.00	2050.00	2000·00
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	728.00	900.00	900.00	1000.00	1050·00
कुल संचालन व्यय	Total Working Expenses	9887.73	11091.00	11091.00	12320.00	12230·00
विविध संव्यवहार	MISCELLANEOUS TRANSACTIONS					
प्राप्तियां	Receipts	301.85	348.04	344.35	383.72	383·72
व्यय (चालित लाइनों को भुगतान सहित)	Expenditure (including payment to worked lines)	171.96	199.04	209.35	203.72	200·72
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	130.39	149.00	135.00	180.00	183·00
कुल व्यय	Total Expenditure	9757.34	10942.00	10956.00	12140.00	12047·00
शुद्ध रेलवे राजस्व	Net Railway Revenue	982.07	1118.00	1082.00	525.00	1272·00
सामान्य राजस्व को देय लाभांश	Dividend to General Revenues	808.81	932.00	927.00	1037.00	1037·00
अधिशेष (+)/घाटा (—)	Surplus (+)/Shortfall (—)	(+)173.26	(+)186.00	(+)155.00	(—)512.00	(+)235·00
रेलवे विकास निधि में विनियोग	Appropriation to Railway Development Fund	173.26	186.00	155.00	..	235·00
आस्थगित लाभांश दायित्व का भुगतान	Payment of deferred dividend liability	..	..	..	..	..
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	91.5%	91.8%	91.8%	97.2%	91·8%

रेलवे निधियां

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के अनुमानों के अनुसार विभिन्न रेलवे निधियों में विनियोग और उनसे निकासी तथा निधियों में शेष राशि का ब्यौरा परिशिष्ट XII से XVI में दिया गया है जिसका सारांश इस प्रकार है :—

RAILWAY FUNDS

Appropriations to the various Railway Funds and withdrawals therefrom, as per the estimates of the years 1990-91 and 1991-92, and the balances in the Funds, are brought out in Appendices XII to XVI. A summary is given below :—

(लाख रुपये में Rupees in lakhs)

ब्यौरा	Details	बजट अनुमान BE 1990-91	संशोधित अनुमान RE 1990-91	बजट अनुमान BE 1991-92
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	*Depreciation Reserve Fund*			
अवशेष	Opening Balance	803,51	725,74	867,90
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	1969,00	1969,00	2020,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	1820,00	1877,00	1887,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	57,07	50,16	60,73
इतिशेष	Closing balance	1009,58	867,90	1061,63
रेलवे विकास निधि	*Railway Development Fund*			
अवशेष	Opening Balance	..	..	..
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	243,15	209,78	235,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	243,15	209,78	235,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	..	..	..
इतिशेष	Closing balance	..	..	..
राजस्व आरक्षित निधि	*Revenue Reserve Fund*			
अवशेष	Opening Balance	63	61	64
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	..	..	..
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	..	..	..
शेष पर ब्याज	Interest on balance	3	3	3
इतिशेष	Closing balance	66	64	67
रेलवे पेंशन निधि	*Railway Pension Fund*			
अवशेष	Opening Balance	14,17	13,29	56,68
निधि में विनियोग	Appropriation to the Fund	915,00	917,13	1065,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	835,00	875,94	963,00
शेष पर ब्याज	Interest on balance	3,52	2,20	6,99
इतिशेष	Closing balance	97,69	56,68	165,67
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	*A.C.S.P.F.*			
अवशेष	Opening Balance	36,53	48,70	29,79
निधि में विनियोग	Appropriaton to the Fund	67,25	65,00	67,00
निधि से निकासी	Withdrawal from the Fund	84,68	86,38	80,83
शेष पर ब्याज	Interest on balance	1,81	2,47	1,48
इतिशेष	Closing balance	20,91	29,79	17,44
सभी रेलों की निधियां	*All Railway Funds*			
अवशेष	Opening Balance	854,84	788,34	955,01
इतिशेष	Closing balance	1128,84	955,01	1245,41

भाग—II

रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक के कार्यक्रम पर खर्च

1989-90 में वास्तविक खर्च

मांग संख्या 16 के अन्तर्गत 1989-90 के लिए निर्माण, मशीन और चल स्टाक पर खर्च का संशोधित अनुमान 3450.00 करोड़ रुपये (शुद्ध) था जो 7197.11 करोड़ रुपये (सकल) में से जमा खाते 3747.11 करोड़ रुपये, जिन्हें अनुदान की परिधि से बाहर रखा जाता है लेकिन लेखे में खर्च में कमी के रूप में दिखाया जाता है, घटाने के बाद रहा। इन कामों पर खर्च को पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि तथा चालू लाइन निर्माण (राजस्व) के खाते में डाला जाता है। वर्ष के अन्त में वास्तविक व्यय 7304.68 करोड़ रुपये (सकल) में से जमा खातें के 3742.44 करोड़ रुपये घटाकर 3562.24 करोड़ रुपये (शुद्ध) रहा। शुद्ध खर्च में वृद्धि मुख्यत: रेलपथ नवीकरण, चल स्टाक, भंडार उचंत, निर्माण उचंत, विविध अग्रिम, विद्युतीकरण परियोजनाओं और नयी लाइनें आदि के अन्तर्गत अधिक खर्च के कारण हुई।

संशोधित अनुमान, 1990-91

2. मांग संख्या 16 के अन्तर्गत बजट और संशोधित अनुमान 1990-91 के लिए परिसम्पत्तियां-अधिग्रहण, निर्माण एवं बदलाव और बजट अनुदान की तुलना में संशोधित अनुमान में अन्तर का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

वर्ष 1990-91 के बजट में 7813.91 करोड़ रुपये (स्वीकृत 7811.11 करोड़ रुपये और प्रभृत 2.80 करोड़ रुपये) के सकल व्यय और महानगर परिवहन परियोजनाओं सहित चल स्टाक, मशीन एवं संयंत्र और निर्माण कार्य आदि के लिए 3830.00 करोड़ रुपये के शुद्ध खर्च की व्यवस्था है। बजट अनुदान की तुलना में 7944.32 करोड़ रुपये (सकल) का संशोधित अनुमान (स्वीकृत 7939.82 करोड़ रुपये और प्रभृत 4.50 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है। स्वीकृत के अन्तर्गत 128.71 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: योजना शीर्ष नयी लाइनें, चल-स्टाक और वस्तु सूची के अन्तर्गत है और प्रभृत के अन्तर्गत 1.70 करोड़ रुपये की वृद्धि नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार है। बहरहाल, शुद्ध रूप में 84 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

PART—II

EXPENDITURE ON THE WORKS, MACHINERY AND ROLLING STOCK PROGRAMMES OF RAILWAYS

Actual Expenditure for 1989-90

The Revised Estimate of expenditure under Demand No. 16 on Works, Machinery and Rolling Stock for 1989-90 allocable to Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund and Open Line Works (Revenue) was Rs. 3450.00 crores (Net) made up of Rs. 7197.11 crores (Gross) less credits of Rs. 3747.11 crores which are outside the scope of the Grant but constitute reduction of expenditure in the accounts. The actual expenditure at the end of the year came to Rs. 3562.24 crores (Net) made up of Rs. 7304.68 crores (Gross) less credits of Rs. 3742.44 crores. The increase in net expenditure is mainly due to more expenditure under Track Renewal, Rolling Stock, Stores Suspense Manufacturing Suspense, Miscellaneous Advance, Electrification Projects and New Lines etc.

Revised Estimates, 1990-91

2. Budget and Revised Estimates under Demand No. 16—Assets—Acquisition, Construction and Replacement for 1990-91 and analysis of variation in the Revised Estimates compared to the Budget Grant is as under :

The Budget for the year 1990-91 provided for a gross expenditure of Rs. 7813.91 crores (Voted Rs. 7811.11 crores and *Charged* Rs. 2.80 crores) and a net expenditure of Rs. 3830.00 crores on Rolling Stock, Plant and Machinery and Works etc. including Metropolitan Transport Projects. Against the Budget Grant the Revised Estimates have been fixed at Rs. 7944.32 crores (gross) made up of (Voted) Rs. 7939.82 crores and *Charged* Rs. 4.50 crores. The increase of Rs. 128.71 crores under 'Voted' is mainly under the plan heads New Lines, Rolling Stock, and Inventories and Rs. 1.70 crores under Charged is as per the latest requirements. However, in the net there is reduction of Rs. 84 crores.

3. 1990-91 के संशोधित अनुमान में शुद्ध व्यय की स्थिति संक्षेप में इस प्रकार है :—

3. The summarised position of net expenditure in the Revised Estimate, 1990-91 is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

विवरण Particulars	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	कमीबेशी Variation
पूंजी Capital	1574,00	1461,58	—112,42
मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	1820,00	1877,00	+57,00
विकास निधि Development Fund	186,00	155,00	—31,00
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि Accident Compensation, Safety & Passenger Amenities Fund	80,00	77,00	—3,00
चालू लाइन निर्माण (राजस्व) Open Line Work (Revenue)	50,00	50,00	..
जोड़ TOTAL	3710,00	3620,58	—89,42
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	£120,00	£125,42	+5,42
कुल जोड़ GRAND TOTAL	*3830,00	*3746,00	—84,00

*इसमें रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये गये 1170 करोड़ रुपये (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 1990-91) शामिल नहीं हैं।

*Excludes Rs. 1170 crores (Budget Estimates and Revised Estimates 1990-91) to be raised through borrowing by Indian Railway Finance Corporation (IRFC) in the domestic and international market for financing Railway Plan.

£इसमें पूंजी भण्डार उचंत के अन्तर्गत 0.15 लाख रुपये शुद्ध (बजट अनुमान, 1990-91) और 0.12 लाख रुपये शुद्ध (संशोधित अनुमान, 1990-91) शामिल हैं।

£Includes Rs. 0.15 lakhs Net (Budget Estimates 1990-91) and Rs. 0.12 lakh Net (Revised Estimates, 1990-91) under Capital Stores Suspense.

संशोधित अनुमान, 1990-91 — *Revised Estimates*, 1990-91

योजना शीर्षवार वितरण — *Plan head-wise distribution*

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

बजट अनुमान 1990-91 / Budget Estimates, 1990-91	मांग के लघु-शीर्ष / Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी / Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधि / Fund: मू आ नि / DRF	वि नि / DF	दु क नि / ACSPF	राजस्व (चा ला रा.) / Revenue (OLWR)	जोड़ / Total
1	2	3	4	5	6	7	8
357,78	(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	291,33	1,50	..	..	..	292,83
..	(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	..
13,03	(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को फिर बिछाना (c) Restoration of dismantled lines	2,50	10,53	..	..	..	13,03
124,00	(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	83,08	43	2,51	..	..	86,02
338,77	(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	293,52	3,03	3,69	1,00	..	301,24
199,71	(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचों में परिवर्तन तथा अन्य काम (f) Traffic facilities—yard remodelling and others	157,77	8,42	22,74	4,29	6,10	199,32
46,00	(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	11,08	..	32,70	..	1,50	45,28
15,00	(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	25	..	4,70	..	88	5,83
680,02	(झ) चल स्टाक (i) Rolling Stock	—6,10	726,00	1,28	..	..	721,18
1091.91	(ञ) रेलपथ नवीकरण (j) Track Renewals	..	1091,24	..	..	..	1091,24
95,25	(ट) पुल संबंधी काम (k) Bridge Works	2,01	58,97	90	21,03	76	83,67
132,25	(ठ) सिगनल और दूर संचार संबंधी निर्माण कार्य (l) Signalling & Telecommunication Works	16,90	70,97	10,89	36,56	4,99	140,31
..	(ड) डाकतार विभाग से लाइन तारों को अपने अधिकार में लेना (m) Taking over of line wires from P&T	18	..	..	..	..	18
230,60	(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	231,04	2,10	24	1,67	..	235,05
50,32	(ण) बिजली संबंधी अन्य कार्य (o) Other Electrical Works	22,11	13,61	10,00	..	7,73	53,45
95,20	(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery & Plant	21,81	62,47	8,29	..	7,00	99,57
300,22	(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshop including Production Units	181,46	44,83	9,29	11	11,77	247,46
40,00	(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	28,45	9,34	1	..	43	38,23

संशोधित अनुमान, 1909-91
योजना-शीर्षवार वितरण

Revised Estimate 1990-91
Plan head-wise distribution

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधियां Fund			राजस्व (चा०रा०रा०) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
			मू०मा०नि० DRF	वि०नि० DF	दु०श०नि० ACSPF		
1	2	3	4	5	6	7	8
32,00	(ध) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for Staff	9,78	2,29	17,26	..	1,55	30,88
27,53	(न) (i) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities	36	1,76	24,66	1,96	33	29,07
49	(ii) रेल उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सुविधाएं (ii) Other Railway Users' Amenities	..	..	10	..	..	10
	(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश (u) Investment in Govt. Commercial Undertakings						
..	(1) कों रे नि (1) KRC	70,00	..	..	..	..	70,00
5,00	(2) मा कं बिं (2) CONCOR	15,00	..	..	..	..	15,00
30,22	(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works	3,75	2,00	5,88	10,85	7,00	29,48
26,18£	(ब) भण्डार उचन्त (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net)	16,03£	..	..	..	..	16,03
13,85	(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net)	27,02	..	..	..	..	27,02
—3	(म) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Misc. Advances (Net)	—10,05	..	..	..	..	—10,05
	जमा या वसूलियां *Credits or recoveries*						
—229,26	निकाले गए सामान के लिए जमा Credits for released material	..	—232,49	..	..	..	—232,49
—6,04	अन्य जमा Other Credits	—7,69	..	—14	—47	—4	—8,34
3710,00	जोड़ TOTAL	1461,59	1877,00	155,00	77,00	50,00	3620,59
1,22,00	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Porjects	1,26,51	..	..	..	..	1,26,51
—2,00	जमा या वसूलियां Credits or Recoveries	—1,10	..	..	..	..	—1,10
3830,00*	जोड़ TOTAL	1587,00	1877,00	155,00	77,00	50,00	*3746,00

इसमें रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये गये 1170 करोड़ रुपये (बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान 1990-91) शामिल नहीं हैं।

*Excludes Rs. 1170 crores (Budget Estimates and Revised Estimates, 1990-91) raised through borrowing by Indian Railway Finance Corporation (IRFC) in the domestic and international market for financing Railway Plan.

इसमें पूंजी भंडार उचंत के अन्तर्गत 0.15 लाख रुपये शुद्ध (बजट अनुमान, 1990-91) और 0.12 लाख रुपये शुद्ध (संशोधित अनुमान, 1990-91) शामिल हैं।

£Includes Rs. 0.15 lakh Net (Budget Estimates, 1990-91) and Rs. 0.12 lakh Net (Revised Estimates, 1990-91) under Capital Stores Suspense.

4. बजट अनुमान 1990-91 के समय भंडार सूचियों के लिए 40.00 करोड़ रुपये की शुद्ध वृद्धि की प्रत्याशा की गयी थी, जिसे संशोधित अनुमान 1990-91 में भी 33.00 करोड़ रुपये तक कम करने का प्रस्ताव है। भंडार, निर्माण उचंत और विविध अग्रिम के अन्तर्गत पड़े शेष तथा खरीद व्यवस्था की नियमित समीक्षा की गयी थी ताकि भंडार सूचियों की आवश्यकता तथा संबंधित बजट व्यवस्थाओं के बीच यथोचित तालमेल बनाये रखा जा सके।

4. At the time of Budget Estimate, 1990-91 a net increase of Rs. 40.00 crores was anticipated for inventories, which is proposed to be decreased to Rs. 33.00 crores in the Revised Estimate, 1990-91. The balances held under Stores, Manufacture Suspense and Miscellaneous Advance, as well as the procurement arrangements were reviewed regularly so that there was proper integration between the needs of inventory and the related Budget provisions.

रेलवे विकास कार्यक्रम

सातवीं योजना के प्रमुख उद्देश्य थे—गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव/नवीकरण, उच्च गति वाले मार्गों का विद्युतीकरण, ऊर्जा संरक्षण (भाप इंजनों को समाप्त करना), संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीय उन्नयन, यात्री आरक्षण प्रणाली का संगणकीकरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार। वास्तविक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में 96,000 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से), 1235 रेल इंजनों (जिन्हें संशोधित करके बाद में क्रमशः 90,000 और 1350 कर दिया गया था), 6970 सवारी डिब्बों और 950 बिजली गाड़ियों का अधिग्रहण, लगभग 20,000 कि.मी. रेलपथ का नवीकरण तथा 3400 मार्ग कि.मी. का विद्युतीकरण शामिल है। यद्यपि माल डिब्बों की खरीद और रेलपथ नवीकरण का कार्य लक्ष्य के काफी निकट रहा तथापि अन्य क्षेत्रों में संसाधनों की तंगी के कारण कुछ कमी रह जाना अपरिहार्य था।

Railway Development Programme

In the VII Plan, the major objectives were replacement/renewal of overaged assets, electrification of high density routes, energy conservation (phasing out of steam locomotives), modernisation/technological upgradation of communication network, improvement in some key areas like computerisation of passenger reservation system etc. Important features of physical programme included acquisition of 96,000 wagons (in terms of 4 wheelers), 1235 locomotives (revised later to 90,000 and 1350 respectively), 6970 coaches and 950 EMUs, approximately 20,000 km of track renewal and electrification of 3400 Rkm. While the achievement in acquisition of wagons and track renewal was close to the target, some shortfall in other areas was inevitable owing to constraint of resources.

प्रारम्भ में सातवीं योजना के लिए परिव्यय 12,334 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। इसका मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था और वास्तविक व्यय लगभग 16,549 करोड़ रुपये का था, इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बांड जारी करके बाजार से ऋण लेकर लगभग 2,560 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन भी शामिल थे। इसमें विश्व बैंक आदि जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों का मूल्य/ऋण भी शामिल हैं।

The outlay for the VII Plan was initially fixed at Rs. 12,334 crores. There was a mid-term appraisal and actual expenditure was about Rs. 16,549 crores. This included extra budgetary resources of about Rs. 2,560 crores through market borrowing by issue of Bonds by Indian Railway Finance Corporation. The value of credits/loans made available by external agencies like World Bank etc. is also included in the expenditure.

आठवीं योजना में, प्रत्याशित यातायात के स्तर के लिए पर्याप्त क्षमता जुटाने, गतायु परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन/नवीकरण करने, परिचालन खर्च कम करने के लिए प्रणाली का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने और उत्पादकता में सुधार लाने, नेटवर्क का चुनींदा विस्तार करने पर विशेष रूप से बदल दिया जाएगा।

In the VIII Plan, the main emphasis would be on building up adequate capacity for the levels of traffic anticipated, rehabilitation/renewal of overaged assets, modernisation and technological upgradation of the system to bring down operational costs and to improve productivity, selective expansion of network etc.

बजट अनुमान, 1991-92

5. 1991-92 में निर्माण-कार्यों के खर्च के लिए बजट अनुमान 3825 करोड़ रुपये रखा गया है। यह 1990-91 के संशोधित अनुमान से 79 करोड़ रुपये अधिक है।

Budget Estemates 1991-92

5. The Budget Estimate for Works Expenditure for 1991-92 has been placed at Rs. 3825 crores. This is Rs. 79 crores more than the revised estimates for 1990-91.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

ब्यौरा Particulars	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimate, 1991-92		
		फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed	कमी-बेशी Variation
पूंजी Capital	1461,58	1058,98	1528,98	470,00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	1877,00	18,91,00	1887,00	—4,00
विकास निधि Development Fund	155,00	140,00	125,00	—15,00
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री-सुविधा निधि Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	77,00	72,00	74,00	+2,00
चालू लाइन निर्माण (राजस्व) Open Line Works (Revenue)	50,00	48,00	45,00	—3,00
जोड़ TOTAL	3620,58	3209,98	3659,98	+450,00
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	£125,42	£110,02	£165,02	+55,00
कुल जोड़ GRAND TOTAL	*3746,00	*3320,00	3825,00	+505,00

*इसमें रेल योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रस्तावित ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1170 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 1990-91) तथा 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

*Excludes Rs. 1170 crores (Revised Estimates 1990-91) and Rs. 1500 crores (Budget Estimate, 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market, for financing the Railway Plan.

*इसमें पूंजी भंडार उचंत के अन्तर्गत 0.12 लाख रुपये शुद्ध (संशोधित अनुमान, 1990-91) और 1.73 लाख रुपये शुद्ध (बजट अनुमान, 1991-92) शामिल हैं।

*Includes Rs. 0.12 lakh net (Revised Estimates, 1990-91) and Rs. 1.73 lakhs net (Budget Estimates, 1991-92) under Capital—Stores Suspense.

1991-92 में योजना शीर्षों तथा आबंटन के अनुसार प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

The split up of the proposed expenditure in 1991-92 by Planheads and allocations is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital from General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधियां / Funds मू आ नि DRF	वि नि DF	दु ह नि ACSPF	राजस्व (चा ला रा) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7
(क) नयी लाइनें (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	247,47	1,55	..	..	..	249,02
(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	..
(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाना (c) Restoration of dismantled lines	4,54	10,46	..	..	..	15,00
(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	94,01	4,86	51	62	..	100,00
(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	299,57	4,70	6,12	1,11	..	311,50
(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य (f) Traffic facilities—yard remodelling and others	165,88	27,92	9,57	4,07	4,00	211,44
(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	22,00	..	20,00	..	3,00	45,00
(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	50	10	4,00	..	40	5,00
(झ) चल-स्टाक (i) Rolling Stock	57,00	550,35	50	..	..	607,85
(ञ) रेलपथ का नवीकरण (j) Track Renewals	..	1234,35	..	..	..	1234,35
(ट) पुल संबंधी कार्य (k) Bridge Works	3,40	63,90	80	21,00	1,80	90,90
(ठ) सिगनल और दूरसंचार संबंधी निर्माण कार्य (l) Signalling & Telecommunication Works	13,00	76,72	9,00	33,04	4,00	135,76
(ड) लाइन तारों को डाक-तार विभाग से अपने अधिकार में लेना (m) Taking over of line wires from P&T	..	..	..	..	..	..
(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	216,00	17,50	1,00	50	..	235,00
(ण) विद्युत संबंधी अन्य कार्य (o) Other Electrical Works	24,00	32,02	7,70	..	6,30	70,02
(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery & Plant	32,40	68,20	8,40	..	6,00	115,00
(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops including Production Units	180,12	78,09	6,90	10	10,00	275,21
(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	27,50	10,01	..	..	50	38,01

1991-92 में योजना शीर्षों तथा आबंटन के अनुसार प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

The split up of the proposed expenditure in 1991-92 by Plan-heads and allocations is shown below :—

(लाख रुपयों में)
(in lakhs of rupees)

मांग के लघु-शीर्ष Minor heads of Demand	पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य राजकोष से पूंजी Capital From General Exchequer to Finance Capital Expenditure	निधियां / Fund मू आ नि DRF	वि नि DF	दु ह नि ACSPF	राजस्व (चा ला रा) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7
(ध) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for Staff	13,00	1,50	17,50	..	1,00	33,00
(न) (i) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities	20	1,80	26,00	2,00	1,00	31,00
(ii) रेल उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सुविधाएं (ii) Other Railway Users Amenities	..	..	..	..	..	..
(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश— (u) Investment in Govt. Commercial Undertakings :						
भा०रे०वि०नि० (i) IRFC	1,00	..	..	..	..	1,00
भा०कं०नि० (ii) CONCOR	14,00	..	..	..	..	14,00
कों०रे०नि० (iii) KRC	51,00	..	..	..	..	51,00
(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works	9,00	2,41	7,00	11,60	7,00	37,01
(ब) भण्डार उचन्त (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net)	—37	..	..	..	..	—37
(भ) निर्माण उचंत (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net)	27,73	..	..	..	..	27,73
(म) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Misc. Advances (Net)	27,64	..	..	..	..	27,64
जमा या वसूलियां— CREDITS OR RECOVERIES :						
निकाले गये सामान के लिये जमा Credits for released materials	..	—299,44	..	..	..	—299,44
अन्य जमा Other Credits	—1,59	..	..	—4	..	—1,63
जोड़ TOTAL	15,29,00	1887,00	1,25,00	74,00	45,00	36,60,00
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	166,50	..	..	..	..	166,50
जमा या वसूलियां Credits or Recoveries	—1,50	..	..	..	..	—1,50
कुल जोड़ GRAND TOTAL	16,94,00	1887,00	1,25,00	74,00	45,00	£3825,00

इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रस्तावित ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

£Excludes Rs. 1500 crores (Budget Estimate, 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market for financing the Railway Plan.

इसमें मेट्रो रेलवे कलकत्ता के लिए 1.73 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991-92) शामिल है।

*Includes Rs. 1.73 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) for Metro Railway, Calcutta.

निर्माण कार्यों के लिए 3229 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था में से 2875 करोड़ रुपये, अर्थात् 89 प्रतिशत राशि चालू निर्माण कार्यों के लिए है तथा केवल 354 करोड़ रुपये अर्थात् 11 प्रतिशत नए निर्माण-कार्यों के लिए है।

1991-92 में चल-स्टाक पर व्यय

1991-92 में चल-स्टाक पर 607,85 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है जिसमें से 522,23 करोड़ रुपये पहले दिये गए आर्डरों के अंतर्गत निर्धारित समय पर मिलने वाले चल-स्टाक के लिए है तथा 85,62 करोड़ रुपये नयी खरीद के लिये है, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

विवरण	1991-92 के कार्यक्रम के अन्तर्गत	पूर्व कार्यक्रमों के अन्तर्गत
रेल इंजन	63,52	247,18
बायलर और पुर्जे	..	1
सवारी डिब्बे	8,14	268,20
माल डिब्बे	1,31	24
क्रेन	..	5,60
जोड़	85,62	522,23

नयी खरीद कार्यक्रम (अर्थात् वे मदें जो बजट में पहली बार शामिल की गयी हैं) में चल-स्टाक की निम्नलिखित यूनिटें शामिल हैं :—

विवरण	विदेशों से खरीदे जाने वाले	देशी स्रोतों से लिये जाने वाले	जोड़
(क) रेल इंजन			
(i) बिजली उच्च अश्व शक्ति	..	..	..
(ii) डीजल इंजन	..	25	25
(iii) डीजल बिजली	..	1,23	1,23
(iv) बिजली	..	155	155
(v) पावर पैक	..	4	4
(ख) (i) सवारी डिब्बे	..	2661	2661
(ii) बिजली गाड़ी यूनिट	..	250	250
अन्य स्टाक एस एल आर	..	350	350
(ग) माल-डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)	..	25,049	25,049

Expenditure on Works

Of the gross provision of Rs. 3229 crores for Works, Rs. 2875 crores or 89 per cent is for works in progress and only Rs. 354 or 11 percent is for new works.

Rolling Stock Expenditure in 1991-92

An expenditure of Rs. 607.85 crores is proposed in 1991-92 on Rolling Stock of which Rs. 522.23 crores are for programmed deliveries of Rolling Stock already on order and Rs. 85.62 crores for new acquisitions, as detailed below :—

(In lakhs of rupees)

Particulars	Against 1991-92 Programme	Against earlier programme
Locomotives	63,52	247,18
Boilers & Spares	12,65	1
Carriage	8,14	268,20
Wagons	1,31	24
Cranes	..	5,60
TOTAL	85,62	522,23

The Programme of New Acquisitions (i.e. items included in the Budget for the first time) includes the following units of Rolling Stock :—

Particulars	To be obtained from abroad	To be obtained from indigenous sources	Total
(a) Locomotives			
(i) Electric High Horse Power	..	..	..
(ii) Diesel Loco	..	25	25
(iii) Diesel Electric	.	2,23	2,23
(iv) Electric	..	1,55	1,55
(v) Power Packs	..	4	4
(b) (i) Coaches	..	2,661	2,661
(ii) Electric Multiple Units		250	250
Other Stock SLR	..	350	350
(c) Wagons (In terms of 4 wheelers)	..	25,049	25,049

664.76 करोड़ रुपये की व्यवस्था नयी लाइनों के निर्माण, उखाड़ी गई लाइनों को दुबारा बिछाने, विद्युतीकरण परियोजनाओं और महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार की गई है :

A provision of Rs. 664.76 crores for New Lines, Restoration of dismantled lines, Electrification Projects and Metropolitan Transport Projects has been made as listed below :—

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम	Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest esti-mated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Appro-ximate expen-diture upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provi-sion for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to com-plete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
मध्य रेलवे	**CENTRAL RAILWAY**						
मथुरा-अलवर—नई लाइन (119.75 कि०मी०) पूंजी	Mathura-Alwar.—New line (119.75 Kms)	Cap.	69,43	19,76	15,00	34.67	*
सतना—रीवा—नई लाइन (50 कि०मी०) पूंजी	Satna-Rewa.—New Rail Line (50 Kms.)	Cap.	29,77	27,60	2,00	17	28-2-92
गुना-इटावा—शिवपुर—ग्वालियर—भिंड के रास्ते नई रेल लाइन (348.25 कि०मी०) पूंजी	Guna-Etawah.—New Rail Line via Shivpur-Gwalior-Bhind (348.25 Kms).	Cap.	248,00	78,64	20,00	149,36	*
दीवा-पनवेल—विद्युतीकरण पूंजी	Diva-Panvel.—Electrification	Cap.	14,87	12,76	2,00	11	
पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**						
लक्ष्मीकांतपुर और नामखाना के बीच नई बड़ी लाइन (47.5 कि०मी०) पूंजी	New BG line between Lakshmikantapur and Namkhana (47.5 Kms.)	Cap.	39,16	14,40	3,00	21,76	*
उत्तर रेलवे	**NORTHERN RAILWAY**						
नांगल डैम से तलवाड़ा तक बड़ी लाइन (83.74 कि०मी०) और मुकेरियां से तलवाड़ा तक साइडिंग का अधिग्रहण (29.16 कि०मी०) पूंजी	BG line from Nangal Dam to Talwara (83.74 Kms.) and taking over siding from Mukerian to Talwara (29.16 Kms.)	Cap.	100,00	27,55	2,00	70,45	*
जम्मू तवी से ऊधमपुर तक नई लाइन (56.10 कि०मी०) पूंजी	New line from Jammu Tawi to Udhampur (56.10 Kms.)	Cap.	112,27	59,95	17,20	35,12	*
व्यास—गोइंदवाल के बीच नई बड़ी लाइन (27 कि०मी०) पूंजी	New BG line between Beas-Goindwal (27 Kms.)	Cap.	21,13	2,25	2,00	16,88	*
पूर्वोत्तर रेलवे	**NORTH EASTERN RAILWAY**						
रामपुर से न्यू हलद्वानी तक नई बड़ी लाइन पूंजी	New BG line from Rampur to New Haldwani	Cap.	56,00	22,49	15,00	18,51	*
बगहा और छितौनी के बीच मीटर लाइन को पुनः चालू करना (28.41 कि०मी०) पूंजी मू०आ०नि०	Restoration of MG line between Bagha and Chhitauni (28.41 Kms.)	Cap.	10,00	4,37	4,54	1,09	*
		DRF	45,44	11,22	10,46	23,76	

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		NORTH EAST FRONTIER RAILWAY						
धर्मनगर-कुमारघाट—नई मीटर लाइन (33 कि॰मी॰)	पूंजी	Dharmanagar-Kumarghat.—New MG line (33 Kms.)	Cap.	47,47	45,68	1,79	..	4-1-90
सिलचर-जिरीबाम—नई मीटर लाइन (49.16 कि॰मी॰)	पूंजी	Silchar-Jiribam.— New MG line (49.16 Kms.)	Cap.	43,85	41,24	2,61	..	31-3-90
लालाबाजार-भैराबी—नई मीटर लाइन (48.15 कि॰मी॰)	पूंजी	Lalabazar-Bhairabi.—New MG line (48.15 Kms.)	Cap.	40,50	39,19	1,31	..	16-3-91
गुवाहाटी-बर्नीहाट—नई बड़ी लाइन (26.70 कि॰मी॰)	पूंजी	Guwahati-Burnihat.—New BG line (26.70 Kms.)	Cap.	25,78.00	45.69	0.01	25,32.30	*
बालीपाड़ा-भालुकपोंग—नई मीटर लाइन (35.46 कि॰मी॰)	पूंजी	Balipara-Bhalukpong.—New MG line (35.46 Kms.)	Cap.	16,50	15,53	97	..	15-1-90
आमगुड़ी-तुली—नई मीटर लाइन (14.65 कि॰मी॰)	पूंजी	Amguri-Tuli.—New MG line (14.65 Kms.)	Cap.	8,78	7,27	1,51	..	31-12-91
जोगीघोपा-गुवाहाटी—जोगीघोपा से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल एवं सड़क पुल (142.15 कि॰मी॰)	पूंजी निक्षेप	Jogighopa-Guwahati.—Rail-cum-Road bridge across Brahmaputra at Jogighopa alongwith BG railway line from Jogighopa to Guwahati (142.15 Kms.)	Cap. Dep.	353,67 90,55	89,79	55,00	208,86	*
एकलाखी-बालूरघाट—एकलाखी से माल्दा टाउन तक विस्तार सहित नई बड़ी लाइन (87.11 कि॰मी॰)	पूंजी	Eklakhi-Balurghat.—New BG line with extension from Eklakhi to Malda Town (87.11 Kms.)	Cap.	47,18.00	2,97.13	0.01	44,20.86	*
दक्षिण रेलवे		SOUTHERN RAILWAY						
मणियाच्ची से तलायथुत्, मणियाच्ची से मिलविट्टान तथा मिलविट्टान से तूतीकोरिन हार्बर तक समानान्तर बड़ी लाइन (55.40 कि॰मी) करूर से दिण्डीगुल तक नई बड़ी रेल लाइन 73.97 कि.मी. दिण्डीगुल से मदुरै तक समानांतर बड़ी लाइन (64.32 कि॰मी॰) और मदुरै से मणियाच्ची तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (127.25 कि॰मी॰)	पूंजी	Parallel BG line from Maniyachi to Talaiyathu-Maniyachi to Milavittan and Milavittan to Tuticorin Harbour (55.40 Kms.) New BG line from Karur to Dindigal (73.97 Kms.), parallel BG line from Dindigal to Madurai (64.32 kms.), and conversion of MG to BG from Madurai to Maniyachi (127.25 kms.)	Cap.	156,13	73,49	16,51	66,13	*
	मू॰आ॰नि॰		DRF	10,55	1,92	1,50	7,13	
	दु॰अ॰नि॰(ख)		ACSPF(b)	29	..	..	29	
	रा॰		R.	1,04				

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
दक्षिण रेलवे		**SOUTHERN RAILWAY**						
चित्रदुर्ग-रायदुर्ग— मीटर लाइन (100 कि०मी०)	पूंजी	Chitradurg-Rayadurg.—MG line (100 Kms.) .	Cap.	32,52	18,82	7,00	6,70	*
	मू०आ०नि०		DRF	3	..	..	3	
	रा०		R.	60				
एर्णाकुलम-एलेप्पी—कायनकुलम तक विस्तार (43 कि०मी०)	पूंजी	Ernakulam-Alleppey.—Extension to Kayankulam (43 Kms.) .	Cap.	39,07	37,91	1,16	..	31-3-92
त्रिचूर-गुरुवायूर—बड़ी रेल लाइन (24 कि०मी०)	पूंजी	Trichur-Guruvayur.—BG Rail Line (24 Kms.) . . .	Cap.	17,46	15,13	2,33	..	31-3-92
दक्षिण मध्य रेलवे		**SOUTH CENTRAL RAILWAY**						
बीबीनगर से नडीकुडे तक नई बड़ी लाइन	पूंजी	New BG line from Bibinagar to Nadikudi	Cap.	56,62	56,42	15	5	31-3-88
	मू०आ०नि०		DRF	1,32	8	5	1,19	
	वि०नि०(1)		DF(1)	49	..	..	49	
	दु०श०नि०(ख)		ACSPF(b)	5	..	..	5	
	रा०		R.	49				
तेलापुर से पाटनचेरु तक नई बड़ी लाइन	पूंजी	New BG line from Telapur to Patancheru	Cap.	10,96	5,33	5,50	13	31-3-92
	रा०		R.	50				
आदिलाबाद और पिंपलकुट्टी के बीच नई बड़ी लाइन	पूंजी	New BG line between Adilabad and Pimpalkutti .	Cap.	26,20	19,20	5,00	2,00	31-12-91
	रा०		R.	19				
दक्षिण पूर्व रेलवे		**SOUTH EASTERN RAILWAY**						
बड़गछिया-चंपाडांगा शाखा सहित हावड़ा-आमता लाइट रेलवे के बदले नई बड़ी रेल लाइन	पूंजी	BG line in lieu of Howrah-Amta Light Railway including Bargachia-Champadanga Branch . . .	Cap.	30,42.60	18,99.33	0.01	11,43.26	*
	रा०		R.	1,00				
तलगड़िया और तुपकाडीह के बीच नई लाइन (33 कि०मी०)	पूंजी	New line between Talgaria and Tupkadih (33 Kms.) .	Cap.	18,46	15,60	1,00	1,87	31-3-87
कोरापुट से रायगडा तक नई बड़ी लाइन (164 कि०मी०)	पूंजी	New BG line from Koraput to Rayagada (164 Kms.) .	Cap.	353,28	308,01	36,00	4,27	
तालचेर और संबलपुर के बीच नई बड़ी लाइन	पूंजी	New BG line between Talcher and Sambalpur . .	Cap.	100,00	53,04	20,00	26,96	*
तामलुक-दीघा—बड़ी रेल लाइन	पूंजी	Tamluk-Digha.—BG rail line	Cap.	73,71	13,33	1,00	59,38	*

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम	Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत / Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च / Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था / Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) / Date of opening (actual or expected)
दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**						
अकलतारा—शिरोपरि विद्युतीकरण लागत का बंटवारा पूंजी	Akaltara.—Apportionment of overhead electrification cost.	Cap.	1,52		10	1,42	*
सिंहाचलम नार्थ और वाल्तेयर स्टेशनों के बीच रेलपथ का विद्युतीकरण पूंजी	Electrification of Tracks between Simhachalam North and Waltair Stations .	Cap.	90		10	80	*
पश्चिम रेलवे	**WESTERN RAILWAY**						
नडियाद से मोडासा तक (105.14 कि०मी०) और कपड़वंज से मोडासा तक बड़ी लाइन (60.50 कि०मी०) पूंजी	BG line from Nadiad to Modasa (105.14 Kms.).—and from Kapadvanj to Modasa (60.50 Kms.)	Cap.	30,00.00	7,89.36	0.20	22,10.44	*
कोटा-चित्तौड़गढ़—नीमच बड़ी लाइन (221.76 कि०मी०) पूंजी	Kota-Chittaurgarh-Neemuch.—BG line (221.76 Kms.) .	Cap.	160,00	158,57	1,43	..	30-11-90
दाहोद, सरदारपुर, धार के रास्ते गोधरा—इंदौर के बीच तथा देवास और मक्सी के बीच नयी बड़ी लाइन संपर्क (316 कि०मी०) पूंजी	New BG links between Godhra-Indore via Dahod Sardarpur, Dhar and between Dewas and Maksi (316 Kms.)	Cap.	297,14	5,50	11,00	280,64	*
रेल विद्युतीकरण	**RAILWAY ELECTRIFICATION**						
झांसी-बीना—इटारसी खंड का विद्युतीकरण पूंजी	Electrification of Jhansi-Bina-Itarsi section	Cap.	144,61	141,55	2,55	51	29-3-89
मू०आ०नि०		DRF	14	14	..	..	
वि०नि०(3)		DF(3)	75	24	51	..	
दु०अ०नि०(ख)		ACSPF(b)	47	47	..	..	
भुसावल—नागपुर खंड का विद्युतीकरण पूंजी	Electrification of Bhusawal-Nagpur section . . .	Cap.	159,24	137,87	19,84	1,53	31-1-91
मू०आ०नि०		DRF	12	9	3	..	
वि०नि०(3)		DF(3)	73	54	19	..	
दु०अ०नि०(ख)		ACSPF(b)	2,18	1,69	..	49	

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
रेल विद्युतीकरण		RAILWAY ELECTRIFICATION						
रामपुरडुमरा—गड़हरा सहित पूर्व रेलवे की मुख्य लाइन के रास्ते सीतारामपुर—दानापुर—मुगलसराय खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Sitarampur-Danapur-Mughalsarai section via Main Line of Eastern Railway including Rampur Dumra—Garhara. .	Cap.	86,38.51	0.01	2,85.00	85,53.50	*
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	24	..	15	9	
रंगीन रोशनी वाले सिगनल कार्य सहित विजयवाडा—बल्हारशाह खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Vijayawada-Balharshah section including CLS work. . .	Cap.	155,52	140,54	3,84	11,14	30-3-89
	मू०आ०नि०		DRF	4,40	1,29	2,00	2,11	
भोपाल—नागदा खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Bhopal-Nagda section . . .	Cap.	96,89	54,61	25,06	17,22	31-3-92
	मू०आ०नि०		DRF	13,80	2,68	6,55	4,56	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	12	12	..	..	
इटारसी—नागपुर खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Itarsi-Nagpur section . .	Cap.	109,67	106,16	3,40	11	28-3-91
	मू०आ०नि०		DRF	10	10	..	..	
	दु०क्ष०नि०(ख)		A CSPF(b)	1,55	1,55	..	..	
इटारसी—भुसावल खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Itarsi-Bhusawal section . .	Cap.	113,53	92,02	17,14	4,37	31-3-92
	मू०आ०नि०		DRF	1,04	...	1,00	4	
	वि०नि०(3)		DF(3)	46	...	30	16	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	93	...	10	83	
बल्हारशाह—वर्धा खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Balharshah-Wardha section . .	Cap.	55,20	55,00	20	..	30-3-89
	मू०आ०नि०		DRF	4	4	..	..	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	1,07	1,07	..	..	
रंगीन रोशनी वाले सिगनल कार्य और मौलाअली-सनतनगर बाई पास लाइन सहित काजीपेट-सिकन्दराबाद-हैदराबाद सनतनगर खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Kazipet-Secunderabad-Hyderabad-Sanatnagar section including, Maula-Ali-Sanatnagar bye pass line including CLS work	Cap.	67,47	26,20	23,40	17,87	*
	मू०आ०नि०		DRF	74	...	50	24	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	2,79	...	10	2,69	

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupee)

परियोजना का नाम		Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
रेल विद्युतीकरण		**RAILWAY ELECTRIFICATION**						
मध्य रेलवे के बीना-कटनी खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Bina-Katni section of Central Railway.	Cap.	80,18	33,52	21,00	25,66	*
	मू०ग्रा०नि०		DRF	4,85	..	3,01	1,84	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	1,25	..	..	1,25	
मध्य तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के कटनी-अनूपपुर-बिलासपुर खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Katni-Annuppur-Bilaspur section of Central and South Eastern Railways	Cap.	130,00	36,52	25,19	68,29	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	14	...	..	14	
दक्षिण-पूर्व रेलवे के दुर्ग-नागपुर खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Durg-Nagpur section of South Eastern Railway	Cap.	129,42	90,80	19,90	18,72	30-9-91
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	1,08	97	10	1	
जोलारपेट्टै—बंगलूर सिटी खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Jolarpettai-Bangalore City section .	Cap.	48,73	32,93	15,81	..	31-3-92
	मू०ग्रा०नि०		DRF	1,08	...	84	24	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	19	..	5	14	
टूंडला-आगरा-बयाना खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Tundla-Agra-Bayana section . .	Cap.	29,47	24,83	4,53	11	31-3-90
	मू०ग्रा०नि०		DRF	5	5	..	..	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	20	20	..	..	
जोलारपेट्टै-इरोड और सेलम-मैट्टूरडैम खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Jolarpettai-Erode and Salem-Mettur-dam section . . .	Cap.	68,26	67,26	1,00	..	31-3-92
	मू०ग्रा०नि०		DRF	3,58	2	3,57	..	
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	20	20	..	..	
पतरातू—सोन नगर खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Patratu-Sonenagar section . .	Cap.	110,24	50	21,28	88,46	*
दिल्ली-अम्बाला छावनी—लुधियाना खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Delhi-Ambala Cantt-Ludhiana section .	Cap.	136,82	..	2,41	134,41	*
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	14	...	..	14	
दक्षिण पूर्व रेलवे के बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बोंडामुंडा - बिमिलगढ़ - किरिबुरू/ बारसुआन खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Bokaro Steel City-Muri-Hatia-Bundamunda-Bimilagarh-Kiriburu/Barsuan section of South Eastern Railway . .	Cap.	112,77	..	2,00	110,77	*
	दु०क्ष०नि०(ख)		ACSPF(b)	25	..	..	25	

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

परियोजना का नाम		Name of the Project		नवीनतम अनुमानित लागत Latest estimated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure upto 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete the project	चालू करने की तारीख (वास्तविक या संभावित) Date of opening (actual or expected)
रेल विद्युतीकरण		**RAILWAY ELECTRIFICATION**						
गुमिया—पतरातु खंड का विद्युतीकरण	पूंजी	Electrification of Gumia-Patratu section . .	Cap.	17,86	...	1,64	16,22	*
महानगर परिवहन परियोजना		**METROPOLITAN TRANSPORT PROJECT**						
बम्बई		**BOMBAY**						
अंधेरी और बांद्रा के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें	विविध अग्रिम पूंजी	Additional pair of lines between Andheri and Bandra	Misc. Advances (Cap.)	61,43	10,46	20,40	30,57	31-3-92
थाणे क्रीक में पुल तथा रावली जंक्शन पर फ्लाई-ओवर सहित मानखुर्द से बेलापुर तक रेल लाइन का विस्तार	विविध अग्रिम (पूंजी) निक्षेप	Extension of Railway Line from Mankhurd to Belapur with a bridge across Thane creek and fly-over at Raoli Junction	Misc. Advances (Cap.) Deposit	50,50 1,02,53	37,35	12,00	1,15	30-6-91
मेट्रो रेलवे—कलकत्ता		**METRO RAILWAY, CALCUTTA**						
कलकत्ता—दमदम से टालीगंज तक द्रुत परिवहन प्रणाली का अभिकल्प और निर्माण	विविध अग्रिम (पूंजी)	Calcutta.—Design and construction of rapid transit system from Dum-Dum to Tollyganj . . .	Misc. Advances (Cap.)	1330,84	8,09,68	120,00	401,16	*
दिल्ली		**DELHI**						
दिल्ली क्षेत्र के लिए बिजलीकृत अन्तर्नगरीय दैनिक यात्री सेवाएं	विविध अग्रिम (पूंजी)	Delhi.—Electrified Intra Urban Rail Commuter Service for Delhi Area . . .	Misc. Advances (Cap.)	34,18	31,31	10	2,77	15-8-82
मद्रास		**MADRAS**						
मद्रास—द्रुत परिवहन प्रणाली-मद्रास बीच से लुज तक नयी लाइन	विविध अग्रिम (पूंजी)	Madras—Rapid Transit System. New line from Madras Beach to Luz . . .	Misc. Advances (Cap.)	1,08,21	57,14	13,00	38,07	*
पूर्व रेलवे		**EASTERN RAILWAY**						
सर्कुलर रेलवे परियोजना कलकत्ता	विविध अग्रिम (पूंजी)	Circular Railway Project, Calcutta	Misc. Advances (Cap.)	35,49	31,76	1,00	2,73	17-6-90

*इन कार्यों के बाद वाले वर्षों में पूरा होने की संभावना है । *These works are expected to be completed in later years.

1991-92 में मशीन और संयंत्र पर व्यय

मशीन और संयंत्र के लिए 115.00 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है जिसमें से 100.78 करोड़ रुपये निर्धारित समय पर मिलने वाले सामानों के लिए तथा 14.22 करोड़ रुपये नयी खरीद के लिए रखे गये हैं। 1991-92 के कार्यक्रम (नयी खरीद) में बदलाव के लिए केवल मशीनों और संयंत्रों की उन्हीं मदों को शामिल किया गया है, जिनकी मरम्मत किफायती नहीं है।

(नयी खरीद तथा निर्धारित समय पर मिलने वाले सामान के अन्तर्गत प्रत्येक रेलवे की आवश्यकताओं का सारांश रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम भाग-I के पृष्ठ 51-52 पर दिया गया है)

Machinery and Plant Expenditure in 1991-92

The Budget provision for Machinery and Plant is Rs. 115.00 crores of which Rs. 100.78 crores are for programmed deliveries and Rs. 14.22 crores for new acquisitions. Machinery and Plant on replacement account included in the 1991-92 programme (new acquisitions) are, as usual, only items which are beyond economical repairs.

(A summary of the requirements of each Railway under new acquisitions as well as programmed deliveries is given at 52-53 pages of Part I of the Works, Machinery and Rolling Stock Programme for Railways).

1991-92 में रेलपथ का नवीकरण

1991-92 में रेलपथ के नवीकरण के लिए 1234.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 915.95 करोड़ रुपये चालू कामों के लिए तथा शेष 318.40 करोड़ रुपये नये कामों के लिए हैं।

Track Renewals in 1991-92

The provision for Track Renewals in 1991-92 is Rs. 1234.35 crores of which Rs. 915.95 crores are for works in progress and the balance of Rs. 318.40 crores is for new works.

1991-92 में चालू लाइन निर्माण-कार्य

चालू लाइनों के अन्य निर्माण कार्यों के लिए 1328.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें से 1135.94 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 85 प्रतिशत लाइन क्षमता के कार्यों तथा अन्य परिचालनिक सुधार कार्यों के लिए और 192.92 करोड़ रुपये पुल संबंधी निर्माणकार्यों, उपयोगकर्त्ता सुविधाओं, कर्मचारी क्वार्टरों तथा कर्मचारी सुविधाओं के लिए है।

Open Line Works 1991-92

Provision for other Open Line Works is Rs. 1328.86 crores of this an amount of Rs. 1135.94 crores or about 85 per cent is earmarked for line capacity works and other operating improvements and the balance of Rs. 192.92 crores is distributed over bridge works, users amenities, staff quarters and amenities for staff.

1991-92 में चालू लाइन निर्माण-कार्यों का ब्यौरा

नये निर्माण-कार्य और 5 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत के महत्वपूर्ण चालू कार्य आदि इस ज्ञापन के परिशिष्ट-I के खंड (क) और (ख) में सूचीबद्ध किये गये हैं।

Particulars of Open Line Works in 1991-92

New works and important works in progress each estimated to cost above Rs. 5 crores are listed in sections (a) and (b) of Appendix-I to this Memorandum.

1991-92 में सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश

इक्विटी पूंजी में निवेश के लिए भारतीय रेल वित्त निगम, कोंकण रेलवे निगम तथा भारतीय कन्टेनर निगम के लिए सरकारी वाणिज्यिक उपक्रम—सार्वजनिक उपक्रमों शीर्ष के अन्तर्गत 66 करोड़ की व्यवस्था की गयी।

Investment in Government Commercial Undertakings, Public Undertakings in 1991-92

A provision of Rs. 66 crores has been made under the head "Investment in Government Commercial Undertakings—Public Undertakings—for Indian Railway Finance Corporation, Konkan Railway Corporation and Container Corporation of India for investment in the Equity Capital.

1991-92 में भंडार उचंत, निर्माण उचंत तथा विविध अग्रिम

बजट में पूंजी उचन्त शीर्ष (शुद्ध) के अन्तर्गत 55.00 करोड़ रुपये की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी जिसमें भंडार उचंत के अन्तर्गत 37 करोड़ रुपये की कमी तथा निर्माण उचंत तथा विविध अग्रिम के अन्तर्गत क्रमशः 27.73 करोड़ रुपये तथा 27.64 करोड़ रुपये की वृद्धि समाविष्ट थी। वृद्धि उत्पादन यूनिटों में उत्पादन के उच्चतर स्तर को पूरा करने के कारण है।

1991-92 में जमाखाते

वर्ष के दौरान विनिर्मुक्त सामान, आदि के लिए जमा खाते में कुल 302.57 करोड़ रुपये के समायोजन की सम्भावना है। यह राशि सकल मांग में शामिल नहीं है।

1991-92 में पूंजी (निर्माण) बजट का सारांश

1991-92 में रेलों के निर्माण मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम पर अनुमानतः कुल 3825 करोड़ रुपये का शुद्ध खर्च होगा। इस खर्च का आवंटन-वार वितरण इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

पूंजी	1694
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	1887
विकास निधि	125
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	74
चालू लाइन निर्माण (राजस्व)	45
जोड़	3825*

*इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि और चालू लाइन निर्माण (राजस्व) को प्रभार्य बजट अनुमानों के खर्च के अधिक ब्यौरे के लिए रेलों के निर्माण, मशीन और चल स्टाक कार्यक्रम—भाग I और II की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Stores Suspense, Manufacture Suspense and Miscellaneous Advance in 1991-92

The Budget envisages an increase of Rs. 55.00 crores under the Capital Suspense Heads (Net) comprising a decrease of Rs. 37 crores under Stores Suspense, and an increase of Rs. 27.73 crores and Rs. 27.64 crores under Manufacture Suspense and Miscellaneous Advances respectively. The increase is to cater higher levels of production in the Production Units.

Credits during 1991-92

Credits totalling Rs. 302.57 crores for released materials etc., are expected to be adjusted during the year. These do not figure in the gross demand.

Summary of Capital (Works) Budget 1991-92

The distribution of the total estimated net expenditure of Rs. 3825 crores during 1991-92 on the Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways, allocationwise is as under :—

(In crores of rupees)

Capital	1694
Depreciation Reserve Fund	1887
Development Fund	125
Accident, Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	74
Open Line Works (Revenue)	45
TOTAL	3825*

*Excludes Rs. 1500 crores (Budget Estimates, 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market for financing the Railway Plan.

For further particulars of the Budget Estimates of the Expenditure chargeable to Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund and Open Line Works (Revenue) reference is inivited to the Works Machinery and Rolling Stock Programme of Railways—Parts I and II.

परिशिष्ट-I

APPENDIX I

(क) 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के नये चालू लाइन निर्माण कार्य जिनके लिए 1991-92 में धन की व्यवस्था की गयी है।

(a) The new open line works costing over Rs. 5 crores for which funds have been provided in 1991-92 are :

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupee)

क्रम सं० निर्माण कार्य का विवरण / Sl.No. Particulars of works		प्रत्याशित लागत / Anticipated cost	1991-92 के लिए व्यवस्था / Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम / Balance to complete work
मध्य रेलवे	**CENTRAL RAILWAY**			
1. बम्बई—कल्याण धीमे गलियारे पर सिगनलों का पुनर्अन्तरण	Replacing of signals on Bombay-Kalyan slow corridor.	9,21	15	9,06
2. बम्बई मंडल—6 स्टेशनों पर पैनल अन्तर्पाशन द्वारा लीवर फ्रेमों का बदलाव	Bombay Division.—Replacement of wornout lever frames by panel interlocking at 6 stations.	5,94	50	5,44
3. भुसावल—वातानुकूल बिजली लोको कारखाने का आधुनिकीकरण चरण III	Bhusaval.—Modernisation of A.C. Electric Loco Workshop Phase III	6,97	48	6,49
पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**			
4 फतुवा—माल गाड़ी टर्मिनल सुविधाएं	Fatuha.—Freight terminal facilities .	10,44	6	10,38
5 (क) धातरीग्राम, बाटुली और डैनहाट में साथ-साथ आदान सुविधाएं	(a) Simultaneous receiption facilities at Dhatrigram, Batuli — Dainhat			
(ख) बगहापारा और भण्डार्तीकुरा में फ्लैग स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशनों में बदलना और	(b) Conversion of flag stations into crossing stations at Baghnapara and Bhandartikura and			
(ग) समुद्रगढ़-नवद्वीपधाम के बीच अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन	(c) Additional crossings station between Samudragrah Nabadwipdham.	6,62	10	6,52
6 गया-सोननगर—6 स्टेशनों में घिसे-पिटे लीवर फ्रेमों का बदलाव	Gaya-Sonnagar.—Replacement of wornout lever frames at 6 stations.	7,30	3	7,27
7 दानकुनी—कर्षण सब स्टेशन	Dankuni.—Traction sub-station	5,63	4	5,59
8 झाझा—बड़ी लाइन के 60 रेल इंजनों को रखने के लिए डीजल शेड	Jhajha.—Diesel shed for homing 60 BG locos.	15,77	23	15,54
उत्तर रेलवे	**NORTHERN RAILWAY**			
9 मुगलसराय-इलाहाबाद-गाजियाबाद खंड पर अतिरिक्त यातायात सुविधाएं (चरण-IV)	Mughalsarai-Allahabad-Ghaziabad Section.—Additional Traffic Facilities (Phase-IV)	5,01	22	4,79

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्य का विवरण	Particulars of works	प्रत्याशित लागत Anticipated cost	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	उत्तर रेलवे	**NORTHERN RAILWAY**			
10.	दिल्ली क्षेत्र—(नयी दिल्ली) यात्री प्लेटफार्मसहित अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं(चरण 1)	Delhi Area (New Delhi).—Additional maintenance facilities including Passenger Platform etc. (Phase I)	24,22	16	24,06
11	मुगलसराय-इलाहाबाद :— नियंत्रण केबिल का बदलाव	Mughalsarai-Allahabad.—Replacement of control cable	16,20.44	0.01	16,20.43
12	लखनऊ चारबाग—चारबाग कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-III)	Lucknow—Charbagh.—Modernisation of Charbagh shops (Phase. III)	10,49.09	0.01	10,49.08
13	ब. ला. के 100 रेल इंजनों के रखने के लिए लखनऊ (आलमबाग) डीजल शेड का विस्तार	Lucknow (Alambagh).—extension of Diesel shed for holding 100 BG Locos	834.92	0.01	834.91
	पूर्वोत्तर रेलवे	**NORTH EASTERN RAILWAY**			
14	सिवान-छपरा— 7 स्टेशनों पर और ब्लाक खंडों में घिसे पिटे स्व-चालित ब्लाक सिगनल उपस्कर का बदलाव	Siwan-Chapra.—Replacement of worn-out Automatic Block Signalling equipment at 7 stations and in Block Sections etc.	6,97	65	6,32
15	गोरखपुर-कटिहार—माइक्रोवेव रेडियो उपस्कर का डिजिटल माइक्रोवेव द्वारा बदलाव	Gorakhpur-Katihar.—Replacement of microwave radio equipment by digital microwave equipment.	17,25	3	17,22
	दक्षिण रेलवे	**SOUTHERN RAILWAY**			
16.	विल्लिवाक्कम—अन्नानगर—दूसरे टर्मिनल के लिए भूमिका अधिग्रहण	Villiyakkam-Annanagar.—Acquisition of land for Second Terminal	9,00	50	8,50
17	अरकोणम—वालाजाह रोड—स्वचालित ब्लाक सिगनल प्रणाली (चरण 1)	Arakkonam-Walajah Road.—Automatic Block Signalling (Phase I)	12,87	2,11	10,76

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण कार्यों का विवरण Particulars of works			प्रत्याशित लागत Anticipated cost	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण रेलवे	**SOUTHERN RAILWAY**				
18	पालघाट—ईरोड—दासमपट्टी—ईरोड-माइक्रोवेव प्रणाली का बदलाव	Palghat-Erode-Dasampatti-Erode—Replacement of Microwave system		14,82	60	14,22
19	मद्रास क्षेत्र में बड़ी लाइन का ए०सी० बिजली लोको शेड—चरण—1	B.G. AC Electric Loco Shed at Madras area—Phase I.		7,80	59	7,21
	दक्षिण मध्य रेलवे	**SOUTH CENTRAL RAILWAY**				
20	कृष्णा – येरमरस के बीच दोहरी लाइन (16.25 कि०मी०)	Doubling between Krishna-Yermares (16.25 Kms.)		15,54	50	15,04
21	कोसगी—मटमारी—दोहरीकरण—(24.20 कि० मी०)	Doubling between Kosgi-Matmari (24.20 Kms.)		22,46	50	21,96
22	विजयवाडा—अरकोणम में 7 डी 6 क्लास्टोन माइक्रोवेव उपस्करों का डिजिटल उपस्कर से बदलाव	Replacement of 7D6 Klystron Microwave equipment with digital equipment on Vijayawada-Arkonam		18,69	12	18,57
23	सिकन्दराबाद में सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं में वृद्धि	Augmentation of Coach Maintenance facilities at Secunderabad		6,71	2,65	4,06
	दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**				
24	बिलासपुर और अकलतारा के बीच तीसरी लाइन (27 कि०मी०)—	3rd line between Bilaspur and Akaltara (27 Kms.)		35,91	1,00	34,91
25	तालचेर—हिंदोल रोड (32.1) के बीच दोहरी लाइन बिछाना (32.1 कि०मी०)	Doubling between Talcher-Hindol Road (32.1 Kms.)		29,25	2,00	27,25
26	शालीमार—कोचिंग टर्मिनल चरण-I	Shalimar—Coaching Terminal Phase—I		15,85	16	15,69
27	विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के लिए रेल सुविधाएं—परिधीय यार्ड (3.4 एम टी) चरण-II	Rail facilities for Visakhapatnam Steel Plant, Peripheral Yard (3.4 M.T.) Phase II		8,49	8	8,41
			निक्षेप Deposit	1,50		
28	विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के लिए बाहरी रेल सुविधाएं चरण-II	External Rail facilities for Visakhapatnam Steel Plant—Phase II		23,73	49	23,24

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		प्रत्याशित लागत Anticipated cost	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	SOUTH EASTERN RAILWAY			
29	बिलासपुर-अनूपपुर-कटनी और अनूपपुर महेन्द्रगढ़ खंड पर माइक्रोवेव प्रणाली	Microwave system on Bilaspur-Aunupur-Katni and Anuppur-Mahendragarh section.	15,60	70	14,90
30	के के लाइन पर लाइन क्षमता कार्यों का इष्टतम उपयोग (चरण-II)	Optimisation of line capacity works on KK line (Phase-II) .	5,20	10	5,10
31	आंगुल—50 रेल इंजनों के लिए बड़ी लाइन डीजल शेड	Angul.—50 loco BG diesel shed .	16,00	1,29	14,71
32	खड़गपुर डीजल शेड—60 इंजनों की क्षमता को 100 तक बढ़ाना	Kharagpur Diesel Shed.—Expansion of capacity from 60 to 100 locos.	8,37	65	7,72
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY			
33	बम्बई उपनगरीय—संवेदनशील स्थानों पर 22 के वी केबलों का बदलाव	Bombay Suburban.—Replacement of 22 KV cable at critical locations .	5,19	10	5,09
34	वटवा—वातब्रेक वाली माल-गाड़ी स्टाक के लिए नेमी ओवर-हालिंग और अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार	Vatva.—ROH and expansion of maintenance facilities for the air-braked freight stock .	6,90	64	6,26
	सवारी डिब्बा कारखाना	INTEGRAL COACH FACTORY			
35	सवारी डिब्बा कारखाने की उत्पादन क्षमता 1000 सवारी डिब्बे से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1150 सवारी डिब्बे करना तथा वा०कु० सवारी डिब्बों और ई एम यू का उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाओं का विकास	Augmentation of ICF's production capacity from 1000 to 1150 coaches per annum and developing facilities for increasing production of A.C. coaches and EMUs.	20,50	69	19,81

(ख) 5 करोड़ रुपये से अधिक लागत के महत्वपूर्ण चालू-लाइन निर्माण कार्य जिनके लिए 1991-92 में धन की व्यवस्था की गई है।

(b) Important Open Line Works in progress over Rs. 5 crores for which funds have been provided in 1991—92

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्यों का ब्यौरा Particulars of works	प्रत्याशित लागत Latest Anticipated cost	1980-91 के अंत तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1990-91 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
मध्य रेलवे	CENTRAL RAILWAY				
जैतवार—मानिकपुर—दोहरी लाइन बिछाना (57.51 कि०मी०)	Doubling between Jaitwar-Manikpur (57.51 Kms.) .	28,29	25,52	2,24	53
पोलापाथर-बरबतपुर (18.38 कि०मी०) और आगे दोहरी लाइन बिछाने के लिए कीरतगढ़—पोलापाथर तक भूमि का अधिग्रहण (चरण-3)	Polapathar-Barabatpur (18.38 Kms) and acquisition of land from Kiratgarh-Polapathar for further Doubling Phase III . .	17,89	17,57	32	..
इकहरी लाइन वाले पुल के भाग अर्थात (i) कुरवई-केथोरा-बीना रिवर (2.70 कि०मी०) (ii) बेतवा 'ए' केबिन—बेतवा 'बी' केबिन (2.64 कि०मी०) पर दोहरी लाइन बिछाना	Doubling of Single line bridge portion viz. (i) Kurwai-Kethora-Bina River (2.70 Kms) (ii) Betwa 'A' Cabin—Betwa 'B' Cabin (2.64 Kms.) .	8,63	5,46	2,85	32
बीना-झांसी खंड के पुल के भाग सहित माता-टीला और बसई के बीच 7.88 कि०मी० में दोहरी लाइन बिछाना।	Doubling between Matatila-Bassai 7.88 Kms. including bridge portion of Bina Jhansi section. .	8,08	7,24	84	..
नर्मदा पुल के भाग का दोहरीकरण।	Doubling of Narmada Bridge portion . .	12,81	7,66	2,60	2,55
मैहर—अमदारा का दोहरीकरण (26.51 कि०मी०)	Doubling of Maihar-Amdara (26.51 Kms.)	13,30	12,96	34	..
(i) दोहरी लाइन बिछाना-इटारसी—झुजारपुर 2.61 कि०मी० (ii) पोलापाथर-काला आखर—6.64 कि०मी० (iii) मेटपांजरा-भरतवाड़ा के बीच भूमि अधिग्रहण	Doubling between (i) Itarsi Jhujarpur—2.61 Kms. . (ii) Polapathar-Kala Akhar-6.64 Kms. (iii) Acquisition of land between Metpanjara-Bharatwada . . .	8,43	3,62	4,30	51
दोहरी लाइन बिछाना—कीरतगढ़—काला आखर (22.25 कि०मी०) और मेटपांजरा—भरतवाड़ा (38.38 कि०मी०) चरण-5	Doubling between Kiratgarh—Kalaakhar (22.25 Kms.) and Metapanjara-Bharatwada (38.38 Kms.) Phase-V . . .	69,42	12,48	20,00	36,94
जुकेही-अमदारा—दोहरी लाइन बिछाना (19.64 कि०मी०)	Doubling between Jukekhi-Amdara (19.64 Kms.) .	9,44	7,01	1,58	85

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

निर्माण कार्य का विवरण Sl. No. Particulars of work		नवीनतम अनुमानित लागत Latest anticipated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
मध्य रेलवे	**CENTRAL RAILWAY**				
मथुरा और पलवल के बीच स्वचल ब्लाक सिगनल व्यवस्था और पेनल अंतर्पाशन तथा पलवल–असावटी–बल्लभगढ़ के बीच मध्यवर्ती ब्लाक हट की व्यवस्था	Automatic block signalling and panel interlocking between Mathura and Palwal and IBH between Palwal-Asaoti-Ballabhgarh	14,05	13,09	96	..
नरखेड़-मेटपांजरा का दोहरीकरण (34.34 कि०मी०) चरण-6	Doubling of Narkher-Metpanjra. (34.34 Kms.) Phase-VI . . .	35,97	3,00	3,72	29,25
घेर तक इकहरी लाइन वाले पुल के भाग को दोहरा बनाना	Doubling of single line bridge portion up to Gher.	22,75	3,00	10,00	9,75
बम्बई वी०टी०—दोहरे निकासी वाले प्लेट फार्म की व्यवस्था करने के लिए उपनगरीय यार्ड के ढांचे में परिवर्तन—	Bombay V.T.—Remodelling of suburban Yard to provide double discharge platforms-	9,68 R 1	7,46	1,62	60
कुर्ला—नया यात्री टर्मिनल—चरण-1	Kurla-New Passenger Terminal.—Phase-I. .	24,95	20,72	3,83	40
हबीबगंज—कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं।	Habibganj Coaching terminal facilities . .	12,76	1,30	2,81	8,65
झांसी—रूट रिले अंतर्पाशन आदि	Jhansi.—Route relay interlocking etc.	9,62	1,60	3,01	5,01
बम्बई—यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	Bombay.—Computerisation of Passenger Reservation System . . .	20,57	18,61	50	1,46
भोपाल—यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	Bhopal.—Computerisation of Passenger Reservation System . . .	6,27	6,12	15	..
भुसावल—गतायु सिगनल उपस्कर का रूट रिले अंतर्पाशन से बदलाव।	Bhusawal.—Replacement of aged signalling equipment by Route Relay Interlocking. . . .	7,79	7,69	10	..
कल्याण—जंक्शन केबुलों/तारों का आप्टिकल फाइबर केबुलों से बदलाव।	Kalyan.—Replacement of junction cables/wires by optical fibre cables. .	8,46	1,34	50	6,62
बीना—कटनी खंड पर गतायु लीवर फ्रेमों और ग्राउंड गियरों का बदलाव।	Replacement of aged lever frames and ground gears on Bina-Katni section .	20,52	15	2,00	18,37
इगतपुरी-भुसावल-खेरवाडी-हीरापुर के बीच कर्षण बिजली सप्लाई प्रणाली को सुदृढ़ करना (चरण-1)	Igatpuri-Bhusawal. – Strengthening of traction power supply system between Kherwadi-Hirapur (Phase-I) . .	6,30	15	1,41	4,74
भोपाल—नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना	Bhopal—New Coach repair workshop . . .	64,87	45,07	7,81	11,99
परेल—कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-2)	Parel.—Modernisation of workshop (Phase-II) .	21,42	19,17	2,25	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

निर्माण कार्य का विवरण	Sl. No. Particulars of works	नवीनतम अनुमानित लागत Latest anticipated cost	1990-91 तक का अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	परियोजनाओं को पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
मध्य रेलवे	**CENTRAL RAILWAY**				
ग्वालियर—क्वायल स्प्रिंग और पत्तीदार कमानी के निर्माण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना	Gwalior—Facilities for manufacturing coil springs and leaf springs . .	55,54	47,98	4,05	3,51
ग्वालियर—उन्नत अनुरक्षण प्रौद्योगिकी के लिये केन्द्र	Gwalior—Centre for advanced maintenance technology .	6,22	5,26	78	18
मनमाड—सिविल इंजीनियरी कारखाने का आधुनीकीकरण	Manmad.—Modernisation of Civil Engineering Workshop . . .	12,97	6,55	1,78	4,64
झांसी—कारखाने का आधुनिकीकरण	Jhansi.—Modernisation of Workshop. . . .	29,91	90	10,96	18,05
न्यू कटनी जंक्शन—बाक्स 'एन' रेक सम्हालने के लिए सुविधाएं	New Katni Junction.—Facilities to handle BOX 'N' Rakes. . .	7,25	53	30	6,42
पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**				
दमदम जंक्शन और बारासात के बीच निम्नलिखित काम करना— (क) हबरा और बोनगांव के बीच टोकन रहित ब्लाक संचालन (ख) दमदम जंक्शन पर दो लाइनों वाले 3 क्रासिंग स्टेशन (ग) रेकों को खड़ा करने के लिए हबरा में अतिरिक्त लाइनें और (घ) दमदम में जंक्शन व्यवस्था	Dum Dum Jn.-Barasat (a) Tokenless block working between Habra-Bongaon (b) Three two line crossing stations on Dum Dum Jn. (c) Additional lines at Habra for stabling of rakes and (d) Junction arrangement of Dum Dum	14,55	12,35	20	2,00
किऊल-जमालपुर-भागलपुर खण्ड—कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना (75 कि०मी०)	Kiul-Jamalpur-Bhagalpur-Patch doubling (75 Kms.)	32,20	31,20	1,00	..
साहिबगंज लिंक केबिन—न्यू फरक्का—मालदा टाउन के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling Sahibganj Link Cabin New Farakka Malda Town. .	36,80	22,74	10,44	3,62

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**				
	गढ़वा रोड—सोननगर खण्ड पर सिगसिगी—बगहा—विष्णुपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना (चरण-2)	Doubling of Garwa Road—Sonnagar Phase—II Sigsigi-Bagha-Bishnupur.—	50,28	25,67	12,41	12,20
	बारासात—दत्तापुकुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling of Barasat-Duttapukur	6,68	3,96	2,27	45
	दत्तापुकुर—हबरा के बीच दोहरी लाइन बिछाना (14.49 कि०मी०)	Doubling between Duttapukur-Habra (14.49 Km)	19,98	5,00	3,69	11,29
	सोननगर और मुगलसराय के बीच द्विदिशिक सिगनल प्रणाली सहित तीसरी लाइन और सोननगर में डाउन ग्रांड कार्ड से सी आई सी तक एक फ्लाई ओवर	3rd line with bidirectional signalling between Sonnagar and Mughalsarai and a fly over from Down Grand Chord to CIC section at Sonnagar.	165,00	15,00	20,00	130,00
	अंडाल—उखरा खंड—(1) कजोराग्राम और सिदूली के बीच खंडीय क्षमता में वृद्धि करना चरण-I (2) तपासी—बारबानी खंड पर अतिरिक्त साइडिंग सुविधाएं	Andal-Ukhra—(1) Augmentation of sectional capacity Phase-I service loop between Kajoragram & Siduli (2) Additional siding facilities of Tapasi-Barabani Section	6,49	5,78	43	28
	निम्नलिखित के बीच खंडीय क्षमता में वृद्धि: (1) अनुग्रह नारायण रोड-सोननगर तथा रफीगंज-जाखिम के बीच दो ब्लाक हट (2) पहलेजा, कुमराबाद रोड तथा धनिच्छा ब्लाक हट पर अप और डाउन लूप	Augmentation of sectional capacity : (1) Two block huts between Anugrahanarayan Road Sonnagar & Rafiganj Jakhim, (2) Up & Dn. loop at Phalwaza.—Kumarabad Road & Dhanaicha block hut	9,74	8,62	1,12	..
	हावड़ा स्टेशन—कोचिंग टर्मिनल की सुविधाओं में वृद्धि (चरण-1)	Howrah station.—Augmentation of coaching terminal facilities (Phase-I).	10,33	8,87	1,46	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
	अंडाल—बी ओ एक्स 'एन' मरम्मत डिपो	Andal.—BOX 'N' repair depot	9,78	9,63	15	..
	मुगलसराय—फ्लैश बट्ट झलाई प्लांट का बदलाव	Mughalsarai.—Replacement of Flash Butt Welding Plant	5,90	5,00	90	..
	बंडेल—बिजली गाड़ी कार शेड	Bandel.—Electrical Multiple Unit car shed. . . .	7,60	6,04	32	1,24
	गोमो—बिजली लोको शेड	Gomoh.—Electrical Loco Shed	10,15	7,21	2,94	..
	सियालदह—सियालदह गुड्स यार्ड में नया कोचिंग परिसर	Sealdah.—New coaching complex at Sealdah Goods Yard	7,75	5,00	71	2,04
	बारासात—बिजली गाड़ी कार शेड	Barasat.—EMU Car Shed	6,01	5,51	50	..
	मुगलसराय—120 बी ओ एक्स 'एन' रेकों के लिए प्राथमिक अनुरक्षण डिपो का विकास	Mughalsarai.—Development of primary maintenance of depot—120 BOX (N) rakes	6,23	4,63	1,60	..
	बरवाडीह—बी ओ एक्स 'एन' मरम्मत डिपो	Barwadih.—BOX 'N' Repair Depot . .	10,85	4,46	57	5,82
	जमालपुर—डीजल लोको शेड	Jamalpur.—Diesel loco shed.	12,46	10,70	33	1,43
	हवड़ा (टिकियापाड़ा)—कोचिंग काम्पलेक्स का आधुनिकीकरण	Howrah (Tikiapara).—Modernisation of coaching complex . . .	7,94	1,50	57	5,87
	जमालपुर कारखाने का आधुनीकीकरण	Modernisation of Jamalpur workshop . . .	64,74	3,15	27,38	34,21
	कांचरापाड़ा कारखाने का आधुनिकीकरण चरण-III	Modernisation of Kanchrapara Workshop.—Phase-III . . .	15,24	40	6,67	8,17
	अंडाल—मेन लाइन के ब० ला० के 100 रेल इंजनों को रखने के लिए डीजल शेड का विस्तार	Andal.—Extension of Diesel Shed to hold 100 main line B.G. locos. . .	7,51	10	1,14	6,27

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**				
	गढ़वा रोड—सोननगर खण्ड पर सिगसिगी—बगहा—विष्णुपुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना (चरण-2)	Doubling of Garwa Road—Sonnagar Phase—II Sigsigi-Bagha-Bishnupur.—	50,28	25,67	12,41	12,20
	बारासात—दत्तापुकुर के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling of Barasat-Duttapukur	6,68	3,96	2,27	45
	दत्तापुकुर—हबरा के बीच दोहरी लाइन बिछाना (14.49 कि०मी०)	Doubling between Duttapukur-Habra (14.49 Km)	19,98	5,00	3,69	11,29
	सोननगर और मुगलसराय के बीच द्विदिशिक सिगनल प्रणाली सहित तीसरी लाइन और सोननगर में डाउन ग्रांड कार्ड से सी आई सी तक एक फ्लाई ओवर	3rd line with bidirectional signalling between Sonnagar and Mughalsarai and a fly over from Down Grand Chord to CIC section at Sonnagar.	165,00	15,00	20,00	130,00
	अंडाल—उखरा खंड—(1) कजोराग्राम और सिदूली के बीच खंडीय क्षमता में वृद्धि करना चरण-I (2) तपासी—बाराबानी खंड पर अतिरिक्त साइडिंग सुविधाएं	Andal-Ukhra—(1) Augmentation of sectional capacity Phase-I service loop between Kajoragram & Siduli (2) Additional siding facilities of Tapasi-Barabani Section	6,49	5,78	43	28
	निम्नलिखित के बीच खंडीय क्षमता में वृद्धि : (1) अनुग्रह नारायण रोड—सोननगर तथा रफीगंज-जाखिम के बीच दो ब्लाक हट (2) पहलेजा, कुमराबाद रोड तथा धनिच्छा ब्लाक हट पर अप और डाउन लूप	Augmentation of sectional capacity : (1) Two block huts between Anugrahanarayan Road Sonnagar & Rafiganj Jakhim, (2) Up & Dn. loop at Phalwaza.—Kumarabad Road & Dhanaicha block hut	9,74	8,62	1,12	..
	हावड़ा स्टेशन—कोचिंग टर्मिनल की सुविधाओं में वृद्धि (चरण-1)	Howrah station.—Augmentation of coaching terminal facilities (Phase-I).	10,33	8,87	1,46	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No. निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
खंडीय क्षमता में वृद्धि (क) हावड़ा—शिवड़ाफुली (ख) (i) भद्रेश्वर—बन्डेल (ii) शिवड़ाफुली और बंडेल के बीच स्वचालित सिगनल व्यवस्था	Augmentation of sectional capacity(a) Howrah-Sheoraphuli(b)(i) Bhadreswar-Bandel (ii) Automatic signalling between Sheoraphuli—Bandel. .	20,88	13,68	5,89	1,31
बर्दमान-आनुषंगिक कार्य सहित यार्ड के ढांचे में परिवर्तन (चरण-1) (क) शक्तिगढ़ और पलसित के बीच दोहरी लाइन फ्लाई ओवर (ख) डाउन पासिंग साइडिंग का विस्तार	Bardhaman.—Remodelling of yard with ancillary works (Phase I)—(a) Double line fly over between Saktigarh Palsit (b) Extension of down passing siding . .	20,10	5,69	6,61	7,80
बड़वाडीह—नार्थ कर्णपुरा क्षेत्र में डिपो यार्ड का विकास	Barwadih.—Depot yard in North Karanpura area. .	15,79	6,88	1,81	7,10
सोननगर-मुगलसराय खंड—केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण	Sonnagar-Mughalsarai.—Centralised traffic control	7,12	1,68	4,00	1,44
खंडीय क्षमता में वृद्धि—चरण-1 (क) दानापुर के ढांचे में परिवर्तन (ख) गुलजार बाग में अतिरिक्त कामन लूप (ग) बिहटा और कुल्हाड़िया के बीच अतिरिक्त ब्लाक हट	Augmentation of sectional capacity phase-I (a) Remodelling of Danapur (b) Additional common loop at Gulzarbagh (c) Additional block huts between Bihta and Kulharia. .	11,99	5,27	4,41	2,31
खंडीय क्षमता में वृद्धि : (क) पटना जंक्शन-गया—टोकन-रहित ब्लाक (ख) पोटाही हाल्ट—क्रासिंग स्टेशन और (ग) जहानाबाद—अतिरिक्त प्लेटफार्म	Augmentation of sectional capacity :—. (a) Patna-Jn.-Gaya-Tokenless block (b) Potahi Halt-crossing station and (c) Jehanabad-Additional platform	6,72	6,52	6	14
सियालदह दक्षिण—केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण	Sealdah South.—Centralised traffic control . .	17,79	3,09	6,16	8,54
बर्दमान—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और आनुषंगिक कार्य (चरण-1, स्तर-2)	Barddhaman.—Remodelling of yard and ancillary works (Phase-I)(Stage-II)	26,92	2,24	4,12	20,56
कलकत्ता क्षेत्र में यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	Computerisation of Passenger Reservation system in Calcutta area	21,00.00	19,99.40	0.01	100.59

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
	बंडेल—सिगनल उपस्कर का रूट रिले अन्तर्पाशन से बदलाव	Bandel.—Replacement of Signaling equipment by Route Relay inter-locking	5,89	5,84	5	..
	मुगलसराय-11 केबिनों में आन्तरिक गियरों का बदलाव	Mughalsarai.—Replacement of indoor gears at 11 cabins. . . .	14,19	3,56	4,24	6,39
	गया—इनडोर और आउटडोर गियरों का रूट रिले अन्तर्पाशन से बदलाव	Gaya.—Replacement of indoor and outdoor gears by Route Relay interlocking. . . .	9,35	1,88	2,20	5,27
	बर्दमान—इनडोर और आउटडोर सिगनल गियरों का बदलाव	Barddhaman.—Replacement of indoor and outdoor signalling gears. . .	7,87	1,23	1,50	5,14
	धनबाद-मुगलसराय खंड—प्वाइंट रोडिंग एवं फिटिंग का मोटर प्वाइंट द्वारा बदलाव	Dhanbad-Mughalsarai.—Replacement of point rodding and fittings by motor point. . .	5,19.05	89,66	0,10	4,29,29
	सियालदह दक्षिण—डाकतार विभाग के केबुलों के बदले नियंत्रण संचार व्यवस्था	Sealdah South.—Control communication in lieu of P&T cables .	18,87	1,75	10	17,02
	विद्युतीकृत हावड़ा-मुगलसराय खण्ड पर प्रधानखुंटा और खाना के बीच बेतार के माध्यम से नियंत्रण संचार चरण-III	Control communication through wireless on electrified Howrah-Mughalsarai section (Phase-III) between Prodhankanta & Khana . . .	22,00	5,17	7,87	8,96
	विद्युतीकृत हावड़ा—मुगलसराय खंड में बेतार द्वारा नियंत्रण संचार सर्किट—खाना—बर्दमान—बेलूड़—हावड़ा (चरण-IV)	Control communication circuit through wireless in electrified Howrah-Mughalsarai section (Phase.IV)-Khana-Burdhhaman—Belur-Howrah. . . .	R. 18.30.95 38	0.01	50.00	17,80.94
	विद्युतीकृत हावड़ा—मुगलसराय खंड में बेतार द्वारा नियंत्रण संचार सर्किट (चरण-V)	Control communication circuits through wireless in electrified Howrah-Mughalsarai section-(Phase-V). . . .	24,90.12	0.01	5.00	24,85.11
	गोमो-मुगलसराय-चार अतिरिक्त कर्षण सब-स्टेशन	Gomoh-Mughalsarai.—Four additional traction sub-stations . .	21,84	21,42	42	..
	लिलुआ—सवारी तथा माल डिब्बा मरम्मत कारखाने का आधुनिकीकरण	Liluah.—Modernisation of carriage and wagon repair shop . . .	21,07	18,62	2,45	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No. / निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
पूर्व रेलवे	**EASTERN RAILWAY**				
अंडाल—बी ओ एक्स 'एन' मरम्मत डिपो	Andal.—BOX 'N' repair depot	9,78	9,63	15	..
मुगलसराय—फ्लैश बट्ट झलाई प्लांट का बदलाव	Mughalsarai.—Replacement of Flash Butt Welding Plant	5,90	5,00	90	..
बंडेल—बिजली गाड़ी कार शेड	Bandel.—Electrical Multiple Unit car shed. . . .	7,60	6,04	32	1,24
गोमो—बिजली लोको शेड	Gomoh.—Electrical Loco Shed	10,15	7,21	2,94	..
सियालदह—सियालदह गुड्स यार्ड में नया कोचिंग परिसर	Sealdah.—New coaching complex at Sealdah Goods Yard	7,75	5,00	71	2,04
बारासात—बिजली गाड़ी कार शेड	Barasat.—EMU Car Shed	6,01	5,51	50	..
मुगलसराय—120 बी ओ एक्स 'एन' रेकों के लिए प्राथमिक अनुरक्षण डिपो का विकास	Mughalsarai.—Development of primary maintenance of depot—120 BOX (N) rakes	6,23	4,63	1,60	..
बरवाडीह—बी ओ एक्स 'एन' मरम्मत डिपो	Barwadih.—BOX 'N' Repair Depot . .	10,85	4,46	57	5,82
जमालपुर—डीजल लोको शेड	Jamalpur.—Diesel loco shed.	12,46	10,70	33	1,43
हवड़ा (टिकियापाड़ा)—कोचिंग काम्पलेक्स का आधुनिकीकरण	Howrah (Tikiapara).—Modernisation of coaching complex . . .	7,94	1,50	57	5,87
जमालपुर कारखाने का आधुनीकीकरण	Modernisation of Jamalpur workshop . . .	64,74	3,15	27,38	34,21
कांचरापाड़ा कारखाने का आधुनिकीकरण चरण-III	Modernisation of Kanchrapara Workshop.—Phase-III . . .	15,24	40	6,67	8,17
अंडाल—मेन लाइन के ब० ला० के 100 रेल इंजनों को रखने के लिए डीजल शेड का विस्तार	Andal.—Extension of Diesel Shed to hold 100 main line B.G. locos. . .	7,51	10	1,14	6,27

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम संख्या Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्व रेलवे	EASTERN RAILWAY				
	गोमो—100 रेल इंजनों को रखने के लिए बिजली रेल इंजन शेड का विस्तार	Gomoh.—Extension of homing capacity of Electric Loco Shed for 100 locomotives. . . .	6,77	10	1,15	5,52
	उत्तर रेलवे	NORTHERN RAILWAY				
	वीरमगांव से जोधपुर तक बड़ी लाइन के सीधे मार्ग का विकास, भिलड़ी से समदड़ी तक आमान परिवर्तन और समदड़ी से जोधपुर तक समानांतर बड़ी लाइन	Direct BG rail route from Viramgam to Jodhpur, gauge conversion from Bhildi to Samdari and Parallel BG line from Samdari to Jodhpur .	2,67,83	4,10	1,26	2,62,47
	आगरा—बाड़मेर/जैसलमेर के बीच सीधा बड़ी लाइन रेल संपर्क (चरण-1) तथा फुलेरा और बीकानेर (लालगढ़) मेड़तारोड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन	Direct BG rail link between Agra-Barmer/Jaisalmer (Phase-I) & Gauge Conversion of Phulera and Bikaner (Lalgarh)-Merta Road from MG to BG. .	3,25,87	12,90	23,52	2,89,45
	निम्नलिखित के बीच दोहरीकरण	Doubling between.—				
	(i) रोहतक—जाखल (चरण-I)	(i) Rohtak—Jakhal (Phase-I)				
	(क) रोहतक—समरगोपालपुर (10.01 कि०मी०)	(a) Rohtak—Samargopalpur (10.01 Kms.) . .				
	(ख) किनाना—बरसोला (20.42 कि०मी०)	(b) Kinana-Barsola (20.42 Kms.)				
	(ग) घूसो—जाखल (45.48 कि०मी०)	(c) Ghuso-Jakhal (45.48 kms)				
	(ii) गाजियाबाद—साहिबाबाद के बीच तीसरी लाइन	(ii) 3rd line between Ghaziabad—Sahibabad.	60,53 5	57,81	2,00	72
	मुरादाबाद और रामपुर के बीच 27.41 कि०मी० (चरण-1)	Doubling between Moradabad and Rampur (Phase-I) 27.41 Kms. . . .	20,27	19,80	27	20
	लखनऊ और उन्नाव के बीच एवं गंगापुल के ऊपर दोहरी लाइन बिछाना—	Doubling between Lucknow and Unnao and over the Ganga Bridge . .	49,05	28,73	12,46	7,86
	रामपुर—बरेली दोहरीकरण (चरण-2) (63.074 कि०मी०)	Doubling of Rampur-Bareilly Phase-II (63.074 Kms) .	50,57	9,21	13,90	27,46
	इलाहाबाद स्टेशन यार्ड में परिवर्धन और परिवर्तन	Additions and alterations in Allahabad station yard .	12,97	12,58	16	23

(लाख रुपयों में Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० निर्माण-कार्य का विवरण	Sl. No. Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
उत्तर रेलवे	**NORTHERN RAILWAY**				
गढ़ी हरसरू और खलीलपुर के बीच अतिरिक्त थ्रू-पुट और टर्मिनल सुविधाएं	Additional through put and terminal facilities between Garhi Harsaru-Khalilpur	22,00	18,34	1,27	2,39
दिल्ली क्षेत्र में गाड़ी संसूचक तथा दूरस्थ नियंत्रण सिगनल व्यवस्था	Delhi Area.—Train describer and remote control signalling. . . .	29,73	28,80	90	3
दिल्ली क्षेत्र—कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं (i) नई दिल्ली—अतिरिक्त प्लेटफार्म	Delhi Area.—Coaching terminal facilities (i) New Delhi.—Additional Platform . . .				
(ii) हजरत निजामुद्दीन—अनुरक्षण सुविधाएं तथा एक अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म	(ii) Hazrat Nizammudin.—maintenance facilities and an additional passenger platform . .	26,64	15,51	7,76	3,37
गाजियाबाद यार्ड के ढांचे में परिवर्तन	Remodelling of Ghaziabad yard	10,77	8,04	1,09	1,64
दिल्ली क्षेत्र में दिशिक टर्मिनल सुविधाओं के लिए होलम्बी कलां, आनन्द विहार और बिजवासन में भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of land at Holambi kalan, Anand Vihar, Bijwasan for directional terminal facilities in Delhi Area .	14,28	2,88	11,40	..
मुगलसराय-लखनऊ-मुरादाबाद-जालंधर-पठानकोट खंड—अतिरिक्त सुविधाएं (चरण-I)	Mughalsarai-Lucknow-Moradabad—Jalandhar-Pathankot Section.—Additional facilities (Phase-I)	6,35	5,34	1,01	..
भारतीय रेलवे की मालगाड़ी परिचालन सूचना एवं नियंत्रण प्रणाली	Freight Operation Information and Control System for Indian Railway .	10,98,00	70,00	22,00	10,06,00
दिल्ली क्षेत्र—यात्री आरक्षण पद्धति का कंप्यूटरीकरण	Delhi Area.—Computerisation of Passenger Reservation System. . .	20,83	20,59	24	..
लखनऊ क्षेत्र—यात्री आरक्षण पद्धति का कंप्यूटरीकरण	Lucknow Area.—Computerisation of Passenger Reservation System .	8,72	8,22	50	..
फाफामऊ के निकट में गंगा नदी पर कर्जन पुल सं० 163 के बदले नया अतिरिक्त पुल	New additional bridge in replacement of Curzon Bridge No. 163 over river Ganga near Phaphamau	19,88	4,83	4,05	11,00
गंगा नदी पर दूसरा नया बालावली पुल सं० 1248	Second New Balawali Bridge No. 1248 over River Ganga	22,67	2,30	2,25	18,12
इलाहाबाद—रूट रिले अंतर्पाशन	Allahabad.—Route relay interlocking	6,65	2,33	3,00	1,32
वाराणसी—रूट रिले अंतर्पाशन	Varanasi.—Route relay interlocking . . .	8,98	5,26	1,00	2,72

(लाख रुपयों में) Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	उत्तर रेलवे	**NORTHERN RAILWAY**				
	सहारनपुर—रूट रिले अंतर्पाशन	Saharnpur.—Route relay interlocking . . .	5,98	2,57	3,07	34
	दिल्ली-मुगलसराय खण्ड पर चल रेडियो संचार को नियंत्रित करने के लिए गाड़ी	Delhi-Mughalsarai Section.—Train to control mobile radio communication .	15,37	2,74	90	11,73
	टूंडला-मुगलसराय खंड—सूक्ष्म-तरंग संपर्क का अंकीय द्वारा बदलाव	Tundla-Mughalsarai Section.—Replacement of microwave link by Digital .	30,85	85	1,10	28,90
	दिल्ली मेन—रूट रिले अंतर्पाशन का बदलाव	Delhi Main.—Replacement of Route Relay interlocking	14,67	39	70	13,58
	मुगलसराय-कानपुर खंड—6 अतिरिक्त कर्षण सब स्टेशन	Mughalsarai-Kanpur Section.—Additional 6 traction sub-stations .	29,09	17,77	7,03	4,29
	कानपुर-गाजियाबाद खंड—6 अतिरिक्त कर्षण सब-स्टेशन	Kanpur-Ghaziabad Section.—Additional 6 traction sub-stations .	33,55	19,24	4,01	10,30
	लखनऊ—ब० ला० के 60 डीजल रेल इंजनों के लिए नया डीजल शेड	Lucknow.—New Diesel Shed for 60 BG locos . .	10,91	7,19	3,72	..
	जगाधरी कारखाने का आधुनिकीकरण	Modernisation of Jagadhri Workshop . . .	37,82	29,79	5,79	2,24
	अम्बाला—बी सी एन/बी ओ एक्स एन डिपो की स्थापना	Ambala.—Setting up of BCN/BOXN Depot .	8,76	5,95	2,61	20
	पूर्वोत्तर रेलवे	**NORTH-EASTERN RAILWAY**				
	समस्तीपुर—दरभंगा मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव	Conversion of Samastipur-Darbhanga M.G. section into B.G.	28,43.00	413.80	0.01	2429.19
	वाराणसी—भटनी मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में बदलाव	Conversion of Varanasi-Bhatni M.G. Section into B.G.. . . .	89,52	83,74	5,28	50
	काशीपुर—लालकुंआ मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव	Conversion of Kashipur-Lalkua M.G. Section into B.G..	45,00.00	0.49	0.01	4499.50
	छपरा—औड़िहार मीटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन में बदलाव	Conversion of Chhapra-Aunrihar M.G. Section into B.G. . . .	85,13	2,40	13,50	69,23

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
पूर्वोत्तर रेलवे		NORTH EASTERN RAILWAY				
	दोहरी लाइन बिछाकर लाइन क्षमता का विकास–(चरण-I)	Development of line capacity (Phase-I) by doubling of	20,20	20,10	10	..
	(i) पिपरौंजिया–समस्तीपुर-उजियारपुर खंड (16.49 कि०मी०)	(i) Pitaunjia-Samastipur-Ujiarpur Section (16.49 Kms.)				
	(ii) बछवाड़ा–बरौनी खंड (16.40 कि०मी०)	(ii) Bachhwara-Barauni section.(16.40 Kms.)				
	(iii) समस्तीपुर में अतिरिक्त पैसेंजर लाइन	(iii) Additional Passenger line at Samastipur.				
	उजियारपुर-बछवाड़ा खण्ड में कहीं कहीं दोहरी लाइन बिछाना (चरण-II) (24.75 किमी)	Patch doubling (Phase-II) of Ujiarpur-Bachhwara section. (24.75 Kms.)	15,71	15,25	46	..
	दोहरी लाइन बिछाना–बरौनी-मुजफ्फरपुर खंड–सीहो (को छोड़कर) और रामदयालुनगर (सहित) के बीच (24.00 कि०मी०) (चरण-III)	Doubling of Barauni-Muzaffarpur section Phase-III between Siho (excluding) & Ramdayalunagar (including) 24.00 Kms. .	19,06	9,07	6,94	3,05
	गोंडा–फ्लैश बट वेल्डिंग संयंत्र की स्थापना	Gonda.—Setting up flash Butt welding plant. .	6,07	85	2,03	3,19
	समस्तीपुर में 50 रेल इंजन वाले मीटर लाइन डीजल शेड की व्यवस्था	M.G. Diesel shed for 50 locos at Samastipur. .	948.00	200.00	0.01	7,47.99
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		NORTHEAST FRONTIER RAILWAY				
	न्यू बोंगाईगांव–गुवाहटी मी० ला० का ब० ला० में बदलाव (163.15 कि० मी०)	Conversion of New Bongaigoan.—Guwahati MG Line into BG (163.15 Kms)	96,46	93,63	50	2,33
	कुमेदपुर और बरसोई (29.18 कि०मी०) और धूपाबाड़ी–न्यू-जलपाईगुड़ी (51.63 कि० मी०) के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना	Patch doubling between Kumedpur—Barsoi (29.18 Kms.) and Dhulabari-New Jalpaiguri (51.63 Kms.) .	80,29	74,49	5,00	80

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	**NORTHEAST FRONTIER RAILWAY**				
	मालदा टाउन—एकलाखी (19.00 कि०मी०) और हरिश्चन्द्रपुर कुमेदपुर (7.10 कि०मी०) के बीच कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना	Patch doubling between Malda Town—Eklakhi (19 Kms) and Harishchandrapur—Kumedpur (7.10 Kms).	24,88	22,04	2,50	34
	दोहरी लाइन बिछाना—बरसोई—डालखोला (29.05 कि०मी०) और धूलाबाड़ी अलुआबाड़ी (4.90 कि०मी०)	Doubling of Barsoi—Dalkhola (29.05 Kms.) and Dhulabari-Aluabari (4.90 Kms.)	24,39	22,51	1,50	38
	दोहरी लाइन बिछाना—अलुआबाड़ी रोड—किशनगंज (31.00 कि०मी०), न्यूजलपाईगुड़ी—अलुआबाड़ी फालाकाटा (9 कि०मी०) और महानन्दा ब्रिज के दोनों तरफ केबिन बनाना	Doubling of Aluabari Road-Kishanganj (31.00 Kms.), New Jalpaiguri—Ambari Falakata (9.00 Kms.) and Cabins on either side of Mahananda Bridge .	39,06	7,36	10,00	21,70
	दोहरी लाइन बिछाना—डालखोला—किशनगंज (28 कि०मी०)	Doubling of Dalkhola—Kishanganj (28 Kms.) .	21,00	2,30	3,00	15,70
	लमडिंग-बदरपुर—पहाड़ी खंड में थ्रूपुट बढ़ाना (चरण II)	Lumding-Badarpur—Increasing throughput on Hill Section (Phase-II) . .	7,58	6,84	49	25
	गुवाहाटी—डिब्रूगढ़ मी० ला० खंड का उन्नयन (चरण-1)	Upgradation of Guwahati-Dibrugarh MG Section (Phase-I) . . .	19,30	3,82	10,40	5,08
	जालुकबाड़ी-गुवाहाटी क्षेत्र में 0.3 कि०मी० पर सरायघाट पुल से शुरू होने वाला सहायक मालगाड़ी टर्मिनल (चरण I)—भूमि अधिग्रहण	Jalukbari—Auxilliary freight terminal in Guwahati area taking off from Saraighat Bridge at Km 0. 3(Phase-I)—Land acquisition .	7,08	1,60	4,00	1,48
	लमडिंग-तिनसुकिया खंड में अति उच्च आवृत्ति संपर्क	Ultra High Frequency link in Lumding-Tinsukia .	6,12	25	1	5,86
	दक्षिण रेलवे	**SOUTHERN RAILWAY**				
	मैसूर-बेंगलूर—मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव	Conversion of Mysore-Bangalore.—MG to BG..	79,87	63,15	15,98	74
	पट्टाभिराम और तिरुवल्लूर तीसरी लाइन	Pattabiram—Tiruvallur third line . . .	14,87	13,92	95	..
	कोल्लम—तिरुवनंतपुरम सेंट्रल दोहरी लाइन बिछाना	Doubling of Quilon-Trivandrum Central . . .	76,41	1,50	5,50	69,41
	कायन कुलम—कोल्लम के बीच दोहरी लाइन बिछाना (41 कि०मी०)	Doubling of Kayankulam-Quilon (41 Km) . .	34,11	9,46	13,81	10,84

(लाख रुपयों में (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण रेलवे	**SOUTHERN RAILWAY**				
	पालघाट-पोदनूर—युगल एकल लाइन सुविधा	Palghat—Podanur—Twin single line facilities . .	6,72 R. 5	49	3,90	2,33
	मद्रास बेंगलूर क्षेत्र सहित कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली	Madras.—Computerisation of Passenger Reservation System including Bangalore area.	19,85	19,00	85	..
	अरकोनम—समपार सं० 33 के बदले ऊपरी सड़क पुल	Arrakkonam.—Road over-bridge in lieu of level crossing No. 33 . .	9,10 R. 19	1,08	42	7,60
	शोरनूर-कालीकट—कमजोर पुल के बदले नया पुल सं० 943	Shoranur-Calicut.—Bridge No. 943-New Bridge in lieu of distressed bridge.	5,93	2,86	78	2,29
	मद्रास सेंट्रल—रूट रिले अंतर्पाशन का बदलाव	Madras Central.—Replacement of route relay interlocking . . .	R. 3 6,39	5,36	60	43
	मद्रास-मैसूर—घिसी-पिटी और पुरानी सूक्ष्म तरंग प्रणाली का बदलाव	Madras-Mysore.—Replacement of wornout obsolete micro-wave system. .	23,87	2,37	2,10	19,40
	अरकोणम-कारपाडी—10 स्टेशनों पर गतायु तथा पुराने और घिसे-पिटे यांत्रिक लीवर फ्रेमों और यांत्रिक सिगनल गियरों का बदलाव	Arakkonam-Katpadi.—Replacement of aged and wornout Mechanical lever frames and Mechanical Signalling gears at 10 stations. . . .	6,71	2,05	1,70	2,96
	पोनमलाई—कारखानों का आधुनिकीकरण	Ponmalai.—Modernisation of Workshops.	28,48 R. 1	22,14	4,10	2,24
	बेसिन ब्रिज—एकीकृत सवारी डिब्बा अनुरक्षण डिपो	Basin Bridge.—Integrated Coach amaintenance Depot	6,52 R. 2	3,62	1,13	1,77
	पैरम्बूर सवारी और माल डिब्बा कारखाना—आधुनिकीकरण—चरण-III	Modernisation of Perambur Carriage and Wagon Shops.—Phase-III . .	56,04	9,54	2,41	44,09
	अरकोणम—इंजीनियरी कारखाने का आधुनिकीकरण	Arakkonam.—Modernisation of Engineering Workshops.	6,76 R. 1	2,32	4,44	..
	दक्षिण मध्य रेलवे	**SOUTH CENTRAL RAILWAY**				
	मनमाड-परभनी—परली बैजनाथ (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन)	Conversion of Manmad-Parbhani-Parlivaijnath MG to BG. . . .	140,54 R. 55	42,08	10,54	87,92
	गुंटूर—माचेर्ला (मीटर लाइन से बड़ी लाइन (130.22 कि०मी०)	Guntur-Macherla (MG to BG) (130.22 kms.) . .	68,33 R. 2,40	61,00	1,93	5,40
	परभनी—पूर्णा और मुदखेड—आदिलाबाद (मीटर लाइन से बड़ी लाइन—(248 कि०मी०) और पूर्णा से मुदखेड तक समानान्तर बड़ी लाइन	Conversion of Parbhani-Purna & Mudkhed-Adilabad MG to BG and Parellel BG line from Purna to Mudkhed (248 Kms.) .	181,19 R. 39	6,84	8,50	1,65,85

(लाख रुपयों में)(Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No. निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
दक्षिण मध्य रेलवे		SOUTH CENTRAL RAILWAY				
दोहरी लाइन बिछाना—हैदराबाद—तेलापुर (27.57 कि०मी०)	रा०	Doubling between Hyderabad-Telapur (27.57 Kms.) . R.	23,98 2	20,25	3,73	..
वाडी—थानगुंडी (29.52 कि०मी०) और चेगुंटा—कृष्णा (9.29 कि०मी०)	रा०	Wadi-Thangudi(29.52 Kms.) and Chegunta-Krishna (9.29 Kms) . . . R.	26,48 27	23,38	2,52	58
दोहरी लाइन बिछाना—तेलापुर-नागलपल्लि (6.45 कि०मी०) शंकरपल्लि-नागुलापल्ली (10.97 कि०मी०) और शंकरपाली—गुल्लागुडा (11.61 कि०मी०) के बीच	रा०	Doubling between Telapur-Nagulapalli (6.45 Kms), Shankarapalli-Nagulapalli—(10.97Kms.) and Shankarapalli- Gullaguda. (11.61 Kms.) . R.	16,93 40	16,60	33	..
गुल्लागुडा और विकाराबाद के बीच दोहरी लाइन बिछाना (16.00 कि०मी०)	रा०	Doubling between Gullaguda and Vikarabad (16.00 Kms.) . . . . . R.	12,99 23	11,97	1,02	..
तांडूर—मलखेड रोड के बीच दोहरी लाइन बिछाना (45.60 कि०मी०)	रा०	Doubling between Tandur-Malkhaid Road (45.60 Kms.) . . . . R.	35,52 43	28,82	5,70	1,00
येरमरस-रायचूर—दोहरी लाइन बिछाना (9.06 कि०मी०)	रा०	Doubling between Yeramaras-Raichur (9.06 Kms.) . R.	7,78 1	7,58	20	..
रायचूर—मटमारी (17.05 कि०मी०) और कोसगी—कुपगल (13.61 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाना	रा०	Doubling between Raichur-Matmari(17.05 Kms.) and Kosgi-Kupgal (13.61 Kms.) R.	18,66 26	17,42	1,24	..
विकाराबाद—तांडूर के बीच दोहरी लाइन बिछाना (41.41 कि०मी०)		Doubling between Vikarabad Tandur (41.41 Kms.) .	46,84	21,27	9,30	16,27
मलखेड रोड—वाडी के बीच दोहरी लाइन बिछाना (24.86 कि०मी०)		Doubling between Malkhaid Road-Wadi (24.86 Kms.) .	20,12	15,32	4,80	..
थानगुंडी—चेगुंटा के बीच दोहरी लाइन बिछाना (43.40 कि०मी०)		Doubling between Thangundi-Chegunta (43.40 Kms.) .	29,16	19,91	7,09	2,16
कुपगल—अदोनी के बीच (14.40 कि०मी०) और नानचेरला—असपारी (22.30 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाना		Doubling between Kupgal-Adoni (14.40 Kms.) and Nancherla-Aspari (22.30 Kms.)	33,81	3,07	10,06	20,68

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण मध्य रेलवे	SOUTH CENTRAL RAILWAY				
	मौला-अली और सनतनगर के बीच प्रस्तावित कार्ड लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण	Land acquisition in connection with proposed chord line between Maula Ali and Sanatnagar	7,27	7,17	10	..
	मौला-अली और सनतनगर को जोड़ने वाली कार्ड लाइन	Chord line connecting Maula Ali and Sanatnagar	15,77	15,27	50	..
	सिकन्दराबाद—अतिरिक्त कोचिंग सुविधाएं और यार्ड ढांचे में परिवर्तन	Secunderabad.—Additional coaching facilities and remodelling of MG yard	9,79	63	5,61	3,55
	हैदराबाद क्षेत्र में—यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	Hyderabad Area.—Computerisation of Passenger Reservation System	10,00	9,60	40	..
	कोव्वूर और गोदावरी के बीच पुराने गोदावरी पुल का बदलाव	Replacement of old Godavari Bridge between Kovvur and Godavari	48,05	27,66	5,36	15,03
	हस्तवरम और नंदलूर के बीच पुल सं० 393 का पुनर्निर्माण (छैयार)	Rebuilding of Bridge No. 393 (Cheyyar) between Hastavaramu and Nandalur	26,61	20	1,95	24,46
	गंगायपल्ली और कमलापुरम के बीच पुल सं० 579 का पुनर्निर्माण (पापागनी)	Rebuilding of Bridge No. 579 (Papagni) between Gangayapalle and Kamalapuram	20,98	20	1,88	18,90
	कोलानूर और बिसुगिरशरीफ के बीच पुल सं० 66 और 67 का पुनर्निर्माण	Rebuilding of Bridge No. 66 and 67 between Kolanur Bisugirsheriff	5,99	80	2,61	2,58
	हुबली-लोंडा-वास्को-डि-गामा-मिरज सूक्ष्म तरंग प्रणाली	Hubli-Londa-Vasco-da-Gama-Miraj—Microwave system	7,01	1,96	82	4,23
	तिरुपति में दक्षिणी क्षेत्र के लिए बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों के लिए नया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना	New Carriage Repair Shop for BG coaches for South Zone at Tirupati	59,41	56,71	1,85	85
	रामगुंडम.—बी ओ एक्स 'एन' मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाएं	Ramgundam.—Maintenance facilities for BOX 'N' wagons.	6,72	4,54	1,12	1,06

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest Anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	SOUTH EASTERN RAILWAY				
	अम्बोडला—बिस्साम कटक और तिरूबली-गुमड के बीच कहीं कहीं दोहरी लाइन बिछाना (99.96 कि०मी०)	Patch doubling between Ambodala-Bissammcuttack and Tiruballi-Gumada (99.96 Kms.)	67,57	51,51	15,06	1,00
	तालेचर-कटक-पारादीप खण्ड (चरण-1) और रजतगढ़ से जोरंडा रोड खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाना (12 कि०मी०)	Doubling of Talcher-Cuttack-Paradeep section (Phase I) and Rajatgarh-Joranada Road (12 Kms.)	13,90	7,30	5,03	1,57
	गुमड-बोब्बिली के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Gumada-Bobbili	30,07	7,69	10,00	12,38
	जोरांडा रोड—हिन्डोल रोड के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Joranda Road-Hindol Road	24,30	1,00	9,92	13,38
	बोब्बिली—गजपतिनगरम के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Bobbili-Gajapatinagaram	25,25	1,50	6,00	17,75
	3.4 एम टी के लिए विशाखापतनम इस्पात संयंत्र परिधीय यार्ड के लिए रेल सुविधाएं चरण-II	Rail facilities for Visakhapatnam Steel Plant peri pheral yard for 3.4 M.T. Phase II	20,77	10,46	3,94	6,37
	विशाखापतनम—इस्पात संयंत्र के यातायात को संभालने के लिए रेल सुविधाएं—(चरण-I)	Visakhapatnam.—Rail facilities for dealing the steel plant traffic (Phase I)	56,64	43,99	3,27	9,38
	भिलाई विन्यास यार्ड का विस्तार चरण-II	Expansion of Bhilai Marshalling Yard (Phase II)	16,69	13,97	2,72	..
	1.2 एम० टी० के लिये विशाखापतनम इस्पात संयंत्र परिधीय यार्ड के लिए रेल सुविधाएं (चरण-I)	Rail facilities for Visakhapatnam Steel Plant peri pheral yard for 1.2 M.T. (Phase I)	41,38 Deposit 4,99	38,15	3,23	..
	तुनिया, भालूलटा और बागडेही में लूप लाइनें	Loop lines at Tunia, Bhalulata and Bagdehi	5,33	2,37	1,31	1,65
	कलूमना—माल टर्मिनल के लिए भूमि का अधिग्रहण	Kalumna.—Land acquisition for goods terminal	5,80	4,07	1,13	60
	के०के० लाइन के कोरापुट—किरन्दूल खंड पर लाइन क्षमता संबंधी कार्यों का ईष्टतम उपयोग (चरण-I)	Optimisation of line capacity works on Koraput-Kirandul Section of K. K. line (Phase-I)	18,45	12,01	6,44	..
	डंगोआ पोसी क्षेत्र और खड़गपुर को जोड़ने वाली राज खरसंवा बाई पास लाइन	Rajkharswan bye-pass line connecting Dangoaposi area and Kharagpur	निक्षेप Deposit 5,30 5,30	1,02	24	4,04

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित व्यय Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**				
	निरगुण्डि—केन्द्रपाड़ा रोड के बीच बीरूपा पुल संख्या 539 की उपसंरचना के गर्डर का बदलाव, आवरण लगाना और मजबूत बनाना रा०	Replacement of girders, recapping and strengthening of sub-structure of Berupa Bridge No. 539 between Nergundi and Kendrapara Road . . R.	5,72 5	4,64	1,00	8
	जखापुर-जेनापुर—पुल संख्या 449 अप के गर्डरों का बदलाव (ब्रह्मनी) रा०	Jakhapur-Jenapur.—Replace ment of girders of bridge No. 449 Up (Brahmani) R.	24,07 11	2,81	4,08	17,18
	(क) आद्रा—आनारा—चांडिल (93 कि०मी०) (ख) आद्रा—भोजुडीह—जामादोब (40 कि०मी०) में डाकतार विभाग के स्वामित्व वाले दूरसंचार केबुलों के बदले संचार के लिए रेलवे के अपने भूमिगत दूर संचार केबुल	Railway's own underground telecom cable for communication in replacement of P & T owned telecom cable in (a) Adra-Anara-Chandil (93 Kms.) (b) Adra-Bhojudih-Jamadoba (40 Kms.) ..	5,82	3,62	20	..
	टाटानगर—यांत्रिक लीवर फ्रेमों और भू गियरों का पूर्व और पश्चिमी केबिनों पर कांटों और सिगनलों के बिजली परिचालन द्वारा बदलाव	Tatanagar.—Replacement of mechanical lever frames and ground gears at East & West Cabins by power operation of points and signals	5,13	3,00	1,40	73
	टाटा-चक्रधरपुर—चांडिल और चक्रधरपुर-राउरकेला-बीरमित्रपुर—डाक तार विभाग के स्वामित्व वाले दूर संचार केबुल के बदले रेलवे के अपने दूरसंचार केबुल	Tata-Chakradharpur-Chandil and Chakradharpur-Rourkela-Birmitrapur.—Replacement of P&T owned telecomcable by railway's owned cable	14,02	6,13	2,63	5,26
	हावड़ा-खड़गपुर-टाटा-चक्रधरपुर-राउरकेला खंड पर दूर संचार विभाग के केबुलों के बदले रेलवे के अपने दूर संचार केबुल	Railway's own telecom cable in replacement of DOT's cable in Howrah-Kharagpur-Tata-Chakradharpur-Rourkela section	14,27	35	91	13,01
	चांडिल—लीवर फ्रेमों आदि का बिजली चलित उपस्करों में बदलाव	Chandil.—Replacement of lever frames etc. with power operated equipments	5,82	40	10	5,32
	चांडिल—दुर्ग खंड पर दस अतिरिक्त सब-स्टेशन	Ten additional sub-stations on Chandil-Durg section	26,78	22,71	2,12	1,95

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest Anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	दक्षिण पूर्व रेलवे	**SOUTH EASTERN RAILWAY**				
	वाल्टेयर—किरंदूल खंड पर बिजली सप्लाई सुदृढ़ करने के लिए रेलों द्वारा अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाकर एम पी ई बी से इकहरी प्वाइंट सप्लाई (चरण-1)	Single point supply from MPEB by running Railway's own transmission lines and strengthening of power supply arrangement on Waltair-Kirandul section (Phase I)	6,62	10	10	6,42
	खड़गपुर—कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-2)	Kharagpur.—Modernisation of workshop (Phase II) .	42,53	30,37	6,60	5,56
	संतरागाछी—मुख्य कोचिंग कम्पलेक्स का आधुनिकीकरण (चरण-1)	Santragachi.—Modernisation of major coaching complex (Phase I)	5,12	3,12	65	1,35
	बिलासपुर—बी सी एन माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाएं	Bilaspur.—Maintenance facilities for BCN wagons	6,34	86	34	5,14
	रायपुर—60 डीजल इंजनों वाले शेड का 100 डीजल इंजनों वाले शेड में विस्तार	Raipur.—60 locos Diesel Shed with further expansion to 100 locos .	22,09	8,59	96	12,54
	पारादीप—बी ओ एक्स एन/बी सी एन डिपो के लिए अनुरक्षण सुविधाएं	Paradeep.—Facilities for maintenance of BOXN/BCN depot .	7,00	80	32	5,88
	सम्बलपुर—नए मंडल की स्थापना	Sambalpur.—Setting up of New Division	10,57	3,09	6,08	1,40
	पश्चिम रेलवे	**WESTERN RAILWAY**				
	नडियाड से कपडवंज तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (44.64 कि०मी०)	Conversion of N.G. line from Nadiad to Kapadvanj into B.G. (44.64 Kms.)	18,80	4,88	6,00	792
	वीरमगांव से जोधपुर तक बड़ी लाइन का सीधा रेल मार्ग—भिलड़ी से वीरमगांव तक आमान परिवर्तन नई लाइन।	Direct BG Rail route from Viramgam to Jodhpur.—Gauge conversion/New line from Bhildi to Viramgam	155,66	10,00	1,00	144,66
	आगरा और बाड़मेर/जैसलमेर के बीच बड़ी लाइन का सीधा रेल संपर्क—चरण I—सवाई माधोपुर—जयपुर मीटर लाइन का आमान परिवर्तन और जयपुर से फुलेरा तक समानांतर बड़ी लाइन	Direct BG Rail link between Agra and Barmer/Jaisalmer (Phase I).—Conversion of Sawaimadhopur-Jaipur Metre Gauge and parallel Broad Gauge line from Jaipur to Phulera	185,85	8,00	12,00	165,85

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No. निर्माण-कार्यों का विवरण	Particulars of works	नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
पश्चिम रेलवे	**WESTERN RAILWAY**				
तीन इकहरी लाइन के टुकड़ों अर्थात्—अनास ब्रिज—पंचपिपला सुरंग और माही ब्रिज को दोहरा करना	Doubling of three single line stretches i.e. Anas Bridge-Panchpipalia Tunnel and Mahi Bridge	9,32	8,74	58	..
वलसाड 'ए' और वलसाड के बीच माही पुल सं० 624 पर दोहरी लाइन बिछाना	Doubling of Mahi Bridge No. 624 between Valsad 'A' and Valsad	6,97	4,64	1,83	50
शुजालपुर—कालापीपल के बीच दोहरी लाइन बिछाना (12.59 कि०मी०)	Doubling between Shujalpur-Kalapipal (12.59 Kms.)	9,05	6,43	2,62	..
पिरउमरोड—बेड़छा और बोलाई—अकोदिया के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Pirumrod-Bercha and Bolai-Akodia	22,60	9,07	11,69	1,84
बैरागढ़—बकानियां, भौंरी और बकानियां भौंरी—फंदा के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Bairagarh-Bakanian, Bhaunri-Bakanian and Bhaunri-Phanda	18,12	4,98	6,30	6,84
अमलनेर—टाकरखेड़े (12.16 कि०मी०) और टाकरखेड़े—धरन गांव (13.42 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Amalner-Takarkhede (12.16 Kms.) and Takarkhede-Dharangaon (13.42 Kms.)	17,48	2,16	2,05	13,27
कालापीपल—फंदा (43.49 कि०मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाना	Doubling between Kalapipal-Phanda (43.49 Kms.)	53,00	2	4,92	48,06
रतलाम—दहोद—नागदा, रतलाम और रुथियाई—मक्सी में कोयले की ढुलाई वाले मार्ग पर लाइन क्षमता संबंधी कार्य	Line capacity works on coal carrying route on Ratlam-Dohod-Nagda, Ratlam & Ruthiyai-Maksi	5,88	5,22	66	..
बांद्रा—टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाएं (चरण-I)	Bandra.—Terminal facilities (Phase I)	12,53	10,95	1,58	..
उधना—जलगांव खंड पर लाइन क्षमता संबंधी कार्य	Line capacity works on Udhna-Jalgaon	13,84	3,47	2,78	7,59
अहमदाबाद—यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	Ahmedabad.—Computerisation of Passenger Reservation System	10,04	9,50	54	..
भायंदर—नईगांव के बीच वसई क्रीक पर पुल सं० 73 और 75	Bridges No. 73 & 75 on Vasai Creek between Bhayandar and Naigaon.	43,11	42,44	67	..

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
	पश्चिम रेलवे	WESTERN RAILWAY				
	उधना—जलगांव गिरना पुल पुल सं० 374—नया पुल इकहरी लाइन	Udhna-Jalgaon.—Girna Bridge No. 374—New Bridge Single line	8,44	5	80	7,59
	आबूरोड-अजमेर—सूक्ष्मतरंग संचार-चरण—II	Abu Road-Ajmer.—Microwave Communication—Phase-II	6,38	2,65	69	3,04
	नागदा—भोपाल—29 स्टेशनों पर रन थ्रू लाइनों, और फेसिंग प्वाइंट से ब्लाक खंड सीमा बोर्ड तक रेलपथ सर्किटों और 18 स्टेशनों पर ब्लाक खंडों की जांच के लिए धुरा काउन्टर	Nagada-Bhopal Track Circuits on run through lines & facing points to block sections limit board at 29 stations & block proving by axle counters at 18 stations.	15,57	94	3,04	11,59
	गोधरा—रतलाम—तेज रफ्तार वाली टर्न आउटों पर सिगनल व्यवस्था का बदलाव	Godhra-Ratlam.—Replacement of signalling arrangements on High Speed turn outs	5,67.56	70.10	0.10	497.36
	नागदा—कोटा—25 स्टेशनों पर लूप लाइनों पर धुरा काउन्टर और चरण-II रेल पथ परिपथन	Nagda-Kota.—Axle counters on loop lines and Phase-II Track circuiting at 25 stations	6,08	51	1,39	4,18
	विरार—वडोदरा—चार स्टेशनों पर पेनल अंतर्पाशन और एक स्टेशन पर सालिड स्टेट अंतर्पाशन	Virar-Vadodara.—Panel Interlocking at 4 stations and Solid State inter locking at one station	7,84	45	2,44	4,95
	नाईगांव में कर्षण सब-स्टेशन	Traction Sub-station at Naigaon	6,47·15	0·10	50·92	5,96·13
	अजमेर—कारखाने का आधुनीकीकरण	Ajmer.—Modernisation of Workshop	32,89	24,00	6.00	2,89
	महू—मीटर लाइन डीजल इंजन शेड	Mhow.—MG Diesel Loco Shed	5,08	6	95	4,07
	दाहोद—बिजली रेल इंजनों के पुनर्स्थापन की सुविधा—ई आर डब्ल्यू	Dahod.—Electric locomotive Rehabilitation (ERW) facilities	20,00	1,72	2,53	15,75
	कोटा—मालडिब्बा कारखाना का आधुनीकरण	Kota.—Modernisation of Wagon Workshop	27,44	50	5,38	21,56
	प्रतापनगर—एल पी जी टंकी माल डिब्बे सहित टंकी मालडिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग का केन्द्रीकरण	Pratapnagar.—Centralising of Tank Wagon POH including LPG Tank wagon	8,00	20	26	7,54

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No. निर्माण-कार्य का विवरण Particulars of works		नवीनतम प्रत्याशित लागत Latest anticipated cost	1990-91 के अन्त तक अनुमानित खर्च Approximate expenditure to end of 1990-91	1991-92 के लिए व्यवस्था Provision for 1991-92	काम पूरा करने के लिए शेष रकम Balance to complete work
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	**CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS**				
बिजली रेल इंजनों के निर्माण की क्षमता 80 से 100 रेल इंजन तक बढ़ाना (चरण-II)	Augmentation of Electric Loco manufacturing capacity from 80 to 100 locos (Phase-II) . . .	14,95	4,68	501	5,26
बिजली रेल इंजनों के निर्माण की क्षमता 100 से 120 रेल इंजन तक बढ़ाना (चरण-III)	Augmentation of Electric Loco manufacturing capacity from 100—120 locos (Phase-III) . .	22,50	40	325	18,85
डीजल रेल इंजन कारखाना	**DIESEL LOCOMOTIVE WORKS**				
डी०रे०का० में 150 लोको/170 इंजन उत्पादन क्षमता का विस्तार	Augmentation of Production Capacity at DLW 150 Locos/170 Engines .	19,49	4,27	5,04	13,18
सवारी डिब्बा कारखाना	**INTEGRAL COACH FACTORY**				
स०डि०का० में अभिकल्प और विकास संबंधी सुविधाएं	Design and Development facilities at ICF . .	5,00	1,18	1,55	2,27
सवारी डिब्बा कारखाने का आधुनिकीकरण	Modernisation of ICF . .	67,90	57,53	9,38	99
पहिया और धुरा संयंत्र	**WHEEL AND AXLE PLANT**				
पहिया एवं धुरा संयंत्र की क्षमता में विस्तार	Augmentation of capacity of Wheel and Axle Plant	31,89	4,51	1,36	26,02
डीजल कल पुर्जा कारखाना	**DIESEL COMPONENT WORKS**				
पटियाला में डीजल कल-पुर्जा कारखाने की स्थापना (चरण-I)	Setting up of Diesel Component Works at Patiala (Phase-I)	1,17,62	1,08,59	64	8,39
पटियाला में डीजल कल-पुर्जा कारखाने की स्थापना (चरण-II)	Setting up of Diesel Component Works at Patiala (Phase-II) . . .	1,18,17	54,33	7,77	56,07
रेल सवारी डिब्बा कारखाना	**RAIL COACH FACTORY**				
कपूरथला—सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना	Kapurthala.—Setting up of Rail Coach Factory for manufacturing passenger coaches	5,22,11	2,59,73	47,27	2,15,11
अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन	**RESEARCH, DESIGN AND STANDARD ORGANISATION**				
मुगलसराय में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन के लिए रेलपथ परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था।	Test Track facility for RDSO at Mughalsarai . .	5,98	1,47	9	4,42
लखनऊ—श्रांति परीक्षण प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण	Lucknow.—Modernisation of Fatigue Testing Laboratory.	5,56	3	5	5,48

परिशिष्ट II
APPENDIX II

यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं

Passenger Amenities and Other Railway Users' Amenities

1991-92

परिशिष्ट
APPENDIX

1991-92 में यात्रियों और अन्य रेल उपयोगकर्ताओं
Expenditure proposed on Passenger Amenities and

रेलवे RAILWAYS		यात्री सुविधायें Passenger Amenities							
		सवारी डिब्बों में पानी भरने, यात्रियों के लिए स्टेशनों पर पानी की सप्लाई के लिए स्टेशनों पर ऊपरी और/या भूतलीय प्रबन्ध, जिसमें केवल सवारी गाड़ियों पर पानी की सामान्य व्यवस्था ही शामिल नहीं है अपितु रेल उपयोगकर्ताओं के लिए जल शोधक संयंत्र, बिजली-चालित या साधारण जलशीतक, पानी के ठेले आदि की व्यवस्था भी शामिल है। Provision of overhead and/or ground level arrangements at stations for filling water in Carriages, water supply at stations for the use of passengers, including not only general water supply arrangements which are used for providing water in carriages but also purification plants installed, water coolers—electric or otherwise, water trollies etc. provided for use of passengers.	प्रतीक्षालयों, जिनमें प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और दूसरी तरह की बेंचों की व्यवस्था तथा रेल-उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा सम्बन्धी वर्तमान प्रबन्धों में सुधार या विस्तार शामिल हैं। Waiting accommodation including reinforced cement concrete and other types of benches at stations including extension or improvements to existing arrangements to meet the requirements of railway passengers.	ठेके के अनुसार विक्रेता अपने खर्च पर जो व्यवस्था करते हैं, उसके अतिरिक्त रेल उपयोगकर्ताओं के लिए स्टेशनों पर भोजनालय, विश्रामालय और दूसरी चीजों की दुकानों की व्यवस्था Refreshment Rooms, Retiring Rooms and vendors' stalls of all descriptions at stations provided for catering to railway passengers, except those which the vendors are required by contract to provide at their own cost.	स्टेशनों पर रेल उपयोगकर्ताओं के इस्तेमाल के लिए शौचालयों की व्यवस्था अथवा उनमें सुधार Provision or improvement of latrines provided for railway passengers at stations.	रेल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध सुधार अर्थात् स्टेशनों, प्लेटफार्मों पर बैठने के स्थान, झाड़ियों की बाड़ और छायादार पेड़ों आदि की व्यवस्था Miscellaneous improvements, *viz.*, provision of seats, hedges, shade-trees on platforms, at stations to cater to the needs of railway passengers.	यात्रियों के उपयोग के लिए स्टेशनों पर नहाने की सुविधाएं Bathing facilities at stations for use of passengers.	यात्रियों को अधिक अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्तमान सवारी डिब्बों में सुधार जैसे पंखों की व्यवस्था, रोशनी और शौचालयों में सुधार, डिब्बों की छत में विशेष विसंवाहकों की व्यवस्था, सवारी डिब्बों में पानी की बड़ी टंकियों और अच्छे सामान की फिटिंग आदि और दूसरे दर्जे के मौजूदा यानयानों में गद्दियों की व्यवस्था Improvement to existing carriages such as provision of fans, improved lighting and lavatories, special insulation in roofs, bigger water tanks in carriages, better fittings etc., intended to provide improved facilities to railway passengers etc.	रेल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लेटफार्मों या प्रतीक्षालयों और शेडों या स्टेशनों पर खाने-पीने की दुकानों में बेहतर रोशनी और पंखों की व्यवस्था Improved lighting and provision of fans on platforms or in waiting halls and sheds or vendor's stalls at stations to cater to the requirements of railway passengers
1		2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	Central	86,18	53,54	54,42	5,00	4,28	10,50	71,71	7,00
पूर्व	Eastern	1,35,59	72,11	20,08	29,96	41,62	20	23,54	53,35
उत्तर	Northern	65,95	93,00	8,00	8,38	..	..	..	35,04
पूर्वोत्तर	Northeastern	..	3,00	..	..	12,64	..	..	5,40
पूर्वोत्तर सीमा	Northeast Frontier	22,50	40,57	8,25	6,25	5,00	5,00	1	13,00
दक्षिण	Southern	64,36	61,17	10,74	2,40	1,46,54	5,00	..	39,66
दक्षिण-मध्य	South Central	78,49	3,14,28	3,52	26,60	15,86	..	..	22,10
दक्षिण पूर्व	Southeastern	72,05	74,88	..	24,75	..	..	..	..
पश्चिम	Western	47,78	53,55	1,00	26,09	..	..	2,10	32,75
जोड़ TOTAL		5,27,13	7,66,10	1,06,01	1,29,43	2,25,94	20,70	£97,36	2,08,30

£ इसमें दूसरे दर्जे के पुराने सवारी डिब्बों की शायिकाओं को गद्दीदार बनाने के लिए 28.65 लाख रुपये शामिल हैं।

£ Includes Rs. 28.65 lakhs for providing cushions in old second class sleeper coaches

II

II

के लिए सुविधाओं पर प्रस्तावित खर्च

Other Railway Users' Amenities in 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

					अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं Other Railway Users' Amenities									
यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टेशनों पर शीशे लगे चौखटों में समय सारणी की व्यवस्था Exhibition of time table sheets in glass fronted frames to serve the requirements of passengers.	पिछले सभी शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली सुविधाएं जो रेल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेलों के संबंध में दी गयी हों और जो 6 महीने से अधिक अवधि के लिए आवश्यक हों Works under all the above heads meant to cater to railway passengers provided in connection with melas and required for periods exceeding 6 months.	रेल यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी स्टेशन पर जरूरी समझे गये दूसरे काम जैसे सूचना कार्यालय या कियोस्क और लाउड-स्पीकरों आदि Any other work considered essential for meeting the requirements of railway passengers at any stations, *e.g.*, Information Offices or Kiosks, public announcement systems etc.	यात्री आरक्षण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण Compurierisation of Passenger Reservation system.	जोड़ TOTAL	जल शीतकों, पानी की ट्रालियों सहित पीने का पानी Arrangements for drinking water including water coolers, water trollies etc.	विभिन्न किस्म की बेंचों सहित प्रतीक्षास्थलों की व्यवस्था Waiting accommodation, including provision of various types of benches.	जलपान-गृहों और विक्रेताओं के स्टालों की व्यवस्था, जिनमें ठेकेदारों द्वारा अपनी लागत पर मुहैय्या किये जाने वाले जलपान-गृह और स्टाल शामिल नहीं है Refreshment rooms and Vendors' Stalls, except those that a contractor has to provide at his own cost	शौचालय Latrines	विविध सुधार जैसे सीटों, झाड़ियों की बाड़ और छायादार पेड़ों की व्यवस्था Miscellaneous improvements, namely provision of seats, hedges and shade-trees.	रोशनी और पंखों की व्यवस्था Lighting arrangements and provision of fans.	कोई अन्य अपेक्षित कार्य जैसे पूछताछ कार्यालय सूचना केन्द्र आदि Any other work considered essential, *e.g.*, Enquiry Offices/Information Centres etc.	उपर्युक्त शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाले काम जो मेलों के संबंध में हों और 6 महीने से अधिक अवधि के लिए आवश्यक हों Work under the above heads provided in connection with melas and required for periods exceeding 6 months.	जोड़ TOTAL	कुल जोड़ GRAND TOTAL
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2,06	..	1,05,87	4,42,95	8,43,51	4,00	4,00	4,00	..	..	4,00	8,00	..	24,00	8,67,51
..	..	1,80,92	1,13,48	6,55,85	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,55,85
...	...	1,07,23	3,29,80	6,62,40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,62,40
..	..	78,96	59,01	1,59,01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,59,01
...	...	55,25	14,00	1,69,83	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,69,83
3,00	..	1,30,09	1,57,00	6,19,99	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,19,99
...	...	..	62,11	5,22,96	..	..	..	..	15,00	..	..	..	15,00	5,37,96
..	...	2,43,62	30,00	4,45,30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4,45,30
70	28,32	1,63,01	3,32,50	6,87,80	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,87,80
5,76	28,32	*9,24,95	†15,40,85	47,66,85	4,00	4,00	4,00	..	15,00	4,00	8,00	..	39,00	48,05,65

* इसमें अन्य योजना शीर्षों के अन्तर्गत यात्री सुविधा कार्यों के लिए 164.80 लाख रुपये शामिल हैं।

* Includes Rs. 164.80 lakhs for Passenger Amenity works under other Planheads.

† योजना शीर्ष "कम्प्यूटरीकरण" के अंतर्गत इस लेखे में व्यवस्था शामिल है।

† Provision on this account has been included under the Planhead 'Computerisatiou'.

परिशिष्ट III

कर्मचारियों के कल्याण पर प्रस्तावित खर्च 1991-92

APPENDIX III

Expenditure Proposed on Staff Welfare 1991-92

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

रेलवे Railways	निर्माण कार्य WORKS			अन्य सेवाएं OTHER SERVICES						
	कर्मचारियों के लिए सुविधाएं Amenities for Staff	कर्मचारियों के लिए क्वार्टर Staff Quarters	जोड़ Total	चिकित्सा संबंधी खर्च Medical expenses	स्वास्थ्य और कल्याण सेवाएं Health & Welfare services	शिक्षा Education	कर्मचारी प्रशिक्षण Staff Training	कर्मचारियों के लिए कैन्टीन और अन्य सुविधाएं Canteens and other staff Amenities	जोड़ Total	कुल जोड़ Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य Central	7,85,99	5,12,81	12,98,80	14,85,60	7,11,14	2,16,78	6,50,60	1,34,84	31,98,96	44,97,76
पूर्व Eastern	4,58,33	6,92,65	11,50,98	18,41,86	8,48,27	3,67,75	4,94,44	1,11,91	36,64,23	48,15,21
उत्तर Northern	4,57,98	5,52,23	10,10,26	19,53,74	10,69,44	2,72,25	6,56,25	1,00,97	40,52,65	50,62,91
पूर्वोत्तर Northeastern	2,57,08	1,07,64	3,64,72	9,38,82	4,01,89	1,20,41	1,95,86	25,96	16,82,94	20,47,66
पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	3,36,80	3,10,70	6,47,50	9,71,60	5,76,61	2,77,83	2,61,02	17,90	21,04,96	27,52,46
दक्षिण Southern	2,90,77	6,27,28	9,18,05	15,84,12	5,38,07	2,31,46	2,54,42	73,74	26,81,81	35,99,86
दक्षिण-मध्य South Central	3,58,40	4,51,87	8,10,27	11,41,42	4,47,45	5,34,64	3,84,02	69,01	25,76,54	33,86,81
दक्षिण-पूर्व South Eastern	8,42,59	8,76,32	17,18,91	14,06,27	10,47,50	7,93,87	3,72,68	77,65	36,97,97	54,16,88
पश्चिम Western	4,21,24	4,20,59	8,41,83	16,84,72	7,40,49	4,17,32	5,53,90	95,93	34,92,36	43,34,19
मेट्रो रेलवे Metro Railway	..	..	..	5,00	..	..	2,05	..	7,05	7,05
रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	..	6,46,53	6,46,53	..	..	..	..	..	..	6,46,53
पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant	5,76	50,00	55,76	..	..	..	..	..	..	55.76
डीजल कल-पुर्जा कारखाना W.M.S. (Overheads)	6,77	..	6,77	..	..	..	..	..	..	6,77
अ०अ०मा०सं० R.D.S.O.	11,02	3,50	14,52	..	..	..	..	..	..	14,52
सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	6,95	1,08,50	1,15,45	..	..	..	..	..	..	1,15,45
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	87,92	..	87,92	..	..	..	..	..	..	87,92
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	49,72	1,22,67	1,72,39	..	..	..	..	..	..	1,72,39
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	1,47,43	..	1,47,43	..	..	..	..	..	..	1,47,43
डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	..	59,28	59,28	..	..	..	..	..	..	59,28
का०नि०उ० (ऊपरी खर्च) W.M.S. (Overheads)	1,47,09	..	1,47,09	..	..	..	..	..	..	1,47,09
जोड़ TOTAL	£42,82,63	*55,42,62	98,25,25	130,13,15	63,80,86	32,32,31	38,25,24	7,07,9..	271,59,47	369,84,72
(2) का०नि०उ० W.M.S. (Overheads)	3,89,21	..	3,89,21	..	..	..	..	..	..	3,89,21

£इसमें कर्मचारियों के लिए सुविधाओं के लिए 982.23 लाख रुपये शामिल हैं। जो विभिन्न योजना शीर्षों के अन्तर्गत इसके भाग के रूप में हैं

£Includes Rs. 982.23 lakhs for Amenities for staff forming part of Schemes.

*इसमें क्वार्टरों के लिए 1741.31 लाख रुपये शामिल हैं। जो विभिन्न योजना शीर्षों के अंतर्गत योजनाओं के भाग के रूप में हैं

*Includes Rs. 1741.31 lakhs for quarters forming part of Schemes under various plan heads.

परिशिष्ट IV
APPENDIX IV

योजना शीर्ष और रेलवे वार योजना व्यय

Plan head and Railway wise Plan expenditure during 1991-92

परिशिष्ट
APPENDIX

1990-91 के दौरान योजना शीर्ष और रेलवे वार योजना-व्यय

योजना शीर्ष Plan Head	रेलवे RAILWAY						
	मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पूर्वोत्तर North-eastern	पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	दक्षिण Southern	दक्षिण-मध्य South Central
1	2	3	4	5	6	7	8
(क) नयी लाइनों का (निर्माण) (a) New Lines (Construction)	37,00,00	3,00,00	21,20,00	15,00,00	63,18,34	28,50,00	10,69,95
(ख) नयी लाइनों की खरीद (b) Purchase of New Lines	..	..	..	..	..	..	..
(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाना (c) Restoration of Dismantled lines	..	..	..	15,00,00	..	..	..
(घ) आमान परिवर्तन (d) Gauge Conversion	..	..	24,77,89	18,78,02	50,00	15,98,00	20,96,09
(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (e) Doubling	52,00,00	50,00,00	30,00,00	7,50,00	22,00,00	21,00,00	47,00,00
(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य काम (f) Traffic Facilities—Yard Remodelling and others	27,17,00	45,41,78	32,24,56	4,06,00	8,71,85	13,44,91	14,84,00
(छ) संगणकीकरण (g) Computerisation	5,57,60	1,86,28	26,65,33	77,43	38,98	2,36,51	1,88,62
(ज) रेल अनुसंधान (h) Railway Research	..	..	..	..	..	10,00	13,80
(झ) चल स्टाक (i) Rolling Stock	3,96,54	9,67,40	3,86,47	2,27,07	51,76	3,48,65	3,02,14
(ञ) रेल पथ का नवीकरण (j) Track Renewals	1,76,00,00	161,00,00	185,00,00	38,00,00	48,58,47	101,00,00	131,02,00
(ट) पुल संबंधी काम (k) Bridge Works	6,52,70	8,48,29	12,84,75	4,67,25	5,97,31	7,75,27	21,45,93
(ठ) सिगनल और दूर संचार संबंधी काम (l) Signalling and Telecommunication works	16,01,57	26,70,66	15,41,86	10,37,72	6,40,30	12,29,74	13,00,62
(ड) डाक-तार विभाग से लाइन तारों का लिया जाना (m) Taking over of line wires from P&T	..	..	..	..	..	..	..
(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (n) Electrification Projects	2,75,00	..	..	..	..	..	..
(ण) विद्युत संबंधी अन्य कार्य (o) Other Electrical Works	9,92,67	10,70,24	18,33,40	2,20,00	2,24,81	5,65,34	4,67,93
(त) मशीन और संयंत्र (p) Machinery and Plant	15,78,68	11,74,52	8,35,08	3,68,77	7,24,69	7,78,47	9,64,13
(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (q) Workshops—including Production Units	38,01,19	54,60,15	19,49,87	5,12,99	2,01,04	16,93,95	13,25,19

IV

Plan Head and Railway-wise Plan expenditure during 1991 92

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

दक्षिण-पूर्व South Eastern	पश्चिम Western	चितरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	पहिया और धुरा संयंत्र Wheel and Axle Plant	रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	डीजल कल पुर्जा कारखाना Diesel Component Works	रेल सवारी डिब्बा Rail Coach Factory	रेलवे बोर्ड चल-स्टाक Railway Board (Rolling Stock)	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	अ०अ० मा०सं० R.D.S.O.	जोड़ Total
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
58,00,05	12,43,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	249,01,34
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15,00,00
..	19,00,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	100,00,00
52,00,00	30,00,00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	311,50,00
39,17,36	16,36,60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	211,44,06
98,40	4,43,85	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7,00	45,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4,76,20	5,00,00
[illegible],60,65	3,93,86	..	..	..	..	..	..	..	572,50,01	..	..	607,84,55
233,00,43	160,00,00	..	..	73,84	..	..	..	..	..	..	..	1234,34,74
12,55,00	10,63,59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	90,90,09
14,91,87	20,32,22	3,69	..	4,60	..	..	..	..	..	..	21,00	135,75,85
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
20,00	..	..	..	..	..	232,05,00	..	..	..	..	..	235,00,00
9,83,70	5,72,60	44,86	..	..	..	..	..	..	..	..	26,45	70,02,00
7,11,18	18,51,96	11,20,01	6,44,94	5,98,95	1,48,37	..	..	..	..	..	..	115,00,25
17,10,31	23,40,09	11,80,25	4,54,55	11,07,69	2,15,61	..	8,40,68	47,27,39	..	..	..	275,20,95

परिशिष्ट
APPENDIX

योजना शीर्ष और रेलवेवार
Plan Head and Railway-wise

योजना शीर्ष Plan Head	रेलवे RAILWAY						
	मध्य Central	पूर्व Eastern	उत्तर Northern	पूर्वोत्तर North-eastern	पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	दक्षिण Southern	दक्षिण मध्य South Central
1	2	3	4	5	6	7	8
(द) कर्मचारियोंके लिए क्वार्टर (r) Staff Quarters	4,66,83	5,47,79	5,52,28	1,07,64	2,77,00	4,80,46	2,69,12
(ध) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (s) Amenities for staff	5,70,21	3,99,00	3,73,99	1,85,21	2,21,95	2,86,27	3,15,7[illegible]
(न) (1) यात्री सुविधाएं (t) (i) Passenger Amenities	3,96,56	5,32,83	2,84,60	90,00	1,45,82	4,56,19	4,71,85
(2) रेल उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सुविधाएं (ii) Other Railway Users' Amenities	..	..	..	..	..	..	..
(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश—सार्वजनिक उपक्रम (u) Investment in Government Commercial Undertakings — Public Undertakings :							
(i) भा०र०वि०नि० (i) IRFC	..	..	1,00,00	..	..	..	..
(ii) भा०क०नि० (ii) CONCOR	..	..	14,00,00	..	..	..	..
(iii) को.रे.नि. (iii) K.R.C.	..	..	51,00,00	..	..	..	..
(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other Specified Works	3,74,37	5,30,94	4,26,54	57,35	1,55,48	1,33,94	4,57,46
(ब) भंडार उचंत (शुद्ध) (w) Stores Suspense (Net)	—73,01	4,84,66	—22,87,74	—5,54,14	2,87,45	—4,68,32	—11,16,04
(भ) निर्माण उचन्त (शुद्ध) (x) Manufacture Suspense (Net)	—53,13	—9,44,08	4,16,47	—1,91,18	—52,99	—17,27	14,17
(म) विविध अग्रिम (शुद्ध) (y) Miscellaneous Advances (Net)	27,50	33,00	9,90,00	15,00	..	—50,00	—51,31
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	..	1,00,00	..	..	..	..	..
जमा या वसूलियां Credit or Recoveries	—60,83,07	—32,24,70	—50,03,50	—6,46,88	—4,05,35	—28,20,38	—28,77,62
जोड़ TOTAL	346,99,21	367,78,76	421,71,85	118,08,25	184,04,91	216,31,73	266,43,73

@इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाने वाले 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

*बम्बई (37,40,30) कलकत्ता (105,00,00), दिल्ली (10,00) और मद्रास (17,00,00)।

£मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के लिए।

@Excludes Rs 1500 crores (Budget Estimate 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market, for financing the Railway Plan.

*Bombay (37,40,30) Calcutta (105,00,00), Delhi (10,00) and Madras (17,00,00).

£For Metro Railway, Calcutta.

IV
IV

योजना व्यय 1990-91 (समाप्त)
Plan expenditure during 1991-92 (Concld.)

(हजार रुपयों में) (Figures in thousands of rupees)

दक्षिण पूर्व South Eastern	पश्चिम Western	चितरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	पहिया और धुरा संयंत्र Wheel and Axle Plant	रेल विद्युतीकरण Railway Electrification	डीजल कल पुर्जा कारखाना Diesel Component Works	रेल सवारी डिब्बा कारखाना Rail Coach Factory	रेलवे बोर्ड (चल-स्टाक) Railway Board (Rolling Stock)	महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	अ०अ० मा०सं० R.D. S.O.	जोड़ Total
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,53,12	2,08,12	1,22,67	59,28	1,03,50	50,00	..	..	..	..	..	3,50	38,01,31
6,16,09	2,69,29	44,72	..	6,95	..	..	..	..	..	..	11,02	33,00,40
4,06,30	3,18,20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31,00,35
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		14,00,00
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	51,00,00
11,87,64	3,02,03	62,00	..	..	..	..	..	..	..	..	13,35	37,01,10
1,84,89	2,23,08	13,99,28	10,71,59	—1,92,50	—1,78,44	..	5,86,00	5,94,10	..	£1,73	..	—37,41
77,19	—3,31,54	6,25,37	7,97,11	2,32,71	8,63,00	..	6,33,00	7,04,29	..	..	..	27,73,12
..	..	..	..	10	1,00,00	..	..	2,00,00	15,00,00	..	..	27,64,29
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	*165,50,30	..	166,50,30
—36,32,83	—54,01,41	..	..	..	—1,55	..	..	—10,00	..	—1,50,00	..	—302,57,29
443,41,35	280,65,54	46,02,85	30,27,47	19,35,84	11,97,49	232,05,00	20,59,68	62,15,78	587,50,01	164,02,03	5,58,52	@3825,00,00

परिशिष्ट V
भारतीय रेलों का तुलन-पत्र

APPENDIX V
BALANCE SHEET OF INDIAN RAILWAYS

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

		31-3-1989 को As on 31-3-1989	31-3-1990 को As on 31-3-1990
देयताएं	**LIABILITIES**		
1. (क) निम्नलिखित से निवेश :—	1. (*a*) Investments financed from : –		
(i) पूंजी ऋण (सामान्य राजकोष से अग्रिम)	(*i*) Loan Capital (advanced by General Exchequer)	12987,51	14629,45
(ii) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(*ii*) Depreciation Reserve Fund	2571,22	3201,10
(iii) विकास निधि	(*iii*) Development Fund	1036,65	1161,22
(iv) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(*iv*) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	251,73	306,38
(v) राजस्व	(*v*) Revenue	387,94	428,07
(ख) विविध	(*b*) Miscellaneous	4,37	4.37
(ग) जोड़	(*c*) Total	17239,42	19730,59
2. रेलवे आरक्षित निधियां :—	2. Railway Reserve Funds :—		
(i) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(*i*) Depreciation Reserve Fund	520,10	725.74
(ii) राजस्व आरक्षित निधि	(*ii*) Revenue Reserve Fund	59	0,61
*(iii) विकास निधि	*(*iii*) Development Fund	.	..
(iv) पेंशन निधि	(*iv*) Pension Fund	52,90	13,23
(v) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(*v*) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	42,62	48,70
(vi) जोड़	(*vi*) TOTAL	616,21	788,28
3. बैंक खाता :—	3. Banking Account : –		
(i) भविष्य निधियां आदि	(*i*) Provident Funds etc.	1739,54	1958.42
(ii) विविध जमा, अग्रिम आदि	(*ii*) Miscellaneous Deposits, Advances, etc.	604,58	540,78
(iii) जोड़	(*iii*) TOTAL	2344,12	2499,20
4. देय मांगें (अर्थात् वर्ष के अन्त में बाकी तथा भुगतान न की गयी दायिताएं)	4. Demands payable (*i.e.*, liabilities remaining undischarged at the end of the year)	255,87	282,64
5. अन्तर्विभागीय आदि संव्यवहारों के कारण शुद्ध दायिता	5. Net liability arising out of inter-departmental, etc. transactions	582,32	700,54
कुल जोड़	GRAND TOTAL	21037,94	24001,25
परिसम्पत्तियां	**ASSETS**		
1. हस्ते रोकड़	1. Cash in hand	378,01	442,51
2. ब्लाक परिसम्पत्तियां (दुतरफा मद 1)	2. Block Assets (Contra item I)	17239,42	19730,59
3. केन्द्रीय सरकार के अधीन निधियां (दुतरफा मद 2 और 3)	3. Funds with the Central Government (Contra item 2 and 3)	2960,33	3287,48
4. वसूल या समायोजित किये जाने वाले विविध अग्रिम (फुटकर देनदार)	4. Miscellaneous Advances (sundry debtors) to be recovered or adjusted	79,16	79,16
5. यातायात से आमदनी (वर्ष के अन्त तक की जिसकी वसूली नहीं हुई)	5. Traffic earnings (yet to be realised at the end of the year)	268,47	357,08
6. मदें जिनका समायोजन सिविल विभागों, राज्य सरकारों आदि के साथ होना बाकी है	6. Items awaiting adjustment with Civil Departments, State Governments, etc.	57,90	44.72
7. वसूलनीय मांगें	7. Demands recoverable	54,65	59,71
जोड़	TOTAL	21037,94	24001,25

*विकास निधि के अन्तर्गत दिखाये गये आंकड़े शुद्ध राजस्व अधिशेष के विनियोग और वर्ष में निधि से निकाली गयी रकम के बाद शेष राशि के सूचक हैं ।

£*इसमें महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) से संबंधित 1988-89 और 1989-90 के क्रमश: 725,78 लाख रुपये और 827,00 लाख रुपये और मार्च, 1990 तक सर्कुलर रेलवे से सम्बन्धित 3020 लाख रुपये शामिल नहीं हैं ।

*The figure under Development Fund represents the balance remaining in the Fund after Appropriation of the Net Revenue Surplus and withdrawal from the Fund during the year.

£Excludes Rs. 725,78 and Rs. 827,00 lakhs pertaining to MTP (Railways) for the years 1988-89 and 1989-90 respectively. and Rs. 30,20 lakhs pertaining to Circular Railway upto March, 1990

परिशिष्ट VI — APPENDIX VI

भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी — Capital-at-charge of Indian Government Railways

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupeess)

प्रशासन	Administration	वास्तविक 1989-90 Actuals	संशोधित अनुमान 1990-91 R.E.	बजट अनुमान 1991-92 B.E.
मध्य	Central	1768,93	1920,49	2063,28
पूर्व	Eastern	1308,98	1416,21	1530,26
उत्तर	Northern	2088,61	2308,28	2530,78
पूर्वोत्तर	North Eastern	551,75	581,15	628,28
पूर्वोत्तर-सीमा	Northeast Frontier	694,29	79,864	900,04
दक्षिण	Southern	1191,01	1301,16	1389,31
दक्षिण-मध्य	South Central	1351,91	1460,01	1561,33
दक्षिण-पूर्व	South Eastern	2004,88	2193,03	2370,26
पश्चिम	Western	1380,86	14,7938	1573,55
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	Chittaranjan Locomotive Works	156,98	177,26	213,90
डीजल रेल इंजन कारखाना	Diesel Locomotive Works	97,88	120,79	144,91
सवारी डिब्बा कारखाना	Integral Coach Factory	118,09	142,52	151,69
पहिया एवं धुरा संयंत्र	Wheel and Axle Plant	178,62	188,56	200,53
डीजल कल पुर्जा कारखाना	Diesel Component Works	170,12	184,51	205,11
रेलवे विद्युतीकरण	Railway Electrification	1299,44	1528,95	1742,00
रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला	Rail Coach Factory, Kapurthala	265,62	288,25	350,40
रेलवे बोर्ड और अन्य विविध मदें	Railway Board and other Miscellaneous items	1,48	1,85	64,39
जोड़—भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी	TOTAL—Capital-at-charge of Indian Government Railways	14529,45	16091,04	17620,02
महानगर परिवहन परियोजना —बम्बई	Metropolitan Transport Project, Bombay	42,77	65,77	98,17
कलकत्ता	Calcutta	706,46	796,35	914,87
दिल्ली	Delhi	33,66	33.71	33,81
मद्रास	Madras	44,11	54,11	67,12
जोड़	TOTAL	827,00	949,94	1113,97
सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता	Circular Railway, Calcutta	30,20	32,67	33,66
कुल पूंजी—महानगर परिवहन परियोजनाओं तथा सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता पर परिव्यय सहित	**Total Capital—including outlay on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta**	15486,65	17073,65	18767,65

टिप्पणी

1—पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर-सीमा रेलों के आंकड़ों में भूतपूर्व असम रेलवे, भूतपूर्व ईस्टर्न पंजाब रेलवे और भूतपूर्व बंगाल-असम रेलवे के भागों की ब्याजदेय पूंजी की अनुमानित रकम भी शामिल है।

2—1949-50 में भारत की सरकारी रेलों में मिलायी गयी भूतपूर्व रियासती रेलों और 1-4-1950 से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में आने वाली चालित लाइनों की ब्याजदेय पूंजी, जो लगभग 63.76 करोड़ रुपये है, संबंधित रेलों की, जिनका अब ये हिस्सा है, पूंजी में जोड़ दी गयी है, लेकिन यह अभी अनन्तिम है।

NOTE

1. The figures against the Eastern, Northern, North-Eastern and Northeast Frontier Railways include the estimated Capital-at-Charge of the portions of ex-Assam Railway, ex-Eastern Punjab Railway and ex-Bengal Assam Railway.

2. The Capital-at-Charge of ex-States lines amalgamated with Government Railways during 1949-50 and of worked lines which vested in the Centre from 1-4-1950, amounting to about 63.76 croares, which has been added to the capital of the respective Railways of which they now form part, is still provisional.

परिशिष्ट VII

पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि या दुर्घटना क्षतिपूर्ति संरक्षा व यात्री सुविधा निधि से वित्त पोषित विभिन्न कोटि की रेल परिसम्पत्तियों का 31 मार्च, 1990 को कुल मूल्य ।

भारत की सरकारी रेलों की ब्याजदेय पूंजी, जैसी कि लेखों में दिखायी गई है, रेलों में निवेश के लिए सामान्य राजस्व द्वारा दी गयी रकम है, इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि या विकास निधि या दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा व यात्री सुविधा निधि या राजस्व से खरीदी गयी परिसम्पत्तियों की लागत शामिल नहीं है । इसके विपरीत, ब्लाक लेखे में, जो भारतीय रेलों के वार्षिक विनियोग लेखों का अनुबन्ध होता है, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा व यात्री सुविधा निधि और राजस्व से अर्जित परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि से परिसम्पत्तियों में सुधार की लागत को दिखाया जाता है । नीचे की तालिका में, ब्लाक लेखे से निकाली गयी मुख्य कोटियों के अन्तर्गत 31 मार्च, 1989 को रेलवे की परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य दिखाया गया है (लेकिन इसमें उन परिसम्पत्तियों का मूल्य शामिल नहीं है जो राजस्व से खरीदी गयी हैं, क्योंकि उनके बदलाव का खर्च भी साथ-साथ राजस्व से ही किया जायेगा) ।

APPENDIX VII

Total value of Railways assets, under various categories, whether financed from Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund or Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund as on 31st March, 1990.

The Capital-at-charge of the Indian Government Railways as set out in the accounts is the sum made available by the General Revenues for investment in the railways; it does not include the cost of assets created out of the Depreciation Reserve Fund, Development Fund or Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund or Revenue. On the other hand, the Block Account—forming an annexure to the annual Appropriation Accounts for the Indian Railways—indicates the total including the value of assets financed from the Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund and Revenue as also the "improvement element' of the cost of assets financed from the Depreciation Reserve Fund. The following table shows the total value of railway assets as on 31st March 1989 under broad categories from the Block Account (excluding only the value of assets created from Revenue as their replacement will be financed currently from Revenue).

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

	विवरण Particulars	ब्याजदेय पूंजी (ऋण खाता सहित) Capital-at-charge (comprising loan account)	ब्लाक लेखे में दिखाये अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्य जिनमें वि०नि० और दु०क्ष०नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों का तथा मू०आ०नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों में सुधार का तत्व भी शामिल है, लेकिन राजस्व से सृजित परिसम्पत्तियों को छोड़कर । Value of assets including those created out of D.F. & ACSPF as also of the improvement element in assets created out of D.R.F. but excluding those created out of Revenue as shown in Block Account?
*1. भूमि	*1. Land	385,99	402,92
2. संरचना संबंधी इंजीनियरी के काम—	2. Structural Engineering Works—		
(क) स्टेशन और कार्यालय	(a) Station and Offices	440,93	854,75
(ख) कारखाने और भंडार की इमारतें	(b) Workshops and Stores buildings	446,55	569,42
(ग) रिहायशी इमारतें	(c) Residential Buildings	476,76	778,60

*अक्षय परिसम्पत्तियों के सूचक आंकड़े ।

*Represents non-wasting assets.

(लाख रुपयों में) (Figurs in lakhs of Rupee

विवरण	Particulars	व्याजदेय पूंजी (ऋणखाता सहित) Capital-at-charge (comprising loan account)	ब्लाक लेखे में दिखाये अनुसार परिसम्पत्तियों का मूल्य जिनमें वि०नि० और दु०श०नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों का तथा मू०आ० नि० से अर्जित परिसम्पत्तियों में सुधार का मूल्य भी शामिल है, लेकिन राजस्व से सृजित की परिसम्पत्तियां छोड़कर । Value of assets including those created out of D.F. & ACSPF as also of the improvement element in assets created out of D.R.F. but excluding those created out of Revenue as shown in Block Account £
(घ) रेल पथ—	(*d*) Track—		
*(i) रचना आदि	*(*i*) Formation etc.	1885,46	2080,34
(ii) रेल-पथ का सामान	(*ii*) Permanent way materials	2183,05	4134,48
(iii) पुल	(*iii*) Bridges	832,02	1240,15
3. चल-स्टाक—	3. Rolling Stock—		
(क) रेल इंजन और अतिरिक्त बायलर	(*a*) Locomotives and spare boilers	1467,59	1780,75
(ख) सवारी-डिब्बे, रेल कार और बिजली गाड़ी-स्टाक सहित	(*b*) Carriages including Rail Cars and E.M.U. stock	1039,60	1291,52
(ग) माल-डिब्बे	(*c*) Wagons	1519,16	1641,99
(घ) घाट उतराई व्यवस्था	(*d*) Ferries	3,29	3,95
(ङ) रेल एवं सड़क सेवाएं	(*e*) Rail-cum-Road Services	1,11	1,30
4. चल स्टाक को छोड़कर उपस्कर (मशीन और संयंत्र आदि)	4. Equipment (Machinery and Plant etc.) other than Rolling stock	2670,08	3243,10
@*5. उचंत (चल परिसम्पत्तियां जैसे वस्तु सूची या संग्रहण)	@*5. Suspense (Floating assets like inventories or stores holdings)	1012,00	1012,83
*6. सरकारी और अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों के हिस्सों में निवेश	*6. Investments in shares of Government and other Commercial Undertakings	265,86	266,42
जोड़	TOTAL	14629,45	19302,52

*अक्षय परिसम्पत्तियों के सूचक आंकड़े ।

£इसमें राजस्व-चालू लाइन निर्माण कार्यों से सृजित परिसम्पत्तियों का व्यय (4,28 07 लाख रुपये) शामिल नहीं है ।

@मार्च, 1990 तक के महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) के 327,00 लाख रुपये और सर्कुलर रेलवे के 30,20 लाख रुपये शामिल नहीं है ।

*Represents non-wasting assets.

£Excludes expenditure on assets created from Revenue —Open Line Works Rs. 4,28,07 lakhs.

@This excludes Rs. 827,00 lakhs pertaining to MTP (Rlys.) and Circular Railway Rs. 30.20 lakhs up to March 1990

परिशिष्ट/ APPENDIX VIII

भारत की सरकारी रेलों के महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

Statement showing important financial figures of Indian Government Railways

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	*ब्याजदेय पूंजी *Capital at charge	यातायात से कुल प्राप्ति Gross Traffic Receipts	†कुल संचालन व्यय (मूल्यह्रास व्यवस्था, सहित) Total† Working expenses (including depreciation provision)	शुद्ध राजस्व Net Revenue	अधिशेष (+)/ कमी (—) Surplus(+) Shortfall (—)	प्रतिशत Percentage of: कुल आय से कुल संचालन व्यय का Total Working Expenses to Gross Earnings	ब्याजदेय-पूंजी कालम (2) से शुद्ध राजस्व कालम (5) का Net Revenue Col. (5) to Capital at-charge Col. (2)	ब्याजदेय पूंजी कालम (2) से शुद्ध अधिशेष/कमी, कालम (6) का Surplus/ Shortfall Col. (6) to Capital-at-charge Col. (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
51-52	850,11	290,82	224,35	61,75	28,34	77.0	7.3	3.3
52-53	857,38	270,56	218,17	47,18	13,19	80.6	5.5	1.5
53-54	869,30	274,29	231,75	36,92	2,56	84.4	4.2	0.3
54-55	901,58	286,78	236,09	44,06	9,10	82.3	4.9	1.0
55-56	968,98	316,29	258,22	50,34	14,22	81.6	5.2	1.5
56-57	1071,71	347,57	279,27	58,38	20,22	80.3	5.4	1.5
57-58	1222,44	379,78	309,44	57,78	13,38	81.5	4.7	1.1
58-59	1356,59	390,21	321,44	59,32	8.93	82.4	4.4	0.7
59-60	1432,28	422,33	334,62	74,55	20,12	79.2	5.2	1.4
60-61	1520,87	456,80	358,24	87,87	32,01	78.4	5.8	2.1
61-62	1682,98	500,50	390,51	99,75	24,40	78.0	5.9	1.5
62-63	1896,81	566,79	429,52	123,32	42,06	75.8	6.5	2.2
63-64	2159.63	632,21	472,27	145,19	49,24	74.7	6.7	2.3
64-65	2435,12	660,85	528,11	118,11	13,18	79.9	4.9	0.5
65-66	2680,32	733,57	583,04	134,84	18,56	79.5	5.0	0.7
66-67	2841,57	768,78	639,25	114,12	—18,27	83.2	4.0	—0.6
67-68	2978,03	818,14	693,30	110,00	—31,53	84.7	3.7	—1.1
68-69	3101,27	898,84	741,93	142,81	—7,86	82.5	4.6	—0.3
69-70	3195,51	951,28	790,02	146,56	—9,83	83.0	4.6	—0.3
70-71	3330,78	1006,69	847,34	144,73	—19,84	84.2	4.3	—0.6
71-72	3520,99	1096,59	911,85	169,08	17,84	83.1	4.8	0.5
72-73	3725,81	1162,42	982,62	164,43	+2,92	84.5	4.4	0.1
73-74	3893,38	1137,89	1066,33	55,41	—115,51	93.7	1.4	—2.9
74-75	4105,56	1408,19	1317,29	73,64	—113,83	93.5	1.8	—2.8
75-76	4354,78	1767,01	1609,62	137,03	—61,11	91.1	3.1	—1.4
76-77	4533,70	2036,11	1718.56	296,29	+87,24	84.4	6.5	1.9
77-78	4797,12	2123,42	1750,12	352,79	+126,23	83.0	7.4	2.6
1978-79	5023,92	2151,04	1867,55	260,82	+36,66	87.5	5.2	0.7
1979-80	5484,64	2337,84	2142,38	227,29	—66,24	91.5	4.1	—1.2
1980-81	6096,35	2624,02	2536,46	127,49	—197,87	96.1	2.1	—3.2
1981-82	6598,05	3538,24	3182,05	403,06	+46,59	89.4	6.0	0.7
1982-83	7251,09	4376,21	3883,35	554,29	+118,31	88.3	7.6	1.6
1983-84	7567,80	4986,24	4661,46	378,95	—44,75	93.9	5.0	—0.6
1984-85	8285,65	5358,77	5142,17	270,10	—195,59	96.3	3.3	—2.4
1985-86	9078,07	6428,10	5823.14	685,87	+178,83	90.6	7.6	2.0
1986-87	10373,10	7505,66	6900,56	680,84	+101,99	92.2	6.6	1.0
1987-88	11622,22	8435,25	7802,95	723.15	+84,29	92.5	6.2	0.7
1988-89	12987.51	9259,29	8632,99	737,33	+21,67	93.0	5.7	0.2
1989-90	14629,45	10735.41	9887,73	982,07	+173,26	91.5	6.7	1.2
1990-91 ब.अ. (B.E.)	16163,96	12060,00	11091,00	1118,00	+186,00	91.8	6.9	1.2
1990-91 सं.अ. (R.E.)	16091,04	12039,00	11091.00	1082,00	+155,00	91.8	6.7	1.0
1991-92 ब.अ. (B.E.)	17620,02	13319,00	12230,00	1272,00	+235,00	91.8	7.2	1.3

†इसमें मूल्यह्रास आरक्षित निधि और 1964-65 से पेंशन निधि में विनियोग और 1977-78 तक चालित लाइनों को भुगतान भी शामिल है।

*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे (पूर्व रेलवे) का पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है।

नोट :—(1) कालम (5)—शुद्ध राजस्व, लेखा अवधि में लाभांश के भुगतान के अलावा सभी राजस्व प्रभार पूरे करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

(2) कालम (6)—अधिशेष, लेखा अवधि में लाभांश के भुगतान सहित सभी राजस्व प्रभार पूरे करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

(3) कालम (7) यहां जो आंकड़े दिये गये हैं वे परिचालनिक अनुपात के रूप में दिखाये गये हैं, क्योंकि 1978-79 से अनुपात अंतिम शीर्षों और सकल आमदनी के खातों में कुल संचालन व्यय से निकाला जाता है।

†Includes Appropriation to Depreciation Reserve Fund and since 1964-65 to Pension Fund; includes Payment to worked line till 1977-78.

*Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport Project and Circular Railway (Eastern Railway)

NOTES : (1) Col. (5).—Net Revenue represents the net earning during an accounting period after meeting all the revenue charges except the payment of dividend to General Revenues.

(2) Col. (6).—Surplus represents the net earnings during an accounting period after meeting all the revenue charges including the payment of dividend to General Revenues.

(3) Col. (7).—The figures given here are referred to as Operating Ratio; since 1978-79 the ratio is worked out from Total Working Expenses booked under Final heads and Gross Earnings.

परिशिष्ट VIII (क)

प्रत्येक योजना अवधि में शुद्ध राजस्व और औसत ब्याजदेय पूंजी पर अधिशेष/कमी का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

APPENDIX VIII(A)

Statement showing percentage of Net Revenue and Surplus/Shortfall to average Capital-at-charge in each Plan Period.

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

अवधि Period	औसत ब्याज-देय पूंजी Average Capital-at-charge	सामान्य राजस्व को भुगतान करने से पहले औसत ब्याज-देय पूंजी पर औसत शुद्ध राजस्व का प्रतिशत Percentage of the average net Revenue—before payment to General Revenues—on the average Capital-at-charge		सामान्य राजस्व को भुगतान करने के बाद औसत ब्याज-देय पूंजी पर औसत शुद्ध अधिशेष/कमी (—) का प्रतिशत Percentage of the average net Surplus/Short fall (—) after payment to General Revenues—on the average Capital-at-charge	
		रकम Amount	प्रतिशत Percentage	रकम Amount	प्रतिशत Percentage
1	2	3	4	5	6
	रु० Rs.	रु० Rs.		रु० Rs.	
1. पहली योजना अवधि I Plan period (1951 – 56)	889,47	48,05	5.4	13,48	1.5
2. दूसरी योजना अवधि II Plan period (1956 – 61)	1320,78	65,85	5.1	18,93	1.4
3. तीसरी योजना अवधि III Plan period (1961 – 66)	2170,97	124,24	5.7	29,49	1.4
4. 1966-67 से 1968-69 1966-67 to 1968-69	2973,62	122,31	4.1	-19,22	–0.6
5. चौथी योजना अवधि IV Plan period (1969 – 74)	3535,02	136,04	3.9	–21,32	–0.6
6. पांचवीं योजना अवधि V Plan period (1974 – 78)	4447,79	214,94	4.8	9,63	0.2
7. 1978-79 से 1979-80 1978-79 to 1979-80	5254,28	244,05	4.6	–14,79	–0.3
8. छठी योजना अवधि VI Plan period (1980 to 1985)	7179,79	346,78	4.8	–54,66	–0.8
9. सातवीं योजना अवधि VII Plan period (1985 to 1990)	11738,07	761,85	6.5	112,01	1.0

परिशिष्ट IX — APPENDIX IX

ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का रेलवे-वार प्रतिशत

Railway-wise figures of Percentage of Net Revenue to Capital-at-Charge

रेलवे Railway	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 (ब.अ.) (B.E.)	1990-91 (सं.अ.) (R.E.)	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate 1991-92: As presented in February 1991	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मध्य Central	11.7	17.4	23.0	22.2	18.3	24.1	24.1	22.5	23.6	22.3	24.1	23.9	17.8	23·4
पूर्व Eastern	—9.5	—4.5	—6.0	—10.9	—14.7	—5.2	—4.2	—9.1	—5.9	—6.8	—4.8	—3.9	—10.0	—4·0
उत्तर Northern	3.2	8.8	13.0	9.7	7.3	15.3	17.5	19.7	11.7	13.3	17.8	11.1	8.8	12·9
पूर्वोत्तर North Eastern	—17.7	—21.0	—23.0	—37.1	—41.7	—37.7	—40.3	—41.6	—42.5	—42.0	—39.0	—43.7	—46.6	—40·4
पूर्वोत्तर सीमा Northeast Frontier	—13.8	—16.9	—15.0	—24.1	—28.9	—27.4	—29.1	—30.8	—30.0	—24.3	—26.8	—26.1	—27.2	—25·1
दक्षिण Southern	—7.8	—6.3	—8.0	—9.9	—10.1	—11.3	—13.4	—15.0	—11.1	—12.6	—12.3	—10.1	—16.0	—11·8
दक्षिण मध्य South Central	3.6	7.6	11.0	7.5	9.9	13.9	7.7	6.8	7.8	8.5	10.1	9.7	6.0	11·2
दक्षिण-पूर्व South Eastern	7.0	14.7	17.0	15.4	16.5	22.8	21.3	23.5	24.5	25.4	19.0	24.1	19.5	24·6
पश्चिम Western	14.1	17.7	18.0	19.4	15.7	19.8	20.1	21.6	22.6	26.7	28.6	27.9	23.2	29·8

टिप्पणी :—शुद्ध राजस्व, लेखा अवधि में सभी राजस्व व्यय, जिनमें सामान्य राजस्व को लाभांश शामिल नहीं है, पूरा करने के बाद शुद्ध आमदनी का द्योतक है।

NOTE : Net Revenue represents the net earnings during an accounting period after meeting all the revenue charges except the payment of dividend to Central Revenues.

परिशिष्ट APPENDIX X

निधियों के साधन और उनका उपयोग

SOURCES & APPLICATION OF FUNDS

APPENDIX X

Sources and Application of Funds

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		पहली योजना I Plan 1951—56	दूसरी योजना II Plan 1956—61	तीसरी योजना III Plan 1961—66	चल योजना Rolling Plan 1966-69
निधियों के साधन	SOURCES OF FUNDS				
1. शुद्ध राजस्व	Net Revenue	240,23	337,50	621,22	366,93
2. सामान्य राजस्व को देय लाभांश	Dividend to General Revenues . . .	112,84	243,24	473,77	424,59
3. अधिशेष (+)/घाटा (—)	Surplus(+)/Shortfall(—)	+67,41	+94,66	+147,45	—57,66
4. मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंशदान	Contribution to Depreciation Reserve Fund .	166,68	229,37	387,28	296,59
5. राजस्व को प्रभृत चालू लाइन निर्माण-कार्य	Open Line Works charged to Revenue . .	23,31	52,55	53,36	27,02
6. पेंशन निधि को अंशदान (शुद्ध)	Contribution to Pension Fund (Net) . .	...	...	23,00	30,51
7 £दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि को अंशदान	£Contribution to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund .	...	...	...	...
8. निधि शेष पर ब्याज	Interest on Fund balances	26,68	20,40	23,66	20,18
9. कुल आंतरिक रोकड़ अर्जन	Total Internal Cash Generation . . .	284,08	396,98	634,75	316,64
10. सामान्य राजस्व से प्राप्त किया गया अंशदान	Contribution received from the General Revenues :				
***(क) पूंजी लेखे पर	***(a) On Capital Account . . .	141,94	594,27	1140,77	412,37
(ख) निम्नलिखित के लिए अस्थायी कर्ज—	(b) As temporary loans for :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund . .	...	..	..	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund	...	29,40	...	25,30
सामान्य राजस्व से कुल	Total from General Revenues . . .	141,94	578,67	1140,77	437,67
निधियों के साधनों से कुल (9+10)	TOTAL—SOURCES OF FUNDS (9+10) . .	426,02	975,65	1755,52	754,31

*वास्तविक देय 518,69 लाख ।

**वास्तविक देय 2007.20 लाख ।

***इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए सामान्य राजस्व से प्राप्त किया गया अंशदान शामिल नहीं है ।

£इस में राजस्व मांग सं. 12 के अन्तर्गत दुर्घटना क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गयी राशि शामिल नहीं है ।

$वास्तविक व्यय 1037.00 करोड़ रुपये ।

परिशिष्ट X

निधियों के साधन और उनका उपयोग

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

चौथी योजना IV Plan 1969—74	पांचवीं योजना V Plan 1974—78	1978-79 से to 1979-80	छठी योजना VI Plan 1980—85	सातवीं योजना VII Plan 1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	संशोधित 1990-91 Revised	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
680,21	859,75	488,11	1733,89	685,87	680,84	723,15	737,33	982,07	1082,00	525,00	1272,00
788,84	837,00	*451,45	**1568,99	507,04	578,85	638,86	715,66	808,81	927,00	$525,00	1037,00
−108,63	+22,75	+36,66	+164,90	+178,83	+101,99	+84,29	+21,67	+173,26	+155,00	..	+235,00
537,74	516,34	350,62	2844,14	926,38	1259,32	1361,96	1512,73	1730,75	1969,00	2072,00	2020,00
35,25	29,48	15,23	48,96	13,56	23,43	31,05	36,85	41,32	50,00	48,00	45,00
31,20	−3,42	−2,07	−103,34	−72,69	−98,50	−207,56	−178,16	−49,06	+41,18	+52,00	+102,00
...	32,10	19,25	45,47	25,26	30,29	66,98	56,41	59,14	55,62	60,17	60,17
59,30	103,04	65,42	183,33	39,27	37,64	42,43	41,44	44,36	54,87	69,25	69,23
554,86	700,29	485,11	3183,46	1110,61	1354,17	1379,15	1490,94	1999,77	2325,67	2301,42	2531,40
794,22	901,01	808,60	2985,64	792,42	1295,08	1249,12	1362,71	1669,82	1461,59	1059,00	1529,00
132,28	549,67	..	..	..	..	...	..	..	..	..	..
99,71	44,24	36,97	146,86	...	11,80	53,78	127,33	5,16	54,77	140,00	...
1026,21	1494,92	845,57	3132,50	792,42	1306,83	1302,90	1490,04	1674,98	1516,36	1199,00	1529,00
1581,07	2195,21	1330,68	6315,96	1903,03	2661,00	2682,05	2980,98	3674,75	3842,03	3500,42	4060,40

*Actually payable 518,69 lakhs.

**Actually payable 2007,20 lakhs.

***Excludes contribution received from General Revenues for Metropolitan Transport Projects.

$Actually payable Rs. 1037.00 crores.

£Exclude the amounts paid as Accident Compensation under Revenue Demand No. 12.

परिशिष्ट X—जारी

निधियों का साधन और उनका उपयोग

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		पहली योजना I Plan 1951—56	दूसरी योजना II Plan 1956—61	तीसरी योजना III Plan 1961—66	1966-67 से to 1968-69
निधियों का उपयोग	APPLICATION OF FUNDS				
1. राजस्व को प्रभृत चालू लाइन निर्माण कार्य	Open Line Works charged to Revenue .	23,31	52,55	53,36	27,02
£2. पूंजी—रेल परिसम्पत्तियों में वृद्धि	£Capital—Addition to Railway Assets .	141,94	549,27	1140,77	418,10
3. मूल्यह्रास आरक्षित निधि से प्रभृत बदलाव कार्य	Replacements charged to Depreciation Reserve Fund .	206,50	320,42	360,30	253,90
4. विकास निधि—निर्माण कार्य	Development Fund—Works .	50,53	121,46	131,41	63,69
5. दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में प्रभृत निर्माण कार्य	Works charged to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund .	...	...	...	...
6. जोड़ (1 से 5)	Total (1 to 5) .	422,28	1043,70	1685,84	762,71
**7. निम्नलिखित के लिए प्राप्त किये गये ऋणों की वापसी :	Repayment of loans obtained for :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund .	...	..	...	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund .	...	...	29,40	...
8. आस्थगित लाभांश दायिता	Deferred Dividend liabilities	...	...	...	...
9. अस्थायी ऋणों पर ब्याज :	Interest on temporary loan .				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund .	...	...	...	..
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund .	...	1,82	53	1,04
*10 निधि शेष में वृद्धि/कमी	Increase/decrease in Fund balances .	+43,74	—69,87	+459,75	—9,44
11 जोड़—निधियों का उपयोग	TOTAL—APPLICATION OF FUNDS .	426,02	975,65	1775,52	754,31
*(क) 1 अप्रैल को निधि में अवशेष	(a) Opening Fund balance as on 1/4 .	158,05	157,41	109,57	182,45
(ख) 31 मार्च को निधि में इतिशेष, वित्तीय समायोजन के बिना अंतरण को छोड़कर	(b) Closing Fund balance as on 31/3 excluding TWFA .	161,79	37,54	169,32	173,01
		+3,74	—69,87	+59,75	—9,44
(ग) बिना वित्तीय समायोजन के अंतरण	(c) Transfer without financial adjustment .	+1,52	+4,82	+2,00	+7,25
(घ) निधि के शेष में वृद्धि(+)/कमी(—)	(d) Increase (+)/Decrease (—) in Fund balances .	+5,26	—65,05	+61,75	—2,19
(ङ) वृद्धि(+)/कमी(—) का विवरण—	(e) Details of increase (+)/Decrease (—) .				
(1) मूल्यह्रास आरक्षित निधि	(i) Depreciation Reserve Fund .	—20,63	—78,13	+33,06	+45,33
(2) राजस्व आरक्षित निधि	(ii) Revenue Reserve Fund .	+32,45	+6,89	+9,76	—59,71
(3) विकास निधि	(iii) Development Fund .	—6,56	+6,19	—6,24	—29,38
(4) पेंशन निधि	(iv) Pension Fund .	...	...	+25,17	+41,57
(5) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि	(v) Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund .	...	...	...	...
जोड़	TOTAL .	+5,26	—65,05	+61,75	—2,19
**वर्ष के अंत में शेष अस्थायी ऋण	Temporary loan outstanding at the end of :				
(1) राजस्व आरक्षित निधि	(i) Revenue Reserve Fund .	...	..	..	...
(2) विकास निधि	(ii) Development Fund .	...	29,40	...	25,30
		...	29,40	...	25,30

£ इसमें सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता को छोड़कर महानगर परिवहन परियोजनाएं शामिल नहीं हैं ।
Excludes Metropolitan Transport Projects other than Circular Railway, Calcutta.

APPENDIX X—*Contd.*

Sources and Application of Funds.

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

चौथी योजना IV Plan	पांचवीं योजना V Plan	1978-79 से to	छठी योजना VI Plan		सातवीं योजना VII Plan					बजट Budget 1991-92	
										फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत	अब यथा प्रस्तावित
1969--74	1974—78	1979-80	1980—85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 संशोधित Revised	As presented in Feb. 1991	As now proposed
35,25	29,48	15,23	48,96	13,56	23,43	31,05	36,85	41,32	50,00	48,00	45,00
793,33	901,01	806,60	2985,64	792,42	1295,03	1249,12	1362,71	1669,82	1461,58	1059,00	1529,00
494,07	479,94	323,64	3019,83	918,48	1175,29	1172,27	1477,62	1564,31	1877,00	1891,00	1887,00
97,01	76,33	53,76	160,16	42,10	84,03	103,50	106,02	127,37	155,00	140,00	125,00
...	5,17	13,69	85,37	26,94	24,91	43,03	49,98	55,89	77,00	72,00	74,00
1419,66	1491,93	1214,92	6299,96	1856,50	2612,69	2598,97	3033,18	3458,71	3610,58	3210,00	3660,00
14,21	433,24	...	...	...	...	..	..	..	...	...	..
...	...	...	...	...	...	...	..	..	...	..	58,00
...	...	1,98	74,47	116,72	...	...	..	..	...	...	
2,09	58,97	...	...	...	...	...	..	..	...	...	
15,90	29,95	17,99	74,58	24,39	29,93	34,58	43,04	51,05	54,78	..	52,00
+129,21	+181,12	+95,79	—133,05	—94,58	+18,38	+48,50	—95,24	+164,99	+166,67	+290,42	+290,40
1581,07	2195,21	1330,68	6315,96	1903,03	2661,00	2682,05	2980,98	3674,75	3842,03	3500,42	4060,40
174,86	1628,22	1119,49	647,37	663,82	594,97	645,92	711,45	623,30	788,35	955,02	955,02
304,07	1809,34	1182,98	622,00	544,69	587,63	694,42	599,22	781,21	955,02	1245,44	1245,42
+129,21	+181,12	+63,49	—25,37	—119,13	—7,34	+48,50	—112,23	+157,91	+166,67	+290,42	+290,40
+14,61	...	+32,30	—107,68	+24,55	+25,72	...	+16,99	+7,08	..	...	..
+143,82	+181,12	+95,79	—133,05	—94,58	+18,38	+48,50	—95,24	164,99	+166,67	+290,42	+290,40
+77,92	+79,28	+58,54	+124,75	—44,62	+96,14	+211,68	+65,54	+205,64	+143,16	+243,30	+193,73
—3,07	+37,37	+3	+13	+0,12	+2	+2	+3	+3	+3	+3	+3
—1,24	—1,02	+66	+3,30	—4,22	—16	...	—6	..	..	...	..
+70,21	+35,07	+26,87	+16,84	—44,99	—73,65	—188,51	—169,58	—46,76	+43,39	+57,37	+108,99
...	+30,42	+9,69	—28,57	—0,87	—3,97	+25,32	+8,83	+6,08	—18,91	—10,28	—12,35
+143,82	+181,12	+95,79	—133,05	—94,58	+18,38	+48,50	—95,24	+164,99	+166,67	+290,42	+290,40
99,72	216,14	...	...	...	...	...	..	...		...	..
108,30	152,54	189,50	336,36	336,36	348,17	401,95	529,28	534,44	589,22	417,82	531,22
208,02	368,68	189,50	336,36	336,36	348,17	401,95	529,28	534,44	589,22	417,82	531,22

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

भारत की सरकारी रेलों की राजस्व प्राप्तियां और उनके खर्च का विवरण

Statement of Revenue Receipts and Expenditure of Indian Government Railways.

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92: फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now proposed
**ब्याजदेय पूंजी	**Capital-at-charge	10373,10	11622,22	12987,51	14629,45	16163,96	1609[illegible],04	17150,04	17620,02
यातायात से आमदनी	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री— ऊंचे दर्जे	Passengers—Upper	209,97	234,35	296,79	333,89	381,71	407.00	420,00	462,00
दूसरा दर्जा	Second	1730,99	1825,71	2158,71	2335,03	2733,29	2723.00	2804,00	3031,00
जोड़—यात्री	TOTAL PASSENGERS	1940,96	2060,06	2455,50	2668,92	3115,00	3130,00	3224,00	3493,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	293,48	254,71	270,74	313,31	334,00	350,00	342,00	369,00
(ख) माल	(b) Goods	5133,24	5981,95	6343,11	7624,49	8424,00	8380,00	8884,00	9222,00
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other earnings	141,82	162,14	224,97	226,35	207,00	226,00	235,00	255,00
जोड़	TOTAL	7509,50	84,58,86	9294,32	10833,07	12080,00	12086,00	12685,00	13339,00
उचंत	Suspense	—3,84	—23,61	—35,03	—93,66	—20,00	—48,00	—20,00	—20,00
*यातायात से कुल प्राप्तियां	*Gross Traffic Receipts	7505,66	8435,25	9259,29	10739,41	12060,00	12038,00	12665,00	13319,00
संचालन व्यय—साधारण संचालन व्यय	Working Expenses—Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	312,74	363,40	391,07	436,94	469,87	468,07	517,93	517,93
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	643,25	737,11	806,98	879,48	960,66	938,36	1038,89	1024,39
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	506,54	553,44	602,29	693,90	743,90	737,09	798,34	798,34
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	660,27	747,15	804,83	927,43	1006,04	986,05	1074,15	1067,15
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	356,30	388,69	419,21	475,45	516,83	501,22	551,19	536,65
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	518,60	629,46	657,84	719,01	782,15	765,68	844,78	844,78
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	630,31	774,81	933,48	1154,70	1382,47	1348,61	1674,62	1674,62
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	1183,35	1238,57	1339,73	1481,43	1571,39	1697,25	1888,93	1859,47
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	221,90	256,19	283,39	312,15	348,02	346,06	382,67	382,67
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	281,99	327,19	355,78	387,31	460,33	456,17	500,96	487,46
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	8,77	5,60	3,62	3,90	4,88	5,42	5,62	5,62
जोड़	TOTAL	5324,02	6021,61	6598,22	7471,70	8246,54	8249,98	9278,08	9199,08
उचंत	Suspense	—23,46	—18,66	—15,23	—26,97	—5,54	—8,93	—8,08	—19,08
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	5300,56	6002,95	6582,99	7444,73	8241,00	8241,00	9270,00	9180,00
विनियोग :—	Appropriation to :—								
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	Depreciation Reserve Fund	1250,00	1350,00	1500,00	1715,00	1950,00	1950,00	2050,00	2000,00
पेंशन निधि	Pension Fund	350,00	450,00	550,00	728,00	900,00	900,00	1000,00	1050,00
*चालित लाइनों की प्राप्तियां सहित	*Includes Receipts of worked lines	37	30	30	26	25	24	31	31

**महानगर परिवहन परियोजना पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है।

**Excludes Capital outlay on Metropolitan Transport Projects.

परिशिष्ट XI APPENDIX XI

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथाप्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
कुल संचालन-व्यय	Total Working Expenses .	6900,56	7802,95	8632,99	9887,73	11091,00	11091,00	12320,00	12230,00
यातायात से शुद्ध प्राप्तियां	Net Traffic Receipts .	605,10	632,30	626,30	851,68	969,00	947,00	345,00	1089,00
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्तियां—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्तियां	Other receipts from subsidised companies	3	3	2	3	4	4	5	5
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Boards . . .	..	..	32	1,22	56	47	58	58
(3) अन्य विविध प्राप्तियां	Other Miscellaneous Receipts . .	2,57	2,71	3,01	8,27	1,44	3,22	1,98	1,98
(4) यात्रियों से अधिप्रभार की प्राप्ति	Receipts from Surcharge on passengers	30,92	67,91	58,58	59,72	67,25	65,00	67,00	67,00
(5) लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend relief & other concessions .	143,90	173,56	207,40	232,61	278,75	275,62	314,11	314,11
कुल विविध प्राप्तियां	Total Misc. Receipts .	177,42	244,21	269,33	301,85	348,04	344,35	383,72	383,72
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) आर्थिक सहायता	Subsidy . . .	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) चालित लाइनों को भुगतान	Payment to Worked Lines—								
(क) शुद्ध आमदनी	(a) Net earnings .	11	11	10	10	9	12	13	13
(ख) छूट	(b) Rebate . .	2	2	2	2	2	15	2	2
(3) सर्वेक्षण	Surveys . . .	3,13	3,73	3,16	2,38	4,40	3,48	5,00	5,00
(4) अन्य विविध व्यय	Other Misc Expenditure	40,07	45,95	54,58	62,92	72,28	85,60	78,57	78,57
(5) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works—Revenue . .	23,43	31,04	36,86	41,32	50,00	50,00	48,00	45,00
(6) पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund .	4,00	4,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
(7) दु०अ०नि० में विनियोग	Appropriation to ACSPF. . .	30,92	67,91	58,58	59,72	67,25	65,00	67,00	67,00
कुल विविध खर्च	Total Misc. Expenditure .	101,68	153,36	158,30	171,46	199,04	209,35	203,72	200,72
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	75,74	90,85	111,03	130,39	149,00	135,00	180,00	183,00
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . . .	680,84	723,15	737,33	982,07	1118,00	1082,00	525,00	1272,00
सामान्य राजस्व को देय भुगतान—	Payments due to General Revenues—								
(1) देय लाभांश	Dividend payable . .	553,37	613,54	689,33	782,61	905,67	900,80	1010,80	1010,80
(2) यात्री किराया कर के बदले अनुदान	Grant in lieu of passenger fare tax . . .	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12	23,12
(3) रेल संरक्षा निर्माण निधि को अंशदान	Contribution to Railway Safety Works Fund .	2,36	2,20	3,21	3,08	3,21	3,08	3,08	3,08
जोड़	TOTAL . . .	578,85	638,86	715,66	808,81	932,00	927,00	1037,00	1037,00
अधिशेष(+)/कमी(—)	Surplus(+)/Shortfall(—)	+101,99	+84,29	+21,67	+173,26	+186,00	+155,00	—512,00	+235,00
**परिचालन अनुपात	*Operating Ratio . .	92.2%	92.5%	93.0%	91.5%	91.8%	91.8%	97.2%	91.8%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of Net Revenue to Capital-at-Charge . .	6.6%	6.2%	5.7%	6.7%	6.9%	6.7%	3.1%	7.2%

*मेट्रो रेलवे, कलकत्ता को शामिल नहीं किया गया है।

*Excludes Metro Railway, Calcutta

परिशिष्ट XI
मध्य रेलवे
राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI
CENTRAL RAILWAY
Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
ब्याजदेयपूंजी	Capital-at-charge	1278,54	1397,23	1564,96	1768,92	1888,85	1920,49	2014,40	2063,28
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	47,90	49,46	60,99	69,63	79,30	82,19	84,70	92,50
दूसरा दर्जा	Second	311,41	348,26	408,26	449,47	528,70	532,96	549,30	594,50
जोड़—यात्री	Total Passenger	359,31	397,72	469,25	519,10	608,00	615,15	634,00	687,00
(2) अन्य कोचिंग	Other coaching	57,96	52,91	56,99	64,78	75,00	70,00	68,40	70,502
(ख) माल	(b) Goods	852,00	947,39	1029,03	1229,75	1315,00	1350,00	1421,00	1471,55
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry other Earnings	22,95	24,63	33,35	30,41	36,50	38,95	40,50	43,50
जोड़	TOTAL	1292,22	1422,65	1538,62	1844,04	2034,50	2074,10	2163,90	2272,55
उचंत	SUSPENSE	—7,50	—9,73	—9,48	—19,33	—3,50	—13,00	—3,50	—3,50
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	1284,72	1412,92	1579,14	1824,71	2031,00	2061,10	2160,40	2269,05
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	36,92	43,21	47,32	52,89	56,72	56,45	62,92	62,92
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	78,97	93,96	106,52	118,97	126,81	123,08	136,00	136,00
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	79,09	88,55	96,86	113,12	115,96	116,09	127,56	127,56
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	88,26	94,76	111,13	123,81	132,90	132,48	144,50	144,50
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	51,22	58,91	62,46	71,14	76,86	73,97	82,61	80,36
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	77,22	94,14	97,12	104,05	113,09	109,45	121,13	121,13
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	93,05	119,86	124,98	170,25	183,71	210,90	264,88	264,88
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	206,71	208,97	228,10	253,43	269,27	290,02	333,37	322,18
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	23,97	28,21	33,62	35,60	40,78	39,20	43,17	43,17
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	37,19	33,38	40,42	52,04	67,06	62,64	71,07	69,57
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	1,05	74	37	48	60	50	50	50
जोड़	TOTAL	773,65	864,69	948,90	1095,78	1183,76	1214,78	1387,71	1372,77
उचंत	Suspense	−7,41	—4,67	−7,17	—4,76	-3,21	+72	+2,34	+2.34
जोड़—साधारण संचालनव्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	766,24	860,02	94,173	1091,02	1180,55	1215,50	1390,05	1375,11
*इसमें चालित लाइनों की प्राप्तियां शामिल हैं।	*Includes receipts of worked lines	21	21	[illegible]	18	17	22	23	23

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	172,02	187,24	207,61	242,03	274,55	279,50	292,53	285,40
प्रसन्न निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	47,25	64,34	78,01	116,97	143,90	131,64	146.26	153,58
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	985,51	1111,60	1227,35	1450,02	1599,00	1626,64	1828,84	1814,09
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	299,21	301,32	351,79	374,69	432,00	434,46	331,56	454,96
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति (2) अन्य विविध प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies Other Miscellaneous Receipts	3	4	6	5	3	5	5	5
(3) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers	6,45	13,57	10,77	12,11	14,41	14,50	15,00	15,00
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	12,40	17,04	20,73	24,03	28,41	29,71	33,85	33,85
जोड़—कुल प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS	18,88	30,65	31,56	36,19	42,85	44,26	48,90	48,90
(ख) खर्च—	Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	92	56	63	39	44	38	111	1,11
(2) चालित लाइनों को भुगतान— शुद्ध आमदनी	Payment to Worked lines - Net earnings	12	11	10	10	9	12	13	13
(3) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works—Revenue	2,90	3,77	3,16	3,28	4,93	5,25	4,81	4,81
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि को विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	6,44	13,57	10,77	12,11	14,41	14,50	15,00	15,00
जोड़—खर्च	TOTAL—EXPENDITURE	10,38	18,01	14,66	15,88	19,87	20,25	21,05	21,05
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	8,50	12,64	16,90	20,31	22,98	24,01	27,85	27,85
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	307,71	313,96	368,69	395,00	454,98	458,47	359,41	482,81
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Dividend to General Revenues Payments in lieu of passenger fare tax Contribution to Railway Safety Works Fund	77,89	85,05	95,28	108,25	120,06	121,86	133,55	133,55
@वर्ष में अधिशेष (+) या कमी (—)	@Surplus (+) or Shortfall (—) for the year	+229,82	+228,91	+273,41	+286,75	+334,92	+336,61	+225,86	+349,26
परिचालन अनुपात	Operating ratio	76.7%	78.5%	77.7%	78.89%	78.8%	78.4%	84.4%	79.7%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-Charge	24.0%	22.5%	23.6%	22.33%	24.1%	23.9%	17.8%	23.4%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —16,57 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990-91), और —16,35 लाख रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Credit of Rs. —16,57 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. —16,35 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of the other Zonal Railways used by this railway.

परिशिष्ट XI
पूर्व रेलवे
राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI
EASTERN RAILWAY
Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now propose
**व्याजदेय पूंजी	**Capital-at-Charge	1043,53	1103,52	1230,08	1308,99	1470,33	1416,21	1494,51	1530,26
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passengers—								
ऊंचे दर्जे	Upper	13,38	10,31	14,78	18,33	19,30	20,77	21,40	23,50
दूसरा दर्जा	Second	216,66	222,93	259,80	280,18	333,20	332,23	342,10	367,50
जोड़ यात्री	Total Passenger	230,04	233,24	274,58	298,51	353,00	353,00	363,50	391,00
(2) अन्य कोचिंग—	Other Coaching	28,75	24,04	29,07	29,17	32,50	33,50	32,70	35,25
(ख) माल	(b) Goods	621,63	721,62	780,27	905,08	1025,00	1004,00	1043,00	1088,20
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	20,13	20,69	40,40	36,00	27,50	31,50	32,75	35,25
जोड़	Total	900,55	999,59	1124,32	1266,76	1438,00	1422,00	1471,95	1549,70
उचंत	Suspense	—1,54	—10,73	—17,96	—3,22	—2,00	—7,00	—2,00	—2,00
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	899,01	988,86	1106,36	1263,54	1436,00	1415,00	1469,95	1547,70
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	45,40	54,47	59,21	66,68	70,34	69,46	75,83	75,83
(04) रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	83,73	101,38	107,18	113,15	125,86	122,78	136,19	132,69
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	65,77	75,95	80,00	91,32	96,45	95,59	103,34	103,34
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	118,86	131,64	143,56	162,65	171,15	168,38	179,04	179,04
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	56,63	65,24	70,09	79,49	84,82	81,13	89,17	86,61
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	87,22	104,90	109,19	120,20	126,47	129,08	140,95	140,95
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	80,30	95,00	114,15	139,62	170,62	148,01	191,08	191,08
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	155,80	159,20	180,55	191,36	206,72	207,63	228,28	227,23
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	30,17	35,28	37,36	41,60	46,02	45,23	49,05	49,05
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	39,83	59,41	49,25	54,02	68,40	69,81	74,35	72,85
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	1,73	1,19	59	69	81	90	93	93
जोड़	Total	765,44	883,66	951,13	1060,78	1167,66	1138,00	1268,21	1259,60
उचंत	Suspense	—2,71	—3,09	—6,44	—6,33	—5,67	—6,22	—6,65	—11,65
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total—Ordinary Working Expenses	762,73	880,57	944,69	1054,45	1161,99	1131,78	1261,56	1247,95
*इसमें चलित लाइनों की प्राप्तियां शामिल हैं।	*Includes receipts of worked lines.	16	9	8	8	8	7	8	8

**इसमें सर्कुलर रेलवे कलकत्ता शामिल हैं। **Includes Circular Railway, Calcutta.

परिशिष्ट XI | APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	136,27	152,82	163,97	190,24	212,49	206,83	215,72	210,46
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	51,98	65,81	77,55	112,48	138,31	137,57	152,77	160,41
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	950,98	1099,20	1186,21	1357,17	1512,79	1476,18	1630,05	1618,82
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	—51,97	—110,34	—79,85	—93,63	—76,79	—61,18	—160,10	—71,12
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता-प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	..	30	22	60	29	56	59	59
(3) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers	3,85	8,26	7,54	7,83	8,54	8,15	8,50	8,50
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	9,99	13,14	11,85	8,60	12,83	12,72	14,50	14,50
जोड़—कुल प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS	13,84	21,70	19,61	17,03	21,60	21,43	23,59	23,59
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) आर्थिक सहायता	Subsidy	..	..	1	..	..	..	..	13
(2) चालित लाइनों को छूट का भुगतान	Payment to Worked lines—Rebate	1	1	..	1	1	14	1	1
(3) सर्वेक्षण	Surveys	22	35	27	32	65	42	61	61
(4) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works—Revenue	2,53	3,50	4,98	4,98	6,84	6,60	4,27	4,12
(5) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	3,85	8,26	7,54	7,93	8,54	8,15	8,50	8,50
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	6,61	12,12	12,80	12,95	16,04	15,31	13,39	13,24
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	7,23	9,58	6,81	4,08	5,62	612	10,20	10,35
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	—44,74	—100,76	—73,04	—189,55	—71,17	—55,06	—149,90	—60,77
सामान्य राजस्व को भुगतान— (1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया-कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Payments to General Revenues— Dividend to General Revenues; Payments in lieu of passenger fare tax; Contribution to Railway Safety Works Fund	59,67	66,80	73,28	72,51	88,38	85,56	92,83	9283
@वर्ष में अधिशेष (+) या कमी (—)	@Surplus (+) or Shortfall (—) for the year	—104,41	—167,56	—146,32	—162,00	—159,55	—140,62	—242,73	—153,60
परिचालन अनुपात	Operating Ratio	105.8%	110.3%	106.1%	107.64%	105.6%	104.2%	111.2%	105.2%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of Net Revenue to Capital-at-charge	—4.2%	—9.1%	—5.9%	—6.84%	—4.8%	—3.9%	—10.%	—4 0%

@इसमें अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल स्टाक पर ब्याज के नाम खाते के +17,96 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990–91) और +17,98 लाख रुपये (बजट अनुमान 1991–92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Debit of Rs. +17,96 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. +17,98 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of the railway used by other zonal railway.

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

उत्तर रेलवे — NORTHERN RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण — Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92: फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92: अब (यथा प्रस्तावित) As now propose
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1326,40	1541,15	1797,57	1961,46	2216,13	2308,28	2425,34	2530,78
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	44,24	50,61	62,56	70,31	79,60	80,72	83,50	91,50
दूसरा दर्जा	Second	328,58	337,88	394,99	440,06	504,40	509,28	524,50	562,50
जोड़—यात्री	Total Passenger	372,82	388,49	457,55	510,39	584,00	590,00	608,00	654,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	48,58	45,89	45,13	60,89	62,00	60,00	58,60	61,15
(ख) माल	(b) Goods	858,95	1035,06	1000,02	1221,95	1412,00	1281,00	1400,00	1454,95
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry other Earnings	21,86	21,72	46,89	41,80	36,50	40,00	41,60	41,60
जोड़	TOTAL	1302,21	1491,16	1549,59	1835,03	2094,50	1971,00	2108,20	2211,70
उचंत	Suspense	+3,49	+14,56	−5,42	−57,28	−3,00	−10,00	−3,00	−3,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1305,70	1505,72	1544,17	1777,75	2091,50	1961,00	2105,20	2208,70
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	42,00	48,58	51,97	57,97	62,69	62,54	69,19	69,19
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	102,19	117,39	123,73	135,07	147,19	145,20	160,18	160,18
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	86,20	97,94	104,61	116,29	120,68	120,58	131,41	131,41
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	87,44	99,05	99,19	113,77	124,57	121,21	130,62	130,62
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	59,90	60,96	65,69	71,74	78,65	76,14	85,10	82,06
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	91,09	111,26	115,70	122,93	134,15	130,64	145,15	145,15
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	108,68	119,75	158,83	182,68	218,61	210,13	261,00	261,00
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	202,05	214,13	227,43	245,14	268,51	277,86	304,57	304,33
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	34,93	40,00	42,08	47,14	53,11	51,44	57,96	57,96
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	45,97	58,17	54,61	63,63	69,00	71,82	80,54	79,04
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	1,82	83	51	58	65	85	85	85
जोड़	TOTAL	862,27	968,06	1044,35	1156,94	1277,81	1268,41	1426,57	1421,79
उचंत	Suspense	+3,67	−6,20	+32	−2,52	+1,78	−1,70	−1,26	−2,26
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	865,94	961,86	1044,67	1154,42	1279,59	1266,71	1425,31	1419,53

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	172,98	194,25	229,00	278,00	324,33	330,01	351,60	343,02
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	53,84	67,21	82,02	96,74	118,81	138,78	152,87	160,51
जोड़—संचालन-व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	1092,76	1223,32	1355,69	1529,16	1722,73	1735,50	1929,78	1923,06
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	212,94	282,40	188,48	248,59	368,77	225,50	175,42	285,64
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions –								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies . .	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts . . .	1,99	1,58	2	16	12	12	12	12
(3) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers . .	4,15	9.71	8,77	9,06	9,93	9,50	9,90	9,90
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions . . .	20,81	23,91	30,20	38,97	37,80	44,09	50,25	50,25
कुल—प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS . .	26,95	35,20	38,99	48,19	47,85	53,71	60,27	60,27
(ख) खर्च—	(b) Expenditure –								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	20	35	40	76	61	67	90	90
(2) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Line Works –Revenue	2,81	4,07	8,30	10,11	11,30	11,78	10,24	9,53
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	4,15	9.71	8,77	9,06	9,93	9,50	9,90	9,90
कुल खर्च	TOTAL—EXPENDITURE .	7,16	14,13	17,47	19,93	21,84	21,95	21,04	20,33
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	19,79	21,07	21,52	28,26	26,01	31,76	39,23	39,94
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . . .	232,73	303,47	21,000	276,85	394,78	257,26	214,65	325,58
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Dividend to General Revenues – Payment in lieu of passenger fare tax . . – Contribution to Railway Safety Works Fund –	61,29	72,01	80,30	96,64	108,17	110,05	125,15	125,15
@वर्ष में अधिशेष (+) या कमी (—)	@Surplus (+) or Shortfall (–) for the year . .	+171,44	+231,46	+129,70	+180,21	+286,61	+147,21	+89,50	+200,43
परिचालन अनुपात	Operating ratio . .	83.7%	82.5%	87.5%	83.47%	82.2%	88.1%	91,6%	87.0%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात*	Ratio of net revenue to Capital-at-charge* .	17.5%	19.7%	11.7%	13.26%	17.8%	11.1%	8.8%	12.9%

@इसमें अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल स्टाक पर ब्याज के नाम खाते के +27,56 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990-91) और +27,13 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991-92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Debit of Rs.+27,56 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs.+27,13 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of the railway used by other zonal railways.

परिशिष्ट XI

पूर्वोत्तर रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

NORTH EASTERN RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Fec.1991	बजट/Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge . .	397,21	433,50	484,65	551,75	607,42	581,15	614,59	628,28
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings –								
(क) कोचिंग	(a) Coaching –								
(1) यात्री—	Passengers –								
ऊंचे दर्जे	Upper	1,51	1,78	2,30	2,26	2,75	2,75	2,83	3,20
दूसरा दर्जा	Second	107,97	118,82	149,76	157,50	184,25	179,25	184,67	198,80
जोड़—यात्री	Total Passengers . .	109,48	120,60	152,06	159,76	187,00	182,00	187,50	202,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching . .	17,27	13,27	12,54	11,96	15,25	18,10	17,70	18,00
(ख) माल	Goods	94,91	123,62	125,31	154,18	180,00	171,00	181,25	185,80
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	Sundry Other Earnings .	6,82	11,69	6,07	10,40	7,50	7,80	8,10	12,60
जोड़	TOTAL . . .	228,48	269,18	295,98	336,30	389,75	378,90	394,55	418,40
उचंत	Suspense .	–58	+2,72	—89	—1,48	—75	—75	—75	–0,75
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts .	227,90	271,90	295,09	334,82	389,00	378,15	393,80	417,65
संचालन व्यय	Working Expenses								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses –								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	24,93	29,02	31,07	33,14	36,97	36,62	40,54	40,54
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	40,01	45,57	52,77	56,65	59,50	58,40	64,17	62,17
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power . .	29,05	34,58	37,74	41,81	44,54	44,79	48,58	48,58
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons .	33,91	38,99	43,17	48,36	53,10	52,58	58,02	58,02
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment .	18,29	21,75	23,74	28,85	30,37	30,24	32,47	31,85
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses –Rolling Stock & Equipment	31,49	38,91	39,83	43,48	45,98	47,35	51,25	51,25
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses –Traffic	42,63	58,52	55,93	67,27	83,04	76,85	94,15	94,15
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses –Fuel	63,85	60,11	74,48	86,27	84,33	92,85	96,61	91,21
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	13,50	16,15	18,29	19,85	22,20	22,12	23,99	23,99
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses . . .	16,14	19,09	22,66	21,32	23,34	28,52	23,57	23,57
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits . . .	1,34	95	33	28	35	35	37	37
जोड़	TOTAL	315,14	363,64	400,01	447,28	483,72	490,67	533,72	525,70
उचंत	Suspense	–3,88	+1,35	+35	–87	—34	—1,53	—1,70	–3,70
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL– ORDINARY WORKING EXPENSES . .	311,26	364,99	400,36	446,41	483,38	489,14	532,02	522,00

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As persented in Feb.1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund .	52,94	58,17	64,46	74,95	87,49	87,18	88,52	86,36
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	24,35	30,40	38,12	47,36	58,62	58,97	65,06	68,31
जोड़—संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	388,55	453,56	502,94	568,72	629,49	635,29	685,60	676,67
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts .	—160,65	—181,66	—207,85	—233,90	—240,49	—257,14	—291,80	—259,02
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता-प्राप्त कंपनियों से अन्य प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies . .	..	..	..	..	2	1	1	1
(2) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	..	..	..	2	..	..	..	..
(3) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers . .	2,33	4,92	3,94	3,86	4,38	3,82	3,85	3,85
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions . . .	3,12	3,64	4,64	5,30	6,72	6,24	7,11	7,11
कुल—प्राप्ति	TOTAL—RECEIPTS . .	5,45	8,56	8,58	9,18	11,12	10,06	10,97	10,97
(ख) खर्च	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	22	23	—6	23	36	36	49	49
(2) चालू लाइन निर्माण–राजस्व	Open Line Works—Revenue	1,97	2,15	2,99	3,15	3,05	2,78	1,48	1,41
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	2,33	4,92	3,94	3,86	4,38	3,82	3,85	3,85
कुल खर्च	TOTAL—EXPENDITURE .	4,52	7,30	6,87	7,24	7,79	6,96	5,82	5,75
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	93	1,26	1,71	1,94	3,33	3,10	5,15	5,22
शुद्ध राजस्व	Net Revenue . . .	-159,72	—180,40	—206,14	—231,96	—237,16	—254,04	—286,65	-253,80
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payments to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Dividend to General—Revenues . . . Payment in lieu of passenger fare tax . . Contribution to Railway—Safety Works Fund .	23,04	25,95	28,90	32,88	37,09	36,23	39,37	39,37
@वर्ष में अधिशेष (+) या कमी (−)	@Surplus (+) or Shortfall (−) for the year . .	-182,76	-206,35	—235,04	—264,84	—274,25	—290,27	-326,02	-293,17
परिचालन अनुपात	Operating Ratio . .	170.5%	168.0%	169.8%	169.37%	161.6%	168.1%	174.2%	162.6%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge . .	-40.3%	-41.6%	−42.5%	−42.04%	—39.0%	—43.7%	-46.6%	-40.4%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के —2,15 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990–91) और —2,15 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991–92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Crdit of Rs. —2,15 lakhs (Revised Estimate 1990-91) and Rs. —2,15 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As persented in Feb.1991	बजट/Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
ब्याज देय पूंजी	Capital-at-charge	468,18	542,37	609,61	617,74	771,32	798,64	886,02	900,04
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	6,08	5,79	5,39	7,24	7,50	8,12	8,35	9,10
दूसरा दर्जा	Second	44,51	43,72	49,65	53,87	65,50	63,88	66,65	72,40
जोड़—यात्री	Total Passengers	50,59	49,51	55,04	61,11	73,00	72.00	75,00	81,50
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	10,28	7,28	6,76	7,62	9,50	9.90	9,60	9,90
(ख) माल	(b) Goods	117,75	138,18	156,95	191,53	205,00	201.00	214,00	220,85
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	6,80	6,71	8,34	9,27	8,50	8.50	8,85	9,35
जोड़	TOTAL	185,42	201,68	227,09	269,53	296,00	291,40	307,45	321,60
उचंत	Suspense	—56	+50	—2,26	+46	—75	—75	—75	—0,75
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	184,86	202,18	224,83	269,99	295,25	290,65	306,70	320,85
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	18,83	21,56	23,07	26,70	27,65	27,82	30,78	30,78
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	36,94	46,52	53,59	54,53	58,54	55,55	61,92	61,92
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	26,07	24,52	28,00	29,07	33,40	31,41	33,28	33,28
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	27,08	28,74	30,45	33,68	37,51	37,50	41,08	41,08
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	14,34	15,08	16,47	18,66	20,84	21,22	22,82	22,31
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	25,44	29,70	31,87	34,97	38,48	37,87	41,33	41,33
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	44,65	61,44	65,32	65,93	78,04	82,30	93,33	93,33
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	37,08	36,13	38,07	38,09	40,09	43,40	46,04	45,99
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	19,23	21,26	25,88	27,59	31,73	31,88	34,59	34,59
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	17,12	18,42	22,86	21,74	28,12	24,92	27,16	27,16
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	58	33	15	35	29	33	33	33
जोड़	TOTAL	267,36	303,70	335,73	351,31	394,69	394,20	432,66	432,10
उचन्त	Suspense	—3,78	+2,34	—226	—1,57	—1,53	—1,55	—1,55	—1,55
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	263,58	306,04	333,47	349,74	393,16	392,65	431,11	430,55
		3	..	..	..	..	..	..	—

*इसमें चालित लाइनों की प्राप्तियां शामिल हैं

*Includes receipts of worked lines.

परिशिष्ट XI | APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In Lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As persented in Feb.1991	बजट/Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	65,14	68,56	80,59	94,28	111,07	109,70	121,65	118,68
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	18.36	23,18	26,68	33,08	41,02	39,40	44,01	46 21
कुल—संचालन व्यय	TOTAL —Working Expenses	347 08	397,78	440,74	477,10	545,25	541,75	596,77	595 44
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	-162,22	195.60	-215,91	-207,11	250,00	—251,10	—290,07	-274,59
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	..	..	1	..	..	..	..	..
(3) यात्रियों पर अधिभार से प्राप्ति	Receipts from sur-charge on passengers	38	70	63	54	69	67	75	75
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	27,48	31,21	35,58	40,89	46,73	46,37	52,83	52,83
कुल—प्राप्ति	TOTAL —RECEIPTS	27,86	31,91	36,22	41,43	47,42	47,04	53,58	53,58
(ख) खर्च—	(b) Expenditure								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	16	33	47	33	31	21	17	17
(2) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works – Revenue	1,53	2,37	2,23	2,42	3,23	3,42	3,62	3,56
(3) चालित लाइनों को भुगतान शुद्ध आमदनी	Payment to Worked lines Net earnings	..	.	..	..	..		..	–
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation Safety and Passenger Amenities Fund	38	70	63	54	69	67	75	75
कुल—खर्च	TOTAL —EXPENDITURE	2,07	3,40	3,33	3,29	4,23	4,30	4,54	4,48
शुद्ध विविध प्राप्तियां	Net Miscellaneous Receipts	25,79	28,51	32,89	38,14	43,19	42,74	49,04	49,10
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	-136,43	—167,09	—183,02	—168,97	—206,81	—208,36	—241,03	-225,49
...य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenue –								
...य राजस्व को लाभांश ... कर के बदले ...र्माण निधि	Dividend to General Revenues; Payment in lieu of passenger fare tax; Contribution to Railways Safety Works Fund	3,48	-4,92	—4,34	—83	7,91	10,48	17,41	17,41
...) या कमी (–)	@Surplus (+) or Shortfall(–) for the year	-139,91	-162,17	-178,68	—168,14	-214,72	—218,84	—258,44	-242,90
	Operating Ratio	187.8%	196.1%	195.1%	177.60%	184.7%	186.4%	194.6%	185.6%
...राजस्व का अनुपात	Ration of net revenue to capital at-charge	-29.1%	-30.8%	-30.0%	-24.34%	—26.8%	—26.1%	—27,2%	-25.1%

...द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल स्टाक पर ब्याज के जमा ...5,57 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990–91) और ... रुपये (बजट अनुमान, 1991–92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes credit of Rs. —15,57 lakhs (Revised Estimate 1990-91) and Rs. —15,55 lakhs (Budget Estimates, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of other zonal railway used by this Railway.

परिशिष्ट XI — APPENDIX XI

दक्षिण-मध्य रेलवे — SOUTH CENTRAL RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण — Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget, 1991-92: फरवरी, 1991 में प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget, 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now presented
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1149,77	1239,85	1214,27	1351,91	1517,93	1460,01	1531,82	1561,33
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching –								
(1) यात्री—	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	19,85	23,89	28,91	33,14	33,30	43,28	44,58	49,00
दूसरा दर्जा	Second	159,61	167,42	196,68	212,98	249,20	244,72	251,42	276,00
जोड़ यात्री	TOTAL PASSENGER	179,46	191,31	225,59	246,12	282,50	288,00	296,00	325,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching	36,09	27 29	27,75	30,79	34,25	33,50	32,70	39,15
(ख) माल	(b) Goods	486,89	546,90	622,29	721,48	821,00	827,00	876,00	907,90
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	13,61	16,96	20,77	20,41	18,75	20,00	20,80	23,30
जोड़	TOTAL	716,05	782,46	896,40	1018,80	1156,50	1168,50	1225,50	1295,35
उचंत	Suspense	—137	+1,70	—1,22	—1,14	—2,00	—2,00	—2,00	—2,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	714,68	784,16	895,18	1017,66	1154,50	1166,50	1223,50	1293,35
संचालन व्यय—	Working Expenses –								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses –								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	27,16	32,39	34,24	39,24	40,50	41,68	45,98	45,98
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	65,65	72,77	83,31	94,15	101,10	100,79	113,26	110,76
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	56,51	55,54	61,46	65,31	80,91	73,12	76,10	76,10
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	50,52	58,91	68,32	77,22	87,62	83,58	91,58	90,58
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	27,29	26,23	31,65	35,98	40,04	39,53	42,38	41,30
(08) परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses-Rolling Stock & Equipment	40,62	50,70	53,02	58,05	63,76	60,24	67,79	67,79
(09) परिचालन व्यय यातायात	Operating Expenses Traffic	48,04	54,47	72,67	103,38	111,86	121,59	148,11	148,11
(10) परिचालन व्यय ईंधन	Operating Expenses Fuel	113,28	1[illegible]3,53	123,29	135,39	137,28	165,09	183,07	177,58
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	20,02	23,84	26,60	30,65	32,28	34,00	37,00	37,00
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	20,98	24,55	27,98	29,48	35,58	35,21	39,[illegible]	[illegible]
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident fund, Pension and other retirement benefits	38	3	17	5	31	32	[illegible]	[illegible]
जोड़	TOTAL	470,45	522,96	582,71	668,90	731,14	755,15	[illegible]	[illegible]
उचंत	Suspense	—1,52	+3	—20	+18	+2,59	+9	[illegible]	[illegible]
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total Ordinary Working Expenses	465,93	522,99	582,51	669,08	733,73	755,2[illegible]	[illegible]	[illegible]

5,55 ला[illegible]
106 RB/91

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In Lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92 फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As persented in Feb.1991	बजट/Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
…त-आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	65,14	68,56	80,59	94,28	111,07	109.70	121,65	118,68
…न निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	18 36	23,18	26,68	33,08	41,02	39.40	44,01	46 21
कुल—संचालन व्यय	TOTAL—Working Expenses	347 08	397,78	440,74	477.10	545,25	541,75	596,77	595 44
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	-162,22	195.60	-215,91	-207.11	250,00	—251,10	—290,07	-274,59
…विध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
प्राप्ति—	(a) Receipts—								
…प्राप्त कम्पनियों से	Other receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
	Other Miscellaneous Receipts	..	..	1	..	..	..	..	..
…से	Receipts from sur-charge on passengers	38	70	63	54	69	67	75	75
…तों के …आर्थिक	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	27,48	31,21	35,58	40,89	46,73	46,37	52,83	52,83
	TOTAL—RECEIPTS	27,86	31,91	36,22	41,43	47,42	47,04	53,58	53,58
	(b) Expenditure								
	Surveys	16	33	47	33	31	21	17	17
…र्ण-राजस्व	Open Line Works—Revenue	1,53	2,31	2,23	2,42	3,23	3,42	3,62	3,56
…भुगतान	Payment to Worked lines Net earnings	..	.	..	..	..		..	—
…रक्षा और …में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation Safety and Passenger Amenities Fund	38	70	63	54	69	67	75	75
	TOTAL—EXPENDITURE	2,07	3,40	3.33	3,29	4,23	4,30	4,54	4,48
	Net Miscellaneous Receipts	25,79	28,51	32,89	38,14	43,19	42,74	49,04	49,10
	Net Revenue	-136,43	—167,09	—183,02	—168,97	—206,81	—208,36	—241,03	-225,49
	Payment to General Revenue— Dividend to General Revenues / Payment in lieu of passenger fare tax. / Contribution to Railways Safety Works Fund	3,48	-4,92	—4,34	—83	7,91	10,48	17,41	17,41
	…(+) or Shortfall(—)	-139,91	-162,17	-178,68	—168,14	-214,72	—218,8 4	—258,44	-242,90
	…	187.8%	196.1%	195.1%	177.60%	184.7%	186.4%	194.6%	185.6%
	…evenue to …	-29.1%	-30.8%	-30.0%	-24.34%	—26.8%	—26.1%	—27,2%	-25.1%

@Excludes credit of Rs. —15,57 lakhs (Revised Estimate … 15,65 lakhs (Budget Estimates, 1991-92)

परिशिष्ट XI

दक्षिण रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDI

SOUTHERN R

Statement of Revenue R

(लाख

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट			
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	921,29	983,90	1075,55	1191,01	134			
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings—								
(क) कोचिंग	(a) Coaching—								
(1) यात्री—	(i) Passenger								
ऊंचे दर्जे	Upper	20,65	25,36	31,75	34,53	47,00	56,35	58,41	
दूसरा दर्जा	Second	160,16	169,53	204,55	210,40	244,00	233,65	240,59	260
जोड़—यात्री	TOTAL PASSENGERS	180,81	194,89	236,30	244,93	291,00	290,00	299,0	
(2) अन्य कोचिंग	(ii) Other Coaching	30,25	32,59	36,63	45,62	39,50	53,00		
(ख) माल	(b) Goods	266,24	302,65	329,30	387,83	431,00	43		
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	19,95	22,83	27,50	30,95	29,00			
जोड़	TOTAL	497,25	552,96	629,73	709,33	790,50			
उचंत	Suspense	+8,93	+1,14	+2,98	+91	−1,50			
*यातायात से कुल प्राप्ति	*Gross Traffic Receipts	506,18	554,10	632,71	710,24	789,00	8		
संचालन व्यय—	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	33,49	38,57	41,64	46,30	50,02			
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	58,57	63,24	68,06	76,69	81,13			
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	41,53	44,60	42,04	57,33	56,14	5		
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	73,52	85,74	88,57	105,53	116,61	111,		
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	32,33	35,15	36,47	41,51	44,89			
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses— Rolling Stock & Equipment	40,95	50,49	50,21	55,04	60,05			
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses— Traffic	60,34	65,04	84,06	91,64	121,99			
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses— Fuel	87,89	91,78	96,02	104,09	107			
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	21,83	25,79	27,07	30,33				
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	29,50	32,53	34,46	38				
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident fund, pension and other retirement benefits	16	11						
जोड़	TOTAL	480,11	533,04						
उचंत	Suspense	−3,16	−1,76						
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORK-								

परिशिष्ट XI APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत Budget 1991-92 As presented in Feb. 1901	अब यथा प्रस्तावित As now presented
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	129,65	134,92	146,20	166,34	187,63	188,19	198,20	193,36
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	37,08	48,20	53,56	65,89	84,02	81,67	91,43	96,00
कुल—संचालन व्यय	TOTAL -WORKING EXPENSES	643,68	714,40	766,79	878,96	982,17	963,18	1087,56	1084,02
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	-137,50	-160,30	-134,08	-168,72	-193,17	-156,68	-246,11	-193,42
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions –								
(क) प्राप्तियां—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्तियां	Other recipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) अन्य विविध प्राप्तियां	Other Miscellaneous Receipts	8	18	4	54	..	21	21	21
(3) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers	2,78	6,00	4,45	4,58	4,91	5,03	5,25	5,25
(4) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	17,52	16,93	19,81	22,87	31,44	28,70	32,71	32,71
कुल प्राप्ति	TOTAL RECEIPTS	20,38	23,11	24,30	27,99	36,35	33,94	38,17	38,17
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	51	43	22	3	21	20	15	15
(2) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	Open Lines Works—Revenue	3,29	3,82	4,80	4,78	3,31	3,52	3.84	3,89
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	2,78	6,00	4,45	4,58	4,91	5,03	5,25	5,25
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITUVE	6,58	10,25	9,47	9,39	8,43	8,75	9,24	9,29
शुद्ध विविध प्राप्ति,	Net Miscellaneous Receipts	13,80	12,86	14,83	18,60	27,92	25,19	28,93	28,88
शुद्ध राजस्व	Net Revenues	-123,70	-147,44	-119,25	-150,12	-165,25	-131,49	-217,18	-164,54
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश	Dividend to General Revenues								
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान	Payment in lieu of passenger fare tax								
रेलवे संरक्षा निर्माण निधि ...दान	Contribution to Railway Safety Works Fund	55,67	61,42	66,85	74.85	95,29	83,74	91,66	91,66
...) या हानि(−)	@Surplus(+) or Shortfall (−) for the year	-179,37	-208,86	-186,10	-224,97	-250,54	-215,23	-308,84	-256,20
	Operating Ratio	127.2%	129.5%	122.0%	124.02%	124.2%	119.2%	129.1%	121.5%
...द्ध राजस्व का	Ratio of net revenue to Capital-at-charge	-13.4%	-15.0%	—11.1%	-12.60%	-12.3%	-10.1%	-16.0%	-11.8%

...ंत्रीय रेलों द्वारा प्रयुक्त इस रेलवे के चल-स्टाक पर ...नाम खाते के + 12,48 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, ...91) और + 12,61 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991–92) ... नहीं है।

@Excludes Debit of Rs. +12,48 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs.+12,61 lakhs, (Budget Estimate 1991-92) towards interest on Rolling Stock of this Railway used by other zonal railways.

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

दक्षिण-मध्य रेलवे

SOUTH CENTRAL RAILWAY

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget, 1991-92 फरवरी, 1991 में प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget, 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now presented
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge . .	1149,77	1239,85	1214,27	1351,91	1517,93	1460,01	1531,82	1561,33
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching –								
(1) यात्री —	Passenger—								
ऊंचे दर्जे	Upper	19,85	23,89	28,91	33,14	33,30	43,28	44,58	49,00
दूसरा दर्जा	Second	159,61	167,42	196,68	212,98	249,20	244,72	251,42	276,00
जोड़ यात्री	TOTAL PASSENGER . .	179,46	191,31	225,59	246,12	282,50	288,00	296,00	325,00
(2) अन्य कोचिंग	Other Coaching . .	36,09	27 29	27,75	30,79	34,25	33,50	32,70	39,15
(ख) माल	(b) Goods . . .	486,89	546,90	622,29	721,48	821,00	827,00	876,00	907,90
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	13,61	16,96	20,77	20,41	18,75	20,00	20,80	23,30
जोड़	TOTAL	716,05	782,46	896,40	1018,80	1156,50	1168,50	1225,50	1295,35
उचंत	Suspense	—137	+1,70	—1,22	–1,14	–2,00	—2,00	–2,00	—2,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts .	714,68	784,16	895,18	1017,66	1154,50	1166,50	1223,50	1293,35
संचालन व्यय—	Working Expenses –								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses –								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	27,16	32,39	34,24	39,24	40,50	41,68	45,98	45,98
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works . . .	65,65	72,77	83,31	94,15	101,10	100,79	113,26	110,,76
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power .	56,51	55,54	61,46	65,31	80,91	73,12	76,10	76,10
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	50,52	58,91	68,32	77,22	87,62	83,58	91,58	90,58
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment .	27,29	26,23	31,65	35.98	40,04	39,52	42,58	41,30
(08) परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses-Rolling Stock & Equipment	40,62	50,70	53,02	58,05	63,76	60,,4	67,79	67,79
(09) परिचालन व्यय यातायात	Operating Expenses Traffic	48,04	54,47	72,67	103,38	113,86	121,59	148,11	148,11
(10) परिचालन व्यय ईंधन	Operating Expenses Fuel	113,28	123,53	123,29	135,39	137,28	165,09	183,07	177,53
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	20,02	23,84	26,60	30,65	32,28	34,00	37,00	37,00
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses . . .	20,98	24,55	27,98	29,48	35,38	35,21	39,[illegible]	[illegible]
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident fund, Pension and other retirement benefits . . .	38	3	17	5	31	32	[illegible]	[illegible]
जोड़	TOTAL . . .	470,45	522,96	582,71	668,90	731,14	755,15	[illegible]	[illegible]
उचंत	Suspense	–1,52	+3	—20	+18	+2,59	+9	[illegible]	[illegible]
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total Ordinary Working Expenses . . .	468,93	522,99	582,51	669,08	733,73	755,24	845,3[illegible]	[illegible]

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb.1991	अब यथा प्रस्तावित As now presented
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	151,97	168,38	184,23	187,79	215,59	213,61	222,39	216,97
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	18,61	23,33	49,84	60,91	74,50	74,33	82,11	86,22
कुल संचालन व्यय	TOTAL WORKING EXPENSES	639,51	714,70	816,58	917,78	1023,82	1043,18	1149,85	11,37,97
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	75,17	69,46	78,60	99,88	130,68	123,32	73,65	155,38
विविध संव्यवहार	Miscellaneous Transactions								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति	Other Receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	—	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Board	..		33	1	36	25	36	36
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	1	46	3	10	5	—	1	1
(4) यात्रियों पर अधिप्रभार से प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers	1,85	3,91	3,27	3,29	3,47	3,55	3,75	3,75
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	16,34	17,66	19,37	19,52	25,11	21,88	24,94	24,94
कुल प्राप्ति	TOTAL RECEIPTS	18,20	22,03	23,00	22,92	28,99	25,68	29,06	29,06
(ख) खर्च	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	34	34	26	6	41	19	31	31
(2) चालू लाइन निर्माण-राजस्व	Open Line Works—Revenue	2,23	3,22	3,64	4,53	3,11	3.05	5,99	5,70
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	1,85	3,91	3,27	3,29	3,47	3,55	3,75	3,75
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	4,42	7,47	7,17	7,88	6,99	6,79	10,05	9,76
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	13,78	14,56	15,83	15,04	22,00	18.89	19,01	19,30
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	88,95	84,02	94,43	114,92	152,68	142,21	92,66	174,68
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Dividend to General Revenues Payment in lieu of Passenger fare tax Contribution to Railway Safety Works Fund	68.67	77,33	75,95	84,43	95,54	93,04	100,72	100,72
@वर्ष में लाभ (+) या हानि (−)	@Surplus (+) or Shortfall (−) for the year	+20,28	+6,69	+18,48	+30,49	+57,14	+49,17	−8,06	+73,96
परिचालन अनुपात	Operating ratio	89.5%	91.3%	91.1%	90.07%	88.3%	89.3%	93.8%	87.8%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge	7.7%	6.8%	7.8%	8.50%	10.1%	9.7%	6.0%	11.2%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के 4,14 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990-91) और −4,14 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991-92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes Credit of Rs. —4,14 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. —4,14 lakhs (Budget Estimate 1991-92) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI

दक्षिण-पूर्व रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

SOUTH EASTEN RAILWERY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में Figures in lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत Budget 1991-92 As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
ब्याजदेयपूंजी	Capital-at-charge	1546,12	1680,34	1837,48	2004,88	2250,38	2193,03	2317,30	2370,26
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings –								
(क) कोचिंग—	(a) Coaching –								
(1) यात्री—	(i) Passengers –								
ऊंचे दर्जे	Upper	14,18	19,45	25,50	27,37	31,00	32.12	33,08	36,00
दूसरा दर्जा	Second	121,99	119,99	141,80	149,57	174,00	174,88	179,92	193,50
जोड़—यात्री	Total passengers	136,17	139,44	167,30	176,94	205,00	207.00	213,00	229,50
(2) अन्य कोचिंग	(ii) Other Coaching	28,30	23,79	26,36	28,97	30,00	30,00	29,55	32,30
(ख) माल	(b) Goods	1074,87	1257,57	1355,16	1673,75	1802,00	1870,00	1972,00	2058,80
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(c) Sundry Other Earnings	11,73	19,20	21,01	22,22	18,00	19.00	19,75	23,75
जोड़	TOTAL	1251,07	1440,00	1569,83	1901,88	2055,00	2126,00	2234,30	2344,35
उचंत	Suspense	+60	+64	+8,65	−2,13	−1,50	−3,00	−1,50	−1,50
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1251,67	1440,64	1578,48	1899,75	2053,50	2123,00	2232,80	2342,85
संचालन व्यय —	Working Expenses—								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses—								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railway	44,38	50,38	53,61	59,19	64,88	64,50	71,61	71,61
(04) रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	99,03	109,77	122,46	131,53	151,86	143,95	158,71	154,71
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power	57,72	61,60	75,03	89,54	98,84	98,16	103,93	103,93
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	85,14	105,27	111,78	130,01	144,45	142,04	151,89	150,39
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	44,20	47,16	52,95	60,14	67,09	64,76	71,37	70,24
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses—Rolling Stock & Equipment	59,93	72,77	77,78	90,63	100,64	97,20	107,12	107,12
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses—Traffic	58,39	82,56	115,24	165,08	217,21	220,54	275,04	275,04
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses—Fuel	161,17	178.70	201,26	232,42	269,06	260,89	298,69	295,75
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	32,02	34,80	38,26	42,72	48,60	48,93	54,94	54,94
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	38,47	39,61	50,20	53,01	75,90	70,59	81,88	73,88
(13) भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Provident Fund Pension and other retirement benefits	68	78	75	75	1,00	1.00	1,00	1,00
जोड़	TOTAL	681,13	783,40	899,42	1055,02	1239,53	1212,56	1376,18	1358,61
उचंत	Suspense	-2,09	−2,47	−58	−4,33	−1,68	−1,68	−1,68	−3,68
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL—ORDINARY WORKING EXPENSES	679,04	780,93	898,84	1050,69	1237,85	1210,88	1374,50	1354,93

परिशिष्ट XI — Appendix XI — (लाख रुपयों में Figures in lakhs of rupees

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Resrve Fund	213,90	226,43	249,68	284,17	322,27	316,79	334,05	325,90
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	43,39	55,30	61,19	90,22	109,95	108,70	119,45	125,42
कुल—संचालन-व्यय	TOTAL -WORKING EXPENSES	936,33	1062,66	1209,71	1425,08	1670,07	1636,37	1828,00	1806,25
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	315,34	377,98	368,77	474,67	383,43	486,63	404,80	536,60
विविध संव्यवहार—	Miscellaneous Transactions—								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts—								
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्ति	(i) Other receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	(ii) Railway Recruitment Boards	..	..	..	..	..	..	..	..
(3) अन्य विविध प्राप्ति	(iii) Other Miscellaneous Receipts	..	..	..	..	..	..	..	..
(4) यात्रियों पर अधिभार से प्राप्ति	(iv) Receipts from surcharge on passengers	2,11	4,53	4,05	3,60	4,27	3,90	4,00	4,00
(5) लाभांश तथा अन्य रियायतों के के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	(v) Subsidy from General Revenues towards Dividends reliefs and other concessions	16,13	21,25	30,05	37,88	49,59	48,03	54,74	54,74
कुल—प्राप्ति	TOTAL -RECEIPTS	18,24	25,78	34,10	41,48	53,86	51,93	58,74	58,74
(ख) खर्च—	(b) Expenditure—								
(1) सर्वेक्षण	(i) Surveys	25	75	31	24	38	30	45	45
(2) चालित लाइनों को भुगतान—छूट	(ii) Payment to Worked Lines -Rebate	1	1	1	1	1	1	1	1
(3) चालू लाइन निर्माण—राजस्व	(iii) Open Line Works—Revenue	2,68	3,28	2,82	3,02	4,55	4,76	6,35	6,90
(4) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	(iv) Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	2,11	4,52	4,05	3,60	4,27	3,90	4,00	4,00
कुल खर्च	TOTAL EXPENDITURE	5,05	8,56	7,19	6,87	9,21	8,97	10,81	11,36
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Rereceipts	13,19	17,22	26,91	34,61	44,65	42,96	47,93	47,38
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	328,53	395,20	395,68	509,28	428,08	529,59	452,73	583,98
सामान्य राजस्व को भुगतान—	Payment to General Revenues—								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	(i) Dividend to General Revenues (ii) Payment in lieu of passenger fare tax (iii) Contribution to Railway Safety Woks Fund	96,11	102,06	112,78	127,05	145,56	142,86	158,56	158,56
@वर्ष में लाभ (+) या हानि (−)	@Surplus(+) or Shortfall(−) for the year	+232,42	+293,14	+282,90	+382,23	+282,52	+386,73	+294,17	+425,42
परिचालन अनुपात	Operating ratio	74.8%	74.0%	77.1%	75.16%	81.3%	77.0%	81.9%	77.2%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge	21.3%	23.5%	21.5%	25.40%	19.0%	24.1%	19.5%	24.6%

@इसमें इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के—18,89 लाख रुपए (संशोधित अनुमान, 1990-91) और —18,89 लाख रुपए (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं

@Excludes credit of Rs. —18,89 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. —18,89 lakhs (Budget Estimate 1991-92) towards inteest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI

पश्चिम रेलवे

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण

APPENDIX XI

WESTERN RAILWAY

Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. '1991	अब यथा प्रस्तावित As Now proposed
ब्याजदेय पूंजी	Capital-at-charge	1087,18	1172,76	1275,09	1346,06	1483,25	1479,38	1553,00	1573,55
यातायात से आमदनी—	Traffic Earnings —								
(क) कोचिंग	(*a*) Coaching —								
(1) यात्री—	(*i*) Passengers —								
ऊंचे दर्जे	Upper	42,17	47,69	64,61	71,08	81,46	80,70	83,15	92,50
दूसरा दर्जा	Second	278,88	295,20	351,11	378,51	447,04	449,30	461,85	502,50
जोड़ यात्री	Total passengers	321,05	342,89	415,72	449,59	528,50	530,00	545,00	595,00
(2) अन्य कोचिंग	(*ii*) Other Coaching	36,00	27,65	29,50	3,351	36,00	42,00	41,00	42,15
(ख) माल	(*b*) Goods	759,99	908,96	944,78	1140,94	1233,00	1241,00	1315,75	1360,15
(ग) अन्य फुटकर आमदनी	(*c*) Sundry Other Earnings	17,97	17,61	20,46	24,68	24,50	30,00	31,20	32,70
जोड़	TOTAL	1135,01	1297,11	1410,46	1648,72	1822,00	1843,00	1932,95	2030,00
उचंत	Suspense	—5,30	—24,41	—9,43	—10,45	—5,00	—10,00	—5,00	—5,00
यातायात से कुल प्राप्ति	Gross Traffic Receipts	1129,71	1272,70	1401,03	1638,27	1817,00	1833,00	1927,95	2025,00
संचालन व्यय—	Working Expenses —								
साधारण संचालन व्यय	Ordinary Working Expenses —								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	39,52	45,07	48,72	54,59	59,74	59,69	66,53	66,53
(04) रेल पथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	78,07	86,03	88,92	98,10	108,02	107,59	117,10	114,60
(05) रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenances of Motive Power	64,59	70,15	76,55	90,11	96,98	93,98	107,91	107,91
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	95,48	103,75	108,23	131,83	137,54	136,23	151,73	148,73
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	51,89	57,75	58,91	67,00	72,22	71,93	78,16	76,24
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses — Rolling Stock & Equipment	64,41	76,31	80,90	86,55	96,35	93,13	102,62	102,62
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses — Traffic	93,75	117,46	141,50	167,93	196,40	189,22	225,79	225,79
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses — Fuel	154,64	164,36	169,79	194,24	187,75	221,68	244,16	241,90
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	26,24	30,84	34,11	36,63	41,11	41,09	45,76	45,76
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	36,64	41,76	52,95	52,58	52,57	53,67	58,98	57,98
(13) भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	1,28	64	59	56	72	1,01	1,15	1,15
जोड़	TOTAL	706,51	794,12	861,17	980,12	1049,40	1074,27	1199,89	1189,21
उचंत	Suspense	—2,54	—4,12	+2,56	—5,86	+2,59	+3,32	+3,06	+2,06
जोड़—साधारण संचालन व्यय	TOTAL — ORDINARY WORKING EXPENSES	703,97	790,00	863,73	974,26	1051,99	1077,59	1202,95	1191,27

परिशिष्ट XI

APPENDIX XI

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals, 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget 1991-92: फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb.1991	बजट/Budget 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now proposed
मूल्यह्रास मारक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund	155,14	159,22	174,26	197,20	214,58	218,19	225,34	219,35
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	54,91	72,01	82,70	103,94	130,37	128,45	145,49	152,76
कुल संचालन व्यय	TOTAL—WORKING EXPENSES	914,02	1021,23	1120,69	1275,40	1396,94	1424,23	1573,78	1563,88
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	215,69	251,47	280,34	362,87	420,06	408,77	354,17	461,12
विविध संव्यवहार —	Miscellaneous Transactions –								
(क) प्राप्ति—	(a) Receipts –								
(1) सहायता प्राप्त कंपनियों से अन्य प्राप्ति	Other receipts from subsidised companies	..	..	..	..	..	..	..	..
(2) रेल भर्ती बोर्ड	Railway Recruitment Boards	..	..	..	20	20	22	22	22
(3) अन्य विविध प्राप्ति	Other Miscellaneous Receipts	3	18	19	6	2	6	3	3
(4) यात्रियों से अधिप्रभार की प्राप्ति	Receipts from surcharge on passengers	7,04	16,30	15,16	14,85	16,65	15,88	16,00	16,00
(5) लाभांश राहतों तथा अन्य रियायतों के लिए सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता	Subsidy from General Revenues towards Dividend reliefs and other concessions	6,57	7,14	11,70	10,36	13,40	11,75	13,39	13,39
जोड़	TOTAL	13,64	23,62	27,05	25,47	30,27	27,91	29,64	29,64
(ख) खर्च	(b) Expenditure –								
(1) सर्वेक्षण	Surveys	31	38	44	—26	89	74	56	56
(2) चालू लाइन निर्माण —राजस्व	Open Line Works –Revenue	3,48	4,85	3,94	5,25	8,36	7,89	6,57	5,08
(3) दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में विनियोग	Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	7,04	16,30	15,16	14,85	16,65	15,88	16,00	16,00
जोड़—खर्च	TOTAL –EXPENDITURE	10,83	21,53	19,54	19,84	25,90	24,51	23,13	21,64
शुद्ध विविध प्राप्ति	Net Miscellaneous Receipts	2,81	2,09	7,51	5,63	4,37	3,40	6,51	8,00
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	218,50	253,56	287,85	368,50	424,43	412,17	360,68	469,12
सामान्य राजस्व को भुगतान	Payments to General Revenues –								
(1) सामान्य राजस्व को लाभांश (2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान (3) रेलवे संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान	Dividend to General Revenues; Payments in lieu of passenger fare tax; Contribution to Railway Safety Works Fund	68,16	69,29	75,55	82,32	89,10	88,40	97,12	97,12
@वर्ष में लाभ (+) या हानि (—)	@Surplus (+) or Shortfall (—) for the year	+150,34	+184,27	+212,30	+286,18	+335,33	+323,77	+263,56	+372,00
परिचालन अनुपात	Operating ratio	80.9%	79.1%	79.3%	77.71%	76.5%	77.1%	81.3%	76·9%
ब्याजदेय पूंजी से शुद्ध राजस्व का अनुपात	Ratio of net revenue to Capital-at-charge	20.1%	21.6%	22.6%	26.69%	28.6%	27.9%	23.2%	29·8%

@इस में इस रेलवे द्वारा प्रयुक्त अन्य क्षेत्रीय रेलों के चल-स्टाक पर ब्याज के जमा खाते के 68 लाख रुपये (संशोधित अनुमान, 1990-91) और 64 लाख रुपये (बजट अनुमान, 1991-92) शामिल नहीं हैं।

@Excludes credit of Rs. —68 lakhs (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. —64 lakhs (Budget Estimate, 1991-92) towards interest on Rolling Stock of other zonal railways used by this railway.

परिशिष्ट XI / APPENDIX XI

मैट्रो रेल, कलकत्ता / METRO RAILWAY, CALCUTTA

राजस्व प्राप्ति और खर्च का विवरण / Statement of Revenue Receipts and Expenditure

(लाख रुपयों में In lakhs of rupees)

		वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals, 1987-88	वास्तविक Actuals, 1988-89	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट/Budget, 1991-92	
								फरवरी 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
*पूंजी निवेश	*Capital Investment	460,72	546,19	625,15	706,46	792,65	796,35	869,85	914,87
यातायात से आमदनी	Traffic Earnings –								
यात्री—दूसरा दर्जा	Passenger - Second	1,20	1,96	2,11	2,47	3,00	2,85	3,00	3,00
अन्य कोचिंग	Other Coachnig	..	..	1	..	..	..	..	..
अन्य फुटकर आमदनी	Sundry other Earning	0,03	10	18	21	25	25	25	0,25
जोड़—	TOTAL	1,23	2,06	2,30	2,68	3,25	3,10	3,25	3,25
संचालन व्यय	Working Expenses –								
साधारण संचालन व्यय—	Ordinary Working Expenses –								
(03) रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	General Superintendence and Services on Railways	11	17	22	24	26	25	28	28
(04) रेल पथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Permanent Way & Works	9	47	44	64	65	69	79	79
(05) रेल इंजन की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Motive Power		..	..	..	..	..	..	..
(06) सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Carriages & Wagons	6	30	43	57	59	59	68	68
(07) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance of Plant & Equipment	20	44	78	94	1,05	99	1,09	1,09
(08) परिचालन व्यय—चल-स्टाक और उपस्कर	Operating Expenses – Rolling Stock & Equipment	22	31	2,22	3,11	3,18	3,18	3,64	3,64
(09) परिचालन व्यय—यातायात	Operating Expenses – Traffic	47	69	80	92	99	91	99	99
(10) परिचालन व्यय—ईंधन	Operating Expenses – Fuel	90	1,65	74	100	99	1.00	1,10	1,10
(11) कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	Staff Welfare & Amenities	0·26	0.85	2	4	5	8	10	10
(12) विविध संचालन व्यय	Miscellaneous Working Expenses	15	29	39	56	63	58	63	63
(13) भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	Provident Fund, Pension and other retirement benefits	—25	..	..	..	..	..	..	–
जोड़	TOTAL	1,95	4,33	6,04	8,02	8,39	8,27	9,30	9,30
उचंत	Suspense	—3	—7	—8	—9	—15	—8	—8	—8
जोड़—साधारण संचालन व्यय	Total Ordinary Working Expenses	1,92	4,26	5,96	7,93	8,24	8,19	9,22	9,22
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग	Appropriation to Depreciation Reserve Fund		..	..	..	..	..	..	..
पेंशन निधि में विनियोग	Appropriation to Pension Fund	22	22	33	41	50	49	55	58
कुल संचालन व्यय	TOTAL – WORKING EXPENSES	2,14	4,48	6,29	8,34	8,74	8,68	9,77	9,80
यातायात से शुद्ध प्राप्ति	Net Traffic Receipts	—91	—2,42	—3,99	—5,66	—5,49	—5,58	—6,52	—6,55
शुद्ध राजस्व	Net Revenue	—91	—2,42	—3,99	—5,66	—5,49	—5,58	—6,52	—6,55

*यह भारतीय रेल प्रणाली की ब्याज देय पूंजी का भाग नहीं है। इसका लेखा-जोखा महानगर परिवहन परियोजना के विविध अग्रिम पूंजी के अंतर्गत अलग से रखा जाता है।

*Does not form the part of Capital-at-Charge of Indian Railway System. Booked separately under miscellaneous advances Capital (MTP.)

परिशिष्ट XII / APPENDIX XII
मूल्यह्रास आरक्षित निधि / Depreciation Reserve Fund

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund	नवीकरण और बदलाव के लिए निकाली गई रकम Withdrawals towards renewals and replacements	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	नाम मात्र इति-शेष Nominal closing balance	घाटा पूरा करने के लिए अस्थायी ऋण Temporary loans to meet deficit	*वास्तविक इतिशेष *Actual closing balance
1924-25	10,35	7,29	3,06	3,06	..	3,06
1925-26	10,67	7,99	2,68	5,74	..	5,74
1926-27	10,89	8,05	2,84	8,58	..	8,58
1927-28	11,38	10,95	43	9,01	..	9,01
1928-29	12,00	9,60	2,40	11,41	..	11,41
1929-30	12,59	11,76	83	12,24	..	12,24
1930-31	13,07	11,39	1,68	13,92	..	11,92
1931-32	13,46	8,26	5,20	19,12	4,25	14,87
1932-33	13,77	6,35	7,42	26,54	10,23	11,00
1933-34	13,56	8,07	5,49	32,03	4,96	9,59
1934-35	13,72	8,66	5,06	37,09	5,06	9,59
1935-36	13,26	9,16	4,10	41,19	4,00	9,69
1936-37	13,17	7,88	5,29	46,48	−1,21	16,19
1937-38	12,59	(क) (*a*) 7,69	4,90	(ख) (*b*) 49,90	..	1,65
1938-39	12,56	7,08	5,48	55,38	..	25,09
1939-40	12,59	6,53	6,06	61,44	..	91,15
1940-41	12,64	7,19	5,45	66,89	..	96,00
1941-42	12,68	5,35	7,33	74,22	−7,91	91,84
1942-43	(ग) (*c*) 12,80	4,95	7,85	82,07	(घ) (*d*) —22,38	82,09
1943-44	16,87	6,64	10,23	92,30	..	92,37
1944-45	17,01	8,18	8,83	(ङ)(*e*) 102,21	..	102,21
1945-46	(च)(*f*) 17,25	12,01	5,24	107,45	..	107,45
1946-47	13,21	12,37	84	108,29	..	108,29
1947-48 (1-4-47 से to 14-8-1947)	6,86	2,66	4,20	112,49	..	(छ)(*g*) 112,44
(15-8-47 से to 31-3-1948)	6,81	3,27	3,54	(ज) (*h*) 95,74	..	95,75
1948-49	(झ) (*i*) 23,11	17,28	5,83	101,57	..	10,11
1949-50	19,17	11,73	7,44	109,01		109,01
1950-51	33,59	26,63	6,96	(ञ) (*j*) 123,65	..	123,65

परिशिष्ट XII—जारी | APPENDIX XII —*contd.*

मूल्यह्रास आरक्षित निधि | **Depreciation Reserve Fund**

(लाख रुपयों में)(Figures in lakhs of rupees)

	निधि में विनियोग Appropriation to Fund from				निधि से निकाली गयी रकम Withdrawal from Fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during year	†इति शेष †Closing Balance
	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	शेष पर ब्याज Interest on balance	जोड़ Total			
1951-52	30,00	21	3,58	33,79	35,87	—2,08	(ट *k*) 122,02*
1952-53	30,00	33	4,09	34,42	40,89	—6,47	(ठ *l*) 116,36*
1953-54	30,00	36	3,61	33,97	38,02	– 4,05	(ड *m*) 122,79 *
1954-55	30,00	37	3,35	33,72	45,82	– 12,10	100,69*
1955-56	45,00	41	3,26	48,67	45,89	2,78	103,47*
1956-57	45,00	63	3,27	48,90	43,68	5,22	(ढ *n*) 103,14*
1957-58	45,00	1,23	3,15	49,38	63,62	– 14,24	(ण *o*) 88,89*
1958-59	45,00	87	2,53	48,40	80,72	– 32,32	(त *p*) 56,70*
1959-60	45,00	85	2,11	47,96	68,36	– 20.40	(थ *q*) 37,30*
1960-61	45,00	79	85	46,64	64,04	—17,40	(द *r*) 19,79*
1961-62	65,00	1,77	86	67,63	58,23	9,40	29,19*
1962-63	67,00	1,09	93	69,02	75,37	—6,35	22,84*
1963-64	80,00	1,54	1,03	82,57	72,40	10,18	(ध *s*) 32,97*
1964-65	83,00	1,25	1,44	85,69	75,39	10,30	43,27*
1965-66	85,00	1,64	1,85	88,49	78,91	9,58	52,85*
1966-67	100,00	2,01	2,60	104,61	79,69	24,92	(न *t*) 77,76*
1967-68	95,00	2,18	3,15	100.33	93,82	6,51	(प *u*) 79.74*
1968-69	95,00	2,40	3,69	101,09	80,39	20,70	(फ *v*) 98,17*
1969-70	95,00	2,48	4,86	102,34	73,78	28,56	(ब *s*) 126,38*
1970-71	100,00	2,53	6,01	108,54	90,68	17,86	(भ *x*) 144,47*
1971-72	105,00	2,55	6,81	114,36	90,87	23,49	(म *y*) 167,61*
1972-73	110,00	2,58	7,95	120,53	113,60	6,93	(य *z*) 174,16*
1973-74	115,00	2,60	8,42	126,02	125,14	88	(कक *aa*) 175,74
1974-75	115,00	2,70	9,18	126,88	122,52	14,36	(कख *ab*) 189,98
1975-76	115,00	2,85	10,13	127,98	124,57	3,41	(कग *ac*) 197,93
1976-77	135,00	2,87	10,88	148,75	125,22	23,53	(कघ *ad*) 218,67
1977-78	140,00	2,93	12,69	155,62	117,64	37,93	(कङ *ae*) 265,15
1978-79	145,00	2,80	14,77	162,57	136,19	26,38	(कच *af*) 282,87
1979-80	200,00	2,82	16,79	219,61	187,45	32,16	(कछ *ag*) 313,07
1980-81	220,00	3,20	17,44	240,64	278,63	—37,99	(कज *ah*) 75,59
1981-82	350,00	3,30	12,61	365,91	504,31	—138,40	137,19
1982-83	556,00	3,43	5,79	565,22	655,58	—90,36	46,83
1983-84	850,00	3,73	5,32	859,05	783,78	+75,27	122,10
1984-85	850,00	4,48	9,79	864,27	797,54	+66,73	188,83
1985-86	920,00	6,38	10,48	936,86	981,48	—44,62	144,21
1986-87	1250,00	9,32	12,11	1271,43	1175,29	+96,14	240,35
1987-88	1350,00	11,96	21,99	1383,96	1172,27	+211,68	452,03
1988-89	1500,00	12,73	30,44	1543,17	1477,62	+65,55	(कझ *ai*) 520,10
1989-90	1715,00	15,75	39,20	1769,95	1564.31	+205.64	725,74
1990-91 (ब०अ० B.E.)	1950,00	19,00	57,07	2026,07	1820,00	+206,07	1009,58
1990-91 (सं०अ० R.E.)	1950,00	19.00	50,16	2019,16	1877,00	+142,16	867,90
1991-92 (ब०अ० B.E.)	2000,00	20,00	60.73	2080,73	1887,00	+193,73	1061,63

†1933-34 से लेकर 1941-42 तक के इतिशेष में शाखा लाइन कम्पनियों को दिये गये कर्ज के 9 लाख रुपये शामिल हैं। 1937-38 से लेकर 1941-42 तक के शेष में शाखा लाइनों के हिस्से खरीदने में लगाये गये 31 लाख रुपये भी शामिल हैं। 1942-43 में यह रकम रेलवे आरक्षित निधि के निवेश लेखे में अन्तरित कर दी गयी।

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि इनमें शामिल किये गये भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हैं।

(क) छोड़ी हुई परिसम्पत्तियों के लेखे में 32 लाख की पूंजी शामिल है, जो बट्टे खाते में डाल दी गयी थी।

(ख) इसमें बर्मा रेलवे के बकाया के 1,48 लाख शामिल नहीं हैं।

(ग) इसमें बंगाल और नार्थ वेस्टर्न तथा रुहेलखण्ड और कुमाऊं रेलवे से अन्तरित नवीकरण उचंत के 23 लाख शामिल हैं।

(घ) इसमें रेलवे आरक्षित निधि से अन्तरित 6,30 लाख शामिल हैं।

(ङ) इसमें बंगाल-नागपुर, मद्रास और सदर्न मराठा और साउथ इण्डियन रेलों के बीच रेल-पथ और चल-स्टाक आदि पर खर्च के लिए नवीकरण आरक्षित निधि से अन्तरित 1,08 लाख शामिल हैं।

(च) इसमें बंगाल और नार्थ वेस्टर्न रेलवे कम्पनी से गतायु चलस्टाक आदि के हिसाब में वसूल की गयी 20 लाख की रकम शामिल है।

(छ) इसमें पाकिस्तान रेलवे पर अनुमानित बकाया के 20,30 लाख शामिल हैं।

(ज) 1 लाख निकालकर पाकिस्तान रेलवे से संबंधित छोड़ी हुई सम्पत्ति के लेखे में अनुमानित हिस्से के 20,30 लाख इसमें शामिल नहीं है।

(झ) अधिशेष से विनियोजित 11,80 लाख इसमें शामिल हैं।

(ञ) इसमें 1-4-1950 से ली गयी भूतपूर्व रियासती रेलों के लेखे के 7,67 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं। एक का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

(ट) 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 45 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं।

(ठ) 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 81 लाख शामिल हैं।

(ड) 1-4-1950 से ली गयी भूतपूर्व भारतीय रेलों के बकाया के संशोधन लेखे के 48 लाख शामिल हैं।

(ढ) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 2,76 लाख शामिल नहीं हैं और 1-4-1950 को ली गई भूतपूर्व मैसूर राज्य रेलवे के मूल्यह्रास आरक्षित निधि में कमी के लिए किये गये समायोजन के 1,62 लाख और उस पर ब्याज के 1,17 लाख भी शामिल नहीं हैं।

(ण) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 1 लाख शामिल नहीं है।

(त) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 13 लाख शामिल हैं।

†The closing balances from 1933-34 to 1941-42 include Rs. 9 lakhs on account of loans to Branch Line Companies and those from 1937-38 to 1941-42, also include Rs. 31 lakhs on account of investments in Branch Line Shares. In 1942-43 these amounts were transferred to the Railway Reserve Fund Investment Account.

*These figures are provisional as the balances of the ex-States Railways merged therein have not yet been finalised.

(*a*) Includes 32 lakhs written off capital on account of abandoned assets.

(*b*) Excludes 1,48 lakhs balance for Burma Railways.

(*c*) Includes 23 lakhs transferred from Bengal and North Western and Rohilkhand and Kumaon Railways' Renewals suspense.

(*d*) Includes 6,30 lakhs transferred from the Railway Reserve Fund.

(*e*) Includes 1,08 lakhs transferred from Renewal Reserve Fund for permanent way and rolling stock of the Bengal-Nagpur, Madras and Southern Mahratta and South Indian Railways.

(*f*) Includes 20 lakhs recovered from the Bengal—Nagpur and North Western Railway Company on account of over-age of rolling stock.

(*g*) Includes 20,30 lakhs, the estimated balance relating to Pakistan Railways.

(*h*) Excludes 20,30 lakhs, the estimated share, less 1 lakh on account of abandoned assets relating to Pakistan Railways.

(*i*) Includes 11,80 lakhs appropriated from the surplus.

(*j*) Includes 7,67 lakhs (Provisional) on account of Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950. Difference of 1 due to rounding off.

(*k*) Includes 45 lakhs (Provisional) on account of revision of the ex-Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950.

(*l*) Includes 81 lakhs on account of revision of the ex-Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950.

(*m*) Includes 48 lakhs on account of revision of the ex-Indian States Railways balance taken over from 1-4-1950.

(*n*) Excludes 2,76 lakhs on account of differences between *ad hoc* and revised balances on 15-8-1947 and 1,62 lakhs due to downward adjustment of D.R.F. balance of ex-Mysore State Rly. taken over on 1-4-1950 and 1,17 lakhs interest thereon.

(*o*) Excludes 1 lakh on account of difference between the *ad hoc* balance and further revised balance as on 15-8-1947.

(*p*) Includes 13 lakhs on account of difference between the *ad hoc* and revised balance on 15-8-1947.

(थ) इसमें भूतपूर्व जी०बी०एस० रेलवे से संबंधित भूतपूर्व रियासती रेलों के संशोधित बकाया के 5 लाख और मध्य रेलवे के विभाजन के पूर्व के संशोधित बकाया के 97 लाख शामिल हैं तथा विकास निधि में किया जाने वाला 2 लाख का खर्च इसमें शामिल नहीं है, जो मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अन्तरित कर दिया गया है।

(द) इसमें पश्चिम रेलवे के 15-8-1947 के तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 30 लाख शामिल नहीं हैं और विकास निधि से अंतरित योजना के अंतर्गत मध्य, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण रेलों के 1-4-1955 से 31-3-1960 तक के श्रेणी III और IV के कर्मचारियों के मकानों पर हुए खर्च के 19 लाख शामिल हैं।

(ध) इसमें विकास निधि और पूंजी से अन्तरित मध्य रेलवे पर 4 लाख का खर्च शामिल नहीं है।

(न) इसमें विकास निधि से अन्तरित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर 1 लाख का खर्च शामिल नहीं है।

(प) इसमें विकास निधि से अन्तरित 2,60 लाख का खर्च शामिल नहीं है—उत्तर रेलवे पर (137), दक्षिण रेलवे पर (78), दक्षिण पूर्व रेलवे पर (4) और पश्चिम रेलवे पर (41)। इसमें पूर्व (1), उत्तर (1,85) और दक्षिण (7) रेलों पर अन्तरित पूंजी से खर्च के 1,93 लाख भी शामिल नहीं हैं।

(फ) इसमें भागलपुर-मंदारहिल लाइन को फिर से बिछाने के काम के खर्च के विकास निधि से प्रत्याशित पश्चलेखन के 30 लाख और पूर्व और दक्षिण रेलों पर पूंजी से 1,97 लाख शामिल नहीं है।

(ब) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी को अन्तरित होने वाले 35 लाख शामिल नहीं हैं।

(भ) इसमें दक्षिण रेलवे पर विकास निधि को अन्तरित 23 लाख शामिल हैं।

(म) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी से अन्तरित 35 लाख शामिल नहीं हैं।

(य) इसमें दक्षिण रेलवे पर पूंजी से अन्तरित 38 लाख शामिल नहीं हैं।

(कक) इसमें पूंजी और विकास निधि से अन्तरित क्रमशः 40 लाख और 30 लाख शामिल हैं।

(कख) इसमें पूंजी से अन्तरित 12 लाख शामिल नहीं हैं।

(कग) इसमें पूंजी से अन्तरित 4,54 लाख शामिल हैं।

(कघ) इसमें पूंजी को अन्तरित 2,79 लाख शामिल नहीं हैं।

(कङ) इसमें पूंजी से अन्तरित नाम खाते के 50 लाख शामिल हैं।

(कच) इसमें पूंजी से अन्तरित नाम खाते के 33.31 लाख शामिल हैं।

(कछ) इसमें पूंजी से अन्तरित नाम खाते के 1,96 लाख शामिल हैं।

(कज) इसमें पूंजी से अन्तरित नाम खाते के 51 लाख शामिल हैं।

(कझ) इसमें पूंजी से अंतरण के 2,52 लाख रुपये शामिल हैं।

(*q*) Includes 5 lakhs on account of revision of ex-States Railways balances relating to ex-G.B.S. Railways, 97 lakhs due to revision of pre-partition balances on Central Railway and excludes 2 lakhs on account of expenditure met from Development Fund transferred to Depreciation Reserve Fund.

(*r*) Excludes 30 lakhs on account of difference between *ad hoc* and revised balance on 15-8-1947 on Western Railway and includes 19 lakhs on account of expenditure from 1-4-1955 to 31-3-1960 incurred on quarters for class III and IV staff forming part of a scheme transferred to Development Fund on Central, Northeast Frontier and Southern Railways.

(*s*) Excludes 4 lakhs due to expenditure transferred from Development Fund and Capital on Central Railway.

(*t*) Excludes 1 lakh due to expenditure transferred from Development Fund on Northeast Frontier Railway.

(*u*) Excludes 2,60 lakhs due to expenditure transferred from Development Fund on Northern (1,37), Southern (78), Southeastern (4) and Western Railway (41). Also excludes 1,93 lakhs due to expenditure from Capital transferred of Eastern (1), Northern (1,85) and Southern (7) Railways.

(v) Excludes 30 lakhs due to anticipated write back of the expenditure on the work "Restoration of Bhagalpur-Mandar Hill from Development Fund and 1,97 lakhs from Capital on Eastern and Southern Railways.

(.) Excludes 35 lakhs credits transferred to Capital on Southern Railway.

(*x*) Includes 23 lakhs transferred to Development Fund on Southern Railway.

(*y*) Excludes 35 lakhs transferred to Capital on Southern Railway.

(*z*) Excludes 38 lakhs transferred to Capital on Southern Railway.

(*aa*) Includes 40 lakhs and 30 lakhs transferred from Capital and Development Fund respectively.

(*ab*) Excludes 12 lakhs transferred from Capital.

(*ac*) Includes 4,54 lakhs transferred from Capital.

(*ad*) Excludes 2,79 lakhs transferred to Capital.

(*ae*) Includes 50 lakhs transfer of debit from Capital.

(*af*) Includes 33.31 lakhs transfer of debit from Capital.

(*ag*) Includes 1,96 lakhs transfer of debit from Capital.

(*ah*) Includes 51 lakhs transfer of debit to Capital.

(*ai*) Includes 2,52 lakhs transferred from Capital.

परिशिष्ट XIII — APPENDIX XIII

राजस्व आरक्षित निधि — Revenue Reserve Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund	निधि से निकाली गयी रकम Withdrawal from Fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	*इतिशेष *Closing Balance
1924-25	6,38	(कक aa) –38	6,00	6,00
1925-26	3,79	..	3,79	9,79
1926-27	1,49	..	1,49	11,28
1927-28	4,57	..	4,57	15,85
1928-29	2,58	..	2,58	18,43
1929-30	..	2,08	–2,08	16,35
1930-31	..	10,93	–10,93	5,42
1931-32	..	4,95	–4,95	47
1932-33	..	..	..	47
1933-34	..	..	..	47
1934-35	..	..	..	47
1935-36	..	..	..	47
1936-37	..	..	..	47
1937-38	(कख ab) 1	..	..	48
1938-39	..	..	..	48
1939-40	..	..	..	48
1940-41	(कग ac) 6,31	90	5,41	5,89
1941-42	..	–90	90	6,79
1942-43	8,86	(कघ ad) 6,36	2,56	9,35
1943-44	(ग ac) 13,20	..	13,20	22,55
1944-45	17,96	2,89	14,93	37,48
1945-46	6,20	5,55	65	38,13
1946-47	(कख ab) 13	(कङ ae) 15,25	–15,12	(कच af) 23,22
1947-48 (1-4-47 से to 14-8-47)	..	(कछ ag) 13,60	–13,60	9,42
(15-8-47 से to 31-3-48)	..	(कज ah) 12,58	–2,58	6,84
1948-49	(कझ ai) 3	5	–2	6,82
1949-50	..	..	..	6,82

परिशिष्ट XIII—जारी APPENDIX XIII—*contd.*

राजस्व आरक्षित निधि Revenue Reserve Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund	निधि से निकाली गयी रकम Withdrawal from fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	*इतिशेष *Closing Balance
1950-51	5,40	—1	5,41	(कज *aj*) 13,58†
1951-52	(कट *ak*) 19,12	—18	19,30	(कठ *al*) 33,72†
1952-53	(कड *am*) 2,26	—4	2,30	(कढ *an*) 36,05†
1953-54	1,13	..	1,13	37,18†
1954-55	1,18	..	1,18	38,36†
1955-56	(कण *ao*) 8,51	—2	8,53	46,89†
1956-57	1,52	..	1,52	(कत *ap*) 48,07†
1957-58	1,61	..	1,61	49,68†
1958-59	(कथ *aq*) 1,09	..	1,09	(कद *ar*) 49,37†
1959-60	1,90	..	1,90	(कभ *ax*) 51,60†
1960-61	1,84	..	1,84	53,44†
1961-62	1,93	..	1,93	55,37†
1962-63	2,02	..	2,02	57,39†
1963-64	(कन *at*) 1,79	..	1,79	(कप *au*) 58,57†
1964-65	2,25	..	2,25	60,82†
1965-66	2,39	..	2.39	(कपप *auu*) 63,20†
1966-67	2,16	(कफ *av*) 20,66	—18,50	44,70†
1967-68	1,18	(कब *a.*) 33,68	—32,50	12,20†
1968-69	33	(कभ *ax*) 9,04	—8,71	3,49†
1969-70	(कम *ay*) 8,89	(कय *az*) 10,16	—1,18	2,31†
1970-71	(खक *ba*) 25,13	(खख *bb*) 23,20	1,93	4,24†
1971-72	(खग *bc*) 9,02	(खघ *bd*) 12,95	—3,93	31†
1972-73	2	..	2	33†
1973-74	(खङ *be*) 99,81	(खच *bf*) 99,72	9	42†
1974-75	(खछ *bg*) 184,49	(खज *bh*) 168,33	16,16	16,58†
1975-76	(खझ *bi*) 155,51	(खञ *bj*) 170,02	—14,51	2,07†
1976-77	(खट *bk*) 214,05	(खठ *bl*) 164,05	50,00	52,07†
1977-78	(खड *bm*) 166,27	(खढ *bn*) 180,55	—14,28	37,79†
1978-79	(खण *bo*) 1	..	1	33
1979-80	3	..	3	36
1980-81	5	..	5	41
1981-82	2	..	2	43
1982-83	2	..	2	45
1983-84	2	..	2	47
1984-85	2	..	2	49
1985-86	(खत *bp*) 12	..	12	61
1986-87	2	..	2	63
1987-88	2	...	2	56*
1988-89	3	..	3	59
1989-90	2	..	2	61
1990-91 (सं०अ० B.E.)	3	..	3	66
1990-91 (सं०अ० R.E.)	3	..	3	64
1991-92 (ब०अ० B.E.)	3	..	3	67

*इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अंतरित 9 लाख रुपए शामिल हैं।

*Includes Rs.—9 lakhs TWFA

ये आंकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि इनमें शामिल किये गये भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किये गये हैं ।

*इतिशेष के मद में शाखा लाइन कम्पनियों के हिस्सों में निवेश और उन्हें दिये गये ऋण के लेखे 1925-26 से 1936-37 तक 47 लाख, 1937-38 से 1939-40 तक 48 लाख, 1940-41 से 1941-42 तक 43 लाख, 1942-43 से 1943-44 तक 83 लाख, 1944-45 में 90 लाख, 1945-46 में 83 लाख, 1946-47 में 52 लाख, 1947-48 से 1950-51 तक 26 लाख, 1951-52 में 28 लाख, 1952-53 में 40 लाख, 1953-54 में 46 लाख, 1954-55 में 50 लाख, 1955-56 में 51 लाख, 1956-57 में 57 लाख, 1957-58 से 1959-60 तक 48 लाख, 1960-61 में 44 लाख, 1961-62 से 1965-66 तक 37 लाख, 1966-67 से 1974-75 तक 31 लाख और 1975-76 और उसके बाद 32 लाख शामिल हैं ।

**1 का अन्तर पूर्णांकन के कारण है ।

(कक) इसमें जो रकम दिखायी गयी है वह सामानों के बही मूल्य और बाजार में उनके चालू भाव में अन्तर के कारण खर्च की गयी ।

(कख) इसमें शाखा लाइन के हिस्सों में लगी हुई निवेश पूंजी रद्द करने के कारण लाभ के 1 लाख रुपये शामिल हैं ।

(कग) इसमें शाखा लाइन के हिस्सों में लगी हुई पूंजी रद्द करने के कारण हुए लाभ के 1 लाख रुपये शामिल हैं ।

(कघ) मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अन्तरित किया गया ।

(कङ) इसमें सुधार निधि (अब विकास निधि) को अन्तरित 12 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

(कच) 1 का अन्तर पूर्णांकन के कारण है ।

(कछ) रेलवे का घाटा पूरा करने के लिए ।

(कज) रेलवे का घाटा पूरा करने के लिए ।

(कझ) यह शाखा लाइन के हिस्सों में लगी हुई पूंजी रद्द करने के कारण हुए लाभ का द्योतक है ।

(कञ) इसमें 1-4-1960 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के बकाया के 1,35 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं ।

(कट) इसमें बचत से विनियोग के 18,34 लाख शामिल हैं ।

(कठ) इसमें 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भारतीय रियासती रेलों के बकाया के संशोधित लेखे के 84 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं ।

(कड) इसमें अधिशेष से विनियोग के 1,19 लाख शामिल हैं ।

(कढ) इसमें 1-4-1950 से अधिकार में ली गयी भूतपूर्व भारतीय रियासती रेलों के संशोधित लेखे के 3 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं ।

(कण) इसमें अधिशेष से विनियोग के 7,14 लाख शामिल हैं ।

(कत) इसमें 15-8-1947 के तदर्थ और संशोधित शेष के अन्तर के 7 लाख, 1-4-1950 को अधिकार में ली गयी भूतपूर्व सिंधिया स्टेट रेलवे के बकाया के 25 प्रतिशत हिस्से के 21 लाख और इस पर ब्याज के 6 लाख शामिल नहीं हैं ।

(कथ) इसमें टिप्पणी (कत) के अनुसार विभाजन से पहले के शेष में कमी होने से सामान्य राजस्व को ब्याज की वापसी के 55 लाख शामिल नहीं हैं ।

These figures are provisional as the balance of the Ex-state Railways merged therein have not yet been finalised.

*The closing balances include 47 lakhs from 1925-26 to 1936-37, 48 lakhs from 1937-38 to 1939-40, 43 lakhs from 1940-41 to 1941-42, 83 lakhs from 1942-43 to 1943-44, 90 lakhs in 1944-45, 83 lakhs in 1945-46, 52 lakhs in 1946-47, 26 lakhs from 1947-48 to 1950-51, 28 lakhs in 1951-52, 40 lakhs in 1952-53, 46 lakhs in 1953-54, 50 lakhs in 1954-55, 51 lakhs in 1955-56, 57 lakhs in 1956-57, 48 lakhs in 1957-58 to 1959-60, 44 lakhs in 1960-61, 37 lakhs from 1961-62 to 1965-66 and 31 lakhs from 1966-67 to 1974-75 and 32 lakhs from 1975-76 onwards on account of investments in shares of and loans to branch line companies.

**Difference of 1 due to rounding off.

(*aa*) Represents amount utilised to write down the difference between the book values and the current market price of store.

(*ab*) Includes Rs. 1 lakh profit realised on investment in branch line shares cancelled.

(*ac*) Includes Rs. 1 lakh profit realised on cancellation of investments in branch line shares.

(*ad*) Transferred to Depreciation Reserve Fund.

(*ae*) Includes Rs. 12 crores transferred to Betterment Fund (now Development Fund).

(*af*) Difference of 1 is due to rounding off.

(*ag*) To meet Railway shortfall.

(*ah*) To meet Railway shortfall.

(*ai*) Represents profit accrued on account of cancellation of investments in branch line shares.

(*aj*) Includes 1,35 lakhs (Provisional) on account of ex-Indian State Railways balances taken over from 1-4-1960.

(*ak*) Includes 18,34 lakhs on account of appropriation from surplus.

(*al*) Includes 84 lakhs (Provisional) on account of revision of the Indian State Railway balances taken over from 1-4-1950.

(*am*) Includes 1,19 lakhs on account of appropriation from surplus.

(*an*) Includes 3 lakhs (Provisional) on account of revision of the ex-Indian State Railway balances taken over on 1-4-1950.

(*ao*) Includes 7,14 lakhs on account of appropriation from surplus.

(*ap*) Excludes 7 lakhs on account of difference between *ad hoc* and revised balance on 15-8-1947 and 21 lakhs representing 25 per cent share of balance in respect of ex-Scindia State Rly. taken over on 1-4-1950 and 6 lakhs interest thereon.

(*aq*) Excludes refund of 55 lakhs interest to General Revenues on reduction of pre-partition balances *vide* note (*ap*).

(कद) इसमें 15-8-1947 विभाजन से पहले के शेष में कमी 1,40 लाख शामिल नहीं हैं।

(कध) इसमें भूतपूर्व जी०बी०एस० रेलवे के संशोधित बकाया के 33 लाख शामिल हैं।

(कन) इसमें भूतपूर्व सिंधिया स्टेट रेलवे के बकाया के सम्बन्ध में सामान्य राजस्व को ब्याज की वापसी के 33 लाख शामिल नहीं हैं।

(कप) इसमें रियासती रेलों से सम्बन्धित बकाया में से भूतपूर्व सिंधिया स्टेट रेलवे के छोड़े गये बकाया के 61 लाख शामिल नहीं हैं।

(कपप) पूर्णांकन के कारण 1 शामिल नहीं है।

(कफ) इसमें पूंजी परिशोधन के 2,39 लाख और सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 18,27 लाख शामिल हैं।

(कब) इसमें पूंजी परिशोधन के 2,15 लाख और सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 31,53 लाख शामिल हैं।

(कभ) इसमें पूंजी परिशोधन के 1,18 लाख और सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 7,86 लाख शामिल हैं।

(कम) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 8,86 लाख शामिल हैं।

(कय) इसमें सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 9,83 लाख और पूंजी परिशोधन के 33 लाख शामिल हैं।

(खक) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 24,92 लाख शामिल हैं।

(खख) इसमें सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 19,84 लाख, 1969-70 के एक-तिहाई ऋण की अदायगी के 2,95 लाख और उस पर ब्याज के 40 लाख शामिल हैं।

(खग) इसमें अधिशेष से विनियोग के 8,63 लाख शामिल हैं।

(खघ) 1969-70 में लिये गये पहले ऋण की दूसरी किस्त की अदायगी और 1970-71 में लिये गये दूसरे ऋण की पहली किस्त की अदायगी के 11,26 लाख और उस ऋण पर ब्याज के 1,69 लाख शामिल हैं।

(खङ) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 99,72 लाख शामिल हैं।

(खच) सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के लिए।

(खछ) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 183,07 लाख शामिल हैं।

(खज) सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 129,61 लाख में 1973-74 से संबंधित अग्रेनीत लाभांश दायिता के 15,79 लाख, 1973-74 में लिये गये ऋण की पहली किस्त की अदायगी के 33,24 लाख और बकाया ऋण पर ब्याज के 5,48 लाख शामिल हैं।

(खझ) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 152,21 लाख शामिल हैं।

(खञ) सामान्य राजस्व को लाभांश के समीकरण के 61,11 लाख 1973-74 में लिये गये ऋण की दूसरी किस्त की अदायगी के 33,24 लाख, 1974-75 में लिये गये दूसरे ऋण की पहली किस्त की अदायगी के 61,03 लाख और बकाया ऋण पर ब्याज के 15,64 लाख शामिल हैं।

(खट) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 146,95 लाख शामिल हैं।

(*ar*) Excludes 1,40 lakhs on account of reduction in pre-partition balances on 15-8-1947.

(*as*) Includes 33 lakhs on account of revision of State Railway balances of ex-GBS Railway.

(*at*) Excludes refund to General Revenues of 33 lakhs of interest on ex-Scindia State Railway balances.

(*au*) Excludes Rs. 61 lakhs of ex-Scindia State Railway dropped from State Railway balances.

(*auu*) Excludes 1 due to rounding off.

(*av*) Includes 2,39 lakhs for amortisation of capital and 18,27 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues.

(*aw*) Includes 2,15 lakhs for amortisation of capital and 31,53 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues.

(*ax*) Includes 1,18 lakhs for amortisation of capital and 7,86 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues.

(*ay*) Includes 8,86 lakhs loan from General Revenues.

(*az*) Made up of 9,83 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues and 33 lakhs for amortisation of capital.

(*ba*) Includes 24,92 lakhs loan from General Revenues.

(*bb*) Made up of 19,84 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues 2,95 lakhs due to one-third loan of 1969-70 repaid and 40 lakhs interest on loan.

(*bc*) Includes 8.63 lakhs on account of appropriation from surplus.

(*bd*) Made up of 11,26 lakhs due to repayment of second instalment of first loan taken in 1969-70 and first instalment of second loan taken in 1970-71 and 1,69 lakhs interest on loans.

(*be*) Includes 99,72 lakhs loan from General Revenues.

(*bf*) For equalisation of Dividend to General Revenues.

(*bg*) Includes 183,07 lakhs loan from General Revenues.

(*bh*) Made up of 129,61 lakhs for equalisation of Dividend to General Revenues which includes 15,79 lakhs throwforward dividend liability pertaining to 1973-74, 33,24 lakhs due to repayment of first instalment of loan taken in 1973-74 and 5,48 lakhs for interest on outstanding loan.

(*bi*) Includes 152,21 lakhs loan from General Revenues.

(*bj*) Made up of 61,11 lakhs for dividend equalisation, 33,24 lakhs due to repayment of second instalment of loan taken in 1973-74 repayment of 61,03 lakhs, first instalment of second loan taken in 1974-75 and 15,64 lakhs for interest on outstanding loan.

(*yq*) lakhs Includes 146,95 loan from General Revenues.

(खठ) इसमें 1973-74 में लिये गये ऋण की अन्तिम किस्त की अदायगी के 33,24 लाख, 1974-75 में लिये गये दूसरे ऋण की दूसरी किस्त की अदायगी के 61,02 लाख और 1975-76 में लिये गये तीसरे ऋण की पहली किस्त की अदायगी के 50,74 लाख और बकाया ऋण पर ब्याज के 19,05 लाख शामिल हैं।

(खड) इसमें सामान्य राजस्व से ऋण के 67,44 लाख शामिल हैं।

(खढ) इसमें 1974-75 में लिये गये ऋण की अन्तिम किस्त की अदायगी के 61,02 लाख, 1975-76 में लिये गये ऋण की दूसरी किस्त की अदायगी के 50,74 लाख, 1976-77 में लिये गये ऋण की पहली किस्त की अदायगी के 48,98 लाख और बकाया ऋण पर ब्याज के 19,81 लाख शामिल हैं।

(खण) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 37,47 लाख शामिल हैं।

(खत) इसमें शाखा लाइन कम्पनियों को ऋण की वापसी के लिए 9 लाख शामिल हैं।

(*bl*) Made up of 33,24 lakhs due to repayment of last instalment of loan taken in 1973-74, repayment of 61,02 lakhs, second instalment of second loan taken in 1974-75 and of 50,74 lakhs first instalment of third loan taken in 1975-76 and 19,05 lakhs for interest on outstanding loan.

(*bm*) Includes 67,44 lakhs loan from General Revenue

(*bn*) Made up of 61,02 lakhs due to repayment of last instalment of loan taken in 1974-75, repayment of 50,74 lakhs due to second instalment of loan taken in 1975-76 and 48,98 lakhs due to repayment of first instalment of loan taken in 1976-77 and 19,81 lakhs for interest on outstanding loan.

(*bo*) Includes 37,47 lakhs T.W.F.A.

(*bp*) Includes Rs. 9 lakhs on account of refund of "Loans to Branch Line Companies".

परिशिष्ट XIV — APPENDIX XIV

विकास निधि — Development Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund				निधि से निकासी Withdrawal from Fund			निधि में शुद्ध जमा Net Accretion to fund	*इतिशेष *Closing Balance	सामान्य राजस्व को बकाया ऋण Loan outstanding to General revenues
	राजस्व अधिशेष आदि Revenue surplus etc.	सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	शेष पर ब्याज Interest on balances	जोड़ Total	निर्माण कार्यों के लिए For works	ऋण पर ब्याज Interest on loan	जोड़ Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1946-47	(क a) 15,00	..	24	15,24	41		41	14,83	14,83	..
1947-48 (1-4-47 से to 14-8-47)	..	..	18	18	34	..	34	—16	14,67	..
1947-48 (15-8-47 से to 31-3-48)	..	..	30	30	59	..	59	—29	14,33	..
1948-49	84	..	43	1,27	2,33	..	2,33	—1,06	13,32	..
1949-50	..	..	43	43	—5	..	—5	48	13,80	..
1950-51	10,00	..	52	10,52	5,35	..	5,35	5,17	(ख b) 19,44	..
1951-52	10,00	..	65	10,65	7,70	..	7,70	2,95	(ग c) 22,48	..
1952-53	12,00	..	76	12,76	8,10	..	8,10	4,66	27,14	..
1953-54	2,65	..	73	3,29	9,81	..	9,81	—6,52	20,62	..
1954-55	9,10	..	60	9,70	12,78	..	12,78	—3,08	17,54	..
1955-56	7,08	..	49	7,57	12,14	..	12,14	—4,57	12,97	..
1956-57	20,22	..	43	20,65	19,84		19,84	81	(घ d) 13,75	..
1957-58	13,38	..	25	13,63	25,53	..	25,53	—11.90	15	..
1958-59	8,93	10,98	(ङ e) —80	19,11	27,87	19	28,06	—8,95	(च f) 1,69	10,98
1959-60	20,12	14,85	15	35,12	24,89	65	25,54	9,58	(छ g) 8,91	25,83
1960-61	32,01	3,58	48	36,07	23,32	98	24,30	11,77	(ज h) 19,13	(झ i) 29 41
1961-62	24,40	..	84	25,24	21,14	53	21,67	3,57	(ञ j) 10,49	..
1962-63	42,06	..	70	42,76	23,17	..	23,17	19,59	(ट k) 29,68	..
1963-64	49,24	..	1,54	50,78	29,94	..	29,94	20,84	(ठ l) 52,23	..
1964-65	13,18	..	1,72	14,90	28,25	..	28,25	—13,35	(ड m) 38,99	..
1965-66	18,56	..	1,34	19,90	28,91	..	28,91	—9,01	(ढ n) 30,09	..
1966-67	..	..	68	68	27,95	..	27,95	—27,27	(ण o) 3,37	..
1967-68	..	11,24	19	11,43	19,15	24	19,39	—7,96	(त p) 46	11,24
1968-69	..	14,06	14	14,20	16,59	80	17,39	—3,19	(थ q) 1,26	25,30
1969-70	..	18,14	9	18,23	17,08	1,52	18,60	—37	(द r) 1,18	43,45
1970-71	..	21,58	9	21,67	18,23	2,46	20,69	98	(ध s) 1,34	65,03
1971-72	9,21	21,62	29	31,12	20,82	3,52	24,34	6,78	12	86,65

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of Rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund				निधि से निकासी Withdrawal from fund			निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund	इतिशेष Closing Balance	सामान्य राजस्व को बकाया ऋण Loan Outstanding to General revenues
	राजस्व अधिशेष आदि Revenue surplus etc.	सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	ऋण पर ब्याज Interest on balances	जोड़ Total	निर्माण कार्यों के लिए For works	ऋण पर ब्याज और ऋण की वापसी Interest on Loan and Repayment of loan	जोड़ Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1972-73 .	2,92	15,72	32	18,96	21,49	3,71	25,20	—6,24	(नt) 1,96	(u)85,65
1973-74 .	..	22,65	8	22,73	19,39	4,69	24,08	—1,35	(फv) 31	108,30
1974-75 .	..	21,90	3	21,93	16,17	6,00	22,17	—24	(बw) 26	130,20
1975-76 .	..	22,34	8	22,42	16,32	7,33	23,65	—1,23	(भx) 24	152,54
1976-77 .	25,86	..	22	26,08	17,62	8,24	25,86	22	(मy) 14	152,54
1977-78 .	34,61	..	23	34,84	26,22	8,39	34,61	23	(यz) 24	152,54
1978-79 .	34,68	5,37	41	40,46	25,94	8,74	34,68	5,78	(abकख)6,06	157,91
1979-80 .	..	31,59	35	31,94	27,82	9,25	37,07	—5,13	(acकग)90	189,50
1980-81 .	..	34,66	7	34,73	29,77	11,24	41,01	—6,28	(adकघ)—5,19	224,16
1981-82 .	44,07	..	19	44,26	27,23	11,84	39,07	5,19	..	224,16
1982-83 .	46,36	..	43	46,79	32,74	14,05	46,79	..	..	224,16
1983-84 .	..	49,59	..	49,59	32,65	16,23	48,88	71	71	273,75
1984-85 .	..	62,61	5	62,66	37,78	21,21	58,99	3,67	4,38	336,36
1985-86 .	62,11	..	16	62,27	42,10	24,39	66,49	—4,22	16	336,36
1986-87 .	101,99	11,80	1	113,80	84,03	29,93	113,96	—16	..	348,16
1987-88 .	84,29	53,79	..	138,08	103,50	34,58	138,08	..	..	401,95
1988-89 .	21,67	127,33	..	149,00	106,02	43,04	149,06	—6	(कङae) ..	529,28
1989-90 .	173,26	5,16	..	178,42	127,37	51,05	178,42	..	..	534,44
1990-93(बअBE)	186,00	57,15	..	243,15	186,00	57,15	243,15	..	..	643,28
1990-91(संअRE)	155,00	54,78	..	209,78	155,00	54,78	209,78	..	..	589,22
1991-92(ब.अ.BE)	235,00	...	...	235,00	125,00	(कच af) 110,00	235,00	...	...	531,22

1950-51 से इतिशेष के आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि इनमें मिलाये गये भूतपूर्व रियासती रेलों के बकाया को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(क) इसमें रेलवे आरक्षित निधि से अन्तरित 12 करोड़ और रेलवे अधिशेष के 3 करोड़ शामिल हैं।

(ख) इसमें 1-4-1950 से लिये गये भारतीय रियासती रेलों के बकाया 47 लाख (अनन्तिम) शामिल हैं।

(ग) इसमें 1-4-1950 से लिये गये भारतीय रियासती रेलों के संशोधित बकाया के 9 लाख (अनंतिम) शामिल हैं।

(घ) इसमें 15-8-1947 को तदर्थ और संशोधित बकाया के अन्तर के 2 लाख और उस पर ब्याज के 1 लाख शामिल नहीं हैं।

(ङ) इसमें विभाजन से पहले के बकाया में कमी से सम्बन्धित सामान्य राजस्व को लौटाये गये ब्याज के 88 लाख शामिल नहीं हैं।

These figures from 1950-51 are provisional as the balances of the ex-State Railways merged therein have not yet been finalised.

(*a*) This is made up of 12 crores transferred from Railway Reserve Fund and 3 crores from the Railway Surplus.

(*b*) Includes 47 lakhs (Provisional) on account of Indian State Railways balances taken over from 1-4-1950.

(*c*) Includes 9 lakhs (Provisional) on account of revision ofthe Indian State Railways balances taken over from 1-4-1950.

(*d*) Excludes 2 lakhs on account of difference between *ad hoc* and revised balances on 15-8-1947 and 1 lakh interest thereon.

(*e*) Excludes 88 lakhs on account of interest refunded to the Central Revenues on reduction of pre-partition balances.

(च) इसमें 15-8-1947 को विभाजन से पहले के बकाया में कमी से सम्बन्धित 2,20 लाख शामिल नहीं हैं परन्तु डीसा-गांधीधाम और चुनार-राबर्टसगंज लाइनों की लागत के 7,61 लाख शामिल हैं, जिन्हें पूंजी में अन्तरित किया गया।

(छ) इसमें 1,02 लाख शामिल हैं जो पश्चिम रेलवे में कोटा और महालक्ष्मी के कुछ माल-डिब्बा कारखानों और आदिपुर-भुज लाइन के आमान परिवर्तन की लागत को पूंजी में अन्तरित करने के कारण हैं।

(ज) इसमें उत्तर रेलवे के उतरेटिया-सुलतानपुर-जफराबाद और पठानकोट-माधोपुर नयी लाइनों की, वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लगाये गये लाभ के अनुसार, लागत को पूंजी में अन्तरित करने के कारण 3,32 लाख शामिल हैं। हावड़ा कार शेड के खर्च को पूंजी आदि में अन्तरित करने के कारण 1 लाख और 1-4-1955 से 31-3-1960 तक श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए मकानों की योजना के कुछ हिस्से से सम्बन्धित खर्च को पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि से विकास निधि में अन्तरित करने के कारण, 4,88 लाख भी शामिल हैं।

(झ) रेल अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1961-62 में सामान्य राजस्व को 29,41 लाख रुपये के ऋण की वापसी।

(ञ) इसमें 1-4-1955 को निर्माणाधीन मध्य रेलवे की खंडवा-हिंगोली और दक्षिण रेलवे की कोल्लम-एर्णाकुलम नयी लाइनों की लागत को पूंजी में तदर्थ अन्तरित करने के कारण 16,81 लाख शामिल हैं। रेलवे अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया गया है। साथ ही पूर्व रेलवे के भागलपुर—मंदार हिल पुनर्निर्माण के कार्य की लागत के पूंजी में गलत अन्तरण के कारण 39 लाख और पश्चिम रेलवे के आदिपुर-भुज लाइन के आमान परिवर्तन के 9 लाख शामिल हैं। रेलवे अभिसमय समिति, 1960 की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार सामान्य राजस्व के कर्ज को चुकता करने के 29,41 लाख और श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के मकानों के सम्बन्ध में पूंजी और मू०आ० नि० में गलत समायोजन के पश्चलेखन के कारण 9 लाख शामिल नहीं हैं।

(ट) इसमें दक्षिण-पूर्व रेलवे की बोब्बिली-सलूरू नयी लाइन, जिसे अब लाभप्रद समझा जा रहा है, की लागत के पूंजी में अन्तरण के 11 लाख शामिल हैं और 1961-62 में पूर्व रेलवे के भागलपुर-मंदार हिल के पुनर्निर्माण का कार्य पश्चिम रेलवे के और आदिपुर-भुज लाइन के परिवर्तन से सम्बन्धित गलत समायोजन के पूंजी से पश्चलेखन के कारण 48 लाख इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें पश्चिम रेलवे के गोधरा-रतलाम खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने और करगड में पार-स्टेशन बनाने के खर्च के पूंजी से पश्चलेखन के कारण 3 लाख भी शामिल हैं।

(ठ) इसमें पूंजी को अन्तरित उन निर्माण-कार्यों की लागत के 250 लाख शामिल हैं, जिनको अब लाभप्रद समझा गया है और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है। इसमें मध्य रेलवे में मूल्यह्रास आरक्षित निधि को अंतरित 3 लाख भी शामिल हैं लेकिन पश्चिम रेलवे के पूंजी और चालू लाइन निर्माण राजस्व में अन्तरित 82 लाख शामिल नहीं हैं।

(*f*) Excludes 2,20 lakhs due to reduction in pre-partition balances on 15-8-1947 and includes 7,61 lakhs due to transfer of the cost of Deesa-Gandhidham and Chunar-Robertsganj lines to Capital.

(g) Includes 1,02 lakhs due to the transfer of certain wagon shops at Kotah and Mahalakshmi and of Adipur-Bhuj conversion on Western Railway to Capital.

(*h*) Includes 3,32 lakhs due to transfer of the cost of the new lines Utraitia-Sultanpur-Zafarabad and Pathankot-Madhopur on Northern Railway to Capital to the extent of their remunerativeness according to assessment made on the basis of actuals, 1 lakh due to transfer of expenditure on Howrah Car Shed to Capital and also covers 4,88 lakhs due to transfer from Capital and Depreciation Reserved Fund to Development Fund of the expenditure from 1-4-1955 to 31-3-1960 relating to quarters forming part of a scheme for Class III and IV Staff.

(*i*) Rs. 29,41 lakhs loan repaid to General Revenues in the year 1961-62 in terms of accepted recommendations of the Railway convention Committee 1960.

(*j*) Includes 16,81 lakhs due to *ad hoc* transfer of the cost of the new lines under construction of 1-4-55, *viz.*, Khandwa-Hidgoli on Central Railway and Quilon-Ernakulam on Southern Railway to Capital as per the accepted recommendations from the Railway Convention Committee, 1960, 39 lakhs due to erroneous transfer of the cost of the Works Bhagalpur-Mander Hill restoration to Capital on Eastern Railway and 9 lakhs relating to conversion of Adipur-Bhuj on Western Railway and excludes 29,41 lakhs loans repaid to General Revenues in terms of the accepted recommendations of the Railway Convention Committee, 1960, 9 lakhs on account of write-back of erroneous adjustments relating to quarters for Class III and Class IV staff forming part of a Scheme to Capital and D.R.F.

(*k*) Includes 11 lakhs due to transfer to Capital of the cost of the new line Bobbili-Saluru on South-Eastern Railway since assessed to be remunerative and excludes 48 lakhs due to write-back from Capital of the erroneous adjustments made in 1961-62 relating to the Works Restoration of Bhagalpur-Mander Hill on Eastern Railway' and conversion of Adipur-Bhuj on Western Railway, and also covers 3 lakhs due to write-back of expenditure on the Works providing Crossing Station at Kargada and doubling of the Section Godhra-Ratlam from Capital on Western Railway.

(*l*) Includes, 250 lakhs due to transfer to Capital of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital, 3 lakhs transferred to D.R.F. on Central Railway and excludes 82 lakhs transferred from Capital and OLWR on Western Railway.

(ड) इसमें पूंजी को अन्तरित पूर्व रेलवे से सम्बन्धित उन निर्माण-कार्यों की लागत के 11 लाख शामिल हैं जिनको अब लाभप्रद समझा गया है और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है।

(ढ) इसमें पश्चिम रेलवे से सम्बन्धित निर्माण-कार्यों की लागत के 15 लाख शामिल हैं जिनको अब लाभप्रद समझा गया है। इसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को पूंजी से अन्तरित 4 लाख शामिल नहीं हैं।

(ण) इसमें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (47 लाख) और दक्षिण पूर्व रेलवे (7 लाख) से सम्बन्धित कुछ निर्माण कार्यों, जिनको अब लाभप्रद समझा गया है, और जिनकी लागत को पूंजी से पूरा करने के लिए औचित्य है, की लागत के 54 लाख और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अन्तर्गत इस निधि में गलती से रखे गये एक लाख शामिल हैं जिन्हें चा०ला० रा० और मू०ग्रा०नि० को अन्तरित कर दिया गया है।

(त) इसमें पूंजी में अन्तरित 2,45 लाख शामिल हैं—उत्तर रेलवे पर (1,49), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर (—12), दक्षिण रेलवे पर (90) और पश्चिम रेलवे पर (18) और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अन्तरित 2,60 लाख भी शामिल हैं—उत्तर रेलवे पर (1,37), दक्षिण रेलवे पर (78), दक्षिण-पूर्व रेलवे पर (4) और पश्चिम रेलवे पर (41)।

(थ) इसमें आगे लिखी मदों पर खर्च के 3,99 लाख शामिल हैं—पूर्व रेलवे में भागलपुर-मंदार हिल लाइन को फिर से बिछाने के काम पर (54), पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सी टी सी सम्बन्धी काम पर (3,25) और पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर—कटिहार के बीच माइक्रोवेव संचार व्यवस्था पर (20) इस खर्च का पूंजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में पश्चलेखन कर दिया गया।

(द) इसमें सियालदह ढांचा परिवर्तन, चरण I के सम्बन्ध में किये गये खर्च को पूंजी खाते में अंतरित करने के कारण 29 लाख शामिल हैं।

(ध) इसमें दक्षिण रेलवे पर मूल्यह्रास आरक्षित निधि से तीसरे दर्जे के कुछ सवारी डिब्बों के खर्च के अन्तरण के 82 लाख शामिल नहीं हैं।

(न) इसमें पूंजी से अन्तरित 7 लाख शामिल हैं; 1 का अन्तर पूर्णांकन के कारण है।

(प) रेल अभिसमय समिति, 1971 की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1969-70 और 1970-71 से संबंधित बकाया राहत राशियों की तुलना में 16.72 करोड़ रुपये ऋणदायिता के रूप में शामिल किये गये थे।

(फ) इसमें पूंजी को अन्तरित 30 लाख शामिल हैं।

(ब) इसमें पूंजी से अन्तरित 19 लाख शामिल हैं।

(भ) इसमें पूंजी से अंतरित 1,21 लाख शामिल हैं।

(म) इसमें पूंजी को अन्तरित 32 लाख शामिल नहीं हैं।

(य) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 13 लाख शामिल हैं

(कख) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 4 लाख शामिल हैं।

(कग) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 4 लाख शामिल नहीं हैं। 1 का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(कघ) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अन्तरित 19 लाख शामिल।

(कङ) इसमें बिना वित्तीय समायोजन के अंतरित 6 लाख रुपये शामिल हैं।

(कच) इसमें सामान्य राजस्व को बकाया ऋण के पुनर्भुगतान के 58.00 लाख शामिल हैं।

(*m*) Includes 11 lakhs due to transfer of the cost of certain works now assessed to be remunerative justifying their charge to Capital on Eastern Railway.

(*n*) Includes 15 lakhs due to transfer of the cost of certain works now assessed to be remunerative on Western Railway and excludes 4 lakhs transferred from Capital on Northeast Frontier Railway.

(*o*) Includes 54 lakhs due to transfer of cost of certain works on Northeast Frontier (47 lakhs) and South-eastern (7 lakhs) Railways now assessed to be remunerative justifying their charge to capital and one lakh transferred to OLWR and DRF wrongly charged to this Fund on N.F. Railway.

(*p*) Includes 2,45 lakhs transferred to Capital [Northern (1,49), Northeast Frontier (—12), Southern (90) and Western (18) Railways] and 2,60 lakhs transferred to Depreciation Reserve Fund [Northern (1,37), Southern (78), Southeastern (4) and Western (41) Railways].

(*q*) Includes 3.99 lakhs due to expenditure on restoration of Bhagalpur-Mander Hill on Eastern Railway (54), C.T.C. work on N.F. Railway (3,25) and Gorkhpur-Katihar microwave communications on N.E. Rly. (20) written-back to Capital and Depreciation Reserve Fund.

(*r*) Includes 29 lakhs due to transfer of expenditure incurred in connection with Sealdah re-modelling phase I to Capital as it is now assessed to be remunerative.

(*s*) Excludes 82 lakhs due to transfer of expenditure of certain III class coaches from Depreciation Reserve Fund on Southern Railway.

(*t*) Includes 7 lakhs transferred from capital. Difference of 1 due to rounding off.

(*u*) The loan liability was written down by Rs. 16.72 crores against arrear reliefs pertaining to the years 1969-70 and 1970-71 as per recommendations of Railway Convention Committee 1971.

(*v*) Includes Rs. 30 lakhs transferred to Capital.

(*w*) Includes 19 lakhs transferred from Capital.

(*x*) Includes 1,21 lakhs transferred from Capital.

(*y*) Excludes 32 lakhs transferred to Capital.

(*z*) Includes 13 lakhs transfer without financial adjustment

(*ab*) Includes 4 lakhs transfer without financial adjustment.

(*ac*) Excludes 4 lakhs transfer without financial adjustment. Difference of 1 due to rounding off.

(*ad*) Includes 19 lakhs transfer without financial adjustment.

(*ae*) Includes Rs. 6 lakhs transfered without financial adjestment..

(*af*) Includes Rs. 58,00 lakhs towards repayment of loan outstanding to General Revenues.

परिशिष्ट XV
रेलवे पेंशन निधि

APPENDIX XV
Railway Pension Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund					निधि से निकासी Withdrawn from Fund	वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	इतिशेष Closing Balance
	राजकीय रेलवे भविष्य निधि (अंशदायी) से अंतरण By transfer from S.R. P.F. (Contributory)	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	शेष पर ब्याज Interest on balance	जोड़ Total			
1964-65	2,97	11,60	40	27	15,24	2,21	13,03	(क a) 13,82
1965-66	29	12,10	40	76	13,35	2,25	11,00	(ख b) 25,17
1966-67	6,13	13,60	40	1,40	21,53	3,77	17,76	(ग c) 44,09
1967-68	53	10,00	30	2,01	12,84	5,34	7,50	(घ d) 52,37
1968-69	4,73	10,00	30	2,65	17,68	6,37	11,31	(ङ e) 67,90
1969-70	2,13	10,00	30	3,28	15,71	7,69	8,02	(च f) 80,02
1970-71	87	15,00	50	3,87	20,24	8,65	11,59	(छ g) 92,86
1971-72	37	11,50	50	4,40	16,77	10,40	6,37	(ज h) 100,33
1972-73	4,95	16,00	72	5,44	27,11	10,46	16,65	(झ i) 125,06
1973-74	1,29	16,00	60	6,54	24,43	12,33	12,10	(ञ j) 142,21
1974-75	3,71	16,00	60	7,80	28,11	18,98	9,13	(ट k) 159,94
1975-76	5,23	24,50	80	9,03	39,56	30,01	9,55	(ठ l) 179-77
1976-77	3,81	35,00	90	10,24	49,95	40,25	9,70	(ड m) 199,71
1977-78	4,64	40,00	1,00	11,40	57,04	50,35	6,69	(ढ n) 216,34
1978-79	6,39	50,00	1,00	13,02	70,41	62,96	7,45	(ण o) 241,52
1979-80	12,55	65,00	1,30	15,92	94,77	75,35	19,42	(त p) 29,17
1980-81	11,76	85,00	1,50	19,40	117,66	105,57	12,09	(थ q) 333,75
1981-82	8,18	100,00	1,80	21,72	131,70	124,93	6,77	(द r) 358,99
1982-83	9,85	150,00	2,02	24,64	186,51	180,73	5,78	(ध s) 394,32
1983-84	14,37	185,00	3,10	26 79	229,26	223,80	5,46	(न t) 428,25
	8,26	225,00	4,00	27,63	264,89	278,15	–13,26	(प u) 432,26
1984-85	9,89	265,00	5,00	27,70	307,59	352,58	—44,99	(फ v) 411,82
1985-86	6,19	354,00	5,98	24,84	391,01	464,66	–73,65	(ब w) 363,89
1986-87	41,88	454,60	7,00	19,04	522,52	711,04	—188,52	(भ x) 208,02
1987-88								
1988-89	3,14	555,00	7,85	8,58	574,57	744,15	—169,58	म(y) 52,90
1989-90	29	733,00	9,30	2,31	744,90	791,65	—46,75	(य z) 13,23
1990-91 (ब०अ० B.E.)	..	905,00	10,00	3,52	918,52	835,00	+83,52	97,69
1990-91 (सं०अ० R.E.)	2,13	905,00	10,00	2,20	919,33	875,95	+43,38	(कक, aa) 56,68
1991-92 (ब०अ० B.E.)		1055,00	10,00	6,99	1071,99	963,00	108,99	165,67

इसमें संबंधित उपान्तिम वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति पेंशन लाभों का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि से अन्तरित (क) 79 लाख, (ख) 35 लाख, (ग) 1,16 लाख, (घ) 78 लाख, (ङ) 4,22 लाख, (च) 4.10 लाख, (छ) 1,25 लाख, (ज) 1,10 लाख, (झ) 8,08 लाख, (ञ) 5,05 लाख, (ट) 8,60 लाख, (ठ) 10,28 लाख, (ड) 10,24 लाख, (ढ) 9,94 लाख, (ण) 17,73 लाख (त) 30,22 लाख (थ) 30.49 लाख, (द) 18,47 लाख, (ध) 29,55 लाख, (न) 28,46 लाख, (प) 17,27 लाख, (फ) 24,55 लाख और (ब) 25,72 लाख, (भ) 32.65 लाख और (म) 14,46 और (य) 7,08) लाख और (क) 7 लाख) शामिल हैं।

Includes (a) 79 lakhs, (b) 35 lakhs, (c) 1,16 lakhs, (d) 78 lakhs, (e) 4,22 lakhs, (f) 4.10 lakhs, (g) 1,25 lakhs, (h) 1,10 lakhs, (i) 8,08 lakhs, (j) 5,05 lakhs, (k) 8,60 lakhs, (l) 10,28 lakhs, (m) 10,24 lakhs, (n) 9,94 lakhs, (o) 17,73 lakhs, (P) 30,22 lakhs, (q) 30,49 lakhs, (r) 18,47 lakhs, (s) 29,55 lakhs, (t) 28,46lakhs, (u) 17,27 lakhs, (v) 24,55 lakhs, (w) 25,72 lakhs (x) 32,65 lakhs and (y) 14,46 and (z) 7,08 lakhs (aa) 7 lakhs on account of transfer from Contributory Provident Fund staff opting for pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

परिशिष्ट XVI / APPENDIX XVI

दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि / Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	निधि में विनियोग Appropriation to Fund			निधि से निकासी Withdrawal from Fund			वर्ष में निधि में शुद्ध जमा Net accretion to Fund during the year	इतिशेष Closing balance
	अधिभार से From Surcharge	ब्याज Interest	जोड़ Total	दुर्घटना क्षतिपूर्ति Accident compensation	संरक्षा और यात्री सुविधा संबंधी निर्माण कार्य Safety and Passenger amenities works	जोड़ Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1974-75	6,65	26	6,91	12	5	17	6,74	(a)8,50
1975-76	7,90	64	8,54	51	33	84	7,70	16,20
1976-77	8,98	1,07	10,05	30	1,38	1,68	8,37	24,57
1977-78	10,00	1,52	11,52	51	3,39	3,90	7,62	32,19
1978-79	9,90	1,90	11,80	70	6,15	6,85	4,95	37,14
1979-80	10,21	2,23	12,44	16	7,54	7,70	4,74	41,88
1980-81	10,50	2,54	13,04	39	10,62	11,01	2,03	43,91
1981-82	11,07	2,74	13,81	47	11,35	11,82	1,99	45,90
1982-83	9,89	2,66	12,55	84	18,89	19,73	—7,18	38,72
1983-84	9,26	2,10	11,36	1,05	21,08	22,13	—10,77	27,95
1984-85	9,09	1,30	10,39	1,60	23,43	25,03	—14,64	13,31
1985-86	27,44	81	28,25	2,18	26,94	29,12	—87	12,44
1986-87	30,91	66	31,57	64	34,90	35,54	—3,97	8,47
1987-88	67,91	1,37	69,28	93	43,03	43,96	+25,32	33,79
1988-89	58,58	2,40	60,98	2,17	49,98	52,15	+8,83	42,62
1989-90	59,71	2,83	62,54	57	55,89	56,46	+6,08	48,70
1990-91 (ब०अ० BE)	67,25	1,81	69,06	4,68	80,00	84,68	—15,62	20,91
1990-91 (सं०अ० RE)	65,00	2,47	67,47	9,38	77,00	86,38	—18,91	29,79
1991-92 (ब०अ० BE)	67,00	1,48	68,48	6,83	74,00	80,83	—12,35	17,44

(क) इसमें विविध निक्षेप से प्रोफार्मा समायोजन के 1,76 शामिल हैं।

(a) Includes 1,76 proforma adjustment from Deposit Miscellaneous.

परिशिष्ट XVII / APPENDIX XVII

आस्थगित लाभांश दायित्व लेखा / Deferred Dividend Liability Account

(लाख रुपयों में) (Figures in lakhs of rupees)

वर्ष Year	1978-79 की अवधि से पहले से सम्बन्धित Relating to the period prior to 1978-79			1978-79 की अवधि के बाद से सम्बन्धित Relating to the period 1978-79 onwards		
	अथशेष Opening Balance	वर्ष में भुगतान Payment during the year	बकाया शेष Balance Outstanding	वर्ष में जमा Accretion during the year	वर्ष में भुगतान Payment during the year	बकाया शेष Balance Outstanding
1978-79 . . .	117,60	1,99	115,61	..	..	..
1979-80 . . .	115,61	0,43	115,18	66,24	..	66,24
1980-81 . . .	115,18	..	115,18	197,87	..	264,11
1981-82 . . .	115,18	2,52	112,66	..	..	264,11
1982-83 . . .	112,66	71,95	40,71	..	..	264,11
1983-84 . . .	40,71	..	40,71	44,75	..	308,86
1984-85 . . .	40,71	..	40,71	195,59	..	504,45
1985-86 . . .	40,71	40,71	..	..	76,01	428,44
1986-87 . . .	..	..	..	..	..	428,44
1987-88 . . .	..	..	..	..	..	428,44
1988-89 . . .	..	..	..	..	..	428,44
1989-90 . . .	..	..	..	..	..	428,44
1990-91 (ब.अ. BE) .	..	..	..	..	..	428,44
1990-91 (सं.अ. RE) .	..	..	..	..	..	428,44
1991-92 (ब.अ. BE) .	..	..	..	..	..	428,44

परिशिष्ट XVIII

1990-91 में भारत की सरकारी रेलों पर सामाजिक दायित्व का आर्थिक प्रभाव (अनुमानित)

APPENDIX XVIII

Financial effect of Social Obligation on Indian Government Railways 1990-91 (Estimated)

क्रम सं S. No.		मद Item		(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)
1.	कोचिंग सेवाओं पर हानि (उपनगरीय और अनुपनगरीय यात्री यातायात, पार्सल, सामान आदि)।	Loss on Coaching Services (Suburban and non-suburban passenger traffic, parcel, luggage etc.)		1916.89
2.	कम दर वाली वस्तुओं पर हानि :--	Loss on low-rated commodities: —		
(i)	खाद्यान्न	Food grains	203.90	
(ii)	नमक	Salt	6.55	
(iii)	निर्यात के लिए लौह अयस्क	Iron ore for Export	42.36	
(iv)	चारा	Fodder	5.41	
(v)	गन्ना	Sugarcane	15.35	
(vi)	फल और सब्जियां	Fruits & Vegetables	9.88	
(vii)	खाद्य तेल	Edible Oils	10.64	
(viii)	अन्य पण्य	Other commodities	11.35	
(ix)	मद सं० 2 का जोड़	Total of item No. 2		305.44
	कुल जोड़	Grand Total		2222.33

रेलें, रेलवे सुरक्षा/रेलवे विशेष बल पर 161.60 करोड़ रुपये, आर्डर पुलिस आदि के लिए राज्य सरकारों को अंशदान पर लगभग 39.65 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य, चिकित्सा और कल्याण सेवाओं पर 181.55 करोड़ रुपये, रेल कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक सहायता पर 29.24 करोड़ रुपये और कर्मचारियों के लिए इमदादी मकान व्यवस्था पर 129.26 करोड़ रुपये खर्च करती हैं।

टिप्पणी :--प्रादेशिक आधार पर शाखा लाइनों के वित्तीय परिणामों से पता चलता है कि उनमें से कुछ पर हानि उठानी पड़ी। इन अलाभकर शाखा लाइनों पर कुल हानि लगभग 107 करोड़ रुपये हुई, जिसे उपर्युक्त विवरण की मद सं० 1 और आंशिक रूप से मद सं० 2 में शामिल किया गया है।

The Railways are spending Rs. 161.60 Cr. on Railway Protection/Railway Protection Special Force, about Rs. 39.65 Cr. as contribution to State Governments for Orders Police etc., Rs. 181.55 Cr. on Health, Medical and Welfare Services, Rs. 29.24 Cr. on Educational Assistance to Railway Employees, and Rs. 129.26 Cr. by way of subsidised housing of employees.

Note:—Assessment on territorial basis of the financial results of the branch lines indicates that some of them suffered a loss. The aggregate loss on these unremunerative branch lines amounts to about Rs. 107 Cr. which is included in item 1 and partially in item 2 of the above statement.

परिशिष्ट—XIX

अलाभप्रद शाखा लाइनों के कारण भारतीय रेलों पर वित्तीय भार से संबंधित विवरण

अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के अनुसार सभी छोटी लाइनें और बड़े आमान की ऐसी अन्य लाइनें जो मुख्य लाइन प्रणाली के केवल एक-सिरे से जुड़ी हैं, "शाखा लाइनें" मानी जाती हैं। 1989-90 में 146 शाखा लाइनों (बड़ी लाइन की 31, मीटर लाइन की 78 और छोटी लाइन की 37) को अलाभप्रद पाया गया। इन लाइनों से, लाभांश को छोड़कर, लगभग 107 करोड़ रुपये की हानि हुई।

2. इनमें से अधिकांश शाखा लाइनों पर यातायात का घनत्व कम है विशेष रूप से, छोटी लाइनों को, आमान-परिवर्तन स्थल पर यानान्तरण, कम वहन दूरी और सड़क-यातायात से कड़ी स्पर्धा जैसी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। रेलपथ के नवीकरण और उसे मजबूत बनाने तथा पुराने चल-स्टाक के बदलाव पर बहुत खर्च करना होता है। संचालन-व्यय को यथा-सम्भव कम से कम रखने के प्रयास किये गये हैं। माल और सवारी गाड़ियां अलग-अलग चलाने की अपेक्षा कई खण्डों पर मिली-जुली गाड़ियां चलायी गयी हैं। कई स्टेशनों को ठेकेदारी द्वारा परिचालित हाल्टों में बदला गया है। जहां कहीं सम्भव है, "केवल एक इंजन" प्रणाली आरम्भ की गई है। आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से, लदान के लिए खाली डिब्बों की समय पर सप्लाई का प्रबन्ध किया जाता है तथा माल-डिब्बों के लदान और उन्हें खाली करने के काम पर निगाह रखी जाती है। पारवहन समय को कम से कम करने के प्रयास किये गये हैं। बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध जांच-कार्य में तेजी लायी गयी है। व्यापारी वर्ग के साथ भी निकट सम्पर्क रखा जा रहा है।

3. अलाभप्रद शाखा लाइनों को परिचालित करने के संबंध में विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने सिफारिश की है कि वे सभी अलाभकर शाखा लाइनें बन्द कर दी जानी चाहिए जहां परिवहन के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं या विकसित किए जा सकते हैं। लेकिन, संबंधित राज्य सरकारें इन लाइनों को बन्द करने के पक्ष में नहीं हैं। रेल सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट (अक्टूबर 83) के भाग XI में, जो "मितव्ययिता" से संबंधित है, 40 अलाभप्रद शाखा लाइनों को बन्द किये जाने की सिफारिश की थी जहां पर पर्याप्त वैकल्पिक सड़क परिवहन सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। समिति ने आगे यह भी सुझाव दिया है कि यदि राज्य सरकारें अपने किन्हीं कारणों से ऐसी लाइनों को बन्द करने के लिए सहमत नहीं होती हैं तो उन्हें 50:50 के आधार पर घाटा वहन करना चाहिए। सर्वप्रथम (उक्त 40 लाइनों में से) उन 7 लाइनों को बन्द करने और उखाड़ने का विनिश्चय किया गया था जहां कुछ वर्ष पहले गाड़ी सेवाएं समाप्त कर दी गयी थीं। 7 लाइनों में से अब तक 5 को

APPENDIX XIX

Statement of Financial Burden on Indian Railways on account of Uneconomic Branch Lines

All narrow gauge lines and BG and MG lines joining the main system at one end only are treated as Branch Lines in accordance with the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee, 1969. During1989-90, 146 (31 BG, 78 MG and 37 NG) branch lines were found uneconomical. The loss suffered by these lines was about Rs. 107 crores excluding dividends.

2. Most of these Branch lines have low density of traffic, the NG lines particularly have the disadvantage of break of gauge transhipment, short lead and severe competition from road traffic. The renewal and strengthening of track as also replacement of old rolling stock require substantial expenditure. Efforts have been made to reduce working expenses to the extent feasible. Instead of running separate goods and passenger trains, mixed trains have been introduced on many sections. Many of the stations have been converted into Contractor-operated halts. The system of "One Engine only" has been introduced wherever possible. With a view to increasing earnings, timely supply of empties for loading is arranged and loading and release of wagons is watched. Efforts have been made to minimise transit time. Checks against ticketless travel have been intensified. Close liaison is being maintained with the trade.

3. In respect of the operation of unremunerative branch lines, various high level Committees have recommended that all uneconomic branch lines, where alternative mode of transport exist or can be developed should be closed down. However, the State Governments concerned are averse to the closure of these lines. The Railway Reforms Committee (RRC) in Part XI of their report on 'Economies' (Oct. 83) recommended closing down of 40 such lines where adequate alternative road transport facilities are already available. They further suggested that in case the State Government did not agree to closure of such lines for their own reasons they should share the losses on 50 : 50 basis. In the first instance, it was decided to close down and dismantle 7 lines (out of the said 40 lines) where train services h[illegible] been withdrawn some years ago. Five out of t[illegible] 7 lines have since been dismantled. As rega[illegible]

उखाड़ा जा चुका है। जहां तक बन्द की जाने वाली शेष लाइनों का संबंध है, संबंधित राज्य सरकारों के पास उच्चतम स्तर पर मामले को ले जाने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। रेल अभिसमय समिति, 1985 ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों के साथ आगे बातचीत जारी रखी जानी चाहिए और रेलों को उन लाइनों को बन्द किए जाने की वांछनीयता के बारे में उन्हें राजी करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें बन्द करने की रेल सुधार समिति ने सिफारिश की है। तदनुसार क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों से कहा गया है कि वे राज्य सरकारों के साथ पुनः बातचीत शुरू करें।

remaining lines to be closed down, despite taking up the matter with the State Governments at the highest level. there has been no progress so far. Railway Convention Committee—1985 recommended that the dialogue with the State Govts. should be continued further and that the Railways should try to convince of the desirability of agreeing for closure of lines recommended by RRC. Accordingly, the General Managers of the Zonal Railways have been asked to reopen the dialogue with the State Govts.

MGIPRRND—S/96 RB/91—TSS-I—13-7-91—10,000

Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways for 1991-92

विषय सूची

INDEX

		पृष्ठ PAGES
1.	1991-92 में रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक के कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण Summary of Railways' Works, Machinery and Rolling Stock Programme for 1991-92 . .	1—44
2.	ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति Progress of Road over/under-bridges	45—48
3.	1991-92 में चल-स्टाक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण Summary of Rolling Stock Programme for 1991-92	49—51
4.	1991-92 में मशीन और संयंत्र कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण Summary of Machinery and Plant Programme for 1991-92	52—53
5.	1991-92 में सभी रेलों के लिए सामान का लेन-देन Stores Transactions for all Railways for 1991-92	54—59
6.	1991-92 में सभी रेलों में विनिर्माण-कार्य Manufacturing Operations for all Railways for 1991-92	60—68
7.	1991-92 में सभी रेलों के विविध अग्रिम Miscellaneous Advances for all Railways for 1991-92	69

1991-92
में
रेलों के निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

SUMMARY
OF
RAILWAYS' WORKS, MACHINERY AND ROLLING STOCK PROGRAMME FOR 1991-92

नीचे दी गयी तालिका में 1989-90 के वास्तविक, 1990-91 के बजट और संशोधित अनुमान तथा 1991-92 के बजट अनुमान दिये गये हैं। यह खर्च पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि और राजस्व (चालू लाइन निर्माण राजस्व) के खाते किया जाता है :—

The table below sets out the Actuals for 1989-90, Budget and Revised Estimates for 1990-91 and the Budget Estimates for 1991-92 of expenditure chargeable to Capital, Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund and Revenue (OLWR).

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

विवरण Particulars	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	Budget Estimates, 1991-92 फरवरी, 1991 में यथाप्रस्तुत As presented in Feb, 1991	अब प्रस्तुत As now presented
पूंजी Capital	1669,82,54	1573,99,85	1461,58,38	1058,98,27	1528,98,27
मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	1564,30,27	1820,00,00	1877,00,00	1891,00,00	1887,00,00
विकास निधि Development Fund	127,37,01	186,00,00	155,00,00	140,00,00	125,00,00
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	55,88,63	80,00,00	77,00,00	72,00,00	74,00,00
राजस्व (चा०ला०रा०) Revenue (OLWR)	41,32,26	50,00,00	50,00,00	48,00,00	45,00,00
जोड़ TOTAL	3458,70,71	3709,99,85	3620,58,38	3209,98,27	3659,98,27
महानगर परिवहन परियोजनाएं—विविध अग्रिम (पूंजी) Metropolitan Transport Projects—Misc. Advances (Cap.)	*103,53,43	*120,00,15	*125,41,62	*110,01,73	*165,01,73
कुल जोड़ GRAND TOTAL	£3562,24,14	£3830,00,00	£3746,00,00	£3320,00,00	£3825,00,00

*इसमें पूंजी-भंडार उचंत के अन्तर्गत 0.05 लाख रुपये (वास्तविक 1989-90) 0.15 लाख रुपये (बजट अनुमान 1990-91) 0.12 लाख रुपये (संशोधित अनुमान 1990-91) तथा 1.73 लाख रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल है।

*Includes Rs. 0.05 lakh (Actuals, 1989-90), Rs. 0.15 lakh (Budget Estimate 1990-91) Rs. 0.12 lakh (Revised Estimate 1990-91) and Rs. 1.73 lakhs (Budget Estimate 1991-92) under Capital—Stores Suspense.

£इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1000 करोड़ रुपये (वास्तविक 1989-90) 1170 करोड़ रुपये (बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 1990-91) और 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं है।

£Excludes Rs. 1000 crores (Actuals, 1989-90), Rs. 1170 crores (Budget Estimates and Revised Estimates, 1990-91) and Rs. 1500 crores (Budget Estimates, 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market for financing the Railway Plan.

विशिष्ट वर्ग के निर्माण-कार्यों के लिये 3825 करोड़ रुपये की शुद्ध व्यवस्था का बंटवारा इस प्रकार है :—

The following is the distribution of the net provision of Rs. 3825 crores among the various classes of works :—

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

मांग के लघु शीर्ष Minor Heads of Demand	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान/Budget Estimates, 1991-92					
			पूंजी Capital	मूल्यह्रास आरक्षित निधि Depreciation Reserve Fund	विकास निधि Development Fund	दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा तथा यात्री सुविधा निधि Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	राजस्व (चालू लाइन निर्माण राजस्व) Revenue (OLWR)	जोड़ Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) नयी लाइनें (निर्माण) (*a*) New lines (Construction)	269,55	292,83	247,47	1,55	..	..	..	249,02
	1,86	*344*	*1*	*1*	..	..	..	*2*
(ख) नयी लाइनों की खरीद (*b*) Purchase of new lines	..	..	..	..	..	..	..	..
(ग) उखाड़ी गयी लाइनों को फिर से बिछाना (*c*) Restoration of dismantled lines	53	13,03	4,54	10,46	..	..	..	15,00
(घ) आमान परिवर्तन (*d*) Gauge conversion	94,95	86,02	94,01	4,86	51	62	..	100,00
	8,33	*80*	..	*56*	..	..	..	*56*
(ङ) दोहरी लाइन बिछाना (*e*) Doubling	261,36	301,24	299,57	4,70	6,12	1,11	..	311,50
	1,28	*71*	*2*	*42*	..	..	..	*44*
(च) यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य (*f*) Traffic facilities—Yard remodelling and others	195,68	199,32	165,88	27,92	9,57	4,07	4,00	211,44
	34	*4,11*	*1,44*	*50*	..	..	..	*194*
(छ) संगणकीकरण (*g*) Computerisation	45,07	45,28	22,00	..	20,00	..	3,00	45,00
	..	..	..	..	..	..	..	..
(ज) रेल अनुसंधान (*h*) Railway Research	12,01	5,83	50	10	4,00	..	40	5,00
	..	..	..	..	..	..	..	..
(झ) चल-स्टाक (*i*) Rolling stock	582,78	721,18	57,00	550,35	50	..	..	607,85
	60,74	*67,89*	..	*61,85*	..	..	..	*61,85*
(ञ) रेलपथ का नवीकरण (*j*) Track Renewals	1055,77	1091,24	..	1234,35	..	..	..	1234,35
	169,01	*160,20*	..	*234,35*	..	..	..	*234,35*
(ट) पुल-संबंधी कार्य (*k*) Bridge works	64,29	83,67	3,40	63,90	80	21,00	1,80	90,90
	86	*25*	..	*90*	..	..	..	*90*

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(ठ) सिगनल और दूर-संचार संबंधी कार्य (*l*) Signalling and Tele-communication works	107,96	140,31	13,00	76,72	9,00	33,04	4,00	135,76
	37	*2,37*	..	*72*	..	*4*	..	*76*
(ड) डाक-तार विभाग से लाइन तारों का लिया जाना (*m*) Taking over of line wires from P&T	7	18	..	..	..	..	...	...
	..	..	..	..	..	..	..	..
(ढ) विद्युतीकरण परियोजनाएं (*n*) Electrification Projects	236,23	235,05	216,00	17,50	1,00	50	..	235,00
	37	*1*	..	..	..	..	..	..
(ण) विद्युत संबंधी अन्य कार्य (*o*) Other electrical works	49,53	53,45	24,00	32,02	7,70	..	6,30	70,02
	16	*31*	..	*2*	..	..	..	*2*
(त) मशीन और संयंत्र (*p*) Machinery & Plant	104,11	99,57	32,40	68,20	8,40	..	6,00	115,00
	43	*31*	..	..	..	..	..	..
(थ) कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित (*q*) Workshops—including Production Units	265,38	247,46	180,12	78,09	6,90	10	10,00	275,21
	63	*13*	*12*	*9*	..	..	..	*21*
(द) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर (*r*) Staff quarters	34,13	38,23	27,50	10,01	..	..	50	38,01
	..	..	..	*1*	..	..	..	*1*
(ध) कर्मचारियों के लिए सुविधाएं (*s*) Amenities for staff	29,50	30,88	13,00	1,50	17,50	..	1,00	33,00
	..	*1*	..	..	..	..	..	..
(न) (i) यात्री सुविधाएं (*t*) (*i*) Passenger amenities	23,52	29,07	20	1,80	26,00	2,00	1,00	31,00
	..	*7*	..	..	..	..	..	..
(ii) अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं (*ii*) Other railway users' amenities	7	10	..	..	..	..	..	..
	..	..	..	..	..	..	..	..
(प) सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश—सार्वजनिक उपक्रम (u) Investment in Government Commercial Undertakings—Public Undertakings—								
(i) भा०रे०वि०नि० (*i*) IRFC	72,00	..	1,00	..	..	..	..	1,00
(ii) भा०कं०नि० (*ii*) CONCOR	13,00	15,00	14,00	..	..	..	..	14,00
(*iii*) को० रे० नि० (*iii*) KRC	..	70,00	51,00		..	..	..	51,00

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(फ) अन्य विनिर्दिष्ट कार्य (v) Other specified works	29,52	29,48	9,00	2,41	7,00	11,60	7,00	37,01
	1	*22*	..	*1*	..	..	..	*1*
(ब) भंडार उचंत (w) Stores suspense	1648,53	1767,01	1920,82	..	..	..	..	1920,82
	1528,24	*1750,98*	*1921,20*	..	..	..	..	*1921,20*
(भ) निर्माण उचंत (x) Manufacture suspense	1725,24	1986,16	2219,33	..	..	..	..	2219,33
	1703,42	*1959,14*	*2191,60*	..	..	..	..	*2191,60*
(म) विविध अग्रिम (y) Miscellaneous Advances	279,15	236,22	298,96	..	..	..	..	298,96
	265,18	*246,27*	*271,31*	..	..	..	..	*271,31*
महानगर परिवहन परियोजनाएं Metropolitan Transport Projects	104,75	126,51	166,50	..	..	..	..	166,50
	1,21	*1,10*	*1,50*	..	..	..	..	*1,50*
जोड़ स्वीकृत TOTAL Voted	7303,29	7939,83	6078,60	2186,38	124,96	74,04	45,00	8508,98
प्रभृत *Charged*	*1,39*	*4,49*	*2,60*	*6*	*4*	..	..	*2,70*
जमा या वसूलियां Credits or Recoveries :								
विनिर्मुक्त सामान के जमा खाते Credits for released materials	240,35	232,49	..	299,44	..	..	..	299,44
अन्य जमा Other credits	*5,25*	*9,44*	*3,09*	..	..	*4*	..	*3,13*
वस्तुसूची के अन्तर्गत Credits under inventories	3496,84	3956,39	4384,11	..	..	..	..	4384,11
जोड़ जमा TOTAL CREDITS	3742,44	4198,32	4387, 20	299,44	..	4	..	4686,68
योजना परिव्यय (शुद्ध) Plan outlay (Net)								
कुल जोड़ GRAND TOTAL	£3562,24	£3746,00	1694,00	1887,00	125,00	74,00	45,00	£3825,00

प्रत्येक योजना शीर्ष के सामने दूसरी लाइन में दिखाए गये आंकड़े जमा को दर्शाते हैं।

Figures in the second lines shown against each plan head indicates credits.

@इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के लिए 15.98 लाख रुपये सकल, 15.93 लाख रु० जमा (वास्तविक 1990-91) 16.72 लाख रुपये सकल, 16.60 लाख रु० जमा (संशोधित अनुमान 1990-91) तथा 39.48 लाख रुपये सकल, 37.75 लाख रु० जमा (बजट अनुमान 1991-92) शामिल हैं।

@Includes Rs. 15.98 lakhs—Gross: Rs. 15.93 lakhs—Credit (Actual 1989-90) Rs. 16.72 lakhs—Gross; Rs. 16.60 lakhs—Credit (Revised Estimate 1990-91) and Rs. 39.48 lakhs—Gross; Rs. 37.75 lakhs—Credit (Budget Estimate 1991-92) for Metro Railway, Calcutta.

£इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा रेलवे योजना के वित्त पोषण के लिए भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण के माध्यम से जुटाये जाने वाले 1000 करोड़ रुपये (वास्तविक 1989-90), 1170 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 1990-91) 1500 करोड़ रुपये (बजट अनुमान 1991-92) शामिल नहीं हैं।

£Excludes Rs. 1000 crores (Actuals 1989-90), Rs. 1170 crores (Revised Estimate, 1990-91) and Rs. 1500 crores (Budget Estimate 1991-92) proposed to be raised through borrowings by the Indian Railway Finance Corporation in the domestic and international market, for financing the Railway Plan.

1991-92 के बजट में 50 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले प्रस्तावित नए कार्यों के औचित्य संबंधी संक्षिप्त टिप्पणियां तथा इन कार्यों की अनुमानित लागत और 1991-92 में प्रस्तावित परिव्यय नीचे दिए गये हैं:—

दोहरी लाइन बिछाना

1. **रामपुरा केबिन—न्यू आजादपुर पर दोहरी लाइन बिछाना—उत्तर रेलवे** :—रामपुरा केबिन—न्यू आजादपुर इकहरी लाइन खंड दिल्ली परिहार लाइन को दिल्ली-अम्बाला-कालका खंड के साथ जोड़ता है। आजादपुर, दयाबस्ती और पटेल नगर में माल-गाड़ियों की रुकावट से बचने के लिए, जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जे आई सी ए), जिसने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन की विकास योजना के बारे में अध्ययन किया था, द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस काम पर 4.98 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. **हजरत निजामुद्दीन—तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन के बीच तीसरी लाइन—उत्तर रेलवे** :—बढ़े हुए यातायात और अतिरिक्त गाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर केन्द्रीकृत कोचिंग अनुरक्षण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। कोचिंग रेकों को हजरत निजामुद्दीन और नयी दिल्ली के बीच अन्तरित करने के उद्देश्य से, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन के बीच तीसरी लाइन बनाने का प्रस्ताव है। इस काम पर 3.53 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 87 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

3. **कृष्णा और येरमरस के बीच रेलपथ को दोहरा करना (16.25 कि०मी०) —दक्षिण मध्य रेलवे** :—वाडी-रायचूर खंड हैदराबाद को बेंगलूर और तिरुपति से जोड़ता है। सीमेंट संयंत्रों और रायचूर ताप बिजली घर के लिए कोयले के माल यातायात के अतिरिक्त संचलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 15.54 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से कृष्णा और येरमरस के बीच रेलपथ को दोहरा करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. **कोसगी और मटामारी के बीच रेलपथ को दोहरा करना (24.20 कि०मी०) दक्षिण मध्य रेलवे** :—रायचूर-गुन्तकल खंड हैदराबाद और बेंगलूर तथा तिरुपति को जोड़ता है। गुत्ती-नंदलूर खंड में स्थित सीमेंट संयंत्रों के लिए कोयले तथा विकाराबाद-वाडी-शाहाबाद खंड में स्थित कारखानों से सीमेंट

Brief notes of justification for new works proposed in the budget for 1991-92 at a cost of more than Rs. 50 lakhs each are given below with their estimated cost and the outlay proposed in 1991-92.

DOUBLING

1. *Doubling of Rampura cabin—New Azadpur—Northern Railway.* — Rampura Cabin — New Azadpur single line section links Delhi avoiding line with Delhi—Ambala—Kalka section. To avoid detention to goods trains at New Azadpur, Dayabasti and Patel Nagar, doubling of this section as recommended by the Japan International Corporation Agency (JICA), who conducted a study on development plan for New Delhi railway station, is proposed at an estimated cost of Rs. 4.98 crores with an outlay of Rs. 50 lakhs.

2. *Hazrat Nizamuddin.—Third line between Tilak Bridge and Hazrat Nizamuddin—Northern Railway.*— To meet the needs of increased traffic and additional trains, centralised coaching maintenance facilities are being developed at Hazrat Nizamuddin station. To transfer coaching rakes between Hazrat Nizamuddin and New Delhi, a third line between Tilak Bridge and Hazrat Nizamuddin is proposed at an estimated cost of Rs. 3.53 crores with an outlay of Rs. 87 lakhs.

3. *Doubling of Track between Krishna-Yermaras (16.25 Kms) — South Central Railway.*—Wadi-Raichur section connects Hyderabad with Bangalore and Tirupati. To cater to additional movement of goods traffic of coal for cement plants and Raichur Thermal Power Station, doubling of track between Krishna and Yermaras has been proposed at an anticipated cost of Rs. 15.54 crores with an outlay of Rs. 50 lakhs.

4. *Doubling of track between Kosgi-Matmari (24.20 Kms)—South Central Railway.*—Raichur—Guntakal section connects Hyderabad and Bangalore and Tirupati. For additional movement of coal for the cement plants located on Gooty—Nandalur

के अतिरिक्त संचलन के लिए उपर्युक्त कार्य को 22.46 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. **बिलासपुर और अकलतरा के बीच तीसरी लाइन (27 किलोमीटर)—दक्षिण पूर्व रेलवे**—हवड़ा-बंबई ट्रंक मार्ग पर बिलासपुर-अकलतरा बहुत ही उच्च घनत्व वाला खंड है। इस खंड पर होने वाले यातायात में भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, सीमेंट संयंत्र आदि के लिए किया जाने वाला यातायात शामिल है। कोरबा में एचईसीएल कोयला खानों और इब घाटी की सीमेंट क्षमता के विस्तार के परिणामस्वरुप बिलासपुर, और अकलतरा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण करके इस खंड की क्षमता में वृद्धि करने की तत्काल जरूरत है। इस कार्य की अनुमानित लागत 35.91 करोड़ रुपये है जिसके लिए 1.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

6. **तालचेर—हिंडोल रोड के बीच दोहरीकरण (32.1 कि॰ मी॰) — दक्षिण पूर्व रेलवे** — दक्षिण में विभिन्न तटवर्ती सुपर थर्मल पावर संयंत्रों के लिए कोयले के परिवहन का दबाव तालचेर-रजतगढ़ खंड पर सबसे अधिक पड़ेगा। रजतगढ़ से हिंडोल रोड (40.7 कि.मी.) तक दोहरीकरण का कार्य पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है। इस खंड का कार्य पूरा करने के लिए तालचेर से हिंडोल रोड तक शेष 32 कि.मी. के दोहरीकरण का कार्य 29.25 करोड़ रुपये की लागत पर करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

यातायात सुविधाएं—यार्ड के ढांचे में परिवर्तन तथा अन्य कार्य

1. **तडाली-कार्ड लाइन-लूप लाइन और पार्श्व-केबिन सहित-मध्य रेलवे**—वर्धा-बल्हारशाह खण्ड पर स्थित तडाली जंक्शन से 14.11 किलोमीटर लम्बी एक शाखा लाइन घुगुस तक जाती है। कोयले के वर्तमान और प्रत्याशित लदान भार की कर्षण सहित सभी प्रकार के चल स्टाक की भारी रुकौनी से बचने के लिए, एक कार्ड लाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिससे कि गाड़ियां सीधे और तेजी से जा सकें। इस काम की प्रत्याशित लागत 2.10 करोड़ रुपये है जिसके लिए 10.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

2. **(क) करारी-दतिया (13.30 किलोमीटर), (ख) मनिया-जजाऊ (14.39 किलोमीटर), (ग) जाजौ-भांडई (15.34 किलोमीटर) के बीच दोनों दिशाओं में मध्यवर्ती ब्लाक खंड प्रणाली-मध्य रेलवे**—झाँसी-आगरा खंड महत्वपूर्ण उत्तर-दक्षिण ग्रांड ट्रंक मार्ग का भाग है जहां निरन्तर बढ़ रहे यात्री यातायात के अतिरिक्त खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट तथा पेट्रोल,

section and of cement from factories located on Vikarabad--Wadi--Shahabad section, the above is proposed at an anticipated cost of Rs. 22.46 crores with an outlay of Rs. 50 lakhs.

5. *3rd line between Bilaspur and Akaltara (27 Kms.)—South Eastern Railway.*—Bilaspur—Akaltara is a very high density section on the Howrah—Bombay trunk route. The stream of traffic on this section includes traffic for Bhilai Steel Plant, Rourkela Steel Plant, Cement Plant etc. Consequent to the expansion of HECL Colliaries in Korba and in Ib valley cement capacity. There is immediate need for augmentation of this section by construction of a 3rd line between Bilaspur and Akaltara. The estimated cost of the work is Rs. 35.91 crores with an outlay of Rs. 1.00 crore.

6. *Doubling between Talcher—Hindol Road—(32.1 Kms) — South Eastern Railway.* — The pressure of coal transportation to various Coastal Super Thermal Power Plants in the South will be the heaviest on the Talcher—Rajatgarh section. The doubling from Rajatgarh to Hindol Road (40.7 Kms) is already sanctioned. To complete this section, doubling of the balance 32 Kms. from Talcher to Hindol Road is proposed at a cost of Rs. 29.25 crores with an outlay of Rs. 2.00 crores.

TRAFFIC FACILITIES —YARD REMODELLING AND OTHERS

1. *Tadali-Chord line with a loop line and end cabins.—Central Railway.*—A branch line of 14.11 kms. to Ghugus takes off from Tadali junction located on Wardha—Balharshah section. In order to eliminate heavy detention to rolling stock including motive power of existing and anticipated coal loads, a chord line has been proposed to facilitate direct and speedy movement of trains. The anticipated cost of the work is Rs. 2.10 crores with an outlay of Rs. 10.60 lakhs.

2. *IBSS in both directions between (a) Karari—Datia* (13.30 *Kms*) *(b) Mania—Jajau* (14.39 kms) *(c) Jajau—Bhandai* (15.34 *Kms*)—*Central Railway.*—Jhansi-Agra section constitutes a part of vital North-South Grand Trunk route through which important commodities like food grains, fertilizers,

तेल, स्नेहक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की ढुलाई की जाती है। खंड संतृप्त स्तर तक पहुंच गया है। प्रत्याशित यातायात को सम्हालने के लिए 1.74 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत से (क) करारी-दतिया, (ख) मनिया-जाजौ तथा (ग) जाजौ-भांडई के बीच दोनों दिशाओं में मध्यवर्ती ब्लाक खंड प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए 10.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. **दीवा और तलोजा–पंचांद के बीच अतिरिक्त 3 लाइन वाला क्रासिंग स्टेशन––मध्य रेलवे**––बम्बई-कल्याण नई लाइन से निकलने वाले दीवा-पनवेल खण्ड को रोहा तक बढ़ाया गया है जो कोंकण रेलवे का हिस्सा बनेगा। न्यू बम्बई में नया जवाहर लाल नेहरु बंदरगाह (नावा शेवा) तक रेल द्वारा इस लाइन के माध्यम से पहुंचा जाता है। इस खंड पर प्रत्याशित यातायात को सम्हालने के लिए दीवा जंक्शन और तलोजा-पंचांद स्टेशनों के बीच एक अतिरिक्त 3 लाइन वाले क्रासिंग स्टेशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 2.53 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 10.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. **(क) वर्धा––बड़नेरा 4 लाइनों की वरीयता में कौठा स्टेशन का परिवर्तन, (ख) बडनेरा––भुसावल––(i) कुरम–माना 13.19 कि.मी.) (ii) खामखेद––बोडवाद (10.82 कि.मी.) क बीच दोनों दिशाओं में मध्य वर्ती ब्लाक खंड––मध्य रेलवे**––वर्धा-भुसावल खंड महत्वपूर्ण बम्बई-हवड़ा ट्रंक मार्ग का एक भाग है। कौठा "सी" श्रेणी स्टेशन को कुरम-माना और खामखेद-बोडवाद खंडों पर दोनों दिशाओं में मध्यवर्ती ब्लाक खंड और अन्तर्पाशन सहित 4 लाइन की वरीयता स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव है ताकि चल स्टाक की भारी रुकौनी से बचा जा सके। इस पर 4.19 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 10.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. **बम्बई––कल्याण धीमे गलियारे में सिगनलों का पुनः अंतरण करना––मध्य रेलवे**:––वी.टी. और कल्याण (54 कि.मी.) के बीच धीमे गलियारे पर उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाओं की आवृत्ति में सुधार लाने के लिए सिगनलों का पुन: अन्तरण करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 9.21 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए वर्ष 15 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

6. **फतुहा––माल डिब्बों के लिए टर्मिनल सुविधाएं पूर्व रेलवे**––पटना शहर के लिए राजेन्द्र नगर का माल गोदाम प्रमुख माल डिब्बा टर्मिनल के रुप में कार्य करता है। वर्तमान यातायात के लिए यह टर्मिनल अब पर्याप्त नहीं रह गया है। राजेन्द्र नगर में कार्य-व्यापार की वृद्धि के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पटना शहर के विकास के अनुरुप माल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फतुहा में माल डिब्बों के लिए टर्मिनल सुविधाओं

cement and POL flow in addition to the ever growing passenger traffic. The section has reached the saturation level. To cater to the anticipated traffic, it is proposed to provide IBSS in both directions between (a) Karari-Datia (b) Mania-Jajau and (c) Jajua-Bhandai at an anticipated cost of Rs. 1.74 crores with an outlay of Rs. 10,60 lakhs.

3. *Additional* 3 *line crossing station between Diva—Taloja and Panchand—Central Railway.*—Diva—Panvel section taking off from Bombay—Kalyan new line is extended upto Roha and would form part of the Konkan Railway. The new Jawaharlal Nehru Port (Nhava Sheva) in New Bombay is approached by rail through this line. To cater to the anticipated traffic on the section, it is proposed to provide an additional 3 line crossing station between Diva Junction and Taloja—Panchand stations at an anticipated cost of Rs. 2.53 crores with an outlay of Rs. 10.60 lakhs

4. *(a) Wardha—Badnera—Conversion of Kaotha station into 4 lines precedence station*—(b) *Bandnera—Bhusawal—IBS in both directions between (i) Kuram—Mana* (13.19 *Kms*) *(ii) Khamkhed—Bodwad* (10.82 *Kms*) *Central Railway.*—Wardha—Bhusawal section is a part of important Bombay—Howrah trunk route. To avoid heavy detention to rolling stock, it is proposed to convert Kaotha 'C' class station into 4 lines precedence station with panel interlocking and IBS in both directions on Kuram—Mana and Khamkhed—Bodwad sections at an anticipated cost of Rs. 4.19 crores with an outlay of Rs. 10.60 lakhs

5. *Respacing of Signals on Bombay—Kalyan slow corridor—Central Railway.*—In order to improve the frequency of services of suburban trains on the slow corridor between V.T. and Kalyan (54 Kms), it is proposed to respace signals. The work is anticipated to cost Rs. 9.21 crores with an outlay of Rs. 15 lakhs

6. *Fatuha—Freight terminal facilities—Eastern Railway.*—Rajendranagar goods shed which is the principal freight terminal for Patna city is now inadequate for the traffic offering. There is hardly any scope to increase the dealing at Rajendranagar. It has become imperative to develop freight terminal facilities at Fatuha to meet the freight

का विकास करना अपरिहार्य हो गया है। इस काम पर 10.44 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसके लिए 6.02 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

7. **धात्रीग्राम, पाटुली—दसीहाट में एकसाथ आदान सुविधाएं, बागना पाड़ा, भण्डारटीकुरी फ्लेग स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशनों में बदलना तथा अतिरिक्त क्रासिंग स्टेशन पूर्व रेलवे—बंडेल-**कटवा खंड पर अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण, उपनगरीय क्षेत्र में गैर-बिजलीकृत खंड में विपरीत दिशा से आने वाली दो गाड़ियों में से एक गाड़ी को क्रासिंग के दौरान रोकना पड़ता है जिसके कारण गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। हावड़ा मंडल में उपनगरीय नेटवर्क में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए, कटवा खंड की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित लागत 6.62 करोड़ रुपये है जिसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

8. **बंगलादेश को पत्थर के यातायात की ढुलाई के लिए अतिरिक्त सुविधाएं—पूर्व रेलवे**—भारत में सिंहबाद और बंगलादेश में रोहनपुर के रास्ते बंगलादेश को सामान की ढुलाई के लिए एक नया मार्ग 1-10-90 से खोला गया है। बंगलादेश में सड़क और अन्य परियोजनाओं के लिए पूर्व रेलवे के पाकुर-बड़हरवा क्षेत्र से पत्थर/पत्थर के टुकड़ों की ढुलाई जल्दी ही शुरू हो जाने की सम्भावना है। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि एक अतिरिक्त लूप की व्यवस्था की जाए और बाकुडी में खदान साइडिंग के भीतर यार्ड में एक लूप की लम्बाई बढ़ाई जाए तथा बड़हरवा में एक अतिरिक्त लूप और डैमेज कलेक्शन स्पर की व्यवस्था की जाए। इस काम पर 1.20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और वर्ष इसके लिए 3.01 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

9. **पटना—गया खण्ड—नादील और चाकंद में एक-साथ आदान की सुविधाएं—पूर्व रेलवे** —पटना-गया खण्ड मुख्य लाइन को ग्रांड कार्ड के साथ मिलाता है और उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच यह एक बहुत उपयोगी सम्पर्क के रूप में कार्य करता है। इस खण्ड पर क्षमता की काफी कमी है और इसकी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। इसलिए नादील और चाकंद में एक-साथ आदान की सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य हो गया है। इस काम पर 1.77 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 6.02 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

10. **सैंथिया और पांडवेश्वर के बीच टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था—पूर्व रेलवे**—अंडाल—सैंथिया शाखा लाइन पर पांडवेश्वर-सैंथिया एक 53 किलोमीटर लम्बा इकहरी लाइन का टुकड़ा है। तीन लम्बी ब्लाक खंडों वाला यह खंड टोकन उपकरणों द्वारा संचालित है। इस खंड पर माल यातायात होता है उसमें कोयला, डोलोमाइट और पेट्रोल तेल व स्नेहक शामिल हैं, इस समय इस खंड का लगभग 90

requirements of the growing city of Patna. The work is estimated to cost Rs. 10.44 crores and an outlay of Rs. 6.02 lakhs.

7. *Simultaneous reception facilities at Dhatrigram, Patulis—Dasihat, conversion of flag stations into crossing at Baghnapara-Bhandatikuri and additional crossing stations—Eastern Railway.*—Due to infrastructural problems on Bandel-Katwa section, the non-electrified section in the suburban territory, one of the two opposing trains has to be detained during crossing resulting in late running of trains. For overall improvement of suburban network in Howrah Division, it is necessary to augment capacity on Bandel-Katwa section. The work is estimated to cost Rs. 6.62 crores with an outlay of Rs. 10 lakhs.

8. *Additional facilities for movement of stone traffic to Bangladesh—Eastern Railway.*—A new route to Bangladesh has been opened via Singhabad in India and Rohanpur in Bangladesh from 1-10-90 for movement of cargos. Movement of stones/aggregates from Pakur—Barharwa area of Eastern Railway for road and other projects in Bangladesh is expected to start very soon. It has, therefore, been decided to provide an additional loop and lengthening of one loop in the yard inside quarry siding at Bakudi, an additional loop and a damage collection spur at Barharwa. The work is estimated to cost Rs. 1.20 crores and an outlay of Rs. 3.01 lakhs.

9. *Simultaneous reception facilities at Nadual and Chakand—Eastern Railway.*—Patna—Gaya section connects the main line with the Grand Chord and serves as a very useful link between North and South Bihar. The section is faced with capacity constraints and it is necessary to augment its capacity. It has, therefore, become imperative to provide simultaneous reception facilities at Nadual and Chakand. The work is estimated to cost Rs. 1.77 crores and an outlay of Rs. 6.02 lakhs.

10. *Tokenless Block Working between Sainthia and Pandaveswar—Eastern Railway*—Pandaveswar—Sainthia is a 53 Km. long singleline stretch on Andal—Sainthia branch line. The section having three long block sections is worked on token instruments. Freight movement over the section consists of coal dolomite and POL. The present utilisation of the

प्रतिशत उपयोग हो रहा है। प्रस्तावित बाकेश्वर बिजलीघर के लिए निर्माण सामग्री, कोयला और पेट्रोल तेल व स्नेहक के अतिरिक्त यातायात और दुर्गापुर तथा बोकारो इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण/विस्तार के परिणामस्वरूप डोलोमाइट के बढ़ते यातायात को देखते हुए इस खंड की क्षमता बढ़ाना अपेक्षित है। इस काम पर 1.82 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, जिसके लिए 6.02 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

11. **राजेन्द्र नगर में कोचिंग टर्मिनल सुविधाएं—पूर्व रेलवे**—पटना जंक्शन पर यात्री यातायात में वृद्धि को देखते हुए 1974-75 में इस स्टेशन के ढांचे में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई थी। इस के परिणामस्वरूप अब इस स्टेशन की टर्मिनल क्षमता पर्याप्त नहीं रह गई है। अतः पटना जंक्शन में टर्मिनल की अतिरिक्त सुविधाओं के विकास के लिए राजेन्द्र नगर में जो कि पटना जंकशन से पूर्व की ओर 2.38 किलोमीटर दूर एक हाल्ट स्टेशन है, सवारी पार्सल आदि डिब्बों के लिए टर्मिनल सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 5.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.02 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

12. **पाथरडीह के रास्ते धनबाद और टाटानगर में सवारी गाड़ियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं—पूर्व रेलवे**—धनबाद-पाथरडीह-टाटानगर मार्ग को सवारी गाड़ी संचलन के उपयुक्त बनाने के लिए अतिरिक्त निर्माण कार्यों का प्रस्ताव है क्योंकि पाथरडीह के रास्ते धनबाद से टाटानगर तक एक सीधी गाड़ी की मांग है। इस काम पर 64 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 64 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

13. **मुगलसराय — इलाहाबाद — गाजियाबाद — अतिरिक्त सुविधाएं (चरण-IV) — उत्तर रेलवे** — मुगलसराय-इलाहाबाद-गाजियाबाद विद्युतीकृत खंड पर यातायात में भारी वृद्धि हो गयी है। इस खंड पर ढोये जाने वाले भारी यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रेलपथ के नवीकरण का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जा रहा है। मुगलसराय में 40 थ्रू माल गाड़ियां लेने के लिए एकीकृत ब्लाक योजना के भाग के रूप में, योजना के चरण-IV, जिसमें गाजियाबाद-टूंडला-कानपुर-इलाहाबाद खंड पर छः अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था शामिल है, पर काम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 5 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 21.49 लाख रुपये परिव्यय का प्रस्ताव है।

14. **मुरादाबाद—गाजियाबाद—15 स्टेशनों पर टोकन रहित ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था—उत्तर रेलवे**—मुरादाबाद-गाजियाबाद खंड 141 कि०मी० लंबा है, जो दिल्ली को मुरादाबाद से जोड़ता है। इस खंड पर गाड़ियों के चालन-समय में कमी लाने और समय-पाबंदी सुधारने के उद्देश्य से, इस खंड के

section is about 90 per cent. Capacity of this section is required to be augmented to allow movement of additional traffic of construction materials, coal and POL to the proposed Bakreswar Power Station and incremental flow of dolomite consequent upon modernisation/expansion of Durgapur and Bokaro Steel Plants. The work is estimated to cost Rs. 1.82 crores and an outlay of Rs. 6.02 lakhs.

11. *Rajendranagar—Coaching terminal facilities—Eastern Railway.*—Keeping in view the growing passenger traffic at Patna Jn., remodelling of the station was sanctioned in 1974-75. The terminal capacity generated through remodelling has, by now, become inadequate. To develop additional terminal facilities at Patna Jn., it is proposed to develop coaching terminal facilities at Rajendranagar, a halt station, 2.38 Km. east of Patna Jn. The work is estimated to cost Rs. 5.00 crores and an outlay of Rs. 6.02 lakhs.

12. *Dhanbad—Tatanagar—Additional facilities for movement of passenger trains via Patherdih—Eastern Railway.*—Additional works to make the Dhanbad-Patherdih-Tatanagar route fit for passenger movement are proposed as there is a demand for a direct train from Dhanbad to Tatanagar via Patherdih. The work is estimated to cost Rs. 64 lakhs, with an outlay of Rs. 64 lakhs.

13. *Mughalsarai — Allahabad — Ghaziabad — Additional facilities (Phase IV)—Northern Railway.*—There has been a phenomenal increase in traffic on Mughalsarai—Allahabad—Ghaziabad electrified section. Massive track renewal programme is being undertaken on this route to meet the needs of heavy traffic moving on this section. As part of an integrated block scheme for accepting 40 through goods trains at Mughalsarai, it is proposed to take up Phase-IV of the scheme, comprising provision of six additional loops on Ghaziabad—Tundla—Kanpur—Allahabad section. This work is estimated to cost Rs. 5 crores with an outlay of Rs. 21.49 lakhs.

14. *Moradabad—Ghaziabad section—Tokenless Block Instruments at 15 stations.—Northern Railway.*—Moradabad—Ghaziabad is a 141 Km. long section connecting Delhi with Moradabad. To reduce the running time and improve punctuality, it is

15 स्टेशनों पर टोकन रहित ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.61 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 5.06 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

15. **टूंडला—स्वतन्त्र निकास के लिए सुविधाओं सहित —दो अधिक लंबी स्वतन्त्र लूप लाइनें—उत्तर रेलवे**—टूंडला यार्ड का वर्तमान ढांचा और वहां उपलब्ध सुविधाएं तेजी से बढ़ रहे यातायात के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अधिक भार वाली गाड़ियों के लिए दो अपेक्षाकृत अधिक लंबी स्वतंत्र लूप लाइनों की व्यवस्था करने एवं कम भार वाली गाड़ियों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवेश/निकास की सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.36 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 4.42 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

16. **शकूरबस्ती—सीमेंट यातायात की सम्हलाई के लिए अतिरिक्त सुविधाएं—उत्तर रेलवे**—दिल्ली क्षेत्र में समूचा सीमेंट यातायात शकूरबस्ती में सम्हाला जाता है। इसलिए (i) पूरे ब्लाक रेकों को सम्हालने के लिए सीमेंट प्लेटफार्म का विस्तार और (ii) सड़क, उतराई स्थल तथा परिचलन क्षेत्र का विस्तार करके शकूरबस्ती में सीमेंट सम्हलाई साइडिंग के संवर्धन का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.09 करोड़ रुपये की लागत आने का प्रस्ताव है और इसके लिए 4.42 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

17. **थामसनगंज—लाइन नं० 1 और 3 का पूरा रेक साइडिंग के रूप में विस्तार—उत्तर रेलवे**—थामसनगंज, जो बालामऊ-सीतापुर खंड पर एक महत्वपूर्ण रेक सम्हलाई स्थल है, में बहुत-सा फुटकर यातायात होता है तथा वहां खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला और सीमेंट के ब्लाक रेक सम्हाले जाते हैं। वहां कोई पूरा रेक साइडिंग उपलब्ध नहीं है जिसके कारण थामसनगंज में काफी शंटिंग करनी पड़ती है जिससे डीजल रेल इंजनों तथा माल डिब्बों की भारी रुकौनी होती है। अतः बड़े आमान की लाइन नं० 1 और 3 की पूरी रेक साइडिंग के रूप में विस्तार करने और लाइन नं० 2 को उखाड़ देने का प्रस्ताव है। इस काम पर 94 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 4.42 लाख रुपये के परिव्यय को व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

18. **हरदोई—पूरी रेक साइडिंग—उत्तर रेलवे**—लखनऊ-मुरादाबाद खंड पर स्थित हरदोई में रेक लोड सुविधाएं न होने के कारण, रैकों को अलग-अलग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें भारी रुकौनी होती है और शंटिंग भी अत्यधिक करनी पड़ती है। अतः इस स्टेशन पर ब्लाक रैक लदान सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 60 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 3.79 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

proposed to provide tokenless block instruments on 15 stations of this section at an estimated cost of Rs. 1.61 crores with an outlay of Rs. 5.06 lakhs.

15. *Tundla—Two independent longer loops alongwith facilities for independent exit.—Northern Railway.*—The present lay-out and facilities available in Tundla Yard are inadequate for the rapid growth of traffic. It is proposed to provide two independent longer loops for heavy haul trains as well as facilities for independent entry/exit for non-heavy trains. The work is estimated to cost Rs. 1.36 crores with an outlay of Rs. 4.42 lakhs.

16. *Shakurbasti—Additional facilities for handling cement traffic—Northern Railway.*—The entire cement traffic in Delhi area is handled at Shakurbasti. It is therefore proposed to augment cement handling siding at Shakurbasti by (i) extension of cement platform to handle full block rakes and (ii) extension of road, unloading space and circulating areas. This work has been proposed at a cost of Rs. 1.09 crores with an outlay of Rs. 4.42 lakhs.

17. *Thomsonganj—Extension of line No. 1 & 3 into full rake siding—Northern Railway.*—Thomsonganj, an important rake handling point on Balamau—Sitapur section, deals with sizeable piecemeal traffic and block rakes of foodgrains, fertilizers, coal and cement. Full rake siding is not available at Thomsonganj necessitating a lot of shunting movements and causing abnormal detention of diesel engines and wagons. It is therefore proposed to extend BG line No. 1 & 3 to full rake length and to dismantle line No. 2. The work is estimated to cost Rs. 94 lakhs with an outlay of Rs. 4.42 lakhs.

18. *Hardoi—Full rake siding—Northern Railway.*—In the absence of rake load facilities at Hardoi, located on Lucknow—Moradabad section, the rakes are split resulting in heavy detention and extensive shunting operations. It is therefore, proposed to provide block rake loading facilities at this station at an estimated cost of Rs. 60 lakhs with an outlay of Rs. 3.79 lakhs.

19. दिल्ली क्षेत्र (नई दिल्ली)--अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाएं जिनमें यात्री प्लेटफार्म आदि शामिल हैं (चरण-1)-उत्तर रेलवे--यात्री यातायात की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने और जापान इन्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नयी दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं की चरणों में व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के चरण-I में अतिरिक्त प्लेटफार्म, स्वचालित धुलाई संयंत्र सहित धुलाई लाइनों, मरम्मत लाइनों और ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था करना शामिल है। इस काम पर 24.22 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 15.80 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

20. स्वामी नारायण छपिया और ओरवारा फ्लैग हाल्ट स्टेशनों का तीन लाइन वाले "बी" श्रेणी के पार-स्टेशनों में बदलाव--पूर्वोत्तर रेलवे:--पूर्वोत्तर रेलवे का बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर खंड परिवहन अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस खंड की खंडीय क्षमता 105 प्रतिशत तक सन्तृप्त हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप माल गाड़ियों की भारी रुकौनी होती है। इस पर काबू पाने के लिए, स्वामी नारायण छपिया और ओरवारा फ्लैग/हाल्ट स्टेशनों को पार स्टेशनों में बदलने का प्रस्ताव है। इस काम पर 2.41 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

21. तिरुप्पुर--रेक से माल उतारने की सुविधाएं--दक्षिण रेलवे--इस स्टेशन पर जो माल यातायात आता है वह रेक भार में होता है और वर्तमान सुविधाओं द्वारा आसानी से उसे संभाला नहीं जा सकता। माल डिब्बों की रुकौनी कम करने और माल डिब्बों के लदान फेरे में सुधार के उद्देश्य से, रैक से माल उतारने की सुविधाओं और शंटिंग ग्रीवा की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 52 लाख रुपये की लागत का अनुमान है जिसके 4.42 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

22. मणप्पारै--दिण्डीगुल--टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था--दक्षिण रेलवे--तिरुच्चिरापल्ली-मणप्पारै और दिण्डीगुल-मदुरै खंडों पर टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है। खंड की क्षमता बढ़ाने और गाड़ियों की रुकौनी से बचने के लिए मणप्पारै-दिण्डीगुल खंड पर भी टोकन रहित ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.41 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसमें से 6 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

23. व्हाइट फील्ड--अनुषंगी माल टर्मिनल पर अतिरिक्त यातायात के लिए सुविधाएं--दक्षिण रेलवे--व्हाइट फील्ड में अनुषंगी माल टर्मिनल जनवरी, 1989 में यातायात के लिए खोला गया था। इस टर्मिनल पर और अधिक यातामात संभालने के उद्देश्य से अनाज और अन्य सामान व्यापारिक

19. *Delhi Area (New Delhi)—Additional maintenance facilities including passenger platforms etc. (Phase-I)—Northern Railway*—To meet the increasing demands for passenger traffic and keeping in view the recommendations of the Japan International Corporation Agency, additional terminal facilities are proposed to be provided at New Delhi station in phases. Phase-I of the work includes provision of additional platform, washing lines with automatic washing plant, sick lines and foot over bridges. This is estimated to cost Rs. 24.22 crores with an outlay of Rs. 15.80 lakhs

20. *Conversion of Swami Narain Chhapia and Orwara Flag/Halt stations into 3 line 'B' class crossing stations—North Eastern Railway*—Barabanki-Gonda-Gorakhpur section of North Eastern Railway plays a vital role in the transport infrastructure. To overcome the over saturation of the sectional capacity to the extent of 105%, causing heavy detention to goods trains, it is proposed to convert Swami Narain Chhapia and Orwara flag/halt stations into crossing stations. The work is estimated to cost Rs. 2.41 crores with an outlay of Rs. 10 lakhs.

21. *Tiruppur.—Rake unloading facilities—Southern Railway.*—The goods traffic received on this station is in rake loads, which cannot be dealt with conveniently with the existing facilities. To minimise detention to wagons and to improve wagon turnround, rake unloading facilities and shunting neck have been proposed at an estimated cost of Rs. 52 lakhs with an outlay of Rs. 4.42 lakhs.

22. *Manapparai—Dindigul.—Tokenless block working—Southern Railway*—Tokenless block working is being provided on Tiruchchirappali—Manapparai and Dindigul—Madurai sections. To improve capacity of the section and to avoid detention to trains, it is proposed to provide tokenless block working in Manapparai—Dindigul section also. This work has been proposed at an estimated cost of Rs. 1.41 crores with an outlay of Rs. 6 lakhs.

23. *White Field.—Additional traffic facilities at satellite goods terminal—Southern Railway.*—The satellite goods terminal at White Field was opened for traffic in January, 1989. To handle more traffic at this terminal, separate covered goods shed for

यातायात के लिए एक अलग छतदार माल गोदाम बनाने का प्रस्ताव है। इससे माल डिब्बे कम से कम समय के लिए रुकेंगे और परिचालन कुशलता बढ़ेगी। इस काम पर 1.54 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, जिसके लिए 28.27 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

24. **अरकोणम — वालाजाह रोड — स्वचल ब्लॉक सिगनल की व्यवस्था (चरण-I)—दक्षिण रेलवे**:—अरकोणम-जोलारपेट्टै खंड दक्षिण पश्चिमी लाइन का एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जहां बेंगलूर, मैसूर और तिरुच्चिरापल्ली से देश के उत्तरी क्षेत्रों की ओर से यातायात होता है। इस खंड की निर्धारित क्षमता पहले ही अधिकतम पर पहुंच चुकी है और लाइन क्षमता की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए अरकोणम और वालाजाह रोड के बीच परियोजना के पहले चरण के रूप में स्वचल सिगनल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 12.97 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है जिसके लिए 2.11 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

25. **विल्लिवाकम—अन्नानगर—दूसरे कोचिंग टर्मिनल के लिए भूमि का अधिग्रहण—दक्षिण रेलवे**:—मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन पर भारी संख्या में गाड़ियों का आना जाना होता है। चूंकि मद्रास सेंट्रल पर गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है इसलिये इस क्षेत्र के निकट ही एक दूसरा कोचिंग टर्मिनल बनाना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए 9 करोड़ रुपये की प्रत्याशित लागत पर भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है जिसके लिये 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

26. **चागल्लू, द्वारपूडी और मेडपाडू में विशिक लूप लाइन—दक्षिण मध्य रेलवे**:—विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, काकीनाडा के निकट गोदावरी उर्वरक संयंत्र से अतिरिक्त माल यातायात, कृष्णा देवी पेटा से बाक्साइट अयस्क यातायात, तालचेर से कोयले के संचलन आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम दोहरी लाइन खंड पर चागल्लू, द्वारपूडी और मेडपाडु में विशिक लूप लाइनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 1.75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.98 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

27. **वेमलुरीपाडु, गंगायपल्ली, हस्तावरम और अनन्तराजूपेट में दूसरी सिगनल लूप—दक्षिण मध्य रेलवे**:—अतिरिक्त माल और यात्री यातायात के लिए गूटी-रेणिगुंटा खंड की लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए वेमुलुरीपाडु, गंगायपल्ली, हस्तावरम और अनंतराजिपेटा में एक साथ आदान सुविधाओं सहित दूसरी सिगनल लूप की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 3.71 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 21.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

food-grain and general merchandise traffic are proposed. This would reduce detention to wagons and improve operational efficiency. This work is estimated to cost Rs. 1.54 crores with an outlay of Rs. 28.27 lakhs.

24. *Automatic Block signalling between Arakkonam & Walajah Road (Phase-I)—Southern Railway*—Arakkonam—Jolarpettai section is an important stretch of South-West line carrying traffic to and from Bangalore, Mysore and Tiruchchirappalli to up country and vice-versa. The chartered capacity of the section is already saturated and keeping in view the future requirement of line capacity, automatic block signalling has been proposed between Arakkonam—Wallajah Road as phase-I of the project at an estimated cost of Rs. 12.87 crores with an outlay of Rs. 2.11 crores.

25. *Villivakam—Annagar—Acquisition of land for second coaching terminal—Southern Railway*—A large number of trains are being handled at Madras Central. As the space available at Madras Central is not adequate to meet the needs of the increasing number of trains, a second coaching terminal in the vicinity is essential. For this purpose, acquisition of land has been proposed as an anticipated cost of Rs. 9 crores with an outlay of Rs. 50 lakhs.

26. *Directional loop lines at Chagallu, Dwarapudi and Medapadu—South Central Railway.*—To cater to the additional freight traffic from Visakhapatnam Steel Plant, Godavari Fertilizer Plant near Kakinada Bauxite ore traffic from Krishna Devi Peta, coal movement from Talcher etc. it is proposed to provide directional loop lines at Chagallu, Dwarapudi and Medapadu, on Vijayawada-Visakhapatnam double line section. The work is estimated to cost Rs. 1.75 crores with an outlay of Rs. 6.98 lakhs.

27. *Second singalled loop at Vemulapadu, Gangayepalle, Hastavaram and Anantarajupeta—South Central Railway.*—To increase the line capacity on the Gooty—Renigunta section for additional goods and passenger traffic, it is proposed to provide 2nd signalled loop with simultaneous reception facilities at Vemulapadu, Gangayepalle, Hastavaram and Anantarajupeta. The work is estimated to cost Rs. 3.71 crores with an outlay of Rs. 21.50 lakhs.

28. **वेनडोडु, यल्लाकारु और रचगुन्नेरी स्टेशनों पर दूसरी सिगनल लूप—दक्षिण मध्य रेलवे** :—अतिरिक्त प्रत्याशित माल यातायात के लिए गुडूर-रेणिगुंटा इकहरी बड़ी लाइन विद्युतीकृत खंड पर लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए वेनडोडु, येल्लाकारु और रचगुन्नेरी स्टेशनों पर दूसरी सिगनल लूप की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 2.83 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 13.44 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

29. **येरागुंटला—दो माल आदान और प्रस्थान लाइनें—दक्षिण मध्य रेलवे** :—येरागुंटला दो बड़ी सीमेंट साइडिंगों अर्थात् सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया तथा टेक्समको और रायलसीमा क्षेत्र के एक व्यस्त व्यापारिक नगर पैडडोटूर को सेवित करता है। डीजल रेल इंजनों की रुकौनी को कम करने तथा साइडिंगों को कारगर ढंग से सेवित करने के लिए येरागुंटला स्टेशन पर दो अतिरिक्त माल लाइनों का प्रस्ताव है। इन पर 1.75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 9.67 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

30. **मानिकगढ़ बाई-पास लाइन—दक्षिण मध्य रेलवे**:—मुख्य लाइन (बल्लारशाह-काजी पेट ट्रंक मार्ग) पर खाली/लदे रेकों तथा गाड़ियों की रुकौनी से बचने के लिए, मानिकगढ़-विहिरगांव के बीच युगल चालू इकहरी लाइनों सहित मानिकगढ़ में मुख्य लाइन से मानिकगढ़-गढ़चंडूर शाखा लाइन को जोड़ने वाली बाई-पास लाइन बनाने का प्रस्ताव है। इस काम पर 3.15 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 63.44 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

31. **मानिकगढ़ में दो अतिरिक्त माल लूप लाइनें—दक्षिण मध्य रेलवे** :—गढ़चंडूर को नयी शाखा लाइन इस स्टेशन से शुरू होती है। गढ़चंडूर में सीमेंट साइडिंगों की यातायात की प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए तथा गाड़ियों की रुकौनी से बचने के लिए, बल्लारशाह-काजीपेट खंड पर मानिकगढ़ जंकशन पर दो अतिरिक्त माल लूप बनाने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.65 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 15.96 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

32. **शालीमार—कोचिंग टर्मिनल—(चरण I)—दक्षिण पूर्व रेलवे** :—हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्मों पर भीड़-भाड़ को कम करने तथा गाड़ी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए, दक्षिण पूर्व रेलवे की गाड़ियों की सम्हलाई करने के वास्ते कलकत्ता के लिए शालीमार में एक दूसरा टर्मिनल बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। इस कार्य के चरण I पर 15.85 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 16.25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

28. *Second signalled loops at Vendodu, Yellakaru and Rachgunneri—South Central Railway.*—To increase the line capacity on the Gudur—Renigunta BG single line electrified section for additional anticipated freight traffic, it is proposed to provide 2nd signalled loop at Vendodu, Yellakaru and Rachgunneri stations. The work is estimated to cost Rs. 2.83 crores with an outlay of Rs. 13.44 lakhs.

29. *Yerraguntala — Two R & D lines — South Central Railway.*— Yerraguntala serves two major cement sidings viz., CCI & Texmaco and Peoddotur, a busy commercial town of Rayalaseema area. To minimise detention to diesel locos and to effectively serve the siding, two additional goods lines are proposed at Yerraguntala station at an estimated cost of Rs. 1.75 crores with an outlay of Rs. 9.67 lakhs.

30. *Manikgarh Bye-pass line—South Central Railway.*—To avoid detention to empty/loaded rakes and hold up of trains on main line (Balharshah—Kazipet trunk route) it is proposed to have a bye-pass line connecting Manikgarh-Gadchandur branch line to main line at Manikgarh alongwith twin single line working between Manikgarh—Wihirgaon. The work is estimated to cost Rs. 3.15 crores with an outlay of Rs. 63·44 lakhs.

31. *Manikgarh—Two additional goods loops—South Central Railway.*—The new branch line to Gadchandur takes off from this station. To meet the anticipated traffic demands of cement sidings at Gadchandur and avoid detention to trains two additional goods loops at Manikgarh Junction on Balharshah—Kazipet section have been proposed at an anticipated cost of Rs. 1.65 crores with an outlay of Rs. 15.96 lakhs.

32. *Shalimar—Coaching Terminal (Phase-I)—South Eastern Railway.*—To reduce over crowding on station platforms of Howrah and increase train services as second terminal for Calcutta to deal with the South Eastern Railway trains at Shalimar has become an absolute necessity. Phase-I of this work is estimated to cost Rs. 15.85 crores with an outlay of Rs. 16.25 lakhs.

33. **सोनुआ--तुनिया--गोइलकेरा--युगल इकहरी लाइन संचालन (12.7 कि०मी०)--दक्षिण पूर्व रेलवे :--** चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खंड पर यातायात का घनत्व भारतीय रेलों पर सबसे अधिक है। प्रतिकूल भू-भाग होने के कारण इस खंड में गाड़ियों का संचलन संकटपूर्ण हो गया है। इस खंड के एक भाग में अर्थात् मनोहरपुर से गोइलकेरा तक युगल इकहरी लाइन है। गोइलकेरा से सोनुआ तक के शेष भाग पर यही प्रणाली लागू करना आवश्यक हो गया है ताकि दोनों लाइनों का समान रूप से उपयोग किया जा सके। इस कार्य की अनुमानित लागत 2.54 करोड़ रुपये है जिसके लिए 6.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

34. **सरोना डाउन--4 लूप--दक्षिण पूर्व रेलवे**--सरोना स्टेशन हवड़ा-नागपुर मुख्य लाइन के बिलासपुर-दुर्ग विद्युतीकृत दोहरी लाइन खंड पर तीन लाइन वाला स्टेशन है जहां डाउन दिशा में कोई लूप लाइन नहीं है जिसके कारण दिन-प्रतिदिन के कार्यसंचालन में कठिनाई होती है। इस क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों और नई कोयला खानों के विस्तार से होने वाले प्रत्याशित यातायात को सम्हालने तथा डाउन दिशा की माल-गाड़ियों की रुकौनी कम करने के उद्देश्य से सरोना में डाउन लूप लाइन की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित लागत 63 लाख रुपये है जिसके लिए 3.25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

35. **युगल इकहरी लाइन सहित बाकरा--नयाबाज बाल्तिकुरी ब्लाक हट को जोड़ने वाली टाई लाइन (2.5 कि०मी०)--दक्षिण पूर्व रेलवे**--बाकरा-नयाबाज और बाल्तिकुरी के बीच की इकहरी लाइन का तंग मार्ग (चिकन नेक) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच यातायात की अदला-बदली के संचलन में बाधक है। इन कठिनाइयों पर काबू पाने और अतिरिक्त यातायात की सम्हलाई करने के लिए, बाकरा से बाल्तिकुरी तक दूसरी इकहरी लाइन की व्यवस्था करने और इस प्रकार 2.5 कि.मी. खंड को युगल इकहरी लाइन खंड में बदलने का प्रस्ताव है इस कार्य की अनुमानित लागत 2.97 करोड़ रुपये है जिसके लिए 8.12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

36. **बडाखन्दिता और रहामा में अतिरिक्त लूप लाइनें--दक्षिण पूर्व रेलवे**--कटक-पारादीप इकहरी लाइन खंड पर बडाखन्दिता और रहामा दो लाइन वाले स्टेशन हैं। तटीय क्षेत्र में पारादीप पोर्ट के रास्ते तालचेर से ताप बिजलीघर के लिए कोयले के बढ़े हुए यातायात की सम्हलाई के लिए, इन दो स्टेशनों पर अतिरिक्त लूप लाइनों की व्यवस्था करना अपेक्षित है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1.47 करोड़ रुपये है जिसके लिए 4.87 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

33. *Sonua--Tunia—Goilkera Twin single line working (12.7 kms.)—South Eastern Railway.*—The density of traffic over Chakradharpur—Bondamunda section is one of the highest on the Indian Railways. With adverse terrain, the movement of trains in this section has become critical. A part of this section viz Manoharpur to Goilkera is already having twin single line working, the application of same system on the balance portion from Goilkera to Sonua is imperative to make use of both the lines equally. The work is estimated to cost Rs. 2.54 Crores with an outlay of Rs. 6.50 lakhs.

34. *Sarona down—4 loop—South Eastern Railway.*—Sarona is a three line station on the Bilaspur—Durg electrified double line section of the Howrah—Nagpur main line with no loop line in the down direction resulting in difficulty on day to day working. To cope up with the anticipated traffic arising from expansion of steel plants, cement plants and new collieries in the area and to reduce detention to down goods trains provision of a down loop at Sarona is imperative. The work is estimated to cost Rs. 63 lakhs with an outlay of Rs. 3.25 lakhs.

35. *Tie line connecting Bakra - Nayabaj Baltikuri Block Hut (2.5 Kms.) with twin single line working—South Eastern Railway.*—The single line chicken neck between Bakra—Nayabaj and Baltikuri is a bottle-neck in the movement of inter-change traffic between Eastern and South Eastern Railway. To overcome the constraints of chicken neck and deal with the additional traffic, it is proposed to provide another single line from Bakra to Baltikuri and thereby convert the 2.5Km section to twin single line section. The work is estimated to cost Rs. 2.97 crores with an outlay of Rs. 8.12 lakhs.

36. *Additional loops at Badakhandita and Rahama—South Eastern Railway.* — Badakhandita and Rahama are two line stations on Cuttack—Paradeep single line section. For dealing with increased traffic of coal from Talcher to the Thermal Power Station in coastal area via Paradeep Port, additional loops at these two stations are required. The project is estimated to cost Rs. 1.47 crores with an outlay of Rs. 4.87 lakhs.

37. **विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए रेल सुविधाएं—परिधीय यार्ड (3.4 मी० टन) (चरण–II) दक्षिण पूर्व रेलवे**—विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के खाली यार्ड में तीन लाइनों और तैयार उत्पादन यार्ड में 3 लाइनों (कुल 8.9 कि०मी०) का निर्माण करना उन सुविधाओं का भाग है जिन्हें दिसम्बर, 1991 में चालू की जाने वाली विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की दूसरी झोंका भट्टी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विकसित किया जाना था की जा सकें। इस कार्य की अनुमानित लागत 8.49 करोड़ रुपये है जिसके लिए 8.12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

38. **विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए बाह्य रेल सुविधाएं—चरण-II—दक्षिण पूर्व रेलवे**—सिम्हाचलम नार्थ पर लूप लाइन सहित सिम्हाचलम नार्थ से इस्पात संयंत्र के भीतर तक दूसरी लाइन का निर्माण तथा जगय्यापेलेम यार्ड का पुनर्गठन करना दिसम्बर 1991 में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की दूसरी झोंक-भट्टी चालू कर दिए जाने से प्रत्याशित बढ़े हुए यातायात को सम्हलाई के लिए अपेक्षित है। इस कार्य की अनुमानित लागत 23.73 करोड़ रुपये है जिसके लिए 48.51 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

39. **निराकारपुर चिल्का, हुम्मा, गोलंथरा और झादुपुडी में अतिरिक्त लूप — दक्षिण पूर्व रेलवे**: — तालचेर कोयला खानों और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विस्तार कर दिये जाने से, खोरधा-पलासा खंड पर आगामी वर्षों में यातायात की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जायेगी। खंड की क्षमता बढ़ाने के लिए निराकापुर, हुम्मा, गोलंथरा, चिलका और झादुपुडी स्टेशनों पर एक अतिरिक्त लूप बनाना आवश्यक हो गया है। इस कार्य पर 2.68 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

40. **भोजुडीह—डाउन यार्ड में लाइनों का विस्तार—दक्षिण पूर्व रेलवे**:—डीजल रेल इंजनों द्वारा कर्षित 58 बी ओ एक्स "एन" रेकों के चलाये जाने के बाद भारी गाड़ियों को सम्हालने के लिए लम्बी लाइनों का होना आवश्यक हो गया है। बी ओ एक्स "एन" गाड़ियों को सम्हालने के लिए उपयुक्त शिरोपरि उपस्कर सहित पूरी लम्बाई की क्षमता के लिए भोजुडीह में डाउन यार्ड में लाइनों का विस्तार किया जाना है। इस कार्य पर 2.87 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.82 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

41. **कुरकुरा और पोकला में दो क्रासिंग स्टेशन खोलना—दक्षिण पूर्व रेलवे**:—राउरकेला-चक्रधरपुर-सिनी-चांडिल विद्युतीकृत खंड 94% की सीमा तक बहुत ही संतृप्त हो गया है जो 1992-93 तक अधिकतम 111% तक पहुंच जायेगा। इस विद्युतीकृत खंड पर यातायात को सुप्रवाही बनाने के लिए पोकला और कुरकुरा में दो अन्य क्रासिंग स्टेशन खोलना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य पर 3.09 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

37. *Rail facilities for Visakhapatnam Steel Plant Peripheral Yard (3.4 M.T.) (Phase-II)—South Eastern Railway.*—Construction of 3 lines in Visakhapatnam Steel Plant Empty Yard and 3 lines in Finished Product Yard (total 8.9 Kms), are part of facilities to be developed to serve the second Blast Furnace of Visakhapatnam Steel Plant scheduled to become operative in December, 1991. The work is estimated to cost Rs. 8.49 crores with an outlay of Rs. 8.12 lakhs.

38. *External Rail Facilities for Visakhapatnam Steel Plant (Phase-II)—South Eastern Railway.*—Construction of second line from Simhachalam North to inside Steel Plant with a loop at Simhachalam North and reorganisation of Jaggayyapalem Yard, are required for handling increased traffic anticipated with the commissioning of second Ballast Furnace of the Visakhapatnam Steel Plant in December, 1991. The estimated cost of the work is Rs. 23.73 crores with an outlay of Rs. 48.51 lakhs.

39. *Additional loops at Nirakarpur, Chilka, Hurma Golanthra and Jhadupudi—South Eastern Railway.*—With the expansion of Talcher coal fields and Visakhapatnam Steel Plant, the quantum of traffic on Khurda—Palasa section will tremendously increase in the coming years. The construction of one additional loop at Nirakarpur, Hurma, Golanthara, Chilka and Jhadupudi stations is imperative to increase the capacity of the section. The work is estimated to cost Rs. 2.68 crores with an outlay of Rs. 6.50 lakhs.

40. *Bhojudih—Extension of lines in Dn. Yard—South Eastern Railway.*—Introduction of 58 BOX 'N' rakes drawn by diesel locos have necessitated longer lines for handling heavier trains. Extension of lines in the down yard at Bhojudih for full length capacity with OHE to suit handling of BOX 'N' trains is estimated to cost Rs. 2.87 crores with an outlay of Rs. 6.82 lakhs.

41. *Opening of two crossing stations at Kurkura and Pokla.—South Eastern Railway.*—The Rourkela—Chakradharpur—Sini—Chandil electrified section is heavily saturated to the extent of 94% which will reach as high as 111% by 1992-93. To ease this electrified section, it is essential to open two more crossing stations at Pokla and Kurkura. The work is estimated to cost Rs. 3.09 crores with an outlay of Rs. 6.50 lakhs.

42. खानूडीह—लाइन नं० 2, 3, 6 और 7 का मानक लम्बाई तक विस्तार—दक्षिण पूर्व रेलवे :—खानूडीह स्टेशन का कोयला पायलटों के लिए एक आधार स्टेशन तथा पूर्व रेलवे के साथ एक अंतर्बदल स्टेशन के रूप में उपयोग होता है। खानूडीह स्टेशन पर मधुबन्द धुलाई कारखाना स्थापित हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित यातायात को सम्हालने तथा अन्तर्बदल स्थल पर गाड़ियों की रुकौनी कम से कम करने के लिए चार लाइनों का मानक लम्बाई तक विस्तार करना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य पर 56 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 2.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

43. सांकराइल माल टर्मिनल (चरण-4)—दक्षिण पूर्व रेलवे :—चूंकि शालीमार का कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकास किया जाना है ताकि दूसरे हुगली पुल के चालू होने के साथ-साथ इसे विकसित किया जा सके इसलिए सांकराइल का एक माल टर्मिनल के रूप में विकास करना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य पर 2.77 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 6.82 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

44. बारंग — मंचेश्वर और रेतांग भुवनेश्वर के बीच खंडीय क्षमता बढ़ाने के लिए दो "सी" श्रेणी के स्टेशन—दक्षिण पूर्व रेलवे—तालचेर क्षेत्र से विशाखापतनम सुपर थर्मल संयंत्र के लिए ढोये जाने वाले कोयला यातायात के बढ़ जाने से, दक्षिण में राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के ताप बिजली संयंत्रों और विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के अधीनस्थ बिजली संयंत्र के लिए 1994-95 तक इस खंड पर गाड़ियों की संख्या 40.5 से 55 तक बढ़ जायेगी। इस खंड पर क्षमता बढ़ाने के लिए दो "ग" श्रेणी के स्टेशन, अर्थात् एक बारंग-मानचेश्वर और दूसरा रेतांग-भुवनेश्वर के बीच खोलना अनिवार्य हो गया है। इस कार्य पर 51.72 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी जिसके लिए 1.62 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

45. पाथरडीह-सुदामडीह — सवारी गाड़ियां चलाने के लिए सुविधाओं का उन्नयन—दक्षिण-पूर्व रेलवे :—पाथरडीह से भोजूडीह तक सवारी गाड़ी संपर्क की सुविधा के लिए सिगनल व्यवस्था का उन्नयन और सुदामाडीह स्टेशन के विन्यास में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इस काम पर 80 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। जिसके लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय व्यय का प्रस्ताव है।

कम्प्यूटरीकरण

21 स्टेशनों पर यात्री आरक्षण सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इस सुविधा को वाराणसी, जोधपुर, आगरा, वडोदरा, नागपुर, सूरत, तिरुच्चि और कोयम्बटूर में भी देने का प्रस्ताव है। इस काम पर 5.62 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। इससे भारतीय

42. *Khanudih—Extension of line Nos. 2, 3, 6, & 7 to standard length.—South Eastern Railway.* Khanudih serves as a base station for coal pilots and also as an interchange station with Eastern Railway. To deal with anticipated traffic coming up with the establishment of Madhuband Washery at Khanudih station and also for minimising detention in the interchanging point, the extention of four line to standard length is necessary. The work is estimated to cost Rs. 56 lakhs with an outlay of Rs. 2.60 lakhs.

43. *Sankrail Goods Terminal (Phase-IV)—South Eastern Railway.*—Since Shalimar has to be developed into a coaching terminal to synchronise with the commissioning of the second Hooghly Bridge, the development of Sankrail as a Goods Terminal has become imperative. The work is estimated to cost Rs. 2.77 crores with an outlay of Rs. 6.82 lakhs.

44. *Two 'C' class stations between Barang—Mancheswar and Retang—Bhubaneswar to augment section capacity—South Eastern Railway.*—With the increase in the coal traffic to be moved to Visakhapatnam Super Thermal Plant from Talcher area, NTPC's Thermal Power Plants in South and for the *captive* power plant of Visahhapatnam Steel Plant, the number of trains on this section would increase from 40.5 to 55 by 1994-95. For expansion of the capacity in this section, opening of two 'C' class stations i.e. one between Barang—Mancheswar and another between Retang—Bhubaneswar is essential. The work is estimated to cost Rs. 51.72 lakhs with an outlay of Rs. 1.62 lakhs.

45. *Patherdih-Sudamdih—Upgradation of facilities for introduction of passenger services South Eastern Railway.* — Upgradation of signalling arrangement and remodelling of the lay-out of Sudamdih station is proposed to facilitate a passenger connection from Patherdih to Bhojudih. The work is estimated to cost Rs. 80 lakhs. An outlay of Rs. 25 lakhs has been proposed.

COMPUTERISATION

Computerisation of Passenger Reservation System has already been successfully implemented/is in the process of being implemented at 21 stations. It is proposed to extend this facility to Varanasi, Jodhpur, Agra, Vadodara, Nagpur, Surat, Tiruchy and Coimbatore, at an estimated cost of Rs. 5.62 crores, bringing about 70 per cent of the total reservation

रेलों में आरक्षण के कुल कार्य का लगभग 70 प्रतिशत कम्प्यूटर के माध्यम से होने लगेगा। इसके लिए 1991-92 के दौरान 5.17 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। निम्नलिखित स्टेशनों पर यात्री आरक्षण प्रणालियों से संबंधित प्रमुख नये कार्य करने का प्रस्ताव है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	प्रत्याशित लागत	1991-92 में परिव्यय
1. आगरा (मध्य रेलवे)	65.00	40.00
2. नागपुर (मध्य रेलवे)	89.00	53.00
3. वाराणसी (उत्तर रेलवे)	70.00	50.00
4. बडोदरा (पश्चिम रेलवे)	95.00	68.36
5. सूरत (पश्चिम रेलवे)	65.00	60.00

रेलपथ नवीकरण

1991-92 के दौरान रेलपथ नवीकरण के लिए 1234.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है—915.95 करोड़ चालू काम के लिए और 318.40 करोड़ रुपये नये निर्माण कार्यों के लिए।

(लाख रुपयों में)

	कि० मी०	प्रत्याशित लागत	परिव्यय
चालू काम			
प्राथमिक नवीकरण	2380	1986.44	824.35
गौण नवीकरण	446	252.75	91.60
नये काम			
प्राथमिक नवीकरण	420	1121.17	286.56
गौण नवीकरण	79	137.65	31.84

पुल संबंधी कार्य

1. पुणे-वाडी—सीना पुल में पुनः गर्डर लगाना—मध्य रेलवे—इस पुल का निर्माण वर्ष 1896 में किया गया था जिसमें लगे पूर्ववर्ती इस्पात के गर्डरों ने अपना निर्धारित सेवा काल पूरा कर लिया है। पूर्ववर्ती इस्पात के गर्डरों में सल्फर और फासफोरस की अधिक मात्रा इन गर्डरों को क्षीण कर रही है और इनके अवशिष्ट सेवा काल तक चलने में संदेह है। नीति स्वरूप सभी पुलों में लगे पूर्ववर्ती इस्पात के गर्डरों को एक कार्यक्रम के आधार पर बदला जा रहा है। तदनुसार 2.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस पुल में लगे पूर्ववर्ती इस्पात के गर्डरों का पी एस सी बाक्स गर्डरों द्वारा बदलाव करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 8 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

2. खंडवा-भोपाल और भोपाल-बीना—पुलों में छोर पर लगे बी जी एम एल बियरिंगों का बदलाव—मध्य रेलवे—ग्रुप "ए" मार्गों और पूर्व-पश्चिम बी ओ एक्स एन मार्गों पर उच्च अश्व शक्ति वाले इंजनों को चलाने के लिए खुले जालीदार गर्डर पुलों में लगे छोर बेयरिंगों का एम बी जी लदान मानकों के लिए उपयुक्त बेयरिंगों से बदलाव करने की

work-load on Indian Railways under computerisation. An outlay of Rs. 4.57 crores has been proposed during 1991-92. Major new works proposed to be taken on hand for Passenger Reservation Systems at the following stations :—

(Figures in lakhs of rupees)

	Anticipated cost	Outlay in 1991-92
1. Agra (Central Railway)	65.00	40.00
2. Nagpur (Central Railway)	89.00	53.00
3. Varanasi (Northern Railway)	70.00	50.00
4. Vadodara (Western Railway)	95.00	68.36
5. Surat (Western Railway)	65.00	60.00

TRACK RENEWALS

A total provision of Rs. 1234.35 crores has been made for Track Renewals during 1991-92, Rs. 915.95 crores for works-in-progress and Rs. 318.40 crores for new works.

(Rs. in crores)

	Kms	Anticipated cost	Outlay for 1991-92
Works-in Progrees			
Primary Renewals	2380	1986.44	824.35
Secondary Renewals	446	252.75	91.60
New Works			
Primary Renewals	420	1121.17	286.56
Secondary Renewals	79	137.65	31.84

BRIDGE WORKS

1. *Pune-Wadi—Regirdering of Seena Bridge.—Central Railway.*—This bridge was constructed in the year 1896 with steel girders which have outlived their life. Higher sulphur and phosphorous content, in the early steel girders makes them brittle and their residual fatigue life is suspect. As a matter of policy, early steel girders of all bridges are being replaced on a programmed basis. Accordingly, the early steel girders of this bridge are proposed to be replaced by PSC BOX girders at an estimated cost of Rs. 2.56 crores and an outlay of Rs. 8 lakhs has been proposed .

2. *Khandwa-Bhopal and Bhopal-Bina.—Replacement of fixed end bearings of BGML girdes on 7 bridges—Central Railway.*—With a view to running high horse power engines on Group 'A' routes and East-West BOX-N routes, the fixed end bearings of open web girder bridges are required to be replaced with bearings suitable for MBG loding standards. This

आवश्यकता है। इस कार्य को कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जाना है। तदनुसार, 60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से भोपाल—खंडवा और भोपाल—बीना खंडों में 30.50 और 45.72 मीटर स्पैन गर्डरों से निर्मित 7 पुलों में लगे छोर बेयरिंगों को बदलने का प्रस्ताव है जिसके लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. मुगलसराय—वाराणसी खंड—काशी के निकट अप लाइन पुल सं० 2 पर टूटे हुए चैनल स्लीपरों का पटरीमुक्त स्थिरकों से बदलाव चरण-II—उत्तर रेलवे—पैड प्लेटों में दरार पड़ जाने तथा सरणि स्लीपरों में बुरी तरह से जंग लग जाने के कारण इस पुल पर 40 कि०मी० प्र०घं० का गति प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस गति प्रतिबन्ध को हटाने तथा इस खंड पर गाड़ी चालन क्षमता में सुधार लाने के लिए इस पुल के मौजूदा सरणि स्लीपरों को बदलने तथा पटरीमुक्त स्थिरकों को लगाने की आवश्यकता है। इस कार्य का एक भाग (चरण-1) पहले ही स्वीकृत कर दिया गया था और वर्तमान प्रस्ताव (चरण-2) शेष भाग के संबंध में है। इस कार्य पर 74 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. मुरादाबाद—सहारनपुर—अप लाइन पर पुल सं० 1268 में पुनः अर्धनालीनुमा गर्डर लगाना—उत्तर रेलवे—इस पुल में अर्ध नालीनुमा गर्डर 1920 में निर्मित किये गये तथा लगाये गए थे। वर्तमान लदान मानकों के लिए ये गर्डर कमजोर हैं तथा सभी गाड़ियों के लिए 40 कि०मी० प्र०घं० का स्थायी गति प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए इन गर्डरों को बदलना आवश्यक समझा जाता है इस काम पर 71 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. न्यू जलपाईगुड़ी—रानी नगर खण्ड पर पुल सं० 11 का पुनर्निर्माण—पूर्वोत्तर सीमा रेलवे—इस पुल का निर्माण 1926 में किया गया था। वर्तमान लदान मानकों के लिए इस पुल की उप-संरचना और गर्डर उपयुक्त नहीं हैं। आयु और भारी यातायात के कारण इसकी चिनाई क्षतिग्रस्त हो गयी है और गति प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हो गया है। इस पुल का आयु-एवं-हालत के आधार पर पुनर्निर्माण करना आवश्यक समझा जाता है। इस कार्य पर 1.25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

6. अरकोणम—जोलारपेट्टै—पुल संख्या 486 का पुनर्निर्माण—दक्षिण रेलवे—अरकोणम-जोलारपेट्टै खंड पर स्थित इस मेहराबदार पुल (अप लाइन) का निर्माण 1986 में किया गया था। इस मेहराबदार पुल में दरार पड़ गयी थी और इसकी पहले मरम्मत की गयी थी जो प्रभावकारी नहीं रही। चूंकि मौजूदा पुल मरम्मत करने के लायक नहीं

work has to be taken up on a programmed basis. Accordingly, it is proposed to replace the fixed end bearings of 7 bridges having 30.50 and 45.72m span girders, on Bhopal-Khandwa and Bhopal-Bina sections at an estimated cost of Rs. 60 lakhs with an outlay of Rs. 5 lakhs.

3. *Mughalsarai-Varanasi—Replacement of cracked channel sleepers with rail free fastenings on Up line Bridge No.* 11 *near Kashi—Phase-II—Northern Railway.*—Due to cracking of pad plates and badly rusted channel sleepers, a speed restriction of 40 kmph has been imposed on this bridge. To remove the speed restriction and improve train running capacity on the section, it is necessary to replace existing channel sleepers of the bridge and provide rail free fastenings. Part of this work was sanctioned earlier (Phase-I) and present proposal (Phase-II) is in respect of the balance portion. The work is estimated to cost Rs. 74 lakhs with an outlay of Rs. 5 lakhs.

4. *Moradabad-Saharanpur—Regirdering of Semi-through girder Bridge No.* 1268 *on up line—Northern Railway.*—The semi-through girders on this bridge were fabricated and erected in 1920. The girders are 'under strength' for the present loading standards and a permanent speed restriction of 40 kmph has been imposed for all trains. It is considered essential to replace the girders at an estimated cost of Rs. 71 lakhs with an outlay of Rs. 2 lakhs.

5. *New Jalpaiguri-Rani Nagar.—Rebuilding of Bridge No.* 11.*—Northeast Frontier Railway.*—This bridge was built in 1926. The sub-structure and girders of the bridge are not suitable for the present day loading standards. Due to age and heavy traffic, its masonry is damaged, necessitating imposition of a speed restriction. It is considered necessary to rebuild the bridge on age-cum-condition basis. The work is estimated to cost Rs. 1.25 crores with an outlay of Rs. 0.01 lakh .

6. *Arakkonam-Jolarpettai —Rebuilding of Bridge No.* 486*—Southern Railway.*—This arch bridge (up line) situated on Arakkonam-Jolarpettai section was constructed in 1896. This arch has developed cracks and repairs carried out earlier are not effective.

है इसलिए 67 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर इस पुल का पुनर्निर्माण किया जाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए 4 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

As the existing bridge is not amenable to repairs it has become essential to rebuild the bridge at an estimated cost of Rs. 67 lakhs with an outlay of Rs. 4 lakhs.

7. **अरकोणम—जोलारपेट्टै—पुल सं० 600 का पुनर्निर्माण—दक्षिण रेलवे**—अरकोणम-जोलारपेट्टै खंड पर इस पुल का निर्माण 1896 में किया गया था। मेहराव में दरार पड़ने पर समय-समय पर इसकी निरंतर मरम्मत की गयी जो प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई। चूंकि पुल मरम्मत के लायक नहीं रहा है इसलिए इसका पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 76 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

7. *Arakkonam-Jolarpettai —Rebuilding of Bridge No. 600—Southern Railway.*—This bridge on Arakkonam-Jolarpettai section was constructed in 1896. The arch has developed cracks and frequent repairs carried out from time to time are not proving effective. As the bridge is not amenable to repairs, it is proposed to rebuild it at an estimated cost of Rs. 76 lakhs with an outlay of Rs. 5 lakhs.

8. **विल्लुपुरम—तिरुच्चिरापल्ली—कोलरून नदी पर पुल सं० 375 का पुनः निर्माण—दक्षिण रेलवे**—इस पुल का निर्माण 1928 में किया गया था। वायुमंडलीय परिस्थिति और सवारी-डिब्बों से कूड़ा-कचरा गिरने के कारण पुल के इस्पाती गर्डरों में जंग लग गया है। संरक्षा की दृष्टि से इस पुल को सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग पर स्थित है। चरण-1 के कार्य के रूप में 4 स्पैन के वर्तमान गर्डरों को इस्पात के नये गर्डरों से बदलने और 16 स्पैनों में सुधार करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.62 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस कार्य के लिए 17 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

8. *Villupuram-Tiruchchirappalli—Rebuilding of Bridge No. 375 across Coleroon river—Southern Railway.*—This bridge was constructed in 1928. Corrosion has occurred in the steel girders of the bridge due to atmospheric condition and falling of effluent from the coaches. It has become essential to strengthen the bridge which serves an important trunk route, on safety consideration. As part of Phase-I of the work, it is proposed to replace 4 spans with new steel girders and recondition 16 spans at an estimated cost of Rs. 1.62 crores. An outlay of Rs. 17 lakhs has been proposed.

9. **विल्लुपुरम—तिरुच्चिरापल्ली—कावेरी नदी पर पुल सं० 383 के 3 स्पैन के गर्डर पुनः लगाना—दक्षिण रेलवे**—इस पुल का निर्माण 1927 में किया गया था। वायुमंडलीय परिस्थितियों और सवारी डिब्बों से कूड़ा-कचरा गिरने के कारण पुल के इस्पाती गर्डरों में जंग लग गया है। संरक्षा की दृष्टि से इस पुल को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक हो गया है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण ट्रंक मार्ग पर स्थित है। 15 स्पैनों को सुदृढ़ किये जाने के चरण-1 के कार्य को 1990-91 के रेल बजट में शामिल किया गया था। चरण-2 के कार्य के भाग के रूप में 3 स्पैनों के वर्तमान गर्डरों का इस्पात के नये गर्डरों से बदलाव और 12 स्पैनों में सुधार करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.27 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसके लिए 12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

9. *Villupuram-Tiruchchirappalli—Regirdering of 3 spans of Bridge No. 383 across Cauvery river—Southern Railway.*—This bridge was constructed in 1927. Corrosion has occurred in the steel girders of the bridge due to atmospheric conditions and falling of effluent from coaches. It has become essential to strengthen the bridge, which serves an important trunk route, on safety consideration. Phase-I of the work covering strengthening of 15 spans was included in the Railway Budget in 1990-91. As part of Phase-II of the work, it is proposed to replace 3 spans with new steel girders and recondition 12 spans at a cost of Rs. 1.27 crores, with an outlay of Rs. 12 lakhs.

दुर्घटनाओं को रोकथाम करने तथा यातायात की रुकौनी न होने देने के उद्देश्य से व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों की व्यवस्था करने की नीति के अनुसरण में 1991-92 के दौरान निम्नलिखित ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव है :

In accordance with the policy of replacing busy level crossings with road over/under bridges to avoid accidents and detention to traffic, it is proposed to take up construction of road over/under-bridges during 1991-92 as below :

(लाख रुपयों में)
(Figures in lakhs of rupees)

क्रम सं० Sl. No.	काम का विवरण Particulars of works		अनुमानित लागत Estimated cost	1991-92 के लिए परिव्यय Outlay for 1991-92
1	2		3	4
1.	अंकापल्ली और थाड़ी के बीच समपार सं० 488 के बदले ऊपरी सड़क पुल (आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing No. 488 between Ankapalli and Thadi (Andhra Pradesh, South Central Railway) . . .	निक्षेप Deposit	187.78 505.54	5.00
2.	थाड़ी और दुव्वाड़ा के बीच समपार सं० 492 के बदले ऊपरी सड़क पुल (आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing No. 492 between Thadi and Duvvada (Andhra Pradesh, South Central Railway) . .	निक्षेप Deposit	154.74 408.24	5.00
3.	शाहदरा में समपार सं० 1 ए/स्पेशल के बदले ऊपरी सड़क पुल (दिल्ली, उत्तर रेलवे) . . Road over bridge in lieu of level crossing No. 1A/Spl. at Shahdara (Delhi, Northern Railway)	निक्षेप Deposit	112.80 363.64	5.00
4.	मडगांव और मजोर्डा के बीच समपार सं० 21 के बदले ऊपरी सड़क पुल (गोआ, दक्षिण मध्य रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing No. 21 between Madgaon and Majorda (Goa, South Central Railway)	निक्षेप Deposit	270.52 265.10	3.50
5.	संतरोड और पिपलोद के बीच समपार सं० 20-बी के बदले ऊपरी सड़क पुल (गुजरात, पश्चिम रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing No. 20-B between Sant Road and Piplod (Gujrat, Western Railway) . . .	निक्षेप Deposit	102.71 102.71	20.00
6.	बूटी बोरी में श्रेणी 'ए' के समपार सं० 113 के बदले ऊपरी सड़क पुल (महाराष्ट्र, मध्य रेलवे) Road over bridge in lieu of 'A' class level crossing No. 113 at Buti Bori (Maharashtra, Central Railway)	निक्षेप Deposit	133.23 147.33	7.50
7.	बोरखेड़ी में समपार सं० 107 के बदले ऊपरी सड़क पुल (महाराष्ट्र, मध्य रेलवे) . . Road over bridge in lieu of level crossing No. 107 at Borkhedi (Maharashtra, Central Railway)	निक्षेप Deposit	98.82 110.77	7.50
8.	केसिंगा के निकट समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल (उड़ीसा, दक्षिण पूर्व रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing near Kesinga (Orissa, South Eastern Railway)	निक्षेप Deposit	100.06 70.97	30.00
9.	मद्रास बीच और रायपुरम के बीच समपार सं० 3 के बदले ऊपरी सड़क पुल (तमिलनाडु, दक्षिण रेलवे) Road over bridge in lieu of level crossing No. 3 between Madras Beach and Royapuram (Tamilnadu, Southern Railway) . .	निक्षेप Deposit	159.00 159.00	2.00

1	2		3	4
10.	तिरुवलम् और सेवूर के बीच समपार सं० 50 के बदले ऊपरी सड़क पुल (तमिलनाडु, दक्षिण रेलवे). Road over bridge in lieu of level crossing No. 50 between Tiruvalam and Sevur (Tamilnadu, Southern Railway)	निक्षेप Deposit	122.50 122.50	1.00
11.	विलुपुरम के निकट समपार सं० 123 के बदले निचला सड़क पुल (तमिलनाडु, दक्षिण रेलवे). Road under bridge in lieu of level crossing No. 123 near Villupuram (Tamilnadu, Southern Railway)	निक्षेप Deposit	153.60 153.60	1.00
12.	इटावा के निकट समपार सं० 29-ए/टी 3 के बदले निचला सड़क पुल (उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे). Road under bridge in lieu of level crossing No. 29-A/T3 near Etawah (Uttar Pradesh, Northern Railway)	निक्षेप Deposit	239.20 248.80	5.00

ऊपरी/निचले सड़क पुलों की प्रगति

1990-91 के बजट में वर्तमान व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 156 निर्माण कार्यों के लिए चालू काम और नये काम के रूप में कार्यक्रम बनाया गया था। 98 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में अनुमान स्वीकृत किये गये थे। वर्ष के दौरान 7 पुलों का निर्माण पूरा किया गया था और 72 पुलों का कार्य चल रहा था। शेष प्रस्ताव योजना तैयार करने, नक्शे तैयार करने, अभिकल्प तैयार करने और अनुमानों की स्वीकृति के विभिन्न चरणों में थे। (रेलवे-वार और राज्यवार ब्यौरे पृष्ठ 44 से 47 पर दिये गये हैं।)

सिगनल और दूर संचार संबंधी कार्य

1. **जबलपुर—न्यू कटनी—120 चैनल सूक्ष्म-तरंग प्रणाली का 34 एम बिट डिजिटल सूक्ष्मतरंग प्रणाली में बदलाव—मध्य रेलवे :—** जबलपुर—न्यू कटनी के बीच सूक्ष्म तरंग प्रणाली, जो बिलासपुर—कटनी के बीच दक्षिण पूर्व रेलवे की सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जुड़ी हुई है, का बदलाव अपेक्षित हो गया है। इसका 2.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस मार्ग में डिजिटल प्रणाली से बदलाव करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 40 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **बम्बई मंडल—6 स्टेशनों पर लीवर फ्रेमों का पैनल अन्तर्पाशन में बदलाव—मध्य रेलवे :—**बम्बई-पूणे खंड के महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों पर स्थित खडकी, मालवी, खंडावली, वासिंद, आटगांव और खार्डी स्टेशनों पर लीवर फ्रेम बहुत ही अधिक घिस-पिट गए हैं। अतः 5.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर इन यंत्रचालित लीवर फ्रेमों का पैनल अंतर्पाशन में बदलाव करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

PROGRESS OF ROAD OVER/UNDER BRIDGES

156 works of construction of road over/under bridges in replacement of existing busy level crossing were programmed as Works in Progress and New Works in the Budget for 1990-91. Estimates in respect of 98 works were sanctioned. During the year work on 7 bridges was completed and work on 72 bridges was in progress. Remaining proposals were in various stages of planning, preparation of drawings, designs and sanction to the estimates.

(The details, Railway-wise and State-wise are given at pages 44 to 47).

SIGNALLING & TELECOMMUNICATION WORKS

1. *Jabalpur-New Katni.—Replacement of* 120 *channel Microwave System with* 34 *M Bit Digital Microwave System — Central Railway.* — The microwave system between Jabalpur and New Katni, linked with the microwave system of South Eastern Railway between Bilaspur-Katni, is due replacement. It is proposed to replace it with a digital microwave system to improve the communications in this route at an estimated cost of Rs. 2.73 crores with an outlay of Rs. 40 lakhs.

2. *Bombay Division—Replacement of lever frames by Panel Interlocking at six stations—Central Railway.*—The lever frames at Khadki, Malavi, Khandavali, Vasind, Atgaon and Khardi, located on important trunk route of Bombay-Pune section, are heavily wornout. It is, therefore, proposed to replace these mechanically operated lever frames with panel interlocking at an estimated cost of Rs. 5.94 crores with an outlay of Rs. 50 lakhs.

3. **बम्बई वी० टी०—1200 लाइन के विद्युत यांत्रिक एक्सचेंज का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलाव—मध्य रेलवे :—** बंबई वी०टी० मुख्यालय में इलेक्ट्रो मेकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज घिसपिट गए हैं और इसका बदलाव अपेक्षित हो गया है। इसे 0.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1500 लाइन के नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है जिसके लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

4. **इटारसी—जबलपुर—7 स्टेशनों पर रेल पथ निर्वाध के लिए धुरा काउंटर—मध्य रेलवे :—** गाड़ी के चालन की संरक्षा में सुधार लाने के लिए, 7 स्टेशनों पर 1.33 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रन थ्रू लाइनों के रेल पथ को निर्वाध बनाने के लिए रेल पथ परिपथन के बदले धुरा-काउंटरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

5. **गया—सोननगर—6 स्टेशनों पर घिसे-पिटे लीवर फ्रेमों का बदलाव :—पूर्व रेलवे—** गया—सोननगर खंड पर अनेक यांत्रिक फ्रेमों की आयु पूरी हो गई है। मुगलसराय खंड के इन स्टेशनों पर आयु एवं हालत के आधार पर 7.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से घिसे-पिटे यांत्रिक सिगनल उपस्कर का बदलाव करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 3 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

6. **दानापुर मंडल—10 स्टेशनों पर बाहरी चेतावनी सिगनलों के परिचालन के लिए सिगनल मोटरों की व्यवस्था—पूर्व रेलवे :—** पूर्व रेलवे पर मुख्य लाइन के झाझा-पटना—मुगलसराय खंड में द्विसंकेती सेमाफोर सिगनलों की व्यवस्था की गई है। शरारती तत्वों द्वारा सिगनलों के तारों के संचलन के साथ प्रायः छेड़खानी की जाती है जिसके कारण सिगनलों में खराबी आ जाती है और परिणामस्वरूप गाड़ियों की रूकौनी होती है। अतः 0.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सिगनल मोटरों की व्यवस्था करके इन सिगनलों का परिचालन बिजली परिचालित सिगनलों में बदलने का प्रस्ताव है जिसके लिए 7.00 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

7. **फेयर्ली प्लेस—600 लाइनों वाले स्ट्रोजर टाइप के एक्सचेंज का 1000 लाइनों वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलाव और न्यू कोयलाघाट एक्सचेंज का बदलाव—पूर्व रेलवे :—** फेयर्ली प्लेस में स्ट्रोजर टाइप टेलीफोन एक्सचेंज बहुत अधिक घिसपिट गया है। इस एक्सचेंज की आयु एवं हालत के आधार पर 1000 लाइन वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है। पुनः मरम्मत करने के बाद रिलीज किया गया स्ट्रोजर टाइप एक्सचेंज न्यू कोयला घाट एक्सचेंज में कार्य करेगा। इस

3. *Bombay VT—Replacement of 1200 line electro mechanical exchange by electronic exchange—Central Railway.*—The electro mechanical telephone exchange at Bombay VT Headquarters Office is worn-out and is overdue for replacement. It is proposed to replace it with a new electronic exchange of 1500 lines at an estimated cost of Rs. 0.98 crore with an outlay of Rs. 20 lakhs.

4. *Itarsi-Jabalpur—Axle counter for proving of track clearance at 7 stations—Central Railway.*—To improve safety of train running, it is proposed to provide axle counters in lieu of track circuit, for proving clearance of track on run through lines at seven stations at an estimated cost of Rs. 1.33 crores with an outlay of Rs. 20 lakhs.

5. *Gaya—Sonnagar—Replacement of worn-out Lever frames at 6 stations—Eastern Railway.*—On Gaya-Sonnagar section a number of mechanical frames have completed their life. It is proposed to replace the worn-out mechanical signalling equipment at these stations of Mughalsarai Division on age-cum-condition basis at an estimated cost of Rs. 7.30 crores with an outlay of Rs. 3 lakhs.

6. *Danapur Division—Signal Motors for operation of outer/warner signals at 10 stations—Eastern Railway.*—Jhajha-Patna-Mughalsarai section of the main line on Eastern Railway is provided with two aspect semaphore signals. The working of signal wires is often interfered with by miscreants causing failure of signals and consequent detention of trains. It is, therefore, proposed to convert the operation of these signals to electric working by providing signals motors at an estimated cost of Rs. 0.50 crore with an outlay of Rs. 7 lakhs.

7. *Fairlie Place—Replacement of 600 lines strowger type exchange by 1000 lines electronic exchange and replacement of New Koilaghat Exchange—Eastern Railway.*—The strowger type telephone exchange at Fairlie Place is heavily wornout. It is proposed to replace this exchange on age-cum-condition basis by 1000 lines electronic exchange. The released strowger type exchange, duly reconditioned will work

कार्य पर 2.37 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसके लिए 0.50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

8. **इलाहाबाद मंडल—5 स्टेशनों पर यांत्रिकीय सिगनल व्यवस्था गियरों के बदले पैनल अन्तर्पाशन—उत्तर रेलवे** :—गाजियाबाद–कानपुर विद्युतीकृत खंड पर बहुत से यांत्रिकीय सिगनल उपस्कर घिसपिट गए हैं तथा उन्हें आयु-एवं-हालत के आधार पर बदला जाना है। 5 स्टेशनों पर उपस्कर के बदले केन्द्रीयकृत बिजली चालित पैनल अंतर्पाशन का काम शुरु करने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.38 करोड़ रुपये है तथा इसके लिए 35 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

9. **उत्तर रेलवे पर (फिरोजपुर मंडल को छोड़कर) टेलीफोन एक्सचेंजों का बदलाव—उत्तर रेलवे** :—माल यातायात परिचालन सूचना प्रणाली (एफ ओ आई एस) नेटवर्क को सही ढंग से चालू करने के लिए, उत्तर रेलवे पर 15 महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्रोजर टाइप एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदलना आवश्यक हो गया है। इस कार्य पर 0.67 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 33 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

10. **मुगलसराय-इलाहाबाद खंड-कंट्रोल केबुल का बदलाव-उत्तर रेलवे** :-डाक व तार विभाग के स्वामित्व वाले केबुल जो 1963 में लगाए गए थे, अपनी सामान्य अवधि पूरी कर चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप परिपथ की दक्षता में कमी होने से गाड़ियों की स्कौनी होती है। इस केबुल का रेलवे के स्वामित्व वाले केबुल से बदलने का प्रस्ताव है जिस पर 16.20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है तथा इसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

11. **सिवान-छपरा-7 स्टेशनों और ब्लाक खंडों में पुराने स्वचल-ब्लाक सिगनल उपस्करों का बदलाव—पूर्वोत्तर रेलवे** :—केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण उपस्कर और स्वचल सिगनल उपस्कर 25 वर्ष पूर्व लगाये गये थे। घिसने और बारम्बार व्यतिकरण के कारण उपकरण की हालत खराब हो गयी है। अतः सिवान (छोड़कर)—छपरा (सहित) खंड के 7 स्टेशनों और ब्लाक खंडों पर सिगनल उपस्कर का बदलाव करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 6.97 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 65.21 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

12. **गोरखपुर—कटिहार—सूक्ष्मतरंग रेडियो उपस्कर के बदले अंकीय सूक्ष्मतरंग उपस्कर लगाना — पूर्वोत्तर रेलवे** :—वर्तमान प्रणाली ने 15 वर्ष की उपयोगी सेवा पहले

at New Koilaghat exchange. The work is estimated to cost Rs. 2.37 crores with an outlay of Rs. 0.50 lakh.

8. *Allahabad Division—Panel interlocking in replacement of Mechanical Signalling gears at 5 stations—Northern Railway.*—Many of the mechanical signalling equipment on Ghaziabad-Kanpur electrified section have become wornout and are due for replacement on age-cum-condition basis. It is proposed to take up replacement of the equipment at 5 stations by centralised power operated panel interlocking. The estimated cost of the work is Rs. 3.38 crores with an outlay of Rs. 35 lakhs.

9. *Replacement of Telephone Exchanges over Northern Railway except in Firozpur Division.—Northern Railway.*—In order to fit in with the introduction of Freight Operation Information System (FOIS) network, it becomes necessary to replace strowger type exchanges by the electronic exchanges at 15 important locations on Northern Railway at an estimated cost of Rs. 0.67 crore with an outlay of Rs. 33 lakhs.

10. *Mughalsarai-Allahabad Section—Replacement of control cable—Northern Railway.*—The P & T owned cable which was commissioned in 1963, has outlived its normal life resulting in decrease of circuit efficiency and thereby detention to trains. It is proposed to replace it with Railway owned cable at a cost of Rs. 16.20 crores with an outlay of Rs. 0.01 lakh proposed.

11. *Siwan—Chhapra,—Replacement of worn-out Automatic Block Signalling equipment at 7 stations and in Block Sections North Eastern Railway.*—The centralised traffic control equipment and automatic signalling equipment were commissioned more than 25 years ago. The condition of the equipment has deteriorated due to wear and frequent interference. It is, therefore, proposed to take up replacement of signalling equipment at 7 stations and in the Block Sections on the Siwan (excluding)-Chhapra (including) section at an estimated cost of Rs. 6.97 crores with an outlay of Rs. 65.21 lakhs.

12. *Gorakhpur—Katihar —Replacement of MW Radio equipment by digital MW equipment—North Eastern Railway.*—The existing system has

ही पूरी कर ली है। स्वदेश में पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण उनका आयात किया जाता है। इस सम्पर्क का समरूपी रेडियो के साथ बदलाव पहले ही स्वीकृत है। भविष्य में लम्बे समय तक नेटवर्क में अंकीय द्वीपों की उपस्थिति से बचने के लिए, इस सम्पर्क के लिए प्राप्त समरूपी उपस्कर को अन्य रेलों पर काम में लेने और इस कार्य में अंकीय सूक्ष्मतरंग रेडियो का उपयोग करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 17.25 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 2.70 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

already served its useful life of 15 years. Indigenous spares being not available, are imported. Replacement of this link is already sanctioned with analog radio. To avoid presence of digital islands in the network for a long time to come, it is proposed to divert the analog equipment received for this link to other Railways and take up this work with digital MW radio at an estimated cost of Rs. 17.25 crores with an outlay of Rs. 2.70 lakhs.

13. **टीहू, पाठशाला और सारुपेटा पर पेनल परिचालित एम ए सी एल सिगनलों का पैनल अन्तर्पाशन द्वारा बदलाव—पूर्वोत्तर सीमा रेलवे** :—बोंगाई गांव-चंगसारी के बीच के केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण वाले खंड में सिगनल उपस्कर जी आर एस मेक के आयातित रिलेज से संस्थापित किया गया था। ये संरक्षा रिले आयातित थे और मरम्मत तथा ओवरहाल के लिए फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं। संरक्षा की दृष्टि से, वर्तमान रिले उपस्कर और अन्य पुर्जों का बदलाव करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 2.96 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 8 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

13. *Replacement of panel operated MACL signalling at Tihu, Pathsala and Sarupeta by panel interlocking—Northeast Frontier Railway.—Signalling* equipment in CTC controlled section of Bongaigaon-Changsari was installed with imported relays of GRS make. These safety relays were imported and spares for repair and overhauling are not available. On safety consideration, it is proposed to replace existing relay equipment and other accessories at an estimated cost of Rs. 2.96 crores with an outlay of Rs. 8 lakhs.

14. **पालघाट—ईरोड—दासमपट्टी—इरोड पर सूक्ष्म तरंग प्रणाली का बदलाव—दक्षिण रेलवे** :— पालघाट—मदुरै—तिरुचिरापल्ली–महादानापुरम आदि को जोड़ने वाला सूक्ष्म तरंग संपर्क 7 जी एच जेड एनालाग उपस्कर का है। लगातार उपयोग में लाने के कारण यह उपस्कर खराब हो गया है। इस पुराने जेनरेशन उपस्कर के लिए फालतू पुर्जे मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में रेलवे संचार व्यवस्था को कारगर रखने के लिए पुराने जेनरेशन क्लाईस्ट्रोन (वाल्व टाइप उपस्कर) को वर्तमान के प्रतिरूप डिजिटल सूक्ष्म तरंग उपस्कर में बदलना आवश्यक है। इस कार्य पर 14.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी जिसके लिए 60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

14. *Replacement of microwave system on Palghat—Erode—Dasampatti—Erode—Southern Railway.*—The microwave link connecting Palghat—Madurai—Tiruchirappalli–Mahadanapuram etc., is of 7 GHZ Analog equipment. The equipment has deteriorated due to continuous use. It has also become increasingly difficult to get spares for this old generation equipment. To keep Railway communication effective in this area, it is necessary to replace the old generation Klystron (valve type equipment) by present-day version of digital microwave equipment. The estimated cost of the work is Rs. 14.82 crores with an outlay of Rs. 60 lakhs.

15. **पोद्दनूर—सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण स्कूल—(क) दो रोड स्टेशनों के साथ माडल यार्ड (ख) डिजिटल उपस्कर एम डब्ल्यू/एम यू एक्स—दक्षिण रेलवे** :—भारतीय रेलों पर सिगनल और दूर संचार प्रणाली का तीव्र गति से आधुनिकीकरण किया जा रहा है जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके रूट रिले अंतर्पाशन प्रणाली और सूक्ष्म तरंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अतः सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोद्दनूर प्रशिक्षण स्कूल में उपयुक्त व्यवस्था करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के

15. *Podanur S&T Training School—(a) Model yard with two road stations (b) Digital equipment MW/MUX—Southern Railway.*—The Signalling and Telecommunications on the Indian Railways is rapidly getting modernised using extensively Route Relay Interlocking system and microwave using digital technology. It is, hence, necessary to provide appropriate arrangements in the Training School, Podanur to serve the requirements of training for Signalling & Telecommunication staff. To provide suitable faci-

लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए इस कार्य को 1.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरु करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 28 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

16. **काटपाडि—जोलारपेट्टै—5 स्टेशनों पर यांत्रिक लीवर फ्रेमों और यांत्रिक सिगनल गियरों का बदलाव—दक्षिण रेलवे** :—भारी यातायात और गहन इस्तेमाल के कारणों इस खंड पर लीवर फ्रेम बुरी तरह घिस पिट गये हैं। अतः इन लीवर फ्रेमों को आयु एवं हालत के आधार पर बदलना आवश्यक हो गया है। पहले चरण में, 5 स्टेशनों पर लीवर फ्रेम बदलने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 4 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 14 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

17. **टेट्टू और उलावपाडू स्टेशनों पर लीवर फ्रेमों का विद्युत परिचालित पाइंटों और सिगनलों से बदलाव—दक्षिण मध्य रेलवे** :—टेट्टू—उलावापाडू खंड दक्षिण मध्य रेलवे के मद्रास—नयी दिल्ली ट्रंक मार्ग पर स्थित है। स्टेशनों का कार्य संचालन छोर-केबिनों से कांटों के परिचालन से किया जाता है। लीवर फ्रेम और भू गियर बुरी तरह घिस-पिट गये हैं और अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि इन्हें धुरा काउंटर ब्लाक परीक्षण के साथ कांटों और सिगनलों के केन्द्रीकृत परिचालन की व्यवस्था करके उन्नत प्रतिरूप के सिगनल उपस्कर लगाकर बदल दिया जाये। इस कार्य पर 1.02 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

18. **विजयवाड़ा—अरकोणम—7 डी 6 क्लाईस्ट्रोन माइक्रोवेव उपस्कर का डिजिटल उपस्कर से बदलाव—दक्षिण मध्य रेलवे** :—विजयवाड़ा—गुडूर खंड पर माइक्रोवेव संपर्क भारतीय रेलों पर संस्थापित माइक्रोवेव सम्पर्कों में से एक था। आयु–एवं–हालत के आधार पर तथा परिचालन सूचना सेवा की आवश्यकताओं के अनुरूप भी इस संपर्क का डिजिटल माइक्रोवेव संपर्क से बदलाव शुरु करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 18.69 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 12 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

19. **सिकन्दराबाद–काजीपेट—चार स्टेशनों पर लीवर फ्रेमों का बदलाव—दक्षिण मध्य रेलवे**—भोंगीर, मौला अली, लालागुडा और बीबीनगर स्टेशनों पर सिगनल गियर 1967 में लगाए गए थे और अब इन्हें बदलना अपेक्षित है। इसलिए, वर्तमान लीवर-फ्रेमों को बदलकर कांटों और सिगनलों के केन्द्रीकृत परिचालन की व्यवस्था करने एवं रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की व्यवस्था, जो इस समय रेल विद्युतीकरण के प्रस्तावों में शामिल है, करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 2.30

lities for training, it is proposed to undertake this work at an estimated cost of Rs. 1.23 crores with an outlay of Rs. 28 lakhs.

16. *Katpadi—Jolarpettai—Replacement of mechanical lever frames and signalling gears at 5 stations —Southern Railway.*— In view of heavy traffic and intensive use, lever frames on the section are badly worn out. It has, therefore, become necessary to replace these lever frames on age-cum-condition basis. As a first stage, it is proposed to replace lever frames at 5 stations at an estimated cost of Rs. 4 crores with an outlay of Rs. 14 lakhs.

17. *Replacement of lever frames with electrically operated points and signals at Tettu and Ulvapadu—South Central Railway.*—Tettu-Ulavapadu section is situated on Madras-New Delhi trunk route of South Central Railway. The stations are worked with points operated from end cabins. The lever frames and ground gears are badly worn-out and have also served their codal life. It has, therefore, become necessary to replace these by an improved version of signalling equipment providing centralised operation of points and signals together with axle counter block proving. The work is estimated to cost Rs. 1.02 crores with an outlay of Rs. 0.50 lakh.

18. *Vijayawada—Arakkonam—Replacement of 7D6 Klystron Microwave Equipment with digital equipment—South Central Railway.*—The microwave link on Vijayawada-Gudur section was one of the earlier microwave links commissioned on the Indian Railways. It is proposed to undertake the replacement of this link on age-cum-condition basis and also to suit the requirements of OIS by digital microwave equipment. The work is estimated to cost Rs. 18.69 crores with an outlay of Rs. 12 lakhs.

19. *Secunderabad—Kazipet—Replacement of lever frames at four stations—South Central Railway*—The signalling gears at Bhongir, Moula Ali, Lallaguda and Bibinagar stations installed in 1967 are due for replacement. It is therefore proposed to replace the existing lever frames with centralised operation of points and signals alongwith the work of provision of colour light signals, covered in the Railway

करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और जिसके लिए 5.51 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

20. बिलासपुर—अनूपपुर—कटनी और अनूपपुर—महेन्द्रगढ़—सूक्ष्म तरंग प्रणाली—दक्षिण पूर्व रेलवे :—पुरानी पीढ़ी के वाल्व किस्म के क्लाइस्ट्रान उपस्करों का हालत के आधार पर अंकीय सूक्ष्मतरंग उपस्कर के वर्तमान रूपान्तर से बदलाव करना आवश्यक हो गया है ताकि इस खंड में संचार व्यवस्था को कारगर बनाया जा सके। इस कार्य को 15.60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरु करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 70 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

21. झारसुगुड़ा—टिटलागढ़ के लिए यू०एच०एफ० सम्पर्क—दक्षिण पूर्व रेलवे :—झारसुगुड़ा—बोलंगीर, रायपुर—टिटलागढ़—बोलंगीर के बीच कुशल परिचालन/सेवाओं के लिए यू० एच० एफ० सम्पर्क की व्यवस्था करना तथा झारसुगुड़ा—बिलासपुर—भिलाई विन्यास यार्ड में मौजूदा सूक्ष्मतरंग सरणियों का विस्तार करना आवश्यक हो गया है। इस कार्य पर 0.64 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 19.85 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

22. झारसुगुड़ा—दुर्ग—संरक्षा उपकरण—दक्षिण पूर्व रेलवे :—हवड़ा—नागपुर व्यस्त ट्रंक मार्ग पर, झारसुगुडा और दुर्ग के बीच सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त संरक्षा उपकरणों जैसे अन्तिम ठहराव सिगनल पर स्टेशन मास्टर के नियंत्रण और ब्लाक निमुर्क्ति के लिए 2 रेल पथ सर्किटों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 0.97 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए दो लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

23. कोटा—मथुरा—लूप लाइनों पर धुरा काउंटर/रेलपथ परिपथन तथा 20 पैनल अन्तर्पाशित स्टेशनों का रेलपथ परिपथन चरण II—पश्चिम रेलवे :—गाड़ी चालन की संरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से पैनल अन्तर्पाशित स्टेशनों पर सम्पूर्ण स्टेशन यार्ड के पूरे रेलपथ का परिपथन करना आवश्यक है। पश्चिम रेलवे के व्यस्त बम्बई—दिल्ली ट्रंक मार्ग पर कोटा और मथुरा के बीच स्टेशन सेक्शन को शामिल करते हुए 20 स्टेशनों की मुख्य लाइन पर मौजूदा रेलपथ परिपथन का विस्तार और लूप लाइनों पर धुरा काउंटरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 2.75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

24. गोधरा—नागदा—लूप लाइनों पर धुरा काउंटर और 14 पैनल अन्तर्पाशित स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन चरण-II—पश्चिम रेलवे:—पैनल अन्तर्पाशित स्टेशनों में संरक्षा सुनिश्चित

Electrification proposals concurrently. The work is estimated to cost Rs. 2.30 crores and an outlay of Rs. 5.51 lakhs is proposed.

20. *Microwave system on Bilaspur-Annuppur-Katni and Annuppur-Manendragarh—South Eastern Railway.*—It has become necessary to replace the old generation of valve type Klystron equipment on condition basis with the present version of Digital Microwave equipment so that communication on this section can be maintained effectively. It is proposed to take up this work at an estimated cost of Rs. 15.60 crores with an outlay of Rs. 70 lakhs.

21. *Jharsuguda-Titlagarh — UHF link for control working—South Eastern Railway.*—It has become necessary for efficient operation/services between Jharsuguda-Bolangir, Raipur-Titlagarh-Bolangir to provide UHF link and augmentation of existing microwave channels on Jharsuguda-Bilaspur-Bhilai marshalling yard. The work is anticipated to cost Rs. 0.64 crore with an outlay of Rs. 19.85 lakhs.

22. *Jharsuguda-Durg—Safety aids—South Eastern Railway.*—On the busy Howrah-Nagpur trunk route it is proposed to provide additional safety features like SM's control on the last stop signal and 2 track circuits for block release on all stations between Jharsuguda-Durg. The work is estimated to cost Rs. 0.97 crore with an outlay of Rs. 2 lakhs.

23. *Kota-Mathura—Axle Counter/Track Circuiting on loop lines and Phase II track circuiting of 20 Panel Interlocked stations—Western Railway.*—In order to improve safety of train running, full track circuiting of the entire station yard is necessary at panel interlocked stations. It is proposed to extend the existing track circuiting on the main line at 20 stations to cover the station section and provide axle counters on the loop lines between Kota and Mathura on the busy Bombay—Delhi trunk route of Western Railway at an estimated cost of Rs. 2.75 crores with an outlay of Rs. 2 lakhs.

24. *Godhra-Nagda—Axle Counter on loop lines and Phase-II track circuiting at 14 Panel Interlocked stations—Western Railway.*—Full track circuiting of

करने के लिए स्टेशन यार्डों का पूरा रेलपथ परिपथन करना आवश्यक समझा जाता है । गोधरा-नागदा खंड पर 20 पैनल अन्तर्पाशित स्टेशनों पर सम्पूर्ण स्टेशन खंड को पूरा करने और लूप लाइनों पर धुरा काउंटरों की व्यवस्था करने के लिए मौजूदा रेलपथ परिपथन का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.39 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

25. **अहमदाबाद-मेहसाना—झुलासर, डांगरवा, आम्बलियासन, जोगुदान पर समपार सिगनलों का रंगीन रोशनी वाले सिगनलों द्वारा बदलाव—पश्चिम रेलवे:**—पश्चिम रेलवे के व्यस्त अहमदाबाद–मेहसाना ट्रंक मार्ग खंड पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है। चार स्टेशनों पर घिसे-पीटे लोवर क्वाड्रेंट सिगनल गियरों का बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिगनलों द्वारा बदलाव करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 1.35 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 15 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

26. **उधना—घिसे-पिटे लीवर फ्रेमों और सिगनल गियरों का बदलाव—पश्चिम रेलवे:**—बम्बई और सूरत के बीच उधना एक व्यस्त जंक्शन स्टेशन है। मौजूदा यांत्रिक उपस्करों ने अपनी आयु पूरी कर ली है और उनका बदलाव करना अपेक्षित हो गया है। इस महत्वपूर्ण जंक्शन यार्ड में पैनल अन्तर्पाशन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.99 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

विद्युतीकरण परियोजनाएं

1. **अकलतरा—शिरोपरि विद्युतीकरण की लागत का प्रभाजन—दक्षिण-पूर्व रेलवे**—मौजूदा एक्सचेंज यार्ड को कारखाना परिसर के अन्दर, संयंत्र के भीतरी यार्ड, जो वर्तमान एक्सचेंज यार्ड से लगभग 9 कि०मी० की दूरी पर है, के स्थल पर शिफ्ट करने और उसका विद्युतीकरण करने से, सीधे संयंत्र से यातायात का आवागमन रेलवे के विद्युत रेल इंजनों से होने लगेगा। इसके परिणामस्वरूप, मालभाड़ा अकलतरा से और तक की थ्रू दूरी के लिए प्रभारित होगा (12 कि०मी०, अर्थात् अतिरिक्त 9 कि०मी०)। इस कार्य पर 1.52 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

2. **सिम्हाचलम नार्थ और वाल्तेरु स्टेशनों के बीच लाइन का विद्युतीकरण—दक्षिण पूर्व रेलवे**—वाल्तेरु-किरन्दुल खंड पर अब यात्री गाड़ियां चलने लगी हैं जिनका विद्युतीकरण मुख्यतः किरन्दुल

station yards is considered essential for ensuring safety in panel interlocked stations. It is proposed to extend existing track circuiting to cover the entire station section and provide axle counters on loop lines at 20 panel interlocked stations on Godhra-Nagda section at an estimated cost of Rs. 1.39 crores with an outlay of Rs. 2 lakhs.

25. *Ahmedabad-Mehsana—Replacement of level crossing signals by colour light signals at Jhulasan, Danggarwa, Ambliyasan, Jogudan—Western Railway.*—On the busy Ahmedabad-Mehsana trunk route section of Western Railway, Multiple Aspect Colour Light Signals (MACLs) are being provided progressively. It is proposed to replace the worn-out Lower Quadrant Signalling gears at 4 stations by MACL signals. The work is estimated to cost Rs. 1.35 crores with an outlay of Rs. 15 lakhs.

26. *Udhna—Replacement of worn-out lever frames and signalling gears —Western Railway.*—Udhna is a busy junction station between Bombay and Surat. The existing mechanical equipment have outlived their life and are over due replacement. It is proposed to provide panel interlocking in this important junction yard at an estimated cost of Rs. 1.99 crores with an outlay of Rs. 25 lakhs.

ELECTRIFICATION PROJECTS

1. *Akaltara—Apportionment of overhead electrification cost—South Eastern Railway.*—Shifting and electrification of the existing exchange yard inside the factory premises at the location of implant yard, which is about 9 Kms. away from the present exchange yard will enable traffic being received and despatched from the plant directly by Railway electric locomotives. As a result freight will be charged for a through distance from and to Akaltara (12 Kms. *i.e.* an additional 9 Kms.). The work is estimated to cost Rs. 1.52 crores. An outlay of Rs. 10 lakhs has been proposed.

2. *Electrification of tracks between Simhachalam North and Waltair—South Eastern Railway.*—Passenger trains are now operating on Waltair-Kirandul section,

क्षेत्र से लौह अयस्क की ढुलाई के लिए 1982 में पूरा किया गया था। सिम्हाचलम नार्थ में इंजन न बदलना पड़े, जिसके कारण इंजनों की रुकौनी और यात्रियों को असुविधा होती है, इसके लिए 90 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सिम्हाचलम नार्थ-वाल्टेर खंड का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. **दिल्ली--अम्बाला--लुधियाना का विद्युतीकरण--रेल विद्युतीकरण**--दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना खंड पर यातायात के भारी घनत्व को सम्हालने तथा दिल्ली में इंजन बदलने की समस्या समाप्त करने के लिए, 136.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस खंड का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 2.41 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. **बोकारोस्टील सिटी--मुरी--हटिया--बोंडा मुंडा-बिमलगढ़-बरसुआन--किरिबुरु का विद्युतीकरण--रेल विद्युतीकरण**--दक्षिण पूर्व रेलवे के उपर्युक्त खंड में, जहां अनेक स्थानों पर भारी ढाल हैं, मुख्यतः विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए लोह अयस्क यातायात की ढुलाई होती है। प्रत्याशित भारी यातायात घनत्व को सम्हालने और भारी ढालों और तीव्र मोड़ों की बाधाओं पर काबू पाने के लिए, 113.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस खंड का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 2.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. **गुमिया-पतरातू-सोननगर खंड का विद्युतीकरण--रेल विद्युतीकरण**--गुमिया-पतरातू-सोननगर गोमो-बरकाकाना-सोननगर खंड का भाग है और गोमो तथा सोननगर दोनों पर बिजलीकृत मार्गों को जोड़ता है। गोमो-गुमिया खंड पहले ही विद्युतीकृत कर दिया गया है और पतरातू-सोननगर का विद्युतीकरण प्रगति पर है। गुमिया-पतरातू के शेष भाग का 17.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 1.64 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

बिजली संबंधी अन्य कार्य

1. **कल्याण--दीवा उपनगरीय खंड-- ठाकुर्ली बिजली घर में बिजली की सप्लाई के नये प्रबंध--मध्य रेलवे**--कालवा, दीवा और डोम्बिवली में स्थापित सब-स्टेशनों तथा दातीवली, ठाकुर्ली और पारसिक में स्थापित किए जा रहे सब-स्टेशनों को बिजली की सप्लाई की विश्वसनीय प्रणाली के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि ठाकुर्ली में 22 कि०वो० पाइंट को अतिरिक्त सप्लाई की व्यवस्था की जाए। इस कार्य पर 1.94 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

2. **थाणे -- कल्याण--सब-स्टेशनों में 22 कि०वो० के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों का बदलाव--मध्य रेलवे**--यातायात का उपयुक्त संचलन सुनिश्चित करने के लिए 22

electrification of which was completed in 1982 mainly for transport of iron ore from Kirandul sector. To avoid change of traction at Simhachalam North, causing detention to locomotives and inconvenience to passengers, electrification of Simhachalam North-Waltair section is proposed at an estimated cost of Rs. 90 lakhs with an outlay of Rs. 10 lakhs.

3. *Electrification of Delhi—Ambala—Ludhiana—Railway Electrification.*—To cope up with the heavy traffic density on Delhi-Ambala-Ludhiana section and to eliminate the problem of change of traction in Delhi, it is proposed to electrify this section at an estimated cost of Rs. 136.96 crores with an outlay of Rs. 2.41 crores.

4. *Electrification of Bokaro Steel City-Muri-Hatia-Bondamunda-Bimalgarh / Barsuan / Kiriburu—Railway Electrification.*—The above section of South Eastern Railway having steep gradients in several stretches, caters primarily for iron ore traffic to various steel plants. To cope up with the anticipated heavy traffic density and to overcome the constraints of steep gradients and sharp curves, it is proposed to electrify this section at an estimated cost of Rs. 113.02 crores with an outlay of Rs. 2.00 crores.

5. *Electrification of Gumia-Patratu-Sonnagar—Railway Electrification.*—Gumia-Patratu-Sonnagar is part of Gomoh-Barkhakana-Sonnagar section connecting the electrified routes at both Gomoh and Sonnagar. Gomoh-Gumia section has already been electrified and electrification of Patratu-Sonnagar is in progress. Electrification of the left-over portion of Gumia-Patratu section is proposed at an estimated cost of Rs. 17.86 crores with an outlay of Rs. 1.64 crores.

OTHER ELECTRICAL WORKS

1. *Kalyan-Diva (suburban)—New power supply arrangement at Thakurli Power House Central Railway.*—To have a reliable system of power supply for sub-stations at Kalva, Diva and Dombivli and also for sub-stations being set up at Dativli, Thakurli and Parsik, it is very essential that an additional 22 KV point of supply is set up at Thakurli. The anticipated cost of this work is Rs. 1.94 crores. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

2. *Thane — Kalyan—Replacement of 22 KV ABCBs at Sub-Stations—Central Railway.*—It is necessary to replace the 22 KV Air Blast Circuit Breakers

कि०वो० के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकरों का आयु-एवं-हालत के आधार पर आधुनिक एम०ओ०सी०बी० द्वारा बदलाव करना आवश्यक है। इस कार्य पर 1.48 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. बम्बई मंडल—200 एम०टी० इस्पात के ढांचों का जस्ता चढ़े इस्पात के ढांचों से बदलाव—मध्य रेलवे—जंग लगे कर्षण ढाँचों का आयु-एवं-हालत के आधार पर बदलाव करना आवश्यक है। इस कार्य पर 88.79 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. बम्बई—दीवा खंड में 24 कि०मी० में लगाए गए 1.93 वर्ग सें० मीटर तांबे के सम्पर्क तार का बदलाव—मध्य रेलवे:—उपनगरीय जिले में परिचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य पर 84 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. बम्बई मंडल — 24 कि०मी० में 1.93 वर्ग सें० मीटर सम्पर्क तांबे के तार का बदलाव—मध्य रेलवे:—परिचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य पर 84 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

6. इगतपुरी—भुसावल—दूरस्थ नियंत्रण उपस्करों का बदलाव—मध्य रेलवे:—खंड में कर्षण स्टेशन को बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है। इस कार्य पर 1.10 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

7. मुम्बरा—1 × 3 मेगावाट के कर्षण सब-स्टेशन की स्थापना—मध्य रेलवे:—दैनिक यात्रियों के निरंतर बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह कार्य आवश्यक है। इष्टतम उपयोग की योजना का उद्देश्य चरणों में गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना है। चरण-1 का उद्देश्य 5 मिनट पर गाड़ियां सुलभ कराने का है। इस कार्य पर 2.65 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 3 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

on age-cum-condition basis by modern MOCBs to ensure proper movement of traffic. The work is estimated to cost Rs. 1.48 crores with an outlay of Rs. 1 lakh.

3. *Bombay Division Replacement of 200 MT Steel structures with galvanised steel structures—Central Railway.*—It is necessary to replace the corroded traction structures on age-cum-condition basis. The work is estimated to cost Rs. 88.79 lakhs. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

4. *Bombay—Diva—Replacement of 24 Kms. of 1.93 Sq. c.m. of copper contact wire—Central Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliability of operation in suburban District. The work is estimated to cost Rs. 84 lakhs with an outlay of Rs. 1 lakh.

5. *Bombay Division—Replacement of 24 Kms. of 1.93 Sq.cm. of copper contact wire—Central Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliability of operation. The anticipated cost of this work is Rs. 84 lakhs. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

6. *Igatpuri—Bhusawal—Replacement of Remote Control Equipment—Central Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to maintain trouble free power supply to traction installations in the section. The work is estimated to cost Rs. 1.10 crores and an outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

7. *Mumbra—Setting up of 1×3 MW Traction Sub-Station—Central Railway.*—This work is necessary to meet the steadily rising commuter traffic. The optimisation scheme aims at increasing the frequency of service in phases. Phase-I aims at 5 minute services. The work is estimated to cost Rs. 2.65 crores with an outlay of Rs. 3 lakhs.

8. ठाकुर्ली—केन्द्रीकृत बिजली प्रशिक्षण संस्थान का विस्तार—मध्य रेलवे——सभी भारतीय रेलों पर बिजली पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान की 1974-75 में स्थापना की गयी थी जिसकी क्षमता 60 प्रशिक्षणार्थियों की है। सीधे भर्ती किए गए और विभागीय तौर पर पदोन्नत किए गए पर्यवेक्षकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए मानक और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने, छात्रावास में जगह तथा पुस्तकालय की सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 63 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

9. नासिक रोड—भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान के लिए अतिरिक्त सुविधाएं (चरण-3)—मध्य रेलवे—भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान गत $2\frac{1}{2}$ वर्ष से कार्य कर रहा है। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा के अधिकारियों (वर्ग "क" और "ख") के प्रशिक्षण के सिलसिले में, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं जैसे मॉडल रूम/प्रयोगशालाओं, कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण, बिजली के मॉडलों और उपस्कर की खरीद, जिसमें बिजली की सप्लाई बढ़ाना शामिल है, इमारतों के विद्युतीकरण आदि की व्यवस्था करना अपेक्षित है। इस काम पर 90 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिये 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

10. हवड़ा मंडल——दूरस्थ नियंत्रण प्रणाली का सालिड स्टेट उपस्करों द्वारा बदलाव—पूर्व रेलवे :—बिजली की सप्लाई के कर्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा गाड़ियों के निर्बाध संचलन के लिए इस प्रणाली का आयु-एवं-हालत के आधार पर बदलाव करना आवश्यक है। इस कार्य पर 1.38 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

11. डानकुनी—कर्षण सब-स्टेशन —पूर्व रेलवे :—हवड़ा, सियालदह और खड़गपुर मंडलों के व्यस्त उपनगरीय खंडों में कर्षण पावर की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्षण सब स्टेशन की स्थापना अनिवार्य समझी गयी है। इस कार्य पर 5.63 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। और इसके लिए 4 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

12. हवड़ा मंडल – (क) डी सी संपर्क तार (ख) कैंटीलीवर असेंबली—पूर्व रेलवे :— यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित लागत 82 लाख रुपये है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

8. *Thakurli—Expansion of Centralised Electric Training Institute—Central Railway.*—The Institute was set up during 1974-75 for imparting training to Electrical Supervisors of all Indian Railways with a capacity of 60 trainees. It is proposed to upgrade the standard and technology to impart initial training to directly recruited and departmentally promoted Supervisors, increase the number of courses, augment the hostel accommodation and library facilities. The work is estimated to cost Rs. 63 lakhs. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

7. *Nasik Road—Additional facilities for Indian Railway Institute of Electrical Engineering (Phase III)—Central Railway*—Indian Railway Institute of Electrical Engineering has been functioning for the last $2\frac{1}{2}$ years. Towards the training of IRSEE cadre (both Group A & B), certain barest minimum facilities like construction of model rooms/labs, staff quarters, purchase of electrical models and equipments including augmentation of power supply and electrification of the buildings are required to be provided. The work is estimated to cost Rs. 90 lakhs with an outlay of Rs. 1 lakh.

10. *Howrah Division—Replacement of Remote Control System by Solid State Equipment.—Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliability of traction power supply and trouble free movement of trains. The estimated cost of this work is Rs. 1.38 crores. An outlay of Rs. 2 lakhs is proposed.

11. *Dankuni—Traction Sub-station—Eastern Railway.* Setting up of additional traction sub-station is considered essential to ensure uninterrupted traction power supply in busy suburban sections of Howrah, Sealdah and Kharagpur Divisions. The work is estimated to cost Rs. 5.63 crores. An outlay of Rs. 4 lakh is proposed.

12. *Howrah Division—Replacement of (a) DC contact wire (b) Cantilever Assembly etc.—Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis. The anticipated cost of this work is Rs. 82 lakhs and an outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

13. सियालदह मंडल—(क) संपर्क तार 30 कि०मी० रेगुलेटिंग उपस्कर का बदलाव—पूर्व रेलवे—उपनगरीय सेवाओं में परिचालन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य पर 1.51 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

13 *Sealdah Division—Replacement of Contact wire 30 KMs., regulating equipment etc.—Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliability of operation in suburban servises. The work is estimated to cost Rs. 1.51 crores. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

14. गया—मुगलसराय—25 कि०मी० संपर्क तारों का बदलाव (चरण-3)—पूर्व रेलवे :—शिरोपरि उपस्कर प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और गाड़ी सेवाओं में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य पर 0.82 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

14. *Gaya-Mughalsarai—Replacement of 25 Kms. of contact wire (Phase-III)—Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliability of OHE system and avoiding dislocation of train services. The work is estimated to cost Rs. 0.82 crore with an outlay of Rs. 1 lakh.

15. हवड़ा मंडल—सर्किट ब्रेकरों इंटरप्टरर्स आदि का बदलाव—पूर्व रेलवे :— गाड़ी सेवाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आयु-एवं-हालत के आधार पर आवश्यक है। इस कार्य पर 0.75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

15. *Howrah Division—Replacement of Circuit Breakers, Interruptors etc.—Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis for ensuring reliability of train services. The work is estimated to cost Rs. 0.75 crore. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

16. मुगलसराय—पनकी—संपर्क तार का बदलाव—उत्तर रेलवे—आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है। इस कार्य पर 0.91 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। और इसके लिए 2 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

16. *Mughalsarai-Panki—Replacement of contact wire—Northern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis. The work is estimated to cost Rs. 0.91 crore. An outlay of Rs. 2 lakhs is proposed.

17. गोरखपुर—11 कि०वो० पावर सप्लाई प्रणाली का 33 कि०वो० प्रणाली से बदलाव—पूर्वोत्तर रेलवे—गोरखपुर क्षेत्र में विश्वसनीय पावर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है। इस कार्य पर 0.64 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

17. *Gorakhpur—Replacement of* 11 *KV power supply system by* 33 *KV system—North Eastern Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliable power supply to Gorakhpur area. The work is estimated to cost Rs. 0.64 crore. An outlay of Rs. 5 lakhs is proposed.

18. पुत्तूर के निकट कर्षण सब-स्टेशन की स्थापना—दक्षिण रेलवे—अरकोणम-रेणिगुंटा खंड ऊबड़-खाबड़ भूमि पर है जहां अप और डाउन दोनों दिशाओं में ढलान है। अप दिशा में 10 कि०मी० की दूरी में 200 में 1 की ऊंचाई पर 4500 टन तक लौह अयस्क से लदी गाड़ियां निरन्तर ऊंचाई पर चढ़ती हैं जिसके परिणामस्वरूप 25 किलो वोल्ट की सामान्य वोल्टेज की तुलना में सबसे दूर वाले छोर पर वोल्टेज घटकर 17 कि० वोल्ट तक आ जाता है।

18. *Traction Sub-station near Puttur—Southern Railway.*—Arakkonam-Renigunta section is on an undulated terrain having both up and down gradients. In the Up direction, loaded iron ore trains upto 4500 tonnes run through a continuous rising gradient of 1 in 200 to a stretch of 10 Kms. resulting in the voltage on the farthest end of the feeding zone coming down to 17 KV against a normal voltage of 25 KV.

यह कार्य वोल्टेज की अनुमेय सीमा के अन्तर्गत पर्याप्त कर्षण की बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस काम पर 3.35 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 31.38 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

This work is necessary to ensure adequate traction power supply within permissible limits of voltage. The work is estimated to cost Rs. 3.35 crores. An outlay of Rs. 31.38 lakhs is proposed.

19. **अरकोणम-आवडि—वर्तमान बूस्टर ट्रान्सफारमरों का 280 कि.वी. क्षमता में बदलाव (चरण-2)—दक्षिण रेलवे**—भारी माल गाड़ियों के बिजली रेल इंजनों से कर्षण के लिए बूस्टर ट्रांसफरमरों की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। इस बदलाव के काम पर 64 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए लिए 7 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

19. *Arakkonam-Avadi —Replacement of existing Booster Transformers with 280 KV (Phase-II)—Southern Railway.*—It is essential to enhance the capacity of the Booster transformers for electric loco hauled heavy freight trains. This replacement work is estimated] to cost Rs. 64 lakhs with an outlay of Rs. 7 lakhs.

20. **कृष्णा केनाल, बापटला, पाडुगुपाडु और कावली कर्षण सब-स्टेशन में बस कपलिंग आइसोलेटर—दक्षिण-मध्य रेलवे**—यह कार्य विजयवाड़ा मंडल पर कर्षण के लिए बिजली की सप्लाई की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए अति आवश्यक समझा जाता है ताकि 132 किलो वोल्ट के दो फीडरों में से किसी एक पर बिजली की सप्लाई उपलब्ध होने पर भी किसी एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जा सके। इस कार्य पर 50.88 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए 5 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

20. *Bus coupling isolator at Krishna Canal, Bapatla, Padugupadu and Kavali traction Sub-stations—South Central Railway.*—This work is considered very essential to improve reliability of traction power supply in Vijayawada Division, so that any one of the transformers can be used, even if supply is available on only one of the two 132 KV feeders. The work is estimated to cost Rs. 50.88 lakhs. An outlay of Rs. 5 lakhs is proposed.

21. **भोइगुडा—33/11 किलो वोल्ट का दूसरा सब-स्टेशन—दक्षिण-मध्य रेलवे**—यह कार्य सिकन्दराबाद क्षेत्र में विभिन्न लोड के लिए बिजली की विश्वसनीय सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस कार्य पर 1.21 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 15 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

21. *Bhoiguda—Second 33/11 KV Sub-station.—South Central Railway.*—This work is necessary to ensure reliable power supply to various loads in Secunderabad area. The work is estimated to cost Rs. 1.21 crores with an outlay of Rs. 15 lakhs.

22. **के०के० लाइन पर लाइन क्षमता कार्य को इष्टतम बनाने का कार्य (चरण-2)—दक्षिण-पूर्व रेलवे**—जैपोर-सिकू नाजुक खंड पर शिरोपरि उपस्कर प्रणाली में दबाव होने के कारण इस खंड पर केवल भार वाले यातायात की ही अनुमति है। यह कार्य संचलन पर इस भारी प्रतिबंध को हटाने के लिए कर्षण बिजली सप्लाई की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस कार्य पर 5.20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

22. *Optimisation of line capacity works on K-K line (Phase-II)—South Eastern Railway.*—On account of constraints in OHE system in the critical Jeypore-Siku section only loaded traffic is permitted in the section. This work is necessary to ensure adequate availability of traction power supply to withdraw this severe restriction on the movement. The work is estimated to cost Rs. 5.20 crores. An outlay of Rs. 10 lakhs is proposed.

23. **संतरागाछी, कोयलाघाट, हिजली, पाथरडीह, मचकुंड रोड और जैपोर में स्विच्ड केपेसिटर बैंक—दक्षिण-पूर्व रेलवे**—यह कार्य इस खंड पर बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए आवश्यक है ताकि कम वोल्टेज वाले बिजली के अधिभार के भुगतान से बचा जा सके। इस

23. *Switched Capacitor Bank at Santragachi, Koilaghat, Hijli, Patherdih, Machkund Road and Jeypore—South Eastern Railway.*—The work is necessary to improve power factor in this section so as to avoid payment of low power factor surcharge.

कार्य पर 230.34 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 1 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

24. **खड़गपुर—नीमपुरा—11 कि० वो० एच० टी० के शिरोपरि लाइनों का यू० जी० केबल द्वारा बदलाव (चरण-1) दक्षिण-पूर्व रेलवे :**—खड़गपुर-नीमपुरा परिसर में 11 कि०वो० ट्रांसमिशन लाइन लगभग 50 वर्ष पहले बिछायी गयी थी । इस दौरान भार बहुत बढ़ गया है तथा कंडक्टरों की स्थिति खराब हो गई है । दोष पूर्ण खंड को शीघ्र अलग किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य आवश्यक है । इस काम पर 2.35 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है । और इसके लिए 3 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

25. **बम्बई उपनगरीय—नाजुक स्थलों पर 22 कि०वो० के केबुल का बदलाव—पश्चिम रेलवे :**—बम्बई मंडल के उपनगरीय खंडों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आयु एवं हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है । इस कार्य पर 5.19 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा इसके लिए 10 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

26. **रामगंजमंडी, गुरला, गंगापुर सिटी, भरतपुर और हिंडन सिटी कर्षण सब-स्टेशनों पर कैपेसिटर बैंक—पश्चिम रेलवे**—कोटा मंडल में कम वोल्टेज वाली बिजली के अधिभार से बचने के लिए यह कार्य आवश्यक है । इस काम पर 2.28 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । और इसके लिए 31 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

27. **चर्चगेट—विरार—विभिन्न स्थलों पर 15 कि०मी० में जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क तारों का बदलाव—पश्चिम रेलवे :**—विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है । इस कार्य पर 50.77 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 10 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

28. **बम्बई स्थानीय खंड—गोरेगांव और चर्चगेट सब-स्टेशनों पर एच एस सी बी का बदलाव तथा गोरेगांव सब-स्टेशन पर 1500 वो०के० केबुल की द्विरावृत्ति—पश्चिम रेलवे :**—बम्बई उपनगरीय खंड को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है । इस कार्य पर 2.79 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 5 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

9. **फुलेरा—सब-स्टेशन और वितरण लाइन का बदलाव—श्चिम रेलवे :**—150 के०वी०ए० की वर्तमान क्षमता की बजाय

The work is estimated to cost Rs. 230.34 lakhs. An outlay of Rs. 1 lakh is proposed.

24. *Kharagpur-Nimpura.—Replacement of 11 KV HT overhead lines by UG cable (Phase-I)—South Eastern Railway.*—The 11 KV transmission line in Kharagpur-Nimpura complex was laid about 50 years back. Over the period the load has considerably gone up and condition of conductors has deteriorated. This work is necessary to ensure quicker isolation of faulty section. The work is estimated to cost Rs. 2.35 crores. An outlay of Rs. 3 lakhs is proposed.

25. *Bombay Suburban—Replacement of 22 KV cable at critical locations—Western Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliable power supply for suburban sections of Bombay Division. The anticipated cost of this work is Rs. 5.19 crores and an outlay of Rs. 10 lakhs is proposed.

26. *Capacitor Banks at Ramganjmandi, Gurla, Gangapur City, Bharatpur and Hindaun City Traction Sub-stations—Western Railway.*—This work is necessary to avoid payment of low power factor surcharge on Kota Division. The work is estimated to cost Rs. 2.28 crores. An outlay of Rs. 31 lakhs is proposed.

27. *Churchgate-Virar—Replacement of 15 Kms. worn-out contact wire at various locations—Western Railway.*—The work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliable power supply. The work is estimated to cost Rs. 50.77 lakhs with an outlay of Rs. 10 lakhs.

28. *Bombay Local section—Replacement of HSCBs at Goregaon and Churchgate Sub-stations and duplication of 1500 V cable at Goregaon Sub-station—Western Railway.*—This work is necessary on age-cum-condition basis to ensure reliable power supply to the Bombay suburban section. The work is estimated to cost Rs. 2.79 crores. An outlay of Rs. 5 lakhs is proposed.

29. *Phulera—Replacement of Sub-station and distribution line.—Western Railway.*—This work is necessary

900 के०वी०ए० के बढ़े हुए लोड को सम्हालने के लिए आयु-एवं-हालत के आधार पर यह कार्य आवश्यक है । इस काम पर 0.61 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 4.50 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

कारखाने—उत्पादन यूनिटों सहित

1. **सतना—बी सी एन रेकों के अनुरक्षण के लिए सुविधाएं—मध्य रेलवे**—सतना को 24 बी सी एन रेकों, जिनमें 960 माल डिब्बे होंगे, के अनुरक्षण डिपो के रूप में बनाने का प्रस्ताव है जो क्लोज्ड सर्किट सी आर-एन आर-सी आर में चलेंगे ; इस कार्य को 2.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर शुरु करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 48.27 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

2. **कालवाकार शेड—ई एम यू स्टाक के लिए छुट-पुट मरम्मत और अनुरक्षण की सुविधाएं बढ़ाना (चरण-2 क)—मध्य रेलवे**—सर्वप्रथम कालवा कार शेड की क्षमता 31 रेक से बढ़ाकर 45 रेक करने की है ताकि गाड़ी सेवाओं में अनुरक्षण और संरक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके । इस कार्य की अनुमानित लागत 2.53 करोड़ रुपये है और इसके लिए 48.7 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

3. **नासिक रोड—एस एल एस और कर्षण मोटर फ्रेमों के पूर्ण पुनःस्थापन के लिए सुविधाएं (चरण-1)—मध्य रेलवे**—एस एल एस की पुनर्वेष्ठन और फ्रेमों की मरम्मत के लिए नासिक में सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है । यह कार्य अनिवार्य है क्योंकि व्यापारी गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार रेलवे की मांग पूरी नहीं कर पाएंगे । इस कार्य की अनुमानित लागत 2.63 करोड़ रुपये है । इस का के लिए 48.27 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

4. **भुसावल—वातानुकूल बिजली लोको कारखाना का आधुनिकीकरण (चरण-III)—मध्य रेलवे**—बिजली इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग करने के लिए इस कारखाने की एक कारखाने के रूप में पहचान की गई है । चूंकि अनुरक्षण की आवश्यकताओं की तुलना में उपलब्ध सुविधाएं काफी कम हैं इसलिए इस कारखाने को आधुनिक बनाना आवश्यक है ताकि यहां बिजली रेल इंजनों की आवधिक ओवरहालिंग की जा सके और विभिन्न बिजली इंजनों की विभिन्न सज्जाओं और उप-सज्जाओं का रख-रखाव किया जा सके । इस कार्य की अनुमानित लागत 6.97 करोड़ रुपये है और इस कार्य के लिए 48.27 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

5. **मुगलसराय — रेलपथ मशीन अनुरक्षण डिपो का विस्तार—पूर्व रेलवे**—इस समय रेलपथ मशीनों

on age-cum-condition basis to feed the enhanced load of 900 KVA against the present capacity of 150 KVA. The work is estimated to cost Rs. 0.61 crore. An outlay of Rs. 4.50 lakhs is proposed.

WORKSHOPS INCLUDING PRODUCTION UNITS

1. *Satna—Facilities for maintenance of BCN rakes—Central Railway.*—Satna has been identified as a Maintenance Depot for 24 BCN Rakes consisting of 960 wagons which will be running in the closed circuit CR-NR-CR. It is proposed to take up this work at an estimated cost of Rs. 2.79 crores with an outlay of Rs. 48.27 lakhs.

2. *Kalva Car Shed—Augmentation of running repairs and maintenance facilities for EMU Stock (Phase-IIA)—Central Railway.*—The capacity of Kalva Car Shed is proposed to be augmented from 31 to 45 rakes in the first instance to ensure the quality of maintenance and safety in train service. The work is estimated to cost Rs. 2.53 crores with an outlay of Rs. 48.27 lakhs.

3. *Nasik Road—Facilities for complete rehabilitation of SLS and Traction Motor Frames (Phase-I)—Central Railway.*—Facilities for rewinding SLS and reconditioning of frames are required to be developed at Nasik. The work is inescapable as the trade is not likely to meet the Railway's demand in terms of quantity and quality. The estimated cost of the work is Rs. 2.63 crores. An outlay of Rs. 48.27 lakhs has been proposed.

4. *Bhusawal—Modernisation of A.C. Electric Loco Workshop (Phase-III)—Central Railway.*—This workshop is identified as one of the workshops to carry out periodic overhauls of electric locomotives. As facilities available are substantially lower than the requirements of maintenance, it is necessary to modernise this workshop to attend to the POH of electrical locomotives and to maintain various assemblies and sub-assemblies of electric loco. The work is estimated to cost Rs. 6.97 crores. An outlay of Rs. 48·27 lakhs has been proposed.

5. *Mughalsarai—Expansion of track machine maintenance depot—Eastern Railway.*—At presen

की आवधिक ओवरहालिंग सी पी ओ एच इलाहाबाद में की जा रही है लेकिन इन मशीनों की मध्यवर्ती ओवरहालिंग तथा साथ ही पोर्टल क्रेनों की आवधिक ओवरहालिंग क्षेत्रीय रेलों द्वारा की जानी अपेक्षित है। इन मशीनों की मध्यवर्ती ओवरहालिंग/आवधिक ओवरहालिंग के बढ़े हुए कार्य भार को पूरा करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि मुगलसराय में इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.17 करोड़ रुपए है तथा इसके लिए 41.38 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

6. लिलुआ— वातानुकूल सवारी डिब्बों के बढ़े हुए उत्पादन के लिए आवधिक ओवरहालिंग की सुविधाएं बढ़ाना—पूर्व रेलवे—यात्री यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा पहले दर्जे के साधारण सवारी डिब्बों के बदले अधिक संख्या में वातानुकूल 2-टियर सवारी डिब्बों का उपयोग किए जाने के कारण, वातानुकूल सवारी डिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग करने के लिए लिलुआ कारखाने की क्षमता 8 वातानुकूल डिब्बों से बढ़ाकर प्रतिमाह 20 सवारी डिब्बे करने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत 2.08 करोड़ रुपये है और इस कार्य के लिए 22.75 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

7. झाझा—बड़ी लाइन के 60 इंजनों को खड़ा करने के लिए डीजल शेड—पूर्व रेलवे—पूर्व रेलवे पर 1995 तक रेल इंजनों के बेड़े में होने वाली वृद्धि के लिए स्थान की व्यवस्था करने हेतु, 15.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बड़ी लाइन के 60 इंजनों को खड़ा करने के लिए झाझा में एक नया डीजल शेड स्थापित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 22.75 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

8. गोमो—लोको शेड में बिजली रेल इंजनों के पहियों की रूप रेखा के पुनः निर्धारण की सुविधाएं—पूर्व रेलवे—लाइन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और रेल-पथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए गोमो लोको शेड में बिजली रेल इंजनों के पहियों की रूप रेखा के पुनर्निर्धारण की सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। इस काम पर 2.84 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 22.75 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

9. आई. आर. आई. एम. ई. ई./जमालपुर—वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के लिए होस्टल में 60 रूम (दो बिस्तर वाले) — पूर्व रेलवे — संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के लिए क्वीन्स रोड होस्टल में आवास की पर्याप्त व्यवस्था करना आवश्यक है। इस काम पर 83 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 45 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

the POH of track machines is being done at CPOH/Allahabad but IOH of these machines as well as POH of portal cranes are required to be done by the zonal Railways. To cater to the increased workload of IOH/POH of these machines, it is proposed to provide these facilities at Mughalsarai. The work is estimated to cost Rs. 1.17 crores with an outlay of Rs. 41.38 lakhs.

6. *Liluah—Augmentation of POH facilities for increased out-turn of A.C. coaches.—Eastern Railway*—The capacity of Liluah workshop for undertaking POH of A.C. coaches is proposed to be increased from 8 to 20 A.C. coaches per month in view of the growth of passenger traffic and gradual introduction of more A.C. II tier coaches in replacement of ordinary Ist class coaches. The work is estimated to cost Rs. 2.08 crores. An outlay of Rs. 22.75 lakhs has been proposed.

7. *Jhajha—Diesel shed for homing 60 B.G. Locos—Eastern Railway*—To accommodate increase in fleet of locos by 1995 on Eastern Railway, it is proposed to set up a new Diesel Shed at Jhajha to home 60 BG locos at an estimated cost of Rs. 15.77 crores with an outlay of Rs. 22.75 lakhs.

8. *Gomoh—Facilities for reprofiling of electric loco wheels in loco shed—Eastern Railway*—Facilities for reprofiling of electric loco wheels in the Gomoh loco shed are necessary to avoid accidents on line and damage to permanent way. The work is estimated to cost Rs. 2.84 crores with an outlay of Rs. 22.75 lakhs.

9. *IRIMEE/Jamalpur.*— 60 *room (double beded) Senior Supervisors' hostel — Eastern Railway*—It is essential to provide adequate hostel accommodation at Queens Road Hostel for the Sr. Supervisors attending various courses at the Institute. The work is estimated to cost Rs. 83 lakhs with an outlay of Rs. 45 lakhs.

10. **इलाहाबाद—केन्द्रीय आवधिक ओवर हाल कारखाने का विस्तार (चरण-2)—उत्तर रेलवे**—इलाहाबाद के केन्द्रीय आवधिक ओवर हाल कारखाने में इस समय प्रति वर्ष 12 रेल पथ मशीनों का ओवरहाल होता है। चूंकि भारतीय रेल प्रणाली में अधिकाधिक संख्या में रेल-पथ मशीनों का उपयोग शुरू किया जा रहा है, इसलिए कारखाने में ओवरहाल की क्षमता बढ़ाकर 24 मशीन प्रति वर्ष करना आवश्यक है। इस काम पर 1.12 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है और इसके लिए 15.38 लाख रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है।

11. **लखनऊ (चारबाग)—चारबाग कारखाने का आधुनिकीकरण (चरण-2)—उत्तर रेलवे**—रेलों में डीजल और बिजली रेल इंजनों का प्रचलन शुरू होने के बाद इस कारखाने को, जिसकी 1865 में मुख्यतः भाप रेल इंजनों के आवधिक ओवरहाल के लिए व्यवस्था की गयी थी, डीजल और बिजली रेल इंजनों का आवधिक ओवरहाल करने के लिए परिवर्तित किया गया था। रेलों में डीजल और बिजली रेल इंजनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप इस कारखाने की क्षमता बढ़ाना और इसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप देना आवश्यक हो गया है। इस कार्य का 10.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

12. **लखनऊ (आलम बाग)—बड़ी लाइन के 100 इंजन/खड़े करने के लिए डीजल शेड का विस्तार—उत्तर रेलवे**—लखनऊ में 60 रेल इंजन खड़े करने के लिए डीजल शेड पूरा होने वाला है। 8.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस शेड में इंजन खड़े करने की क्षमता बढ़ाकर 100 इंजन करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

13. **गोंडा में अतिरिक्त 40 ब.ला./डी.एस.एल. रेल इंजनों को खड़ा करने के लिए डीजल शेड का निर्माण/विस्तार—पूर्वोत्तर रेलवे**—गोंडा डीजल शेड में 60 रेल इंजनों के लिए उपलब्ध अनुरक्षण अवसंरचना रेल इंजनों के अनुरक्षण के लिए अपनी क्षमता से ऊपर पहले से ही काम कर रही है। निकट भविष्य में आबंटित किये जाने वाले और अधिक रेल इंजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, गोंडा में डीजल शेड के निर्माण/विस्तार का कार्य शुरू करना आवश्यक है। इस कार्य पर 2.35 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 11.45 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

14. **कोच्चिन हार्बर टर्मिनस—गर्त लाइन सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाएं—दक्षिण रेलवे**—एकीकृत सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, 18 सवारी डिब्बों की लम्बाई के लिए दो गर्त लाइनों और तीन स्थापन लाइनों का विकास करने का प्रस्ताव है ताकि कोच्चिन

10. *Allahabad—Expansion of Central POH workshop (Phase—II)—Northern Railway*—Allahabad central POH workshop is presently overhauling 12 track machines per year. In view of the large number of track machines being inducted into the Indian Railway system, it is necessary to increase the overhauling capacity of the workshop to 24 machines per year. The work is estimated to cost Rs. 1.12 crores and an outlay of Rs. 15.38 lakhs has been proposed.

11. *Lucknow (Charbagh)—Modernisation of Charbagh shops (Phase-II)—Northern Railway*—With the advent of diesel and electric locomotives on the Railways, the workshop set up in 1865 mainly to cater to POH of steam locos was converted to undertake POH of diesel & electric locos. Due to increase in diesel & electric locos on the Railways, it is necessary to augment the capacity and streamline the working in this workshop. It is proposed to take up this work at an estimated cost of Rs. 10.49 crores with an outlay of Rs. 0.01 lakh.

12. *Lucknow (Alambagh)—Extension of Diesel Shed for holding 100 BG Locos—Northern Railway.*—The Diesel Shed at Lucknow to home 60 locos is nearing completion. The holding of this shed is proposed to be increased to 100 locos at an estimated cost of Rs. 8.35 crores with an outlay of Rs. 0.01 lakh.

13. *Gonda.—Construction/Extension of Diesel shed for homing additional 40 BG/DSL locos—North Eastern Railway*—The maintenance infrastructure available at Gonda diesel shed for 60 locos has already been stretched to its limits for maintenance of locos. To meet the needs of more locos to be allotted in near future, it is essential to take up the work of construction/extension of Diesel Shed at Gonda. The work is estimated to cost Rs. 2.35 crores with an outlay of Rs. 11.45 lakhs.

14. *Cochin Harbour Terminus—Pit line coach maintenance facilities—Southern Railway*—To provide integrated coach maintenance facilities, two pit lines and three stabling lines of 18 coaches length are proposed to be developed for giving primary/secondary

हार्बर टर्मिनस में सवारी डिब्बों का प्राथमिक/गौण अनुरक्षण किया जा सके । इस कार्य पर 3.40 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 40 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

15. **मद्रास क्षेत्र—ब०ला०ए०सी० बिजली रेल इंजन शेड (चरण-1)—दक्षिण रेलवे**—दक्षिण रेलवे पर बिजली कर्षण के विस्तार से, बिजली रेल इंजनों का बहुत अधिक उपयोग किया जायेगा । इस समय, केवल अरकोणम में एक शेड है जहां मद्रास सेंट्रल से बिजली रेल•इंजनों को भेजने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें परिचालनिक कठिनाई आती है और खाली रेल इंजनों के संचलन पर खर्च भी आता है । अतः 50 बिजली रेल इंजनों को खड़ा करने के लिए मद्रास में एक बिजली रेल इंजन शेड की स्थापना करने का प्रस्ताव है । इस कार्य पर 7.80 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 59.06 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

16. **पोदनूर सिगनल और दूर संचार कारखाना: (1) "क्यू" श्रृंखला के प्लग इन टाइप रिले का निर्माण (2) वोल्टेज स्टेबिलाइजर का उत्पादन—दक्षिण रेलवे**—इस समय पोदनूर सिगनल और दूर संचार कारखाना प्लग-इन-किस्म की "क्यू" श्रृंखला के रिले का निर्माण कर रहा है और सभी भारतीय रेलों को इसकी सप्लाई कर रहा है । प्रति वर्ष विशेष किस्म के 2400 रिले के निर्माण के लिए अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । परिणामस्वरूप, विशेष किस्म की "क्यू श्रृंखला के रिले, जिनका अन्यथा आयात करना होगा अथवा व्यापारियों से अधिक मूल्य पर खरीदना होगा, अब पोदनूर कारखाने में सुलभ हो जायेंगे । इस कार्य पर 1.89 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 26.58 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

17. **रायनपाडु में ट्रेक मशीनों के लिए आधार डिपो का ग्रेड उन्नयन—दक्षिण मध्य रेलवे**—रायनपाडु में ट्रेक मशीनों के लिए आधार डिपो कुछ इनी-गिनी मशीनों की छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकताएं पूरी करता है और ट्रेक मशीनों के वर्तमान बेड़े की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है । कम से कम समय में अधिकतम विश्वसनीयता की व्यवस्था करने के लिए इसका उचित रूप से ग्रेड उन्नयन किया जाना है । इस कार्य पर 70 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी और इसके लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है ।

18. **विजयवाड़ा लाइट लिफ्टिंग बे तथा हैवी लिफ्टिंग बे का विस्तार—दक्षिण मध्य रेलवे**—इस समय विभिन्न कारखानों में इंजनों में पुनः केबुल लगाने की क्षमता अपर्याप्त है । बिजली रेल इंजन शेड/विजयवाड़ा में रखे जाने वाले इंजनों में पुनः पाइप लगाने और पुनः केबुल लगाने

maintenance to coaches at Cochin Harbour Terminus. The work is estimated to cost Rs. 3.40 crores with an outlay of Rs. 40 lakhs proposed.

15. *Madras Area.—BG—AC Electric Loco Shed (Phase-I)—Southern Railway*—With the extension of electric traction on Southern Railway, Electric locomotives will be largely in use. At present there is a shed only at Arakkonam necessitating sending of electric locos from Madras Central involving operational difficulties and also expenditure in moving light locos. Therefore, it is proposed to set up an electric loco shed at Madras to home 50 electric locos. The estimated cost of the work is Rs. 7.80 crores with an outlay of Rs. 59.06 lakhs.

16. *Podanur S & T Workshops : (i) Manufacture of 'Q' series plug-in type relays (ii) production of voltage stabilizer —Southern Railway*— Podanur S & T workshop at present is manufacturing and supplying plug-in type 'Q' series relays to all Indian Railways. It is proposed to create certain essential facilities for manufacture of 2400 Nos. per annum of special types of relays. As a result, the special type of 'Q' series relays which will otherwise have to be imported or procured from trade at a high cost will now be available at Podanur workshop. The work is estimated to cost Rs. 1.89 crores and an outlay of Rs. 26.58 lakhs has been proposed.

17. *Rayanapadu—Upgrading Base Depot for Track Machines—South Central Railway*—The Base Depot for track machines at Rayanapadu caters to minor repairs of very few machines and is inadequate to cater to the present fleet of track machines. It has to be suitably upgraded to provide maximum reliability with minimum down time. The work is estimated to cost Rs. 70 lakhs. An outlay of Rs. 20 lakhs has been proposed.

18. *Vijaywada—Extension of Light Lifting Bay and Heavy Lifting Bay.—South Central Railway*—The present capacity of recabling locos at various shops is inadequate. For repiping and recabling of ELS/Vijayawada based locos, the locos have to be stabled, requiring covered

हेतु रेल इंजनों को खड़ा करने के लिए छतदार स्थान की आवश्यकता है। अतः इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 74 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी जिसके लिए 33.34 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

accommodation. It is therefore, proposed to provide these facilities at an estimated cost of Rs. 74 lakhs with an outlay of Rs. 33.34 lakhs.

19. **सिकन्दराबाद में सवारी डिब्बा अनुरक्षण सुविधाएं बढ़ाना—दक्षिण मध्य रेलवे**—कोचिंग रेकों के अनुरक्षण के लिए सिकन्दराबाद स्टेशन एक महत्वपूर्ण टर्मिनल है। उच्च गति कोचिंग स्टाक के लिए अनुरक्षण की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने हेतु हैदराबाद में उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतः इन रेकों के लिए सिकन्दराबाद में अनुरक्षण सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 6.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आयेगी जिसके लिए 2.65 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

19. *Secunderabad—Augmentation of Coach Maintenance facilities—South Central Railway*—Secunderabad is an important terminal station for giving attention to coaching rakes. The facilities available are not adequate to cater to the increasing demand of maintenance at Hyderabad for high speed coaching stock. It is therefore, proposed to develop maintenance facilities for attention to these loads at Secunderabad at an estimated cost of Rs. 6.71 crores with an outlay of Rs. 2.65 crores.

20. **मिरज—गर्त लाइन को बढ़ाना तथा मरम्मत लाइन पर शेड बनाना—दक्षिण मध्य रेलवे**—मिरज के सवारी और माल डिब्बा डिपो में सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की वर्तमान सुविधाएं, अतिरिक्त गाड़ियां चलाने तथा गाड़ियों की लम्बाई बढ़ाने के कारण बढ़े हुए भार की पूर्ति करने के लिए अपर्याप्त हैं। समुचित अनुरक्षण के लिए निर्धारित की गयी समय सीमा का अनुपालन करने के लिए मिरज में बड़े आमान की मरम्मत लाइन के ऊपर शेड बनाने तथा 21 सवारी डिब्बों की लम्बाई की कम से कम एक गर्त लाइन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस कार्य पर 50 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

20. *Miraj—Extension of Pit Line and covered shed over Sick line—South Central Railway.*—The present facilities of coach maintenance at Carriage and Wagon Depot, Miraj are inadequate to meet the increasing load due to introduction of additional trains and also the train length. In order to abide by the prescribed time limit laid down for proper maintenance, it is essential to provide at least one pit line of 21 coach length and a covered shed over the BG sick line at Miraj. The work is estimated to cost Rs. 50 lakhs and an outlay of Rs. 20 lakhs has been proposed.

21. **झारसुगुडा—फ्लेश बट झलाई संयंत्र—दक्षिण पूर्व रेलवे**:—फ्लेश बट झलाई संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 26,000 जोड़ लगाने की है जबकि अगले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक मांग लगभग 50,000 जोड़ लगाने की होगी। उपर्युक्त सुविधा की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित लागत 1.82 करोड़ रुपये है जिसके लिए 50 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

21. *Jharsuguda—Renovation of Flash Butt Welding Plant—South Eastern Railway.*—The present output of the Flash Butt Welding Plant is about 26,000 joints as against an annual requirement of about 50,000 joints during next 5 years. It is necessary to increase the capacity of the above facility. The work is estimated to cost Rs. 1.82 crores. An outlay of Rs. 50 lakhs has been proposed.

22. **अन्गुल—50 रेल इंजन वाला बड़ी लाइन का डीजल शेड—दक्षिण पूर्व रेलवे**—दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल इंजन बेड़े में प्रक्षेपित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अन्गुल में 50 रेल इंजन वाले बड़ी लाइन के एक नये डीजल शेड का निर्माण करना आवश्यक है। इस काम की अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपये है। इसके लिए 1.29 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

22. *Angul—50 Loco BG Diesel Shed—South Eastern Railway.*—Considering the projected increase in the fleet strength of locos on South Eastern Railway, it is necessary to construct a new 50 loco BG Diesel Shed at Angul at an estimated cost of Rs. 16 crores. An outlay of Rs. 1.29 crores has been proposed.

23. **खड़गपुर—डीजल शेड में 60 के बजाय 100 रेल इंजन खड़े करने के लिए डीजल शेड की क्षमता का विस्तार—दक्षिण पूर्व रेलवे**—खड़गपुर डीजल शेड की संस्थापित क्षमता 60 डीजल रेल इंजन खड़े करने की है। अगले 10 वर्षों

23. *Kharagpur Diesel Shed—Expansion of capacity 60 to 100 locos—South Eastern Railway.*—Kharagpur Diesel Shed has an installed capacity for homing 60 diesel locos. The future holdings on the South

के दौरान, दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेल इंजनों की संख्या में लगभग 250 से 300 डीजल रेल इंजन तक की वृद्धि होने की संभावना है। अतः यह अनिवार्य समझा जाता है कि खड़गपुर स्थित वर्तमान डीजल शेड में इंजन खड़े करने की क्षमता बढ़ायी जाए ताकि वहां 100 रेल इंजन खड़े किए जा सकें। इस काम की अनुमानित लागत 8.37 करोड़ रुपये है और इसके लिए 64.40 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

Eastern Railway is likely to increase by about 250 to 300 diesel locos during the next 10 years. Therefore, it is felt essential that the homing capacity of the existing Diesel Shed at Kharagpur be expanded to home 100 locos. The work is estimated to cost Rs. 8.37 crores with an outlay of Rs. 64.40 lakhs.

24. **वटवा—नेमी ओवरहाल तथा वात ब्रेकयुक्त माल-डिब्बा स्टाक के अनुरक्षण की सुविधाओं का विस्तार—पश्चिम रेलवे** :—पश्चिम रेलवे को हर माह 100 बी०सी० एन० माल-डिब्बों का नेमी ओवरहाल करने के लिए सुविधाएं विकसित करनी हैं जिन्हें धीरे-धीरे बढ़ाकर 200 माल डिब्बे प्रति माह करना होगा। इसलिए, वात ब्रेकयुक्त बी०सी०एन० माल-डिब्बों एवं उत्तर रेलवे से आए अनाज के माल डिब्बों का नेमी ओवरहाल तथा अन्य मरम्मत करने के लिए अपेक्षित सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 6.90 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इस के लिए 64.26 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

24. *Vatva—ROH & expansion of maintenance facilities of Air Braked Freight Stock—Western Railway.*—Western Railway has to develop facilities for undertaking ROH of 100 BCN wagons per month; which will gradually be expanded to undertake 200 ROH per month. It is, therefore, proposed to set up the above facility at Vatva for handling the ROH and other repairs of BCN wagons with Air Brake, and also the grain traffic from Northern Railway. The work is estimated to cost Rs. 6.90 crores with an outlay of Rs. 64.26 lakhs.

25. **गांधीधाम—बड़े आमान की धुलाई एवं गर्त लाइन—पश्चिम रेलवे**:—उन रेकों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनकी गर्त लाइन पर देखभाल अपेक्षित है और दुर्घटनाओं की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए सवारी गाड़ियों की संरक्षा पर दिए जा रहे अधिकाधिक बल को ध्यान में रखते हुए, इस सुविधा की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इस काम पर 70 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके लिए 12.85 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

25. *Gandhidham.—BG washing-cum-pit line—Western Railway.*—To meet the present load of rakes requiring pit attention and in view of increased emphasis on safety of passenger trains to curb the trend of accidents, it is essential to provide this facility. The work is estimated to cost Rs. 70 lakhs and an outlay of Rs. 12.85 lakhs.

26. **सूरत—अतिरिक्त गर्त एवं धुलाई लाइन—पश्चिम रेलवे** :—बम्बई, वडोदरा और भुसावल को जाने वाली महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों के लिए, सूरत प्रारम्भिक और पर्यन्तक स्टेशन के रूप में काम कर रहा है। इस समय, सूरत सवारी-डिब्बा डिपो द्वारा प्रतिदिन सात रेकों का प्राथमिक अनुरक्षण और केवल एक रेक का गौण अनुरक्षण किया जा रहा है। वर्तमान क्षमता का पूर्णतः उपयोग हो रहा है। बढ़ते हुए कार्यभार को पूरा करने के लिए, प्रस्तावित सुविधा की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस काम पर 93 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और इस पर 19.28 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

26. *Surat—Additional Pit-cum-Washing line—Western Railway.*—Surat is serving as originating and terminating station for important passenger trains connecting Bombay, Vadodara and Bhusaval. At present Surat Carriage Depot is giving primary maintenance to 7 rakes and secondary maintenance to one rake daily. The existing capacity is fully utilised. To meet the growing load, it is necessary to provide the proposed facility. The work is estimated to cost Rs. 93 lakhs with an outlay of Rs. 19.28 lakhs.

27. **इस्पात ढलाई घर में वैकल्पिक बालू वाहक (वापसी और सुपुर्दगी) प्रणाली का निर्माण—चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना—** इस्पात ढलाईघर की स्थापना के समय से ही वर्तमान आपूर्ति एवं वापसी प्रणाली में बारम्बार खराबी आ जाती है जिसके

27. *Construction of Alternative sand conveying (return and delivery) system in Steel Foundary—Chittaranjan Locomotive Works.*—The present supply and return system working since the inception of the steel foundary

कारण बालू आपूर्ति में व्यवधान पैदा हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान बालू आपूर्ति और वापसी प्रणाली के स्थान पर कोई वैकल्पिक बालू वापसी प्रणाली तैयार की जाए। इस काम पर 2.23 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 26.31 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

28. **2×1000 के० वी० ए० क्षमता का बिजली सब-स्टेशन—चित्तरंजन** रेल इंजन कारखाना—बिजली घर की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है। अतिरिक्त कोको बोगियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं और बिजली आपूर्ति आवश्यक है। 1000 के० वी०ए० क्षमता के दो ट्रान्सफारमरों का प्रस्ताव है जिन पर 70 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए 10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

आर०आई०सी० तथा एम०सी०टी० प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए कोको बोगियों और एच०टी० सेंटर बफर कपलर का निर्माण करने हेतु मशीन और संयंत्र तथा अवसंरचना संबंधी साधन सामग्री—चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना—इस्पात फाउंड्री की स्थापना मूलतः भाप रेल इंजनों के लिए अपेक्षित इस्पात कास्टिंगों के निर्माण के लिए की गई थी। कर्षण में परिवर्तन की व्यवस्था के लिए भाप रेल इंजनों के स्थान पर बिजली/डीजल हाइड्रालिक रेल इंजनों के उत्पादन के कारण इस्पात फाउंड्री के कार्यभार के स्वरूप में आमूल परिवर्तन करना पड़ा। अब जिस प्रकार के इस्पात कास्टिंगों की आवश्यकता है वे कहीं अधिक परिष्कृत तथा जटिल किस्म के हैं और उनके लिए नवीन तथा परिष्कृत फाउंड्री प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। प्रस्तावित कार्य पर 6.34 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 82 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

30. **प्रतिवर्ष स० डि० का० की उत्पादन क्षमता 1000 डिब्बों से बढ़ाकर 1150 डिब्बे करना तथा वातानुकूल सवारी डिब्बों और ई०एम०यू० के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुविधाएं विकसित करना—सवारी डिब्बा कारखाना**—नयी गाड़ियां चलाने तथा सवारी डिब्बों की सामान्य बदलाव आवश्यकता को पूरा करने के लिए, प्रतिवर्ष 1150 डिब्बों के उत्पादन के लिए सवारी डिब्बा कारखाने की क्षमता बढ़ाना आवश्यक है। वातानुकूल सवारी डिब्बों, ई एम यू और ई एम यू ट्रेलरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सुविधाएं विकसित करना भी अनिवार्य है। इस कार्य की अनुमानित लागत 20.50 करोड़ रुपये है जिसके लिए 69 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

is prone to frequent breakdowns causing interruption in sand supply. It is, therefore, necessary that an alternative return sand system is made out as a replacement to the present supply and return sand system. The work is estimated to cost Rs. 2.23 crores. An outlay of Rs. 26.31 lakhs has been proposed.

28. *Electrical substation of 2×1000 KVA capacity—Chittaranjan Locomotive Works.*—The existing capacity of power station is fully utilised. For the manufacture of extra loco bogies, additional infrastructure facilities and power requirement are necessary. Two transformers of 1000 KVA capacity are proposed at an estimated cost of Rs. 70 lakhs with an outlay of Rs. 10 lakhs.

29. *M&P and infrastructural Inputs for implementation of RIC & MCT Technology for manufacture of Coco bogies and HT centre Buffer Couplers.—Chittaranjan Locomotive Works.*—The Steel Foundary was installed basically for manufacture of steel castings required for steam locomotive. To provide for the change of traction in the locomotive production from steam to electric/diesel hydraulic locomotives, the nature of the workload in the Steel Foundary had to undergo a radical change. The steel castings now required are much more sophisticated and intricate in nature, involving new and sophisticated foundry technology. The proposed work is estimated to cost Rs. 6.34 crores with an outlay of Rs. 82 lakhs.

30. *Augmentation of ICF's production capacity from 1000 to 1150 coaches per annum and developing facilities for increasing production of AC coaches and EMUs—Integral Coach Factory.*—For introduction of new trains and to make up the normal replacement requirement of coaches, it is essential to augment ICF's capacity for production of coaches to 1150 coaches per annum. It is also essential to develop facilities for augmenting production of AC coaches, EMUs and EMU trailors. The work is estimated to cost Rs. 20.50 crores with an outlay of Rs. 69 lakhs.

31. शैल डिवीजन की शाप 16 में सी एन सी मशीनों के लिए वातानुकूल क्यूबिकल्स—सवारी डिब्बा कारखाना— सवारी डिब्बा कारखान में लगी कम्प्यूटर नियंत्रित मशीनों के समुचित कार्य संचालन के लिए, वातानुकूल क्यूबिकल्स की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस काम पर 53 लाख रुपये की लागत का अनुमान है जिसके लिए 20 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

31. *Air conditioning cubicles for CNC machines in shop 16 of Shell Division—Integral Coach Factory*.—For proper functioning of the computer controlled machines installed in ICF, it is necessary to provide air conditioning cubicles. The work is estimated to cost Rs. 53 lakhs. An outlay of Rs. 20 lakhs has been proposed.

कर्मचारी क्वार्टर

रेलों की यह नीति रही है कि एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था की जाये। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए 38 करोड़ रुपये का आबंटन करने का प्रस्ताव है।

STAFF QUARTERS

It has been the policy of the Railways to provide more and more quarters to the staff on a programmed basis. The allocation of funds for this purpose is proposed to be Rs. 38 crores for the financial year 1991-92.

कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

1. नयी दिल्ली—सेंट्रल अस्पताल—न्यूरो-विज्ञान की व्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त मंजिल की व्यवस्था करना—उत्तर रेलवे— न्यूरोलोजिकल बीमारी वाले मरीजों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिनके लिए अनेक किस्म के आपरेशन करने होते हैं। मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त आपरेशन थिएटर का निर्माण करना आवश्यक है जिसमें 4 बड़े और एक छोटा आपरेशन कक्ष होगा और अद्यतन गहन चिकित्सा यूनिट होगा। इस कार्य की अनुमानित लागत 3.37 करोड़ रुपये है और इसके लिए 25 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. टाइप-I के 6600 यूनिट क्वार्टरों में एक-एक पंखा लगाना—दक्षिण पूर्व रेलवे—टाइप-I के 20,461 क्वार्टरों में से जहां अभी भी एक-एक पंखा लगाया जाना है, 6600 क्वार्टरों में एक-एक पंखा लगाने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 0.78 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 1.25 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. सवारी डिब्बा कारखाना अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 50 से बढ़ाकर 125 करना तथा अन्तरंग रोगियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना—सवारी डिब्बा कारखाना—मरीजों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के उद्देश्य से, सवारी डिब्बा कारखाना के अस्पताल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

AMENITIES FOR STAFF

1. *New Delhi—(Central Hospital)—One additional floor for Neuro-Science Management—Northern Railway*—There is a tremendous increase in the number of patients with neurological illness requiring variety of operations. To provide required facilities to patients, it is necessary to construct an additional operation theatre complex comprising four major and one minor operation rooms and updated Intensive Care Unit. The work is estimated to cost Rs. 3.37 crores and an outlay of Rs. 25 lakhs is proposed.

2. *Provision of one fan in each of the 6600 units of type-I quarters—South Eastern Railway*.—Out of 20,461 type-I quarters where one fan is yet to be provided, it is proposed to provide one fan each in 6600 quarters. The work is estimated to cost Rs. 0.78 crore and an outlay of Rs. 1.25 lakhs is proposed.

3. *Upgradation of ICF hospital from 50 to 125 beds and in-patient facilities—Integral Coach Factory*.—With a view to cope with increasing number of patients, it is proposed to augment the capacity

इस कार्य पर 75 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 15 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. यात्री तथा अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं

1991-92 के दौरान यात्री तथा अन्य रेल उपयोग-कर्ताओं की सुविधाओं के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

5. **भुवनेश्वर—स्टेशन का सुधार (चरण-III)—दक्षिण पूर्व रेलवे**—भुवनेश्वर को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। इस काम के चरण-I और II क्रमशः 1987-88 और 1988-89 में शुरु किए गए थे। काम को चरण-III के रूप में, सभी चारों प्लेटफार्मों पर पर्याप्त प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 1.16 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्ष 3.10 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

अन्य विनिर्दिष्ट कार्य

1. **दानापुर—रेलवे सुरक्षा विशेष बल के अधिकारियों के लिए 30 बिस्तर वाले बैरकों और 3 केबिनों की व्यवस्था—पूर्व रेलवे**—दानापुर मंडल में गाड़ियों का मार्गरक्षण करने और सिगनल गियरों की सुरक्षा करने के लिए रे०सु०वि०ब० की तीन कंपनियां तैनात हैं जिनमें 393 अधिकारी और जवान हैं। रे०सु०वि०ब० के कर्मचारियों की ड्यूटियों का स्वरूप इस प्रकार है कि उन्हें हर समय तैयार रहना पड़ता है जिसके लिए बैरकों की व्यवस्था करना आवश्यक है। इस कार्य की अनुमानित लागत 0.64 करोड़ रुपये है तथा इसके लिए 0.05 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

2. **आसनसोल—प्लेटफार्म नं. 5 के लिए धुलनीय एप्रेन—पूर्व रेलवे**—आसनसोल स्टेशन पर 6 प्लेटफार्म रेलपथ हैं जहां दोनों अप और डाउन गाड़ियों के लिए मेल/एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के कोचों की नियमित रूप से धुलाई की जाती है। इन रेलपथों पर कोचों से मल-मूत्र भी गिरता है। इससे अस्वास्थ्यकर हालात पैदा होते हैं और दुर्गंध आती है तथा डिब्बों का नीचे से निरीक्षण करने में कठिनाई आती है। अतः प्लेटफार्म नं० 5 पर धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस काम पर 59.28 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.05 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

of ICF hospital. The work is estimated to cost Rs. 75 lakhs and an outlay of Rs. 15 lakhs is proposed.

PASSENGERS' AND OTHER RAILWAY USERS' AMENITIES

During 1991-92 a total provision of Rs. 31.00 crores has been made for 'Passengers' and Other Railway Users' Amenities'.

Bhubaneswar—Improvement to station (Phase-III)—South Eastern Railway.—Bhubaneswar has been selected to be developed as model station. Phase I and II of the work were taken up in 1987-88 and 1988-89 respectively. As Phase III of the work, it is proposed to provide adequate platform shelters on all the four platforms. The work is estimated to cost Rs. 1.16 crores. An outlay of Rs. 3.10 lakhs has been proposed.

OTHER SPECIFIED WORKS

1. *Danapur—30 bedded barrack and 3 cabins for officers of RPSF—Eastern Railway.*—Three companies of RPSF consisting of 393 officers and jawans are deployed over Danapur Division for duties to escort trains and guard signal gears. The nature of duties of RPSF staff is such that they are to remain in a state of readiness for which provision of barracks is necessary. The work is estimated to cost Rs. 0.64 crore and an outlay of Rs. 0.05 lakh is proposed.

2. *Asansol—Washable apron for platform No. 5—Eastern Railway.*—Asansol station is having 6 platform tracks where coaches of Mail/Express and Passenger trains are being regularly watered for both Up and Down trains. Night soil from the coaches also fall on these tracks. This leads to unhygienic conditions, bad smell and difficulty in under-carriage inspections. It is, therefore, proposed to undertake provision of washable apron on platform No. 5. The work is estimated to cost Rs. 59.28 lakhs with an outlay of Rs. 0.05 lakh proposed.

3. **धनबाद—नया ऊपरी पैदल पुल—पूर्व रेलवे—** धनबाद का मौजूदा ऊपरी पैदल पुल इस स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को सम्भालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले एक ऊपरी पैदल पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ताकि प्लेटफार्मों तक/से यात्रियों की शीघ्र और सुचारू आवाजाही हो सके। इस कार्य पर 80.89 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.90 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

4. **अम्बाला छावनी—लाइन सं. 6 और 7 पर धुलनीय एप्रन—उत्तर रेलवे :—**अम्बाला छावनी स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 6 और 7 पर महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियां सम्हाली जाती हैं। इस समय इन दोनों प्लेटफार्मों पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इन लाइनों पर अस्वास्थ्यकर वातावरण बना रहता है तथा इन लाइनों पर रेलपथ की उचित रख-रखाव में बाधा आती है। अतः, प्लेटफार्म सं० 6 और 7 पर धुलनीय एप्रन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस कार्य पर 71.41 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

5. **कानपुर—प्रशिक्षार्थियों के लिए छात्रावास और भोजनालय—(चरण-1)—उत्तर रेलवे :—**सी ई टी ए कानपुर सिविल इंजीनियरी विभाग के लिए उत्तर रेलवे का एक मात्र प्रशिक्षण स्कूल है। इस संस्थान में एक समय में 240 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की योजना है। चूंकि वहां छात्रावास में पर्याप्त स्थान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए, प्रथम चरण के रूप में प्रशिक्षार्थियों के लिए 50 बिस्तर वाले आवास का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत 0.67 करोड़ रुपये और इसके लिए 0.01 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

6. **नई दिल्ली—दूसरे प्रवेशद्वार की ओर ऊपरी पैदल पुल सं. 1 और 2 का विस्तार—उत्तर रेलवे—**नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 38 पर्यन्तक, 38 प्रारम्भिक और 72 सीधे जाने वाली यात्री गाड़ियां सम्हाली जाती हैं जिनमें बहुत सी लम्बी दूरी की सुपर फास्ट गाड़ियां हैं। इस स्टेशन पर लगभग 2,50,000 यात्री आते-जाते हैं। प्लेटफार्मों तक/से यात्रियों और आगन्तुकों की सुचारू आवाजाही के लिए अजमेरी गेट (दूसरे प्रवेशद्वार) की ओर मौजूदा ऊपरी पैदल पुल सं० 1 और 2 का विस्तार करना आवश्यक है। इस कार्य पर 54.33 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसके लिए 0.60 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

3. *Dhanbad—New Foot over bridge—Eastern Railway.*—The existing foot over bridge at Dhanbad is insufficient for handling the increased number of passengers at this station. It is proposed to construct a foot over bridge connecting all platforms for quick and smooth movement of passengers from and to the platforms. The work is estimated to cost Rs. 80.89 lakhs and an outlay of Rs. 0.90 lakh is proposed.

4. *Ambala Cantt.—Washable apron on line No 6 and 7—Northern Railway.*—Important Mail/Express/Passenger trains are dealt with on platform Nos. 6 and 7 of Ambala Cantt. station. The two platforms are not having washable aprons at present, which results in unhygienic conditions and hindrance to proper maintenance of track on these lines. It is, therefore, proposed to provide washable aprons on platform Nos. 6 and 7. The work is estimated to cost Rs. 71.41 lakhs and an outlay of Rs. 0.01 lakh is proposed

5. *Kanpur—Hostel and mess for trainees (Phase-I)—Northern Railway.*—CETA Kanpur is the only training school of the Northern Railway for Civil Engineering Department. It is planned to train 240 trainees at a time in this Institute. As there is no adequate hostel accommodation, it is proposed, as a first phase, to construct a 50 bedded accommodation for the trainees. The work is estimated to cost Rs. 0.67 crore and an outlay of Rs. 0.01 lakh is proposed.

6. *New Delhi—Extension of foot over bridges No. 1 and 2 towards second entry—Northern Railway.*—New Delhi Railway Station handles 38 terminating 38 originating and 72 through passing passenger trains; many of which are long distance super fast trains. Approximately 2,50,000 inward/outward passengers are handled at this station. For the smooth movement of passengers and visitors to and from the platforms, it is essential to extend the foot over bridges No 1 and 2 towards Ajmeri Gate side (Second entry). The work is estimated to cost Rs. 54.33 lakhs and an outlay of Rs. 0·60 lakh is proposed

7. **लालागुग—तीन वार्डों में इमारत का निर्माण—उप भण्डार नियंत्रक, (एम एवं ई) दक्षिण मध्य रेलवे :—** मौजूदा इमारत, जिसमें उप भंडार नियंत्रक, लालागुडा का कार्यालय और भंडार है और जिसे 1920 से पहले बनाया गया था, अब बहुत पुरानी हो गई है। अतः, मौजूदा इमारत के बदले नयी इमारत बनाने का प्रस्ताव है। इस कार्य की अनुमानित लागत 0.60 करोड़ रुपये है और इसके लिए 0.08 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

7. *Lallaguda—Construction of building in three wards—For Dy. COS (M&E)—South Central Railway.*—The present building which serves as offices and stores for Dy. COS, Lallaguda and was constructed earlier to 1920, has outlived its life. It is therefore, proposed to construct a new building in replacement of the existing one. The work is estimated to cost Rs. 0.60 crore and an outlay of Rs. 0.08 lakh is proposed

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति
Progress of Road Over/Under Bridges

राज्य/रेलवे State/Railway	1990-91 के बजट कार्य-क्रम में शामिल किये गये ऊपरी-निचले पुलों की संख्या No. of over-under bridges programmed in Budget for 1990-91	31-12-1990 को इन निर्माण-कार्यों की स्थिति Position of these works as on 31-12-90			
		स्वीकृत पुलों की कुल संख्या No. of estimates sanctioned	वर्ष के दौरान शुरू किये गये निर्माण-कार्यों की संख्या No. of works commenced during the year	निर्माणाधीन पुराने कार्यों की संख्या No. of old works in progress	पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works completed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
असम ASSAM :					
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway	1	1	..	1	..
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH :					
दक्षिण रेलवे Southern Railway	..	..	..	..	..
दक्षिण मध्य रेलवे South Central Railway	20	10	..	8	1
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway	2	2	..	1	..
बिहार BIHAR :					
पूर्व रेलवे Eastern Railway	3	2	..	2	..
पूर्वोत्तर रेलवे Northeastern Railway	1	1	..	1	..
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway	..	..	..	..	..
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway	1	1	..	1	..
दिल्ली DELHI :					
उत्तर रेलवे Northern Railway	3	3	1	2	..

(युनिट में)
(in units)

	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
(iii) बिजली गाड़ी स्टाक (*iii*) EMU Stock	221	10	..
(iv) अन्य स्टाक एस एल आर (*iv*) Other Stock SLR			
(क) दूसरे दर्जे के सामान/ब्रेक यान (*a*) IInd Class luggago/ Bk Van SLR	3 00	175	..
III. माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से)— Goods Wagons (in terms of 4-wheelers) —			
(1) सामान्य सेवाओं वाले General Services	24,820	..	..
(1) कंटेनर/सपाट Containers/Flats	300	..	..
(3) ट्रैक टाई टैम्पर Track Tie Tampers	30	..	..
(4) क्रेनें Cranes	3	..	..

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति

Progress of Road Over/Under Bridges

राज्य/रेलवे State/Railway	1990-91 के बजट कार्य-क्रम में शामिल किये गये ऊपरी-निचले पुलों की संख्या No. of over-under bridges programmed in Budget for 1990-91	31-12-1990 को इन निर्माण-कार्यों की स्थिति Position of these works as on 31-12-90			
		स्वीकृत पुलों की कुल संख्या No. of estimates sanctioned	वर्ष के दौरान शुरू किये गये निर्माण-कार्यों की संख्या No. of works commenced during the year	निर्माणाधीन पुराने कार्यों की संख्या No. of old works in progress	पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works completed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
असम ASSAM :					
पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway .	1	1	..	1	..
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH :					
दक्षिण रेलवे Southern Railway . .	..	..	..	..	..
दक्षिण मध्य रेलवे South Central Railway .	20	10	..	8	1
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway .	2	2	..	1	..
बिहार BIHAR :					
पूर्व रेलवे Eastern Railway . . .	3	2	..	2	..
पूर्वोत्तर रेलवे Northeastern Railway . .	1	1	..	1	..
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway .	..	..	..	..	..
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway .	1	1	..	1	..
दिल्ली DELHI :					
उत्तर रेलवे Northern Railway	3	3	1	2	..

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण को प्रगति—जारी
Progress of Road Over/Under Bridges—*Contd.*

राज्य/रेलवे State/Railway	1989-90 के बजट कार्य-क्रम में शामिल किये गये ऊपरी-निचले पुलों की संख्या No. of over-under bridges prog-rammed in Budget for 1990-91	31-12-1990 को इन निर्माण-कार्यों की स्थिति Position of these works as on 31-12-1990			
		स्वीकृत अनुमानों की संख्या No. of estimates sanc-tioned	वर्ष के दौरान वास्तव में शुरू किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works commen-ced during the year	निर्माणाधीन पुराने कार्यों की संख्या No. of old works in progress	पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works comp-leted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गोवा GOA					
दक्षिण मध्य रेलवे South Central Railway . .	..	..	..	...	...
गुजरात GUJARAT					
पश्चिम रेलवे Western Railway . .	6	3	...	3	..
हरियाणा HARYANA					
मध्य रेलवे Central Railway . .	2	..	...	..	..
उत्तरी रेलवे Northern Railway . .	6	2	..	1	1
जम्मू व कश्मीर JAMMU & KASHMIR					
उत्तर रेलवे Northern Railway . .	1	1	..	..	..
केरल KERALA					
दक्षिण रेलवे Southern Railway .	8	7	1	1	1
कर्नाटक KARNATAKA					
मध्य रेलवे Central Railway . .	1	1	..	1	–
दक्षिण रेलवे Southern Railway . .	2	1	..	1	..
दक्षिण-मध्य रेलवे South Central Railway .	..	..	..	..	..
महाराष्ट्र MAHARASHTRA					
मध्य रेलवे Central Railway . .	4	3	1	2	..
दक्षिण-मध्य रेलवे South Central Railway .	2	2	..	1	..
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway .	2	2	..	2	..
पश्चिम रेलवे Western Railway . .	6	3	...	3	..

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति—जारी
Progress of Road Over/Under Bridges—*Contd.*

राज्य/रेलवे State/Railway	1990-91 के बजट कार्यक्रम में शामिल किये गये ऊपरी-निचले पुलों की संख्या। No. of over-under bridges programmed in Budget for 1990-91	31-12-1990 को इन निर्माण-कार्यों की स्थिति Position of these works as on 31-12-1990			
		स्वीकृत अनुमानों की संख्या No. of estimates sanctioned	वर्ष के दौरान शुरू किये गये निर्माण-कार्यों की संख्या No. of works commenced during the year	निर्माणाधीन पुराने कार्यों की संख्या No. of old works in progress	पूरे किये गये निर्माण-कार्यों की संख्या No. of works completed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH :					
मध्य रेलवे Central Railway	12	9	3	6	..
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway	6	4	..	3	—
पश्चिम रेलवे Western Railway	7	2	..	2	..
नागालैण्ड NAGALAND					
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway	1	..	—	—	—
उड़ीसा ORISSA :					
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway	7	5	3	5	..
पंजाब PUNJAB					
उत्तर रेलवे Northern Railway	3	2	..	2	..
राजस्थान RAJASTHAN :					
उत्तर रेलवे Northern Railway	1	1	—	1	..
पश्चिम रेलवे Western Railway	4	1	..	1	..

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण की प्रगति—समाप्त
Progress of Road Over/Under Bridges—*Concld.*

राज्य/रेलवे State/Railway	1990-91 के बजट कार्यक्रम में शामिल किये गये ऊपरी-निचले पुलों की संख्या No. of over-under bridges programmed in Budget for 1990-91	31-12-1990 को इन निर्माण कार्यों की स्थिति Position of these works as on 31-12-1990			
		स्वीकृत अनुमानों की संख्या No. of estimates sanctioned	वर्ष के दौरान शुरू किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works commenced during the year	निर्माणाधीन पुराने कार्यों की संख्या No. of old works in progress	पूरे किये गये निर्माण कार्यों की संख्या No. of works completed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तमिलनाडु TAMIL NADU :					
दक्षिण रेलवे Southern Railway	13	8	1	5	1
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH :					
मध्य रेलवे Central Railway	1	1	..	1	..
पूर्व रेलवे Eastern Railway	..	..	..	..	..
उत्तर रेलवे Northern Railway	14	6	..	6	..
पूर्वोत्तर रेलवे Northeastern Railway	6	6	..	3	2
पश्चिम बंगाल WEST BENGAL :					
पूर्व रेलवे Eastern Railway	9	7	..	6	1
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे Northeast Frontier Railway	..	..	..	..	..
दक्षिण-पूर्व रेलवे South Eastern Railway	1	1	..	..	..
जोड़ TOTAL	156	98	10	72	7

1991-92 के बजट में नये चल-स्टाक की सुपुर्दगी की व्यवस्था का ब्यौरा
Details of the New Units of Rolling Stock provided delivery in the Budget for 1991-92

(यूनिट में) (In units)

	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
I. रेल इंजन Locomotives :			
(क) उच्च अश्व शक्ति बिजली (a) Electric High Horse Power . .	..	...	...
(ख) डीजल बिजली (b) Diesel Electric . .	95	30	14
(ग) डीजल शंटर (c) Diesel Shunters . .	41	..	...
(घ) बिजली (d) Electric . . .	117	..	...
(ङ) पावर पैक (e) Power Pack . .	2	3	...
II. कोचिंग वाहन (यूनिटों में) Coaching vehicles (in units) :			
(i) वातानुकूल (i) Air-conditioned . .	..	..	..
(क) दूसरा दर्जा वातानुकूल कुर्सी यान (a) Second AC Chair Car .	13	..	..
(ख) वातानुकूल दूसरा दर्जा 2 टियर शयन यान (b) AC 2-Tier II Class Sleeper	65	..	..
(ग) वातानुकूल पहला दर्जा (कख) पूर्ण (c) 1st AC (AB) Full	23	..	..
(ii) दूसरा दर्जा (ii) 2nd Class . . .			
(क) सामान्य/3 टियर शयनयान (a) General/3 Tier sleeper coaches . .	4,85	4,72	..
(ख) पैलेस ऑन व्हील्स (b) Palace on wheels	..	20	
(ग) पैंट्रीकार (c) Pantrycar . . .	22	..	..
(घ) दिवसीय सवारी डिब्बा (d) Day Coaches . .	..	..	..
(ङ) 3-टियर शयनयान (e) 3-Tier Sleeper . .	..	..	..
(च) ब ला साधारण सवारी डिब्बे (f) BG Ordinary Coaches	550	..	..

(युनिट में)
(In units)

	बड़ी लाइन Broad Gauge	मीटर लाइन Metre Gauge	छोटी लाइन Narrow Gauge
(iii) बिजली गाड़ी स्टाक (*iii*) EMU Stock	221	10	..
(iv) अन्य स्टाक एस एल आर (*iv*) Other Stock SLR			
(क) दूसरे दर्जे के सामान/ब्रेक यान (*a*) IInd Class luggage/ Bk Van SLR	300	175	..
III. माल डिब्बे (चोपहियों के हिसाब से)— Goods Wagons (in terms of 4-wheelers)—			
(1) सामान्य सेवाओं वाले General Services	24,820	..	..
(1) कंटेनर/फ्लाट Containers/Flats	300	..	..
(3) ट्रैक टाई टैम्पर Track Tie Tampers	30	..	..
(4) क्रेनें Cranes	3	..	..

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 के लिए चल-स्टाक कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
Summary of Rolling Stock Programme for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

उप-शीर्ष Sub-heads	निर्धारित समय पर मिलने वाले सामान Programmed Deliveries पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	जोड़ Total	नयी खरीद New Acquisitions निक्षेप Deposit	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	जोड़ Total जोड़ Total	निक्षेप Deposit	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	निवेश Deposit	कुल जोड़ Grand Total
रेल इंजन Locomotives	9,73,59	237,44,37	..	247,17,96	267,21,13	37,02,67	26,49,31	..	63,51,98	..	46,76,26	263,93,68	..	310,69,94	267,21,13
सवारी डिब्बे Carriages .	2,80,26	265,16,28	23,65	268,20,19	311,12,65	13	7,92,15	21,55	8,13,83	..	2,80,39	273,08,43	45,20	276,34,02	311,12,65
माल-डिब्बे Wagons .	..	19,00	4,80	23,80	388,47,87	..	1,31,00	..	1,31,00	5,71,59	..	1,50,00	4,80	1,54,80	394,19,46
क्रेन Cranes .	1,43,15	4,16,74	..	5,59,89	6,50,06	3	..	..	3	..	1,43,18	4,16,74	..	5,59,92	6,50,06
रेल कार और बिजली गाड़ी डिब्बे Rail Cars and Multiple Units	..	1,00,00	..	1,00,00	..	6	3	..	9	..	6	1,00,03	..	1,00,09	..
पुर्जे और बायलर Spares & Boilers .	1	64	..	65	22,00,10	6,00,10	6,65,03	..	12,65,13	..	6,00,11	6,65,67	..	12,65,78	22,00,10
चल स्टाक की अन्य मदें Others Rolling Stock items	..	..	..	..	494,80,48	..	..	..	..	4,16,12	..	..	..	..	498,96,60
जोड़ TOTAL .	13,97,01	507,97,03	28,45	5,22,22,49	1490,12,29	43,02,99	42,37,52	21,55	85,62,06	9,87,71	57,00,00	550,34,55	50,00	607,84,55	1500,00,00*

*भारतीय रेल वित्त निगम की ओर से खरीदे/निर्मित किये जाने वाले चल-स्टाक के लिए।

*For Rolling Stock to be procured/Manufactured on behalf of Indian Railway Finance Corporation.

सभी रेलें
ALL RAILWAYS
1991-92 के लिए मशीन और संयंत्र कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
Summary of Machinery and Plant Programme for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

रेलवे Railways	निर्धारित समय पर मिलने वाले सामान Programmed Deliveries						नयी खरीद New Acquisitions					
	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	चालू लाइन निर्माण राजस्व Revenue (OLWR)	जोड़ Total	का०नि०उ० W.M.S.	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	चालू लाइन निर्माण राजस्व Revenue (OLWR)	जोड़ Total	का०नि०उ० W.M.S.
मध्य Central	4,13,64	8,18,60	1,20,96	37,26	13,90,46	..	..	62,34	53,24	72,64	1,88,22	..
पूर्व Eastern	2,20,98	7,09,67	33,10	87,04	10,50,79	..	..	1,02,50	14,38	6,85	1,23,73	..
उत्तर Northern	2,21,07	3,95,53	61,69	36,97	7,15,26	..	18,89	79,18	15,10	6,65	1,19,82	..
पूर्वोत्तर Northeastern	58,45	1,90,09	57,99	25,39	3,31,92	..	4,19	22,22	8,62	1,82	36,85	..
पूर्वोत्तर-सीमा Northeast Frontier	1,85,04	3,21,67	80,05	55, 1	6,42,57	..	20,36	31,28	19,53	10,95	82,12	..
दक्षिण Southern	1,33,86	3,99,13	49,33	27,33	6,09,65	..	10,05	68,20	63,34	27,23	1,68,82	..
दक्षिण-मध्य South Central	5,86,43	2,16,69	9,00	30,90	8,43,02	..	63.26	33,03	20,00	4,02	1,21,11	..
दक्षिण-पूर्व South Eastern	1,35,95	2,91,96	81,00	55,47	5,64,38	..	..	73,77	13,95	59,08	1,46,80	..
पश्चिम Western	2,65,70	12,62,97	1,15,03	43,83	16,87,53	..	26,45	1,04,33	22,89	10.76	1,64,43	..
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	3,46,10	7,08,42	..	..	10,54,52	5,15	..	65,49	..	..	65,49	6,77
डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	2 27,90	2,93,24	..	..	5,21,14	8,91	..	1,23,80	..	..	1,23 80	1,75
सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	1,33,20	3,91,87	..	..	5 25,07	18,49	20,35	53,53	..	..	73.88	19,83
पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant	1,41,68	16	..	..	1,41,84	2,43	6,70	33	...	..	7,03	3,57
जोड़ TOTAL	30,70,00	60,00,00	6,08,15	4,00,00	1 00,78,15	34,98	1,70,25	8,20,00	2,31,85	2,00,00	14,22,10	6,67

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में रेलों पर मशीन और संयंत्र के लिए अनुमानित रकम के आबंटन का संक्षिप्त विवरण (केवल नयी खरीद)

Summary of allocation of funds estimated for Machinery and Plant on Railways during 1991-92 (*New Acquisitions only*)

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

रेलवे Railways	प्रत्याशित लागत Anticipated cost						1991-92 में प्रस्तावित परिव्यय Outlay proposed during 1991-92					
	परिवर्धन और बदलाव Additions and Replacement						परिवर्धन और बदलाव Additions and Replacements					
	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	राजस्व चा०ला०रा० Revenue (OLWR)	जोड़ Total	का०नि०ज० W.M.S.	पूंजी Cap.	मूल्यह्रास आरक्षित निधि D.R.F.	विकास निधि D.F.	राजस्व चा०ला०रा० Revenue (OLWR)	जोड़ Total	का०नि०ज० W.M.S.
मध्य Central	..	3,26,13	85,87	1,23,45	5,35,45	..	..	62,34	53,24	72,64	1,88,22	..
पूर्व Eastern	..	5,36,47	23,20	19,61	5,79,28	..	..	1,02,50	14,38	6,85	1,23,73	..
उत्तर Northern	22,55	4,14,42	24,36	19.02	4,80.35	..	18,89	79,18	15,10	6,65	1,19,82	..
पूर्वोत्तर Northeastern	5,00	1,16,31	13,88	5,20	1,40,39	..	4,19	22,22	8,62	1,82	36,85	..
पूर्वोत्तर-सीमा Northeast Frontier	24,30	1,63,75	31,50	31,30	2,50,85	..	20,36	31,28	19,53	10,95	82,12	..
दक्षिण Southern	12,00	3,56,97	91,40	77,89	5,38,26	..	10,05	68,20	63,34	27,23	1,68,82	..
दक्षिण-मध्य Sourth Central	75,50	1,72,90	33,55	11,50	2,93,45	..	63,26	33,03	20,80	4,02	1,21,11	..
दक्षिण-पूर्व South Eastern	..	3,86,15	22,50	1,68,94	5,77,59	..	..	73,77	13,95	59,08	1,46,80	..
पश्चिम Western	31,56	5,46,06	36,92	30,78	6,45,32	..	26,45	1,04,33	22,89	10,76	1,64,43	..
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना Chittaranjan Locomotive Works	..	3,42,80	..	..	3,42,80	24,35	..	65,49	..	..	65,49	3,10
डीजल रेल इंजन कारखाना Diesel Locomotive Works	..	6,48,00	..	..	6,48,00	5,00	..	1,23,80	..	..	1,23,80	..
सवारी डिब्बा कारखाना Integral Coach Factory	24,25	2,80,10	..	..	3,04,35	56,70	20,35	53,53	..	..	73,88	..
पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant	8,00	1,70	..	..	9,70	8,96	6,70	33	...	..	7,03	3,57
जोड़ TOTAL	2,03,16	42,91,76	3,63,18	4,87,69	53,45,79	95,01	1,70,25	8,20.00	2,31,85	2,00,00	14.22,10	6,67

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन
Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाते DEBITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष के शुरु में शेष : *Balance at commencement of the year*				
क. भण्डार—ईंधन को छोड़कर A. Stores—Other than fuel :				
(1) स्टाक में सामान Stores in stock	521,49,54	552,76,74	646,76,40	626,75,14
(2) पारवहन में सामान Stores in transit	52,69,38	31,06,35	60,20,06	40,28,11
(3) स्टाक समायोजन लेखे में बकाया Outstanding in Stock Adjustment Account	—42,71,77	—11,05,58	—49,04,38	—22,85 40
(4) पिछला खरीद उचंत शेष Outstanding Purchase Suspense Balance	111,97,89	110,97,40	111,00,38	122,63,26
(5) पिछला बिक्री उचंत शेष Outstanding Sales Suspense Balance	—36,28,92	—37,67,94	—41,43,67	—28,62,45
जोड़—क TOTAL—A	607,16,12	646,06,97	727,48,79	738,18,66
ख. भण्डार—ईंधन B. Stores—Fuel				
(1) स्टाक में सामान Stores in stock	39,95,79	32,17,55	29,13,38	38,88,63
(2) पारवहन में सामान Stores in transit	1,12,44	—97,13	3,49,32	2,12,24
(3) स्टाक समायोजन लेखे में बकाया Outstanding in Stock Adjustment Account	2,61,85	81,25	54,95	57,00
(4) पिछला खरीद उचंत शेष Outstanding Purchase Suspense Balance	—20,59,73	—10,83,31	—5,55,86	—8,65,85
(5) पिछला बिक्री उचंत शेष Outstanding Sales Suspense Balance	10,47,00	8,10,18	4,90,68	4,94,05
जोड़—ख TOTAL—B	33,57,35	29,28,54	32,52,47	37,86,07
वर्ष के शुरु में शेष (क+ख) Balance at commencement of the year (A + B)	640,73,47	675,35,51	760,01,26	776,04,73

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन
Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाते DEBITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimate 1991-92
वर्ष में प्राप्तियां : *Receipts during the year :*				
1. खरीद Purchases				
क. भण्डार—ईंधन को छोड़कर : A. Stores—Other than fuel :				
(1) सामान्य प्रयोजनों के लिए सामान Stores for general purposes	1005,07,82	1023,87,16	1000,29,19	1124,42,53
(2) निर्माण डिपुओं के लिए सामान Stores for construction depots	44,54,75	51,01,00	55,07,00	58,10,00
(3) सवारी डिब्बा और माल डिब्बा निर्माताओं के लिए निकासी हेतु सामान Stores for issue to coach and wagon builders	61,12,18	90,70,84	84,47,09	86,11,50
(4) चल-स्टाक के उत्पादन के लिए भण्डार Stores for production of rolling stock	643,91,39	629,58,00	726,00,99	841,17,59
जोड़—क TOTAL—A	1754,66,14	1795,17,00	1865,84,27	2109,81,62
ख. भण्डार—ईंधन B. Stores—Fuel				
(1) कोयला Coal	234,06,86	227,99,51	205,09,55	197,44,40
(2) कोक Coke	82,05	2,90,09	2,64,98	2,80,66
(3) ईंधन तेल Fuel oil	506,97,30	535,52,22	686,09,69	764,69,73
जोड़—ख TOTAL—B	741,86,21	766,41,82	893,84,22	964,94,79
कुल—खरीद (क+ख) TOTAL—Purchases (A + B)	2496,52,35	2561,58,82	2759,68,49	3074,76,41

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन
Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
II. विनिर्माण से भण्डार में प्राप्ति Receipt from manufacture into Stores	296,09,76	325,85,53	366,25,00	370,40,95
III निर्माण-कार्यों से वापिस की गयी सामग्री Materials returned from Works—				
(1) कारखाना सामग्री Workshop material	89,85,30	78,40,35	90,94,32	89,36,15
(2) अन्य सामग्री Other material	198,71,29	149,18,53	157,21,92	165,81,94
जोड़—(1) + (2) TOTAL—(1) + (2)	288,56,59	227,58,88	248,16,24	255,18,09
IV अन्य नामखाते Other Debits				
(1) भण्डार में विनिर्माण के बाद प्राप्तियां Receipt after fabrication into Stores	36,47,96	37,00,43	44,83,96	44,73,50
(2) स्टाक समायोजन लेखे से संबंधित समायोजन आदि Adjustments relating to Stock Adjustment Account, etc.	29,55,40	53,79,20	46,25,25	49,37,84
(3) अन्य रेलों को सामान का अन्तरण Transfer of stores to other Railways	—88,61,20	—49,41,00	—49,87,00	—48,36,00
जोड़—(1) + (2) + (3) TOTAL—(1)+(2)+(3)	—22,57,84	41,38,63	41,22,21	45,75,34
जोड़—खरीद और प्राप्तियों के लिए नामखाते TOTAL—Debits for purchases and receipts	3058,60,86	3156,41,86	3415,31,94	3746,10,99
घटाइए— V. Deduct— मांग के अन्तर्गत मद I, II और III दूसरी ओर ब्यौरा के अनुसार भंडार उचंत से सेवा/निर्माण कार्यों के लिए निकासी For Issues from Stores Suspense to services/works within the Demand vide items I, II and III per contra :				
(1) विनिर्माण कार्य Manufacture operations	1297,21,44	1383,21,36	1542,94,92	1708,84,50
(2) निर्माण-कार्य Works	63,18,64	67,66,30	68,45,60	74,89,61
(3) विविध अग्रिम—पूंजी Miscellaneous Advances—Capital	50,03,37	33,54,62	37,10,34	41,54,58
जोड़ (1) + (2) + (3) TOTAL (1)+(2)+(3)	1410,43,45	1484,42,28	1648,50,86	1825,28,69
जोड़—वर्ष में नाम खाते TOTAL—Debits during the year	1648,17,41	1671,99,58	1766,81,08	1920,82,30
कुल जोड़ GRAND TOTAL	2288,90,88	2347,35,09	2526,82,34	2696,87,03

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन
Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष में निकासी Issues during the year —				
विनिर्माण उचंत से पूंजी को I. To Capital—Manufacture Suspense—				
(1) रेल इंजन कारखाने Locomotive Workshops	640,80,11	672,32,59	746,33,04	801,89,48
(2) सवारी और माल डिब्बा कारखाने Carriage & Wagon Workshops	504,19,27	529,95,02	612,88,68	713,39,04
(3) बिजली कारखाने Electrical Workshops	35,14,69	37,23,14	36,35,93	37,85,75
(4) इंजीनियरी कारखाने Engineering Workshops	18,78,17	18,87,59	19,65,07	20,19,87
(5) सिगनल और दूर संचार कारखाने Signal & Telecom. Workshops	8,27,12	8,30,52	10,51,50	10,86,00
(6) छापाखाना Printing Press	10,21,04	12,19,65	12,13,74	12,85,62
(7) कपड़ा काटने का कारखाना Cloth Cutting Factory	16,14,36	14,23,80	14,93,80	16,73,80
(8) पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant	63,66,68	90,09,05	90,13,16	95,04,94
जोड़ (1) से (8) : TOTAL (1) to (8)	1297,21,44	1383,21,36	1542,94,92	1708,84,50
II निर्माण-कार्यों को To Works	63,18,64	67,66,30	68,45,60	74,89,61
III विविध अग्रिम—पूंजी को To Miscellaneous Advances—Capital	50,03,37	33,54,62	37,10,34	41,54,58
IV सवारी तथा माल डिब्बा निर्माताओं को जारी करने हेतु भण्डार को To Stores for issue to coach and wagon builders	9,85	50,00	50,00	50,00
V राजस्व को—ईंधन को छोड़कर भण्डार To Revenue—Stores other than fuel	504,57,72	604,58,17	550,15,04	648,06,89
VI बिक्री और अन्तरण को—ईंधन को छोड़कर भण्डार To Sales and Transfers—Stores other than fuel	295,12,85	278,76,90	310,67,00	312,85,54
जोड़ I से VI तक TOTAL I to VI	2210,23,87	2368,27,35	2509,82,90	2786,71,12

सभी रेलें

ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन

Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
VII राजस्व को—भण्डार ईंधन To Revenue—Stores Fuel				
(1) रेल इंजनों के लिए कोयले की निकासी को To issue of coal for locomotives	220,50,76	215,05,15	195,40,35	185,09,79
(2) रेल इंजनों के लिए ईंधन तेल की निकासी को To issue of fuel oil for locomotives	436,88,11	458,00,85	589,84,34	657,20,86
(3) अन्य कार्यों के लिए कोयला, कोक और ईंधन तेल की निकासी को To issue of coal, coke and fuel oil for other purposes	19,23,84	39,26,18	36,06,56	39,82,58
जोड़ (1) + (2) + (3) TOTAL (1) + (2) + (3)	676,62,71	712,32,18	821,31,25	882,13,23
VIII बिक्री और अन्तरण को—ईंधन To Sales and Transfers—Fuel	52,46,48	49,64,80	68,14,32	77,64,05
जोड़ 1 से 8 TOTAL—I to VIII	2939,33,06	3130,24,33	3399,28,47	3746,48,40
घटाइए—मांग के अन्तर्गत निकासी के लिए (दूसरी ओर की मद V के अनुसार) Deduct—for issues within the Demand vide item V per contra	1410,43,45	1484,42,28	1648,50,86	1825,28,69
जोड़—वर्ष के दौरान जमाखाते TOTAL—Credits during the year.	1528,89,61	1645,82,05	1750,77,61	1921,19,71
वर्ष के अन्त में प्रत्याशित शेष— Anticipated Balance at close of the year—				
क. भण्डार—ईंधन को छोड़कर: A. Stores—other than fuel				
(1) स्टाक में सामान Stores in stock	646,76,40	568,50,61	626,75,14	613,61,95
(2) पारवहन में सामान Stores in transit	60,20,06	34,34,70	40,28,11	42,97,44
(3) स्टाक समायोजन लेखे में बकाया Outstanding in Stock Adjustment Account	—49,04,38	—8,96,16	—22,85,40	—5,98,95

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में सामान का लेन-देन
Stores Transactions for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
(4) बकाया खरीद का उचंत शेष Outstanding Purchase Suspense Balance	111,00,38	114,65,17	122,63,26	131,30,43
(5) बकाया बिक्री का उचंत शेष Outstanding Sales Suspense Balance	—41,43,67	—39,18,97	—28,62,45	—29,83,72
जोड़—क TOTAL—A	727,48,79	669,35,35	738,18,66	752,07,15
ख. भण्डार—ईंधन B. Stores—Fuel				
(1) स्टाक में सामान Stores in stock	29,13,38	32,49,93	38,88,63	41,70,92
(2) पारवहन में सामान Stores in transit	3,49,32	—85,55	2,12,24	—2,78,76
(3) स्टाक समायोजन लेखे में बकाया Outstanding in Stock Adjustment Account	54,95	1,47,00	57,00	58,00
(4) बकाया खरीद का उचंत शेष Outstanding Purchase Suspense Balance	—5 55,86	—9,69,29	—8,65,85	—13,99,77
(5) बकाया बिक्री का उचंत शेष Outstanding Sales Suspense Balance	4,90,68	8,75,60	4,94,05	—1,90,22
जोड़—ख TOTAL—B	32,52,47	32,17,69	37,86,07	23,60,17
वर्ष के अन्त में शेष (क+ख) Balance at close of the year (A+B)	760,01,26	701,53,04	776,04,73	775,67,32
कुल जोड़ GRAND TOTAL	2288,90,87	2347,35,09	2526,82,34	2696,87,03
वर्ष में नाम खाते या जमा खाते की शुद्ध रकम : Net Debit or Credit during the year :	119,27,80	26,17,53	16,03,47	—37,41
बजट के लिए अपेक्षित रकम : Budget allotment required	1648,17,41	1671,99,58	1766,81,08	1920,82,30
टर्न ओवर अनुपात (ईंधन को छोड़कर) Turnover ratio other than fuel	32.91	28.26	29.41	26,99
टर्न ओवर अनुपात (ईंधन सहित) Turnover ratio (including fuel)	25.85	22.41	22.83	20,70

सभी रेलें
ALL RAILWAYS
1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष के शुरू में शेष *Balance at commencement of the year :*				
क. निर्माण उचंत A. Manufacture Suspense				
(1) चालू निर्माण-कार्य Works in progress	187,06,30	216,21,05	228,89,72	266,20,38
(2) वसूल की जाने वाली बकाया राशि Amounts outstanding for realisation	2,54,80	85,80	4,18,01	1,77,88
(3) पूरे किये गये निर्माण-कार्यों के लिए प्रोद्भूत होने वाले बिल/नाम खाते Bills/debits to be raised for works completed	93,81	1,53,58	4,43,42	2,51,73
जोड़—क TOTAL—A	190,54,91	218,60,43	237,51,15	270,49,99
ख. विकास उचंत B. Development Suspense	—29,67,23	—38,86,95	—42,06,03	—48,02,81
जोड़ (क+ख) TOTAL (A+B)	160,87,68	179,73,48	195,45,12	222,47,18
वर्ष में नाम खाते Debits during the year				
1. रेल इंजन कारखाने 1. Locomotive Workshops				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	219,87,90	236,46,74	241,68,98	259,49,93
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	632,35,17	672,32,59	746,33,04	801,89,48
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	28,41,91	39,05,11	41,25,70	46,86,48
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	16,94,08	19,19,64	20,54,58	29,03,05
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	53,63,95	64,25,46	60,58,83	65,71,87
जोड़ TOTAL	951,23,01	1031,29,54	1110,41,13	1203,00,81

सभी रेलें

ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य

Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)

(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
II. सवारी और माल डिब्बा कारखाने Carriage and Wagon Workshops				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	276,55,26	293,17,21	303,84,89	330,54,75
(2) सामान और भंडार (भण्डार उचंत में) Material and Stores (from Stores Suspense)	516,42,01	529,95,02	612,88,68	713,39,04
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	41,29,51	50,76,99	62,40,02	78,51,53
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	2,31,90	5,97,54	5,92,77	8,89,60
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	73,33,35	77,80,83	79,20,95	86,49,23
जोड़ TOTAL	909,92,03	957,67,59	1064,27,31	1217,84,15
III. इंजीनियरी कारखाने Engineering Workshops				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	27,23,30	27,47,92	28,74,92	30,72,90
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	18,78,18	18,87,59	19,65,07	20,19,
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	142,01,57	151,36,12	180,26,06	179,78,05
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	..	..	...	...
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	13,29,20	14,00,17	13,08,21	13,14,78
जोड़ TOTAL	201,32,25	211,71,80	241,74,26	243,85,60

सभी रेलें
ALL RAILWAYS
1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
IV. बिजली कारखाने Electrical Workshops				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	22,47,36	24,89,80	25,81,23	28,37,05
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	35,14,69	37,23,14	36,35,93	37,85,75
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	19,25,28	23,01,92	26,13,16	26,24,17
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	..	..	..	..
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	7,73,39	8,16,87	8,54,67	8,57,28
जोड़ TOTAL	84,60,72	93,31,73	96 84,99	101,04,25
V. सिगनल और दूर-संचार कारखाने Signal and Telecom. Workshops				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	16,57,95	16,73,60	18,02,62	19,42,63
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	8,27,12	8,30,52	10,51,50	10,86,00
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	4,63,60	4,85,68	5,00,80	4,92,00
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	...	..	..	..
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	3,09,57	2,58,50	2,64,50	2,90,80
जोड़ TOTAL	32,58,24	32,48,30	36,19,42	38,11,43
VI. छापाखाना Printing Press				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	14,50,03	15,27,84	15,04,63	15,80,03
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	10,21,04	12,19,65	12,13,74	12,85,62

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	1,99,24	1,83,96	3,42,77	2,95,56
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	..	..	..	..
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	2,40,92	1,37,00	1,46,08	1,41,58
जोड़ TOTAL	29,11,23	30,68,45	32,07,22	33,02,79
VII. कपड़ा काटने का कारखाना Cloth Cutting Factory				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of shop labour etc.	57,27	84,50	86,70	90,73
(2) सामान और भण्डार (भण्डार उचंत से) Material and Stores (from Stores Suspense)	16,14,36	14,23,80	14,93,80	16,73,80
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	28	2,25	45	1,55
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	..	..	..	..
(5) विविध प्रभार Miscellaneous Charges	1,59	3,25	3,25	3,20
जोड़ TOTAL	16,73,50	15,13,80	15,84,20	17,69,28
VIII. पहिया और धुरा संयंत्र Wheel & Axle Plant				
(1) कारखाने के मजदूरों आदि को भुगतान Payment of Shop labour etc.	2,12,59	2,25,00	2,47,18	2,62,01
(2) सामान और भंडार (भंडार उचंत से) Material and stores (from stores suspense)	63,66,68	90,09,05	90,13,16	95,04,94
(3) सीधे खरीदे गये सामान और समायोजन Materials by direct purchase and adjustment	5,98,43	3,50,00	4,27,99	4,75,75
(4) का०नि०उ० को प्रभारित निर्माण-कार्यों के लिए परिव्यय Outlay for works charged to WMS	—	..	—	—

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

नाम खाता DEBITS	वास्तविक Actuals, 1989-80	बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates 1991-92
(5) विविध प्रभार Miscellaneous charges	21,35,91	25,48,81	24,90,56	23,54,07
जोड़—8 TOTAL—VIII	93,13,61	121,32,86	121,78,89	125,96,77
जोड़—I से VIII TOTAL—I to VIII	2318,64,59	2493,64,07	2719,17,42	2980,55,08
IX. घटाइए—विनिर्माण उचंत से मांग के अंतर्गत सेवा/निर्माण-कार्यों की निकासी के लिए Deduct—For issues from Manufacture Suspense to services/works within the Demand				
(1) निर्माण-कार्यों के लिए निकासी Issues to Works	207,35,64	249,41,45	275,82,60	301,44,51
(2) भण्डार उचंत के लिए निकासी Issues to Stores Suspense	385,60,90	404,25,88	457,19,32	459,77,10
जोड़—(1)+(2) TOTAL (1)+(2)	592,96,54	653,67,33	733,01,92	761,21,61
जोड़—वर्ष में नाम खाते TOTAL—Debits during the year	1725,68,05	1839,96,74	1986,15,50	2219,33,47
कुल जोड़ GRAND TOTAL	1886,55,73	2019,70,22	2181,60,62	2441,80,65

सभी रेलें

ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य

Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals, 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष में जमा खाते Credits during the year—				
I. निर्माण कार्यों को— To Works—				
(1) रेल इंजन चल-स्टाक Locomotive Rolling Stock	14,14,86	22,81,79	16,95,09	26,03,48
(2) सवारी और माल डिब्बा चल स्टाक Carriage and Wagon Rolling Stock	32,78,82	41,61,17	37,08,73	43,22,90
(3) इंजीनियरी और संरचना संबंधी निर्माण-कार्य Engineering and Structural Works	138,40,61	175,55,52	210,43,09	219,93,71
(4) संयंत्र और उपस्कर Plant and Equipment	32,22	33,39	54,50	32,78
(5) अन्य निर्माण-कार्य Other Works	21,69,13	9,09,58	10,81,19	11,91,64
जोड़—निर्माण-कार्य TOTAL—WORKS	207,35,64	249,41,45	275,82,60	301,44,51
II. पूंजी—भंडार उचंत को—स्टाक के लिए विनिर्माण To Capital—Stores Suspense—Manufacture for Stock				
(1) रेल इंजन कारखाने Locomotive Shops	179,28,01	208,54,94	238,58,45	237,02.82
(2) सवारी और माल डिब्बा कारखाना Carriage and Wagon Shops	92 75,12	89,86,53	100,68,83	105,49,30
(3) इंजीनियरी कारखाने Engineering Shops	3,06,98	3,31,02	3,38,48	3,38,48
(4) बिजली कारखाने Electrical Shops	5,43	6,50	8,00	9,50
(5) सिगनल और दूर संचार कारखाने Signal and Telecommunication Shops	9,76,11	9,60,10	10,46,05	10,76,85
(6) अन्य विनिर्माण Other Manufacture	14,77,83	14,46,44	13,05,19	13,64,00
(7) स्टाक में वापस की गयी विनिर्मुक्त सामग्री Released material returned to stock	85,91,42	78,40,35	90,94,32	89,36,15
जोड़—भण्डार उचंत TOTAL	385,60,90	404,25,88	457,19,32	459,77,10

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
III. राजस्व को— To Revenue—				
(1) रेल इंजन चल स्टाक की मरम्मत (भाप) Repairs of Locomotive Rolling Stock (Steam) .	56,44,24	54,92,58	52,99,13	53,93,19
(2) रेल इंजन चल स्टाक की मरम्मत (डीजल) Repairs of Locomotive Rolling Stock (Diesel) .	62,44,62	68,40,88	70,41.61	84,99,56
(3) रेल इंजन चल स्टाक की मरम्मत (बिजली) Repairs of Locomotive Rolling Stock (Electric) .	24,14,08	18,81,12	29,25,62	37,68,56
(4) सवारी डिब्बा चल स्टाक की मरम्मत Repairs to Carriage Rolling Stock	262,21,53	266,57,57	269,40,54	291,70,81
(5) बिजली गाड़ी चल स्टाक की मरम्मत Repairs to EMU Rolling Stock	58,02,79	63,33,58	62,86,42	69,20,65
(6) माल डिब्बा स्टाक की मरम्मत Repairs to Wagon Rolling Stock	73,34,73	76,00,31	76,39,13	91,06,75
(7) इंजीनियरी और संरचना संबंधी निर्माण-कार्य Engineering and Structural Works	21,07,21	12,14,79	6,46,72	4,61,50
(8) संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत Repairs of Plant and Equipment	44,85,68	45,06,21	47,48,78	53,56,41
(9) राजस्व के लिए विविध विनिर्माण-कार्य Miscellaneous Manufacture for Revenue . .	116,56,77	130,83,24	126,45,48	125,37,25
जोड़—राजस्व TOTAL—REVENUE	719,11,65	736,10,28	741,73,43	812,14,68
इतर रेलों, सरकारी विभागों और जनता के लिए किये गये काम IV Work done for Foreign Railways, Govt. Departments and the Public—				
(1) रेल इंजन कारखाने Locomotive Shops	482,59,06	514,91,35	537,33,90	594,95,66
(2) सवारी और माल डिब्बा कारखाने Carriage and Wagon Shops	379,25,98	431,35,14	529,62,69	631,46,23

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य
Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
(3) अन्य कारखाने Other Shops	122,89,12	143,74,56	150,43,41	153,03,78
जोड़—इतर रेलें आदि TOTAL—Foreign Railways etc.	984,74,16	1090,01,05	1217,40,00	1379,45,67
जोड़—I से IV TOTAL—I to IV	2296,82,35	2479,78,66	2692,15,35	2952,81,96
घटाइए—मांग के अन्तर्गत निकासी के लिए दूसरी ओर की मद VIII के अनुसार Deduct for issues within the Demand vide item VIII per contra	592,96,54	653,67,33	733,01,92	761,21,61
जोड़—वर्ष में जमा खाते TOTAL—Credits during the year	1703,85,81	1826,11,33	1959,13,43	2191,60,35

सभी रेलें

ALL RAILWAYS

1991-92 में विनिर्माण-कार्य

Manufacture Operations for 1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

जमा खाता CREDITS	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष के अन्त में प्रत्याशित शेष: Anticipated balance at close of the year :				
क. विनिर्माण उचंत A. Manufacture Suspense				
(1) चालू-निर्माण-कार्य Works-in-progress	215,24,74	218,65,73	260,53,24	275,97,08
(2) वसूल की जाने वाली बकाया राशि Amounts outstanding for realisation	89,44	1,14,18	1,77,88	1,92,70
(3) पूरे किये गये निर्माण-कार्यों के लिए प्रोद्भूत होने वाले बिल/नाम खाते Bills/debits to be raised for works completed	8,61,77	8,23,30	8,18,87	7,19,16
जोड़—क TOTAL—A	224,75,95	228,03,21	270,49,99	285,08,94
ख. विकास उचंत B. Development Suspense	—42,06,03	—34,44,32	—48,02,80	—34,88,64
जोड़ (क—(ख) TOTAL (A+B)	182,69,92	193,58,89	222,47,19	250,20,30
कुल जोड़ GRAND TOTAL	1886,55,73	2019,70,22	2181,60,62	2441,80,65
शुद्ध—वर्ष के दौरान नामे या जमा Net—Debit or Credit during the year	21,82,24	13,85,41	27,02,07	27,73,12
बजट के लिए अपेक्षित रकम Budget Allotment required	1725,68,05	1839,96,74	1986,15,50	2219,33,47

सभी रेलें
ALL RAILWAYS

विविध अग्रिम—1991-92
Miscellaneous Advances—1991-92

(हजार रुपयों में)
(Figures in thousands of rupees)

विवरण Description	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget Estimates, 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92
वर्ष के शुरू में शेष Balance at commencement of the year	45,47,10	65,64,15	58,52,92	48,47,38
वर्ष के दौरान नाम खाते Debits during the year	263,64,47	276,72,14	236,22,04	298,95,46
जोड़ TOTAL	309,11,57	342,36,29	294,74,96	347,42,84
वर्ष में जमा खाते Credits during the year	250,58,65	266,75,08	246,27,58	271,31,17
वर्ष के दौरान नाम खाते या जमा खाते की शुद्ध रकम Net Debit or Credit during the year	13,05,82	9,97,06	—10,05,54	27,64,29
वर्ष के अंत में प्रत्याशित शेष Anticipated Balance at close of the year	58,52,92	75,61,21	48,47,38	76,11,67
जोड़ TOTAL	309,11,57	342,36,29	294,74,96	347,42,84
बजट के लिए अपेक्षित रकम Budget allotment required	263,64,47	276,72,14	236,22,04	298,95,46

MGIPRRND—S/101 RB/91—TSS II—13-7-91—4500

Memorandum Explaining the Proposals for Adjustments in Goods Freight Rates and Parcels and Luggage Rates in the Railway Budget 1991-92

जैसा कि रेल मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है। रेल मंत्री द्वारा बजट भाषण में यथाघोषित भाड़ा दरों, पार्सल दरों तथा यात्री किरायों में समायोजनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. माल भाड़ा दरें

1.1 खाने का नमक, खाद्य तेलों, खाद्यान्न, दालों, चीनी, गुड़ तथा जागरी, फलों और सब्जियों, मिट्टी का तेल और डीजल तेल को छोड़कर सभी वस्तुओं की भाड़ा दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

2. पार्सल तथा सामान की दरें

2.1 पार्सल तथा सामान (सभी वस्तुओं) की वर्तमान दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

3. यात्री किराये

3.1 ऊंचे दर्जे

3.2 वातानुकूल पहले दर्जे, वातानुकूल शयनयान, पहला दर्जा तथा वातानुकूल कुर्सीयान के वर्तमान किरायों में 800 कि०मी० की दूरी तक 20 प्रतिशत और 800 कि०मी० से आगे के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

3.3 दूसरा दर्जा साधारण तथा दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस

3.3.1 साधारण दूसरे दर्जे के किरायों में न्यूनतम स्लैब पर 1.00 रुपये की तथा 11 कि०मी० से 60 कि०मी० तक के दूरी-क्षेत्र में मामूली समायोजन करते हुए 400 कि०मी० से अधिक दूरियों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाकर 5.00 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बहरहाल, 1 से 10 कि०मी० तक के दूरी-स्लैब में कोई वृद्धि नहीं होगी। दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के किरायों में न्यूनतम स्लैब पर एक रुपये की वृद्धि तथा 1300 कि०मी० से अधिक की दूरियों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ाकर अधिकतम 20.00 रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध I में दिया गया है।

4. प्रतिनिधि दूरियों तथा स्टेशनों की कतिपय जोड़ियों के बीच अलग-अलग दर्जों में यात्रा के लिए प्रस्तावित किरायों तथा वर्तमान किरायों का तुलनात्मक ब्यौरा अनुबंध II, III तथा IV में दिया गया है।

As explained in the Budget Speech of the Minister of Railways, there is an urgent need for mobilising additional resources. The details of adjustments in freight rates, parcel rates, and passenger fares, as announced by the Minister of Railways in the Budget Speech, are indicated below :—

1. *Freight Rates*

1.1 It is proposed to increase freight rates for all commodities except salt for human consumption, edible oils, foodgrains, pulses, sugar, gur and jaggery, fruits and vegetables, kerosene and diesel oil by 10%.

2. *Parcel and Luggage Rates*

2.1 The present rates for parcel and luggage (all commodities) are proposed to be increased by 10%.

3. *Passenger Fares*

3.1 *Upper Classes*

3.2 The existing fares for Air-Conditioned First Class, Air-Conditioned Sleeper, First Class and Air-Conditioned Chair Car are proposed to be increased by 20% upto a distance of 800 km and by 15% beyond 800 km.

3.3 *Second Class Ordinary and Second Class Mail/Express*

3.3.1 The fares of Second Class Ordinary are proposed to be increased by Re. 1.00 at the lowest slab, rising progressively to Rs. 5.00 for distances beyond 400 km, with marginal adjustments in the 11 km to 60 km distance zone However, there will be no increase in the distance slab of 1 to 10 km. The fare of Second Class Mail/Express is proposed to be increased by Re. 1.00 at the lowest slab, rising progressively to a maximum of Rs. 20.00 for distances beyond 1300 km. The details of these proposals are given in Annexure I.

4. The proposed fares for representative distances and between certain pairs of stations for travel in different classes as compared to the existing fares are shown in Annexures II, III and IV.

S/104 RB/91—1

5. राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये

5.1 राजधानी, नई दिल्ली–बम्बई ए.सी. एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के किराये में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इन गाड़ियों के वर्तमान और प्रस्तावित किरायों का ब्यौरा अनुबंध V और VI में दिया गया है।

6. मासिक सीजन टिकट

6.1 दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराये में यात्रा की दूरी के अनुसार प्रति टिकट 4.00 रुपये से 16.00 रुपये तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। पहले दर्जे के मासिक सीजन टिकटों के किराये में यह वृद्धि यात्रा-दूरी के आधार पर प्रति टिकट 16.00 रुपये से 64.00 रुपये के बीच होगी। इन प्रस्तावों का ब्यौरा अनुबंध VII में दिया गया है।

6.2 विभिन्न दूरी स्लैबों के लिए दूसरे दर्जे और पहले दर्जे के वर्तमान और प्रस्तावित मासिक सीजन टिकटों के किरायों का ब्यौरा अनुबंध VIII में दिया गया है।

7. किराये और माल भाड़े और पार्सल तथा सामान की दरों में ये परिवर्तन 16-8-1991 से लागू होंगे।

5. Rajdhani Fares and Fares for Shatabdi Expresses

5.1 Fares for Rajdhani Express, New Delhi—Bombay A. C. Express and Shatabdi Express trains are also proposed to be increased. Details of the existing and proposed fares for these trains are given at Annexures V and VI.

6. Monthly Season Tickets

6.1 Second Class Monthly Season Ticket fares are proposed to be increased by Rs. 4.00 to Rs. 16.00 per ticket according to the distance travelled. The increases in the case of First Class Monthly Season Tickets are proposed to range between Rs. 16.00 and Rs. 64.00 per ticket depending upon the distance. The details of these proposals are given in Annexure VII.

6.2 The existing and proposed Monthly Season Ticket fares for Second Class and First Class for various distance slabs are shown in Annexure VIII.

7. The changes in fare and freight rates and parcel & luggage rates will take effect from 16-8-1991.

अनुबंध I

ANNEXURE I

दूसरा दर्जा साधारण और दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के किरायों में निम्न प्रकार से वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

Increases in Second Class Ordinary and Second Class Mail/Express fares are proposed to be made as under:-

क्रम सं० Sl. No.	दर्जा Class	दूरी स्लैब Distance Slab (कि० मी०) (Kms.)	प्रति टिकट वृद्धि Increase per Ticket रु० पै० Rs. P.
1	2	3	4
1.	दूसरा दर्जा (साधारण) Second Class (Ordinary)	1—10	कोई वृद्धि नहीं No increase
		11—100	1.00 मामूली समायोजनों सहित With marginal adjustments
		101—200	2.00
		201—300	3.00
		301—400	4.00
		401 और इससे अधिक 401 and above	5.00
2.	दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस Second Class Mail/Express	1—25	1.00
		26—50	2.00
		51—100	3.00
		101—150	4.00
		151—200	5.00
		201—250	6.00
		251—300	7.00
		301—350	8.00
		351—400	9.00
		401—450	10.00
		451—500	11.00
		501—600	12.00
		601—700	13.00
		701—800	14.00
		801—900	15.00
		901—1000	16.00
		1001—1100	17.00
		1101—1200	18.00
		1201—1300	19.00
		1301 और इससे अधिक 1301 and above	20.00

अनुबंध II

ANNEXURE-II

प्रतिनिधि दूरियों के लिए दूसरा दर्जा (साधारण) और दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस के संबंध में वर्तमान और प्रस्तावित यात्री किराये
Existing and Proposed Passenger Fares for Second Class (Ordinary) and Second Class Mail/Express for Representative Distances

दूरी Distance कि० मी० Kms.	दूसरा दर्जा (साधारण) Second Class (Ordinary)		दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रेस Second Class Mail/Express	
	वर्तमान किराया Existing Fare रु० पै० Rs. P.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु० पै० Rs. P.	वर्तमान किराया Existing Fare रु० पै० Rs. P.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु० पै० Rs. P.
1	2	3	4	5
1—10	1.50	1.50	5.00	6.00
11—15	2.00	3.00	5.00	6.00
16—25	3.00	3.00	6.00	7.00
26—30	4.00	5.00	8.00	10.00
31—33	4.00	5.00	8.00	10.00
34—40	5.00	5.00	8.00	10.00
41—45	5.00	7.00	9.00	11.00
46—50	5.00	7.00	9.00	11.00
51—60	7.00	7.00	13.00	16.00
80	9.00	10.00	15.00	18.00
100	10.00	11.00	16.00	19.00
150	14.00	16.00	25.00	29.00
200	18.00	20.00	32.00	37.00
250	23.00	26.00	37.00	43.00
300	25.00	28.00	43.00	50.00
350	29.00	33.00	50.00	58.00
400	31.00	35.00	55.00	64.00
450	33.00	38.00	61.00	71.00
500	36.00	41.00	65.00	76.00
600	40.00	45.00	72.00	84.00
700	44.00	49.00	82.00	95.00
800	49.00	54.00	93.00	107.00
900	53.00	58.00	99.00	114.00
1000	57.00	62.00	106.00	122.00
1100	61.00	66.00	111.00	128.00
1200	64.00	69.00	117.00	135.00
1300	68.00	73.00	121.00	140.00
1400	71.00	76.00	127.00	147.00
1600	77.00	82.00	136.00	156.00
1800	84.00	89.00	146.00	166.00
2000	91.00	96.00	156.00	176.00
2250	99.00	104.00	168.00	188.00
2500	107.00	112.00	180.00	200.00
3000	124.00	129.00	204.00	224.00

अनुबंध III

ANNEXURE III

प्रतिनिधि दूरियों के लिए वातानुकूल पहला दर्जा, वातानुकूल शयनयान, पहला दर्जा और वातानुकूल कुर्सीयान के संबंध में वर्तमान और प्रस्तावित यात्री किराये

Existing and Proposed Passenger Fares for Air-Conditioned First Class, Air-Conditioned Sleeper, First Class and Air-Conditioned Chair Car for Representative Distances

दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air-Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car	
	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare	वर्तमान किराया Existing Fare	प्रस्तावित किराया Proposed Fare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कि० मी० (Kms.)	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
50	100	120	81	98	45	54	31	38
100	160	192	109	131	70	84	43	52
150	196	236	135	162	91	110	59	71
200	242	291	160	192	112	135	68	82
250	292	351	187	225	135	162	86	104
300	340	408	212	255	157	189	96	116
350	389	467	239	287	180	216	108	130
400	435	522	264	317	201	242	117	141
450	473	568	285	342	217	261	133	160
500	514	617	301	362	236	284	140	168
600	590	708	356	428	270	324	158	190
700	666	800	394	473	305	366	176	212
800	745	894	438	526	341	410	192	231
900	814	937	472	543	371	427	209	241
1000	878	1010	506	582	403	464	223	257
1100	947	1090	562	647	432	497	245	282
1200	1014	1167	595	685	461	531	259	298
1300	1071	1232	621	715	490	564	272	313
1400	1130	1300	650	748	515	593	286	329
1600	1259	1448	714	822	567	653	312	359
1800	1364	1569	762	877	621	715	339	390
2000	1477	1699	810	932	673	774	363	418
2250	1622	1866	871	1002	740	851	397	457
2500	1766	2031	931	1071	805	926	429	494
3000	2056	2365	1049	1207	935	1076	493	567
3500	2343	2695	1168	1344	1066	1226	560	644
4000	2633	3028	1289	1483	1200	1380	624	718

अनुबन्ध IV
ANNEXURE IV

चुनिंदा जोड़ी स्टेशनों के बीच वर्तमान और प्रस्तावित किराये
Existing and Proposed Fares between selected pairs of stations

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि०मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
1.	नयी दिल्ली—बम्बई सेंट्रल New Delhi—Bombay Central	1389	1130	1300	650	748	515	593	286	329	127	147
2.	नयी दिल्ली—बेंगलूर New Delhi—Bangalore	2462	1746	2008	921	1060	795	915	425	489	178	198
3.	नयी दिल्ली—तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल New Delhi—Trivandrum Central	3054	2114	2432	1073	1234	962	1107	507	584	210	230
4.	नयी दिल्ली—भुवनेश्वर New Delhi—Bhubaneswar	1864	1399	1609	777	894	637	733	346	398	149	169
5.	नयी दिल्ली—लखनऊ New Delhi—Lucknow	507	522	627	328	394	239	287	144	173	68	80
6.	नयी दिल्ली—पटना New Delhi—Patna	1001	899	1034	542	624	410	472	233	268	108	125
7.	नयी दिल्ली—अहमदाबाद (ब. ला.) New Delhi—Ahmedabad (BG)	1098	947	1090	562	647	432	497	245	282	111	128
8.	नयी दिल्ली—हावड़ा New Delhi—Howrah	1441	1158	1332	663	763	531	611	293	337	130	150
9.	नयी दिल्ली—गुवाहाटी New Delhi—Guwahati	1979	1477	1699	810	932	673	774	363	418	156	176
10.	नयी दिल्ली—भोपाल New Delhi—Bhopal	705	677	813	410	492	309	371	178	214	86	100
11.	नयी दिल्ली—चंडीगढ़ New Delhi—Chandigarh	266	312	375	201	242	144	173	89	107	40	47

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि०मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
12.	नयी दिल्ली—जयपुर New Delhi—Jaipur	308	350	420	222	267	161	194	99	119	47	55
13.	नयी दिल्ली—मद्रास सेन्ट्रल New Delhi—Madras Central	2190	1592	1831	858	987	726	835	390	449	165	185
14.	नयी दिल्ली—सिकन्दराबाद New Delhi—Secunderabad	1680	1304	1500	740	851	596	686	325	374	141	161
15.	आगरा छावनी—नयी दिल्ली Agra Cantt.—New Delhi	196	242	291	160	192	112	135	68	82	32	37
16.	नागपुर—नयी दिल्ली Nagpur—New Delhi	1094	947	1090	562	647	432	497	245	282	111	128
17.	नागपुर—बम्बई वी टी Nagpur—Bombay VT	829	763	894	451	526	348	410	197	231	95	110
18.	बम्बई वी टी—पुणे Bombay VT—Pune	191	239	287	158	190	110	132	68	82	32	37
19.	बम्बई वी टी—मद्रास Bombay VT—Madras	1279	1071	1232	621	715	490	564	272	313	121	140
20.	बम्बई वी टी—हवड़ा Bombay VT—Howrah	2172	1573	1809	850	978	717	825	385	443	164	184
21.	बम्बई वी टी—भोपाल Bombay VT—Bhopal	837	773	894	457	526	355	410	201	232	96	111
22.	बम्बई वी टी—आगरा छावनी Bombay VT—Agra Cantt.	1346	1101	1267	638	734	502	578	280	322	125	145
23.	पुणे—नयी दिल्ली Pune—New Delhi	1594	1259	1448	714	822	567	653	312	359	136	156
24.	हवड़ा—पटना Howrah—Patna	533	552	663	340	408	252	303	149	179	70	82
25.	हवड़ा—मद्रास Howrah—Madras	1683	1304	1500	740	851	596	686	325	374	141	161
26.	गया—हवड़ा Gaya—Howrah	457	485	582	288	346	222	267	135	162	63	74

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि० मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
27.	हवड़ा—धनबाद Howrah—Dhanbad	259	301	362	196	236	139	167	87	105	39	46
28.	हवड़ा—अमृतसर Howrah—Amritsar	1910	1428	1643	791	910	652	750	354	408	152	172
29.	दिल्ली—कानपुर Delhi—Kanpur	435	473	568	285	342	217	261	133	160	61	71
30.	नयी दिल्ली—इलाहाबाद New Delhi—Allahabad	636	629	755	377	453	287	345	167	201	79	92
31.	जम्मू तवी—बम्बई वी टी Jammu Tawi—Bombay VT	1975	1457	1676	803	924	665	765	360	414	154	174
32.	वाराणसी—हवड़ा Varanasi—Howrah	678	659	791	390	468	301	362	175	210	81	94
33.	जम्मू तवी—अहमदाबाद Jammu Tawi—Ahmedabad	1522	1229	1414	697	802	548	631	301	347	133	153
34.	अमृतसर—दादर (मैं० रेलवे मार्ग) Amritsar—Dadar (C. Rly Route)	1982	1477	1699	810	932	673	774	363	418	156	176
35.	अमृतसर—बम्बई (फं० मेल) Amritsar—Bombay (F. Mail)	1902	1428	1643	791	910	652	750	354	408	152	172
36.	अमृतसर—नयी दिल्ली Amritsar—New Delhi	448	473	568	285	342	217	261	133	160	61	71
37.	मेरठ छावनी—दिल्ली Meerut Cantt.—Delhi	68	125	150	96	116	55	66	36	44	14	17
38.	लुधियाना—नयी दिल्ली (वरास्ता पानीपत) Ludhiana—New Delhi (via Panipat)	312	359	431	226	272	165	198	100	120	48	56
39.	गोरखपुर—नयी दिल्ली Gorakhpur—New Delhi	789	734	881	433	520	335	402	191	230	92	106

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air-Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि० मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
40.	गोरखपुर—हवड़ा Gorakhpur—Howrah	892	814	937	472	543	371	427	209	241	99	114
41.	गुवाहाटी (टी एस के)—नयी दिल्ली Guwahati (TSK)—New Delhi	2052	1514	1742	827	952	691	795	373	429	159	179
42.	न्यू जलपाईगुड़ी—गुवाहाटी New Jalpaiguri—Guwahati	424	466	560	282	339	215	258	132	159	60	70
43.	गुवाहाटी—तिनसुखिया Guwahati—Tinsukhia	546	552	663	340	408	252	303	149	179	70	82
44.	मद्रास एगमोर—तिरुच्चिरापल्ली Madras Egmore—Tiruchchirappalli	336	378	454	233	280	174	209	105	126	49	57
45.	मद्रास—तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल Madras—Trivandrum Central	907	821	945	481	554	376	433	210	242	100	116
46.	मद्रास—बेंगलूर Madras—Bangalore	358	396	476	247	297	183	220	109	131	52	61
47.	बेंगलूर—बम्बई Bangalore—Bombay	1211	1025	1179	601	692	468	539	261	301	118	137
48.	तिरुवनंतपुरम सेन्ट्रल—गुवाहाटी Trivandrum Central—Guwahati	3574	2401	2762	1193	1372	1093	1257	573	659	234	254
49.	सिकंदराबाद—तिरुपति Secunderabad—Tirupati	741	706	848	422	507	322	387	184	221	88	102
50.	वास्को-डा-गामा—निजामुद्दीन Vascodagama—Nizamuddin	2197	1592	1831	858	987	726	835	390	449	165	185
51.	सिकन्दराबाद—मद्रास Secunderabad—Madras	790	734	881	433	520	335	402	191	230	92	106
52.	विशाखापटनम—निजामुद्दीन Visakhapatnam—Nizamuddin	1913	1428	1643	791	910	652	750	354	408	152	172

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-Conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air-Conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि०मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
53.	विजयवाड़ा—नयी दिल्ली Vijayawada—New Delhi	1759	1358	1562	755	869	612	704	333	383	144	164
54.	सिकन्दराबाद—बेंगलूर Secunderabad—Bangalore	791	745	894	438	526	341	410	192	231	93	107
55.	सिकन्दराबाद—काकीनाडा Secunderabad—Kakinada	575	580	696	353	424	266	320	157	189	72	84
56.	सिकन्दराबाद—गुंटूर Secunderabad—Guntur	392	435	522	264	317	201	242	117	141	55	64
57.	बिलासपुर—नयी दिल्ली Bilaspur—New Delhi	1507	1229	1414	697	802	548	631	301	347	133	153
58.	पुरी—नयी दिल्ली Puri—New Delhi	2134	1565	1800	846	973	713	820	384	442	163	183
59.	नागपुर—हवड़ा Nagpur—Howrah	1132	975	1122	580	667	445	512	251	289	113	131
60.	रांची—हवड़ा Ranchi—Howrah	412	454	545	277	333	209	251	128	154	60	70
61.	पुरी—हवड़ा Puri—Howrah	522	543	652	337	405	250	300	148	178	69	81
62.	टाटानगर—हवड़ा Tatanagar—Howrah	251	301	362	196	236	139	167	87	105	39	46
63.	बम्बई सेंट्रल—वडोदरा Bombay Central—Vadodara	393	435	522	264	317	201	242	117	141	55	64
64.	अजमेर—दिल्ली Ajmer—Delhi	444	473	568	285	342	217	261	133	160	61	71
65.	बम्बई सेंट्रल—अहमदाबाद Bombay Central—Ahmedabad	491	514	617	301	362	236	284	140	[illegible]	65	76
66.	उदयपुर—नयी दिल्ली Udaipur—New Delhi	746	706	848	422	507	322	387	184	221	88	102

क्रम सं Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	दूरी Distance	वातानुकूल पहला दर्जा Air-conditioned First Class		वातानुकूल शयनयान Air conditioned Sleeper		पहला दर्जा First Class		वातानुकूल कुर्सीयान Air Conditioned Chair Car		दूसरा दर्जा (मेल/एक्सप्रेस) Second Class (Mail/Express)	
			वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कि० मी० Kms.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
67.	अहमदाबाद—दिल्ली (मी. ला.) Ahmedabad—Delhi (MG)	936	841	968	488	562	383	441	216	249	102	118
68.	इन्दौर—बम्बई Indore—Bombay	829	763	894	451	526	348	410	197	231	95	110
69.	बम्बई सेंट्रल—सूरत Bombay Central—Surat	263	312	375	201	242	144	173	89	107	40	47
70.	बम्बई वी. टी.—वाराणसी Bombay V.T.—Varanasi	1496	1187	1366	673	774	541	623	299	344	132	152

अनुबंध V
ANNEXURE V

राजधानी एक्सप्रेस और नई दिल्ली-बम्बई ए. सी. एक्सप्रेस गाड़ियों के वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares for Rajdhani Expresses and New Delhi-Bombay AC Express Train.

क्रम सं० Sl. No.	जोड़ी स्टेशन Pairs of Stations	वातानुकूल पहला दर्जा Airconditioned First Class		वातानुकूल शयनयान A.C. Sleeper		वातानुकूल कुर्सीयान A.C. Chair Car	
		वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7	8
		रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
1.	नई दिल्ली—बम्बई सेंट्रल New Delhi—Bombay Central	1460	1690	820	975	410	480
2.	नई दिल्ली—वडोदरा New Delhi—Vadodara	1160	1335	650	760	335	385
3.	कोटा—बम्बई सेंट्रल Kota—Bombay Central	1090	1255	630	725	325	375
4.	नई दिल्ली—रतलाम New Delhi—Ratlam	965	1155	550	650	290	350
5.	बम्बई सेंट्रल—रतलाम Bombay Central—Ratlam	885	1065	510	635	270	325
6.	नई दिल्ली—कोटा New Delhi—Kota	680	825	395	495	220	265
7.	बम्बई सेंट्रल—वडोदरा Bombay Central—Vadodara	605	730	350	450	190	240
8.	नई दिल्ली—हवड़ा New Delhi—Howrah	1490	1725	835	995	420	490
9.	नई दिल्ली—धनबाद New Delhi—Dhanbad	1330	1525	755	880	375	430
10.	हवड़ा—कानपुर सेंट्रल Howrah—Kanpur Central	1195	1370	695	810	350	405
11.	नई दिल्ली—मुगलसराय New Delhi—Mughalsarai	1000	1195	570	665	300	360
12.	हवड़ा—मुगलसराय Howrah—Mughalsarai	895	1075	510	640	270	325
13.	नई दिल्ली—कानपुर सेंट्रल New Delhi—Kanpur Central	655	790	370	480	205	255
14.	हवड़ा—धनबाद Howrah—Dhanbad	450	540	270	345	150	180
15.	नई दिल्ली—इलाहाबाद New Delhi—Allahabad	875	1050	500	625	265	320
16.	हवड़ा—इलाहाबाद Howrah—Allahabad	1040	1200	590	700	310	355
17.	नई दिल्ली—सवाई माधोपुर New Delhi—Sawai Madhopur	600	720	350	430	195	235
18.	बम्बई—सवाई माधोपुर Bombay—Sawai Madhopur	1205	1380	705	815	355	410
19.	नई दिल्ली—सूरत New Delhi—Surat	1280	1470	745	860	370	425
20.	सूरत—बम्बई सेंट्रल Surat—Bombay Central	480	575	290	355	165	200

अनुबन्ध VI
ANNEXURE VI

शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के वातानुकूल कुर्सीयान और पहला दर्जा वातानुकूल कुर्सीयान (कार्यपालक दर्जा) के लिए वर्तमान और प्रस्तावित किराये

Existing and Proposed Fares for Shatabdi Expresses for A. C. Chair Car & First A.C. Chair Car (Executive Class)

क्रम सं० Sl. No.	स्टेशन Stations		वातानुकूल कुर्सीयान A.C. Chair Car		पहला दर्जा वातानुकूल कुर्सीयान (कार्यपालक दर्जा) First A.C. Chair Car (Executive Class)	
	से From	तक To	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed	वर्तमान Existing	प्रस्तावित Proposed
1	2	3	4	5	6	7
	लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस Lucknow Shatabdi Express		रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.	रु० Rs.
1.	कानपुर सेंट्रल Kanpur Central	लखनऊ Lucknow	70	85	140	170
2.	नई दिल्ली New Delhi	कानपुर सेंट्रल Kanpur Central	205	255	410	510
3.	नई दिल्ली New Delhi	लखनऊ Lucknow	215	270	430	540
	नई दिल्ली—कालका शताब्दी एक्सप्रेस New Delhi—Kalka Shatabdi Express					
4.	नई दिल्ली New Delhi	अम्बाला Ambala	130	165	260	330
5.	नई दिल्ली New Delhi	चंडीगढ़ Chandigarh	140	175	280	350
6.	नई दिल्ली New Delhi	कालका Kalka	150	185	300	370
7.	अम्बाला Ambala	चंडीगढ़ Chandigarh	65	80	130	160
8.	अम्बाला Ambala	कालका Kalka	80	95	160	190
9.	चंडीगढ़ Chandigarh	कालका Kalka	60	70	120	140
	भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस Bhopal Shatabdi Express					
10.	ग्वालियर Gwalior	झांसी Jhansi	75	90	150	180
11.	आगरा कैंट Agra Cantt	ग्वालियर Gwalior	80	95	160	190
12.	आगरा कैंट Agra Cantt	झांसी Jhansi	110	130	220	260
13.	नई दिल्ली New Delhi	आगरा कैंट Agra Cantt	130	165	260	330
14.	झांसी Jhansi	भोपाल Bhopal	160	200	320	'00
15.	नई दिल्ली New Delhi	ग्वालियर Gwalior	165	210	330	420
16.	ग्वालियर Gwalior	भोपाल Bhopal	180	225	360	450
17.	नई दिल्ली New Delhi	झांसी Jhansi	195	245	390	490
18.	आगरा कैंट Agra Cantt	भोपाल Bhopal	205	265	410	530
19.	नई दिल्ली New Delhi	भोपाल Bhopal	270	345	540	690

अनुबंध VII

ANNEXURE VII

दूसरा दर्जा और पहला दर्जा के मासिक सीज़न टिकट के किरायों में निम्न प्रकार से वृद्धि करने का प्रस्ताव है :—

Increases in Second Class and First Class Monthly Season Ticket fares are proposed to be made as under :–

दूरी स्लैब (कि० मी० में) Distance Slab (In Kms.)	दूसरा दर्जा Second Class	पहला दर्जा First Class
	रु० Rs.	रु० Rs.
1	2	3
1—5	4	16
6—10	5	20
11—15	6	24
16—20	7	28
21—25	8	32
26—30	9	36
31—35	10	40
36—40	11	44
41—45	12	48
46—50	13	52
51—60	14	56
61—70	15	60
71—80	16	64
81—90	16	64
91—100	16	64
101—110	16	64
111—120	16	64
121—130	16	64
131—140	16	64
141 और इससे अधिक/ 141 and above	16	64

अनुबंध VIII

ANNEXURE VIII

वर्तमान और प्रस्तावित मासिक सीज़न टिकट के किराये

Existing and Proposed Monthly Season Ticket Fares

दूरी स्लैब (कि० मी० में) Distance Slabs (In Kms.)	दूसरा दर्जा Second Class		पहला दर्जा First Class	
	वर्तमान किराया Existing Fare रु. Rs.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु. Rs.	वर्तमान किराया Existing Fare रु. Rs.	प्रस्तावित किराया Proposed Fare रु. Rs.
1	2	3	4	5
1—5	24	28	87	103
6—10	30	35	109	129
11—15	36	42	130	154
16—20	42	49	156	184
21—25	46	54	170	202
26—30	49	58	182	218
31—35	54	64	200	240
36—40	59	70	222	266
41—45	62	74	234	282
46—50	64	77	243	295
51—60	69	83	265	321
61—70	76	91	296	356
71—80	81	97	318	382
81—90	87	103	344	408
91—100	93	109	371	435
101—110	97	113	388	452
111—120	102	118	410	474
121—130	105	121	424	488
131—140	110	126	446	510
141—150	117	133	476	540

22

The Appropriation (Railways) Act, 1991-92

रजिस्ट्री सं० डी (डीएन) 127/88 | REGISTERED No. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41A] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1991/श्रावण 9, 1913
No. 41A] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1991/SRAVANA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31st July, 1991/Sravana 9, 1913 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 30th July, 1991, and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 3 ACT, 1991

No. 29 OF 1991

[*30th July*, 1991.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1991-92 for the purposes of Railways.

BE it enacted by Parliament in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Appropriation (Railways) No. 3 Act, 1991.

Issue of Rs. 23500,74,84,000 out of the Consolidated

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Railways) Vote on
12 of 1991. Account Act, 1991] to the sum of twenty-three thousand five hundred

Fund of India for the financial year 1991-92.

crores, seventy-four lakhs and eighty-four thousand rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1991-92, in respect of the services relating to Railways specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2	3		
No. of Vote	Services and Purposes	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Railway Board	11,07,26,000	..	11,07,26,000
2	Miscellaneous Expenditure (General)	73,12,74,000	..	73,12,74,000
3	General Superintendence and Services on Railways	519,92,98,000	*2,42,000*	519,95,40,000
4	Repairs and Maintenance of Permanent Way and Works	1039,79,03,000	*2,00,000*	1039,81,03,000
5	Repairs and Maintenance of Motive Power	824,96,13,000	*7,000*	824,96,20,000
6	Repairs and Maintenance of Carriages and Wagons	1106,31,01,000	*3,08,000*	1106,34,09,000
7	Repairs and Maintenance of Plant and Equipment	542,88,36,000	*2,00,000*	542,90,36,000
8	Operating Expenses—Rolling Stock and Equipment	872,19,33,000	..	872,19,33,000
9	Operating Expenses—Traffic	1686,46,24,000	*15,00,000*	1686,61,24,000
10	Operating Expenses—Fuel	1885,98,04,000	*2,00,000*	1886,00,04,000
11	Staff Welfare and Amenities	383,40,93,000	..	383,40,93,000
12	Miscellaneous Working Expenses	557,55,47,000	*10,40,53,000*	567,96,00,000
13	Provident Fund, Pension and Other Retirement Benefits	969,55,55,000	*1,16,15,000*	970,71,70,000
14	Appropriation to Funds	3357,00,00,000	..	3357,00,00,000
15	Dividend to General Revenues, Repayment of loans taken from General Revenues and Amortization of Over-Capitalization	1147,00,00,000	..	1147,00,00,000

1	2	3		
No. of Vote	Services and Purpose	Sums not exceeding		
		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
16	Assets—Acquisition, Construction and Replacement			
	Revenue	45,00,10,000	..	45,00,10,000
	Other Expenditure			
	Capital	6078,60,35,000	*2,60,00,000*	6081,20,35,000
	Railway Funds	2385,38,07,000	*10,00,000*	2385,48,07,000
	TOTAL	23486,21,59,000	*14,53,25,000*	23500,74,84,000

V. S. RAMA DEVI
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1991

Key to the Railway Budget Documents for 1991-92

रेलवे बजट प्रलेखों की निर्देशिका

बजट विवरण

संविधान की धारा 112 के अन्तर्गत, प्रत्येक वित्त वर्ष, जो पहली अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्च का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसे 'बजट विवरण' कहते हैं। इस बार, बजट विवरण में कालम बनाए गए हैं जिनमें फरवरी 1991 के अंतरिम बजट एवं अब तैयार किए गए बजट के आंकड़े दर्शाए गए हैं। नीचे पैरा 14 में उल्लिखित अनुदान की मांगें, भाग-1 के संबंध में भी ऐसा ही किया गया है। चूंकि रेलवे वित्त केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्त से पृथक कर दिया गया है, इसलिए रेलवे का बजट अलग से पेश किया जाता है। केन्द्रीय सरकार और रेलों के बीच वित्तीय संबंध संसद की रेल अभिसमय समिति द्वारा समय-समय पर की गयी सिफारिशों द्वारा शासित होता है।

2. बजट विवरण में रेलवे की कुल राजस्व आमदनी, उनका राजस्व और निर्माण व्यय, रेलवे अधिशेष का वितरण और केन्द्रीय सरकार के पास रेलों की जो विभिन्न निधियां हैं, जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, राजस्व आरक्षित निधि, पेंशन निधि और दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि, उनकी स्थिति दर्शायी जाती है।

3. रेलों की राजस्व प्राप्तियों में यात्री यातायात से आमदनी, अन्य कोचिंग यातायात (जिसमें पार्सल और सामान शामिल हैं) से आमदनी, माल यातायात से आमदनी और अन्य फुटकर आमदनी, जैसे किराया, खानपान से आमदनी, ब्याज और बाहरी निकायों से अनुरक्षण प्रभार आदि शामिल हैं।

4. इनके अतिरिक्त अन्य विविध प्राप्तियां भी होती हैं जैसे निर्माण के दौरान निक्षेप कार्यों पर ब्याज और अधिशेष लाभों में सरकार का हिस्सा, जिसमें उन सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियों से प्राप्तियां शामिल हैं, जिनमें सरकार की कोई पूंजी नहीं लगी है। लाभांश राहत के संबंध में सामान्य राजस्व से 'आर्थिक सहायता' विविध प्राप्तियों का एक अंग है। इन सभी मदों का जोड़ ही रेलवे की कुल प्राप्तियां होती हैं। आमदनी का वह भाग, जो वित्त वर्ष के दौरान रेलवे को देय होता है लेकिन वास्तव में रेलों को प्राप्त नहीं होता है, 'उचन्त' लेखे में रखा जाता है।

A KEY TO RAILWAY BUDGET DOCUMENTS

Budget Statement

Under Article 112 of the Constitution a statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India has to be laid before Parliament in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. This is the Budget statement. On the present occasion, the Budget Statement has columns to show the figures as per the Interim Budget of February, 1991 as well as the Budget now formulated. This is also the case with the Demands for Grants Pt. I referred to in para 14 below. As Railway finances have been separated from the General Finances of the Central Government a separate Budget is presented for the Railways. The financial relationship between the Central Government and the Railways is governed by the recommendations made from time to time by the Railway Convention Committee of the Parliament.

2. The Budget statement shows the total revenue receipts of Railways, their Revenue and Works Expenditure, the distribution of the Railways' surplus and the position of the various Funds that the Railways are keeping with the Central Government, viz., Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Revenue Reserve Fund, Pension Fund and Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund.

3. The Revenue receipts of the Railways consist of earnings from passenger traffic, other coaching earnings (which include parcels and luggage), earnings from goods traffic and sundry other earnings like rent, catering receipts, interest and maintenance charges from outside bodies etc.

4. There are also other miscellaneous receipts like interest during construction on Deposit works and Government's share of surplus profits which includes receipts from subsidised Railway companies in which the Government has no capital interest. The subsidy from General Revenues in respect of dividend reliefs forms part of miscellaneous receipts. The total of all these items makes up the total receipts of the Railways. The portion of the earnings which is due to the Railways during the financial year but has not actually been realised is held in a 'Suspense' account.

5. रेलों द्वारा किया गया खर्च राजस्व लेखे और निर्माण लेखे में होता है। राजस्व लेखे में रेलों के विभिन्न विभागों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के काम में किया गया साधारण संचालन व्यय, अन्य विविध व्यय जैसे रेलवे बोर्ड, लेखा-परीक्षा, सर्वेक्षण और अन्य विविध स्थापनाओं पर व्यय और उन चालित लाइनों का भुगतान शामिल किया जाता है जो रेलों के स्वामित्व में नहीं होतीं तथा जो भारतीय रेलों द्वारा अथवा संबंधित प्राइवेट कम्पनियों द्वारा चालित हैं। यह भुगतान संविदाओं द्वारा विनियमित होता है। राजस्व लेखे में रेलों द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश और मूल्यह्रास आरक्षित निधि और पेंशन निधि में विनियोग भी शामिल होता है। रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के आधार पर हर वर्ष मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग किया जाता है और इसका उद्देश्य पुरानी परिसम्पत्तियों के स्थान पर नयी परिसम्पत्तियों की लागत और यदि उनके लिए किसी परिष्कृत विधि की आवश्यकता हो तो उनकी लागत के लिए भी इससे धन जुटाया जाता है। पेंशन निधि में विनियोग रेल कर्मचारियों को पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान को पूरा करने के लिए किया जाता है और राजस्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता है। 31 मार्च, 1980 को रेलों की लाभांश दायी पूंजी पर 6 प्रतिशत की दर से और तत्पश्चात् निवेशित लाभांशदायी पूंजी पर 6.5 प्रतिशत की दर से लाभांश देय होता है। उपर्युक्त 6 प्रतिशत लाभांश में से, 31 मार्च, 1964 तक निवेशित पूंजी का 1.5 प्रतिशत ('आर्थिक सहायता' के लिए अधिकृत पूंजी को घटाकर) लाभांश यात्री किरायों पर कर के बदले राज्य सरकारों को अन्तरण के लिए और संरक्षा-कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों की सहायतार्थ है। विकास निधि, जिससे रेल परिवहन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं, कर्मचारियों के लिए कल्याण-कार्यों और कुछ वित्तीय सीमाओं से अधिक अलाभप्रद परिचालनिक सुधारों पर खर्च किया जाता है, के लिए वित्त की व्यवस्था उस अधिशेष से, यदि कोई हो तो, की जाती है जो लाभांश की चालू दायिता का निर्वाह करने के बाद बच रहता है। इस निधि में अन्तरित करने के लिए यदि कोई अधिशेष न हो अथवा पर्याप्त अधिशेष न हो तो इस निधि से किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए सामान्य राजस्व से अस्थायी ऋण ले लिया जाता है।

5. The expenditure incurred by the Railways is on Revenue account and on Works account. The Revenue account consists of Ordinary Working Expenses incurred by the various Departments on the Railways in their day to day working, other miscellaneous expenditure like the expenditure on Railway Board, Audit, Surveys and other miscellaneous establishments and payments, as regulated by contracts, to worked lines which are not owned by the Railways and which are either worked by the Indian Railways or by the private companies concerned. The Revenue Account also includes appropriations to Depreciation Reserve Fund and Pension Fund and dividend paid by the Railways to the General Revenues. Appropriation to Depreciation Reserve Fund is made annually on the basis of the recommendations of the Railway Convention Committee and is intended to finance the cost of new assets replacing old assets, including the cost of any improved features that such new assets may have. Appropriation to Pension Fund is to finance Pension and Death-cum-retirement gratuity payments to the Railway staff and is made taking the Revenue position into account. Dividend is payable at the rate of 6% on the dividend-paying Capital of the Railways as on 31st March, 1980 and 6.5% on the dividend-paying Capital invested thereafter. Out of the 6% dividend referred to above, 1.5% of the Capital invested upto 31st March, 1964 (less Capital entitled to 'Subsidy') is for transfer to the State Governments in lieu of passenger fare tax and to assist the State Governments to finance safety works. The Development Fund, which finances expenditure on amenities for users of Railway transport, staff welfare works and unremunerative operating improvements beyond certain financial limits, is funded from the surplus, if any, that remains after meeting the current dividend obligation. In case there is no surplus, or not enough surplus, to be transferred to this Fund, temporary loan is obtained from the General Revenues to finance the expenditure to be met out of this Fund.

6. निर्माण-व्यय, सामान्य राजस्व से पूंजी उधार लेकर तथा मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि और राजस्व से आन्तरिक व्यवस्था करके पूरा किया जाता है (अलाभप्रद परिचालन कार्यों और कुछ वित्तीय सीमाओं से कम लागत वाली यात्री सुविधाओं से भिन्न कार्यों की लागत राजस्व में डाली जाती है)। भारत सरकार के सामान्य वित्त से रेलों को कुल मिलाकर जो बजट संबंधी वार्षिक सहायता दी जाती है, उसमें पूंजीगत ऋण एवं विकास निधियों में कमी को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से उधार ली गयी रकम शामिल है। रेल योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली रेल परिसम्पत्तियों में कुछ निवेश भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा भी किया जाता है। यह निगम बाजार से ऋण लेकर धन जुटाता है।

6. Works expenditure is financed from Capital borrowed from the General Revenues and also by internal financing from Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Funds and Revenue (The cost of unremunerative operating works and works other than passenger amenities costing below certain financial limits are charged to Revenue). The overall annual budgetary support of the General Finances of Government of India to the Railways consists of the Capital loans and the sums temporarily loaned to meet the deficiency, if any, in the Development Fund. A part of the investment in Railway assets, covered by the Railway Plans, is also made by the Indian Railway Finance Corporation which raises funds through market borrowing.

7. रेलों की सम्पूर्ण राजस्व आमदनी भारत की समेकित निधि में डाल दी जाती है और खर्च समेकित निधि से ही किया जाता है। संसद से प्राधिकार प्राप्त किये बिना इस निधि से कोई रकम नहीं निकाली जा सकती।

7. All the revenue earnings of the Railways are credited to the Consolidated Fund of India and expenditure is incurred from the Consolidated Fund. No amount can be withdrawn from the Fund without authorisation from Parliament.

8. ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को संसद से प्राधिकार प्राप्त किये बिना तात्कालिक और अप्रत्याशित खर्च करना पड़े। इस प्रकार के खर्च को वहन करने के लिए राष्ट्रपति के पास अग्रदाय के रूप में भारत की आकस्मिकता निधि रखी गयी है। ऐसे खर्च के लिए और समेकित निधि से उतनी ही धनराशि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है और आकस्मिकता निधि से खर्च की गयी रकम की प्रतिपूर्ति उस निधि को कर दी जाती है।

8. Occasions may arise when Government may have to meet urgent unforseen expenditure pending authorisation from Parliament. The Contingency Fund of India is an imprest placed at the disposal of the President to incur such expenditure, Parliamentary approval for such expenditure and for the withdrawal of an equivalent amount from the Consolidated Fund are subsequently obtained and the amount spent from Contingency Fund is recouped to the Fund.

9. यद्यपि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों पर खर्च के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि और दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग संसद द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तथापि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों पर प्रस्तावित खर्च को भी संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह धनराशि इन निधियों को अन्तरण के लिए संसद द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है।

9. While the appropriations to Depreciation Reserve Fund, Development Fund, Pension Fund and Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund are voted by the Parliament for spending on specific objects, the proposed expenditure on the specific objects is also submitted for vote of Parliament, even though the moneys have already been earmarked by Parliament for transfer to these funds.

अनुदान की मांगें

10. बजट विवरण में सम्मिलित समेकित निधि से खर्च, जिसके लिए लोक सभा की स्वीकृति अपेक्षित है, का अनुमान

Demands for Grants

10. The estimates of expenditure from the Consolidated Fund included in the Budget Statement and

अनुदान की मांगों के रूप में पेश किया जाता है। प्रत्येक मांग रेलों की विशिष्ट कार्यात्मक गतिविधि की द्योतक होती है। निर्माण व्यय सम्बन्धी मांगों को राजस्व व्यय सम्बन्धी मांगों से पृथक रखा जाता है। जहां-कहीं किसी मांग में खर्च की 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' दोनों मदें शामिल होती हैं, वहां 'प्रभृत' मदों को भी मांग में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' व्यवस्था को उस मांग में पृथक-पृथक दिखाया जाता है। 'स्वीकृत' व्यय में वे मदें शामिल होती हैं जिनके लिए धन की व्यवस्था संसद की स्वीकृति पर निर्भर करती है, जबकि 'प्रभृत' व्यय के लिए धन की स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है और उसे संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता। रेलों के 'प्रभृत' खर्च में न्यायालय नियमों आदि के अन्तर्गत दिए गए फैसलों, डिगरी या न्यायालय के निर्णय अथवा पंचाट निर्णयों की संतुष्टि के लिए अपेक्षित रकमें शामिल हैं।

11. लेखा और बजट संबंधी मौजूदा कार्यविधियों के अन्तर्गत कतिपय श्रेणियों की प्राप्तियों, जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को किये गये भुगतान और महत्वपूर्ण परियोजनाओं अथवा योजनाओं की प्राप्तियों को प्राप्तकर्ता विभाग के खर्च में से निकाल कर परिकलित किया जाता है। बजट विवरण में सम्मिलित खर्च के अनुमान शुद्ध खर्च के लिए होते हैं, जैसा कि लेखों में प्रतिबिम्बित होता है, अर्थात् ये अनुमान वसूलियों का हिसाब में लेने के बाद तैयार किये जाते हैं। लेकिन अनुदान की मांगों में खर्च के जो अनुमान शामिल किये जाते है, वे समग्र राशि के लिए होते हैं।

12. अनुदान की मांगें, बजट विवरण के साथ ही लोक सभा को पेश की जाती हैं। प्रत्येक मांग में सबसे ऊपर उस मांग के अन्तर्गत कुल 'स्वीकृत' और 'प्रभृत' खर्च अलग-अलग दर्शाया जाता है। इसके बाद विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खर्च के अनुमान दिखाये जाते हैं। वसूलियों की कुल राशियां, जो लेखा में खर्च में कमी के रूप में मानी जाती हैं, भी दिखायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, टिप्पणियों में विभिन्न मांगों में शामिल चालू वर्ष की आवश्यकताओं और अगले वर्ष की आवश्यकताओं के आंकड़ों के बीच कमी-बेशी के संक्षिप्त कारण स्पष्ट किये जाते हैं।

13. अनुदान की 16 मांगें हैं—मांग 1 से 15 तक का संबंध राजस्व व्यय, निधियों और लाभांश भुगतानों में विनियोग से तथा मांग 16 का संबंध निर्माण व्यय से है।

required to be voted by Lok Sabha are submitted in the form of Demands for Grants. Each Demand presents a distinct functional activity on the Railways. Demand for Works Expenditure is kept distinct from Demands for Revenue Expenditure. Wherever expenditure in a Demand includes both 'Voted' and **'Charged'** items of expenditure the latter are also included in the Demand but the 'Voted' and **'Charged'** provisions are shown separately in that Demand. Voted expenditure includes those items for which the provision of funds is subject to the vote of Parliament, while funds for **'Charged'** expenditure are sanctioned by the President and not submitted to the vote of Parliament. **'Charged'** expenditure for Railways includes sums required to satisfy judgement, decree or award of court or awards by Arbitrators where made into rule of court, etc.

11. Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts like payments made by one department to another and receipts of capital projects or schemes are taken in reduction of the expenditure of the receiving department. The estimates of expenditure included in the Budget statement are for the net expenditure as will be reflected in the accounts, that is, after taking into account the recoveries. The estimates of expenditure included in the Demands for Grants are, however, for the gross amounts.

12. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Budget statement. On the top of each Demand, the total of 'Voted' and **'Charged'** expenditure in the Demand are indicated separately. This is followed by the estimates of expenditure under different heads. The aggregate amounts of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts are also shown. Besides, the notes briefly explain the reasons for the variations between the current year's requirements as presented in February, 1991 and as now proposed in Demands wherein changes are involved.

13. There are 16 Demands for Grants—Demands 1 to 15 dealing with Revenue Expenses, Appropriations to the Funds and Dividend payment and Demand 16

गतिविधि और व्यय की प्राथमिक यूनिटों से संचालन व्यय और विविध व्यय से संबंधित प्रत्येक मांग का दोहरा वर्गीकरण किया जाता है। गतिविधि वर्गीकरण में यह बताया जाता है कि किन प्रयोजनों के लिए खर्च किया गया, जैसे रेलपथ का अनुरक्षण, पानी की सप्लाई, रेल इंजनों का आवधिक ओवरहाल आदि और खर्च को प्राथमिक यूनिटें यह बताती हैं कि खर्च कैसे किया गया जैसे वेतन, मजूरी, समयोपरि, सामग्री की लागत आदि। यह दोहरा वर्गीकरण कार्यपरक बजट, जो क्रियाशीलता पर आधारित है तथा प्रबंध नियंत्रण और खर्च के प्रयोजनों पर भी आधारित है, की आवश्यकताओं का पूर्ण योग सूचित करता है।

14. अनुदान की मांगों के भाग I में सम्पूर्ण रेल प्रणाली के संबंध में ब्यौरा दिया गया है और इसमें अंतरिम बजट एवं अब यथा-प्रस्तुत बजट के आंकड़ों की तुलना की गयी है। भाग–II में अब यथा प्रस्तुत बजट-वार ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भाग II में राजस्व मांगों से संबंधित कर्मचारी विवरण और व्यय की निष्पादन यूनिटों के विवरण भी दिये गये हैं।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

15. 'रेलवे बजट पर व्याख्यात्मक ज्ञापन' नामक प्रलेख में आमदनी एवं राजस्व और निर्माण व्यय की संभावनाओं का सार दिया गया है। इस प्रलेख को दो भागों में बांटा गया है। भाग I में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त सारांश तथा आमदनी, संचालन व्यय और निधियों में लेन-देन की स्थिति का पृथक-पृथक विश्लेषण किया गया है। भाग II में इसी प्रकार की निर्माण मांगों का समग्र सारांश दिया गया है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में अनेक अनुबन्ध भी रहते हैं जिनमें रेलों की ब्याजदेय पूंजी, पंचवर्षीय योजनाओं में निधियों के साधन और उनका उपयोग, वित्तीय परिणामों का रेलवे-वार ब्यौरा, विभिन्न निधियों के अन्तर्गत बकाया राशियों आदि का ब्यौरा दिया गया है।

16. सुविधा की दृष्टि से, रेलवे की भाड़ा दरों और किरायों विषयक नये प्रस्तावों का विवरण "रेलवे बजट में माल भाड़े की दरों और किरायों में समायोजन के प्रस्तावों का व्याख्यात्मक ज्ञापन" नामक प्रलेख में दिया गया है।

निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम

17. रेलों का निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम दो भागों में तैयार किया जाता है। भाग I में सभी रेलों के खर्च का योजना शीर्ष-वार वितरण, बजट वर्ष के दौरान प्रस्तावित नये महत्वपूर्ण कार्यों और उनके औचित्य के संबंध

dealing with Works Expenditure. Each Demand pertaining to Working Expenses and Miscellaneous Expenditure has a two-way classification, by activity and by primary units of expenditure, the activity classification indicating for what purpose the expenditure was incurred, like track maintenance, water supply, periodical overhaul of locomotives etc. and the primary units of expenditure indicating how the expenditure was incurred, like salaries, wages, overtime, cost of materials, etc. This two-way classification integrates the requirements of performance budgeting which is based on activities, and management control which is based on objects of expenditure.

14. Part I of the Demands for Grants presents the details for the Railways as a whole comparing the figures as per Interim Budget and as now presented. Part II gives Railwaywise details of the Budget as now presented. In addition, Part II also contains Staff Statements and Performance Units for Expenditure relating to Revenue Demands.

Explanatory Memorandum

15. A summing-up of the outlook for earnings, and revenue and works expenditure is given in the document Explanatory Memorandum on the Railway Budget. This document is divided into two Sections; Section I gives a brief resume' of the financial results of the years 1989-90, 1990-91 and 1991-92 with an analysis of the position separately under Earnings, Working Expenses and the Fund transactions. Section II gives a similar resume' of the Works Demand as a whole. The Explanatory Memorandum also contains a number of Annexures detailing the Capital-at-Charge of the Railways, Sources and Application of Funds in the Five-Year Plans, Railwaywise details of financial results, balances under the various Funds, etc.

16. For facility of understanding, new proposals of Railway freight rates and fares are explained in the document titled "Memorandum explaining the proposals for adjustments in freight rates and fares in the Railway Budget".

Works, Machinery and Rolling Stock Programme

17. Works, Machinery and Rolling Stock Programme of Railways is prepared in two Parts. Part I contains all Railways' plan-headwise distribution of expenditure, important new works proposed in the

में संक्षिप्त टिप्पणी, नयी लाइनों के निर्माण, विद्युतीकरण आदि का कार्यक्रम, चल-स्टाक, मशीन व संयंत्र और भंडार के अन्तर्गत वस्तु-सूची एवं निर्माण लेखों का सारांश दिया जाता है । भाग II में नये निर्माण कार्यों, चालू निर्माण-कार्यों, रेलपथ के नवीकरण, निर्धारित समय पर मिलने वाले सामान और चल-स्टाक तथा मशीन एवं संयंत्रों की नयी खरीद पर रेलवेवार खर्च के आंकड़े तथा प्रत्येक रेलवे के लिए भण्डार एवं निर्माण लेखों के अन्तर्गत वस्तु-सूची का विश्लेषण दिया जाता है ।

'भारतीय रेल—वार्षिकी'
और
'भारतीय रेल—वार्षिक रिपोर्ट और लेखा'

18. 'भारतीय रेल—वार्षिकी' नामक प्रलेख में वर्ष 1989-90 के दौरान रेल विभाग के कार्यकलापों का वर्णनात्मक लेखा-जोखा दिया गया है । यह प्रलेख अलग से प्रकाशित किया गया है और इसे संसद सदस्यों में परिपत्रित किया गया है । 'भारतीय रेल—वार्षिक रिपोर्ट और लेखा' नामक एक अन्य प्रलेख भी परिपत्रित किया गया है जिसमें वर्ष 1989-90 के वित्तीय एवं महत्वपूर्ण कार्य-निष्पादन के आंकड़ों की संक्षिप्त समीक्षा की गयी है ।

निष्पादन यूनिट

19. बजट को प्रबंध-व्यवस्था का उपयोगी साधन बनाने एवं रेलों के कार्य-निष्पादन का संसद में तथा अन्यत्र बेहतर मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत वित्तीय निवेश और तदनुरूपी स्थूल प्रगति को सम्बन्धित मांग के अन्तर्गत दिया जाता है । उत्पादन/कार्य-निष्पादन और यूनिट लागत के मानदण्ड कई वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही निर्धारित किये जा सकते हैं । जब तक इस प्रकार के मानदण्डों का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक प्रमुख कार्य-कलापों के अन्तर्गत मांगों के महत्वपूर्ण उप-शीर्षों के संदर्भ में उत्पादन की विनिर्दिष्ट मात्रा के बारे में संसद को अवगत कराने का प्रयास किया गया है ।

नयी सेवा/सेवा के नये उपकरण

20. अनुदान की मांगों के साथ 'नयी सेवा' या 'सेवा के नये उपकरण' की उन मदों की एक सूची संलग्न की जाती है जिनके लिए बजट में व्यवस्था की जाती है । लोक लेखा समिति की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए यह पता लगाने के लिए कि कौन-सी मदें नयी सेवा अथवा सेवा के नये उपकरण के रूप में होंगी, समय-समय पर वित्तीय सीमाएं निर्धारित की जाती हैं ।

Budget year with brief notes of justification, programme of construction of new lines, electrification etc., summary of Rolling Stock, Machinery and Plant and inventory under Stores and Manufacturing Accounts. Part II contains Railwaywise data of expenditure on new works, works which are in progress, Track Renewals. Programmed Deliveries and New Acquisitions of Rolling Stock and Machinery and Plant and an analysis of inventory for each Railway under Stores and Manufacturing Accounts.

'Indian Railways—Year Book'
and
'Indian Railways—Annual Report and Accounts'

18. A descriptive account of the activities of the Department of Railways during the year 1989-90 given in the document 'Indian Railways—Year Book' which is brought out separately and has been circulated to Members of Parliament. Another document, entitled, "Indian Railways—Annual Report & Accounts" which has also been circulated, gives a summarised review of the financial and important performance data of the year 1989-90.

Performance Units

19. To make the Budget serve as a useful tool of management and also to enable better appreciation of the functioning of the Railways in Parliament and elsewhere, the financial inputs and the corresponding physical outputs under major activities is furnished under the respective Demands. Pending the evolution of norms of output/performance and unit costs which can be developed only after experience is gained over a period of years, it has been attempted to make available to Parliament the specific volume of output under major activities with reference to the important sub-heads of Demands.

New Service/New Instrument of Service

20. A list of items of 'New Service' or 'New Instrument of Service' for which provision is made in the Budget is appended to the Demands for Grants. Monetary limits to determine which items would be in the nature of New Service are laid down from time to time taking into account the recommendations of the Public Accounts Committee.

विषय-सूची Table of Contents

					पृष्ठ संख्या Page No.
1. परिचायक टिप्पणी		1. Introductory Notes	...		1
खण्ड—I—सामान्य		**Part–I – General**			
2. व्यय का सारांश ...	विवरण 1	2. Summary of Expenditure	...	Statement 1	3
3. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार व्यय ...	विवरण 2	3. Expenditure by Ministries/ Departments	...	Statement 2	4-5
4. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय ...	विवरण 3	4. Expenditure of Union Territories without Legislature	...	Statement 3	5
5. संशोधित अनुमान, 1990-91		5. Revised Estimates, 1990-91	...		6-7
6. बजट अनुमान, 1991-92		6. Budget Estimates, 1991-92	...		7-8
खण्ड-II-आयोजना भिन्न व्यय		**Part– II–Non-Plan Expenditure**			
7. आयोजना-भिन्न व्यय, 1991-92		7. Non-Plan Expenditure, 1991-92			9-14
8. स्थूल श्रेणियों के अनुसार आयोजना-भिन्न व्यय ...	विवरण 4	8. Non-Plan Expenditure by Broad Categories	...	Statement 4	15
9. आयोजना-भिन्न - ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता ...	विवरण 5	9. Non-Plan Subsidies - Interest Subsidies	...	Statement 5	16
10. आयोजना-भिन्न अन्य आर्थिक सहायता ...	विवरण 6	10. Non-Plan Other Subsidies	...	Statement 6	17
11. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम ...	विवरण 7	11. Departmental Commercial Undertakings	...	Statement 7	18
12. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय ...	विवरण 8	12. Non-Plan Capital Outlay	...	Statement 8	19
13. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण ...	विवरण 9	13. Non-Plan Loans to Public Enterprises	...	Statement 9	20-21
14. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण ...	विवरण 10	14. Non-Plan Grants and Loans to State and Union Territory Governments	...	Statement 10	22
खण्ड-III-आयोजना परिव्यय		**Part– III–Plan Outlay**			
15. आयोजना परिव्यय 1991–92		15. Plan Outlay 1991-92			23-35
16. मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय ...	विवरण 11	16. Central Plan Outlay by Ministries/Departments	...	Statement 11	36-37
17. विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय ...	विवरण 12	17. Central Plan Outlay by Heads of Development	...	Statement 12	38-39
18. सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश ...	विवरण 13	18. Plan Investments in Public Enterprises	...	Statement 13	40-45
19. सरकारी उद्यमों के संसाधन ...	विवरण 14	19. Resources of Public Enterprises	...	Statement 14	46-49
20. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ...	विवरण 15	20. Central Assistance for State and Union Territory Plans	...	Statement 15	50
21. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण ...	विवरण 16	21. Plan Grants and Loans to State and Union Territory Governments	...	Statement 16	51-52

		पृष्ठ संख्या Page No.
खण्ड-IV-अन्य	**Part–IV–Others**	
22. विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण ... विवरण 17	22. Grants and Loans to Foreign Governments ... Statement 17	53
अनुबन्ध	**ANNEXURES**	
1. लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं	1. Budget Provisions by Heads of Accounts	54-69
2. वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुबन्ध 1 और अनुदानों की मांगों में दिखाए गए व्यय का मिलान	2. Reconciliation between Expenditure shown in Annual Financial Statement and Annexure 1 and Demands for Grants	70
3. व्यय की प्रवृत्तियां	3. Trends in Expenditure	71-74
4. अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान	4. Contributions to International Bodies	75-77
5. केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	5. Guarantees given by Central Government	78
6. गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों, आदि को सहायता अनुदान	6. Grants-in-aid to private institutions, organisations, etc.	79
7. स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए की गई व्यवस्था	7. Estimated strength of Establishment and provision therefor.	80-81

परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है । इसे चार भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, भाग-III आयोजना परिव्यय और भाग IV-अन्य में बांटा गया है । विवरण और अनुबन्ध,जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है, स्वतः स्पष्ट है और उनका उल्लेख यथास्थान विनिर्दिष्टतः किया गया है। वाणिज्यिक विभागों/विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियों और प्राप्तियों को घटाकर दिखाई गई है ताकि व्ययों/प्राप्तियों, दोनों के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो जाए । ऐसे विभागों/उपक्रमों के व्ययों/प्राप्तियों की विस्तृत जानकारी विवरण 7 में दी गई है । उसी प्रकार, राज्यों को दिए जाने वाले ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया जाता है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है । कतिपय लेनदेनों को, जिनके आधार पर किसी नकद रकम की निकासी नहीं होती और जिनको उतनी ही प्राप्तियों से बराबर रखा जाता है जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए जाने वाले अंशदानों के संबंध में किया जाता है, वसूलियां घटाकर वास्तविक निवल राशियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है ताकि व्यय की वास्तविक मदों पर पूर्णतः स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जा सके ।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत बजट-व्यय के अनुमानों में, सामान्य बजट में से किए गए आयोजनागत निवेशों की मात्रा को छोड़ते हुए, रेलवे और दूर-संचार विभागों के लेन-देनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों / विभागों का व्यय प्रदर्शित किया गया है ।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है । इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बद्ध मांगों में दिखा दिया गया है । खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को हिसाब में लेने केबाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसे ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ और प्राप्तियों को भी और ज्यादा निवल रूप में निरूपित किया गया है । इस पुस्तक के अनुबंध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "निवल" व्यय को ही दिखाया गया है । अनुबंध 2 के द्वारा, अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों और वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ-साथ अनुदानों की मांगों में दिए गए व्यय के जोड़ों के बीच मिलान करके एकरूपता स्थापित की गई है ।

INTRODUCTORY NOTES

This volume serves as the Explanatory Memorandum to the Budget of the Central Government in so far as the expenditure provisions are concerned. This is divided into four parts, viz, Part 1-General, Part II - Non-Plan Expenditure, Part III - Plan Outlay and Part IV-Others. The Statements and Annexures which form part of this volume are self-explanatory and have been referred to in the write-up at the appropriate places. The Expenditure provisions included in the various Statements are net of the recoveries, and receipts in the cases of Commercial Departments / Departmental Commercial Undertakings, so as not to inflate the figures of expenditure / receipts. The details of expenditure / receipts of such Departments / Undertakings are given in the Statement No. 7. Similarly short-term loans and advances given to the States and recovered during the same year have also been netted. Certain transactions which do not involve cash outgo and are matched by receipts (e. g.) subscriptions to the International Monetary Fund have also been netted, so as to focus attention on real items of expenditure.

2. The estimates of budgetary expenditure in this document exclude the transactions of Railways and Telecommunications except to the extent of Plan investments made from the General Budget. The Annual Financial Statement presented separately under Article 112 of the Constitution, however, incorporates the expenditure of all the Central Government Ministries / Departments.

3. The Demands for Grants presented separately under Article 113 of the Constitution seek the approval of Parliament for "gross" amounts of expenditure without taking into account "recoveries" taken in reduction of expenditure in the accounts. Amounts of these recoveries are also shown in the respective Demands for Grants. The expenditure under each major head of account is shown in the Annual Financial Statement after taking into account these recoveries. A further netting of some receipts is done in this document, as explained above, to facilitate proper appreciation of various items of expenditure. Annexure 1 to this document shows the "net" expenditure under each major head of account. Annexure 2 reconciles the totals of Annexure 1 and the expenditure totals in the Annual Financial Statement, as well as in the Demands for Grants.

भाग- I: सामान्य

Part I - General

व्यय का सारांश विवरण-1 में और मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय विवरण-2 में दर्शाया गया है ।

The Summary of Expenditure is given in Statement No.1, and the Expenditure by Ministries/Departments is given in Statement No.2

व्यय का सारांश SUMMARY OF EXPENDITURE

विवरण STATEMENT 1

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
1. कुल व्यय (2+3) TOTAL EXPENDITURE (2+3)	70969.66	28338.88	**99308.54**	74966.08	31750.98	**106717.06**	81383.08	32039.01	**113422.09**
2. आयोजना-भिन्न व्यय Non Plan Expenditure	56670.80	12171.55	**68842.35**	60945.66	15815.55	**76761.21**	64315.07	15382.15	**79697.22**
3. आयोजना व्यय Plan Expenditure	14298.86	16167.33	**30466.19**	14020.42	15935.43	**29955.85**	17068.01	16656.86	**33724.87**
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता Central Assistance for State & UT Plans	5382.20	7466.17	**12848.37**	5283.04	7079.20	**12362.24**	6447.78	8262.25	**14710.03**
5. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट समर्थन (3-4) BUDGET SUPPORT FOR CENTRAL PLAN (3-4)	8916.66	8701.16	**17617.82**	8737.38	8856.23	**17593.61**	10620.23	8394.61	**19014.84**
6. सरकारी उद्यमों के संसाधन Resources of Public Enterprises	...	21711.44	**21711.44**	0.00	20458.72	**20458.72**	...	23953.91	**23953.91**
7. केन्द्रीय आयोजना (5+6) CENTRAL PLAN(5+6)	8916.66	30412.60	**39329.26**	8737.38	29314.95	**38052.33**	10620.23	32348.52	**42968.75**

मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय
EXPENDITURE BY MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2
(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
कृषि और सहकारिता	Agriculture & Cooperation	779.83	1034.60	1814.43	786.79	1534.66	2321.45	1014.35	1538.33	2552.68
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education	154.00	173.00	327.00	154.34	165.37	319.71	190.00	174.00	364.00
पशुपालन और डेरी कार्य	Animal Husbandry and Dairying	123.55	19.49	143.04	84.80	12.47	97.27	155.67	13.06	168.73
रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	Department of Chemicals and Petro-Chemicals	0.61	17.40	18.01	0.59	16.18	16.77	21.86	11.97	33.83
उर्वरक	Fertilizers	78.37	4082.20	4160.57	97.55	4484.05	4581.60	90.00	4054.15	4144.15
नागर विमानन	Civil Aviation	5.74	74.32	80.06	5.40	71.45	76.85	29.07	40.55	69.62
पर्यटन	Tourism	67.50	13.84	81.34	61.00	13.84	74.84	77.00	13.40	90.40
नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक संवितरण	Civil Supplies and Public Distribution	12.15	3.64	15.79	12.80	5.90	18.70	12.99	3.73	16.72
कोयला	Coal	990.55	138.84	1129.39	946.80	138.84	1085.64	743.00	146.00	889.00
वाणिज्य	Commerce	66.32	2777.48	2843.80	61.08	3985.38	4046.46	82.82	2525.30	2608.12
पूर्ति	Supply	3.54	24.18	27.72	1.92	24.18	26.10	2.34	25.39	27.73
संचार	Communications	1.72	6.35	8.07	1.72	8.98	10.70	4.50	7.08	11.58
डाक	Posts	60.00	81.00	141.00	48.00	147.00	195.00	72.00	240.00	312.00
दूरसंचार	Telecommunications	25.43	...	25.43	64.63	...	64.63	17.00	...	17.00
रक्षा (सिविल अनुमान)	Defence (Civil estimates)	...	1815.21	1815.21	...	1934.32	1934.32	...	2004.97	2004.97
रक्षा सेवाएं	Defence Services	...	15750.00	15750.00	...	15750.00	15750.00	...	16350.00	16350.00
पर्यावरण, वन और वन्य जीवन	Environment, Forests and Wild Life	231.60	39.56	271.16	208.85	37.30	246.15	300.09	39.71	339.80
विदेश कार्य	External Affairs	...	577.65	577.65	...	932.55	932.55	...	585.03	585.03
आर्थिक कार्य	Economic Affairs	624.40	1074.49	1698.89	980.67	1082.50	2063.17	864.70	1261.51	2126.21
आर्थिक कार्य (केन्द्रीयकृत व्यवस्थाएं)	Economic Affairs (centralised provisions)	...	28541.76	28541.76	...	32791.20	32791.20	...	37127.40	37127.40
व्यय	Expenditure	3.00	349.31	352.31	1.65	250.54	252.19	255.20	262.29	517.49
राजस्व	Revenue	...	785.71	785.71	...	763.01	763.01	...	862.60	862.60
खाद्य	Food	32.61	2361.84	2394.45	29.77	2611.27	2641.04	38.85	2732.33	2771.18
खाद्य प्रसंस्करण	Food Processing	30.00	4.43	34.43	25.80	4.02	29.82	40.00	4.43	44.43
स्वास्थ्य	Health	264.53	234.40	498.93	247.73	231.69	479.42	294.00	253.58	547.58
परिवार कल्याण	Family Welfare	674.95	10.31	685.26	784.79	9.93	794.72	748.95	10.43	759.38
गृह	Home Affairs	9.31	2147.70	2157.01	8.31	2384.26	2392.57	12.00	2626.77	2638.77
शिक्षा	Education	864.30	794.02	1658.32	837.10	765.00	1602.10	976.30	774.00	1750.30
युवा कार्य और खेल	Youth Affairs and Sports	68.56	38.80	107.36	62.07	36.99	99.06	75.56	38.84	114.40
कला और संस्कृति	Arts and Culture	54.90	81.71	136.61	48.11	78.56	126.67	65.54	62.80	128.34
महिला और बाल विकास	Women and Child Development	329.60	37.99	367.59	313.10	37.99	351.09	400.00	39.65	439.65
औद्योगिक विकास	Industrial Development	50.00	34.31	84.31	243.60	33.77	277.37	70.00	102.07	172.07
भारी उद्योग	Heavy Industry	181.36	166.47	347.83	163.63	165.03	328.66	169.00	136.54	305.54
सरकारी उद्यम	Public Enterprises	...	1.38	1.38	...	1.27	1.27	...	1.41	1.41
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	330.48	249.05	579.53	304.54	244.51	549.05	358.47	249.92	608.39
सूचना और प्रसारण	Information and Broadcasting	270.72	333.82	604.54	178.85	322.32	501.17	304.86	357.49	662.35
श्रम	Labour	85.00	251.63	336.63	46.08	247.35	293.43	83.97	299.57	383.54
विधि और न्याय	Law and Justice	...	84.39	84.39	...	80.03	80.03	...	221.63	221.63
कंपनी कार्य	Company Affairs	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	10.00	10.00
खान	Mines	54.75	122.88	177.63	145.86	95.47	241.33	63.77	81.73	145.50
संसदीय कार्य	Parliamentary Affairs	...	1.00	1.00	...	1.23	1.23	...	1.30	1.30
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनें	Personnel, Public Grievances and Pensions	6.20	47.62	53.82	4.40	46.82	51.22	8.00	50.00	58.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	Petroleum and Natural Gas	150.00	101.68	251.68	150.00	91.42	241.42	180.00	101.96	281.96
योजना आयोग	Planning Commission	49.22	11.63	60.85	47.10	11.63	58.73	55.00	13.30	68.30
सांख्यिकी	Statistics	15.44	39.85	55.29	13.65	40.13	53.78	14.31	42.14	56.45
कार्यक्रम कार्यान्वयन	Programme Implementation	...	0.85	0.85	...	0.76	0.76	...	0.85	0.85
विद्युत	Power	2412.22	305.26	2717.48	2299.46	366.37	2665.83	1874.22	118.04	1992.26
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	Non-Conventional Energy Sources	124.73	1.36	126.09	115.86	1.36	117.22	149.03	1.43	150.46
ग्रामीण विकास	Rural Development	3114.68	12.78	3127.46	2960.61	12.61	2973.22	3508.00	13.24	3521.24
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Science and Technology	121.85	137.04	258.89	103.68	134.28	237.96	142.70	141.00	283.70
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	Scientific and Industrial Research	104.00	144.23	248.23	96.59	142.58	239.17	118.68	153.30	271.98

मंत्रालयों/विभागों द्वारा व्यय
EXPENDITURE BY MINISTRIES / DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न NOn-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
जैव-प्रौद्योगिकी	Biotechnology	62.50	3.05	65.55	56.74	2.91	59.65	71.00	3.06	74.06
इस्पात	Steel	267.50	226.96	494.46	526.62	257.15	783.77	433.32	69.54	502.86
जल-भूतल परिवहन	Surface Transport	816.47	604.73	1421.20	718.98	873.10	1592.08	845.00	598.80	1443.80
वस्त्रोद्योग	Textiles	218.16	749.03	967.19	197.46	708.88	906.34	234.54	708.19	942.73
शहरी विकास	Urban Development	307.74	380.88	688.62	293.88	359.74	653.62	354.09	388.81	742.90
जल संसाधन	Water Resources	231.62	73.04	304.66	193.53	99.29	292.82	275.00	71.07	346.07
कल्याण	Welfare	364.45	27.98	392.43	365.50	26.93	392.43	478.75	29.38	508.13
परमाणु ऊर्जा	Atomic Energy	559.66	477.42	1037.08	497.25	527.83	1025.08	412.14	648.81	1060.95
इलेक्ट्रानिक्स	Electronics	110.00	12.31	122.31	96.42	12.70	109.12	121.60	13.34	134.94
महासागर विकास	Ocean Development	35.00	8.16	43.16	31.45	8.13	39.58	37.00	9.21	46.21
अन्तरिक्ष	Space	323.00	111.51	434.51	279.50	111.61	391.11	374.60	134.50	509.10
संसद, राष्ट्रपति का सचिवालय, आदि	Parliament, Secretariat of the President,etc	...	41.04	41.04	...	45.30	45.30	...	46.16	46.16
रेलवे *	Railways*	1694.00	...	1694.00	1587.00	...	1587.00	1694.00	...	1694.00
जोड़	**Total**	**17617.82**	**67863.57**	**85481.39**	**17593.61**	**75390.94**	**92984.55**	**19014.84**	**78647.09**	**97661.93**
राज्य, उत्तर-पूर्वी परिषद और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं	**STATE, NEC & UT PLANS**	**12848.37**	...	**12848.37**	**12362.24**	...	**12362.24**	**14710.03**	...	**14710.03**
राज्यों की आयोजनाएं	State Plans	11580.83	...	11580.83	11157.02	...	11157.02	13217.53	...	13217.53
कृषि और सहकारिता	Agriculture & Cooperation	32.90	...	32.90	32.90	...	32.90	...	...	...
शिक्षा	Education	55.00	...	55.00	49.50	...	49.50	55.00	...	55.00
वित्त	Finance	10934.83	...	10934.83	10531.20	...	10531.20	12602.53	...	12602.53
गृह	Home Affairs	2.20	...	2.20	1.98	...	1.98	2.00	...	2.00
योजना आयोग	Planning Commission	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
ग्रामीण विकास	Rural Development	14.40	...	14.40	14.40	...	14.40	...	...	...
ऊर्जा	Energy	260.00	...	260.00	248.50	...	248.50	260.00	...	260.00
जल संसाधन	Water Resources	28.60	...	28.60	25.74	...	25.74	27.80	...	27.80
कल्याण	Welfare	252.70	...	252.70	252.70	...	252.70	270.00	...	270.00
उत्तर-पूर्वी परिषद की आयोजना	NEC Plan									
गृह	Home Affairs	197.00	...	197.00	197.00	...	197.00	210.00	...	210.00
संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं	UT Plans	1070.54	...	1070.54	1008.22	...	1008.22	1282.50	...	1282.50
गृह	Home Affairs									
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories with Legislature	70.00	...	70.00	65.85	...	65.85	85.00	...	85.00
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories without Legislature	1000.54	...	1000.54	942.37	...	942.37	1197.50	...	1197.50
संघ राज्य क्षेत्र आयोजना-भिन्न	**UT NON-PLAN**	...	**978.78**	**978.78**	...	**1370.27**	**1370.27**	...	**1050.13**	**1050.13**
गृह	Home Affairs									
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र **	Union territories with Legislature **	...	56.86	56.86	...	417.37	417.37	...	65.43	65.43
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union territories without Legislature	...	921.92	921.92	...	952.90	952.90	...	984.70	984,70
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***30466.19***	***68842.35***	***99308.54***	***29955.85***	***76761.21***	***106717.06***	***33724.87***	***79697.22***	***113422.09***
* इसमें प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित रेलवे का आयोजना पूंजी व्यय शामिल है ।	** Includes Railway Plan Capital Expenditure matched by receipts*	*274.00*	...	*274.00*	*166.67*	...	*166.67*	...	...	...

** अन्य मंत्रालयों / विभागों द्वारा दिए गए आयोजना-भिन्न अनुदानों और ऋणों को छोड़कर ।

*** Excludes non-plan grants and loans given by other Ministries/Departments*

विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय
EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE

विवरण
STATEMENT 3

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 90-91 आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित Revised 90-91 आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट Budget 91-92 आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
दिल्ली	Delhi	800.00	668.86	1468.86	750.00	668.86	1418.86	920.00	702.00	1622.00
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	Andaman and Nicobar Islands	97.00	109.38	206.38	97.00	126.38	223.38	154.00	132.70	286.70
दादरा और नगर हवेली	Dadra and Nagar Haveli	12.99	8.72	21.71	12.16	8.15	20.31	21.00	9.16	30.16
लक्षद्वीप	Lakshadweep	22.00	24.26	46.26	19.80	26.46	46.26	22.46	25.47	47.93
चंडीगढ़	Chandigarh	55.97	98.01	153.98	51.70	111.30	163.00	64.36	103.00	167.36
दमन और दीव	Daman and Diu	12.58	12.69	25.27	11.71	11.75	23.46	15.68	12.37	28.05
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	**Total Union Territories**	**1000.54**	**921.92**	**1922.46**	**942.37**	**952.90**	**1895.27**	**1197.50**	**984.70**	**2182.20**

संशोधित अनुमान, 1990-91

REVISED ESTIMATES, 1990-91

वर्ष 1990-91 के व्यय के संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 7408 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाते थे। जबकि आयोजना-भिन्न खाते में 7918 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई वहीं आयोजना खाते में 510 करोड़ रुपए की बचत हुई थी। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि/कमी की मुख्य मदें नीचे दर्शाई गई हैः—.

Revised Estimates of expenditure for 1990-91 showed an increase of Rs.7408 crores over the Budget Estimates. While on the Non-plan side, there was an increase of Rs.7918 crores, there was a saving of Rs.510 crores on Plan account. The main items of increase/decrease in expenditure are indicated below :-

(करोड़ रुपए में) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	वृद्धि (+) कमी (-) Increase(+) Decrease(-)
आयोजना-भिन्न	**Non-Plan**			
1. ब्याज अदायगियां	1. Interest Payments	20850	21850	1000
2. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	2. Food Subsidy	2200	2450	250
3. देशीय उर्वरकों संबंधी आर्थिक सहायता	3. Subsidy on indigenous fertilizers	3250	3650	400
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता	4. Export Promotion and Market Development assistance	2316	2700	384
5. किसानों को ऋण राहत की योजनाएं	5. Scheme for Debt Relief to Farmers	1000	1500	500
6. रक्षा पेंशनें	6. Defence Pensions	1500	1670	170
7. राज्यों को उधार	7. *Loans to States against*			
i) अल्प बचत संग्रहों के एवज में,	i) Small Savings Collections	4500	6770	2270
ii) भारतीय रिजर्व बैंक के घाटों को पूरा करने के लिए	ii) To cover with RBI deficits	–	521	521
8. विदेशी सरकारों को तकनीकी ऋण के अंतर्गत उधार	8. Technical Credits to Foreign Governments	350	1150	800
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार	9. Non-Plan Loans to Public Enterprises	969	1070	101
10. पुलिस	10. Police	1394	1581	187
11. राज्यों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना	11. Write-off of Loans to States	96	966	870
12. बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र	12. Badarpur Thermal Power Station	288	348	60
13. खाड़ी से निष्क्रमण	13. Gulf Evacuation	--	300	300
14. डाक घाटा	14. Postal deficit	84	150	66
15. पंजाब कार्य योजना	15. Punjab Action Plan	20	79	59
16. भारतीय नौवहन निगम के संबंध में ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण	16. Conversion of loans to equity in respect of Shipping Corporation of India	–	191	191
17. अन्य	17. Others	30026	29815	(-) 211
जोड़	**TOTAL**	**68843**	**76761**	**7918**
केन्द्रीय आयोजना	**Central-Plan**	17618	17594	(-) 24
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता	**Central Assistance to States and U.T. Plans**	12848	12362	(-) 486
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***99309***	***106717***	***7408***

इन वृद्धियों के निम्नलिखित कारण थे :—

1. **ब्याज अदायगियां**— मुख्यतः बड़ी मात्रा में आन्तरिक और बाह्य उधारों के कारण है।

2. **खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता** — भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछली अवधियों की हानियों के विनियमन के लिए बढ़ी हुई आवश्यकता।

3. **देशीय उर्वरकों पर आर्थिक सहायता** — उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन निविष्ट लागतों में वृद्धि और पिछले वर्षों के बकाया दावे।

The increases were due to the following reasons :—

1. **Interest Payments** — Mainly on account of larger quantum of borrowings, internal and external.

2. **Food Subsidy** — Increased requirement for regularisation of losses of the FCI for the earlier periods.

3. **Subsidy on Indigenous Fertilizers** — Increases in production, input costs and carry over claims from the previous years.

4. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता** — निर्यात की मात्रा में वृद्धि, दरों में संशोधन तथा मदों के बढ़ाने और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव की वजह से निर्यातों के रुपए मूल्य में वृद्धि।

5. **किसानों को ऋण राहत संबंधी योजना** — इस योजना के अंतर्गत बैंकों को प्रत्याशित अतिरिक्त अदायगियां।

6. **रक्षा पेंशनें** — 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिणत मूल्य की बहाली के प्रभाव तथा 1 जनवरी, 1986 से परिवार के पेंशनरों सहित रक्षा पेंशनरों के लाभ के लिए विभिन्न उदारीकरण उपाय।

7. (i) **अल्प बचत संग्रहों के एवज में राज्यों को उधार** — अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत प्रत्याशित व्यापक संग्रहों के कारण।

8. **तकनीकी ऋण** — रुपए व्यापार करार के अंतर्गत चालू वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया राशियों को पूरा करने के लिए।

9. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार** — दिल्ली परिवहन निगम तथा एच एस सी एल को उनकी नगद हानियों को पूरा करने के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों की राशियों की मात्रा में वृद्धि तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अतिरिक्त निवेश।

10. **पुलिस** — विभिन्न पुलिस बलों की बढ़ी हुई आवश्यकताएं।

11. **राज्यों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना** — नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को दिए गए ऋणों को कई वर्षों में समानोपात में बट्टे खाते डालने की बजाए पूरी तरह चालू वर्ष में ही बट्टे खाते डालने के संबंध में लिए गए निर्णय के कारण है।

12. **बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र** — उत्पादन लागतों में वृद्धि और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) से प्राप्तियों की कम वसूली के कारण।

13. **खाड़ी से निष्क्रमण** — खाड़ी के संकट के कारण कुवैत से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स आदि को अपेक्षित अदायगियां किए जाने के लिए।

14. **डाक घाटा** — डाक संबंधी प्राप्तियों में पूर्वानुमान से अधिक कमी के कारण।

15. **पंजाब कार्य योजना** — अधिक मात्रा में तारें लगाने और अन्य संबंधित सीमावर्ती निर्माणकार्य करने के लिए।

16. **भारतीय नौवहन निगम** — निगम के पूंजी आधार की पुनः संरचना करने के लिए।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में बचतें मुख्यतः विदेशी सहायता से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत थे।

बजट अनुमान 1991-92

1990-91 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान, 1991-92 में 6705 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, जिसमें से 2936 करोड़ रुपए की वृद्धि आयोजना-भिन्न खाते के अंतर्गत और 3769 करोड़ रुपए की वृद्धि आयोजना खाते के अंतर्गत हुई है। आयोजना खाते में हुई वृद्धि का ब्यौरा इस पुस्तक के भाग III में दिया गया है, जहां वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय आयोजना में शामिल आयोजना परिव्यय और विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं के प्रावधानों से संबंधित ब्यौरे दर्शाए गए है। 1991-92 के आयोजना-भिन्न प्रावधानों में, वृद्धि संबंधी कई मदें शामिल हैं, जिन्हें

4. **Export promotion and Market Development assistance** — Increases in the quantum of export, revision of rates and enlargement of the items as well as increase in rupee value of exports due to fluctuations in the exchange rate.

5. **Scheme for Debt Relief to Farmers** — Anticipated additional payments to Banks under the scheme.

6. **Defence Pensions** — The impact of restoration of commuted value of pension after 15 years, as also the various liberalisation measures for the benefit of defence pensioners including family pensioners from 1st January, 1986.

7. (i) **Loans to States against Small Savings Collections** — Due to anticipated larger collections under the Small Savings Schemes.

8. **Technical credits** — To cover the estimated outstandings at the end of the current year under the Rupee Trade agreements.

9. **Non-Plan Loans to Public Enterprises** — Increase in quantum of Non-Plan loans to DTC and H.S.C.L. to cover their cash losses and for additional investments in PSEs under the Ministry of Defence.

10. **Police** — Increased requirements of various Police Forces.

11. **Write-off of loans granted to States** — Due to the decision taken to write-off the loans to States as recommended by the Ninth Finance Commission entirely in the current year instead of writing them off proportionately over a period of years.

12. **Badarpur Thermal Power Station** — Due to increase in generation costs and less realisation of receipts from DESU.

13. **Gulf evacuation** — For payments required to be made to Air India, Indian Airlines etc. for evacuation of Indian Nationals from Kuwait, on account of the Gulf crisis.

14. **Postal deficit** — Due to less Postal receipts, than anticipated.

15. **Punjab Action Plan** — To enable larger quantum of fencing and other related border works.

16. **Shipping Corporation of India** — For re-structuring the Capital base of the Corporation.

The savings in the Central assistance to State and UT Plans were mainly under projects aided from external assistance.

BUDGET ESTIMATES, 1991-92

Budget Estimates, 1991-92, show an increase of Rs.6705 crores over the Revised Estimates 1990-91 of which Rs.2936 crores are on Non-Plan account and Rs.3769 crores are on Plan account. The details of the increases in the Plan account are indicated in Part III of this volume, where the Plan Outlay and the details of provision for the various projects and schemes of Central Plan, 1991-92 are shown. The increase in Non-plan provisions for 1991-92, consists of a number of items where there are increases, off-set by a number of other items where there are decreases. The main items where there are variations

कमी संबंधी अन्य कई मदों के द्वारा प्रति-संतुलित किया गया है। आयोजना-भिन्न व्यवस्था से संबंधित तथा संशोधित अनुमान, 1990-91 की तुलना में घटबढ़ वाली मुख्य मदें नीचे दर्शाई गई हैं:—

over the Revised Estimates 1990-91 in respect of Non-plan provisions are indicated below:-

(करोड़ रुपए में) (In crores of Rupees)

		संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92	वृद्धि (+) कमी (-) Increase(+) Decrease(-)
आयोजना भिन्न	Non-Plan			
1. ब्याज संदाय	1. Interest payments	21850	27450	5600
2. पुलिस	2. Police	1581	1758	177
3. रक्षा	3. Defence	15750	16350	600
4. डाक घाटा	4. Postal deficit	150	243	93
5. चुनाव	5. Elections	60	200	140
6. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार	6. Charges Payable to IMF	205	409	204
7. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	7. Export Pomotion & Market Development	2700	1224	(-) 1476
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए आयोजना-भिन्न ऋण	8. Non-Plan Loans to Public Enterprises	1067	632	(-) 435
9. राज्यों से संबंधित ऋण को बट्टे खाते डालना	9. Write off of Loans to States	966	–	(-) 966
10. खाड़ी से निष्क्रमण	10. Gulf Evacuation	300		(-) 300
11. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	11. Food subsidy	2450	2600	150
12. *उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता*	12. *Fertilizer Subsidy*	*4400*	*4000*	*(-) 400*
(i) देशी उर्वरक	(i) Indigenous fertilizers	3650	2900	(-) 750
(ii) आयातित उर्वरक	(ii) Imported fertilizers	750	1100	350
13. अन्य	13. Others	25282	24831	(-) 451
जोड़	**Total**	**76761**	**79697**	**2936**

ये वृद्धियां/कमियां निम्नलिखित कारणों से हुई है :—

1. **ब्याज संदाय** — मुख्यतः आंतरिक ऋण और अल्प बचत जमा-राशियों/पत्रों पर और विदेशी ऋणों के संबंध में, जो रुपए की विनिमय दर में संशोधन को हिसाब में लेने पर अधिक ब्याज संदाय के कारण है।

2. **पुलिस** — विभिन्न पुलिस बलों की बढ़ी हुई आवश्यकताओं और अतिरिक्त बटालियन बनाने के कारण है।

3. **रक्षा** — सामान्य वृद्धि और प्रतिबद्धताओं तथा अनिवार्य अदायगियों को पूरा करने के कारण।

4. **डाक घाटा** — डाक संबंधी प्राप्तियों के वृद्धि के कारण है।

5. **चुनाव** — मई-जून, 1991 में हुए मध्यावधि चुनावों पर व्यय के कारण है।

6. **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार** — ऐसी व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्तीय सुविधा के अंतर्गत निकासियों की वृद्धि के कारण है।

7. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास** — मुख्यतः 3 जुलाई, 1991 से निर्यातों के लिए नकद प्रतिपूर्ति योजना बंद करने के कारण है।

8. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार** — यह कमी मुख्यतः उर्वरक कंपनियों, इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उद्यम, दिल्ली परिवहन निगम, भारतीय सड़क निर्माण निगम और राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम के संघ में कम आवश्यकताओं के कारण है।

9. **राज्यों से संबंधित ऋण को बट्टे खाते डालना**
10. **खाड़ी से निष्क्रमण**
— 1991—92 में इन मदों के लिए व्यवस्था न होने के कारण है।

The increases/decreases are due to the following reasons:—

1. **Interest Payments** — Mainly due to larger interest payments on Internal debt, Small Savings deposits/certificates and in respect of External Loans, the latter taking into account, the revision in exchange rates of the rupee.

2. **Police** — Due to increased requirements of various Police forces and raising of additional battalions.

3. **Defence** — Due to normal growth and to meet committed and obligtory payments.

4. **Posteal Deficit** —Due to increase in Postal Working expenses.

5. **Elections** — Due to expenditure on mid-term Elections held in May-June, 1991.

6. **Charges Payable to IMF** — Increase is due to drawals under Stand-by Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility.

7. **Export Promotion and Market Development** — Mainly due to suspension of the Cash Compensatory Support Scheme for Exports, with effect from 3rd July, 1991.

8. **Non-Plan Loans to Public Enterprises** — Mainly due to lesser requirements in respect of Fertilizer companies, Public Enterprises under the Ministry of Steel, Delhi Transport Corporation, Indian Roads Construction Corporation and the National Textile Corporation.

9. **Write-off of Loans to States**
10. **Gulf Evacuation**
— Due to absence of provision for these items in 1991-92.

भाग-II

आयोजना-भिन्न व्यय, 1991-92

आयोजना-भिन्न व्यय शब्द का प्रयोग सरकार के ऐसे सारे व्यय के बारे में किया जाता है, जो आयोजना में शामिल नहीं होता । इसमें विकासात्मक और गैर-विकासात्मक दोनों प्रकार का व्यय शामिल होता है । व्यय का कुछ भाग अनिवार्य देनदारियों से सम्बन्धित होता है, जैसे ब्याज सम्बन्धी अदायगियां, पेंशन प्रभार और राज्यों को सांविधिक अन्तरण । व्यय का अन्य भाग राज्य के दायित्वों के सम्बन्ध में होता है अर्थात् रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा । इसके अलावा, केन्द्र की कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं, जैसे विदेश कार्य, और करेंसी तथा टकसाल, और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग । पिछली आयोजनाओं की अवधि में निर्मित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर किया जाने वाला व्यय भी आयोजना-भिन्न माना जाता है । इसी प्रकार किसी एक आयोजना की अवधि में प्राप्त स्तरों पर जारी सेवाओं और गतिविधियों पर होने वाला व्यय अगली आयोजना में आयोजना-भिन्न के रूप में शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, पहले से चालू अनुसंधान परियोजनाएं और बिजली घरों का प्रचालन व्यय । इस प्रकार, आयोजना के वित्तपोषण के वास्ते लिए गए उधारों पर ब्याज के अलावा, जैसे-जैसे अधिक आयोजनाएं पूरी होती जाती हैं, वैसे ही निर्मित सुविधाओं तथा सेवाओं के अनुरक्षण और प्रचालन पर होने वाले खर्च की बहुत बड़ी राशि, आयोजना-भिन्न व्यय में बढ़ती जाती है ।

आयोजना-भिन्न व्यय के स्थूल श्रेणीवार ब्यौरे विवरण सं. 4 में दिए गए हैं ।

1991-92 के बजट में शामिल की गई आयोजना-भिन्न व्यय की महत्वपूर्ण मदों की जानकारी निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है ।

1. ब्याज सम्बन्धी अदायगियां *(27450.00 करोड़ रुपए)*

इनका सम्बन्ध आन्तरिक ऋण पर ब्याज *(11582.44 करोड़ रुपए)* से है, जिसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राजकोष हुंडियों पर बट्टा *(9588.44 करोड़ रुपए)*, विदेशी ऋण *(2680.41 करोड़ रुपए)*, अल्प बचत जमा और बचत पत्र *(5704.65 करोड़ रुपए)*, गैर-सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधियों की जमा सहित भविष्य निधियां *(7021.41 करोड़ रुपए)*, सरकार के वाणिज्यिक विभागों की आरक्षित निधियां *(124.23 करोड़ रुपए)*, शामिल हैं, जिनमें सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों की सरकार के पास जमा राशियों सहित, अन्य दायित्व *(336.86 करोड़ रुपए)* शामिल हैं ।

2. रक्षा *(16350.00 करोड़ रुपए)*

इसमें रक्षा सेवाओं पर होने वाला राजस्व और पूंजी व्यय, राजस्व प्राप्तियों को घटाकर, शामिल है । इसके घटक ये हैं- थल सेना *(8079.13 करोड़ रुपए)*, नौ सेना *(892.06 करोड़ रुपए)*, वायु सेना *(2054.96 करोड़ रुपए)*, आयुध कारखाने *(112.63 करोड़ रुपए)* और उपर्युक्त सभी सेवाओं का पूंजी परिव्यय *(5211.22 करोड़ रुपए)* ।

3.1 प्रमुख आर्थिक सहायताएं (7824.00 करोड़ रुपए)

3.11 खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता (2600.00 करोड़ रुपए):-भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित खरीद मूल्यों पर केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद करता है । ये अनाज (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को, (ख) आटे की रोलर मिलों और (ग) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और अन्य राहत योजनाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्यों पर दिए जाते हैं । आर्थिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति निगम को उपभोक्ता सम्बन्धी आर्थिक सहायता के रूप में की जाती है । निगम सरकार की ओर से संकट-निरोधक (बफर) भंडार भी रखता है और इसे रखने की लागत

PART-II

NON-PLAN EXPENDITURE 1991-92

Non-Plan expenditure is a generic term used to cover all expenditure of Government not included in the Plan. It includes both developmental and non-developmental expenditure. Part of the expenditure is obligatory in nature e.g. interest payments, pensionary charges and statutory transfers to States. Part of the expenditure is an essential obligation of a State e.g. Defence and internal security. Then, there are special responsibilities of the Centre like external affairs, and currency and mint, and co-operation with other developing countries. Expenditure on maintaining the assets created in previous Plans is also treated as Non-plan expenditure. Similarly, expenditure on continuing services and activities at levels already reached in a Plan period is shifted to Non-plan in the next Plan e.g. educational and health facilities, continuing research projects and operating expenses of power stations. Thus, as more Plans are completed a large amount of expenditure on operation and maintenance of facilities and services created gets added to Non-plan expenditure, besides the interest on borrowings to finance the Plan.

Details of Non-Plan Expenditure by broad categories are given in the Statement No.4.

Important items of Non-plan expenditure included in the Budget for 1991-92 are indicated in the following paragraphs.

1. INTEREST PAYMENTS *(Rs. 27450.00 crores)*

These relate to interest on internal debt *(Rs.11582.44 crores)* which mainly comprise market loans and discount on Treasury bills *(Rs.9588.44 crores)*; external debt *(Rs.2680.41 crores)*, small savings deposits and certificates *(Rs.5704.65 crores)*, Provident funds including deposits of provident funds of non-Government employees *(Rs.7021.41 crores)* Reserve funds of commercial departments of Government *(Rs.124.23 crores)* and other obligations *(Rs. 336.86 crores)* which include deposits of public sector agencies lodged with Government.

2. DEFENCE *(Rs.16350.00 crores)*

This includes revenue and capital expenditure on Defence Services net of revenue receipts. The components are Army *(Rs.8079.13 crores)*, Navy *(Rs.892.06 crores)*, Air Force *(Rs.2054.96 crores)*, Ordnance factories *(Rs.112.63 crores)* and capital outlay on all the above services *(Rs.5211.22 crores)*.

3.1 MAJOR SUBSIDIES (Rs. 7824.00 crores)

3.11 Food (Rs. 2600.00 crores) :- The Food Corporation of India purchases foodgrains for the central pool on procurement prices fixed by government from time to time. These grains are issued to (a) public through public distribution system (b) roller flour mills and (c) for rural employment programme and other relief schemes at issue prices fixed by Government. The difference between economic cost and the issue price is reimbursed to the Corporation as consumer subsidy. The Corporation also carries buffer stock on behalf of Government and is reimbursed the carrying cost including handling, storage, interest and

की, जिसमें उठाने-धरने और भंडारण का खर्च, ब्याज और प्रशासनिक प्रभार शामिल है, प्रतिपूर्ति की जाती है। जिन महत्वपूर्ण घटकों के आधार पर आर्थिक सहायता का अनुमान लगाया गया है, वे निम्नानुसार हैं-

administrative charges. Important parameters on which the subsidy estimate has been framed are :

		(लाख टन in lakh tonnes)	
		गेहूं Wheat	चावल Rice
खरीद	Procurement	97.00	110.00
बिक्री	Offtake	85.00	85.00
औसत संकट निरोधक भण्डार	Average buffer stock	61.98	71.98
		(प्रति क्विंटल दर, रुपयों में Rate per quintal in rupees)	
खरीद लागत और खरीद सम्बन्धी आनुषंगिक व्यय	Purchase cost and procurement incidental	269.05	383.43
वितरण लागत (समूहीकृत)*	Distribution cost (pooled)*	72.29	72.29
कुल आर्थिक लागत*	Total economic cost*	341.34	455.72
बिक्री से प्राप्त राशि (औसत)	Sales Realisation (Average)	229.42	375.22
उपभोक्ता संबंधी आर्थिक सहायता*	Consumer subsidy*	111.92	80.50
		वितरण लागत	लाने-ले जाने की लागत
ब्यौरे	*Details*	*Distribution cost*	*Carrying cost*
भाड़ा	Freight	30.38	4.07
उठाना-धरना	Handling	6.67	5.09
भंडारण	Storage	5.02	16.04
ब्याज	Interest	23.74	39.38
प्रशासन संबंधी ऊपरी खर्च	Administrative overheads	6.48	4.93
*इसमें भंडारण और परिवहन संबंधी हानियां शामिल नहीं हैं।	*Exclude storage and transit losses*	*72.29*	*69.51*

3.12 देशी उर्वरक (2900.00 करोड़ रुपए):- देशी उर्वरकों के सम्बन्ध में प्रतिधारण मूल्य योजना 1977 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उपयुक्त प्रतिलाभ दिलाना है। उर्वरक समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत निवल धनराशि पर 12 प्रतिशत के प्रतिलाभ की अनुमति है। वितरण मार्जिन को घटाकर, इस प्रकार निर्धारित प्रतिधारण मूल्य और सांविधिक रूप से नियंत्रित उपभोक्ता मूल्य के बीच के अन्तर के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रतिधारण मूल्य प्रत्येक संयंत्र के लिए मूल्य निर्धारण की अवधि के लिए निश्चित किया जाता है। तथापि, मूल्य निर्धारण की अवधि के दौरान प्रमुख निविष्टियों में होने वाली घट-बढ़ को देखते हुए आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। अतएव आर्थिक सहायता की मात्रा प्रतिधारण मूल्य, उपभोक्ता मूल्य और उत्पादन के स्तर पर निर्भर होती है। इसके अलावा, विनिर्माताओं को कारखाने से वितरण के स्थान तक उर्वरकों को ले जाने के भाड़े के सम्बन्ध में भी आर्थिक सहायता दी जाती है।

3.12 Indigenous fertilisers (Rs. 2900.00 crores) :- A retention price scheme for indigenous fertilizers is in operation since 1977. This scheme is intended to make fertilizers available to the farmers at reasonable prices and give producers of fertilizers a reasonable return on their investment. The fertilizers are sold at issue prices fixed from time to time.

The retention price scheme allows a 12% return on net worth. The difference between the retention price so fixed less distribution margin and the statutorily controlled consumer's price is allowed as subsidy. The retention price is fixed for each plant over the pricing period. Necessary adjustments are, however, made during the pricing period on account of variation in the prices of major inputs. The quantum of subsidy, therefore, depends on the retention price, the consumers' price and the level of production. In addition, the manufacturers are also allowed freight subsidy for movement of fertilisers from factory to delivery points.

3.13 आयातित उर्वरक (1100.00 करोड़ रुपए) :- चूंकि देशी उत्पादन उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। मुख्यतः उर्वरकों की तीन किस्में अर्थात् यूरिया, डाइ-अमोनियम फास्फेट और म्यूरिएट आफ पोटाश आयात की जाती हैं। ये अनुमान सम्भावित आयात पर आधारित हैं।

3.13 Imported fertilizers (Rs. 1100.00 crores) :- As indigenous production is not adequate to meet the demand for fertilisers, imports are arranged to make up the shortfall. Mainly, three varieties of fertilizers viz. Urea, Di-ammonium phosphate and Muriate of Potash, are imported. The estimates are based on the likely imports.

3.14 निर्यात संवर्धन और बाजार विकास (1224.00 करोड़ रुपए):- इसमें संभावित निर्यात के लिए शुल्क की वापसी के बदले पूरक नकद प्रतिपूरक समर्थन के रूप में बाजार विकास सहायता *(998.00 करोड़ रुपए)*, पात्र संस्थाओं को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले निर्यात वित्त के ब्याज-प्रभारों में 1.5 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने के लिए निर्यात ऋण सुविधा *(200.00 करोड़ रुपए)*, और निर्यात संवर्धन परिषदों आदि को सहायता अनुदान *(26.00 करोड़ रुपए)* शामिल हैं।

3.14 Export promotion and Market Development (Rs.1224.00 crores) :- This comprises market development assistance in the form of supplementary cash compensatory support in lieu of duty drawback for deemed exports *(Rs. 998.00 crores)*, export credit facilities to provide subsidy of 1.5% in interest charges on export finance provided by banks to eligible institutions *(Rs.200.00 crores)* and grants-in-aid to export promotion councils etc *(Rs. 26.00 crores)*.

3.2 किसानों को ऋण राहत (1500.00 करोड़ रुपए):- यह आर्थिक सहायता "कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत पात्र उधारों के उधारकर्ताओं को ऋण राहत देने के लिए है।

3.2 Debt Relief to Farmers (Rs.1500.00 Crores):- The subsidy is towards providing debt relief to borrowers of eligible loans under the "Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990".

3.3 ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता (315.55 करोड़ रुपए):- सरकार द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज की अदायगी सामान्यतः समय-समय पर निर्धारित दरों पर की जाती है। उन विशेष मामलों में, जहां किसी पार्टी को ब्याज की दरों में रियायत दी जाती है अथवा जहां ऋणकर्ता को ऋण पर ब्याज की अदायगी से छूट दी जाती है, वहां ब्याज के बदले आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के बराबर की राशि को सरकार की ब्याज-प्राप्ति मान लिया जाता है।

3.3 Interest subsidies (Rs.315.55 crores) :- Interest on loans sanctioned by the Government is normally payable at the rates prescribed from time to time. In specific cases where a concession is allowed in the rate of interest to a party or where the loanee is exempted from payment of interest on the loans, subsidies are paid in lieu of interest. An amount equal to the subsidy is taken as interest receipt of the Government.

ब्याज की कम दरों की अनुमति खादी और ग्रामोद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए दी जाती है । कुछ विशेष सरकारी उद्यमों जैसे , भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम और केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के पूंजी आधार को पुनर्गठित करने के भाग के रूप में भी ब्याज संबंधी छूट दी गई है ।

ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे विवरण संख्या 5 में दिए गए हैं ।

3.4 अन्य आर्थिक सहायताएं (755.03 करोड़ रुपए)

अन्य आर्थिक सहायताओं के ब्यौरे विवरण संख्या 6 में दिए गए हैं । दो प्रमुख मदें जिनके संबंध में व्यवस्था की गई है, नीचे दी गई हैं :-

(क) रेलवे *(314.11 करोड़ रुपए)*

रेलवे कन्वेंशन समिति की सिफारिशों के रूप में रेलवे की अनेक मदों पर सामान्य राजस्व लाभांश की अदायगी के संबंध में रियायतें दी गई हैं । इनके बारे में प्राप्ति बजट में स्पष्ट रूप से बताया गया है । सामरिक महत्व की लाइनों के कार्य संचालन संबंधित हानियों को छोड़कर रेलवे की लाभांश रियायत सामान्य बजट से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) मिल का बना कपड़ा और हथकरघों पर बना कपड़ा *(240.00 करोड़ रुपए)*: वस्त्रोद्योग और वस्त्रों पर लगाए गए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से प्राप्त होने वाली आय से वित्तपोषित एक स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्ता को मिल निर्मित कंट्रोल का कपड़ा और हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित धोतियां और साड़ियां भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं । हथकरघा कपड़े पर आर्थिक सहायता के लिए 205.00 करोड़ रुपए, जबकि मिल निर्मित कपड़े के लिए 15.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

4. डाक सम्बन्धी घाटा *(243.00 करोड़ रुपए)*

यह डाक सेवाओं के निवल घाटे का द्योतक है । विभाग का अनुमानित कार्यचालन व्यय 1203.00 करोड़ रुपए और प्राप्तियां 960.00 करोड़ रुपए है और इस प्रकार कुल 243.00 करोड़ रुपए का घाटा रह जाता है ।

5. सामान्य सेवाएं

5.01 राज्य के अंग (515.84 करोड़ रुपए):- इसमें संसद *(9.23 करोड़ रुपए)*, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति *(3.15 करोड़ रुपए)*, मंत्रिपरिषद *(12.01 करोड़ रुपए)*, न्याय प्रशासन *(8.13 करोड़ रुपए)* प्रशासनिक न्यायाधिकरण *(6.87 करोड़ रुपए)* निर्वाचन *(200.00 करोड़ रुपए)* और लेखा-परीक्षा विभाग *(255.12 करोड़ रुपए)* के लिए व्यवस्था की गई है ।

5.02 कर-संग्रह (659.99 करोड़ रुपए)- यह व्यवस्था कर संग्रह एजेंसियों के व्यय के लिए है और यह मुख्यतः आयकर विभाग *(250.00 करोड़ रुपए)*, सीमाशुल्क *(200.57 करोड़ रुपए)* और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क *(205.00 करोड़ रुपए)* के सम्बन्ध में है ।

5.03 अनिवार्य जमा पर ब्याज (20.00 करोड़ रुपए):- *यह व्यवस्था* अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना के अन्तर्गत अनिवार्य जमा पर ब्याज की अदायगी यथास्थिति, देय किस्तों की वापसी-अदायगी अथवा जमा राशि की परिपक्वता-पूर्व वापसी-अदायगी के लिए की गई है।

5.04 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार (408.52 करोड़ रुपए):- ये प्रभार प्रतिधारण व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिकता वित्तपोषण सुविधा तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत एस.डी.आर. में विदेशी मुद्रा के आहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय है ।

5.05 सचिवालय सामान्य सेवाएं : (267.26 करोड़ रुपए):- प्रमुख व्यवस्थाएं रक्षा (महानियंत्रक रक्षा लेखा के संगठन सहित) *(147.63 करोड़ रुपए)*, विदेश कार्य *(39.80 करोड़ रुपए)* और गृह (कार्मिक सहित) *(23.09 करोड़ रुपए)* और राजस्व विभाग *(19.63 करोड़ रुपए)* के लिए की गई है ।

5.06 पुलिस (1757.57 करोड़ रुपए) :- यह व्यवस्था विभिन्न पुलिस बलों के लिए है। इसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लिए 548.00 करोड़ रुपए, सीमा सुरक्षा बल के लिए 645.70 करोड़ रुपए, असम राइफल के लिए 190.00 करोड़ रुपए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 178.40 करोड़ रुपए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 110.00 करोड़ रुपए और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए 19.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

Subsidised interest rates are allowed on loans for khadi and village industries. Interest exemption has also been allowed as a part of restructuring of capital base of certain public enterprises like Steel Authority of India, Delhi Transport corporation, and the Central Inland Water Transport Corporation.

Details of interest subsidies are given in Statement No.5.

3.4 Other Subsidies (Rs.755.03 crores)

The details of other subsidies are given in the Statement No.6. Two major items for which the provisions are made are explained below:-

(a) Railways *(Rs. 314.11 crores)*

In terms of the recommendations of the Railway Convention Committee, the Railways have been given concesions in payment of dividend to general revenues on a number of items. These have been explained in the Receipts Budget. The dividend concessions, except that relating to loss in the working of strategic lines is provided to Railways in the form of subsidy from general revenues.

(b) Mill made and handloom cloth *(Rs. 240.00 crores)*: Under a scheme financed from the proceeds of additional excise duties levied in textiles and textile articles, the consumer is supplied mill made controlled cloth and also dhoties and sarees produced in the handloom sector at subsidised rates. Provision for subsidy on handloom cloth is Rs.205.00 crores, while that for mill-made cloth is 15.00 crores.

4. POSTAL DEFICIT *(Rs. 243.00 crores)*

This represents the net deficit of the Postal services. Working expenses of the Department are estimated at Rs.1203.00 crores and receipts at Rs.960.00 crores leaving a deficit of Rs. 243.00 crores.

5. GENERAL SERVICES

5.01 Organs of State (Rs.515.84 crores):– The main provisions are for Parliament *(Rs.9.23 crores)*, President/Vice President *(Rs.3.15 crores)*, Council of Ministers *(Rs.12.01 crores)*, Administration of Justice *(Rs.8.13 crores)*, Administrative Tribunals *(Rs. 6.87 crores)* Elections *(Rs.200.00 crores)* and Audit Department *(Rs. 255.12 crores)*.

5.02 Tax Collection (Rs. 659.99 crores) :–The provisions are for the expenditure of tax collecting agencies, and relate mainly to Income tax department *(Rs.250.00 crores)*, Customs *(Rs.200.57 crores)* and Central Excise *(Rs. 205.00 crores)*.

5.03 Interest on Compulsory Deposits (Rs. 20.00 crores):–The provision is for Interest on compulsory deposits under the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, which is paid along with the repayments of instalments due or premature repayment of deposits as the case may be.

5.04 Charges payable to IMF (RS.408.52 Crores) :–These charges are payable to IMF against drawal of foreign currency in SDRs under the Stand-by Arrangement, Compensatory and Contingency Financing Facility as well as the Extended Fund Facility of the I.M.F.

5.05 Secretariat-General Services (Rs. 267.26 Crores):-The major provisions are for Defence (including the C.G.D.A's organisation) *(Rs. 147.63 crores)* , External Affairs *(Rs. 39.88 crores)* and Home (including Personnel) *(Rs. 23.09 crores)*, and Department of Revenue *(Rs. 19.63 crores)*.

5.06 Police (Rs. 1757.57 crores):–The provision is for the various police establishments. It includes Rs. 548.00 crores for Central Reserve Police, Rs. 645.70 crores for Border Security Force, Rs.190.00 crores for Assam Rifles, Rs.178.40 crores for Central Industrial Security Force, Rs.110.00 crores for Indo-Tibetan Border Police and Rs.19.00 crores for Central Bureau of Investigation.

5.07 विदेश कार्य (308.37 करोड़ रुपए):- यह व्यय मुख्यतः विदेशों में स्थित दूतावासों और मिशनों तथा विशेष राजनयिक व्यय के लिए है ।

5.08 पेंशनें (2298.24 करोड़ रुपए) :- इसमें रक्षा सेवाओं *(1750.00 करोड़ रुपए)* और अन्य सिविल विभागों *(548.24 करोड़ रुपए)* के सेवा-निवृत्त कार्मिकों की पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ शामिल हैं । रेलवे और डाक और दूर संचार विभागों के पेंशन प्रभारों को इन विभागों के कार्यचालन व्यय का भाग माना जाता है।

5.12 अन्य (173.33 करोड़ रुपए):- इसमें भारत सरकार के मुद्रणालयों सहित लेखन सामग्री और मुद्रण के लिए 56.62 करोड़ रुपए, और भारत सरकार की मुख्य टकसालों के लिए 42.40 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं शामिल है ।

इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभाग का राजस्व व्यय इस सेक्टर में शामिल वाणिज्यिक विभागों, कैन्टीन स्टोर विभाग और विभिन्न प्रतिपूर्ति मुद्रण, करेंसी नोट और बैंक नोट मुद्रणालयों और प्रतिभूति कागज कारखाने का राजस्व व्यय 1271.61 करोड़ रुपए और उनकी प्राप्तियां 1291.54 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिससे 19.93 करोड़ रुपए का निवल अधिशेष रहेगा ।

6. सामाजिक सेवाएं

6.01 शिक्षा (673.12करोड़ रुपए) :-इसमें केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 163.01 करोड़ रुपए, गैर-तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए 238.20 करोड़ रुपए, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के लिए 115.74 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के लिए 22.82 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

6.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (260.89 करोड़ रुपए):- इसमें केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लिए 65.32 करोड़ रुपए, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए 38.49 करोड़ रुपए, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 39.00 करोड़ रुपए, पी.जी.आई.एम.ई.आर. चण्डीगढ़ के लिए 22.00 करोड़ रुपए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए 15.61 करोड़ रुपए, ऐलोपैथी से भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए 12.26 करोड़ रुपए, और लोक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थानों के लिए 18.70 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

6.06 सूचना और प्रसारण (344.69 करोड़ रुपए):- इसमें विभिन्न सूचना और प्रचार अभिकरणों जैसे फिल्म डिवीजन, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस सूचना सेवा, संगीत और नाटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग आदि के लिए 75.97 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । प्रसारण के लिए 268.78 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसमें वाणिज्यिक राजस्व निधि में वाणिज्यिक राजस्व के निवल अन्तरण के लिए 138.48 करोड़ रुपए शामिल है। आकाशवाणी का कार्यचालन व्यय 147.38 करोड़ रुपए और इसकी प्राप्तियां 36.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । अनुमान है कि दूरदर्शन का कार्यचालन व्यय 226.67 करोड़ रुपए और इसकी प्राप्तियां 228.00 करोड़ रुपए होंगी ।

6.07 श्रमिक कल्याण (319.17 करोड़ रुपए) :- इसमें कर्मचारी परिवार पेंशन योजना को अंशदान के लिए 204.53 करोड़ रुपए, कोयला खान श्रमिक परिवार पेंशन-एवं-जीवन बीमा निधि में अंशदान के लिए 24.00 करोड़ रुपए और औद्योगिक मजदूरों के लिए जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के लिए 24.30 करोड़ रुपए शामिल है । अन्य योजनाएं, जिनके लिए व्यवस्था की गई है, ये हैं:- औद्योगिक सम्बन्ध, काम की स्थितियां और सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, श्रमिक शिक्षा और कारीगरों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण ।

6.08 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (229.79 करोड़ रुपए):- इसमें स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए 157.10 करोड़ रुपए, गरीब परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए, विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए 6.96 करोड़ रुपए, बाल और महिला कल्याण के लिए 37.75 करोड़ रुपए, विकलांगों के कल्याण के लिए 5.84 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

6.10 अन्य (14.97 करोड़ रुपए):- इसके अन्तर्गत मुख्यतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, पोषाहार और नार्वे से उपहार कागज की पूर्ति सहित आकस्मिक खर्चों के लिए व्यवस्था की गई है ।

5.07 External Affairs (Rs. 308.37 crores):–This expenditure is mainly on the embassies and missions abroad and for special diplomatic expenditure.

5.08 Pensions (Rs. 2298.24 crores):–These include pensions and other retirement benefits of retired personnel of defence services *(Rs.1750.00 crores)* and other civil departments *(Rs. 548.24 crores).* Pensionary charges of Railways and Departments of Posts and Telecommunications are treated as part of operating expenses of these Departments.

5.12 Others (Rs.173.33 crores) :– The major provisions included here are Rs.56.62 crores for stationery and printing including Government of India presses, and Rs.42.40 crores for Government of India Mints.

The revenue expenditure of the commercial departments included in this sector namely the Canteen Stores Department and the various security printing, currency note and bank note presses and Security Paper Mill is estimated at Rs.1271.61 crores and their receipts are placed at Rs.1291.54 crores leaving a net surplus of Rs.19.93 crores.

6. SOCIAL SERVICES

6.01 Education (Rs.673.12 crores) :–The provisions include Rs.163.01 crores for Kendriya Vidyalayas, Rs. 238.20 crores for University Grants Commission for non-technical education, Rs.115.74 crores for Indian Institutes of Technology and Regional Engineering Colleges and Rs. 22.82 crores for National Council for Educational Research and Training.

6.04 Health and Family Welfare (Rs.260.89 crores):–The provisions include Rs. 65.32 crores for Central Government Health Scheme, Rs. 38.49 crores for hospitals and dispensaries, Rs. 39.00 crores for All India Institute of Medical Sciences, Rs.22.00 crores for PGIMER, Chandigarh, Rs.15.61 crores for Indian Council of Medical Research, Rs.12.26 crores for systems of medicine other than allopathy, and Rs.18.70 crores for public health research institutes.

6.06 Information and Broadcasting (Rs. 344.69 crores) :– The provisions include Rs. 75.97 crores for the various information and publicity agencies like Films Division, Directorate of Advertising and Visual Publicity, Press Information Service, Song and Drama Division, Publications Division, etc. The provision of Rs. 268.78 crores for broadcasting includes Rs.138.48 crores for net transfer of commercial revenues to Commercial Revenues Fund. Operational expenses of Akashvani are estimated at Rs.147.38 crores and the receipts at Rs. 36.00 crores. Doordarshan's operational expenses are placed at Rs. 226.67 crores and receipts at Rs. 228.00 crores.

6.07 Labour Welfare (Rs.319.17crores):– The provision includes Rs. 204.53 crores for contribution to Employees Family Pension Scheme, Rs. 24.00 crores to Family Pension cum Life Assurance Fund for coal mine workers and Rs. 24.30 crores for Deposit Linked Insurance Scheme for industrial workers. Other schemes for which provision has been made include industrial relations, working conditions and safety, labour welfare, labour education and training of craftsmen and supervisors.

6.08 Social Security and Welfare (Rs. 229.79 crores) :– The provision includes Rs.157.10 crores for pension and other benefits to freedom fighters, Rs. 5.00 crores for Personal Accident Scheme for poor families, Rs.6.96 crores for relief and rehabilitation of displaced persons, Rs. 37.75 crores for child and women's welfare and Rs.5.84 crores for the welfare of handicapped etc.

6.10 Others (Rs. 14.97 crores) :– The provisions are mainly for Welfare of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, Nutrition and for supply of Gift paper etc. from Norway including incidental expenses.

7. आर्थिक सेवाएं

7.01 कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप (394.91 करोड़ रुपए):- इसमें कृषि कार्य, भूमि और जल संरक्षण, पशु पालन, डेरी विकास, मीन उद्योग, वानिकी और वन्य-जीवन, खाद्य भंडारण, भांडागारण आदि से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए व्यवस्था है । मुख्य व्यवस्थाएं कृषि अनुसंधान और शिक्षा *(173.58 करोड़ रुपए)*, चीनी विकास निधि के लेन-देनों *(111.05 करोड़ रुपए)* और बागानों *(30.42 करोड़ रुपए)* के लिए है । दिल्ली दुग्ध योजना का व्यय 100.54 करोड़ रुपए होगा और इसकी प्राप्तियां 93.19 करोड़ रुपए होगी ।

7.03 ऊर्जा (397.58 करोड़ रुपए) :- इस व्यवस्था में विद्युत केन्द्रों (स्टेशनों)/स्कीमों पर निवल व्यय के लिए 235.58 करोड़ रुपए शामिल हैं । राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र के मामले में व्यय प्राप्तियों से करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है । बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र की प्राप्तियां (285.00 करोड़ रुपए) व्यय *(385.00 करोड़ रुपए)* से 100.00 करोड़ रुपए कम होने की सम्भावना है । इस क्षेत्र में अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा *(33.00 करोड़ रुपए)* और कोयला क्षेत्र में सड़कों के विकास *(23.00 करोड़ रुपए)* से संबंधित हैं ।

7.04 उद्योग और खनिज (423.22 करोड़ रुपए) :- मुख्य व्यवस्थाएं ग्राम और लघु उद्योग, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, न्यूक्लीय ईंधन परियोजनाओं सहित परमाणु ऊर्जा विभाग की औद्योगिक परियोजनाओं, वस्त्रोद्योग और जूट से संबंधित संगठनों और स्कीमों के लिए है । परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं में ईंधन निर्माण सुविधाओं के लिए 15.29 करोड़ रुपए की प्राप्तियों को घटाकर व्यवस्था शामिल है, जिसे वाणिज्यिक सेवा माना जाता है । इसके लिए 141.06 करोड़ रुपए के व्यय और 156.35 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है ।

7.05 परिवहन (292.75 करोड़ रुपए) :- इसमें की गई व्यवस्था मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण *(161.28 करोड़ रुपए)*, सामरिक और सीमावर्ती सड़कों *(16.66 करोड़ रुपए)* फरक्का बराज परियोजना *(8.95 करोड़ रुपए)*, तलकर्षण और सर्वेक्षण संगठन *(40.00 करोड़ रुपए)* से सम्बंधित है । दीप-स्तम्भ और दीप पोत विभाग, जिसे वाणिज्यिक उपक्रम माना जाता है, का व्यय 20.04 करोड़ रुपए और उसकी प्राप्तियां 23.00 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

7.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण (623.41करोड़ रुपए):- इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के लिए 213.02 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 130.03 करोड़ रुपए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्कीमों के लिए 92.21 करोड़ रुपए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए 152.49 करोड़ रुपए और समुद्र-वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 8.49 करोड़ रुपए शामिल है ।

7.12 अन्य (34.87 करोड़ रुपए) :-अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ यह व्यवस्था संयुक्त पूंजी कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों और भारत निवेश केन्द्र को अनुदान देने के लिए की गई है।

8. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान *(2556.30 करोड़ रुपए)*

इनमें नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275(I) के अन्तर्गत अनुदान और विशेष योजनाओं अथवा प्रयोजनों के लिए अन्य अनुदान शामिल है । अगले वर्ष अनुच्छेद 275(I) के अन्तर्गत 1963.93 करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाने का अनुमान है यात्री किराया कर के बदले दिए जाने वाले अनुदानों के लिए 150.00 करोड़ रुपए और प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के लिए 603.00 करोड़ रुपए रखे गए है । अन्य व्यवस्थाओं में विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन के लिए 70.00 करोड़ रुपए, पुलिस योजनाओं के लिए 18.80 करोड़ रुपए , होम गार्ड के लिए 25.00 करोड़ रुपए , जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 10.00 करोड़ रुपए, विस्थापित व्यक्तियों और प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 90.84 करोड़ रुपए रुपए, सीमा-सड़कों के निर्माण एवं-अनुरक्षण के लिए 151.02 करोड़ रुपए, वृहत्तर बम्बई विकास योजना के लिए 7.50 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं शामिल हैं। ब्यौरा विवरण संख्या 10 में दिया गया है ।

9. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न *अनुदान (56.99 करोड़ रुपए)*

इसके अन्तर्गत व्यवस्था मुख्यतः पांडिचेरी के लिए आयोजना-भिन्न राजस्व के अन्तर (51.50 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए की गई है । ब्यौरा विवरण संख्या 10 में दिया गया है ।

7. ECONOMIC SERVICES

7.01 Agriculture and Allied activities (Rs.394.91 crores) :– The provisions are for various schemes relating to crop husbandry, soil and water conservation, animal husbandry, dairy development, fisheries, forestry and wild life, food, storage warehousing etc. Major provisions are for agricultural research and education *(Rs. 173.58 crores)*, Sugar Development Fund transactions *(Rs. 111.05 crores)* and Plantations *(Rs. 30.42 crores)* . The expenditure of Delhi Milk Scheme is placed at Rs. 100.54 crores and its receipts at Rs.93.19 crores.

7.03 Energy (Rs. 397.58 crores) : - The provisions include Rs.235.58 crores for the net expenditure on Power Stations/Schemes. In case of the Rajasthan Atomic Power Station, the expenditure is estimated to exceed the receipts by Rs. 26.71 crores. The receipts of the Badarpur Thermal Power Station *(Rs.285.00 crores)* are likely to be less than the expenditure *(Rs.385.00 cores)by Rs.100.00 crores.* Other major provisions in this sector relate to conservation and safety in Coal mines *(Rs. 33.00 crores)* and development of roads in coal field area *(Rs.23.80 crores).*

7.04 Industry and Minerals (Rs. 423.22 crores) :–The main provisions are for village and small industries, the Geological Survey of India, the industrial projects of Deptt. of Atomic Energy including nuclear fuel projects, and for organisations and schemes relating to textiles and jute. The provision for projects of Deptt. of Atomic Energy includes Rs. 15.29 crores as net receipts on Fuel Fabrication Facilities which is treated as a commercial service. Expenditure is estimated at Rs.141.06 crores and receipts at Rs. 156.35 crores.

7.05 Transport (Rs. 292.75 crores) :– The provisions mainly relate to maintenance of national highways *(Rs.161.28 crores)*, strategic and border roads *(Rs.16.66 crores)*, Farakka Barrage Project *(Rs. 8.95 crores)*, Dredging and Survey organisation *(Rs.40.00 crores).* The expenditure of Light houses and Lightships department which is treated as a commercial undertaking is placed at Rs. 20.04 crores and its receipts at Rs. 23.00 crores.

7.06 Science,Technology and Environment (Rs.623.41 crores):–The provisions include Rs. 213.02 crores for Atomic Energy research, Rs. 130.03 crores for Space research, Rs. 92.21 crores for the schemes of the Department of Science and Technology, Rs.152.49 crores for the Council of Scientific and Industrial Research and Rs. 8.49 crores for oceanographic research.

7.12 Others (Rs. 34.87 crores) :–The provisions include inter-alia the expenditure of office of Registrar of Joint Stock Companies and Grants to Indian Investment Centre.

8. NON -PLAN GRANTS TO STATES *(Rs. 2556.30 crores)*

These include grants under Article 275(1) of the Constitution on the basis of the recommendations of the Ninth Finance Commission and other grants for specific schemes or purposes. Article 275(1) grants next year are estimated at Rs.1963.93 crores. Grants in lieu of tax on passenger fares are placed at Rs.150.00 crores and grants for relief from natural calamities at Rs.603.00 crores. Other provisions include Rs. 70.00 crores for revision of pay scales of University and College teachers, Rs.18.80 crores for Police schemes, Rs.25.00 crores for Home guards, Rs.10.00 crores for modernisation of prison administration, Rs.90.84 Crores for rehabilitation of displaced persons and repatriates, Rs. 151.02 crores for construction and maintenance of border roads, and Rs. 7.50 crores for Greater Bombay development scheme. Details are given in Statement No.10.

9. NON-PLAN GRANTS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS*(Rs.56.99 crores)*

The provision is mainly for Pondicherry to cover its Non-Plan revenue gap *(Rs. 51.50 crores)*. Details are given in Statement No.10.

10. विदेशी सरकारों को अनुदान *(181.04 करोड़ रुपए)*

इसमें मुख्यतः भूटान के लिए 72.35 करोड़ रुपए, नेपाल के लिए 19.63 करोड़ रुपए और अन्य विकासशील देशों के लिए 74.83 करोड़ रुपए (जिसमें अफ्रीका निधि में अंशदान करने के लिए 12.30 करोड़ रुपए शामिल हैं) की व्यवस्था की गई है। ब्यौरा विवरण संख्या 17 में दिया गया है।

11. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय *(1176.23 करोड़ रुपए)*

मुख्य व्यवस्थाएं ये है :- रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के लिए 26.00 करोड़ रुपए,परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी व्यय के लिए 256.23 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 72.98 करोड़ रुपए, तट-रक्षक संगठन के लिए भवनों और समुद्री जहाज, तथा जलयानों वायुयानों के अभिग्रहण के लिए 146.94 करोड़ रुपए, विदेशों में दूतावासों और मिशनों के लिए कार्यालय और रिहायशी इमारतों के लिए 52.50 करोड़ रुपए, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए 30.00 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए भवनों (आवासों सहित) के लिए 120.00 करोड़ रुपए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कार्यालयों और रिहायशी इमारतों के लिए 101.58 करोड़ रुपए और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को अभिदान के लिए 104.82 करोड़ रुपए । ब्यौरा विवरण संख्या 8 में दियागया है ।

12. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण *(6920.15 करोड़ रुपए)*

इसमें राज्य को अल्प बचत संग्रह के एवज में ऋण देने के लिए 6865.00 करोड़ रुपए और दूसरे हुगली पुल के लिए 24.20 करोड़ रुपए के ऋण पश्चिम बंगाल सरकार को देने की व्यवस्था शामिल है । ब्यौरा विवरण संख्या 10 में दिया गया है।

13. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न ऋण *(13.93 करोड़ रुपए)*

इसमें पांडिचेरी को अपने आयोजना-भिन्न पूंजीगत अन्तर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

14. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार *(631.89 करोड़ रुपए)*

इसमें निवेश प्रयोजन के लिए 75.00 करोड़ रुपए और अन्य प्रयोजनों के लिए 556.89 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । दूसरी व्यवस्था में उर्वरक कम्पनियों के लिए 20.00 करोड़ रुपए, भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के लिए 115.74 करोड़ रुपए, वस्त्रोद्योग और जूट कम्पनियों के लिए 124.05 करोड़ रुपए और दिल्ली परिवहन निगम के लिए 35.00 करोड़ रुपए शामिल है । ब्यौरे विवरण संख्या 9 में दिए गए हैं ।

15. विदेशी सरकारों को ऋण *(1213.99 करोड़ रुपए)*

मुख्य व्यवस्थाएं व्यापार और अदायगी करारों के अनुसार तकनीकी ऋणों के लिए 1150.00करोड़ रुपए , बंगलादेश के लिए 10.00 करोड़ रुपए, भूटान के लिए 1.34 करोड़ रुपए, वियतनाम के लिए 10.71 करोड़ रुपए, नामीबिया के लिए 8.50 करोड़ रुपए, श्रीलंका के लिए 10.00 करोड़ रुपए और सुरीनाम के लिए 4.00 करोड़ रुपए । ब्यौरा विवरण संख्या 17 में दिया गया है ।

16. अन्य आयोजना-भिन्न उधार *(231.50 करोड़ रुपए)*

इसमें सरकारी सेवकों आदि को उधार के अलावा उत्पाद राहत स्कीम के अन्तर्गत उधार के रूप में 105.00 करोड़ रुपए की राशि और आवास विकास वित्त निगम के लिए 5 करोड़ रुपए के ऋण की व्यवस्था है, जिसे विदेशी सहायता द्वारा प्रतिसन्तुलित किया जाएगा ।

सरकारी सेवकों आदि को उधार के लिए निवल 118.59 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसमें 160.00 करोड़ रुपए गृह निर्माण (इसमें से 130.00 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अन्तर्गत जमा होने वाली राशि से पूरे किए जाएंगे) के लिए और 58.80 करोड़ रुपए वाहनों की खरीद के लिए है ।

17. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का आयोजना-भिन्न व्यय *(984.70 करोड़ रुपए)*

इनमें यह व्यवस्था की गई है:-दिल्ली के लिए 702.00 करोड़ रुपए अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 132.70 करोड़ रुपए, दादरा और नागर हवेली के लिए 9.16 करोड़ रुपए, लक्षद्वीप के लिए 25.47 करोड़ रुपए, चंडीगढ़ के लिए 103.00 करोड़ रुपए और दमन एवं दीव, संघ राज्य के लिए करोड़ 12.37 करोड़ रुपए ।

ब्यौरे विवरण संख्या 3 में दिए गए है ।

10. GRANTS TO FOREIGN GOVERNMENTS *(Rs.181.04 crores)*

The major provisions are Rs.72.35 crores for Bhutan, Rs.19.63 crores for Nepal, and Rs.74.83 crores for other developing countries (including contribution to the Africa Fund Rs.12.30 crores). Details are given in Statement No.17.

11. NON-PLAN CAPITAL OUTLAY *(Rs. 1176.23 crores)*

The main provisions are Rs.26.00 crores for investment in Public sector undertakings under the control of the Ministry of Defence Rs.256.23 crores on Capital expenditure relating to Atomic energy industries Rs.72.98 crores for construction of national highways, Rs.146.94 crores for buildings and acquisition of ships and vessels for the Coast Guards Organisation, Rs. 52.50 crores for office and residential buildings for embassies and missions abroad, Rs. 30.00 crores for acquisition of immovable property under the Income-tax Act, Rs.120.00 crores for Police buildings (including housing), Rs. 101.58 crores for construction of office and residential buildings by the CPWD, and Rs.104.82 crores for subscriptions to international financial insititutions. Details are given in Statement No.8.

12. NON-PLAN LOANS TO STATES *(Rs 6920.15 crrores)*

The provisions include Rs. 6865.00 crores for loans to States against Collection of Small Savings, and Rs.24.20 crores loans to Govt. of West Bengal for the Second Hooghly bridge. Details are given in Statement No.10.

13. NON-PLAN LOANS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS *(Rs.13.93 crores)*

The provision is for Pondicherry for covering its Non plan capital gap.

14. NON-PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES *(Rs.631.89 crores)*

These include Rs. 75.00 crores for investment purposes and Rs.556.89 crores for other purposes. The latter include Rs.20.00 crores for fertilizer companies, Rs. 115.74 crores for the companies under the Department of Heavy Industries, Rs.124.05 crores for textile and jute companies and Rs. 35.00 crores for Delhi Transport Corporation. Details are given in Statement No:9.

15. LOANS TO FOREIGN GOVERNMENTS *(Rs.1213.99 crores)*

The major provisions are Rs.1150.00 crores for technical credits in terms of trade and payment agreements, Rs.10.00 crores for Bangladesh, Rs.1.34 crores for Bhutan, Rs.10.71 crores for Vietnam, Rs.8.50 crores for Namibia and Rs.10.00 crores for Sri Lanka and Rs.4.00 crores for Surinam. Details are given in Statement No.17.

16. OTHER NON PLAN LOANS *(Rs. 231.50 crores)*

This includes Rs.105.00 crores as loans under the Excise Relief Scheme, besides loans to Government servants etc., and Rs.5 Crores loans to the Housing Devt. Finance Corporation, matched by External assistance.

A net provision of Rs.118.59 crores has been made for loans to Government servants etc. This includes Rs. 160.00 crores for house building (of which Rs. 130.00 crores will be met from the accretions to the Central Government Employees Group Insurance Scheme) and Rs. 58.80 crores for purchase of conveyances.

17. NON-PLAN EXPENDITURE OF UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE *(Rs.984.70 crores)*

The provisions are: Rs.702.00 crores for Delhi Rs.132.70 crores for Andaman and Nicobar Islands, Rs.9.16 crores for Dadra and Nagar Haveli, Rs.25.47 crores for Lakshadweep, Rs. 103.00 crores for Chandigarh and Rs. 12.37 crores for Union Territory of Daman and Diu.

Details are given in Statement No.3.

स्थूल श्रेणियों के अनुसार आयोजना-भिन्न व्यय
NON PLAN EXPENDITURE BY BROAD CATEGORIES

विवरण
STATEMENT 4
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

विवरण	Particulars	1990-91 बजट Budget	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. ब्याज अदायगियां	**1. Interest Payments**	**20850.00**	**21850.00**	**27450.00**
2. रक्षा	**2. Defence**	**15750.00**	**15750.00**	**16350.00**
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	10948.11	11012.44	11138.78
पूंजी खाते पर	On Capital Account	4801.89	4737.56	5211.22
3. आर्थिक सहायता	**3. Subsidies**			
3.1 मुख्य आर्थिक सहायता	*3.1. Major Subsidies*	*8516.00*	*9550.00*	*7824.00*
3.11 खाद्य	3.11. Food	2200.00	2450.00	2600.00
3.12 देशी उर्वरक	3.12. Indigenous Fertilizers	3250.00	3650.00	2900.00
3.13 आयातित उर्वरक	3.13. Imported Fertilizers	750.00	750.00	1100.00
3.14 निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	3.14. Export Promotion & Market Development	2316.00	2700.00	1224.00
3.2 किसानों को ऋण, राहत	*3.2 Debt Relief to Farmers*	*1000.00*	*1500.00*	*1500.00*
3.3 ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताएं (विवरण सं. 5)	*3.3 Interest Subsidies (Statement No-5)*	*391.29*	*378.65*	*315.55*
3.4 अन्य आर्थिक सहायताएं (विवरण सं. 6) *	*3.4 Other Subsidies (Statement No.-6)**	*716.38*	*692.36*	*755.03*
कुल आर्थिक सहायता	***Total Subsidies***	***10623.67***	***12121.01***	***10394.58***
4. डाक घाटा	**4. Postal Deficit**	**84.00**	**150.00**	**243.00**
5. सामान्य सेवाएं	**5. General Services**	**5640.70**	**7185.81**	**6628.81**
5.01 राज्य के अंग	5.01 Organs of State	363.97	364.39	515.84
5.02 कर संग्रह	5.02 Tax Collection	574.36	582.34	659.99
5.03 अनिवार्य जमाओं पर ब्याज	5.03 Interest on C.D	55.00	50.00	20.00
5.04 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार	5.04 Charges payable to IMF	182.98	204.90	408.52
5.05 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	5.05 Secretariat-General Services	254.06	236.57	267.26
5.06 पुलिस	5.06 Police	1393.97	1580.61	1757.57
5.07 विदेश कार्य	5.07 External Affairs	281.33	595.67	308.37
5.08 पेंशन	5.08 Pensions	1997.35	2167.25	2298.24
5.09 राज्यों को दिए गए उधार का बट्टा खाता	5.09 Write off of Loans to States	96.25	966.42	1.29
5.10 लोक निर्माण कार्य	5.10 Public Works	96.51	89.31	105.40
5.11 आसूचना ब्यूरो	5.11 Intelligence Bureau	103.07	101.65	113.00
5.12 अन्य	5.12 Others	241.85	246.70	173.33
6. सामाजिक सेवाएं	**6. Social Services**	**1891.69**	**1854.68**	**2046.06**
6.01 शिक्षा	6.01 Education	639.60	641.10	673.12
6.02 खेल और युवा कार्य	6.02 Sports & Youth Services	24.60	23.03	24.28
603 कला और संस्कृति	6.03 Art & Culture	59.05	56.14	60.27
6.04 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	6.04 Health & Family Welfare	241.88	238.66	260.89
6.05 आवास और शहरी विकास	6.05 Housing & Urban Development	83.56	80.18	91.64
606 सूचना और प्रसारण	6.06 Information & Broadcasting	309.90	301.02	344.69
6.07 श्रमिक कल्याण	6.07 Labour Welfare	271.54	267.09	319.17
608 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6.08 Social Security & Welfare	222.14	207.81	229.79
6.09 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	6.09 Secretariat-Social Services	25.21	25.63	27.24
6.10 अन्य	6.10 Others	14.21	14.02	14.97
7. आर्थिक सेवाएं	**7. Economic Services**	**2521.31**	**2640.66**	**2618.05**
7.01 कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	7.01 Agriculture & Allied Services	423.26	406.85	394.91
7.02 विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन (आर्थिक सहायताओं के अलावा)	7.02 Foreign Trade & Export Promotion (Other than Subsidies)	61.22	53.22	68.23
7.03 ऊर्जा	7.03 Energy	481.17	589.22	397.58
7.04 उद्योग और खनिज	7.04 Industry & Minerals	290.76	369.68	423.22
7.05 परिवहन	7.05 Transport	287.30	269.15	292.75
7.06 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	7.06 Science Technology & Environment	566.64	553.90	623.41
7.07 मौसम-विज्ञान	7.07 Meteorology	40.33	38.96	40.78
7.08 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7.08 Irrigation & Flood Control	51.92	52.52	55.42
7.09 जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	7.09 Census, Surveys & Statistics	178.55	164.51	170.85
7.10 पर्यटन	7.10 Tourism	13.76	13.69	13.24
7.11 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	7.11 Secretariat-Economic Services	93.94	94.15	102.79
7.12 अन्य	7.12 Others	32.46	34.81	34.87
8. राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान(विवरण सं. 10)	**8. Non-Plan Grants to States (Statement No-10)**	**2930.84**	**2880.04**	**2556.30**
9. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना-भिन्न अनुदान (विवरण सं. 10)	**9. Non-Plan Grants to Union Territory Govt. (Statement No-10)**	**55.74**	**49.97**	**56.99**
10. विदेशी सरकारों को अनुदान (विवरण सं.17)	**10. Grants to Foreign Governments (Statement No-17)**	**189.81**	**222.48**	**181.04**
11. आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (विवरण सं. 8)	**11. Non-Plan Capital Outlay (Statement No-8)**	**1181.60**	**1227.18**	**1176.23**
12. राज्यों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं.10)	**12. Non-Plan Loans to States (Statement No-10)**	**4548.52**	**7340.33**	**6920.15**
13. संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं.10)	**13. Non-Plan Loans to UTs (Statement No-10)**	**7.33**	**15.39**	**13.93**
14. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण (विवरण सं. 9)	**14. Non-Plan Loans to Public Enterprises (Statement No-9)**	**955.32**	**1066.97**	**631.89**
15. विदेशी सरकारों को ऋण (विवरण सं. 17)	**15. Loans to Foreign Governments (Statement No-17)**	**404.34**	**1237.99**	**1213.99**
16. अन्य आयोजना-भिन्न ऋण	**16. Other Non-Plan Loans**	**285.56**	**215.80**	**231.50**
17. बिना विधानमण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय (विवरण सं. 3)	**17. Expenditure of UTs without Legislature (Statement No-3)**	**921.92**	**952.90**	**984.70**
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***68842.35***	***76761.21***	***79697.22***
* इसमें राज्यों के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता शामिल है ।	* Includes subsidies released through States	*265.50*	*233.35*	*220.41*

आयोजना-भिन्न आर्थिक सहायता - बजट संबंधी आर्थिक सहायता
NON-PLAN SUBSIDIES - INTEREST SUBSIDIES

विवरण
STATEMENT 5

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

सरकारी उद्यमों आदि का नाम	Name of Public Enterprises etc.	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स	1. Garden Reach Ship Builders & Engineers	4.64	4.64	...
2. मासगांव डॉक लि.	2. Mazagon Dock Ltd.	15.35	15.35	...
3. कोल इण्डिया लि०	3. Coal India Ltd	58.08	58.08	58.08
4. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	4. Industrial Reconstruction Bank of India	2.00	2.00	5.00
5 गोआनी बैंक	5. Goan Banks	0.10	0.10	0.10
6. अनधिसूचित चीनी उपक्रम	6. Denotified Sugar Undertakings	0.10	0.10	...
7. खादी और ग्रामोद्योग आयोग	7. Khadi and Village Industries Commission	34.00	34.00	34.00
(क) खादी उद्योगों के लिए	(a) For Khadi Industries	23.00	23.00	23.00
(ख) अन्य ग्रामोद्योगों के लिए	(b) For Other Village Industries	11.00	11.00	11.00
8. बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कं० लि०	8. Burn Standard & Co Ltd	5.70	5.70	5.70
9. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०	9. Tungabadra Steel Products Ltd.	0.48	0.48	0.48
10. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	10. Interest Subsidy to Press Trust of India	0.05	0.03	0.03
11. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि०	11. Bharat Refractries Ltd (IFICO)	1.63	1.63	...
12. भारत गोल्ड माइन्स लि.	12. Bharat Gold Mines Ltd.	14.00	...	...
13. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	13. Hindustan Antibiotics Ltd.	5.15	5.15	...
14. राष्ट्रीय वस्त्र निगम	14. National Textile Corporation	230.00	229.68	210.00
15. बिन्नी एण्ड कं०	15. Binny & Co.	0.01	1.71	2.16
16. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	16. Heavy Engineering Corporation	20.00	20.00	...
जोड़ - ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	TOTAL-INTEREST SUBSIDIES	391.29	376.65	315.55

आयोजना-भिन्न आर्थिक सहायता - अन्य आर्थिक सहायता (सब्सिडी)
NON-PLAN SUBSIDIES - OTHER SUBSIDIES

विवरण
STATEMENT 6
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

विवरण	Particulars	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. आलुओं तथा प्याज आदि के लिए मूल्य समर्थन क्रियाकलाप	**1. Price support operations for Potatoes, Onions Etc.**	**4.00**	**7.67**	**8.00**
1.01 नाफेड के माध्यम से	1.01 Through NAFED	2.50	5.32	5.50
1.02 राज्य सरकारों के माध्यम से	1.02 Through State Governments	1.50	2.35	2.50
2. मदर डेरी को आर्थिक सहायता	2. Subsidy to Mother Dairy	0.01	0.01	0.01
3. अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों (एयर इंडिया सहित) को बेचे गए विमानन ईंधन पर विक्रय कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगियां	3. Payments to State Governments in lieu of sales Tax on aviation fuel sold to international airlines (including Air India)	45.00	45.00	15.00
4. वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति	4. Reimbursement of losses to S.T.C for export of commodities	15.00	50.00	45.00
5. हज समिति को आर्थिक सहायता	5. Subsidy to Haj Committee	2.24	...	...
6. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए श्वेत मुद्रण कागज	6. White Printing paper for Educational Purposes	20.00	10.00	...
7. लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए रेलवे को आर्थिक सहायता	7. Subsidy to Railways for dividend relief & other concessions	278.75	275.62	314.11
8. रेल व समुद्री मार्ग से कोयले को लाने-ले जाने के लिए आर्थिक सहायता	8. Subsidy for transport of Coal by Rail-cum Sea route	0.20	0.20	0.22
9. चीनी के संकट-निरोधक भंडार को बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता	9. Subsidy on maintenance of buffer stock of Sugar	0.50	0.50	0.50
10. साबुन उद्योग के लिए आयातित चर्बीयुक्त एसिडों के कारण हानियों की पूर्ति के वास्ते राज्य व्यापार निगम को अदायगी	10. Payment to S.T.C to cover losses on import of Fatty acids for Soap industry	...	...	41.53
11. मध्यम और छोटे दर्जे के अखबारों के लिए अखबारी कागज के आयात के कारण हानियों के लिए आर्थिक सहायता	11. Subsidy for loss on import of News print to Medium & Small Newspapers	3.03	3.03	3.18
12. मध्यम और छोटे दर्जे के अखबारों के लिए देशीय अखबारी कागज के लिए सहायता	12. Subsidy for indegenous News print to Medium & Small Newspapers	1.60	0.60	0.01
13. भारत गोल्ड माइन्स लि० को आर्थिक सहायता	13. Subsidy to Bharat Gold Mines Ltd.	8.00	27.17	10.00
14. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि. को आर्थिक सहायता	14. Subsidy to Bharat Aluminium Co. Ltd	2.44	2.44	...
15. गैर-किफायती नौवहन लाइनों के लिए भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता	15. Subsidy to Shipping Corporation of India, for uneconomic Shipping Lines	13.36	13.41	13.72
16. शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	**16. Subsidy to Shipyards**	**32.75**	**28.45**	**49.75**
16.01 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	16.01. Hindustan Ship Yard Ltd	...	...	4.24
16.02 कोचीन शिपयार्ड लि०	16.02. Cochin Ship Yard Ltd	9.00	6.70	15.77
16.03 ट्रालर विकास समर्थन निधि	16.03. Trawler development Support Fund	3.00	1.00	2.00
16.04 पोत-अधिग्रहण-ब्याज विभेदक	16.04. Aquisition of Ships-Interest Differentials	20.75	20.75	27.74
17. जूट और कपास के लिए मूल्य समर्थन क्रियाकलाप	**17. Price Support operations in Jute & Cotton**	**32.00**	**7.00**	**16.00**
17.01 जूट	17.01. Jute	12.00	7.00	6.00
17.02 कपास	17.02. Cotton	20.00	...	10.00
18. मिल में बने कपड़े पर आर्थिक सहायता	18. Subsidy on Mill-made Cloth	10.00	10.00	15.00
19. हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता	**19. Handloom subsidy**	**220.50**	**187.76**	**205.00**
19.01 हथकरघा के कपड़े पर विशेष छूट	19.01. Special Rebate on handloom cloth	50.00	50.00	65.00
19.02 जनता कपड़ों पर आर्थिक सहायता	19.02. Subsidy on Janata Cloth	169.00	136.00	137.91
19.03 अन्य	19.03. Others	1.50	1.76	2.09
20. स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता	20. Subsidy for Voluntary Retirement Schemes	19.00	15.50	10.00
20.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	20.01 Hindustan Steel Works Construction Ltd.	15.00	13.50	10.00
20.02 भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.	20.02 Bharat Refractories Ltd	4.00	2.00	...
21. दंगा-पीड़ितों को ब्याज राहत	21. Interest Relief to riot victims	8.00	8.00	8.00
*जोड़ - अन्य आर्थिक सहायता**	***TOTAL - OTHER SUBSIDIES ****	*716.38*	*692.36*	*755.03*
** इसमें राज्यों के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता शामिल है।*	** Includes subsidies released through States*	*265.50*	*233.35*	*220.41*

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम
DEPARTMENTAL COMMERCIAL UNDERTAKINGS

विवरण
STATEMENT 7

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure	राजस्व व्यय Revenue Expenditure	प्राप्तियां Receipts	निवल व्यय Net Expenditure
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**102.49**	**88.75**	**13.74**	**95.75**	**88.75**	**7.00**	**100.54**	**93.19**	**7.35**
पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	*Department of Animal Husbandry and Dairying*									
1. दिल्ली दुग्ध योजना	1. Delhi Milk Scheme	102.49	88.75	13.74	95.75	88.75	7.00	100.54	93.19	7.35
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**1056.00**	**972.00**	**84.00**	**1050.00**	**900.00**	**150.00**	**1203.00**	**960.00**	**243.00**
2. डाक सेवाएं	2. Postal Services	1056.00	972.00	84.00	1050.00	900.00	150.00	1203.00	960.00	243.00
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	**792.70**	**804.00**	**-11.30**	**815.20**	**827.20**	**-12.00**	**959.55**	**980.00**	**-20.45**
3. कैंटीन स्टोर विभाग	3. Canteen Stores Department	792.70	804.00	-11.30	815.20	827.20	-12.00	959.55	980.00	-20.45
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**286.30**	**309.00**	**-22.70**	**331.37**	**325.14**	**6.23**	**348.89**	**351.54**	**-2.65**
आर्थिक कार्य विभाग	*Department of Economic Affairs*	*248.45*	*279.00*	*-30.55*	*298.20*	*285.14*	*13.06*	*312.06*	*311.54*	*0.52*
4. करेंसी नोट प्रेस	4. Currency Note press	77.27	90.00	-12.73	94.25	98.00	-3.75	93.02	113.63	-20.61
5. बैंक नोट प्रेस	5. Bank Note press	74.03	72.00	2.03	78.47	72.00	6.47	81.34	67.94	13.40
6. सिक्यूरिटी पेपर मिल	6. Security paper Mill	30.83	44.00	-13.17	34.05	44.14	-10.09	48.60	55.97	-7.37
7. इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस	7. India Security Press	53.04	54.00	-0.96	79.55	54.00	25.55	73.00	55.00	18.00
8. सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस	8. Security Printing Press	13.28	19.00	-5.72	11.88	17.00	-5.12	16.10	19.00	-2.90
राजस्व विभाग	Department Of Revenue	37.85	30.00	7.85	33.17	40.00	-6.83	36.83	40.00	-3.17
9. अफीम और एल्कलायड के कारखाने	9. Opium and Alkaloid Factories	37.85	30.00	7.85	33.17	40.00	-6.83	36.83	40.00	-3.17
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**	**324.79**	**230.00**	**94.79**	**324.09**	**262.00**	**62.09**	**374.05**	**264.00**	**110.05**
10. आकाशवाणी	10. Akashvani	136.27	30.00	106.27	136.02	35.00	101.02	147.38	36.00	111.38
11. दूरदर्शन	11. Doordarshan	188.52	200.00	-11.48	188.07	227.00	-38.93	226.67	228.00	-1.33
विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER & NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**	**308.54**	**20.00**	**288.54**	**348.54**	**...**	**348.54**	**385.00**	**285.00**	**100.00**
विद्युत विभाग	*Department of Power*									
12. बदरपुर तापीय बिजलीघर	12. Badarpur Thermal Power Station	308.54	20.00	288.54	348.54	...	348.54	385.00	285.00	100.00
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**20.26**	**22.90**	**-2.64**	**20.23**	**22.90**	**-2.67**	**20.04**	**23.00**	**-2.96**
13. दीप स्तंभ और दीपपोत	13. Lighthouses & Lightships	20.26	22.90	-2.64	20.23	22.90	-2.67	20.04	23.00	-2.96
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**	**359.73**	**378.60**	**-18.87**	**355.40**	**242.29**	**113.11**	**482.46**	**384.15**	**98.31**
14. ईंधन निर्माण सुविधाएं	14. Fuel Fabrication Facilities:	127.30	162.78	-35.48	119.40	80.79	38.61	141.06	156.35	-15.29
15. राजस्थान परमाणु बिजलीघर	15. Rajasthan Atomic Power Station:	55.00	38.48	16.52	55.00	28.75	26.25	60.00	33.29	26.71
16. ईंधन की विस्तृत सूची	16. Fuel Inventory	99.93	124.29	-24.36	126.00	89.20	36.80	206.00	115.23	90.77
17. भारी पानी के पुंज प्रबंध	17. Heavy Water Pool Management:	77.50	53.05	24.45	55.00	43.55	11.45	75.40	79.28	-3.88
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***3250.81***	***2825.25***	***425.56***	***3340.58***	***2668.28***	***672.30***	***3873.53***	***3340.88***	***532.65***

उपर्युक्त विवरण में रेलवे तथा दूरसंचार का राजस्व व्यय और प्राप्तियां शामिल नहीं हैं ।

The above statement does not include the Revenue expenditure and receipts of Railways and Telecommunications.

आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय
NON PLAN CAPITAL OUTLAY

विवरण
STATEMENT 8

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

विवरण	PARTICULARS	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	**1. Non-Plan Investments in Public Enterprises**	**114.82**	**23.00**	**26.00**
रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत	Under Ministry of Defence	84.00	23.00	26.00
1.01 भारत डायनामिक्स लि0	1.01. Bharat Dynamics Ltd	25.00	...	6.00
1.02 हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि0	1.02. Hindustan Aeronautics Ltd	36.00	...	...
1.03 मझगांव डॉक लि0	1.03. Mazagoan Dock Ltd	17.00	17.00	10.00
1.04 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स	1.04. Garden Reach Ship-Builders & Engineers	6.00	6.00	7.00
1.05 भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0	1.05. Bharat Electronics Ltd	...	...	...
1.06 गोआ शिपयार्ड लिमिटेड	1.06. Goa Shipyard Ltd	...	...	3.00
खान मंत्रालय के अंतर्गत	Under Ministry of Mines	30.82	...	...
1.07 भारत गोल्ड माइन्स लि.	1.07. Bharat Gold Mines Ltd.	30.82	...	...
2. विदेशों में दूतावासों और मिशनों के लिए कार्यालय इमारतों का अधिग्रहण/निर्माण	2. Acquisition/Construction Office Buildings for Embassies & Missions Abroad	52.00	47.00	48.50
3. विदेशों में दूतावासों और मिशनों के लिए रिहायशी इमारतों का अधिग्रहण/निर्माण	3. Acquisition/Construction of Residential Buildings for Embassies & Missions Abroad	15.00	8.30	7.00
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	**4. Investments in International Financial Institutions**	**128.25**	**130.76**	**104.82**
4.01 आई बी आर डी	4.01. I.B.R.D	120.27	118.21	96.55
4.02 एशियाई विकास बैंक	4.02. Asian Development Bank	0.02	0.07	0.07
4.03 अफ्रीकी विकास बैंक/निधि	4.03. African Development Bank/Fund	7.96	8.00	8.20
4.04 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	4.04. International Finance Corporation	...	4.48	...
5. सिक्कों के लिए धातुओं की खरीद	5. Purchase of Metals for Coins	51.23	15.56	41.50
6. सोना और चांदी की खरीद	6. Purchase of Gold & Silver	2.50	5.23	2.52
7. तटरक्षक संगठन के लिए जहाजों, पोतों, वायुयानों आदि का अधिग्रहण	7. Acquisition of Ships, Vessels, Aircrafts etc. for Coast Guard Organisation	146.55	136.03	146.94
8. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण	8. Acquisition of Immoveable Properties under Income Tax Act	30.00	30.00	30.00
9. राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए कलात्मक वस्तुओं का अधिग्रहण	9. Acquisition of Art Treasures for National Museum	20.00	20.00	...
10. पुलिस के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण	10. Construction of office Buildings for Police	96.03	128.56	120.00
11. पंजाब कार्रवाई योजना	11. Punjab Action Plan	20.00	79.00	69.36
12. पुलिस के लिए रिहायशी आवासों का निर्माण	12. Construction of Residential accommodation for Police	14.73	12.80	20.00
13. भारत-बंगला देश सीमावर्ती निर्माण कार्य	13. Indo-Bangladesh Border Works	28.00	28.00	51.00
14. आकाशवाणी/दूरदर्शन के लिए भवन/उपस्कर	14. Buildings/Equipments for Akashvani & Doordarshan	15.09	13.21	5.09
15. बी आर डी बी के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण	15. Construction of National High Ways through BRDB	66.90	64.31	72.98
16. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण	16. Construction of Residential Buildings by CPWD	39.69	42.10	55.08
17. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवनों का निर्माण	17. Construction of Office Buildings by CPWD	25.81	30.61	46.50
18. परमाणु ऊर्जा	18. Atomic Energy	233.04	170.70	256.23
19. भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के ऋणों का इक्विटी निवेश में रूपान्तरण	19. Conversion of Loans into Equity investment - Shipping Corporation of India Ltd	...	191.04	...
20. अन्य मदें	20. Other Items	81.96	50.97	72.71
जोड़	**Total**	**1181.60**	**1227.18**	**1176.23**

सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण
NON PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 9

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**	**84.00**	**85.00**	**23.60**
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	*Department of Chemicals and Petrochemicals*	*4.00*	*5.00*	*3.60*
1. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मस्यूटिकल लि०	1. Smith Stainistreet Phamaceuticals Ltd.	1.00	1.00	0.90
2. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मस्यूटिकल्स लि०	2. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	2.00	2.00	1.30
3. बंगाल इम्यूनिटी लि०	3. Bengal Immunity Ltd	1.00	1.00	1.30
4. भारतीय ड्रग एवं फार्मासीयूटीकल्स लि०	4. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	0.00	1.00	0.00
5. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि०	5. Hindustan Insecticides Ltd.	0.00	0.00	0.10
उर्वरक विभाग	*Department of Fertilizers*	*80.00*	*80.00*	*20.00*
6. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि०	6. Hindustan Fertilizers Corpn. Ltd.	40.00	40.00	10.00
7. भारतीय उर्वरक निगम	7. Fertilizers Corpn. of India	40.00	40.00	10.00
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	**62.00**	**75.00**	**75.00**
8. निवेश ऋण:	8. Investment loans:	62.00	75.00	75.00
8.01 भारत अर्थ मूवर्स लि०	8.01 Bharat Earth Movers Ltd.	10.00	8.00	0.00
8.02 भारत डाईनेमिक्स लि०	8.02 Bharat Dynamics Ltd.	27.00	20.00	20.00
8.03 हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लि०	8.03 Hindustan Aeronautics Ltd.	0.00	30.00	25.00
8.04 गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स	8.04 Garden Reach Ship Builders & Engineers	3.00	2.00	3.00
8.05 गोआ शिपयार्ड लि०	8.05 Goa Shipyard Ltd.	2.00	0.00	2.00
8.06 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	8.06 Bharat Electronics Ltd.	20.00	15.00	15.00
8.07 मझगांव पत्तन लि०	8.07 Mazagon Dock Ltd.	0.00	0.00	10.00
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**10.00**	**10.00**	**19.00**
9. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	9. Industrial Reconstruction Bank of India	10.00	10.00	19.00
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**276.35**	**272.03**	**265.84**
सरकारी उद्यम विभाग	*Department of Heavy Industry*	*125.25*	*125.25*	*115.74*
10. भारतीय सीमेंट निगम	10. Cement Corporation of India	25.00	22.50	20.00
11. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	11. National Instruments Ltd	1.50	1.50	1.00
12. भारत आपथालमिक ग्लास लि०	12. Bharat Ophthalmic Glass Ltd	2.50	2.30	2.50
13. भारतीय साईकिल निगम	13. Cycle Corporation of India	14.00	14.00	13.00
14. भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकल निगम	14. National Bicycle Corporation of India	5.00	4.50	5.00
15. स्कूटर्स इंडिया लि०	15. Scooters India Ltd	14.00	17.00	16.00
16. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०	16. Heavy Eng Corpn. Ltd	0.00	0.00	10.00
17. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	17. Mining and Allied Machinery Corporation Ltd	5.00	8.00	8.00
18. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०	18. Engineering Projects India ltd	0.00	0.20	0.00
19. पुनर्वास उद्योग निगम	19. Rehabilitation Industries Corpn.	3.00	3.00	3.50
20. भारत यंत्र निगम लि०	20. Bharat Yantra Nigam Ltd.	7.00	7.00	10.00
21. भारत भारी उद्योग लि०	21. Bharat Bhari Udyog Ltd.	9.00	9.00	13.00
22 टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	22. Tannery and Foot Wear Corporation of India Ltd	3.50	6.00	5.50
23. हिन्दुस्तान पेपर कम्पनी लि०	23. Hindusthan Paper Co Ltd	0.00	0.00	0.00
24. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया	24. Tyre Corporation of India	6.50	6.50	7.00
25. हिन्दुस्तान साल्ट लि०	25. Hindustan Salts Ltd	0.50	0.50	0.50
26. भारत लेदर कारपोरेशन लि०	26. Bharat Leather Corporation Ltd	0.75	0.75	0.74
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिक पुनर्वास का क्रियान्वयन	Implementation of Labour Rehabilitation Scheme in PSUs	28.00	22.50	0.00
इंजीनियरी उद्योग	Engineering Industries	26.75	22.25	0.00
उपभोक्ता उद्योग	Consumer Industries	1.25	0.25	0.00
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	*Department of Small Scale and Agro. & Rural Industries*	*151.10*	*146.78*	*150.10*
27. खादी और ग्रामोद्योग आयोग	27. Khadi and Village Industries Commission	151.00	146.73	150.00
28. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	28. National Small Industries Corpn.	0.10	0.05	0.10
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**	**202.93**	**234.43**	**56.00**
29. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	29. Hindustan Steelworks Construction Ltd.	10.00	36.00	9.00
30. बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	30. Bird Group of companies	5.00	4.50	1.00
31. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (इस्को को निर्ब्याज उधार)	31. SAIL (Interest free loan to IISCO)	150.00	150.00	0.00
32. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०(वी.एस.पी)	32. Rastriya Ispat Nigam Ltd (VSP)	35.93	41.93	44.00
33. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि० (इफिको सहित)	33. Bharat Refractories Ltd (including IFICO)	2.00	2.00	2.00
जल भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**97.10**	**180.07**	**52.60**
34. दिल्ली परिवहन निगम	34. Delhi Transport Corporation	50.00	120.00	35.00
35. केन्द्रीय भारत जल परिवहन निगम	35. Central India Water Transport Corporation	0.10	2.07	0.10

सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण
NON PLAN LOANS TO PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 9

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
36. भारतीय सड़क निर्माण निगम	36. Indian Roads Construction Corporation	47.00	40.00	2.50
37. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	37. Hindustan Shipyard Ltd.	0.00	18.00	15.00
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES**	181.27	165.27	126.80
38. नार्थ ईस्टर्न हैंडलूम एण्ड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कारपोरेशन	38. North Eastern Handloom & Handicrafts Development Corpn.	0.30	0.30	0.30
39. नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन	39. National Textile Corporation	110.00	94.00	73.00
40. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	40. British India Corporation	2.00	2.00	2.00
41. राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	41. National Jute Manufacturers Corporation	45.00	45.00	35.00
42 एलगिन मिल्स	42. Elgin Mills	10.50	10.50	10.50
43. कानपुर टेक्सटाइल मिल	43. Cawnpur Textile Mills	5.00	5.00	2.80
44. बर्ड जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	44. Bird Jute and Export Limited	0.45	0.45	0.45
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिक पुनर्वास का क्रियान्वयन	Implementation of Labour Rehabilitation Scheme in PSUs	8.02	8.02	2.75
राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम	National Jute Manufactures Corporation	6.05	6.05	2.00
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	British India Corporation	1.97	1.97	0.75
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**	41.00	44.50	12.50
45. आवास तथा शहरी विकास निगम	45. Housing & Urban Development Corporation	15.00	18.50	10.00
46. हिन्दुस्तान प्री-फैब लि०	46. Hindustan Pre-fab Ltd.	1.00	1.00	1.00
47. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन	47. National Building Construction Corporation	25.00	25.00	1.50
कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF WELFARE**	0.67	0.67	0.55
48. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	48. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	0.67	0.67	0.55
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	*955.32*	*1066.97*	*631.89*

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना भिन्न अनुदान और ऋण
NON-PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 10

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	Ministries/Deptts.	बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant @	ऋण Loan	जोड़ Total
राज्य सरकारें	**STATE GOVERNMENTS**									
1. कृषि तथा सहकारिता *	1. Agriculture & Cooperation *	...	...	...	...	-1.83	-1.83	...	...	...
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.25	...	0.25
3. नागर विमानन	3. Civil Aviation	0.81	...	0.81	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
4. वित्त **	4. Finance **	2476.83	4500.00	6976.83	2431.20	7290.51	9721.71	2138.68	6865.00	9003.68
4.01 लघु बचतों के एकत्रीकरण के विरुद्ध राज्य सरकारों को ऋण	4.01 Loans to State Govts. against small saving collection	...	4500.00	4500.00	...	6770.00	6770.00	...	6865.00	6865.00
4.02 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुदान	4.02 Grants under Article 275 (1) of the Constitution.	2326.45	...	2326.45	2252.42	...	2252.42	1963.93	...	1963.93
4.03 रेल यात्री किराया कर के बदले अनुदान	4.03 Grants in lieu of Tax on Railway Passenger Fares.	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00
4.04 दैवी विपत्तियों के लिए सहायता	4.04 Assistance on account of natural calamities .	...	...	...	4.03	...	4.03	...	...	...
4.05 संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए ऋण	4.05 Loans to cover gaps in resources .	...	...	...	...	520.51	520.51	...	...	...
4.06 भोपाल गैस त्रासदी कार्य योजना के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान	4.06 Grant to Madhya Pradesh for Bhopal Gas Tragedy Action Plan	...	...	...	24.45	...	24.45	24.45	...	24.45
4.07 अन्य	4.07 Others.	0.38	...	0.38	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
5. गृह	5. Home Affairs	148.19	6.53	154.72	141.84	7.78	149.62	156.44	7.43	163.87
5.01 होमगार्ड	5.01 Home Guards	22.50	...	22.50	22.50	...	22.50	25.00	...	25.00
5.02 पुलिस	5.02 Police	12.80	...	12.80	17.80	...	17.80	18.80	...	18.80
5.03 विस्थापितों और प्रत्यावर्तियों का पुनर्वास	5.03 Rehabilitation of DPs and repatriates	91.15	...	91.15	81.80	...	81.80	90.84	...	90.84
5.04 जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	5.04 Modernisation of prison administration	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
5.05 अन्य	5.05 Others	11.74	6.53	18.27	11.74	7.78	19.52	11.80	7.43	19.23
6. शिक्षा	6. Education	119.07	2.85	121.92	97.96	2.85	100.81	84.64	2.85	87.49
6.01 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमानों में सुधार	6.01 Improvement in Salary Scales of University & College Teachers	104.54	...	104.54	84.54	...	84.54	70.00	...	70.00
6.02 अन्य	6.02 Others.	14.53	2.85	17.38	13.42	2.85	16.27	14.64	2.85	17.49
7. युवा कार्य और खेल	7. Youth Affairs & Sports	12.93	...	12.93	12.69	...	12.69	13.14	...	13.14
8. जल-भूतल परिवहन	8. Surface Transport									
801 सड़कें	8.01 Roads	143.05	22.00	165.05	143.16	22.00	165.16	151.02	24.20	175.22
9. शहरी विकास	9. Urban Development	21.50	...	21.50	17.50	...	17.50	7.50	...	7.50
10. अन्य मंत्रालय/विभाग	10. Other Ministries/Departments	8.31	17.14	25.45	35.04	19.02	54.06	4.13	20.67	24.80
जोड़-राज्य सरकारें	**TOTAL- State Governments**	**2930.84**	**4548.52**	**7479.36**	**2880.04**	**7340.33**	**10220.37**	**2556.30**	**6920.15**	**9476.45**
संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES**									
1. गृह	1. Home Affairs	54.54	7.33	61.87	48.77	15.39	64.16	55.51	13.93	69.44
2. अन्य मंत्रालय/विभाग	2. Other Ministries/Departments	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.48	...	1.48
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	**TOTAL-Union Territories**	**55.74**	**7.33**	**63.07**	**49.97**	**15.39**	**65.36**	**56.99**	**13.93**	**70.92**
कुल जोड़-आयोजना-भिन्न	***GRAND TOTAL - NON PLAN***	***2986.58***	***4555.85***	***7542.43***	***2930.01***	***7355.72***	***10285.73***	***2613.29***	***6934.08***	***9547.37***
@ इसमें राज्य सरकारों के माध्यम से जारी की गई आर्थिक सहायताएं शामिल नहीं है।	*@ Excludes subsidies released through State Governments*	*265.50*			*233.35*			*220.41*		

** इसमें (वसूलियों को घटाकर) कृषि निविष्टियों के लिए अल्पावधिक उधार शामिल है ।*
** Includes short term loans for agricultural inputs (net of recoveries)*

*** इसमें अर्थोपाय अग्रिम शामिल नहीं है जो वसूलियों से प्रतिसंतुलित हो गए है ।*
*** Excludes ways and means advances matched by recoveries*

खण्ड – III

आयोजना परिव्यय 1991-92

इस भाग में 1991-92 की केन्द्रीय आयोजना में शामिल विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए आयोजना-परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है । केन्द्रीय आयोजना 1991-92 के सारांश में आयोजना परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है : (i) विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विकास क्षेत्रों और विकास शीर्षों के अनुसार, और (ii) मंत्रालय/विभाग-वार आबंटन । वास्तविक लक्ष्यों का संबंध, जहां कहीं वे दिए गए हों, समूचे आयोजना-परिव्यय से है और इसमें बजट सहायता तथा आन्तरिक और बजटेत्तर साधन दोनों शामिल हैं । विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और स्कीमों के कार्यनिष्पादन का और अधिक विश्लेषण कार्यनिष्पादन बजटों में दिया गया है, जो मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे जिनका उस विकास व्यय से संबंध है।

1990-91 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के मुकाबले 1991-92 के आयोजना परिव्यय में की गई व्यवस्था इस प्रकार है :

PART – III

PLAN OUTLAY 1991-92

This part depicts the Plan outlay for various projects, programmes and schemes included in the Central Plan for 1991-92. The summary of the Central Plan 1991-92 gives Plan outlays (i) by sectors of development and heads of development under the various sectors and (ii) Ministry/Department-wise allocations. The physical targets, wherever given, are relatable to the entire Plan outlay which includes both the budgetary support and the internal and extra budgetary resources (IEBR). A more detailed analysis of the performance of various projects, programmes and schemes will be available in the Performance Budgets which will be separately presented by the Ministries/ Departments dealing with developmental expenditure.

The Central Plan outlay for 1991-92 compares with the outlay for 1990-91 as under:

(करोड़ रुपए Rupees in Crores)

		बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates 1991-92
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट व्यवस्था	Budgetary support for Central Plan	17617.82*	17593.61*	19014.84*
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजटेत्तर संसाधन	Internal and extra budgetary resources of Public Enterprises	21711.44	20458.72	23953.91
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**Central Plan Outlay**	**39329.26**	**38052.33**	**42968.75**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए बजट में दर्शायी गई केन्द्रीय सहायता	**Central assistance for States and Union Territories' Plans as reflected in the Budget**	**12848.37**	**12362.24**	**14710.03**
*इसमें प्राप्तियों के अनुरूप रेलवे- पूंजीगत व्यय शामिल है	*Includes Railway Capital expenditure matched by receipt	274.00	166.67	...

कृषि और संबद्ध गतिविधियां

फसल कार्य : इस शीर्ष के अंतर्गत सभी फसल प्रधान कार्यक्रमों तथा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश पर बल दिया गया है । विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम तथा मिनिकिट कार्यक्रमों को जारी रखने और सुदृढ़ बनाने का भी प्रस्ताव है । छोटे तथा सीमान्तिक किसानों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमिगत जल और जल-भूतल जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है । इसमें दालें तथा तिलहन विकास, वर्षा पोषित कृषि कार्यक्रम, विस्तार तथा प्रशिक्षण, उर्वरक तथा बीज, पौधा संरक्षण, कृषि के औजार, सांख्यिकी आदि के लिए परिव्यय शामिल है । वर्ष 1991-92 के लिए 663.15 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

भूमि और जल संरक्षण : इस शीर्ष के अधीन किए गए परिव्यय में मुख्यतः इनके लिए व्यवस्था की गई है :- मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में भूमि के कटाव को कम करने के लिए भूमि और जल संरक्षण उपाय, मृदा मिश्र का संरक्षण और जलाशयों में गाद को रोकना और सिन्धु-गंगा बेसिन में बाढ़ की आशंका वाली नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में समन्वित जलक्षेत्र प्रबन्ध करना और केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय (ऊसर) भूमि का सुधार । वर्ष 1991-92 के लिए 100.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

पशुपालन : पशु-विकास के सामान्य रूप से दो उद्देश्य हैं । पहला बढ़ती हुई आबादी के लिए जानत्य प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना और दूसरा, कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशु-शक्ति प्रदान करना है । वर्ष 1991-92 के लिए 59.82 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, इसमें से 5 करोड़ रुपए की राशि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की रिंडरपेस्ट परियोजना के लिए है ।

डेरी विकास : इस शीर्ष में मुख्य रूप से भरपूर दूध की पूर्ति-III कार्यक्रम के लिए व्यवस्था की गई है. जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वस्तु सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से ऋण सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण और भारतीय डेरी विकास निगम के आन्तरिक साधनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना का उद्देश्य 80 लाख ग्रामीण दुग्ध उत्पादक परिवारों को लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत दूध का उत्पादन करने वाले

AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

Crop Husbandry : The major thrust under this head is on all the crop oriented programmes while ensuring adequate investment flows for increasing production and productivity of food grain crops. The Special Foodgrains Production Programme, Integrated Rice Development Programme and Minikit Programmes are proposed to be continued and strengthened. Provision of conjuctive use of ground and surface water for increasing agricultural productivity of small and marginal farmers is also being taken up. It also includes outlay for pulses and oilseed development, rainfed farming programmes, extension and training, fertilizers and seeds, plant protection, agricultural implements, statistics etc. The outlay for 1991-92 is Rs.663.15 crores

Soil and Water Conservation : The outlay under this head is provided for undertaking soil and water conservation measures in catchments of major river valley projects with a view to reducing soil erosion, conserving soil mixture and preventing siltation in reservoirs, and integrated watershed management in the catchments of flood-prone rivers in the Indo-Gangetic Basin, and for Reclamation of Alkali (Usar) Soils under Centrally Sponsored Programme and also with EEC assistance. The outlay for 1991-92 is Rs.100.00 crores.

Animal Husbandry : Development of livestock in general has a two fold objective. First, to make available adequate quantity of animal protein for the growing population, and second to supply adequate animal power to sustain the growth of agricultural production. The outlay for 1991-92 is Rs. 59.82 crores of this an amount of Rs.5.00 crores has been earmarked for EEC assisted Rinderpest Project.

Dairy Development: This head mainly provides for Operation Flood III Programme, which is being implemented with commodity assistance from European Economic Community, credit assistance from International Development Agency (IDA), loan from International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)and internal resources of the National Dairy Development Board. The project is intended to benefit 8 million rural milk-producer families. The project

190 जिले शामिल हैं जिनका उनकी दुग्ध उत्पादन संभाव्यता के आधार पर पता लगाया गया है । इसमें दिल्ली दुग्ध योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है । वर्ष 1991-92 के लिए 97.96 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

मीन उद्योग : इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय को मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछली अवतरण केन्द्रों के निर्माण, अन्तर्देशीय मीन उद्योग का विकास, मीन उद्योग सहकारियों के लिए तटीय मीन उद्योग तथा खारा पानी जलकृषि में प्रशिक्षण और यांत्रिक मछली पकड़ने की नावों में प्रयोग में आने वाले हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाएगा । वर्ष 1991-92 के लिए 65.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

वानिकी और वन्य जीवन : वर्ष 1991-92 के परिव्यय में 183.21 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है । इसमें राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की योजनाओं, एकीकृत भूमि तथा जल संरक्षण योजनाओं, सामाजिक वनपालन और वन संरक्षण, विकास और पुनः प्रजनन के लिए परिव्यय शामिल है । इसमें जनजाति विकास, वन्य जीवन संरक्षण तथा प्रबंध तथा राष्ट्रीय उद्यानों और पक्षी-विहारों तथा टाईगर प्रोजेक्ट के लिए भी व्यवस्था सम्मिलित है ।

बागान : इस शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय का उपयोग, चाय, काफी, रबड़ तथा मसालों जैसे निर्यात-प्रधान बागानों के विकास के लिये किया जाता है। वर्ष 1991-92 के लिए 50.82 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

खाद्य, भण्डारण और भाण्डागारण : इस परिव्यय में ये शामिल हैं:

(i) खाद्य, कृषि उत्पाद और अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागारण निगम में निवेश;

(ii) छोटे/सीमान्त किसानों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए भाण्डागारण संबंधी आवश्यकताओं हेतु ग्रामीण गोदामों की राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना, ताकि वे घबराहट में शीघ्र बिक्री न करें;

(iii) फल और सब्जियों का संसाधन;

(iv) अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन; तथा

(v) वनस्पति तेल एवं वसा तथा तिलहन एवं तेलों के विषय में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम ।

1991-92 के लिए 101.67 करोड़ रुपए की व्यवस्था है । 1991-92 के लिए निर्धारित परिव्यय का उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (सी. डब्ल्यू. सी.) की भाण्डागारण क्षमता में वृद्धि करना है ।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा: जारी अनुसंधान कार्यक्रमों और अन्य वचनबद्धताओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य बल दिए जाने के कारण 1991-92 के लिए 189.95 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

कृषि वित्तीय संस्थाएं : वर्ष 1991-92 के लिए 131.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए कृषि ऋण देने के लिए 120 करोड़ रुपए तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 11.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

सहकारिता : इस परिव्यय में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है : कम विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाएं, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, संस्थाओं की इमारतों के लिये सहकारी विकास योजना, अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिये विशेष योजना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाई गई सहकारी समितियों के लिये विशेष योजना, दीर्घकालिक सहकारी ऋण ढांचों के विकास के लिये विस्तृत योजना, भूमि विकास बैंक आदि । 1991-92 के लिए 206.27 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

अन्य कृषि-संबंधी कार्यक्रम : इस परिव्यय में 9.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषि विपणन को सुधारने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख एवं गौण बाजारों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृषि उत्पाद बाजारों को विकसित करने के लिए की गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाजार-अनुसंधान, जांच, मानकीकरण तथा गुणवत्ता-नियंत्रण जैसी अन्य स्कीमें सम्मिलित हैं ।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : वर्ष 1991-92 के लिए कुल परिव्यय 513.40 करोड़ रुपए हैं (आइ. आर. डी. पी. 375.64 करोड़ रुपए, ब्लाक स्तर पर प्रशासन 14.76 करोड़ रुपए, टी.आर.वाई.एस.ई.एम. 8.00 करोड़ रुपए, डी.पी.ए.पी. 56.00 करोड़ रुपए, डी.डी.पी. 55 करोड़ रुपए । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जो एक प्रमुख गरीबी हटाओ कार्यक्रम है, का उद्देश्य आर्थिक सहायता और संस्थागत ऋण के माध्यम से

will cover 190 milk shed districts identified on the basis of their potential for milk production. It also includes provision for Delhi Milk Scheme. The outlay for 1991-92 is Rs. 97.96 crores.

Fisheries : The outlay under this head is utilised for constructing fishing harbour, fish landing centres, development of inland fisheries, coastal fisheries and brackish water aquculture for training of fishery cooperatives and also for reimbursement of excise duty on HSD oil used in mechanised fishing boats. The outlay for 1991-92 is Rs.65.00 crores.

Forestry and Wild Life: The outlay for 1991-92 is Rs. 183.21 crores. The outlay includes schemes of National Wastelands Development Board, Integrated Soil and Water Conservation schemes, social forestry, Forest conservation, development and regeneration. It will also cover Tribal development, Conservation and management of wildlife including development and conservation of National Parks and Sanctuaries and Project Tiger.

Plantations: The outlay under this head is utilised for development of export oriented plantations, such as tea, coffee, rubber and spices. The outlay for 1991-92 has been kept at Rs.50.82 crores.

Food, Storage and Warehousing: The outlay includes :

(i) investment in Food Corporation of India and Central Warehousing Corporation in connection with storage of food, agricultural produce and other notified commodities ;

(ii) establishment of national grid of rural godowns for storage requirements for agricultural produce by small/marginal farmers to avoid distress sale by them;

(iii) fruit and vegetable processing;

(iv) research, training and evaluation; and

(v) vegetable oils and fats and Research & Development Programme in oil seeds & oils.

Outlay for 1991-92 is Rs.101.67 crores. Outlay during 1991-92 is to augment the storage capacity of Food Corporation of India and Central Warehousing Corporation (CWC).

Agricultural Research and Education: Keeping in view the ongoing research programmes and other commitments as well as the major thrust during the next five year Plan, the provision is Rs.189.95 crores for 1991-92.

Agricultural Financial Institutions : The outlay for 1991-92 has been kept at Rs.131.00 crores. It includes an outlay of Rs.120.00 crores for NABARD, for providing agricultural credit and Rs.11.00 crores for Regional Rural Banks.

Co-operation: The provison includes outlay for assistance to Cooperative Credit Institutions in under-developed States, National Cooperative Development Corporation, National Agricultural Cooperative Marketing Federation Limited, Cooperative Development Scheme for institution building, special scheme for cooperative institutions in comparatively weaker States/Union Territories, special scheme for cooperative societies set-up for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, comprehensive scheme for development of long-term cooperative credit structure, Land Development Banks etc. The outlay for 1991-92 is Rs.206.27 crores.

Other Agricultural Programmes: Outlay of Rs.9.00 crores is for improving agricultural marketing, development of agricultural produce markets for providing infrastructural facilities for primary and secondary markets in rural areas. Market research, investigation, standardisation and quality control are the other schemes covered by this programme.

RURAL DEVELOPMENT

Special Programmes for Rural Development: The total central outlay for 1991-92 is Rs. 513.40 crores (IRDP-Rs.375.64 crores, Strengthening of Block level Administration Rs.14.76 crores, TRYSEM : Rs.8.00 crores DPAP: Rs.56.00 crores, DDP: Rs.55.00 crores). The objective of IRDP, which is a major poverty alleviation programme, is to assist identified families below the poverty line

गरीबी की रेखा से नीचे के चुनिंदा परिवारों को उनकी आय के स्तर में सुधार करने में समर्थ बनाना है । केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता बराबर-बराबर दी जाती है । इस कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि लाभानुभोगियों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से और 40 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित होना चाहिए । लाभों का 3 प्रतिशत शारीरिक दृष्टि से विकलांगों के लिए रखा गया है । ब्लाक स्तर पर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है । ऐसी आशा है कि वर्ष 1991-92 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 22.54 लाख परिवारों को सहायता दी जाएगी ।

ग्रामीण युवक आत्म नियोजन प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.) के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के युवकों को तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्व-रोजगार अथवा वेतन वाले रोजगार प्राप्त कर सके । प्रशिक्षणार्थियों को वजीफे और औजारों के किट निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं । टी.आर.वाई.एस.ई.एम. के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के तकनीकी संस्थान और स्वैच्छिक संगठन, जो टी.आर.वाई.ई.एस.एम. के लाभानुभोगियों को प्रशिक्षण देते है, को सहायता देने की भी एक योजना है । केन्द्रीय संस्थान शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त करते है जबकि अन्य संस्थानों को केन्द्र और राज्य सरकारों से बराबर का अंश प्राप्त होता है ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य दीर्घावधि में पारिस्थितिक पुनःस्थापना करना है। यह कार्यक्रम भूमि, जल और मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है । इस कार्यक्रम को केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है ।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम पूर्णरूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है । इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य वनरोपण, घास वाली भूमि का विकास, बालू टिब्बा स्थिरीकरण और भूमिगत जल के संरक्षण आदि जैसे अधिकतम मिश्रित उपायों के जरिए चुने हुए गर्म और ठंडे शुष्क क्षेत्रों का विकास करना है । इन उपायों के जरिए कार्यक्रम का लक्ष्य इन क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाना है तथा इन क्षेत्रों की जनसंख्या की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाना है ।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खपत तथा उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों को तैयार करने और उनकी योजना बनाने का कार्य शामिल किया गया है।

ग्रामीण रोजगार : केन्द्रीय जवाहर रोजगार योजना के लिए वर्ष 1991-92 के लिए कुल परिव्यय 2100.00 करोड़ रुपए है । इस योजना को वर्ष 1989-90 में पहले के दो कार्यक्रमों — ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर शुरु की गई थी और तब से इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार देना है । जवाहर रोजगार योजना के गौण उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक आधारभूत-ढांचे को सुदृढ करके सतत् रोजगार और ग्रामीण निर्धनों के पक्ष में उनके सीधे और निरंतर लाभों के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत व्यय के लिए केन्द्र और राज्यों का हिस्सा 80:20 है । योजना के अंतर्गत, जिला और गांव के हिस्से की निधियों के संबंध में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी क्रमशः डी.आर.डी.ए./जिला परिषद और ग्राम पंचायत की है । जे.आर.वाई. के अनतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता देश में कुल ग्रामीण निर्धनों के किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण निर्धनों के अनुपात के आधार पर आवंटित की जाती है । इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में निर्धारित क्षेत्रों के लिए व्यवस्था करके आवंटित राशियां जो 80 प्रतिशत से कम न हो, जिले में ग्राम पंचायत को वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है । शेष 20 प्रतिशत राशियों का अन्तर-ब्लाक/ग्राम निर्माण कार्यों के लिए जिला स्तर पर उपयोग किया जा सकता है । राष्ट्रीय स्तर पर, इस कार्यक्रम के तहत संसाधनों का 6 प्रतिशत इन्दिरा आवास योजना के लिए रखा गया है । इसके अलावा जे.आर.वाई. के अन्तर्गत संसाधनों का 20 प्रतिशत मिलियन वैल स्कीम (एम.डब्ल्यू.एस.) के लिए निर्धारित किया गया है । जे.आर.वाई. के अन्तर्गत कामगारों को अदा की जाने वाली मजदूरी वही न्यूनतम मजदूरी है जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित की गई है ।

भूमि सुधार : 1991-92 के लिए अनुमोदित परिव्यय 34.61 करोड़ रुपए का रखा गया है । परिव्यय में वृद्धि, सरकार द्वारा राजस्व तंत्र को सुदृढ बनाने के लिए अधिक बल दिए जाने तथा भूमि संबंधी रिकार्ड को अद्यतन बनाने, कृषि संबंधी अध्ययनों और भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण और अभ्यर्पितियों को आवंटित फालतू भूमि के अधिकतम विकास के लिए

through subsidy and institutional credit in order to enable them to improve their level of income. The subsidy is mobilized on 50:50 sharing basis by the Centre and States and the programme is implemented through the District Rural Development Agencies. Under the Programme it has been provided that 50% of the beneficiaries should belong to SC/ST, and 40% should be women. 3% of the benefits are also earmarked for the physically handicapped. This also includes provision for stengthening of Block Level Administration. It is expected that 22.54 lakh families will be assisted under IRDP during 1991-92.

Under Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSEM), rural youth from families below the poverty line are provided with technical skills in order to enable them to take up self or wage employment. Stipends and free tool kits are provided to the trainees. There is also a scheme under TRYSEM for providing assistance to technical institutions belonging to Central and State Governments and voluntary organisations which provide training to TRYSEM beneficiaries. Central institutions get 100% grant while all other institutions receive matching share from the Centre and the State Governments.

The Drought Prone Area Programme (DPAP) is an integrated area development programme aimed at ecological restoration on a long term basis. This is based on the strategy of optimum utilisation of land, water and human resources with a view to improving quality of life of weaker sections of rural society by mitigating effects of drought in drought prone areas. The programme is funded by the Centre and States on 50 : 50 basis.

The Desert Development Programme (DDP) is funded entirely by the Central Government. The broad objective of the programme is development of the selected hot and cold arid areas through optimum mix of measures such as afforestration, grass land development, sand dune stabilisation and conservation of ground water etc. Through these measures the programme aims to enhance the productivity of these areas thereby increasing the income and employment opportunities of the population.

Integrated Rural Energy Planning Programme involves the preparation and planning of decentralised energy systems to meet the energy needs for domestic consumption as well as productive activities in rural areas.

Rural Employment : The total outlay for 1991-92 in the Central share for Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is Rs. 2100.00 crores. The Yojana was launched during the year 1989-90 after merging the erstwhile programme - Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) and National Rural Employment Programme (NREP) - and since then is being continued with the primary objective of generation of additional gainful employment for the unemployed persons in the rural areas. The secondary objectives of JRY are creation of sustained employment by strengthening rural economic infrastructure and also assets in favour of rural poor for their direct and continuing benefits and improvement in the overall quality of life in the rural areas. The expenditure under the JRY is shared between the Centre and the States on 80 : 20 basis. Under the Yojana, the responsibility for implementation in respect of the district and village share of funds has been vested with the concerned DRDAs/ZPs and the village panchayats respectively. The Central assistance under JRY is allocated to the States/UTs on the basis of proportion of rural poor in a State/UT to the total rural poor in the country. Under the Yojana, not less than 80% of the funds allocated to each district after providing for earmarked sectors, have been envisaged to be distributed to the village panchayats in the district. The balance 20% funds could be utilised at the district level for inter-block/village works. At the national level, 6% of the resources under the programme have been earmarked for Indira Awas Yojana. In addition, 20% of the resources under the JRY have been earmarked for the Million Well Scheme (MWS). The wages payable to the workers under the JRY are the minimum wages as prescribed under the Minimum Wages Act.

Land Reforms : The approved outlay for 1991-92 is Rs. 34.61 crores. The increase in outlay is due to Government laying more emphasis on strengthening of revenue machinery and updating of land records, agrarian studies and compulerisation of land records and financial support for the development of ceiling surplus lands allotted

वित्तीय सहायता के कारण है । भूमि सुधार नीति का लक्ष्य न केवल कृषि की उत्पादकता में सुधार करना है अपितु भूमि से जीवन निर्वाह करने वाले ग्रामीण निर्धनों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करना भी है । इसमें पट्टेदारी का सुधार, अधिशेष भूमि का अधिकतम वितरण, जोतों की चकबन्दी आदि शामिल है । भूमि सुधार के क्षेत्र में इस वर्ष दो नई योजनाएं अर्थात ग्रामीण निर्धन संगठन और ग्राम तथा ग्राम्य आयोजन शुरु करने का प्रस्ताव है ।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम : वर्ष 1991-92 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 54.40 करोड़ रुपए का है । इसमें इनके लिए व्यवस्था शामिल है : डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए. (13.00 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण योजनाएं (19.60 करोड़ रुपए), विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में सड़कें (10.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देना (5.00 करोड़ रुपए), गरीबी दूर करने के लाभानुभोगियों का संगठन (4.00 करोड़ रुपए), प्रचार/संचार (0.30 करोड़ रुपए) और पंचायत विकास और प्रशिक्षण (2 लाख रुपए) । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास एक विशेष नई योजना है जिसका उद्देश्य संगठनात्मक सहायता के साथ-साथ महिलाओं को आय देने वाली गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का दृष्टिकोण सामूहिक है और इसके अंतर्गत समर्थनकारी सेवाएं जैसे निविष्टि पूर्ति और विपणन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था है । एक समूह को परिक्रामी निधि, बच्चों की देखभाल आदि के लिए एक समय पर अनुदान के रूप में 15,000 रुपए की राशि उपलब्ध होती है । इस योजना का वित्तपोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूनिसेफ द्वारा 1/3 : 1/3 : 1/3 के हिसाब से किया जाता है।

सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण

बड़ी और मध्यम सिंचाई : बड़ी और मध्यम सिंचाई के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को तैयार करने तथा प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वेक्षण तथा अन्वेषण, आंकड़ों के संग्रह, अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियों से सम्बद्ध व्यय के लिए व्यवस्था की गई है । 1991-92 के लिए 40.54 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के अंतर्गत मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी ।

लघु सिंचाई : 1991-92 के लिए कुल परिव्यय 57.83 करोड़ रुपए का है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) हाइड्रोलोजिकल सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि-जल विकास और केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड द्वारा अन्वेषण और (ii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित लघु सिंचाई परियोजनाएं जैसे ; राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि तथा सतही जल संगठन को सुदृढ़ बनाना; जल छिड़काव, ड्रिप सिंचाई के प्रयोग को बढ़ावा देना; पम्प सेटों आदि में सुधार करना; और सिंचाई सम्बन्धी आंकड़ों का युक्तिकरण, लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों की गणना और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं ।

कमान क्षेत्र विकास : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फार्म संबंधी विकास कार्यों को तैयार करने, उनकी योजना बनाने, कार्यान्वियन करने और पर्यवेक्षण तथा टोपो-ग्राफिकल भूमि और हवाई सर्वेक्षण, वेयर बन्दी, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन अध्ययन आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान तथा ऋण दिए जाते हैं । भूमि को समतल बनाने और उसे आकार में लाने, खेतों में नालियों और नालों का निर्माण करने, जल छिड़काव और ड्रिप सिंचाई के लिए आई. आर. डी. पी. पद्धति के आधार पर छोटे और सीमांत किसानों को ऋण सहायता देने के लिए बराबर-बराबर के आधार पर अनुदान/ऋण दिया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा रखे जा रहे 'विशेष ऋण खाते' में केन्द्र सरकार का अंशदान भी शामिल है । 1991-92 के लिए 90.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी : इस क्षेत्र के अंतर्गत 78.33 करोड़ रुपए की व्यवस्था निम्नलिखित कार्यक्रमों के तीन वर्गों के लिए है : (i) बाढ़ नियंत्रण योजनाएं/कार्यक्रम जिनका विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है ; और (ii) बाढ़ नियंत्रण और समुद्र कटाव-रोधी निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता (iii) रेल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही बागा-चितौरी रेल एवं सड़क पुल की परियोजना लागत के लिए जल संसाधन मंत्रालय का हिस्सा (25 करोड़ रुपए) । इन कार्यक्रमों में बाढ़ से संबंधित आंकड़ों को सुव्यवस्थित रूप से इकट्ठा करना, बारीकी से मानीटरिंग कार्य तथा बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी और चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बाढ़ संबंधी भविष्यवाणी करना और चेतावनी देना, इंडो-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग, ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ नियंत्रण और तटीय कटाव और नदियों के लिए बैरक प्रणाली हेतु मास्टरआयोजना तैयार करने के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग तथा नेपाल और भूटान से होकर बहने वाली नदियों संबंधी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच संबंधी कार्य । इसके अतिरिक्त 1991-92 के बजट अनुमानों में ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए आसाम सरकार को और उत्तरी बिहार में बाढ़-रोधन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

to the assignees. Land Reforms Policy aims not only at increasing agricultural productivity but also at improving the Socio economic status of rural poor subsisting on land. This includes tenancy reforms, distribution of ceiling Surplus land, consolidation of holdings etc. In the land reforms sector, it is proposed to launch two new schemes this year, viz. Organization of Rural Poor and Village and Country Planning.

Other Rural Development Programmes : The total Plan outlay for 1991-92 is Rs. 54.40 crores. This includes provision for DWCRA (Rs. 13.00 crores). Training Schemes (Rs. 19.60 crores), Roads in Special Problem Areas (Rs. 10.00 crores), Promotion of Voluntary Action in rural development (Rs. 5.00 crores), Organisation of beneficiaries of Anti-Poverty programmes (Rs. 4.00 crores), Publicity/Communication (Rs. 0.30 crores) and Panchayat Development & Training (Rs.2 lakhs). Development of Women and Children in Rural Areas (DWCRA) is a special scheme which seeks to provide assistance for income-generating activities to women alongwith organisation support. The programme has a group approach and has provision for supporting Services like input supply and marketing facilities. The assistance available to a group is Rs. 15,000 as a one-time grant for revolving fund, child care etc. The scheme is funded on 1/3 : 1/3 : 1/3 sharing basis by Central Government, State Government and UNICEF.

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL

Major and medium Irrigation : The outlay under this sector is meant for survey and investigation, data collection, research and other activities for building up of infrastructural facilities and upgrading technology needed for major and medium irrigation sector. The total outlay of Rs.40.54 crores for 1991-92 covers the requirements of different organisations under the Ministry.

Minor Irrigation : The total outlay in 1991-92 is Rs.57.83 crores. The programmes that are implemented under this sector include :- (i) Ground Water Development through hydrological surveys and exploration by the Central Ground Water Board; and (ii) Centrally sponsored Minor Irrigation schemes, like strengthening of Ground and Surface Water Organisations in the States/Union Territories; encouraging use of sprinklers, drip irrigation, rectification of pump-sets etc, rationalisation of Irrigation statistics and census of minor irrigation works and Schemes for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Command Area Development: Under this programme, grants and loans are given to States and Union Territory Governments for preparation, planning, implementation and supervision of On-Farm Development works and for topographical soil and aerial survey, training and evaluation studies etc. Grants/loans are also given on matching basis for subsidy of loans to small and marginal farmers on the IRDP pattern for land levelling and shaping, construction of field channels and drains, sprinklers and drip irrigation. Central Government's contribution to 'Special Loan Account' being maintained by NABARD is also included under this Programme. The outlay for 1991-92 is Rs. 90.00 crores.

Flood Control and Drainage: The outlay of Rs.78.33 crores under this sector is for three categories of programmes: (i) Flood Control Schemes/Programmes that are implemented by various organisations; and (ii) assistance to various states for flood control and anti-sea erosion works. (iii) Share of Ministry of Water Resources for the cost of construction of Bagha-Chitouri rail cum/road bridge project to be implemented by Ministry of Railway (Rs. 25 crores). The programmes include systematic collection of data on floods, close monitoring and issue of flood forecasts and warning through the network of flood forecasting and warning centres, Indo-Bangla Desh Joint River Commission, Brahmaputra Board for preparation of a Master Plan for control of floods and bank erosion of the Brahmaputra and the Barak system of rivers, Ganga Flood Control Commission, and survey and investigation of Flood Control Projects on rivers common with Nepal and Bhutan. A provision has also been made in the Budget estimates 1991-92 for assistance to Government of Assam for flood control work in Brahmaputra Valley, and assistance for flood proofing programme in North Bihar.

ऊर्जा

विद्युत : 1991-92 के लिए 5927.04 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो कि मुख्य रूप से राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (2715.29 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम (1049.00 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम (340.00 करोड़ रुपए), उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम (200.00 करोड़ रुपए), विद्युत वित्त निगम (125.00 करोड़ रुपए) नाथपा-झाकरी विद्युत निगम (120.00 करोड़ रुपए), टिहरी पन बिजली विकास निगम (170.00 करोड़ रुपए),। राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (6.00 करोड़ रुपए), नवेली लिग्नाईट निगम लि. (480.00 करोड़ रुपए) और विद्युत विकास और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अन्य स्कीमें/कार्यक्रमों (11.09 करोड़ रुपए) के लिए है ।

तापीय और पन बिजली उत्पादन और संबद्ध पारेषण लाइनें : इसमें राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के लिए 800.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था इसके निम्नलिखित कार्यों के लिए 2715.29 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता देने के लिए है : सुपर थर्मल पावर स्टेशन : सिंगरौली चरण-I और II (2000 मेगावाट), कोरबा चरण I और II (2100 मेगावाट), रामगुंडम चरण I और II (2100 मेगावाट), फरक्का चरण-I, II और III (2100 मेगावाट), कहलगांव चरण-I (840 मेगावाट), एन. सी. टी. पी. पी. (दादरी)-(840 मेगावाट), तलचर चरण-I (1000 मेगावाट), कवास (600 मेगावाट), अन्ता (430 मेगावाट) और औरैया (600 मेगावाट) तथा दादरी (817 मेगावाट)-गैस आधारित केन्द्र और उससे संबद्ध पारेषण लाइनें, अनुसंधान और विकास योजनाएं नवीकरण और आधुनिकीकरण करना तथा नई तापीय योजनाओं के लिए स्थान संबंधी सर्वेक्षण और खोज, इसमें 10.22 करोड़ रुपए की व्यवस्था बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए भी शामिल है । इस व्यवस्था में चरण II (210 मेगावाट) के लिए 2.05 करोड़ रुपए, चरण III (210 मेगावाट) के लिए 2005 करोड़ रुपए, जो वाणिज्यिक प्रचालन कर रहे हैं, इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए तथा अग्नि से बचाव प्रणाली के लिए 2 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

राष्ट्रीय पन-बिजली विद्युत निगम को निम्नलिखित के 105 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में सहायता के लिए 284 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है : दुलहस्ती (390 मेगावाट) चमेरा (540 मेगावाट), कोयलकारो (380 मेगावाट), ऊरी (480 मेगावाट), रनगेट, टनकपुर, सलाल- II, धनलिंगा पन-बिजली परियोजना, जयपौर-तलचर, मोगा-भिवानी, मालदा, दुलहस्ती, नाथपा झाखरी और चुखा पारेषण लाइनों के साथ-साथ नई पन-बिजली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए ।

अन्य व्यवस्था में सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक में मध्य प्रदेश के अंश में संसाधनों में अन्तर के लिए भारत सरकार के अंशदान के रूप में 59.75 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय, काठलगुरी गैस टरबाइन परियोजना और संबद्ध पारेषण लाइनों के लिए उत्तर पूर्वी बिजली विद्युत निगम के लिए 200.00 करोड़ रुपए, चुने हुई तापीय और पन-बिजली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विद्युत वित्त निगम को इक्विटी सहायता के रूप में 125.00 करोड़ रुपए, तापीय और पन-बिजली उत्पादन के कार्यक्रम इकाइयों के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा पारेषण शामिल है।

अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें : क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण में सहायता देने के लिए समीप की विद्युत प्रणालियों को जोड़ने के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए 20.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे कि अन्ततः एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण होगा और जिससे उपभोक्ताओं को समुचित और कुशलतापूर्वक बिजली की सप्लाई मिलेगी।

क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र : पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों-उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की स्थापना संबंधित क्षेत्रीय ग्रिडों के प्रचालन एवं नियंत्रण के लिए की गई है । इससे क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित क्षेत्रों में राज्य प्रणाली की गतिविधियों के बीच समन्वय करने में सुविधा होगी । इसके लिए अखिल भारतीय आधार पर क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्रों की गतिविधियों को समन्वित करने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भार पारेषण केन्द्र के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था शामिल है । क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था भी की गई है ।

अनुसंधान और विकास : बहुत से संस्थान जैसे केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, विद्युत इंजीनियरों की प्रशिक्षण सोसायटी, हाटलाइन ट्रेनिंग सेन्टर, विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान-बिजली की आधारभूत और अनुप्रायोगिक-दोनों प्रकार की समस्याओं पर अनुसंधान कार्य में लगे हैं और इसके साथ-साथ विद्युत केन्द्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण संबंधी कई पहलुओं के संबंध में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

सर्वेक्षण और जांच : इसके अंतर्गत पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जांच (2.00 करोड़ रुपए), पंचेश्वर

ENERGY

Power: The outlay for 1991-92 is Rs.5927.04 crores, which is mainly for schemes of National Thermal Power Corporation (Rs.2715.29 crores), National Hydro-electric Power Corporation (Rs.1049.00 crores), Damodar Valley Corporation (Rs.340.00 crores), North Eastern Electric Power Corporation (Rs.200.00 crores), Power Finance Corporation (Rs.125.00 crores), Nathpa-Jhakri Power Corporation (Rs.120.00 crores) Tehri Hydro Development Corporation (Rs.170.00 crores), National Power Transmission Corpor..tion Rs. 6.00 crores), Neyveli Lignite Corporation Ltd. (Rs.480.00 crores) and other schemes/programmes of the Department of Power and Central Electricity Authority (Rs. 11.09 crores).

Thermal & Hydro Power Generation Including associated Transmission Lines : Provision of Rs.800.00 crores has been made for National Thermal Power Corporation to support its plan outlay of Rs.2715.29 crores for Singrauli Stages I & II (2000MW), Korba Stages I & II (2100 MW) Ramagundam Stages I & II (2100 MW), Farakka Stages I, II & III (2100 MW), Kahalgoan Stage I (840 MW), NCTPP (Dadri)-(840 MW), Talcher Stage I (1000 MW) Super Thermal Power Stations; Kawas (600 MW) Anta (430 MW) and Auraiya (600 MW) and Dadri (817 MW)- Gas Based Stations and transmission lines associated with them, research and development schemes, renovation and modernisation and survey and investigation schemes for new thermal sites. This also includes a provision of Rs. 10.22 crores for Badarpur Thermal Power Project comprising Rs. 2 crores for Stage II (210 MW) Rs. 2.05 crores for Stage III (210 MW), which are under commercial operation, Rs. 3 crores for renovation and modernisation of these plants, Rs. 2 crores for fire protection system.

A provision of Rs. 284 crores has been provided for National Hydro-Electric Power Corporation to support its plan outlay of Rs. 105 crores for Dulhasti (390 MW), Chamera (540 MW), Koel Karo (380 MW), Uni (480 MW), Ranget, Tanakpur, Salal II, Dhanliganga Hydro-electric Projects, Jaypore-Talcher, Moga-Bhiwani, Malda, Dulhasti, Nathpa Jhakri and Chukha Transmission lines as well as investigation of new HE Projects.

Other provisions include capital expenditure of Rs. 59.75 crores as Government of India's contribution to the resources gap in the share of Madhya Pradesh in the power component of Sardar Sarovar Project, Rs. 200.00 crores for North Eastern Electric Power Corporation for Kathalgure Gas Turbine Projects and Associated Transmission Lines, Rs. 125.00 crores as equity support to Power Finance Corporation to finance the selected Thermal & Hydro Projects, renovation & modernisation of thermal & Hydro Power generating programmes units and transmission

Inter-State Transmission Lines: A provision of Rs.20.00 crores is for construction of inter-state transmission lines to connect contiguous power systems for facilitating the formation of regional grids leading ultimately to the formation of a national grid, which will enable reliable and efficient supply of power to the consumers.

Regional Load Despatch Stations: Five Regional Load Despatch stations for the Northern, Southern, Western, Eastern and North - Eastern Regions are being established for the operation and control of respective regional grids. This will also facilitate coordination between the activities of the State system in the respective regions with a view to ensure optimum utilisation of generation and transmision facilities in the region. This includes a provision of Rs. 50 lakhs for a National Load Despatch Centre at New Delhi to coordinate the activities of the regional load despatch centres on an All India basis. A provision of Rs. 10 lakhs has also been made for modernisation of Regional Load Despatch Centre.

Research and Development : A number of institutes such as Central Power Research Institute, Bangalore, Power Engineers' Training Society, Hotline Training Centre, Power System Training Institute, are engaged in research on power problems, fundamental as well as applied, as also in imparting training in respect of several aspects of the operation and maintenance of power stations.

Survey & Investigation: Provision is for survey and investigation of power projects in hilly and tribal areas (Rs. 2.00 crores),

परियोजना की जांच (0.35 करोड़ रुपए), सी. डब्ल्यू. सी. की जांच योजनाएं, और कच्छ की खाड़ी में भूतापीय जांच तथा ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए व्यवस्था की गई है ।

ऊर्जा संरक्षण और अन्य कार्यक्रम : ऊर्जा संरक्षण से संबंधित योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र के लिए 50 लाख रुपए, ताप बिजली घरों के बेहतर निष्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 1.50 करोड़ रुपए, टी एंड डी हानियों को कम करने की प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 0.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

न्यूकलीय विद्युत : 1991-92 के लिए कुल परिव्यय 577.88 करोड़ रुपए रखा गया है । न्यूकलीय विद्युत निगम के लिए 571.96 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 17.69 करोड़ रुपए, नारोरा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए 117.69 करोड़ रुपए, राजस्थान परमाणु विद्युत घर-III और IV यूनिटों के लिए 180.00 करोड़ रुपए तथा 235 मे. वा. इ. परियोजनाओं (कैगा III से IV तक) के लिए 70.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, तारापुर और राजस्थान परमाणु विद्युत घरों में सुधार, 500 मे. वा. इ. और 235 मे. वा. इ. रीएक्टरों के विकास और अन्य आधारभूत कार्यों के साथ न्यूकलीय विद्युत निगम (60.56 करोड़ रुपए) और डी.ए.ई. (5.92 करोड़ रुपए) की सहायक परियोजनाओं के लिए 64.48 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है। गतिहीन अपशेष पदार्थों के लिए भण्डार के निर्माण के लिए 0.80 करोड़ रुपए और कलपाक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रीएक्टर के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि के अलावा कल्पाक्कम की अपशेष गतिहीनता परियोजना (0.19 करोड़ रुपए), तारापुर की ठोस भण्डारण निगरानी सुविधा (0.15 करोड़ रुपए) की स्थापना के लिए 1.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

पेट्रोलियम : वर्ष 1991-92 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए 4917.26 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस (प्राकृतिक गैस के लाने ले जाने सहित) के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 1389.35 करोड़ रुपए, और पेट्रोलियम उत्पादों के परिष्करण और विपणन के लिए 1327.91 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । 1991-92 के आयोजना परिव्यय का वित्तपोषण 4737.36 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजटेत्तर साधनों और 180.00 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन द्वारा किया जाएगा । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का 1991-92 का योजना परिव्यय 3095.74 करोड़ रुपए का है। इसमें मलजल, ड्रिलिंग, हीरा बेसिन का विकास, बम्बई हाई के लिए गैस लिफ्ट परियोजना आदि शामिल है। आयल इंडिया लिमिटेड के योजना परिव्यय में राजस्थान अन्वेषण परियोजना, असम, अरूणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर तट आदि में समर्थन उपस्कर और सुविधाएं, ड्रिलिंग और जलमल की व्यवस्था शामिल है। 1991-92 के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन का योजना परिव्यय 768.88 करोड़ रुपए है। गुजरात रिफाइनरी में अतिरिक्त अनुषंगी प्रक्रिया सुविधाओं, डिग्बोई रिफाइनरी, कांडला-भटिन्डा पाइपलाइन आदि के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता है।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी समर्थन देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए, कोयले और लिग्नाइट क्षेत्र के लिए 1991-92 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय को बढ़ा कर 2520.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है । 663.00 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता में 2058 लाख मीट्रिक टनों के निर्धारित कोयला उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के लिए 399.00 करोड़ रुपए, 234 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित कोयला के उत्पादन के लिए सिंगरेनी कोलरीज के लिए 192.00 करोड़ रुपए तथा 123.2 लाख मीट्रिक टनों के निर्धारित लिग्नाइट उत्पादन के लिए नेवेली लिग्नाइट निगम के लिए 57.00 करोड़ रुपए शामिल है ।

ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत : 1991-92 के लिए 150.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस परिव्यय का मुख्य भाग बायोगैस के लिए आवंटित किया गया है । इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फोटो वोल्टता और ऊर्जा के अन्य साधनों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

उद्योग और खनिज

ग्राम और लघु उद्योग : इस शीर्ष के अन्तर्गत खादी और ग्राम उद्योग, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार स्कीम, कायर बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि के लिए परिव्यय शामिल है ।, वर्ष 1991-92 के लिए 556.06 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 1991-92 में 210 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। स्व-रोजगार योजना के लिए 57.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था लगभग 1.25 लाख बेरोजगार युवकों को अपना व्यापार / उद्योग शुरू करने में सहायता देने के लिए की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में 10 करोड़ रुपए का निवेश लघु क्षेत्र में उद्योग की ऋण मांग को पूरा

investigation of Pancheshwar Project (Rs. 0.35 crore), investigation schemes of CWC, geothermal investigations and the tidal power project in the Gulf of Kutch.

Energy Conservation and Other Programme: Provision of Rs.10 crores is made for schemes relating to conservation of energy including Rs. 50 lakhs for Energy Management Centre, Rs. 1.50 crores for incentive schemes for better performance of thermal power stations, Rs. 0.50 crores for incentive schemes for reduction of T & D losses.

Nuclear Power: The approved outlay for 1991-92 is Rs. 577.88 crores. There is a provision of Rs.571.96 crores for Nuclear Power Corporation to support its plan outlay to the extent of Rs.17.69 crores for Kakrapar Atomic Power Project, Rs.117.69 crores for Narora Atomic Power Project, Rs.180.00 crores for Rajasthan Atomic Power Stations III & IV units Rs. 70.00 crores for new 235 MWe Projects (Kaiga III to VI). Further, a provision of Rs. 66.48 crores has also been proposed for ancillary projects of NPC (Rs. 60.56 crores) and DAE (Rs. 5.92 crores) together viz. Improvements to Tarapur and Rajasthan Atomic Power Stations, Development of 500 MWe and 235 MWe Reactors and other infrastructural works. A provision of Rs. 1.50 crores has been made for the establishment of a Waste Immobilisation Project of Kalpakkam (Rs. 0.19 crore), Solid Storage Surveillance Facility of Tarapur (Rs. 0.15 crores), besides an amount of Rs. 0.80 crore for construction of a Repository for Immobilised Waste Products and Rs. 4.00 crores for Prefotype Fast Breeder Reactors at Kalpakkam.

Petroleum: The approved Plan outlay for 1991-92 of Rs. 4917.26 crores of the Ministry of Petroleum & Natural Gas consists of Rs.1389.35 crores for exploration and production of crude oil and natural gas (including transportation of natural gas) and Rs.1327.91 crores for refining and marketing of petroleum products. The Plan Outlay of 1991-92 will be financed by internal and extra-budgetary resources of Rs. 4737.26 crores and by budgetary support of Rs.180.00 crores. Plan outlay for ONGC for 1991-92 is Rs. 3095.74 crores. It includes provisions for sewage, drilling, development of Heera Basin, Gas Lift Project for Bombay High etc. The plan outlay for Oil India Ltd. contains provisions for Rajasthan Exploration Project, back-up equipments and facilities, drilling and surveys in Assam and Arunachal Pradesh, N.E. Coast etc. Indian Oil Corporation's Plan outlay for 1991-92 is Rs. 768.88 crores. More funds are required for implementation of projects such as additional secondary processing facilities in Gujrat Refinery, Modernisation of Digboi Refinery, Kandla-Bhatinda Project Pipeline etc.

Coal and Lignite: Keeping in view the importance of the Energy sector for infrastructure support to the Indian economy, the Central Plan Outlay for the coal and lignite sector for 1991-92 has been stepped up to Rs. 2520.00 crores. The total budgetary support of Rs. 663.00 crores mainly comprises Rs. 399.00 crores for Coal India Ltd., for targetted coal production of 205.80 million tonnes, Rs. 192.00 crores for Singareni Collieries Co. Ltd., for targetted coal production of 23.4 million tonnes and Rs. 57.00 crores for Neyveli Lignite Corporation, for targetted lignite production of 12.32 million tonnes.

Non-Conventional Sources of Energy: The outlay for 1991-92 is Rs.150.00 crores. The major portion of this outlay is for bio-gas. Provision has also been made for programmes relating to solar energy, wind energy, Photovoltaics and other sources of Energy.

INDUSTRY AND MINERALS

Village and Small Scale Industries: This head includes outlays for Khadi and Village Industries, self-employment Scheme for Educated Unemployed Youth, Coir Board, District Industries Centre, Small Industries Development Organisation (SIDO) Schemes, National Small Industries Corporation etc. The outlay for 1991-92 is Rs. 556.06 crores. In 1991-92 an outlay of Rs. 210 crores is for promoting Khadi & Village Industries and thus providing employment opportunities in the rural areas. Rs. 57.00 crores for Self-Employment Scheme is to assist about 1.25 lakh educated unemployed youths to start their own business/industry. Rs. 10 crores as investment in Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is for meeting the loan

करने के लिए है। जिला उद्योग केन्द्रों के लिए 22 करोड़ रुपए हैं जो नए यूनिट स्थापित करने के लिए लघु उद्यमियों को परामर्श सेवा प्रदान करते हैं और 11 करोड़ रुपए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को उनकी योजना स्कीमों के अंतर्गत लघु उद्योगों की किश्तों पर मशीन और कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता की जाती है।

डेनिश सहायता से भुवनेश्वर और जमशेदपुर में एक-एक और जर्मन सहायता से अहमदाबाद, औरंगाबाद और इंदौर में एक-एक यन्त्र कक्ष स्थापित कर 5 यन्त्र कक्ष स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आवश्यक तेल और शीशा उद्योगों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए कन्नौज और फिरोजाबाद में पी पी डी सी स्थापित किए जाने हैं जिसके लिए आवश्यक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

लोहा और इस्पात उद्योग : 1991-92 के लिए 2935.38 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसका वित्तपोषण, 433.32 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 2502.00 करोड़ रुपए के आन्तरिक और बजटेत्तर साधनों द्वारा किया जाएगा। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संयंत्रों (बोकारो-159.50 करोड़ रुपए, भिलाई-230.40 करोड़ रुपए, राउरकेला-425.00 करोड़ रुपए, दुर्गापुर-895.00 करोड़ रुपए, एलाय इस्पात संयंत्र-19.00 करोड़ रुपए, सेलम इस्पात संयंत्र-39.00 करोड़ रुपए और आर. एण्ड डी.-15.00 करोड़ रुपए) के लिए कुल 1969.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। विशाखापत्तनम में स्थित इस्पात संयंत्र के लिए 752.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस्को के लिए 59.59 करोड़ रुपए का परिव्यय का निर्धारण किया गया है।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए 470.00 करोड़ रुपए (399.23 करोड़ रुपए के आन्तरिक तथा बजटेत्तर साधनों सहित) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। सकल परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) एल्यूमीनियम (156.00 करोड़ रुपए);
नेलको के लिए 96.00 करोड़ रुपए और बालको के लिए 60.00 करोड़ रुपए।

(ख) तांबा (66.00 करोड़ रुपए)
यह परिव्यय पूरी तरह से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के लिए रखा गया है।

(ग) जस्ता और शीशा (162.00 करोड़ रुपए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के लिए)

(घ) सोना (9.30 करोड़ रुपए)

(ङ) खनिज अन्वेषण और विकास (34.00 करोड़ रुपए)

(च) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण (15.00 करोड़ रुपए) और भारतीय खान ब्यूरो (4.97 करोड़ रुपए)

(छ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के लिए निर्माण-कार्य परिव्यय (7.00 करोड़ रुपए)

(ज) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (14.00 करोड़ रुपए)।

सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग : 1991-92 के लिए 80.00 करोड़ रुपए का परिव्यय पूरी तरह से भारतीय सीमेंट निगम के लिए है।

उर्वरक उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए 410.70 करोड़ रुपए का परिव्यय है, जिसमें से 320.70 करोड़ रुपए की राशि आन्तरिक तथा बजट बाह्य संसाधनों से तथा 90.00 करोड़ रुपए की बकाया राशि की बजट समर्थन के जरिए व्यवस्था की जाएगी। 410.70 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय, उर्वरक तथा रसायन, ट्रावनकोर (50.20 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (65.00 करोड़ रुपए), हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (50.00 करोड़ रुपए), मद्रास उर्वरक लि. (48.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (63.00 करोड़ रुपए), पारादीप फास्फेट लि. (45.00 करोड़ रुपए), प्रोजेक्ट्स एन्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. (2.50 करोड़ रुपए), पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (3.20 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (68.00 करोड़ रुपए), तथा अन्य स्कीमों (15.60 करोड़ रुपए) के लिए व दस-दस लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था दो सहकारी सोसायटियों 'कृभको' और 'इफको' के लिए है।

90 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन 'फेक्ट' (15.20 करोड़ रुपए), एफ सी आई (25.00 करोड़ रुपए), एच एफ सी (19.00 करोड़ रुपए), एन एफ एल (14.00 करोड़ रुपए), एम. एफ. एल. (1.00 करोड़ रुपए), पी पी सी एल (0.20 करोड़ रुपए) तथा अन्य स्कीमों (45.60 करोड़ रुपए) के लिए है। अन्य स्कीमों के अंतर्गत, इन्डो-यू.के. फर्टिलाइजर एज्यूकेशन प्रोग्राम के लिए 7.80 करोड़ रुपए, इण्डो-ई ई सी फर्टिलाइजर प्रोग्राम के लिए 2.00 करोड़ रुपए, इण्डो- यू. के.-ऐड प्रोग्राम के अंतर्गत रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। उपर्युक्त सभी कार्यक्रम विदेशी सहायता के अंतर्गत शामिल हैं।

requirements of Industries in the Small Scale Sector Rs. 22 crores is for District Industries Centres which provide inter-alia consultancy services to the small entrepreneurs for setting up new units, and Rs. 11 crores is for National Small Industries Corporation for their Plan schemes under which small scale industries are assisted in procuring machines on hire purchase and raw materials.

A provision of Rs. 10 crores has been made for setting up of 5 new Tool Rooms one each at Bhubaneswar and Jamshedpur with Danish assistance and one each at Ahmedabad, Aurangabad and Indore with German assistance. For the upgradation of technology in the essential oils and glass industries PPDCs are to be set up at Kannauj and Firozabad for which necessary plan outlay has been provided.

Iron and Steel Industries : The outlay for 1991-92 is Rs.2935.38 crores which will be financed by a budgetary support of Rs.433.32 crores and internal and extra-budgetary resources of Rs.2502.00 crores. The outlay for Steel Authority of India (SAIL) has been set at Rs.1969.00 crores (Bokaro-Rs.159.50 crores, Bhilai-Rs. 230.40 crores, Rourkela - Rs.425.00 crores, Durgapur-Rs.895.00 crores, Alloy Steel Plant-Rs.19.00 crores, Salem Steel Plant-Rs.39.00 crores and R&D Rs.15.00 crores). An outlay of Rs.752.00 crores has been provided for the Steel Plant at Visakhapatnam. Outlay earmarked for IISCO is Rs.59.59 crores.

Non-ferrous Mining and Metallurgical Industry : The outlay for 1991-92 is Rs. 470.00 crores (including internal and extra budgetary resources of Rs.399.23 crores). The break-up of the gross outlay is as under:–

(a) Aluminium (Rs156.00 crores);
NALCO Rs.96.00 crores and BALCO Rs.60.00 crores.

(b) Copper (Rs.66.00 crores);
The outlay is exclusively for Hindustan Copper Limited.

(c) Zinc and Lead (Rs.162.00 crores for Hindustan Zinc Ltd.)

(d) Gold (Rs.9.30crores)

(e) Mineral exploration and development (Rs.34.00 crores).

(f) Geological Survey of India (Rs. 15.00 crores) and Indian Bureau of Mines (Rs.4.97 crores).

(g) Works outlay for Geological Survey of India and Indian Bureau of Mines (Rs.7.00 crores).

(h) Science & Technology Programmes (Rs.14.00 crores).

Cement and Non-metallic Mineral Industries : Outlay for 1991-92 is Rs.80.00 crores which is entirely for the Cement Corporation of India.

Fertilizer Industries: The outlay for 1991-92 is Rs.410.70 crores, of which an amount of Rs.320.70 crores will be met from the Internal and Extra Budgetary Resources and the balance amount of Rs. 90 crores will be provided by way of Budgetary Support. The outlay of Rs.410.70 crores is for Fertilizers and Chemicals Travancore (Rs.50.20 crores), Fertilizer Corporation of India (Rs.65.00 crores), Hindustan Fertilizer Corporation (Rs.50.00 crores), Madras Fertilizers Ltd. (Rs.48.00 crores), National Fertilizer Ltd. (Rs.63.00 crores), Paradeep Phosphate Ltd. (Rs.45.00 crores), Project and Development India Ltd. (Rs.2.50 crores), Pyrites Phosphates & Chemicals Ltd. (Rs.3.20 crores), Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (Rs.68.00 crores), and other Schemes (Rs. 15.60 crores) and token outlays Rs. 0.10 crore each for two cooperative Societies KRIBHCO and IFFCO.

The budgetary support of Rs. 90 crores is for FACT (Rs. 15.20 crores), FCI (Rs. 25.00 crores), HFC (Rs. 19.00 crores), NFL (Rs.14.00 crores), MFL (Rs. 1 crore), PPCL (Rs. 0.20 crore) and other schemes (Rs.15.60 crores). Under other schemes, there is a provision of Rs. 7.80 crores for Indo-UK-Fertilizer Education Programme; Rs. 2.00 crores for Indo-EEC-Fertilizer Programme, Rs. 1.00 crore for Rainfed Farming. Project under Indo-UK-Aid Programme. All the above programmes are covered under foreign aid.

पेट्रो-रसायन उद्योग : इस क्षेत्र के लिए जितना परिव्यय रखा गया है, वह निम्नलिखित उद्योग समूहों के लिए रखे गए परिव्ययों के जोड़ के बराबर है:

i) रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के अधीन पेट्रो-रसायन; और
ii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत पेट्रोलियम तेल शोधक कारखानों का पेट्रो-रसायन भाग।

वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान 654.47 करोड़ रुपए का है जिसमें मुख्य रूप से इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. के 520.76 करोड़ रुपए के और पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि. के 0.10 करोड़ रुपए तक के आन्तरिक संसाधन शामिल हैं ।

रसायन उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए 97.90 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें 10.56 करोड़ रुपए बजट समर्थन और 87.34 करोड़ रुपए आई.ई.बी.आर. के होंगे। इस परिव्यय में (हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. के संबंध में 76.00 करोड़ रुपए, हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लि. के लिए 6.00 करोड़ रुपए और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि. के लिए 6.84 करोड़ रुपए शामिल हैं ।

इंजीनियरी उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए आयोजना परिव्यय 394.45 करोड़ रुपए रखा गया है । इसमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., मारूती उद्योग लि., एच एम टी लि., भारत भारी उद्योग निगम लि., भारत यंत्र निगम लि., भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत हैवी इंजीनियरी, इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. जैसे इंजीनियरी उद्योग शामिल हैं।

दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग : वर्ष 1991-92 के संबंध में बजट अनुमान 227.95 करोड़ रुपए के हैं । परिव्यय में प्रौद्योगिकी विकास परिषद (टी.डी.सी.) परियोजनाएं, इलेक्ट्रोनिक सामग्री विकास कार्यक्रम, भारतीय माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स कार्यक्रम, कम्प्यूटर मेन फ्रेम का निर्माण, मानकीकरण संबंधी गतिविधि कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम, केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, भारतीय इलेक्ट्रोनिकी निगम के लिए व्यवस्था और एस.सी.एल., सी.एम.सी. और ई.टी.टी. एण्ड डी.सी. के लिए निवेश शामिल हैं । संचार विभाग के अन्तर्गत रखा गया परिव्यय भारतीय टेलीफोन उद्योग और हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड के लिए है ।

उपभोक्ता उद्योग : इसके अंतर्गत खाद्य संसाधन उद्योग, नागरिक आपूर्ति तथा लोक वितरण, वस्त्र मंत्रालयों तथा भारी उद्योग विभाग के उपभोक्ता उद्योगों के लिए व्यवस्था की गई है। वर्ष 1991-92 के लिए 255.26 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण के अंतर्गत परिव्यय भारतीय मानक ब्यूरो के लिए है जब कि खाद्य संसाधन उद्योगों के अंतर्गत यह माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के लिए ऋण और इक्विटी सहायता देने हेतु है। भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता उद्योगों के लिए रखा गया परिव्यय राष्ट्रीय न्यूजप्रिंट और पेपर मिल, हिन्दुस्तान पेपर निगम, भारतीय टायर निगम तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी से संबंधित है। वस्त्र उद्योग के अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम, हैन्डलूम एण्ड हैन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन आदि के लिए परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

परमाणु ऊर्जा उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए कुल 194.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इसमें मानुगुरू (17.00 करोड़ रुपए) में भारी पानी परियोजना के लिए 22.00 करोड़ रुपए तथा हजीरा (3.00 करोड़ रुपए), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की ईंधन पुनः संस्करण तथा अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए (36.10 करोड़ रुपए) परिव्यय शामिल है। मुख्यतः ईंधन विनिर्माण संयंत्र तथा ज़िरकालोय और ज़िरकोनियम संयंत्रों के लिए नाभिकीय ईंधन परिसर तथा परमाणु शक्ति केन्द्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूरेनियम आक्साइड ईंधन संयंत्र की स्थापना के लिए 36 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारतीय यूरेनियम निगम लि. (87.00 करोड़ रुपए) और इण्डियन रेअर अर्थ्स लि. (2.50 करोड़ रुपए) को वित्तीय सहायता के लिए 51.50 करोड़ रुपए के बजट समर्थन के साथ, (यू सी आई एल के लिए 51.00 करोड़ रुपए व्यवस्था सम्मिलित है।

अन्य उद्योग : वर्ष 1991-92 के लिए 5.35 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है ।

उद्योगों तथा खनिजों के अंतर्गत अन्य परिव्यय : वर्ष 1991-92 के बजट में 835.70 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । 1991-92 में जो परिव्यय रखा गया है, वह औद्योगिक वित्तीय संस्थानों और पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक एककों को आर्थिक सहायता देने के लिए है।

परिवहन

रेलवे : रेलवे की अत्यावश्यक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1991-92 के लिए परिव्यय 5325.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है । इससे निम्नलिखित के लिए रेलवे समर्थ हो पाएगा : (i) 25,120 वैगनों, 297 लोकोमोटिव्स, 2125 कोच और 231 ई.एम.यू.

Petrochemical Industries : The outlay for this sector is the aggregate of the outlays provided for :

i) Petro-chemicals under the Deptt. of Chemicals & Petro-chemicals; and
ii) Petro-chemical portion of the petroleum refineries with the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

The budget estimate for 1991-92 is Rs.654.47 crores mainly consisting of internal resources of Indian Petrochemicals Cooperation Ltd. (IPCL) to the tune of Rs.520.76 crores and Petrofils Cooperatives Ltd. (PCL) to the extent of Rs.0.10 crores.

Chemical Industries : The outlay for 1991-92 is Rs.97.90 crores with a budgetary support of Rs. 10.56 crores and I.E.B.R. of Rs. 87.34 crores. The outlay includes Hindustan Organic Chemicals Ltd.- Rs.76.00 crores, Hindustan Antibiotics Ltd. - Rs.6.00 crores, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. - Rs.6.84 crores.

Engineering Industries : The Plan outlay for 1991-92 is Rs.394.45 crores. It includes outlay for engineering industries viz. Bharat Heavy Electricals Limited, Maruti Udyog Limited, HMT Limited, Bharat Bhari Udyog NigamLimited, Bharat Yantra Nigam Limited, Heavy Engineering Corporation Limited under Department of Heavy Industry.

Telecommunication and Electronic Industries: The Budget Estimate for 1991-92 is Rs.227.95 crores. The outlay includes provisions for Technology Development Council (TDC) projects: Electronics Material Development Programme, Indian Micro Electronics Programme, Manufacture of Computer Main Frame, Standardisation Activities programme, other programmes, Central Electronics Ltd., Electronics Corporation of India and for investment in SCL, CMC and ETT & DC. The outlay under the Department of Communication is for Indian Telephone Industries and Hindustan Teleprinters Limited.

Consumer Industries: The outlays relating to consumer industries under the Ministries of Food Processing Industries, Civil Supplies and Public Distribution, Textiles and Department of Heavy Industry have been included. The Outlay for 1991-92 is Rs.255.26 crores. The outlay under Civil Supplies and Public Distribution relates to Bureau of Indian Standards while under Food Processing Industries it is extension of loan and equity support to Modern Food Industries. The outlay for consumer industries under the Department of Heavy Industry relates to National Newsprint and Paper Mills, Hindustan Paper Corporation, Tyre Corporation of India, Hindustan Photo-films Manufacturing Co. The outlay for textiles relates to National Textile Corporation, British India Corporation and National Jute Manufactures Corporation, Handloom and Handicraft Export Corporation etc.

Atomic Energy Industries: The total outlay for 1991-92 is Rs.194.00 crores. This includes Rs.22.00 crores for completion of Heavy Water Projects at Manuguru (Rs.17.00 crores) and Hazira (Rs.3.00 crores), Fuel Reprocessing and other industrial projects of Bhabha Atomic Research Centre (Rs.36.10 crores). A provision of Rs.36 crores has been made for Nuclear Fuel Complex mainly for expansion of Fuel Fabrication Plant and Zircaloy and Zirconium Plants and for setting up of a Uranium Oxide Fuel Plants to meet the needs of Atomic Power Stations. The outlay for Uranium Corporation of India Ltd. is Rs. 87.00 crores and Indian Rare Earths Ltd. is Rs. 2.50 crores with a budgetay support of Rs. 51 crores for UCIL.

Other Industries: The outlay for 1991-92 is Rs.5.35 crores.

Other outlays on Industries and Minerals: The outlay for 1991-92 is Rs.835.70 crores. The outlay in 1991-92 is for industrial financial institutions and subsidy to new industrial units in backward areas.

TRANSPORT

Railways : Keeping in view the essential needs of Railways, the outlay for 1991-92 has been fixed at Rs.5325.00 crores. It would enable the Railways to (i) procure 25,120 wagons, 297 locomotives and 2125 coaches and 231 EMUs; (ii) undertake renewals of 3325

की खरीद; (ii) 3325 ट्रेक किलोमीटर के नवीकरण का कार्य प्रारम्भ करना; (iii) 675 किलोमीटर के विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ करना; (iv) 314 किलोमीटर नई लाइनों को पूरा करना ।

पत्तन और दीपस्तम्भ : पत्तन क्षेत्र की नीति में निम्नलिखित तरीकों से बड़े पत्तनों का विकास करने के लिए जोर दिया गया है (i) कन्टेनर कार्यों के लिए पत्तन सुविधाओं का विस्तार करना, (ii) अन्य पत्तन सुविधाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार, (iii) बड़े जहाजों को घाट लगाने के लिए चुने हुए मुख्य पत्तनों पर गोदी (ड्राफ्ट) को गहरा करना, (iv) तलकर्षण सुविधाओं का विस्तार करना और, (v) बड़े पत्तनों के पूरक के रूप में भूमिका अदा करने के संबंध में चुने हुए छोटे पत्तनों का विकास करना।

1991-92 के लिये आयोजना परिव्यय 539.00 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है । दीपस्तम्भों के विकास से संबंधित व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है ताकि दीपस्तम्भों के विकास तथा समुद्री सहायता संबंधी अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

नौवहन : भारतीय नौवहन उद्योग के विकास और विस्तार के लिए वर्ष 1991-92 के लिए 616.99 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । इसमें भारतीय नौवहन निगम के लिए604.00 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।

नागर विमानन : नागर विमानन क्षेत्र के लिए 1991-92 के परिव्यय में 432.80 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, इसमें एयर इंडिया 135.07 करोड़ रुपए, इंडियन एयरलाइन्स 52.77 करोड़ रुपए, आई.ए.ए.आई. 99.00 करोड़ रुपए, वायुदूत 0.44 करोड़ रुपए, नेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी 122.08 करोड़ रुपए, पवनहंस 6.28 करोड़ रुपए और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी 11.15 करोड़ रुपए शामिल हैं।

सड़कें और पुल : देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और अनुरक्षण के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है । सामरिक और अन्तर-राज्यीय महत्व की सड़कों की देखभाल केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिये सड़कों के महत्व को देखते हुए 1991-92 के संदर्भ में 490.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास के लिए (448.50 करोड़ रुपए), सामरिक महत्व की सड़कों के लिए और अन्तर्राज्यीय महत्व के पुलों के लिये (22.70 करोड़ रुपए) और राजमार्ग अनुसंधान तथा आयोजना, मशीनरी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (18.80 करोड़ रुपए) की व्यवस्था शामिल है ।

सड़क परिवहन : सरकार सड़क परिवहन के बारे में व्यापक नीतियां बनाने पर विचार कर रही है जिसमें राज्य परिवहन उपक्रमों का प्रबन्ध, राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित मोटर वाहन कानून भी शामिल है। 1991-92 के लिये परिव्यय की राशि 70.00 करोड़ रुपए रखी गई है। इस राशि में शामिल परिव्यय इस प्रकार है : राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा दिये जाने वाले अंशदानों के लिये 15.00 करोड़ रुपए (2) दिल्ली परिवहन निगम के लिये 53.00 करोड़ रुपये और (3) अनुसंधान और विकास की अन्य योजनाओं के लिये 1.75 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम के लिये 0.25 करोड़ रुपए ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन : वर्ष 1991-92 के लिए 50.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । परिव्यय में ये शामिल है :- सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. में निवेश के लिए 35.00 करोड़ रुपए, (ii) आई. डब्ल्यू. ए. आई. को 11.40 करोड़ रुपए का अनुदान और विकास एवं योजना, अनुसंधान तथा जलसर्वेक्षण की अन्य योजनाओं के लिए 3.60 करोड़ रुपए।

अन्य परिवहन सेवाएं : फरक्का बराज परियोजना का उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के क्षेत्र (रिजीम) और नौगम्यता में सुधार द्वारा कलकत्ता बंदरगाह का परिरक्षण और रख रखाव करना है । 1991-92 के लिये 13.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

संचार

डाक सेवाएं : 1991-92 के बजट अनुमानों में 72.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस परिव्यय के एक बड़े भाग को डाक-घरों के भवनों के निर्माण पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

दूर-संचार सेवाएं : 1991-92 के लिये 3203.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसका वित्तपोषण मुख्यतः दूरसंचार क्षेत्र के आंतरिक और बजटेत्तर साधनों से किया जायेगा । वर्ष 1991-92 के दौरान दूरसंचार सेवाओं से संबंधित परिव्यय मुख्यतः सामग्री की अधिप्राप्ति के लिये है क्योंकि दूरसंचार विभाग की योजना में सामग्री पर अधिक बल दिया गया है । इस संबंध में वस्तुपरक लक्ष्यों के अंतर्गत 9.5 लाख

track kilometres; (iii) commission electrification of 675 route kilometres (iv) complete 314 Kms of new lines.

Ports and Lighthouses: The policy thrust in the port sector envisages development of major ports by (i) expansion of port facilities for container cargo; (ii) modernisation and expansion of other port facilities; (iii) deepening of draft at selected major ports to receive larger vessels; (iv) augmentation of dredging facilities, and (v) development of selected minor ports to play a complementary role to major ports.

The Plan outlay for 1991-92 has been placed at Rs. 539.00 crores. The provision for the development of Lighthouses has been increased for meeting increased requirements for development of Lighthouses and other navigational aids.

Shipping : This outlay is for development and expansion of Indian shipping industry. The outlay for 1991-92 has been kept at Rs.616.99 crores. This includes outlay of Rs.604.00 crores for Shipping Corporation of India.

Civil Aviation: The outlay for 1991-92 for the Civil Aviation Sector has been fixed at Rs.432.80 crores. This includes provision for Air India Rs.135.07 crores, Indian Airlines Rs.52.77 crores, I.A.A.I. Rs.99.00 crores, Vayudoot Rs.0.44 crores, National Airports Authority Rs. 122.08 crores and Pawan Hans Rs.6.28 crores, Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy Rs.11.15 crores.

Roads and Bridges : Considerable progress has been made in construction, development and maintenance of National Highways in the country. Strategic and roads of inter-state importance are also looked after by the Central Government. Keeping in view the importance of Roads for development of National economy, the outlay for 1991-92 has been kept at Rs. 490.00 crores. This includes provision for construction and development of National Highways (Rs.448.50 crores), Strategic Roads and Bridges of Inter-State importance (Rs.22.70 crores) and highway Research and Planning, machinery and National Highway Authority (Rs. 18.80 crores).

Road Transport: The Government is concerned with broad policies relating to Road Transport including management of State Transport Undertakings and Motor Vehicles legislation relating to State Road Transport Corporations. The outlay for 1991-92 has been kept at Rs. 70.00 crores. It includes an outlay of Rs.15.00 crores for Central Government contribution to State Road Transport Corporation, (ii) Rs. 53.00 crores for Delhi Transport Corporation and (iii) Rs. 1.75 crores for other Schemes of Research and Development, Rs.0.25 crores for National Road Transport Development Financial Corporation.

Inland Water Transport: The outlay for 1991-92 is Rs.50.00 crores. The outlay includes (i) investment of Rs. 35.00 crores in CIWTC, (ii) Rs. 11.40 crores Grant to IWAI and Rs. 3.60 crores for other schemes of development and planning, research and hydrographic survey.

Other Transport Services: The Farakka Barrage project is intended to preserve and maintain the Calcutta Port by improving the regime and navigability of the Bhagirathi Hoogly River system. The outlay for 1991-92 is Rs.13.00 crores.

COMMUNICATION

Postal Services : An outlay of Rs. 72.00 crores has been provided in Budget Estimates 1991-92. A major portion of this outlay is proposed to be spent on construction of Postal Buildings.

Telecommunication Services: The outlay for 1991-92 is Rs.3203.00 crores which will be financed predominantly from the internal and extra budgetary resources of the Telecommunication sector. The outlay for Telecommunication services during 1991-92 is mainly for the procurement of material as the plan of DOT is material intensive. The physical targets envisaged are for provision of 9.5 lakhs

टेलीफोन लाइनों कीअतिरिक्त स्विचिंग क्षमता (7 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों), 39,500 लाइनों की क्षमता वाले 15 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंजों आदि की व्यवस्था शामिल है।

additional switching capacity of telephone lines (7 lakh direct exchange lines), 15 trunk automatic exchanges with a capacity of 39500 lines etc.

अन्य संचार सेवाएं : इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विदेश संचार निगम लि. के लिए 108.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसे आंतरिक संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा ।

Other Communication Services: Outlay of Rs. 108.00 crores is mainly for Videsh Sanchar Nigam Ltd., to be met from internal resources.

विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

SCIENCE TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान : वर्ष 1991-92 के परिव्यय में 120.15 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है । वर्ष 1991-92 के परिव्यय में मुख्य रूप से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों की प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को जारी रखने, इन्दौर स्थित उन्नत प्रौद्योगिकी का इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र और साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज प्रभाग, भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर और नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को निष्पादित करने के लिए और विभाग के विभिन्न अनुसंधान और विकास एककों की आवास सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था शामिल है ।

Atomic Energy Research: The outlay for 1991-92 is Rs. 120.15 crores. The outlay for 1991-92 is mainly for continuing research and development of technologies involved in the atomic energy programme at the Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Centre for Advanced Technology at Indore, Tata Institute of Fundamental Research, Tata Memorial Centre and Saha Institute of Nuclear Physics, variable Energy Cyclotron Centre, Atomic Minerals Division, Institute of Physics, Bhubaneswer and other institutions for carrying out research in the field of nuclear science, carrying out national programmes and for providing housing facilities for the various research and development units of the Department.

अंतरिक्ष अनुसंधान : विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अन्तर्गत चालू योजनाओं/परियोजनाओं के लिए अनुमोदित परिव्यय का संबंध इनसे है :- वी.एस.एस.सी., एस.ए.सी., आई.एस.ए.सी., एस.एच.ए.आर., एल.पी.एस., आई.एस.टी.आर.ए.सी. जैसे केन्द्रों, के संगठन एवं आधारभूत अनुरक्षण तथा पी.आर.एल. और एन.आर.एस.ए. बड़े प्रक्षेपण वाहन/उपग्रह परियोजना जैसे पी.एस.एल.वी. और इन्सेट-II परीक्षण अन्तरिक्ष यान । विशेष सुविधाओं के संवर्धन सहित नयी योजनाओं/परियोजनाओं, एम.आर.एस.पी., इनसेट-2 उपग्रह परियोजना, जी.एस.एल.वी., (क्रायोजेनिक्स), ए.एस.एल. वी., एस.आर.ओ. एस.एस., और आई.आर.एस. को जारी रखना और इनके परिचालन संबंधी कार्य करना । इसके अतिरिक्त, संचार, सुदूर संवेदन और प्रक्षेपण वाहन विकास संबंधी उन्नत अनुसंधानऔर विकास तथा विविध परियोजनाओं तथा अंतरिक्ष विज्ञान के लिए व्यवस्था की गई है । वर्ष 1991-92 के लिए 374.60 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

Space Research: The approved outlay on ongoing schemes/ projects under S&T Sector include provision for Organisation and Infrastructure Maintenance for Centres, Units like VSSC, SAC, ISAC, SHAR, LPS, ISTRAC, as well as Grants-in-aid to PRL and NRSA and provision for major launch vehicle/satellite projects like PSLV, INSAT-II Test Spacecraft, for New Schemes/Projects including augmentation of special facilities, MRSP, INSAT-2 Satellite Project, GSLV, (Cryogenics), continuation/ operationalisation of ASLV, SROSS & IRS. Besides these, provision is made for Advanced R&D and Miscellaneous Projects on communications, remote sensing, launch vehicle development and Space Sciences. The outlay for 1991-92 is Rs.374.60 crores.

समुद्रविज्ञान अनुसंधान : 1991-92 के लिए 37.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । वर्ष 1991-92 में यह विभाग दो जहाज किराए पर लेगा — एक एंटार्टिका में वैज्ञानिक अभियान दल भेजने के लिए और दूसरा बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य के लिए। गोआ में एंटार्टिका अध्ययन-केन्द्र के लिए एक भवन का निर्माण करने के लिए 3.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। यह निर्माण कार्य पहले ही हुडको को सौंप दिया गया है ।

Oceanographic Research: The outlay for 1991-92 is Rs. 37.00 crores. During 1991-92 the Department is to charter hire two ships-one for sending scientific expedition to Antarctica and the other for undertaking survey work under the Polymetallic Nodules Programme. A provision of Rs. 3.00 crores has been earmarked for construction of a building for Antarctic Study Centre at Goa. The work for construction has already been entrusted to HUDCO.

अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान : इस शीर्ष के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की आयोजनागत स्कीमों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्य कार्यक्रमों के परिव्यय के लिए व्यवस्था की गई है । वर्ष 1991-92 के लिए अनुमोदित परिव्यय 311.93 करोड़ रुपए का है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत रखे गए परिव्यय की व्यवस्था पहले से ही जारी योजनाओं और नई योजनाओं के लिये है । इसके अतिरिक्त कई अन्य कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये हैं, विशेष रूप से सुपर-कंडक्टिविटी, मौसम विज्ञान, यन्त्र विकास के क्षेत्र में तथा भारत और सोवियत रूस के बीच दीर्घावधिक एकीकृत सहयोग कार्यक्रम आदि । 1991-92 के लिए अनुमोदित परिव्यय 71.00 करोड़ रुपए रखा गया है। यह परिव्यय मानव स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्रों में आशाजनक सम्भावनाओं के साथ जैव-प्रौद्योगिकी में उत्पादोन्मुखी अनुसंधान तथा प्रदर्शन कार्य के लिए है ।

Other Scientific Research : This head provides outlays for Plan schemes of the Council of Scientific and Industrial Research and other programmes of the Department of Science Technology. The approved outlay for 1991-92 is Rs. 311.93 crores. The outlay under Department of Science and Technology is for continuing schemes and new schemes. Further some more programmes have been initiated particularly in the field of Super conductivity, Meteorology, Instrumentation Development and Long term integrated programme of cooperation between USSR and India. In the Department of Bio-technology the approved outlay for 1991-92 is Rs. 71.00 crores. The outlay is for product oriented research and demonstration in Biotechnology with promising possibilities in the areas of human health, agriculture and industry.

पारिस्थितिकी और पर्यावरण : 1991-92 के लिए आवंटन की राशि 117.23 करोड़ रुपए है । इसमें संरक्षण और सर्वेक्षण कार्यों, गंगा प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिक विकास और वायु और जल-प्रदूषण की रोकथाम के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

Ecology and Environment : The allocation for 1991-92 is Rs. 117.23crores. It consists of provision for conservation and survey, Ganga Pollution Control, ecology and development and prevention of air and water pollution.

सामान्य आर्थिक सेवाएं

GENERAL ECONOMIC SERVICES

सचिवालय-आर्थिक सेवाएं : इस शीर्ष के अंतर्गत किए गए 3.49 करोड़ रुपए के परिव्यय का संबंध कृषि, जल संसाधन मंत्रालयों और इलैक्ट्रानिक्स विभाग से संबद्ध मुख्यतः आर्थिक सेवा विभागों के सचिवालय व्यय से है ।

Secretariat Economic Services : Outlay of Rs.3.49 crores under this head relate to secretariat expenditure of the Economic Services mainly of Ministries of Agriculture and Water Resources and Department of Electronics.

पर्यटन : 1991-92 के लिये 90.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है । पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं में विदेशी बाजारों में प्रचार और विपणन के दीर्घकालिक अभियान, स्वदेशी पर्यटन

Tourism: The outlay for 1991-92 has been fixed at Rs. 90.00 crores. The schemes for development of tourism include undertaking sustained publicity and marketing compaigns in the overseas

का विकास, जनशक्ति एवं संस्थागत विकास, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आकर्षण-स्थलों का विकास, स्मारकों से संबद्ध फ्लडलाइटिंग तथा ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित बौद्ध केन्द्रों का विकास, यात्री निवास, यात्रिकाओं, समुद्रतटीय सैरगाहों पर आवास-स्थानों, वनों में आवासीय स्थलों, तम्बू वाले आवास-स्थानों, शिविर-स्थलों, पूर्व-निर्मित व ट्रेकिंग झोंपड़ियों, मार्गों के किनारे सुविधाओं का निर्माण करना, चुनिंदा पर्यटक केन्द्रों / क्षेत्रों का एकीकृत विकास, खेल-कूद विषयक पर्यटन का विकास तथा पर्यटक परिवहन का विकास करना सम्मिलित है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन : वर्ष 1991-92 के लिये बजटीय सहायता सहित आवंटन 34.20 करोड़ रुपए का है । इस शीर्ष के अंतर्गत आयोजना परिव्यय में ये मदें शामिल हैं : निर्यात प्रक्रिया जोनों का विकास (13.82 करोड़ रुपए), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (15.00 करोड़ रुपए), कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (2.00 करोड़ रुपए) और विविध (3.38 करोड़ रुपए) ।

जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी : 1991-92 के लिए 22.81 करोड़ रुपए के इस परिव्यय में, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कीआयोजना स्कीमों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है ।

मौसम विज्ञान : वर्ष 1991-92 के लिए 30.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जिसमें वेधशालाओं और मौसम केन्द्रों के लिए परिव्यये शामिल है । प्रयोगशालाओं और मौसम केन्द्रों पर अधिक परिव्यय का मुख्य उद्देश्य उड़ान, नौवहन और कृषि संबंधी उपयोगकर्ताओं को मौसम संबंधी जानकारी देना और साथ ही बाढ़ नियंत्रण, तूफानों की चेतावनी देना आदि है ।

नागरिक आपूर्ति : वर्ष 1991-92 के लिए 7.20 करोड़ रुपए की राशि में, शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता सहकारी संस्थानों की सहायता के लिए व्यवस्था की गई है जिसमें एन सी सी एफ और सुपर बाजार को उनके विस्तारण के लिए सहायता शामिल है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को सहायता दी जाती है जिससे (1) शहरी क्षेत्रों में छोटे बिक्री केन्द्रों, बड़े पैमाने के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा डिपार्टमेंटल स्टोरों की स्थापना की जा सके तथा (2) सहकारी समितियों की परिचालन और व्यापारिक क्षमता को सुधारा जा सके तथा इनकी व्यवहार्यता का विकास किया जा सके।

सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं : 26.98 करोड़ रुपए का परिव्यय, भारतीय अभ्रक व्यापार निगम, चाय व्यापार निगम और वस्तु बोर्डों की शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए है।

अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग : इसमें पंचेश्वर परियोजना में निवेश के लिए व्यवस्था शामिल है ।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं : वर्ष 1991-92 के लिए परिव्यय 433.35 करोड़ रुपए का है । इसमें नई योजना कार्यक्रम के लिए 250.00 करोड़ रुपए और नेहरू रोजगार योजना के लिए 112.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षा : मानव संसाधन विकास से संबंधित समस्याओं को उच्च प्राथमिकता देने के कारण मानव संसाधन विकास से संबंधित विभागों के लिए परिव्ययों की राशि काफी बढ़ा दी गई है । 1991-92 के दौरान सामान्य शिक्षा के लिए 792.05 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । परिव्यय में 287.30 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के लिए, 209.10 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा के लिए, 155.00 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए तथा 120.00 करोड़ रुपए प्रौढ़ शिक्षा के लिए है ।

तकनीकी शिक्षा : तकनीकी शिक्षा के लिए 1991-92 के संबंध में 184.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । इसमें , अन्य के लिए व्यवस्था के साथ-साथ 17.60 करोड़ रुपए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 24.00 करोड़ रुपए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, 9.00 करोड़ रुपए भारतीय प्रबंध संस्थान, 33.00 करोड़ रुपए इंजीनियरी प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए और 29.20 करोड़ रुपए, तकनीकी शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों के लिए 5.00 करोड़ रुपए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, 22.00 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विज्ञान संस्थान को 22.00 करोड़ रुपए का अनुदान देने के लिए है।

खेल और युवा सेवाएं : 1991-92 के लिए बजट अनुमान 76.16 करोड़ रुपए का है । यह परिव्यय मुख्यतः राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल

markets, development of domestic tourism, manpower and institutional development, development of attractions for tourists in rural and backward areas, Floodlighting and Sound and Light shows connected with monuments, development of Buddhist Centres including externally aided projects, construction of Yatri Niwas, accommodation at Beach resorts, forest lodge, tented accommodation, camping sites, pre-fabricated and trekking huts, wayside amenities, integrated development of selected tourist centres/areas, development of sports tourism and development of tourist transports.

Foreign Trade and Export Promotion : The allocation for 1991-92 is Rs. 34.20 crores inclusive of budgetary support. Items included in Plan outlay under this head are Development of Export Processing Zones (Rs. 13.82 crores), Marine Products Exports Development Authority (Rs. 15.00 crores), Agricultural Products Export Development Authority (Rs.2.00 crores) and Miscellaneous (Rs. 3.38 crores).

Census Surveys and Statistics : The outlay of Rs.22.81 crores for 1991-92 includes provision for the plan scheme of the Central Statistical organisation (CSO), for the National Sample Survey Organisation (NSSO), Indian Statistical Institute (ISI) etc.

Meteorology : The outlay for 1991-92 is Rs.30.00 crores which includes an outlay for observatories and weather stations. The increased outlay for observatories and weather stations is aimed at furnishing weather information to users in aviation, shipping, and agriculture as also for flood control, issue of warnings against cyclones, etc.

Civil Supplies: Outlay of Rs.7.20 crores in 1991-92 includes provision for assistance to Consumer Cooperative Institutions in urban areas including assistance to NCCF and Super Bazar for their expansion. The programme envisages assistance to cooperative societies through State Governments for (i) setting up of small outlets, large sized retail outlets and departmental stores in urban areas (ii) improving the operational and trading efficiency and developing the viability of cooperatives.

General Financial and Trading Institutions: Outlay of Rs.26.98 crores is for augmenting the share capital of nationalised banks (Rs.18.00 crores) and internal resources of MICA Trading Corporation, Tea Trading Corporation and Commodity Boards.

Technical and Economic Cooperation with other countries: Includes provision for investment in Pancheswar Project.

Other General Economic Services: The outlay for 1991-92 is Rs.433.35 crores. This includes a provision of Rs.250.00 crores for New Plan Programmes and Rs.112.80 crores is for Nehru Rozgar Yojana.

SOCIAL SERVICES

General Education: With high priority accorded to the problem of human resource development, outlays for the departments under the umbrella of human resource development have been considerably stepped up. The outlay for General Education during 1991-92 is Rs.792.05 crores. The outlay consists mainly of Rs.287.30 crores for elementary education, Rs.209.10 crores for secondary education, Rs.155.00 crores for university and higher education, adult education Rs. 120.00 crores.

Technical Education: Outlay on technical education for 1991-92 has been kept at Rs.184.00 crores. It includes inter alia Rs.17.60 crores for Indian Institute of Technology, Rs.24.00 crores for Regional Engineering Colleges, Rs.9.00 crores for Indian Institutes of Management, Rs.33.00 crores for modernisation of engineering laboratories and workshops and Rs.29.20 crores for other programmes of technical education, Rs.5.00 crores for Teacher's Training Institutes, Rs.22.00 crores for University Grants Commission and Rs.22.00 crores for Grants to Indian Institute of Science.

Sports and Youth Services: The budget estimate for 1991-92 is Rs.76.16 crores. The outlay is mainly for National Service Scheme, Nehru Yuva Kendra Sangathan, Programme of Training of Youth,

संगठनों को अनुदान, खेल और शारीरिक दल विशेषज्ञों का आदान-प्रदान आदि के संबंध में है।

कला और संस्कृति : वर्ष 1991-92 के लिए 73.70 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद तथा संगीत नाटक अकादमी, ललित-कला अकादमी, राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों आदि के लिए व्यवस्था की गई है।

चिकित्सा और जनस्वास्थ्य : 1991-92 के लिए 301.90 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिव्यय का अधिकांश भाग संचारी और अन्य बीमारियों की रोकथाम से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वर्ष 1991-92 के परिव्यय में स्वास्थ्य से संबंधित जिन कार्यक्रमों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है वह कार्यक्रम ये हैं :- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (85.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें कोढ़ संबंधी एस ई टी योजनाओं के तहत स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं (24.00 करोड़ रुपए), कैंसर नियंत्रण (21.50 करोड़ रुपए), अन्धेपन की रोकथाम जिसमें राष्ट्रीय रोहा और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं (12.80 करोड़ रुपए), क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (16.00 करोड़ रुपए), "राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में औषधि नियंत्रण एवं खाद्य मानक प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, राज्यों में नशीले पदार्थों का व्यसन रोकने संबंधी केन्द्र, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य प्रबन्ध सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में चिकित्सा रिकार्ड विभाग का विकास और जन स्वास्थ्य प्रशासन शिक्षा व प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाना" (3.77 करोड़ रुपए), और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्रामीण औषधालयों में प्रयोगशाला संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना और राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं (0.75 करोड़ रुपए)। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सीय शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सहित चिकित्सा विज्ञानों के विकास पर बल दिया गया है जिसके लिए 1991-92 में 117.26 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है।

परिवार कल्याण : परिवार कल्याण कार्यक्रम को अभिभावी राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य, शताब्दी के पूरा होने तक जन्म दर को घटाकर 21 प्रति हजार और मृत्यु दर को 9 प्रति हजार करना है। यह कार्यक्रम अपने प्रारंभिक समय से ही शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में जारी है। आगे के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, नवम्बर 1988 में योजना आयोग द्वारा गठित जनसंख्या पूर्वानुमान एवं परिवार नियोजन संबंधी कार्यकारी दल द्वारा 1991-92 के लिए जो वस्तुपरक लक्ष्य रखे गए हैं, वे हैं — 60 लाख नसबंदियां करना, 66 लाख आई. यू. डी. लगाना तथा गर्भनिरोधकों (कंडोम तथा खाने की गोलियां) का प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ाकर 175 लाख करना। वर्ष 1991-92 के लिए 749.00 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसमें प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्था भी शामिल है।

जल-पूर्ति और सफाई : जल-पूर्ति और सफाई राज्य का विषय है और केन्द्रीय सहायता निर्धारित समस्यामूलक गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के वास्ते राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को पूरा करने के लिए दी जाती है। केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणिक इंजीनियरी संगठन के माध्यम से जलपूर्ति और सफाई कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। 20-सूत्री कार्यक्रम में समस्याग्रस्त गांवों को साफ पेय जल की सप्लाई करने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। वर्ष 1991-92 के लिए इस क्षेत्र में 799.85 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण सफाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निजी घरों में साफ शौचालयों का निर्माण करके विभिन्न केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसके समेत वर्ष 1991-92 के लिए 37.59 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1991-92 के लिए जलपूर्ति और सफाई के संबंध में कुल परिव्यय 837.44 करोड़ रुपए का है।

आवास : इसके लिए 402.10 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसमें 'हडको' की योजनाओं के संबंध में 326 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 30 करोड़ रुपए शामिल हैं। अन्य व्यवस्थाओं में सी.जी.ई., डब्ल्यू.एच.ओ., एच.पी.एल.,बी.एम.टी.पी.सी., रास्तों पर रहने वालों के लिए रात्रि निवास योजना के लिए अन्य व्यवस्था के

Sports Authority of India, Grants to Sport Federations, Exchange of Sports and Physical Team experts etc.

Art and Culture: The outlay for 1990–91 is Rs.73.70 crores. This includes provision for Indira Gandhi National Centre for Arts, conservation of ancient monuments, Archaeological Survey of India, National Museum, National Council of Science Museums and for Sangeet Natak Akademi, Lalit Kala Akademi, National Archives, Zonal Cultural Centres etc.

Medical and Public Health: The outlay for 1991-92 is Rs.301.90 crores. A major portion of the outlay under this head is meant for national programmes for control of communicable and other diseases. These Schemes are implemented through State Governments. On the Health side, the outlay for 1991-92 mainly includes allocations for NMEP and National Filaria Control Programmes (Rs.85.50 crores). National Leprosy Control Programmes including Grants to Voluntary Organisations under Leprosy SET Schemes Rs.24.00 crores), Cancer Control (Rs.21.50 crores), prevention of Blindness including National Trachoma and Blindness Control Programme (Rs.12.80 crores), TB Control Programme (Rs.16.00 crores)"Strengthening of drugs control and Food Standard Administration in the States/U.Ts. Drugs De-addiction Centres in the States, Strengthening of State Health Education Bureau, Health Management information system, Development of Medical Records Department in Central Government Hospitals and Strengthening of Public Health Adminstration Education and Training" (Rs.3.77 crores), and Strengthening of Laboratory facilities at PHCs and Rural Dispensaries and National School Health Services (Rs.0.75 crores). On medical side, the emphasis is on development of medical sciences including medical education, training and research for which a total outlay of Rs. 117.26 crores has been provided during 1991-92.

Family Welfare: Family Welfare Programme is given an over-riding national priority. It aims to bring down the birth rate to 21 per thousand and death rate to 9 per thousand by the turn of the century. The programme continues to be cent per cent Centrally Sponsored Plan Scheme since its inception. For achieving the objectives set forth, physical targets for 1991-92 as given by the Working Group on Population Projection and Family Planning Constituted by the Planning Commission in November, 1988 are to perform 6.0 million sterilisations 6.6 million IUD insertions and raise the level of users of contraceptives (Condoms and Oral Pills) to 17.5 million. The outlay for 1991-92 has been fixed at Rs. 749.00 crores which also includes provision for strengthening of Maternity and Child Health Services.

Water Supply and Sanitation: Water supply and sanitation is a State subject and Central assistance is intended to supplement the resources of State Governments and Union Territory Governments in providing safe drinking water to identified problem villages. The Central Government also provides technical guidance for formulation and implementation of water supply and sanitation programmes through Central Public Health and Environmental Engineering Organisation. Supply of safe drinking water to all problem villages has been included in the 20-Point Programme. Provision of Rs.799.85 crores has been made for this sector for the year 1991-92.

The scheme of Rural Sanitation aims at supplementing the efforts made under various Central and State Sector Programmes for providing sanitary facilities in rural areas through construction of sanitary latrines in individual houses with the overall objective of improving the quality of life in rural areas. The provision for 1991-92 is Rs.37.59 crores. Including this, the total outlay for water supply and sanitation in 1991-92 is Rs.837.44 crores.

Housing: The outlay is Rs.402.10 crores. This includes Rs.326 crores for the schemes of HUDCO and Rs.30 crores for National Housing Bank. Other provisions include expenditure on construction of General pool accommodation of various places in India besides other provisions for C.G.E.W.H.O.; N.B.I.; H.P.L.; B.M.T.P.C.;

अतिरिक्त भारत में विभिन्न स्थानों पर सामान्य श्रेणी के भवनों के निर्माण पर होने वाला व्यय शामिल है।

शहरी विकास : 63.95 करोड़ रुपये के परिव्यय में 15 करोड़ रुपयें विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास 14 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, 25.45 करोड़ रुपये अन्य शहरी विकास योजनाओं के लिए तथा 5 करोड़ रुपएं शहरी परिवहन संघ के लिए हैं ।

सूचना और प्रचार : 91-92 के लिए 23.00 करोड़ निर्धारित किये हैं जिसमें से 6.37 करोड़ रुपये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के लिए शामिल है जिसमें से 3.57 करोड़ रुपये निगम अपने आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त करेगा।

प्रसारण : सुदृढ प्रसारण के लिए वर्ष 1991-92 के लिये 465.80 करोड़ रुपये का परिव्यय है (जिससे 180.37 करोड़ रुपये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की व्यावसायिक राजस्व निधि से प्राप्त किये जायेंगे) । 1991-92 के परिव्यय में स्टूडियो को पूर्ण करना, नये स्टेशन स्थापित करने सम्बन्धी निर्माण कार्य तथा ट्रांसमीटर परियोजनाओं को पूरा करना तथा एफ एम ट्रांसमीटर्स इत्यादि स्थापित करना भी शामिल है । दूरदर्शन के लिए 1991-92 में 250.80 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है (जिसमें से 97.37 करोड़ रुपये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की व्यावसायिक राजस्व निधि से प्राप्त किये जायेंगे) । 1991-92 के परिव्यय में नये टी. वी. स्टूडियों को पूर्ण करना, पी. जी. एम. केन्द्र, उच्च शक्ति के टी. वी. ट्रांसमीटरों, समाचारकक्ष आटोमेशन को प्रारम्भ करना, उपग्रह सूचना एकत्रीकरण प्रणाली, उपस्करों को बदलना सिविल निर्माण कार्य इत्यादि शामिल हैं।

कल्याण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : 1991-92 के लिए परिव्यय के रूप में 413.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता, अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता, कन्या छात्रावास, सफाई वालों की मुक्ति, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम, डा. अम्बेडकर शताब्दी समारोह के लिए योजना तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम शामिल हैं ।

श्रम तथा रोजगार : निर्माण कार्य के लिये परिव्यय सहित वर्ष 1991-92 के लिए परिव्यय 94.89 करोड़ रुपये है । इसमें श्रमिकों के रोजगार तथा प्रशिक्षण तथा उनके कार्य करने की दशा में सुधार तथा सुरक्षा पर बल दिया गया है ।

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण : वर्ष 1991-92 के लिए 474.35 करोड़ रुपए का परिव्यय है । जिसमें से 321.50 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए है। वर्ष 1991-92 के परिव्यय में दिन के समय बच्चों की देखरेख के लिए केन्द्र, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और महिलाओं की शिक्षा के हेतु सघन पाठ्यक्रम के लिए भी व्यवस्था शामिल है।

पोषण : यह खाद्य विभाग की मांग का एक हिस्सा है । 1991-92 के लिए 3.28 करोड़ रुपए का परिव्यय है ।

सचिवालय सामाजिक सेवा : वर्ष 1991-92 के लिए 1.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सामान्य सेवाएं

लेखन सामग्री तथा छपाई : इसमें भारत सरकार की मिन्टो रोड पर स्थित प्रैस के आधुनिकीकरण के लिए प्रारम्भिक रूप से 0.10 करोड़ रुपए का परिव्यय है ।

लोक निर्माण - इस में सामान्य पूल आफिस आवास के निर्माण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान तथा नई दिल्ली में अनुसंधान तथा विकास सैल तथा शिलांग में नई स्थापित उत्तरी पूर्वी जोन के लिए 6.65 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान है ।

अन्य प्रशासकीय सेवाएं : सरकारी कार्यालयों के मशीनीकरण तथा प्रशिक्षण के लिये बढ़े हुए प्रावधान के साथ 1991-92 में 16.32 करोड़ रुपये का परिव्यय है ।

Footpath dweller's night-Shelter Scheme.

Urban Development: The outlay of Rs.63.95 crores includes Rs.15.00 crores for the Integrated Development of Small and Medium Towns in various States & U.Ts., Rs.14.00 crores for the National Capital Region, Rs. 25.45 crores on other Urban Development Scheme and Rs.5.00 crores for Urban Transport Consortium.

Information and Publicity : The allocation for 1991-92 is Rs.23.00 crores which includes an amount of Rs.6.37 crores for the National Film Development Corporation, out of which Rs. 3.57 crores will be met by the Corporation from its own internal resources.

Broadcasting : For Sound Broadcasting the outlay for 1991-92 is Rs.465.80 crores (of which Rs.180.37 crores would be met from Akashvani and Doordarshan Commercial Revenue Fund). The outlay for 1991-92 includes provision for completion of studios, new stations, installation works and completion of transmitter projects, setting-up of FM transmitters etc. The outlay for Doordarshan for 1991-92 has been fixed at Rs.250.80 crores (of which Rs. 97.37 crores will be met from Akashvani and Doordarshan Commercial Revenue Fund). Outlay for 1991-92 includes provision for commissioning of new T.V. Studios, P.G.F. Centres, High Power T.V. Transmitters, introduction of News room automation, Satellite News gathering system, Replacements of equipments, Civil Works etc.

WELFARE

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes : The outlay for 1991-92 Rs.413.86 crores includes Post-Matric Scholarship for SCs/STs, Special Central Assistance for SC component Plan, Assistance to Scheduled Caste Development Corporation, Girls Hostel, Liberation of Scavengers, National SC/ST Finance and Development Corporation, Scheme for Dr. Ambedkar Centenary Celebrations and other programmes for Welfare of Scheduled Casts/Tribes.

Labour and Employment : The outlay for 1991-92 is Rs. 94.89 crores inclusive of works outlay. Emphasis is on employment and training of labour and improving working conditions and safety.

Social Security and Welfare: The outlay for 1991-92 is Rs.474.35 crores of which Rs.321.50 crores are for Integrated Child Development Services. The outlay for 1991-92 also includes provision for day care centres for children, hostels for working women, Condensed Courses for Education of Women.

Nutrition : This forms a part of the demands of the Department of Food. The outlay for 1991-92 is Rs.3.28 crores.

Secretariat Social Services : The provision for 1991-92 is Rs. 1.00 crore.

GENERAL SERVICES

Stationery and Printing: This outlay of Rs.0.10 crores is primarily intended for modernisation of the Government of India Press at Minto Raod.

Public Works: The outlay of Rs.6.65 crores provides for construction of general pool Office accommodation, CPWD Training Institute and R & D cell at New Delhi and the newly set-up North-Eastern Zone at Shillong.

Other Administrative Services: The outlay for 1991-92 is Rs.16.32 crores with increased provision for training, mechanisation of government offices etc.

मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY MINISTRIES/DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 11

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	MINISTRY/DEPARTMENT	बजट Budget 1990-91 बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	संशोधित Revised 1990-91 बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट Budget 1991-92 बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**1059.00**	**1.00**	**1060.00**	**1027.52**	**1.00**	**1028.52**	**1362.34**	...	**1362.34**
कृषि तथा सहकारिता विभाग	Department of Agriculture and Cooperation	779.83	...	779.83	786.89	...	786.89	1014.35	...	1014.35
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	Department of Agricultural Research and Education	154.00	1.00	155.00	154.34	1.00	155.34	190.00	...	190.00
पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	Department of Animal Husbandry And Dairying	125.17	...	125.17	86.29	...	86.29	157.99	...	157.99
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS**	**78.98**	**1000.20**	**1079.18**	**98.14**	**831.04**	**929.18**	**111.86**	**930.50**	**1042.36**
रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	Department of Chemicals and Petro-Chemicals	0.61	417.84	418.45	0.59	343.72	344.31	21.86	609.80	631.66
उर्वरक विभाग	Department of Fertilisers	78.37	582.36	660.73	97.55	487.32	584.87	90.00	320.70	410.70
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**	**73.24**	**530.33**	**603.57**	**66.40**	**485.06**	**551.46**	**106.07**	**416.73**	**522.80**
नागर विमानन विभाग	Department of Civil Aviation	5.74	514.83	520.57	5.40	480.06	485.46	29.07	403.73	432.80
पर्यटन विभाग	Department of Tourism	67.50	15.50	83.00	61.00	5.00	66.00	77.00	13.00	90.00
नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION**	**12.15**	**7.00**	**19.15**	**12.80**	**0.40**	**13.20**	**12.99**	**4.81**	**17.80**
कोयला मंत्रालय	**MINISTRY OF COAL**	**990.55**	**1935.00**	**2925.55**	**946.80**	**1916.00**	**2862.80**	**743.00**	**2257.00**	**3000.00**
वाणिज्य मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE**	**70.32**	**14.93**	**85.25**	**63.47**	**4.26**	**67.73**	**86.82**	**18.18**	**105.00**
वाणिज्य विभाग	Department of Commerce	66.32	14.93	81.25	61.08	4.26	65.34	82.82	18.18	101.00
पूर्ति विभाग	Department of Supply	4.00	...	4.00	2.39	...	2.39	4.00	...	4.00
संचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**88.45**	**3081.55**	**3170.00**	**115.31**	**3047.75**	**3163.06**	**95.00**	**3370.00**	**3465.00**
संचार मंत्रालय	Ministry of Communications	3.02	...	3.02	2.68	...	2.68	6.00	...	6.00
डाक सेवाएं	Postal Services	60.00	...	60.00	48.00	...	48.00	72.00	...	72.00
दूर-संचार सेवाएं	Telecommunication Services	25.43	3081.55	3106.98	64.63	3047.75	3112.38	17.00	3370.00	3387.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**	**232.00**	...	**232.00**	**210.86**	...	**210.86**	**300.44**	...	**300.44**
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**627.40**	**50.00**	**677.40**	**982.32**	**50.00**	**1032.32**	**1119.90**	**120.00**	**1239.90**
आर्थिक कार्य विभाग	Department of Economic Affairs	624.40	50.00	674.40	980.67	50.00	1030.67	864.70	120.00	984.70
व्यय विभाग	Department of Expenditure	3.00	...	3.00	1.65	...	1.65	255.20	...	255.20
खाद्य मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD**	**32.61**	**28.50**	**61.11**	**29.77**	**28.50**	**58.27**	**38.85**	**37.50**	**76.35**
खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**	**30.00**	**2.00**	**32.00**	**25.80**	**5.24**	**31.04**	**40.00**	**3.00**	**43.00**
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**	**950.00**	...	**950.00**	**1040.05**	...	**1040.05**	**1050.90**	...	**1050.90**
स्वास्थ्य विभाग	Department of Health	275.00	...	275.00	255.14	...	255.14	301.90	...	301.90
परिवार कल्याण विभाग	Department of Family Welfare	675.00	...	675.00	784.91	...	784.91	749.00	...	749.00
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**	**9.31**	...	**9.31**	**8.31**	...	**8.31**	**12.00**	...	**12.00**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**	**1330.36**	...	**1330.36**	**1264.60**	...	**1264.60**	**1526.76**	...	**1526.76**
शिक्षा विभाग	Department of Education	865.00	...	865.00	837.34	...	837.34	977.00	...	977.00
युवा कार्य और खेल विभाग	Department of Youth Affairs and Sports	68.56	...	68.56	62.07	...	62.07	75.56	...	75.56
कला और संस्कृति विभाग	Department of Art and Culture	67.20	...	67.20	52.09	...	52.09	74.20	...	74.20
महिला और बाल विकास विभाग	Department of Women and Child Development	329.60	...	329.60	313.10	...	313.10	400.00	...	400.00
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**563.59**	**529.64**	**1093.23**	**714.72**	**430.59**	**1145.31**	**599.12**	**382.00**	**981.12**
औद्योगिक विकास विभाग	Department of Industrial Development	50.00	...	50.00	243.60	...	243.60	70.00	...	70.00

मंत्रालयों/विभागों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY MINISTRIES/DEPARTMENTS

विवरण
STATEMENT 11
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. I.E.B.R	जोड़ Total
भारी उद्योग विभाग	Department of Heavy Industry	181.36	529.64	711.00	163.63	430.59	594.22	169.00	382.00	551.00
लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries	332.23	...	332.23	307.49	...	307.49	360.12	...	360.12
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFO MATION AND. BROADCASTING	270.72	153.28	424.00	178.85	153.28	332.13	304.86	183.94	488.80
श्रम मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR	85.00	...	85.00	48.99	...	48.99	95.00	...	95.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES	55.00	597.51	652.51	150.86	462.33	613.19	70.77	399.23	470.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS	6.21	...	6.21	5.40	...	5.40	8.00	...	8.00
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETRO-LEUM AND NATURAL GAS	150.00	3940.75	4090.75	150.00	4121.93	4271.93	180.00	4877.07	5057.07
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING	64.66	...	64.66	60.75	...	60.75	69.31	...	69.31
आयोजना	Planning	49.22	...	49.22	47.10	...	47.10	55.00	...	55.00
सांख्यिकी विभाग	Department of Statistics	15.44	...	15.44	13.65	...	13.65	14.31	...	14.31
विद्युत तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES	2537.60	2200.39	4737.99	2415.78	1811.97	4227.75	2024.22	2995.29	5019.51
विद्युत विभाग	Department of Power	2412.22	2200.39	4612.61	2299.46	1811.97	4111.43	1874.22	2995.29	4869.51
गैर-पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत विभाग	Department of Non-Conventional Energy Sources	125.38	...	125.38	116.32	...	116.32	150.00	...	150.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	3114.68	...	3114.68	2960.64	...	2960.64	3508.00	...	3508.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	293.50	...	293.50	262.54	...	262.54	338.88	...	338.88
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Science and Technology	127.00	...	127.00	109.21	...	109.21	149.20	...	149.20
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	Department of Scientific and Industrial Research	104.00	...	104.00	96.59	...	96.59	118.68	...	118.68
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Biotechnology	62.50	...	62.50	56.74	...	56.74	71.00	...	71.00
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL	267.50	2467.20	2734.70	526.62	2101.89	2628.51	433.32	2502.06	2935.38
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT	817.10	1048.68	1865.78	719.77	762.14	1481.91	848.80	941.20	1790.00
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES	218.16	74.52	292.68	197.46	75.28	272.74	234.54	80.11	314.65
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	272.00	...	272.00	258.43	...	258.43	300.00	300.00	600.00
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES	231.62	...	231.62	193.53	...	193.53	275.00	...	275.00
कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF WELFARE	364.45	...	364.45	365.50	...	365.50	478.75	...	478.75
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY	559.66	670.96	1230.62	497.25	782.22	1279.47	412.14	492.89	905.03
इलेक्ट्रॉनिकी विभाग	DEPARTMENT OF ELECTRONICS	110.00	72.00	182.00	96.42	58.84	155.26	121.60	11.40	133.00
महासागर विकास विभाग	DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT	35.00	...	35.00	31.45	...	31.45	37.00	...	37.00
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE	323.00	...	323.00	279.50	...	279.50	374.60	...	374.60
रेलवे	RAILWAYS	1694.00*	3306.00	5000.00	1587.00	3329.00	4916.00	1694.00	3631.00	5325.00
कुल जोड़	*GRAND TOTAL*	*17617.82*	*21711.44*	*39329.26*	*17593.61*	*20458.72*	*38052.33*	*19014.84*	*23953.91*	*42968.75*
*इसमें प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित रेलवे-पूंजीगत व्यय शामिल है।	**Includes Railway Capital expenditure matched by receipts*	*274.00*	...	*274.00*	*166.67*	...	*166.67*	...	...	...

मंत्रालयों/विभागों के सम्मुख दर्शाए गए बजट समर्थन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्य पर हुआ व्यय शामिल है।

Budget support shown against Ministries/Departments is inclusive of expenditure on works executed by CPWD.

विकास शीर्ष के अनुसार केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY HEADS OF DEVELOPMENT

विवरण
STATEMENT 12

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head Of Development	बजट 1990-91 Budget	संशोधित 1990-91 Revised	बजट 1991-92 Budget
I. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	*I. Agriculture and Allied Activities*		*1584.10*	*1391.57*	*1857.85*
1. खेती बाड़ी	1. Crop Husbandry	12401	488.89	517.30	663.15
2. भू और जल संरक्षण	2. Soil and Water Conservation	12402	57.00	51.91	100.00
3. पशु पालन	3. Animal Husbandry	12403	45.00	43.72	59.82
4. डेरी विकास	4. Dairy Development	12404	80.00	42.40	97.96
5. मीन उद्योग	5. Fisheries	12405	42.10	40.92	65.00
6. वानिकी और वन्य जीवन	6. Forestry and Wild Life	12406	125.00	116.85	183.21
7. बागान	7. Plantations	12407	48.97	41.36	50.82
8. खाद्य, भंडारण और भांडागारण	8. Food, Storage and Warehousing	12408	77.05	72.12	101.67
9. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	9. Agricultural Research and Education	12415	154.20	154.64	189.95
10. कृषि वित्तीय संस्थाएं	10. Agricultural Financial Institutions	12416	255.25	113.95	131.00
11. सहकारिता	11. Co-operation	12425	203.64	190.06	206.27
12. अन्य कृषि कार्यक्रम	12. Other Agricultural programmes	12435	7.00	6.34	9.00
II. ग्रामीण विकास	*II. Rural Development*		*2663.68*	*2531.97*	*2702.41*
1. विशेष ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1. Special Programmes for Rural Development	12501	502.26	475.44	513.40
2. ग्रामीण रोजगार	2. Rural Employment	12505	2100.00	2000.73	2100.00
3. भूमि सुधार	3. Land Reforms	12506	25.33	22.81	34.61
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4. Other Rural Development Programmes	12515	36.09	32.99	54.40
III. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	*III. Irrigation and Flood Control*		*223.32*	*185.60*	*266.70*
1. वृहद और मध्यम सिंचाई	1. Major and Medium Irrigation	12701	24.41	21.78	40.54
2. लघु सिंचाई	2. Minor Irrigation	12702	41.90	37.33	57.83
3. कमान क्षेत्र कार्यक्रम	3. Command Area Development	12705	110.00	85.50	90.00
4. बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	4. Flood Control and Drainage	12711	47.01	40.99	78.33
IV. ऊर्जा	*IV. Energy*		*12280.17*	*12153.27*	*13514.30*
1. विद्युत	1. Power	12801	5916.88	5515.13	5927.04
2. पेट्रोलियम	2. Petroleum	12802	3791.36	4130.02	4917.26
3. कोयला और लिग्नाइट	3. Coal and Lignite	12803	2446.55	2391.80	2520.00
4. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत,	4. Non-Conventional Sources of Energy	12810	125.38	116.32	150.00
V. उद्योग और खनिज	*V. Industry and Minerals*		*7115.98*	*7112.77*	*7117.22*
1. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1. Village and Small Industries	12851	468.34	437.36	556.06
2. लोहा और इस्पात उद्योग	2. Iron and Steel Industries	12852	2734.71	2628.51	2935.38
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	3. Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	12853	652.51	613.19	470.00
4. सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	4. Cement and non-Metallic Mineral Industries	12854	67.00	42.30	80.00
5. उर्वरक उद्योग	5. Fertiliser Industries	12855	660.73	584.87	410.70
6. पैट्रो-रसायन उद्योग	6. Petro-Chemical Industries	12856	580.67	368.87	654.47
7. रसायन और औषधीय उद्योग	7. Chemical and Pharmaceutical Industries	12857	90.95	71.78	97.90
8. इंजीनियरी उद्योग	8. Engineering Industries	12858	554.92	505.16	394.45
9. दूर-संचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग	9. Telecommunication and Electronic Industries	12859	328.40	300.72	227.95
10. उपभोक्ता उद्योग	10. Consumer Industries	12860	324.02	265.74	255.26
11. परमाणु ऊर्जा उद्योग	11. Atomic Energy Industries	12861	271.83	225.02	194.00
12. अन्य उद्योग	12. Other Industries	12875	11.65	5.60	5.35
13. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	13. Other outlays on Industries and Minerals	12885	370.25	1063.65	835.70
VI. परिवहन	*VI. Transport*		*7415.35*	*6882.70*	*7536.79*
1. रेलवे	1. Railways	13002	5000.00	4916.00	5325.00
2. पत्तन और दीपस्तम्भ	2. Ports and Lighthouses	13051	539.78	332.78	539.00
3. नौवहन	3. Shipping	13052	744.00	633.68	616.99
4. नागर विमानन	4. Civil Aviation	13053	520.57	485.46	432.80
5. सड़कें और पुल	5. Roads and Bridges	13054	460.00	406.93	490.00
6. सड़क परिवहन	6. Road Transport	13055	81.00	58.71	70.00
7. अन्तर्देशीय जल परिवहन	7. Inland Water Transport	13056	57.00	35.46	50.00
8. अन्य परिवहन सेवाएं	8. Other Transport Services	13075	13.00	13.68	13.00

विकास शीर्ष के अनुसार केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय
CENTRAL PLAN OUTLAY BY HEADS OF DEVELOPMENT

विवरण STATEMENT 12

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head Of Development	बजट 1990-91 Budget	संशोधित 1990-91 Revised	बजट 1991-92 Budget
VII. संचार	***VII. Communications***		***3047.87***	***3038.30***	***3383.00***
1. डाक सेवाएं	1. Postal Services	13201	60.00	48.00	72.00
2. दूर संचार सेवाएं	2. Telecommuncation Services	13225	2875.00	2875.00	3203.00
3. अन्य संचार सेवाएं	3. Other Communication Services	13275	112.87	115.30	108.00
VIII. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	***VIII. Science Technology & Environment***		***845.37***	***749.47***	***960.91***
1. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1. Atomic Energy Research	13401	112.00	103.43	120.15
2. अंतरिक्ष अनुसंधान	2. Space Research	13402	323.00	279.50	374.60
3. समुद्र-विज्ञान अनुसंधान	3. Oceanographic Research	13403	35.00	31.45	37.00
4. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4. Other Scientific Research	13425	268.40	241.08	311.93
5. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	5. Ecology and Environment	13435	106.97	94.01	117.23
IX. सामान्य आर्थिक सेवाएं	***IX. General Economic Services***		***377.48***	***368.17***	***648.38***
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	13451	3.73	3.30	3.49
2. पर्यटन	2. Tourism	13452	83.00	66.00	90.00
3. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन	3. Foreign Trade and Export Promotion	13453	24.77	20.00	34.20
4. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	4. Census, Surveys and Statistics	13454	21.75	19.96	22.81
5. मौसम विज्ञान	5. Meteorology	13455	25.00	20.25	30.00
6. नागरिक पूर्ति	6. Civil Supplies	13456	6.45	7.55	7.20
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	7. General Financial and Trading Institutions	13465	25.66	55.86	26.98
8. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	8. Technical and Economic Cooperation with other Countries	13605	0.35	0.32	0.35
9. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	9. Other General Economic Services	13475	186.77	174.93	433.35
X. सामाजिक सेवाएं	***X. Social Services***		***3757.81***	***3616.26***	***4956.48***
1. सामान्य शिक्षा	1. General Education	22202	705.10	677.24	792.05
2. तकनीकी शिक्षा	2. Technical Education	22203	159.00	159.20	184.00
3. खेल-कूद और युवा सेवाएं	3. Sports and Youth Services	22204	69.36	62.87	76.16
4. कला और संस्कृति	4. Art and Culture	22205	66.82	51.72	73.70
5. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	5. Medical and Public Health	22210	275.00	255.14	301.90
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	22211	675.00	764.91	749.00
7. जल पूर्ति और सफाई	7. Water Supply and Sanitation	22215	470.33	448.56	837.44
8. आवास	8. Housing	22216	56.82	55.04	402.10
9. शहरी विकास	9. Urban Development	22217	63.85	54.82	63.95
10. सूचना और प्रचार	10. Information and Publicity	22220	24.00	18.16	23.00
11. प्रसारण	11. Broadcasting	22221	400.00	313.97	465.80
12. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes	22225	320.10	321.04	413.86
13. श्रम और रोजगार	13. Labour and Employment	22230	84.90	48.95	94.89
14. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	14. Social Security and Welfare	22235	384.40	361.95	474.35
15. पोषाहार	15. Nutrition	22236	2.50	2.07	3.28
16. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	16. Secretariat-Social Services	22251	0.63	0.62	1.00
XI. सामान्य सेवाएं	***XI. General Services***		***18.13***	***22.25***	***24.71***
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	32052	1.50	0.85	1.64
2. पुलिस	2. Police	32055	...	...	...
3. पूर्ति और निपटान	3. Supplies and Disposals	32057	...	...	...
4. लेखन-सामग्री और मुद्रण	4. Stationery and Printing	32058	0.10	0.95	0.10
5. लोक निर्माण कार्य	5. Public Works	32059	4.60	11.15	6.65
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	6. Other Administrative Services	32070	11.93	9.30	16.32
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***		***39329.26***	***38052.33***	***42968.75***

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश
PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 13
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support	
			इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans		इक्विटी Equity	ऋण Loans
कृषि मंत्रालय	**Ministry of Agriculture**	**182.48**	**1.32**	**180.16**	**176.82**	**0.70**	**175.12**	**218.36**	**0.80**	**217.56**
कृषि और सहकारिता विभाग	*Department of Agriculture and Cooperation*	*145.28*	*0.12*	*145.16*	*140.24*	*0.12*	*140.12*	*167.76*	*0.20*	*167.56*
1. भूमि विकास बैंक	1. Land Development Banks	43.00	...	43.00	39.00	...	39.00	40.00	...	40.00
2. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	2. National Cooperative Development Corporation	102.06	...	102.06	101.10	...	101.10	127.05	...	127.05
3. राष्ट्रीय बीज निगम	3. National Seeds Corporation	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	0.01
4. आयल पाम इंडिया लिमिटेड	4. Oil Palm India Ltd.	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20	...
5. स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	5. State Farms Corporation of India Ltd.	0.11	0.01	0.10	0.03	0.01	0.02	0.50	...	0.50
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	*Department of Agricultural Research and Education*	*1.00*	...	...	*1.00*	...	...	...	...	...
6. अन्य निकाय/संस्थाएं	6. Other bodies / Institutions	1.00	...	...	1.00	...	...	...	...	...
पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	*Department of Animal Husbandry and Dairying*	*36.20*	*1.20*	*35.00*	*35.58*	*0.58*	*35.00*	*50.60*	*0.60*	*50.00*
7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	7. National Dairy Development Board	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
8. बूचड़खाना निगम	8. Slaughter Houses Corporation	1.20	1.20	...	0.58	0.58	...	0.60	0.60	...
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**Ministry of Chemicals and Fertilisers**	**1056.25**	**3.47**	**52.58**	**906.27**	**26.46**	**48.77**	**1026.76**	**10.06**	**86.20**
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	*Department of Chemicals and Petrochemicals*	*418.45*	*0.10*	*0.51*	*344.31*	*0.09*	*0.50*	*631.66*	*8.06*	*13.80*
9. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	9. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	1.50	...	...	1.50	...	...	1.00	0.50	0.50
10. बंगाल इम्यूनिटी लि०	10. Bengal Immunity Ltd.	2.00	...	...	2.60	...	...	1.50	0.75	0.75
11. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०	11. Hindustan Antibiotics Ltd.	25.00	...	...	35.00	...	...	6.00	...	...
12. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	12. Hindustan Insecticides Ltd.	1.00	...	...	1.00	...	...	3.00	1.00	1.00
13. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	13. Hindustan Organic Chemicals Ltd.	50.00	...	...	27.00	...	...	76.00	...	...
14. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	14. Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	9.00	...	0.10	3.59	...	0.09	6.84	1.25	1.25
15. भारतीय पैट्रो-रसायन निगम लि०	15. Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.	256.00	...	...	165.00	...	...	520.76	...	...
16. कीटनाशक विकास केन्द्र	16. Pesticides Development Centre	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
17. पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०	17. Petrofils Cooperative Ltd.	66.00	...	...	107.12	...	...	0.10	...	...
18. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	18. Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd.	1.25	...	...	0.90	...	...	1.00	0.50	0.50
19. अन्य निकाय/संस्थाएं	19. Other bodies/institutions	5.70	0.10	0.41	0.60	0.09	0.41	15.46	4.06	9.80
उर्वरक विभाग	*Department of Fertilisers*	*637.80*	*3.37*	*52.07*	*561.96*	*26.37*	*48.27*	*395.10*	*2.00*	*72.40*
20. फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०	20. Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	80.00	...	8.31	69.20	...	8.31	50.20	...	15.20
21. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	21. Fertilizers Corporation of India Ltd.	65.00	...	23.38	65.00	...	23.38	65.00	...	25.00
22. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०	22. Hindustan Fertilizers Corporation Ltd.	67.00	1.00	...	60.30	24.00	...	50.00	0.80	18.20
23. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि०	23. Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.	130.00	...	...	66.59	...	...	0.10	...	...
24. कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	24. Krishak Bharati Cooperative Ltd.	21.00	...	...	24.05	...	...	0.10	...	...
25. मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	25. Madras Fertilizers Ltd.	35.00	1.00	...	35.00	1.00	...	48.00	1.00	...
26. नेशनल फर्टिलाइजर लि०	26. National Fertilizers Ltd.	60.00	...	19.38	78.00	...	15.58	63.00	...	14.00
27. नई उर्वरक परियोजनाएं	27. New Fertilizer Projects	1.00	...	...	...	...	...	...	...	...
28. पारादीप फास्फेट्स लि०	28. Paradeep Phosphates Ltd.	95.00	...	1.00	95.00	...	1.00	45.00	...	...
29. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इ०) लि०	29. Projects and Development (India) Ltd.	7.00	1.00	...	6.53	1.00	...	2.50	...	...
30. पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	30. Pyrites Phosphates and Chemicals Ltd.	3.50	0.37	...	3.70	0.37	...	3.20	0.20	...
31. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि०	31. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	68.00	...	...	58.59	...	...	68.00	...	...
32. अन्य निकाय/संस्थाएं	32. Other bodies / Institutions	5.30	...	...	...	...	...	...	...	...
नागर विमानन मंत्रालय	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	**532.92**	**1.29**	**1.30**	**487.65**	**1.29**	**1.30**	**442.79**	**13.53**	**12.53**
नागर विमानन विभाग	*Department of Civil Aviation*	*517.42*	*1.29*	*1.30*	*482.65*	*1.29*	*1.30*	*426.79*	*11.53*	*11.53*
33. एयर इंडिया	33. Air India	147.50	...	...	145.72	...	...	135.07	...	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश
PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 13

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans
34. इंडियन एयरलाइन्स	34. Indian Airlines	207.50	...	...	179.44	...	...	52.77	...	...
35. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	35. Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy	7.13	...	...	7.13	...	...	11.15	...	...
36. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण लि०	36. International Airports Authority of India Ltd.	65.00	...	...	65.00	...	...	99.00	...	...
37. राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण	37. National Airport Authority	79.59	1.29	1.30	71.16	1.29	1.30	122.08	11.31	11.31
38. पवन हंस लिमिटेड	38. Pawan Hans Ltd.	2.70	...	...	6.20	...	...	6.28	...	...
39. वायुदूत	39. Vayudoot	8.00	...	...	8.00	...	...	0.44	0.22	0.22
पर्यटन विभाग	*Department of Tourism*	*15.50*	...	...	*5.00*	...	...	*16.00*	*2.00*	*1.00*
40. भारतीय पर्यटन विकास निगम	40. India Tourism Development Corporation	15.50	...	...	5.00	...	...	16.00	2.00	1.00
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**Ministry of Civil Supplies and Public Distribution**	**9.50**	...	**2.50**	**2.90**	...	**2.50**	**6.81**	...	**2.00**
41. हिन्दुस्तान वनस्पती तेल निगम	41. Hindustan Vegetable Oil Corporation	...	...	...	...	...	...	0.12	...	...
42. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	42. National Cooperative Development Corporation	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
43. अन्य निकाय/संस्थाएं	43. Other bodies / Institutions	7.00	...	...	0.40	...	...	4.69	...	...
कोयला मंत्रालय	**Ministry of Coal**	**2910.00**	**626.00**	**349.00**	**2849.00**	**611.00**	**322.00**	**2985.00**	**473.00**	**255.00**
44. कोल इंडिया लि०	44. Coal India Ltd.	2031.00	480.00	147.00	2004.00	480.00	120.00	2035.00	325.00	74.00
45. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि०	45. Neyveli Lignite Corporation Ltd.	605.00	135.00	...	571.00	120.00	...	610.00	137.00	...
46. सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०	46. Singareni Collieries Company Ltd.	274.00	11.00	202.00	274.00	11.00	202.00	340.00	11.00	181.00
वाणिज्य मंत्रालय	**Ministry of Commerce**	**14.93**	...	...	**4.26**	...	...	**18.18**	...	...
वाणिज्य विभाग	*Department of Commerce*	*14.93*	...	...	*4.26*	...	...	*18.18*	...	...
47. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	47. Mica Trading Corporation of India Ltd.	6.01	...	...	...	...	...	6.24	...	...
48. चाय व्यापार निगम	48. Tea Trading Corporation	...	...	...	...	...	...	0.30	...	...
49. अन्य निकाय/संस्थाएं	49. Other bodies / Institutions	8.92	...	...	4.26	...	...	11.64	...	...
संचार मंत्रालय	**Ministry of Communications**	**3106.98**	**25.43**	...	**3112.38**	**64.00**	**0.63**	**3387.00**	**17.00**	...
दूर-संचार सेवाएं	*Telecommunication Services*	*3106.98*	*25.43*	...	*3112.38*	*64.00*	*0.63*	*3387.00*	*17.00*	...
50. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	50. Hindustan Teleprinters Ltd.	2.00	...	...	4.63	4.00	0.63	6.00	3.00	...
51. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	51. Indian Telephone Industries Ltd.	120.13	...	...	120.13	...	...	76.00	...	...
52. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	52. Mahanagar Telephone Nigam Limited	600.00	...	...	600.00	...	...	650.00	...	...
53. दूर-संचार	53. Telecommunications	2275.00	25.43	...	2275.00	60.00	...	2553.00	14.00	...
54. विदेश संचार निगम लिमिटेड	54. Videsh Sanchar Nigam Ltd.	109.85	...	...	112.62	...	...	102.00	...	...
वित्त मंत्रालय	**Ministry of Finance**	**547.05**	**133.90**	**363.15**	**901.44**	**163.21**	**688.23**	**869.20**	**194.00**	**555.20**
आर्थिक कार्य विभाग	*Department of Economic Affairs*	*547.05*	*133.90*	*363.15*	*901.44*	*163.21*	*688.23*	*869.20*	*194.00*	*555.20*
55. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	55. Export Import Bank of India	23.00	23.00	...	23.00	23.00	...	40.00	40.00	...
56. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	56. Industrial Credit and Investment Corporation of India	46.90	...	46.90	67.30	...	67.30	27.85	...	27.85
57. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	57. Industrial Development Bank of India	140.00	66.00	74.00	181.50	59.40	122.10	132.50	100.00	32.50
58. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	58. Industrial Finance Corporation of India	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	2.65	...	2.65
59. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	59. Industrial Reconstruction Bank of India	24.00	20.00	4.00	24.00	20.00	4.00	39.00	25.00	14.00
60. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	60. National Bank for Agriculture and Rural Development	235.00	...	235.00	61.00	...	61.00	90.00	...	90.00
61. राष्ट्रीय आवास बैंक	61. National Housing Bank	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	29.50	...	29.50
62. राष्ट्रीयकृत बैंक	62. Nationalised banks	19.65	19.65	...	55.86	55.86	...	18.00	18.00	...
63. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	63. Regional Rural Banks	5.25	5.25	...	4.95	4.95	...	11.00	11.00	...
64. भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लि०	64. Shipping Credit and Investment Company of India Limited	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
65. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	65. Small Industries Development Bank of India	50.00	...	...	480.58	...	430.58	477.70	...	357.70
खाद्य मंत्रालय	**Ministry of Food**	**53.51**	**25.00**	**0.01**	**51.82**	**23.32**	...	**62.50**	**25.00**	...
66. केन्द्रीय भांडागारण निगम	66. Central Warehousing Corporation	28.50	...	...	28.50	...	...	37.50	...	...
67. भारतीय खाद्य निगम	67. Food Corporation of India	25.00	25.00	...	23.32	23.32	...	25.00	25.00	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण STATEMENT 13

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
		कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
68. हिन्दुस्तान साल्ट लि०	68. Hindustan Salt Limited	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Food Processing Industries**	**5.50**	**1.75**	**1.75**	**7.74**	**1.25**	**1.25**	**5.60**	**1.30**	**1.30**
69. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज इंडिया लि०	69. Modern Food Industries (India) Ltd.	5.50	1.75	1.75	7.74	1.25	1.25	5.60	1.30	1.30
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**Ministry of Health and Family Welfare**	**0.32**	**0.30**	**0.02**	**2.39**	**0.27**	**2.12**	**0.86**	**0.11**	**0.75**
स्वास्थ्य विभाग	*Department of Health*	*0.30*	*0.30*	...	*0.27*	*0.27*	...	*0.11*	*0.11*	...
70. हास्पिटल सर्विसेज कन्सल्टेंसी कारपोरेशन	70. Hospitals Services Consultancy Corporation	0.20	0.20	...	0.18	0.18	...	...	...	...
71. इंडियन मैडीसिन्ज फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लि०	71. Indian Medicines Pharmaceuticals Corporation Ltd.	0.10	0.10	...	0.09	0.09	...	0.11	0.11	...
परिवार कल्याण विभाग	*Department of Family Welfare*	*0.02*	...	*0.02*	*2.12*	...	*2.12*	*0.75*	...	*0.75*
72. हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	72. Hindustan Latex Ltd.	0.02	...	0.02	2.12	...	2.12	0.75	...	0.75
भारी उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Industry**	**823.60**	**118.50**	**175.46**	**693.61**	**107.70**	**155.32**	**672.20**	**120.05**	**170.15**
भारी उद्योग विभाग	*Department of Heavy Industry*	*703.10*	*112.00*	*61.46*	*587.11*	*101.20*	*55.32*	*541.70*	*104.55*	*55.15*
73. एण्ड्र्यू यूल एंड कंपनी लि०	73. Andrew Yule and Company Ltd.	16.00	...	...	13.66	...	...	16.00	...	...
74 भारत भारी उद्योग निगम लि०	74. Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	22.80	8.00	8.30	18.37	7.20	7.47	18.45	6.80	7.00
75. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	75. Bharat Heavy Electricals Ltd.	111.00	...	...	85.00	...	...	100.00	...	...
76. भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	76. Bharat Leather Corporation of India Ltd.	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.65	0.33	0.32
77. भारत आप्थेलमिक ग्लास लि०	77. Bharat Opthalmic Glass Ltd.	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	1.00	0.50	0.50
78. भारत यंत्र निगम लि०	78. Bharat Yantra Nigam Ltd.	18.50	7.00	6.56	12.20	6.30	5.90	11.50	3.25	3.25
79. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	79. Cement Corporation of India Ltd.	67.00	32.00	15.00	42.30	28.80	13.50	80.00	15.00	15.00
80. भारतीय साईकिल निगम लि०	80. Cycle Corporation of India Ltd.	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
81. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि०	81. Engineering Projects (India) Ltd.	1.00	0.50	0.50	10.40	0.45	0.45	0.50	0.50	...
82. द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	82. Fluid Control Research Institute	0.20	...	...	...	...	...	0.20	...	...
83. भारी इंजीनियरी निगम लि०	83. Heavy Engineering Corporation Ltd.	30.00	10.00	10.00	18.00	9.00	9.00	10.00	5.00	5.00
84. हिन्दुस्तान केबल्स लि०	84. Hindustan Cables Ltd.	72.00	...	...	86.10	...	...	75.00	...	...
85. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	85. Hindustan Machine Tools Ltd.	50.30	5.00	...	61.59	4.50	...	47.00	12.00	...
86. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०	86. Hindustan Paper Corporation Ltd.	22.00	8.00	8.00	14.40	7.20	7.20	5.00	2.50	2.50
87. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि०	87. Hindustan Photo Films Manufacturing Company Ltd.	52.00	4.00	...	59.00	4.00	...	72.00	27.00	...
88. हिन्दुस्तान साल्ट कंपनी लि०	88. Hindustan Salt Company Ltd.	2.00	0.75	0.75	1.36	0.68	0.68	2.00	1.50	...
89. इंस्ट्रूमेंटेशन लि०	89. Instrumentation Ltd.	8.00	2.00	2.00	6.88	1.80	1.80	8.00	1.00	1.00
90. मारुति उद्योग लि०	90. Maruti Udyog Ltd.	140.00	...	...	112.99	...	...	40.00	...	...
91. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०	91. Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	6.50	1.50	1.50	2.70	1.35	1.35	4.00	2.00	2.00
92. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	92. National Bicycle Corporation of India Ltd.	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
93. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	93. National Industrial Development Corporation	1.50	0.25	0.25	0.44	0.22	0.22	1.00	0.50	0.50
94. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	94. National Instruments Ltd.	1.50	0.25	0.25	0.45	0.22	0.23	1.50	0.42	0.43
95. नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लि०	95. National Newsprint and Paper Mills Ltd.	51.70	20.00	...	20.00	18.00	...	17.00	12.50	2.50
96. प्रागा टूल्स लि०	96. Praga Tools Ltd.	4.00	0.50	0.50	3.17	0.45	0.45	3.00	...	1.00
97. पुनर्वास उद्योग निगम लि०	97. Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	0.50	0.25	0.25	0.45	0.23	0.22	0.10	...	0.10
98. स्कूटर्स इंडिया लि०	98. Scooters India Ltd.	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
99. टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	99. Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.50	0.25	0.25
100. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	100. Tyre Corporation of India Ltd.	24.00	12.00	7.00	17.10	10.80	6.30	27.00	13.50	13.50
लघु उद्योग तथा कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	*Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries*	*120.50*	*6.50*	*114.00*	*106.50*	*6.50*	*100.00*	*130.50*	*15.50*	*115.00*
101. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०	101. National Small Industries Corporation Ltd.	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	5.50	5.50	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश
PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 13

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	SL No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget: कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans	संशोधित 1990-91 Revised: कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans	बजट 1991-92 Budget: कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support: इक्विटी Equity	ऋण Loans
102 खादी और ग्रामोद्योग आयोग-खादी उद्योग	102. Khadi and Village Industries Commission-Khadi Industries	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	40.00	...	40.00
103 खादी और ग्रामोद्योग आयोग -अन्य ग्रामीण उद्योग	103. Khadi and Village Industries Commission-Other Village Industries	74.00	...	74.00	65.00	...	65.00	75.00	...	75.00
104. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	104. Small Industries Development Bank of India	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00	...
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**Ministry of Information & Broadcasting**	**156.26**	**1.50**	**1.50**	**156.06**	**1.43**	**1.35**	**186.74**	**1.40**	**1.40**
105. नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन	105. National Film Development Corporation	6.28	1.50	1.50	6.06	1.43	1.35	6.37	1.40	1.40
106. आकाशवाणी और दूरदर्शन की अक्षय निधि	106. Non-lapsable funds of Akashvani and Doordarshan	150.00	...	...	150.00	...	...	180.37	...	...
खान मंत्रालय	**Ministry of Mines**	**608.97**	**9.88**	**1.58**	**565.99**	**102.08**	**1.58**	**419.03**	**18.45**	**1.35**
107. भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि०	107. Bharat Aluminium Company Ltd.	69.34	...	...	31.88	...	...	60.00	...	...
108. भारत गोल्ड माइन्स लि०	108. Bharat Gold Mines Ltd.	2.00	0.42	1.58	2.00	0.42	1.58	9.30	8.30	1.00
109. हिन्दुस्तान कापर लि०	109. Hindusthan Copper Ltd.	55.00	9.46	...	55.00	9.46	...	66.00	...	...
110. हिन्दुस्तान जिंक लि०	110. Hindusthan Zinc Ltd.	366.00	...	...	366.00	92.20	...	162.00	0.80	...
111 मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०	111. Mineral Exploration Corporation Ltd.	17.66	...	...	10.00	...	...	14.00	9.00	...
112. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लि०	112. National Aluminium Company Ltd.	90.00	...	...	90.00	...	...	96.00	...	...
113. सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन	113. Sikkim Mining Corporation	...	...	...	...	...	...	0.70	0.35	0.35
114. अन्य निकाय/संस्थाए	114. Others bodies/Institutions	8.97	...	...	11.11	...	...	11.03	...	...
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	**4090.75**	**...**	**150.00**	**4271.93**	**...**	**150.00**	**5057.07**	**...**	**180.00**
115. बामर लारी लि०	115. Balmer Lawrie Ltd.	27.00	...	...	26.45	...	...	7.00	...	...
116. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	116. Bharat Petroleum Corporation Ltd.	74.56	...	...	73.32	...	...	166.17	...	...
117. बीको लारी लि०	117. Biecco Lawrie Ltd.	2.22	...	...	2.22	...	...	0.10	...	...
118. बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पैट्रोकैमिकल्स लि०	118. Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd.	14.01	...	...	14.66	...	...	49.88	...	...
119. कोचीन रिफाइनरीज लि०	119. Cochin Refineries Ltd.	44.30	...	...	41.07	...	...	39.09	...	...
120. इन्जीनियर्स इंडिया लि०	120. Engineers India Ltd.	5.00	...	...	3.66	...	...	3.25	...	...
121 भारतीय गैस प्राधिकरण लि०	121. Gas Authority of India Ltd.	413.00	...	...	213.09	...	...	269.61	...	...
122. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	122. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	105.25	...	...	113.22	...	...	191.55	...	...
123 इंडियन आयल कारपोरेशन लि०	123. Indian Oil Corporation Ltd.	369.64	...	...	311.62	...	...	798.88	...	...
124. इन्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि०	124. Indo-Burmah Petroleum Company Ltd.	28.00	...	...	27.66	...	...	77.00	...	...
125. लुब्रिजोल इंडिया लि०	125. Lubrizol India Ltd.	10.50	...	...	10.65	...	...	8.71	...	...
126. मद्रास रिफाइनरीज लि०	126. Madras Refineries Ltd.	85.07	...	...	80.27	...	...	106.09	...	...
127. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	127. Oil and Natural Gas Commission	2631.81	...	115.00	3149.38	...	115.00	3095.74	...	125.00
128. आयल इंडिया लि०	128. Oil India Ltd.	220.00	...	35.00	204.66	...	35.00	244.00	...	55.00
129. अन्य निकाय/संस्थाए	129. Other Bodies / Institutions	60.39	...	...	...	...	...	...	...	...
विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**Ministry of Power and Non-conventional Energy Sources**	**4488.14**	**2147.78**	**139.97**	**4006.77**	**2055.43**	**139.37**	**4729.95**	**1678.64**	**55.82**
विद्युत विभाग	*Department of Power*	*4484.14*	*2144.38*	*139.37*	*4003.17*	*2051.83*	*139.37*	*4725.29*	*1674.18*	*55.82*
130. दामोदर घाटी निगम	130. Damodar Valley Corporation	375.00	...	7.85	371.49	...	7.85	340.00	...	25.00
131. नाथपा झकरी विद्युत निगम	131. Nathpa Jhakri Power Corporation	183.50	136.00	...	70.00	70.00	...	120.00	120.00	...
132. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०	132. National Hydro Electric Power Corporation of India Ltd.	827.14	493.65	...	614.29	493.65	...	1049.00	253.18	30.82
133. राष्ट्रीय विद्युत परिषण निगम	133. National Power Transmission Corporation	5.00	5.00	...	4.50	4.50	...	6.00	6.00	...
134. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	134. National Thermal Power Corporation of India Ltd.	2590.00	1006.23	131.52	2265.44	1006.23	131.52	2715.29	600.00	...
135. उत्तर-पूर्वी बिजली विद्युत निगम कारपोरेशन लि०	135. North Eastern Electric Power Corporation	91.00	91.00	...	89.40	89.40	...	200.00	200.00	...
136. विद्युत वित्त निगम	136. Power Finance Corporation	244.50	244.50	...	220.05	220.05	...	125.00	125.00	...

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश

PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण **STATEMENT 13**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	संशोधित 1990-91 Revised कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	बजट 1991-92 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
137. टिहरी पन बिजली विकास निगम	137. Tehri Hydro Development Corporation	168.00	168.00	...	168.00	168.00	...	170.00	170.00	...
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	*Department of Non-Conventional Energy Sources*	*4.00*	*3.40*	*0.60*	*3.60*	*3.60*	...	*4.66*	*4.66*	...
138. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवलपमैंट एजेन्सी	138. Indian Renewable Energy Development Agency	3.40	3.40	...	3.06	3.06	...	4.00	4.00	...
139. फोटोवोल्टिक और संबद्ध उद्योग	139. Photovoltaics and related Industries	0.60	...	0.60	0.54	0.54	...	0.66	0.66	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**Ministry of Science and Technology**	**6.10**	**6.10**	**...**	**9.40**	**7.45**	**1.95**	**3.00**	**1.60**	**1.40**
140. भारत प्रतिरक्षण और जीव विज्ञान निगम	140. Bharat Immunologicals and Biological Corporation	0.20	0.20	...	4.09	4.09	...	0.20	0.20	...
141. सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	141. Central Electronics Ltd.	4.60	4.60	...	4.10	2.30	1.80	2.50	1.25	1.25
142. इंडियन वेक्सीन कारपोरेशन	142. Indian Vaccines Corporation	1.00	1.00	...	0.91	0.91	...	...	...	...
143. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	143. National Research Development Corporation	0.30	0.30	...	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15
इस्पात मंत्रालय	**Ministry of Steel**	**2731.80**	**9.65**	**254.95**	**2625.81**	**10.10**	**513.82**	**2935.38**	**16.30**	**417.02**
144. भारत रिफ्रेक्टरीज लि०	144. Bharat Refractories Ltd.	2.00	0.65	1.35	2.00	0.50	1.50	10.00	8.30	1.70
145. बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	145. Bird Group of Companies	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	5.39	...	5.39
146. फेरो स्क्रेप निगम लि०	146. Ferro Scrap Nigam Ltd	2.10	...	...	9.96	...	...	2.00	...	...
147. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	147. Hindusthan Steel Works Construction Ltd.	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	6.00	...	6.00
148. कुद्रेमुख लोहा अयस्क कंपनी लि०	148. Kudremukh Iron Ore Company Ltd.	70.00	...	...	19.52	...	...	75.00	...	...
149. मैंगनीज ओर इंडिया लि०	149. Manganeese Ore India Ltd.	2.30	...	...	7.13	...	...	5.41	...	...
150. मैटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०	150. Metal Scrap Trade Corporation Ltd.	0.82	...	...	1.28	...	...	2.00	...	...
151. मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लि०	151. Metallurgical and Engineering Consultants India Ltd.	0.78	...	...	0.72	...	...	1.00	...	...
152. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	152. National Mineral Development Corporation	39.50	4.30	...	40.71	4.30	...	92.58	...	...
153. राष्ट्रीय मिशन	153. National Mission	...	...	...	...	...	...	2.00	...	...
154 नीलाचल इस्पात निगमलि०	154. Neelachal Ispat Nigam Ltd.	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...
155. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	155. Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	566.00	...	248.00	1060.00	...	498.00	752.00	...	398.93
156. स्पोंज आयरन इंडिया लि०	156. Sponge Iron India Ltd.	4.80	3.70	1.10	4.80	4.30	0.50	12.00	7.00	5.00
157. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	157. Steel Authority of India Ltd.	2038.00	...	...	1474.19	...	9.32	1969.00	...	...
160. विजयनगर स्टील लि०	158. Vijaynagar Steel Ltd.	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...
जल भू-तल परिवहन मंत्रालय	**Ministry of Surface Transport**	**1329.57**	**20.68**	**260.21**	**1031.94**	**17.76**	**252.04**	**1233.10**	**24.63**	**267.27**
जल भू-तल परिवहन विभाग	*Department of Surface Transport*	*112.34*	*17.62*	*94.72*	*81.22*	*13.10*	*68.12*	*103.25*	*17.50*	*85.75*
159. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	159. Central Inland Water Transport Corporation	35.24	17.62	17.62	26.21	13.10	13.11	35.00	17.50	17.50
160. दिल्ली परिवहन निगम	160. Delhi Transport Corporation	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	53.00	...	53.00
161. राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम	161. National Road Transport Development Financial Corporation	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.25	...	0.25
162. राज्य परिवहन निगम	162. State Transport Corporations	27.00	...	27.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
पत्तन, दीपस्तम्भ एवं नौवहन विभाग	*Department of Ports, Lighthouses & Shipping Ports*	*1217.23*	*3.06*	*165.49*	*950.72*	*4.66*	*183.92*	*1129.85*	*7.13*	*181.52*
163. बम्बई पत्तन न्यास	163. Bombay Port Trust	43.12	...	5.00	19.08	...	1.48	40.00	...	10.58
164. कलकत्ता पत्तन न्यास	164. Calcutta Port Trust	62.24	...	4.00	27.58	...	9.25	64.00	...	11.00
165. कोचीन पत्तन न्यास	165. Cochin Port Trust	50.00	...	19.00	33.30	...	12.43	37.03	...	24.60
166. भारतीय तलकर्षण निगम	166. Dredging Corporation of India	32.50	...	...	32.50	...	...	20.04	...	...
167. हल्दिया गोदी	167. Haldia Dock	38.74	...	13.00	19.77	...	11.10	37.00	...	20.35
168. जिग्गर खली	168. Jiggar Khali	20.46	...	20.46	7.00	...	7.00	7.00	...	...
169. मद्रास पत्तन न्यास	169. Madras Port Trust	41.88	...	10.00	39.81	...	17.58	55.00	...	16.48
170. मार्मागोआ पत्तन	170. Mormugao Port	5.76	...	...	5.76	...	...	7.10	...	...
171. नेवा शेवा पोर्ट	171. Nava Shewa Port	112.10	...	12.00	45.00	...	42.00	65.00	...	35.00
172. नया कांडला पत्तन न्यास	172. New Kandla Port Trust	31.49	...	...	23.92	...	...	55.00	...	...
173 नया मंगलौर पत्तन	173. New Mangalore Port	5.46	...	...	7.17	...	...	8.56	...	3.02
174. पारादीप पत्तन	174. Paradip Port	9.61	...	2.61	9.61	...	2.61	40.00	...	15.00
175. तूतीकोरिन पत्तन	175. Tuticorin Port	6.10	...	1.03	6.10	...	1.03	8.95	...	2.95

सरकारी उद्यमों में आयोजना निवेश
PLAN INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 13
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्रम संख्या मंत्रालय/उद्यम का नाम	Sl. No. Name of Ministry/Enterprise	बजट 1990-91 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	संशोधित 19890-91 Revised कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans	बजट 1991-92 Budget कुल आयोजना परिव्यय Total Plan Outlay	बजट समर्थन Budget Support इक्विटी Equity	ऋण Loans
176. विशाखापत्तनम पत्तन	176. Vishakapatnam Port	40.00	...	...	37.05	...	...	59.79	...	...
पोत-निर्माण	*Ship-Building*									
177. बम्बई पत्तन न्यास	177. Bombay Port Trust	6.94	...	4.94	2.00	...	...	5.94	...	3.94
178. कलकत्ता पत्तन न्यास	178. Calcutta Port Trust	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
179. कोचीन शिपयार्ड लि०	179. Cochin Shipyard Ltd.	2.41	1.57	0.84	6.39	...	6.39	5.86	2.93	2.93
180. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	180. Hindustan Shipyard Ltd.	2.00	0.99	1.01	5.61	4.16	1.45	5.08	2.45	2.63
181. हुगली डाक एंड पोर्ट्स इंजीनियरिंग कंपनी लि०	181. Hooghly Dock and Ports Engineering Company Ltd.	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50	3.50	1.75	1.75
182. भारतीय नौवहन निगम लि०	182. Shipping Corporation of India Ltd.	705.30	...	71.00	621.97	...	71.00	604.00	...	30.29
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**Ministry of Textiles**	**157.72**	**80.40**	**2.80**	**144.78**	**66.70**	**2.80**	**118.51**	**33.40**	**5.00**
183. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	183. British India Corporation	10.00	10.00	...	5.00	5.00	...	7.00	7.00	...
184. हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम	184. Handlooms and Handicrafts Exports Corpn.	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00	...
185. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	185. National Cooperative Development Corporation	4.00		2.80	4.00	...	2.80	5.00	...	5.00
186. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	186. National Handloom Development Corporation	1.50	1.50	...	2.26	1.50	...	1.50	1.50	...
187. नेशनल जूट मैन्यूफेक्चर्स कारपोरेशन	187. National Jute Manufacturers Corporation	5.22	1.90	...	5.22	1.90	...	2.90	2.90	...
188. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग निगम	188. National Textile Corporation	137.00	67.00	...	128.30	58.30	...	100.11	20.00	...
शहरी विकास मंत्रालय	**Ministry of Urban Development**	**27.00**	**25.00**	**2.00**	**25.00**	**25.00**	...	**337.00**	**37.00**	...
189. हिन्दुस्तान प्रिफेब लि०	189. Hindustan Prefab Ltd.	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.50	1.50	...
190. आवास और शहरी विकस निगम	190. Housing and Urban Development Corporation	26.00	24.00	2.00	24.00	24.00	...	335.50	35.50	...
जल संसाधन मंत्रालय	**Ministry of Water Resources**	**8.00**	...	**8.00**	**8.80**	...	**8.80**	**10.00**	...	**10.00**
191. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	191. National Bank for Agriculture and Rural Development	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
192. नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०	192. National Projects Construction Corporation Ltd.	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
कल्याण मंत्रालय	**Ministry of Welfare**	**0.50**	**0.50**	...	**0.50**	**0.50**	...	**10.50**	**10.50**	...
193. कृत्रिम अंग निर्माण निगम	193. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...
194. राष्ट्रीय अ.ज. और अ. जनजाति वित्त और विकास निगम	194. National SC & ST Finance and Development Corporation	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00	...
परमाणु ऊर्जा विभाग	*Department of Atomic Energy*	*900.46*	*227.00*	*2.50*	*1015.00*	*230.28*	*2.50*	*674.46*	*181.57*	...
195. भारतीय इलक्ट्रानिक निगम.	195. Electronics Corporation of India	21.17	2.00	2.50	18.00	2.00	2.50	13.00	...	...
196. इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	196. Indian Rare Earths Ltd.	23.67	...	...	30.20	...	...	2.50	...	...
197. नाभिकीय विद्युत निगम	197. Nuclear Power Corporation	815.62	185.00	...	923.52	185.00	...	571.96	130.57	...
198. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया	198. Uranium Corporation of India	40.00	40.00	...	43.28	43.28	...	87.00	51.00	...
इलेक्ट्रानिकी विभाग	*Department of Electronics*	*93.00*	*15.25*	*5.75*	*79.84*	*15.25*	*5.75*	*48.10*	*30.30*	*6.40*
199. सेमी-कंडक्टर काम्प्लेक्स लि०	199. Computer Maintenance Corporation	26.15	0.10	0.05	26.15	0.10	0.05	4.20	0.10	0.10
200. इलेक्ट्रानिकी ट्रेड और प्रौद्योगिकी विकास लि०	200. Electronics Trade and Technology Development Corporation Ltd.	2.85	0.15	0.70	0.85	0.15	0.70	1.00	0.20	0.80
201. सेमी-कंडक्टर काम्प्लेक्स लि०	201. Semi-Conductor Complex Ltd	41.70	15.00	5.00	41.70	15.00	5.00	40.50	30.00	5.50
202. अन्य संस्थाएं /निकाय	202. Other Institutions / Bodies	22.30	...	...	11.14	...	...	2.40	...	...
203. रेलवे*	203. Railways*	5000.00	1694.00	...	4916.00	1587.00	...	5325.00	1694.00	...
कुल जोड़	**GRAND TOTAL**	**28841.33**	**5174.70**	**1955.19**	**28054.10**	**5116.18**	**2477.20**	**30783.10**	**4582.84**	**2246.35**
* इसमें रेलवे के पूंजी व्यय के बराबर प्राप्तियां शामिल है।	*Includes Railway Capital Expenditure matched by receipts		274.00			166.67				

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91					बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बान्ड/ऋण-पत्र Bonds/Debentures	ई.सी.बी./सम्भरक ऋण E.C.B./Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बान्ड/ऋण-पत्र Bonds/Debentures	ई.सी.बी./सम्भरक ऋण E.C.B./Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	**Ministry of Agriculture**	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	***Department of Agricultural Research & Education***	–	...	*1.00*	...	*1.00*	–	...	...	...	...
1. अन्य निकाय/संस्थाएं	1. Other bodies/institutions	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**Ministry of Chemicals and Fertilizers**	413.18	35.00	3.27	379.59	831.04	531.67	144.76	113.00	141.07	930.50
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	***Department of Chemicals & Petrochemicals***	*147.28*	*35.00*	...	*161.44*	*343.72*	*332.80*	*144.76*	*100.00*	*32.24*	*609.80*
2. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स	2. Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	...	...	...	1.50	1.50	...	...	...	...	...
3. बंगाल इम्युनिटी लि०	3. Bengal Immunity Ltd	...	...	...	2.60	2.60	...	...	...	...	...
4. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	4. Hindustan Antibiotics Ltd	...	35.00	...	...	35.00	...	6.00	...	...	6.00
5. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि.	5. Hindustan Insecticides Ltd	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...	1.00	1.00
6. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	6. Hindustan Organic Chemicals Ltd	27.00	...	...	...	27.00	50.00	...	...	26.00	76.00
7. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	7. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	...	...	...	3.50	3.50	...	...	...	4.34	4.34
8. भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि०	8. Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd	74.00	...	...	91.00	165.00	282.00	138.76	100.00	...	520.76
9. पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि.	9. Petrofils Cooperative Ltd	46.28	...	...	60.84	107.12	0.10	...	...	...	0.10
10. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०	10. Smith Stainstreet Pharmaceuticals Ltd	...	...	...	0.90	0.90	...	...	...	...	...
11. अन्य निकाय/संस्थाएं	11. Other bodies/institutions	...	...	...	0.10	0.10	0.70	...	...	0.90	1.60
उर्वरक विभाग	***Department of Fertilizers***	*265.90*	...	*3.27*	*218.15*	*487.32*	*198.87*	...	*13.00*	*108.83*	*320.70*
12. भारतीय उर्वरक निगम लि०	12. Fertilizer Corporation of India Ltd.	...	...	...	41.62	41.62	...	...	...	40.00	40.00
13. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०	13. Fertilizers and Chemicals (Travancore) Ltd.	29.25	...	...	31.64	60.89	35.00	...	...	...	35.00
14. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	14. Hindustan Fertilizers Corporation Ltd.	...	...	...	36.30	36.30	...	...	...	31.00	31.00
15. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०	15. Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.	36.59	...	...	30.00	66.59	0.10	...	...	...	0.10
16. कृषक भारती कोआपरेटिव लि०	16. Krishak Bharati Cooperative Ltd.	24.05	...	...	...	24.05	0.10	...	...	...	0.10
17. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	17. Madras Fertilizers Ltd.	...	...	3.27	30.73	34.00	1.67	...	13.00	32.33	47.00
18. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	18. National Fertilizers Ltd.	62.42	...	...	...	62.42	49.00	...	...	...	49.00
19. पारादीप फास्फेट्स लि०	19. Paradeep Phosphates Ltd.	55.00	...	...	39.00	94.00	45.00	...	...	...	45.00
20. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (इंडिया) लि०	20. Projects and Development (India) Ltd.	...	...	...	5.53	5.53	...	...	...	2.50	2.50
21. पायराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि०	21. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.	...	...	...	3.33	3.33	...	...	...	3.00	3.00
22. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	22. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	58.59	...	...	...	58.59	68.00	...	...	...	68.00
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	466.93	...	...	18.13	485.06	338.58	...	...	78.15	416.73
नागर विमानन विभाग	***Department of Civil Aviation***	*464.93*	...	...	*15.13*	*480.06*	*334.58*	...	...	*69.15*	*403.73*
23. एयर इंडिया	23. Air India	145.72	...	...	...	145.72	135.07	...	...	...	135.07
24. इंडियन एयरलाइन्स	24. Indian Airlines	179.44	...	...	...	179.44	52.77	...	...	...	52.77
25. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	25. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy	...	...	...	7.13	7.13	...	...	...	11.15	11.15
26. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	26. International Airports Authority of India	65.00	...	...	...	65.00	99.00	...	...	...	99.00
27. राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण	27. National Airports Authority	68.57	...	...	...	68.57	41.46	...	...	58.00	99.46
28. हेलीकॉप्टर कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पवन हंस लि०)	28. Helicopter Corporation of India (Pawan Hans Ltd)	6.20	...	...	...	6.20	6.28	...	...	...	6.28
29. वायुदूत	29. Vayudoot	...	...	...	8.00	8.00	...	...	...	...	...
पर्यटन विभाग	***Department of Tourism***	*2.00*	...	...	*3.00*	*5.00*	*4.00*	...	...	*9.00*	*13.00*
30. भारतीय पर्यटन विकास निगम लि०	30. India Tourism Development Corporation Ltd.	2.00	...	...	3.00	5.00	4.00	...	...	9.00	13.00

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91 आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सप्लायर्स ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92 आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बाण्ड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सप्लायर्स ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**Ministry of Civil Supplies and Public Distribution**	**...**	**...**	**...**	**0.40**	**0.40**	**0.12**	**...**	**...**	**4.69**	**4.81**
31. हिन्दुस्तान वनास्पती तेल निगम	31. Hindustan Vegetable Oil Corporation	...	...	...	...	...	0.12	...	...	...	0.12
32. अन्य निकाय/संस्थाएं	32. Other bodies/institutions	...	...	...	0.40	0.40	...	...	...	4.69	4.69
कोयला मंत्रालय	**Ministry of Coal**	**619.83**	**765.00**	**152.17**	**379.00**	**1916.00**	**810.00**	**950.00**	**213.00**	**284.00**	**2257.00**
33. कोल इंडिया लिमिटेड	33. Coal India Ltd	533.83	400.00	152.17	318.00	1404.00	600.00	550.00	213.00	273.00	1636.00
34. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड	34. Neyveli Lignite Corporation Ltd	86.00	365.00	...	...	451.00	73.00	400.00	...	...	473.00
35. सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि०	35. Singareni Collieries Company Ltd	...	...	...	61.00	61.00	137.00	...	...	11.00	148.00
वाणिज्य मंत्रालय	**Ministry of Commerce**	**4.26**	**...**	**...**	**...**	**4.26**	**18.18**	**...**	**...**	**...**	**18.18**
वाणिज्य विभाग	***Department of Commerce***	***4.26***	...	...	...	***4.26***	***18.18***	...	...	...	***18.18***
36. भारतीय अभ्रक व्यापार निगम लिमिटेड	36. Mica Trading Corporation of India Ltd.	...	...	...	...	...	6.24	...	...	...	6.24
37. चाय व्यापार निगम	37. Tea Trading Corporation	...	...	...	...	...	0.30	...	...	...	0.30
38. अन्य निकाय/संस्थाएं	38. Other bodies/institutions	4.26	...	...	...	4.26	11.64	...	...	...	11.64
संचार मंत्रालय	**Ministry of Communications**	**2492.62**	**555.13**	**...**	**...**	**3047.75**	**2848.00**	**522.00**	**...**	**...**	**3370.00**
दूर संचार सेवाएं	***Telecommunication Services***	***2492.62***	***555.13***	...	...	***3047.75***	***2848.00***	***522.00***	...	...	***3370.00***
39. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०	39. Hindustan Teleprinters Ltd	...	...	...	...	...	3.00	...	...	...	3.00
40. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०	40. Indian Telephone Industries Ltd	...	120.13	...	...	120.13	76.00	...	...	...	76.00
41. महानगर टेलीफोन निगम लि०	41. Mahanagar Telephone Nigam Ltd	439.50	160.50	...	...	600.00	525.00	125.00	...	...	650.00
42. दूर संचार	42. Telecommunications	1940.50	274.50	...	...	2215.00	2142.00	397.00	...	...	2539.00
43. विदेश संचार निगम लि०	43. Videsh Sanchar Nigam Ltd	112.62	...	...	...	112.62	102.00	...	...	...	102.00
वित्त मंत्रालय	**Ministry of Finance**	**...**	**...**	**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**...**	**...**	**120.00**	**120.00**
वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	***Payments to Financial Institutions***	...	...	...	***50.00***	***50.00***	...	...	...	***120.00***	***120.00***
44. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	44. Small Industries Development Bank of India	...	...	...	50.00	50.00	...	...	...	120.00	120.00
खाद्य मंत्रालय	**Ministry of Food**	**28.50**	**...**	**...**	**...**	**28.50**	**37.50**	**...**	**...**	**...**	**37.50**
45. केन्द्रीय भाण्डागारण निगम	45. Central Warehousing Corporation	28.50	...	...	...	28.50	37.50	...	...	...	37.50
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Food Processing Industries**	**0.84**	**...**	**...**	**4.40**	**5.24**	**3.00**	**...**	**...**	**...**	**3.00**
46. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि०	46. Modern Food Industries (India) Ltd	0.84	...	...	4.40	5.24	3.00	...	...	...	3.00
उद्योग मंत्रालय	**Ministry of Industry**	**182.05**	**152.48**	**8.93**	**87.13**	**430.59**	**194.17**	**104.05**	**15.84**	**67.94**	**382.00**
भारी उद्योग विभाग	***Department of Heavy Industry***	***182.05***	***152.48***	***8.93***	***87.13***	***430.59***	***194.17***	***104.05***	***15.84***	***67.94***	***382.00***
एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लि०	47. Andrew Yule and Company Ltd	2.50	...	...	11.16	13.66	10.70	...	...	5.30	16.00
भारत भारी उद्योग निगम लि०	48. Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd	3.70	...	...	...	3.70	2.35	...	...	2.30	4.65
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०	49. Bharat Heavy Electricals Ltd	85.00	...	...	...	85.00	100.00	...	...	...	100.00
भारत यन्त्र निगम लि०	50. Bharat Yantra Nigam Ltd	...	...	...	...	...	0.84	...	...	4.16	5.00
सीमेन्ट निगम लि०	51. Cement Corporation Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	50.00
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०	52. Engineering Projects (India) Ltd.	9.50	...	...	...	9.50	...	...	...	...	...
53. द्रव्य नियन्त्रण अनुसंधान संस्थान	53. Fluid Control research Institute	...	...	...	...	...	...	...	...	0.20	0.20
54. हिन्दुस्तान केबल्स लि०	54. Hindustan Cables Ltd	10.15	75.95	...	...	86.10	8.45	66.55	...	...	75.00
55. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०	55. Hindustan Machine Tools Ltd	12.09	30.00	...	15.00	57.09	19.16	...	15.84	...	35.00
56. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लि०	56. Hindustan Photo Films Mnfg Company Ltd	8.47	46.53	...	...	55.00	7.50	37.50	...	...	45.00
57. हिन्दुस्तान साल्ट लि०	57. Hindustan Salts Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	0.50
58. इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि०	58. Instrumentation Ltd	1.76	...	...	1.52	3.28	2.00	...	...	4.00	6.00
59. मारुति उद्योग लि०	59. Maruti Udyog Ltd	46.31	...	8.93	57.75	112.99	40.00	...	...	...	40.00
60. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	60. National Instruments Ltd	...	...	...	...	...	...	...	...	0.65	0.65

विवरण
STATEMENT 14

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91					बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
61. नेपा लि०	61. NEPA Limited	2.00	...	...	...	2.00	2.00	...	...	...	2.00
62. प्रागा टूल्स लि०	62. Praga Tools Ltd	0.57	...	...	1.70	2.27	1.17	...	...	0.83	2.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**Ministry of Information and Broadcasting**	**153.28**	**...**	**...**	**...**	**153.28**	**183.94**	**...**	**...**	**...**	**183.94**
63. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	63. National Film Development Corprn Ltd	3.28	...	...	...	3.28	3.57	...	...	...	3.57
64. अन्य निकाय/संस्थाएं आदि (आकाशवाणी/दूरदर्शन की अव्यपनीय निधि)	64. Other bodies/institutions etc. (non-lapsable fund of Akashvani/Doordarshan)	150.00	...	...	...	150.00	180.37	...	...	...	180.37
खान मंत्रालय	**Ministry of Mines**	**210.45**	**220.00**	**...**	**31.88**	**462.33**	**365.49**	**...**	**22.71**	**11.03**	**399.23**
65. भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	65. Bharat Aluminium Company Ltd	25.36	...	...	6.52	31.88	37.29	...	22.71	...	60.00
66. हिन्दुस्तान कापर लि०	66. Hindustan Copper Ltd	45.54	...	...	...	45.54	66.00	...	...	...	66.00
67. हिन्दुस्तान जिंक लि०	67. Hindustan Zinc Ltd.	45.80	220.00	...	8.00	273.80	161.20	...	...	...	161.20
68. खनिज अन्वेषण निगम लि०	68. Mineral Exploration Corporation Ltd	3.75	...	...	6.25	10.00	5.00	...	...	...	5.00
69. नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लि०	69. National Aluminium Company Ltd	90.00	...	...	...	90.00	96.00	...	...	...	96.00
70. अन्य निकाय/संस्थाएं	70. Other bodies/Institutions	...	...	...	11.11	11.11	...	...	...	11.03	11.03
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	**2720.03**	**...**	**1324.53**	**77.37**	**4121.93**	**4489.61**	**134.63**	**187.50**	**65.33**	**4877.07**
71. बामेर लारी एंड कम्पनी लि०	71. Balmer Lawrie and Company Ltd	8.65	...	...	17.80	26.45	0.40	...	...	6.60	7.00
72. भारत पेट्रोलियम निगम लि०	72. Bharat Petroleum Corporation Ltd	73.32	...	...	...	73.32	166.17	...	...	...	166.17
73. बिको लारी	73. Biecco Lawrei	...	...	...	2.22	2.22	...	...	...	0.10	0.10
74. बोंगईगांव रिफाईनरी एंड पेट्रो-केमिकल्स लि०	74. Bongaigaon Refinery and Petro-Chemicals Ltd	14.66	...	...	...	14.66	30.19	...	...	19.69	49.88
75. कोचीन रिफाईनरी लि०	75. Cochin Refineries Ltd	41.07	...	...	...	41.07	39.09	...	...	...	39.09
76. इंजीनियर्स इण्डिया लि०	76. Engineers India Ltd	3.66	...	...	...	3.66	3.25	...	...	...	3.25
77. गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लि०	77. Gas Authority of India Ltd	213.09	...	...	...	213.09	181.98	57.63	30.00	...	269.61
78. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	78. Hindustan Petroleum Coporation Ltd	113.22	...	...	...	113.22	191.55	...	...	...	191.55
79. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०	79. Indian Oil Corporation Ltd	250.37	...	61.25	...	311.62	641.38	...	157.50	...	798.88
80. भारत-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि०	80. Indo-Burmah Petroleum Company Ltd	...	...	...	27.66	27.66	...	77.00	...	...	77.00
81. लुब्रीजोल इण्डिया लि०	81. Lubrizol India Ltd	9.77	...	...	0.88	10.65	8.71	...	...	...	8.71
82. मद्रास रिफाइनरीज लि०	82. Madras Refineries Ltd	51.46	...	...	28.81	80.27	67.15	...	...	38.94	106.09
83. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	83. Oil and Natural Gas Commission	1771.10	...	1263.28	...	3034.38	2970.74	...	...	...	2970.74
84. आयल इण्डिया लि०	84. Oil India Ltd	169.66	...	...	...	169.66	189.00	...	...	...	189.00
विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**Ministry of Power and Non-Conventional Energy Sources**	**353.18**	**1057.85**	**375.94**	**25.00**	**1811.97**	**555.00**	**1875.29**	**565.00**	**...**	**2995.29**
विद्युत विभाग	*Department of Power*	*353.18*	*1057.85*	*375.94*	*25.00*	*1811.97*	*555.00*	*1875.29*	*565.00*	*...*	*2995.29*
85. दामोदर घाटी निगम	85. Damodar Valley Corporation	45.79	292.85	...	25.00	363.64	65.00	250.00	...	...	315.00
86. नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपो० आफ इंडिया लि०	86. National Hydro Electric Power Corprn Ltd	79.17	215.00	26.47	...	320.64	...	615.00	150.00	...	765.00
87. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	87. National Thermal Power Corpration Ltd	228.22	550.00	349.47	...	1127.69	490.00	1010.29	415.00	...	1915.29
इस्पात मंत्रालय	**Ministry of Steel**	**555.53**	**300.00**	**227.00**	**1019.36**	**2101.89**	**672.99**	**...**	**388.46**	**1440.61**	**2502.06**
88. फैरो स्क्रैप निगम लि०	88. Ferro Scrap Nigam Ltd	9.96	...	...	...	9.96	2.00	...	...	...	2.00
89. कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि०	89. Kundremukh Iron Ore Company Ltd	19.52	...	...	...	19.52	75.00	...	...	...	75.00
90. मैंगनीज ओर इंडिया लि०	90. Managanese Ore India Ltd	7.13	...	...	...	7.13	5.41	...	...	...	5.41
91. मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	91. Metal Scrap Trade Corporation of India Ltd	1.28	...	...	...	1.28	2.00	...	...	...	2.00
92. मैटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इण्डिया) लि०	92. Metallurgical and Engineering Consultants(I) Ltd	0.72	...	...	...	0.72	1.00	...	...	...	1.00

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91					बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92				
		Internal Resources	Bonds/ Debentures	E.C.B./ Suppliers Credit	Others	Total	Internal Resources	Bonds/ Debentures	E.C.B./ Suppliers Credit	Others	Total
93. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	93. National Mineral Development Corporation Ltd.	36.41	...	...	...	36.41	37.58	...	20.00	35.00	92.58
94. राष्ट्रीय मिशन	94. National Mission	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
95. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	95. Rashtriya Ispat Nigam Ltd	...	300.00	50.00	212.00	562.00	...	...	9:46	343.61	353.07
96. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	96. Steel Authority of India Ltd	480.51	...	177.00	807.36	1464.87	550.00	...	359.00	1060.00	1969.00
जल भूतल परिवहन मंत्रालय	**Ministry of Surface Transport**	**249.31**	...	**459.97**	**52.86**	**762.14**	**401.11**	...	**415.12**	**124.97**	**941.20**
पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	*Ports, Lighthouses and Shipping*	*249.31*	...	*459.97*	*52.86*	*762.14*	*401.11*	...	*415.12*	*124.97*	*941.20*
97. बम्बई पत्तन न्यास	97. Bombay Port Trust	19.60	...	...	...	19.60	31.42	...	...	...	31.42
98. कलकत्ता पत्तन न्यास	98. Calcutta Port Trust	...	...	...	18.33	18.33	...	...	...	53.00	53.00
99. कोचीन पत्तन न्यास	99. Cochin Port Trust	...	...	...	20.87	20.87	...	...	...	12.43	12.43
100. भारतीय तलकर्षण निगम लि०	100. Dredging Corporation of India Ltd	32.50	...	...	...	32.50	20.04	...	...	...	20.04
101. हल्दिया पत्तन	101. Haldia Dock	8.67	...	...	...	8.67	16.65	...	...	...	16.65
102. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	102. Jawahar Lal Nehru Port Trust	...	...	...	3.00	3.00	...	...	...	30.00	30.00
103. जिगर खली	103. Jiggar Khali	...	...	...	...	...	...	...	...	7.00	7.00
104. मद्रास पत्तन न्यास	104. Madras Prot Trust	22.23	...	...	...	22.23	38.52	...	...	...	38.52
105. मारमोगोआ पत्तन न्यास	105. Mormugao Port Trust	5.76	...	...	...	5.76	7.10	...	...	...	7.10
106. नया कांडला पत्तन न्यास	106. New Kandla Port Trust	23.92	...	...	...	23.92	55.00	...	...	...	55.00
107. नया मंगलौर पत्तन न्यास	107. New Mangalore Port Trust	7.17	...	...	...	7.17	2.00	...	...	3.54	5.54
108. पारादीप पत्तन न्यास	108. Paradip Port Trust	...	...	...	7.00	7.00	10.00	...	...	15.00	25.00
109. भारतीय नौवहन निगम लि०	109. Shipping Corporation of India Ltd	91.00	...	459.97	...	550.97	158.59	...	415.12	...	573.71
110. तूतीकोरिन पत्तन न्यास	110. Tuticorn Port Trust	1.41	...	...	3.66	5.07	2.00	...	...	4.00	6.00
111. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	111. Vishkapatnam Port Trust	37.05	...	...	...	37.05	59.79	...	...	...	59.79
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**Ministry of Textiles**	**3.16**	...	...	**72.12**	**75.28**	...	...	**80.11**	...	**80.11**
112. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	112. National Cooperative Development Corporation	1.20	...	...	...	1.20	...	...	...	...	...
113. राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	113. National Jute Manufacturers Corporation	1.20	...	...	2.12	3.32	...	...	...	...	...
114. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०	114. National Textile Corporation Ltd	...	...	...	70.00	70.00	...	...	80.11	...	80.11
115. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	115. National Handloom Development Corporation	0.76	...	...	...	0.76	...	...	...	...	...
शहरी विकास मंत्रालय	**Ministry of Urban Development**	...	...	...	...	...	...	**300.00**	...	...	**300.00**
116. आवास और शहरी विकास निगम	116. Housing and Urban Development Corporation	...	...	...	...	...	...	300.00	...	...	300.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	***Department of Atomic Energy***	***97.90***	***677.52***	...	***6.80***	***782.22***	***118.50***	***338.39***	...	***36.00***	***492.89***
117. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	117. Electronics Corporation of India Ltd	6.70	...	...	6.80	13.50	7.00	...	...	6.00	13.00
118. इंडियन रेयर अर्थ्स लि०	118. Indian Rare Earths Ltd	30.20	...	...	...	30.20	2.50	...	...	...	2.50
119. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	119. Nuclear Power Corporation	61.00	677.52	...	...	738.52	103.00	338.39	...	...	441.39
120. भारतीय यूरेनियम निगम लि०	120. Uranium Corporation of India Ltd	...	...	...	...	...	6.00	...	...	30.00	36.00
इलेक्ट्रोनिकी विभाग	***Department of Electronics***	***11.44***	...	...	***47.40***	***58.84***	***6.00***	...	...	***5.40***	***11.40***
121. कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम	121. Computer Maintenance Corporation	4.00	...	...	22.00	26.00	4.00	...	...	...	4.00
122. सेमी-कन्डक्टर कम्पलेक्स लि०	122. Semi Conductor Complex Ltd	...	...	...	21.70	21.70	...	...	...	5.00	5.00
123. अन्य निकाय/संस्थाएं	123. Other bodies/institutions	7.44	...	...	3.70	11.14	2.00	...	...	0.40	2.40
124. रेलवे	124. Railways	2159.00	1170.00	...	...	3329.00	2131.00	1500.00	...	...	3631.00
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***10721.49***	***4932.98***	***2552.81***	***2251.44***	***20458.72***	***13704.86***	***5869.12***	***2000.74***	***2379.19***	***23953.91***

आन्तरिक संसाधन : इसमें ऋणों की वापसी-अदायगी कम करके मूल्यह्रास और रोके रखे गए लाभ ।

बांड : देश के अन्दर उपक्रमों द्वारा जारी किए गए सरकारी ऋणों के द्योतक है ।

विदेशी वाणिज्यिक उधार : ये देश से बाहर वाणिज्यिक उधारों के द्योतक हैं ।

अन्य : इनमें उद्यमों द्वारा अन्तः निगमित अन्तरणों से जुटाई गई जमा राशि शामिल है ।

Internal Resources: *Comprises depreciation and retained profit reduced by repayment of loans*

Bonds: *Represent public loans floated by the enterprises within the country*

External Commercial Borrowings: *Represent commercial borrowings outside the country*

Others: *Include deposits raised by the enterprise and inter corporate transfers.*

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण
PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 16

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं	**UNION TERRITORY PLANS**	**38.76**	**31.24**	**70.00**	**35.92**	**29.93**	**65.85**	**45.51**	**39.49**	**85.00**
1. गृह	1. Home Affairs	38.76	31.24	70.00	35.92	29.93	65.85	45.51	39.49	85.00
1.01 विशेष केन्द्रीय सहायता - उत्तर-पूर्वी परिषद आयोजना	*1.01 Special Central Assistance-North Eastern Council Plan*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.02 संघ राज्य क्षेत्र आयोजना (विधान मंडल सहित)	*1.02 U.T. Plans (with Legislature)*	*38.76*	*31.24*	*70.00*	*35.92*	*29.93*	*65.85*	*45.51*	*39.49*	*85.00*
2. अन्य मंत्रालय/विभाग	2. Other Ministries/Departments									
2.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-जनजातीय उप-आयोजना (कल्याण)	*2.01 Special Central Assistance-Tribal Sub Plan(Welfare)*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	**CENTRAL AND CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEMES**	**19.85**	**4.34**	**24.19**	**19.51**	**0.84**	**20.35**	**18.57**	**0.68**	**19.25**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	0.68	0.02	0.70	0.84	0.02	0.86	1.40	0.05	1.45
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	0.77	...	0.77	0.70	...	0.70	1.31	...	1.31
3. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण	3. Civil Supplies and Public Distribution	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	0.01	0.05	0.06
4. पर्यावरण और वन	4. Environment and Forests	1.82	...	1.82	1.92	...	1.92	1.21	...	1.21
5. स्वास्थ्य	5. Health	0.30	...	0.30	0.22	...	0.22	0.36	...	0.36
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	0.66	...	0.66	0.66	...	0.66	0.63	...	0.63
7. शिक्षा	7. Education	6.37	...	6.37	4.96	...	4.96	3.72	...	3.72
8. युवा कार्य और खेल	8. Youth Affairs and Sports	0.51	...	0.51	0.11	...	0.11	0.51	...	0.51
9. महिला और बाल विकास	9. Women and Child Development	0.81	...	0.81	0.81	...	0.81	0.98	...	0.98
10. औद्योगिक विकास	10. Industrial Development	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
11. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	11. Small Scale industries and Agro & Rural Industries	0.42	0.20	0.62	0.42	0.20	0.62	0.24	0.28	0.52
12. श्रम	12. Labour	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
13. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	13. Non-Conventional Energy Sources	0.27	...	0.27	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31
14. ग्रामीण विकास	14. Rural Development	1.70	...	1.70	3.23	...	3.23	4.07	...	4.07
15. वस्त्रोद्योग	15. Textiles	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. शहरी विकास	16. Urban Development	1.66	4.10	5.76	1.73	0.60	2.33	0.82	0.30	1.12
17. जल संसाधन	17. Water Resources	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25
18. कल्याण	18. Welfare	3.32	...	3.32	3.32	...	3.32	2.53	...	2.53
19. अन्य मंत्रालय/विभाग	19. Other Ministries/Departments	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	0.21	...	0.21
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	**TOTAL - Union Territory Governments**	**58.61**	**35.58**	**94.19**	**55.43**	**30.77**	**86.20**	**64.08**	**40.17**	**104.25**
कुल जोड़-आयोजना	***GRAND TOTAL- PLAN***	*8171.20*	*6481.17*	*14652.37*	*10009.38*	*6085.19*	*16094.57*	*12394.00*	*7103.08*	*19497.08*

सरकारी उद्यमों के संसाधन
RESOURCES OF PUBLIC ENTERPRISES

विवरण
STATEMENT 14
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/उद्यम	Ministry/Enterprise	संशोधित अनुमान Revised Estimates, 1990-91					बजट अनुमान Budget Estimates, 1991-92				
		आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total	आन्तरिक संसाधन Internal Resources	बांड ऋण-पत्र Bonds/ Debentures	ई.सी.बी./ सम्भरक ऋण E.C.B./ Suppliers Credit	अन्य Others	जोड़ Total
93. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	93. National Mineral Development Corporation Ltd.	36.41	...	...	...	36.41	37.58	...	20.00	35.00	92.58
94. राष्ट्रीय मिशन	94. National Mission	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
95. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	95. Rashtriya Ispat Nigam Ltd	...	300.00	50.00	212.00	562.00	...	...	9.46	343.61	353.07
96. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	96. Steel Authority of India Ltd	480.51	...	177.00	807.36	1464.87	550.00	...	359.00	1060.00	1969.00
जल भूतल परिवहन मंत्रालय	**Ministry of Surface Transport**	**249.31**	...	**459.97**	**52.86**	**762.14**	**401.11**	...	**415.12**	**124.97**	**941.20**
पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	*Ports, Lighthouses and Shipping*	*249.31*	...	*459.97*	*52.86*	*762.14*	*401.11*	...	*415.12*	*124.97*	*941.20*
97. बम्बई पत्तन न्यास	97. Bombay Port Trust	19.60	...	...	...	19.60	31.42	...	...	...	31.42
98. कलकत्ता पत्तन न्यास	98. Calcutta Port Trust	...	...	...	18.33	18.33	...	...	...	53.00	53.00
99. कोचीन पत्तन न्यास	99. Cochin Port Trust	...	...	...	20.87	20.87	...	...	...	12.43	12.43
100. भारतीय तलकर्षण निगम लि०	100. Dredging Corporation of India Ltd	32.50	...	...	...	32.50	20.04	...	...	...	20.04
101. हल्दिया पत्तन	101. Haldia Dock	8.67	...	...	...	8.67	16.65	...	...	...	16.65
102. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	102. Jawahar Lal Nehru Port Trust	...	...	...	3.00	3.00	...	...	...	30.00	30.00
103. जिगर खली	103. Jiggar Khali	...	...	...	...	...	...	...	...	7.00	7.00
104. मद्रास पत्तन न्यास	104. Madras Prot Trust	22.23	...	...	...	22.23	38.52	...	...	...	38.52
105. मारमोगोआ पत्तन न्यास	105. Mormugao Port Trust	5.76	...	...	...	5.76	7.10	...	...	...	7.10
106. नया कांडला पत्तन न्यास	106. New Kandla Port Trust	23.92	...	...	...	23.92	55.00	...	...	...	55.00
107. नया मंगलौर पत्तन न्यास	107. New Mangalore Port Trust	7.17	...	...	...	7.17	2.00	...	...	3.54	5.54
108. पारादीप पत्तन न्यास	108. Paradip Port Trust	...	...	...	7.00	7.00	10.00	...	...	15.00	25.00
109. भारतीय नौवहन निगम लि०	109. Shipping Corporation of India Ltd	91.00	...	459.97	...	550.97	158.59	...	415.12	...	573.71
110. तूतीकोरिन पत्तन न्यास	110. Tuticorn Port Trust	1.41	...	...	3.66	5.07	2.00	...	...	4.00	6.00
111. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	111. Vishkapatnam Port Trust	37.05	...	...	...	37.05	59.79	...	...	...	59.79
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**Ministry of Textiles**	**3.16**	...	...	**72.12**	**75.28**	...	...	**80.11**	...	**80.11**
112. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	112. National Cooperative Development Corporation	1.20	...	...	...	1.20	...	...	...	...	...
113. राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	113. National Jute Manufacturers Corporation	1.20	...	...	2.12	3.32	...	...	...	...	...
114. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि०	114. National Textile Corporation Ltd	...	...	...	70.00	70.00	...	...	80.11	...	80.11
115. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	115. National Handloom Development Corporation	0.76	...	...	...	0.76	...	...	...	...	...
शहरी विकास मंत्रालय	**Ministry of Urban Development**	—	...	...	...	...	...	**300.00**	...	...	**300.00**
116. आवास और शहरी विकास निगम	116. Housing and Urban Development Corporation	...	...	...	...	...	...	300.00	...	...	300.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	***Department of Atomic Energy***	***97.90***	***677.52***	...	***6.80***	***782.22***	***116.50***	***338.39***	...	***36.00***	***492.89***
117. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	117. Electronics Corporation of India Ltd	6.70	...	...	6.80	13.50	7.00	...	...	6.00	13.00
118. इंडियन रेयर अर्थस लि०	118. Indian Rare Earths Ltd	30.20	...	...	...	30.20	2.50	...	...	...	2.50
119. न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन	119. Nuclear Power Corporation	61.00	677.52	...	...	738.52	103.00	338.39	...	...	441.39
120. भारतीय यूरेनियम निगम लि०	120. Uranium Corporation of India Ltd	...	...	...	...	...	6.00	...	...	30.00	36.00
इलेक्ट्रोनिकी विभाग	***Department of Electronics***	***11.44***	...	...	***47.40***	***58.84***	***6.00***	...	...	***5.40***	***11.40***
121. कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम	121. Computer Maintenance Corporation	4.00	...	...	22.00	26.00	4.00	...	...	...	4.00
122. सेमी-कन्डक्टर कम्पलेक्स लि०	122. Semi Conductor Complex Ltd	...	...	...	21.70	21.70	...	...	...	5.00	5.00
123. अन्य निकाय/संस्थाएं	123. Other bodies/institutions	7.44	...	...	3.70	11.14	2.00	...	...	0.40	2.40
124. रेलवे	124. Railways	2159.00	1170.00	...	...	3329.00	2131.00	1500.00	...	...	3631.00
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***10721.49***	***4932.98***	***2552.81***	***2251.44***	***20458.72***	***13704.86***	***5869.12***	***2000.74***	***2379.19***	***23953.91***

आन्तरिक संसाधन : *इसमें ऋणों की वापसी-अदायगी कम करके मूल्यह्रास और रोके रखे गए लाभ ।*

बांड : देश के अन्दर उपक्रमों द्वारा जारी किए गए सरकारी ऋणों के द्योतक हैं ।

विदेशी वाणिज्यिक उधार : ये देश से बाहर वाणिज्यिक उधारों के द्योतक हैं ।

अन्य : इनमें उद्यमों द्वारा अन्तः निगमित अन्तरणों से जुटाई गई जमा राशि शामिल है ।

Internal Resources: *Comprises depreciation and retained profit reduced by repayment of loans*

Bonds: *Represent public loans floated by the enterprises within the country*

External Commercial Borrowings: *Represent commercial borrowings outside the country*

Others: *Include deposits raised by the enterprise and inter corporate transfers.*

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता
CENTRAL ASSISTANCE FOR STATE AND UNION TERRITORY PLANS

विवरण STATEMENT 15

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट 1990-91 Budget	संशोधित 1990-91 Revised	बजट 1991-92 Budget
क. राज्य आयोजनों के लिए केन्द्रीय सहायता	**A. Central Assistance for State Plans**	**11777.83**	**11354.02**	**13427.53**
सामान्य केन्द्रीय सहायता	Normal Central Assistance	9676.30	9267.67	11000.00
विशेष केन्द्रीय सहायता	Special Central Assistance	850.00	841.32	835.00
पर्वतीय क्षेत्र	Hill Areas	287.00	287.00	290.00
जनजातीय उप-आयोजना	Tribal Sub Plan	232.70	232.70	250.00
सीमावर्ती क्षेत्र	Border Areas	86.00	77.32	85.00
उत्तर पूर्वी परिषद	North Eastern Council	197.00	197.00	210.00
अन्य विशेष क्षेत्र	Other Special Areas	47.30	47.30	...
ग्रामीण विद्युतीकरण	*Rural Electrification*	*260.00*	*248.50*	*260.00*
दैवी विपत्तियों के लिए अग्रिम आयोजना सहायता	*Advance Plan assistance for natural calamities*	...	*5.00*	...
अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	*Grants under Article 275(1)*	*991.53*	*991.53*	*1332.53*
ख. संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	**B. Union Territory Plans**	**1070.54**	**1008.22**	**1282.50**
विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*Union territories with Legislature*	*70.00*	*65.85*	*85.00*
पांडिचेरी	Pondicherry	70.00	65.85	85.00
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*Union territories without Legislature*	*1000.54*	*942.37*	*1197.50*
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	Andaman &Nicobar Islands	97.00	97.00	154.00
चंडीगढ़	Chandigarh	55.97	51.70	64.36
दादरा और नगर हवेली	Dadra & Nagar Haveli	12.99	12.16	21.00
दिल्ली	Delhi	800.00	750.00	920.00
लक्षद्वीप	Lakshadweep	22.00	19.80	22.46
दमन और दीव	Daman & Diu	12.58	11.71	15.68
कुल जोड़ (क + ख)	**Grand Total (A+B)**	**12848.37**	**12362.24**	**14710.03***

* इसमें राज्य सरकारों को अनुदान और ऋण के रूप में दी गई 12909.76 करोड़ रुपए (मांग संख्या 2, 30,45,47,64,69,81 और 82), संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 85.00 करोड़ रुपए अनुदान और ऋण के रूप में, (मांग संख्या 46), बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय के लिए 1197.50 करोड़ रुपए (मांग संख्या 93 से 98) और अन्य व्यय के रूप में 517.77 करोड़ रुपए (मांग संख्या 30,45,47,67 और 82) की व्यवस्था शामिल है ।

* This comprises Rs.12909.76 crores as grants and loans to State Governments (Demand No.2, 30,45,47,64,69,81 & 82), Rs.85.00 crores as grants and loans to U.T Governments (D.No.46), Rs.1197.50 crores as expenditure in Union Territories without legislature (D.No.93 to 98) and Rs.517.77 crores as other expenditure (D.No.30,45,47,67 & 82).

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण
PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण STATEMENT 16

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
राज्य आयोजना	**STATE PLAN**	**4993.58**	**6263.51**	**11257.09**	**4928.92**	**5914.41**	**10843.33**	**6028.22**	**6881.54**	**12909.76**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	32.90	...	32.90	32.90	...	32.90	...	...	...
1.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	*1.01 Special Central Assistance-Other special areas*	*32.90*	...	*32.90*	*32.90*	...	*32.90*	...	...	...
2. वित्त	2. Finance	4562.40	6257.43	10819.83	4507.81	5908.39	10416.20	5603.73	6873.80	12477.53
2.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	*2.01 Normal Central Assistance*	*3312.57*	*6228.73*	*9541.30*	*3256.48*	*5876.19*	*9132.67*	*4010.20*	*6844.80*	*10855.00*
2.02 विशेष केन्द्रीय सहायता-पहाड़ी क्षेत्र	*2.02 Special Central Assistance - Hill areas*	*258.30*	*28.70*	*287.00*	*258.30*	*28.70*	*287.00*	*261.00*	*29.00*	*290.00*
2.03 विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	*2.03 Special Central Assistance - Other Special Areas*	...		...	...		...	...		...
2.04 दैवी विपत्तियों के लिए अग्रिम आयोजना सहायता	*2.04 Advance Plan Assistance for natural calamities*	...	...	...	*1.50*	*3.50*	*5.00*	...	...	...
2.05 अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान	*2.05 Grants under Article 275(1)*	*991.53*	...	*991.53*	*991.53*	...	*991.53*	*1332.53*	...	*1332.53*
3. गृह	3. Home Affairs	56.38	6.08	62.46	55.02	6.02	61.04	73.59	7.74	81.33
3.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	*3.01 Special Central Assistance-Border areas*	*1.98*	*0.22*	*2.20*	*1.78*	*0.20*	*1.98*	*1.80*	*0.20*	*2.00*
3.02 विशेष केन्द्रीय सहायता-उत्तर पूर्वी परिषद आयोजना	*3.02 Special Central Assistance-North Eastern Council Plan*	*54.40*	*5.86*	*60.26*	*53.24*	*5.82*	*59.06*	*71.79*	*7.54*	*79.33*
4. शिक्षा	4. Education									
4.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	*4.01 Special Central Assistance-Border areas*	*55.00*	...	*55.00*	*49.25*	...	*49.25*	*54.00*	...	*54.00*
5. योजना	5. Planning									
5.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	*5.01 Special Central Assistance-Border areas*	*0.20*	...	*0.20*	*0.10*	...	*0.10*	*0.20*	...	*0.20*
6. ग्रामीण विकास	6. Rural Development									
6.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	*6.01 Special Central Assistance-Other special areas*	*14.40*	...	*14.40*	*14.40*	...	*14.40*	...	...	...
7. जल संसाधन	7. Water Resources	28.60	...	28.60	25.74	...	25.74	27.80	...	27.80
7.01 अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	*7.01 Additional Central Assistance*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.02 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	*7.02 Special Central Assistance-Border areas*	*28.60*	...	*28.60*	*25.74*	...	*25.74*	*27.80*	...	*27.80*
8. कल्याण	8. Welfare	243.70	...	243.70	243.70	...	243.70	268.90	...	268.90
8.01 सामान्य केन्द्रीय सहायता	*8.01 Normal Central Assistance*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*
8.02 विशेष केन्द्रीय सहायता-जनजातीय उप-आयोजना	*8.02 Special Central Assistance-Tribal Sub Plan*	*223.70*	...	*223.70*	*223.70*	...	*223.70*	*248.90*	...	*248.90*
8.03 जनजातीय क्षेत्रों में तेलहनों और वृक्षों के तेलों का विकास	*8.03 Development of Oil Seeds and oils of tree origin in Tribal Areas*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	**CENTRAL AND CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEMES**	**3119.01**	**182.08**	**3301.09**	**5025.03**	**140.01**	**5165.04**	**6301.70**	**181.37**	**6483.07**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	479.53	44.53	524.06	438.81	40.68	479.49	578.21	93.26	671.47
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	31.82	0.10	31.92	29.94	...	29.94	57.22	...	57.22
3. उर्वरक	3. Fertilizers	...	1.00	1.00	...	5.00	5.00	...	0.50	0.50
4. पर्यावरण और वन	4. Environment and Forests	82.53	...	82.53	81.03	...	81.03	132.90	0.10	133.00
5. वित्त	5. Finance	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
6. स्वास्थ्य	6. Health	149.60	...	149.60	138.55	...	138.55	152.82	...	152.82
7. परिवार कल्याण	7. Family Welfare	618.75	...	618.75	712.25	...	712.25	671.40	...	671.40
8. गृह	8. Home Affairs	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. शिक्षा	9. Education	398.32	...	398.32	335.74	...	335.74	407.14	...	407.14
10. युवा कार्य और खेल	10. Youth Affairs and Sports	12.54	...	12.54	11.60	...	11.60	10.46	...	10.46
11. महिला और बाल विकास	11. Women and Child Development	253.54	...	253.54	242.04	...	242.04	273.80	...	273.80
12. औद्योगिक विकास	12. Industrial Development	4.90	...	4.90	...	...	...	...	...	...
13. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	13. Small Scale industries and Agro & Rural Industries	23.28	3.51	26.79	22.88	3.36	26.24	23.01	5.05	28.06
14. श्रम	14. Labour	44.40	...	44.40	27.51	...	27.51	50.05	...	50.05
15. विद्युत	15. Power	6.04	20.00	26.04	5.94	20.00	25.94	4.04	20.00	24.04
16. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	16. Non-Conventional Energy Sources	48.49	...	48.49	45.57	...	45.57	54.36	...	54.36
17. ग्रामीण विकास	17. Rural Development	482.34	...	482.34	2456.66	...	2456.66	3007.50	...	3007.50
18. जल-भूतल परिवहन	18. Surface Transport	15.25	16.15	31.40	11.33	9.75	21.08	16.70	9.37	26.07
19. वस्त्रोद्योग	19. Textiles	11.02	10.08	21.10	9.02	8.08	17.10	14.60	4.00	18.60
20. शहरी विकास	20. Urban Development	30.27	19.10	49.37	30.61	16.06	46.67	79.08	13.30	92.38
21. जल संसाधन	21. Water Resources	101.90	63.10	165.00	102.20	32.79	134.99	116.90	26.00	142.90
22. कल्याण	22. Welfare	314.78	1.12	315.90	314.78	1.12	315.90	384.95	1.12	386.07
23. अन्य मंत्रालय/विभाग	23. Other Ministries/Departments	9.71	3.39	13.10	8.57	3.17	11.74	16.56	8.67	25.23
जोड़-राज्य सरकारें	**TOTAL - State Governments**	**8112.59**	**6445.59**	**14558.18**	**9953.95**	**6054.42**	**16008.37**	**12329.92**	**7062.91**	**19392.83**

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण
PLAN GRANTS AND LOANS TO STATE & U.T. GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 16
(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं	**UNION TERRITORY PLANS**	**38.76**	**31.24**	**70.00**	**35.92**	**29.93**	**65.85**	**45.51**	**39.49**	**85.00**
1. गृह	1. Home Affairs	38.76	31.24	70.00	35.92	29.93	65.85	45.51	39.49	85.00
1.01 विशेष केन्द्रीय सहायता - उत्तर-पूर्वी परिषद आयोजना	*1.01 Special Central Assistance-North Eastern Council Plan*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.02 संघ राज्य क्षेत्र-आयोजना (विधान मंडल सहित)	*1.02 U.T. Plans (with Legislature)*	*38.76*	*31.24*	*70.00*	*35.92*	*29.93*	*65.85*	*45.51*	*39.49*	*85.00*
2. अन्य मंत्रालय/विभाग	2. Other Ministries/Departments									
2.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-जनजातीय उप-आयोजना (कल्याण)	*2.01 Special Central Assistance-Tribal Sub Plan(Welfare)*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
केन्द्रीय और केन्द्र-प्रायोजित आयोजनागत योजनाएं	**CENTRAL AND CENTRALLY SPONSORED PLAN SCHEMES**	**19.85**	**4.34**	**24.19**	**19.51**	**0.84**	**20.35**	**18.57**	**0.68**	**19.25**
1. कृषि और सहकारिता	1. Agriculture & Cooperation	0.68	0.02	0.70	0.84	0.02	0.86	1.40	0.05	1.45
2. पशुपालन और डेरी	2. Animal Husbandry and Dairying	0.77	...	0.77	0.70	...	0.70	1.31	...	1.31
3. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिकवितरण	3. Civil Supplies and Public Distribution	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	0.01	0.05	0.06
4. पर्यावरण और वन	4. Environment and Forests	1.82	...	1.82	1.92	...	1.92	1.21	...	1.21
5. स्वास्थ्य	5. Health	0.30	...	0.30	0.22	...	0.22	0.36	...	0.36
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	0.66	...	0.66	0.66	...	0.66	0.63	...	0.63
7. शिक्षा	7. Education	6.37	...	6.37	4.96	...	4.96	3.72	...	3.72
8. युवा कार्य और खेल	8. Youth Affairs and Sports	0.51	...	0.51	0.11	...	0.11	0.51	...	0.51
9. महिला और बाल विकास	9. Women and Child Development	0.81	...	0.81	0.81	...	0.81	0.98	...	0.98
10. औद्योगिक विकास	10. Industrial Development	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
11. लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	11. Small Scale industries and Agro & Rural Industries	0.42	0.20	0.62	0.42	0.20	0.62	0.24	0.28	0.52
12. श्रम	12. Labour	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
13. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	13. Non-Conventional Energy Sources	0.27	...	0.27	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31
14. ग्रामीण विकास	14. Rural Development	1.70	...	1.70	3.23	...	3.23	4.07	...	4.07
15. वस्त्रोद्योग	15. Textiles	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. शहरी विकास	16. Urban Development	1.66	4.10	5.76	1.73	0.60	2.33	0.82	0.30	1.12
17. जल संसाधन	17. Water Resources	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25
18. कल्याण	18. Welfare	3.32	...	3.32	3.32	...	3.32	2.53	...	2.53
19. अन्य मंत्रालय/विभाग	19. Other Ministries/Departments	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	0.21	...	0.21
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें	**TOTAL - Union Territory Governments**	**56.61**	**35.58**	**94.19**	**55.43**	**30.77**	**86.20**	**64.08**	**40.17**	**104.25**
कुल जोड़-आयोजना	***GRAND TOTAL- PLAN***	***8171.20***	***6481.17***	***14652.37***	***10009.38***	***6085.19***	***16094.57***	***12394.00***	***7103.08***	***19497.08***

विदेशी सरकारों को अनुदान और ऋण
GRANTS AND LOANS TO FOREIGN GOVERNMENTS

विवरण
STATEMENT 17
(करोड़ रुपए) (in crores of Rupees)

मंत्रालय/विभाग	Ministry/Department	बजट Budget 1990-91 अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	संशोधित Revised 1990-91 अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total	बजट Budget 1991-92 अनुदान Grant	ऋण Loan	जोड़ Total
आयोजना-भिन्न	***Non-Plan***	***189.81***	***404.34***	***594.15***	***222.48***	***1237.99***	***1460.47***	***181.04***	***1213.99***	***1395.03***
1. वाणिज्य	**1. Commerce**	...	**350.00**	**350.00**	...	**1150.00**	**1150.00**	...	**1150.00**	**1150.00**
1.01 तकनीकी ऋण	1.01 Technical Credits	...	350.00	350.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00
2. विदेश कार्य	**2. External Affairs**	**178.79**	**6.34**	**185.13**	**211.46**	**40.00**	**251.46**	**168.94**	**11.35**	**180.29**
2.01 बंगला देश	2.01 Bangladesh	0.97	5.00	5.97	6.05	5.00	11.05	2.12	10.00	12.12
2.02 भूटान	2.02 Bhutan	72.43	1.34	73.77	70.29	...	70.29	72.35	1.34	73.69
2.03 नेपाल	2.03 Nepal	22.79	...	22.79	16.99	35.00	51.99	19.63	0.01	19.64
2.04 अफ्रीका	2.04 Africa	16.42	...	16.42	9.00	...	9.00	12.30	...	12.30
2.05 कम्बोडिया	2.05 Combodia	...	...	...	1.50	...	1.50	0.01	...	0.01
2.05 अन्य विकासशील देश	2.06 Other developing countries	66.18	...	66.18	107.63	...	107.63	62.53	...	62.53
3. वित्त	**3. Finance**	**10.12**	**48.00**	**58.12**	**10.12**	**47.99**	**58.11**	**11.45**	**52.64**	**64.09**
3.01 यू.एन.डी.पी. को अंशदान	3.01 Contribution to U.N.D.P.	8.12	...	8.12	8.12	...	8.12	8.12	...	8.12
3.02 मारीशस	3.02 Mauritius	...	1.50	1.50	...	5.50	5.50	...	3.80	3.80
3.03 गुयाना	3.03 Guyana	...	7.00	7.00	...	4.05	4.05	...	5.50	5.50
3.04 श्रीलंका	3.04 Sri Lanka	...	15.00	15.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
3.05 वियतनाम	3.05 Vietnam	...	12.00	12.00	...	14.62	14.62	...	10.71	10.71
3.06 सूरीनाम	3.06 Surinam	...	4.06	4.06	...	0.01	0.01	...	4.00	4.00
3.07 जाम्बिया	3.07 Zambia	...	7.00	7.00	...	1.00	1.00	...	8.00	8.00
3.08 मोजाम्बिक	3.08 Mozambique	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.11	0.11
3.09 निकारगुआ	3.09 Nicaragua	...	1.30	1.30	...	3.48	3.48	...	...	...
3.10 नाम्बिया	3.10 Namibia	...	...	...	...	0.50	0.50	...	8.50	8.50
3.11 अफगानिस्तान	3.11 Afghanistan	...	...	...	...	11.70	11.70	...	0.01	0.01
3.12 सेशल्स	3.12 Seychelles	...	...	...	...	0.50	0.50	...	2.00	2.00
3.13 कम्बोडिया	3.13 Combodia	...	...	...	...	1.49	1.49	...	0.01	0.01
3.14 अन्य देश	3.14 Other countries	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.33	...	3.33
4. जल-भूतल परिवहन	**4. Surface Transport**	**0.65**	...	**0.65**	**0.65**	...	**0.65**	**0.65**	...	**0.65**
4.01 बंगलादेश को सहायता	4.01 Assistance to Bangladesh	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65
5. जल संसाधन	**5. Water Resources**	**0.25**	...	**0.25**	**0.25**	...	**0.25**	...	...	...
5.01 नेपाल हितकारी योजना	5.01 Nepal Benefit Scheme	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
आयोजना	***Plan***	***0.35***	...	***0.35***	***0.32***	...	***0.32***	***0.35***	...	***0.35***
6. विद्युत	6. Power	0.35	...	0.35	0.32	...	0.32	0.35	...	0.35
6.01 नेपाल हितकारी योजना	6.01 Nepal Benefit Scheme	0.35	...	0.35	0.32	...	0.32	0.35	...	0.35
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	***190.16***	***404.34***	***594.50***	***222.80***	***1237.99***	***1460.79***	***181.39***	***1213.99***	***1395.38***

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
जोड़		TOTAL	30466.19	68842.35	99308.54	29955.85	76761.21	106717.06	33724.87	79697.22	113422.09
राजस्व व्यय		*REVENUE EXPENDITURE*	*14298.86*	*56670.80*	*70969.66*	*14020.42*	*60945.66*	*74966.08*	*17068.01*	*64315.07*	*81383.08*
क. सामान्य सेवाएं		A. GENERAL SERVICES	8.61	37441.05	37449.66	7.54	40048.25	40055.79	14.52	45217.59	45232.11
(क) राज्य के अंग		*(a) Organs of State*	...	*363.97*	*363.97*	...	*364.39*	*364.39*	...	*515.84*	*515.84*
संसद	2011	*Parliament*	...	*26.19*	*26.19*	...	*28.55*	*28.55*	...	*29.59*	*29.59*
मांग संख्या 61		Demand61	...	0.01	0.01	...	0.16	0.16	...	0.18	0.18
मांग संख्या 88		Demand88	...	18.69	18.69	...	18.72	18.72	...	20.36	20.36
मांग संख्या 89		Demand89	...	7.49	7.49	...	9.67	9.67	...	9.05	9.05
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति	2012	*President, Vice President*	...	*2.84*	*2.84*	...	*3.58*	*3.58*	...	*3.42*	*3.42*
मांग संख्या 90		Demand90	...	2.60	2.60	...	3.32	3.32	...	3.15	3.15
मांग संख्या 91		Demand91	...	0.24	0.24	...	0.26	0.26	...	0.27	0.27
मंत्रि परिषद	2013	*Council of Ministers*	...	*13.63*	*13.63*	...	*13.61*	*13.61*	...	*12.01*	*12.01*
मांग संख्या 40		Demand40	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
मांग संख्या 42		Demand42	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
मांग संख्या 43		Demand43	...	13.42	13.42	...	13.42	13.42	...	11.80	11.80
मांग संख्या 47		Demand47	...	0.03	0.03	...	0.01	0.01	...	0.03	0.03
न्याय प्रशासन	2014	*Administration of Justice*	...	*14.20*	*14.20*	...	*14.81*	*14.81*	...	*15.70*	*15.70*
मांग संख्या 58		Demand58	...	7.90	7.90	...	8.91	8.91	...	8.83	8.83
मांग संख्या 62		Demand62	...	6.30	6.30	...	5.90	5.90	...	6.87	6.87
निर्वाचन	2015	*Elections*	...	*64.14*	*64.14*	...	*59.51*	*59.51*	...	*200.00*	*200.00*
मांग संख्या 58		Demand58	...	64.14	64.14	...	59.51	59.51	...	200.00	200.00
लेखा परीक्षा	2016	*Audit*	...	*242.97*	*242.97*	...	*244.33*	*244.33*	...	*255.12*	*255.12*
मांग संख्या 34		Demand34	...	242.97	242.97	...	244.33	244.33	...	255.12	255.12
(ख) कर संग्रह		*(b) Tax Collection*	...	*574.36*	*574.36*	...	*582.34*	*582.34*	...	*659.99*	*659.99*
आय और व्यय पर करों का संग्रह	2020	*Collection of Taxes on Income and Expenditure*	...	*203.62*	*203.62*	...	*213.49*	*213.49*	...	*229.07*	*229.07*
मांग संख्या 36		Demand36	...	199.53	199.53	...	209.65	209.65	...	225.00	225.00
मांग संख्या 58		Demand58	...	4.09	4.09	...	3.84	3.84	...	4.07	4.07
सम्पदा शुल्क, धन पर कर और उपहार कर का संग्रह	2031	*Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift Tax*	...	*22.17*	*22.17*	...	*23.29*	*23.29*	...	*25.00*	*25.00*
मांग संख्या 36		Demand36	...	22.17	22.17	...	23.29	23.29	...	25.00	25.00
सीमा शुल्क	2037	*Customs*	...	*170.63*	*170.63*	...	*181.68*	*181.68*	...	*212.32*	*212.32*
मांग संख्या 37		Demand37	...	170.63	170.63	...	181.68	181.68	...	212.32	212.32
संघीय उत्पाद शुल्क	2038	*Union Excise Duties*	...	*177.65*	*177.65*	...	*163.59*	*163.59*	...	*190.25*	*190.25*
मांग संख्या 37		Demand37	...	177.65	177.65	...	163.59	163.59	...	190.25	190.25
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2045	*Other Taxes and Duties on Commodities and Services*	...	*0.29*	*0.29*	...	*0.29*	*0.29*	...	*3.35*	*3.35*
मांग संख्या 35		Demand35	...	0.29	0.29	...	0.29	0.29	...	3.35	3.35
(ग) अन्य राजकोषीय सेवाएं		*(c) Other Fiscal Services*	...	*279.81*	*279.81*	...	*334.59*	*334.59*	...	*501.55*	*501.55*
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	2046	*Currency, Coinage and Mint*	...	*25.83*	*25.83*	...	*36.49*	*36.49*	...	*34.57*	*34.57*
मांग संख्या 26		Demand26	...	25.83	25.83	...	36.49	36.49	...	34.57	34.57
अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047	*Other Fiscal Services*	...	*253.98*	*253.98*	...	*298.10*	*298.10*	...	*466.98*	*466.98*
मांग संख्या 25		Demand25	...	66.29	66.29	...	60.76	60.76	...	30.83	30.83
मांग संख्या 26		Demand26	...	-3.59	-3.59	...	24.25	24.25	...	18.99	18.99
मांग संख्या 27		Demand27	...	182.98	182.98	...	204.90	204.90	...	408.52	408.52
मांग संख्या 33		Demand33	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 35		Demand35	...	8.29	8.29	...	8.18	8.18	...	8.63	8.63
(घ) ब्याज अदाय और ऋण शोधन		*(d) Interest Payment and Servicing of Debt*	...	*20850.00*	*20850.00*	...	*21850.00*	*21850.00*	...	*27450.00*	*27450.00*
ब्याज अदायगियां	2049	*Interest Payments*	...	*20850.00*	*20850.00*	...	*21850.00*	*21850.00*	...	*27450.00*	*27450.00*
मांग संख्या 29		Demand29	...	20850.00	20850.00	...	21850.00	21850.00	...	27450.00	27450.00
(ङ) प्रशासनिक सेवाएं		*(e) Administrative Services*	*8.61*	*2341.30*	*2349.91*	*7.54*	*2709.93*	*2717.47*	*14.52*	*2672.56*	*2687.08*
लोक सेवा आयोग	2051	*Public Service Commission*	...	*17.52*	*17.52*	...	*19.67*	*19.67*	...	*19.89*	*19.89*
मांग संख्या 62		Demand62	...	5.50	5.50	...	6.34	6.34	...	6.56	6.56
मांग संख्या 92		Demand92	...	12.02	12.02	...	13.33	13.33	...	13.33	13.33
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052	*Secretariat-General Services*	*1.50*	*254.06*	*255.56*	*0.85*	*236.57*	*237.42*	*1.64*	*267.26*	*268.90*
मांग संख्या 12		Demand12	...	5.39	5.39	...	5.28	5.28	...	5.54	5.54

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 16		Demand16	...	138.54	138.54	...	137.73	137.73	...	147.63	147.63
मांग संख्या 24		Demand24	...	39.75	39.75	...	28.12	28.12	...	39.88	39.88
मांग संख्या 25		Demand25	...	12.89	12.89	...	10.80	10.80	...	10.43	10.43
मांग संख्या 33		Demand33	...	6.33	6.33	...	6.20	6.20	...	7.16	7.16
मांग संख्या 35		Demand35	...	18.41	18.41	...	13.47	13.47	...	19.63	19.63
मांग संख्या 42		Demand42	...	14.43	14.43	...	16.15	16.15	...	16.80	16.80
मांग संख्या 58		Demand58	...	7.08	7.08	...	6.70	6.70	...	7.52	7.52
मांग संख्या 61		Demand61	...	0.99	0.99	...	1.07	1.07	...	1.12	1.12
मांग संख्या 62		Demand62	1.00	5.40	6.40	0.35	5.93	6.28	1.09	6.29	7.38
मांग संख्या 66		Demand66	...	0.85	0.85	...	0.76	0.76	...	0.85	0.85
मांग संख्या 78		Demand78	0.50	4.00	4.50	0.50	4.36	4.86	0.55	4.41	4.96
पुलिस	*2055*	*Police*	...	*1393.97*	*1393.97*	...	*1580.61*	*1580.61*	...	*1757.57*	*1757.57*
मांग संख्या 44		Demand44	...	1376.22	1376.22	...	1562.61	1562.61	...	1738.57	1738.57
मांग संख्या 62		Demand62	...	17.75	17.75	...	18.00	18.00	...	19.00	19.00
पूर्ति और निपटान	*2057*	*Supplies and Disposals*	...	*18.32*	*18.32*	...	*18.20*	*18.20*	...	*17.85*	*17.85*
मांग संख्या 12		Demand12	...	16.12	16.12	...	16.20	16.20	...	16.86	16.86
मांग संख्या 24		Demand24	...	2.20	2.20	...	2.00	2.00	...	0.99	0.99
लेखन सामग्री और मुद्रण	*2058*	*Stationery and Printing*	...	*50.67*	*50.67*	...	*44.47*	*44.47*	...	*56.62*	*56.62*
मांग संख्या 80		Demand80	...	50.67	50.67	...	44.47	44.47	...	56.62	56.62
लोक-निर्माण कार्य	*2059*	*Public Works*	*0.60*	*96.51*	*97.11*	*1.50*	*89.31*	*90.81*	*1.65*	*105.40*	*107.05*
मांग संख्या 16		Demand16	...	0.30	0.30	...	0.32	0.32	...	0.30	0.30
मांग संख्या 79		Demand79	0.60	96.21	96.81	1.50	88.99	90.49	1.65	105.10	106.75
विदेश कार्य	*2061*	*External Affairs*	...	*283.57*	*283.57*	...	*595.67*	*595.67*	...	*308.37*	*308.37*
मांग संख्या 24		Demand24	...	283.57	283.57	...	595.67	595.67	...	308.37	308.37
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	*2070*	*Other Administrative Services*	*6.51*	*226.68*	*233.19*	*5.19*	*125.43*	*130.62*	*11.23*	*139.60*	*150.83*
मांग संख्या 1		Demand1	0.62	0.92	1.54	0.60	0.86	1.46	0.70	0.90	1.60
मांग संख्या 25		Demand25	0.10	2.53	2.63	...	2.40	2.40	0.01	2.63	2.64
मांग संख्या 33		Demand33	0.74	100.00	100.74	0.39	...	0.39	1.26	...	1.26
मांग संख्या 35		Demand35	...	1.84	1.84	...	2.10	2.10	...	2.14	2.14
मांग संख्या 42		Demand42	3.00	111.15	114.15	2.00	110.38	112.38	3.50	123.39	126.89
मांग संख्या 51		Demand51	...	2.64	2.64	...	2.62	2.62	...	2.70	2.70
मांग संख्या 58		Demand58	...	1.18	1.18	...	1.07	1.07	...	1.21	1.21
मांग संख्या 62		Demand62	2.05	6.42	8.47	2.20	6.00	8.20	5.76	6.63	12.39
(च) पेंशनें और विविध सामान्य सेवाएं		*(f) Pensions and Miscellaneous General Services*	...	*2083.50*	*2083.50*	...	*3194.56*	*3194.56*	...	*2278.87*	*2278.87*
पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	*2071*	*Pension and other Retirement Benefits*	...	*1997.35*	*1997.35*	...	*2167.25*	*2167.25*	...	*2298.24*	*2298.24*
मांग संख्या 17		Demand17	...	1500.00	1500.00	...	1670.00	1670.00	...	1750.00	1750.00
मांग संख्या 28		Demand28	...	497.35	497.35	...	497.25	497.25	...	548.24	548.24
विविध सामान्य सेवाएं	*2075*	*Miscellaneous General Services*	...	*86.15*	*86.15*	...	*1027.31*	*1027.31*	...	*-19.37*	*-19.37*
मांग संख्या 16		Demand16	...	-11.30	-11.30	...	-12.00	-12.00	...	-20.45	-20.45
मांग संख्या 25		Demand25	...	0.13	0.13	...	72.09	72.09	...	0.13	0.13
मांग संख्या 30		Demand30	...	96.23	96.23	...	611.19	611.19	...	...	...
मांग संख्या 35		Demand35	...	0.50	0.50	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
मांग संख्या 45		Demand45	...	0.59	0.59	...	0.41	0.41	...	0.55	0.55
मांग संख्या 46		Demand46	...	...	...	...	355.22	355.22	...	...	...
(छ) रक्षा सेवाएं		*(g) Defence Services*	...	*10948.11*	*10948.11*	...	*11012.44*	*11012.44*	...	*11138.78*	*11138.78*
रक्षा सेवाएं - थल सेना	*2076*	*Defence Services-Army*	...	*7910.15*	*7910.15*	...	*7965.00*	*7965.00*	...	*8079.13*	*8079.13*
मांग संख्या 18		Demand18	...	7910.15	7910.15	...	7965.00	7965.00	...	8079.13	8079.13
रक्षा सेवाएं - नौ सेना	*2077*	*Defence Services-Navy*	...	*877.00*	*877.00*	...	*826.00*	*826.00*	...	*892.06*	*892.06*
मांग संख्या 19		Demand19	...	877.00	877.00	...	826.00	826.00	...	892.06	892.06
रक्षा सेवाएं - वायु सेना	*2078*	*Defence Services-Air Force*	...	*2017.76*	*2017.76*	...	*2072.74*	*2072.74*	...	*2054.96*	*2054.96*
मांग संख्या 20		Demand20	...	2017.76	2017.76	...	2072.74	2072.74	...	2054.96	2054.96
रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	*2079*	*Ordnance Factories*	...	*143.20*	*143.20*	...	*148.70*	*148.70*	...	*112.63*	*112.63*
मांग संख्या 21		Demand21	...	143.20	143.20	...	148.70	148.70	...	112.63	112.63
ख. सामाजिक सेवाएं		**B. SOCIAL SERVICES**	**1163.00**	**1917.77**	**3080.77**	**1114.29**	**1869.74**	**2984.03**	**1425.06**	**2050.68**	**3475.74**
सामान्य शिक्षा	*2202*	*General Education*	*299.57*	*516.71*	*816.28*	*336.41*	*505.90*	*842.31*	*381.55*	*522.69*	*904.24*
मांग संख्या 47		Demand47	299.57	516.07	815.64	336.41	505.87	842.28	381.55	522.64	904.19
मांग संख्या 80		Demand80	...	0.64	0.64	...	0.03	0.03	...	0.05	0.05
तकनीकी शिक्षा	*2203*	*Technical Education*	*157.85*	*142.89*	*300.74*	*158.05*	*145.20*	*303.25*	*183.20*	*150.43*	*333.63*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 47		Demand47	157.85	142.89	300.74	158.05	145.20	303.25	183.20	150.43	333.63
खेल और युवा सेवाएं	2204	*Sports and Youth Services*	*54.08*	*24.60*	*78.68*	*49.23*	*23.03*	*72.26*	*62.85*	*24.28*	*87.13*
मांग संख्या 47		Demand47	0.80	0.30	1.10	0.80	0.30	1.10	0.64	0.30	0.94
मांग संख्या 48		Demand48	53.28	24.30	77.58	48.43	22.73	71.16	62.21	23.98	86.19
कला और संस्कृति	2205	*Art and Culture*	*54.42*	*59.05*	*113.47*	*47.69*	*56.14*	*103.83*	*64.96*	*60.27*	*125.23*
मांग संख्या 49		Demand49	54.35	58.51	112.86	47.62	55.63	103.25	64.76	59.71	124.47
मांग संख्या 55		Demand55	0.07	0.54	0.61	0.07	0.51	0.58	0.20	0.56	0.76
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	2210	*Medical and Public Health*	*114.18*	*232.47*	*346.65*	*108.56*	*229.57*	*338.13*	*140.31*	*251.39*	*391.70*
मांग संख्या 40		Demand40	114.18	232.47	346.65	108.56	229.57	338.13	140.31	251.39	391.70
परिवार कल्याण	2211	*Family Welfare*	*55.49*	*9.41*	*64.90*	*69.73*	*9.09*	*78.82*	*76.07*	*9.50*	*85.57*
मांग संख्या 41		Demand41	55.49	9.41	64.90	69.73	9.09	78.82	76.07	9.50	85.57
जल पूर्ति और स्वच्छता	2215	*Water Supply and Sanitation*	*144.41*	*0.84*	*145.25*	*127.60*	*0.57*	*128.17*	*118.09*	*0.69*	*118.78*
मांग संख्या 69		Demand69	122.04	0.84	122.88	102.27	0.57	102.84	81.49	0.69	82.18
मांग संख्या 78		Demand78	22.37	...	22.37	25.33	...	25.33	36.60	...	36.60
आवास	2216	*Housing*	*9.00*	*80.88*	*89.88*	*3.15*	*77.31*	*80.46*	*9.30*	*88.67*	*97.97*
मांग संख्या 16		Demand16	...	0.70	0.70	...	1.00	1.00	...	1.29	1.29
मांग संख्या 27		Demand27	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
मांग संख्या 78		Demand78	8.50	80.18	88.68	2.65	76.31	78.96	8.80	87.38	96.18
शहरी विकास	2217	*Urban Development*	*4.80*	*2.68*	*7.48*	*4.31*	*2.87*	*7.18*	*8.90*	*2.97*	*11.87*
मांग संख्या 78		Demand78	4.80	2.68	7.48	4.31	2.87	7.18	8.90	2.97	11.87
सूचना और प्रचार	2220	*Information and Publicity*	*13.62*	*71.01*	*84.63*	*9.04*	*74.56*	*83.60*	*13.53*	*79.19*	*92.72*
मांग संख्या 55		Demand55	13.62	71.01	84.63	9.04	74.56	83.60	13.53	79.19	92.72
प्रसारण	2221	*Broadcasting*	*81.55*	*243.57*	*325.12*	*58.96*	*230.12*	*289.08*	*122.38*	*268.72*	*391.10*
मांग संख्या 56		Demand56	81.55	243.57	325.12	58.96	230.12	289.08	122.38	268.72	391.10
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225	*Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes*	*15.18*	*3.27*	*18.45*	*16.12*	*3.47*	*19.59*	*25.40*	*4.08*	*29.48*
मांग संख्या 57		Demand57	0.10	0.60	0.70	0.04	0.60	0.64	0.11	0.60	0.71
मांग संख्या 82		Demand82	15.08	2.67	17.75	16.08	2.87	18.95	25.29	3.48	28.77
श्रम तथा रोजगार	2230	*Labour & Employment*	*40.49*	*271.54*	*312.03*	*18.52*	*267.09*	*285.61*	*33.80*	*319.17*	*352.97*
मांग संख्या 10		Demand10	...	23.87	23.87	...	23.87	23.87	...	24.00	24.00
मांग संख्या 57		Demand57	40.49	247.67	288.16	18.52	243.22	261.74	33.80	295.17	328.97
मांग संख्या 76		Demand76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235	*Social Security and Welfare*	*115.75*	*230.14*	*345.89*	*104.80*	*215.81*	*320.61*	*181.53*	*237.79*	*419.32*
मांग संख्या 25		Demand25	11.00	13.23	24.23	5.00	13.20	18.20	10.00	13.23	23.23
मांग संख्या 28		Demand28	...	6.14	6.14	...	3.33	3.33	...	3.81	3.81
मांग संख्या 45		Demand45	...	156.07	156.07	...	145.89	145.89	...	164.06	164.06
मांग संख्या 50		Demand50	74.25	36.24	110.49	69.25	36.24	105.49	124.22	37.75	161.97
मांग संख्या 82		Demand82	30.50	18.46	48.96	30.55	17.15	47.70	47.31	18.94	66.25
पोषाहार	2236	*Nutrition*	*1.51*	*2.00*	*3.51*	*1.20*	*1.88*	*3.08*	*1.79*	*2.03*	*3.82*
मांग संख्या 38		Demand38	1.51	2.00	3.51	1.20	1.88	3.08	1.79	2.03	3.82
अन्य सामाजिक सेवाएं	2250	*Other Social Services*	...	*1.50*	*1.50*	...	*1.50*	*1.50*	...	*1.57*	*1.57*
मांग संख्या 45		Demand45	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
मांग संख्या 82		Demand82	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.82	0.82
मांग संख्या 85		Demand85	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	2251	*Secretariat-Social Services*	*1.10*	*25.21*	*26.31*	*0.92*	*25.63*	*26.55*	*1.40*	*27.24*	*28.64*
मांग संख्या 40		Demand40	...	2.88	2.88	...	3.07	3.07	...	3.14	3.14
मांग संख्या 41		Demand41	...	0.90	0.90	...	0.84	0.84	...	0.93	0.93
मांग संख्या 47		Demand47	0.39	6.20	6.59	0.39	6.20	6.59	0.45	6.50	6.95
मांग संख्या 48		Demand48	...	1.51	1.51	...	1.51	1.51	0.20	1.70	1.90
मांग संख्या 49		Demand49	0.38	2.50	2.88	0.37	2.25	2.62	0.50	2.39	2.89
मांग संख्या 50		Demand50	...	1.75	1.75	...	1.75	1.75	...	1.90	1.90
मांग संख्या 55		Demand55	0.18	3.61	3.79	0.01	3.92	3.93	0.10	3.93	4.03
मांग संख्या 57		Demand57	...	3.17	3.17	...	3.34	3.34	...	3.80	3.80
मांग संख्या 82		Demand82	0.15	2.69	2.84	0.15	2.75	2.90	0.15	2.95	3.10
ग. आर्थिक सेवाएं		**C. ECONOMIC SERVICES**	**4621.91**	**12928.56**	**17550.47**	**2585.49**	**14656.66**	**17242.15**	**2878.10**	**13024.00**	**15902.10**
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप		*(a) Agriculture and Allied Activities*	*403.84*	*4376.37*	*4780.21*	*456.01*	*5112.78*	*5568.79*	*532.87*	*5600.92*	*6133.79*
कृषि कार्य	2401	*Crop Husbandry*	*55.87*	*771.60*	*827.47*	*128.67*	*772.34*	*901.01*	*119.18*	*1124.43*	*1243.61*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 1		Demand1	54.37	20.30	74.67	127.17	21.93	149.10	118.18	22.98	141.16
मांग संख्या 6		Demand6	...	750.00	750.00	...	750.00	750.00	...	1100.00	1100.00
मांग संख्या 11		Demand11	1.50	1.30	2.80	1.50	0.41	1.91	1.00	1.45	2.45
मृदा तथा जल संरक्षण	2402	*Soil and Water Conservation*	*6.59*	*0.50*	*7.09*	*5.36*	*0.48*	*5.84*	*9.47*	*0.51*	*9.98*
मांग संख्या 2		Demand2	6.59	0.50	7.09	5.36	0.48	5.84	9.47	0.51	9.98
पशु पालन	2403	*Animal Husbandry*	*8.12*	*4.68*	*12.80*	*9.90*	*4.39*	*14.29*	*9.84*	*4.38*	*14.22*
मांग संख्या 4		Demand4	8.12	4.68	12.80	9.90	4.39	14.29	9.84	4.38	14.22
डेयरी विकास	2404	Dairy Development	42.52	13.75	56.27	5.67	7.01	12.68	33.61	7.36	40.97
मांग संख्या 4		Demand4	42.52	13.75	56.27	5.67	7.01	12.68	33.61	7.36	40.97
मत्स्य पालन	2405	Fisheries	17.87	6.44	24.31	14.52	6.32	20.84	21.23	6.61	27.84
मांग संख्या 2		Demand2	6.87	4.38	11.25	4.51	4.10	8.61	8.73	4.21	12.94
मांग संख्या 39		Demand39	11.00	2.06	13.06	10.01	2.22	12.23	12.50	2.40	14.90
वानिकी तथा वन्यजीवन	2406	*Forestry and Wild Life*	*38.35*	*13.79*	*52.14*	*31.18*	*13.35*	*44.53*	*43.80*	*14.80*	*58.60*
मांग संख्या 23		Demand23	38.35	13.79	52.14	31.18	13.35	44.53	43.80	14.80	58.60
बागान	2407	Plantations	31.68	25.32	57.00	31.68	26.30	57.98	39.00	30.42	69.42
मांग संख्या 11		Demand11	31.68	25.32	57.00	31.68	26.30	57.98	39.00	30.42	69.42
खाद्य, भंडारण तथा भांडागारण	2408	*Food, Storage and Warehousing*	*9.15*	*2357.37*	*2366.52*	*7.17*	*2607.13*	*2614.30*	*14.14*	*2727.75*	*2741.89*
मांग संख्या 9		Demand9	0.45	0.48	0.93	0.25	0.48	0.73	1.88	0.55	2.43
मांग संख्या 16		Demand16	...	0.45	0.45	...	0.44	0.44	...	0.43	0.43
मांग संख्या 38		Demand38	3.77	2355.87	2359.64	3.31	2605.69	2609.00	5.12	2726.20	2731.32
मांग संख्या 39		Demand39	4.93	0.55	5.48	3.61	0.50	4.11	7.14	0.55	7.69
मांग संख्या 69		Demand69	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2415	*Agricultural Research and Education*	*153.20*	*172.50*	*325.70*	*153.64*	*164.92*	*318.56*	*189.95*	*173.58*	*363.53*
मांग संख्या 3		Demand3	153.20	172.50	325.70	153.64	164.92	318.56	189.95	173.58	363.53
कृषि वित्तीय संस्थाएं	2416	*Agricultural financial Institutions*	*15.00*	*4.49*	*19.49*	*48.00*	*4.49*	*52.49*	*30.00*	*4.83*	*34.83*
मांग संख्या 27		Demand27	15.00	4.49	19.49	48.00	4.49	52.49	30.00	4.83	34.83
सहकारिता	2425	Cooperation	23.49	...	23.49	18.39	...	18.39	19.65	...	19.65
मांग संख्या 2		Demand2	23.49	...	23.49	18.39	...	18.39	19.65	...	19.65
अन्य कृषि कार्यक्रम	2435	*Other Agricultural Programmes*	*2.00*	*1005.93*	*1007.93*	*1.83*	*1506.05*	*1507.88*	*3.00*	*1506.25*	*1509.25*
मांग संख्या 1		Demand1	...	1000.00	1000.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00
मांग संख्या 69		Demand69	2.00	5.93	7.93	1.83	6.05	7.88	3.00	6.25	9.25
(ख) ग्रामीण विकास		*(b) Rural Development*	*2506.45*	*3.57*	*2510.02*	*396.50*	*3.43*	*399.93*	*411.68*	*3.58*	*415.26*
ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम	2501	*Special Programmes for Rural Development*	*376.77*	*0.44*	*377.21*	*356.32*	*0.34*	*356.66*	*355.19*	*0.38*	*355.57*
मांग संख्या 64		Demand64	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.24	...	0.24
मांग संख्या 69		Demand69	376.62	0.44	377.06	356.17	0.34	356.51	354.95	0.38	355.33
ग्रामीण रोजगार	2505	*Rural Employment*	*2100.00*	*0.16*	*2100.16*	*12.93*	*0.18*	*13.11*	*13.64*	*0.18*	*13.82*
मांग संख्या 69		Demand69	2100.00	0.16	2100.16	12.93	0.18	13.11	13.64	0.18	13.82
भूमि सुधार	2506	*Land Reforms*	*2.21*	...	*2.21*	*2.21*	...	*2.21*	*8.71*	...	*8.71*
मांग संख्या 69		Demand69	2.21	...	2.21	2.21	...	2.21	8.71	...	8.71
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515	*Other Rural Development Programmes*	*27.47*	*2.97*	*30.44*	*25.04*	*2.91*	*27.95*	*34.14*	*3.02*	*37.16*
मांग संख्या 69		Demand69	27.47	2.97	30.44	25.04	2.91	27.95	34.14	3.02	37.16
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		*(c) Special Areas Programmes*	*15.07*	...	*15.07*	*13.55*	...	*13.55*	*15.97*	...	*15.97*
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	2552	*North Eastern Areas*	*15.07*	...	*15.07*	*13.55*	...	*13.55*	*15.97*	...	*15.97*
मांग संख्या 45		Demand45	15.07	...	15.07	13.55	...	13.55	15.97	...	15.97
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		*(d) Irrigation and Flood Control*	*49.87*	*51.92*	*101.79*	*39.74*	*52.52*	*92.26*	*108.82*	*55.42*	*164.24*
वृहद और मध्यम सिंचाई	2701	*Major and Medium Irrigation*	*16.06*	*25.61*	*41.67*	*11.43*	*25.76*	*37.19*	*27.96*	*27.11*	*55.07*
मांग संख्या 81		Demand81	16.06	25.61	41.67	11.43	25.76	37.19	27.96	27.11	55.07
लघु सिंचाई	2702	*Minor Irrigation*	*17.70*	*16.86*	*34.56*	*15.53*	*17.09*	*32.62*	*39.33*	*18.25*	*57.58*
मांग संख्या 81		Demand81	17.70	16.86	34.56	15.53	17.09	32.62	39.33	18.25	57.58
कमान क्षेत्र विकास	2705	*Command Areas Development*	*0.20*	...	*0.20*	*0.18*	...	*0.18*	*2.20*	...	*2.20*
मांग संख्या 81		Demand81	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	2.20	...	2.20
बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी	2711	*Flood Control & Drainage*	*15.91*	*9.45*	*25.36*	*12.60*	*9.67*	*22.27*	*39.33*	*10.06*	*49.39*
मांग संख्या 70		Demand70	2.00	...	2.00	1.40	...	1.40	...	...	...
मांग संख्या 81		Demand81	13.91	9.45	23.36	11.20	9.67	20.87	39.33	10.06	49.39
(ङ) ऊर्जा		*(e) Energy*	*141.60*	*539.45*	*681.05*	*124.71*	*647.50*	*772.21*	*150.94*	*455.88*	*606.82*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (in crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate			बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विद्युत	2801	Power	57.07	325.98	383.05	47.27	444.22	491.49	47.91	235.58	283.49
मांग संख्या 67		Demand67	57.07	303.37	360.44	47.27	364.12	411.39	47.91	115.68	163.59
मांग संख्या 84		Demand84	...	22.61	22.61	...	80.10	80.10	...	119.90	119.90
पेट्रोलियम	2802	Petroleum	...	100.00	100.00	...	89.81	89.81	...	100.00	100.00
मांग संख्या 63		Demand63	...	100.00	100.00	...	89.81	89.81	...	100.00	100.00
कोयला और लिग्नाइट	2803	Coal and Lignite	15.55	113.47	129.02	13.80	113.47	127.27	15.00	120.30	135.30
मांग संख्या 10		Demand10	15.55	113.47	129.02	13.80	113.47	127.27	15.00	120.30	135.30
ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत	2810	Non-Conventional Sources of Energy	68.98	...	68.98	63.64	...	63.64	88.03	...	88.03
मांग संख्या 43		Demand43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 69		Demand68	68.98	...	68.98	63.64	...	63.64	88.03	...	88.03
(च) उद्योग और खनिज		(f) Industry and Minerals	543.80	3948.76	4492.56	709.53	4401.69	5111.22	646.74	3682.29	4329.03
ग्रामीण और लघु उद्योग	2851	Village and Small Industies	285.32	119.08	404.40	270.93	118.06	388.99	361.28	122.68	483.96
मांग संख्या 54		Demand54	181.06	97.77	278.83	169.67	97.55	267.22	197.59	99.64	297.23
मांग संख्या 77		Demand77	104.26	21.31	125.57	101.26	20.51	121.77	163.69	23.04	186.73
उद्योग	2852	Industries	132.29	3729.16	3861.45	111.52	4194.30	4305.82	126.49	3477.50	3603.99
मांग संख्या 5		Demand5	0.51	12.15	12.66	0.50	10.00	10.50	4.06	6.97	11.03
मांग संख्या 6		Demand6	21.93	3250.55	3272.48	17.81	3652.51	3670.32	14.80	2932.45	2947.25
मांग संख्या 9		Demand9	2.75	0.13	2.88	2.50	0.04	2.54	1.91	0.04	1.95
मांग संख्या 16		Demand16	...	19.99	19.99	...	19.99	19.99	...	...	...
मांग संख्या 51		Demand51	9.25	23.50	32.75	7.90	22.83	30.73	9.35	90.46	99.81
मांग संख्या 52		Demand52	7.90	39.74	47.64	7.11	38.36	45.47	9.30	19.31	28.61
मांग संख्या 53		Demand53	...	0.11	0.11	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
मांग संख्या 73		Demand73	2.90	22.17	25.07	2.70	20.98	23.68	...	11.60	11.60
मांग संख्या 76		Demand76	2.55	12.00	14.55	2.25	7.70	9.95	3.62	22.01	25.63
मांग संख्या 77		Demand77	4.35	313.47	317.82	4.35	322.77	327.12	6.70	330.02	336.72
मांग संख्या 83		Demand83	...	27.13	27.13	...	90.38	90.38	...	55.63	55.63
मांग संख्या 85		Demand85	80.15	8.22	88.37	66.40	8.61	75.01	76.75	8.88	85.63
अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2853	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	43.09	90.43	133.52	42.00	93.90	135.90	43.97	80.02	123.99
मांग संख्या 60		Demand60	43.09	90.43	133.52	42.00	93.90	135.90	43.97	80.02	123.99
अन्य उद्योग	2875	Other Industries	...	7.99	7.99	...	-6.67	-6.67	...	-3.01	-3.01
मांग संख्या 34		Demand35	...	7.99	7.99	...	-6.67	-6.67	...	-3.01	-3.01
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885	Other outlays on Industries and Minerals	83.10	2.10	85.20	285.08	2.10	287.18	115.00	5.10	120.10
मांग संख्या 27		Demand27	48.10	2.10	50.20	50.08	2.10	52.18	55.00	5.10	60.10
मांग संख्या 51		Demand51	35.00	...	35.00	235.00	...	235.00	60.00	...	60.00
(छ) परिवहन		(g) Transport	38.54	600.16	638.70	19.33	578.93	598.26	34.47	648.32	682.79
पत्तन तथा दीप स्तम्भ	3051	Ports & Light Houses	0.30	44.10	44.40	0.30	36.19	36.49	0.20	40.00	40.20
मांग संख्या 76		Demand76	0.30	44.10	44.40	0.30	36.19	36.49	0.20	40.00	40.20
नौवहन	3052	Shipping	...	42.85	42.85	...	42.06	42.06	...	50.64	50.64
मांग संख्या 27		Demand27	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	11.49	11.49
मांग संख्या 76		Demand76	...	38.35	38.35	...	37.56	37.56	...	39.15	39.15
नागर विमानन	3053	Civil Aviation	0.73	26.01	26.74	0.63	23.62	24.25	1.24	22.35	23.59
मांग संख्या 7		Demand7	0.73	26.01	26.74	0.63	23.62	24.25	1.24	22.35	23.59
सड़क और पुल	3054	Road and Bridges	15.00	195.19	210.19	5.20	189.45	194.65	18.80	209.98	228.78
मांग संख्या 29		Demand30	...	3.21	3.21	...	3.08	3.08	...	3.08	3.08
मांग संख्या 44		Demand44	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
मांग संख्या 72		Demand75	15.00	191.93	206.93	5.20	186.32	191.52	18.80	206.85	225.65
सड़क परिवहन	3055	Road Transport	3.90	...	3.90	3.70	...	3.70	1.75	...	1.75
मांग संख्या 74		Demand74	3.90	...	3.90	3.70	...	3.70	1.75	...	1.75
अन्तर्देशीय जल परिवहन	3056	Inland Water Transport	18.61	1.39	20.00	7.50	1.39	8.89	12.48	1.49	13.97
मांग संख्या 74		Demand74	18.61	1.39	20.00	7.50	1.39	8.89	12.48	1.49	13.97
अन्य परिवहन सेवाएं	3075	Other Transport Services	...	290.62	290.62	2.00	286.22	288.22	...	323.86	323.86
मांग संख्या 7		Demand7	...	0.72	0.72	...	0.67	0.67	...	0.80	0.80
मांग संख्या 25		Demand25	...	278.75	278.75	...	275.62	275.62	...	314.11	314.11
मांग संख्या 74		Demand74	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
मांग संख्या 81		Demand81	...	11.15	11.15	...	9.93	9.93	...	8.95	8.95
(ज) संचार		(h) Communications	21.44	92.40	113.84	16.95	160.78	177.73	70.17	252.46	322.63
डाक सेवाएं	3201	Postal Services	9.40	84.00	93.40	9.38	150.00	159.38	12.10	243.00	255.10
मांग संख्या 14		Demand14	9.40	84.00	93.40	9.38	150.00	159.38	12.10	243.00	255.10

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध

ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
दूर संचार सेवाएं	3225	*Telecommunication Services*	...	*-1872.57*	*-1872.57*	...	*-1634.50*	*-1634.50*	...	*-1711.67*	*-1711.67*
मांग संख्या 15		Demand15	...	-1872.57	-1872.57	...	-1634.50	-1634.50	...	-1711.67	-1711.67
सामान्य राजस्व में लाभांश	3230	*Dividends to General revenues*	...	*198.00*	*198.00*	...	*203.62*	*203.62*	...	*224.67*	*224.67*
मांग संख्या 15		Demand15	...	198.00	198.00	...	203.62	203.62	...	224.67	224.67
दूर संचार से विनियोजन अधिशेष	3231	*Appropriations from Telecommuniation Surplus*	...	*1674.57*	*1674.57*	...	*1430.88*	*1430.88*	...	*1487.00*	*1487.00*
मांग संख्या 15		Demand15	...	1674.57	1674.57	...	1430.88	1430.88	...	1487.00	1487.00
उपग्रह प्रणाली	3252	Satellite Systems	10.32	2.95	13.27	5.85	2.88	8.73	53.57	3.39	56.96
मांग संख्या 87		Demand87	10.32	2.95	13.27	5.85	2.88	8.73	53.57	3.39	56.96
अन्य संचार सेवाएं	3275	*Other Communication Services*	*1.72*	*5.45*	*7.17*	*1.72*	*7.90*	*9.62*	*4.50*	*6.07*	*10.57*
मांग संख्या 13		Demand13	1.72	5.45	7.17	1.72	7.90	9.62	4.50	6.07	10.57
मांग संख्या 15		Demand15	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(छ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण		*(i) Science Technology and Environment*	*651.81*	*566.64*	*1218.45*	*581.32*	*553.90*	*1135.22*	*700.76*	*623.41*	*1324.17*
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401	*Atomic Energy Research*	*50.61*	*191.03*	*241.64*	*47.56*	*183.28*	*230.84*	*48.32*	*213.02*	*261.34*
मांग संख्या 83		Demand83	50.61	191.03	241.64	47.56	183.28	230.84	48.32	213.02	261.34
अन्तरिक्ष अनुसंधान	3402	*Space Research*	*217.10*	*107.63*	*324.73*	*192.36*	*107.69*	*300.05*	*212.99*	*130.03*	*343.02*
मांग संख्या 87		Demand87	217.10	107.63	324.73	192.36	107.69	300.05	212.99	130.03	343.02
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403	*Oceanographic Research*	*28.20*	*7.62*	*35.82*	*26.19*	*7.61*	*33.80*	*30.12*	*8.49*	*38.61*
मांग संख्या 86		Demand86	28.20	7.62	35.82	26.19	7.61	33.80	30.12	8.49	38.61
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425	*Other Scientific Research*	*251.44*	*236.63*	*488.07*	*225.00*	*233.69*	*458.69*	*294.71*	*249.16*	*543.87*
मांग संख्या 12		Demand12	3.54	2.67	6.21	1.92	2.70	4.62	2.34	2.99	5.33
मांग संख्या 70		Demand70	88.10	88.86	176.96	79.69	87.78	167.47	106.29	92.21	198.50
मांग संख्या 71		Demand71	98.50	143.46	241.96	91.65	141.81	233.46	115.28	152.49	267.77
मांग संख्या 72		Demand72	61.30	1.64	62.94	51.74	1.40	53.14	70.80	1.47	72.27
पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण	3435	*Ecology and Environment*	*104.46*	*23.73*	*128.19*	*90.21*	*21.63*	*111.84*	*114.62*	*22.71*	*137.33*
मांग संख्या 23		Demand23	104.46	23.73	128.19	90.21	21.63	111.84	114.62	22.71	137.33
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं		*(j) General Economic Services*	*249.49*	*2749.29*	*2998.78*	*227.85*	*3145.13*	*3372.98*	*205.68*	*1701.72*	*1907.40*
सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	*Secretariat-Economic Services*	*31.63*	*93.94*	*125.57*	*31.15*	*94.15*	*125.30*	*32.99*	*102.79*	*135.78*
मांग संख्या 1		Demand1	0.58	6.65	7.23	0.53	6.51	7.04	1.23	6.99	8.22
मांग संख्या 3		Demand3	0.80	0.50	1.30	0.70	0.45	1.15	0.05	0.42	0.47
मांग संख्या 4		Demand4	0.17	0.91	1.08	0.17	0.92	1.09	0.21	1.07	1:28
मांग संख्या 5		Demand5	...	1.25	1.25	...	1.18	1.18	...	1.40	1.40
मांग संख्या 6		Demand6	...	1.65	1.65	...	1.54	1.54	...	1.70	1.70
मांग संख्या 7		Demand7	...	1.78	1.78	...	1.66	1.66	...	1.90	1.90
मांग संख्या 9		Demand8	...	0.08	0.08	...	0.15	0.15	...	0.16	0.16
मांग संख्या 9		Demand9	0.04	1.64	1.68	0.04	1.64	1.68	0.04	1.80	1.84
मांग संख्या 10		Demand10	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.70	1.70
मांग संख्या 11		Demand11	...	5.78	5.78	...	5.59	5.59	...	6.34	6.34
मांग संख्या 13		Demand13	...	0.90	0.90	...	1.08	1.08	...	1.01	1.01
मांग संख्या 23		Demand23	0.03	2.04	2.07	...	2.32	2.32	...	2.20	2.20
मांग संख्या 38		Demand38	...	3.97	3.97	...	3.70	3.70	...	4.10	4.10
मांग संख्या 39		Demand39	0.70	1.81	2.51	0.60	1.30	1.90	0.60	1.47	2.07
मांग संख्या 51		Demand51	0.15	4.65	4.80	0.15	4.75	4.90	0.10	4.95	5.05
मांग संख्या 52		Demand52	...	1.48	1.48	...	1.42	1.42	...	1.49	1.49
मांग संख्या 53		Demand53	...	1.27	1.27	...	1.14	1.14	...	1.28	1.28
मांग संख्या 59		Demand59	...	2.35	2.35	...	2.34	2.34	...	2.75	2.75
मांग संख्या 60		Demand60	...	1.63	1.63	...	1.57	1.57	...	1.71	1.71
मांग संख्या 63		Demand63	...	1.68	1.68	...	1.78	1.78	...	1.96	1.96
मांग संख्या 64		Demand64	26.71	10.73	37.44	26.66	10.77	37.43	28.10	12.30	40.40
मांग संख्या 65		Demand65	...	1.16	1.16	...	1.25	1.25	...	1.29	1.29
मांग संख्या 67		Demand67	...	1.89	1.89	...	2.25	2.25	...	2.36	2.36
मांग संख्या 68		Demand68	1.14	1.36	2.50	1.14	1.36	2.50	1.34	1.43	2.77
मांग संख्या 69		Demand69	...	2.22	2.22	...	2.34	2.34	...	2.45	2.45
मांग संख्या 70		Demand70	...	5.35	5.35	...	5.54	5.54	...	5.96	5.96
मांग संख्या 71		Demand71	...	0.77	0.77	...	0.77	0.77	...	0.81	0.81
मांग संख्या 72		Demand72	...	1.41	1.41	...	1.51	1.51	...	1.59	1.59
मांग संख्या 73		Demand73	...	1.86	1.86	...	1.74	1.74	...	1.94	1.94

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

Estimate	मुख्य शीर्ष		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate			बजट अनुमान 1991-92 Budget		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
मांग संख्या 74		Demand74	...	11.06	11.06	...	11.04	11.04	...	11.65	11.65
मांग संख्या 77		Demand77	...	1.05	1.05	...	1.40	1.40	...	1.54	1.54
मांग संख्या 81		Demand81	0.30	3.09	3.39	0.25	3.33	3.58	0.30	3.50	3.80
मांग संख्या 83		Demand83	...	3.60	3.60	...	3.35	3.35	...	4.00	4.00
मांग संख्या 85		Demand85	1.00	3.40	4.40	0.90	3.40	4.30	1.00	3.77	4.77
मांग संख्या 86		Demand86	...	0.54	0.54	...	0.52	0.52	...	0.72	0.72
मांग संख्या 87		Demand87	0.01	0.93	0.94	0.01	1.04	1.05	0.02	1.08	1.10
पर्यटन	*3452*	*Tourism*	*46.58*	*13.76*	*60.34*	*42.26*	*13.69*	*55.95*	*50.60*	*13.24*	*63.84*
मांग संख्या 9		Demand8	46.58	13.76	60.34	42.26	13.69	55.95	50.60	13.24	63.84
विदेश व्यापार और	*3453*	*Foreign Trade*									
निर्यात संवर्धन		*and Export Promotion*	*9.49*	*2392.25*	*2401.74*	*7.72*	*2803.25*	*2810.97*	*18.25*	*1337.26*	*1355.51*
मांग संख्या 11		Demand11	9.49	2392.08	2401.57	7.72	2803.08	2810.80	18.25	1337.09	1355.34
मांग संख्या 77		Demand77	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
मांग संख्या 85		Demand85	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14
जनगणना, सर्वेक्षण तथा	*3454*	*Census, Survey*									
सांख्यिकी		*and Statistics*	*19.82*	*178.55*	*198.37*	*18.32*	*164.51*	*182.83*	*19.51*	*170.85*	*190.36*
मांग संख्या 42		Demand42	6.31	139.86	146.17	6.31	125.63	131.94	8.50	130.00	138.50
मांग संख्या 65		Demand65	13.51	38.69	52.20	12.01	38.88	50.89	11.01	40.85	51.86
मौसम विज्ञान	*3455*	*Meteorology*	*3.50*	*40.33*	*43.83*	*2.44*	*38.96*	*41.40*	*3.50*	*40.78*	*44.28*
मांग संख्या 70		Demand70	3.50	40.33	43.83	2.44	38.96	41.40	3.50	40.78	44.28
नागरिक पूर्ति	*3456*	*Civil Supplies*	*0.73*	*10.25*	*10.98*	*0.73*	*10.25*	*10.98*	*1.19*	*15.28*	*16.47*
मांग संख्या 9		Demand9	0.73	0.25	0.98	0.73	0.25	0.98	1.19	0.28	1.47
मांग संख्या 77		Demand77	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	*3466*	*International Financial*									
		Institutions	...	*0.25*	*0.25*	...	*0.28*	*0.28*	...	*0.35*	*0.35*
मांग संख्या 27		Demand27	...	0.25	0.25	...	0.28	0.28	...	0.35	0.35
अन्य सामान्य आर्थिक	*3475*	*Other General*									
सेवाएं		*Economic Services*	*137.74*	*19.96*	*157.70*	*125.23*	*20.04*	*145.27*	*79.64*	*21.17*	*100.81*
मांग संख्या 9		Demand9	0.18	0.94	1.12	0.18	0.94	1.12	0.19	0.99	1.18
मांग संख्या 25		Demand25	17.65	8.02	25.67	17.65	8.18	25.83	15.00	8.09	23.09
मांग संख्या 35		Demand35	...	0.06	0.06	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 51		Demand51	0.60	3.40	4.00	0.55	3.40	3.95	0.55	3.84	4.39
मांग संख्या 59		Demand59	...	6.64	6.64	...	6.65	6.65	...	7.24	7.24
मांग संख्या 64		Demand64	4.81	0.90	5.71	4.43	0.86	5.29	5.00	1.00	6.00
मांग संख्या 78		Demand78	114.50	...	114.50	102.42	...	102.42	58.90	...	58.90
घ-सहायता अनुदान और	**D-GRANS-IN-AID AND**										
अंशदान		**CONTRIBUTIONS**	**8171.55**	**3448.49**	**11620.04**	**10009.70**	**3392.44**	**13402.14**	**12394.35**	**3021.34**	**15415.69**
राज्य सरकारों को	*3601*	*Grants in aid to State*									
सहायता अनुदान		*Governments*	*8112.59*	*3196.34*	*11308.93*	*9953.95*	*3113.39*	*13067.34*	*12329.92*	*2776.71*	*15106.63*
मांग संख्या 1		Demand1	420.69	1.50	422.19	377.16	2.35	379.51	483.14	2.50	485.64
मांग संख्या 2		Demand2	91.74	...	91.74	94.55	...	94.55	95.07	...	95.07
मांग संख्या 4		Demand4	31.82	0.15	31.97	29.94	0.15	30.09	57.22	0.25	57.47
मांग संख्या 7		Demand7	...	45.81	45.81	...	45.50	45.50	...	15.50	15.50
मांग संख्या 9		Demand9	0.99	...	0.99	0.94	...	0.94	0.94	...	0.94
मांग संख्या 23		Demand23	82.53	...	82.53	81.03	...	81.03	132.90	...	132.90
मांग संख्या 30		Demand30	4562.40	2476.83	7039.23	4507.81	2431.20	6939.01	5603.73	2138.68	7742.41
मांग संख्या 33		Demand33	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
मांग संख्या 38		Demand38	0.98	...	0.98	0.89	...	0.89	1.51	...	1.51
मांग संख्या 39		Demand39	1.72	...	1.72	1.61	...	1.61	5.75	...	5.75
मांग संख्या 40		Demand40	149.60	...	149.60	138.55	...	138.55	152.82	...	152.82
मांग संख्या 41		Demand41	618.75	...	618.75	712.25	...	712.25	671.40	...	671.40
मांग संख्या 42		Demand42	...	34.24	34.24	...	34.24	34.24	...	36.80	36.80
मांग संख्या 44		Demand44	...	12.80	12.80	...	17.80	17.80	...	18.80	18.80
मांग संख्या 45		Demand45	56.38	101.15	157.53	55.02	89.80	144.82	73.59	100.84	174.43
मांग संख्या 47		Demand47	453.32	119.07	572.39	384.99	97.96	482.95	461.14	84.64	545.78
मांग संख्या 48		Demand48	12.54	12.93	25.47	11.60	12.69	24.29	10.46	13.14	23.60
मांग संख्या 49		Demand49	0.15	0.69	0.84	0.10	0.67	0.77	0.25	0.69	0.94
मांग संख्या 50		Demand50	253.54	...	253.54	242.04	...	242.04	273.80	...	273.80
मांग संख्या 51		Demand51	4.90	...	4.90	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 54		Demand54	23.28	...	23.28	22.88	...	22.88	23.01	...	23.01
मांग संख्या 57		Demand57	44.40	0.19	44.59	27.51	0.19	27.70	50.05	...	50.05
मांग संख्या 58		Demand58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 64		Demand64	4.02	...	4.02	3.33	...	3.33	4.88	...	4.88
मांग संख्या 65		Demand65	1.85	...	1.85	1.60	...	1.60	3.23	...	3.23
मांग संख्या 67		Demand67	6.04	...	6.04	5.94	...	5.94	4.04	...	4.04
मांग संख्या 68		Demand68	48.49	...	48.49	45.57	...	45.57	54.36	...	54.36
मांग संख्या 69		Demand69	496.74	0.20	496.94	2471.06	0.20	2471.26	3007.50	0.25	3007.75
मांग संख्या 75		Demand75	15.00	143.05	158.05	11.23	143.16	154.39	16.20	151.02	167.22
मांग संख्या 76		Demand76	0.25	...	0.25	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएँ

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध

ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 77	Demand77	11.02	219.00	230.02	9.02	186.00	195.02	14.60	202.91	217.51
मांग संख्या 78	Demand78	30.27	21.50	51.77	30.61	17.50	48.11	79.08	7.50	86.58
मांग संख्या 81	Demand81	130.50	4.56	135.06	127.94	31.31	159.25	144.70	0.60	145.30
मांग संख्या 82	Demand82	558.48	2.67	561.15	558.48	2.67	561.15	653.85	2.59	656.44
मांग संख्या 85	Demand85	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	*3602 Grants in aid to Union Territory Governments*	*58.61*	*55.74*	*114.35*	*55.43*	*49.97*	*105.40*	*64.08*	*56.99*	*121.07*
मांग संख्या 1	Demand1	0.24	...	0.24	0.68	...	0.68	1.04	...	1.04
मांग संख्या 2	Demand2	0.44	...	0.44	0.16	...	0.16	0.36	...	0.36
मांग संख्या 4	Demand4	0.77	...	0.77	0.70	...	0.70	1.31	...	1.31
मांग संख्या 9	Demand9	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
मांग संख्या 23	Demand23	1.82	...	1.82	1.92	...	1.92	1.21	...	1.21
मांग संख्या 38	Demand38	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
मांग संख्या 39	Demand39	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	...	...	...
मांग संख्या 40	Demand40	0.30	...	0.30	0.22	...	0.22	0.36	...	0.36
मांग संख्या 41	Demand41	0.66	...	0.66	0.66	...	0.66	0.63	...	0.63
मांग संख्या 45	Demand45	...	5.01	5.01	...	2.01	2.01	...	4.01	4.01
मांग संख्या 46	Demand46	38.76	49.53	88.29	35.92	46.76	82.68	45.51	51.50	97.01
मांग संख्या 47	Demand47	6.37	0.01	6.38	4.96	0.01	4.97	3.72	0.01	3.73
मांग संख्या 48	Demand48	0.51	0.01	0.52	0.11	0.01	0.12	0.51	0.01	0.52
मांग संख्या 49	Demand49	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04
मांग संख्या 50	Demand50	0.81	...	0.81	0.81	...	0.81	0.98	...	0.98
मांग संख्या 51	Demand51	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 54	Demand54	0.42	...	0.42	0.42	...	0.42	0.24	...	0.24
मांग संख्या 57	Demand57	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
मांग संख्या 64	Demand64	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.08	...	0.08
मांग संख्या 65	Demand65	0.08	...	0.08	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
मांग संख्या 68	Demand68	0.27	...	0.27	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31
मांग संख्या 69	Demand69	1.70	...	1.70	3.23	...	3.23	4.07	...	4.07
मांग संख्या 77	Demand77	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.40	1.40
मांग संख्या 78	Demand78	1.66	...	1.66	1.73	...	1.73	0.82	...	0.82
मांग संख्या 81	Demand81	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25
मांग संख्या 82	Demand82	3.32	0.07	3.39	3.32	0.07	3.39	2.53	0.05	2.58
अन्य देशों के साथ तकनीकी व आर्थिक सहयोग	*3605 Technical and Economic Cooperation with other countries*	*0.35*	*189.81*	*190.16*	*0.32*	*222.48*	*222.80*	*0.35*	*181.04*	*181.39*
मांग संख्या 24	Demand24	...	178.79	178.79	...	211.46	211.46	...	168.94	168.94
मांग संख्या 25	Demand25	...	10.12	10.12	...	10.12	10.12	...	11.45	11.45
मांग संख्या 67	Demand67	0.35	...	0.35	0.32	...	0.32	0.35	...	0.35
मांग संख्या 74	Demand74	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
मांग संख्या 81	Demand81	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	...	...
सहायता सामग्री तथा उपकरण	*3606 Aid Material and Equipment*	...	*6.60*	*6.60*	...	*6.60*	*6.60*	...	*6.60*	*6.60*
मांग संख्या 47	Demand47	...	6.60	6.60	...	6.60	6.60	...	6.60	6.60
संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	*3710 Expenditure of U.T's*	*333.79*	*934.93*	*1268.72*	*303.40*	*978.57*	*1281.97*	*355.98*	*1001.46*	*1357.44*
मांग संख्या 93	Demand93	333.79	934.93	1268.72	303.40	978.57	1281.97	355.98	1001.46	1357.44
जोड़- (पूंजी और ऋण)	**TOTAL(CAPITAL AND LOANS)**	16167.33	12171.55	28338.88	15935.43	15815.55	31750.98	16656.86	15382.15	32039.01
पूंजी व्यय	***CAPITAL EXPENDITURE***	*6986.95*	*5969.20*	*12956.15*	*6684.02*	*5937.80*	*12621.82*	*6467.29*	*6369.38*	*12836.67*
क. सामान्य सेवाओं का पूंजी खाता	**A. CAPITAL ACCOUNT OF GENERAL SERVICES**	11.50	5292.57	5304.07	19.20	5184.74	5203.94	18.02	5725.85	5743.87
करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल पर पूंजी परिव्यय	*4046 Capital Outlay on Currency, Coinage and Mint*	...	*103.53*	*103.53*	...	*49.09*	*49.09*	...	*96.25*	*96.25*
मांग संख्या 26	Demand26	...	103.53	103.53	...	49.09	49.09	...	96.25	96.25
अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047 Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	165.78	165.78	...	147.49	147.49	...	156.18	156.18
मांग संख्या 26	Demand26	...	19.03	19.03	...	11.26	11.26	...	9.04	9.04
मांग संख्या 37	Demand37	...	146.75	146.75	...	136.23	136.23	...	147.14	147.14
लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूंजी परिव्यय	4058 Capital Outlay on Sationery and Printing	0.10	4.00	4.10	0.90	4.00	4.90	0.10	3.70	3.80
मांग संख्या 79	Demand79	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 80	Demand80	0.10	4.00	4.10	0.90	4.00	4.90	0.10	3.70	3.80

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध

ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सरकारी निर्माण कार्यों पर	4059	*Capital Outlay on*									
पूंजी परिव्यय		*Public Works*	*9.14*	*184.37*	*193.51*	*17.04*	*213.90*	*230.94*	*13.98*	*225.20*	*239.18*
मांग संख्या 16		Demand16	...	1.93	1.93	...	0.66	0.66	...	3.20	3.20
मांग संख्या 24		Demand24	...	52.00	52.00	...	47.00	47.00	...	48.50	48.50
मांग संख्या 42		Demand42	...	7.00	7.00	...	7.07	7.07	...	7.00	7.00
मांग संख्या 44		Demand44	...	96.03	96.03	...	128.56	128.56	...	120.00	120.00
मांग संख्या 62		Demand62	3.15	1.60	4.75	1.65	...	1.65	1.15	...	1.15
मांग संख्या 79		Demand79	5.99	25.81	31.80	15.19	30.61	45.80	12.83	46.50	59.33
अन्य प्रशासनिक सेवाओं	4070	*Capital Outlay on*									
पर पूंजी परिव्यय		*Other Administrative*									
		Services	*2.26*	...	*2.26*	*1.26*	...	*1.26*	*3.94*	...	*3.94*
मांग संख्या 33		Demand33	2.26	...	2.26	1.26	...	1.26	3.94	...	3.94
विविध सामान्य सेवाओं	4075	*Capital Outlay on*									
पर पूंजी परिव्यय		*Miscellaneous*									
		General Services	...	*33.00*	*33.00*	...	*32.70*	*32.70*	...	*33.30*	*33.30*
मांग संख्या 16		Demand16	...	3.00	3.00	...	2.70	2.07	...	3.30	3.30
मांग संख्या 36		Demand36	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
रक्षा सेवाओं पर पूंजी	4076	*Capital Outlay on*									
परिव्यय		*Defence Services*	...	*4801.89*	*4801.89*	...	*4737.56*	*4737.56*	...	*5211.22*	*5211.22*
मांग संख्या 22		Demand22	...	4801.89	4801.89	...	4737.56	4737.56	...	5211.22	5211.22
ख. सामाजिक सेवाओं का	**B. CAPITAL ACCOUNT**										
पूंजी खाता	**OF SOCIAL SERVICES**		**271.84**	**117.12**	**388.96**	**201.91**	**99.40**	**301.31**	**310.24**	**95.32**	**405.56**
शिक्षा, खेल, कला और	4202	*Capital Outlay on*									
संस्कृति पर पूंजी		*Education, Sports,*									
परिव्यय		*Art and Cultiure*	*15.73*	*20.05*	*35.78*	*6.62*	*20.05*	*26.67*	*10.88*	*0.01*	*10.89*
मांग संख्या 47		Demand47	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10
मांग संख्या 48		Demand48	2.23	0.05	2.28	1.93	0.05	1.98	2.18	0.01	2.19
मांग संख्या 49		Demand49	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	...	...
मांग संख्या 79		Demand79	13.00	...	13.00	4.19	...	4.19	8.60	...	8.60
चिकित्सा और लोक	4210	*Capital Outlay on*									
स्वास्थ्य पर पूंजी		*Medical and Public*									
परिव्यय		*Health*	*7.11*	*-1.12*	*5.99*	*6.13*	*-1.12*	*5.01*	*5.41*	*-1.12*	*4.29*
मांग संख्या 40		Demand40	0.45	-1.12	-0.67	0.40	-1.12	-0.72	0.51	-1.12	-0.61
मांग संख्या 79		Demand79	6.66	...	6.66	5.73	...	5.73	4.90	...	4.90
परिवार कल्याण पर पूंजी	4211	*Capital Outlay on*									
परिव्यय		*Family Welfare*	*0.08*	...	*0.08*	*0.15*	...	*0.15*	*0.15*	...	*0.15*
मांग संख्या 41		Demand41	0.03	...	0.03	0.03	....	0.03	0.10	...	0.10
मांग संख्या 79		Demand79	0.05	...	0.05	0.12	...	0.12	0.05	...	0.05
जल पूर्ति तथा सफाई पर	4215	*Capital Outlay on*									
पूंजी परिव्यय		*Water Supply and*									
		Sanitation	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*5.00*	...	*5.00*
मांग संख्या 79		Demand78	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
आवास पर पूंजी परिव्यय	4216	*Capital Outlay on*									
		Housing	*52.12*	*82.97*	*135.09*	*54.25*	*67.72*	*121.97*	*75.22*	*91.29*	*166.51*
मांग संख्या 16		Demand16	...	3.55	3.55	...	1.65	1.65	...	3.21	3.21
मांग संख्या 24		Demand24	...	15.00	15.00	...	8.30	8.30	...	7.00	7.00
मांग संख्या 42		Demand42	...	10.00	10.00	...	2.87	2.87	...	6.00	6.00
मांग संख्या 44		Demand44	...	14.73	14.73	...	12.80	12.80	...	20.00	20.00
मांग संख्या 78		Demand78	52.12	39.69	91.81	54.25	42.10	96.35	75.22	55.08	130.30
शहरी विकास पर पूंजी	4217	*Capital outlay on*									
परिव्यय		*Urban Development*	*12.00*	...	*12.00*	*12.00*	[illegible]	*12.00*	*18.50*	...	*18.50*
मांग संख्या 78		Demand78	12.00	...	12.00	12.00	[illegible]	12.00	18.50	...	18.50
सूचना और प्रचार पर पूंजी	4220	*Capital Outlay on*									
परिव्यय		*Information and*									
		Publicity	*5.35*	...	*5.35*	*4.41*	[illegible]	*4.41*	*4.20*	...	*4.20*
मांग संख्या 55		Demand55	5.35	...	5.35	4.41	[illegible]	4.41	4.20	...	4.20
प्रसारण पर पूंजी परिव्यय	4221	*Capital Outlay on*									
		Broadcasting	*168.45*	*15.09*	*183.54*	*105.01*	*13.21*	*118.22*	*163.05*	*5.09*	*168.14*
मांग संख्या 55		Demand56	168.45	15.09	183.54	105.01	13.21	118.22	163.05	5.09	168.14
अनुसूचित जाति, अनुसूचित	4225	*Capital Outlay on*									
जनजाति तथा अन्य		*Welfare of Scheduled*									
पिछड़े वर्गों के		*Castes, Scheduled*									
कल्याण पर		*Tribes and Other*									
पूंजी परिव्यय		*Backward Classes*	*8.00*	...	*8.00*	*8.00*	...	*8.00*	*18.00*	...	*18.00*
मांग संख्या 82		Demand82	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	18.00	...	18.00
सामाजिक सुरक्षा और	4235	*Capital Outlay on*									
कल्याण पर पूंजी		*Social Security*									
परिव्यय		*and Welfare*	*1.00*	*0.13*	*1.13*	*1.00*	*-0.46*	*0.54*	*1.00*	*0.05*	*1.05*
मांग संख्या 45		Demand45	...	0.13	0.13	...	-0.46	-0.46	...	0.05	0.05

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 50		Demand50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250	*Capital Outlay on Other Social Services*	...	...	...	*2.34*	...	*2.34*	*8.83*	...	*8.83*
मांग संख्या 57		Demand57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 79		Demand79	...	...	...	2 34	...	2.34	8.83	...	8.83
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता		**C. CAPITAL ACCOUNT OF ECONOMIC SERVICES**	**6394.29**	**573.80**	**6968.09**	**6166.64**	**680.60**	**6847.24**	**5740.06**	**566.28**	**6306.34**
(क) कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का पूंजी खाता		*(a)Capital Account of Agriculture and allied activities*	*64.72*	*0.37*	*65.09*	*53.31*	*0.28*	*53.59*	*74.76*	*0.28*	*75.04*
कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	4401	*Capital Outlay on Crop Husbandry*	*12.09*	*0.35*	*12.44*	*8.41*	*0.26*	*8.67*	*11.83*	*0.24*	*12.07*
मांग संख्या 1		Demand1	12.09	0.35	12.44	8.21	0.26	8.47	11.53	0.24	11.77
मांग संख्या 6		Demand6	...	...	...	0.10	...	0.10	0.30	...	0.30
मांग संख्या 79		Demand79	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...
भूमि तथा जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय	4402	*Capital Outlay on Soil and Water Conservation*	*0.80*	...	*0.80*	*0.72*	...	*0.72*	*0.95*	...	*0.95*
मांग संख्या 2		Demand2	0.80	...	0.80	0.72	...	0.72	0.95	...	0.95
पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403	*Capital Outlay on Animal Husbandry*	*4.14*	...	*4.14*	*3.04*	...	*3.04*	*3.15*	...	*3.15*
मांग संख्या 4		Demand4	3.20	...	3.20	2.08	...	2.08	1.60	...	1.60
मांग संख्या 79		Demand79	0.94	...	0.94	0.96	...	0.96	1.55	...	1.55
डेरी विकास पर पूंजी परिव्यय	4404	*Capital Outlay on Dairy Development*	*2.10*	...	*2.10*	*1.57*	...	*1.57*	*2.24*	...	*2.24*
मांग संख्या 4		Demand4	1.85	...	1.85	1.34	...	1.34	1.88	...	1.88
मांग संख्या 79		Demand79	0.25	...	0.25	0.23	...	0.23	0.36	...	0.36
मीन उद्योग पर पूंजी परिव्यय	4405	*Capital Outlay on Fisheries*	*4.80*	*0.01*	*4.81*	*1.09*	...	*1.09*	*5.73*	*0.01*	*5.74*
मांग संख्या 2		Demand2	4.30	...	4.30	0.65	...	0.65	3.23	...	3.23
मांग संख्या 39		Demand39	0.50	0.01	0.51	0.44	...	0.44	2.50	0.01	2.51
वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406	*Capital Outlay on Forestry and Wild Life*	*2.61*	...	*2.61*	*3.08*	...	*3.08*	*5.61*	...	*5.61*
मांग संख्या 23		Demand23	2.38	...	2.38	2.38	...	2.38	5.36	...	5.36
मांग संख्या 79		Demand79	0.23	...	0.23	0.70	...	0.70	0.25	...	0.25
खाद्य, भंडारण और भांडागारण पर पूंजी परिव्यय	4408	*Capital Outlay on Food, Storage and Warehousing*	*32.73*	...	*32.73*	*30.27*	...	*30.27*	*34.05*	...	*34.05*
मांग संख्या 38		Demand38	26.08	...	26.08	24.14	...	24.14	26.40	...	26.40
मांग संख्या 39		Demand39	6.65	...	6.65	6.13	...	6.13	7.65	...	7.65
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	4416	*Investment in Agricultural Financial Institutions*	*5.25*	...	*5.25*	*4.95*	...	*4.95*	*11.00*	...	*11.00*
मांग संख्या 27		Demand27	5.25	...	5.25	4.95	...	4.95	11.00	...	11.00
सहकारिता पर पूंजी परिव्यय	4425	*Capital Outlay on Cooperation*	*0.20*	*0.01*	*0.21*	*0.18*	*0.02*	*0.20*	*0.20*	*0.03*	*0.23*
मांग संख्या 2		Demand2	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20
मांग संख्या 83		Demand83	...	0.01	0.01	...	0.02	0.02	...	0.03	0.03
(ख) ग्रामीण विकास का पूंजी खाता		*(b) Capital Account of Rural Development*	*0.30*	...	*0.30*	*0.27*	...	*0.27*	*0.50*	...	*0.50*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	4515	*Capital Outlay on Other Rural Development Programmes*	*0.30*	...	*0.30*	*0.27*	...	*0.27*	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 69		Demand69	0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.50	...	0.50
(ग) विशेष क्षेत्रों के कार्यक्रमों का पूंजी खाता		*(c) Capital Account of Special Areas Programmes*	*118.88*	...	*118.88*	*120.89*	...	*120.89*	*113.94*	...	*113.94*
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552	*Capital Outlay on North Eastern Areas*	*118.88*	...	*118.88*	*120.89*	...	*120.89*	*113.94*	...	*113.94*
मांग संख्या 45		Demand45	118.88	...	118.88	120.89	...	120.89	113.94	...	113.94
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण का पूंजी खाता		*(d) Capital account of Irrigation and Flood Control*	*4.20*	...	*4.20*	*4.85*	...	*4.85*	*4.73*	...	*4.73*
वृहद् और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4701	*Capital outlay on Major and Medium Irrigation*	*2.00*	...	*2.00*	*3.05*	...	*3.05*	*4.23*	...	*4.23*
मांग संख्या 81		Demand81	2.00	...	2.00	3.05	...	3.05	4.23	...	4.23

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं — अनुबन्ध

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS — ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990–91 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1990–91 Revised Estimate			बजट अनुमान 1991–92 Budget Estimate		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4702	*Capital Outlay Minor Irrigation*	*0.20*	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.20*	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 81		Demand81	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4711	*Capital Outlay on Flood Control Projects*	*2.00*	...	*2.00*	*1.60*	...	*1.60*	...	...	...
मांग संख्या 70		Demand70	2.00	...	2.00	1.60	...	1.60	...	...	...
(ङ) ऊर्जा का पूंजी खाता		*(e) Capital Account of Energy*	*3055.64*	...	*3055.64*	*2936.82*	*-0.17*	*2936.65*	*2366.92*	...	*2366.92*
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801	*Capital Outlay on Power Projects*	*2503.39*	...	*2503.39*	*2400.06*	...	*2400.06*	*2002.59*	...	*2002.59*
मांग संख्या 10		Demand10	79.00	...	79.00	79.00	...	79.00	80.00	...	80.00
मांग संख्या 67		Demand67	2229.39	...	2229.39	2126.56	...	2126.56	1786.10	...	1786.10
मांग संख्या 84		Demand84	195.00	...	195.00	194.50	...	194.50	136.49	...	136.49
पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802	*Capital Outlay on Petroleum*	...	...	...	...	*-0.17*	*-0.17*	...	...	...
मांग संख्या 63		Demand63	...	...	...	...	-0.17	-0.17	...	...	...
कोयले और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	4803	*Capital outlay on Coal and Lignite*	*547.00*	...	*547.00*	*532.00*	...	*532.00*	*360.00*	...	*360.00*
मांग संख्या 10		Demand10	547.00	...	547.00	532.00	...	532.00	360.00	...	360.00
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों पर पूंजी परिव्यय	4810	*Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy*	*5.25*	...	*5.25*	*4.76*	...	*4.76*	*4.33*	...	*4.33*
मांग संख्या 68		Demand68	5.25	...	5.25	4.76	...	4.76	4.33	...	4.33
(च) उद्योग और खनिज का पूंजी खाता		*(f) Capital Account of Industry and Minerals*	*618.96*	*352.17*	*971.13*	*656.74*	*197.20*	*853.94*	*573.56*	*293.18*	*866.74*
ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851	*Capital Outlay on Village and Small Industries*	*14.29*	...	*14.29*	*14.29*	...	*14.29*	*27.48*	...	*27.48*
मांग संख्या 54		Demand54	7.94	...	7.94	7.94	...	7.94	17.23	...	17.23
मांग संख्या 77		Demand77	6.35	...	6.35	6.35	...	6.35	10.25	...	10.25
लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4852	*Capital Outlay on Iron & Steel Industries*	*9.65*	...	*9.65*	*10.10*	...	*10.10*	*16.30*	...	*16.30*
मांग संख्या 73		Demand73	9.65	...	9.65	10.10	...	10.10	16.30	...	16.30
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4853	*Capital Outlay on Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries*	*10.08*	*30.82*	*40.90*	*102.28*	...	*102.28*	*18.45*	...	*18.45*
मांग संख्या 60		Demand60	10.08	30.82	40.90	102.28	...	102.28	18.45	...	18.45
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4854	*Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries*	*32.00*	...	*32.00*	*28.80*	...	*28.80*	*15.00*	...	*15.00*
मांग संख्या 52		Demand52	32.00	...	32.00	28.80	...	28.80	15.00	...	15.00
उर्वरक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4855	*Capital Outlay on Fertilizer Industries*	*3.37*	...	*3.37*	*26.37*	...	*26.37*	*2.00*	...	*2.00*
मांग संख्या 6		Demand6	3.37	...	3.37	26.37	...	26.37	2.00	...	2.00
रसायन उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4857	*Capital Outlay on Chemical Industries*	...	...	...	...	...	...	*4.00*	...	*4.00*
मांग संख्या 5		Demand5	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4858	*Capital Outlay on Engineering Industries*	*38.06*	*84.00*	*122.06*	*36.16*	*23.00*	*59.16*	*38.60*	*26.00*	*64.60*
मांग संख्या 16		Demand16	...	84.00	84.00	...	23.00	23.00	...	26.00	26.00
मांग संख्या 52		Demand52	35.00	...	35.00	31.50	...	31.50	31.47	...	31.47
मांग संख्या 76		Demand76	3.06	...	3.06	4.66	...	4.66	7.13	...	7.13
दूर संचार और इलैक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4859	*Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries*	*26.70*	...	*26.70*	*30.97*	...	*30.97*	*39.95*	...	*39.95*
मांग संख्या 15		Demand15	...	...	...	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
मांग संख्या 16		Demand16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 71		Demand71	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	1.25	...	1.25
मांग संख्या 83		Demand83	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
मांग संख्या 85		Demand85	22.40	...	22.40	22.67	...	22.67	35.70	...	35.70
उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4860	*Capital Outlay on Consumer Industries*	*125.40*	*1.70*	*127.10*	*107.13*	*1.70*	*108.83*	*88.78*	*7.20*	*95.98*
मांग संख्या 39		Demand39	1.75	...	1.75	1.25	...	1.25	1.30	...	1.30

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

अनुबन्ध

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 52		Demand52	44.75	...	44.75	40.68	...	40.68	57.58	...	57.58
मांग संख्या 77		Demand77	78.90	1.70	80.60	65.20	1.70	66.90	29.90	7.20	37.10
परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4861*	*Capital Outlay on Atomic Energy Industries*	*248.16*	*233.04*	*481.2*	*194.82*	*170.70*	*365.52*	*155.50*	*256.23*	*411.73*
मांग संख्या 83		Demand83	248.16	233.04	481.2	194.82	170.70	365.52	155.50	256.23	411.73
अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	*4875*	*Capital Outlay on Other Industries*	*0.50*	*2.60*	*3.10*	*0.50*	*1.79*	*2.29*	*0.50*	*3.74*	*4.24*
मांग संख्या 35		Demand35	...	1.60	1.60	...	0.79	0.79	...	1.74	1.74
मांग संख्या 79		Demand79	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
मांग संख्या 82		Demand82	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
उद्योगों और खनिजों पर पूंजी परिव्यय	*4885*	*Capital Outlay on Industries and Minerals*	*110.75*	*0.01*	*110.76*	*105.32*	*0.01*	*105.33*	*167.00*	*0.01*	*167.01*
मांग संख्या 27		Demand27	109.00	0.01	109.01	102.40	0.01	102.41	165.00	0.01	165.01
मांग संख्या 52		Demand52	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.50	...	0.50
मांग संख्या 79		Demand79	1.50	...	1.50	2.70	...	2.70	1.50	...	1.50
(छ) परिवहन का पूंजी खाता		*(g) Capital Account of Transport*	*2187.78*	*90.5*	*2278.28*	*2019.17*	*353.52*	*2372.69*	*2230.28*	*168.94*	*2399.22*
रेलवे पर पूंजी परिव्यय	*5002*	*Capital Outlay on Railways*	*1694.00*	...	*1694.00*	*1587.00*	...	*1587.00*	*1694.00*	...	*1694.00*
मांग संख्या 100		Demand100	1694.00	...	1694.00	1587.00	...	1587.00	1694.00	...	1694.00
पत्तनों और दीपस्तभों पर पूंजी परिव्यय	*5051*	*Capital Outlay on Ports & Light Houses*	*39.00*	*-24.00*	*15.00*	*17.83*	*-8.43*	*9.40*	*33.98*	*-24.00*	*9.98*
मांग संख्या 76		Demand76	39.00	-24.00	15.00	17.83	-8.43	9.40	33.98	-24.00	9.98
नौवहन पर पूंजी परिव्यय	*5052*	*Capital Outlay on Shipping*	*2.45*	...	*2.45*	*2.59*	*191.04*	*193.63*	*6.50*	...	*6.50*
मांग संख्या 76		Demand76	1.82	...	1.82	1.82	191.04	192.86	2.70	...	2.70
मांग संख्या 79		Demand79	0.63	...	0.63	0.77	...	0.77	3.80	...	3.80
नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	*5053*	*Capital Outlay on Civil Aviation*	*3.71*	...	*3.71*	*3.47*	...	*3.47*	*16.80*	...	*16.80*
मांग संख्या 7		Demand7	3.71	...	3.71	3.47	...	3.47	16.80	...	16.80
सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय	*5054*	*Capital Outlay on Roads and Bridges*	*418.00*	*114.90*	*532.90*	*383.50*	*171.31*	*554.81*	*448.50*	*193.34*	*641.84*
मांग संख्या 44		Demand44	...	48.00	48.00	...	107.00	107.00	...	120.36	120.36
मांग संख्या 75		Demand75	418.00	66.90	484.90	383.50	64.31	447.81	448.50	72.98	521.48
अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजी परिव्यय	*5056*	*Capital Outlay on Inland Water Transport*	*17.62*	...	*17.62*	*13.10*	...	*13.10*	*17.50*	...	*17.50*
मांग संख्या 74		Demand74	17.62	...	17.62	13.10	...	13.10	17.50	...	17.50
अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*5075*	*Capital Outlay on Other Transport Services*	*13.00*	*-0.40*	*12.6*	*11.68*	*-0.40*	*11.28*	*13.00*	*-0.40*	*12.60*
मांग संख्या 76		Demand76	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
मांग संख्या 81		Demand81	8.00	-0.40	7.60	7.68	-0.40	7.28	8.00	-0.40	7.60
(ज) संचार का पूंजी खाता		*(h) Capital Account of Communications*	*88.45*	*-3.00*	*85.45*	*114.87*	*-3.00*	*111.87*	*86.09*	*-3.00*	*83.09*
डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*5201*	*Capital Outlay on Postal Services*	*50.60*	*-3.00*	*47.60*	*38.62*	*-3.00*	*35.62*	*59.90*	*-3.00*	*56.90*
मांग संख्या 14		Demand14	50.60	-3.00	47.60	38.62	-3.00	35.62	59.90	-3.00	56.90
दूर संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*5225*	*Capital Outlay on Telecommunication Services*	*25.43*	...	*25.43*	*60.00*	...	*60.00*	*14.00*	...	*14.00*
मांग संख्या 15		Demand15	25.43	...	25.43	60.00	...	60.00	14.00	...	14.00
उपग्रह प्रणाली पर पूंजी परिव्यय	*5252*	*Capital Outlay on Satellite system*	*12.42*	...	*12.42*	*16.25*	...	*16.25*	*12.19*	...	*12.19*
मांग संख्या 87		Demand87	12.42	...	12.42	16.25	...	16.25	12.19	...	12.19
(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजी खाता		*(i) Capital Account of Science Technology and Environment*	*164.69*	*1.50*	*166.19*	*141.52*	*1.30*	*142.82*	*189.10*	*1.30*	*190.40*
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	*5401*	*Capital Outlay on Atomic Energy Research*	*61.39*	...	*61.39*	*55.87*	...	*55.87*	*71.83*	...	*71.83*
मांग संख्या 83		Demand83	61.39	...	61.39	55.87	...	55.87	71.83	...	71.83
अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402	Capital Outlay on Space Research	83.15	...	83.15	65.03	...	65.03	95.83	...	95.83
मांग संख्या 87		Demand87	83.15	...	83.15	65.03	...	65.03	95.83	...	95.83

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate			बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधानों पर पूंजी परिव्यय	5403	*Capital Outlay on Oceanographic Research*	*6.80*	...	*6.80*	*5.26*	...	*5.26*	*6.88*	...	*6.88*
मांग संख्या 86		Demand86	6.80	...	6.80	5.26	...	5.26	6.88	...	6.88
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425	*Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research*	*13.35*	*1.50*	*14.85*	*15.36*	*1.30*	*16.66*	*14.56*	*1.30*	*15.86*
मांग संख्या 23		Demand23	2.03	...	2.03	2.13	...	2.13	2.10	...	2.10
मांग संख्या 70		Demand70	7.25	1.50	8.75	4.15	1.30	5.45	9.41	1.30	10.71
मांग संख्या 71		Demand71	0.75	...	0.75	0.69	...	0.69	0.75	...	0.75
मांग संख्या 72		Demand72	1.20	...	1.20	5.00	...	5.00	0.20	...	0.20
मांग संख्या 79		Demand79	2.12	...	2.12	3.39	...	3.39	2.10	...	2.10
(झ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजी खाता		*(j) Capital Account of General Economic Services*	*90.67*	*132.26*	*222.93*	*118.20*	*131.47*	*249.67*	*100.18*	*105.58*	*205.76*
पर्यटन पर पूंजी परिव्यय	5452	*Capital Outlay on Tourism*	*20.82*	...	*20.82*	*18.64*	...	*18.64*	*25.30*	...	*25.30*
मांग संख्या 9		DemandB	20.82	...	20.82	18.64	...	18.64	25.30	...	25.30
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजी परिव्यय	5453	*Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion*	*14.65*	...	*14.65*	*11.65*	...	*11.65*	*13.57*	...	*13.57*
मांग संख्या 11		Demand11	14.65	...	14.65	11.65	...	11.65	13.57	...	13.57
मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455	*Capital Outlay on Meteorology*	*20.75*	*1.00*	*21.75*	*17.00*	*0.70*	*17.70*	*25.10*	*0.75*	*25.85*
मांग संख्या 70		Demand70	19.00	1.00	20.00	14.40	0.70	15.10	23.50	0.75	24.25
मांग संख्या 79		Demand79	1.75	...	1.75	2.60	...	2.60	1.60	...	1.60
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465	*Investments in General Financial and Trading Institutions*	*19.65*	*3.00*	*22.65*	*55.86*	...	*55.86*	*18.00*	...	*18.00*
मांग संख्या 11		Demand11	...	3.00	3.00	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 27		Demand27	19.65	...	19.65	55.86	...	55.86	18.00	...	18.00
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466	*Investments in International Financial Institutions*	...	*128.25*	*128.25*	...	*130.76*	*130.76*	...	*104.82*	*104.82*
मांग संख्या 27		Demand27	...	128.25	128.25	...	130.76	130.76	...	104.82	104.82
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475	*Capital Outlay on Other General Economic Services*	*14.80*	*0.01*	*14.81*	*15.05*	*0.01*	*15.06*	*18.21*	*0.01*	*18.22*
मांग संख्या 9		Demand9	1.10	...	1.10	2.45	...	2.45	1.31	...	1.31
मांग संख्या 59		Demand59	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
मांग संख्या 64		Demand64	13.70	...	13.70	12.60	...	12.60	16.90	...	16.90
संघ राज्य क्षेत्रों का व्यय	5710	*Expenditure of U.T's*	*309.32*	*-14.29*	*295.03*	*296.27*	*-26.94*	*269.33*	*398.97*	*-18.07*	*380.90*
मांग संख्या 93		Demand93	309.32	-14.29	295.03	296.27	-26.94	269.33	398.97	-18.07	380.90
ङ- ऋण और अग्रिम		**E-LOANS AND ADVANCES**	**9180.38**	**6202.35**	**15382.73**	**9251.41**	**9877.75**	**19129.16**	**10189.57**	**9012.77**	**19202.34**
सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण		***LOANS FOR SOCIAL SERVICES***	***4.52***	***29.76***	***34.28***	***4.47***	***22.62***	***27.09***	***32.15***	***16.23***	***48.38***
शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति के लिए ऋण	6202	*Loans for Education, Sports, Art and Culture*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 47		Demand47	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
परिवार कल्याण के लिये ऋण	6211	*Loans for Family Welfare*	*0.02*	...	*0.02*	*2.12*	...	*2.12*	*0.75*	...	*0.75*
मांग संख्या 41		Demand41	0.02	...	0.02	2.12	...	2.12	0.75	...	0.75
जल आपूर्ति और सफाई के लिए ऋण	6215	*Loans for Water Supply and sanitation*	*2.00*	...	*2.00*	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 78		Demand78	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
आवास के लिये ऋण	6216	*Loans for Housing*	*0.50*	*29.50*	*30.00*	*0.50*	*22.50*	*23.00*	*29.50*	*16.00*	*45.50*
मांग संख्या 16		Demand16	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 27		Demand27	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	29.50	...	29.50
मांग संख्या 78		Demand78	...	29.50	29.50	...	22.50	22.50	...	16.00	16.00
सूचना और प्रचार के लिए ऋण	6220	*Loans for Information and Publicity*	*1.50*	...	*1.50*	*1.35*	...	*1.35*	*1.40*	...	*1.40*
मांग संख्या 55		Demand55	1.50	...	1.50	1.35	...	1.35	1.40	...	1.40
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण	6235	*Loans for Social Security and Welfare*	...	*0.06*	*0.06*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.03*	*0.03*

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट अनुमान 1990–91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990–91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991–92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
मांग संख्या 45		Demand45	...	0.06	0.06	...	0.02	0.02	...	0.03	0.03
अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	6250	*Loans for other Social Services*	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.20*	*0.20*
मांग संख्या 56		Demand56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 57		Demand57	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 76		Demand76	...	0.20	0.20	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण		**LOANS FOR ECONOMIC SERVICES**	**2337.26**	**1097.18**	**3434.44**	**2819.05**	**1153.74**	**3972.79**	**2611.79**	**726.62**	**3338.41**
कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलापों के लिए ऋण		*Loans For Agriculture and allied activities*	*424.16*	...	*424.16*	*244.65*	...	*244.65*	*318.56*	...	*318.56*
कृषि कार्य के लिए ऋण	6401	*Loans for Crop Husbandry*	...	...	...	...	...	...	*0.01*	...	*0.01*
मांग संख्या 1		Demand1	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
डेरी विकास के लिये ऋण	6404	*Loans for Dairy Development*	*35.00*	...	*35.00*	*35.00*	...	*35.00*	*50.00*	...	*50.00*
मांग संख्या 4		Demand4	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
मत्स्य पालन के लिये ऋण	6405	*Loans for Fisheries*	*0.10*	...	*0.10*	*0.02*	...	*0.02*	*0.50*	...	*0.50*
मांग संख्या 2		Demand2	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
बागानों के लिये ऋण	6407	*Loans for Plantations*	*9.00*	...	*9.00*	*8.53*	...	*8.53*	*11.00*	...	*11.00*
मांग संख्या 11		Demand11	9.00	...	9.00	8.53	...	8.53	11.00	...	11.00
कृषि वित्तीय संस्थाओं के लिये ऋण	6416	*Loans to Agricultural Financial Institutions*	*235.00*	...	*235.00*	*61.00*	...	*61.00*	*90.00*	...	*90.00*
मांग संख्या 27		Demand27	235.00	...	235.00	61.00	...	61.00	90.00	...	90.00
सहकारिता के लिये ऋण	6425	*Loans for Cooperation*	*145.06*	...	*145.06*	*140.10*	...	*140.10*	*167.05*	...	*167.05*
मांग संख्या 2		Demand2	145.06	...	145.06	140.10	...	140.10	167.05	...	167.05
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिये ऋण		*Loans for Special Area Programme*	*10.79*	...	*10.79*	*12.30*	...	*12.30*	*10.76*	...	*10.76*
उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिये ऋण	6552	*Loans for North Eastern Areas*	*2.79*	...	*2.79*	*3.50*	...	*3.50*	*0.76*	...	*0.76*
मांग संख्या 45		Demand45	2.79	...	2.79	3.50	...	3.50	0.76	...	0.76
वृहत और मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	6701	*Loans for Major & Medium Irrigation*	*6.00*	...	*6.00*	*7.00*	...	*7.00*	*8.00*	...	*8.00*
मांग संख्या 81		Demand81	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
कमान क्षेत्र विकास के लिये ऋण	6705	*Loans for Command Area Development*	*2.00*	...	*2.00*	*1.80*	...	*1.80*	*2.00*	...	*2.00*
मांग संख्या 81		Demand81	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
ऊर्जा के लिये ऋण		*Loans for Energy*	*973.97*	...	*973.97*	*935.41*	...	*935.41*	*869.48*	...	*869.48*
विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण	6801	*Loans for Power Projects*	*474.37*	...	*474.37*	*462.87*	...	*462.87*	*400.82*	...	*400.82*
मांग संख्या 30		Demand30	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	125.00	...	125.00
मांग संख्या 67		Demand67	359.37	...	359.37	347.87	...	347.87	275.82	...	275.82
मांग संख्या 84		Demand84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
पेट्रोलियम के लिये ऋण	6802	*Loans for Petroleum*	*150.00*	...	*150.00*	*150.00*	...	*150.00*	*180.00*	...	*180.00*
मांग संख्या 63		Demand63	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	180.00	...	180.00
कोयले और लिग्नाइट के लिये ऋण	6803	*Loans for Coal and Lignite*	*349.00*	...	*349.00*	*322.00*	...	*322.00*	*288.00*	...	*288.00*
मांग संख्या 10		Demand10	349.00	...	349.00	322.00	...	322.00	288.00	...	288.00
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के लिए ऋण	6810	*Loans for Non-Conventional Sources of Energy*	*0.60*	...	*0.60*	*0.54*	...	*0.54*	*0.66*	...	*0.66*
मांग संख्या 68		Demand68	0.60	...	0.60	0.54	...	0.54	0.66	...	0.66
उद्योग और खनिजों के लिये ऋण		*Loans for Industry & Minerals*	*634.73*	*942.82*	*1577.55*	*1369.30*	*934.48*	*2303.78*	*1136.09*	*688.91*	*1825.00*
ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये ऋण	6851	*Loans for Village and Small Industries*	*117.27*	*151.68*	*268.95*	*103.27*	*147.36*	*250.63*	*120.47*	*150.83*	*271.30*
मांग संख्या 53		Demand54	114.07	151.28	265.35	100.07	146.96	247.03	115.07	150.28	265.35
मांग संख्या 77		Demand77	3.20	0.40	3.60	3.20	0.40	3.60	5.40	0.55	5.95
लोहा और इस्पात उद्योगों के लिये ऋण	6852	*Loans for Iron and Steel Industies*	*254.95*	*202.93*	*457.88*	*513.82*	*234.43*	*748.25*	*417.02*	*56.00*	*473.02*
मांग संख्या 73		Demand73	254.95	202.93	457.88	513.82	234.43	748.25	417.02	56.00	473.02
अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए ऋण	6853	*Loans for Non-ferrous Mining & Metallurgical Industries*	*1.58*	...	*1.58*	*1.58*	...	*1.58*	*1.35*	...	*1.35*
मांग संख्या 60		Demand60	1.58	...	1.58	1.58	...	1.58	1.35	...	1.35

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं
BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध
ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate			संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate			बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योगों के लिये ऋण	6854	*Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries*	*15.00*	*25.00*	*40.00*	*13.50*	*22.50*	*36.00*	*15.00*	*20.00*	*35.00*
मांग संख्या 52		Demand52	15.00	25.00	40.00	13.50	22.50	36.00	15.00	20.00	35.00
उर्वरक उद्योगों के लिये ऋण	6855	*Loans for Fertilizer Industries*	*52.07*	*80.00*	*132.07*	*48.27*	*80.00*	*128.27*	*72.40*	*20.00*	*92.40*
मांग संख्या 6		Demand6	52.07	80.00	132.07	48.27	80.00	128.27	72.40	20.00	92.40
पैट्रो-रसायन उद्योगों के लिये ऋण	6856	*Loans for Petro-Chemical Industries*	...	...	...	...	...	...	*9.80*	...	*9.80*
मांग संख्या 5		Demand5	...	...	...	...	...	...	9.80	...	9.80
रसायन उद्योगों के लिये ऋण	6857	*Loans for Chemicals Industries*	*0.10*	*4.00*	*4.10*	*0.09*	*5.00*	*5.09*	*4.00*	*3.60*	*7.60*
मांग संख्या 5		Demand5	0.10	4.00	4.10	0.09	5.00	5.09	4.00	3.60	7.60
इंजीनियरी उद्योगों के लिये ऋण	6858	*Loans for Engineering Industries*	*37.65*	*129.75*	*167.40*	*35.68*	*166.75*	*202.43*	*32.83*	*157.00*	*189.83*
मांग संख्या 16		Demand16	...	42.00	42.00	...	60.00	60.00	...	60.00	60.00
मांग संख्या 52		Demand52	30.26	87.75	118.01	27.24	88.75	115.99	20.58	82.00	102.58
मांग संख्या 76		Demand76	7.39	...	7.39	8.44	18.00	26.44	12.25	15.00	27.25
दूरसंचार और इलैक्ट्रानिकी उद्योगों के लिये ऋण	6859	*Loans for Telecommunication and Electronic Industries*	*10.55*	*20.00*	*30.55*	*10.68*	*15.00*	*25.68*	*7.65*	*15.00*	*22.65*
मांग संख्या 15		Demand15	...	...	...	0.63	...	0.63	...	...	...
मांग संख्या 16		Demand16	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
मांग संख्या 71		Demand71	2.30	...	2.30	1.80	...	1.80	1.25	...	1.25
मांग संख्या 83		Demand83	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	...	...	...
मांग संख्या 85		Demand85	5.75	...	5.75	5.75	...	5.75	6.40	...	6.40
उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऋण	6860	*Loans for Consumer Industries*	*18.66*	*193.52*	*212.18*	*16.46*	*179.02*	*195.48*	*20.37*	*140.29*	*160.66*
मांग संख्या 38		Demand38	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 39		Demand39	2.70	...	2.70	2.10	...	2.10	1.30	...	1.30
मांग संख्या 51		Demand51	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
मांग संख्या 52		Demand52	15.95	12.50	28.45	14.36	14.00	28.36	19.07	13.74	32.81
मांग संख्या 77		Demand77	...	180.97	180.97	...	164.97	164.97	...	126.50	126.50
अन्य उद्योगों के लिये ऋण	6875	*Loans for other Industries*	...	*25.67*	*25.67*	...	*25.67*	*25.67*	...	*2.05*	*2.05*
मांग संख्या 79		Demand79	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	1.50	1.50
मांग संख्या 82		Demand82	...	0.67	0.67	...	0.67	0.67	...	0.55	0.55
अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये ऋण	6885	*Loans for other Industries and Minerals*	*126.90*	*110.27*	*237.17*	*625.95*	*58.75*	*684.70*	*435.20*	*124.14*	*559.34*
मांग संख्या 9		Demand9	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.07	0.07
मांग संख्या 25		Demand25	...	100.00	100.00	...	48.43	48.43	...	105.00	105.00
मांग संख्या 27		Demand27	126.65	10.00	136.65	625.73	10.00	635.73	434.70	19.00	453.70
मांग संख्या 51		Demand51	...	0.07	0.07	...	0.12	0.12	...	0.07	0.07
मांग संख्या 52		Demand52	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.50	...	0.50
परिवहन के लिये ऋण		*Loans for Transport*	*290.12*	*154.25*	*444.37*	*253.90*	*216.85*	*470.75*	*272.04*	*37.60*	*309.64*
रेलवे को ऋण	7002	*Loans to Railways*	...	*57.15*	*57.15*	...	*54.78*	*54.78*	...	...	...
मांग संख्या 25		Demand25	...	57.15	57.15	...	54.78	54.78	...	...	...
पत्तनों और दीप स्तम्भों के लिये ऋण	7051	*Loans for Ports and Light Houses*	*87.10*	...	*87.10*	*104.48*	...	*104.48*	*138.98*	...	*138.98*
मांग संख्या 76		Demand76	87.10	...	87.10	104.48	...	104.48	138.98	...	138.98
नौवहन के लिये ऋण	7052	*Loans for Shipping*	*107.00*	...	*107.00*	*80.00*	...	*80.00*	*36.28*	...	*36.28*
मांग संख्या 25		Demand25	35.00	...	35.00	8.00	...	8.00	4.99	...	4.99
मांग संख्या 27		Demand27	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
मांग संख्या 76		Demand76	71.00	...	71.00	71.00	...	71.00	30.29	...	30.29
नागर विमानन के लिये ऋण	7053	*Loans for Civil Aviation*	*1.30*	...	*1.30*	*1.30*	...	*1.30*	*11.03*	...	*11.03*
मांग संख्या 7		Demand7	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	11.03	...	11.03
सड़क परिवहन के लिये ऋण	7055	*Loans for Road Transport*	*77.10*	*50.00*	*127.10*	*55.01*	*120.00*	*175.01*	*68.25*	*35.00*	*103.25*
मांग संख्या 74		Demand74	77.10	50.00	127.10	55.01	120.00	175.01	68.25	35.00	103.25
अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये ऋण	7056	*Loans for Inland Water Transport*	*17.62*	*0.10*	*17.72*	*13.11*	*2.07*	*15.18*	*17.50*	*0.10*	*17.60*
मांग संख्या 74		Demand74	17.62	0.10	17.72	13.11	2.07	15.18	17.50	0.10	17.60
अन्य परिवहन सेवाओं के लिये ऋण	7075	*Loans for Other Transport Services*	...	*47.00*	*47.00*	...	*40.00*	*40.00*	...	*2.50*	*2.50*
मांग संख्या 75		Demand75	...	47.00	47.00	...	40.00	40.00	...	2.50	2.50

लेखा शीर्षों के अनुसार बजट व्यवस्थाएं

BUDGET PROVISIONS BY HEADS OF ACCOUNTS

अनुबन्ध ANNEXURE - 1

करोड़ रुपए (In crores of rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण के लिये ऋण		*Loans for Science, Technology and Environment*	*0.65*	...	*0.65*	*0.65*	...	*0.65*	*1.70*	...	*1.70*
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिये ऋण	*7425*	*Loans for Other Scientific Research*	*0.65*	...	*0.65*	*0.65*	...	*0.65*	*1.70*	...	*1.70*
मांग संख्या 71		Demand71	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
मांग संख्या 85		Demand85	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.55	...	1.55
सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण		*Loans for General Economic Services*	*2.84*	*0.11*	*2.95*	*2.84*	*2.41*	*5.25*	*3.16*	*0.11*	*3.27*
पर्यटन के लिये ऋण	*7452*	*Loans for Tourism*	*0.10*	...	*0.10*	*0.10*	...	*0.10*	*1.10*	...	*1.10*
मांग संख्या 9		Demand8	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	1.10	...	1.10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	*7475*	*Loans for Other General Economic Services*	*2.74*	*0.11*	*2.85*	*2.74*	*2.41*	*5.15*	*2.06*	*0.11*	*2.17*
मांग संख्या 9		Demand9	2.74	...	2.74	2.74	2.35	5.09	2.06	...	2.06
मांग संख्या 31		Demand31	...	0.11	0.11	...	0.06	0.06	...	0.11	0.11
अन्य ऋण		**OTHER LOANS**	**6481.17**	**5074.13**	**11555.30**	**6085.19**	**8700.12**	**14785.31**	**7103.08**	**8268.61**	**15371.69**
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	*7601*	*Loans and Advances to State Governments*	*6445.59*	*4548.52*	*10994.11*	*6054.42*	*7340.33*	*13394.75*	*7062.91*	*6920.15*	*13983.06*
मांग संख्या 1		Demand1	...	...	...	...	-1.83	-1.83	42.23	...	42.23
मांग संख्या 2		Demand2	44.53	...	44.53	40.68	...	40.68	51.03	...	51.03
मांग संख्या 4		Demand4	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 6		Demand6	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50
मांग संख्या 9		Demand9	3.15	...	3.15	2.95	...	2.95	3.41	...	3.41
मांग संख्या 16		Demand16	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00	...	13.00	13.00
मांग संख्या 23		Demand23	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
मांग संख्या 30		Demand30	6257.43	4500.00	10757.43	5908.39	7290.51	13198.90	6873.80	6865.00	13738.80
मांग संख्या 38		Demand38	0.22	...	0.22	0.20	...	0.20	4.00	...	4.00
मांग संख्या 39		Demand39	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	1.26	...	1.26
मांग संख्या 40		Demand40	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
मांग संख्या 44		Demand44	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
मांग संख्या 45		Demand45	6.08	1.53	7.61	6.02	2.78	8.80	7.74	2.43	10.17
मांग संख्या 47		Demand47	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85
मांग संख्या 54		Demand54	3.51	...	3.51	3.36	...	3.36	5.05	...	5.05
मांग संख्या 62		Demand62	...	4.65	4.65	...	4.65	4.65	...	4.65	4.65
मांग संख्या 67		Demand67	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
मांग संख्या 74		Demand74	3.15	...	3.15	1.75	...	1.75	2.52	...	2.52
मांग संख्या 75		Demand75	12.00	22.00	34.00	7.00	22.00	29.00	6.50	24.20	30.70
मांग संख्या 76		Demand76	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.35	...	0.35
मांग संख्या 77		Demand77	10.08	...	10.08	8.08	...	8.08	4.00	...	4.00
मांग संख्या 78		Demand78	19.10	...	19.10	16.06	...	16.06	13.30	...	13.30
मांग संख्या 81		Demand81	63.10	2.47	65.57	32.79	2.35	35.14	26.00	3.00	29.00
मांग संख्या 82		Demand82	1.12	...	1.12	1.12	...	1.12	1.12	...	1.12
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	*7602*	*Loans and Advances to Union Territory Governments*	*35.58*	*7.33*	*42.91*	*30.77*	*15.39*	*46.16*	*40.17*	*13.93*	*54.10*
मांग संख्या 1		Demand1	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
मांग संख्या 2		Demand2	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
मांग संख्या 9		Demand9	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
मांग संख्या 46		Demand46	31.24	7.33	38.57	29.93	15.39	45.32	39.49	13.93	53.42
मांग संख्या 54		Demand54	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.28	...	0.28
मांग संख्या 78		Demand78	4.10	...	4.10	0.60	...	0.60	0.30	...	0.30
विदेशी सरकारों को अग्रिम	*7605*	*Advances to Foreign Governments*	...	*404.34*	*404.34*	...	*1237.99*	*1237.99*	...	*1213.99*	*1213.99*
मांग संख्या 11		Demand11	...	350.00	350.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00
मांग संख्या 24		Demand24	...	6.34	6.34	...	40.00	40.00	...	11.35	11.35
मांग संख्या 25		Demand25	...	48.00	48.00	...	47.99	47.99	...	52.64	52.64
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	*7610*	*Loans to Government Servants etc.*	...	*111.51*	*111.51*	...	*104.19*	*104.19*	...	*118.10*	*118.10*
मांग संख्या 31		Demand31	...	111.51	111.51	...	104.19	104.19	...	118.10	118.10
विविध ऋण	*7615*	*Miscellaneous Loans*	...	*2.43*	*2.43*	...	*2.22*	*2.22*	...	*2.44*	*2.44*
मांग संख्या 16		Demand16	...	2.05	2.05	...	1.83	1.83	...	2.06	2.06
मांग संख्या 24		Demand24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 26		Demand26	...	...	...	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 31		Demand31	...	0.38	0.38	...	0.39	0.39	...	0.38	0.38
संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण	7710	Loan's of U.T's	357.43	1.28	358.71	342.70	1.27	343.97	442.55	1.31	443.86
मांग संख्या 92		Demand93	357.43	1.28	358.71	342.70	1.27	343.97	442.55	1.31	443.86

वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांगों और अनुबन्ध 1 में दर्शाए गए व्यय के बीच मिलान
RECONCILIATION BETWEEN EXPENDITURE SHOWN IN DEMANDS FOR GRANTS, ANNUAL FINANCIAL STATEMENT AND ANNEXURE 1

अनुबन्ध ANNEXURE-2

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित अनुमान R.E. 1990-91	बजट अनुमान B.E. 1991-92
क. अनुदानों की मांगों में दर्शाया गया सकल राजस्व व्यय	**A. GROSS REVENUE EXPENDITURE as shown in Demands for Grants**	**80902.11**	**94697.89**	**102764.63**
घटाइए - अनुदानों की मांगों में दर्शायी गई वसूलियां	*Less Recoveries as shown in Demand for Grants*	*-1807.62*	*-2578.61*	*-2364.11*
जोड़िए - रेलवे व्यय	*Add Railway Expenditure*	*11041.27*	*12382.35*	*13702.72*
वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया गया राजस्व व्यय	Revenue Expenditure as shown in Annual Financial Statement	90135.76	104501.63	114103.24
राजस्व में से घटा कर राज्यों का संघ उत्पाद शुल्क में भाग	States' share of Union Excise Duties taken in reduction of revenues	-9310.11	-10414.43	-11175.47
रेलवे बजट में शामिल किए गए रेलवे के राजस्व व्यय	Revenue expenditure of Railways included in the Railway Budget	-11041.27	-12382.35	-13702.72
व्यय में से घटा कर दूर संचार की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Telecommunications taken in reduction of expenditure	-2841.14	-3570.00	-3965.00
व्यय में से घटाकर डाक की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Posts taken in reduction of expenditure	-702.59	-900.00	-960.00
व्यय में से घटा कर अन्य वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	Receipts of other commercial departments taken in reduction of expenditure	-1615.66	-1768.28	-2380.88
व्यय में से घटा कर रक्षा प्राप्तियां	Defence receipts taken in reduction of expenditure	-361.94	-437.24	-456.66
बिना विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व तथा व्यय में से घटा कर स्थानीय निकायों को राजस्व का आवंटन	Assignment of revenues to local bodies taken in reduction of revenues and expenditure of Union Territories without Legislature	-55.35	-63.25	-79.43
अनुबन्ध - 1 में कुल राजस्व व्यय	**TOTAL REVENUE EXPENDITURE in Annexure 1**	**64207.70**	**74966.08**	**81383.08**
ख. अनुदानों की मांगों में दर्शाया गया सकल पूंजी व्यय	**B. GROSS CAPITAL EXPENDITURE as shown in Demands for Grants**	**131836.89**	**122697.71**	**123446.72**
घटाइए - अनुदानों की मांगों में दर्शायी गई वसूलियां	*Less Recoveries as shown in Demand for Grants*	*-928.16*	*-3325.77*	*-3730.49*
जोड़िए - रेलवे व्यय*	*Add Railway Expenditure**	*1773.36*	*1587.00*	*1694.00*
वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाया गया पूंजी व्यय	**Capital Expenditure as shown in Annual Financial Statement**	**132682.09**	**120958.94**	**121410.23**
प्राप्तियों में से घटाकर लोक ऋण की वापसी अदायगी	Repayment of Public debt taken in reduction of receipts	-101912.43	-86868.22	-84148.98
प्राप्तियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां	Securities issued to International Monetary Fund matched by receipts	-802.54	-549.98	-3410.03
प्राप्तियों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश	Investments in nationalised banks matched by receipts	-788.42	-700.00	-700.00
प्राप्तियों के अनुसार इकट्ठी की गई अल्प बचत की धन राशि पर राज्य सरकारों को ऋण	Ways and means and short term Loans to States matched by recoveries	-394.30	-998.40	-1010.00
सरकारी सेवकों आदि को उधारों की वसूलियां वितरणों को घटाकर	Recoveries of Loans from Government servants etc. netted against disbursements	-86.14	-91.36	-102.21
अनुबन्ध 1 में कुल पूंजी व्यय	**TOTAL CAPITAL EXPENDITURE in Annexure 1**	**28698.26**	**31750.98**	**32039.01**
अनुदानों की मांगों में कुल सकल व्यय	**TOTAL GROSS EXPENDITURE in Demand for Grants**	**212739.00**	**217395.60**	**226211.35**
वार्षिक वित्तीय विवरण में कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE in Annual Financial Statement**	**222817.85**	**225460.57**	**235513.47**
अनुबन्ध 1 में कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE in Annexure 1**	**92905.96**	**106717.06**	**113422.09**
* इसमें प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित आयोजना व्यय शामिल है।	* Includes Plan Expenditure matched by receipts	274.00	166.67	...

1989-90 के वास्तविक आंकड़े अनन्तिम है। Actuals for 1989-90 are pvovisional.

खर्च की प्रवृत्तियां
TRENDS IN EXPENDITURE

अनुबन्ध
ANNEXURE-3

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. आयोजना-भिन्न व्यय	**A. Non-Plan Expenditure:**	**21496**	**27026**	**32811**	**39920**	**44052**	**52960**	**65388**	**76761**	**79697**
1. ब्याज संबधी अदायगियां	1. Interest Payments	4795	5974	7512	9246	11251	14278	17757	21850	27450
2. रक्षा व्यय••	2. Defence Expenditure**	5831	7061	7988	10477	11968	13341	14416	15750	16350
3. आर्थिक सहायता (ब्यौरा अनुबंध 3.1 में)	3. Subsidies(Details in Annexure-3.1)	2749	4038	4796	5451	5980	7732	10474	12121	10395
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान•••	4. Grants to States and Union Territories***	879	1027	1786	1714	1789	2186	2143	2930	2613
5. विदेशी सरकारों को अनुदान	5. Grants to foreign Governments	90	89	81	114	139	124	120	222	181
6. अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (ब्यौरा अनुबंध 3.2 में)	6. Other Non-Plan Revenue Expenditure (Details in Annexure-3.2).	3671	4250	5430	6491	7782	8386	10693	11831	11536
7. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय@#	7. Non-Plan Capital Expenditure@#	443	853	382	380	667	788	1091	1227	1176
8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम@@	8. Loans and Advances to State and U.T. Governments@@	1976	3272	4206	3722	3134	4293	5793	7356	6934
9. अन्य व्यय	9. Other Loans	778	141	217	1769*	905	1107	2036	2521	2077
10. बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का योजना-भिन्न व्यय	10. Non-Plan Expenditure of U.Ts without Legislature	284	321	413	556	437	725	865	953	985
राजस्व खाते पर	On Revenue account	284	310	392	449	465	724	849	979	1001
पूंजी खाते पर	On Capital account	...	11	21	107	-28	1	16	-26	-16
ख. आयोजना व्यय (ब्यौरा अनुबंध 3.3 में)	**B. Plan Expenditure (Details In Annexure-3.3)**	**14038**	**16606**	**19854**	**22996**	**24209**	**26151**	**27520**	**29956**	**33725**
राजस्व व्यय पर	On Revenue account	4594	5679	6907	8216	9907	11118	11979	14020	17068
पूंजी व्यय पर	On Capital account	9444	10927	12947	14780	14302	15033	15541	15936	16657
कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE**	**35534**	**43632**	**52665**	**62916**	**68261**	**79111**	**92908**	**106717**	**113422**
राजस्व व्यय	Revenue Expenditure	22251	27691	33924	40860	46174	54106	64210	74966	81383
पूंजी व्यय	Capital Expendture	13283	15941	18741	22056	22087	25005	28698	31751	32039

नोट :- जहां तक संभव हुआ है 1-4-1987 से हिसाब में अपनाई गई संशोधित वर्गीकरण व्यवस्था के अंतर्गत व्यय में प्रवृतियों की उचित वृद्धि के बारे में 1983-84 से 1986-87 तक के वर्षों से संबधित आंकड़े इसमें और संलग्न अनुबन्धों मे दिए गए है।

Notes:- *For a proper appreciation of the trends in expenditure,the figures for the years 1983-84 to 1986-87 have been given in this and in the supporting Annexures, under the revised classification structure adopted in accounts from 1-4-1987 as far as poossible.*

		1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
•• रक्षा प्राप्तियों को घटाकर लेकिन रक्षा संबधी पूंजी व्यय सहित	**Net of Defence Receipts,but inclusive of Defence Capital Expenditure	225	242	258	302	328	300	362	437	457
		642	737	967	1298	3107	3783	4222	4738	5211
•••इसमें राज्यों के माध्यम से दी गई आर्थिक सहायता शामिल नही है।	***Excludes Subsidies released through States	59	78	93	154	159	178	224	233	220
@अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी प्रतिभूतियां, जो पूंजीगत प्राप्तियों में से घटा दी गई है, शामिल नही है।	@ Excludes Securities issued to the I.M.F. omitted per contra from capital receipts	503	368	520	1134	1029	775	803	550	3410
#इसमें आयातित उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता शामिल नही है जिसे 1986-87 तक पूंजी व्यय के रूप में लिया जाता था लेकिन राजस्व व्यय के रूप मे माना गया है ।	# Excludes Subsidy for Imported Fertilisers accounted for as Capital expenditure upto 1986-87 but treated as Revenue Expenditure	142	728	324	198	...	...	...	...	...
@@अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों को घटाकर कृषि निवेशो के लिए अल्पावधिक ऋण और अल्प बचत संग्रहों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से राज्यों के ऋण ओवरड्राफ्टों का निपटान करने के लिए ऋण	@@Net of short term Ways and Means Advances and Short term	619	734	864	382	716	131	131	700	700
	Loans for Agricultural inputs and	333	245	228	253	284	248	263	298	310
	loans to clear Overdrafts of States with RBI but	400	...	1628	...	...	...	...	...	...
	including Loans to States against small savings Collections	1399	1935	2903	2800	3097	4205	5742	6770	6865

•इसमें खाद्यान्नों के संकट निरोधक भंडारो के लिए भारतीय खाद्य निगम को 1200 करोड़ रूपए का उधार शामिल है जिसका वित्तपोषण पहले बैंक ऋणों द्वारा किया जाता था।

*Includes Rs.1200 crores loans to F.C.I. for buffer stock of food grains which was earlier financed by Bank credits.

अनुबन्ध 3 में शामिल आर्थिक सहायताओं का ब्यौरा
DETAILS OF SUBSIDIES INCLUDED IN ANNEXURE 3

अनुबन्ध
ANNEXURE-3.1

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. मुख्य आर्थिक सहायता	**A. Major Subsidies**	**2340**	**3547**	**4177**	**4683**	**5126**	**6787**	**9032**	**9550**	**7824**
1. खाद्य	1. Food	835	1101	1650	2000	2000	2200	2476	2450	2600
2. स्वदेशी उर्वरक	2. Indegenious Fertilisers	900	1200	1600	1700	2050	3000	3771	3650	2900
3. आयातित उर्वरक	3. Imported Fertilisers	142	728	324	198	114	201	771	750	1100
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	4. Export Promotion and Market Development	463	518	603	785	962	1386	2014	2700	1224
ख. किसानों को ऋण राहत	**B. Debt Relief to Farmers**	...	...	...	...	...	...	...	**1500**	**1500**
ग. अन्य आर्थिक सहायता	**C. Other Subsidies**	**409**	**491**	**619**	**768**	**854**	**945**	**1442**	**1071**	**1071**
1. रेलवे	1. Railways	93	100	128	144	174	207	233	276	314
2. मिल निर्मित कपड़ा	2. Mill-made Cloth	56	73	51	36	23	27	10	10	15
3. हथकरघा कपड़ा	3. Handloom Cloth	55	73	86	123	124	146	181	188	205
4. चीनी, खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	4. Import /Export of Sugar, Edible Oils Etc.	...	38	23	76	5	40	...	...	...
5. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	5. Interest Subsidies	118	135	271	229	393	406	881	379	316
6. अन्य आर्थिक सहायता	6. Other Subsidies	87	72	60	160	135	119	137	218	221
जोड़ - आर्थिक सहायता	**TOTAL-Subsidies**	**2749**	**4038**	**4796**	**5451**	**5980**	**7732**	**10474**	**12121**	**10395**

अनुबंध
ANNEXURE-3.2

अनुबंध 3 में शामिल अन्य आयोजना-भिन्न व्यय का ब्यौरा
DETAILS OF OTHER NON-PLAN REVENUE EXPENDITURE INCLUDED IN ANNEXURE 3

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. सामान्य सेवाएं	**1. General Services**	**2017**	**2051**	**3030**	**3633**	**4388**	**4979**	**6129**	**7186**	**6629**
1.01. राज्यों के अंग	1.01. Organs of State	124	195	180	218	239	252	461	364	516
102. कर संग्रह	1.02. Tax collection	201	106	211	215	418	296	494	582	660
1.03. पुलिस	1.03. Police	429	520	631	819	980	1132	1297	1581	1758
1.04. पेंशन	1.04. Pensions	604	629	727	920	1586	2014	2327	2167	2298
1.05. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय प्रभार	1.05. Charges payable to I.M.F.	388	425	420	370	359	183	291	205	409
1.06 बट्टेखाते डाले गए उधार	1.06. Write off of Loans	1	2	81	84	82	81	1	966	1
107. अन्य व्यय	1.07. Other Expenditure	270	174	780	1007	724	1021	1258	1321	987
2. सामाजिक सेवाएं	**2. Social Services**	**547**	**689**	**877**	**1206**	**1309**	**1293**	**1522**	**1855**	**2046**
2.01 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण आदि	2.01. Education, Sports, Youth Welfare Etc	223	242	328	499	608	474	589	720	758
2.02. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.02 Health and Family Welfare	79	91	117	145	163	140	200	239	261
203. जल आपूर्ति, सफाई आवास और शहरी विकास	2.03. Water Supply, Sanitation, Housing & Urban Devt.	31	29	58	-4	49	...	68	80	91
2.04. सूचना और प्रसारण	2.04 Information & Broadcasting	18	53	99	125	164	150	222	301	345
2.05 श्रम और रोजगार	2.05. Labour & Employment	93	159	166	232	163	231	253	267	319
2.06 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2.06. Welfare of SC, ST & other BC	1	2	2	2	3	3	3	3	4
2.07. अन्य सामाजिक सेवाएं	2.07 Other Social Services	102	93	107	207	159	295	187	245	268
3. आर्थिक सेवाएं	**3. Economic Services**	**1034**	**1406**	**1361**	**1437**	**1894**	**1944**	**2782**	**2640**	**2618**
3.01. कृषि और सम्बद्ध गतिविधियां	3.01. Agriculture and Allied Activities	177	265	243	164	243	261	378	404	391
3.02. ग्रामीण विकास	3.02 Rural Development	1	1	1	2	3	4	3	3	4
3.03. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3.03 Irrigation & Flood Control	20	20	30	39	19	41	45	52	55
3.04 ऊर्जा	3.04 Energy	190	161	69	135	463	510	452	589	398
3.05 उद्योग और खनिज	3.05. Industry & Minerals	233	587	312	334	342	162	639	370	423
3.06 परिवहन	3.06 Transport	80	148	110	179	201	228	482	269	293
3.07 संचार	3.07 Communications	-38	-142	40	4	6	4	...	11	9
3.08 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	3.08 Science Technology & Environment	203	237	297	343	376	427	476	554	623
3.09 सामान्य आर्थिक सेवाएं	3.09. General Economic Services	168	129	259	237	241	307	307	388	422
4. डाक संबंधी घाटा*	**4. Postal Deficit***	**73**	**124**	**162**	**215**	**191**	**170**	**260**	**150**	**243**
जोड़ - अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	**Total- Other Non-Plan Revenue Expenditure**	**3671**	**4250**	**5430**	**6491**	**7782**	**8386**	**10693**	**11631**	**11536**

वर्ष 1984-85 तक डाक घाटा संचार प्राप्तियों द्वारा पूरा किया गया था। उसके बाद यह सामान्य राजस्वों से पूरा किया जा रहा है। 31.3.1985 तक "3.07 संचार" के अंतर्गत नकारात्मक व्यय के लिए खातों, पूर्ववर्ती समुद्र पारीय संचार सेवाओं (जो 31.3.86 तक सरकार का विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम था) की अतिरिक्त प्राप्तियों के साथ मिला दिया गया है।

** Upto the year 1984-85 Postal Deficit was met by Telecommunications receipts. Thereafter it is being met from General Revenues. This coupled with surplus receipts of the erstwhile Overseas Communications Service (which was a Departmental Commercial Undertaking of Government upto 31-3-1986), accounts for the negative expenditure under "3.07 Communications" upto 31-3-1985.*

अनुबंध 3 में शामिल आयोजना व्यय का ब्यौरा

DETAILS OF PLAN EXPENDITURE INCLUDED IN ANNEXURE 3

अनुबन्ध ANNEXURE-3.3

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. विकास शीर्षों के अनुसार केन्द्रीय आयोजना पर व्यय	A. Expenditure on Central Plan by Heads of Development	9220	11517	12791	15001	14458	16333	18049	17594	19015
1. आर्थिक सेवाएं	*1. Economic Services*	*7805*	*9784*	*10932*	*12809*	*11756*	*13073*	*14762*	*14108*	*14517*
1.01 कृषि और संबद्ध सेवाएं	1.01.Agriculture and allied Services	1117	1086	1302	1375	1111	1275	1291	1358	1813
1.02 ग्रामीण विकास	1.02..Rural Development	383	729	706	1360	1844	1753	2786	2532	2702
1.03सिंचाई और बाढ नियंत्रण	1.03.Irrigation and Flood Control	47	74	58	114	158	209	46	186	267
1.04 ऊर्जा	1.04.Energy	995	1514	1789	1566	2916	3575	4162	3707	3083
1.05उद्योग और बाढ नियंत्रण	1.05. Industry and Minerals	3452	3918	4485	5074	3018	2846	2653	2789	2412
1.06 परिवहन	1.06.Transport	1144	1381	1602	2088	2015	2411	2696	2313	2563
1.07 संचार	1.07.Communications	358	451	472	616	151	194	144	111	92
1.08 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	1.08. Science Technology and Environment	245	404	445	477	499	660	679	749	961
1.09 सामान्य आर्थिक सेवाएं	1.09.General Economic Services	64	227	73	139	44	150	325	363	624
2. सामाजिक सेवाएं	*2. Social Services*	*1363*	*1593*	*1801*	*2134*	*2633*	*3202*	*3240*	*3463*	*4473*
2.01 शिक्षा, कला और संस्कृति	2.01.Education Arts and Culture	153	212	297	398	645	1063	960	952	1127
2.02 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2.02.Health and Family Welfare	552	637	690	728	750	872	828	1040	1051
2.03 जल पूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास	2.03.Water Supply,Sanitation Housing and Urban Development	310	319	381	382	287	456	511	558	1003
2.04 सूचना और प्रसारण	2.04.Information and Broadcasting	65	101	106	232	198	225	266	179	305
2.05 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण	2.05.Welfare of S.C/S.T and other Backward classes.	183	206	203	218	234	299	345	321	414
2.06 श्रम और श्रम कल्याण	2.06 Labour and Labour Welfare	7	12	10	15	15	20	27	49	95
2.07 सामाजिक कल्याण और पोषाहार	2.07.Social Welfare and Nutrition	93	106	114	161	504	267	303	364	478
3. सामान्य सेवाएं	*3. General Services*	*52*	*140*	*58*	*58*	*69*	*58*	*47*	*23*	*25*
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	2688	3623	4178	5146	6132	7217	8227	8737	10620
पूंजी खाते पर	On Capital Account	6532	7894	8613	9855	8326	9116	9822	8857	8395
ख. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता :	B. Central Assistance for State Plans:	4356	4554	6383	7079	8923	9082	8719	11354	13428
1. सामान्य सहायता (पर्वतीय क्षेत्रों सहित)	1. Normal Assistance (including Hill Areas)	3887	4175	5704	6089	7377	8475	8266	10904	12968
2. उत्तर पूर्वी परिषद आयोजना	2. North Eastern Council Plan	72	88	86	152	126	154	169	197	210
3. ग्रामीण विद्युतीकरण	3. Rural Electrification	171	137	232	282	306	215	230	248	250
4. सूखा राहत के लिए अग्रिम आयोजना सहायता	4 Advance Plan Assistance for Drought Relief	226	154	361	556	1114	238	54	5	...
ग.संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	C. Central Assistance to U. T. Plans	462	535	680	916	828	736	752	1008	1282
(क) विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	*(a) U.Ts with Legislature:*	*171*	*194*	*221*	*261*	*47*	*55*	*60*	*66*	*85*
अरूणाचल प्रदेश	Arunachal Pradesh	53	63	73	91	...	...	...	...	...
गोआ, दमन और दीव	Goa, Daman and Diu	60	61	64	80	...	...	...	...	...
मिजोरम	Mizoram	35	41	49	52	...	...	...	...	...
पांडिचेरी	Pondicherry	23	29	35	38	47	55	60	66	85
(ख) बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र :	*(b) U.Ts Without Legislature*	*291*	*341*	*459*	*655*	*781*	*681*	*692*	*942*	*1197*
अंडमान और निकोबार	Andaman and Nicobar	29	28	24	62	43	68	60	97	154
चंडीगढ़	Chandigarh	19	15	33	42	42	29	19	52	64
दादरा और नागर हवेली	Dadra and Nagar-Haveli	1	7	8	8	7	9	11	12	21
दिल्ली	Delhi	235	284	388	535	666	545	570	750	920
लक्षद्वीप	Lakshadweep	7	7	6	6	15	18	22	20	22
दमन और दीव	Daman & Diu	...	...	...	2	8	12	10	11	16
जोड़ -राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता	TOTAL- Central Assistance to State and U.T Plans	4818	5089	7063	7995	9751	9818	9471	12362	14710
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	1906	2056	2729	3070	3775	3901	3752	5283	6448
पूंजी खाते पर	On Capital Account	2912	3033	4334	4925	5976	5917	5719	7079	8262
कुल जोड़	*GRAND TOTAL*	*14038*	*16606*	*19854*	*22996*	*24209*	*26151*	*27520*	*29956*	*33725*
राजस्व खाते पर	On Revenue Account	4594	5679	6907	8216	9907	11118	11979	14020	17068
पूंजी खाते पर	On Capital Account	9444	10927	12947	14780	14302	15033	15541	15936	16657

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान
CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES

अनुबन्ध
ANNEXURE-4

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग	Ministry No.	Department No.	Ministry/Department	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. कृषि मंत्रालय	**1.**		**Ministry of Agriculture**	**4.52**	**4.78**	**4.85**	**5.00**
1. कृषि और सहकारिता		1.	Agriculture and Cooperation				
(i) खाद्य तथा कृषि संगठन			(i) Food and Agricultural Organisation	1.61	2.02	1.72	2.13
(ii) विश्व खाद्य कार्यक्रम			(ii) World Food programme	1.32	1.29	1.54	1.34
(iii) अन्य			(iii) Others	0.25	0.22	0.29	0.28
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा		2.	Agricultural Research and Education				
(i) अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो			(i) Commonwealth Agricultural Bureau International	0.51	0.40	0.44	0.40
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी परामर्शदाता दल			(ii) Consultative Group on International Agricultural Research	0.83	0.85	0.86	0.85
2. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**2.**		**Ministry of Civil Aviation and Tourism**	**0.12**	**0.38**	**0.72**	**0.49**
3. नागर विमानन		3.	Civil Aviation				
(i) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन			(i) International Civil Aviation organisation	0.01	0.25	0.55	0.30
(ii) अन्य			(ii) Others	0.01	0.01	0.01	0.01
4. पर्यटन		4.	Tourism				
(i) डब्ल्यू.टी.ओ			(i) W.T.O	0.05	0.06	0.09	0.10
(ii) अन्य			(ii) Others	0.05	0.06	0.07	0.08
3. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**3.**		**Ministry of Civil Supplies and Public Distribution**	**0.03**	**0.03**	**0.03**	**0.04**
4. वाणिज्य मंत्रालय	**4.**		**Ministry of Commerce**	**7.69**	**7.24**	**1.86**	**5.40**
5. वाणिज्य		5.	Commerce				
(i) शुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार			(i) General Agreements on Tariff and Trade	0.43	0.49	0.50	0.60
(ii) एशियाई और प्रशान्त विकास केन्द्र			(ii) Asia and Pacific Development Centre	0.17	0.07	0.09	0.10
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन			(iii) International Coffee Organisation	0.06	0.07	0.03	0.08
(iv) अन्तर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय			(iv) International Pepper Community	0.06	0.07	0.08	0.09
(v) अन्तर्राष्ट्रीय टिन परिषद			(v) International Tin Council	5.81	5.56	..	2.98
(vi) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निगम			(vi) ITC	0.08	0.09	0.09	0.09
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी परिषद			(vii) International Tropical Timber Council	0.08	0.09	0.12	0.13
(viii) अन्तर्राष्ट्रीय बाक्साइट संगठन			(viii) International Bauxite Association	0.05	0.06	0.08	0.09
(ix) वस्तुओं के लिए सामान्य निधि			(ix) Common Fund for commodities	..	0.61	0.78	1.13
(x) अन्तर्राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग और कपड़ा ब्यूरो			(x) International Textiles and Clothing Bureau	0.05	0.06	0.06	0.07
(xi) अन्य			(xi) Others	0.90	0.07	0.03	0.04
5. संचार मंत्रालय	**5.**		**Ministry of Communications**	**0.83**	**3.61**	**6.30**	**4.42**
6. डाक		6.	Posts				
(i) विश्वव्यापी डाक संघ			(i) Universal Postal Union	0.73	0.76	1.18	1.30
(ii) अन्य			(ii) Others	0.03	0.02	0.02	0.02
7. दूरसंचार		7.	Telecommunication				
(i) अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ			(i) International Telecommunications Union	..	2.75	5.01	3.00
(ii) एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय			(ii) Asia -pacific Telecommunity	0.07	0.08	0.09	0.10
6. रक्षा मंत्रालय	**6.**		**Ministry of Defence**	**1.16**	**1.31**	**1.31**	**1.48**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्रेफिक संगठन			(i) International Hydrographic Organisation	0.05	0.05	0.05	0.06
(ii) राष्ट्रमंडल युद्ध समाधि आयोग			(ii) Commonwealth war Graves Commission	1.10	1.24	1.24	1.41
(iii) अन्य			(iii) Others	0.01	0.02	0.02	0.01
7. पर्यावरण और वन मंत्रालय	**7.**		**Ministry of Environment and Forests**	**0.35**	**0.31**	**0.41**	**0.46**
8. पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन		8.	Environment, Forests & Wild Life				
(i) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम			(i) United Nations Environment Programmes	0.17	0.16	0.19	0.20
(ii) प्रकृति और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ			(ii) International Union for conservation for Nature and Natural Resources	0.08	0.06	0.10	0.12
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय व्हेल आयोग			(iii) International Whailing Commission	0.04	0.03	0.05	0.06
(iv) अन्य			(iv) Others	0.06	0.06	0.07	0.08
8. विदेश मंत्रालय	**8.**		**Ministry of External Affairs**	**6.36**	**7.10**	**7.18**	**7.42**
(i) संयुक्त राष्ट्र बजट के लिए अंशदान			(i) Contribution to UN Budget	4.44	5.00	4.75	5.00
(ii) लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अन्तरिम सेना (यू.एन.आई.एफ.आई.एल.)			(ii) UN Interim Forces in Labanon(UNIFIL)	0.19	0.12	0.20	0.18
(iii) यू.एन.डी.ओ..एफ को अंशदान			(iii) Contribution to UNDOF	0.05	0.05	0.05	0.06
(iv) विश्व निरस्त्रीकरण अभियान को अंशदान			(iv) Contribution to World Disarmament campaign	..	0.16	0.16	0.16
(v) राष्ट्रमंडल सचिवालय			(v) Commonwealth secretariat	0.37	0.48	0.79	0.75
(vi) राष्ट्रमंडल फाउंडेशन			(vi) Commonwealth Foundation	0.22	0.25	0.23	0.25
(vii) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग परिषद सचिवालय			(vii) SAARC Secretariat	0.18	0.25	0.25	0.28
(viii) यू.एन. आई.एम.ओ. जी. को अंशदान			(viii) Contribution to UNIMOG	0.11	0.14	0.14	0.13

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान — अनुबन्ध

CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES — ANNEXURE-4

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग	Ministry No. / Department No. / Ministry/Department	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(ix) ग्रुप - 15	(ix) G-15	..	..	0.33	0.33
(x) परीक्षणों पर व्यापक प्रतिबंध संबंधी एन.सी.ओ. कांग्रेस	(x) NCO Congress on Comprehensive Test Ban	..	..	0.10	0.07
(xi) अन्य	(xi) Others	0.80	0.65	0.18	0.21
9. वित्त मंत्रालय	**9. Ministry of Finance**	**925.11**	**651.31**	**695.50**	**3859.96**
9. आर्थिक कार्य	9. Economic Affairs				
(i) तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल निधि	(i) Commonwealth Fund for Technical Cooperation	1.11	1.15	1.50	1.50
(ii) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	(ii) United Nations Development Programme	7.90	7.90	7.90	7.90
(iii) कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष	(iii) International Fund for Agricultural Development	..	4.48	4.48	4.83
(iv) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	(iv) The International Monetary Fund	802.54	509.40	549.98	3740.00
(v) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	(v) International Bank for Reconstruction and Development	97.96	120.27	118.21	96.55
(vi) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन	(vi) International Development Association	0.45	..	0.76	0.76
(vii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	(vii) International Finance Corporation	8.06	..	4.48	..
(viii) अफ्रीकी विकास निधि	(viii) African Development Fund	6.46	7.44	7.44	7.64
(ix) अफ्रीकी विकास बैंक	(ix) African Development Bank	0.52	0.52	0.55	0.55
(x) एशियन विकास बैंक	(x) Asian Development Bank	..	0.02	0.07	0.07
(xi) अन्य	(xi) Others	0.01	0.01	0.01	0.01
10. राजस्व	10. Revenue				
(i) सीमाशुल्क परिषद	(i) Customs Council	0.06	0.06	0.07	0.09
(ii) अन्य	(ii) Others	0.04	0.06	0.05	0.06
10. खाद्य मंत्रालय	**10. Ministry of Food**	**0.14**	**0.14**	**0.17**	**0.21**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी (शूगर) परिषद	(i) International Sugar Council	0.08	0.08	0.09	0.10
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद	(ii) International Wheat Council	0.06	0.06	0.08	0.11
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**11. Ministry of Health and Family Welfare**	**2.03**	**2.73**	**2.79**	**2.80**
11. स्वास्थ्य	11. Health				
(i) विश्व स्वास्थ्य संगठन	(i) World Health Organisation	1.39	2.02	2.14	2.15
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति	(ii) International Committee of Red Cross Society	0.03	0.03	0.03	0.03
12. परिवार कल्याण	12. Family Welfare				
(i) जनसंख्या कार्यकलापों हेतु संयुक्त राष्ट्र निधि	(i) United Nations Fund for Population Activities	0.59	0.66	0.60	0.60
(ii) अन्य	(ii) Others	0.02	0.02	0.02	0.02
12. गृह मंत्रालय	**12. Ministry of Home Affairs**				
13. आंतरिक सुरक्षा	13. Internal Security	**0.36**	**0.36**	**0.38**	**0.38**
13. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**13. Ministry of Human Resource Development**	**5.46**	**6.06**	**6.21**	**6.42**
14. शिक्षा	14. Education				
(i) एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान	(i) Asian Institute of Technology	0.09	0.12	0.12	0.12
(ii) यूनेस्को	(ii) UNESCO	1.21	1.40	1.52	2.35
(iii) अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट संघ	(iii) International copyright Union	..	0.15	0.16	0.20
(iv) आर्थिक अनुसंधान के विकास के लिए विश्व संस्थान	(iv) World Institution for Development Economic Research(WIDER)	0.12	0.14	0.14	0.15
(v) राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना	(v) Setting of Commonwealth University and College	0.82	1.00	1.00	0.25
(vi) अन्य	(vi) Others	..	0.01	0.01	0.02
15. युवा कार्य और खेलकूद	15. Youth Affairs and Sports				
(i) राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम	(i) Commonwealth Youth Programme	0.17	0.16	0.18	0.22
(ii) अन्य	(ii) Others	0.01	0.02	0.03	0.04
16. संस्कृति	16. Culture	0.03	0.04	0.03	0.05
17. महिला और बाल विकास	17. Women and Child Development				
(i) यूनिसेफ	(i) UNICEF	2.98	2.98	2.98	2.98
(ii) महिला दशक के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक निधि	(ii) UN voluntary fund for women decade	0.03	0.04	0.04	0.04
14. उद्योग मंत्रालय	**14. Ministry of Industry**	**2.42**	**3.00**	**3.11**	**3.27**
18. औद्योगिक विकास	18. Industrial development				
(i) एशियाई उत्पादकता संगठन	(i) Asian Productivity Organisation	0.59	0.65	0.74	0.80
(ii) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	(ii) United Nations Industrial Development Organisation	1.76	2.25	2.25	2.35
19. सरकारी उद्यम	19. Public Enterprises	0.07	0.10	0.12	0.12
15. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**15. Ministry of Information and Broadcasting**	**0.83**	**0.83**	**0.92**	**0.96**
(i) एशिया-प्रशान्त प्रसारण संघ	(i) Asia-pacific Broadcasting Union	0.36	0.35	0.39	0.40
(ii) संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	(ii) International Programme for Development of Communication	0.17	0.17	0.18	0.19
(iii) विस समाचार	(iii) Vis News	0.21	0.21	0.22	0.23
(iv) एशिया-प्रशान्त प्रसारण विकास संस्थान	(iv) Asia-pacific Institute for Broadcasting Development	0.06	0.06	0.06	0.07
(v) अन्य	(v) Others	0.03	0.04	0.07	0.07

अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान
CONTRIBUTIONS TO INTERNATIONAL BODIES

अनुबन्ध ANNEXURE-4

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग	Ministry No. / Department No. / Ministry/Department	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
16. श्रम मंत्रालय	**16. Ministry of Labour**	**1.26**	**1.29**	**1.98**	**1.78**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन	(i) International Labour Organisation	1.04	1.06	1.75	1.55
(ii) एशियाई आर.टी. के लिए आवास	(ii) Accomodation of Asian R.T	0.20	0.21	0.21	0.21
(iii) अन्य	(iii) Others	0.02	0.02	0.02	0.02
17. विधि और न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय	**17. Ministry of Law and Justice and Company Affairs**				
20. विधायी कार्य	20. Legal Affairs	**0.03**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
18. खान मंत्रालय	**18. Ministry of Mines**	**0.02**	**0.03**	**0.03**	**0.04**
19. कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय	**19. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**				
21. कार्मिक तथा प्रशिक्षण	21. Personnel and Training	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
20. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**20. Ministry of Planning and Programme Implementation**				
22. सांख्यिकी	22. Statistics	..	**0.04**	**0.04**	**0.04**
21. विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**21. Ministry of Power and Non-Conventional Energy Sources**				
23. विद्युत	23. Power	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
22. रेल मंत्रालय	**22. Ministry of Railways**	..	**0.09**	**0.49**	**0.20**
(i) रेलवे अन्तर्राष्ट्रीय संघ और अनुसंधान तथा प्रयोगों के लिए कार्यालय	(i) International Union of Railways & Office for Research and Experiments	..	0.07	0.47	0.18
(ii) अन्य	(ii) Others	..	0.02	0.02	0.02
23. ग्रामीण विकास मंत्रालय	**23. Ministry of Rural Development**	**0.22**	**0.36**	**0.37**	**0.37**
(i) अफ्रीका-एशियाई ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन	(i) Afro-Asian Rural Reconstruction Organisation	0.22	0.24	0.24	0.24
(ii) एशिया और प्रशान्त तथा अन्य में एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र	(ii) Centre on Integrated Rural Development in Asia and Pacific and others	..	0.12	0.13	0.13
24. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**24. Ministry of Science and Technology**	**0.80**	**0.88**	**0.95**	**0.98**
24. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	24. Science and Technology				
(i) विश्व मौसम विज्ञान संगठन	(i) World Meteorological Organisation	0.29	0.40	0.47	0.47
(ii) संयुक्त राष्ट्र संगठन	(ii) United Nations Organisations	0.12	0.05	0.05	0.07
(iii) विज्ञान संघों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद	(iii) International Council of Scientific Unions	0.14	0.16	0.16	0.17
25. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	25. Scientific and Industrial Research				
(i) राष्ट्रमंडल विज्ञान परिषद	(i) Commonwealth Science Council	0.19	0.20	0.20	0.20
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय माप-तौल ब्यूरो (बी.आई पी एम)	(ii) Bureau De Poids ET Measures (BIPM) (International Bureau of weights and Measures)	0.05	0.06	0.06	0.06
(iii) अन्य	(iii) Others	0.01	0.01	0.01	0.01
25. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	**25. Ministry of Surface Transport**	**0.46**	**0.62**	**0.62**	**0.63**
(i) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन	(i) International Maritime Organisation	0.44	0.60	0.60	0.60
(ii) अन्य	(ii) Others	0.02	0.02	0.02	0.03
26. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**26. Ministry of Textiles**	**0.47**	**0.40**	**0.52**	**0.52**
(i) पटसन अन्तर्राष्ट्रीय	(i) Jute International	0.21	0.15	0.15	0.15
(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कपास संस्थान और कपास सलाहकार समिति	(ii) International Institute of Cotton and Cotton Advisory Committee	0.26	0.25	0.37	0.37
27. शहरी विकास मंत्रालय	**27. Ministry of Urban Development**	**0.21**	**0.18**	**0.19**	**0.19**
(i) मानव पुनर्वास के लिए संयुक्त राष्ट्र केन्द्र(यू.एन.सी.एच.एस.)	(i) United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS)	0.20	0.17	0.18	0.18
(ii) अन्य	(ii) Others	0.01	0.01	0.01	0.01
28. जल संसाधन मंत्रालय	**28. Ministry of Water Resources**	**0.01**	**0.02**	**0.02**	**0.02**
29. कल्याण मंत्रालय	**29. Ministry of Welfare**	**0.01**	**0.01**	**0.01**	**0.04**
30. परमाणु ऊर्जा विभाग	**30. Department of Atomic Energy**	**0.80**	**1.00**	**1.15**	**1.30**
31. महासागर विकास विभाग	**31. Department of Ocean Development**	**0.06**	**0.15**	**0.15**	**0.08**
(i) अंटार्कटिक समुद्री प्राणी संसाधनों की संरक्षण संबंधी समिति	(i) Committee on Conservation of Antarctic Marine Living Resources	0.06	0.15	0.15	0.07
(ii) अन्य	(ii) Others	..	..	..	0.01
32. लोक सभा	**32. Lok Sabha**	**0.25**	**0.14**	**0.14**	**0.18**
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	*962.05*	*694.43*	*738.43*	*3905.11*

31.3.90 को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां और बकाया राशि
GUARANTEES GIVEN BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND OUTSTANDING AS ON 31.3.1990

अनुबन्ध
ANNEXURE-5

(करोड़ रुपये) *(In crores of rupees)*

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग	Ministry No.	Department No. / Ministry/Department	गारंटियों के मामलों की संख्या No. of Cases of guarantees	गारंटियों की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार के साथ करार हुआ Maximum amount of guarantees for which Govt. have entered into agreement	31.3.1990 को गारंटियों की राशि और बकाया राशि Sums guaranteed and outstanding as on 31.3.1990
1. कृषि मंत्रालय	1.	**Ministry of Agriculture**			
1. कृषि और सहकारिता		1. Agriculture and Cooperation	19	663.85	580.78
2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2.	**Ministry of Chemicals and Fertilisers**			
2. रसायन और पैट्रोरसायन		2. Chemicals and Petrochemicals	13	304.24	296.84
3. उर्वरक		3. Fertilisers	18	784.05	663.53
3. नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	3.	**Ministry of Civil Aviation and Tourism**			
4. नागर विमानन		4. Civil Aviation	18	2287.70	1835.87
5. पर्यटन		5. Tourism	3	5.50	1.22
4. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4.	**Ministry of Civil Supplies and Public Distribution**	15	8.52	3.32
5. कोयला मंत्रालय	5.	**Ministry of Coal**	7	137.55	120.36
6. संचार मंत्रालय	6.	**Ministry of Communications**			
6. दूर-संचार		6. Telecommunication	32	1127.05	1094.46
7. रक्षा मंत्रालय	7.	**Ministry of Defence**			
7. रक्षा उत्पादन और आपूर्ति		7. Defence Production and Supplies	10	153.00	124.35
8. वित्त मंत्रालय	8.	**Ministry of Finance**			
8. आर्थिक कार्य		8. Economic Affairs	393	20221.87	15920.74
9. खाद्य मंत्रालय	9.	**Ministry of Food**	8	3206.25	3206.25
10. उद्योग मंत्रालय	10.	**Ministry of Industry**			
9. भारी उद्योग		9. Heavy Industry	97	1358.31	1078.27
10. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग		10. Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	5	3792.84	76.57
11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	11.	**Ministry of Information and Broadcasting**	6	5.94	4.14
12. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	12.	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**	4	18.01	16.84
13. विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	13.	**Ministry of Power and Non-Conventional Energy Sources**			
11. विद्युत		11. Power	58	4965.87	4606.92
14. रेल मंत्रालय	14.	**Ministry of Railways**	80	249.43	249.43
15. इस्पात मंत्रालय	15.	**Ministry of Steel**	17	892.14	864.76
16. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	16.	**Ministry of Surface Transport**			
12. जल-भूतल परिवहन		12. Surface Transport	4	189.27	121.45
13. पोत, दीपस्तम्भ और नौवहन		13. Ports, Lighthouses and Shipping	11	1307.96	812.28
17. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	17.	**Ministry of Textiles**	23	110.46	90.21
18. शहरी विकास मंत्रालय	18.	**Ministry of Urban Development**	119	944.03	833.39
19. परमाणु ऊर्जा विभाग	19.	**Department of Atomic Energy**	3	15.07	15.07
कुल जोड़		***Grand Total***	***963***	***42742.91***	***32617.05***

अनुबन्ध
ANNEXURE-6

1989—90 के दौरान गैर-सरकारी संस्थाओं/संगठनों/व्यक्तियों के लिए 5 लाख रूपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख रूपए (अनावर्ती) से अधिक रकम मंजूर किए गए सहायता अनुदान

GRANTS-IN-AID EXCEEDING Rs.5 LAKHS (RECURRING) OR Rs.10 LAKHS (NON-RECURRING) SANCTIONED TO PRIVATE INSTITUTIONS/ORGANISATIONS/INDIVIDUALS DURING 1989-90.

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

मंत्रालय संख्या / विभाग संख्या / मंत्रालय/विभाग	Min. No. / Deptt. No. / Ministry/Department	मदों की संख्या No. of Items	अनुदान की राशि Amount of grant	
			आवर्ती Recurring	अनावर्ती Non-recurring
1. रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय	**1. Ministry of Chemicals and Petro-Chemicals**			
1. उर्वरक	1. Fertillizers	7	17.05	0.62
2. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**2. Ministry of Civil Aviation and Tourism**			
2. नागर विमानन	2. Civil Aviation	9	0.85	...
3. पर्यटन	3. Tourism	4	4.43	2.25
3. वाणिज्य मंत्रालय	**3. Ministry of Commerce**	26	15.92	...
4. रक्षा मंत्रालय	**4. Ministry of Defence**	1	0.69	...
5. वित्त मंत्रालय	**5. Ministry of Finance**			
4. आर्थिक कार्य	4. Economic Affairs	3	3.73	0.12
6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**6. Ministry of Health and Family Welfare**			
5. स्वास्थ्य	5. Health	10	0.03	...
6. परिवार कल्याण	6. Family Welfare	21	10.40	1.76
7. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**7. Ministry of Human Resource Development**			
7. शिक्षा	7. Education	89	8.71	7.56
8. युवा कार्य और खेलकूद	8. Youth Affairs and Sports	1	0.07	0.38
9. कला और संस्कृति	9. Art and Culture	1	0.21	0.40
10. महिला और बाल विकास	10. Women and Child Development	43	20.65	2.40
8. श्रम मंत्रालय	**8. Ministry of Labour**	1	0.06	...
9. विधि और न्याय मंत्रालय	**9. Ministry of Law and Justice**			
11. विधायी कार्य	11. Legal Affairs	3	0.22	...
10. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**10. Ministry of Personnel, Public Grievences and Pensions**			
12. कार्मिक और प्रशिक्षण	12. Personnel and Training	1	0.95	0.22
11. रेल मंत्रालय	**11. Ministry of Railways**	2	...	0.19
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**12. Ministry of Science and Technology**			
13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	13. Science and Technology	7	0.76	...
14. जैव-प्रौद्योगिकी	14. Bio-Technology	2	0.43	0.88
13. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**13. Ministry of Textiles**	9	36.94	...
14. कल्याण मंत्रालय	**14. Ministry of Welfare**	47	4.72	0.93
15. परमाणु ऊर्जा विभाग	**15. Department of Atomic Energy**	13	39.23	23.08
कुल जोड़	***Grand Total***	***300***	***166.07***	***40.79***

अनुबन्ध
ANNEXURE-7

स्थापना की अनुमानित संख्या और उसके लिए व्यवस्था
Estimated Strength of Establishment and provision therefor.

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

पहली मार्च को अनुमानित संख्या Estimated Strength as on 1st March			मंत्रालय/विभाग	Ministry/Department	बजट अनुमान 1990-91 B.E. 1990-91			संशोधित अनुमान 1990-91 R.E. 1990-91			बजट अनुमान 1991-92 B.E. 1991-92		
1990	1991	1992			वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses	वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses	वेतन Pay	भत्ते (यात्रा व्यय के अलावा) Allowances (other than Travel Expenses)	यात्रा व्यय Travel Expenses
			1. कृषि मंत्रालय	**1. Ministry of Agriculture.**									
11,871	12,242	12,123	i) कृषि और सहकारिता विभाग तथा पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	i) Department of Agriculture & Cooperation and Department of Annimal Husbandry and Dairying	16.10	11.67	1.48	17.92	12.37	1.27	19.23	13.90	1.84
108	41	41	ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	ii) Department of Agricultural Research and Education	0.32	0.17	0.09	0.23	0.10	0.03	0.28	0.10	0.04
			2. रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**2. Ministry of Chemicals and Fertlizers**									
203	218	223	i) रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	i) Department of Chemicals & Petro Chemicals	0.54	0.32	0.10	0.49	0.33	0.07	0.58	0.47	0.10
396	396	396	ii) उर्वरक विभाग	ii) Department of Fertilizers.	0.88	0.52	0.05	0.90	0.54	0.06	1.00	0.67	0.06
			3. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**3. Ministry of Civil Aviation & Tourism**									
1,464	1,482	1,510	i) नागर विमानन विभाग	i) Department of Civil Aviation	5.09	5.62	0.64	5.07	5.41	0.49	5.67	5.67	0.53
690	724	724	ii) पर्यटन विभाग	ii) Department of Tourism	2.52	1.89	0.17	2.50	1.91	0.33	2.23	1.79	0.34
678	682	682	4. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**4. Ministry of Civil Supplies & Public Distribution**	1.46	0.76	0.16	1.50	0.85	0.14	1.71	1.08	0.18
473	462	469	5. कोयला मंत्रालय	**5. Ministry of Coal**	1.28	0.38	0.12	1.30	0.40	0.12	1.36	0.45	0.14
			6. वाणिज्य मंत्रालय	**6. Ministry of Commerce**									
5,323	5,375	5,376	i) वाणिज्य विभाग	i) Department of Commerce	12.16	8.11	2.49	12.45	8.31	2.64	14.40	9.59	3.02
6,544	6,572	6,379	ii) पूर्ति विभाग	ii) Department of Supply	12.94	7.75	0.56	12.61	8.34	0.48	12.90	8.87	0.62
			7. संचार मंत्रालय	**7. Ministry of Communication**									
5,90,508	5,99,358	5,99,181	i) डाक विभाग	i) Department of Posts	793.07	184.62	13.41	794.19	179.96	11.07	848.69	162.46	12.03
3,49,267	3,35,969	3,49,579	ii) दूर-संचार विभाग	ii) Department of Telecommunication	523.62	405.87	27.22	500.95	435.27	28.27	566.39	479.19	35.28
37,623	39,003	39,943	8. रक्षा मंत्रालय (सिविल)	**8. Ministry of Defence (Civil)**	84.95	41.34	3.78	88.10	46.59	3.18	91.96	52.17	3.54
6,866	6,903	7,092	9. पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	**9. Ministry of Environment & Forests**	14.70	5.74	1.50	14.70	5.74	1.50	16.01	6.02	1.57
6,901	6,936	7,002	10. विदेश मंत्रालय	**10. Ministry of External Affairs**	30.51	25.07	20.28	35.25	28.96	23.83	37.15	30.53	27.03
			11. वित्त मंत्रालय	**11. Ministry of Finance**									
28,359	28,592	28,511	i) आर्थिक कार्य विभाग	i) Department of Economic Affairs	16.84	15.52	1.47	16.12	15.56	1.37	17.47	18.01	1.71
1,095	1,281	1,320	ii) व्यय विभाग	ii) Department of Expenditure	2.50	1.72	0.21	2.63	1.58	0.21	2.97	1.96	0.22
1,22,658	1,20,716	1,22,791	iii) राजस्व विभाग	iii) Department of Revenue	230.02	126.21	13.68	224.70	155.16	12.31	237.51	165.24	13.33
69,869	70,861	71,728	iv) लेखा परीक्षा	iv) Audit	136.22	84.03	20.15	136.22	89.40	17.60	137.93	93.48	20.40
2,534	2,501	2,501	12. खाद्य मंत्रालय	**12. Ministry of Food**	5.20	3.47	0.74	4.96	3.30	0.57	5.95	3.97	0.89
764	947	764	13. खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	**13. Ministry of Food Processing Industries**	2.67	1.78	0.38	1.98	1.32	0.28	2.47	1.19	0.27
			14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	**14. Ministry of Health & Family Welfare**									
39,913	40,259	40,619	i) स्वास्थ्य विभाग	i) Department of Health	56.29	37.53	1.08	56.10	37.61	1.25	59.15	40.32	1.37
872	863	863	ii) परिवार कल्याण विभाग	ii) Department of Family Welfare	2.28	1.02	0.26	2.17	1.10	0.22	2.26	1.27	0.28
			15. गृह मंत्रालय	**15. Ministry of Home Affairs**									
28,033	32,871	73,525	i) गृह मंत्रालय	i) Ministry of Home Affairs	72.06	36.54	20.01	62.26	37.66	17.72	110.62	48.61	15.75
4,66,982	4,80,913	4,92,950	ii) पुलिस	ii) Police	550.81	299.15	114.55	639.59	377.12	83.32	749.77	427.16	85.76
			16. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**16. Ministry of Human Resource Development**									
2,589	2,444	2,434	i) शिक्षा विभाग	i) Department of Education	5.84	3.01	0.57	5.79	3.16	0.56	6.12	3.41	0.64
457	462	477	ii) युवा कार्य और खेलकूद विभाग	ii) Department of Youth Affairs and Sports	1.20	0.47	0.25	1.11	0.42	0.20	1.25	0.58	0.28
48	7	7	iii) कला विभाग	iii) Department of Arts	0.06	0.06	0.15	0.05	0.03	0.01	0.03	0.02	0.02
11,785	11,661	11,832	iv) संस्कृति विभाग	iv) Department of Culture	21.95	6.07	1.44	16.35	6.96	1.28	16.64	8.96	1.96
211	222	300	v) महिला एवं बाल विकास विभाग	v) Department of Women and Child Development	0.52	0.43	0.06	0.52	0.43	0.06	0.55	0.50	0.10

			17. उद्योग मंत्रालय	17. Ministry of Industry									
4,346	4,249	4,249	i) औद्योगिक विकास विभाग	i) Department of Industrial Development	8.79	4.49	0.78	8.83	4.57	0.76	9.36	4.88	0.80
251	251	251	ii) भारी उद्योग विभाग	ii) Department of Heavy Industries	0.65	0.35	0.07	0.68	0.28	0.05	0.69	0.30	0.06
153	153	153	iii) सरकारी उद्यम विभाग	iii) Department of Public Enterprises	0.38	0.27	0.06	0.35	0.25	0.05	0.38	0.30	0.06
4,125	4,148	4,148	iv) लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	iv) Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	9.13	5.14	0.57	9.14	5.15	0.55	9.59	5.59	0.64
46,463	52,544	61,330	18. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	18. Ministry of Information and Broadcasting	93.34	45.39	5.74	89.00*	40.81	5.17	109.85	52.05	7.13
12,139	12,021	11,971	19. श्रम मंत्रालय	19. Ministry of Labour	22.32	14.44	2.37	20.38	13.12	2.07	21.87	15.22	2.00
5,827	5,960	6,174	20. विधि, न्याय कार्य और कम्पनी मंत्रालय	20. Ministry of Law, Justice and Company Affairs	12.54	8.35	0.59	12.25	8.87	0.67	13.29	9.54	0.62
21,129	21,303	21,641	21. खान मंत्रालय	21. Ministry of Mines	42.40	20.04	6.12	45.61	20.62	4.91	44.99	13.26	4.53
162	193	193	22. संसदीय कार्य मंत्रालय	22. Ministry of Parliamentary Affairs	0.46	0.14	0.04	0.46	0.14	0.04	0.48	0.17	0.04
7,768	8,015	8,018	23. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	23. Ministry of Personnel, Public Grievences & Pensions	15.78	7.07	2.35	15.99	7.72	2.41	16.92	8.62	2.51
320	320	320	24. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	24. Ministry of Petroleum & Natural Gas	1.03	0.23	0.10	0.84	0.28	0.10	1.02	0.25	0.10
			25. योजना मंत्रालय	25. Ministry of Planning									
5,241	5,341	5,341	i) योजना आयोग	i) Planning Commission	13.56	6.84	1.19	11.93	6.09	1.02	15.12	8.55	1.10
7,002	7,048	7,086	ii) सांख्यिकी विभाग	ii) Department of Statistics	15.20	10.35	2.47	14.34	10.53	2.33	16.84	12.25	2.57
103	103	103	iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	iii) Department of Programme Implementation	0.34	0.16	0.05	0.32	0.12	0.05	0.34	0.16	0.05
			26. विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	26. Ministry of Power & Non-conventional Energy Sources									
3,143	3,211	3,211	ii) विद्युत विभाग	i) Department of Power	9.37	3.67	1.00	8.86	4.13	0.75	9.09	4.37	0.68
488	533	536	iii) गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	ii) Department of Non-conventional Energy Sources	1.24	0.52	0.20	1.24	0.52	0.20	1.33	0.96	0.16
18,07,000*	18,18,000*	18,30,000*	27. रेल मंत्रालय	27. Ministry of Railways	2854.32	1874.44	133.71	2882.77	1962.43	128.75	2980.95	2304.76	129.33
2,247	2,271	2,292	28. ग्रामीण विकास विभाग	28. Ministry of Rural Development	4.80	2.52	0.45	4.85	2.57	0.39	4.93	2.81	0.42
			29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	29. Ministry of Science and Technology									
27,719	27,915	27,140	i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	i) Department of Science and Technology	43.25	20.03	4.75	44.21	20.01	4.75	46.20	20.13	5.05
80	97	107	ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	ii) Department of Scientific and Industrial Research	0.50	0.13	0.08	0.51	0.14	0.09	0.56	0.15	0.09
202	221	248	iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग	iii) Department of Biotechnology	0.72	0.18	0.15	0.53	0.26	0.12	0.67	0.30	0.14
694	694	694	30. इस्पात मंत्रालय	30. Ministry of Steel	1.63	0.83	0.14	1.65	0.77	0.12	1.70	0.90	0.15
5,311	5,457	5,485	31. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	31. Ministry of Surface Transport	13.19	7.04	1.15	13.01	5.34	0.98	13.95	6.17	1.13
5,590	5,596	5,596	32. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	32. Ministry of Textiles	5.55	3.71	0.77	5.87	3.91	0.70	6.36	4.20	0.80
38,657	40,700	40,704	33. शहरी विकास मंत्रालय	33. Ministry of Urban Development	64.28	42.55	1.61	66.35	46.90	1.76	69.49	50.30	1.82
12,912	13,163	17,096	34. जल संसाधन मंत्रालय	34. Ministry of Water Resources	36.22	14.03	4.04	30.11	20.08	3.74	34.16	22.78	4.01
1,035	1,049	1,162	35. कल्याण मंत्रालय	35. Ministry of Welfare	2.72	1.40	0.37	2.53	1.73	0.42	3.21	2.27	0.38
33,576	32,196	34,162	36. परमाणु ऊर्जा विभाग	36. Department of Atomic Energy	79.23	46.33	4.30	80.15	45.72	4.52	86.10	53.74	4.92
1,464	1,935	1,807	37. इलेक्ट्रानिकी विभाग	37. Department of Electronics	3.30	2.40	1.30	3.40	2.60	1.02	3.80	3.20	1.30
234	254	254	38. महासागर विकास विभाग	38. Department of Ocean Development	0.51	0.36	0.18	0.65	0.22	0.18	0.70	0.43	0.26
16,771	17,912	18,416	39. अंतरिक्ष विभाग	39. Department of Space	43.53	22.37	5.21	41.08	24.27	4.32	44.96	28.25	5.11
928	781	780	40. मंत्रिमंडल सचिवालय	40. Cabinet Secretariat	1.94	1.00	0.18	2.00	1.11	0.18	1.94	1.18	0.19
1,613	1,613	1,613	41. लोक सभा सचिवालय	41. Lok Sabha Secretariat	3.66	1.86	0.05	3.58	1.82	0.05	3.71	2.33	0.06
772	774	833	42. राज्य सभा सचिवालय	42. Rajya Sabha Secretariat	1.75	0.84	0.04	1.75	1.05	0.03	1.86	1.14	0.04
310	310	310	43. राष्ट्रपति सचिवालय	43. President Secretariat	0.70	0.29	...	0.69	0.35	0.01	0.69	0.41	0.01
42	42	42	44. उपराष्ट्रपति सचिवालय	44. Vice-President Secretariat	0.10	0.05	0.02	0.10	0.05	0.02	0.10	0.07	0.03
1,806	1,822	1,830	45. संघ लोक सेवा आयोग	45. U.P.S.C.	3.66	2.73	0.12	3.80	2.59	0.12	3.51	2.94	0.12
			46. संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल)	46. Union Territories (Without Legislature)									
1,41,258	1,43,536	1,40,884	i) दिल्ली	i) Delhi	258.78	150.25	3.00	245.02	155.21	2.43	259.43	166.52	2.57
18,120	19,427	19,450	ii) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	ii) Andaman and Nicobar Island	33.59	24.65	1.04	33.62	27.37	1.10	33.64	28.81	1.14
2,699	3,185	3,430	iii) दादरा और नागर हवेली	iii) Dadra and Nagar Haveli	5.27	2.94	0.20	4.13	2.37	0.14	5.44	3.63	0.18
3,661	3,728	4,164	iv) लक्षद्वीप	iv) Lakshadweep	7.91	4.41	0.61	5.49	3.43	0.47	6.91	4.41	0.61
20,445	20,700	21,615	v) चण्डीगढ़	v) Chandigarh	29.40	19.55	0.27	29.50	19.55	0.16	29.90	19.75	0.16
4,060	4,060	4,160	vi) दमन और दीव	vi) Daman and Diu	6.60	2.07	0.20	5.93	2.09	0.16	6.39	3.05	0.20
40,62,950	41,03,794	42,00,341	जोड़	TOTAL	6358.24	3693.25	434.69	6412.21	3943.03	368.30	6884.67	4458.74	412.57

* इसमें दैनिक मजदूर शामिल है * Includès causal Labour

10

Expenditure Budget 1991-92 volume 2 (Incorporating Notes on Demands for Grants)

प्राप्तियों और वसूलियों को घटाने के बाद, वर्ष, 1991-92 के लिए बजट व्यवस्था इस प्रकार है । आगे का ब्यौरा इस विवरण के अन्तिम कालम में दिखाए गए पृष्ठों पर दिया गया है ।

Budget Provisions, net of receipts and recoveries, for the year 1991-92 are as under. Further details are on pages indicated in the last column of this Statement

बजट 1991-92 Budget (करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	आयोजना Plan पूंजी Capital	आयोजना Plan जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	आयोजना-भिन्न Non Plan पूंजी Capital	आयोजना-भिन्न Non Plan जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
कृषि मंत्रालय	**MINISTRY OF AGRICULTURE**	**1029.76**	**330.26**	**1360.02**	**1725.15**	**0.24**	**1725.39**	**3085.41**	
1. कृषि	1. Agriculture	604.29	53.79	658.08	1533.37	0.24	1533.61	2191.69	1-5
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	2. Other Services of Department of Agriculture & Cooperation	133.28	222.99	356.27	4.72	...	4.72	360.99	6-9
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	3. Department of Agricultural Research and Education	190.00	...	190.00	174.00	...	174.00	364.00	10
4. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	4. Departement of Animal Husbandry and Dairying	102.19	53.48	155.67	13.06	...	13.06	168.73	11-13
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**	**18.86**	**93.00**	**111.86**	**4042.52**	**23.60**	**4066.12**	**4177.98**	
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	5. Department of Chemicals and Petro-chemicals	4.06	17.80	21.86	8.37	3.60	11.97	33.83	14-16
6. उर्वरक विभाग	6. Department of Fertilizers	14.80	75.20	90.00	4034.15	20.00	4054.15	4144.15	17-20
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**	**51.84**	**54.23**	**106.07**	**53.95**	**...**	**53.95**	**160.02**	
7. नागर विमानन विभाग	7. Department of Civil Aviation	1.24	27.83	29.07	40.55	...	40.55	69.62	21-22
8. पर्यटन विभाग	8. Department of Tourism	50.60	26.40	77.00	13.40	...	13.40	90.40	23-24
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION**	**6.16**	**6.83**	**12.99**	**3.66**	**0.07**	**3.73**	**16.72**	
9. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	9. Ministry of Civil Supplies and Public Distribution	6.16	6.83	12.99	3.66	0.07	3.73	16.72	25-26
कोयला मंत्रालय	**MNISTRY OF COAL**	**15.00**	**728.00**	**743.00**	**146.00**	**...**	**146.00**	**889.00**	
10. कोयला मंत्रालय	10. Ministry of Coal.	15.00	728.00	743.00	146.00	...	146.00	889.00	27-29
वाणिज्य मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMERCE**	**60.59**	**24.57**	**85.16**	**1400.69**	**1150.00**	**2550.69**	**2635.85**	
11. वाणिज्य विभाग	11. Department of Commerce.	58.25	24.57	82.82	1375.30	1150.00	2525.30	2608.12	30-33
12. आपूर्ति विभाग	12. Department of Supply	2.34	...	2.34	25.39	...	25.39	27.73	34
दूरसंचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**	**16.60**	**76.90**	**93.50**	**250.08**	**-3.00**	**247.08**	**340.58**	
13. संचार मंत्रालय	13. Ministry of Communications.	4.50	...	4.50	7.08	...	7.08	11.58	35
14. डाक सेवाएं	14. Postal Services.	12.10	59.90	72.00	243.00	-3.00	240.00	312.00	36-37
15. दूरसंचार सेवाएं	15. Telecommunication Services.	...	17.00	17.00	...	...	...	17.00	38-39
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**	**...**	**...**	**...**	**13017.98**	**5336.99**	**18354.97**	**18354.97**	
16. रक्षा मंत्रालय	16. Ministry of Defence	...	...	...	129.20	125.77	254.97	254.97	40-42
17. रक्षा पेंशन	17. Defence Pensions	...	...	...	1750.00	...	1750.00	1750.00	43
18. रक्षा सेवा-सेना	18. Defence Services - Army	...	...	...	8079.13	...	8079.13	8079.13	44
19. रक्षा सेवा-नौसेना	19. Defence Services - Navy	...	...	...	892.06	...	892.06	892.06	45
20. रक्षा सेवा-वायु सेना	20. Defence Services - Air Force	...	...	...	2054.96	...	2054.96	2054.96	46
21. रक्षा आयुध निर्माण	21. Defence Ordnance Factories	...	...	...	112.63	...	112.63	112.63	47
22. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	22. Capital Outlay on Defence Services	...	...	...	...	5211.22	5211.22	5211.22	48
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**	**292.53**	**7.56**	**300.09**	**39.71**	**...**	**39.71**	**339.80**	
23. पर्यावरण और वन मंत्रालय	23. Ministry of Environment and Forests	292.53	7.56	300.09	39.71	...	39.71	339.80	49-52

बजट 1991-92 Budget (करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**	...	...	...	**518.18**	**66.85**	**585.03**	**585.03**	
24. विदेश मंत्रालय	24. Ministry of External Affairs	...	...	...	518.18	66.85	585.03	585.03	53-54
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**	**5965.50**	**7756.93**	**13722.43**	**31964.57**	**7549.23**	**39513.80**	**53236.23**	
25. आर्थिक कार्य विभाग	25. Department of Economic Affairs	25.01	4.99	30.00	390.90	157.64	548.54	578.54	55-57
26. करेंसी, सिक्का और स्टाम्प	26. Currency, Coinage and Stamps	...	...	...	53.56	105.29	158.85	158.85	58-60
27. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	27. Payments to Financial Institutions	85.50	749.20	834.70	430.29	123.83	554.12	1388.82	61-64
28. पेंशन	28. Pensions	...	...	...	552.05	...	552.05	552.05	65
29. विनियोग-ब्याज अदायगियां	29. Appropriation-Interest Payments	...	...	...	27450.00	...	27450.00	27450.00	66
30. राज्य सरकारों को अन्तरण	30. Transfers to State Governments	5603.73	6998.80	12602.53	2141.76	6865.00	9006.76	21609.29	67-68
31. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	31. Loans to Government Servants etc.	...	...	...	...	118.59	118.59	118.59	69
32. विनियोग-ऋण की पुनः अदायगी*	32. Appropriation-Repayment of Debt*	...	...	...	...	0.00	0.00	0.00	70
33. व्यय विभाग	33. Department of Expenditure	251.26	3.94	255.20	7.17	...	7.17	262.37	71
34. लेखा परीक्षा	34. Audit	...	...	...	255.12	...	255.12	255.12	72
35. राजस्व विभाग	35. Department of Revenue	...	...	...	31.15	1.74	32.89	32.89	73
36. प्रत्यक्ष कर	36. Direct Taxes	...	...	...	250.00	30.00	280.00	280.00	74
37. अप्रत्यक्ष कर	37. Indirect Taxes	...	...	...	402.57	147.14	549.71	549.71	75
खाद्य मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD**	**8.45**	**30.40**	**38.85**	**2732.33**	...	**2732.33**	**2771.18**	
38. खाद्य मंत्रालय	38. Ministry of Food	8.45	30.40	38.85	2732.33	...	2732.33	2771.18	76-77
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**	**25.99**	**14.01**	**40.00**	**4.42**	**0.01**	**4.43**	**44.43**	
39. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	39. Ministry of Food Processing Industries	25.99	14.01	40.00	4.42	0.01	4.43	44.43	78-79
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**	**1041.59**	**1.36**	**1042.95**	**265.11**	**-1.10**	**264.01**	**1306.96**	
40. स्वास्थ्य विभाग	40. Department of Health	293.49	0.51	294.00	254.68	-1.10	253.58	547.58	80-85
41. परिवार कल्याण विभाग	41. Department of Family Welfare	748.10	0.85	748.95	10.43	...	10.43	759.38	86-90
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**	**147.07**	**161.93**	**309.00**	**2397.40**	**294.80**	**2692.20**	**3001.20**	
42. गृह मंत्रालय	42. Ministry of Home Affairs	12.00	...	12.00	307.02	13.00	320.02	332.02	91-92
43. मंत्रिमंडल	43. Cabinet	...	...	...	11.80	...	11.80	11.80	93
44. पुलिस	44. Police	...	...	...	1757.42	265.36	2022.78	2022.78	94-95
45. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	45. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	89.56	122.44	212.00	269.66	2.51	272.17	484.17	96-98
46. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	46. Transfers to Union Territory Governments	45.51	39.49	85.00	51.50	13.93	65.43	150.43	99
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**	**1568.62**	**3.78**	**1572.40**	**912.43**	**2.86**	**915.29**	**2487.69**	
47. शिक्षा विभाग	47. Department of Education	1030.70	0.60	1031.30	771.15	2.85	774.00	1805.30	100-108
48. युवा कार्य और खेलकूद विभाग	48. Department of Youth Affairs and Sports	73.38	2.18	75.56	38.83	0.01	38.84	114.40	109-110
49. कला और संस्कृति	49. Art and Culture	65.54	...	65.54	62.80	...	62.80	128.34	111-113
50. महिला और बाल विकास विभाग	50. Department of Women and Child Development	399.00	1.00	400.00	39.65	...	39.65	439.65	114-116
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**	**300.14**	**297.33**	**597.47**	**223.80**	**266.14**	**489.94**	**1087.41**	
51. औद्योगिक विकास विभाग	51. Department of Industrial Development	70.00	...	70.00	101.95	0.12	102.07	172.07	117-119
52. भारी उद्योग विभाग	52. Department of Heavy Industry	9.30	159.70	169.00	20.80	115.74	136.54	305.54	120-124
53. सार्वजनिक उद्यम विभाग	53. Department of Public Enterprises	...	...	...	1.41	...	1.41	1.41	125
54. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग	54. Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	220.84	137.63	358.47	99.64	150.28	249.92	608.39	126-128
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**	**136.21**	**168.65**	**304.86**	**352.40**	**5.09**	**357.49**	**662.35**	
55. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	55. Ministry of Information and Broadcasting	13.83	5.60	19.43	83.68	...	83.68	103.11	129-130
56. प्रसारण सेवाएं	56. Broadcasting Services	122.38	163.05	285.43	268.72	5.09	273.81	559.24	131-132

बजट 1991-92 Budget (करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
श्रम मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR**	**83.97**	...	**83.97**	**299.57**	...	**299.57**	**383.54**	
57. श्रम मंत्रालय	57. Ministry of Labour	83.97	...	83.97	299.57	...	299.57	383.54	133-135
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS**	...	...	...	**231.62**	**0.01**	**231.63**	**231.63**	
58. विधि और न्याय	58. Law and Justice	...	...	...	221.63	...	221.63	221.63	136
59. कम्पनी कार्य विभाग	59. Department of Company Affairs	...	...	...	9.99	0.01	10.00	10.00	137
खान मंत्रालय	**MINISTRY OF MINES**	**43.97**	**19.80**	**63.77**	**81.73**	...	**81.73**	**145.50**	
60. खान मंत्रालय	60. Ministry of Mines	43.97	19.80	63.77	81.73	...	81.73	145.50	138-140
संसदीय कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**	...	...	...	**1.30**	...	**1.30**	**1.30**	
61. संसदीय कार्य मंत्रालय	61. Ministry of Parliamentary Affairs	...	...	...	1.30	...	1.30	1.30	141
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**	**6.85**	**1.15**	**8.00**	**45.35**	**4.65**	**50.00**	**58.00**	
62. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	62. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	6.85	1.15	8.00	45.35	4.65	50.00	58.00	142
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**	...	**180.00**	**180.00**	**101.96**	...	**101.96**	**281.96**	
63. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	63. Ministry of Petroleum and Natural Gas	...	180.00	180.00	101.96	...	101.96	281.96	143-145
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**MINISTRY OF PLANNING AND IMPLEMENTATION PROGRAMME**	**52.61**	**16.90**	**69.51**	**56.29**	...	**56.29**	**125.80**	
64. योजना	64. Planning	38.30	16.90	55.20	13.30	...	13.30	68.50	146-147
65. सांख्यिकी विभाग	65. Department of Statistics	14.31	...	14.31	42.14	...	42.14	56.45	148
66. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	66. Department of Programme Implementation	...	...	...	0.85	...	0.85	0.85	149
विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	**MINISTRY OF POWER & NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES**	**196.34**	**2086.91**	**2283.25**	**119.47**	...	**119.47**	**2402.72**	
67. विद्युत विभाग	67. Department of Power	52.30	2081.92	2134.22	118.04	...	118.04	2252.26	150-154
68. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	68. Department of Non-Conventional Energy Sources	144.04	4.99	149.03	1.43	...	1.43	150.46	155-156
ग्रामीण विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**	**3507.50**	**0.50**	**3508.00**	**13.24**	...	**13.24**	**3521.24**	
69. ग्रामीण विकास मंत्रालय	69. Ministry of Rural Development	3507.50	0.50	3508.00	13.24	...	13.24	3521.24	157-160
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	**MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**	**295.87**	**36.51**	**332.38**	**295.31**	**2.05**	**297.36**	**629.74**	
70. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	70. Department of Science and Technology	109.79	32.91	142.70	138.95	2.05	141.00	283.70	161-169
71. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	71. Department of Scientific and Industrial Research	115.28	3.40	118.68	153.30	...	153.30	271.98	170-172
72. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	72. Department of Biotechnology	70.80	0.20	71.00	3.06	...	3.06	74.06	173-175
इस्पात मंत्रालय	**MINISTRY OF STEEL**	...	**433.32**	**433.32**	**13.54**	**56.00**	**69.54**	**502.86**	
73. इस्पात मंत्रालय	73. Ministry of Steel	...	433.32	433.32	13.54	56.00	69.54	502.86	176-179
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT**	**53.55**	**791.45**	**845.00**	**472.82**	**125.98**	**598.80**	**1443.80**	
74. जल-भूतल परिवहन	74. Surface Transport	14.23	105.77	120.00	13.79	35.10	48.89	168.89	180-181
75. सड़कें	75. Roads	35.00	455.00	490.00	357.87	99.68	457.55	947.55	182-183
76. पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	76. Ports, Lighthouses and Shipping	4.32	230.68	235.00	101.16	-8.80	92.36	327.36	184-186
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF TEXTILES.**	**184.99**	**49.55**	**234.54**	**573.94**	**134.25**	**708.19**	**942.73**	
77. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	77. Ministry of Textiles	184.99	49.55	234.54	573.94	134.25	708.19	942.73	187-190
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**	**195.30**	**158.79**	**354.09**	**264.03**	**124.78**	**388.81**	**742.90**	
78. शहरी विकास और आवास	78. Urban Development & Housing	193.65	112.32	305.97	102.26	71.08	173.34	479.31	191-193
79. लोक निर्माण कार्य	79. Public Works	1.65	46.37	48.02	105.10	50.00	155.10	203.12	194-195
80. लेखन सामग्री और मुद्रण	80. Stationary and Printing	...	0.10	0.10	56.67	3.70	60.37	60.47	196
जल संसाधन मंत्रालय	**MINISTRY OF WATER RESOURCES**	**254.07**	**48.73**	**302.80**	**68.47**	**2.60**	**71.07**	**373.87**	
81. जल संसाधन मंत्रालय	81. Ministry of Water Resourses	254.07	48.73	302.80	68.47	2.60	71.07	373.87	197-200

बजट 1991-92 Budget (करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

मंत्रालय/मांग	Ministry/Demand	आयोजना Plan राजस्व Revenue	आयोजना Plan पूंजी Capital	आयोजना Plan जोड़ Total	आयोजना-भिन्न Non Plan राजस्व Revenue	आयोजना-भिन्न Non Plan पूंजी Capital	आयोजना-भिन्न Non Plan जोड़ Total	जोड़ आयोजना तथा आयोजना-भिन्न Total Plan & Non Plan	पृष्ठ संख्या Page No.
कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF WELFARE**	**729.13**	**19.62**	**748.75**	**28.83**	**0.55**	**29.38**	**778.13**	
82. कल्याण मंत्रालय	82. Ministry of Welfare	729.13	19.62	748.75	28.83	0.55	29.38	778.13	201-205
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**	**48.32**	**363.82**	**412.14**	**392.55**	**256.26**	**648.81**	**1060.95**	
83. परमाणु ऊर्जा	83. Atomic Energy	48.32	227.33	275.65	272.65	256.26	528.91	804.56	206-210
84. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	84. Nuclear Power Schemes	...	136.49	136.49	119.90	...	119.90	256.39	211-212
इलेक्ट्रानिकी विभाग	**DEPARTMENT OF ELECTRONICS**	**77.95**	**43.65**	**121.60**	**13.34**	...	**13.34**	**134.94**	
85. इलेक्ट्रानिकी विभाग	85. Department of Electronics	77.95	43.65	121.60	13.34	...	13.34	134.94	213-216
महासागर विकास विभाग	**DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT**	**30.12**	**6.88**	**37.00**	**9.21**	...	**9.21**	**46.21**	
86. महासागर विकास विभाग	86. Departrment of Ocean Development	30.12	6.88	37.00	9.21	...	9.21	46.21	217-218
अन्तरिक्ष विभाग	**DEPARTMENT OF SPACE**	**266.58**	**108.02**	**374.60**	**134.50**	...	**134.50**	**509.10**	
87. अन्तरिक्ष विभाग	87. Department of Space	266.58	108.02	374.60	134.50	...	134.50	509.10	219-224
संसद, राष्ट्रपति सचिवालय आदि	**PARLIAMENT, SECRETARIAT OF THE PRESIDENT ETC**	...	...	...	**46.16**	...	**46.16**	**46.16**	
88. लोक सभा	88. Lok Sabha	...	...	...	20.36	...	20.36	20.36	225
89. राज्य सभा	89. Rajya Sabha	...	...	...	9.05	...	9.05	9.05	226
90. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	90. Appropriation-Staff, Household and Allowances of the President	...	...	...	3.15	...	3.15	3.15	227
91. उपराष्ट्रपति का सचिवालय	91. Secretariat of the Vice-President	...	...	...	0.27	...	0.27	0.27	228
92. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	92. Appropriation-Union Public Service Commission	...	...	...	13.33	...	13.33	13.33	229
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र	**UNION TERRITORIES WITHOUT LEGISLATURE**	**355.98**	**841.52**	**1197.50**	**1001.46**	**-16.76**	**984.70**	**2182.20**	**230-233**
93. दिल्ली	93. Delhi	303.06	616.94	920.00	701.00	1.00	702.00	1622.00	231
94. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94. Andaman & Nicobar Islands	16.85	137.15	154.00	131.59	1.11	132.70	286.70	231
95. दादर और नागर हवेली	95. Dadra & Nagar Haveli	6.82	14.18	21.00	8.36	0.80	9.16	30.16	232
96. लक्षद्वीप	96. Lakshadweep	12.35	10.11	22.46	25.44	0.03	25.47	47.93	232
97. चंडीगढ़	97. Chandigarh	12.20	52.16	64.36	122.74	-19.74	103.00	167.36	233
98. दमन और दीव	98. Daman & Diu	4.70	10.98	15.68	12.33	0.04	12.37	28.05	233
रेलवे**	**RAILWAYS****	...	**1694.00**	**1694.00**	...	...	...	**1694.00**	
कुल जोड़	***GRAND TOTAL***	*17068.01*	*16656.86*	*33724.87*	*64315.07*	*15382.15*	*79697.22*	*113422.09*	

* *मांग संख्या 32 ऋण की वापसी-अदायगी के लिए है, जो प्राप्तियों से समतुल्य है।*

* *Demand No. 32 is for repayment of debt which is matched by receipts.*

** *रेलवे बजट के एक भाग के रूप में अलग से प्रस्तुत ।*

** *Presented separately as part of Railway Budget.*

कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE

मांग संख्या DEMAND No.1

कृषि Agriculture

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		476.50	1029.37	1505.87	506.14	1531.65	2037.79	604.29	1533.37	2137.66
पूंजी	*Capital*		*12.09*	*0.35*	*12.44*	*8.21*	*-1.57*	*6.64*	*53.79*	*0.24*	*54.03*
जोड़	Total		488.59	1029.72	1518.31	514.35	1530.08	2044.43	658.08	1533.61	2191.69
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	0.58	6.65	7.23	0.53	6.51	7.04	1.23	6.99	8.22
कृषि कार्य	**Crop Husbandry**										
बीज	*Seeds*										
2. राष्ट्रीय बीज निगम को अनुदान	2. Grants to National Seeds Corporation etc.	2401	0.58	...	0.58	4.08	...	4.08	38.64	...	38.64
3. अन्य बीज योजनाएं	3. Other seeds schemes	3601	4.24	...	4.24	0.74	...	0.74	0.60	...	0.60
		2401	0.76	0.08	0.84	0.76	0.08	0.84	0.97	0.08	1.05
		4401	9.40	...	9.40	5.40	...	5.40	5.78	...	5.78
जोड़		*Total*	*14.40*	*0.08*	*14.48*	*6.90*	*0.08*	*6.98*	*7.35*	*0.08*	*7.43*
जोड़-बीज	**Total-Seeds**		**14.98**	**0.08**	**15.06**	**10.98**	**0.08**	**11.06**	**45.99**	**0.08**	**46.07**
खाद्यान्न फसलें	*Foodgrain Crops*										
4. चावल, गेहूं और बाजरा के लिए मिनिकिट कार्यक्रम	4. Minikit programmes for rice, wheat and millet	2401	5.50	...	5.50	5.21	...	5.21	2.50	...	2.50
5. पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं	5. Centrally sponsored scheme for production of rice in eastern States	3601	19.57	...	19.57	18.00	...	18.00	...	...	...
		2401	0.43	...	0.43	0.73	...	0.73	...	...	...
जोड़		*Total*	*20.00*	...	*20.00*	*18.73*	...	*18.73*	...	...	...
6. चावल मिनिकिट सहित चावल विकास का एकीकृत कार्यक्रम	6. Integrated Programme for Rice Development including Rice Minikits	2401	...	...	...	...	...	...	3.78	...	3.78
		3601	...	...	...	...	...	...	85.72	...	85.72
		3602	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*90.00*	...	*90.00*
7. खाद्यान्न फसलों की अन्य योजनाएं	7. Others schemes of Foodgrain crops	2401	...	0.13	0.13	...	0.12	0.12	...	0.13	0.13
जोड़-खाद्यान्न फसलें	**Total - Foodgrain crops**		**25.50**	**0.13**	**25.63**	**23.94**	**0.12**	**24.06**	**92.50**	**0.13**	**92.63**
8. दालों का विकास	8. Development of Pulses	3601	16.05	...	16.05	8.55	...	8.55	17.03	...	17.03
		2401	2.00	0.05	2.05	9.50	0.05	9.55	3.44	0.06	3.50
जोड़		*Total*	*18.05*	*0.05*	*18.10*	*18.05*	*0.05*	*18.10*	*20.47*	*0.06*	*20.53*
खाद और उर्वरक	**Manures & Fertilizers**										
9. कृषि निविष्टियों के लिए राज्यों को उधार	9. Loans to States for agricultural inputs										
9.01 अदायगियां	9.01 Payments	7601	...	310.00	310.00	...	296.57	296.57	...	310.00	310.00
9.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	9.02 Less Recoveries during the year	7601	...	-310.00	-310.00	...	-298.40	-298.40	...	-310.00	-310.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	*-1.83*	*-1.83*	...	...	...
10. खाद और उर्वरकों की अन्य योजनाएं	10. Other schemes of Manures and Fertilizers	2401	5.67	...	5.67	2.09	...	2.09	5.28	...	5.28
		3601	7.20	...	7.20	5.95	...	5.95	4.79	...	4.79
		4401	...	...	...	...	...	...	0.65	...	0.65
जोड़		*Total*	*12.87*	...	*12.87*	*8.04*	...	*8.04*	*10.72*	...	*10.72*
जोड़-खाद और उर्वरक	**Total-Manures & Fertilizers**		**12.87**	...	**12.87**	**8.04**	**-1.83**	**6.21**	**10.72**	...	**10.72**
11. पौध संरक्षण	11. Plant protection	3601	1.40	...	1.40	1.25	...	1.25	1.05	...	1.05
		3602	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.03	...	0.03
		2401	3.73	3.39	7.12	3.52	3.20	6.72	8.27	3.36	11.63
		4401	1.97	...	1.97	1.68	...	1.68	3.95	...	3.95
जोड़		*Total*	*7.18*	*3.39*	*10.57*	*6.53*	*3.20*	*9.73*	*13.30*	*3.36*	*16.66*
वाणिज्यिक फसलें	**Commercial Crops**										
12. तेलहन उत्पादन कार्यक्रम	12. Oil Seeds Production Programme	3601	51.57	...	51.57	45.16	...	45.16	55.50	...	55.50
		2401	2.43	0.22	2.65	3.89	0.21	4.10	4.50	0.22	4.72
जोड़		*Total*	*54.00*	*0.22*	*54.22*	*49.05*	*0.21*	*49.26*	*60.00*	*0.22*	*60.22*
13. राष्ट्रीय तेलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड	13. National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board	2401	3.00	1.75	4.75	2.70	1.25	3.95	3.00	1.32	4.32
14. तेलहनों के संबंध में पश्च-फसल प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास	14. Research and development of Post Harvest Technology in Oilseeds	2401	...	...	...	...	...	...	6.46	...	6.46
15. गहन कपास विकास कार्यक्रम	15. Intensive Cotton Development Programme	3601	3.89	...	3.89	3.89	...	3.89	3.95	...	3.95
		2401	0.01	0.19	0.20	0.01	0.18	0.19	0.01	0.19	0.20
जोड़		*Total*	*3.90*	*0.19*	*4.09*	*3.90*	*0.18*	*4.08*	*3.96*	*0.19*	*4.15*
16. सक्षम राज्यों में ताड़ के पेड़ों की खेती	16. Oil Palm Cultivation in potential States	2401	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	0.20	...	0.20
		3601	...	...	...	...	...	...	7.50	...	7.50
		3602	...	...	...	...	...	...	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*0.50*	...	*0.50*	*8.00*	...	*8.00*
17. अन्य वाणिज्यिक फसलें	17. Other Commercial Crops	2401	...	0.64	0.64	0.41	0.60	1.01	...	0.63	0.63
जोड़-वाणिज्यिक फसलें	**Total-Commercial Crops**		**62.90**	**2.80**	**65.70**	**56.56**	**2.24**	**58.80**	**81.42**	**2.36**	**83.78**
18. बागवानी और सब्जी-फसलें	18. Horticulture and Vegetable Crops	3601	2.55	...	2.55	3.58	...	3.58	14.74	...	14.74
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.08	...	0.08
		2401	11.82	0.31	12.13	9.89	0.29	10.18	18.73	0.31	19.04
		4401	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	*14.40*	*0.32*	*14.72*	*13.50*	*0.29*	*13.79*	*33.55*	*0.32*	*33.87*

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
19. विस्तार और प्रशिक्षण	19. Extension and Training	3601	1.00	...	1.00	1.21	...	1.21	1.15	...	1.15
		2401	8.00	1.90	9.90	6.92	1.84	8.76	8.91	1.87	10.78
जोड़		*Total*	*9.00*	*1.90*	*10.90*	*8.13*	*1.84*	*9.97*	*10.06*	*1.87*	*11.93*
फसल बीमा	**Crop Insurance**										
19. फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत साधारण बीमा निगम को अदायगी	20. Payment to GIC under crop Insurance schemes	2401	0.75	...	0.75	69.75	...	69.75	3.60	...	3.60
		3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.35	...	0.35
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*70.00*	...	*70.00*	*4.00*	...	*4.00*
कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	**Agricultural Economics & Statistics**										
21. कृषि संबंधी गणना	21. Agricultural Census	2401	0.26	...	0.26	0.23	...	0.23	0.26	...	0.26
		3601	1.72	...	1.72	1.55	...	1.55	1.72	...	1.72
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*1.80*	...	*1.80*	*2.00*	...	*2.00*
22. कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की अन्य योजनाएं	22. Other schemes of Agricultural Economics & Statistics	2401	5.08	4.31	9.39	4.89	4.05	8.94	5.32	4.23	9.55
		3601	6.90	...	6.90	6.63	...	6.63	7.14	...	7.14
		3602	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*12.00*	*4.31*	*16.31*	*11.55*	*4.05*	*15.60*	*12.48*	*4.23*	*16.71*
जोड़-कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी	**Total-Agricultural Economics & Statistics**		**14.00**	**4.31**	**18.31**	**13.35**	**4.05**	**17.40**	**14.48**	**4.23**	**18.71**
23. कृषि इंजीनियरी	23. Agricultural Engineering	2401	0.40	1.34	1.74	0.20	1.25	1.45	0.35	1.40	1.75
		3601	1.60	...	1.60	1.00	...	1.00	8.70	...	8.70
		4401	0.60	0.30	0.90	1.01	0.26	1.27	0.95	0.19	1.14
जोड़		*Total*	*2.60*	*1.64*	*4.24*	*2.21*	*1.51*	*3.72*	*10.00*	*1.59*	*11.59*
24. छोटे और सीमान्तिक किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लिए योजनाएं	24. Schemes for small and marginal farmers and agricultural labour	3601	110.50	...	110.50	100.80	...	100.80	100.45	...	100.45
		3602	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
		2401	0.10	...	0.10	0.13	...	0.13	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*110.64*	...	*110.64*	*100.97*	...	*100.97*	*100.59*	...	*100.59*
वर्षापोषित कृषि	**Rainfef Farming**										
25. वर्षापोषित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25. National watershed development programme for rainfed agriculture	3601	79.30	...	79.30	73.15	...	73.15	126.75	...	126.75
		2401	1.25	...	1.25	1.13	...	1.13	1.00	...	1.00
		7601	...	...	...	...	...	...	42.23	...	42.23
		7602	...	...	...	...	...	...	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*80.55*	...	*80.55*	*74.28*	...	*74.28*	*170.00*	...	*170.00*
26. वाटरशेड विकास परिषद्	26. Watershed Development Council	2401	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़-वर्षापोषित कृषि	**Total-Rainfed Farming**		**80.55**	...	**80.55**	**74.28**	...	**74.28**	**172.00**	...	**172.00**
27. आलू, प्याज आदि के लिए मूल्य समर्थन क्रियाकलाप	*27. Price support operations for Potatoes, Onions etc.*										
27.01 नेफेड के माध्यम से	27.01 Through NAFED	2401	...	2.50	2.50	...	5.32	5.32	...	5.50	5.50
27.02 राज्य सरकारों के माध्यम से	27.02 Through State Governments	3601	...	1.50	1.50	...	2.35	2.35	...	2.50	2.50
जोड़		*Total*	...	*4.00*	*4.00*	...	*7.67*	*7.67*	...	*8.00*	*8.00*
28. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	28. Investments in Public Enterprises	4401	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.20	...	0.20
		6401	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*0.12*	...	*0.12*	*0.12*	...	*0.12*	*0.21*	...	*0.21*
29. विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस.एफ.पी.पी.)	29. Special Foodgrains Production Programme (SFPP)	3601	113.00	...	113.00	105.50	...	105.50	46.00	...	46.00
		3602	...	...	...	0.43	...	0.43	...	...	...
जोड़		*Total*	*113.00*	...	*113.00*	*105.93*	...	*105.93*	*46.00*	...	*46.00*
30. कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम	30. Other programmes of Crop Husbandry	2401	0.60	3.49	4.09	0.63	3.49	4.12	0.86	3.68	4.54
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4401	...	0.04	0.04	...	...	...	...	0.04	0.04
जोड़		*Total*	*0.60*	*3.53*	*4.13*	*0.63*	*3.49*	*4.12*	*0.86*	*3.72*	*4.58*
जोड़-कृषि कार्य	**Total- Crop Husbandry**		**487.39**	**22.15**	**509.54**	**513.22**	**22.71**	**535.93**	**656.15**	**25.72**	**681.87**
अन्य कृषि कार्यक्रम	***Other Agricultural Programmes***										
31. किसानों को ऋण-संबंधी राहत की योजना	31. Scheme for debt relief to farmers	2435	...	1000.00	1000.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00
32. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32. Other Administrative Services	2070	0.62	0.92	1.54	0.60	0.86	1.46	0.70	0.90	1.60
कुल जोड़	**Grand Total**		**488.59**	**1029.72**	**1518.31**	**514.35**	**1530.08**	**2044.43**	**658.08**	**1533.61**	**2191.69**
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
28.01 राज्य फार्म निगम	28.01 State Farms Corporation	12401	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
28.02 आयल पाम इंडिया लि0	28.02 Oil Palm India Ltd.	12401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
28.03 राष्ट्रीय बीज निगम	28.03 National Seeds Corporation	12401	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	**TOTAL**		**0.12**	...	**0.12**	**0.12**	...	**0.12**	**0.21**	...	**0.21**
ग. आयोजना परिव्यय *:-	**C. Plan Outlay *:-**										
केन्द्रीय आयोजना :	*Central Plan:*										
1. कृषि कार्य	1. Crop Husbandry	12401	487.39	...	487.39	513.32	...	513.32	656.15	...	656.15
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2. Secretariat-Economic Services	13451	0.58	...	0.58	0.53	...	0.53	1.23	...	1.23
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3. Other Administrative Services	32070	0.62	...	0.62	0.60	...	0.60	0.70	...	0.70
जोड़		*Total*	*488.59*	...	*488.59*	*514.45*	...	*514.45*	*658.08*	...	*658.08*
जोड़	**TOTAL**		**488.59**	...	**488.59**	**514.45**	...	**514.45**	**658.08**	...	**658.08**

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

** Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

79. लोक निर्माण कार्य	79. Public Works	12401	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...

1. यह व्यवस्था कृषि और सहकारिता विभाग के सचिवालय, काउंसलर (कृषि) भारतीय दूतावास, रोम और तेलहनों एवं दालों से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन तथा कृषि क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच कार्यक्रम अभ्यास संबंधी तकनीकी सहयोग के लिए व्यय के लिए है।

2. राष्ट्रीय बीज निगम अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय बीज परियोजना जैसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाला एक संवर्धनात्मक और विकासात्मक संगठन है । यह निगम कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य बीज निगमों और पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने के लिए आयोजना तथा संगठनात्मक कार्य करने और बीजों का अन्तर्राज्यीय स्तर पर विपणन करने के लिए जिम्मेदार है ।

3. इसमें बीजों के प्रसंस्करण और भंडारण के बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं, राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना, बुनियादी और प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय राज्य फार्म निगम को अनुदान देने, राज्यों के बीज प्रमाणीकरण संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को अनुदान देने पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

4. मिनिकिट कार्यक्रम का उद्देश्य अद्यतन किस्मों के बीजों को शीघ्रतापूर्वक लोकप्रिय बनाना और देश भर में किसानों के बीच नई उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करना है । नई प्रौद्योगिकी के प्रचार का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में बीजों की रतुए से प्रभावित होने वाली किस्मों का प्रतिस्थापन रतुआ प्रतिरोधी किस्मों से करना है । इस कार्यक्रम में नई उत्पादन प्रौद्योगिकी में विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है।

5. और 6. पूर्वी राज्यों के लिए विशेष चावल कार्यक्रम और चावल के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम और चावल के मिनिकिट कार्यक्रम को मिलाकर 1990-91 में चावल विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम (आई.पी.आर.डी.) के नाम से एक स्कीम बनायी गई है । यह स्कीम 19 राज्यों के 201 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है । चुने हुए 3 राज्यों के 21 जिलों में बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमाणित बीजों और बेहतर कृषि प्रौद्योगिकी आदि के प्रयोग द्वारा इन राज्यों में चावल का उत्पादन और इसकी उत्पादकता में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना है। यह व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है ।

7. यह व्यवस्था चावल और बाजरे के विकास से सम्बधित कार्यक्रमों के लिए है ।

8. दालों के विकास के कार्यक्रम का उद्देश्य बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पावधिक किस्म की दालों को फसलों की खेती के अन्तर्गत दालों की खेती का क्षेत्र बढ़ाकर और दालों की खेती के संबंध में पैकेज पद्धति अपनाकर और उपजाऊ बीजों के उत्पादन करके तथा शुरुवाती प्रदर्शनी आयोजित करके और बाज़ार मध्यस्थता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन (नैफेड) द्वारा दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है ।

9. कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि निविष्टियों, जैसे उर्वरकों, बीजों और कीटनाशक दवाओं की खरीद और उनके वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पावधिक ऋण दिए जाते है । ये ऋण छमाही किस्तों में वसूल किए जाते हैं । 1991-92 के बजट में इस संबंध में 310.00 करोड़ रुपए की और 310.00 करोड़ रुपए की वसूलियों की व्यवस्था की ग

10. इस व्यवस्था में जैव-उर्वरकों के विकास और प्रयोग, केन्द्रीय उर्वरक किस्म नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ बनाने तथा उर्वरकों के संतुलित और समन्वित प्रयोग से संबंधित व्यय शामिल है।

11. इस व्यवस्था का सम्बन्ध इन पर व्यय के लिए है:- (क) मरुस्थल वाले इलाकों में टिड्डी दल सर्वेक्षण, आसूचना, जांच और नियंत्रण (ख) हानिकर कीड़े और महामारी अधिनियम, 1914 का क्रियान्वयन, (ग) पौधों की महामारियों और हानिकर जीवों को समाप्त करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य कार्मिकों को, हानिकर जीवों को मारने वाली दवाओं और उपस्करों के संबंध में तकनीकी सलाह और सहायता देना, (घ) अखिल भारतीय तथा प्रादेशिक स्तर पर महामारियों और पौधों की बीमारियों आदि को दूर करने के लिए तदर्थ सर्वेक्षण और क्षेत्रीय नियंत्रण कम्पलेक्स की व्यवस्था करना और (ङ) टिड्डी दल नियंत्रण तथा पौध संरक्षण आदि के लिए हवाई जहाजों से दवाइयां छिड़कना तथा कृषि रासायनिक दवाइयां छिड़कने का अभियान चलाना ।

12. तेलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्यक्रम सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना (एन.ओ.डी.पी.) और तेलहन उत्पादन संवृद्धि परियोजना (ओ.पी.टी.पी.) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था । ये दोनों कार्यक्रम 1989-90 तक संचालन में थे । 1990-91 से राष्ट्रीय तेलहन विकास परियोजना और तेलहन उत्पादन संवृद्धि परियोजना को मिलाकर "तेलहन उत्पादन कार्यक्रम" (ओ. पी. पी.) नामक एक परियोजना बना दिया गया है। इस कार्यक्रम में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Department of Agriculture and Cooperation, counsellor (Agriculture) Embassy of India, Rome, and for Technology Mission on Oilseed and Pulses and also for Technical Cooperation among Developing Countries Programming Exercise in Agriculture Sector.

2. National Seeds Corporation is a promotional and developmental organisation for implementing, inter-alia, the National Seeds Project. It is responsible for planning and organising at national level, production of foundation and certified seeds through agricultural universities, State Seeds Corporations, registered growers and for inter-state marketing of seeds.

3. The provision includes expenditure on seed processing and storage-infrastructural facilities, setting up of national seeds training centre, grants to State Farms Corporation of India for production of foundation and certified seeds, grants to States for strengthening of state seed certification organisations, etc.

4. The minikit programmes aim at quick popularisation of the latest varieties of seeds and propagation of new production technology amongst the farming community all over the country. Propagation of the new technology is with a view to replacement of rust susceptible varieties with rust resistant varieties in hill areas. The programmes include training of extension workers in new production technology.

5. & 6. The Special Rice Programme for Eastern States, Special Foodgrains Production Programme for Rice and Minikit Programme of Rice were merged into a single scheme known as Integrated Programme for Rice Development (IPRD) in 1990-91. The scheme is being implemented in 201 districts of 19 States. Programme for cultivation of Basmati rice has also been taken up in 21 districts of 3 selected States. The programme seeks to bring about substantial increase in production and productivity of rice in these States through use of certified seeds, better agricultural technology etc. The expenditure is shared on 75:25 basis between Central and State Governments.

7. The provision is for rice and millet development related programmes.

8. The programme for development of pulses aims at raising the production of pulses by increasing the area under these crops by cultivation of short-duration varieties of pulses in multiple crops programme and by adopting package of practices in pulses cultivation and also for production of Breeder seed and holding of Front Line demonstration, and also to National Agricultural Cooperative Marketing Fedration of India. (NAFED) for Market Intervention.

9. Short term loans are given to State Governments for purchase and distribution of agricultural inputs, i.e.,fertilisers, seeds and pesticides, with a view to improving agricultural production. These loans are recoverable in six months. Budget 1991-92 provides Rs.310.00 crores on this account and assumes recoveries of Rs.310.00 crores

10. The provision includes expenditure relating to development and use of biofertilizers, strengthening of Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Balanced and Integrated use of Fertiliser.

11. The provision is for expenditure relating to (a) locust survey, intelligence, investigation and control in desert areas, (b) implementation of the Destructive Insects and Pests Act, 1914, (c) assistance to States, Union territories and others with technical advice in regard to personnel, pesticides and equipment for fighting pests and plant diseases outbreaks, etc., (d) organisation of surveys of pests and plant diseases of all India and regional importance and (e) aerial spraying and agro-chemical operations for locust control, plant protection, etc,.

12. Programme for increasing Oilseeds Production during the 7th Plan was implemented through two Centrally Sponsored Schemes, namely National Oilseeds Development Project (NODP) and Oilseed Production Thrust Project (OPTP). These two programmes were in operation upto 1989-90. From 1990-91, NODP and OPTP have been amalgamaged into a single project "Oilseed Production Programme" (OPP). The programme covers all the major nine Oilseed crops namely Groundnut, rapeseed-mustard, Soyabean Sesamum, Sun-

करडी, नाइजर, कस्तूरी और अलसी नामक सभी प्रमुख नौ तेलहन फसलें शामिल हैं। यह कार्यक्रम 18 राज्यों के 282 जिलों के लिए स्वीकृत किया गया है। बुनियादी बीज के उत्पादन को छोड़कर, जिसके लिए राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है, सभी प्रमुख संसाधनों के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का ढांचा 75:25 है। इसके अतिरिक्त, संकर किस्म के बीज के उत्पादन के लिए और प्रमुख प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए आई. सी. ए. आर. को सहायता अनुदान (100 प्रतिशत) दिया जाता है। तेलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष जोर बेहतर कार्यकलापों को अपनाकर, संसाधन समर्थन सेवाओं और तकनीक के अन्तरण आदि के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना है। 1990-91 से आई. सी. ए. आर. द्वारा किसानों के खेतों पर आयोजित की जाने वाली प्रमुख प्रदर्शनियों और किसानों को रियायती दरों पर बीज के वितरण नामक दो अवयव शुरू किए गए हैं।

13. तेलहनों के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय तेलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड को उत्पादन, प्रसंस्करण विपणन, तकनीकी सुधार और अनुसंधान, संस्थापना, गोदाम सुविधा और संकट-रोधी स्टाक आदि के रख-रखाव सहित तेलहन उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग के सभी पहलुओं संबंधी बहुत व्यापक कार्य सौंपे गए हैं।

14. यह व्यवस्था तेलहनों में जुताई के बाद की तकनीक संबंधी विकास के लिए है जिसमें मुख्य रूप से (क) आधुनिक तेल के कोल्हू (एक्सपैलर) का विकास करना और उसे लोकप्रिय बनाना तथा (ख) ताड़ के फलों के प्रसंस्करण के लिए प्रोटोटाइप विकसित करना और आंध्र प्रदेश में वाणिज्यिक आधार के लिए तेल के लिए पनपने वाले ताड़ के पौधे लगाना शामिल है।

15. यह व्यवस्था वर्तमान गहन कपास विकास कार्यक्रम को जारी रखने तथा नई सिंचाई परियोजनाओं और अपरम्परागत क्षेत्रों में मौजूदा गहन कपास विकास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए है।

16. ताड़ के तेल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर तेल के रूप में अन्य तेल की फसलों से बहुत अधिक है। तेल के लिए ताड़ की खेती के लिए उपयुक्त लगभग 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पता लगाया गया है, जिसमें से इस योजना के अधीन 18,500 हेक्टेयर क्षेत्र का शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में देशी और आयातित दोनों स्रोतों से बीज और पौध की आपूर्ति, फसल उगाने के लिए किसानों को सहायता, तेल शोधक और तेल-निष्कर्षण इकाइयां आदि स्थापित करना शामिल है।

17. यह व्यवस्था विकास कार्यक्रमों के लिए विभिन्न निदेशालयों पर होने वाले व्यय के लिए है।

18. इस कार्यक्रम में अनेक फसलें जैसे, फल, सब्जियां, पुष्पोत्पादन, मसाले, काजू और खुम्भी आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फलदार वृक्षों को अच्छी किस्म की रोपण सामग्री और रखने की टोकरियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराकर, कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन आयोजित करके और कृषकों को उन्नत प्रौद्योगिकी की प्रभावोत्पादकता की जानकारी देकर उद्यान-कृषि फसलों के उत्पादन और उसकी उत्पादकता की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। मोडर प्रौद्योगिकी को अपनाकर बागवानी की फसलों का उत्पादन / उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में सांकेतिक व्यवस्था की गई है। इसमें ड्रिप सिंचाई भी शामिल होगी। इन फसलों के रखरखाव का कार्य दो निदेशालय तथा दो स्वायतशासी बोर्ड कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी उद्यान कृषि फसलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

19. इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण सुविधाओं का आयोजन करने, उन्हें कार्यान्वित करने, और उनका मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें किसानों को समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, अनुदेशात्मक फिल्में, और प्रदर्शनियों आदि के जरिए खेती की उन्नत प्रौद्योगिकी की जानकारी देना भी शामिल है।

20. फसल बीमा योजना साधारण बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके प्रीमीयिम तथा दावों की 2:1 के अनुपात में सह-भागीदारी के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। सभी किसान जो चावल, गेहूं, तिलहन और दालों की फसल उगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से फसल ऋण प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं। चावल, गेहूं और बाजरे के लिए प्रीमियम की दर बीमाकृत राशि की दो प्रतिशत और तिलहन तथा दालों के लिए बीमाकृत राशि का एक प्रतिशत है। छोटे और सीमान्तिक किसानों के लिए बीमा प्रीमियम के 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य आधार पर दी जाती है। अभी तक 19 राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को क्रियान्वित किया है।

21 यह व्यवस्था चालू आयोजना-अवधि में की जा रही कृषि-गणना पर होने वाले व्यय के लिए है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि जोतों के ढांचे और उनकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करना है, जो नीति-निर्माण के लिए जरूरी है।

22. यह व्यवस्था मुख्यतः कृषि-आर्थिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन

flower, Safflower, niger, Castor and linseed. The programme has been sanctioned for 18 States covering 282 districts. The pattern of financial assistance is 75:25 between the Central and the State Governments for all the key inputs except for production of Foundation seed for which 100% assistance is given to the States. In addition, Grant--in-aid (100%) is given to ICAR for production of breeder seed and organising frontline demonstrations. Under OPP, the main emphasis is on increasing the productivity through adoption of improved package of practices, input support services and transfer of technology etc. Two components namely frontline demonstrations to be organised by the ICAR on the farmers' fields and seed distribution to farmers at concessional rates have been introduced from 1990-91.

13. National Oilseeds and Vegetable Oil Development Board set up under the NOVOD Board Act, 1983 for integrated development of Oilseed and vegetable oils industry, is charged, with very comprehensive functions covering all aspects of oilseed industry and vegetable oils industry including production, processing, marketing, technological improvements and research, procurement, storage and maintenance of buffer stocks etc.

14. The provision is for research and development of post-harvest technology in oilseeds concentrating mainly on (a) development and popularisation of Modern Oil Expeller and (b) to develop a proto-type for processing palm fruits and installation in Oil Palm plantation coming up in Andhra Pradesh for commercial trials.

15. The provision is for continuation of the existing intensive cotton development programme and its extension to new irrigated areas as well as non-traditional areas.

16. The yields from oil palm is very high in terms of oil per hectare as compared to other oil crops An area of about 5.75 lakh hectare has been identified suitable to oil palm cultivtion of which 18,500 hectares is proposed to be covered under this scheme. The programme includes supply of seeds and seedlings both through imports and indigenous sources, assistance to farmers for raising the crop, establishment of refineries and oil extraction units etc.

17. The provision is in respect of expenditure on various Directorates for Development Programmes.

18. This programme covers a wide range of crops, such as fruits, vegetables, floriculture, spices, cashewnut mushrdom, etc. The main objective of the programme is to increase the production and productivity of horticultural crops by making available adequate quality planting material and input kits, organising demonstrations on agro-techniques and educating farmers on efficacy of improved technology. Token budget provision have also been made for 'Promoting Use of Plastics for increasing Production/Productivity of Horticulture Crops through Adoption of Moder Technologies. This would include drip irrigation. There are two Directorates and two autonomous Boards looking after these crops. Special attention is also being given for the development of Horticultural Crops in the North-Eastern States.

19. Under the scheme, technical guidance and financial assistance are provided for planning, implementation, and evaluation of extension and training facilities. It also includes providing effective dissemination of knowledge and techniques of advanced farm technology to the farmers through press, radio, television, instructional films, exhibitions, etc.

20. The Crop Insurance Scheme is implemented by the General Insurance Corporation of India Ltd. in collaboration with the State Governments sharing premium as well as claims with them in the ratio of 2:1. All the farmers availing of crop loans from financial institutions for raising rice, wheat, millets, oilseeds and pulses are covered under the Scheme. The premium rate for rice, wheat and millets is 2% and for oilseeds and pulses, it is 1% of the sums insured. For small and marginal farmers, 50% of the insurance premium is subsidised by the Central and State Governments on a matching basis. So far 19 States and 4 Union Territories have implemented the Scheme.

21. The provision is for expenditure on agricultural census being carried out in the current Plan period. The main objective of the scheme is to obtain data on the structure of operational holdings and their various charactersitics which are needed for policy purposes.

22. The provision is mainly for schemes relating to collection,

और अनुरक्षण, आर्थिक विश्लेषण और कृषि आर्थिक आसूचना के संकलन और प्रसार की योजनाओं के लिए है ।

23. इसका संबंध फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों से है, जो कृषि से संबंधित मशीनों के चयन, प्रचालन, अनुरक्षण, सर्विसिंग, और प्रबंधकीय पहलुओं के लिए कृषि उद्योग निगमों, खेती संबंधी संस्थाओं और इंजीनियरी उद्यमकर्ताओं द्वारा नामित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देते हैं । ये संस्थाएं फार्म मशीनरी के कार्य निष्पादन सम्बन्धी मूल्यांकन का निरीक्षण भी करती हैं ।

24. छोटे और सीमान्तिक किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए, छिछले नलकूपों के निर्माण और कुएं खोदकर उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूगत और भूतल जल के संयुक्त प्रयोग के लिए एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इसमें होने वाले व्यय का केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 पर अंशदान किया जाता है ।

25. इस परियोजना में देश के वर्षासिंचित क्षेत्रों के विस्तृत भू-भाग में बायोमास के स्थाई उत्पादन तथा पारिस्थितकी संतुलन के पुनः स्थापना संबंधी दो लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा । इसका ध्यान मुख्यतः (i) प्राकृतिक सम्पदा जैसे भूमि, जल, पौधे, जानवर तथा मानवीय संसाधनों का समन्वित तथा एकीकृत ढंग से बचाव, विकास तथा उपयोग करना; (ii) व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना; (iii) भूमि और जल का वैज्ञानिक ढंग से प्रबन्ध करके उत्पादन संबंधी पर्यावरण में सुधार लाना तथा पारिस्थितिक संतुलन का पुनः स्थापन; (iv) सिंचाई तथा वर्षासिंचित क्षेत्रों के मध्य असमानताओं को कम करना । इस कार्यक्रम को देश के ऐसे सभी ब्लाकों पर लागू किया गया है जिनका उपजाऊ क्षेत्र 30% से कम है और उनके लिए सिंचाई के सुनिश्चित उपाय किये जा रहे हैं ।

26. यह व्यवस्था वाटर शैड विकास परिषद के लिए है जिसकी स्थापना विश्वबैंक से सहायता प्राप्त योजनाओं अर्थात (i) हिमालयन वाटरशैड प्रबंध परियोजना और (ii) वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में वाटर शैड विकास के लिए वाटरशैड परियोजना संबंधी कार्यों की समग्र जिम्मेदारी निभाने के लिए है । वाटरशैड विकास परिषद के मुख्य कार्य उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं को देखना, अनुमोदन करना और मानीटर करना है । इस परिषद ने आयोजना, कार्यान्वयन तथा सामान्य पद्धति के अवस्थापनापरक विकास के लिए राज्यों को मार्गदर्शन और परामर्श दिया है ।

27. मूल्य-समर्थन अथवा बाजार में हस्तक्षेप करने के उपायों का उद्देश्य यह है कि किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो तथा उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो । तेलहनों और आलू तथा प्याज जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के बारे में ये क्रियाकलाप नेफेड द्वारा किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के अनुरोध पर, जब आवश्यक था, बाजार में हस्तक्षेप किया है ताकि किसानों को सहायता दी जाए, जिससे संकट-बिक्री न करनी पड़े । मार्केट हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत बिक्री का काम नेफेड और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है ।

28 यह व्यवस्था निम्नलिखित कम्पनियों की आयोजनागत योजनाओं के लिए दिए जाने वाले बजटीय समर्थन की द्योतक है अर्थातः-

28.01 **राज्य फार्म निगमः** यह निगम दालों से भिन्न अनाजों तेलहनों, दालों, रेशों और सब्जियों की फसलों के प्रजनक, आधारभूत तथा प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन करता है ।

28.02 **आयल पाम इंडिया लि0**: केरल में रेड आयल पाम (ताड़ के पेड़ों) को उगाने की परियोजना को क्रियान्वित करता है। आयल पाम इंडिया लि. केरल सरकार(51%) और भारत सरकार(49%)का संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना केरल में रेड पाम आयल बागानों (ताड़ के पेड़ों) को उगाने, पाम उत्पादन करने और उनका प्रसंस्करण करने के उद्देश्य से की गई है।

28.03 **राष्ट्रीय बीज निगमः** इसका कार्य प्रमाणीकृत बीज उत्पादन और बीज के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए आधारभूत सामग्री का सृजन करना और बीजों के संकटरोधक (बफर-स्टाक) भंडार आदि का अनुरक्षण करना है।

इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन व्यय बजट खण्ड-I में दिए गए हैं।

29. **विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (एस.एफ.पी.पी.):**

एस.एफ.पी.पी. कार्यक्रम को वर्ष 1988-89 में 14 राज्यों के 169 जिलों में शुरू किया गया । उस समय से चावल सम्बन्धी कार्यक्रम को आई. पी. आर. डी. में मिला दिया गया है । यह कार्यक्रम गेहूं, मक्का एवं बाजरा की संकेन्द्रित (फोकस) फसलों के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 1990-91 चुने हुए मक्का और बाजरा संबंधी एस.एफ.पी.पी. में ज्वार, बाजरा और रबी की फसलें शामिल की गई हैं । गेहूं सम्बन्धी कार्यक्रम को 7 राज्यों के 100 सुविद जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि मक्का एवं बाजरा सम्बन्धी कार्यक्रम मक्के के लिए 50 जिलों में, ज्वार के लिए 33 जिलों में तथा मोटा अनाज पैदा करने वाले 13 मुख्य राज्यों में बाजरा और रबी के लिए प्रत्येक 20 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है । ये कार्यक्रम 100% केन्द्र द्वारा प्रायोजित होते हैं तथा इनका उद्देश्य उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके तथा निवेशों को उन्नत तथा कार्यकुशल ढंग से प्रयोग करके फोकस फसलों का उत्पादन बढ़ाना है ।

30. इस व्यवस्था में खाद्य और कृषि संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि में अंशदान शामिल है ।

31. यह व्यवस्था किसानों को ऋण संबंधी राहत की योजना में बैंकों आदि को अदायगी करने के लिए है ।

32. यह व्यवस्था कीटनाशी अधिनियम के प्रशासन और क्रियान्वयन से सम्बन्धित व्यय के लिए है ।

compilation and maintenance of agro-economic data, economic analysis,compilation anddisseminationofagro-economic intelligence.

23. This relates to farm machinery training and testing institutes which provide training to the progressive farmers, technicians, nominees of State Governments, Agro Industries Corporations, farming institutions and engineering entrepreneurs for selection, operation, maintenance, servicing and management aspect of agricultural machinery. These institutes also undertake testing of farm machinery for its performance evaluation.

24. For enabling small and marginal farmers to increase productivity, a scheme for conjunctive use of ground and surface water to maximise the productivity by construction of shallow tubewells and dug wells is being implemented. The expenditure is shared on 50:50 basis between the Central and State Governments.

25. The project would endeavour to achieve the twin objectives of sustainable production of biomass and restoration of ecological balance in the vast tracts of rainfed areas in the country. It will specially focus on (i) Conservation, upgradation and utilisation of natural endownments like land water, plant, animal and human resources in harmonious and integrated manner; (ii) generation of massive employment; (iii) improvement of production environment and restoration of ecological balance through scientific management of land and water; and (iv) reduction of inequalities between irrigated and rainfed areas. The programme is addressed to all the blocks of the country with less than 30% of their cultivated area being served with assured means of irrigation.

26. The provision is for Watershed Development Council which was constituted with overall responsibility of execution of the World Bank assisted project namely (i) Himalayan Watershed Management Project and (ii) Pilot Project for Watershed Development in Rainfed Ares. The main functions of the Watershed Development Council is to apprise, approve and monitor the above two projects. The council provided guidance and consultants to States for planning, implementation and infrastructure development of common nature.

27. The price support or market intervention measures are designed to ensure remunerative prices to farmers and increase production and productivity. NAFED is the designated agency for carrying out such operations for oilseeds while for perishables like potatoes and onions, Central Government has, at the request of State Governments agreed to market intervention when necessary to help growers from possible distress sale. The purchase operations under the market intervention scheme are carried through NAFED, and through State Governments.

28. The provision represents budgetary support for the Plan schemes of the following companies, namely :-

28.01 **State Farms Corporation of India** :– produces breeder, foundation and certified seeds of cereals, oilseeds, pulses, fibre and vegetable crops.

28.02 **Oil Palm India Ltd**:– implements the project for raising red oil palm in Kerala. Oil Palm India Ltd. is a Joint Venture of the Government of Kerala (51%) and the Govt. of India (49%) established with the objective of raising red palm oil plantations in Kerala, produce palm oil and process it.

28.03 **National Seeds corporation**:– is concerned with certified seed production and creation of infrastructure for processing and storage of seeds, maintenance of buffer stock of seeds, etc.

The equity and loanwise break up of the budgetary support to these enterprises and the IEBR are given in the Expenditure Budget Vol.I.

29. **Special Foodgrains Production Programme (SFPP) :**

The SFPP was launched in 1988-89 covering 169 identified districts of 14 states. The programme on rice has since been merged with IPRD. The programme is being implemented for focus crops of wheat and maize & millets. Jowar, bajra and ragi crops have been included in SFPP Maize and Millets from 1990-91. The programme on wheat is being implemented in 100 identified districts of 7 States while the maize & millets programme is being implemented in 50 districts for maize, in 33 districts for jowar and 20 districts each for bajra and ragi in 13 major coarse cereals producing States. The programmes are, 100% Central sponsored and seek to increase the production of focus crops by use of improved production technology and adoption of increased and efficient use of inputs.

30. The provision includes contribution to Food and Agriculture Organisation, World Food Programme etc.

31. The provision is for payment to banks, etc., under the scheme for debt relief to farmers.

32. The provision is for expenditure relating to administration and implementation of the Insecticides Act.

कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE

मांग संख्या DEMAND No.2

कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं Other Services of Department of Agriculture and Cooperation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		129.13	4.88	134.01	122.97	4.58	127.55	133.28	4.72	138.00
पूंजी	*Capital*		*195.01*	...	*195.01*	*182.37*	...	*182.37*	*222.99*	...	*222.99*
जोड़	**Total**		**324.14**	**4.88**	**329.02**	**305.34**	**4.58**	**309.92**	**356.27**	**4.72**	**360.99**
भू और जल संरक्षण	***Soil and Water Conservation***										
1. नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण	1. Soil conservation in catchment of river valley projects	3601	15.45	...	15.45	13.81	...	13.81	22.45	...	22.45
		7601	15.45	...	15.45	13.81	...	13.81	22.45	...	22.45
		2402	2.10	0.06	2.16	1.88	0.07	1.95	5.10	0.08	5.18
जोड़		*Total*	*33.00*	*0.06*	*33.06*	*29.50*	*0.07*	*29.57*	*50.00*	*0.08*	*50.08*
2. सिंधु गंगा बेसिन में बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जल विभाजक क्षेत्र प्रबन्ध	2. Integrated watershed management in the catchments of flood prone rivers in the Indo Gangetic basin	3601	8.42	...	8.42	8.42	...	8.42	12.90	...	12.90
		7601	8.42	...	8.42	8.42	...	8.42	12.90	...	12.90
		2402	0.16	...	0.16	0.19	...	0.19	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*17.00*	...	*17.00*	*17.03*	...	*17.03*	*26.00*	...	*26.00*
3. अन्य भू और जल संरक्षण योजनाएं	3. Other soil and water conservation schemes	3601	0.91	...	0.91	0.66	...	0.66	17.41	...	17.41
		7601	0.91	...	0.91	0.66	...	0.66	1.41	...	1.41
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
		2402	4.33	0.44	4.77	3.29	0.41	3.70	4.17	0.43	4.60
		4402	0.80	...	0.80	0.72	...	0.72	0.95	...	0.95
		7602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*7.00*	*0.44*	*7.44*	*5.38*	*0.41*	*5.79*	*24.00*	*0.43*	*24.43*
जोड़ - भू और जल संरक्षण	**Total - Soil and Water Conservation**		**57.00**	**0.50**	**57.50**	**51.91**	**0.48**	**52.39**	**100.00**	**0.51**	**100.51**
मीन उद्योग	***Fisheries***										
4. मीन बन्दरगाह और अवतरण सुविधा	4. Fishing harbour and landing facility	3601	6.32	...	6.32	3.50	...	3.50	6.30	...	6.30
		3602	0.30	...	0.30	...	...	...	...	...	...
जोड़		2405	5.70	0.31	6.01	4.08	0.27	4.35	5.65	0.29	5.94
		Total	*12.32*	*0.31*	*12.63*	*7.58*	*0.27*	*7.85*	*11.95*	*0.29*	*12.24*
5. अन्य समुद्री मीन उद्योग योजनाएं	5. Other marine fishery schemes	2405	0.15	2.11	2.26	...	1.94	1.94	0.72	2.00	2.72
		4405	2.55	...	2.55	0.40	...	0.40	2.28	...	2.28
जोड़		*Total*	*2.70*	*2.11*	*4.81*	*0.40*	*1.94*	*2.34*	*3.00*	*2.00*	*5.00*
6. अन्तर्देशीय मीन उद्योग	6. Inland fisheries	3601	6.62	...	6.62	6.00	...	6.00	6.73	...	6.73
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		7601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10
		2405	0.06	...	0.06	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		Total	6.90	...	6.90	6.27	...	6.27	6.90	...	6.90
7. शिक्षा और प्रशिक्षण	7. Education and Training	2405	...	1.85	1.85	...	1.75	1.75	1.00	1.80	2.80
		4405	1.75	...	1.75	0.25	...	0.25	0.95	...	0.95
जोड़		*Total*	*1.75*	*1.85*	*3.60*	*0.25*	*1.75*	*2.00*	*1.95*	*1.80*	*3.75*
8. प्रसंस्करण, संरक्षण और विपणन	8. Processing Preservation & Marketing	3601	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	3.00	...	3.00
9. राज्य फार्म निगम में निवेश	9. Investment in State Farms Corporation	6405	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
10. अन्य मीन उद्योग कार्यक्रम	10. Other fisheries programmes	3601	5.58	...	5.58	15.36	...	15.36	21.08	...	21.08
		3602	0.09	...	0.09	0.11	...	0.11	0.31	...	0.31
		2405	0.96	0.11	1.07	0.38	0.14	0.52	1.31	0.12	1.43
जोड़		*Total*	*6.63*	*0.11*	*6.74*	*15.85*	*0.14*	*15.99*	*22.70*	*0.12*	*22.82*
जोड़ - मीन उद्योग	**Total-Fisheries**		**30.60**	**4.38**	**34.98**	**30.47**	**4.10**	**34.57**	**50.00**	**4.21**	**54.21**
सहकारिता	***Co-operation***										
11. शिक्षा और प्रशिक्षण	11. Education & Training	2425	16.61	...	16.61	12.18	...	12.18	11.40	...	11.40
12 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	*12. National Cooperative Development Corporation*										
12.01 सहकारी भांडागारण और विपणन समितियां	12.01 Warehousing and marketing cooperatives	2425	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50	5.45	...	5.45
		6425	25.21	...	25.21	27.21	...	27.21	8.30	...	8.30
जोड़		*Total*	*30.21*	...	*30.21*	*31.71*	...	*31.71*	*13.75*	...	*13.75*
12.02 सहकारी प्रसंस्करण समितियां	12.02 Processing Cooperatives	6425	66.85	...	66.85	63.89	...	63.89	83.75	...	83.75

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
12.03 सहकारी चीनी मिलें	12.03 Cooperative sugar Mills	6425	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	30.00	...	30.00
12.04 सहकारी कताई मिलें	12.04 Cooperative spinning mills	6425	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
12.05 अन्य सहकारी समितियां	12.05 Other coperatives	2425	1.38	...	1.38	1.26	...	1.26	2.05	...	2.05
जोड़-राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	**Total-NCDC**	..	**108.44**	...	**108.44**	**106.86**	...	**106.86**	**134.55**	...	**134.55**
13. भूमि विकास बैंकों के डिबेंचर	13. Debentures of Land Development Banks	6425	43.00	...	43.00	39.00	...	39.00	40.00	...	40.00
14. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	14. Agricultural Credit	3601	3.78	...	3.78	3.40	...	3.40	2.25	...	2.25
	Stabilisation Fund	7601	1.26	...	1.26	1.13	...	1.13	0.75	...	0.75
जोड़		*Total*	*5.04*	...	*5.04*	*4.53*	...	*4.53*	*3.00*	...	*3.00*
15. अल्प विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थाएं	15. Credit Cooperative institutions in underdeveloped states	7601	17.00	...	17.00	15.30	...	15.30	10.00	...	10.00
16. अन्य कार्यक्रम - सहकारिता	16. Other programmes-	3601	11.56	...	11.56	10.40	...	10.40	2.95	...	2.95
	Cooperation	2425	0.50	...	0.50	0.45	...	0.45	0.75	...	0.75
		7601	1.29	...	1.29	1.16	...	1.16	3.42	...	3.42
		4425	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*13.55*	...	*13.55*	*12.19*	...	*12.19*	*7.32*	...	*7.32*
जोड़-सहकारिता	**Total-Cooperation**		**203.64**	...	**203.64**	**190.06**	...	**190.06**	**206.27**	...	**206.27**
17 राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	*17 Central Assistance for State Plans:*										
17.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	17.01 Special Central Assistance - Other Special Areas	3601	32.90	...	32.90	32.90	...	32.90	...	...	...
18. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	18. Aid Mateiral & Equipment - Gross	3606	...	0.15	0.15	...	...	...	...	0.12	0.12
घटाइए-कार्यरत मुख्य शीर्ष को अंतरण	*Deduct-Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-0.15*	*-0.15*	...	...	...	...	*-0.12*	*-0.12*
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल	Aid Material & Equipment - Net	Total	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*324.14*	*4.88*	*329.02*	*305.34*	*4.58*	*309.92*	*356.27*	*4.72*	*360.99*

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1990-91 Budget बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
1. कृषि फार्म निगम	1. State Farms Corporation	12405	0.10	...	0.10	0.02	...	0.02	0.50	...	0.50
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	2. National Cooperative Development Corp.	12425	102.06	...	102.06	101.10	...	101.10	127.05	...	127.05
3. भूमि विकास बैंक	3. Land Development Banks	12425	43.00	...	43.00	39.00	...	39.00	40.00	...	40.00
जोड़	**Total**		**145.16**	...	**145.16**	**140.12**	...	**140.12**	**167.55**	...	**167.55**
ग. आयोजना परिव्यय*:-	**C. Plan Outlay *:-**										
केन्द्रीय आयोजना :	*Central Plan:*										
1. भू-और जल संरक्षण	1. Soil & Water Conservation	12402	57.00	...	57.00	51.91	...	51.91	100.00	...	100.00
2. मीन उद्योग	2. Fisheries	12405	30.60	...	30.60	30.47	...	30.47	50.00	...	50.00
3. सहकारिता	3. Cooperation	12425	203.64	...	203.64	190.06	...	190.06	206.27	...	206.27
जोड़	**Total**		**291.24**	...	**291.24**	**272.44**	...	**272.44**	**356.27**	...	**356.27**
राज्य आयोजना :	*State Plan:*										
विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	Special Central Assistance - Other Special Areas	43601	32.90	...	32.90	32.90	...	32.90	...	...	...
जोड़	**Total**		**324.14**	...	**324.14**	**305.34**	...	**305.34**	**356.27**	...	**356.27**

1. नदी घाटी परियोजनाओं के जल-विभाजक क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का उद्देश्य बांध बनाकर, टेरेसिंग और वन-रोपण द्वारा, गाद अवरोधन बांधों का निर्माण करके, नियंत्रण करके, नियंत्रण बांधों के निर्माण आदि के जरिए-तलछट की दर कम करना है । ये योजनाएं 27 नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण-क्षेत्रों में राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं, जिसके लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

2. यह योजना छठी पंचवर्षीय योजना के समय से चल रही है और यह गंगा बेसिन की, जो 7 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में फैला हुआ है, 8 बाढ़-प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों तक सीमित है । इसका मुख्य उद्देश्य, बाढ़ संकटों को कम से कम करना है ।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अखिल भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण स्कीम, भूमि संरक्षण योजनाओं के लिए दामोदर घाटी निगम को अनुदान, समस्या प्रधान मिट्टी के उपचार, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, मिट्टी के

1. Soil Conservation in catchments of river valley projects aims at reducing the rate of sedimentation and thereby prolong the usefulness of the reservoirs through bunding, terracing, afforestation, construction of silt detention bunds, check dams, etc. The schemes are executed in the catchments areas of 27 river valley projects through State Governments who are provided Central Assistance in the form of grants and loans.

2. This scheme, which is continuing from the Sixth Five Year Plan is limited to catchments of 8 flood prone rivers of the Gangetic basin covering 7 States and one Union Territory. The main objective is to minimise flood hazards.

3. The provision is mainly for all India soil and land use survey schemes, grants to DVC for soil conservation schemes, Treatment of problem soil/degraded areas, application of remote sensing

सर्वेक्षण के लिए दूरस्थ संवेदनशील प्रौद्योगिकी आदि के लिए है । इसमें बालू मिट्टी तथा ई.ई.सी. भूमि सुधार तथा विकासात्मक कार्यक्रम के संबंध में परिशोधन हेतु व्यवस्था शामिल है ।

4. यह व्यय बड़े और छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जहाजों को घाट पर लगाने तथा खड़ा करने, अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा समुद्र विनियम के प्रवर्तन का प्रबन्ध करने तथा मीन उद्योग आदि हेतु तटीय इंजीनियरिंग के केन्द्रीय संस्थान के लिए है ।

5. यह व्यवस्था मुख्यतः एकीकृत मीन उद्योग परियोजना आदि के लिए है जो मछली सम्बन्धी विभिन्न अन्वेषण कार्यकलापों में लगा हुआ है । इस परियोजना के कार्यकलापों के कुछ भागों में मछली पालन के सुप्रसिद्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए मछली पालन की विविध प्रणालियों का प्रचार करना भी शामिल है ।

6. यह मुख्यतः मीन कृषक विकास अभिकरणों और तालाबों और जलाशयों आदि को सुधार कर अन्तर्देशीय मीन उद्योग संसाधनों के विकास के लिए शुद्ध जल जलकृषि के विकास, मछुओं को मछली पालन की आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी देने और उन्हें प्रशिक्षण देने, मछली-पालन के लिए निविष्टियों की सप्लाई करने के लिए है । इसमें विश्व बैंक की सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मीन उद्योग परियोजना भी शामिल है ।

7. इसमें केन्द्री मीन उद्योग, नाविक और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान के लिए व्यवस्था है, जो मछली पकड़ने वाले बड़े जहाजों की जनशक्ति (कार्मिकों) संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है । इन सुविधाओं में कृषि केन्द्र की स्थापना के लिए प्रावधान भी शामिल है ।

8. यह योजना गैर पारम्परिक कच्ची सामग्री से हिमाकित, डिब्बाबन्द और सूखे उत्पादों के विकास और इन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और इनके विपणन के विशेष अभियानों से संबंधित है ।

9. यह व्यवस्था राज्य फारमों में मछली पालन के विकास के लिए है।

10. इसमें छोटे मछुओं के लिए उन्नत बीच लैंडिंग नौकाओं को चलाना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को अनुदान देने, राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि के लिए व्यवस्था तथा मुख्यालय में मत्स्यपालन को मजबूत करने के लिए प्रावधान शामिल है । संशोधित अनुमान 20 मी. से कम लम्बाई वाली मशीनी नौकाओं को सप्लाई किए गए एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

11. इस योजना का बुनियादी उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों को शिक्षा देना और राज्यों के सहकारिता विभागों और सहकारी संस्थानों के वरिष्ठ, मध्यवर्ती और कनिष्ठ स्तर के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है।

12. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का काम कृषि वस्तुओं, खाद्य पदार्थों, मुर्गी दाना तथा अधिसूचित वस्तुओं के विपणन, परिष्करण, भंडारण, निर्यात और आयात के सहकारी कार्यक्रम की आयोजना बनाना और उसका संवर्धन करना तथा छोटे वन उत्पादों का संग्रह, परिष्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात करना है । यह निगम सहकारी चीनी और सहकारी कताई मिलों की शेयर पूंजी में रकमों का निवेश भी करता है। 1991-92के बजट में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की सहायता के लिए 127.05 करोड़ रुपए ऋण के और 7.50 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इन ऋणों में ये शामिल हैं :- (क) सहकारी समितियों को विपणन, संसाधन और कम विकसित राज्यों में भंडारण कार्यक्रमों के लिए और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के लिए (ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सोयाबीन के विकास के लिए (ग) सहकारी चीनी मिलों को शेयर पूंजी में निवेश के लिए (घ) सहकारी कताई मिलों के लिए (ङ) भंडारण कार्यक्रम के लिए (च) कोल्ड स्टोरेज कार्यक्रम के लिए (छ) कपास प्रसंस्करण कार्यक्रम के लिए और (ज) कमजोर वर्गों के लिए सहकारी कार्यक्रम के लिए ।

13. भूमि विकास बैंक (एल.डी.बी.) लघु सिंचाई, भूमि विकास खेती का यंत्रीकरण आदि जैसे विकासात्मक प्रयोजनों के लिए किसानों को दीर्घावधिक कृषि ऋण देने वाला प्रधान अभिकरण हैं । भूमि विकास बैंकों के ऋणपत्रों में निवेश से इन बैंकों के संसाधनों की अनुपूर्ति की जाती है, जिनके वित्त का मुख्य साधन बाजार में जारी किए जाने वाले ऋण-पत्र होते हैं । बजट में ऐसे निवेशों, जिन्हें ऋण के रूप में माना गया है, के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

Technology for soil survey etc. This also includes provisions for reclamation of alkali soils and EEC land reclamation and development programme.

4. The expenditure relates to providing landing and berthing facilities for fishing crafts at major and minor ports, other necessary infrastructural facilities, and enforcement of marine regulations and central institute of coastal engineering for fishries etc.

5. The provision is mainly for intergated fisheries project etc. which is engaged in various experimental fishing activities. Propogation of diversified fishing methods for the optimum exploitation of known fishery resources forms part of the activities of the Project.

6. This mainly relates to fish farmers development agencies and development of fresh water acquaculture for development of inland fisheries resources by improvement of ponds, tanks etc. training of fish farmers including transfer of modern technology of fish farming to them, supply of inputs for fish culture. It also includes inland fisheries project with World Bank assistance.

7. The provision is for Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training which provides training facilities to meet manpower requirements of large fishing vessels. This also includes provision for establishment of acquaculture centre.

8. The scheme relates to development of frozen, canned and dried products from uncoventional raw materials and special drives to popularise and marketing the products.

9. Provision is for development of fish culture at the State Farms.

10. This includes grants to National Cooperative Development Corporation for introduction of improved beach landing crafts for small fishermen, national welfare fund for fishermen and provision for strengthening of Fishiries Cell at Headquarter. Provision has also been made for reimbursement of Excise Duty on HSD Oil supplied to Mechanised Boats below 20 M length.

11. The basic objectives of the schemes is to organise education of members of cooperatives and training of personnel of the State cooperative departments and cooperative institutions at the senior, intermediate and junior levels.

12. National Cooperative Development Corporation plans and promotes cooperative programmes of marketing, processing, storage, export and import of agricultural produce, food stuff, poultry feed and notified commodities and also for the collection, processing, marketing, storage and export of minor forest produce. It also strengthens the share capital base of cooperative sugar factories and co-operative spinning mills. Budget 1991-92 provides Rs. 127.05 crores as loans and Rs. 7.50 crores as grants to NCDC, the former comprising loans (a) for being re-lent to cooperatives for marketing, processing and storage programmes in underdeveloped States and National Agricultural Cooperative Marketing Federation (b) for soyabean development in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh ; (c) share capital participation in cooperative sugar mills ; (d) cooperative spinning mills (e) storage programme ; (f) cold storage programme ; (g) cotton processing programme and (h) cooperative programmes for weaker sections.

13. Land Development Banks constitute the principal agencies for providing long-term agricultural credit to the farmers for developmental purposes, like minor irrigation, land development, Horticulture farm mechanisation, etc. The investment in debentures of LDBs is made to supplement the resources of these banks whose main source of finance is through floatation of debentures in the market. Budget includes a provision of Rs. 40 crores for such investment which are treated as loans.

14. राज्य सरकारों को अनुदान (75 प्रतिशत) और ऋणों (25 प्रतिशत) के रूप में सहायता दी जाती है ताकि वे अपने-अपने राज्य शीर्ष सहकारी बैंकों के स्तर पर रखी जाने वाली कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि को सुदृढ़ बना सकें । इसका उद्देश्य यह है कि बाढ़, सूखे आदि जैसी दैवी विपत्तियों के कारण जब किसान ऋणों की वापसी अदायगी करने में असमर्थ हो तब इन निधियों का उपयोग अल्पावधिक उत्पादन ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने के लिए किया जाए ।

15. योजना का उद्देश्य कमजोर राज्यों में चुने हुए केन्द्रीय सहकारी बैंको को समतुल्य आधार पर सावधिक ऋण के रूम में सहायता देकर क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड की अतिदेय-भिन्न शर्तों का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकें ।

16. इसमें राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. को, जो आन्तरिक और निर्यात व्यापार के लिए कृषि वस्तुओं का विपणन करने वाला शीर्ष संगठन है, सहायता, और राज्यों आदि द्वारा प्रचालित शुष्क कूप निधि योजना के लिए सहायता शामिल है ।

17. यह योजना वर्ष 1991-92 से बन्द की जा रही है ।

18. यह प्रावधान सहायता सामग्री की प्राप्ति तथा विभिन्न देशों से प्राप्त उपकरणों के लिए है ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों सहित इक्विटी और ऋणों का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-I में दिया गया है ।

14. Assistance is provided to State Governments by way of grants (75 per cent) and loans (25 per cent) to enable them to strengthen the Agricultural Credit Stabilisation Fund maintained at the level of Apex Cooperative Banks in each State. The objective is to use the funds to convert short-term production loans into medium term loans when the farmers cannot repay on account of natural calamities like floods, drought, etc.

15. The scheme is meant for removing regional disparities by assisting selected central cooperative banks in the weaker states with a term loan on a matching basis, in order to enable them to overcome difficulties in meeting the non-overdue conditions of the Reserve Bank of India/NABARD.

16. This includes assistance to National Agricultural Cooperative Marketing Federation Ltd., which is an apex organisation handling marketing of agricultural commodities both for internal and export trade, failed-well fund scheme operated by the States, etc.

17. The scheme is being discontinued from the year 1991-92.

18. The provision is for Aid Materials and Equipments received from various foreign countries.

Investments in Public Enterprises

The break up of equity and loans including IEBR is given in Expenditure Budget Vol. I.

कृषि मंत्रालय *MINISTRY OF AGRICULTURE*

मांग संख्या DEMAND No.3

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग Department of Agricultural Research and Education

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		154.00	173.00	327.00	154.34	165.37	319.71	190.00	174.00	364.00
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**154.00**	**173.00**	**327.00**	**154.34**	**165.37**	**319.71**	**190.00**	**174.00**	**364.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	0.80	0.50	1.30	0.70	0.45	1.15	0.05	0.42	0.47
कृषि अनुसंधान और शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	***Agricultural Research and Education Payments to ICAR***										
2. कृषि कार्य	2. Crop husbandry										
2.01 कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां	2.01 Payments of net proceeds of cess under Agricultural Produce Cess Act,1940	2415	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	14.00	14.00
2.02 कृषि कार्य के अन्य कार्यक्रम	2.02 Other Programmes of Crop Husbandry	2415	122.31	105.25	227.56	125.34	100.47	225.81	152.56	104.83	257.39
जोड़ - कृषि कार्य	**Total-Crop Husbandry**		**122.31**	**117.25**	**239.56**	**125.34**	**112.47**	**237.81**	**152.56**	**118.83**	**271.39**
3. भू और जल संरक्षण	3. Soil and Water Conservation	2415	0.90	3.50	4.40	0.90	3.30	4.20	1.00	3.50	4.50
4. पशु पालन	4. Animal Husbandry	2415	16.39	20.50	36.89	14.50	19.45	33.95	20.21	20.50	40.71
5. डेरी विकास	5. Dairy Development	2415	1.60	9.00	10.60	1.50	8.70	10.20	1.95	9.00	10.95
6. मीन उद्योग	6. Fisheries	2415	9.10	15.00	24.10	9.00	14.00	23.00	10.08	14.50	24.58
7. वानिकी	7. Forestry	2415	2.10	6.00	8.10	2.00	5.70	7.70	3.95	6.00	9.95
जोड़-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां	**Total - Payments to ICAR**		**152.40**	**171.25**	**323.65**	**153.24**	**163.62**	**316.86**	**189.75**	**172.33**	**362.08**
8. अन्य कार्यक्रम	8. Other programmes	2415	0.80	1.25	2.05	0.40	1.30	1.70	0.20	1.25	1.45
जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	**Total - Agricultural Research and Education**		**153.20**	**172.50**	**325.70**	**153.64**	**164.92**	**318.56**	**189.95**	**173.58**	**363.53**
कुल जोड़	***Grand Total***		***154.00***	***173.00***	***327.00***	***154.34***	***165.37***	***319.71***	***190.00***	***174.00***	***364.00***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. अन्य निकाय/संस्थान	1. Other Bodies/Institutions	12415	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	...	...
ग. आयोजना परिव्यय :-	**C. Plan Outlay :-**										
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	1. Agricultural Research & Education	12415	153.20	1.00	154.20	153.64	1.00	154.64	189.95	...	189.95
2. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2. Secretariat-Economic Services	13451	0.80	...	0.80	0.70	...	0.70	0.05	...	0.05
जोड़		**Total**	**154.00**	**1.00**	**155.00**	**154.34**	**1.00**	**155.34**	**190.00**	**...**	**190.00**

इस मांग में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिवालय के व्यय के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों तथा इसकी अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के संबंध में सहायता अनुदान की अदायगी के लिए व्यवस्था शामिल है । इस मांग में कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी के लिए भी व्यवस्था की गई है । यह परिषद, कृषि, भू और जल-संरक्षण, पशुपालन, मीन उद्योग, डेरी उद्योग, वानिकी और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान करती है ।

शीर्ष "अन्य कार्यक्रम" में राष्ट्रमंडल कृषि ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी सलाहकार दल आदि को अंशदान की व्यवस्था की गई है।

The Demand includes besides secretariat expenditure of the Department of Agricultural Research and Education, payment of grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research to enable it to meet the expenditure on the various research institutes controlled by it and for its several research projects, schemes and activities. Payment of net proceeds of cess under the Agricultural Produce Cess Act, 1940 is also provided for in this Demand. The Council is engaged in conducting research in the field of agriculture, soil and water conservation, animal husbandry, fisheries, dairying, forestry and also agricultural education.

The head 'other programmes' includes contributions to Commonwealth Agricultural Bureau, Consultative Group on International Agricultural Research, etc.

कृषि मंत्रालय MINISTRY OF AGRICULTURE

मांग संख्या DEMAND No.4

पशु-पालन और डेरी कार्य विभाग Department of Animal Husbandry and Dairying

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		83.40	19.49	102.89	46.38	12.47	58.85	102.19	13.06	115.25
पूंजी	*Capital*		*40.15*	...	*40.15*	*38.42*	...	*-38.42*	*53.48*	...	*53.48*
जोड़	**Total**		**123.55**	**19.49**	**143.04**	**84.80**	**12.47**	**97.27**	**155.67**	**13.06**	**168.73**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	0.17	0.91	1.08	0.17	0.92	1.09	0.21	1.07	1.28
पशु पालन	***Animal Husbandry***										
2. पशु-विकास	2. Cattle development	3601	2.00	...	2.00	1.70	...	1.70	2.85	...	2.85
		2403	2.17	1.78	3.95	1.89	1.57	3.46	1.95	1.49	3.44
जोड़		*Total*	*4.17*	*1.78*	*5.95*	*3.59*	*1.57*	*5.16*	*4.80*	*1.49*	*6.29*
3. विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम	3. Special Livestock Breeding Programme	3601	15.25	...	15.25	13.00	...	13.00	16.00	...	16.00
		3602	0.55	...	0.55	0.50	...	0.50	0.90	...	0.90
		2403	0.20	...	0.20	0.17	...	0.17	0.82	...	0.82
जोड़		*Total*	*16.00*	...	*16.00*	*13.67*	...	*13.67*	*17.72*	...	*17.72*
4. पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य	4. Veterinary services and animal health	3601	7.89	...	7.89	7.45	...	7.45	17.64	...	17.64
		3602	0.15	...	0.15	0.13	...	0.13	0.33	...	0.33
		2403	0.65	...	0.65	0.89	...	0.89	1.33	...	1.33
		4403	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*9.69*	...	*9.69*	*9.37*	...	*9.37*	*20.30*	...	*20.30*
5. बूचड़ खाना निगम में निवेश	5. Investment in Slaughter Houses Corporation	4403	1.20	...	1.20	0.58	...	0.58	0.60	...	0.60
6. अन्य पशु-पालन कार्यक्रम	6. Other Animal Husbandry programmes	3601	6.48	0.15	6.63	7.66	0.15	7.81	8.73	0.25	8.98
		3602	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.08	...	0.08
		2403	5.10	2.90	8.00	6.95	2.82	9.77	5.74	2.89	8.63
		4403	1.00	...	1.00	0.60	...	0.60	...	...	...
जोड़		*Total*	*12.65*	*3.05*	*15.70*	*15.28*	*2.97*	*18.25*	*14.55*	*3.14*	*17.69*
जोड़-पशु-पालन	**Total-Animal Husbandry**		**43.71**	**4.83**	**48.54**	**42.49**	**4.54**	**47.03**	**57.97**	**4.63**	**62.60**
डेरी विकास	***Dairy Development***										
7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को अनुदान और ऋण	*7. Grants and Loans to National Dairy Dev. Board*										
7.01 आपरेशन फ्लड III	7.01 Operation Flood III	2404	40.47	...	40.47	5.42	...	5.42	42.11	...	42.11
		6404	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
जोड़		*Total*	*75.47*	...	*75.47*	*40.42*	...	*40.42*	*92.11*	...	*92.11*
7.02 अन्य सहकारिताओं को सहायता	7.02 Assistance for other Cooperatives	2404	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.03 अन्य योजनाएं	7.03 Other schemes	2404	2.06	...	2.05	0.25	...	0.25	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*77.52*	...	*77.52*	*40.67*	...	*40.67*	*93.61*	...	*93.61*
8. दिल्ली दुग्ध योजना	*8. Delhi Milk Scheme*										
8.01 राजस्व व्यय	8.01 Revenue Expenditure	2404	...	102.49	102.49	...	95.75	95.75	...	100.54	100.54
8.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	8.02 Less Revenue Receipts	0404	...	-88.75	-88.75	...	-88.75	-88.75	...	-93.19	-93.19
8.03 निवल	8.03 Net		...	13.74	13.74	...	7.00	7.00	...	7.35	7.35
8.04 पूंजी व्यय	8.04 Capital Expenditure	4404	1.85	...	1.85	1.34	...	1.34	0.88	...	0.88
जोड़		*Total*	*1.85*	*13.74*	*15.59*	*1.34*	*7.00*	*8.34*	*0.88*	*7.35*	*8.23*
9. मदर डेरी को आर्थिक सहायता	9. Subsidy to Mother Diary	2404	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
10. अन्य डेरी विकास कार्यक्रम	10. Other Dairy Development Programmes	3601	0.20	...	0.20	0.13	...	0.13	2.00	...	2.00
		4404	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
		7601	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.30*	...	*0.30*	*0.13*	...	*0.13*	*3.00*	...	*3.00*
जोड़-डेरी विकास	**Total-Dairy Development**		**79.67**	**13.75**	**93.42**	**42.14**	**7.01**	**49.15**	**97.49**	**7.36**	**104.85**
11. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	11. Aid Mateiral & Equipment-Gross	3606	...	60.18	60.18	...	9.08	9.08	...	13.65	13.65
घटाइए-कार्यरत मुख्य शीर्ष को अंतरण	*Deduct-Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-60.18*	*-60.18*	...	*-9.08*	*-9.08*	...	*-13.65*	*-13.65*
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल	Aid Material & Equipment - Net	Total	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***123.55***	***19.49***	***143.04***	***84.80***	***12.47***	***97.27***	***155.67***	***13.06***	***168.73***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

			बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट सहायता Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट सहायता Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट सहायता Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
1. बूचड़खाना निगम	1. Slaughter Houses Corporation	12403	1.20	...	1.20	0.58	...	0.58	0.60	...	0.60
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड	2. National Dairy Development Board	12404	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	50.00	...	50.00
जोड़	Total		36.20	...	36.20	35.58	...	35.58	50.60	...	50.60
ग. आयोजना परिव्यय* :-	C. Plan Outlay *:-										
केन्द्रीय आयोजना :	Central Plan:										
1. पशु पालन	1. Animal Husbandry	12403	45.00	...	45.00	43.72	...	43.72	59.82	...	59.82
2. डेरी विकास	2. Dairy Development	12404	80.00	...	80.00	42.40	...	42.40	97.96	...	97.96
3. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3. Secretariat Economic Services	13451	0.17	...	0.17	0.17	...	0.17	0.21	...	0.21
जोड़	Total		125.17	...	125.17	86.29	...	86.29	157.99	...	157.99

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए निम्नलिखित की गई व्यवस्था शामिल है।

* *Inclusive of Works Outlay provided by Ministry of Urban Development in*

माँग संख्या 78	Demand No. 78										
पशु पालन	Animal Husbandry	12403	0.35	...	0.35	0.27	...	0.27	0.30	...	0.30
डेरी विकास	Dairy Development	12404	0.08	...	0.08	0.03	...	0.03	0.11	...	0.11
माँग संख्या 79	Demand No. 79										
पशु पालन	Animal Husbandry	12403	0.94	...	0.94	0.96	...	0.96	1.55	...	1.55
डेरी विकास	Dairy Development	12404	0.25	...	0.25	0.23	...	0.23	0.36	...	0.36
जोड़	Total		1.62	...	1.62	1.49	...	1.49	2.32	...	2.32

1. इसमें पशु पालन और डेरी कार्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था है।

2. यह व्यवस्था मुख्यतः दूध देने वाले पशुओं में प्रजननात्मक सुधार करने के लिए सूरतगढ़, चिपलिमा, हेसरघाटला, कोरापुट, धमरोद, अलमधी और अंदेश नगर में स्थापित केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मों पर होने वाले व्यय के लिए है। इस स्कीम का उद्देश्य पशु और भैंस प्रजनन कार्यकलापों के संवर्धन के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण करने के वास्ते सांड, भैंसें और बछड़ों को पैदा करना है ।

3. विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य पशुधन पालन उत्पादन में वृद्धि करना और लघु तथा सीमान्तिक किसानों और कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि करना है । इस कार्यक्रम में (i) बछड़ों का पालन-पोषण, (ii) भेड़ पालन, और सुअर पालन एककों की स्थापना करना शामिल है ।

4. मुख्य योजनाएं पशुओं की बीमारियों की रोकथाम और रोगमुक्त क्षेत्रों की स्थापना, पशु महामारी के उन्मूलन, पैर तथा मुंह की बीमारियों की रोकथाम, राष्ट्रीय पशुजन्य उत्पाद, किस्म नियंत्रण केन्द्रों, क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की स्थापना, आदि के बारे में हैं । पशु महामारी को दूर करने सम्बन्धी प्राकृतिक परियोजनाओं (ई.ई.सी. सहायता) हेतु भी व्यवस्था की गई है ।

5. यह व्यवस्था बूचड़खाना निगम के अन्तर्गत बूचड़खानों के निर्माण के लिए है ।

6. यह व्यवस्था हिसार में केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म, मवेशी चारे का उत्पादन तथा प्रदर्शनी पर होने वाले व्यय के लिए है । यह व्यवस्था डेनमार्क सहायता से 1990-91 के संशोधित अनुमान के अन्तर्गत निरर्थक वस्तुओं के उपयोग संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए भी की गई है ।

7. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा अक्तूबर, 1987 में हुई थी, जिसे एक निकाय के रूप में एक संस्थान घोषित किया गया है । संस्थान की हैसियत प्रदान की गई । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, डेरी विकास और दुग्ध विपणन के लिए एक संवर्धन और विकासात्मक बोर्ड है । यह बोर्ड सहकारी क्षेत्र की डेरियों के दूध के कारोबार की क्षमता का विस्तार करने में सहायता करता है तथा दुग्ध बाहुल्य सुविद क्षेत्रों में सहकारी समितियों को दुग्ध-उत्पादन और उसकी प्राप्ति सम्बन्धी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देता है । यह आपरेशन फ्लड परियोजना को समर्थनीय सहयोग देने का कार्य करता है, जिसका उद्देश्य 71.95 लाख दुग्ध-उत्पादक परिवारों को लगभग 61,576 ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों में संगठित करके सहकारिता प्रणाली के अनुसार एक सक्षम और आत्मनिर्भर डेरी उद्योग का निर्माण करना है । इस परियोजना के अन्तर्गत दुग्ध-उत्पादन की क्षमता के आधार पर 174 मिल्कशेड खोलना शामिल होगा । इसके अलावा आपरेशन फ्लड मिल्क

1. The provision is for Secretariat of the Department of Animal Husbandry and Dairying.

2. This relates mainly to expenditure on Central cattle breeding farms established at Suratgarh, Chiplima, Hesserghatta, Koraput, Dhamrod, Alamadhi and Andesh Nagar for bringing about genetic improvements of the herd for milk production. The objective of this scheme is to produce bull, calves for distribution to states and U.Ts for promoting cattle and buffalo breeding activities.

3. The Special Livestock Breeding Programme aims at increasing live stock production and to supplement the income of small and marginal farmers and Agricultural Labourers. The programme consists of (i) Rearing of calves and (ii) Setting up of Sheep Poultry and Piggery production units.

4. The main schemes are control of livestock diseases and creation of disease free zones, rinderpest eradication, foot and mouth diseases control programme, setting up of national veterinary biological products quality control centres, regional disease diagonostic laboratories, etc. Provision has also been made for National Project on Rinderpest Eradication (EEC assistted).

5. Provision is for construction of slaughter houses under SHC.

6. Provision is for expenditure on Central Sheep Breeding Farm at Hissar and Central Poultry Breeding Farms, Regional Stations for Forage Production and Demonstration. Provision has also been made under RE 1990-91 for Modernisation of Carcass Utilisation Plants with Danish Assistance.

7. National Dairy Development Board had been constituted in October, 1987 by an Act of Parliament as a body corporate and declared an institution of National Importance. The NDDB is a promotional and developmental agency for dairy development and milk marketing. It assists in the expansion of milk handling capacity of the cooperative sector dairies and gives financial assistance to cooperatives in identified milk shed areas to step up milk production and procurement. It provides supportive assistance to Operation Flood Project which aims at building up of viable and self-sustaining dairy industry on cooperative lines covering 71.95 lakh milk producer families organised into about 61,576 village level cooperative societies. The project will cover 174 milk sheds on the basis of their potential for milk production. Beside this, provision has also been made for Technology mission on Dairy Development for Cooperatives

शेडों अंतर्गत डेयरी विकास सहकारिताओं संबंधी तकनीकी मिशन, खाद्य, दुग्ध शेडों, जिन्हें दूध सम्बंधी कार्यों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है, दूध और दूध के उत्पादन संबंधी आर्डर तथा तकनीकी मिशन के मुख्यालय के स्टाफ के लिए भी व्यवस्था की गई है।

8. दिल्ली दुग्ध योजना का उद्देश्य दिल्ली में उचित मूल्यों पर अच्छे और पौष्टिक दूध की पूर्ति करना तथा दिल्ली और इसके आस-पास के दूध उत्पादकों के लिए एक ऐसे स्थायी बाजार की व्यवस्था करना है जिससे उन्हें दूध का उचित मूल्य मिल सके ।

9. मदर डेरी, दिल्ली को नकद हानियों आदि की प्रतिपूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए यह एक सांकेतिक आर्थिक सहायता है।

10. इसमें पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु राज्यों को सहायता देना शामिल है ।

11. इसमें विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्री और उपस्करों के लिए व्यवस्था है।

in Operation Flood milk sheds which have not been included by Operation flood, implementation of milk and milk products order and Headquarter Staff of Technology Mission.

8. Delhi Milk Scheme aims to supply good and wholesome milk and milk products to the citizens of Delhi at reasonable prices and to ensure a remunerative and steady market for the milk producers in and around Delhi.

9. This is a token provision for providing subsidy to Mother Dairy, Delhi for reimbursement of cash losses etc.

10. This includes assistance to States for development of hilly and backward areas etc.

11. The provision is for Aid Materials and Equipments received from foreign countries.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

मांग संख्या DEMAND No. 5

रसायन व पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		0.51	13.40	13.91	0.50	11.18	11.68	4.06	8.37	12.43
पूंजी	*Capital*		*0.10*	*4.00*	*4.10*	*0.09*	*5.00*	*5.09*	*17.80*	*3.60*	*21.40*
जोड़	Total		**0.61**	**17.40**	**18.01**	**0.59**	**16.18**	**16.77**	**21.86**	**11.97**	**33.83**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.25	1.25	...	1.18	1.18	...	1.40	1.40
उद्योग	**Industries**										
पेट्रोरसायन उद्योग	**Petrochemical Industries**										
2. सेन्ट्रल इंस्टीटयूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलाजी	2. Central Institute of Plastics Engg. and Technology	2852	0.41	2.20	2.61	0.41	2.09	2.50	1.40	2.50	3.90
3. प्लास्टिक विकास केन्द्र	3. Plastic Development Centres (NCPA)	2852	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
4. अन्य कार्यक्रम	4. Other programmes	2852	...	0.20	0.20	...	0.19	0.19	...	0.05	0.05
रसायन और फार्मास्यूटिकल उद्योग	**Chemical and Pharmaceutical Industries**										
5. भोपाल गैस त्रासदी	5. Bhopal Gas Leak Disaster	2852	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00	...	3.80	3.80
6. विकास आयुक्त (फार्मास्युटिकल उद्योग) का कार्यालय	6. Development Commissioner (Pharmaceuticals Industry) office	2852	...	0.20	0.20	...	0.19	0.19	...	0.22	0.22
7. हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	7. Interest Subsidy to Hindustan Antibiotics Ltd	2852	...	5.15	5.15	...	5.15	5.15	...	...	...
8. हिन्दुस्तान इन्सैक्टि-साइड लि. को अनुदान	8. Grant to Hindustan Insecticides Ltd	2852	...	0.40	0.40	...	0.38	0.38	...	0.40	0.40
9. राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान	9. National Institute of Pharmaceuticals Education and Research	2852	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	2.50	...	2.50
10. प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान केन्द्र	10. Technology Information Forcasting Centre	2852	...	...	...	...	...	...	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*0.51*	*12.15*	*12.66*	*0.50*	*10.00*	*10.50*	*4.06*	*6.97*	*11.03*
11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	*11. Non Plan Loans to Public Enterprises*										
11.01 स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.01 Smith Stainistreet Phamaceuticals Ltd.	6857	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.90	0.90
11.02 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.02 Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	6857	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	1.30	1.30
11.03 बंगाल इम्यूनिटी लि.	11.03 Bengal Immunity Ltd.	6857	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.30	1.30
11.04 भारतीय ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	11.04 Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.	6857	...	...	...	...	1.00	1.00	...	...	...
11.05 हिन्दुस्तान इंसैक्टी-साइड्स लि.	11.05 Hindusthan Insecticides Ltd	6857	...	...	...	...	...	...	...	0.10	0.10
जोड़		*Total*	...	*4.00*	*4.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*3.60*	*3.60*
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	12. Investment in Public Enterprises	4857	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
		6856	...	...	...	...	...	...	9.80	...	9.80
		6857	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*0.10*	...	*0.10*	*0.09*	...	*0.09*	*17.80*	...	*17.80*
कुल जोड़	*Grand Total*		*0.61*	*17.40*	*18.01*	*0.59*	*16.18*	*16.77*	*21.86*	*11.97*	*33.83*

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises,	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आई.ई.बी.आर. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आई.ई.बी.आर. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आई.ई.बी.आर. IEBR	जोड़ Total
पेट्रोरसायन उद्योग	*Petrochemical Industries*										
12.01 भारत पेट्रोरसायन निगम लि.	12.01 Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd	12856	...	256.00	256.00	...	165.00	165.00	...	520.76	520.76
12.02 पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लि.	12.02 Petrofils Cooperative Ltd	12856	...	66.00	66.00	...	107.12	107.12	...	0.10*	0.10
अन्य निकाय / संस्थाएं (सी.आई.पी.ई.टी,पी.पी.डी.ए,पी.डी.सी(एन.सी.पी.ए))	Other bodies/institutions (CIPET,PPDA,PDC(NCPA))	12856	0.41	5.09	5.50	0.41	..	0.41	11.30	1.60	12.90
जोड़-पेट्रोरसायन उद्योग	**Total - Petrochemical Industries**		**0.41**	**327.09**	**327.50**	**0.41**	**272.12**	**272.53**	**11.30**	**522.46**	**533.76**
रसायन तथा फार्मास्युटिकल उद्योग	Chemical and Pharmaceutical Industries										
12.03 हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लि.	12.03 Hindustan Organic Chemicals Ltd.	12857	...	50.00	50.00	...	27.00	27.00	...	76.00	76.00
12.04 हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि.	12.04 Hindustan Insecticides Limited	12857	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00
12.05 इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12.05 Indian Drugs and PharmaceuticalsLtd.	12857	0.10	8.90	9.00	0.09	3.50	3.59	2.50	4.34	6.84
12.06 हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि.	12.06 Hindustan Antibiotics Ltd.	12857	...	25.00	25.00	...	35.00	35.00	...	6.00	6.00

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		शीर्ष Head of Dev.	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	आ.बा.ब.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.बा.ब.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.बा.ब.स. IEBR	जोड़ Total
12.07 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.	12.07 Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd.	12857	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	1.00	...	1.00
12.08 स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि.	12.08 Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd	12857	...	1.25	1.25	...	0.90	0.90	1.00	...	1.00
12.09 बंगाल इम्यूनिटी लि.	12.09 Bengal Immunity Ltd	12857	...	2.00	2.00	...	2.60	2.60	1.50	...	1.50
12.10 कीटनाशक विकास केन्द्र	12.10 Pesticides Development Centre	12857	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
अन्य निकाय/संस्थाएं (टी.आई.एफ.ए.सी.और एन.आई.पी.ई.आर)	Other bodies/institutions (TIFAC & NIPER)	12857	0.10	0.10	0.20	0.09	0.10	0.19	2.56	...	2.56
जोड़—रसायन तथा फार्मास्युटिकल्स उद्योग	**Total-Chemical and Pharmaceutical Industries**		**0.20**	**90.75**	**90.95**	**0.18**	**71.60**	**71.78**	**10.56**	**87.34**	**97.90**
जोड़	**Total**		**0.61**	**417.84**	**418.45**	**0.59**	**343.72**	**344.31**	**21.86**	**609.80**	**631.66**

टिप्पणी:- केवल सांकेतिक व्यवस्था को पी.सी.एल. के रूप में दर्शाया गया है जो कि सहकारी समिति है ।

NB: ** Only token provision is reflected as PCL is a Cooperative Society.*

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. पेट्रोकेमिकल्स उद्योग	1. Petrochemical Industries	12856	0.41	327.09	327.50	0.41	272.12	272.53	11.30	522.46	533.76
2. रसायन एंड पेट्रोकेमिकल्स उद्योग	2. Chemical and Pharmaceutical Industries	12857	0.20	90.75	90.95	0.18	71.60	71.78	10.56	87.34	97.90
जोड़	**Total**		**0.61**	**417.84**	**418.45**	**0.59**	**343.72**	**344.31**	**21.86**	**609.80**	**631.66**

1. सचिवालय: इसमें रसायनिक तथा पेट्रो-रसायन विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. केंद्रीय प्लास्टिक्स, इंजीनियरी और औज़ार संस्थान: यह संस्थान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1968 में स्थापित किया गया था । इसका उद्देश्य प्लास्टिक उद्योग के विकास और वृद्धि के कार्य में विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने और सामान्य सहायता की व्यवस्था करना है । यह संस्थान प्लास्टिक सामग्री का भौतिक परीक्षण भी करता है । संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और सरकार की सहायता से एक प्लास्टिक उत्पाद परीक्षण केन्द्र की स्थापना की है । संस्थान ने अहमदाबाद में एक विस्तार केन्द्र की स्थापना की है और हैदराबाद, लखनऊ, भुवनेश्वर, भोपाल और इम्फाल में पांच नए विस्तार केन्द्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया जारी है । योजना परिव्यय में विस्तार केन्द्रों की स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए 1991-92 के लिए मुख्यरूप से मद्रास और अहमदाबाद स्थित मौजूदा केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार, सुदृढ़ करने और पूंजीगत व्यय के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बराबर के अंशदान के साथ, अमृतसर, इम्फाल और मैसूर समेत चार नए केन्द्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 1991-92 के आयोजना परिव्यय में 11.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

4. अन्य कार्यक्रम: इनके अन्तर्गत, कृषि क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयोजन से 22 प्लास्टिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए प्रावधान शामिल है ।

5. भोपाल गैस त्रासदी: भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मामलों के लिए अधिवक्ताओं को अनुबंधित करने के लिए प्रतिधारण करार के अंतर्गत भुगतान ।

8. हिन्दुस्तान इंसैक्टिसाइड्स लि. को अनुदान : इसके अन्तर्गत, गुड़गांव में संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से स्थापित कीटनाशक दवा विकास केन्द्र के लिए केन्द्रीय सरकार के अंशदान की व्यवस्था की गई है।

11. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण: सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण के द्योतक है ।

12. सरकारी उद्यमों में निवेश: इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋणों के लिए व्यवस्था की गई है । इन उद्यमों और आ.बा.ब.स. के बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-I में दिया गया है ।

12.01. इंडियन पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड: 1969 में स्थापित यह देश का सरकारी क्षेत्र का प्रथम पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स है । इसे पेट्रोलियम फीड स्टॉक्स से सिंथेटिक, आरगेनिक, रसायन, प्लास्टिक, रेशे, मध्यवर्ती

1. **Secretariat:** Provides for secretariat expenditure of the Department of Chemicals and Petrochemicals.

2. **Central Institute of Plastics Engineering and Technology:** Was set up in 1968 under the United Nations Development Programme for giving specialised training and for assisting in the development and growth of the plastic industry. It also undertakes physical testing of the plastic materials. The Institute has set up a plastic product testing centre with assistance from UNDP and Government . The Institute has set up an extension centre at Ahmedabad and is in the process of setting up five more new extension centres at Hyderabad, Lucknow, Bhubaneswar, Bhopal and Imphal. A provision of Rs. 11.20 crores has been made in the Plan outlay for 1991-92 to cover the expenses towards setting up of 4 new extension centres including Amritsar, Imphal and Mysore, with a matching contribution from the respective State Governments towards Capital expenditure and for strengthening, extension and modernisation of existing facilities at the existing centres, mainly at Madras and Ahmedabad.

4. **Other Programmes:** Include provisions for setting up of 22 plastic development centres for promotion of use of plastics in Agriculture.

5. **Bhopal Gas Leak Disaster:** Payment under Retainer Agreement for engagement of attorneys for cases relating to Bhopal Gas Leak Disaster.

8. **Grant to Hindustan Insecticides Ltd.** : The provision represents contribution of Central Government for Pesticides Development Centre set up at Gurgaon with the assistance of UNDP.

11. **Non-Plan Loans to Public Enterprises:** Represents loans granted to the Public Sector Enterprises.

12. **Investment in Public Enterprises:** Provides for equity and loans to Public Sector Enterprises to meet their new and continuing schemes. The equity and loan-wise break up of the budgetary support to these enterprises, and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol.I

12.01. **Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.:** It is the country's first petrochemicals complex set up in 1969 in the Public Sector. It has been given the responsibility of manufacturing and

रेशे के विनिर्माण तथा वितरण की जिम्मेवारी दी गई है । निगम को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गैस क्रैकर काम्पलैक्स (एम. जी. सी. सी.) नामक परियोजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है । एम. जी. सी. सी. परियोजना जब कार्यान्वित हो जाएगी तो यह एल. डी. पी. ई., एल. एल. डी. पी. ई., एच. डी. पी. ई., पोलीप्रोपेलीन, मोनाथलीन, गलाइकोल आदि पेट्रो-रसायन उत्पादों का उत्पादन करेगी । आई.पी.सी.एल. एक नई परियोजना अर्थात गान्धार गैस क्रेकर कम्पलेक्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव कर रहा है । इस परियोजना में इथेन/प्रोपेन रिकवरी प्लांट, गैस क्रेकर प्लांट सम्मिलित है और यह विनयल क्लोराईड/पोली विनायल क्लोराईड, पोली ओलफाइन्स इत्यादि जैसे अनुप्रवाह उत्पादों का उत्पादन करेगा ।

12.02. **पेट्रोफिल्स सहकारी लि.:** दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बहु एककीय सहकारी समिति के रूप में 1974 में पंजीकृत इस सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य पोलियेस्टर फिलामेंट यार्न के उत्पादन के लिए उसके सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है ।

12.03. **हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का नियमन औषधियों, रंजक पदार्थों, रबड़ रसायनिक पदार्थों और लेमीनेट आदि के विनिर्माण के लिए आवश्यक मध्यवर्ती रासायनिक उत्पादनों का निर्माण करने के लिए 1960 में किया गया था ।

12.04. **हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड:** यह कम्पनी 1954 में निगमित की गई थी और डी. डी. टी., मेलाथोन बी. एच. सी. और एण्डोसल्फेन तकनीक का उत्पादन करने के लिए दिल्ली, उद्योग मंडल (केरल) और रसायनी (महाराष्ट्र) में इसके तीन कारखाने चल रहे हैं ।

12.05. **इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन, 1961 में किया गया था । निगमन का प्रयोजन, सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग से एंटीबायोटिक्स औषधों, संश्लिष्ट औषधों तथा शल्यचिकित्सा के औजारों का निर्माण करने वाले तीन संयंत्रों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना है । संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए इसको उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा के सहयोग से स्थापित किया है ।

12.06. **हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन 1954 में किया गया था । निगमन का उद्देश्य देश में जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण करना तथा ऐसी ही औषधियों के आयात पर निर्भरता को कम करना था। इस कम्पनी की दो परियोजनाएं है जो संयुक्त क्षेत्र में है अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक-एक है ।

12.07 **बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड:** यह कम्पनी आधारभूत रासायनिक पदार्थों, थोक औषधों, नुस्खों के अनुसार दवाइयों, जड़ी बूटियों वाली दवाइयों और प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण करती है।

12.08. **स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट लिमिटेड:** इस कम्पनी का निगमन 1968 में हुआ था और यह औषधों के निर्माण कार्यों में लगी हुई है ।

12.09. **बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड:** इस कम्पनी के दो विनिर्माणकारी एकक है - कलकत्ता तथा देहरादून में एक-एक एकक स्थित हैं, जो फार्मुलेशनों सीरमों और वेक्सीनों का निर्माण करते हैं ।

13. **अन्य निकाय/संस्थाएं**

प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान: यह एक सूचना प्रणाली है जिसे विभाग, रसायन के क्षेत्र में भारतीय रसायन निर्माता संघ की मदद से विकसित कर रहा है ।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अन्वेषण संस्थान: यह एक परियोजना है जिसको चण्डीगढ़ में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । यह संस्थान भारत में औषधीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता बढ़ाने का पता लगाता है और भारत में औषधीय क्षेत्र की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

distribution of synthetics, organics, chemicals, plastics, fibres and fibre - intermediates from petroleum feed stocks. The Corporation has been entrusted with the implementation of a mega project, Maharashtra Gas Cracker Complex (MGCC), in Maharashtra. The MGCC Project when implemented will produce petrochemicals like LDPE, LLDPE, HDPE, Polypropylene, Monoethylene Glycol, etc. I.P.C.L is also proposing to set up a new project, Gandhar Gas Cracker complex. This project consists of an Ethane/propane Recovery Plant, Gas Cracker Plant and will produce down stream products like Vinyl Chloride/Poly-Vinyl Chloride, Poly-Olefines etc.

12.02. **Petrofils Cooperative Ltd.:** Registered in 1974 as a Multi-Unit Cooperative Society under the Delhi Cooperative Societies Act, 1972. Its main object is to promote the economic interest of its members for production of polyester filament yarn.

12.03. **Hindustan Organic Chemicals Ltd.** It was incorporated in 1960 with the object of manufacturing chemical intermediates required for the manufacture of drugs, dyestuff, rubber chemicals, laminates etc.

12.04. **Hindustan Insecticides Ltd.** The company was incorporated in 1954 and has three factories at Delhi, Udyoga mandal (Kerala) and Rasayani (Maharashtra) for production of D.D.T, Malathion, B.H.C. and Endosulfan Tech.

12.05. **Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.** The company was incorporated in 1961 for setting up and managing 3 plants to manufacture antibiotics, synthetic drugs and surgical instruments with technical and financial assistance from the U.S.S.R. It has collaborations with UP, Rajasthan and Orissa for joint sector projects.

12.06. **Hindustan Antibiotics Ltd:** It was incorporated in1954 with the object of producing life saving drugs in the country and to reduce dependence on imports of such drugs. It has got two joint sector projects - one each in Maharashtra and Karnataka.

12.07. **Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd:** Manufactures basic chemicals, bulk drugs formulations, herbal medicines and cosmetic products.

12.08. **Smith Stanistreet Pharmaceuticals Ltd:** The company was incorporated in 1968 and is mainly engaged in the production of drug formulations.

12.09. **Bengal Immunity Ltd:** It has two manufacturing units - one each at Calcutta and Dehradun which produce formulation sera and vaccines.

Other Bodies/Institutions.

Technology Information Forcasting Centre (TIFAC). This is an information system that the Department is developing for the Chemicals sector with the assistance of the Indian Chemicals Manufacturers Association.

National Institute of Pharmaceuticals Education & Research (NIPER). This is a Project which is proposed to be set up at Chandigarh. The Institute seeks to promote excellence in the sphere of Pharmaceuticals Education in India and to meet the current and future needs of the Pharmaceutical sector in India.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

मांग संख्या DEMAND No. 6

उर्वरक विभाग Department of Fertilizers

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		21.93	4002.20	4024.13	17.81	4404.05	4421.86	14.80	4034.15	4048.95
पूंजी	*Capital*		*56.44*	*80.00*	*136.44*	*79.74*	*80.00*	*159.74*	*75.20*	*20.00*	*95.20*
जोड़	Total		78.37	4082.20	4160.57	97.55	4484.05	4581.60	90.00	4054.15	4144.15
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.65	1.65	...	1.54	1.54	...	1.70	1.70
2. देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	2. Subsidy on indigenous fertilizers	2852	...	3250.00	3250.00	...	3650.00	3650.00	...	2900.00	2900.00
3. आयातित उर्वरकों पर आर्थिक सहायता	3. Subsidy on imported fertilizers	2401	...	750.00	750.00	...	750.00	750.00	...	1100.00	1100.00
4. एच.एफ.सी.एल. द्वारा क्रियान्वित भारत-यूनाइटेड किंगडम उर्वरक विकास कार्यक्रम	*4. Indo-UK Fertilizers Development Programme, implemented by HFCL*										
4.01 भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना (आई बी एफ ई पी) के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को अनुदान	4.01 Grant to HFC for IBFEP	2852	7.80	...	7.80	7.80	...	7.80	7.80	...	7.80
4.02 वर्षापोषित कृषि परियोजना के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को अनुदान	4.02 Grant to HFC for Rainfed Farming Project	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*8.80*	...	*8.80*	*8.80*	...	*8.80*	*8.80*	...	*8.80*
5. निम्नलिखित द्वारा क्रियान्वित भारत-यूरोपीय, आर्थिक समुदाय उर्वरक विकास कार्यक्रम:	*5. Indo-EEC Fertilizers Development Programme, implemented by:*										
5.01 एफ.ए.सी.टी.	5.01 FACT	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.02 एन. एफ. एल.	5.02 NFL	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.03 आर. सी. एफ. एल.	5.03 RCFL	2852	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
5.04 पी.पी.सी.एल.	5.04 PPCL	2852	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
6. उर्वरक विकास के लिए अन्य अनुसंधान योजना	*6. Other Research Scheme for Fertilizers Development*										
6.01 अनुसंधान और विकास के लिए पी.डी.आई.एल को अनुदान	6.01 Grants to PDIL for Research and Development	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
6.02 बंजर भूमि वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत पी.पी.सी.एल. को अनुदान	6.02 Grants to PPCL under Wastland Afforestation Programme	2852	0.13	...	0.13	0.01	...	0.01	...	...	...
6.03 आधुनिक कृषि व्यवहारों के माध्यम, से यूरोपीय आर्थिक समुदाय भूमि उद्धार और विकास के अन्तर्गत पी.पी.सी.एल. को अनुदान	6.03 Grants to PPCL under EEC-Land Reclamation & Development through Modern Agricultural Practices (LANDMAP)	2852	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	...	...	...
6.04 भारत-जापान वर्षापोषित कृषि परियोजना के अन्तर्गत हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को अनुदान	6.04 Grants to HFC under Indo-Japanese Rainfed Farming Project	2852	4.00	...	4.00	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*11.13*	...	*11.13*	*7.01*	...	*7.01*	*4.00*	...	*4.00*
7. बिजयपुर उर्वरक परियोजना को जल पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार को उधार	7. Loans to MP Govt. for water supply to Bijaipur Fertilizer Project	7601	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00	0.50	...	0.50
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार	*8. Non-plan Loans to Public Sector Enterprises:*										
8.01 एच. एफ. सी एल.	8.01 HFCL	6855	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	10.00	10.00
8.02 एफ सी आई	8.02 FCI	6855	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	10.00	10.00
जोड़		*Total*	...	*80.00*	*80.00*	...	*80.00*	*80.00*	...	*20.00*	*20.00*
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	9. Investment in Public Enterprises	4855	3.37	...	3.37	26.37	...	26.37	2.00	...	2.00
		6855	52.07	...	52.07	48.27	...	48.27	72.40	...	72.40
जोड़		*Total*	*55.44*	...	*55.44*	*74.64*	...	*74.64*	*74.40*	...	*74.40*
10. अन्य कार्यक्रम	10. Other programmes	2852	...	0.55	0.55	...	2.51	2.51	...	32.45	32.45
		4401	...	...	...	0.10	...	0.10	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	...	*0.55*	*0.55*	*0.10*	*2.51*	*2.61*	*0.30*	*32.45*	*32.75*
11. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	11. Aid Material and Equipment-Gross	3606	...	10.00	10.00	...	...	...	...	...	...
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में अन्तरण	*Deduct- Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-10.00*	*-10.00*	...	...	...	...	...	...
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल	Aid Material and Equipment-Net	Total	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*78.37*	*4082.20*	*4160.57*	*97.55*	*4484.05*	*4581.60*	*90.00*	*4054.15*	*4144.15*

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.अ.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.अ.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.अ.सं. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises										
9.01 भारतीय उर्वरक निगम	9.01 Fertilizer Corporation of India	12855	23.38	41.62	65.00	23.38	41.62	65.00	25.00	40.00	65.00
9.02 फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	9.02 Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd.	12855	8.31	71.69	80.00	8.31	60.89	69.20	15.20	35.00	50.20
9.03 पाइराइट्स, फास्फेटस एण्ड केमिकल्स लि.	9.03 Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd.	12855	0.37	3.13	3.50	0.37	3.33	3.70	0.20	3.00	3.20
9.04 नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	9.04 National Fertilizers Ltd.	12855	19.38	40.62	60.00	15.58	62.42	78.00	14.00	49.00	63.00
9.05 हिन्दुस्तान उर्वरक निगम	9.05 Hindustan Fertilizer Corporation	12855	1.00	66.00	67.00	24.00	36.30	60.30	19.00	31.00	50.00
9.06 प्रोजेक्टस एण्ड डेवलेपमेंट (इंडिया) लि.	9.06 Projects and Development (India) Ltd.	12855	1.00	6.00	7.00	1.00	5.53	6.53	...	2.50	2.50
9.07 पारादीप फास्फेटस लि.	9.07 Paradeep Phosphates Ltd.	12855	1.00	94.00	95.00	1.00	94.00	95.00	...	45.00	45.00
9.08 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	9.08 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.	12855	...	68.00	68.00	...	58.59	58.59	...	68.00	68.00
9.09 मद्रास उर्वरक लि.	9.09 Madras Fertilizers Ltd.	12855	1.00	34.00	35.00	1.00	34.00	35.00	1.00	47.00	48.00
9.10 इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि.	9.10 Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd.	12855	...	130.00	130.00	...	66.59	66.59	...	0.10	0.10
9.11 कृषक भारती कोआपरेटि लि.	9.11 Krishak Bharti Cooperative Ltd.	12855	...	21.00	21.00	...	24.05	24.05	...	0.10	0.10
9.12 नया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट	9.12 New Fertilizer Projects	12855	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
9.13 अन्य निकाय / संस्थान	9.13 Other bodies/institutions	12855	...	5.30	5.30	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		55.44	582.36	637.80	74.64	487.32	561.96	74.40	320.70	395.10
ग. आयोजना परिव्यय-	C. Plan Outlay :-										
1. उर्वरक उद्योग	1. Fertilizers Industries	12855	78.37	582.36	660.73	97.55	487.32	584.87	90.00	320.70	410.70

1. इसमें उर्वरक विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. यह व्यवस्था उर्वरक प्रतिधारण मूल्य स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिए है, जिसमें उर्वरकों के भाड़े के लिए आर्थिक सहायता भी शामिल है.। यह सब्सिडी स्कीम किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने और उर्वरकों के उत्पादकों को उनके निवेश पर उचित लाभ दिलाने के लिए है । उर्वरकों की बिक्री समय-समय पर निर्धारित निर्गम मूल्यों पर की जाती है ।

3. चूंकि उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं है, इसलिए कमी को पूरा करने के लिए आयात का प्रबन्ध किया जाता है। उर्वरकों की मुख्यतः तीन किस्मों अर्थात् यूरिया, डाइ-अमोनियम फास्फेट और म्यूरेट आफ पोटाश का आयात किया जाता है ।

इसकी लागत में मोटे तौर पर आयातित उर्वरकों की कीमत और उर्वरक उठाने-धरने तथा उनके वितरण की लागत शामिल होती है । किसानों को उर्वरकों की बिक्री की कीमतें उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रित की जाती हैं और इस प्रकार उपभोक्ता कीमतें सांविधिक रूप से विनियमित होती है । किसानों को उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त राशि और आयात की लागत के बीच का अन्तर उर्वरकों के आयात पर दी जाने वाली सब्सिडी का द्योतक है ।

4. यह व्यवस्था चुने हुए जिलों में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. द्वारा क्रियान्वित भारत-ब्रिटिश उर्वरक शिक्षा परियोजना के लिए की गई है । इसका उद्देश्य उर्वरकों की खपत के स्तर में वृद्धि करना और किसानों को उर्वरकों की वैज्ञानिक जानकारी देकर शिक्षित करना है । यह परियोजना पांच वर्षों की अवधि के लिए है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्षापोषित कृषि परियोजना भी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ।

5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, यूरोपीय आर्थिक समुदाय चार उर्वरक शिक्षा परियोजनाओं की, जो उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर (एफ.ए.सी.टी.) राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लि. (आर. सी. एफ. एल), राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एन. एफ. एल) और पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पी.पी.सी.एल) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, स्थानीय लागत के लिए अंशदान करता है । इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि पद्धतियों के उन्नत पैकेजों को प्रोत्साहन देना है, जिनमें उर्वरकों का कुशल और सन्तुलित उपयोग भी शामिल है ।

6. प्रोजेक्टस एण्ड डेवलेपमेंट (इंडिया) लिमिटेड को अनुदान देने का उद्देश्य, रसायन और उर्वरक उद्योगों के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और विकास संबंधी जानकारी देना है । पाइराइट्स, फास्फेटस एण्ड केमिकल्स

1. Provision is for secretariat expenditure of the Department of Fertilizers.

2. This provision relates to subsidy under Fertilizer Retention Price Scheme including freight subsidy for fertilizers. The subsidy scheme is intended to make fertilizers available to the farmers at reasonable prices and give producers of fertilizers a reasonable return on their investment. The fertilizers are sold at issue prices, fixed from time to time.

3. As indigenous production is not adequate to meet the demand for fertilizers, imports are arranged to make up the shortfall. Mainly, three varieties of fertilizers viz., Urea, Di-Ammonium Phosphate and Muriate of Potash are imported.

The cost involved is broadly the price (C&F) of imported fertilizers plus the cost of handling and distribution of the fertilizers. The selling price of fertilizers to farmers is controlled under the Fertilizer Control Order and the consumer prices are thus statutorily regulated. The difference between the amount realised by way of sale of fertilizers to farmers and the import costs to Government represents the subsidy on fertilizer imports.

4. The provision is for Indo-British Fertilizers Education Project implemented by Hindustan Fertilizers Corporation Ltd. (HFCL) in selected districts. It aims at increasing the level of fertilizer consumption and in educating the farmers on Scientific knowledge of fertilizers. The Project is for a duration of five years. Under this programme Rain-Fed farming Project is also being implemented by Hindustan Fertilizers Corporation Ltd. (HFCL)

5. Under this programme, EEC contributes the local cost of four fertilizer education projects which are being implemented by FACT, RCFL, NFL and PPCL. These projects aim at providing improved packages of agricultural practices including efficient and balanced use of fertilizers.

6. Grant to PDIL is intended to provide indigenous technology and development know how in the field of chemicals and fertilizers industries. Grant to PPCL is for Wasteland Afforestation and Land

लि0 (पी.पी.सी.एल) को अनुदान, बंजरभूमि वनरोपण और भूमि-उद्धार एवं विकास कार्यक्रमों के लिए है। एच.एफ.सी.एल. को अनुदान जापानी सहायता प्राप्त वर्षा जल संबंधी कृषि परियोजना के लिए दिया गया है ।

7. इसमें राष्ट्रीय उर्वरक लि. (एन. एफ. एल) द्वारा विजयपुर, मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे नए गैस आधारित उर्वरक संयंत्र को जल की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है ।

8. एच. एफ. सी. एल और एफ. सी. आई. के लिए आयोजना-भिन्न ऋणों की व्यवस्था करने का उद्देश्य यह है कि ये कम्पनियां अपनी भुगतान संबंधी समस्याओं को हल कर सकें ।

9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋण-वार ब्यौरे और आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन व्यय बजट खण्ड-I में दिए गए हैं।

9.01. भारतीय उर्वरक निगम (एफ. सी. आई.) : यह कम्पनी नाइट्रोजनयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों और कुछ औद्योगिक रसायनों का उत्पादन और विपणन करती है । इस पुनर्गठित निगम के चार मुख्य चालू एकक हैं अर्थात् सिंदरी, गोरखपुर, तलचर और रामगुण्डम, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 8.06 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजनी उर्वरक और 1.50 लाख मैट्रिक टन पी 2. ओ 5. का उत्पादन करने की है ।

9.02 उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि. (एफ.ए.सी.टी.): इस कंपनी में नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरकों, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डायआक्साइड आदि का उत्पादन होता है । कंपनी के तीन चालू एकक हैं : एक उद्योग मंडल में तथा अन्य दो कोचीन में हैं । इन तीनों एककों की स्थापित क्षमता 3.11 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन और 1.49 लाख मैट्रिक टन पी2 ओ5 का उत्पादन करने की है । कम्पनी ने 372 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उद्योग मण्डल, केरल में एक अमोनियम सल्फेट - केप्रोलेक्टम परियोजना भी शुरू की है ।

9.03 पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (पी.पी.सी.एल): यह कम्पनी बिहार के अमझोर तथा राजस्थान के सलादीपुरा में पाइराइट्स तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में चट्टानी फास्फेट निकालने के काम में लगी हुई है । देहरादून जिले में चट्टानी फास्फेट, अम्लीय भूमि में पी2 ओ5 के स्रोत रूप में सीधे इस्तेमाल किये जाने के लिये चूर्ण रूप में सप्लाई किया जाता है । इस कम्पनी ने देशी पाइराइटस का प्रयोग करते हुए नवम्बर, 1989 में अमझोर में एक फास्फेट-युक्त उर्वरक परियोजना चालू की है ।

9.04 राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एन. एफ. एल.) : कंपनी के 4 एकक अर्थात् नांगल, नांगल विस्तार, भटिंडा और पानीपत हैं, जिनकी कुल वार्षिक क्षमता 10.36 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन के उत्पादन की है।

कम्पनी ने भटिंडा और पानीपत में अपने उर्वरक संयत्रों में केप्टिव विद्युत संयत्र और नांगल में नांगल आधुनिकीकरण संयंत्र चरण-I भी चालू हो गया है । गुना, मध्यप्रदेश में बिजय नगर उर्वरक संयंत्र में 1.7.88 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है ।

9.05. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि. (एच. एफ. सी. एल.) : इस कंपनी के 6.53 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजन उर्वरकों की स्थापित क्षमता वाले चार एकक काम कर रहे हैं अर्थात् नामरूप, बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप-III। कम्पनी हल्दिया में एक उर्वरक परियोजना को भी क्रियान्वित कर रही है ।

9.06 प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड : इसमें उर्वरकों के क्षेत्र में रूपांकन इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाला एकक, अनुसंधान और विकास प्रभाग, उपस्कर और पात्रों (वैसलों) के निर्माण करने वाला प्रभाग है । यह कम्पनी उर्वरक उद्योग के लिये उत्प्रेरकों के उत्पादन का काम भी करती है ।

रूपांकन इंजीनियरी, तकनीकी प्राप्ति, पर्यवेक्षण, निर्माण और कमीशनिंग के क्षेत्र में कम्पनी ने एच एफ सी एल की नामरूप III परियोजना को पूरी तरह अभिकल्पित और निष्पादित किया है । यह गुना, मध्यप्रदेश में विजयपुर उर्वरक परियोजना से भी सहयोजित थी जिसे राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड तथा आंवला उर्वरक परियोजना जो इफको द्वारा स्थापित की गई थी, के द्वारा क्रियान्वित किया गया था । इस समय यह कम्पनी जगदीशपुर, बबराला, गुडीपन तथा शाहजहांपुर में स्थापित की जा रही उर्वरक परियोजना के कार्यान्वियन में लगी हुई है ।

9.07. पारादीप फास्फेटस लिमिटेड : यह कम्पनी उड़ीसा के पारादीप में पारादीप उर्वरक परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें 7.21

Reclamation and Development Programmes. Grant to H.F.C.L. is for rainfed farming project with Japanese aid.

7. The provision is for water supply to the new gas based fertilizers plant being set up by NFL at Bijaipur in Madhya Pradesh.

8. The provision for non-plan loans to HFCL & FCI, are intended to enable the companies to overcome their liquidity problems.

9. Investment in Public enterprises

The equity and loanwise break up of the Budgetary support to these enterprises and the IEBR are given in Expenditure Budget Vol. I.

9.01 **Fertilizer Corporation of India(FCI):** is engaged in the production and marketing of nitrogenous and phosphatic fertilizers and some industrial chemicals. The re-organised FCI has four major operating units namely, Sindri, Gorakhpur, Talcher and Ramagundam with a total installed capacity of 8.06 lakhs tonnes of nitrogen and 1.50 lakh tonnes of P2O5.

9.02 **Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.(FACT):** is engaged in production of nitrogenous and phosphatic fertilizers, ammoniumsulphate, ammonium chloride, sulphur dioxide, etc. The Company has three operating units - one at Udyogamandal and the other two units at Cochin. All the three units have installed capacity of 3.11 lakh tonnes of nitrogen and 1.49 lakh tonnes of P2O5. The Company has also commissioned Ammonium Sulphate-Caprolactam Project at Udyogamandal in Kerala at an estimated cost of Rs. 372 crores.

9.03 **Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.(PPCL):** is engaged in the exploitation of the pyrites deposits at Amjhore in Bihar, Saladipura in Rajasthan and rock phosphate deposits in Dehra Dun district of Uttar Pradesh. The rock phosphate mined in Dehra Dun district is supplied in powdered form for direct application as a source of P205 in acidic soils. The company has Commissioned a phosphatic fertilizer project at Amjhore in Nov., 1989 using indigenous pyrites

9.04 **National Fertilizers Limited (NFL):** has four units namely, Nangal, Nangal Expansion, Bhatinda and Panipat with a total installed capacity of 10.36 lakh tonnes of nitrogen per annum.

The company has also commissioned captive power plants at its fertilizer plants at Bhatinda and Panipat and Nangal Modernisition Plant Phase-I at Nangal. The Vijaypur Fertilizer Plant at Guna, M.P. has since gone into commercial production on 1.7.88.

9.05 **Hindustan Fertilizer Corporation Ltd.(HFCL):** has four operating units namely, Namrup, Barauni, Durgapur and Namrup III with an installed capacity of 6.53 lakh tonnes of nitrogen. The Company is also implementing a fertilizer project at Haldia.

9.06 **Projects and Development India Ltd.(PDIL):** has design engineering and consultancy service unit, a research and development division and fabrication workshop of equipment and vessels in the field of fertilizers. The company is also engaged in the manufacture of catalysts for the fertilizer industry.

In the field of design engineering, technical procurement, supervision, construction and commissioning, the company has fully designed and executed the Namrup III project of HFCL. It was also associated with Vijaypur fertilizer project at Guna in Madhya Pradesh, implemented by National Fertilizers Limited and Aonla fertilizer project put up by IFFCO. Currently the company is associated with the implementation of fertilizers project being put up at Jagdishpur, Babrala, Gudepan and Shahjahanpur.

9.07 **Paradeep Phosphates Limited(PPL):** is implementing the Paradeep fertilizer project at Paradeep in Orissa envisaging a

लाख मैट्रिक टन डायो अमोनियम फास्फेट के उत्पादन की परिकल्पना की गई है, जिससे दो चरणों में 6.6 लाख मैट्रिक टन सल्फेटिक एसिड और 2.25 लाख मैट्रिक टन फास्फेटिक एसिड प्राप्त होगा ।

यह परिओना नौरू सरकार और भारत सरकार द्वारा इक्विटी पूंजी में निवेश करके क्रियान्वित की जा रही है ।

9.08. **राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (आर. सी.एफ. एल) :** यह कम्पनी नाइट्रोजनी और फास्फेटी उर्वरक तथा कुछ औद्योगिक वस्तुओं जैसे मेथोनोल, अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन का काम करती है । इस समय कम्पनी के चार चालू यूनिटें अर्थात् ट्राम्बे, ट्राम्बे-4, ट्राम्बे-5 और थाल हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 10 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन और 1.20 लाख मैट्रिक टन पी2 ओ5 का उत्पादन करने की है।

9.09 **मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड:** यह कम्पनी संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी थी, जिसमें भारत सरकार, नेशनल इरानियन आयल कम्पनी और संयुक्त राज्य अमरीका में निगमित एमोको इंडिया की भागीदारी थी । एमोको इंडिया के शेयर आंशिक रूप में भारत सरकार द्वारा और आंशिक रूप से नेशनल इरानियन आयल कम्पनी द्वारा खरीद लिए गए हैं । यह कम्पनी 1.76 लाख मैट्रिक टन नाइट्रोजन तथा 1.12 लाख मैट्रिक टन पी2 ओ 5 की स्थापित क्षमता से यूरिया और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करती है।

9.10 **भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ लिमिटेड (इफको)** कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में आवला में 696 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से गैस पर आधारित एक नए उर्वरक (अमोनिया/यूरिया) संयंत्र चालू किया है । परियोजना में 1350 मीट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक अमोनिया संयंत्र और प्रत्येक 1100 मीट्रिक टन प्रति दिन की क्षमता वाले दो यूरिया संयंत्र हैं । इस परियोजना ने अगस्त/सितम्बर, 1988 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ।

इस कम्पनी के 4.88 लाख टन नाइट्रोजन और 2.60 लाख टन पी2ओ 5 की कुल स्थापित क्षमता वाले तीन चालू एकक गुजरात में कांडला और कलोल तथा उत्तर-प्रदेश में फूलपुर हैं ।

9.11 **कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड:** कृषक भारती सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर एक बड़े आकार के अमोनिया/यूरिया कम्प्लेक्स का निर्माण सहकारी क्षेत्र में किया गया है । प्राकृतिक गैस पर आधारित इस परियोजना की स्थापित क्षमता 6.68 लाख मीट्रिक टन नाइट्रोजनी उर्वरक की है ।

10. इसमें उर्वरकों के उठाने-धरने और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की परियोजना पर होने वाले व्यय के लिए की गई आयोजना व्यवस्था शामिल है । ई. डी. के कार्यालय, उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय, उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, विदेशों में संयुक्त उर्वरक परियोजनाओं के अध्ययनों के लिए एफ. ए. सी. टी. के एफ. ई. डी. ओ. के लिए अनुदान, एम. आई. एस. के क्षेत्र में अध्ययनों के लिए अनुदान, उर्वरक उद्योग के क्षेत्र में उत्पादक पुरस्कार के लिए अनुदान और स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं आदि के कार्यान्वियन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान देने और विचारित निर्यात लाभों, जो नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए खरीदे गए देशी उपस्करों के खरीददारों को उपलब्ध कराये जाते हैं, के प्रति होने वाले भुगतान, जिसके संबंध में कोई बहुपक्षीय वित्तपोषण की व्यवस्था न होकर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी अनिवार्य पद्धति निर्धारित की गई है, के संबंध में आयोजना-भिन्न व्यवस्था की गई है।

11. यह व्यवस्था विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्रियों और उपस्करों के लिए है ।

production of 7.21 lakh tonnes of Di-Ammonia Phosphate (DAP) 6.6 lakh tonnes of sulphuric acid and 2.25 lakh tonnes of phosphoric acid in two phases.

This project is being implemented with equity participation by Governments of India and Nauru.

9.08 **Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd (RCFL):** is engaged in the production of nitrogen and phosphatic fertilizers and some industrial products like methanol and ammonium nitrate, etc. At present, the Company has four operating units namely, Trombay, Trombay IV. Trombay V and Thal with a total installed capacity of 10 lakh tonnes of nitrogen and 1.20 lakh tonnes of P205.

9.09 **Madras Fertilizers Limited(MFL):** was a joint sector company with participation of Government of India, National Iranian Oil Company and AMOCO India incorporated at USA. The shares of AMOCO India have been purchased partly by Government of India and partly by the National Iranian Oil Company. The company is engaged in the manufacture of urea and complex fertilizers with an installed capacity of 1.76 lakh tonnes of nitrogen and 1.12 lakh tonnes of P205.

9.10 **Indian Farmers Fertilizers Cooperative Ltd.(IFFCO):** has commissioned a new Gas based fertilizer (ammonia/urea) plant at Aonla in Uttar Pradesh with a capital cost of Rs. 696 crores. The project consists of an ammonia plant of 1350 tonnes per day capacity and two urea plants of 1100 tonnes per day capacity each. This Project has since gone into commercial production in August/September, 1988.

The Company has also three operating units at Kandla and Kalol in Gujarat and Phulpur in U.P. with a total installed capacity of 4.88 lakh tonnes of Nitrogen and 2.60 lakh tonnes of P2O5.

9.11 **Krishak Bharati Cooperative Ltd.(KRIBHCO):** A large size ammonia/urea complex has been set up in the cooperative sector at Hazira in Gujarat by the Krishak Bharati Cooperative Ltd. Based on natural gas, the project has an installed capacity of 6.68 lakh tonnes of nitrogan.

10. This includes plan provision for expenditure on the project for strengthening of fertilizers unloading, handling and transportation facilities. Non-plan provision for the Office of ED, Fertilizer Industry Coordination Committee, an attached Office of the Department of Fertilizers, grant to FEDO of FACT for studies for Joint Fertilizer Projects abroad, grant for studies in the field of MIS, grant for Productivity Award in the field of fertilizer industry and grant to Public Sector Undertakings for implemating Voluntary Retirement Schemes and payments towards Deemed Export Benefits which are extended to vendors of indigenous equipments purchased for new fertiliser projects, for which there is no multilateral financing but International Competitive Bidding procedure has been prescribed.

11. The provision is for Aid Materials and Equipments received from foreign countries.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

मांग संख्या DEMAND No.7

नागर विमानन विभाग Department of Civil Aviation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		0.73	74.32	75.05	0.63	71.45	72.08	1.24	40.55	41.79
पूंजी	*Capital*		*5.01*	...	*5.01*	*4.77*	...	*4.77*	*27.83*	...	*27.83*
जोड़	**Total**		**5.74**	**74.32**	**80.06**	**5.40**	**71.45**	**76.85**	**29.07**	**40.55**	**69.62**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं नागर विमानन	1. Secretariat - Economic Service's **Civil Aviation**	3451	...	1.78	1.78	...	1.66	1.66	...	1.90	1.90
2. नागर विमानन का महानिदेशक	2. Director General of Civil Aviation	3053	0.65	11.13	11.78	0.58	10.72	11.30	0.90	6.86	7.76
		5053	1.80	...	1.80	1.62	...	1.62	3.60	...	3.60
जोड़		*Total*	*2.45*	*11.13*	*13.58*	*2.20*	*10.72*	*12.92*	*4.50*	*6.86*	*11.36*
3. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	3. Bureau of Civil Aviation Security	3053	0.05	4.88	4.93	0.02	4.30	4.32	0.25	4.89	5.14
		5053	0.62	...	0.62	0.56	...	0.56	1.17	...	1.17
जोड़		*Total*	*0.67*	*4.88*	*5.55*	*0.58*	*4.30*	*4.88*	*1.42*	*4.89*	*6.31*
4. यात्री सेवा फीस और सुरक्षा उपायों के बदले भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को अदायगियां	4. Payments to IAAI against Passenger Service Fee and security measures										
4.1 यात्री सेवा फीस के अधीन	4.1 Against Passenger service fee	3053	...	5.00	5.00	...	4.00	4.00	...	6.00	6.00
4.2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों के लिए	4.2 For security measures at International Airports	3053	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
जोड़		*Total*	...	*9.00*	*9.00*	...	*8.00*	*8.00*	...	*10.00*	*10.00*
5. अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों को बेचे जाने वाले विमानन ईंधन पर बिक्री कर के एवज में राज्य सरकारों को अदायगियां	5. Payments to State Govts in lieu of sales tax on Aviation Turbine Fuel sold to International Airlines	3601	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	15.00	15.00
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	6. Investments in Public Enterprises	5053	1.29	...	1.29	1.29	...	1.29	12.03	...	12.03
		7053	1.30	...	1.30	1.30	...	1.30	11.03	...	11.03
जोड़		Total	2.59	...	2.59	2.59	...	2.59	23.06	...	23.06
7. अन्य व्यय	7. Other Expenditure	3053	0.03	1.00	1.03	0.03	0.60	0.63	0.09	0.60	0.69
		3601	...	0.81	0.81	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
जोड़		*Total*	*0.03*	*1.81*	*1.84*	*0.03*	*1.10*	*1.13*	*0.09*	*1.10*	*1.19*
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
8. रेलवे सुरक्षा आयुक्त	8. Commission of Railway Safety	3075	...	0.72	0.72	...	0.67	0.67	...	0.80	0.80
9. सहायता सामग्री और उपस्कर	9. Aid materials & equipment	3606	...	2.59	2.59	...	2.59	2.59	...	1.00	1.00
घटाइए—कार्यशील मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct* - Transfer to functional major head	3606	...	-2.59	-2.59	...	-2.59	-2.59	...	-1.00	-1.00
कुल जोड़	***Grand Total***		***5.74***	***74.32***	***80.06***	***5.40***	***71.45***	***76.85***	***29.07***	***40.55***	***69.62***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
6.01 एयर इंडिया	6.01 Air India	13053	...	147.50	147.50	...	145.72	145.72	...	135.07	135.07
6.02 इंडियन एयरलाइन्स	6.02 Indian Airlines	13053	...	207.50	207.50	...	179.44	179.44	...	52.77	52.77
6.03 वायुदूत	6.03 Vayudoot	13053	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	0.44	...	0.44
604 भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	6.04 International Airport Authority of India	13053	...	65.00	65.00	...	65.00	65.00	...	99.00	99.00
6.05 राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण	6.05 National Airport Authority	13053	2.59	77.00	79.59	2.59	68.57	71.16	22.62	99.46	122.08
6.06 पवन हंस लि०	6.06 Pawan Hans Ltd	13053	...	2.70	2.70	...	6.20	6.20	...	6.28	6.28
6.07 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी	6.07 Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy	13053	...	7.13	7.13	...	7.13	7.13	...	11.15	11.15
जोड़	**Total**		**2.59**	**514.83**	**517.42**	**2.59**	**480.06**	**482.65**	**23.06**	**403.73**	**426.79**
ग. आयोजना परिव्यय :-	**C. Plan Outlay:-**										
1. नागर विमानन	1. Civil Aviation	13053	5.74	514.83	520.57	5.40	480.06	485.46	29.07	403.73	432.80

1. इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2 और 3. इसमें नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और उनके क्षेत्रीय निदेशालयों तथा फील्ड कार्यालयों सहित नागर विमानन महानिदेशक की स्थापनाओं के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

4. यह व्यवस्था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry.

2 & 3. The provision is for expenditure on establishments of Director General of Civil Aviation including Bureau of Civil Aviation Security and their regional directorates and field offices.

4. The provision is for payments to International Airports Authority of India towards reimbursement of expenditure on security

गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए व संग्रहित किए गए यात्री सेवा शुल्क की क्षतिपूर्ति करने के लिए की गई है।

5. यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और एयर इंडिया द्वारा संबंधित राज्यों में स्थित हवाईअड्डों पर विमानन टरबाइन ईंधन ढोने के लिए उन्हें बिक्री कर के भुगतान से छूट देने पर राज्य सरकारों द्वारा परित्यक्त राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए है ।

6. यह व्यवस्था राष्ट्रीय विमानन पत्तन प्राधिकरण और वायुदूत को बजटीय समर्थन देने के लिए है । राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को बजटीय समर्थन का इक्विटी भाग 11.81 करोड़ रुपए और वायुदूत के लिए 0.22 करोड़ रुपए है । बजटीय समर्थन का ऋण संघटक 11.03 करोड़ रुपए का है ।इसमें राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए 10.81 करोड़ रुपए और वायुदूत के लिए 0.22 करोड़ रुपए शामिल है । इस प्रकार, 1991-92 के बजट में सरकार उद्यमों को दिया गया कुल बजटीय समर्थन 23.06 करोड़ रुपए का है ।

7. यह व्यवस्था कृषि विमानन निदेशालय के व्यय, यात्री सेवा फीस के बदले राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अदायगी करने और सरकार के स्वामित्वाधीन उड्डयन क्लबों के लिए राज्यों को अनुदान देने के लिए की गई है।

8. यह व्यवस्था रेलवे सुरक्षा से संबंधित आयोग और इसके अधीन कार्यालयों के व्यय के लिए है, जो रेल यात्रा और परिचालन में सुरक्षा से संबंधित मामलों की देखभाल करता है । यह भारतीय रेलवे अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में विहित कतिपय सांविधिक क्रियाकलापों को भी निष्पादित करता है ।

9. ये अनुमान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत इलाहाबाद स्थित नागरिक विमानन प्रशिक्षण केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपए मूल्य के उपस्करों के हिसाब को समायोजन के लिए पूरा करने के वास्ते हैं जिसके यू.एन.डी.पी. से प्राप्त होने की संभावना है ।

arrangements made by it at the international airports in India and also for compensating it for passenger service fees levied and collected by the Government.

5. The provision is intended for compensating State Governments for the revenue foregone by them by exempting International Airlines including Air India from payments of sales tax on aviation turbine fuel lifted by them at the airports located in the State concerned.

6. The provision is for budgetary support to National Airports Authority and Vayudoot. The equity portion of the budgetary support to National Airports Authority is Rs. 11.81 crores and that for Vayudoot is Rs. 0.22 crore. The loan component of the budgetary support is Rs. 11.03 crores. This consists of Rs. 10.81 crores to National Airports Authority and Rs. 0.22 crore to Vayudoot Ltd. Thus the total budgetary support to public enterprises provided in 1991-92 Budget is Rs. 23.06 crores.

7. The provision is for expenditure of the Directorate of Agricultural Aviation, payments to National Airports Authority in lieu of passenger service fees and grants to States for Government owned flying clubs.

8. The provision is for expenditure of the Commission of Railway Safety and offices under it, which deals with matters pertaining to safety in rail travel and operation. It also performs certain statutory functions specified in the Indian Railways Act and the Rules framed thereunder.

9. The estimates are for adjustments to be put through for accountal of equipment valued at Rs. 1.00 crore which is expected to be received from the UNDP for modernisation of the civil aviation training centre at Allahabad, under the National Airports Authority.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM

मांग संख्या DEMAND No.8

पर्यटन विभाग Department of Tourism

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		46.58	13.84	60.42	42.26	13.84	56.10	50.60	13.40	64.00
पूंजी	*Capital*		*20.92*	...	*20.92*	*18.74*	...	*18.74*	*26.40*	...	*26.40*
जोड़	**Total**		**67.50**	**13.84**	**81.34**	**61.00**	**13.84**	**74.84**	**77.00**	**13.40**	**90.40**
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं पर्यटन	1. Secretariat-Economic Services Tourism	3451	...	0.08	0.08	...	0.15	0.15	...	0.16	0.16
2. महानिदेशक, पर्यटन -निदेशन तथा प्रशासन	2. Director General Tourism - Direction & Administration	3452	0.60	4.37	4.97	0.57	4.97	5.54	0.97	4.28	5.25
3. पर्यटक सूचना और प्रचार	*3. Tourist Information & Publicity*										
3.01 प्रत्यक्ष व्यय	3.01. Direct Expenditure	3452	10.53	0.15	10.68	9.12	0.15	9.27	10.40	0.20	10.60
3.02 एअर इंडिया को अदायगी	3.02. Payment to Air India	3452	24.00	4.48	28.48	24.00	4.19	28.19	28.00	4.03	32.03
जोड़		*Total*	*34.53*	*4.63*	*39.16*	*33.12*	*4.34*	*37.46*	*38.40*	*4.23*	*42.63*
4. पर्यटक -आधारभूत सामग्री	4. Tourist Infrastructure	3452	...	...	...	...	...	...	1.30	...	1.30
		5452	14.24	...	14.24	12.59	...	12.59	17.80	...	17.80
जोड़		*Total*	*14.24*	...	*14.24*	*12.59*	...	*12.59*	*19.10*	...	*19.10*
5. प्रशिक्षण	5. Training	3452	8.83	4.65	13.48	6.94	4.22	11.16	7.25	4.55	11.80
		7452	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*8.93*	*4.65*	*13.58*	*7.04*	*4.22*	*11.26*	*7.35*	*4.55*	*11.90*
6. अन्य व्यय	6. Other expenditure	3452	2.62	0.11	2.73	1.63	0.16	1.79	2.68	0.18	2.86
		5452	6.58	...	6.58	6.05	...	6.05	5.50	...	5.50
जोड़		*Total*	*9.20*	*0.11*	*9.31*	*7.68*	*0.16*	*7.84*	*8.18*	*0.18*	*8.36*
7. सरकारी उद्यमों में निवेश-	7. Investment in Public Enterprises	5452	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
		7452	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*3.00*	...	*3.00*
जोड़- पर्यटन	**Total-Tourism**		**67.50**	**13.76**	**81.26**	**61.00**	**13.69**	**74.69**	**77.00**	**13.24**	**90.24**
कुल जोड़	***Grand Total***		***67.50***	***13.84***	***81.34***	***61.00***	***13.84***	***74.84***	***77.00***	***13.40***	***90.40***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment In Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
9.01 भारतीय पर्यटन विकास निगम	9.01 India Tourism Development Corporation	13452	...	15.50	15.50	...	5.00	5.00	3.00	13.00	16.00
जोड़		*Total*	...	*15.50*	*15.50*	...	*5.00*	*5.00*	*3.00*	*13.00*	*16.00*
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay :-**										
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं - पर्यटन	1. General Economic Services - Tourism	13452	67.50	15.50	83.00	61.00	5.00	66.00	77.00	13.00	90.00

1. इसमें पर्यटन मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय की व्यवस्था की जाती है ।

2. यह व्यवस्था पर्यटन महानिदेशालय के मुख्यालय की स्थापना के व्यय के लिए और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय तथा अन्य कार्यालयों के व्यय के लिए है । इनकी मुख्य गतिविधियों में पर्यटन संबंधी जानकारी देने की व्यवस्था करने के साथ-साथ सैलानियों के लिए आधारभूत सामग्री संबंधी सुविधाओं का विकास करना, यात्रा व्यवसाय से संबद्ध विभिन्न सुविधाओं, जैसे कि होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, वन्यजीवन विषयक उपस्कर प्रदाताओं तथा मार्गदर्शकों आदि जैसे माध्यमों का विनियमन करना है।

3. भारत की छवि, इलेक्ट्रानिकी माध्यम तथा छपाई माध्यम दोनों ही प्रकार के विज्ञापनी अभियानों, पर्यटक साहित्य, चलचित्रों तथा सांस्कृतिक प्रदर्शनों आदि के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है । चयनात्मक आधार पर आधारभूत पर्यटक सुविधाओं का विकास करने, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने तथा प्रदर्शनियों तथा महोत्सवों में बाकायदा भाग लेने के नियमित कार्यक्रमों, भारत संध्याओं/गोष्ठियों, विशेष रुचि की यात्राओं, चार्टर उड़ानों, अवकाश तथा फुरसत के समय की यात्राओं आदि में शामिल होने की कार्रवाइयों और पुस्तिकाओं, चलचित्रों तथा फोटोग्राफ आदि जैसी प्रचार सामग्री के उत्पादन के कार्यों जैसे समुद्रपारीय प्रचार कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा । इस योजना के अधीन विदेशों में जो प्रचार कार्यक्रम सम्पन्न किया जाता है, वह एयर इंडिया के साथ निकट सहयोग करके किया जाता है । एयर इंडिया को किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था में व्यय में सरकार का भाग शामिल है जो एयर इंडिया के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम तथा यूरोप के मामले में 4 : 1 के अनुपात में और पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया तथा आस्ट्रेलिया के संबंध में 5 : 1 के अनुपात में वहन किया जाता है ।

1. Provision is for expenditure on secretariat of the Ministry of Tourism.

2. The provision is for expenditure of headquarters establishment of the Directorate General of Tourism and the regional and other offices under it. Their main activities relate to dissemination of tourist information, development of tourist infrastructural facilities, regulation of various segments of travel trade such as hotels, travel agents, wildlife outfitters, guides etc.

3. India's image is projected through advertisement campaigns,both in the electronic media and print media tourist literature, films, cultural presentations etc. The emphasis will be on the development of infrastructure facilities on a selective basis, promotion of domestic tourism and on overseas publicity programme like participation in fairs and festivals, India evenings/ seminars, special interest tours, charter flights, holiday and leisure tours, etc. and production of publicity materials like brochures, films, photographs, etc. The publicity programme abroad is done in close cooperation with the Air India. The provision for payment to Air-India includes share of Government of the expenditure which is jointly borne with Air-India in the proportion of 4:1 in the case of operation USA, U.K. and Europe and 5 : 1 in the case of operation East Asia. West Asia and australasia.

4. यह व्यवस्था पर्यटक केन्द्रों का एकीकृत विकास, पर्यटक बंगलों का निर्माण, गुल्मर्ग शरतकालीन खेल परियोजना जैसी सैरगाह विकास, बौद्ध केन्द्रों, यात्री निवासों, वन लॉजों, चुने हुए केन्द्रों पर मार्ग सुविधाओं तथा पर्यटक परिवहन पर व्यय से संबंधित है ।

5. इसमें होटल प्रबंध, आहार प्रदान प्रौद्योगिकी तथा अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थानों और आहार व्यवस्थापक संस्थानों के लिए होटल और आहार-प्रदाता संस्थानों में प्रबंधकीय, आहार-प्रदाता तथा पाक-विज्ञान स्तरों पर जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है । इसमें पर्यटन विकास पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान को दिया जाने वाला सहायता-अनुदान भी शामिल है ।

6. इस व्यवस्था में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को इसके द्वारा होटल निर्माण, विपणन अनुसंधान और अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय पर्यटन के विकास के लिए सहायताओं जैसे अन्य कार्यक्रम, मोटल निर्माण पर व्यय, तंबू आवास, पर्यटक स्वागत केन्द्रों, तटीय पर्यटन तथा ताजमहल, लाल किला, सारनाथ, बोध गया के चारों ओर पर्यावरणीय सुधार आदि के लिए दिए गए ऋणों पर ब्याज आर्थिक सहायता का भुगतान शामिल है।

7. यह व्यवस्था भारतीय पर्यटन विकास निगम के आयोजना परिव्यय का बजटीय समर्थन की द्योतक है । निगम का कुल आयोजना परिव्यय 16 करोड़ रुपए का है जिसमें से यह 13 करोड़ रुपए की पूर्ति आन्तरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से करेगा ।

4. The provision relates to expenditure on integrated developemnt of tourist centres, construction of tourist bungalows, resort development like Gulmarg Winter Sports Project, Buddhist centres, yatri niwas, forest lodges, wayside amenities and tourist transport at selected centres.

5. Provision has been made for grants-in-aid to the Institutes of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition and the Foodcrafts Institutes for meeting the manpower requirements at management, catering and crafts levels in hotel and catering establishments. This also includes grant-in-aid to the Indian Institute of Tourism and Travel Management for conducting courses on tourism development.

6. The provision covers payment of interest subsidy to Industrial Financial Corporation of India on loans advanced by it for construction of hotels market research and other programmes like assistances for development of international and domestic tourism, expenditure on construction of motels, tented accommodation, tourist reception centres, beach tourism and environmental improvement in and around Taj Mahal, Red Fort, Sarnath, Bodhgaya, etc.

7. The provision represents budgetary support to the Plan outlay of India Tourism Development Corporation. The total Plan outlay of the Corporation is Rs. 16 crores, of which it will meet Rs. 13 crores from internal and extra budgetary resources.

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION

मांग संख्या DEMAND No.9

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-1992 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		5.14	3.44	8.58	4.64	3.35	7.99	6.16	3.66	9.82
पूंजी	*Capital*		*7.01*	*0.20*	*7.21*	*8.16*	*2.55*	*10.71*	*6.83*	*0.07*	*6.90*
जोड़	**Total**		**12.15**	**3.64**	**15.79**	**12.80**	**5.90**	**18.70**	**12.99**	**3.73**	**16.72**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं नागरिक पूर्ति	1. Secretariat-Economic Services Civil Supplies	3451	0.04	1.64	1.68	0.04	1.64	1.68	0.04	1.80	1.84
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की गई उपभोक्ता सहकारी योजनाएं	*2. Consumer Cooperative Schemes implemented through State and Union Territory Governments.*										
2.01 शहरी	2.01 Urban	3601	0.36	...	0.36	0.36	...	0.36	0.20	...	0.20
		3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
		7601	1.38	...	1.38	1.38	...	1.38	1.20	...	1.20
जोड़		*Total*	*1.74*	...	*1.74*	*1.74*	...	*1.74*	*1.41*	...	*1.41*
2.02 ग्रामीण	2.02 Rural	7602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.05	...	0.05
जोड़	**Total**		**1.76**	...	**1.76**	**1.76**	...	**1.76**	**1.46**	...	**1.46**
3. अन्य उपभोक्ता सहकारी योजनाएं	*3. Other Consumer Cooperative Schemes*										
3.01 शहरी	3.01 Urban	3456	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.29	...	0.29
		5475	0.58	...	0.58	2.08	...	2.08	0.85	...	0.85
		7475	0.24	...	0.24	0.24	2.35	2.59	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*0.90*	...	*0.90*	*2.40*	*2.35*	*4.75*	*1.20*	...	*1.20*
4. नागरिक पूर्ति की अन्य योजनाएं	4. Other Schemes of Civil Supplies	3456	0.65	0.25	0.90,	0.65	0.25	0.90	0.90	0.28	1.18
		3475	0.18	0.94	1.12	0.18	0.94	1.12	0.19	0.99	1.18
		3601	0.63	...	0.63	0.58	...	0.58	0.74	...	0.74
		5475	0.52	...	0.52	0.37	...	0.37	0.46	...	0.46
		7601	1.77	...	1.77	1.57	...	1.57	2.21	...	2.21
जोड़		*Total*	*3.75*	*1.19*	*4.94*	*3.35*	*1.19*	*4.54*	*4.50*	*1.27*	*5.77*
जोड़-नागरिक पूर्ति	**Total-Civil Supplies**		**6.41**	**1.19**	**7.60**	**7.51**	**3.54**	**11.05**	**7.16**	**1.27**	**8.43**
5. खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	5. Food, Storage and Warehousing,	2408	0.45	0.48	0.93	0.25	0.48	0.73	1.88	0.55	2.43
उद्योग	**Industries**										
6. उपभोक्ता उद्योग	6. Consumer Industries	2852	2.75	0.13	2.88	2.50	0.04	2.54	1.91	0.04	1.95
7. अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण	7. Loans for other Industries and Minerals	6885	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.07	0.07
8. सरकारी उद्योगों में निवेश	8. Investments in Public Enterprises	7475	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
कुल जोड़	***Grand Total***		***12.15***	***3.64***	***15.79***	***12.80***	***5.90***	***18.70***	***12.99***	***3.73***	***16.72***
ख. सरकारी कंपनी में निवेश	**B-Investments in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	1. National Cooperative Dev. Corporation	13475	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
2. हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम	2. Hindusthan Vegetable Oil Corporation	12408	...	...	...	...	...	...	...	0.12	0.12
3. अन्य निकाय / संस्थान	3. Other Bodies / Institutions	12860	...	7.00	7.00	...	0.40	0.40	...	4.69	4.69
जोड़	**Total**		**2.50**	**7.00**	**9.50**	**2.50**	**0.40**	**2.90**	**2.00**	**4.81**	**6.81**
ग. आयोजना परिव्यय	**C-Plan Outlay:-**										
1. खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	1. Food, Storage and Warehousing	12408	0.45	...	0.45	0.25	...	0.25	1.88	0.12	2.00
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	2.75	7.00	9.75	2.50	0.40	2.90	1.91	4.69	6.60
3. नागरिक पूर्ति	3. Civil Supplies	13456	6.45	...	6.45	7.55	...	7.55	7.20	...	7.20
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं	4. General Financial & Trading Instts.	13475	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
जोड़	**Total**		12.15	7.00	19.15	12.80	0.40	13.20	12.99	4.81	17.80

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं** :- इसमें नागरिक पूर्ति विभाग के सचिवालय व्यय की व्यवस्था है ।

2. **राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित उपभोक्ता सहकारी योजनाएं** :- इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को सहायता देने की व्यवस्था है । कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी समितियों को सहायता देने की व्यवस्था है : (i) शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानें खोलना, बड़े आकार की फुटकर दुकानें और विभागीय भण्डार खोलना, (ii) आर्थिक स्थिति से रुग्ण/कमजोर थोक बिक्री भण्डारों की पुनर्स्थापना, और (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों के संचालन और

1. **Secretariat-Economic Services:-** Provides for secretariat expenditure of the Department of Civil Supplies.

2. **Consumer Cooperative Schemes Implemented through State and Union Territory Governments:-** This includes provision for assistance to consumer cooperative institutions, both in Urban and Rural areas. The programme envisages assistance to cooperative societies through State Governments for (i) setting up small outlets, large sized retail outlets and departmental stores in urban areas (ii) rehabilitation of sick/weak whole sale stores and (iii) improving the operational and trading efficiency and developing the viability of cooperatives and

व्यापारिक कार्यकुशलता में सुधार लाना और उनकी क्षमता का विकास करना तथा उनके लिए मार्जिन राशि की व्यवस्था करना ।

3. अन्य उपभोक्ता सहकारी योजनाएं :- इसमें राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, सुपर बाजारों और शहरी क्षेत्रों में अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों में निवेश और ऋणों के लिए व्यवस्था है ।

4. नागरिक पूर्ति की अन्य योजनाएं :- इसमें उपभोक्ता संरक्षण के उपाय, सरकारी वितरण प्रणाली के लिए आसूचना, प्रवर्तन और जनशक्ति के प्रशिक्षण से संबंधित योजना, माप-तौल का विनियमन, वायदा बाजारों का विनियम, वृक्ष और वन-मूलक तेलों और तेलहनों के विकास के लिए अनुदान, वैधानिक माप-पद्धति में अनुसंधान और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्य नागरिक पूर्ति निगमों को सहायता के लिए व्यवस्था शामिल है । सरकारी वितरण प्रणाली और राज्य नागरिक पूर्ति निगमों के लिए मोबाइल वैन खरीदने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75% ऋण और 25% अनुदान के रूप में सहायता दी जाती है ।

5. खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार :- इसमें वनास्पति, वनास्पति तेल और वसा निदेशालय तथा 'तेलहन और तेलों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम' के लिए व्यवस्था शामिल है ।

6. उपभोक्ता उद्योग :- इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के लिए व्यवस्था शामिल है ।

7. अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण :- इसमें भारतीय मानक ब्यूरो को ऋण के लिए व्यवस्था है ।

8. सरकारी उद्यमों में निवेश : सरकारी उद्यमों द्वारा जारी किये जाने वाले इक्विटी और ऋणों तथा आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों का ब्योरा व्यय बजट खण्ड I में दिया गया है ।

8.01. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम :- सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए उपान्त (मार्जिन) राशि उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

provision of margin money to cooperatives in rural areas.

3. Other Consumer Cooperative Schemes - This provides for investment in and loans to National Cooperative Consumers Federation, Super Bazars, and other Consumer Cooperatives in urban areas.

4. Other Schemes of Civil Supplies - This includes provision for Measures for Consumer Protection, scheme relating to Intelligence, enforcement and Man Power training for Public Distribution System, Regulation of Weights and Measures, Regulation of Forward Markets, Grants for Development of Oilseeds and oils of tree and forest origin, research in legal metrology and assistance to States/U.Ts and State Civil Supplies Corporation. Assistance is provided to the States/UTs for purchase of mobile vans for the P.D.S. and for the State Civil Supplies Corporation in the form of 75% loans and 25% grant.

5. Food, Storage and Warehousing - This includes provision for Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and fats and 'Research and Development Programme in Oil Seeds and Oils'.

6. Consumer Industries - This includes provision for the Bureau of Indian Standards.

7. Loans for Other Industries and Minerals - This includes provision for loans to Bureau of Indian Standards.

8. Investments in Public Enterprises: The break up of equity and loans and the IEBR to be raised by these enterprises is given in Expenditure Budget Vol. I

8.01. National Cooperative Development Corporation:- Loans are provided to N.C.D.C. for providing margin money to cooperative societies for distribution of consumer articles in rural areas.

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

मांग संख्या DEMAND No.10

कोयला मंत्रालय Ministry of Coal

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		15.55	138.84	154.39	13.80	138.84	152.64	15.00	146.00	161.00
पूंजी	*Capital*		*975.00*	...	*975.00*	*933.00*	...	*933.00*	*728.00*	...	*728.00*
जोड़	**Total**		**990.55**	**138.84**	**1129.39**	**946.80**	**138.84**	**1085.64**	**743.00**	**146.00**	**889.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.70	1.70
श्रम और रोजगार	***Labour and Employment***										
कोयला खान श्रमिक कल्याण	**Coal Mines Labour Welfare**										
2. कोयला खान श्रमिकों की परिवार पेंशन व जीवन बीमा निधि को अंशदान	2. Contribution to the Family pension cum Life Assurance Fund for Coal Mines workers	2230	...	23.87	23.87	...	23.87	23.87	...	24.00	24.00
कोयला और लिग्नाइट	**Coal and Lignite**										
3. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	3. Conservation and Safety in Coal Mines	2803	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	33.00	33.00
4. कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास	4. Development of Roads in Coal field areas	2803	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	23.80	23.80
5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	5. Science and Technology Programme	2803	9.43	...	9.43	7.68	...	7.68	9.92	...	9.92
6. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	6. *Interest Subsidy*:										
6.01. कोल इण्डिया लिमिटेड	6.01 Coal India Ltd.	2803	...	58.08	58.08	...	58.08	58.08	...	58.08	58.08
7. रेल व समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई के लिए आर्थिक सहायता	7. Subsidy for transport of Coal by Rail cum Sea Route	2803	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.22	0.22
8. क्षेत्रीय अन्वेषण	8. Regional Exploration	2803	6.05	...	6.05	6.05	...	6.05	5.00	...	5.00
9. यू. के. अनुदान के अंतर्गत बीमाकृत फालतू पुर्जों के आयात के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता	9. Assistance to CIL for import of insurance spares under UK grant	2803	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
10. अन्य व्यय	10. Other Expenditure	2803	0.07	1.19	1.26	0.07	1.19	1.26	0.08	1.20	1.28
जोड़ - कोयला और लिग्नाइट	**Total - Coal and Lignite**		**15.56**	**113.47**	**129.02**	**13.80**	**113.47**	**127.27**	**15.00**	**120.30**	**135.30**
11. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	11. Investments in Public Enterprises	4801	79.00	...	79.00	79.00	...	79.00	80.00	...	80.00
		4803	547.00	...	547.00	532.00	...	532.00	360.00	...	360.00
		6803	349.00	...	349.00	322.00	...	322.00	288.00	...	288.00
जोड़		*Total*	*975.00*	...	*975.00*	*933.00*	...	*933.00*	*728.00*	...	*728.00*
कुल जोड़	***Grand Total***		***990.55***	***138.84***	***1129.39***	***946.80***	***138.84***	***1085.64***	***743.00***	***146.00***	***889.00***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
11.01. नेवेली लिग्नाईट निगम लिमिटेड	11.01 Neyveli Lignite Corpn. Ltd.	12801	79.00	400.00	479.00	79.00	392.00	471.00	80.00	400.00	480.00
		12803	56.00	70.00	126.00	41.00	59.00	100.00	57.00	73.00	130.00
जोड़		*Total*	*135.00*	*470.00*	*605.00*	*120.00*	*451.00*	*571.00*	*137.00*	*473.00*	*610.00*
11.02. कोल इण्डिया लिमिटेड	11.02 Coal India Ltd.	12803	627.00	1404.00	2031.00	600.00	1404.00	2004.00	399.00	1636.00	2035.00
11.03. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	11.03 Singarani Collieries Co. Ltd.	12803	213.00	61.00	274.00	213.00	61.00	274.00	192.00	148.00	340.00
जोड़	Total		**975.00**	**1935.00**	**2910.00**	**933.00**	**1916.00**	**2849.00**	**728.00**	**2257.00**	**2985.00**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. विद्युत	1. Power	12801	79.00	400.00	479.00	79.00	392.00	471.00	80.00	400.00	480.00
2. कोयला और लिग्नाइट	2. Coal and Lignite	12803	911.55	1535.00	2446.55	867.80	1524.00	2391.80	663.00	1857.00	2520.00
जोड़	Total		**990.55**	**1935.00**	**2925.55**	**946.80**	**1916.00**	**2862.80**	**743.00**	**2257.00**	**3000.00**

1. **सचिवालय:** इसमें कोयला विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **परिवार पेंशन व जीवन बीमा निधि को अंशदान और कोयला खनिकों के लिए जमा से संबद्ध बीमा योजना:** कोयला खनिक परिवार पेंशन योजना पहली मार्च, 1971 से लागू की गई । इस प्रयोजन के लिए धनराशियां, कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.1/6 प्रतिशत के बराबर की राशि और कोयला खनिकों की भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदानों, जिनमें योजना के सदस्यों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय सरकार के अंशदान जोड़े जाते हैं, से प्राप्त होती है । योजना के प्रशासन की लागत भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है । कोयला खनिकों के लिए जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के लिए भी व्यवस्था की जाती है ।

1. **Secretariat:** Provides for the Secretariat expenditure of the Department of Coal.

2. **Contribution to the Family Pension- cum- Life Assurance Fund and Deposit Linked Insurance Scheme for Coal Miners:** The Coal Mines Family Pension Scheme came into force on 1st March, 1971. The funds for the purpose are found by diverting a portion equal to 1-1/6% of total emoluments from the employees and employers' contributions to the Coal Mines Provident Fund to which is added the Central Government's Contribution at the rate of 1.2/3% of the total emoluments of the members of the Scheme. The cost of administration of the scheme is also borne by the Central Government. Provision is also made for the Deposit-Linked Insurance Scheme for coal miners.

3. **कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा** : इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है । इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग कोयले पर 3.50 रुपए प्रतिटन और कोकिंग कोयले पर 4.25 रुपए प्रतिटन की दर से एकत्र कोयला-उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है।

3. **Conservation and Safety in Coal Mines :** Includes provision for the various stowing and conservation measures. Funds for the purpose are found from the cess (excise duty) on coal at Rs.3.50 per tonne on non-coking coal and Rs.4.25 per tonne on coking coal under the Coal Mines (Conservation and Development) Act 1974.

4. **कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों का विकास** : इसमें धनबाद जिले के कोयला खान क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए व्यवस्था की गई है।

4. **Development of roads in Coal field areas :** Provision is for development of roads in Coal fields areas in Dhanbad District.

5. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** : इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाओं आदि और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से प्रचालित योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है ।

5. **Science and Technology Programme :** Includes provision for schemes of Science and Technology etc. and for schemes operated with U.N.D.P. assistance.

6. **कोल इण्डिया लि० को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता** : इसमें 31.3.1981 तक स्वीकृत आयोजना-भिन्न उधारों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए कोल इण्डिया लि० को आर्थिक सहायता (सब्सिडी) देने की व्यवस्था की गई है।

6. **Interest subsidy to Coal India Ltd. :** Provision is for subsidy to Coal India Ltd. for payment of interest on non-plan loans sanctioned upto 31.3.1981.

7. **रेल-व-समुद्री मार्ग से कोयले के लाने-ले जाने के लिए आर्थिक सहायता** : यह योजना इस समय लागू नहीं है । यह व्यवस्था, सम्भावित दावों के लिए की गई है, जो इस योजना के अधीन उत्पन्न हो सकते हैं ।

7. **Subsidy for transport of coal by rail- cum- sea route:** This scheme is not in operation now. Provision is for likely arrear claims that may arise under this Scheme.

8. **क्षेत्रीय अन्वेषण** : इसमें आने वाले वर्षों के दौरान कोयले की मांग में होने वाली पर्याप्त वृद्धि को देखते हुए कोयले के क्षेत्रीय अन्वेषण की गति को तेज करने के लिए व्यवस्था की गई है।

8. **Regional Exploraton :** Provision is for stepping up pace of regional exploration of Coal with a view to meeting the sizeable increase in the demand for coal during the years to come.

9. **कोल इंडिया लि. को यूनाइटेड किंगडम अनुदान के अन्तर्गत बीमाकृत फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए सहायता** : यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कोल इंडिया लि., यूनाइटेड किंगडम मूल के कोयला खान उपस्करों के पूर्ण समुपयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम सरकार से मिले अनुदान के अन्तर्गत फालतू पूर्जों का आयात कर सके।

9. **Assistance to Coal India Ltd. for import of insurance spares under UK Grant :** The provision is to enable Coal India Limited to import spares under a grant from the UK Government to facilitate fuller utilisation of coal mining equipment of UK origin.

10. **अन्य व्यय** : इसमें कोयला नियंत्रक के कार्यालय, भुगतान आयुक्त के लिए और एन.सी.डी.सी. की स्थापना से पूर्व खानों के लेनदेनों के संबंध में कोल इंडिया लि. को अदायगी करने के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

10. **Other Expenditure :** These include provisions for Coal Controller's Office, commissioner of payments and payment to Coal India Ltd. on account of transactions of collieries prior to formation of National Coal Development Corporation.

11. ***सरकारी उद्यमों में निवेश :***

11.01 **नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.** : नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की गतिविधियों के अन्तर्गत लिग्नाइट का खनन, विद्युत उत्पादन और लिग्नाइट को धूम्ररहित ईंधन में परिवर्तित करने और यूरिया का उत्पादन करने का कार्य शामिल है । एन.एल.सी.लि. का परिव्यय 610.00 करोड़ रुपए है (130.00 करोड़ रुपए खान क्षेत्र के लिए और 480.00 करोड़ रुपए विद्युत क्षेत्र के लिए) जिसमें से 137.00 करोड़ रुपए बजट समर्थन के द्वारा इक्विटी के रूप में पूरा किया जाएगा ।

क्रियान्वयन के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाएं, उनकी स्वीकृत लागत और उनके पूरे होने की निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं :

11. ***Investments in Public Enterprises:***

11.01 **Neyveli Lignite Corporation Ltd. (NLC) :** The activities of NLC cover the mining of lignite, generation of electricity, conversion of lignite into smokeless fuel and manufacture of urea. The outlay for NLC Ltd. is Rs. 610.00 crores (Rs. 130.00 crores for mines sector and Rs. 480 crores for power sector) of which Rs. 137.00 crores will be met by Budgetary support in the form of equity.

Important projects under implementation, their sanctioned cost and the target dates of completion are given below :

क्रम.संख्या Sl.No.	परियोजनाओं का नाम Name of Projects	क्षमता Capacity	स्वीकृत लागत Sanctioned cost (करोड़ रुपए) (In crores of rupees)	पूरा होने की निर्धारित तिथि Target date of completion: As per last year demand for grant पिछले वर्ष की अनुदान मांगों के अनुसार	As now modified अब यथा संशोधित
1. द्वितीय खान चरण-II	Second Mine - Stage II	लिग्नाइट का 10.5 मी.टन (4.7 मि.टन से 10.5 मि.टन) 10.5M.T of Lig. (from 4.7MT to 10.5MT)	762.13	March, मार्च,1990	April, अप्रैल,1991
2. द्वितीय तापीय विद्युत केन्द्र चरण - II	Second TPS - Stage II	4x210 मेगावाट 4x210 M.W	1016.80	यूनिट Unit-IV-11/90 यूनिट Unit-V - 8/91 यूनिट Unit-VI- 5/92 यूनिट Unit-VII - 2/93	3/91 11/91 5/92 1/93
3. 400 किलोवाट पारेषण प्रणाली- II	400KV Transmission System Stage II	--	367.74	अगस्त,90/फरवरी,91 August 90/Feb.91	दिसम्बर90/अगस्त91/जून92 Dec 90/Aug.91/June 92
4. फ्लोट मशीन	Float machine.	दोनों खानों में लिग्नाइट का 1 मी.टन 1 MT of Lignite in both Mines	77.37	एल ओ आई की तारीख से 24 महीने 24 months from the date of LOI	
5. शून्य यूनिट (यूनिट-I)	Zero Unit (1)	1 x 210 मेगावाट 1 x 210 MW	397.26	एल ओ आई. के निर्गम की तारीख से 36 महीने 36 months from the date issue of LOI.	

11.02 कोल इण्डिया लि. - कोल इण्डिया लि. कोयले के उत्पादन और वितरण., कोयला संसाधनों के संरक्षण, नई कोयला खानों के आयोजन और विकास तथा कोयले संबंधी अनुसंधान का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है। क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

11.02 **Coal India Ltd. :** Coal India Ltd. is responsible for the production and distribution of coal, conservation of coal resources, planning and development of new coal mines and the coordination of research on coal. Details of major projects under implementation are given below:-

क्रम.संख्या SI.No.	क. के नाम Names of Cos.	परियोजना का नाम Name of Project	निर्धारित क्षमता (मीट्रिक टन में) Target capacity (In M.T.)	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) Sanctioned cost (Rs. in crores)	पूरा करने का संभव वर्ष Year of completion now Anticipated
1.झांजरा यू.जी	ECL ई.सी.एल	Jhanjra U.G	3.50	184.55	93-94
2.राजमहल ओ.सी.पी	ECL ई.सी.एल	Rajmahal OCP	10.50	562.70	94-95
3.सोनपुर-बजारी ओ.सी.पी	ECL ई.सी.एल	Sonepur-Bazari OCP	3.00	192.96	96-97
4.कोटाडिह ओ.सी, यू.जी	ECL ई.सी.एल	Kottadih OC & U.G.	2.48	267.52	97-98
5. जामबाद ओ.सी.पी	ECL ई.सी.एल	Jambad OCP	1.70	210.55	97-98
6. सतग्राम	ECL ई.सी.एल	Satgram	1.70	148.26	94-95
7.पुटकी बलिहारी यू.जी.	BCCL बी.सी.सी.एल	Pootkee Balhari U.G.	3.00	199.87	94-95
8. खण्ड- II ओ.सी.पी	BCCL बी.सी.सी.एल	Block II OCP	2.50	112.05	90-91
9. पिपारवार ओ.सी.	CCL सी.सी.एल	Piparwar O.C.	6.50	542.40	95-96
10. दुधीचुआ ओ.सी.	NCL एन.सी.एल	Dudhichua OC	5.00	289.68	92-93
11.अमलोरी ओ.सी.	NCL एन.सी.एल	Amlori O.C	4.00	527.11	92-93
12. खडिया ओ.सी.	NCL एन.सी.एल	Khadia O.C	4.00	400.00	93-94
13. निगाही ओ.सी	NCL एन.सी.एल	Nigahi O.C	4.20	462.39	94-95
14. ककरी ओ.सी.	NCL एन.सी.एल	Kakri O.C.	2.50	137.80	90-91

कोल इण्डिया लिमिटेड के लिए आयोजना परिव्यय 2035 करोड़ रुपये है जिसमें से बजट समर्थन 399 करोड़ रुपये का है ।

The plan outlay for CIL is Rs. 2035 crores out of which Budgetary support is Rs. 399 crores.

399 करोड़ रुपये के कुल बजट समर्थन में से 277 करोड़ रुपये इक्विटी निवेश तथा 122 करोड़ रुपये ऋण के लिए हैं ।

Out of this total budgetary support of Rs. 399 crores, Rs. 277 crores will be for equity investment and Rs. 122 crores for loans.

11.03 सिंगरेनी कोलियरीज क. लि.(एस.सी.सी.एल): इसमें सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की इक्विटी पूंजी में निवेश हेतु और उसे उधार देने के लिए व्यवस्था की गई है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. आंध्रप्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें राज्य सरकार का अधिक हिस्सा है । यह कंपनी आंध्रप्रदेश में सभी कोयला खानों का प्रबंध करती है। क्रियान्वित की जा रही तीन प्रमुख परियोजनाएं निम्नानुसार हैं-

11.03. **Singareni Collieries Co. Ltd. (SCCL) :** Provision for equity investment and loans to Singareni Collieries has been made here. The S.C.C.L. is a joint venture of the Government of A.P. and the Central Government with majority share holding with the State Government. The Company manages all coal mines in A.P. The three major projects under implemeatation are :-

क्रम संख्या Sl. No.	परियोजनाएं Project	स्वीकृत परिव्यय Sanctioned Outlay (करोड़ रुपए) (Rs. in Crores)	उत्पादन का लक्ष्य Targetted Production (मी. टन M. Tonnes)	निष्पत्ति का प्रत्याशित वर्ष anticipated year of completion
1. मानुगुरू ओ.सी- II	Manuguru OC - II	132.00	2.75	1991-92
2. रामागुण्डम ओ.सी - II	Ramagundam OC - II	147.16	2.00	1994-95
3. रामागुण्डम ओ.सी - III	Ramagundam OC - III	256.94	2.75	1994-95

वाणिज्य मंत्रालय MINISTRY OF COMMERCE

मांग संख्या DEMAND No.11

वाणिज्य विभाग Department of Commerce

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपये)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		42.67	2424.48	2467.15	40.90	2835.38	2876.28	58.25	1375.30	1433.55
पूंजी	*Capital*		*23.65*	*353.00*	*376.65*	*20.18*	*1150.00*	*1170.18*	*24.57*	*1150.00*	*1174.57*
जोड़	**Total**		**66.32**	**2777.48**	**2843.80**	**61.08**	**3985.38**	**4046.46**	**82.82**	**2525.30**	**2608.12**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	5.78	5.78	...	5.59	5.59	...	6.34	6.34
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	**Foreign Trade and Export Promotion**										
2. व्यापार आयुक्त	2. Trade Commissioners	3453	...	10.59	10.59	...	12.09	12.09	...	13.30	13.30
3. मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात	3. Chief Controller of Imports and Exports	3453	...	12.08	12.08	...	12.50	12.50	...	15.00	15.00
4. शत्रु की सम्पत्ति के अभिरक्षक	4. Custodian of Enemy Property	3453	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	3.69	3.69
5. व्यापार मेला प्राधिकरण	5. Trade Fair Authority	3453	...	15.16	15.16	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00
6. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता	*6. Assistance for Export Promotion and market Development*										
6.01 उत्पाद संवर्धन और वस्तु विकास	6.01 Product Promotion and Commodity Development	3453	...	2095.00	2095.00	...	2430.00	2430.00	...	998.00	998.00
6.02 निर्यात संवर्धन और विपणन विकास संगठन को सहायता अनुदान	6.02 Grants-in-aid to Export Promotion and Market Development Organisation	3453	...	21.00	21.00	...	20.00	20.00	...	26.00	26.00
6.03 निर्यात ऋण विकास	6.03 Export Credit Development	3453	...	200.00	200.00	...	250.00	250.00	...	200.00	200.00
जोड़		*Total*	...	*2316.00*	*2316.00*	...	*2700.00*	*2700.00*	...	*1224.00*	*1224.00*
7. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रक्रमण क्षेत्रों का विकास	*7. Development of Free Trade/ Export Processing Zones:*										
7.01 काण्डला	7.01 Kandla	3453	...	0.95	0.95	...	0.94	0.94	...	1.10	1.10
		5453	1.60	...	1.60	1.10	...	1.10	2.00	...	2.00
7.02 इलेक्ट्रानिक्स	7.02 Electronics	3453	...	1.63	1.63	...	1.56	1.56	...	1.80	1.80
		5453	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
7.03 फाल्टा	7.03 Falta	3453	...	0.53	0.53	...	0.32	0.32	...	0.40	0.40
		5453	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
7.04 मद्रास	7.04 Madras	3453	...	0.69	0.69	...	0.65	0.65	...	0.75	0.75
		5453	3.50	...	3.50	2.75	...	2.75	2.50	...	2.50
7.05 कोचीन	7.05 Cochin	3453	...	0.63	0.63	...	0.50	0.50	...	0.60	0.60
		5453	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.32	...	2.32
7.06 नोएडा	7.06 NOIDA	3453	...	0.58	0.58	...	0.58	0.58	...	0.66	0.66
		5453	3.00	...	3.00	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00
7.07 विशाखापट्टनम	7.07 Visakhapatnam	3453	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
		5453	2.55	...	2.55	1.30	...	1.30	1.75	...	1.75
7.08 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों का केन्द्रीय प्राधिकरण	7.08 Central Authority of EPZ's	3453	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
7.09 निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में रत्न और जेवरात	7.09 Gem. & Jewellery E.P.Z.	3453	...	0.01	0.01	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01
जोड़		Total	15.00	5.02	20.02	11.90	4.60	16.50	13.82	5.32	19.14
8. ए.पी.ई.डी.ए.	8. A.P.E.D.A.	3453	2.00	...	2.00	1.70	...	1.70	2.00	...	2.00
9. एम.पी.ई.डी.ए.	9. M.P.E.D.A.	3453	5.50	1.89	7.39	5.50	1.79	7.29	15.00	2.20	17.20
10. व्यापार और अदायगी करारों के अनुसार विदेशी सरकारों को अदायगी	10. Payment to Foreign Governments in terms of Trade and payment agreements :										
10.01 तकनीकी ऋण	10.01 Technical Credits	7605	...	350.00	350.00	...	1150.00	1150.00	...	1150.00	1150.00
10.02 अन्य अदायगियां	10.02 Other payments	3453	...	4.00	4.00	...	0.20	0.20	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	...	*354.00*	*354.00*	...	*1150.20*	*1150.20*	...	*1151.00*	*1151.00*
11. वस्तुओं के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति	11. Reimbursements of losses to S.T.C. for Export of Commodities	3453	...	15.00	15.00	...	50.00	50.00	...	45.00	45.00
12. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं	*12. Other Schemes of Foreign Trade and Export Promotion*										
12.01 डी.जी.सी.आई.एस.	12.01 D.G.C.I.S.	3453	...	2.60	2.60	...	2.58	2.58	...	3.70	3.70
12.02 निर्यात निरीक्षण परिषद/अभिकरण	12.02 Export Inspection Council/Agency	3453	0.64	0.66	1.30	0.19	0.58	0.77	...	0.66	0.66
12.03 अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	12.03 Contributions to International Organisations	3453	...	7.24	7.24	...	1.86	1.86	...	5.00	5.00
12.04 विदेश जाने वाले शिष्टमंडल	12.04 Delegations going abroad	3453	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.05	0.05
12.05 विदेशों से आने वाले शिष्टमंडल	12.05 Delegations from abroad	3453	...	0.09	0.09	...	0.10	0.10	...	0.15	0.15
12.06 अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	12.06 International Conferences	3453	...	0.01	0.01	...	0.04	0.04	...	0.02	0.02

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
12.07 धातु और खनिज व्यापार निगम को पारादीप पोर्ट के जनसम्पर्क निदेशक के लिए प्रतिपूर्ति	12.07 Reimbursement to MMTC for DPR of Paradeep Port	3453	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12.08 आई.आई.पी. को भुगतान	12.08 Payment to I.I.P.	3453	1.00	...	1.00	0.08	...	0.08	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*1.64*	*10.64*	*12.28*	*0.27*	*5.20*	*5.47*	*1.00*	*9.58*	*10.58*
जोड़- विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	**Total-Foreign Trade and Export :Promotion**		**24.14**	**2742.08**	**2766.22**	**19.37**	**3953.08**	**3972.45**	**31.82**	**2487.09**	**2518.91**
बागान	***Plantations***										
13. वस्तु बोर्ड	13. Commodity Boards										
13.01 चाय बोर्ड	13.01 Tea Board	2407	3.00	12.00	15.00	3.00	12.88	15.88	4.00	15.00	19.00
		6407	5.00	...	5.00	4.75	...	4.75	6.00	...	6.00
जोड़		*Total*	*8.00*	*12.00*	*20.00*	*7.75*	*12.88*	*20.63*	*10.00*	*15.00*	*25.00*
13.02 रबड़ बोर्ड	13.02 Rubber Board	2407	21.00	6.85	27.85	21.00	6.85	27.85	25.00	7.30	32.30
13.03 काफी बोर्ड	13.03 Coffee Board	2407	3.50	3.78	7.28	3.50	4.05	7.55	4.00	5.20	9.20
		6407	4.00	...	4.00	3.78	...	3.78	5.00	...	5.00
जोड़		*Total*	*7.50*	*3.78*	*11.28*	*7.28*	*4.05*	*11.33*	*9.00*	*5.20*	*14.20*
13.04 मसाला बोर्ड	13.04 Spices Board	2407	4.18	2.07	6.25	4.18	2.02	6.20	6.00	2.30	8.30
जोड़ - वस्तु बोर्ड	**Total-Commodity Boards**		**40.68**	**24.70**	**65.38**	**40.21**	**25.80**	**66.01**	**50.00**	**29.80**	**79.80**
14. टी.टी.सी.आई के लिए राज्य व्यापार निगम को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	14. Reimbursement of losses to S.T.C for TTCI	2407	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15. बागवानी की अन्य योजनाएं	15. Other Scheme of Plantations										
15.01 भण्डागारण के लिए टी.टी.सी.आई की अदायगियां	15.01 Payments to TTCI for warehousing	2407	...	0.53	0.53	...	0.43	0.43	...	0.53	0.53
15.02 रूग्ण चाय एककों की अदायगियां	15.02 Payments for sick tea units	2407	...	0.09	0.09	...	0.07	0.07	...	0.09	0.09
जोड़		*Total*	...	*0.62*	*0.62*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.62*	*0.62*
जोड़ - बागान	**Total-Plantations**		**40.68**	**25.32**	**66.00**	**40.21**	**26.30**	**66.51**	**50.00**	**30.42**	**80.42**
फसल पालन	***Crop Husbandry***										
16. तम्बाकू बोर्ड	16. Tobacco Board	2401	1.50	1.30	2.80	1.50	0.41	1.91	1.00	1.45	2.45
17. तम्बाकू की खरीद के लिए राज्य व्यापार निगम को हुई हानियों की प्रतिपूर्ति	17. Reimbursement of losses to S.T.C for procurement of Tobacco	2401	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ - फसल पालन	**Total-Crop Husbandry**		**1.50**	**1.30**	**2.80**	**1.50**	**0.41**	**1.91**	**1.00**	**1.45**	**2.45**
18. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश भारतीय निवेश केन्द्र, मास्को	18. Non-Plan Investment in Public Enterprises India Investment Centre, Moscow	5465	...	3.00	3.00	...	...	...	...	...	...
19. सरकारी उद्यमों - में निवेश—वित्तीय संस्थाएं (टी.टी.सी.आई.)	19. Investment in Public Enterprises-Financial Institutions(TTCI)	5465	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*66.32*	*2777.48*	*2843.80*	*61.08*	*3985.38*	*4046.46*	*82.82*	*2525.30*	*2608.12*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.अ.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.अ.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.अ.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
1. चाय व्यापार निगम	1. Tea Trading Corporation	13465	...	...	...	...	...	...	...	0.30	0.30
2. भारतीय माइका कारपोरेशन निगम लि0	2. Mica Trading Corpn. of India Ltd	13465	...	6.01	6.01	...	...	...	...	6.24	6.24
जोड़		*Total*	...	*6.01*	*6.01*	...	...	...	...	*6.54*	*6.54*
अन्य संस्थाओं/निकायों	**Other institutions/bodies**										
वस्तु बोर्ड इत्यादि	Commodity Boards etc.	Total	...	8.92	8.92	...	4.26	4.26	...	11.64	11.64
जोड़	**Total**		...	**14.93**	**14.93**	...	**4.26**	**4.26**	...	**18.18**	**18.18**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	1. Foreign Trade and Export Promotion	13453	24.14	0.63	24.77	19.37	0.63	20.00	31.82	2.38	34.20
2. बागान	2. Plantations	12407	40.68	8.29	48.97	40.21	1.15	41.36	50.00	0.82	50.82
3. फसल पालन	3. Crop Husbandry	12401	1.50	...	1.50	1.50	2.48	3.98	1.00	6.00	7.00
4. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	4. General Financial and Trading Institutions.	13465	...	6.01	6.01	...	...	...	...	8.98	8.98
जोड़	**Total**		**66.32**	**14.93**	**81.25**	**61.08**	**4.26**	**65.34**	**82.82**	**18.18**	**101.00**

1. **सचिवालय** - इसमें वाणिज्य विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

2. **व्यापार आयुक्त** - 66 विदेश व्यापार मिशनों में नियुक्त ये व्यापार संबंधी पूछ-ताछ, व्यापारिक विवादों को निपटाने और प्रदर्शनियां तथा मेले आदि आयोजित करने में भी सहायता प्रदान करते है ।

3. **मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात** - इसमें निर्यात और आयात के मुख्य नियंत्रक के संगठन और इसके नियंत्रणाधीन 31 क्षेत्रीय आयात

1. **Secretariat - Economic Services** - This includes provision for Secretariat expenditure of the Department of Commerce.

2. **Trade Commissioners** – Posted at 66 Trade Missions abroad, attend to trade enquiries and also assist in settling trade disputes and in organising exhibitions/fairs etc.

3. **Chief Controller of Imports and Exports** – This includes provision for administrative expenditure of organisation

और निर्यात नियन्त्रण कार्यालयों पर होने वाले प्रशासनिक व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है ।

4. **शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक** - भारत के विभिन्न राज्यों में शत्रु की सम्पत्तियों का प्रबन्ध और उनके अनुरक्षण का दायित्व इस पर है और उन भारतीय राष्ट्रिकों को, जिन्होंने पाकिस्तान तथा बंगला देश में अपनी सम्पत्तियां खो दी थी, अनुग्रही भुगतान करता है ।

5. **भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण** - विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए इसे एक केन्द्रीय अभिकरण के रुप में मनोनीत किया गया है । यह, भारत में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेले भी आयोजित करता है । प्राधिकरण को इसके विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता-अनुदान देने की व्यवस्था की गई है ।

6. **निर्यात संवर्धन और बाजार विकास सहायता** - यह सहायता भारत के निर्यात को बढ़ावा देने, उसमें विविधता लाने तथा भारतीय उत्पादों तथा वस्तुओं के लिए विदेशों में मंडियों का विकास करने के लिए दी है । गैर परम्परागत तथा औद्योगिक उत्पादों तथा वस्त्रों के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता संबंधी योजनाओं पर राशि व्यय की जाती है । यह योजना 3.7.1991 से समाप्त कर दी गई है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिए जाने वाले अग्रिमों और निर्यात के प्रयोजन के लिए अन्य ऋण सुविधाओं पर लिए जाने वाले रियायती दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है । विशिष्ट निर्यात संवर्धन योजनाओं के व्यय को पूरा करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों तथा अन्य संस्थाओं को भी अनुदान दिए जाते हैं।

7. **मुक्त व्यापार/निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों का विकास** -इसमें गांधीधाम (कांडला) में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने और मद्रास, फाल्टा, कोचीन, नौएडा और विशाखापत्तनम में स्थापित किए गए निर्यात संवर्द्धन क्षेत्रों के लिए प्रावधान शामिल है । बजट में आयोजना पक्ष में निर्माण और विकास के लिए तथा गैर आयोजना पक्ष में प्रशासनिक व्यय तथा नई दिल्ली में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख जवाहरात व आभूषण परिसर की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है ।

8. **कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** - बजट में आयोजना पक्ष की ओर कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान के रूप में कुछ कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात संवर्धन तथा उसमें सम्बद्ध विषयों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

9. **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण** - इसकी स्थापना निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग का विकास और विनियमन करने के उद्देश्य से की गई थी। सामुद्रिक उत्पादनों पर उपकर लगाया जाता है और उसे भारत की समेकित निधि के नामे डाल दिया जाता है । उपकर के संग्रहण पर एम.पी.ई.डी.ए. को धनराशियां जारी कर दी जाती है।

10. **व्यापार और अदायगी करारों की शर्तों के अनुसार विदेशी सरकारों को अदायगियाँ**-इसमें विदेशी सरकारों को तकनीकी ऋणों तथा अन्य अदायगियों के लिए व्यवस्था शामिल है । बहुत से पूर्वी यूरोप के देशों और भारत के बीच जो व्यापार तथा भुगतान करार किए गए है जिनके अनुसार अपरिवर्तनीय लेखों के माध्यम से लेन-देन का निपटारा किया जाता है और इन देशों को अल्पकालिक अग्रिम जिनको तकनीकी ऋण कहा गया है, देने की व्यवस्था की गई है जिससे कि रुपया निधियों की अस्थायी कमी को पूरा किया जा सके । वे देश इन ऋणों की वापसी अदायगी उन निधियों में से करते है जो भारत में उनके माल के निर्यात से बनाई जाती हैं तथा इस प्रकार की वापसी अदायगियों के रूप में दिखायी जाती है, पर इसमें वे अदायगियां शामिल नहीं होती जो पिछले वर्ष से संबंधित होती हैं और अब इनका समायोजन खर्च में से घटाई गई राशियों और आगे ले जाए गए ऋणों की वापसी अदायगियों के रूप में किया जाता है।

11. **राज्य व्यापार निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति** - इसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा वस्तुओं के निर्यात पर हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था शामिल है।

12. **विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं** - इसमें वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी के महानिदेशक और निर्यात निरीक्षण परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्य मदों के होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

of the Chief Controller of Imports and Exports and 31 Regional Import and Export Central Offices under him.

4. **Custodian of Enemy Property** - is entrusted with the management and preservation of enemy properties in different states in India and makes ex-gratia payments to Indian nationals who had lost their properties in Pakistan and Bangla Desh.

5. **Trade Fair Authority of India**- has been made the nodal agency for participation in international fairs abroad and for organising national and international fairs in India. The provision is for payment of grants- in- aid to the authority for its various activities.

6. **Assistance for Export Promotion and Market Development** - is given to stimulate and diversify India's export trade and to develop markets for Indian products/commodities in foreign countries. Expenditure is incurred on schemes of cash compensatory support for export of non-traditional and industrial products and textiles. This scheme has, however, been suspended w.e.f. 3.7.1991. Commercial banks are given subsidy to compensate them for the concessional rate of interest charged from exporters on advances and other credit facilities for export purposes. Grants are also given to Export Promotion Councils and other institutions for expenditure on specific export promotion schemes.

7. **Development of Free Trade/Export Processing Zones** – This includes provision for Free Trade Zone at Gandhidham (Kandla) and export processing zones set up at Madras, Falta, Cochin, Noida and Vishakapatnam. Budget includes provision on plan side for construction and Development and on non-plan side for administrative expenditure for setting up of 100% Export Oriented Gem and Jewellery Complex at New Delhi.

8. **Agriculture Products Export Development Authority (APEDA)** - Budget includes provision on plan side as Grants-in-aid to APEDA for development and promotion of exports of certain agriculture and processed food products and for matter connected therewith.

9. **Marine Products Export Development Authority (MPEDA)**– was set up with the object of developing and regulating the marine products industry with special reference to exports. Cess is levied on Marine Products and credited to the Consolidated Fund of India. Funds are released to MPEDA against the collection of cess.

10. **Payments to foreign governments in terms of Trade and Payment Agreements** - This includes provision for technical credits and other payments to foreign Governments. Trade and Payment Agreements between India and most of the East European countries stipulate settlement of transactions through non-convertible accounts and provide for grant of short term advances described as "Technical Credits" to these countries to enable them to tide over any temporary shortage of rupee funds to pay for their imports from India. These credits are repaid by those countries out of the funds generated by their exports to India and such repayments except those relating to the previous years, are now adjusted as reduction of expenditure, repayments of carried over credits being accounted for as receipts.

11. **Reimbursement of losses to STC** – This includes provision for reimbursement of losses on export of commodities by STC.

12. **Other Schemes of Foreign Trade and Export Promotion** – This provides for expenditure for Director General of Commercial Intelligence and Statistics and Export Inspection Council, International Cooperation and other items.

बागान

13. **वस्तु बोर्ड** - ये बोर्ड महत्वपूर्ण फसलों अर्थात् रबड़, चाय, कहवा, मसालों के निर्यात को बढ़ाने और उसका विकास करने के लिए स्थापित किए गए हैं । इन वस्तुओं पर उपकर लगाए जाते हैं और उपकरों से प्राप्त होने वाली रकम से बोर्डों के प्रशासनिक खर्च और उनके विकास सम्बन्धी कार्यों के खर्च के लिए भारत की समेकित निधि से रकमें दी जाती हैं ।

15. **बागान की अन्य योजनाएं** - इसमें सरकारी चाय भाण्डागारों के संचालन तथा चाय कम्पनी (रूग्ण एककों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1985 की धारा 7(2) के अन्तर्गत ब्याज की अदायगी करने के लिए चाय व्यापार निगम को अदायगी करने के वास्ते व्यवस्था शामिल है।

फसल पालन

16. **तम्बाकू बोर्ड** - तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने तथा तम्बाकू के निर्यात के लिए संवर्धनात्मक प्रयास करने के लिए 1976 में तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई थी ।

Plantations

13. **Commodity Boards** – have been set up for developing and increasing export of certain important crops namely, rubber, tea, coffee, spices. Cess is levied on these commodities and from out of the cess proceeds, funds are released for the administrative and developmental expenditure of the Board from the Consolidated Fund of India.

15. **Other Schemes of plantations** – This includes provision for payments to Tea Trading Corporation for running of Public Tea Warehouses, Payment of interest under Section 7(2) of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Units) Act,1985 etc.

Crop Husbandry

16. **Tobacco Board** – was set up in 1976 to protect the interests of the tobacco growers and to undertake promotional efforts for export of tobacco.

वाणिज्य मंत्रालय *MINISTRY OF COMMERCE*

मांग संख्या DEMAND No.12

पूर्ति विभाग Department of Supply

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		3.54	24.18	27.72	1.92	24.18	26.10	2.34	25.39	27.73
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		3.54	24.18	27.72	1.92	24.18	26.10	2.34	25.39	27.73
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	5.39	5.39	...	5.28	5.28	...	5.54	5.54
पूर्ति और निपटान	**Supplies and Disposals**										
2. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय	2. D.G.S. & D	2057	...	16.12	16.12	...	16.20	16.20	...	16.86	16.86
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	**Other Scientific Services**										
3. राष्ट्रीय परीक्षण गृह	3. National Test House	3425	3.54	2.67	6.21	1.92	2.70	4.62	2.34	2.99	5.33
कुल जोड़	***Grand Total***		***3.54***	***24.18***	***27.72***	***1.92***	***24.18***	***26.10***	***2.34***	***25.39***	***27.73***

ग. आयोजना परिव्यय *	C. Plan Outlay *	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total
1. पूर्ति और निपटान	1.Supplies And Disposals	32057	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	2.Other Scientific Services	13425	4.00	...	4.00	2.39	...	2.39	4.00	...	4.00
जोड़	**Total**		**4.00**	**...**	**4.00**	**2.39**	**...**	**2.39**	**4.00**	**...**	**4.00**

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
*includes Works Outlay provided in the Demand of the Ministry of Urban Development.

अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	Other Scientific Services										
मांग संख्या - 78	Demand No.78	13425	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
मांग संख्या - 79	Demand No.79	13425	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	1.65	...	1.65
जोड़	Total		**0.46**	**...**	**0.46**	**0.47**	**...**	**0.47**	**1.66**	**...**	**1.66**

1. **सचिवालय-सामान्य सेवाएं**— इसमें पूर्ति विभाग और वेतन तथा लेखा कार्यालयों के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है।

1. Secretariat–General Serivces— This provides for Secretariat expenditure of the Department of Supply and the Pay and Accounts Office.

2. **पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय** - यह भारत सरकार का एक केन्द्रीय क्रय संगठन है और इसके (i) खरीद (ii) निपटान और (iii) निरीक्षण तीनों कार्यों के लिए अलग-अलग निदेशालय हैं। इसमें उपर्युक्त संगठन के लिए व्यय की व्यवस्था है।

1990-91 के संशोधित अनुमानों में 0057-पूर्ति और निपटान के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 29.47 करोड़ रुपए और 1991-92 के लिए बजट अनुमान 11.80 करोड़ रुपए लगाया गया है।

2. D.G.S.&D.– It is the Central Purchase Organisation of the Government of India and has a separate Directorate for each of the three functions of (i) Purchase (ii) Inspection and (iii) Disposals. This provides for the expenditure on the above organisation.

Revenue receipts under 0057-Supplies and Disposals are estimated at Rs.29.47 crores under R.E. 1990-91 and Rs.11.80 crores under BE 1991-92.

3. **राष्ट्रीय परीक्षण गृह** - यह सरकार तथा गैर सरकारी पार्टियों के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मूल्यांकन/ परीक्षण की व्यवस्था करता है और परीक्षण-प्रमाण-पत्र जारी करता है।

"1425"-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत प्राप्तियों का अनुमान, संशोधित अनुमान 1990-91 के लिए 0.57 करोड़ रुपए और 1991-92 के लिए बजट अनुमान 0.56 करोड़ रुपए लगाया गया है।

3. National Test House – Arranges for evaluation and testing of materials for Government as well as private parties as per national/ international standards and issues test certificates.

Receipts under "1425"-Other Scientific Research are estimated at Rs.0.57 crore for R.E. 1990-91 and Rs.0.56 crore for B.E. 1991-92.

संचार मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS

मांग संख्या DEMAND No.13

संचार मंत्रालय Ministry Of Communications

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		1.72	6.35	8.07	1.72	8.98	10.70	4.50	7.08	11.58
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**1.72**	**6.35**	**8.07**	**1.72**	**8.98**	**10.70**	**4.50**	**7.08**	**11.58**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	0.90	0.90	...	1.08	1.08	...	1.01	1.01
अन्य संचार सेवाएं	**Other Communication Services**										
2. अनुश्रवण-सेवाएं	2. Monitoring services	3275	1.72	2.00	3.72	1.72	2.16	3.88	4.50	2.44	6.94
3. अन्य कार्यक्रम	3. Other Programmes	3275	...	3.45	3.45	...	5.74	5.74	...	3.63	3.63
कुल जोड़	*Grand Total*		*1.72*	*6.35*	*8.07*	*1.72*	*8.98*	*10.70*	*4.50*	*7.08*	*11.58*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. अन्य संचार सेवाएं	1. Other Communications Services	13275	3.02	...	3.02	2.68	...	2.68	6.00	...	6.00
जोड़		*Total*	*3.02*	...	*3.02*	*2.68*	...	*2.68*	*6.00*	...	*6.00*

* *इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*

* *Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of Ministrty of Urban Development.*

मांग संख्या - 78	Demand No.78		0.31	...	0.31	0.30	...	0.30	1.24	...	1.24
मांग संख्या - 79	Demand No.79		0.99	...	0.99	0.66	...	0.66	0.26	...	0.26
जोड़		*Total*	*1.30*	...	*1.30*	*0.96*	...	*0.96*	*1.50*	...	*1.50*

1. सचिवालय - इसमें मंत्रालय के सचिवालय का व्यय शामिल है।

2. अनुश्रवण सेवाएं :- अनुश्रवण संगठन रेडियो आवृत्ति प्रबन्ध के लिए अनुश्रवण प्रेक्षण के आधार पर तकनीकी और सहायक आंकड़े उपलब्ध कराता है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो विनियमों को लागू करता है और भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कतिपय कानूनी कामों को पूरा करता है। इसके अलावा यह प्रभावकारी राष्ट्रीय रेडियो तरंग आवृत्ति प्रबन्ध करने के लिए रेडियो पारेषण पर हर समय नजर रखता है।

3. अन्य कार्यक्रमों में बेतार आयोजन और समन्वय स्कन्ध से सम्बन्धित अनुमान और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, जेनेवा और एशिया प्रशान्त दूरसंचार समुदाय, बैंकाक को अदायगियां शामिल हैं। बेतार आयोजन और समन्वय स्कंध पारेषण और ग्रहण केन्द्रों के लिए भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लाइसेंस भी जारी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बेतार कार्यों के लिए परीक्षाएं लेता है।

1. **Secretariat** - Covers expenditure on the secretariat of the Ministry.

2. **Monitoring Services** :- Monitoring Organisation provides for technical and allied data on the basis of monitoring observations for radio frequency management, enforcement of national and international radio regulations and for carrying out certain statutory functions under the Indian Telegraphs Act, 1885 and rules made thereunder. Besides it keeps a round the clock watch on radio transmissions for effective national radio frequency management.

3. Other programmes cover the estimates relating to the Wireless Planning and Coordination Wing and payments to International Telecommunication Union, Geneva and Asian Pacific Telecommunity Bangkok. The Wireless planning and Coordination Wing also issues licences under various provisions of Indian Wireless Telegraphy Act, 1885 for transmitting and receiving stations, and conducts examinations for wireless operators as per international standards.

संचार मंत्रालय *MINISTRY OF COMMUNICATIONS*

मांग संख्या DEMAND No.14

डाक सेवाएं Postal Services

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries and revenue receipts are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		9.40	84.00	93.40	9.38	150.00	159.38	12.10	243.00	255.10
पूंजी	*Capital*		*50.60*	*-3.00*	*47.60*	*38.62*	*-3.00*	*35.62*	*59.90*	*-3.00*	*56.90*
जोड़	**Total**		**60.00**	**81.00**	**141.00**	**48.00**	**147.00**	**195.00**	**72.00**	**240.00**	**312.00**
डाक सेवाएं	**Postal Services**										
राजस्व भाग	**Revenue Section**										
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	3201	0.25	92.95	93.20	0.28	90.51	90.79	0.46	105.01	105.47
2. डाक सेवा नेटवर्क	2. Postal Network	3201	6.10	421.85	427.95	5.45	425.69	431.14	6.96	418.44	425.40
3. डाक की छंटाई	3. Mail sorting	3201	...	133.38	133.38	...	128.79	128.79	...	153.00	153.00
4. डाक परिवहन	4. Conveyance of mails	3201	...	125.91	125.91	...	123.72	123.72	...	195.00	195.00
5. एजेंसी सेवाएं	5. Agency services	3201	0.20	31.99	32.19	0.53	34.53	35.06	1.11	41.14	42.25
6. लेखे	6. Accounts	3201	...	34.37	34.37	...	31.48	31.48	...	38.56	38.56
7. इंजीनियरी	7. Engineering	3201	1.50	15.82	17.32	2.00	8.91	10.91	2.00	21.48	23.48
8. कर्मचारियों की सुविधाएं	8. Staff amenities	3201	...	12.20	12.20	...	11.87	11.87	...	17.14	17.14
9. पेंशनें	9. Pensions	3201	...	114.54	114.54	...	122.79	122.79	...	135.16	135.16
10. लेखन-सामग्री और मुद्रण	10. Stationery & Printing	3201	...	61.05	61.05	...	60.88	60.88	...	66.33	66.33
11. अन्य	11. Others	3201	1.35	11.94	13.29	1.12	10.83	11.95	1.57	11.74	13.31
12. जोड़ राजस्व व्यय-डाक सेवाएं	12. Total Revenue Expenditure-Postal Services		9.40	1056.00	1065.40	9.38	1050.00	1059.38	12.10	1203.00	1215.10
13. घटाइए - प्राप्तियां	13. *Less* Receipts	1201	...	-972.00	-972.00	...	-900.00	-900.00	...	-960.00	-960.00
14. *निवल*	14. *Net*		9.40	84.00	93.40	9.38	150.00	159.38	12.10	243.00	255.10
पूंजी भाग	**Capital Section**										
1. प्रशासनिक कार्यालय	1. Administrative Offices	5201	6.50	...	6.50	2.70	...	2.70	3.00	...	3.00
2. डाकघर	2. Post Offices	5201	21.50	...	21.50	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00
3. कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	3. Staff quarters	5201	5.50	...	5.50	5.30	...	5.30	5.00	...	5.00
4. अन्य	4. Others	5201	17.10	3.00	20.10	5.62	2.40	8.02	26.90	3.00	29.90
5. घटाइए - प्राप्तियां और वसूलियां	5. Less-receipts and recoveries	5201	...	-6.00	-6.00	...	-5.40	-5.40	...	-6.00	-6.00
	Capital Section(Net)		50.60	-3.00	47.60	38.62	-3.00	35.62	59.90	-3.00	56.90
कुल जोड़	***Grand Total***		***60.00***	***81.00***	***141.00***	***48.00***	***147.00***	***195.00***	***72.00***	***240.00***	***312.00***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
डाक सेवाएं*	Postal Services*	13201	60.00	...	60.00	48.00	...	48.00	72.00	...	72.00

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
* *Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of Ministrty of Urban Development.*

डाक विभाग, जो संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, देश में डाक सेवाओं के आयोजन, विकास, विस्तार, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है । यह विभाग सरकार की अल्प बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा योजना आदि के संबंध में कुछ अभिकरण कार्य भी करता है । विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए, विभाग के अन्तर्गत 5 डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा 19 डाक सर्कल हैं ।

The Department of Posts, which is under the administrative control of the Ministry of Communications, is responsible for the planning, development, expansion operations and maintenance of Postal Services in the country. It also discharges certain agency functions in respect of Small Savings Schemes of the Government, Postal Life Insurance Scheme etc. For the implementation of the various programmes and activities, the Deptt. has a net work of 19 Postal circles, besides 5 Postal Training Centres.

2. इस मांग में सेवाओं के राजस्व खाते के व्यय और पूंजी खाते के व्यय दोनों के लिए व्यवस्था है । राजस्व भाग में कार्यचालन व्यय के लिए व्यवस्था है, जिसमें एजेंसी सेवाओं के संबंध में व्यय और लेखा परीक्षा तथा पेंशन प्रभारों से संबंधित व्यय भी शामिल है । सेवाओं के राजस्व भाग में होने वाला निवल घाटा (सकल व्यय में से डाक आय को घटाने के बाद बची राशि) सरकार के सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है । पूंजी भाग में डाकघरों की इमारतों, रेल डाक सेवा की इमारतों और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण पर होने वाले व्यय और इसके अतिरिक्त एम. एम. एस./रेल डाक सेवा की मोटर गाड़ियों, मुद्रणालयों और अन्य यांत्रिक सहायता सामग्री की खरीद के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. This Demand provides for the revenue as well as the capital expenditure of the Services. In the revenue section, the provision is for the working expenses, which also includes those on account of the agency services, as well as expenditure relating to audit and pensionary charges. The net deficit in the Revenue Section of the Services (i.e. Gross expenditure less Postal earnings) is met by the General revenues of the Government. In the Capital Section, provision is made for the expenditure on construction of Post Office buildings, R.M.S. Buildings, and other administrative offices and Staff Quarters, besides purchase of MMS/RMS vans, printing presses and other mechanical aids.

3. बजट अनुमान, 1990-91 में 972.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान, 1990-91 में 900.00 करोड़ रुपए के मुकाबले बजट अनुमान, 1991-92 में 960.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

3. The receipts in BE 1991-92 are estimated at Rs. 960.00 crores against Rs. 972.00 crores in BE 91-91 and Rs.900.00 crores in RE 90-91.

4. अगले वर्ष के बजट में डाक सेवाओं की सामान्य वृद्धि और विस्तार की व्यवस्था की गई है ।

5. प्रस्तावित परिव्यय की तुलना में वर्ष 1991-92 की आयोजना के वास्तविक लक्ष्य मोटे रूप में इस प्रकार हैः—

(i) डाकघरों की संख्या में वृद्धि (1540)
(ii) डाकघरों की इमारतों का निर्माण-299 (215 शहरी) (84 ग्रामीण)
(iii) कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण-1950 (1350 शहरी) (600 ग्रामीण)
(iv) तीव्र डाक वाहनों और एम एम एस के वाहनों की खरीद-190 (32 तीव्र डाक) 158 एम.एम.एस)
(v) अन्य यांत्रिक सहायता सामग्रियों की खरीद ।

4. Next year's Budget provides for normal growth and expansion of postal services.

5. The physical targets in 1991-92 Plan against the proposed outlays are broadly:-

(i) Addition to Post Offices (1540)
(ii) Construction of Postal Buildings-299 (215 Urban) (84 Rural)
(iii) Constrtuction of Staff Quarters-1950 (1350 Urban) (600 Rural)
(iv) Purchase of Speed post and M.M.S.Vehicles-190 (32 Speed Post) (158 MMS)
(v) Purchase of other machanical aids.

संचार मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATIONS

मांग संख्या DEMAND No.15

दूर संचार सेवाएं Telecommunication Services

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, and revenue receipts are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		*25.43*	...	*25.43*	*64.63*	...	*64.63*	*17.00*	...	*17.00*
जोड़	**Total**		**25.43**	...	**25.43**	**64.63**	...	**64.63**	**17.00**	...	**17.00**
क. राजस्व भाग	**A.-Revenue Section**										
दूर संचार	**Telecommunications**										
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	3225	...	178.53	178.53	...	187.07	187.07	...	219.91	219.91
2. प्रचालन व्यय	2. Operational expenses	3225	...	411.80	411.80	...	402.91	402.91	...	457.52	457.52
3. भंडार और कारखाने	3. Stores and Factories	3225	...	-69.00	-69.00	...	-70.90	-70.90	...	-71.20	-71.20
4. इंजीनियरी	4. Engineering	3225	85.00	593.95	678.95	75.00	604.39	679.39	90.00	679.66	769.66
5. लेखे और लेखा परीक्षा	5. Accounts and Audit	3225	...	15.11	15.11	...	15.02	15.02	...	16.60	16.60
6. कर्मचारियों को सुविधाएं	6. Amenities to staff	3225	...	13.00	13.00	...	11.50	11.50	...	12.50	12.50
7. पेंशनें	7. Pensions	3225	...	150.00	150.00	...	120.00	120.00	...	110.00	110.00
8. लेखन-सामग्री और मुद्रण	8. Stationery and Printing	3225	...	16.10	16.10	...	14.10	14.10	...	12.10	12.10
9. मूल्य ह्रास	9. Depreciation	3225	...	402.52	402.52	...	388.58	388.58	...	513.04	513.04
10. सामान्य राजस्व को लाभांश	10. Dividend to General Revenues	3230	...	198.00	198.00	...	203.62	203.62	...	224.67	224.67
11. अधिशेष से निधियों को विनियोग	11. Appropriations from surplus to Funds	3231	...	1674.57	1674.57	...	1430.88	1430.88	...	1487.00	1487.00
12. अन्य	12. Others	3225	50.00	222.99	272.99	...	187.83	187.83	...	213.20	213.20
13. जोड़ - राजस्व व्यय-दूर संचार सेवाएं	13. Total Revenue Expenditure-Telecom.Services		135.00	3807.57	3942.57	75.00	3495.00	3570.00	90.00	3875.00	3965.00
14. घटाइए- प्राप्तियां	14. *Less* - Receipts	1225	-135.00	-3807.57	-3942.57	-75.00	-3495.00	-3570.00	-90.00	-3875.00	-3965.00
15 निवल	*15. Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
अन्य संचार सेवाएं	Other Communications Services										
16. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र को अनुदान	16. Grants to Centre for Development of Telematics	3275	...	...	...	17.00	...	17.00	30.00	...	30.00
17. घटाइए - राजस्व प्रारक्षित निधि से आहरण	17. *Less* - Withdrawal from Revenue Reserve Fund	3275	...	...	...	-17.00	...	-17.00	-30.00	...	-30.00
राजस्व भाग-निवल	**Revenue Section-Net**		...	...	...	...	...	...	...	...	...
ख. पूंजी भाग	**B.Capital Section**										
1. तार प्रणालियां	1.Telegraph Systems	5225	78.00	...	78.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
2. स्थानीय टेलीफोन प्रणालियां	2. Local Telephone Systems	5225	1450.00	...	1450.00	1523.00	...	1523.00	1746.00	...	1746.00
3. लम्बी दूरी वाली स्विचिंग प्रणालियां	3. Long Distance switching Systems	5225	62.00	...	62.00	65.00	...	65.00	123.00	...	123.00
4. पारेषण प्रणालियां	4. Transmission Systems	5225	435.00	...	435.00	435.00	...	435.00	440.00	...	440.00
5. सहायक प्रणालियां	5. Ancillary Systems	5225	62.00	...	62.00	35.00	...	35.00	10.00	...	10.00
6. अन्य भूमि और इमारतें	6. Other Land & Buildings										
(i) आवासीय	(i) Residential	5225	38.00	...	38.00	33.00	...	33.00	25.00	...	25.00
(ii) गैर-आवासीय	(ii) Non-residential	5225	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
जोड़		Total	**53.00**	...	**53.00**	**45.00**	...	**45.00**	**37.00**	...	**37.00**
7. भंडार उचन्त	7. Stores Suspense	5225	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
8. घटाइए-पूंजी खाते की प्राप्तियां और वसूलियां	8. *Deduct*-Receipts and recoveries on Capital Account	5225	-2114.57	-20.00	-2134.57	-2113.00	-20.00	-2133.00	-2412.00	-20.00	-2432.00
9. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	9. Investments in Public Enterprises										
9.01 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स	9.01 Hindusthan Teleprinters	4859	...	...	...	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
		6859	...	...	...	0.63	...	0.63	...	...	...
जोड़		Total	...	...	...	**4.63**	...	**4.63**	**3.00**	...	**3.00**
10. महानगर टेलीफोन निगम लि. को उधार	10. Loans to Mahanagar Telephone Nigam Ltd.	7225	...	...	...	10.00	...	10.00	7.00	...	7.00
घटाइये - पूंजी प्रारक्षित निधि से पूरी की गई राशि	*Less* Amount met from Capital Reserve Fund		...	...	...	-10.00	...	-10.00	-7.00	...	-7.00
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी भाग - निवल	**Capital Section-Net**		25.43	...	25.43	64.63	...	64.63	17.00	...	17.00
कुल जोड़	***Grand Total***		***25.43***	...	***25.43***	***64.63***	...	***64.63***	***17.00***	...	***17.00***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
9.01 दूर संचार	9.01 Telecommunications	13225	25.43	2249.57	2275.00	60.00	2215.00	2275.00	14.00	2539.00	2553.00
9.02 महानगर टेलीफोन निगम लि.	9.02 Mahanagar Telephone Nigam Limited	13225	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	650.00	650.00
9.03 भारतीय टेलीफोन उद्योग	9.03 Indian Telephone Industries	12859	...	120.13	120.13	...	120.13	120.13	...	76.00	76.00
9.04 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.	9.04 Hindustan Teleprinters Ltd.	12859	...	2.00	2.00	4.63	...	4.63	3.00	3.00	6.00
9.05 विदेश संचार निगम लि.	9.05 Videsh Sanchar Nigam Ltd.	13275	...	109.85	109.85	...	112.62	112.62	...	102.00	102.00
जोड़	***TOTAL***		***25.43***	***3081.55***	***3106.98***	***64.63***	***3047.75***	***3112.38***	***17.00***	***3370.00***	***3387.00***

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
1. दूर संचार सेवाएं	1. Telecommunication services	13225	25.43	2849.57	2875.00	60.00	2815.00	2875.00	14.00	3189.00	3203.00
2. अन्य संचार सेवाएं	2. Other Communication Services	13275	...	109.85	109.85	...	112.62	112.62	...	102.00	102.00
3. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	3. Telecommunication & Electronic Industries	12859	...	122.13	122.13	4.63	120.13	124.76	3.00	79.00	82.00
जोड़	TOTAL		25.43	3081.55	3106.98	64.63	3047.75	3112.38	17.00	3370.00	3387.00

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में की गई निर्माण कार्य परिव्यय की व्यवस्था शामिल है ।

Inclusive of works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Developement

दूरसंचार विभाग देश में दूरसंचार सेवाओं के नियंत्रण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है । ये सेवाएं देश में 18 दूरसंचार मंडलों और 2 दूरसंचार जिलों के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर प्रचालित की जाती है ।

दिल्ली और बम्बई महानगरों में पहली अप्रैल, 1986 से दूरसंचार सेवाओं (टेलीग्राफ सेवाओं को छोड़कर) का प्रबंध महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम. टी. एन. एल.) द्वारा किया जाता है ।

राजस्व भाग: मांग के राजस्व भाग में की गई व्यवस्था कार्यचालन व्यय (मूल्यह्रास, लेखा परीक्षा, पेंशन संबंधी प्रभार और अनुसंधान एवं विकास सहित), सामान्य राजस्व से उधार ली गई पूंजी पर लाभांश की अदायगी, विभाग के कार्यचालन से अधिशेष के उसकी आरक्षित निधियों में विनियोग तथा टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र को सहायता अनुदान के लिए है।

वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान में आंके गए 3942.57 करोड़ रुपए की तुलना में 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 3570 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था । यह कमी मुख्यतः 10,000 एस. टी. डी. पी सी ओ के लिए स्कीम कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई है ।

सामान्य वृद्धि और महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा उनके वर्ष 1991-92 के अनुमानित राजस्व पर संदेय निवल निर्माण कार्य प्रभारों को हिसाब में लेने के बाद 1991-92 के बजट अनुमानों में 3965 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है ।

बजट अनुमान (1990-91) की तुलना में वर्ष 1990-91 में कार्यचालन व्यय में संशोधित अनुमानों में कमी मुख्यतः स्टाफ संबंधी खर्चों, छोटे-मोटे कार्यों और बांडों पर ब्याज पर कम व्यय होने के कारण हुई थी।

वर्ष 1991-92 के कार्यचालन व्यय में वृद्धि व्यय में सामान्य वृद्धि की द्योतक है ।

पूंजी भाग: इस भाग में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार, टेलीग्राफ प्रणाली स्कीमों, स्थानीय टेलीफोन पद्धतियों, लम्बी दूरी की स्विचिंग और परिषण प्रणालियों, जिनमें उपग्रह के ज़रिए दूरस्थ क्षेत्र दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं, कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण और कारखानों और भंडार संगठनों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

बजट अनुमान 1990-91 में दूरसंचार विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 3106.98 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय तथा दूरसंचार विभाग के लिए 25.43 करोड़ रुपए के बजट समर्थन की तुलना में संशोधित अनुमान 1990-91 में दूरसंचार विभाग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 3112.38 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय तथा 64.63 करोड़ के बजटीय समर्थन (दूरसंचार विभाग के लिए 60.00 करोड़ रुपए और एच. टी. एल के लिए 4.63 करोड़ रुपए) की व्यवस्था है.

बजट अनुमान (1991-92) में दूरसंचार विभाग तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिए 3387.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय और 17.00 करोड़ रुपए के बजट समर्थन (दूर संचार विभाग के लिए 14.00 करोड़ रुपए और एच.टी.एल. के लिए 30.00 करोड़ रुपए) की व्यवस्था की गई है ।

The Department of Telecommunications is responsible for the control and administration of the Telecommunication Services in the country. The services are operated on a commercial basis, through 18 telecommunication circles and 2 telecommunication districts in the country.

At the metropolitan cities of Delhi and Bombay, the telecommunication services (except telegraph services), are managed by Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) with effect from Ist April, 1986.

Revenue Section : The provision in the revenue section of the Demand is for working expenses (including depreciation, audit, pensionary charges and research and development), dividend payable to General Revenues on the borrowed capital, appropriation of the surplus in the working of the Department to its reserve funds, and grant-in-aid to the Centre for Development of Telematics (C-DOT).

Receipts in RE 1990-91 were estimated at Rs. 3570 crores as against Rs.3942.57 crores assumed in the B.E. 1990-91. The decrease is due mainly to non-materialisation of the scheme for 10,000 S.T.D. P.COS.

Receipts in BE 1991-92 are assumed at Rs. 3965.00 crores, after taking into account the normal growth and net work charges payable by M.T.N.L. on their estimated revenue for 1991-92.

The revised estimates of working expenses in the year 1990-91 were less as compared to B.E. (90-91) mainly on account of less expenditure in staff expenses, Petty Works and Interest on Bonds.

The increase in the working expenses in the year 1991-92 represents the normal growth in expenditure.

Capital Section: This section provides for expenditure on expansion of telecommunication network, the schemes being telegraph systems, local telephone systems, long-distance switching and transmission systems, including remote area telecommunication services through satellite, construction of staff quarters and support systems of factories and stores organisations.

The Plan Outlay for RE 90-91 of DOT and PSUs put together is Rs. 3112.38 crores with Budgetary Support of Rs. 64.63 crores (Rs. 60.00 crores for DOT and Rs. 4.63 crores for HTL) as against the Plan Outlay of Rs. 3106.98 crores for DOT and PSUs with a Budgetary Support of Rs. 25.43 crores for DOT in BE 1990-91.

The Plan Outlay for BE (91-92) has been kept at Rs. 3387.00 crores for DOT and other PSUs with a Budgetary Support of Rs. 17.00 crores (Rs. 14.00 crores for DOT and Rs. 3.00 crores for HTL).

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.16

रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन तथा प्राप्तियां इस प्रकार है -
A.The Budget allocations ,net of recoveries and receipts are given below:-

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	148.68	148.68	...	147.48	147.48	...	129.20	129.20
	पूंजी *Capital*		...	*166.53*	*166.53*	...	*116.84*	*116.84*	...	*125.77*	*125.77*
	जोड़ **Total**		...	**315.21**	**315.21**	...	**264.32**	**264.32**	...	**254.97**	**254.97**
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	138.54	138.54	...	137.73	137.73	...	147.63	147.63
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
2. कैंटीन स्टोर विभाग	2. Canteen Stores Department :										
2.01 राजस्व व्यय	2.01 Revenue Expenditure	2075	...	792.70	792.70	...	815.20	815.20	...	959.55	959.55
2.02 घटाइये प्राप्तियां	2.02 Less Receipts	0075	...	-804.00	-804.00	...	-827.20	-827.20	...	-980.00	-980.00
2.03 निवल व्यय	2.03 Net Expenditure		...	-11.30	-11.30	...	-12.00	-12.00	...	-20.45	-20.45
2.04 पूंजी व्यय	2.04 Capital Expenditure	4075	...	3.00	3.00	...	2.70	2.70	...	3.30	3.30
जोड़	*Total*		...	*-8.30*	*-8.30*	...	*-9.30*	*-9.30*	...	*-17.15*	*-17.15*
आवास	**Housing**										
3. सी.एस. डी. कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	3. Residential Housing Facilities to the C.S.D. Staff	4216	...	0.25	0.25	...	0.23	0.23	...	0.28	0.28
4. रक्षा लेखाविभाग के कर्मचारियों को रिहायशी आवास सुविधाएं	4. Residential Housing Facilities to Defence Accounts Department Staff	4216	...	3.30	3.30	...	1.42	1.42	...	2.93	2.93
जोड़ - आवास	**Total-Housing**		...	**3.55**	**3.55**	...	**1.65**	**1.65**	...	**3.21**	**3.21**
जल आपूर्ति और स्वच्छता	**Water Supply And Sanitation**										
5. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	5. Loans and Advances to State Governments for Water Supply Schemes	7601	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00	...	13.00	13.00
लोक निर्माण कार्य	**Public Works**										
6. रक्षा लेखा भवनों का रख-रखाव और मरम्मत	6. Maintenance and repairs to Defence accounts buildings	2059	...	0.30	0.30	...	0.32	0.32	...	0.30	0.30
		4059	...	1.93	1.93	...	0.66	0.66	...	3.20	3.20
जोड़		*Total*	...	*2.23*	*2.23*	...	*0.98*	*0.98*	...	*3.50*	*3.50*
7. ब्याज आर्थिक सहायता	**7. Interest Subsidy :**										
7.1 गार्डन रीच शिप-बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स	7.1 Garden reach Ship Builders & Engineers	2852	...	4.64	4.64	...	4.64	4.64	...	...	...
7.2 मझगांव डाक लि.	7.2 Mazagon Dock Ltd.	2852	...	15.35	15.35	...	15.35	15.35	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*19.99*	*19.99*	...	*19.99*	*19.99*	...	...	...
8. सरकारी उपक्रमों में आयोजना-भिन्न निवेश	8. Non Plan Investments in Public Enterprises										
8.01 भारत डायनामिक्स लि०	8.01 Bharat Dynamics Ltd.	4858	...	25.00	25.00	...	...	...	...	6.00	6.00
8.02 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	8.02 Hindustan Aeronautics Ltd.	4858	...	36.00	36.00	...	...	...	...	...	...
8.03 मझगांव डाक लि०	8.03 Mazagon Dock Ltd.	4858	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	10.00	10.00
8.04 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स	8.04 Garden reach Ship Builders & Engineers	4858	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	7.00	7.00
8.05 गोआ शिपयार्ड लि.	8.05 Goa Shipyard Ltd	4858	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
8.06 भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०	8.06 Bharat Electronics Ltd.	4859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*84.00*	*84.00*	...	*23.00*	*23.00*	...	*26.00*	*26.00*
9. सरकारी उपक्रमों को आयोजना भिन्न उधार	9. Non-Plan Loans to Public Enterprises										
9.01 भारत अर्थ मूवर्स लि०	9.01 Bharat Earth Movers Ltd.	6858	...	10.00	10.00	...	8.00	8.00	...	...	...
9.02 भारत डाएनेमिक्स लि०	9.02 Bharat Dynamics Ltd.	6858	...	27.00	27.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
9.03 हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०	9.03 Hindustan Aeronautics Ltd.	6858	...	...	...	...	30.00	30.00	...	25.00	25.00
9.04 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स	9.04 Garden reach Ship Builders & Engineers	6858	...	3.00	3.00	...	2.00	2.00	...	3.00	3.00
9.05 गोआ शिपयार्ड लि०	9.05 Goa Shipyard Ltd	6858	...	2.00	2.00	...	...	...	...	2.00	2.00
9.06 भारत इलैक्ट्रानिक्स लि०	9.06 Bharat Electronics Ltd.	6859	...	20.00	20.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00
9.07 मझगांव डाक लि०	9.07 Mazagon Dock Ltd.	6858	...	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00
जोड़		*Total*	...	*62.00*	*62.00*	...	*75.00*	*75.00*	...	*75.00*	*75.00*
10. अन्य व्यय	10. Other Expenditure	2216	...	0.70	0.70	...	1.00	1.00	...	1.29	1.29
		2408	...	0.45	0.45	...	0.44	0.44	...	0.43	0.43
		6216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7615	...	2.05	2.05	...	1.83	1.83	...	2.06	2.06
जोड़		*Total*	...	*3.20*	*3.20*	...	*3.27*	*3.27*	...	*3.78*	*3.78*
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*315.21*	*315.21*	...	*264.32*	*264.32*	...	*254.97*	*254.97*

1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं : इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था है ।

2. कैंटीन स्टोर्स विभाग: कैंटीन स्टोर्स विभाग रक्षा मंत्रालय का एक वाणिज्यिक उपक्रम है । यह रक्षा सेवाओं के सदस्यों को समूचे भारत में उचित और किफायती दरों पर घरेलू वस्तुएं तथा दैनिक आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सप्लाई करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है । इस शीर्ष के अन्तर्गत की गई व्यवस्था निवल कार्यचालन व्यय (प्राप्तियां सकल व्यय से अधिक है) के लिए है। वर्ष 1991-92 के लिए बजट में खरीद पर व्यय में सामान्य वृद्धि के लिए व्यवस्था, लेनदेन में सामान्य वृद्धि होने के कारण है।

3 और 4. आवास: यह व्यवस्था कैंटीन स्टोर्स विभाग और रक्षा लेखा विभाग के स्टाफ के लिए रिहायशी आवास सुविधाओं के लिए की गई है । वर्ष 1991-92 के बजट में व्यय व्यवस्था कार्य की गति पर आधारित वास्तविक जरूरतों के कारण है । अधिक व्यवस्था जल तथा बिजली की विपुल मांग में पूर्ति पाने तथा गैर औद्योगिक स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के कारण की गई है ।

5. राज्य सरकारों को जल पूर्ति योजनाओं के लिए ऋण तथा अग्रिम: यह व्यवस्था कतिपय छावनी क्षेत्रों (कालिमपोंग, जोधपुर और बंगलौर) में जल पूर्ति स्कीमों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए है । वर्ष 1991-92 के बजट में अधिक व्यवस्था योजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों की मांग में हुई वृद्धि के कारण की गई है।

6. रक्षा लेखा विभाग की इमारतों का रखरखाव /मरम्मत: यह व्यवस्था रक्षा लेखा महानियंत्रक के अंतर्गत कार्यरत रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों की ईमारतों की मरम्मत और उनके रखरखाव पर होने वाले व्यय के लिए है । वर्ष 1991-92 बजट में वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ।

8 और 9. आयोजना-भिन्न निवेश/सरकारी उद्यमों को ऋण: गोआ शिपयार्ड लिमिटेड मझगांव डाक लिमिटेड बम्बई की एक सहायक कम्पनी है जिसके पास, इसकी लगभग 53 प्रतिशत शेयर पूंजी है । इसकी शेष शेयर पूंजी भारत सरकार, सरकारी अधिकरणों तथा निजी शेयर धारियों के पास है ।

31.3.1990 को कम्पनी की चुकता पूंजी 8.42 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में शून्य करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता: यह कम्पनी बहुएकको वाला मध्यम आकार का औद्योगिक उपक्रम है जिसके 9 एकक है जिनमें से 7 कलकत्ता मे, एक रांची में तथा एक नागपुर में है । यह कम्पनी समुद्री जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत और विभिन्न प्रकार की इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई है, जिसमें समुद्री डीजल इंजन, इस्पात संयत्रों के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपस्कर, रोड रोलर्स, टर्बाइन, क्रेन, कन्वेयर उपस्कर और प्रैशर वेसल, आदि शामिल हैं।

31.3.1990 को कम्पनी की चुकता पूंजी 105.19 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 8.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 10.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद (बी०डी०एल०): यह कम्पनी स्थल सेना और वायु सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टैंक विध्वंसक निर्देशित मिसाइलों के निर्माण का कार्य कर रही है । यह सोनार माडिफिकेशन किटों और टारपीडो इलेक्ट्रानिक्स जैसे विशेष उत्पादों का विनिर्माण करती है । इसके भावी उत्पादन में, दूसरी पीढ़ी के टैंकभेदी प्रक्षेपास्त्र, मध्यमदूरी तक मार करने वाले भू-तल से वायुमंडल भेदी प्रक्षेपास्त्र तथा भूतल से भूतल पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का विनिर्माण भी सम्मिलित है ।

1. Secretariat - General Services: Provides for Secretariat expenditure of the Ministry.

2. Canteen Stores Department: Canteen Stores Department is a departmental commercial undertaking of the Ministry. It is functioning with the object of providing household articles and other items of daily necessity to members of the Defence Services at reasonable and economical rates throughout India. The provision under this head is for net working expenses (the receipts exceeding the gross expenditure). The provision for the increase in the expenditure on purchases in the Budget for the year 1991-92, is due to normal growth in the transactions.

3 and 4. Housing: The provision is for residential housing facilities to the staff of the C.S.D. and Defence Accounts Deptt. The provision in the Budget for 1991-92 takes into account, the actual requirements, based on the tempo of work. The increase is due to payment on account of procurement of bulk supply of Water, Electricity and Pay and Allowances of non-industrial staff.

5. Loans and Advances to State Governments for Water Supply Schemes: The provision is for grant of loans to Water Supply Schemes in certain Cantonment areas (Kalimpong, Jodhpur & Bangalore). The increase in the provision in the Budget for 1991-92 is due to increased demand of State Governments in view of the progress of the schemes.

6. Maintenance/repairs to Defence Accounts Department Buildings: The provision is for repairs and maintenance expenditure on office and residential buildings of the Defence Accounts Deptt., Offices, functioning under the Controller General of Defence Accounts. Budget for 1991-92 takes into account the actual requirements.

8 & 9. Non Plan Investment/Loans to Public Enterprises: Goa Shipyard Limited (GSL) is a subsidiary of the Mazagaon Dock Ltd., which holds about 53% share capital of the Company. The remaining shares are held by Government of India, Government agancies and by private share holders.

The paid up capital of the Company as on 31.3.1990 is Rs. 8.42 crores.

As against nil provision in RE 90-91, Rs.5.00 crores have been provided in BE 91-92.

Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (Calcutta):- This Company is a multi-unit, medium sized industrial undertaking having 9 Units, 7 at Calcutta and one each at Ranchi and Nagpur. It is engaged in ship-building, ship repairs and manufacture of a wide variety of engineering products including marine diesel engines, sophisticated technological equipments for Steel Plants, Road Rollers, Turbines, Cranes, Conveyor Equipment, Pressure Vessels etc.

The paid-up Capital of the Company is Rs. 105.19 crores as on 31.3.90.

As against a provision of Rs. 8.00 crores in RE 90-91, Rs.10.00 crores have been provided in BE 91-92.

Bharat Dynamics Limited, Hyderabad:- This Company is engaged in the manufacture of anti-tank guided missiles to cater to the needs of the Army and the Air Force. It manufactures special products like sonar modification kits and torpedo electronics and its future products include second generation anti-tank missiles, medium range surface to air missiles and surface to surface missiles.

31.3.1990 को कम्पनी की चुकता पूंजी 115.00 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 20.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 26.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर: हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा रक्षा उद्यम है । इस समय इस कम्पनी के बारह कारखाने है जो छः विभिन्न राज्यों में स्थित है । इनमें से छः कारखाने बंगलौर कम्पलेक्स में है, कोरापुट और नासिक में दो कारखाने तथा लखनऊ और हैदराबाद में दो कारखाने तथा एक-एक कोरवा और कानपुर में है । 31.3.1990 को इस कम्पनी की चुकता पूंजी 120.50 करोड़ रुपए थी ।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 30.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 25.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर: भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. एक बहु एकक उपक्रम है, जिसके बंगलौर, गाजियाबाद और पुणे में तीन उत्पादन एकक है । कम्पनी की तीन नई यूनिटें, महाराष्ट्र में तलोजा, हरियाणा में पंचकुला तथा उत्तर प्रदेश में कोटद्वार में स्थापित की जा रही है।

कम्पनी की चुकता पूंजी 31.3.1990 को 80.00 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 15.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 15.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर: इस कम्पनी के दो कारखाने है, (i) बंगलौर में बड़ी लाइनों के लिए एकीकृत रेल डिब्बे तथा हैवी ड्यूटी ट्रैलर्स और बसों के ढांचे बनाने के लिए बंगलौर यूनिट और (ii) मिट्टी हटाने वाले भारी उपस्करों का निर्माण करने के लिए कोलार स्वर्ण क्षेत्र यूनिट ।

कम्पनी की चुकता पूंजी 31.3.1990 को 30.00 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 8.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में धन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई: यह शिपयार्ड आधुनिकतम युद्ध पोतों, अर्थात् ध्वंसक जहाजों, लड़ाकू जहाजों, माइन स्वीपरों, ड्रेजरों, वाटर टेंकरों आदि का निर्माण करने के अलावा 26000 मी. टन लदान क्षमता (डी.डब्लू.टी) तक के जहाज निर्माण करने की क्षमता रखता है । यह भारी और मालवाही जलयानों को सभी प्रकार की भारी मरम्मत करने की क्षमता भी रखता है ।

31.3.1990 को कम्पनी की चुकता पूंजी 151.70 करोड़ रुपए थी।

संशोधित अनुमान 1990-91 में 17.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 20.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

10. **अन्य व्यय:** इसमें मुख्यतः मंत्रालय से संबंधित कुछ मदों को शामिल किया गया है जैसे कि थल सेना खरीद संगठन, भूमि आदि की खरीद के लिए वायु सेना, नौ सेना आवास बोर्ड को उधार । अगले बजट में वर्ष की सामान्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है ।

The paid-up capital of the Company is Rs. 115.00 crores as on 31.3.1990.

As against a provision of Rs.20.00 crores in RE 90-91, Rs.26.00 crores have been provided in BE 91-92.

Hindustan Aeronautics Ltd., Bangalore:- Hindustan Aeronautics Ltd. is the largest of the Defence Public Sector Enterprises. The Company has 12 factories located in 6 different States. 6 of these constitute Bangalore Complex., 2 factories are at Koraput and Nasik, 2 factories are at Lucknow and Hydrabad and one each at Korwa and Kanpur. The paid up capital of the company as on 31.3.1990 stood at Rs.120.50 crores.

As against a provision of Rs.30.00 crores in RE 90-91, Rs.25.00 crores have been provided in BE 91-92.

Bharat Electronics Limited, Bangalore :- Bharat Electronics Limited (BEL) is a multi-unit undertaking with 3 production units located at Bangalore, Ghaziabad and Pune. Three more new units of the Company are being set up at Taloja in Maharashtra, Panchkula in Haryana and Kotdwara in Uttar Pradesh.

The paid up capital of the company as on 31.3.1990 stood at Rs. 80.00 crores.

As against a provision of Rs.15.00 crores in RE 90-91, Rs.15.00 crores have been provided in BE 91-92.

Bharat Earth Movers Limited, Bangalore:- Bharat Earth Movers Limited (BEML) has two factories, viz. (i) Bangalore unit for the manufacture of broad gauge integral rail coaches, heavy duty trailers and bus bodies and (ii) Kolar Gold Field Unit for manufacture of heavy earth moving equipment.

The paid up capital of the company as on 31.3.1990 is Rs.30.00 crores.

As against a provision of Rs.8.00 crores in RE 90-91, no amount have been provided in BE 91-92.

Mazagaon Dock Limited, Bombay:- This Shipyard is capable of building vessels upto 26000 DWT besides sophisticated warships such as frigates, destroyers, mine sweepers, dredgers, water tankers etc. It is also equipped to carry out all type of major repairs to passenger -cum-cargo and cargo ships .

The paid up capital of the Company as on 31.3.1990 is Rs. 151.70 crores.

As against a provision of Rs.17.00 crores in RE 90-91, Rs.20.00 crores have been provided in BE 91-92.

10. **Other Expenditure:** Covers mainly certain items relating to the Ministry such as the Army Purchase Organisation, loans for Airforce, Naval Housing Board for purchase of land etc. Next Budget takes into account the normal requirements in the year.

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

मांग संख्या DEMAND No.17

रक्षा पेंशनें Defence Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	1500.00	1500.00	...	1670.00	1670.00	...	1750.00	1750.00
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	1500.00	1500.00	...	1670.00	1670.00	...	1750.00	1750.00
1. पेंशनें और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	**1. Pensions and Other Retirement benefits**										
थल सेना	Army	2071	...	1415.15	1415.15	...	1568.80	1568.80	...	1644.61	1644.61
नौ सेना	Navy	2071	...	21.04	21.04	...	25.05	25.05	...	26.04	26.04
वायु सेना	Air Force	2071	...	62.80	62.80	...	75.14	75.14	...	78.34	78.34
2. पुरस्कार - थल सेना, नौ सेना और वायु सेना	2. Rewards- Army,Navy & Airforce	2071	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*1500.00*	*1500.00*	...	*1670.00*	*1670.00*	...	*1750.00*	*1750.00*

इस मांग में सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना तथा आयुध कारखानों) के पेन्शन प्रभारों के लिए व्यवस्था की गई है। उसमें उपदानों, हताहत होने पर दिए जाने वाले पुरस्कारों जैसे कि युद्ध में क्षति होने पर दिए जाने वाले वेतनों, विकलांगता पेन्शनों तथा वीरता पुरस्कारों, अर्थात् परमवीर चक्र, महावीर चक्र इत्यादि के अतिरिक्त पेन्शनों के संराशीकृत मूल्य के लिए व्यवस्था की गई है। 1990-91 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि, 15 वर्ष के पश्चात पेंशनों के संराशीकृत मूल्य की बहाली के कारण तथा पहली जनवरी, 1986 से परिवार पेंशनभोगियों सहित रक्षा पेंशनभोगियों के लिए अपनाए गए विभिन्न उदार उपायों के भी कारण थी।

The provision in this demand is for the Pensionary charges in respect of retired Defence personnel, (Army, Navy, Air force and Ordinance Factories). It covers payments of gratuities, Casuality Awards such as War injury Pay, Disability Pensions and Gallantry Awards like Param Vir Chakra, Mahavir Chakra besides commutted value of Pensions. The increase in the R.E. 1990-91 was due to impact of restoration of commutted value of pensions after 15 years, as also the various liberalisation measures adopted for Defence pensioners including family pensioners from 1st January, 1986.

रक्षा सेवाएं – थल सेना DEFENCE SERVICES-ARMY

मांग संख्या DEMAND No.18

रक्षा सेवाएं-थल सेना Defence Services-Army

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं:
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	7910.15	7910.15	...	7965.00	7965.00	...	8079.13	8079.13
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**7910.15**	**7910.15**	...	**7965.00**	**7965.00**	...	**8079.13**	**8079.13**
1. थल सेना का वेतन और भत्ते	1. Pay and allowances of the Army	2076	...	3173.50	3173.50	...	3107.19	3107.19	...	3158.16	3158.16
2. सहायक बलों का वेतन और भत्ते तथा विविध व्यय	2. Pay and allowances and Miscellaneous expenses of the Auxiliary Forces	2076	...	33.02	33.02	...	57.87	57.87	...	43.28	43.28
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते	3. Pay and allowances of Civilians	2076	...	457.57	457.57	...	446.53	446.53	...	441.50	441.50
4. परिवहन	4. Transportation	2076	...	214.85	214.85	...	272.03	272.03	...	216.55	216.55
5. मिलिटरी फार्म	5. Military Farms	2076	...	51.61	51.61	...	51.61	51.61	...	53.10	53.10
6. अनुसंधान और विकास	6. Research and Development	2076	...	607.70	607.70	...	533.24	533.24	...	512.10	512.10
7. निरीक्षण	7. Inspection	2076	...	103.05	103.05	...	103.05	103.05	...	104.41	104.41
8. भण्डार	8. Stores	2076	...	2869.15	2869.15	...	2989.81	2989.81	...	3041.80	3041.80
9. निर्माण कार्य	9. Works	2076	...	442.95	442.95	...	458.50	458.50	...	466.35	466.35
10. राष्ट्रीय रायफल्स	10. Rashtriya Rifles	2076	...	...	...	...	0.52	0.52	...	11.16	11.16
11. राष्ट्रीय कैडेट कोर	11. National Cadet Corps	2076	...	...	...	...	...	...	...	77.18	77.18
12. अन्य व्यय	12. Other Expenditure	2076	...	172.06	172.06	...	181.49	181.49	...	179.64	179.64
13. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	13. Less Revenue Receipts	0076	...	-215.31	-215.31	...	-236.84	-236.84	...	-226.10	-226.10
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*7910.15*	*7910.15*	...	*7965.00*	*7965.00*	...	*8079.13*	*8079.13*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्योरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।*

Note : *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.19

रक्षा सेवाएं- नौ सेना Defence Services-Navy

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	877.00	877.00	...	826.00	826.00	...	892.06	892.06
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**877.00**	**877.00**	...	**826.00**	**826.00**	...	**892.06**	**892.06**
1. नौसेना के वेतन और भत्ते	1. Pay & Allowances of Navy	2077	...	195.00	195.00	...	185.00	185.00	...	205.27	205.27
2. रिजर्व सैनिकों के वेतन और भत्ते	2. Pay & Allowances of Reservists	2077	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते	3. Pay & Allowances of Civilians	2077	...	150.00	150.00	...	140.00	140.00	...	151.00	151.00
4. परिवहन	4. Transportation	2077	...	46.00	46.00	...	40.00	40.00	...	34.83	34.83
5. भण्डार	5. Stores	2077	...	380.00	380.00	...	360.00	360.00	...	380.35	380.35
6. निर्माण कार्य	6. Works	2077	...	70.00	70.00	...	85.00	85.00	...	89.61	89.61
7. अन्य व्यय	7. Other Expenditure	2077	...	60.00	60.00	...	40.00	40.00	...	55.00	55.00
8. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	8. Less Revenue Receipts	0077	...	-24.00	-24.00	...	-24.00	-24.00	...	-24.00	-24.00
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*877.00*	*877.00*	...	*826.00*	*826.00*	...	*892.06*	*892.06*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्योरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है ।* **Note:** *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE

मांग संख्या DEMAND No.20

रक्षा सेवाएं—वायु सेना Defence Services-Air Force

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैं:
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	2017.76	2017.76	...	2072.74	2072.74	...	2054.96	2054.96
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ Total		**...**	**2017.76**	**2017.76**	**...**	**2072.74**	**2072.74**	**...**	**2054.96**	**2054.96**
1. वायु सेना का वेतन और भत्ते	1. Pay & Allowances of Air-Force	2078	...	503.30	503.30	...	493.75	493.75	...	528.21	528.21
2. रिजर्व और सहायक सेवाओं के वेतन और भत्ते	2. Pay & Allowances of Reserve & Auxiliary Services	2078	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. सिविलियनों के वेतन और भत्ते	3. Pay and Allowances of Civilians	2078	...	73.53	73.53	...	77.56	77.56	...	81.49	81.49
4. परिवहन	4. Transporatation	2078	...	50.00	50.00	...	56.00	56.00	...	54.84	54.84
5. भण्डार	5. Stores	2078	...	1255.68	1255.68	...	1291.05	1291.05	...	1241.48	1241.48
6. निर्माण कार्य	6. Works	2078	...	150.00	150.00	...	175.00	175.00	...	169.94	169.94
7. विशेष परियोजनायें	7. Special Projects	2078	...	8.75	8.75	...	7.50	7.50	...	7.00	7.00
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2078	...	37.50	37.50	...	38.88	38.88	...	38.00	38.00
9. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	9. Less-Revenue Receipts	0078	...	-61.00	-61.00	...	-67.00	-67.00	...	-66.00	-66.00
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*2017.76*	*2017.76*	...	*2072.74*	*2072.74*	...	*2054.96*	*2054.96*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्योरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।* Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No. 21

रक्षा आयुध कारखाने Defence Ordnance Factories

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन और राजस्व प्राप्तियां इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts , are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	143.20	143.20	...	148.70	148.70	...	112.63	112.63
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**143.20**	**143.20**	...	**148.70**	**148.70**	...	**112.63**	**112.63**
1. निदेशन और प्रशासन	1.Direction and Administration.	2079	...	11.00	11.00	...	11.00	11.00	...	11.60	11.60
2. अनुसंधान	2. Research	2079	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.50	2.50
3. विनिर्माण	3. Manufacture	2079	...	605.00	605.00	...	565.00	565.00	...	600.00	600.00
4. भंडार	4. Stores	2079	...	892.60	892.60	...	935.00	935.00	...	999.00	999.00
5. अनुरक्षण-मशीनरी और पुर्जे	5.Maintenance- Machinery and Equipment	2079	...	4.00	4.00	...	4.50	4.50	...	5.50	5.50
6. परिवहन	6.Transportation	2079	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
7. निर्माण कार्य	7.Works	2079	...	30.00	30.00	...	35.00	35.00	...	32.00	32.00
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2079	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	113.00	113.00
9. नवीकरण और प्रतिस्थापन	9. Renewals & Replacements	2079	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00
10. नवीकरण आरक्षित निधि आयुध कारखानों से/को अन्तरण	10. Transfer to/from Renewal Reserve Fund - Renewal Reserve Fund Ord. Factories	2079	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00
11 घटाइए - थल सेना नौ सैना, वायु सेना आदि को की गई आपूर्तियों के लिए वसूलियां	11.Deduct-Recoveries for supplies made to Army, Navy Air Force, Etc	2079	...	-1514.40	-1514.40	...	-1514.40	-1514.40	...	-1620.41	-1620.41
12. घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	12.*Less*-Revenue Receipts	0079	...	-107.00	-107.00	...	-109.40	-109.40	...	-140.56	-140.56
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*143.20*	*143.20*	...	*148.70*	*148.70*	...	*112.63*	*112.63*

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्योरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

रक्षा मंत्रालय *MINISTRY OF DEFENCE*

मांग संख्या DEMAND No.22

रक्षा सेवाओ का पूंजी परिव्यय Capital outlay on Defence Services.

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		...	*4801.89*	*4801.89*	...	*4737.56*	*4737.56*	...	*5211.22*	*5211.22*
जोड़	**Total**		...	**4801.89**	**4801.89**	...	**4737.56**	**4737.56**	...	**5211.22**	**5211.22**
1. भूमि	1. Land										
थल सेना	Army	4076	...	20.00	20.00	...	27.00	27.00	...	25.00	25.00
नौ सेना	Navy	4076	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
2. निर्माण	2. Construction										
थल सेना	Army	4076	...	280.00	280.00	...	265.00	265.00	...	269.46	269.46
नौ सेना	Navy	4076	...	120.00	120.00	...	94.00	94.00	...	120.00	120.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	100.75	100.75	...	100.75	100.75	...	108.00	108.00
3. विमान और एयरो इंजिन	3. Air-Craft & Aero-Engine										
थल सेना	Army	4076	...	18.44	18.44	...	23.44	23.44	...	25.00	25.00
नौ सेना	Navy	4076	...	400.00	400.00	...	293.00	293.00	...	400.00	400.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	1245.94	1245.94	...	1308.77	1308.77	...	1449.29	1449.29
4. भारी और मध्यम गाड़ियां	4. Heavy and Medium Vehicles										
थल सेना	Army	4076	...	49.37	49.37	...	71.99	71.99	...	65.00	65.00
नौ सेना	Navy	4076	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	2.27	2.27	...	2.26	2.26	...	2.56	2.56
5. अन्य उपस्कर	5. Other Equipment.										
थल सेना	Army	4076	...	1054.99	1054.99	...	1054.99	1054.99	...	1065.00	1065.00
नौ सेना	Navy	4076	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00	...	28.00	28.00
वायु सेना	Air Force	4076	...	154.86	154.86	...	151.20	151.20	...	203.99	203.99
6. नौसैनिक बेड़ा	6. Naval Fleet	4076	...	637.55	637.55	...	657.00	657.00	...	700.00	700.00
7. नौसैनिक डाक यार्ड	7. Naval Dock-Yards	4076	...	103.37	103.37	...	90.00	90.00	...	150.00	150.00
8. विशेष परियोजनाएं	8. Special projects	4076	...	106.25	106.25	...	82.50	82.50	...	83.00	83.00
9. आयुध कारखाने	9. Ordnance factories	4076	...	306.85	306.85	...	301.35	301.35	...	288.18	288.18
10. अनुसंधान और विकास	10. Research & Development	4076	...	169.70	169.70	...	167.76	167.76	...	179.60	179.60
11. निरीक्षण	11 Inspection	4076	...	5.80	5.80	...	5.80	5.80	...	5.00	5.00
12. चल स्टाक की खरीद	12. Procurement of Rolling Stock	4076	...	...	...	...	10.00	10.00	...	12.60	12.60
13. राष्ट्रीय राइफल	13. Rashtriya Rifles	4076	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
14. राष्ट्रीय कैडेट कोर	14. National Cadet Corps	4076	...	...	...	...	...	...	...	0.54	0.54
15. अन्य	15 Others	4076	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	1.00	1.00
कुल जोड़	Grand Total		...	4801.89	4801.89	...	4737.56	4737.56	...	5211.22	5211.22

टिप्पणी :— *अनुमान का ब्योरा एक अलग दस्तावेज में दिया गया है।*

Note: *The details of estimates are given in a separate document.*

पर्यावरण और वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

मांग संख्या DEMAND No.23

पर्यावरण और वन मंत्रालय Ministry of Environment and Forests

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		227.19	39.56	266.75	204.34	37.30	241.64	292.53	39.71	332.24
पूंजी	*Capital*		*4.41*	...	*4.41*	*4.51*	...	*4.51*	*7.56*	...	*7.56*
जोड़	**Total**		**231.60**	**39.56**	**271.16**	**208.85**	**37.30**	**246.15**	**300.09**	**39.71**	**339.80**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	0.03	2.04	2.07	...	2.32	2.32	...	2.20	2.20
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**Ecology and Environment**										
2. सर्वेक्षण	*2. Survey*										
2.01 वनस्पति	2.01 Botanical	3435	1.70	4.77	6.47	1.20	4.77	5.97	1.80	5.00	6.80
2.02 प्राणिविज्ञान	2.02 Zoological	3435	2.30	4.57	6.87	1.80	4.57	6.37	1.80	4.80	6.60
जोड़		*Total*	*4.00*	*9.34*	*13.34*	*3.00*	*9.34*	*12.34*	*3.60*	*9.80*	*13.40*
3. पर्यावरण शिक्षा/ प्रशिक्षण/ विस्तार	3. Environmental Education/ Training/Extension	3435	2.35	1.09	3.44	2.23	0.74	2.97	2.45	0.78	3.23
4. संरक्षण कार्यक्रम	4. Conservation Programme	3435	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25	3.25	...	3.25
5. पर्यावरणीय आयोजना और समन्वय	5. Environmental Planning and Coordination	3435	3.20	1.25	4.45	3.17	0.95	4.12	2.60	1.00	3.60
6. अनुसंधान और पारिस्थितिकी सम्पोषण	6. Research and Ecological Regeneration	3435	7.20	...	7.20	6.92	...	6.92	7.30	...	7.30
7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदूषण	7. International Cooperation	3435	0.25	0.30	0.55	0.25	0.30	0.55	0.25	0.31	0.56
की रोकथाम और नियंत्रण	Prevention and Control of Pollution										
8. गंगा के प्रदूषण की रोकथाम	8. Prevention of Pollution of Ganga	3435	70.64	...	70.64	61.64	...	61.64	69.59	...	69.59
		3601	0.36	...	0.36	0.36	...	0.36	0.41	...	0.41
जोड़		*Total*	*71.00*	...	*71.00*	*62.00*	...	*62.00*	*70.00*	...	*70.00*
9. वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	9. Prevention of Air and Water Pollution	3435	11.35	11.58	22.93	7.54	10.18	17.72	17.95	10.69	28.64
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*11.35*	*11.58*	*22.93*	*7.54*	*10.18*	*17.72*	*17.95*	*10.69*	*28.64*
10. प्रभाव मूल्यांकन	10. Impact Assessment	3435	0.50	0.15	0.65	0.50	0.10	0.60	2.50	0.11	2.61
जोड़-प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण	**Total Prevention and Control of Pollution**		**82.85**	**11.73**	**94.58**	**70.04**	**10.28**	**80.32**	**90.45**	**10.80**	**101.25**
11. अन्य कार्यक्रम	11. Other Programmes	3435	2.72	0.02	2.74	2.71	0.02	2.73	5.13	0.02	5.15
12. पारिस्थितिकी पर्यावरण पर पूंजी परिव्यय	12. Capital Outlay on Ecology and Environment	5425	2.03	...	2.03	2.13	...	2.13	2.10	...	2.10
जोड़-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	**Total- Ecology and Environment**		**106.85**	**23.73**	**130.58**	**92.70**	**21.63**	**114.33**	**117.13**	**22.71**	**139.84**
वानिकी और वन्य जीवन	***Forestry and Wildlife***										
13. अनुसंधान	13. Research	2406	8.30	6.70	15.00	5.81	6.00	11.81	7.55	6.94	14.49
14. शिक्षा और प्रशिक्षण	14. Education and Training	2406	5.20	3.11	8.31	3.51	3.01	6.52	3.05	3.16	6.21
15. वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	15. Survey and utilisation of Forest Resources	2406	2.30	1.50	3.80	1.60	1.50	3.10	1.90	1.58	3.48
16. वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन	"16. Forest Conservation, Development "	2406	1.00	...	1.00	1.42	...	1.42	1.25	...	1.25
	and Regeneration	3601	3.15	...	3.15	2.60		2.60	5.39	...	5.39
		3602	0.35	...	0.35	0.30	...	0.30	0.41	...	0.41
जोड़		*Total*	*4.50*	...	*4.50*	*4.32*	...	*4.32*	*7.05*	...	*7.05*
17. वन उत्पाद	17. Forest Produce	3601	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	...	...	...
18. अन्य कार्यक्रम	18. Other Programmes	2406	...	0.40	0.40	...	0.45	0.45	...	0.43	0.43
19. वन्य जीवन	19. Wild Life	2406	2.40	2.08	4.48	2.39	2.39	4.78	6.25	2.69	8.94
		3601	13.18	...	13.18	14.53	...	14.53	21.50	...	21.50
		3602	1.47	...	1.47	1.62	...	1.62	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*17.05*	*2.08*	*19.13*	*18.54*	*2.39*	*20.93*	*28.05*	*2.69*	*30.74*
20. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	20. National Wastelands Development Programme										
20.01 राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	20.01 National Wastelands Development Board	2406	19.15	...	19.15	16.45	...	16.45	23.80	...	23.80
20.02 एकीकृत मृदा और जल संरक्षण योजना	20.02 Integrated Soil and Water Conservation Schemes										
i. सामान्य क्षेत्र	i. General Areas	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ii. आदिवासी क्षेत्र	ii. Tribal Areas	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.03 सामाजिक वानिकी (ग्रामीण ईंधन लकड़ी बागान और वन चारागाह फार्म सहित)	20.03 Social Forestry (Including Rural Fuel Plantation & Silvipastural Farms)										

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
i. सामान्य क्षेत्र	i. General Areas	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ii. आदिवासी क्षेत्र	ii. Tribal Areas	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20.04 विकेन्द्रीकृत नर्सरी	20.04 People's Nurseries	3601	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00	17.00	...	17.00
		3602	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*17.00*	...	*17.00*	*17.00*	...	*17.00*	*17.20*	...	*17.20*
20.05 अन्य योजनाएं	20.05 Other Schemes	3601	44.84	...	44.84	42.54	...	42.54	88.60	...	88.60
		3602	...	...	...	...	...	...	0.30	...	0.30
		7601	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*44.84*	...	*44.84*	*42.54*	...	*42.54*	*89.00*	...	*89.00*
जोड़-एन डब्ल्यू डी पी	**Total-NWDP**		**80.99**	...	**80.99**	**75.99**	...	**75.99**	**130.00**	...	**130.00**
21. वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	21. Capital Outlay on Forestry and Wildlife	4406	2.38	...	2.38	2.38	...	2.38	5.36	...	5.36
जोड़ - वानिकी और वन्य जीवन	**Total- Forestry and Wildlife**		**124.72**	**13.79**	**138.51**	**116.15**	**13.35**	**129.50**	**182.96**	**14.80**	**197.76**
कुल जोड़	***Grand Total***		***231.60***	***39.56***	***271.16***	***208.85***	***37.30***	***246.15***	***300.09***	***39.71***	***339.80***
ग. योजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	13451	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	2. Ecology and Environment	13435	106.97	...	106.97	94.01	...	94.01	117.23	...	117.23
3. वानिकी और वन्य जीवन	3. Forestry and Wildlife	12406	125.00	...	125.00	116.85	...	116.85	183.21	...	183.21
जोड़	**Total**		**232.00**	...	**232.00**	**210.86**	...	**210.86**	**300.44**	...	**300.44**
	*नीचे दिया गया निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है । *Inclusive of Works Outlay as below:-										
1. पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1. Ecology and Environment										
मांग संख्या 78	Demand No.78	13435	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
मांग संख्या 79	Demand No.79	13435	0.12	...	0.12	1.30	...	1.30	0.10	...	0.10
जोड़		**Total**	**0.12**	...	**0.12**	**1.31**	...	**1.31**	**0.10**	...	**0.10**
2. वानिकी और वन्य जीवन	2. Forestry and Wildlife										
मांग संख्या 78	Demand No.78	12406	0.05	...	0.05	...	...	...	...	...	...
मांग संख्या 79	Demand No.79	12406	0.23	...	0.23	0.70	...	0.70	0.25	...	0.25
जोड़		**Total**	**0.28**	...	**0.28**	**0.70**	...	**0.70**	**0.25**	...	**0.25**
जोड़ निर्माण कार्य परिव्यय	**Total Works Outlay**		**0.40**	...	**0.40**	**2.01**	...	**2.01**	**0.35**	...	**0.35**

1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं : इसके अन्तर्गत, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिवालय और मुख्यालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

2. सर्वेक्षण - भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, निम्नलिखित कार्यों को देखता है (क) देश के विभिन्न भागों में वनस्पतियों का गहन अध्ययन (ख) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वनस्पतियों के रूप में पौधा सम्पत्ति का संग्रह, देखभाल करना, उनका पता लगाना और उनकी सूची तैयार करना और (ग) आर्थिक और औषधियों के काम आने वाले पौधों का अध्ययन करना।

भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण अपने कलकत्ता मुख्यालय में, समूह सर्वेक्षण और समुद्री जन्तुओं सहित जन्तु समूहों के क्रमबद्ध प्राणि विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए जिम्मेदार है।

3. पर्यावरण संबंधी शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार : यह विभाग प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के माध्यम से लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देता है। यह विभाग प्राथमिक और उच्चतर स्कूल स्तर पर और कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके पर्यावरण संबंधी शिक्षा के संवर्धन का कार्य भी कर रहा है ।

इस विभाग के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा केन्द्र है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने और संवर्धन की दृष्टि से, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन और पर्यावरण संबंधी संरक्षण के क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करता है ।

4. संरक्षण कार्यक्रम

5. पर्यावरण संबंधी आयोजना और समन्वय

6. अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुत्थान - इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न संगठनों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं को विभाग द्वारा सहायता दी जाती है। इस विभाग का लक्ष्य पारिस्थितिकी का विकास, क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी प्रणाली के पुनरुत्थान में विश्वविद्यालयों,

1. Secretariat-Economic Services: This provides for expenditure on Secretariat and Headquarters of the Ministry of Environment and Forests.

Ecology and Environment

2.Surveys : The Botanical Survey of India, with its headquarters at Calcutta looks after (a) intensive floristic study in different parts of the country, (b) collection, Observation, identification and preparation of an inventory of the plant wealth in the form of national and regional floras and (c) studies of economic and medicinal plants.

Zoological Survey of India with its headquarters at Calcutta is responsible for carrying out the faunistic survey and research work in systematic Zoology, Animal Ecology, Zoolography of various groups of animals including marine fauna.

3. Environmental Education/Training/Extension : The Department gives priority to Environmental Education of almost all age groups of the country's population through exhibitions, training programmes etc. The Department is also involved in promoting environmental education by imparting non-formal education at the primary and secondary school level and in colleges and universities.

National Museum of Natural History is a centre set up under the Department to impart non-formal education to the school going children in the field of ecology, wildlife and environmental conservation with a view to create and promote awareness in the country about the need to conserve national natural resources.

4. Conservation Programme.

5. Environmental Planning and Coordination.

6. Research and Ecological Regeneration : Under these programmes research projects undertaken by various organisations are supported by the Department. The Department envisages more active participation of universities, scientific institutions and voluntary

वैज्ञानिक संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों की अधिक सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। इस विभाग ने पर्यावरण सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रह, संसाधन और प्रसार के लिए पर्यावरणीय सूचना प्रणाली स्थापित की है और इसने नशीले रासायनिक प्रदूषण नियंत्रण आदि के क्षेत्र में दस सूचना केन्द्र भी स्थापित किए हैं।

7. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :- इस स्कीम के अन्तर्गत, पर्यावरण संबंधी अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुत्पादन के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अंशदान का प्रावधान किया गया है।

प्रदूषण निवारण और नियंत्रण

8. गंगा के प्रदूषण का निवारण : गंगा नदी के प्रदूषित हिस्सों की सफाई के लिए एक कार्ययोजना तैयार की गई है और इसके कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यक्रम दिकपरिवर्तन, मल (सीवर) सफाई और पम्पिंग सेटों के नवीनीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :- (1) नदी से अपशिष्ट जल का अवरोधन और दिक्परिवर्तन (2) जैव-ऊर्जा जैसे संसाधनों को पुनः व्यवस्थित करके अपशिष्टजल का उपचार (3) अन्य सफाई सम्बन्धी उपायों जैसे कि कम लागत की सफाई व्यवस्था, जीवजन्तु संरक्षण आदि।

9. वायु और जल प्रदूषण का निवारण - इस आयोजनागत कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की मुख्य मदें नीचे दी गई है: (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को सहायता अनुदान (ii) केन्द्रीय जल प्रयोगशाला (iii) राज्य सरकारों/केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को उपकर की प्रतिपूर्ति (iv) तटीय प्रदूषण का निवारण (इसमें प्रयोगशाला शामिल है) और (v) प्रदूषण की दृष्टि से संगत योजनाओं का वित्तपोषण।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के लागू किए जाने से केन्द्रीय बोर्ड ने वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जिम्मेवारी ले ली है। इसमें सामान्य अपगामी अभिक्रिया संयंत्रों के लिए दिया गया सहायता अपदान भी शामिल है।

10. प्रभाव मूल्यांकन : पर्यावरणीय प्रभाग मूल्यांकन अध्ययनों के लिए सूचना प्राप्त करने और विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय पहलू के साथ-साथ चुने हुए क्षेत्रों में विशिष्ट मार्ग निर्देशों के लिए प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम विचार के लिए विभाग को भेजे गए, जो कि इस उद्देश्य के लिए गठित तकनीकी समितियों द्वारा अनुमोदित हैं।

11. अन्य कार्यक्रम :-

इनमें निम्नलिखित स्कीमें शामिल है :

क. पीताम्बर पन्त फैलोशिप।

ख. राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत प्रबन्ध व्यवस्था।

12. पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी पूंजीगत परिव्यय : इस स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान संबंधी सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों के लिए- प्रावधान किया गया है।

वन और वन्य जीवन

13. अनुसन्धान :- वानिकी अनुसंधान की दोहरे उद्देश्य है। प्राकृतिक वनों का संरक्षण और वानिकीकरण और बंजर भूमि को विकास की गति को बढ़ाना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई सी एफ आर ई) की वन अनुसंधान संस्थान और कालेजों के पुनर्स्थापन द्वारा 1986 में स्थापना की गई। आई. सी. एफ. आर. ई. के अंतर्गत वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सहित निम्नलिखित अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं जो कि विशिष्टता के राष्ट्रीय केन्द्र हैं :-

i) काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान, बंगलौर
ii) वन उत्पत्ति तथा वृक्षारोपण संस्थान, कोयम्बटूर
iii) अस्थायी वन संस्थान, जबलपुर
iv) शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
v) वर्षा तथा नमी अस्थायी वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट

भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान बंगलौर, जो प्लाईवुड और संबंधित उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करता है, औद्योगिक विकास विभाग से अंतरित हो कर 1.5.1990 से इस विभाग में आ गया है।

14. शिक्षा और प्रशिक्षण - *इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी* : इस अकादमी का सृजन भारतीय वन विश्वविद्यालय का उन्नयन करके और वन अनुसंधान तथा विश्वविद्यालयों से संबंध विच्छेद करके 25 मई, 1987 को किया गया है। यह अकादमी भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों को प्रशिक्षण

organisations in eco-development, restoration of damaged eco-systems and eco-regeneration of degraded areas. The Department has also set up environmental information system for collecting, processing and dissemination of environmental data and has also set up ten Information Centres in the field of toxic chemical pollution control etc.

7. **International Cooperation :** Under this scheme, provisions are made for contribution to UNO and other International Organisations to develop Environmental Research and Eco-regeneration.

Prevention and Control of Pollution :

8. **Prevention of Pollution of Ganga :** An action plan has been drawn up for clearing the polluted stretches of River Ganga and to oversee its implementation. The major work programmes relate to diversion, sewer cleaning and renovation of pumping sets. The schemes proposed to be taken up are : (i) Interception and diversion of waste waters from the river (ii) Treatment of waste water with recovery of resources such as bioenergy (iii) Other sanitation measures, such as low cost sanitation, biological conservation etc.

9. **Prevention of air and water pollution** : The main items of work under this plan programme are: (i) Grants-in-aid to the Central Pollution Control Board; (ii) Central Water Laboratory; (iii) Reimbursement of Cess to State Governments/Central Pollution Control Board; (iv) Prevention of Coastal Pollution (including laboratory) and (v) Funding of pollutionally relevant schemes.

The Central Pollution Control Board was set up in 1974. With the enactment of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Central Board has also taken up the responsibilities for the prevention and control of air pollution. This also covers grants given for the promotion of common effluent treatment plants.

10. **Impact Assessment:** For environmental impact assessment studies, questionnaires for eliciting information and environmental aspect of development projects as well as specific guidelines in selected sectors have been designed. Under this programme various development programmes are referred to the Department for consideration and are approved by Technical Committees constituted for the purpose.

11. **Other Programmes :-**

These include the following schemes :

(a). Pitamber Pant Fellowship.

(b). National Natural Resources Management System

12. **Capital Outlay on Ecology and Environment :-** Under this scheme, provisions are made for Civil Engineering Works for scientific and Environmental Research.

Forestry and Wild Life.

13. **Research :** Forestry research aims at achieving the twin goals of conservation of natural forests and stepping up of the pace of the afforestation and wasteland development. The Indian Council of Forestry Research & Education (ICFRE) was established in December 1986 by restructuring of Forest Research Institute and Colleges. The following research institutions under ICFRE are functioning in addition to Forest Research Institute, Dehradun which is a National Centre of excellence:-

i) Institute of Wood Science and Technology, Bangalore.
ii) Institute of Forest Genetics and Tree Breeding, Coimbatore.
iii) Institute of Deciduous Forests, Jabalpur.
iv) Institute of Arid Zone Forestry Research, Jodhpur.
v) Institute of Rain and Moist Deciduous Forests Research, Jorhat.

The Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore which is carrying out research and development work for plywood and allied industries came on transfer to this Department from the Department of Industrial Development from 1.5.1990.

14. **Education & Training** : Indira Gandhi National Forest Academy was created on 25.5.87 by up-grading the Indian Forest Colleges and delinking it from Forest Research Institute and Colleges. Academy is reponsible for training of IFS Probationers. Three State

देने के लिए उत्तरदायी है । तीन राज्य वन सेवा कालेज भी देहरादून, बर्नीहाट और कोयम्बदूर में काम कर रहे हैं । ये कालेज राज्य सरकारों के राज्य वन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं । भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना, प्रबंधकीय प्रवीणता तथा वानिकी विशिष्ट पाठ्यक्रमों का आयोजन करके वन अधिकारियों को विशेषज्ञ बनाने के लिए छठी योजना के दौरान एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी ।

15. **वन संसाधनों के सर्वेक्षण और उपयोग :** भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून नियिमित अंतराल पर व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण करता है तथा राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर आयोजना के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें सरल वैज्ञानिक वानिकी आयोजना की सूची के द्वारा किया गया मूल्यांकन भी शामिल है ।

16. **वन संरक्षण, विकास और सम्पोषण :** यह अन्धाधुन्ध वन कटाई को रोकने और वन भूमि को वन-भिन्न उपयोग में परिवर्तित करने को रोकने के लिए पहले से चल रहा कार्यक्रम है। वनों के प्रभावी संरक्षण के लिए वन संरक्षण बल को सुदृढ बनाने, चराई पर नियंत्रण, सिर पर लकड़ी की गठरियों के रूप में ईंधन लकड़ी ले जाने पर प्रतिबंध और वैकल्पिक ईंधन की पूर्ति का पता लगाया गया है। इसके अधीन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं।

(क) **आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण का आरंभ:** योजना का उद्देश्य, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वन अग्नि के निवारण उन्मूलन और संसूचन का सिद्धान्ततः तथा तकनीकी नियंत्रण, परीक्षण तथा प्रदर्शन है।

(ख) **जैवीय हस्तक्षेप से वनों के संरक्षण के लिए आधारभूत संरचना का विकास:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य कुछ राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वर्तमान संरक्षात्मक तंत्र की पुर्नस्थापना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र और संगठित गतिविधियों को प्रभावी रूप से लागू करना आदि है।

(ग) **जनजातीय विकास के लिए लाभकारी प्रचलन स्कीम:** इस का उद्देश्य वृक्ष तथा बांस की खेती और संबंधित गतिविधियों के द्वारा वनों तथा वनों की सीमाप्रांत में रहने वाले जनजातीय परिवारों की आर्थिक पुर्नस्थापना है ।

17. **वन्य उत्पाद :** इस स्कीम के अंतर्गत, वनों के नजदीक रहने वाले लोगों को स्व-रोजगार प्रदान करने के लिए लाख जुताई कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम से विशेषरूप से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होगा जो वन तथा लघु वन उत्पादों पर निर्भर है।

18. **अन्य कार्यक्रम-** इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए प्रावधान किया गया है: (i) क्षेत्रीय मियर्सों के निजी सामान पर सीमाशुल्क और आयात शुल्क। (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भुगतान ।

19. **वन्य जीवन :** भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून वन्यजीव प्रबन्ध पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वन्य जीवन प्रबन्ध में कार्मिकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित लक्ष्य अविलम्ब प्राप्त किए जा सकें ।

राष्ट्रीय चिड़ियाघर देश में केवल एक ऐसा चिड़ियाघर है जो दुर्लभ और संकटापन्न जानवरों का संरक्षण करता है और प्रजनन बढ़ाता है उनके व्यवहार पुनरूत्पत्ति और पोषाहार के संबंध में अनुसंधान करता है।

पशु कल्याण बोर्ड मार्च, 1990 में कृषि मंत्रालय से इस विभाग के अंतरण हुआ है । यह बोर्ड 1962 में जानवरों के निर्दयता से बचाव अधिनियम, 1960 के खंड 4 के अंतर्गत स्थापित किया गया ।

वन्य जीवन के संरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में प्रोजेक्ट टाइगर, नेशनल पार्क तथा वन्य जीवन अभ्याणयों का विकास, अनाधिकार शिकार तथा गैरकानूनी व्यापार का नियंत्रण आसाम में गैंडों का संरक्षण, प्रकृति सम्बन्धी शिक्षा तथा व्यवस्था कार्यक्रम तथा केन्द्रीय वन्य जीवन प्रभाग को संगठित करना तथा विशेष कार्य के लिए परामर्श देना, शामिल है। महत्वपूर्ण संरक्षित प्रबंध अर्थिका विकास पर नई स्कीमें, संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंध आयोजना, प्रोजेक्ट एलीफैन्ट तथा जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सहायता अनुदान 91-92 के दौरान दिया गया ।

20. **राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास मिशन:** राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की स्थापना मई, 1985 में की गई थी जिस का मुख्य उद्देश्य देश में एक विस्तृत वन्यकरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के जरिए बंजरभूमि का उत्पादात्मक प्रयोग करना है । उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्य की समीक्षा करने परजून 1990 में बोर्ड की पुनःस्थापना की गई । यह बोर्ड लोगों से सहयोग लेने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कार्यपरक बनाने तथा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के आयोजन और कार्यान्वियन में आवश्यक आन्तरिक अनुशासनात्मक समन्वय के लिए उद्देश्यपरक कार्य करता है ।

राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम लघु वन उत्पाद, बीज विकास क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी, चारा परियोजना तथा हवाई बीजारोपण के लिए नर्सरी के रूप में काम करती हैं ।

Forest Service Colleges are also functioning at Dehradun, Burnihat and Coimbatore. These colleges are providing training to State Forest Service officers of the State Govts. The Indian Institute of Forest Management was established during the Sixth plan as an autonomous body to develop managerial skills and specialisation of forest officers by conducting forestry specialised courses.

15. **Survey and Utilisation of Forest Resources :** Forest Survey of India, Dehradun carries out comprehensive forest resources survey at regular intervals and presents information for planning at National, State and local levels including evaluation through re-inventory to facilitate scientific forestry planning.

16. **Forest Conservation, Development and Regeneration :** This is an on-going programme to check indiscriminate deforestation and diversion of forest land to non-forest use. Strengthening of Forests protection force, Control on grazing; restriction on removal of fuelwood as head loads and supply of alternative fuels have been identified for effective protection of forests. Following are some of the important schemes under this.

(a) **Introduction of Modern Forest Fire Control:** The objective of the Scheme is to devise, test and demonstrate principles and techniques of prevention, detection and suppression of forest fires in certain areas of Maharashtra and Uttar Pradesh.

(b) **Development of Infrastructure for the protection of forests from biotic interference:** The main objective of scheme is to assist some State Governments and Union Territories to enable them to develop infrastructure for reinforcement of existing protective mechanism and to counteract effectively the armed and organised activities in vulnerable areas etc.

(c) **Beneficiary Oriented Schemes for Tribal Development:** Its objectives are economic rehabilitation of the tribal families living in forest and forest fringes through tree and bamboo farming and allied activities.

17. **Forest Produce:-** This scheme aims at increasing bio-diversity in forest areas and benefitting the tribal and other rural population who are dependent on forest and minor forest produce.

18. **OTHER PROGRAMMES :-** This includes provisions for :- (i) Customs and Import duties on personal effects of foreign experts. (ii) Payment to Kendriya Vidyalaya Sangathan.

19. **Wildlife :** The Wildlife Institute of India, Dehradun imparts training and provides continuing education to in-service officers in Wildlife Conservation and to conduct research work.

The National Zoological Park is the only zoological garden in the country that conserves and breeds rare and endangered animals, conducts research regarding their behaviour, reproduction and nutrition.

The Animal Welfare Board came on transfer to this Deptt. from Ministry of Agriculture in March, 1990. The Board was established in 1962 under section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

The Centrally Sponsored Schemes for preservation of wildlife are Project Tiger Development of National Parks and Wildlife Sanctuaries, Control of Poaching and Illegal Trade, Conservation of Rhinos in Assam, Nature Education and Interpretation Programmes and Strengthening of Central Wildlife Division and Consultancies for special tasks. New schemes on eco-development around important protected areas, Management Planning for pretected areas, Project elephant and grant-in-aid to Zoo Authority of India will be taken up during 91-92.

20. **National Wastelands Development Programme:** National Wastelands Development Board was set up in May, 1985 with the principal aim of bringing under productive use of the wastelands in the country through massive programme of aforestation and tree planting. After review of the work done under the aforesaid programme, the board was re-constituted in June, 1990. The Board adopts a mission approach for enlisting people's participation, harnessing science & technology and achieving the necessary interdisciplinary coordination in the planning and implementation of the wastelands development programme.

The Centrally Sponsored Schemes being implemented by NWDB are People's Nursery, Integrated Wasteland Development Project Scheme, Minor Forest Produce, Seed Development, Area-oriented fuelwood and fodder project and Aerial Seeding.

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No.24

विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	504.31	504.31	...	837.25	837.25	...	518.18	518.18
पूंजी	*Capital*		...	*73.34*	*73.34*	...	*95.30*	*95.30*	...	*66.85*	*66.85*
जोड़	Total		...	*577.65*	*577.65*	...	*932.55*	*932.55*	...	*585.03*	*585.03*
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	39.75	39.75	...	28.12	28.12	...	39.88	39.88
विदेश कार्य	**External Affairs**										
2. राजदूतावास और मिशन	2. Embassies & Missions	2061	...	128.00	128.00	...	150.21	150.21	...	154.06	154.06
3. विशेष राजनयिक व्यय	3. Special Diplomatic Expdr.	2061	...	108.33	108.33	...	94.66	94.66	...	104.25	104.25
4. पासपोर्ट और उत्प्रवास	4. Passport & Emigration	2061	...	15.50	15.50	...	11.98	11.98	...	14.95	14.95
5. हज समिति को आर्थिक सहायता	5. Subsidy to Haj Committee	2061	...	2.24	2.24	...	...	...	...	...	...
6. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	6. International Cooperation										
6.01. संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान	6.01. Subscription to United Nations	2061	...	5.49	5.49	...	5.30	5.30	...	5.53	5.53
6.02. अन्य	6.02 Others	2061	...	1.61	1.61	...	1.88	1.88	...	1.89	1.89
जोड़		*Total*	...	*7.10*	*7.10*	...	*7.18*	*7.18*	...	*7.42*	*7.42*
7. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद को अनुदान	7. Grants to Indian Council for Cultural Relations	2061	...	12.00	12.00	...	11.94	11.94	...	15.00	15.00
8. आतिथ्य संगठन	8. Hospitality Organisation	2061	...	3.00	3.00	...	2.50	2.50	...	3.00	3.00
9. अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें	9. International Conferences/ Meetings	2061	...	0.40	0.40	...	0.23	0.23	...	0.40	0.40
10. खाड़ी निष्क्रमण	10. Gulf Evacuation	2061	...	...	...	...	300.00	300.00	...	0.01	0.01
11. अन्य व्यय	11. Other Expenditure	2061	...	7.00	7.00	...	16.97	16.97	...	9.28	9.28
जोड़ - विदेश कार्य	**Total-External Affairs**		...	**283.57**	**283.57**	...	**595.67**	**595.67**	...	**308.37**	**308.37**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	***Technical & Economic Cooperation with Other Countries***										
12. अन्य देशों के साथ सहयोग	12. Cooperation with Other Countries										
12.01. बंगलादेश	12.01 Bangladesh	3605	...	0.97	0.97	...	6.05	6.05	...	2.12	2.12
		7605	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	10.00	10.00
जोड़		*Total*	...	*5.97*	*5.97*	...	*11.05*	*11.05*	...	*12.12*	*12.12*
12.02. भूटान	12.02 Bhutan	3605	...	72.43	72.43	...	70.29	70.29	...	72.35	72.35
		7605	...	1.34	1.34	...	...	...	...	1.34	1.34
जोड़		*Total*	...	*73.77*	*73.77*	...	*70.29*	*70.29*	...	*73.69*	*73.69*
12.03. नेपाल	12.03 Nepal	3605	...	22.79	22.79	...	16.99	16.99	...	19.63	19.63
		7605	...	...	...	...	35.00	35.00	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*22.79*	*22.79*	...	*51.99*	*51.99*	...	*19.64*	*19.64*
12.04 कम्बोडिया	12.04 Combodia	3605	...	...	...	...	1.50	1.50	...	0.01	0.01
12.05. अन्य विकासशील देश	12.05 Other Developing Countries	3605	...	66.18	66.18	...	107.63	107.63	...	62.53	62.53
12.06. अफ्रीकी निधि के अन्तर्गत सहायता	12.06 Aid under AFRICA Fund	3605	...	16.42	16.42	...	9.00	9.00	...	12.30	12.30
जोड़		*Total*	...	*185.13*	*185.13*	...	*251.46*	*251.46*	...	*180.29*	*180.29*
लोक निर्माण कार्य	***Public Works***										
13. विदेशों में भूमि और भवनों का अधिग्रहण	13. Acquisition of Land & Buildings abroad	4059	...	52.00	52.00	...	47.00	47.00	...	48.50	48.50
आवास	**Housing**										
14. रिहायशी भवन	14. Residential Buildings	4216	...	15.00	15.00	...	8.30	8.30	...	7.00	7.00
आपूर्ति और निपटान	**Supplies and Disposals**										
15. भारत आपूर्ति मिशन	15. India Supply Mission	2057	...	2.20	2.20	...	2.00	2.00	...	0.99	0.99
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*577.65*	*577.65*	...	*932.55*	*932.55*	...	*585.03*	*585.03*

1. **सचिवालय** - इस शीर्ष के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय की तथा विदेशों में प्रचार कार्य के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। संशोधित अनुमान 1990-91 में बजट अनुमान 1990-91 की तुलना में कम्प्यूटरीकरण और आपातकालीन संचार श्रृंखला में अनुमान से कम व्यय होने के कारण बचत हुई थी ।

2. **राजदूतावास और मिशन**-इसके अन्तर्गत विदेशों मे भारत के प्रतिनिधित्व पर व्यय के लिए व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न देशों में हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए आकार और स्तर की दृष्टि से अलग- अलग है। विदेशों में 140 मिशन / पोस्ट हैं । बजट अनुमान 1990-91 की तुलना में संशोधित अनुमान 1990-91 और बजट अनुमान 1991-92 में अधिक व्यवस्था — अमेरिकी डालर, पौंड स्टर्लिंग और जर्मन मार्क जैसी मुख्य विदेशी मुद्राओं में और इसी प्रकार भारतीय रुपए की विनिमय दरों में विश्वव्यापी प्रतिकूल परिवर्तन और विश्व भर में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप रहने की स्थानीय लागत और किराए में वृद्धि के कारण है ।

3. **विशेष राजनयिक व्यय** - इसके अन्तर्गत विवेकाधीन व्यय के लिए व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 1990-91 की अपेक्षा संशोधित अनुमान 1990-91 और बजट अनुमान 1991-92 में बचत हुई है।

4. **पासपोर्ट और उत्प्रवास** - इसमें भारत में 24 पासपोर्ट कार्यालयों के व्यय की व्यवस्था की गई है । बजट अनुमान 1990-91 की तुलना में संशोधित अनुमान 1990-91 में कम्प्यूटीकरण कार्यक्रम और पासपोर्ट पुस्तिकाओं और फार्मों की छपाई के लिए कम की गई व्यवस्थाओं के कारण बचत हुई थी ।

1. **Secretariat** – This provides for the expenditure on Secretariat of Ministry of External Affairs and expenditure on External Publicity. There was saving in RE 1990-91 in comparison to BE 1990-91 due to reduction made in provision for computerisation and Emergency Telecommunication Links.

2. **Embassies & Missions** - This provides for expenditure of India's representation abroad, varying in size and level with regard to our interest in different countries. There are 140 Missions/Posts abroad. The enhanced provision in RE 1990-91 and BE 1991-92 in comparison to BE 1990-91 is due to global adverse exchange rate fluctuations of major foreign currencies like U.S. dollar, Pound sterling and German Mark vis-a-vis Indian Rupee and the world-wide inflationary trends resulting in increase of local cost of living and also in rentals etc.

3. **Special Diplomatic Expenditure:-** This provides for discretionary expenditure. There is a saving in RE 1990-91 and BE 1991-92 in comparison to BE 1990-91.

4. **Passport and Emigration :-** This provides for expenditure on 24 passport offices in India. There was saving in RE 1990-91 in comparison to BE 1990-91 due to reduced provisions for computerisation programme and printing of passport booklets and forms.

6. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** - इस शीर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमण्डलीय सचिवालय, राष्ट्रमण्डल फाउंडेशन, दक्षेस सचिवालय को दिए जाने वाले अंशदान की अनिवार्य अदायगी पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है। 1990-91 के बजट अनुमान की तुलना में 1990-91 के संशोधित अनुमान और 1991-92 के बजट अनुमान में न्यूनतम वृद्धि मुद्राविनिमय दर में घटबढ़ और भारत के अंशदान में वृद्धि के कारण है ।

7. **सहायता अनुदान** - इस शीर्ष में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अन्य स्वायत्त संगठनों को सहायता अनुदान दिए जाने के लिए व्यवस्था की गई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् भारत और अन्य मित्र देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । बजट अनुमान 1990-91 की अपेक्षा बजट अनुमान 1991-92 में जो वृद्धि की गई है, वह हवाई किराए और होटल आवास आदि की लागत में वृद्धि तथा भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण की गई है।

8. **आतिथ्य संगठन** :- इसके अन्तर्गत भारत की यात्रा पर आने वाले संभ्रांतजनों के आतिथ्य के लिए व्यवस्था की गई है। ।

9. **अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें** :- इसमें मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकों पर व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है । संशोधित अनुमान 1990-91 में बजट अनुमान 1990-91 की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की संख्या कम होने के कारण बचत हुई है । बजट अनुमान 1991-92 में व्यवस्था बजट अनुमान 1990-91 के स्तर पर ही रखी गई थी ।

10. **खाड़ी निष्क्रमण**- खाड़ी निष्क्रमण पूर्णतया बजट के बाद की एक अप्रत्याशित घटना है । कुवैत पर इराकी कब्जे के नतीजे के रूप में खाड़ी में उत्पन्न युद्ध जैसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप लगभग 1.50 लाख भारतीयों को चार्टर्ड समुद्री जहाज सेवाओं और भारतीय वायुसेना/एअर इंडिया उड़ानों जैसे सभी यातायात के साधनों का प्रयोग करके कुवैत और इराक से बाहर निकालना पड़ा । सरकारी निर्णय के अनुसार, इन भारतीयों को भारत में पहुँचने पर आर्थिक सहायता देनी पड़ी जो कमोबेश निराश्रित थे । इसके परिणामस्वरूप 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ । 1990-91 के संशोधित अनुमानों में इसके लिए व्यवस्था की गई है। वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान में लम्बित बिलों के भुगतान के लिए सांकेतिक रूप से 0.01 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया ।

11. **अन्य व्यय** - इसमें पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं पर सीमांकन करने, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में प्रतिनिधिमंडल भेजने जिसमें उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राएं, शामिल हैं, के साथ ही संघ विदेश मंत्रालय होस्टल, विदेशों में स्थित मिशनों में गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस इत्यादि मनाने के लिए व्यवस्था की गई है । 1990-91 के बजट अनुमान की तुलना में 1990-91 के संशोधित अनुमान और 1991-92 के बजट अनुमान में वृद्धि द्वितीय विश्वयुद्ध के बर्मा शरणार्थियों को दिए ऋण को बट्टेखाते में डालने के निर्णय और सीमाओं के सीमांकन के लिए अधिक आवंटन के कारण है । संशोधित अनुमान 1990-91 के मामले में बजट अनुमान 1990-91 में पर्याप्त वृद्धि के लिए जिम्मेदार अन्य कारक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को 9.04 करोड़ रुपए की सहायता देने से संबंधित सरकारी निर्णय है ।

12. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग**- इसमें बंगलादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, अफगानिस्तान, मारिशस जैसे पड़ोसी देशों और अन्य विकासशील देशों के साथ सम्पन्न द्विपक्षीय करारों और अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत आर्थिक और तकनीकी सहायता दिए जाने के लिए व्यवस्था है । बजट अनुमान 1990-91 की अपेक्षा संशोधित अनुमान 1990-91 में वृद्धि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ को राहत सहायता और नेपाल को आवर्ती ऋण/उधार के कारण है । इस व्यवस्था में अफ्रीका निधि के अन्तर्गत शेष अपेक्षाओं और विपत्ति सहायता के लिए व्यवस्था भी है ।

13. **विदेश में भूमि और भवनों का अधिग्रहण**— इसमें विदेश-स्थित मिशनों द्वारा कार्यालय तथा रिहायशी उद्देश्यों के लिए भवनों के निर्माण और अधिग्रहण पर व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है ।

15. **भारत आपूर्ति मिशन** :— लन्दन और वाशिंगटन स्थित आपूर्ति विंगों पर व्यय करने का इसमें प्रावधान है । इन मिशनों में थोड़ा सा स्टाफ रखकर उनको बन्द करने के सरकारी निर्णय के कारण इस प्रावधान में कमी की है । स्थानीय स्टाफ को आवधिक लाभ का भुगतान और भारत-अस्थायी कार्मिक के स्थानान्तरण के कारण बजट अनुमान 1990-91 की अपेक्षा में संशोधित अनुमान 1990-91 में सीमान्त कमी हुई ।

6. **International Cooperation** :- This provides for the expenditure on mandatory payment of subscription to UNO, Commonwealth Secretariat, Commonwealth Foundation, SAARC Secretariat. The marginal increase in RE 1990-91 and BE 1991-92 in comparison to BE 1990-91 is due to exchange rate fluctuations and increase in India's share of contribution.

7. **Grant-in-Aid** - This provides for Grant-in-Aid to Indian Council of Cultural Relations and other autonomous organisations. The Indian Council of Cultural Relations is playing an important role in promoting the cultural relations between India and other friendly countries. The increased provision in BE 1991-92 over BE 1990-91 is due to increase in cost of air fares and hotel accommodations etc. and sharp increase in the expenditure of ICCR on Scholarships granted to the Foreign Students studying in India.

8. **Hospitality Organisation** - This provides for expenditure on entertainment of dignitaries visiting India.

9. **International Conferences/Meetings** :- This provides for the expenditure on International Conferences/Meetings. There was saving in RE 1990-91 in comparison to BE 1990-91 due to lesser number of international conferences. The provision in BE 1991-92 has been maintained at the level of BE 1990-91.

10. **Gulf Evacuation** : The Gulf Evacuation was a totally unanticipated post-budgetary development. Consequent upon war-like conditions created in the Gulf as a sequel to Iraqi occupation of Kuwait, about 1.50 lakh Indian Nationals had to be evacuated from Kuwait and Iraq, using all modes of transportations such as Chartered Shipping Services and IAF/Air India flights. As per Government decision, cash assistance had to be doled out to these Indians on arrival in India, who were more or less destitutes. This has resulted in an additional expenditure of Rs. 300 crores. A provision for the same was made in RE 1990-91. A token provision of Rs.0.01 crore has been made in BE 1991-92 for meeting the pending bills.

11. **Other Expenditure** - This includes provision for demarcation of Boundaries with neighbouring Countries. Delegation to UN etc. including Vice President's visits abroad, External Affairs Hostel, Republic Day and Independence Day Celebrations in Missions abroad etc. Increase in RE 1990-91 and BE 1991-92 as compared to BE 1990-91 is due to decision to write-off loans to Burma evacuees of World-war II and higher allocation for demarcation of boundaries. In the case of RE 1990-91 another factor responsible for substantial increase over BE 1990-91 is the Government decision to extend an aid of Rs. 9.04 crores to African National Congress.

12. **Technical and Economic Cooperation with Other Countries**:- This provision is made for extending the Technical and Economic Assistance under various bilateral agreements and other special programmes to neighbouring and other developing countries like Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, Burma, Afghanistan, Mauritius, and many other countries. The increase in RE 1990-91 in comparison to BE 1990-91 was due to relief assistance to USSR and revolving credit/loan to Nepal. The provision also caters for the residual requirements of aid under AFRICA Fund and also for disaster relief.

13. **Acquisition of Land and Buildings abroad** :- This provides for expenditure on acquisition and construction of buildings for office and residential purposes in Missions abroad.

15. **India Supply Mission** :— This provides for expenditure on Supply Wings in London & Washington. The reduction in provision is due to Government decision to wind up these Missions retaining only skeleton staff. The marginal reduction in RE 1990-91 over BE 1990-91 was due to payment of terminal benefits to local staff and transfer of India-based personnel.

वित्त मंत्रालय *MINISTRY OF FINANCE*

मांग संख्या DEMAND No.25

आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		28.75	391.96	420.71	22.65	453.17	475.82	25.01	390.90	415.91
पूंजी	*Capital*		*35.00*	*205.15*	*240.15*	*8.00*	*151.20*	*159.20*	*4.99*	*157.64*	*162.63*
जोड़	**Total**		**63.75**	**597.11**	**660.86**	**30.65**	**604.37**	**635.02**	**30.00**	**548.54**	**578.54**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	12.89	12.89	...	10.80	10.80	...	10.43	10.43
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. राष्ट्रीय बचत संगठन	2. National Savings Organisation	2047	...	8.00	8.00	...	7.76	7.76	...	8.45	8.45
3. अनिवार्य जमा योजना, (आयकरदाता) 1974 के अन्तर्गत जमा रकम पर ब्याज	3. Interest on deposits under Compulsory Deposits (Income Tax Payers) Scheme,1974	2047	...	55.00	55.00	...	50.00	50.00	...	20.00	20.00
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	2047	...	3.29	3.29	...	3.00	3.00	...	2.38	2.38
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
5. अन्य व्यय	5. Other Expenditure	2070	0.10	2.53	2.63	...	2.40	2.40	0.01	2.63	2.64
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
6. विनिमय द्वारा निवल हानि	6. Net loss by exchange	2075	...	...	...	...	72.00	72.00	...	...	...
7. अन्य कार्यक्रम	7. Other programmes	2075	...	0.13	0.13	...	0.09	0.09	...	0.13	0.13
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Social Security and Welfare**										
8. साधारण बीमा कंपनी आदि के माध्यम से गरीबों के लिए बीमा-योजना	8. Insurance schemes for the poor through GIC,etc.	2235	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	15.00
9. भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए बीमा योजना	9. Insurance scheme for landless agricultural labourers	2235	6.00	...	6.00	...	...	...	...	...	...
10. नवम्बर 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों के उधार पर ब्याज राहत	10. Interest Relief on loans to persons affected by November 1984 Riots	2235	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
11. अन्य व्यय	11. Other Expenditure	2235	...	0.23	0.23	...	0.20	0.20	...	0.23	0.23
अन्य उद्योगों और खनिजों के लिए ऋण	**Loans for other Industries and Minerals**										
12. उत्पाद-शुल्क राहत योजना के अंतर्गत ऋण	12. Loans under the Excise Relief Scheme	6885	...	100.00	100.00	...	48.43	48.43	...	105.00	105.00
रेलवे को ऋण	**Loans to Railways**										
13. रेलवे विकास निधि को ऋण	13. Loans to Railways Development Fund	7002	...	57.15	57.15	...	54.78	54.78	...	...	...
नौवहन के लिए ऋण	**Loans for Shipping**										
14. नौवहन कंपनियों के लिए ऋण	14. Loans to shipping companies	7052	35.00	...	35.00	8.00	...	8.00	4.99	...	4.99
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
15. लाभांश राहतों और अन्य रियायतों के द्वारा रेलवे को आर्थिक सहायता	15. Subsidy to Railways towards dividend reliefs and other concessions	3075	...	278.75	278.75	...	275.62	275.62	...	314.11	314.11
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
16. शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम	16. Self Employment Programme for Urban poor	3475	17.65	...	17.65	17.65	...	17.65	15.00	...	15.00
17. युद्ध-जोखिम (मेरिन-हल्स) पुनर्बीमा योजनाएं आदि	17. War Risks (Marine Hulls) Re-insurance Schemes etc.	3475	...	0.81	0.81	...	0.75	0.75	...	1.20	1.20
18. आपात जोखिम बीमा निधियों को/से निवल अंतरण	18. Net transfers to/from Emergency Risks Insurance Funds	3475	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
19. भारतीय निवेश केन्द्र को अनुदान	19. Grants to Indian Investment Centre	3475	...	3.80	3.80	...	3.66	3.66	...	2.59	2.59
20. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	20. International Cooperation	3475	...	1.38	1.38	...	1.72	1.72	...	1.72	1.72
21. अन्य व्यय	21. Other Expenditure	3475	...	1.98	1.98	...	2.00	2.00	...	2.53	2.53
अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग	**Technical and Economic Cooperation with other Countries**										
22. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को अंशदान	22. Contribution to U.N.D.P.	3605	...	8.12	8.12	...	8.12	8.12	...	8.12	8.12
23. अन्य देशों के साथ सहयोग	23. Cooperation with other countries	3605	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	3.33	3.33
जोड़		*Total*	...	*10.12*	*10.12*	...	*10.12*	*10.12*	...	*11.45*	*11.45*
25. विदेशी सरकारों को अग्रिम	24. Advances to Foreign Governments										
(क) मारीशस	(a) Mauritius	7605	...	1.50	1.50	..	5.50	5.50		3.80	3.80
(ख) गुयाना	(b) Guyana	7605	...	7.00	7.00	..	4.05	4.05	..	5.50	5.50
(ग) श्रीलंका	(c) Sri Lanka	7605	...	15.00	15.00	..	5.00	5.00		10.00	10.00
(घ) वियतनाम	(d) Vietnam	7605	...	12.00	12.00	..	14.62	14.62		10.71	10.71

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
(ङ) सूरीनाम	(e) Surinam	7605	...	4.06	4.06	...	0.01	0.01	...	4.00	4.00
(च) जाम्बिया	(f) Zambia	7605	...	7.00	7.00	...	1.00	1.00	...	8.00	8.00
(छ) मोजाम्बिक	(g) Mozambique	7605	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.11	0.11
(ज) निकारागुआ	(h) Nicaragua	7605	...	1.30	1.30	...	3.48	3.48	...	...	...
(झ) नामिबिया	(i) Namibia	7605	...	...	...	...	0.50	0.50	...	8.50	8.50
(ञ) अफगानिस्तान	(j) Afghanistan	7605	...	...	...	...	11.70	11.70	...	0.01	0.01
(ट) सिसली	(k) Seychelles	7605	...	...	...	...	0.50	0.50	...	2.00	2.00
(ठ) कोलम्बिया	(l) Combodia	7605	...	...	...	...	1.49	1.49	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*48.00*	*48.00*	...	*47.99*	*47.99*	...	*52.64*	*52.64*
कुल जोड़	***Grand Total***		*63.75*	*597.11*	*660.86*	*30.65*	*604.37*	*635.02*	*30.00*	*548.54*	*578.54*
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	13475	17.65	...	17.65	17.65	...	17.65	15.00	...	15.00
नौवहन	Shipping	13052	35.00	...	35.00	8.00	...	8.00	4.99	...	4.99
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	22235	11.00	...	11.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services	32070	0.10	...	0.10	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़	**Total**		63.75	...	63.75	30.65	...	30.65	30.00	...	30.00

1. इसमें आर्थिक कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है ।

1. The provision is for the Secretariat expenditure of the Department of Economic Affairs.

2. इसमें देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित राष्ट्रीय बचत संगठन के व्यय की व्यवस्था है ।

2. The provision is for expenditure of National Savings Organisation with its net work of regional offices all over the country.

3. यह व्यवस्था अनिवार्य जमा (आयकरदाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत ब्याज संदायों पर व्यय के लिए है ।

3. The provision is for expenditure on interest payment under the Compulsory Deposits (Income-tax Payers) Scheme, 1974.

4. इसमें मुख्यतः बचत प्रमाण पत्रों, चैक आदि के मुद्रण की लागत और अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत अदायगियां शामिल हैं ।

4. The provision is mainly for cost of printing saving certificates, cheque books etc. and payments under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

5. यह व्यवस्था,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड आदि के लिए की गई है।

5. Provision is for the National Industrial Tribunal set up for regional rural bank employees, Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction, Board for Industrial and Financial Reconstruction, etc.

6. यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के खाते से भारत से प्रेषित धनराशियों के संबंध में, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली निवल घट-बढ़ की द्योतक है ।

6. This represents the net effect due to exchange variations in respect of remittances from India on Central Government's account.

7. इसमें मुख्यतः मियाद निकले हुए मामलों में केन्द्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान और सरकारी खातों में जमा अदावी प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान आदि के लिए व्यवस्थाएं शामिल हैं ।

7. Includes provision mainly for interest payment on Central securities in time-barred cases and payment in connection with unclaimed securities credited to Government Accounts, etc.

8. यह व्यवस्था साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्धनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं के लिए है ।

8. The provision is for various insurance schemes for the poor through GIC and its subsidiaries.

9. भारतीय जीवन बीमा निगम ने 15 अगस्त 1987 से देश भर में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक ग्रुप बीमा योजना शुरू की है । इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए की बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है और किसी भी भूमिहीन कृषि मजदूर की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके द्वारा नामित व्यक्ति को जीवन बीमा निगम द्वारा यह रकम अदा की जाती है । इस योजना से लगभग 30 करोड़ भूमिहीन कृषि मजदूरों को फायदा पहुंचेगा । योजना जिसने 14 अगस्त, 1990 को 3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है, वह अगले 3 वर्ष तक जारी रहेगी । 1990-91 से प्रभावी इस योजना के प्रीमियम लागत का जीवन बीमा निगम द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुरक्षा निधि से वित्तपोषण किया जा रहा है । इसलिए इस योजना के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

9. A group insurance scheme for landless agricultural labourers was introduced all over the country by the Life Insurance Corporation of India with effect from 15th August, 1987. The scheme envisages insurance cover of Rs.1000/- which is payable by Life Insurance Corporation to the nominee of a landless agricultural labourer in the event of his death. It will benefit nearly 30 million landless agricultural labourers. The scheme which completed the initial period of 3 years on 14th August 1990 will continue for a further period of 3 years. Effective from 1990-91 the premium cost of the scheme is being financed from a Social Security Fund set up by LIC. No provision for this scheme has, therefore, been made.

10. इसमें नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को उनके अपने सामान्य व्यवसाय में लगाने, अपने घरों की मरम्मत आदि करने में समर्थ बनाने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज संबंधी राहत देने की व्यवस्था की गई है ।

10. The provision is made for providing interest relief on loans advanced by the commercial banks to persons affected by November, 1984 riots, to enable them to reestablish themselves in their normal occupation and for repairs to their houses, etc.

11. इसमें गरीबों के लिए प्रतिरक्षित बचत योजना के लिए बीमे के अंश की व्यवस्था शामिल है ।

11. This includes provision for the insurance element of Protected Savings Scheme for the poor.

12. इस योजना के अधीन वित्तीय रूप से कमजोर इकाईयों को पुनःगतिशीलता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क की सीमा तक ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था है ।

13. संशोधित अनुमान में यह व्यवस्था रेलवे को उसके पिछले उधारों पर सामान्य राजस्व को ब्याज की अदायगी करने के लिए उधार दिए जाने के लिए की गई है ।

14. यह व्यवस्था भूतपूर्व नौवहन विकास निधि समिति की पिछली वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए नौवहन कम्पनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है ।

15. इसके अंतर्गत सामान्य राजस्व में से रेलवे को देय लाभांश राहत और अन्य रियायतों के स्थान पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था है।

16. शहरी निर्धनों के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम योजना 1 सितम्बर 1986 से प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत एक ऋणकर्ता 5000 रुपए तक ऋण लेने का पात्र है जिस पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाएगा । केन्द्रीय सरकार बैंकों को 25 प्रतिशत की पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है । यह योजना 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले उन क्षेत्रों पर लागू है, जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते ।

17 और 18. विभिन्न जोखिम बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त प्रीमियमों को लोक खाते की आरक्षण निधि में अन्तरित कर दिया जाता है जिसमें से इन योजनाओं के व्यय को पूरा किया जाता है । इन लेन देनों को भारतीय समेकित निधि के माध्यम से पूरा किया जाता है । यह व्यवस्था मुख्यतया युद्ध जोखिम (मेरीन हल्ज) पुनः बीमा के लिए है । इसमें आपात जोखिम (माल, कारखाने तथा उपक्रम) बीमा योजनाओं की बकाया राशि का निपटान भी शामिल है ।

19. यह अनुदान भारतीय निवेश केन्द्र को अपना स्थापना व्यय पूरा करने के लिए दिया जाता है । यह केन्द्र भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश सहित विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करता है, विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात सुलभ कराता है और भारत की निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं आदि के बारे में समुद्रपारीय निवेशकों को सूचना प्रदान करता है ।

20. इसमें एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता योजना, तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्र मंडल निधि में अंशदान और अफ्रीकी विकास बैंक के साथ तकनीकी सहयोग करार के अन्तर्गत विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं के लिए व्यवस्थाएं शामिल है ।

21. इसमें भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण, वाशिंगटन और ब्रुसेल्ज, में भारत के राजदूतावास के आर्थिक स्कंध और राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसंधान परिषद आदि के लिए व्यवस्था शामिल है ।

22 व 23. इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में अंशदान और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता दिए जाने की व्यवस्था शामिल है । 1991-92 के बजट अनुमान में विश्व पर्यावरणीय सुविधा के अंशदान के लिए 1.33 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित एक प्रमुख कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को उनके ऐसे कार्यक्रम, जो विश्व पर्यावरण का संरक्षण करते हैं, के लिए सहायता देने के लिए उन्हें अनुदान अथवा रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे । कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व पर्यावरण न्यास निधि स्थापित की गयी है ।

24. इसके अन्तर्गत मित्र विकासशील देशों को आसान शर्तों पर सहायता के लिए व्यवस्था की गई है ।

12. Under this Scheme financially weak units are eligible for an interest free loan limited to part of the excise duty payable by them with the objective of helping them regain viability.

13. Provision made in the Revised estimates is for payment of loans to Railways for paying interest to General Revenues on past loans.

14. The provision is for providing financial assistance to the shipping companies in respect of past commitments of the erstwhile Shipping Development Fund Committee.

15. This represents subsidy towards dividend relief and other concessions payable to the Railways from General Revenues.

16. The scheme for self employment programme for urban poor was introduced with effect from 1st September, 1986. Under this Scheme, a borrower is eligible for a loan upto Rs.5,000 at 10 % per annum. Central Government provides capital subsidy of 25% to the banks. The scheme is applicable to areas with a population of 10,000 or more which are not covered by IRDP.

17 & 18. The premia received under the various risk insurance schemes are transferred to reserve funds in the Public Account from which expenditure under the schemes is met. These transactions are routed through the Consolidated Fund of India. The provision for expenditure mainly relates to War Risks (Marine Hulls) Reinsurance Scheme; it also includes settlement of arrear dues under the emergency risk (goods, factories and undertakings) insurance schemes.

19. The grant assistance is intended to enable IIC to meet its establishment expenditure. The IIC promotes foreign investments in India, including from non-resident Indians, facilitates import of technology from abroad and provides information to overseas investors about India's investment policies and procedures.

20. This includes provision for technical assistance scheme of the Asian Development Bank, contribution to Commonwealth Fund for Technical Cooperation and cost of experts and consultants under Technical Cooperation Agreement with African Development Bank.

21. This includes expenditure on training of Indian Economic Service officers; Economic wing of the Embassy of India, Washington and Brussels; and grants to National Council of Applied Economic Research; Indian Council for Research in International Economic Relations, etc.

22 & 23. This includes provision for contribution to UNDP and technical aid to South and South East Asia under the Colombo Plan. BE 1991-92 also includes a provision of Rs. 1.33 crores for contribution to the Global Environmental Facility, a pilot programme developed by World Bank, UNDP and UNEP, under which grants or concessional loans will be provided to developing countries to help them implement programme that protect the global environment. For funding the programme a Global Environment Trust Fund has been set up.

24. This provision is intended for providing credits on soft term basis to friendly developing countries.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
मांग संख्या DEMAND No.26
करैंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प Currency, Coinage and Stamps

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	22.24	22.24	...	60.74	60.74	...	53.56	53.56
पूंजी	*Capital*		...	*122.56*	*122.56*	...	*60.35*	*60.35*	...	*105.29*	*105.29*
जोड़	**Total**		...	**144.80**	**144.80**	...	**121.09**	**121.09**	...	**158.85**	**158.85**
करैंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	**Currency,Coinage & Mints**										
1. करैंसी नोट प्रेस	1. *Currency Note Press*										
1.01. राजस्व व्यय	1.01 Revenue Expenditure	2046	...	77.27	77.27	...	94.25	94.25	...	93.02	93.02
1.02. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	1.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-90.00	-90.00	...	-98.00	-98.00	...	-113.63	-113.63
1.03 *निवल*	1.03 *Net*		...	-12.73	-12.73	...	-3.75	-3.75	...	-20.61	-20.61
1.04 पूंजीगत व्यय	1.04 Capital Expenditure	4046	...	10.68	10.68	...	5.39	5.39	...	6.20	6.20
2. बैंक नोट प्रेस	2. *Bank Note Press*										
2.01 राजस्व व्यय	2.01 Revenue Expenditure	2046	...	74.03	74.03	...	78.47	78.47	...	81.34	81.34
2.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	2.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-72.00	-72.00	...	-72.00	-72.00	...	-67.94	-67.94
2.03 *निवल*	2.03 *Net*		...	2.03	2.03	...	6.47	6.47	...	13.40	13.40
2.04 पूंजीगत व्यय	2.04 Capital Expenditure	4046	...	11.09	11.09	...	17.04	17.04	...	8.00	8.00
3. *सिक्यूरिटी पेपर मिल*	3. *Security Paper Mill*										
3.01 राजस्व व्यय	3.01 Revenue Expenditure	2046	...	30.83	30.83	...	34.05	34.05	...	48.60	48.60
3.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	3.02 Less - Revenue Receipts	0046	...	-44.00	-44.00	...	-44.14	-44.14	...	-55.97	-55.97
3.03 *निवल*	3.03 *Net*		...	-13.17	-13.17	...	-10.09	-10.09	...	-7.37	-7.37
3.04 पूंजीगत व्यय	3.04 Capital Expenditure	4046	...	4.56	4.56	...	3.05	3.05	...	0.90	0.90
4. नई नोट प्रेसें	4. New Note Presses	4046	...	1.00	1.00	...	-2.98	-2.98	...	0.02	0.02
5. टकसाल	5. Mints	2046	...	38.94	38.94	...	36.92	36.92	...	42.40	42.40
		4046	...	23.27	23.27	...	6.59	6.59	...	37.90	37.90
जोड़		*Total*	...	*62.21*	*62.21*	...	*43.51*	*43.51*	...	*80.30*	*80.30*
6. धातुओं की खरीद	6. Purchase of Metals	4046	...	51.23	51.23	...	15.56	15.56	...	41.50	41.50
7. स्वर्ण और चांदी की खरीद	7. Purchase of Gold and Silver	4046	...	2.50	2.50	...	5.23	5.23	...	2.52	2.52
8. सिक्कों का आयात	8. Import of Coins	4046	...	-0.80	-0.80	...	-0.79	-0.79	...	-0.79	-0.79
9. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को समाप्त करने पर हानि	9. Loss on destruction of withdrawn coins	2046	...	2.00	2.00	...	2.53	2.53	...	3.50	3.50
10. एक रुपए के नोटों के फार्मों की लागत	10. Cost of one rupee note forms	2046	...	7.50	7.50	...	4.15	4.15	...	3.15	3.15
11. अन्य व्यय	11. Other Expenditure	2046	...	1.26	1.26	...	0.26	0.26	...	0.10	0.10
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
12. *इंडिया सिक्यूरिटी प्रैस*	12. *India Security Press*										
12.01 राजस्व व्यय	12.01 Revenue Expenditure	2047	...	53.04	53.04	...	79.55	79.55	...	73.00	73.00
12.02 घटाइए- राजस्व प्राप्तियां	12.02 Less - Revenue Receipts	0047	...	-54.00	-54.00	...	-54.00	-54.00	...	-55.00	-55.00
12.03 *निवल* जोड़	12.03 *Net*	*Total*	...	*-0.96*	*-0.96*	...	*25.55*	*25.55*	...	*18.00*	*18.00*
12.04 पूंजीगत व्यय	12.04 Capital Expenditure	4047	...	12.03	12.03	...	5.78	5.78	...	7.00	7.00
13. *सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस*	13. *Security Printing Press*										
13.01 राजस्व व्यय	13.01 Revenue Expenditure	2047	...	13.28	13.28	...	11.88	11.88	...	16.10	16.10
13.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	13.02 Less - Revenue Receipts	0047	...	-19.00	-19.00	...	-17.00	-17.00	...	-19.00	-19.00
13.03 *निवल* जोड़	13.03 *Net*	*Total*	...	*-5.72*	*-5.72*	...	*-5.12*	*-5.12*	...	*-2.90*	*-2.90*
13.04 पूंजी व्यय	13.04 Capital Expenditure	4047	...	7.00	7.00	...	5.48	5.48	...	2.04	2.04
14. अन्य व्यय	14. Other Expenditure	2047	...	3.09	3.09	...	3.82	3.82	...	3.89	3.89
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***144.80***	***144.80***	...	***121.09***	***121.09***	...	***158.85***	***158.85***

1. **करैंसी नोट प्रेस, नासिक**, भारत सरकार के लिए एक रुपए के नोट तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लिए 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तथा 50 रुपए के नोटों का मुद्रण करता है तथा उनकी पूर्ति करता है। 100 रुपए को नोटों का मुद्रण कार्य 1991-92 के दौरान शुरु किया जाएगा।

1. **Currency Note Press, Nashik**, prints and supplies one rupee currency notes for the Government of India and bank notes of the denominations of Rs.2/-, Rs.5/-, Rs.10/- and Rs.50/- for the Reserve Bank of India. The printing of Rs.100/- denomination will be started during 1991-92.

सम्पन्न कार्य का विवरण Performance data:

(दस लाख, अदद Million pieces)

1989-90		1990-91	
लक्ष्य Target	उत्पादन Production	लक्ष्य Target	उत्पादन Production
4600	4525	4100	4442

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था आधुनिकीकरण स्कीम चरण । तथा अग्नि-शमन संबंधी सिविल निर्माण कार्य, भांडागारण, भंडारण, ज्वलनशील तरल

The provision under capital is towards outstanding payments relating to phase I of the modernisation scheme and for civil works

पदार्थ आदि के लिए और करेंसी नोट प्रैस के आधुनिकीकरण के लिए है।

towards fire fighting, warehousing, storage inflammable liquids etc. and for modernisation of CNP

2. **बैंक नोट प्रैस देवास** 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तथा 500 रुपए के बैंक नोटों का मुद्रण करता है । प्रेस अपनी आवश्यकता के साथ-साथ भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, करेंसी नोट मुद्रणालय, प्रतिभूति मुद्रणालय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्याही का निर्माण भी करता है।

2. **Bank Note Press, Dewas** prints bank notes of denominations of Rs.20/-, Rs.50/-, Rs.100/- and Rs.500/-. The Press also manufactures and partly meets the requirement of inks of India Security Press, Currency Note Press and Security Printing Press, besides its own.

सम्पन्न कार्य का विवरण Performance data: (दस लाख अदद Million pieces)

1989-90		1990-91	
लक्ष्य Target	उत्पादन Production	लक्ष्य Target	उत्पादन Production
2016	1717	1937	1824

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था ब्लाक।। फिनिशिंग सैक्शन के विस्तार, विशेष वैगनों की अधिप्राप्ति, तथा क्वार्टरों की व्यवस्था को छोड़कर चालू मदें सिविल निर्माण कार्यों के लिए तथा उत्पादन की दो नई लाइनों की संस्थापना के लिए है।

The provision under capital is towards extension of block II finishing section, procurement of special wagons for consignments and for ongoing civil works excluding provisions of quarters and for installing two new lines of production.

3. **प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद**, करेंसी नोटों के काम आने वाले कागज तथा बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट मुद्रणालय के साथ-साथ भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की अन्य प्रतिभूति विषयक कागजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिभूति कागज का निर्माण करता है । कारखाने की कागज उत्पादन करने की प्रतिष्ठापित क्षमता 6000 मीट्रिक टन वार्षिक है। वर्ष 1990-91 में 3388 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था।

3. **Security Paper Mill, Hoshangabad**, manufactures paper for making currency notes and other security paper required by Bank Note Press and Currency Note Press as well as India Security Press. The installed capacity of the Mill is 6000 metric tonnes of paper per annum. The production in 1990-91 was 3388 MTs.

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था सिविल निर्माण कार्यों के लिए है।

The provision under capital is towards expenditure on civil works.

4. दो नए नोट प्रैस, एक सालबनी (पश्चिम बंगाल) में तथा दूसरा मैसूर (कर्नाटक) में स्थापित किए जा रहे हैं। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को अन्तरित करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को उसके द्वारा अन्तरण पूर्व इन प्रैसों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर दी है। वर्ष 1991-92 में सांकेतिक व्यवस्था कुछ शेष देय राशियों के निपटान के लिए है।

4. It has been decided to transfer the two new Note Presses, being set up one at Salboni in West Bengal and the other at Mysore in Karnataka, to Reserve Bank of India. RBI has reimbursed the Government the expenditure on these Presses incurred by it prior to the transfer. The token provision in 1991-92 is for clearance of some residuary dues.

5. **भारत सरकार टकसालें** : बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा स्थित भारत सरकार की टकसालें भारत सरकार के लिए सिक्कों की ढलाई करती है, चलन से बाहर निकाले गए सिक्कों का परीक्षण करती है तथा इन को समाप्त करती है तथा जाली और संदिग्ध सिक्कों के बारे में अपनी विशेषज्ञ राय देती है। ये सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य संस्थानों अर्थात विश्वविद्यालयों के लिए मेडलों का भी निर्माण करती है । बम्बई तथा कलकत्ता टकसालों के साथ संलग्न धातु परख विभाग सोने चांदी तथा मिश्रित धातुओं की जिनका प्रयोग सिक्कों तथा मैडल बैजों के निर्माण आदि में किया जाता है, परख करता है । बम्बई की टकसाल स्मारक सिक्कों की ढलाई करती है, तौल, माप और क्षमता आदि के मापकों का भी निर्माण करती है । यह सोने की ढलाई और इसकी सफाई का कार्य भी सम्पन्न करती है ।

5. **The India Government Mints** at Bombay, Calcutta and Hyderabad and Noida besides minting Government of India coins, examine and dispose of withdrawn coins and tender expert opinion on counterfeit and doubtful coins. They also manufacture medals for various Government Departments and other Institutions like Universities. The assay departments attached to Bombay and Calcutta Mint assay gold, silver and alloys for coins, medals, badges, etc. The Bombay Mint, mints commemorative coins and manufactures weights, volume and length measures. It also undertakes gold melting, refining and casting work.

यह व्यवस्था चार मौजूदा टकसालों के लिए है। टकसालों के लिए 128 करोड़ रुपए की लागत पर आधुनिकीकरण स्कीम का अनुमोदन कर दिया गया है। पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था मुहैया किए जाने के लिए अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी तथा सहायक निर्माण कार्यों तथा क्वार्टरों के आंशिक भुगतानों के लिए है।

The provision is for the four existing Mints. A modernisation scheme for the Mints has been approved at a cost of Rs. 128 crores. The provision under capital is towards part payments for plant and machinery required to be procured and ancillary civil works and quarters.

सम्पन्न कार्य का विवरण Performance data: (दस लाख अदद Million pieces)

1989-90		1990-91	
लक्ष्य Target	उत्पादन Production	लक्ष्य Target	उत्पादन Production
2800	2843	1750	1566

6. इसमें सिक्कों के निर्माण के लिए धातु की खरीद के संबंध में निवल आधार पर व्यवस्था की गई है ।

6. This represents net provision on account of purchase of metals for coinage.

7. इसमें सरकार द्वारा हट्टी सोना खानों तथा हिन्दुस्तान कापर लि. से खरीद की गई धातु के मूल्य के लिए व्यवस्था शामिल है ।

7. This includes provision for purchase of gold by Government from Hutti Gold Mines and Hindustan Copper Ltd.

8. अब टकसालें सिक्कों का आयात किए बिना ही भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। वर्ष 1991-92 के दौरान सिक्कों के आयात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

8. The Mints are now able to meet the country's entire requirement of coins, as projected by the Reserve Bank of India, without resorting to further imports. There is no programme for import of coins during 1991-92.

संशोधित अनुमान विविध प्रकार के शेष बचे बिलों की अदायगी के लिए थे। वर्ष 1991-92 में पूर्व प्रेषणों की बाकी बची अदायगी के लिए सांकेतिक व्यवस्था की गई है।

The Revised estimates were meant for the payment of residual bills of miscellaneous nature. A token provision has been kept in 1991-92 for spill over payment of earlier consignments.

9. यह शीर्ष चलन से वापस लिए गए और समाप्त किए गए सिक्कों के अंकित मूल्य तथा उनके धातु मूल्य के अंतर का द्योतक है ।

10. इसकी व्यवस्था एक रुपए के नोट के फार्मों के मुद्रण तथा उनकी पूर्ति के लिए करेंसी नोट प्रेस को अदायगी करने के लिए की गई है (जिसे वाणिज्यिक विभाग माना जाता है) ।

12. **भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक,** डाक लेखन सामग्री, डाक तथा डाक- भिन्न टिकटों, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक स्टाम्पों, चैकों, बांडों तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों अर्थात पासपोर्ट, वचनपत्रों इत्यादि का मुद्रण करता है । इसके अलावा मुद्रणालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और अर्द्ध सरकारी संगठनों के लिए सिक्यूरिटी की कई एक विविध मदों का मुद्रण भी करता है । इस प्रेस ने भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एम. आई. सी. आर. चैकों का मुद्रण भी शुरू कर दिया है ।

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था स्टाम्प मुद्रण सुविधा के आधुनिकीकरण तथा उनके सहायक सिविल तथा बिजली निर्माण कार्यों के लिए है।

13. **प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद** भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा किए जाने वाले डाक लेखन सामग्री तथा माचिस उत्पादन शुल्क बेंड रोलों के उत्पादन की कमी को पूरा करता है । यह प्रेस 5 रुपए, 3.50 रुपए, 3 रुपए, 2रुपए और 1 रुपए के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज भी छाप रहा है। प्रैस ने वर्ष 1989-90 से आगे 10 रुपए के मूल्य के गैर-न्यायायिक स्टाम्प कागज छापने का कार्य भी ले लिया है।

पूंजी के अंतर्गत व्यवस्था अन्तर्देशीय पत्र कार्ड मशीनों, भवन अधिग्रहण के लिए बची शेष अदायगियों तथा पोस्ट कार्ड मशीनों के प्रतिस्थापन के प्रति अदायगी के लिए है।

11 व 14. इसमें मुख्य रूप से चांदी शोधशाला, केन्द्रीय स्टाम्प कार्यालय तथा केन्द्रीय स्टाम्प भंडार के लिए व्यवस्था शामिल है।

9. This represents the difference between the face value and metal value of coins withdrawn and destroyed.

10. The provision is for payment to Currency Note Press (which is treated as a commercial department) for printing and supply of one rupee notes.

12. **India Security Press, Nashik**, prints postal stationery, postal and non-postal stamps, judicial and non-judicial stamps, cheques, bonds and other security documents such as passports, promissory notes, etc., besides a number of miscellaneous items of security nature required by Central and State Governments and Quasi Government organisations. It has also started printing MICR cheques to meet the needs of Reserve Bank of India and Central/State Governments Departments.

The provision under capital is towards expansion and modernisation of stamp printing facility and ancillary civil and electrical works thereto.

13. **Security Printing Press, Hyderabad** supplements the output of the India Security Press for postal stationery as also of match excise banderols and Central excise stamps. The Press is also printing non-judicial stamp papers of the denominations of Rs.5/-, Rs.3.50, Rs.3/-, Rs.2/- and Re.1/-. The press has also taken up the printing of Rs. 10/- denomination non-judicial stamp papers from the year 1989-90 onwards.

The provision under capital is towards residual payments of inland letter card machines, acquistion of buildings and payment towards replacement of postcard machines.

11 & 14. This includes provision mainly for Silver Refinery, Central Stamp Office and Central Stamp Depot.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.27

वित्तीय संस्थानों को अदायगियां Payments to Financial Institutions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		63.60	194.32	257.92	98.58	216.27	314.85	85.50	430.29	515.79
पूंजी	*Capital*		*497.05*	*138.26*	*635.31*	*851.44*	*140.77*	*992.21*	*749.20*	*123.83*	*873.03*
जोड़	**Total**		**560.65**	**332.58**	**893.23**	**950.02**	**357.04**	**1307.06**	**834.70**	**554.12**	**1388.82**
औद्योगिक वित्तीय संस्थान	**Industrial Financial Institutions**										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1. Industrial Development Bank of India	2885	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
		4885	66.00	...	66.00	59.40	...	59.40	100.00	...	100.00
		6885	74.00	...	74.00	122.10	...	122.10	32.50	...	32.50
जोड़		*Total*	*150.00*	...	*150.00*	*191.50*	...	*191.50*	*147.50*	...	*147.50*
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2. Industrial Finance Corporation of India	2885	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	12.00	...	12.00
		6885	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	2.65	...	2.65
जोड़		*Total*	*9.25*	...	*9.25*	*9.25*	...	*9.25*	*14.65*	...	*14.65*
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3. Industrial Credit and Investment Corporation of India	2885	23.10	...	23.10	25.08	...	25.08	25.00	...	25.00
		6885	46.90	...	46.90	67.30	...	67.30	27.85	...	27.85
जोड़		*Total*	*70.00*	...	*70.00*	*92.38*	...	*92.38*	*52.85*	...	*52.85*
4. भारतीय आयात-निर्यात बैंक	4. Export-Import Bank of India	2885	7.50	...	7.50	7.50	...	7.50	3.00	...	3.00
		4885	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	40.00	...	40.00
जोड़		*Total*	*30.50*	...	*30.50*	*30.50*	...	*30.50*	*43.00*	...	*43.00*
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	5. Industrial Reconstruction Bank of India	4885	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00
		6885	4.00	10.00	14.00	4.00	10.00	14.00	14.00	19.00	33.00
जोड़		*Total*	*24.00*	*10.00*	*34.00*	*24.00*	*10.00*	*34.00*	*39.00*	*19.00*	*58.00*
6. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	6. Small Industries Development Bank of India	6885	...	...	...	430.58	...	430.58	357.70	...	357.70
जोड़ - औद्योगिक वित्तीय संस्थान	**Total-Industrial Financial Insitutions**		**283.75**	**10.00**	**293.75**	**778.21**	**10.00**	**788.21**	**654.70**	**19.00**	**673.70**
कृषि वित्तीय संस्थान	**Agricultural Financial Institutions**										
7. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	7. National Bank for Agriculture and Rural Dev.	2416	15.00	...	15.00	48.00	...	48.00	30.00	...	30.00
		6416	235.00	...	235.00	61.00	...	61.00	90.00	...	90.00
8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8. Regional Rural Banks	4416	5.25	...	5.25	4.95	...	4.95	11.00	...	11.00
जोड़ - कृषि वित्तीय संस्थान	**Total-Agricultural Financial Institutions**		**255.25**	...	**255.25**	**113.95**	...	**113.95**	**131.00**	...	**131.00**
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	***General Financial and Trading Institutions***										
9. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेयर पूंजी	9. Share capital of the nationalised banks	5465	719.65	...	719.65	755.86	...	755.86	718.00	...	718.00
		8012	-700.00	...	-700.00	-700.00	...	-700.00	-700.00	...	-700.00
निवल		*Net*	*19.65*	...	*19.65*	*55.86*	...	*55.86*	*18.00*	...	*18.00*
अन्य	***Others***										
10. भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कंपनी लिमिटेड	10. Shipping Credit and Investment Company of India Limited	7052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
11. राष्ट्रीय आवास बैंक	11. National Housing Bank	2216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
		6216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	29.50	...	29.50
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	***International Financial Institutions***										
12. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	12 International Monetary Fund	5466	...	509.40	509.40	...	549.98	549.98	...	3410.03	3410.03
		6001	...	-509.40	-509.40	...	-549.98	-549.98	...	-3410.03	-3410.03
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार	13. Service Charges Payable to I.M.F	2047	...	182.98	182.98	...	204.90	204.90	...	408.52	408.52
14. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	14. International Bank for Recon. & Development	5466	...	120.27	120.27	...	118.21	118.21	...	96.55	96.55
15. एशियाई विकास बैंक	15. Asian Development Bank	5466	...	0.02	0.02	...	0.07	0.07	...	0.07	0.07
16. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	16. International Finance Corporation	5466	...	...	...	...	4.48	4.48	...	...	...
17. अफ्रीकी विकास निधि / बैंक	17. African Development Fund/Bank	5466	...	7.96	7.96	...	8.00	8.00	...	8.20	8.20
18. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	18. International Fund for Agricultural Development	2416	...	4.49	4.49	...	4.49	4.49	...	4.83	4.83
जोड़- अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	**Total-International Financial Institutions**		...	**315.72**	**315.72**	...	**340.15**	**340.15**	...	**518.17**	**518.17**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
19. ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता	19. *Interest Subsidy*										
19.01 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	19.01 Industrial Reconstruction Bank of India	2885	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00
19.02 गोआनी बैंक	19.02 Goan Banks	2885	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
जोड़		*Total*	...	*2.10*	*2.10*	...	*2.10*	*2.10*	...	*5.10*	*5.10*
20. जहाजों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अन्तर के संबंध में आर्थिक सहायता	20. Subsidy towards interest differential on acquisition of ships	3052	...	4.50	4.50	...	4.50	4.50	...	11.49	11.49
21. अन्य व्यय	21. Other Expenditure	3466	...	0.25	0.25	...	0.28	0.28	...	0.35	0.35
		4885	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*0.26*	*0.26*	...	*0.29*	*0.29*	...	*0.36*	*0.36*
कुल जोड़	**Grand Total**		**560.65**	**332.58**	**893.23**	**950.02**	**357.04**	**1307.06**	**834.70**	**554.12**	**1388.82**

ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	1. Industrial Development Bank of India	12885	140.00	...	140.00	181.50	...	181.50	132.50	...	132.50
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2. Industrial Finance Corporation of India	12885	1.75	...	1.75	1.75	...	1.75	2.65	...	2.65
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3. Industrial Credit & Investment Corporation of India	12885	46.90	...	46.90	67.30	...	67.30	27.85	...	27.85
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक	4. Export-Import Bank of India	12885	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	40.00	...	40.00
5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	5. Industrial Reconstruction Bank of India	12885	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	39.00	...	39.00
6. राष्ट्रीयकृत बैंक	6. Nationalised banks	13465	19.65	...	19.65	55.86	...	55.86	18.00	...	18.00
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक	7. Small Industries Development Bank of India	12885	...	50.00	50.00	430.58	50.00	480.58	357.70	120.00	477.70
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	8. National Bank for Agriculture and Rural Development	12416	235.00	...	235.00	61.00	...	61.00	90.00	...	90.00
9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	9. Regional Rural Banks	12416	5.25	...	5.25	4.95	...	4.95	11.00	...	11.00
10. भारतीय नौवहन ऋण और निवेश कम्पनी लिमिटेड	10. Shipping Credit and Investment Company of India Limited	13052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
11. राष्ट्रीय आवास बैंक	11. National Housing Bank	22216	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	29.50	...	29.50
जोड़	**Total**		**497.05**	**50.00**	**547.05**	**851.44**	**50.00**	**901.44**	**749.20**	**120.00**	**869.20**

उपर्युक्त वित्तीय संस्थाओं के संबंध में केन्द्रीय आयोजना में केवल बजट सहायता शामिल है ।
In respect of the above financial institutions only the budget support is in the Central Plan.

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. कृषि वित्तीय संस्थान	1. Agricultural Financial Institutions	12416	255.25	...	255.25	113.95	...	113.95	131.00	...	131.00
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थान	2. Industrial Financial Institutions	12885	283.75	50.00	333.75	778.21	50.00	828.21	654.70	120.00	774.70
3. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3. General Financial and Trading Institutions	13465	19.65	...	19.65	55.86	...	55.86	18.00	...	18.00
4. नौवहन	4. Shipping	13052	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
5. आवास	5. Housing	22216	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	30.00	...	30.00
जोड़	**Total**		**560.65**	**50.00**	**610.65**	**950.02**	**50.00**	**1000.02**	**834.70**	**120.00**	**954.70**

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** : यह एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के पुनः वित्त-पोषण द्वारा और उनके ऋण पत्र-निर्गमों को खरीद कर उनके क्रियाकलापों का समन्वय तथा उनकी अनुपूर्ति करती है ।

2. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम** : यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्र खरीदता है । यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारन्टी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टाक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है ।

3. **भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम** : यह निगम भारतीय रुपयों तथा विदेशी मुद्रा में सावधिक ऋण देने की व्यवस्था करता है, शेयर खरीदता है तथा शेयरों की हामीदारी लेता है और मुख्य रूप से पूंजीगत संपत्तियों के क्रय के लिए अन्य संस्थाओं से लिए गए ऋण की अदायगी की गारन्टी देता है ।

4. **भारतीय निर्यात — आयात बैंक** : इस बैंक की स्थापना भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वित्त व्यवस्था करने तथा इस क्षेत्र में कार्यरत ऐसी

1. **Industrial Development Bank of India** is an apex institution to provide long term finance to industrial enterprises, both in the public and private sectors, and it coordinates and supplements the activities of other financial institutions by providing refinancing facilities and subscribing to their debenture issues.

2. **Industrial Finance Corporation of India** grants loans and advances to industrial concerns and subscribes to debentures floated by them; also guarantees loans raised by industrial concern in the capital market and under-writes stocks, share, bonds and debentures issued by them.

3. **Industrial Credit and Investment Corporation of India** provides term loans in rupees and foreign currencies, subscribes to and underwrites shares and guarantees payment of credit availed of from other institutions primarily for the purpose of capital assets.

4. **Export-Import Bank of India** is designed to function as the principal financial institution for financing India's international trade

प्रकार की संस्थाओं के कार्य का समन्वय करने के लिए एक मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में की गई है ।

5. **भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक** : यह निगम बंद पड़े औद्योगिक एककों को अथवा बंद होने वाले औद्योगिक एककों को चालू करने के लिए उत्तरदायी है ।

6. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** : लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी वित्त व्यवस्था तथा विकास करने तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह अपने कार्यकलापों को मौजूदा ऋण देने वाले तंत्र के माध्यम से पूरा करता है जिसमें राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी विकास निगम तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

7. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक** : यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है। यह निगम राजकीय सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कुछ संस्थाओं को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है ।

8. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** :- ये बैंक शाखाओं को विस्तार के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों से रकमों को जमा के रूप में जुटाते है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पावधिक फसल वर्धन ऋण देने की व्यवस्था करते हैं और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय और स्वरोजगार आदि के कार्यों के लिए अल्पावधिक उधार तथा अग्रिम देने की व्यवस्था भी करते हैं । केन्द्रीय सरकार प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था करती है । यह व्यवस्था इसी आधार पर की गई है ।

9. इस व्यवस्था में **राष्ट्रीयकृत बैंकों** के पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के लिए उनकी शेयर पूंजी में अंशदान देने के लिए 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । बैंकों को सरकार द्वारा इस प्रकार दी गई अतिरिक्त शेयर पूंजी के साथ-साथ विशेष अपरक्राम्य सरकारी प्रतिभूतियों में एक साथ निवेश करना होगा। वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों और 1991-92 के बजट अनुमानों में, कतिपय बैंकों के लिए उनके द्वारा विश्व बैंक की औद्योगिक निर्यात परियोजनाओं से सम्बद्ध सहायक एककों को बाह्य ऋण दिए जाने के लिए क्रमशः 55.86 करोड़ रुपए और 18.00 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था भी शामिल है।

10. **भारतीय नौवहन ऋण तथा निवेश कंपनी लिमिटेड** निजी क्षेत्र के नौवहन उद्योग के विकास से संबंधित है और वह परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था उनकी वाणिज्यिक सक्षमता के आधार पर करती है ।

11. आवास क्षेत्र की पर्याप्त वित्त व्यवस्था करने के लिए संसदीय अधिनियम के अंतर्गत **राष्ट्रीय आवास बैंक** एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में स्थापित किया गया है ।

12. इसके अंतर्गत निधि के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को की जाने वाली अदायगियों तथा निधि के पक्ष में अपरक्राम्य एवं ब्याजरहित रुपया प्रतिभूतियों के निर्माण के साथ भारतीय मुद्रा को धारित रखने की व्यवस्था की गई है ।

13. यह व्यवस्था विस्तारित निधि सुविधा, सहायक व्यवस्था, और प्रतिपूरक तथा आकस्मिकता वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत किए गए आहरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय सेवा प्रभार के लिए है। ये प्रभार विद्यमान विनिमय दर पर आधारित हैं।

14. यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की पूंजी स्टाक में अभिदान करने और मूल्य संबंधी दावों में अनुरक्षण के लिए है।

15. यह व्यवस्था एशियाई विकास बैंक के मूल्य भुगतानों के अनुरक्षण को पूरा करने के लिए है ।

16. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन, 1956 में विश्व बैंक के संबद्ध निगम के रूप में स्थापित किया गया था। भारत इस निगम का संस्थापक सदस्य है । यह निगम अपने सदस्य देशों के उत्पादक निजी/संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता करता है ।

and coordinating the working of similar institutions engaged in this field.

5. **Industrial Reconstruction Bank of India** has been entrusted with the responsibility to revive closed industrial units and units on the brink of closure.

6. **Small Industries Development Bank of India** has been set up as a principal financial institution for promoting, financing and development of industries in the small industry sector and for coordinating the functions of institutions engaged in similar activities. It commenced operations on 2nd April, 1990 as a subsidiary of IDBI. It channelises its activities through the existing credit delivery mechanism consisting of State Financial Corporations, State Industrial Development Corporations, Commercial Banks, Cooperative Banks and Regional Rural Banks.

7. **National Bank for Agriculture and Rural Development** promotes integrated rural development by providing credit for agriculture, small, cottage and village industries and allied activities in rural areas; refinances loans granted for agricultural development by state cooperative banks, central land mortgage banks, scheduled commercial banks and regional rural banks; also provides direct financial assistance to certain types of institutions as approved by the Central Government.

8. **Regional Rural Banks** mobilise deposits in the rural areas through a net work of branches. The RRBs provide short term crop loans and advance loans for activities allied to agriculture, retail trade, small business and self employment etc. Central Government provides 50% of the share capital of each regional rural bank. Provision made is on this account.

9. Provisions include Rs. 700 crores for subscription to the share capital of **nationalised banks** with a view to strengthening their capital base. The banks are to simultaneously invest the additional share capital thus provided by the Government in special non-negotiable Government securities. Revised estimates 1990-91 and Budget estimates 1991-92 also include Rs. 55.86 crores and Rs.18.00 crores respectively to certain banks for passing on external credits to ancillary units concerned with World Bank industrial export projects.

10. **Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.** is concerned with development of private sector shipping industry and it finances projects on the strength of their commercial viability.

11. **National Housing Bank** has been set up under an Act of Parliament as the apex body for providing adequate finance to the housing sector.

12. This represents payments to International Monetary Fund arising as a result of revaluation of the Funds holding of Indian currency, by creating non-negotiable, non-interest bearing rupee securities in favour of the Fund.

13. The provision is for service charges payable to the International Monetary Fund in respect of the drawals made under the Extended Fund Facility, Stand-by Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility. The charges are based on the prevailing exchange rate.

14. The provision is for subscription to the capital stock of IBRD and maintenance of value claims.

15. The provision is for meeting maintenance of value payments to ADB.

16. International Finance Corporation, Washington, was established in 1956 as an affiliate of the World Bank. India is a founder member of this Corporation. IFC assists productive private/joint sector enterprises in its member countries.

17. इसमें अफ्रीकी विकास कोष और अफ्रीकी विकास निधि की शेयर पूंजी की पूर्ति के लिए और अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी के स्टाक में अंशदान के लिए भारत के अंशदान की व्यवस्था की गई है ।

18. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना 1977 में की गई थी । यह निधि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है । विकासशील सदस्य देशों को कृषि के विकास के लिए यह बैंक रियायती दरों पर धनराशियां उपलब्ध कराता है । यह व्यवस्था 1990-92 की अवधि के लिए इस निधि के साधनों की पूर्ति के लिए भारत के अंशदान की तीसरी किस्त की अदायगी के लिए की गई है ।

19. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और गोआनी बैंकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले आर्थिक सहायता की व्यवस्था है ।

20. नौवहन कंपनियां बैंक ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज की अदायगी करते हैं और जो अंतर रहता है उसे सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक सहायता से पूरा किया जाता है।

21. इस में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस. डी. आर. लेखा के प्रशासन के लिए देय निर्धारित प्रभारों और स्टेट बैंक आफ सिक्किम (शेयरों का अधिग्रहण) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत की देय राशि के लिए व्यवस्था है ।

17. Provision is towards India's share of the capital replenishments of the African Development Fund and contributions towards the capital stock of the African Development Bank.

18. The International Fund for Agricultural Development which was established in 1977, is a specialised agency of United Nations. It makes available funds on concessional terms for agricultural development in developing member countries. The provision represents India's contribution to the third replenishment of the resources of IFAD for the period 1990-92.

19. Provision is towards subsidy in lieu of concession in the rate of interest on loans to Industrial Reconstruction Bank of India and Goan Banks.

20. The shipping companies pay interest on bank loans at a lower rate than charged by the banks; the difference is met by Government by way of subsidy.

21. This includes provision for assessment charges payable to International Monetary Fund in regard to administration of S.D.R. Account and amount payable under State Bank of Sikkim (Acquisition of Shares) and Miscellaneous Provision Act,1982.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.28

पेंशन Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	503.49	503.49	...	500.58	500.58	...	552.05	552.05
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	503.49	503.49	...	500.58	500.58	...	552.05	552.05
पेंशनें तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	**Pensions and Other Retirement Benefits**										
1. अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते	1. Superannuation and Retirement Allowances	2071	...	269.74	269.74	...	288.61	288.61	...	318.67	318.67
2. पेंशन का राशिकृत मूल्य	2. Commuted Value of Pensions	2071	...	83.76	83.76	...	70.57	70.57	...	77.63	77.63
3. उपदान	3. Gratuities	2071	...	82.44	82.44	...	82.41	82.41	...	90.65	90.65
4. परिवार पेंशन	4. Family Pensions	2071	...	48.24	48.24	...	44.32	44.32	...	48.75	48.75
5. भविष्य निधियों के लिए अंशदान	5. Contributions to Provident Funds	2071	...	5.80	5.80	...	5.90	5.90	...	6.49	6.49
6. विविध पेंशन संबंधी भुगतान	6. Miscellaneous Pensionary payments	2071	...	2.09	2.09	...	1.67	1.67	...	1.90	1.90
7. अन्य	7. Others	2071	...	5.28	5.28	...	3.77	3.77	...	4.15	4.15
जोड़		*Total*	...	*5.28*	*5.28*	...	*3.77*	*3.77*	...	*4.15*	*4.15*
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Social Security & Welfare**										
8. जमा से संबद्ध बीमा योजना	8. Deposit Linked Insurance Scheme	2235	...	4.34	4.34	...	1.53	1.53	...	1.68	1.68
9. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	9. Central Government Employees Insurance Scheme	2235	...	1.71	1.71	...	1.71	1.71	...	1.96	1.96
10. अन्य	10. Others	2235	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09	...	0.17	0.17
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*503.49*	*503.49*	...	*500.58*	*500.58*	...	*552.05*	*552.05*

इस मांग में पेंशनों और उपदानों के भुगतान के लिए व्यवस्था शामिल है तथा इसमें वे भुगतान भी शामिल हैं जो भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं और जिन्हें बाद में राज्य सरकारों से वसूल कर लिया जाता है। इस मांग में अंशदायी और अन्य भविष्य निधि, जमा से सम्बद्ध बीमा योजना और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

The Demand includes provision for payment of pensions and gratuities including those charged on the Consolidated Fund of India which are later recovered from the State Governments. Provision is also included in this Demand for contributions to Contributory and other Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme and Central Government Employees' Insurance Scheme.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

संख्या No.29 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ब्याज संदाय Interest Payments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	20850.00	20850.00	...	21850.00	21850.00	...	27450.00	27450.00
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**20850.00**	**20850.00**	...	**21850.00**	**21850.00**	...	**27450.00**	**27450.00**
ब्याज संदाय	**Interest Payments -**										
1. आंतरिक ऋण पर ब्याज	1. Interest on Internal Debt										
1.01. बाज़ार उधार	1.01 Market Loans	2049	...	6100.00	6100.00	...	6300.00	6300.00	...	7345.00	7345.00
1.02. क्षतिपूर्ति और अन्य बाण्ड	1.02 Compensation & Other Bonds	2049	...	68.38	68.38	...	70.97	70.97	...	243.44	243.44
1.03. राजकोष हुण्डियों पर छूट	1.03 Discount on Treasury Bills	2049	...	1300.00	1300.00	...	1440.00	1440.00	...	2000.00	2000.00
1.04 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां	1.04 182 days Treasury Bills	2049	...	75.00	75.00	...	310.00	310.00	...	320.00	320.00
1.05 राजकोष हुण्डियों के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्रतिभूतियां जारी करना	1.05 Securities issued to RBI in conversion of Treasury Bills	2049	...	1656.00	1656.00	...	1656.00	1656.00	...	1656.00	1656.00
1.06 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां	1.06 Special Securities issued to RBI	2049	...	20.93	20.93	...	...	...	...	...	...
1.07 ऋण प्रबन्ध	1.07 Management of Debt	2049	...	20.00	20.00	...	15.20	15.20	...	18.00	18.00
जोड़		Total	...	9240.31	9240.31	...	9792.17	9792.17	...	11582.44	11582.44
2. बाह्य ऋणों पर ब्याज	2. Interest on External Debt	2049	...	1625.57	1625.57	...	1809.30	1809.30	...	2680.41	2680.41
3. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज	3. Interest on Small Savings, Provident Funds etc.										
3.01. अल्प बचतें, जमा पत्र और प्रमाण पत्र	3.01 Small Savings (Deposits & Certificates)	2049	...	3680.76	3680.76	...	3750.26	3750.26	...	5255.58	5255.58
3.02. लघु बचत प्रबन्ध	3.02 Management of Small Savings										
(क) डाक विभाग के लिए	(a) To Department of Posts	2049	...	249.92	249.92	...	249.92	249.92	...	316.00	316.00
(ख) अन्य के लिए	(b) To Others	2049	...	129.00	129.00	...	121.00	121.00	...	133.07	133.07
3.03 सामान्य भविष्य निधियां	3.03 General Provident Funds	2049	...	376.93	376.93	...	381.66	381.66	...	436.26	436.26
3.04 अन्य राज्य भविष्य निधियां	3.04 Other State Provident Funds	2049	...	226.42	226.42	...	233.43	233.43	...	273.88	273.88
3.05 रेलवे भविष्य निधियां	3.05 Railway Provident Funds	2049	...	205.82	205.82	...	226.01	226.01	...	248.42	248.42
3.06 सार्वजनिक भविष्य निधियां	3.06 Public Provident Funds	2049	...	153.30	153.30	...	184.00	184.00	...	204.50	204.50
3.07 बीमा और पेंशन निधियां	3.07 Insurance & Pension Funds	2049	...	514.07	514.07	...	518.63	518.63	...	615.49	615.49
3.08 सरकार को सौंपी गयी गैर- सरकारी भविष्य निधियां	3.08 Non-Govt. Provident Funds lodged with Govt	2049	...	3380.00	3380.00	...	3400.00	3400.00	...	4250.00	4250.00
3.09 अन्य विशेष बचतें	3.09 Other Special Deposits	2049	...	701.84	701.84	...	742.31	742.31	...	992.86	992.86
जोड़		Total	...	9618.06	9618.06	...	9807.22	9807.22	...	12726.06	12726.06
4. प्रारक्षित निधियों पर ब्याज	4. Interest on Reserve Funds	2049	...	115.97	115.97	...	116.71	116.71	...	124.23	124.23
5. अन्य दायित्वों पर ब्याज	5. Interest on other obligations	2049	...	250.09	250.09	...	324.60	324.60	...	336.86	336.86
कुल जोड़	*Grand Total*		...	*20850.00*	*20850.00*	...	*21850.00*	*21850.00*	...	*27450.00*	*27450.00*

इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार की ऋण संबंधी देनदारी (आंतरिक एवं बाह्य) पर ब्याज प्रभारों के भुगतान तथा वाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास तथा अन्य प्रारक्षित निधियों से सम्बद्ध ब्याज प्रभारों की व्यवस्था की गई है । भविष्य निधि पर देय ब्याज की व्यवस्था, डाक घर बचत बैंक जमाखातों, अल्प बचत प्रमाण पत्रों इत्यादि पर देय ब्याज को भी इस विनियोग में शामिल किया गया है । सम्पूर्ण व्यय संविधान के अनुच्छेद 112(3)(ग) के अनुसार भारत की समेकित निधि पर "भारित" है ।

1990-91 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः बाजार उधार, विदेशी उधार और अल्प बचतों भविष्य निधि आदि में अधिक धनराशियां जमा होने के फलस्वरूप हुई है ।

1991-92 के बजट अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः 1990-91 के बाजार उधारों पर देय पूरे वर्ष के ब्याज के कारण हुई है । यह वृद्धि राजकोषीय हुण्डियों को भुनाने के लिए अधिक रकम की आवश्यकता, तथा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणों पर ब्याज में संभावित वृद्धि होने तथा अल्प बचत योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशियों के संभावित संग्रह तथा धनराशियों के राज्य भविष्य निधियों तथा अन्य गैर-सरकारी भविष्य, उपदान तथा अधिवार्षिकी निधियों तथा अन्य जमा खातों आदि में जमा होने के कारण हुई है ।

The Appropriation provides for interest charges on Central Government's debt obligations (internal as well as external) and on depreciation and other reserve funds of Commercial departments. Provision for interest payable on Provident Funds, Post Office Saving Bank Deposits, Small Savings Certificates, etc. is also included in this Appropriation. The entire expenditure is '*Charged*' on the Consolidated Fund of India in terms of Article 112(3) (c) of the Constitution.

The increase in the Revised Estimates, 1990-91 is mainly under Market Loans, external loans and Small Savings, Provident Funds, etc. following larger accretions.

The increase in the Budget estimates, 1991-92 is mainly on account of full year's interest due on market borrowings in 1990-91, larger requirements for discount on treasury bills and interest on internal and external loans likely to be raised and the anticipated additional collections and accretions under small saving schemes, State Provident Funds and other Non-Government Provident, Gratuity and superannuation Funds and other Deposit accounts, etc.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.30

राज्य सरकारों को अन्तरण Transfers to State Governments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		4562.40	2576.27	7138.67	4507.81	3045.47	7553.28	5603.73	2141.76	7745.49
पूंजी	*Capital*		*6372.43*	*4500.00*	*10872.43*	*6023.39*	*7290.51*	*13313.90*	*6998.80*	*6865.00*	*13863.80*
जोड़	**Total**		**10934.83**	**7076.27**	**18011.10**	**10531.20**	**10335.98**	**20867.18**	**12602.53**	**9006.76**	**21609.29**
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments :										
आयोजना-भिन्न अनुदान	***Non-Plan Grants :***										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	1. Grants under Article 275 (1) of the Constitution	3601	991.53	2326.45	3317.98	991.53	2252.42	3243.95	1332.53	1963.93	3296.46
2. रेलवे यात्री भाड़े पर कर के एवज में अनुदान	2. Grant in lieu of Tax on Railway Passenger Fares	3601	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
3. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए अनुदान	3. Grants for Railway Safety Works	3601	...	1.00	1.00	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
4. दैवी विपत्तियों के कारण सामान्य राहत	4. General relief on account of natural calamities	3601	...	...	...	...	4.03	4.03	...	...	...
5. भोपाल गैस त्रासदी कार्रवाई योजना के लिए मध्य प्रदेश को अनुदान	5. Grant to Madhya Pradesh for Bhopal Gas Tragedy Action Plan	3601	...	...	...	...	24.45	24.45	...	24.45	24.45
6. अन्य	6. Others	3601	...	0.38	0.38	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	**Loans and Advances to State Governments**										
आयोजना-भिन्न उधार	***Non-plan loans :***										
7. अल्प बचतों के लिए ऋण	7. Loans for Small Savings	7601	...	4500.00	4500.00	...	6770.00	6770.00	...	6865.00	6865.00
8. अर्थोपाय अग्रिम	***8. Ways and Means Advances***										
8.01. अदायगियां	8.01 Payments	7601	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00	...	700.00	700.00
8.02. घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	8.02 Less-Recoveries during the year	7601	...	-700.00	-700.00	...	-700.00	-700.00	...	-700.00	-700.00
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए उधार	9 Loans to cover gaps in resources	7601	...	...	...	...	520.51	520.51	...	...	...
राज्यों की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान / ऋण	**Grants/loans for State plan schemes :**										
10. ब्लाक अनुदान/अग्रिम आयोजना सहायता	10. Block Grants/Advance Plan Assistance	3601	3570.87	...	3570.87	3515.28	...	3515.28	4271.20	...	4271.20
11. ब्लाक ऋण/अग्रिम आयोजना सहायता	11. Block Loans/Advance Plan Assistance	7601	6257.43	...	6257.43	5908.39	...	5908.39	6873.80	...	6873.80
12. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण	12. Loans to Rural Electrification Corporation	6801	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	125.00	...	125.00
13. संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा	13. State's Share of Union Excise Duties:										
13.01. अदायगियां	13.01 Payments	3603	...	10188.37	10188.37	...	10414.43	10414.43	...	11175.47	11175.47
13.02. घटाइए-प्राप्तियों में से घटाई गई राशि	13.02 Less Amount netted against Receipts	3603	...	-10188.37	-10188.37	...	-10414.43	-10414.43	...	-11175.47	-11175.47
निवल		*Net*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य	**Railway safety works:**										
14. रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्य निधि में/से अन्तरण	14. Transfer to / from Railway	3054	...	3.21	3.21	...	3.08	3.08	...	3.08	3.08
	Safety Works Fund	3601	...	-1.00	-1.00	...	-3.00	-3.00	...	-5.00	-5.00
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services :**										
15. नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में ऋणों को बट्टे खाते डालना	15. Write off of loans in terms of the recommendations of 9th Finance Commission	2075	...	96.23	96.23	...	611.19	611.19	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*10934.83*	*7076.27*	*18011.10*	*10531.20*	*10335.98*	*20867.18*	*12602.53*	*9006.76*	*21609.29*

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
राज्य आयोजनाएं	State Plans										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1. Normal Central Assistance	43601	9656.30	...	9656.30	9247.67	...	9247.67	10980.00	...	10980.00
2. विशेष केन्द्रीय सहायता -पर्वतीय क्षेत्र	2. Special Central Assistance-Hill Areas	43601	287.00	...	287.00	287.00	...	287.00	290.00	...	290.00
3. दैवी विपत्तियों के लिए अग्रिम आयोजना सहायता	3. Advance Plan Assistance for natural calamities	43601	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...
4. नौवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किया गया अन्तर-अनुदान	4. Gap Grant Recommended by Ninth Finance Commission	43601	991.53	...	991.53	991.53	...	991.53	1332.53	...	1332.53
जोड़	Total		10934.83	...	10934.83	10531.20	...	10531.20	12602.53	...	12602.53

इस मांग में नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को देय अनुदानों, रेल यात्री किराया कर के बदले अनुदानों, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों, बुनियादी और अतिरिक्त संघ उत्पाद शुल्कों में राज्यों के अंश, अल्प बचतों के संग्रह के आधार पर राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों, साधनों की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उधारों को बट्टे खाते डालने, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को उधार दिए जाने, (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) और अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों आदि की व्यवस्था की गई है।

This Demand includes provision for grants payable to States under Article 275(1) of the Constitution on the basis of the recommendations of the Ninth Finance Commission; Grant-in-lieu of Tax on Railway passenger Fares; Block grants and loans for State Plan Schemes; States' share of Basic and Additional Union Excise Duties; Loans to States against Small Savings Collections; Loans to States to cover gap in resources; write off of loans in terms of the recommendations of the 9th Finance Commission; Loans to Rural Electrification Corporation for State Plan Schemes, (Minimum Needs Programme) and short term Ways and Means Advances, etc.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.31

सरकारी कर्मचारियों आदि को उधार Loans to Government Servants etc.

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	*Capital*		...	*112.00*	*112.00*	...	*104.64*	*104.64*	...	*118.59*	*118.59*
जोड़	**Total**		...	**112.00**	**112.00**	...	**104.64**	**104.64**	...	**118.59**	**118.59**
1. सरकारी कर्मचारियों को उधार आदि	1. Loans to Government Servants, etc.										
1.1 गृह निर्माण अग्रिम	1.1 House building advances	7610	...	150.00	150.00	...	137.60	137.60	...	160.00	160.00
1.2 वाहन खरीदने के लिए अग्रिम	1.2 Advances for purchase of conveyances										
1.2.1 मोटर कारों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.1 Advance for the purchase of motor cars	7610	...	23.00	23.00	...	21.23	21.23	...	24.15	24.15
1.2.2 अन्य मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.2 Advance for purchase of other motor conveyances	7610	...	23.00	23.00	...	20.19	20.19	...	24.15	24.15
1.2.3 अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	1.2.3 Advance for purchase of other conveyances	7610	...	10.00	10.00	...	9.17	9.17	...	10.50	10.50
जोड़—वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	**Total - Advances for purchase of conveyances**		...	**56.00**	**56.00**	...	**50.59**	**50.59**	...	**58.80**	**58.80**
1.3. अन्य अग्रिम	1.3 Other advances	7610	...	3.80	3.80	...	6.70	6.70	...	0.80	0.80
जोड़		*Total*	...	*209.80*	*209.80*	...	*194.89*	*194.89*	...	*219.60*	*219.60*
2. सहकारी समितियों को ऋण	2. Loans to cooperatives	7475	...	0.20	0.20	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
3. विभागीय कैंटीनों के लिए ऋण	3. Loans to Departmental canteens	7615	...	1.00	1.00	...	1.01	1.01	...	1.00	1.00
4. घटाइए—व्यय कम करने हेतु लिए गए ऋणों की वसूलियां	4. Less-Recoveries of loans taken in reduction of expenditure										
4.1 गृह निर्माण अग्रिम	4.1 House building advances	7610	...	-59.00	-59.00	...	-54.85	-54.85	...	-64.00	-64.00
4.2 वाहन अग्रिम	4.2 Conveyance advances	7610	...	-36.54	-36.54	...	-31.00	-31.00	...	-37.00	-37.00
4.3. विविध उधार	4.3 Other advances	7610	...	-2.75	-2.75	...	-4.85	-4.85	...	-0.50	-0.50
4.4 सहकारितों के लिए ऋण	4.4 Loans to cooperatives	7475	...	-0.09	-0.09	...	-0.04	-0.04	...	-0.09	-0.09
4.5 विभागीय कैंटीनों के लिए ऋण	4.5 Loans to Departmental canteens	7615	...	-0.62	-0.62	...	-0.62	-0.62	...	-0.62	-0.62
जोड़		*Total*	...	*-99.00*	*-99.00*	...	*-91.36*	*-91.36*	...	*-102.21*	*-102.21*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*112.00*	*112.00*	...	*104.64*	*104.64*	...	*118.59*	*118.59*

यह एक मिश्रित मांग है जिसमें सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों (दिल्ली चंडीगढ़ आदि) की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने कर्मचारियों, विभागीय सहकारी समितियों और कैंटीनों को ऋण और अग्रिम दे सकें । इसमें संसद सदस्यों को मोटरगाड़ी की खरीद के लिए अग्रिम दिए जाने की भी व्यवस्था शामिल है ।

जिन प्रयोजनों के लिए सब्याज उधार दिए जाते है उनमें गृह निर्माण, वाहन की खरीद, कम्प्यूटर की खरीद पंखों तथा गर्म कपड़ों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अग्रिम शामिल हैं । बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 1990-91 में जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्तियों को बाढ़ तथा तूफान इत्यादि में भारी नुकसान हुआ है अथवा जिनकी सम्पत्तियां नष्ट हो गई हैं उनके लिए ब्याज रहित ऋण देने की व्यवस्था भी शामिल है । बजट अनुमान 1991-92 में, प्राकृतिक विपदा अग्रिम की संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांगों में 'वेतन' शीर्ष के अधीन व्यवस्था की गई है ।

1990-91 के संशोधित अनुमानों में कमी प्रवर्तन और मितव्ययता उपायों के कारण हुई थी ।

वर्ष 1991-92 में गृह निर्माण अग्रिमों के लिए वृद्धि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना के अधीन उच्च प्राप्तियों के द्वारा पूरी कर दी जाएगी ।

This is a composite Demand which provides for the requirements of all the Central Ministries and Departments and their subordinate organisations and Union territory administrations (like Delhi, Chandigarh, etc.) for payment of loans and advances to their employees, departmental cooperative societies and canteens. It also includes provision for advances to Members of Parliament for purchase of motor conveyances.

The purposes for which the interest-bearing loans are advanced include house-building, purchase of conveyances, purchase of computors, fans and warm clothings. Budget estimates and Revised estimates 1990-91 also included provision for interest-free advance to Central Government employees whose properties are substantially affected or damaged due to floods, cyclones etc. The provision for natural calamity advance in BE 1991-92 is made under the head 'salaries' in the Demands for Grants of the respective Ministries and Departments.

The decrease in provisions in the Revised estimates for 1990-91 was due to enforcement of economy measures.

The increase for house building advances in the 1991-92 will be matched by higher receipts under Central Government Employees Group Insurance Scheme.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.32

ऋण की वापसी अदायगी Repayment of Debt

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	...	...	...	...	...	...	...	...
पूंजी	Capital		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	...	...	...	...	...	...	...	...
1. केन्द्रीय सरकार का आंतरिक ऋण	*1. Internal Debt of Central Goverment*										
1.01. बाजार ऋण	1.01 Market Loans	6001	...	987.72	987.72	...	987.72	987.72	...	1418.18	1418.18
1.02. 91 दिवसीय राजकोष हुण्डियां	1.02 91 Days Treasury Bills	6001	...	115000.00	115000.00	...	80000.00	80000.00	...	75000.00	75000.00
1.03 182 दिवसीय राजकोष हुण्डियां	1.03 182 Days Treasury Bills	6001	...	1585.00	1585.00	...	3122.14	3122.14	...	3500.00	3500.00
1.04. अन्य	1.04 Others	6001	...	246.93	246.93	...	577.46	577.46	...	978.48	978.48
जोड़ - आंतरिक उधार	**Total-Internal Debt**		...	**117819.65**	**117819.65**	...	**84687.32**	**84687.32**	...	**80896.66**	**80896.66**
2. बाह्य उधार	2. External Debt	6002	...	2050.94	2050.94	...	2180.90	2180.90	...	3252.32	3252.32
जोड़	**Total**		...	**119870.59**	**119870.59**	...	**86868.22**	**86868.22**	...	**84148.98**	**84148.98**
3. घटाइए-प्राप्तियों की तुलना में घटाई गई राशि	3. Less-Amount netted against Receipts	6001	...	-117819.65	-117819.65	...	-84687.32	-84687.32	...	-80896.66	-80896.66
		6002	...	-2050.94	-2050.94	...	-2180.90	2180.90	...	-3252.32	-3252.32
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...

इस विनियोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा देश तथा विदेशों से लिए गए कर्ज की वापसी तथा राजकोषीय हुंडियों के भुगतान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

This Appropriation includes provision for repayment of debt raised by Central Government, both internally and externally, as well as for discharge of treasury bills, etc.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.33

व्यय विभाग Department of Expenditure

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		0.74	106.34	107.08	0.39	6.21	6.60	251.26	7.17	258.43
पूंजी	*Capital*		*2.26*	...	*2.26*	*1.26*	...	*1.26*	*3.94*	...	*3.94*
जोड़	**Total**		**3.00**	**106.34**	**109.34**	**1.65**	**6.21**	**7.86**	**255.20**	**7.17**	**262.37**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	6.33	6.33	...	6.20	6.20	...	7.16	7.16
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध और अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान	2. Grants in aid to Institute for Financial Management and Research	2047	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
3. राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान	3. National Institute of Financial Management	2070	0.74	...	0.74	0.39	...	0.39	1.06	...	1.06
		4070	2.26	...	2.26	1.26	...	1.26	3.94	...	3.94
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*1.65*	...	*1.65*	*5.00*	...	*5.00*
4. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	4. Other Training Programmes	2070	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
5. महंगाई भत्ते आदि के लिए एकमुश्त व्यवस्था	5. Lumpsum provision for Dearness Allowance ,etc.	2070	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...
सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
5. नवीन कार्यक्रम	6. New Programmes	3601	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
कुल जोड़	*Grand Total*		*3.00*	*106.34*	*109.34*	*1.65*	*6.21*	*7.86*	*255.20*	*7.17*	*262.37*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay										
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1. Other Administrative Services	32070	3.00	...	3.00	1.65	...	1.65	5.20	...	5.20
2 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2. Other General Economic Services	13475	...	...	...	...	...	...	250.00	...	250.00
जोड़	**Total**		3.00	...	3.00	1.65	...	1.65	255.20	...	255.20

1. इस मांग में लेखा महानियन्त्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. इसमें वित्त प्रबन्ध और अनुसंधान संस्थान को अनुदान सहायता के लिए व्यवस्था की गई है ।

3. राष्ट्रीय वित्त प्रबन्ध संस्थान प्रथम श्रेणी की संगठित केन्द्रीय लेखा सेवा के अधिकारियों को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है । बजट में यह व्यवस्था संस्थान का स्थापना व्यय और भूमि की लागत, भवन निर्माण के लिए भूमि विकास, तकनीकी सलाह और संस्थान की परियोजना प्रबन्ध लागत को पूरा करने के लिए है ।

4. यह व्यवस्था महालेखा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है ।

6. यह व्यवस्था 1991-92 में प्रस्तावित कार्यन्वियन हेतु नए आयोजना कार्यक्रमों के संबंध में है ।

1. The provision is for secretariat expenditure of the Department of Expenditure including office of the Controller General of Accounts.

2. The provision is for grant assistance to Institute of Financial Management and Research.

3. The National Institute of Financial Management trains officers of organised Central Class I Accounts services in specialised areas. The provision in the Budget is for meeting establishment expenditure of the Institute and for cost of land, land development for construction of building, technical consultancy and project management costs of the Institute.

4. The provision is for expenditure on providing training facilities for Group B and C employees of Civil Accounts Department, by the Controller General of Accounts.

6. The provision is for new Plan programmes proposed to be implemented during 1991-92.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.34

लेखा परीक्षा Audit

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	242.97	242.97	...	244.33	244.33	...	255.12	255.12
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**242.97**	**242.97**	...	**244.33**	**244.33**	...	**255.12**	**255.12**
लेखा परीक्षा	**Audit**										
1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक	1. Comptroller and Auditor-General of India	2016	...	4.78	4.78	...	5.08	5.08	...	5.47	5.47
2. सिविल लेखा-परीक्षा तथा लेखा कार्यालय	*2. Civil Audit and Accounts Offices*										
2.01. सिविल लेखा परीक्षा कार्यालय	2.01 Civil Audit Offices	2016	...	133.30	133.30	...	133.68	133.68	...	139.56	139.56
2.02. सिविल लेखा कार्यालय	2.02 Civil Accounts Offices	2016	...	88.09	88.09	...	88.56	88.56	...	92.50	92.50
जोड़		*Total*	...	*221.39*	*221.39*	...	*222.24*	*222.24*	...	*232.06*	*232.06*
3. डाक व तार लेखा परीक्षा कार्यालय	3. P&T Audit Offices	2016	...	7.54	7.54	...	7.49	7.49	...	7.59	7.59
4. रेलवे लेखा परीक्षा कार्यालय	4. Railway Audit Offices	2016	...	11.68	11.68	...	11.73	11.73	...	12.11	12.11
5. रक्षा लेखा परीक्षा कार्यालय	5. Defence Audit Offices	2016	...	5.24	5.24	...	5.24	5.24	...	5.50	5.50
6. वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय	6. Commercial Audit Offices	2016	...	10.02	10.02	...	10.02	10.02	...	10.30	10.30
7. समुद्रपारीय लेखा परीक्षा कार्यालय	7. Overseas Audit Offices	2016	...	1.13	1.13	...	1.37	1.37	...	1.38	1.38
8. अन्य व्यय	8. Other Expenditure	2016	...	0.41	0.41	...	0.38	0.38	...	0.41	0.41
9. घटाइए-वसूलियां, जिनको व्यय में से घटाकर समायोजित कर दिया गया है	*9. Less Recoveries adjusted in reduction Of Expenditure*										
9.01. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक	9.01 C.A.G of India	2016	...	-0.08	-0.08	...	-0.08	-0.08	...	-0.08	-0.08
9.02. लेखा परीक्षा और लेखा कार्यालय	9.02 Audit & Accounts Offices	2016	...	-19.14	-19.14	...	-19.14	-19.14	...	-19.62	-19.62
जोड़		*Total*	...	*-19.22*	*-19.22*	...	*-19.22*	*-19.22*	...	*-19.70*	*-19.70*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***242.97***	***242.97***	...	***244.33***	***244.33***	...	***255.12***	***255.12***

इस मांग में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उसके नियंत्रक के अधीन उन कार्यालयों के व्यय के लिए व्यवस्था है जो केन्द्रीय सरकार के हिसाब-किताब के लेखा-परीक्षा संबंधी कार्य करने और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लेखा परीक्षा और लेखा संकलन संबंधी कार्य सम्पन्न करते हैं। संशोधित अनुमानों में वृद्धि नाम मात्र की हुई है। 1991-92 में बजट विषयक सामान्य वृद्धि शामिल की गई है।

This Demand includes provision for expenditure relating to the Comptroller and Auditor-General of India and the offices under his control dealing with audit of the accounts of Union Government and compilation and audit of the accounts of the State and Union Territory Governments. The increase in RE is nominal. Budget 1991-92 takes into account normal growth.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.35

राजस्व भाग Department of Revenue

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	37.38	37.38	...	17.78	17.78	...	31.15	31.15
पूंजी	*Capital*		...	*1.60*	*1.60*	...	*0.79*	*0.79*	...	*1.74*	*1.74*
जोड़	**Total**		...	**38.98**	**38.98**	...	**18.57**	**18.57**	...	**32.89**	**32.89**
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	18.41	18.41	...	13.47	13.47	...	19.63	19.63
अन्य राजकोषीय सेवाएं	**Other Fiscal Services**										
2. प्रवर्तन निदेशालय	2. Enforcement Directorate	2047	...	4.50	4.50	...	4.89	4.89	...	5.18	5.18
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2047	...	3.79	3.79	...	3.29	3.29	...	3.45	3.45
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
4. मादक पदार्थ नियंत्रण	4. Narcotics Control	2070	...	1.72	1.72	...	1.98	1.98	...	1.99	1.99
5. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आदि	5. International Cooperation etc.	2070	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12	...	0.15	0.15
अन्य उद्योग	**Other Industries**										
6. अफीम और एल्कालायड कारखाने	6. Opium and Alkaloid Factories										
6.01. राजस्व व्यय	6.01 Revenue Expenditure	2875	...	37.85	37.85	...	33.17	33.17	...	36.83	36.83
6.02. घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	6.02 Less - Revenue Receipts	0875	...	-30.00	-30.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	-40.00
6.03. निवल	*6.03 Net*		...	*7.85*	*7.85*	...	*-6.83*	*-6.83*	...	*-3.17*	*-3.17*
6.04. पूंजी व्यय	6.04 Capital Expenditure	4875	...	1.60	1.60	...	0.79	0.79	...	1.74	1.74
7. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्कालायड कारखाने	7. Chief Controller, Government Opium & Alkaloid Factories	2875	...	0.14	0.14	...	0.16	0.16	...	0.16	0.16
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	**Other Taxes and Duties on Commodities & Services**										
8. स्वदेशी यात्रा कर संग्रह	8. Collection of Inland Air Travel Tax	2045	...	...	...	...	...	...	...	3.00	3.00
9. विदेश यात्रा कर संग्रह	9. Collection of Foreign Travel Tax	2045	...	0.29	0.29	...	0.29	0.29	...	0.35	0.35
विविध सामान्य सेवाएं	**Miscellaneous General Services**										
10. स्वर्णकारों को दिये गये ऋण को बट्टे खाते डालना	10. Write-off of loans to goldsmiths	2075	...	0.50	0.50	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40
11. अन्य सामान्य सेवाएं	11. Other General Services	3475	...	0.06	0.06	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***38.98***	***38.98***	...	***18.57***	***18.57***	...	***32.89***	***32.89***

1. इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जिसमें नार्कोटिक नियंत्रण ब्यूरो भी शामिल है।

2. इसमें प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम केअधीन व्यवस्था के प्रवर्तन से संबंधित है।

3 इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत सक्षम प्रधिकारी के कार्यालय और अपीलीय न्यायाधिकरण, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन - क्षेत्रीय कार्यालय, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान को अनुदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

4 इसमें केन्द्रीय नार्कोटिक ब्यूरो के लिए व्यवस्था शामिल है।

5. इसमें मादक पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ निधि तथा कर प्रशासन और सीमाशुल्क परिषद राष्ट्रमण्डलीय एसोसिएशन में अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

6. यह अफीम फैक्टरियों और अफीम उत्पादन की खरीद सहित गाजीपुर तथा नीमच स्थित एल्केलायड कारखानों के निवल व्ययको दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार अफीम की खेती पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखती है तथा इसको संसाधित करने तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिकी जरूरतों के लिए बिक्री के लिए सारा उत्पादन खरीदती है।

1990-91 के फसल वर्ष के दौरान अफीम पोस्त की खेती के लिए लगभग 14800 हैक्टेयर जमीन में खेती की गई तथा 1991-92 में 15000 हैक्टेयर में खेती की जाने की भी संभावना है।

7. मुख्य नियंत्रक के संगठन, सरकारी अफीम और अल्कालायड कारखानों के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

8. वर्ष 1989-90 से प्रारम्भ की गयी अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर घरेलू वायु यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से उद्गृहणीय है। यह कर इण्डियन एअर लाइंस, एअर इण्डिया, वायुदूत और पवन हंस लि. जैसे कैरियरों से वसूल किया जाता है। ऐसे वाहकों के वसूली प्रभारों की अदायगी के लिए उपबन्ध है जो संग्रहीत किए गए कर का 5% बनाता है।

9. किसी यात्री द्वारा की गयी अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में विदेश यात्रा कर भुगतान योग्य है। कैरियरों द्वारा यह कर वसूल किया जाता है जिसके लिए संग्रहीत कर का 1 प्रतिशत वसूली प्रभार उन्हें भुगतान किया जाता है। ऐसे प्रभारों की अदायगी के लिए प्रावधान है।

10. इस शीर्ष के अन्तर्गत स्वर्णकारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों के उधारों को बट्टे खाते के लिए व्यवस्था की गई है।

11. इस शीर्ष में कर जमा पत्रों के प्रति भुगतान शामिल है।

1. Provision is for secretariat expenditure of the Department of Revenue including the Narcotics Control Bureau.

2. The provision is for expenditure of the Enforcement Directorate, which is concerned with the enforcement of the provisions under the Foreign Exchange Regulation Act.

3. This includes provision for office of Competent Authority and Appellate Tribunal under Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976; Gold Control Administration - Regional Offices; Customs, Central Excise and Gold Control Appellate Tribunal and Grants to National Institute of Public Finance and Policy.

4. This includes provision for Central Bureau of Narcotics.

5. The provision is for contributions to United Nations Fund for Control of Drug Abuse, Commonwealth Association of Tax Administration and Customs Council.

6. This represents the net expenditure of the Opium factories and Alkaloid Works at Ghazipur and Neemuch including purchase of Opium produce. Central Government exercises exclusive control over the cultivation of opium and purchases the entire produce for processing and sale for medicinal and scientific needs.

During the crop year 1990-91, the land under opium poppy cultivation was about 14800 hectares and in 1991-92 it is expected to be about 15000 hectares.

7. Provision is for expenditure of the organisation of the Chief Controller, Government Opium and Alkaloid Factories.

8. Inland Air Travel Tax, which was introduced in 1989-90, is leviable on all passengers embarking for domestic air journey. The tax is collected by the carriers, viz. Indian Airlines, Air India, Vayudoot and Pawan Hans Ltd. The provision is for payment of the collection charges to the carriers, which is worked out at the rate of 5% of the tax collected.

9. The Foreign travel tax is payable in respect of an international journey undertaken by a passenger. The tax is collected by the carriers for which collection charges at 1% of the tax collected are paid to them. The provision is for the payment of such charges.

10. Provision is for write off of loans to State Governments for rehabilitation of goldsmiths.

11. This includes payment against Tax Credit Certificates.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

मांग संख्या DEMAND No.36

प्रत्यक्ष कर Direct Taxes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	221.70	221.70	...	232.94	232.94	...	250.00	250.00
पूंजी	*Capital*		...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*	...	*30.00*	*30.00*
जोड़	**Total**		...	**251.70**	**251.70**	...	**262.94**	**262.94**	...	**280.00**	**280.00**
आय तथा व्यय पर करों का संग्रह	**Collection of Taxes on Income & Expenditure**										
1. आय कर का संग्रह	1.Collection of Income-tax	2020	...	172.93	172.93	...	181.70	181.70	...	195.00	195.00
2. निगम कर का संग्रह	2.Collection of Corporation tax	2020	...	26.60	26.60	...	27.95	27.95	...	30.00	30.00
सम्पदा शुल्क, धन कर तथा दान कर का संग्रह	**Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth and Gift tax**										
3. धन कर का संग्रह	3.Collection of Wealth Tax	2031	...	17.74	17.74	...	18.63	18.63	...	20.00	20.00
4. अन्य करों का संग्रह	4.Collection of Other Taxes	2031	...	4.43	4.43	...	4.66	4.66	...	5.00	5.00
5. आयकर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण	5. Acquisition of Immovable property under the Income-tax Act	4075	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*251.70*	*251.70*	...	*262.94*	*262.94*	...	*280.00*	*280.00*

इस मांग में आयकर विभाग की आवश्यकता के लिए व्यवस्था है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए, तथा इकट्ठे किए गए सभी प्रत्यक्ष करों अर्थात् आय पर कर (निगम क्षेत्र की आय शामिल है) सम्पदा शुल्क, धन कर और दानकर सम्बन्धी प्रशासन कार्य करता है। शुल्कों के संग्रह के लिए देश को कार्यक्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र एक आयकर आयुक्त के अधिकार में है। इस विभाग में बड़े पैमाने पर अपवंचन, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशनों के मामलों की छानबीन करने के मामलों के लिए अलग से निदेशालय भी है। संशोधित अनुमानों में मद संख्या 1 से 4 में जो वृद्धियां हुई हैं वे मुख्य रूप से महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर किए जाने, बोनस की व्यवस्था करने, तथा कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान किराए पर लिए जाने तथा बड़े पैमाने पर राजस्व संग्रह अभियान आदि को तेजी से चलाने के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने आदि के कारण हुई हैं। बजट 1991-92 में सामान्य वृद्धि के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

मद संख्या 5 के समक्ष जो व्यवस्था है वह वित्त अधिनियम, 1986 (यथासंशोधित) द्वारा यथारोपित आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXC में परिकल्पित प्रबंध के अनुसार केन्द्रीय सरकार के द्वारा अचल सम्पत्तियों को पूर्वक्रयाधिकार के अनुसार खरीद कर लिए जाने के संबंध में है। इस प्रयोजन के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें से ऐसी अधिग्रहीत सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त 90 करोड़ रुपए की रकम को घटा दिया गया है, जिनका विक्रय केन्द्रीय सरकार ने किया है।

The Demand provides for the requirement of the Income-tax department, which administers all direct taxes levied and collected by the Central Government, namely, taxes on income (including income of the corporate sector), estate duty, wealth tax and gift tax. For purpose of collection, the country has been divided into charges. The Department has also got separate Directorates for scrutiny of cases involving large scale evasion, inspection, research, statistics and publications. The increases in Revised estimates at items 1-4 are mainly due to the effect of grant of additional instalments of D.A., bonus, upward revision in the rates of daily wages, hiring of additional office accommodation, creation of additional posts as a part of intensified revenue collection drive, etc. Budget Estimates 1991-92 take into account normal growth.

The provision at item 5 relates to pre-emptive purchase of immovable properties by Central Government as envisaged in Chapter XXC of the Income- tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 1986. The provision for this purpose is net of estimated sale proceeds amounting to Rs.90 crores in respect of the acquired properties disposed off by the Government.

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
मांग संख्या DEMAND No.37
अप्रत्यक्ष कर Indirect Taxes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		..	348.28	348.28	...	345.27	345.27	...	402.57	402.57
पूंजी	*Capital*		...	*146.75*	*146.75*	...	*136.23*	*136.23*	...	*147.14*	*147.14*
जोड़	**Total**		...	**495.03**	**495.03**	...	**481.50**	**481.50**	...	**549.71**	**549.71**
सीमा शुल्क	**Customs**										
1. सीमा शुल्क संग्रह	1. Collection of customs	2037	...	126.12	126.12	...	137.40	137.40	...	159.51	159.51
2. तट सुरक्षा संगठन	2. Coast Guard organisation	2037	...	36.98	36.98	...	38.97	38.97	...	45.77	45.77
		4047	...	146.55	146.55	...	136.03	136.03	...	146.94	146.94
जोड़		**Total**	...	**183.53**	**183.53**	...	**175.00**	**175.00**	...	**192.71**	**192.71**
3. सीमा शुल्क पर अन्य व्यय	3. Other expenditure on customs	2037	...	7.53	7.53	...	5.31	5.31	...	7.04	7.04
		4047	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़		**Total**	...	**7.73**	**7.73**	...	**5.51**	**5.51**	...	**7.24**	**7.24**
संघ उत्पाद शुल्क	**Union Excise Duties**										
4. संघ उत्पाद शुल्कों का संग्रह	4. Collection of Union Excise Duties	2038	...	164.21	164.21	...	150.20	150.20	...	175.88	175.88
5. बैंडरोल तथा संघ उत्पाद शुल्क टिकटों तथा लेबलों का मुद्रण आदि	5. Printing etc. of Banderols and Union Excise Stamps and labels	2038	...	4.38	4.38	...	4.33	4.33	...	4.47	4.47
6. अन्य व्यय	6. Other Expenditure	2038	...	9.06	9.06	...	9.06	9.06	...	9.90	9.90
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***495.03***	***495.03***	...	***481.50***	***481.50***	...	***549.71***	***549.71***

1. इस मांग में सीमा शुल्क स्कंध के स्थापना व्यय और अन्य व्यय के लिए और छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क चौकियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध द्वारा किए गए सीमा शुल्क संग्रह के कार्य के संबंध में उसको आनुपातिक व्यय की अदायगी करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. इस मांग में तट सुरक्षा संगठन के व्यय के लिए व्यवस्था शामिल की गई है जो भारत के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था करता है।

3. इस मांग में 7.00 करोड़ रुपए की सीमा-शुल्क कल्याण निधि के अलावा भू-सीमा शुल्क से संबंधित बृहत्तर निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

4. यह व्यवस्था संघीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्ययों और उत्पाद शुल्क संग्रह के संबंध में किए जाने वाले अन्य व्ययों के लिए है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध कुछ स्थानों पर, जैसे छोटे पत्तनों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमा शुल्क संग्रह संबंधी कार्य भी करता है, जिसके लिए सीमा शुल्क स्कंध से आनुपातिक आधार पर खर्च वसूल कर लिया जाता है ।

5. इस मांग में माचिस उत्पाद शुल्क बैंड रोल और संघीय उत्पाद शुल्क स्टाम्पों और लेबलों की छपाई की लागत की व्यवस्था है ।

6. इस मांग में मुख्यतः स्थापना और निरीक्षण सांख्यिकी और आसूचना, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रकाशन निदेशालय और अपवंचन निरोधी निदेशालय पर होने वाला अन्य व्यय शामिल है ।

1. This includes provision for the establishment and other expenditure of the Customs wing and for payment of proportionate charges to the Central Excise wing for customs work done by it at minor ports and land customs border posts.

2. Provision is for expenditure of the Coast Guard Organisation, which ensures the security of the maritime zones of India.

3. This Includes provision for major works relating to Land Customs besides Rs. 7.00 crores for Customs welfare fund.

4. The provision is for establishment expenses of the Central Excise Organisation including other expenses on collection of Union Excise Duties. The Central Excise wing also performs customs work at certain places like minor ports and land customs stations for which proportionate charges are recovered from the Customs wing.

5. Provision represents cost of printing of match excise banderols and union excise stamps and labels.

6. This includes provision mainly for the establishment and other expenditure on Inspection, Statistics and Intelligence, Training, Vigilance, Directorate of Publications and Directorate of Anti-evasion.

मांग संख्या DEMAND No.38
खाद्य मंत्रालय MINISTRY OF FOOD

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		6.30	2361.84	2368.14	5.43	2611.27	2616.70	8.45	2732.33	2740.78
पूंजी	*Capital*		*26.31*	...	*26.31*	*24.34*	...	*24.34*	*30.40*	...	*30.40*
जोड़	**Total**		**32.61**	**2361.84**	**2394.45**	**29.77**	**2611.27**	**2641.04**	**38.85**	**2732.33**	**2771.18**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	3.97	3.97	...	3.70	3.70	...	4.10	4.10
खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार	**Food , Storage and Warehousing**										
2. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	2. Food Subsidy	2408	...	2200.00	2200.00	...	2450.00	2450.00	...	2600.00	2600.00
3. चीनी के संकट निरोधक भण्डारों के अनुरक्षण के लिए आर्थिक सहायता	3.Subisidy on maintenance of buffer stock of Sugar	2408	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
4. चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्यय	4.Other Expenditure for development of sugar industry	2408	...	8.15	8.15	...	8.15	8.15	...	8.45	8.45
5. चीनी विकास निधि से/को अन्तरण	5. Transfers to/from Sugar Development Fund										
		2408	...	141.35	141.35	...	141.35	141.35	...	111.05	111.05
		6860	...	-140.00	-140.00	...	-110.00	-110.00	...	-110.00	-110.00
निवल		Net	...	1.35	1.35	...	31.35	31.35	...	1.05	1.05
6. अनधिसूचित चीनी उपक्रमों को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	6. Interest subsidy to denotified sugar undertakings	2408	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	...	...
7. खाद्य,भण्डारण और भाण्डागारों के अन्य कार्यक्रम	7. Other programmes of Food, Storage and Warehousing	2408	3.77	5.77	9.54	3.31	5.59	8.90	5.12	6.20	11.32
		3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		4408	1.08	...	1.08	0.82	...	0.82	1.40	...	1.40
		7601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*5.10*	*5.77*	*10.87*	*4.38*	*5.59*	*9.97*	*10.57*	*6.20*	*16.77*
जोड़-खाद्य,भण्डारण और भाण्डागार	**Total - Food, Storage and Warehousing**		**5.10**	**2215.87**	**2220.97**	**4.38**	**2495.69**	**2500.07**	**10.57**	**2616.20**	**2626.77**
पोषाहार	**Nutrition**										
8. अन्य योजनाएं	8. Other Schemes	2236	1.51	2.00	3.51	1.20	1.88	3.08	1.79	2.03	3.82
		3601	0.93	...	0.93	0.84	...	0.84	1.46	...	1.46
		3602	0.04	...	0.04	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
		7601	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.50*	*2.00*	*4.50*	*2.07*	*1.88*	*3.95*	*3.28*	*2.03*	*5.31*
उद्योग	**Industries**										
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
9. चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/पुनःस्थापना	9. Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills	6860	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00
10. गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण	10. Loans to Sugar Mills for Cane Development	6860	...	70.00	70.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00
जोड़-उपभोक्ता उद्योग	**Total - Consumer Industries**		...	**140.00**	**140.00**	...	**110.00**	**110.00**	...	**110.00**	**110.00**
11. सरकारी उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण	11. Investments in Public Enterprises	4408	25.00	...	25.00	23.32	...	23.32	25.00	...	25.00
		6860	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़		Total	25.01	...	25.01	23.32	...	23.32	25.00	...	25.00
12. सकल सहायता सामग्री और उपस्कर	12. Aid Material and Equipment-Gross	3606	...	...	...	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
घटाइये-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में अन्तरण	Deduct- Transfer to Functional Major Head	3606	...	...	...	...	-0.10	-0.10	...	-0.10	-0.10
निवल	*Aid Material and Equipment-Net*	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*32.61*	*2361.84*	*2394.45*	*29.77*	*2611.27*	*2641.04*	*38.85*	*2732.33*	*2771.18*
ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सा. IEBR	जोड़ Total
11.01 भारतीय खाद्य निगम	11.01 Food Corporation of India	12408	25.00	...	25.00	23.32	...	23.32	25.00	...	25.00
11.02 केन्द्रीय भाण्डागार निगम	11.02 Central Warehousing Corporation	12408	...	28.50	28.50	...	28.50	28.50	...	37.50	37.50
11.03 हिन्दुस्तान साल्ट लि.	11.03 Hindustan Salt Limited	12852	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		25.01	28.50	53.51	23.32	28.50	51.82	25.00	37.50	62.50
ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay*										
1. खाद्य,भण्डारण और भाण्डागार	1. Food, Storage & Warehousing	12408	30.10	28.50	58.60	27.70	28.50	56.20	35.57	37.50	73.07
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12852	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
3. पोषाहार	3. Nutrition	22236	2.50	...	2.50	2.07	...	2.07	3.28	...	3.28
जोड़	**Total**		**32.61**	**28.50**	**61.11**	**29.77**	**28.50**	**58.27**	**38.85**	**37.50**	**76.35**

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय में प्रदान किए गए निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है ।

*inclusive of Works Outlay as provided in the Demand of Ministry of Urban Development

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाए :-** इसमें खाद्य विभाग और वेतन तथा लेखा कार्यालयों के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है ।

2. **खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता :-** भारतीय खाद्य निगम को खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता निम्नलिखित की प्रतिपूर्ति के लिए की जाती है । (i) खाद्यान्नों कीआर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्यों के बीच का अन्तर, और (ii) संकट निरोधक भण्डारों को रखने की लागत । आर्थिक लागत में खरीद मूल्य और देश के भीतर खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण संबंधी आनुषंगिक व्यय आते हैं, जिसमें, लाने-ले जाने, भण्डारण के रख-रखाव, ब्याज प्रभार आदि शामिल हैं

3. **चीनी के संकट निरोधक भण्डार बनाये रखने के लिए आर्थिक सहायता :-** इसके अन्तर्गत चीनी के संकट निरोधक भण्डार बनाये रखने के लिए चीनी के कारखानों के बकाया दावों के निपटान करने के लिए प्रावधान है जिसे चीनी विकास निधि से पूरा किया जाना है ।

4. **चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य व्यय :-** यह व्यय चीनी विकास निधि से पूरा किया जाता है और इस में चीनी मिलों को दी जाने वाली अनुदान सहायता शामिल है ।

5. **चीनी विकास निधि को अन्तरण :-** चीनी उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए चीनी के उत्पादन पर पहली जून, 1982 से 5 रुपए प्रति क्विंटल तथा पहली नवम्बर, 1982 से 14 रुपए प्रति क्विंटल उपकर लगाने की व्यवस्था है । चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत, चीनी उद्योग के विकास के लिए ऋण और अनुदान देने के लिए प्रयोग में लाने के वास्ते चीनी विकास निधि को, संग्रह की लागत के अनुसार कम करके संग्रहित उपकर के बराबर की राशि को अन्तरित करने की व्यवस्था है । पब्लिक एकाउंट आफ इण्डिया के अन्तर्गत चीनी विकास निधि को भारत समेकित निधि से उपर्युक्त संबंध में दी गयी राशि अन्तरित करने की व्यवस्था है।

6. **डिनोटीफाइड चीनी अंडरटेकिंगस को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :-** पहले से डिनोटीफाइड मिलों के लिए मालिकों/राज्य सरकारों के साथ किए गए करारों के अनुसार, बकाया हानियों पर 5 वर्षों के ऋण स्थगन की अवधि के दौरान प्राप्त ब्याज को, मिलो द्वारा चुकाए गए ऋण पर देय ब्याज के बाद मिलों को आर्थिक सहायता के रूप में चुकाया जाएगा, क्योंकि पांच वर्ष की ऋण स्थगन की अवधि सभी मामलों में 1991-92 के दौरान समाप्त हो जाएगी, इस उपशीर्ष के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. **खाद्य, भण्डारण और भाण्डागार के अन्य कार्यक्रम :-** इसमें "निदेशन और प्रशासन" "खाद्यान्नों की खरीद पर अवशिष्ट व्यय", "फल और सब्जियों का संसाधन", "अनुसंधान, प्रशिक्षण और मूल्यांकन", "अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग" और "अन्य योजनाओं" को शामिल किया गया है ।

8. **अन्य योजनाए :-** इन योजनाओं का संबंध लवण और दुग्ध को संपुष्ट करने के लिए पुष्टि तत्त्वों के प्रयोग, पुष्टि तत्वों संबंधी शिक्षण तथा विस्तार तथा मिलटोन और पौष्टिक एवं तुरत प्रयोज्य शक्तिवर्धक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कार्यक्रम से है ।

9. **चीनी मिलों की पुनर्स्थापना/आधुनिकीकरण :-** यह व्यय चीनी विकास निधि से किया जाता है ताकि इससे अन्य बातों के साथ-साथ चीनी की किसी भी फैक्टरी की पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिया जा सके ।

10. **चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए ऋण :-** यह व्यवस्था गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण देने के लिए है और इसकी पूर्ति चीनी विकास निधि से की जाती है ।

11. **सरकारी उद्यमों में निवेश :-** इन उद्यमों द्वारा जारी किये जाने वाले इक्विटी और ऋणों तथा आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों का ब्योरा व्यय बजट खण्ड । में दिया गया है ।

11.01. **भारतीय खाद्य निगम :-** अगले वर्ष के प्रावधान में मुख्यतः भण्डारण क्षमता को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिव्यय शामिल है, यह कार्य चल रहा है ।

11.02. **केन्द्रीय भाण्डागार निगम :-** यह कृषि उत्पादों तथा सहायक सामग्रियों एवं अन्य अनधिसूचित वस्तुओं के भण्डारण के लिए भंडारों तथा भाण्डागारों का निर्माण और अधिग्रहण करता है । यह उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राज्य भाण्डागार निगमों की शेयर पूंजी भी जुटाता है । कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है और व्यय की पूर्ति इसके आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से की जाएगी ।

11.03. **हिन्दुस्तान साल्ट लि. को ऋण :** इस के अन्तर्गत सांभरझील में नमक के प्रबलन के लिए संयंत्र स्थापित करना शामिल है ।

1. **Secretariat - Economic Services:-** This provides for Secretariat expenditure of the Department of Food and the Pay and Accounts Offices.

2. **Food Subsidy:-** Food subsidy is paid to the Food Corporation of India for reimbursement of (i) the difference between the economic cost of food grains and their issue price and (ii) carrying cost of buffer stocks. The economic cost comprises procurement price and procurement incidentals for indigeneously procured food grains as well as distribution incidentals comprising movement, storage, handling, interest charges etc.

3. **Subsidy on maintenance of buffer Stock of Sugar:-** This represents provision for meeting outstanding claims of Sugar Mills for maintenance of buffer stock of Sugar to be met out of Sugar Development Fund.

4. **Other expenditure for development of Sugar Industry:-** The expenditure is met out of the Sugar Development Fund, and includes grants in aid to sugar mills.

5. **Transfers to Sugar Development Fund:-** The Sugar Cess Act 1982 provides for levy of cess of Rs.5 per quintal from 1st June, 1982 and Rs.14 per quintal from 1st November, 1982 on production of Sugar for credit to the Consolidated Fund of India. The Sugar Development Fund Act, 1982 provides for transfer of an amount equivalent to the cess collected, reduced by the cost of collection, to the Sugar Development Fund to be used for making loans and grants for development of sugar industry. The provision is for transfer of the amount computed in the above manner from the Consolidated Fund of India to Sugar Development Fund under the Public Account of India.

6. **Interest Subsidy to Denotified Sugar Undertakings:-** In accordance with the agreements made with the owners/State Govts. for the mills already denotified, interest accruing during the period of moratorium of 5 years on the outstanding loans will be given as subsidy to the mills after the interest due on loan is paid by the mills, as the moratorium period of 5 years will expire during 1991-92 in all the cases, no provision has been made against this sub-head.

7. **Other Programmes of Food, Storage and Warehousing:-** This includes provision for 'Direction and Administration', 'Residual Expenditure on Purchase of food grains', 'Research, Training and Evaluation', 'International Cooperation' and 'Other Schemes'.

8. **Other Schemes:-** These schemes relate to Nutrition for fortification of Salt and Milk, Nutrition Education and extension, Production of Miltone and nutritious ready to eat energy foods.

9. **Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills:-** The expenditure is met out of Sugar Development Fund for making loans inter-alia for rehabilitation and modernisation of any sugar factory.

10. **Loans to Sugar Mills for Cane Development:-** The provision is for making loans to sugar mills for cane development and is met out of Sugar Development Fund.

11. **Investments in Public Enterprises** - The break up of equity and loans and the IEBR to be raised by these enterprises is given in Expenditure Budget Vol. I

11.01. **Food Corporation of India.-** The provision for next year mainly represents the outlays required for completion of storage capacity which is in progress.

11.02. **Central Warehousing Corporation:-** Constructs and acquires godowns and warehouses for the storage of agricultural produce and implements and other notified commodities. It also subscribes to the share capital of State Warehousing Corporations for the objectives mentioned above. No budget provision has been made and the expenditure will be met from its internal and extra budgetary resources.

11.03. **Loans to Hindustan Salt Ltd. :** This is for setting up a Plant at Sambhar lake for fortification of salt.

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

मांग संख्या DEMAND No.39

खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय Ministry of Food Processing Industries

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

			बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
	राजस्व Revenue		18.38	4.42	22.80	15.86	4.02	19.88	25.99	4.42	30.41
	पूंजी *Capital*		*11.62*	*0.01*	*11.63*	*9.94*	...	*9.94*	*14.01*	*0.01*	*14.02*
	जोड़ **Total**		**30.00**	**4.43**	**34.43**	**25.80**	**4.02**	**29.82**	**40.00**	**4.43**	**44.43**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat- Economic Services	3451	0.70	1.81	2.51	0.60	1.30	1.90	0.60	1.47	2.07
मत्स्य उद्योग	Fisheries										
2. सामुद्रिक मत्स्य उद्योग	2. Marine Fisheries	2405	11.00	1.56	12.56	10.01	1.39	11.40	12.50	1.60	14.10
		4405	0.50	0.01	0.51	0.44	...	0.44	2.50	0.01	2.51
जोड़		*Total*	*11.50*	*1.57*	*13.07*	*10.45*	*1.39*	*11.84*	*15.00*	*1.61*	*16.61*
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2405	...	0.50	0.50	...	0.83	0.83	...	0.80	0.80
जोड़ - मत्स्य उद्योग	**Total Fisheries**		**11.50**	**2.07**	**13.57**	**10.45**	**2.22**	**12.67**	**15.00**	**2.41**	**17.41**
खाद्य, भण्डारण और भांडागार	Food Storage and warehousing										
4. खाद्य भण्डारण और भाण्डागारों के अन्य कार्यक्रम	4. Other programmes of food, storage and warehousing	2408	4.63	0.55	5.18	3.42	0.50	3.92	6.94	0.55	7.49
		3601	1.72	...	1.72	1.61	...	1.61	5.75	...	5.75
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	...	...	...
		4408	6.65	...	6.65	6.13	...	6.13	7.65	...	7.65
		6860	0.95	...	0.95	0.85	...	0.85	...	...	...
		7601	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	1.26	...	1.26
जोड़		*Total*	*14.00*	*0.55*	*14.55*	*12.06*	*0.50*	*12.56*	*21.60*	*0.55*	*22.15*
जोड़-खाद्य, भण्डारण और भांडागार	**Total** - Food, Storage and Warehousing		14.00	0.55	14.55	12.06	0.50	12.56	21.60	0.55	22.15
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
5. अन्य कार्यक्रम	5. Other Programmes	2408	0.30	...	0.30	0.19	...	0.19	0.20	...	0.20
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	6. Investments in Public Enterprises	4860	1.75	...	1.75	1.25	...	1.25	1.30	...	1.30
		6860	1.75	...	1.75	1.25	...	1.25	1.30	...	1.30
जोड़		*Total*	*3.50*	...	*3.50*	*2.50*	...	*2.50*	*2.60*	...	*2.60*
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	**Total - Consumer Industries**		**3.80**	--	**3.80**	**2.69**	...	**2.69**	**2.80**	...	**2.80**
कुल जोड़	***Grand Total***		***30.00***	***4.43***	***34.43***	***25.80***	***4.02***	***29.82***	***40.00***	***4.43***	***44.43***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ज. IEBR	जोड़ Total
6.01. माडर्न फूड इंडस्ट्री (इं)लि.	6.01 Modern Food Industries(I) Ltd.	12860	3.50	2.00	5.50	2.50	5.24	7.74	2.60	3.00	5.60
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat Economic Services	13451	0.70	...	0.70	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60
2. मत्स्य उद्योग	2. Fisheries	12405	11.50	...	11.50	10.45	...	10.45	15.00	...	15.00
3. खाद्य,भण्डारण और भाण्डागार	3. Food, Storage and Warehousing*	12408	14.00	...	14.00	12.06	...	12.06	21.60	...	21.60
4. उपभोक्ता उद्योग	4. Consumer Industries	12860	3.80	2.00	5.80	2.69	5.24	7.93	2.80	3.00	5.80
जोड़	**Total**		**30.00**	**2.00**	**32.00**	**25.80**	**5.24**	**31.04**	**40.00**	**3.00**	**43.00**

1. **सचिवालय : आर्थिक सेवाएं:** इस में मंत्रालय के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **सामुद्रिक मत्स्य उद्योग :** इस में मुख्यतः गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की दृष्टि से सामुद्रिक संसाधनों के अन्वेषणालय सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त सर्वेक्षण पोत और उपस्कर प्राप्त करने के लिए अन्वेषणालय मीन उद्योग परियोजना के लिए व्यवस्था की गई है । इसके अन्तर्गत भारतीय गहरे समुद्रों में जलयानों की संख्या और किस्मों में वृद्धि करने की दृष्टि से विविध मत्स्य गतिविधियों में सहायता और इक्विटी समर्थन के लिए एम. पी. ई. डी. ए./एस. सी. आई. सी. आई. को सहायता अनुदान देने संबंधी व्यय शामिल है ।

3. **अन्य व्यय :** इसमें मछली पकड़ने वाले पोतों के अवरुद्ध हो जाने पर बिलों की अदायगी के लिए व्यवस्था की गई है ।

4. **खाद्य, भंडारण और भांडागार के अन्य कार्यक्रम :** इसमें निम्नलिखित के संबंध में व्यवस्था की गई है :-

i) अनुसंधान मूल्यांकन चावल मिलों का आधुनिकीकरण: धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर, फसल पश्च-फसल कटाई प्रौद्योगिकी केन्द्र, आई. आई. टी. खड़गपुर इत्यादि, चावल मिलों के आधुनिकीकरण के संवर्धन के लिए सहायता अनुदान ।

ii) खाद्य प्रसंस्करण, फल और सब्जी प्रसंस्करण : फल उत्पादों का निरीक्षण, संसाधित फल और सब्जी उत्पादों की खपत और फल उत्पाद नियंत्रण आदेश चिह्नों का संवर्धन, फल और वनस्पति निदेशालय को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान ।

1. **Secretriat- Economic Services :** This provision is made for the expenditure on the Secretariat of the Ministry.

2. **Marine Fisheries :** The provision is mainly for exploratory fisheries project for acquiring suitable survey vessels and equipment for exploratory surveys of marine resources with a view to commercial exploitation of deep sea fishing resources. Expenditure on Grants-in-aid to MPEDA/SCICI for equity support and assistance in diversified fishery activities all aimed at increasing the number and variety of vessels in Indian deep sea.

3. **Other Expenditure-** The provision is for payment of bills for apprehended fishing vessels.

4. **Other Programmes of Food, Storage & Warehousing :**
The Provision is for :

i) Research And Evaluation, Modernisation of Rice Milling Grants-in-aid to Paddy Processing Research Centres, Thanjavur, Post Harvest Technology Centres, IIT Kharagpur etc., to promote modernisation of Rice Milling.

ii) Food Processing, Fruit and Vegetable processing
Inspection of Fruit Products, Promotion of consumption of processed Fruit and vegetable product and that of the Fruits Products Control order symbol, strenghthening of fruit and Vegetable Directorate, Graints-in-aid tc Research Institution for technology up-gradation.

मजबूत करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान ।

iii) मांस और मांस प्रसंस्करण, मांस निर्यात के लिए परियोजना, तकनीकी कार्मिकों और कारीगरों को प्रशिक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं के लिए व्यवस्था ।

उपभोक्ता उद्योग

5. अन्य कार्यक्रम : इसके अन्तर्गत भारतीय परम्परागत खाद्य और पैकेजिंग में छोटी-छोटी गतिविधियां तथा अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण के लिए उद्यमियों को सहायता हेतु सहायता अनुदान के रुप में व्यवस्था की गई है ।

6. सरकारी उद्यमों में निवेश : इन उद्यमों द्वारा इकट्ठे किए जाने वाले इक्विटी और ऋण तथा आ. ब. बा. सं. का ब्योरा व्यय बजट खण्ड 1 में दिया गया है । इसमें ऊर्जा खाद्य संयंत्रों की स्थापना करने और डबल रोटी बनाने वाली घिसी-पिटी मशीनों की पुनः स्थापना करने संबंधी वित्त व्यवस्था के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि., में ऋणों और इक्विटी निवेश की व्यवस्था की गई है ।

order symbol, strenghthening of fruit and Vegetable Directorate, Graints-in-aid to Research Institution for technology up-gradation.

iii) Meat and Meat Processing, Project for Meat Export, Training of Technical Personnel and Artisans, and provision for Quality Control, lab testing facilities.

Consumer Industries:

5. Other Programmes : The provision is in the form of Grants-in-aid for R & D schemes of Small Scale Activities in Indian Traditonal Food & Packaging and to assist Enterprenures for testing.

6.Investment in Public Enterprises: The break up of equity and aloans and the IEBR to be raised by these enterprises is given in Expenditure Budget Vol. I. The provision made is for loan and equity investment in Modern Food Industries(India)Ltd. to finance the setting up of Energy Food Plants, replacement of depreciated bread lines.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

मांग संख्या DEMAND No.40

स्वास्थ्य विभाग Department of Health

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		264.08	235.50	499.58	247.33	232.79	480.12	293.49	254.68	548.17
पूंजी	*Capital*		*0.45*	*-1.10*	*-0.65*	*0.40*	*-1.10*	*-0.70*	*0.51*	*-1.10*	*-0.59*
जोड़	Total		264.53	234.40	498.93	247.73	231.69	479.42	294.00	253.58	547.58
1. सचिवालय —सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	...	2.88	2.88	...	3.07	3.07	...	3.14	3.14
1क विवेकाधीन अनुदान	1A Discretionary Grant	2013	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	**Medical and Public Health**										
2 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2. Directorate General of Health Services	2210	0.23	5.34	5.57	0.21	5.40	5.61	0.43	5.67	6.10
3. केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना	3. Central Government Health Scheme	2210	3.00	62.13	65.13	3.00	60.07	63.07	4.00	65.32	69.32
अस्पताल और औषधालय- एलोपैथी	**Hospitals & Dispensaries-Allopathy**										
4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	4. Safdarjang Hospital, New Delhi.	2210	2.10	19.07	21.17	1.94	19.02	20.96	4.65	20.92	25.57
5. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	5. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi	2210	1.65	10.62	12.27	1.66	10.76	12.42	3.30	11.82	15.12
6. कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	6. Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi.	2210	0.20	2.40	2.60	0.18	2.45	2.63	0.50	2.67	3.17
7. केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, रांची	7. Central Institute of Psychiatry, Ranchi	2210	0.10	1.99	2.09	0.05	1.99	2.04	0.20	2.20	2.40
8. अन्य अस्पताल और औषधालय	8. Other Hospitals & Dispensaries	2210	1.00	0.82	1.82	0.90	0.80	1.70	0.95	0.88	1.83
जोड़ - अस्पताल और औषधालय-ऐलोपैथी	**Total Hospitals and Dispensaries-Allopathy**		**5.05**	**34.90**	**39.95**	**4.73**	**35.02**	**39.75**	**9.60**	**38.49**	**48.09**
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Medical Education Training & Research**										
9. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	9. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	2210	12.91	34.00	46.91	15.03	34.37	49.40	12.70	39.00	51.70
10. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	10. Lady Hardinge Medical College & Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi.	2210	1.06	8.75	9.81	0.21	8.75	8.96	0.95	9.63	10.58
11. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु-विज्ञान संस्थान, बंगलौर	11. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore	2210	3.00	2.85	5.85	2.77	3.04	5.81	3.50	3.33	6.83
12. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़	12. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh	2210	7.50	20.50	28.00	6.60	20.29	26.89	7.90	22.00	29.90
13 जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	13. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Pondicherry	2210	1.00	10.85	11.85	1.00	10.59	11.59	2.05	11.68	13.73
14. क्षेत्रीय चिकित्सा शिक्षा संस्थान	14. Regional Institutes of Medical Education	2210	1.50	...	1.50	1.34	...	1.34	1.50	...	1.50
15. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	15. Indian Council of Medical Research	2210	25.00	14.62	39.62	24.41	14.25	38.66	25.00	15.61	40.61
16. कैंसर अनुसंधान	16. Cancer Research	2210	5.00	1.20	6.20	5.05	1.20	6.25	6.50	1.39	7.89
		3601	15.00	...	15.00	14.90	...	14.90	15.00	...	15.00
जोड़		*Total*	*20.00*	*1.20*	*21.20*	*19.95*	*1.20*	*21.15*	*21.50*	*1.39*	*22.89*
17. अन्य कार्यक्रम	17. Other Programmes	2210	3.71	4.50	8.21	3.68	4.43	8.11	4.88	4.74	9.62
		7601	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
जोड़		*Total*	*3.71*	*4.52*	*8.23*	*3.68*	*4.45*	*8.13*	*4.88*	*4.76*	*9.64*
जोड़ - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Total Medical Education Training & Research**		**75.68**	**97.29**	**172.97**	**74.99**	**96.94**	**171.93**	**79.98**	**107.40**	**187.38**
अन्य चिकित्सा प्रणालियां	**Other Systems of Medicine**										
18. आयुर्वेद	18. Ayurveda	2210	4.12	7.68	11.80	3.08	7.49	10.57	4.40	8.00	12.40
19. होम्योपैथी	19. Homoeopathy	2210	3.00	1.65	4.65	2.75	1.62	4.37	3.47	1.71	5.18
20. यूनानी	20. Unani	2210	1.75	1.70	3.45	1.51	1.64	3.15	1.91	1.75	3.66
21. योग और प्राकृतिक चिकित्सा	21. Yoga & Naturopathy	2210	0.50	0.33	0.83	0.42	0.33	0.75	0.60	0.35	0.95
22. केन्द्रीय परिषदों के लिए संयुक्त भवन	22. Combined Building for Central Councils	2210	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.25	...	1.25
23. अन्य	23. Others	2210	1.61	0.41	2.02	0.96	0.40	1.36	1.91	0.45	2.36
		3601	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	0.80	...	0.80
जोड़		*Total*	*2.61*	*0.41*	*3.02*	*1.86*	*0.40*	*2.26*	*2.71*	*0.45*	*3.16*
जोड़ - अन्य चिकित्सा प्रणालियां	**Total Other Systems of Medicine**		**12.98**	**11.77**	**24.75**	**10.62**	**11.48**	**22.10**	**14.34**	**12.26**	**26.60**
जन स्वास्थ्य	**Public Health**										
24. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	24. Malaria Eradication Programme	2210	4.00	1.50	5.50	4.42	1.43	5.85	6.00	1.59	7.59

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		3601	77.98	...	77.98	69.06	...	69.06	76.98	...	76.98
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*82.00*	*1.50*	*83.50*	*73.50*	*1.43*	*74.93*	*83.00*	*1.59*	*84.59*
25. फीलपांव नियंत्रण कार्यक्रम	25. Filaria Control Programme	2210	0.05	0.07	0.12	0.06	0.06	0.12	0.05	0.08	0.13
		3601	2.35	...	2.35	2.18	...	2.18	2.35	...	2.35
		3602	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*2.50*	*0.07*	*2.57*	*2.29*	*0.06*	*2.35*	*2.50*	*0.08*	*2.58*
26. क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	26. T.B. Control Programme	2210	2.00	...	2.00	1.93	...	1.93	2.75	...	2.75
		3601	12.94	...	12.94	11.94	...	11.94	13.19	...	13.19
		3602	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*15.00*	...	*15.00*	*13.93*	...	*13.93*	*16.00*	...	*16.00*
27. कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम	27. Leprosy Control Programme	2210	6.00	...	6.00	5.50	...	5.50	6.83	...	6.83
		3601	17.95	...	17.95	17.65	...	17.65	17.16	...	17.16
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
जोड़		Total	24.00	...	24.00	23.20	...	23.20	24.00	...	24.00
28. रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	28. Trachoma & Blindness Control Programme	2210	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.82	...	0.82
		3601	5.77	...	5.77	5.45	...	5.45	11.84	...	11.84
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.14	...	0.14
जोड़		*Total*	*6.20*	...	*6.20*	*5.88*	...	*5.88*	*12.80*	...	*12.80*
29. गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम	29. Goitre Control Programme	2210	3.88	...	3.88	3.80	...	3.80	3.88	...	3.88
		3601	0.60	...	0.60	0.35	...	0.35	0.60	...	0.60
		3602	0.02	...	0.02	...	...	...	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*4.50*	...	*4.50*	*4.15*	...	*4.15*	*4.50*	...	*4.50*
30. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	30. National Institute of Communicable Diseases, New Delhi.	2210	0.65	2.62	3.27	1.20	2.57	3.77	1.10	2.78	3.88
31. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	31. C.R.I. Kasauli	2210	0.30	3.66	3.96	0.16	3.63	3.79	0.40	3.92	4.32
32. अन्य जन स्वास्थ्य संस्थान	32. Other Public Health Institutes	2210	2.05	6.79	8.84	1.45	6.51	7.96	1.97	7.13	9.10
33. अन्य योजनाएं	33. Other Schemes	2210	6.75	3.05	9.80	5.97	3.14	9.11	5.72	3.20	8.92
		3601	16.01	...	16.01	16.12	...	16.12	14.90	...	14.90
जोड़		*Total*	*22.76*	*3.05*	*25.81*	*22.09*	*3.14*	*25.23*	*20.62*	*3.20*	*23.82*
जोड़ - जन स्वास्थ्य	**Total Public Health**		**159.96**	**17.69**	**177.65**	**147.85**	**17.34**	**165.19**	**166.89**	**18.70**	**185.59**
अन्य कार्यक्रम	**Other Programmes**										
34. खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम	34. Prevention of Food Adulteration	2210	0.70	0.51	1.21	0.37	0.47	0.84	0.40	0.52	0.92
35. प्रशिक्षण कार्यक्रम	35. Training Programmes	2210	0.38	1.23	1.61	0.27	1.27	1.54	1.34	1.33	2.67
36. अन्य कार्यक्रम	36. Other Schemes	2210	6.08	1.63	7.71	5.28	1.60	6.88	16.50	1.72	18.22
		3602	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		4210	0.15	-1.12	-0.97	0.13	-1.12	-0.99	0.40	-1.12	-0.72
जोड़		*Total*	*6.25*	*0.51*	*6.76*	*5.42*	*0.48*	*5.90*	*16.91*	*0.60*	*17.51*
जोड़ - अन्य कार्यक्रम	***Total Other Programmes***		***7.33***	***2.25***	***9.58***	***6.06***	***2.22***	***8.28***	***18.65***	***2.45***	***21.10***
37. सरकारी उपक्रमों में निवेश	37. Investment in Public Enterprises	4210	0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.11	...	0.11
38. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	38. Aid Material & Equipments - Gross	3606	...	8.09	8.09	...	3.81	3.81	...	4.50	4.50
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*Deduct*- Transfers to functional Major Head(s)	3606	...	-8.09	-8.09	...	-3.81	-3.81	...	-4.50	-4.50
सहायता सामग्री और उपस्कर - निवल	Net - Aid Material & Equpments		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*264.53*	*234.40*	*498.93*	*247.73*	*231.69*	*479.42*	*294.00*	*253.58*	*547.58*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
37.01 अस्पताल सेवाएं परामर्शदात्री निगम	37.01 Hospital Services Consultancy Corporation	22210	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	...	...	...
37.02 इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन	37.02 Indian Medicines Pharmaceutical Corporation	22210	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.11	...	0.11
जोड़	Total		0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.11	...	0.11
ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay***										
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1. Medical and Public Health	22210	275.00	...	275.00	255.14	...	255.14	301.90	...	301.90

* निम्नलिखित मांगों में शामिल निर्माण कार्य परिव्यय सहित
*inclusive of Works Outlay included in:-

मांग संख्या 78	Demand No. 78	22210	3.81	...	3.81	1.68	...	1.68	3.00	...	3.00
मांग संख्या 79	Demand No. 79	22210	6.66	...	6.66	5.73	...	5.73	4.90	...	4.90
जोड़		Total	10.47	...	10.47	7.41	...	7.41	7.90	...	7.90

1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं: इसमें स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है ।

1क. विवेकाधीन अनुदान: ये अनुदान सुपात्र व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं ।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय: इसके अन्तर्गत मेडिकल तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी विषयों में तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था का व्यय शामिल है और यह महानिदेशालय स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए उत्तरदायी है । यह देश में और देश से बाहर जैव-चिकित्सा संबंधी जानकारी इकट्ठी करने, संसाधित करने तथा उसकी पूर्ति करने के लिये एक केन्द्रीय कार्यालय के रूप में कार्य करता है

3. केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना: इस योजना के अधीन दिल्ली के आस पास के तीन नगरों के अतिरिक्त दिल्ली तथा 19 अन्य नगरों में बसने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत जनसंख्या के अन्य कुछ विनिर्दिष्ट वर्गों को भी, जैसे कि स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के सेवा-निवृत कर्मचारियों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विधवा स्त्रियों, संसद सदस्यों, भूतपूर्व संसद सदस्यों, भूतपूर्व राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सैनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों को भी दिल्ली के 14 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सुविधा प्रदान की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जा रहीं हैं उनमें पर्याप्त संख्या पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी/सिद्ध औषधालयों, औषधि चिकित्सालयों की व्यवस्था के माध्यम से रोगियों की देखभाल तथा औषधियों की पूर्ति की सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। लाभप्राप्तकर्त्ताओं से 1990-91 के दौरान 7.00 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त होने का अनुमान है ।

4. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली: केन्द्रीय सरकार के इस अस्पताल में 174 बैंत के पालनों (बालकों के बिस्तर) और 1357 रोगियों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था है । अन्य सुविधाओं के अलावा, अस्पताल में विशिष्ट रेस्पिरेटरी और नैफरोलोजी यूनिट भी हैं । इस अस्पताल में डायलासिस और लेप्रोस्कोपिक स्टरीलाइजेशन सुविधाओं की व्यवस्था भी है । इस अस्पताल द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भी पुर्नवास संबंधी सेवाओं की व्यवस्था की जाती है ।

5. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली: यह भी केन्द्रीय सरकार का एक चिकित्सा संस्थान है और इसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संसद सदस्यों आदि के लिए संचालित एक नर्सिंग होम (शुश्रूषा गृह) भी शामिल है । इस अस्पताल में 929 रोगी शैयाएं है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के निमित्त दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । हृदय रोगों, रक्तचाप, स्नायु शल्य चिकित्सा तथा मधुमेह आदि की चिकित्सा के लिए विशिष्टता सम्पन्न उपचार भी इस अस्पताल में है ।

6. कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली : इस अस्पताल में 259 रोगी शैयाएं है और यह केवल बच्चों के रोगों के इलाज के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित एक अस्पताल है । इसका प्रबंध लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज द्वारा किया जाता है । इस अस्पताल में बाल रोग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, हड्डियों के उपचार की व्यवस्था है और बच्चों के लिए गहन शुश्रूषा की भी व्यवस्था है ।

7. केन्द्रीय मनोरोग संस्थान, रांची: देश में मनोरोग उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार का यह एक प्रमुख संस्थान है। यह दो पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल और भूटान के रोगियों के उपचार की व्यवस्था भी करता है। रोग निदान तथा उपचार की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस संस्थान में मनोरोग संबंधी स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रमों का आयोजन भी किया जाता है ।

8. अन्य अस्पताल और चिकित्सालय: इसके अन्तर्गत अखिल भारतीय शारीरिक औषधि तथा पुनर्वास संस्थान, बम्बई और क्षयरोग, कुष्ठरोग तथा अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त राज्यों की सरकारों के सहयोग से अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की व्यवस्था भी इसमें शामिल है ।

9. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली: इस संस्थान को 1956में संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के एक मूर्धन्य संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है । इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं, अर्थात (क) अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापन की

1. **Secretariat-Social Services** : provides for the secretariat of the Department of Health.

1A. **Discretionary Grant:** Discretionary Grants are sanctioned by the Minister of Health and Family Welfare to deserving persons.

2. **Directorate General of Health Services**: provides technical expertise in medical and public health matters; is responsible for implementation of various health programmes and functions as a focal point for collection, processing and supply of biomedical information within the country and abroad.

3. **Central Government Health Scheme:** provides comprehensive medical care to Central Govt. employees based at Delhi, and 19 other cities, in addition to three peripheral towns of Delhi. The scheme also covers certain other specified sectors of population like employees of autonomous organisations, retired Central Govt. employees, widows of Central Govt. employees, Members of Parliament, ex-M.Ps, ex-Governors, retired Judges of Supreme Court and High Courts, Freedeom Fighters and members of their family and members of public in l4 specified areas in Delhi. The facilities under the scheme include outpatient care through a network of allopathic, ayurvedic, homoeopathic, unani/siddha dispensaries/units, and supply of drugs, etc. The contributions from the beneficiaries during 1990-91 are estimated at Rs. 7.00 crores.

4. **Safdarjang Hospital, New Delhi**: is a Central Govt. hospital with a bed strength of 1357 plus 174 Bassinets (Nursery Beds). Besides other facilities, the hospital has special respiratory and nephrology units. It is also equipped for provision of dialysis and laproscopic sterilization facilities. It also caters rehabilitation service to handicapped persons.

5. **Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi:** is also a Central Govt. Institution and includes Nursing Home for Central Government employees, Members of Parliament, etc. The hospital with 929 beds is affiliated to Delhi University for post-graduate students of Lady Hardinge Medical College. It has specialised clinics for coronary diseases, hypertension, neuro-surgery, diabetes etc.

6. **Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi:** with 259 beds is an exclusive hospital for children's diseases and is managed by Lady Hardinge Medical College. It provides facilities in paediatrics, surgery, orthopaedics and intensive care facilities for children.

7. **Central Institute of Psychiatry, Ranchi:** is a premier Central Govt. Institute for mental health in the country. It also caters to the needs of two neighbouring countries, viz. Nepal and Bhutan. Besides diagnostic and treatment facilities, it conducts post graduate courses in psychiatry.

8. **Other Hospitals and Dispensaries:** includes provision for All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay, TB, Leprosy and other Medical Institutes and grants-in-aid to Voluntary Organizations for establishment of Hospitals and Dispensaries in association with State Governments.

9. **All India Institute of Medical Sciences, New Delhi:** has been set up by an Act of Parliament in 1956, as a premier institution of national importance. The objectives of the Institute are: (a) to develop a pattern of under-graduate and post-graduate teaching and (b) to

प्रणाली का विकास करना और (ख) चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर प्रयोग तथा अनुसंधान आयोजित करना । इस संस्थान में 1243 रोगी शैयाओं की व्यवस्था है और राजेन्द्र प्रसाद आप्थेलमिक विज्ञान केन्द्र भी इससे सम्बद्ध है । केन्द्रीय सरकार, संस्थान को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है । संस्थान में अनुसंधान की कुछ एक योजनाओं की वित्त-व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद द्वारा की जाती है।

10. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली: यह कालेज सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है । इसका संचालन स्त्रियों को अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है और इसमें स्त्रियों और बच्चों की डाक्टरी शुश्रूषा भी की जाती है । विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस कालेज के साथ कतिपय अस्पताल भी सम्बद्ध हैं, जैसे कि सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरण बाल अस्पताल आदि । यह नर्सिंग स्कूल का भी संचालन करता है, जिसमें नर्सिंग तथा धात्री-विद्या पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

11. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर: यह संस्थान एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है । इस संस्थान में मानसिक तथा स्नायुविज्ञान के क्षेत्र में सेवाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जाती है । इस संस्थान में मेडिकल तथा पैरामेडिकल विषयों में डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था है ।

12. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़: इस संस्थान की स्थापना संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई है और इसके कृत्य भी वही हैं जो कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के हैं लेकिन इसके कार्य स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं । इस संस्थान की संपूर्ण वित्त-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है और यह संस्थान चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान तथा विशिष्ट अस्पताली सेवाओं की व्यवस्था करने वाला केन्द्र भी है । इस संस्थान से सम्बद्ध नेहरू अस्पताल में 802 रोगी-शैयाओं की व्यवस्था है ।

13. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी: इस संस्थान का वित्तपोषण और संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है । इस संस्थान में अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है । इसके अस्पताल में, जिसमें 853 रोगी शैयाएं हैं, पांडिचेरी और पड़ोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । यह संस्थान, मेडिकल अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन भी करता है, जिसमें अध्यापन पाठ्य चर्चा में होने वाले अद्यतन विकासों का प्रदर्शन किया जाता है ।

14. प्रादेशिक आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थान: शिलांग में स्थापित इस संस्थान का शतप्रतिशत वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

15. भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद : देश में जैव-चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के समन्वयन और सूत्रीकरण के संवर्धन के लिये एक मुख्य निकाय है । केन्द्रीय सरकार परिषद को, संक्रामक रोगों, गर्भनिरोधकों, प्रसूति तथा बाल स्वास्थ्य, पोषाहार, संक्रामक रोगों से भिन्न रोगों और आधारभूत अनुसंधान के कार्य के लिए शत-प्रतिशत अनुरक्षण अनुदान देती है । यह परिषद, भोपाल गैस त्रासदी, जनजातीय स्वास्थ्य तथा परम्परागत औषधि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने तथा उक्त जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण के कार्य में भी लगी हुई है ।

16. कर्कटरोग (कैंसर) अनुसंधान: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली, कटक, ग्वालियर, गोहाटी, मद्रास तथा त्रिवेंद्रम स्थित 9 प्रादेशिक कर्कटरोग केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है । भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में बम्बई, मद्रास, बंगलौर, चंडीगढ़, गोआ और डिबरूगढ़ में भी कर्कटरोग पंजीयन कार्यालय कार्य कर रहे हैं । कोबाल्ट चिकित्सा एककों तथा कर्कटरोग का शीघ्र पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों की सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों को भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है

17. अन्य कार्यक्रम : इसमें राजकुमारी अमृतकौर नर्सिंग महाविद्यालय दिल्ली, सेवाग्राम स्थित मेडिकल महाविद्यालय को अनुदान, नेशनल एकेडेमी आफ मेडिकल साईंस, नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशंस बल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को वृत्तिकाएं आदि शामिल हैं ।

conduct experiments and research on various disciplines of medical services. It has a bed strength of 1243. Dr. Rajendra Prasad Centre for Ophthalmic Sciences is attached to it. The Central Govt. provides l00% financial support to the Institute. A few research schemes at the Institute are financed by WHO and ICMR.

10. Lady Hardinge Medical College and Sucheta Kripalani Hospital, New Delhi: is run by Government to provide undergraduate and post graduate medical education for women, and medical care for women and children. The College has associated hospitals, viz. Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital for comprehensive practical training to students. It also runs the School of Nursing offering nursing and midwifery courses.

11. National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bangalore: is an autonomous institute receiving maintenance grants-in-aid from Govt. of India and providing services, training and research functions in the field of mental health and neuro-sciences. The institute offers degrees and diploma courses in this field in medical and para-medical disciplines.

12. Post Graduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh: set up by an Act of Parliament as an Institute of national importance having the same functions as AIIMS, New Delhi but in the field of post-graduate medical education. The Institute is wholly financed by Central Govt. and is a centre for medical education, research and specialised hospital services. Nehru Hospital attached to the Institute has a bed strengh of 802.

13. Jawaharlal Institute of P.G. Medical Education and Research, Pondicherry: Financed and administered by Govt. of India, the Institute offers undergraduate and post-graduate courses. Its Hospital with a bed strength of 853 provides medical services to the people of Pondicherry and neighbouring States. It also runs the Medical Teachers' Training Centre, demonstrating latest developments in teaching curricula.

14. Regional Institute of Medical Education: Set up at Shillong is also financed 100% by Central Government.

15. Indian Council of Medical Research: is the apex body in the country to promote, coordinate and formulate bio-medical and health research. Central Government gives 100% maintenance grants to the Council for research in communicable diseases, contraception, maternity and child health, nutrition, non-communicable diseases and basic research. The Council is also engaged in research on Bhopal gas tragedy, tribal health, traditional medicine and publication and dissemination of information.

16. Cancer Research: Under this programme, assistance is provided to 9 regional cancer centres at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Delhi, Cuttack, Gwalior, Guwahati, Madras and Trivandrum. Cancer Registries are also functioning under the auspices of ICMR at Bombay, Madras, Bangalore, Chandigarh, Goa and Dibrugarh. Central assistance is provided to State Govts. and voluntary organisations for installation of Cobalt therapy units and setting up of early cancer detection centres.

17. Other Programmes: include Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi, grants for Medical College at Sewagram, National Academy of Medical Sciences, National Board of Examinations, grants to Delhi University for Vallabhbhai Patel Chest Institute, stipends to P.G. students etc.

18. आयुर्वेद के अंतर्गत (i) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, जो शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी उपचार के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में कार्यरत है, (ii) आयुर्वेद और सिद्धा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद और (iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर, जो गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का एक घटक है, को अनुरक्षण तथा विकास सहायता अनुदान आदि की व्यवस्था शामिल है ।

19. होम्योपैथी : इसके अन्तर्गत होम्योपैथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता जो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन है, को अनुदान तथा होम्योपैथी के लिए अन्य अनुदानों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

20. यूनानी : इसके अन्तर्गत यूनानी दवाओं में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद् और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ए.के. तिब्बिया कालेज तथा राष्ट्रीय यूनानी औषध संस्थान, बंगलौर को अनुदानों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

21. योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा : इसके अन्तर्गत केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए तथा केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली और विश्वायतन योगाश्रम के लिए अनुदानों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

22. केन्द्रीय परिषदों के लिए संयुक्त भवन : भारतीय चिकित्सा प्रणालियों की विभिन्न परिषदों के कार्य में बेहतर समन्वय स्थापित करने और सुविधाओं की व्यवस्था के उद्देश्य से इस भवन की योजना तैयार की गई है ।

23. अन्य : व्यय के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदानों के आधार पर वित्तपोषित दो केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं सम्मिलत हैं, अर्थात् (i) भारतीय औषध चिकित्सा प्रणालियों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के विभागों का स्तरोन्नयन, और (ii) भारतीय औषधि प्रणाली फारमेसियों तथा औषधिक जड़ी बूटियों के फार्मों का विकास । इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में भारतीय औषधि प्रणाली तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना करने, तिब्बती औषधियों और सूचिका-शल्य चिकित्सा के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं सम्मिलित हैं ।

24-29. रोगों का निवारण और नियंत्रण : केन्द्रीय सरकार विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों का वित्तपोषण 100 प्रतिशत आधार पर तथा 50 प्रतिशत आधार पर करती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण तथा नगरीय)	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय फीलपांव नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत
राष्ट्रीय दृष्टिदोष तथा अन्धता निवारण योजना, जिसमें रोहा रोग निवारण कार्य भी शामिल है ।	100 प्रतिशत
गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम	100 प्रतिशत

देश में होने वाली कुल मृत्यु-संख्या का दो-तिहाई भाग संक्रामक रोगों के कारण होता है । केन्द्रीय सहायता इन रोगों की रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों के लिये दी जाएगी ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम : 1954 में 7.5 करोड़ व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित थे तथा छठी योजना के अंत में मलेरिया के रोगियों की संख्या 20 लाख से भी कम रह गई । मलेरिया के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारणों से होने वाली मृत्यु संख्या भी 15 लाख से कम होकर मात्र कुछ सौ की ही रह गई । तथापि, मलेरिया संबंधी मामलों की घटती हुई प्रवृत्ति में 1982 से कोई परिवर्तन नहीं आया है । इस स्थिति को संभालने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का, मलेरिया के मामलों की कम/अधिक संख्या के अनुसार, वर्गीकरण कर दिया गया है ।

क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम : क्षयरोग अभी भी स्वास्थ्य की एक प्रमुख समस्या बना हुआ है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्षय-रोगियों का पता लगाकर उनका सही इलाज करना है जिससे संक्रामक रोगियों के संक्रमण को दूर किया जा सके तथा पीड़ित व्यक्तियों की इस रोग की आरम्भिक अवस्था में ही देखभाल करके उन्हें संक्रामक होने से रोका जा सके ।

कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम : राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के

18. **Ayurveda:** includes provision for (i) National Institute of Ayurveda, Jaipur which serves as a model institute for teaching, training, research and patient care, (ii) Central Council for Research in Ayurveda and Siddha and (iii) maintenance and development grants-in-aid to Institute of P.G. Training and Research, Jamnagar, a constituent of Gujarat Ayurvedic University.

19. **Homoeopathy**: includes provision for Central Council for Research in Homoeopathy, grants to National Institute of Homoeopathy, Calcutta which is an autonomous organisation fully financed by Govt. and other grants for Homoeopathy.

20. **Unani**: includes provision for Central Council for Research in Unani Medicine and grants to A.K. Tibbiya College of Aligarh Muslim University and to National Institute of Unani Medicine, Bangalore.

21. **Yoga and Naturopathy:** Includes provision for Central Council for Research in Yoga and Naturopathy and grants to Central Research Institute of Yoga, New Delhi and Vishwayatan Yogashram.

22. **Combined Building for Central Councils**: has been planned to facilitate better coordination among various Councils of Indian Systems of Medicine and provision of common facilities.

23. **Others:** includes two centrally sponsored schemes financed on l00% grant basis, viz. (i) Upgradation of Deptts. of P.G. Training and Research in Indian Systems of Medicine and (ii) Development of ISM pharmacies and herbal farms. It also includes Central Sector schemes for opening of ISM and Homoeopathic dispensaries in tribal areas in Union Territories and development of accupuncture and Tibetan medicines.

24-29. **Prevention and Control of Diseases**: Various Centrally sponsored Health programmes are financed by Central Government on l00% or 50% basis as shown below:-

National Malaria Eradication Programme (Rural and Urban)	50%
National Filaria Control Programme	50%
National T.B. Control Programme	50%
National Leprosy Control Programme	l00%
National Scheme for Prevention of Visual Impairment and Blindness including Trachoma.	l00%
Goitre Control Programme	100%

Communicable diseases account for more than two-thirds of the total morbidity and mortality in the country. Central assistance is for programmes aimed at prevention, control and eradiction of these diseases.

Malaria Eradication Programme: The incidence of malaria which stood at 75 million cases in 1954 came down to less than 2 million cases by the end of Sixth Plan. The number of deaths due to direct and indirect causes of malaria also came down from 1.5 million to a few hundred. However, the declining trend has become static since 1982. New strategy has been evolved to tackle this situation and States/UTs have been stratified according to decrease/increase in malaria cases.

Tuberculosis Control Programme : Tuberculosis continues to be a major health problem. The main objective of the programme is to detect as large a number of T.B. patients as possible and to treat them effectively so that the infectious patients are rendered non-infectious and the active and new infectious cases do not become infectious.

Leprosy Control Programme : The National Leprosy

अंतर्गत देश के उन भागों में, जहां यह रोग सबसे अधिक होता है, रहने वाले 43 करोड़ व्यक्तियों की देखभाल की जाएगी । देश के लगभग 40 लाख कुष्ठ रोगियों में से 30 लाख रोगियों का सक्रिय रूप से इलाज चल रहा है । कुष्ठ के मामलों में बहु-औषधि उपचार (मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट) को बहुत ही प्रभावकारी पाया गया है । इस कार्यक्रम पर और अधिक बल दिया जायेगा तथा इसे उपचार को उन अन्य जिलों में भी प्रचलित किया जायेगा जहां कुष्ठ रोग अधिक होता है ।

रोहा और अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम : अन्धता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को 1976 में सारे देश में लागू किया गया था । इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य देश में अन्धता के मौजूदा प्रतिशत को 1.4 से कम करके वर्ष 2000 तक 0.3 तक लाना है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कैम्प लगा कर जरूरतमंद रोगियों को तत्काल सहायता दी जाती है तथा आंखों की देखभाल के लिये स्थायी सुविधाएं प्रदान की जाती है और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी उपाय भी किये जाते हैं ।

गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम : एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 14.5 करोड़ व्यक्ति गलगण्ड से पीड़ित हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त खाने के नमक का चरणबद्ध तरीके से आयोडीकरण किया जायेगा ।

30. **राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, नई दिल्ली :** यह संस्थान संक्रामक रोग विज्ञान तथा संक्रामक रोग नियंत्रण से संबंधित विभिन्न विषयों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य करता है और केन्द्रीय सरकार/राज्यों की सरकारों को तथा अन्य अभिकरणों को संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए तथा उनमें अनुसंधान करने के लिए सेवा प्रदान करने/परामर्श देने की व्यवस्था करता है । इसके कार्य, अलवर, बंगलौर, कालीकट, कुन्नूर, पटना, राजामुन्द्री तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय स्टेशनों और विशिष्ट डिवीजनों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं ।

31. **केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली:** चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संक्रामक रोगों की औषधियों के उत्पादन और किस्म नियंत्रण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिये इस संस्थान की स्थापना 1905 में की गई थी । संक्रामक रोगों की औषधियों जैसे डिपथेरिया, पिटूसिस, टेटनस, हैजा के टीके, एण्टी-स्नेक वेनम, एण्टी रेबिज सीरम आदि का सबसे अधिक और विस्तृत उत्पादन इसी संस्थान द्वारा किया जाता है । इस संस्थान द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बी.एस.सी.,एम.एस.सी. और एम.फिल(माइक्रोबायलोजी) की नियमित कक्षाएं चलाई जाती हैं । इसके अतिरिक्त, इस संस्थान के एम.डी. पैथोलोजी और बैक्ट्रालोजी, पी.एच.डी. बायोकेमिस्ट्री तथा माइक्रोबायालोजी के पाठ्यक्रमों को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है ।

32. **अन्य लोक स्वास्थ्य संस्थान:** इनके अन्तर्गत, बी.सी.जी.वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, पत्तन स्वास्थ्य संस्थान तथा सेरोलोजिस्ट और रासायनिक परीक्षक कलकत्ता आते हैं ।

33. **अन्य लोक स्वास्थ्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए और विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित है ।

34. **खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम:** इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं, अर्थात् (i) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के परामर्श से राष्ट्रीय मानकों का प्रतिष्ठापन (ii) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम और तत्संबंधी नियमों का प्रशासन तथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए राज्यों की सरकारों से समन्वय और सम्पर्क, (iii) प्रशासनिक समर्थन की व्यवस्था, जैसे कि प्रशिक्षण, उपस्कर और प्रयोगशाला सुविधाओं आदि की व्यवस्था, और (iv) उपभोक्ता शिक्षण का संवर्धन ।

35. **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिकों का प्रशिक्षण, बहु-प्रयोजनीय कार्मिक, विशेषज्ञ, पैरामेडिकल कार्मिक आदि सम्मिलित हैं ।

36. **अन्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत औषधि नियंत्रण, मेडिकल स्टोर्स संगठन तथा अन्य विविध योजनाओं के लिए व्यवस्था सम्मिलित है ।

37. **सरकारी उपक्रमों में निवेश:**

37.01. **अस्पताल सेवा परामर्शदात्री निगम:** यह निगम विभिन्न अभिकरणों जैसे कि विकासशील देशों की सरकारों, वित्तपोषक संगठनों जैसे कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है और भारत द्वारा निष्पन्न द्विपक्षीय करारों को कार्यान्वित करता है जिनके अन्तर्गत पड़ोसी देशों में अस्पतालों की स्थापना की जाती है ।

37.02. **भारतीय मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स निगम, रानीखेत,** कुमाऊं मंडल विकास निगम (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) के साथ एक संयुक्त उपक्रम है जो कि भारतीय प्रणाली की उच्चकोटि की औषधियों की सप्लाई सरकारी संस्थानों को करता है । यह खुले बाजार में भी इनके विक्रय की व्यवस्था करता है ।

Eradication Programme covers 430 million people living in areas of the country where the disease is endemic. Against an estimated four million leprosy affected patients, three million are under active treatment. Multi Drug Treatment (MDT) of leprosy cases has been found efficacious. The Programme will be given a push and more endemic districts will be covered under the MDT.

Trachoma and Blindness Control Programme : The national programme for control of blindness was launched throughout the country in 1976. The ultimate aim of this programme is to reduce the blindness in the country from 1.4 per cent to 0.3 per cent by the year 2000 A.D. To achieve this aim, the programme is providing immediate relief to the needy by camp approach and by establishing permanent eye care facilities coupled with health education measures.

Goitre Control Programme : Nearly 145 million persons are estimated to be suffering from Goitre in the country. The primary thrust of this programme would be iodization of the entire edible salt in a phased manner.

30. **National Institute of Communicable Diseases, New Delhi.:** is devoted to teaching and research in various disciplines connected with the epidem iology and control of communicable diseases and to provide service/advice in investigation and control of communicable diseases to Central/State Governments and other agencies. Its activities are carried out through specialised divisions and field stations in Alwar, Bangalore, Calicut,Coonoor, Patna, Rajamundry and Varanasi.

31. **Central Research Institute, Kasauli:** was established in 1905 for research in the field of medical health problems and production and quality control of immunobiologicals. The Institute is the biggest and most comprehensive producer of immunobiologicals viz. Diphtheria, Petussis and Tetanus, Cholera Vaccines, Anti Snake Venom, Anti Rabis Serum etc. The Institute is also running regular classes of B.Sc, M.Sc and M. Phil (Microbiology) of the Himachal Pradesh University. In addition, the Institute is recognised for M.D. Pathology and Bacteriology, Ph.D. Biochemistry and Microbiology by the various universities in the country.

32. **Other Public Health Institutes:** include B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, Central Health Education Bureau, Pasteur Institute of India, Coonoor, Port Health establishments and Serologist and Chemical Examiner, Calcutta.

33. **Other Public Health Schemes:** includes provision for International Cooperation and miscellaneous schemes.

34. **Prevention of Food Adulteration:** aims at (i) prescription of national standards in consultation with national and international institutions (ii) administration of PFA Act and Rules and coordination and liaison with States in enforcement of its provisions (iii) providing administrative support like training, equipment and laboratory facilities and (iv) promoting consumer education.

35. **Training Programmes:** includes National TB Training Institute, Bangalore, Rural Training Centre, Najafgarh, training of community health workers, multipurpose workers, specialists, paramedical workers etc.

36. **Other schemes:** includes provision for drug control, Medical Stores Organisation and other miscellaneous schemes.

37. **INVESTMENT IN PUBLIC ENTERPRISES**

37.01 **Hospital Services Consultancy Corporation:** offers consultancy services to various agencies such as Governments of developing countries, funding Organisations like World Bank, A.D.B. and implements India's bilateral agreements involving setting up of hospitals in neighbouring countries.

37.02 **Indian Medicines Pharmaceutical Corporation, Ranikhet:** is a joint venture with Kumaon Mandal Vikas Nigam (A U.P. Government Undertaking) for making available good quality medicines of Indian systems for supply to Government Institutions etc. and sale in open market.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

मांग संख्या DEMAND No.41

परिवार कल्याण विभाग Department of Family Welfare

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		674.90	10.31	685.21	782.64	9.93	792.57	748.10	10.43	758.53
पूंजी	*Capital*		*0.05*	...	*0.05*	*2.15*	...	*2.15*	*0.85*	...	*0.85*
जोड़	**Total**		**674.95**	**10.31**	**685.26**	**784.79**	**9.93**	**794.72**	**748.95**	**10.43**	**759.38**
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	...	0.90	0.90	...	0.84	0.84	...	0.93	0.93
परिवार कल्याण	**Family Welfare**										
2. निदेशन और प्रशासन	2. Direction and Administration	2211	3.14	1.36	4.50	3.14	1.28	4.42	1.22	1.45	2.67
		3601	28.31	...	28.31	22.67	...	22.67	27.43	...	27.43
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़-निदेशन और प्रशासन	**Total- Direction & Administration**		**31.50**	**1.36**	**32.86**	**25.86**	**1.28**	**27.14**	**28.70**	**1.45**	**30.15**
परिवार कल्याण सेवाएं	**Family Welfare Services**										
3. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं	3. Rural Family Welfare Services	2211	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.23	...	0.23
		3601	213.52	...	213.52	206.11	...	206.11	229.57	...	229.57*
		3602	0.22	...	0.22	0.22	...	0.22	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*213.92*	...	*213.92*	*206.51*	...	*206.51*	*230.00*	...	*230.00*
4. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	4. Urban Family Welfare Services	2211	1.16	...	1.16	1.16	...	1.16	1.17	...	1.17
		3601	20.84	...	20.84	15.49	...	15.49	17.03	...	17.03
जोड़		*Total*	*22.00*	...	*22.00*	*16.65*	...	*16.65*	*18.20*	...	*18.20*
5. मातृ और शिशु स्वास्थ्य	5. Maternity and Child Health	2211	3.22	...	3.22	3.22	...	3.22	3.33	...	3.33
		3601	74.60	...	74.60	84.15	...	84.15	85.24	...	85.24
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*77.85*	...	*77.85*	*87.40*	...	*87.40*	*88.60*	...	*88.60*
जोड़-परिवार कल्याण सेवाएं	**Total Family Welfare Services**		**313.77**	...	**313.77**	**310.56**	...	**310.56**	**336.80**	...	**336.80**
6. परिवहन	6. Transport	2211	0.06	0.08	0.14	0.06	0.08	0.14	0.06	0.06	0.12
		3601	9.93	...	9.93	9.93	...	9.93	11.94	...	11.94
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़-परिवहन	**Total Transport**		**10.00**	**0.08**	**10.08**	**10.00**	**0.08**	**10.08**	**12.00**	**0.06**	**12.06**
7. मुआवजा	7. Compensation	2211	1.92	...	1.92	1.92	...	1.92	1.81	...	1.81
		3601	97.94	...	97.94	87.94	...	87.94	98.07	...	98.07
		3602	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.12	...	0.12
जोड़-मुआवजा	**Total Compensation**		**100.00**	...	**100.00**	**90.00**	...	**90.00**	**100.00**	...	**100.00**
शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Education Training & Research**										
8. जन शिक्षा और मीडिया	8. Mass Education and Media	2211	7.91	0.74	8.65	8.76	0.69	9.45	11.65	0.74	12.39
		3601	8.55	...	8.55	7.69	...	7.69	7.73	...	7.73
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		4211	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*16.50*	*0.74*	*17.24*	*16.49*	*0.69*	*17.18*	*19.49*	*0.74*	*20.23*
9. प्रशिक्षण अनुसंधान और मूल्यांकन	9. Training Research and Evaluation	2211	11.85	3.73	15.58	13.09	3.54	16.63	16.66	3.75	20.41
		3601	19.30	...	19.30	19.00	...	19.00	21.94	...	21.94
		3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*31.15*	*3.73*	*34.88*	*32.09*	*3.54*	*35.63*	*38.61*	*3.75*	*42.36*
10. स्वास्थ्य गाइड योजना	10. Health Guide Scheme	2211	0.07	...	0.07	0.07	...	0.07	0.10	...	0.10
		3601	49.91	...	49.91	23.91	...	23.91	49.89	...	49.89
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
जोड़		Total	50.00	...	50.00	24.00	...	24.00	50.00	...	50.00
जोड़-शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान	**Total Education Training & Research**		**97.65**	**4.47**	**102.12**	**72.58**	**4.23**	**76.81**	**108.10**	**4.49**	***112.59***
अन्य सेवाएं और आपूर्ति	**Other Services and Supplies**										
11.01 प्रसवोत्तर कार्यक्रम	11.01 Post Partum Programme	2211	1.15	...	1.15	1.15	...	1.15	1.30	...	1.30
		3601	21.96	...	21.96	21.96	...	21.96	26.88	...	26.88
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*23.21*	...	*23.21*	*23.21*	...	*23.21*	*28.25*	...	*28.25*
11.02 परम्परागत गर्भ-निरोधकों का निःशुल्क वितरण	11.02 Free Distribution of Conventional Contraceptives	2211	1.97	...	1.97	4.47	...	4.47	1.68	...	1.68
		3601	15.35	...	15.35	23.35	...	23.35	33.74	...	33.74
		3602	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
जोड़		*Total*	*17.40*	...	*17.40*	*27.90*	...	*27.90*	*35.50*	...	*35.50*
11.03 वाणिज्यिक वितरण	11.03 Commercial Distribution	2211	17.00	...	17.00	26.50	...	26.50	28.00	...	28.00
11.04 क्षेत्र परियोजनाएं	11.04 Area Projects	2211	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38	0.44	...	0.44
		3601	54.62	...	54.62	87.62	...	87.62	59.56	...	59.56
जोड़		*Total*	*55.00*	...	*55.00*	*88.00*	...	*88.00*	*60.00*	...	*60.00*
11.05 अन्य विभागों और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग	11.05 Involvement of Other Deptts & Voluntary Organisations etc	2211	5.34	...	5.34	5.34	...	5.34	5.80	...	5.80
11.06 बन्ध्यीकरण बिस्तर	11.06 Sterlization Beds	2211	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		3601	0.98	...	0.98	0.98	...	0.98	1.28	...	1.28
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.30*	...	*1.30*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
11.07 अन्य योजनाएं	11.07 Other Schemes	2211	0.12	3.50	3.62	0.27	3.50	3.77	2.60	3.50	6.10
		3601	2.94	...	2.94	101.45	...	101.45	1.10	...	1.10
		3602	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*3.06*	*3.50*	*6.56*	*101.72*	*3.50*	*105.22*	*3.75*	*3.50*	*7.25*
जोड़-अन्य सेवाएं और आपूर्तियां	**Total Other Services & Supplies**		**122.01**	**3.50**	**125.51**	**273.67**	**3.50**	**277.17**	**162.60**	**3.50**	**166.10**
12. सरकारी उद्यमों में निवेश	12. Investment in Public Enterprises	6211	0.02	...	0.02	2.12	...	2.12	0.75	...	0.75
		Total	*0.02*	...	*0.02*	*2.12*	...	*2.12*	*0.75*	...	*0.75*
13. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	13. Aid Material & Equipmetns - Gross	3606	...	23.80	23.80	...	25.41	25.41	...	30.20	30.20
घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	*Deduct*- Transfer to Functional Major Heads	3606	...	-23.80	-23.80	...	-25.41	-25.41	...	-30.20	-30.20
सहायता सामग्री और उपस्कर - निवल	Aid Material & Equipments - Net		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***674.95***	***10.31***	***685.26***	***784.79***	***9.93***	***794.72***	***748.95***	***10.43***	***759.38***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
12.01 हिन्दुस्तान लैटेक्स लि०	12.01 Hindustan Latex Ltd.	22211	0.02	...	0.02	2.12	...	2.12	0.75	...	0.75
जोड़	**Total**		**0.02**	...	**0.02**	**2.12**	...	**2.12**	**0.75**	...	**0.75**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. परिवार कल्याण	1. Family Welfare	22211	675.00	...	675.00	784.91	...	784.91	749.00	...	749.00
जोड़	**Total**		**675.00**	...	**675.00**	**784.91**	...	**784.91**	**749.00**	...	**749.00**
	*शामिल निर्माण कार्य परिव्यय सहित / *inclusive of Works Outlay included in:-										
मांग संख्या 79	Demand No. 79		0.05	...	0.05	0.12	...	0.12	0.05	...	0.05

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम: व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं की सार्वजनिक व्यवस्था के माध्यम से इस शताब्दी के अंत तक भारत प्रति इकाई "निवल प्रजनन दर" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दीर्घावधिक लक्ष्य निम्नानुसार हैं।

(क) सामान्य जन्म दर	...	21 प्रति हजार
(ख) सामान्य मृत्यु दर	...	9 प्रति हजार
(ग) शिशु मृत्यु दर	...	60 प्रति हजार से कम
(घ) प्रभावकारी युगल संरक्षण दर	...	60 प्रतिशत

(ii) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :-

(क) मैदानी क्षेत्र में 5000 जनसंख्या पर और पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्र में 3000 जनसंख्या पर एक उप-केन्द्र की स्थापना करना। जनसंख्या के स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर लगभग 1.38 लाख उप-केन्द्रों की आवश्यकता है । देश में 1.4.90 को 1.30 लाख उप-केन्द्र कार्य कर रहे थे।

(ख) प्रसवोत्तर कार्यक्रम को क्रमिक रूप से उप-जिला स्तर के अस्पतालों तक विस्तार किया जा रहा है । जिला स्तर के अस्पतालों में 554 प्रसवोत्तर केन्द्र और उप-जिला स्तर के अस्पतालों में 1075 केन्द्र स्वीकृत किए गए है । उच्च समता की महिलाओं में ग्रीवा कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए सभी 106 चिकित्सा महाविद्यालयों में पी. ए. पी. स्मियर परीक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

(ग) अब तक 936 स्वास्थ्य लघु केन्द्र और 14 शहरी परिवार कल्याण ब्यूरो स्वीकृत किए गए है ।

(घ) सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985-86 में 30 चुने हुए केन्द्रों में शुरू किया गया था । सातवीं योजना के अंत तक इस कार्यक्रम का विस्तार करके इसमें देश के 448 जिलों को शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम को उच्च प्रथमिकता दी जा रही है और इसका परिवीक्षण उच्चतम स्तर पर किया जा रहा है।

(iii) क्षेत्र विकास परियोजनाएं इस समय 15 राज्यों के चुने हुए जिलों में कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(iv) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रसव मामलों का एक बड़ा

National Family Welfare Programme: India is to attain the goal of "Net Reproduction Rate" of unity by the turn of this century through universal provision of comprehensive primary health care services. The long term goals under the programme are:-

(a) Crude Birth Rate	...	21 per thousand
(b) Crude Death Rate	...	9 per thousand
(c) Infant Mortality Rate	...	Below 60 per thousand
(d) Effective Couple Protection Rate	...	60 per cent.

(ii) To accomplish goals under the programme, following steps are being taken:-

(a) To have one sub-centre for 5000 population in plain area and for 3000 population in hilly and tribal area. On the basis of accepted population norms, about 1.38 lakhs sub-centres are required. There were 1.30 lakhs sub-centres functioning in the country as on 1.4.1990.

(b) The Post Partum Programme is being progressively extended to sub-district level Hospitals. A total of 554 Post Partum Centres at district level and 1075 sub-distrticts level hospitals have been sanctioned so far. The PAP smear test facility for early detection of cervical cancer among women of high parity is being provided in all 106 medical colleges.

(c) 936 Health Posts and 14 Urban Family Welfare Bureaux have been sanctioned so far.

(d) The Universal Immunisation Prgramme was started in 1985-86 in 30 selected districts. By the end of the VII Plan the programme has extended to cover 448 districts in the country. The programme is being given high priority and is being monitored at the highest level.

(iii) Area Development Projects are currently under implementation in selected districts of 15 States.

(iv) Considering that a pre-ponderant proportion of delivery cases

अनुपात दाइयों द्वारा संचालित किया जाता है, यह प्रयास किया गया है कि काफी अधिक प्रशिक्षित जन्म परिचारियों को तैयार किया जाए। चालू वर्ष के दौरान लगभग 20,000 दाइयां प्रशिक्षित की जाएंगी और वर्ष 1991-92 के दौरान और 20,000 दाइयां प्रशिक्षित की जाएंगी।

(v) अनुभव से पता चलता है कि सेवाएं प्रदान करने और प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए गतिशीलता एक बड़ी भूमिका निभाती है, इसलिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 7945 वाहनों के बेड़े की आपूर्ति की गई है । यह प्रस्ताव है कि यूनिसेफ द्वारा सप्लाई किए गए वाहनों सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए सभी खराब वाहनों को धीरे-धीरे बदला जाए। यह भी प्रस्ताव है कि आठवीं योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से नए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को वाहन दिएजाएं।

(vi) इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें नीचे दी गई हैं :-

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं** : इसमें परिवार कल्याण विभाग के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

2. **निदेशन और प्रशासन**: इसके अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो तथा जिला परिवार कल्याण ब्यूरो के तकनीकी स्कंध शामिल हैं ।

3. **ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं**:

3.1 **ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र**: ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन और प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के संबंध में 1.4.1980 तक सभी ब्लाक स्तरों पर ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना संबंधी मंजूरी दे दी गई है । 1.4.1990 तक की स्थिति के अनुसार, देश में ऐसे 5435 केन्द्र कार्य कर रहे हैं । 1.4.1980 तक स्वीकृत ब्लाक स्तर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इसमें सम्मिलित हैं। इन 5435 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को जारी रखने और उनके रखरखाव के लिए वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में 120.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है

3.2 **ग्रामीण उप-केन्द्र**: सामान्य स्तर पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं करने के लिए प्रति 5000 ग्रामीण जनसंख्या (जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या) के लिए उप-केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये उप-केन्द्र ग्रामीण लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करते हैं । 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार 130000 उप-केन्द्र काम कर रहे हैं जबकि 1.4.1985 को इनकी संख्या 82946 थी। पहले से स्थापित/चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित उप-केन्द्रों को जारी रखने के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 110.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है ।

4. **शहरी परिवार कल्याण सेवाएं** :शहरी क्षेत्रों में परिवार कल्याण तथा प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में 1592 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर किए गए हैं । शहरों की गन्दी बस्तियों में सेवा वितरण पद्धति में सुधार करने की दृष्टि से शहरी नवीकरण योजनाएं शुरु की गई हैं। शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण की योजना में उन शहरों में जहां पर 100000 से अधिक जनसंख्या है और उसकी कम से कम 40 प्रतिशत जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहती है वहां पर मौजूदा शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के पुनर्गठन/विभिन्न श्रेणी की स्वास्थ्य लघु केन्द्रों की स्थापना पर विचार किया गया है । अब तक भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 936 स्वास्थ्य लघु केन्द्र मंजूर किये गये हैं । शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों के रख-रखाव ओर शहरी परिवार कल्याण सेवाओं के नवीकरण के लिए 1991-92 के बजट अनुमानों में 18.20 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

5. **मातृ और शिशु स्वास्थ्य**: परिवार नियोजन कार्यक्रम की ग्राह्यता बढ़ाने के लिए बच्चे की उत्तरजीविता बढ़ाने के अवसरों की आवश्यकता को व्यापक रूप से स्वीकारा गया है । इस योजना के अंतर्गत उद्देश्य सभी पात्र बच्चों व गर्भवती महिलाओं में आम रोगों जैसे कि डिफ्थीरिया, टेटनस, पोलियो, क्षयरोग, टाइफायड और काली खांसी आदि की घटनाओं को रोकना है । बच्चे की उत्तरजीविता के लिए प्रतिरक्षण के संभाव्य साधन को कम लागत की प्रौद्योगिकी के रूप में मान्यता देते हुए 1985-86 में 30 जिलों और 50 चिकित्सा महाविद्यालयों के स्रवण क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था । सातवीं योजना के अंत तक इसमें 448 जिलों को शामिल किया जा चुका है । प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 70.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

are conducted by Dais, it has been endeavoured to create a force of trained birth attendants. During the current year about 20,000 Dais will be trained and another 20,000 will be trained during 1991-92.

(v) Experience shows that mobility plays a major role in providing the services and for effective supervision, a total fleet of 7945 vehicles have been supplied to various States and Union Territories. It is proposed to gradually replace all condemned vehicles supplied under Family Welfare Programme including those supplied by UNICEF. It is also proposed to provide vehicles at new PHCs during Eighth Plan in a phased manner.

(vi) Some of the important schemes implemented under the programme are:-

1. **Secretariat-Social Services:** Includes provision for the Department of Family Welfare.

2. **Direction and Administration**: Includes Technical Wing at Headquarters, Regional Offices, State Family Welfare Bureaux and District Family Welfare Bureaux.

3. **Rural Family Welfare Services**:

3.1 **Rural Family Welfare Centres:-** The Rural Family Welfare Centres have been sanctioned at all block level PHCs sanctioned upto 1.4.1980 to provide Family Planning and MCH services in rural areas. There are 5435 such centres functioning in the country as on 1.4.1990. All block level PHCs sanctioned upto 1.4.1980 have been covered. A provision of Rs.120.00 crores is proposed in BE 1991-92 for continuation/maintenance of these 5435 Rural Family Welfare Centres.

3.2 **Rural Sub- Centres:** In order to provide comprehensive Primary Health Care Services at the grass-root level, sub-centres for every 5000 rural population (3000 population in the tribal and hilly areas) are established. These sub-centres provide basic health and family welfare services to the rural population. 130000 sub-centres are functioning as on 1.4.1990 as against 82946 as on 1.4.1985. A provision of Rs.110.00 crores is proposed in BE 1991-92 for continuation of sub-centres already established/proposed to be established during the current year.

4. **Urban Family Welfare Services** : With a view to provide Family Welfare and MCH services in urban areas, 1592 urban family welfare centres have been sanctioned in the country. With a view to improve out-reach service delivery system in urban slums, Urban Revamping Scheme has been introduced. The scheme of revamping of urban family welfare service envisaged re-organisation of existing Urban Family Welfare Centres/establishment of various categories of health posts in the cities with more than 100000 population and having atleast 40 per cent of population residing in the slum areas. So far 936 health posts under the scheme have been sanctioned by Government of India. A provision of Rs.18.20 crores is proposed in BE 1991-92 for maintenance of urban family welfare centres and revamping of Urban Family Welfare Services.

5. **Maternal and Child Health:** To enhance acceptability of Family Planning Programme, the need for enhancing chances of child survival has been widely accepted. The objective under the scheme is to prevent the incidence of common diseases such as diptheria, tetanus, polio, TB, typhoid and whooping cough etc. to all eligible children and pregnant mothers. Recognising the potential of immunisaion as a low cost efficient technology for child survival, Universal Immunisation Programme was launched in 1985-86 in 30 districts and catchment areas of 50 medical colleges. By the end of VII Plan, 448 districts had been covered. A provision of Rs.70.00 crores is proposed in B.E. 1991-92 for Immunisation Programme.

6. परिवहन: इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि गतिशीलता प्रभावी पर्यवेक्षण और सीमा से बाहर सेवा सुपुर्दगी प्रणाली प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भारत सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न स्तरो पर वाहन प्रदान किए गए है । इन वाहनों के अनुरक्षण के लिए (पिट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए 15,000/- रुपए प्रति वर्ष के दर से और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 9,500/- रुपए प्रतिवर्ष की दर से) सहायता दी जाती है । इसके अलावा पुराने खराब वाहनों के प्रतिस्थापित किया जाता है । विद्यमान वाहनों के अनुरक्षण और पुराने खराब वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 1991-92 के बजट अनुमानों में 12.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

7. क्षतिपूर्ति: आवधिक विधियों तथा बंध्यकरण को अपनाने वालों को मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के लिये निम्नलिखित दरों पर क्षतिपूर्ति की जाती है :-

पुरूष नसबन्दी	180/- रूपए
स्त्री नसबन्दी	200/- रूपए
लूप लगवाना	12/- रूपए(15 रुपए यदि ग्राही के दो या दो से कम बच्चे हैं)

वर्ष 1991-92 के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

8. जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यम : परिवार नियोजन के तरीकों को और अधिक व्यापक रूप में अपनाए जाने के लक्ष्य की दृष्टि से, सूचना, शिक्षा संचार का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है । इस योजना के कार्यकलाप राज्यों में गठित संबंधित जन शिक्षा एवं प्रचार माध्यमों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रचार एककों द्वारा किए जाते हैं । इन कार्यकलापों का समन्वयन एवं परिवीक्षण केन्द्र में जन शिक्षा एवं प्रचार प्रभाग द्वारा किया जाता है जो आद्यप्रारूप (प्रोटोटाइप) तैयार करता है, नीतियां बनाता है और देश में मीडिया के समस्त प्रचालन कार्य को मार्गदर्शन व समर्थन प्रदान करता है ताकि परिवार कल्याण कार्य को बढ़ावा दिया जा सके और छोटे परिवार की मान्यता को लोकप्रिय बनाया जाए । इस योजना के लिए ब. अ. 1991-92 में 19.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

9. प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन: परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक अर्हताप्राप्त प्रशिक्षित एवं शिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है । परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस स्वरूप को देखते हुए कि एक भी असन्तुष्ट ग्राही का कार्यक्रम पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त एवं पर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता पर बल दिया ही जाना चाहिए । इसीलिए, कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य को समुचित महत्व दिया जाता है । यह प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के नेटवर्क, परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्दों के माध्यम से दिया जाता है । विभिन्न चिकित्सीय एवं परा-चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए ब. अ. 1991-92 में 8.17 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है।

10. स्वास्थ्य गाइड स्कीम : स्वास्थ्य गाइड स्कीम का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानीय विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि आम बीमारियों की हालत में लोगों को सहायता दी जा सके । इस योजना के अन्तर्गत, प्रति 1000 की जनसंख्या या एक गांव के लिए स्वास्थ्य गाइडों का चयन ग्रामीण समुदाय द्वारा ही किया जाता है जिन्हें दवाइयों के नमूनों की एक किट व प्रतिमाह 50/- रुपए का मानदेय दिया जाता है । 31.3.90 तक की स्थिति के अनुसार 3.80 लाख ग्राम स्वास्थ्य गाइड काम कर रहे थे। ब. अ. 1991-92 में योजना के लिए 50.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव है ।

11.01. प्रसवोत्तर कार्यक्रम : प्रसवोत्तर कार्यक्रम जो कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसूति केन्द्र अस्पताल आधारित माध्यम है, के अन्तर्गत जिला स्तर पर 554 प्रसवोत्तर केन्द्र और उप-जिला स्तर पर 1075 प्रसवोत्तर केन्द काम कर रहे हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती माताओं को प्रसव-पूर्व, प्रसवकालीन व प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना है और प्रारम्भिक अवस्था ग्रीवा कैंसर का निदान करने के अलावा परिवार कल्याण संबंधी सेवाएं प्रदान करना भी है । ब. अ. 1991-92 में इस योजना के लिए 27.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव है ।

11.02 और 11.03 **परम्परागत गर्भनिरोधकों का निशुल्क एवं वाणिज्यिक वितरण:** इस तथ्य को मानते हुए कि और अधिक युवा युगल प्रजनन आयु

6. Transport: Recognising the fact that mobility plays a crucial role in effective supervison and in providing outreach service delivery system, vehicles at various levels are provided by the Government of India to States. Assistance for maintenance of these vehicles, (@Rs.15,000/- per annum per petrol driven vehicle and Rs.9,500/- per annum for diesel driven vehicles) is provided. Besides, old unserviceable vehicles are replaced. A provision of Rs.12.00 crores is proposed in B.E. 1991-92 for maintenance of existing vehicles and replacement of old unserviceable vehicles.

7. Compensation: To compensate acceptors of terminal methods as well as of IUDs against loss of wages, compensation at the following rates is admissible:-

Vasectomy	Rs.180/-
Tubectomy	Rs.200/-
I.U.D.	Rs.12/- (Rs.15/- if the acceptor has two or less children)

An outlay of Rs.100 crores has been provided for the year 1991-92.

8. Mass Education & Media: In order to achieve wider adoption of Family Planning methods, a broad based information, education and communication approach has been adopted. The activities under this scheme are carried out by respective Mass Education and Media set-ups created in the States and Media units of the Ministry of Information and Broadcasting. These activities are coordinated and monitored by the Mass Education and Media Division at the Centre which prepares proto-types, formulates policies and provides guidelines and support for the operationalisation of the total media endeavour in the country to promote family welfare and popularise the small family norm. A provision of Rs.19.49 crores is proposed in B.E. 1991-92 for this scheme.

9. Training, Research and Evaluation: The success of Family Welfare Programme depends, to a large extent, upon the availability of qualified trained and educated workers. Considering the nature of Family Welfare Programme where one dissatisfied acceptor will have a long lasting adverse effect on the Programme, the need for having properly and adequately trained manpower under the programme can hardly be over-emphasised. Training is, therefore, given due weightage under the programme. The training at various levels is imparted through the network of Health and Family Welfare Training Centres, F.W. Training and Research Centre, Bombay, PHCs and sub-centres. A provision of Rs.8.17 crores exists in B.E. 1991-92 for imparting training to various medical and para-medical personnel.

10. Health Guide Scheme: The village Health Guide Scheme aims to train local persons preferably women in Primary Health Care so as to provide relief to the people from common ailments. Under the scheme, Health Guides are selected by the village community for every 1000 population or a village, who is provided a kit of sample medicines and an honorarium of Rs.50/- per month. As on 31.3.90, 3.80 lakhs VHGs were in position. A provision of Rs.50.00 crores is proposed in B.E. 1991-92 for the scheme.

11.01 Post Partum Programme: The Post Partum Programme, a maternity centre hospital based approach to Family Welfare Programme, covers 554 Post Partum Centres at district levels and 1075 Post Partum Centres at sub-district level hospitals. The objective of the programme is to provide anti-natal, natal and post-natal services to expectant monthers and also to provide Family Planning Services besides diagonising early cases of cervical cancer. A provision of Rs.27.25 crores is proposed in B.E. 1991-92 for this scheme.

11.02 &11.03 **Free and Commercial Distribution of Conventional Contraceptives:** Recognising the fact that more

समूह में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए परिवार नियोजन का अंतिम उपाय अर्थात् नसबन्दी का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता । युवा युगलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजन की अन्तराल पद्धतियों जैसे कि खाने वाली गोलियां, निरोध, कापर-टी आदि गर्भ निरोधक दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क और सामाजिक विपणन, दोनों तरीकों से गर्भ-निरोधक दिए जाने के लिए वर्तमान में 63.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है ।

11.04 **क्षेत्रीय परियोजनाएं** : भारत एक विशाल और विविधता-पूर्ण देश है । यहां राज्यों के बीच सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मूल्य पद्धतियों की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है और इसलिए सभी राज्यों के लिए एकसमान आधारभूत संरचना का सुझाव नहीं दिया जा सकता । क्षेत्र परियोजनाओं की यह स्कीम छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में लागू की गई थी जिसका उद्देश्य देश के कुछ चुनींदा पिछड़े जिलों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा प्रणाली में सुधार करना था ताकि राष्ट्रीय औसत के समतुल्य इनका शीघ्र विकास किया जा सके । यह स्कीम पांच दाता अभिकरणों से आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर शुरु की गई थी, ये अभिकरण है - विश्व बैंक, यू.एन.एफ.पी.ए., ओ.डी.ए. (यू0के0), यू.एस.ए.आई.डी. और डेनिडा । इस स्कीम के अन्तर्गत भवनों, वाहनों, जनशक्ति आदि के लिए अतिरिक्त निवेश की व्यवस्था की जाती है । इस प्रयोजन के लिए 1991-92 के बजट अनुमानों में 60.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

11.05 **अन्य विभागों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी**: संगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक व तार विभाग के माध्यम से और सरकारी क्षेत्र में सीमा सड़क संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । 1991-92 के बजट अनुमानों में इन विभागों के लिए 3.20 करोड़ रुपए और लोगों को शिक्षित करने, प्रेरणा देने और परिवार नियोजन की सेवाएं प्रदान करने के सरकार के प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए 1.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

11.06 **नसबन्दी बिस्तर**: इस योजना के अन्तर्गत अनुरक्षण अनुदान के रूप में 3000/- रुपए प्रति बिस्तर प्रति वर्ष की दर से सहायता दी जाती है बशर्ते कि प्रति बिस्तर प्रति वर्ष 60 ट्यूबेक्टोमी किए हों । ऐसे 3600 से अधिक बिस्तरों का अनुरक्षण स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है । वर्ष 1991-92 के लिए 1.30 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

11.07. **अन्य योजनाएं**: इसमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, निजी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान तथा विविध योजनाएं सम्मिलित हैं ।

12. **सरकारी उद्यमों में निवेश**: हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को इसके विविधीकरण कार्यक्रम के तहत कापरटी के विनिर्माण की सुविधाएं संस्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है । निम्नलिखित म

younger couples are entering the re-productive age group, terminal methods of Family Planning, namely sterilisation, cannot be advocated for them. To respond to the needs of younger couples, various contraceptives under spacing methods of Family Planning such as oral pills, condoms, Cu-Ts etc. are offered under the programme. A provision of Rs.63.50 crores exists under the programme for supply of contraceptives - both free and under social marketing.

11.04 **Area Projects**: India is a vast and diversified country. The States do vary in terms of socio-economic, cultural and value systems and as such a uniform pattern of infrastructure cannot be advocated for all States. The Area Projects scheme was initiated in the beginning of the 6th Five Year Plan to improve Health and Family Welfare Delivery System in certain identified backward districts of the country so as to hasten their development at par with the National average. The scheme was started with partial financial assistance from five donor agencies viz., World Bank, UNFPA, ODA(UK), USAID & DANIDA. Under the scheme, additional inputs in terms of buildings, vehicles, manpower are provided. A provision of Rs.60.00 crores is proposed in BE 1991-92 for the purpose.

11.05 **Involvement of Other Departments and Voluntary Organisations**: The National Family Welfare Programme in the organised sector is being implemented through the Ministry of Railways, Ministry of Defence, P&T Department, and Border Roads Organisation in the Government Sector. An amount of Rs.3.20 crores is proposed in B.E. 1991-92 for these Departments and Rs.1.40 crores to encourage voluntary organisation to play a vital role in Government's endeavour to educate, motivate and provide Family Planning services to the people.

11.06 **Sterilization Beds**: Under this scheme assistance @ Rs.3,000/- per bed per annum is admissible as maintenance grant subject to performance of 60 tubectomies per bed per annum. More than 3600 such beds are maintained by voluntary organisations and local bodies. A provision of Rs.1.30 crore is proposed for 1991-92.

11.07 **Other Schemes**: Include International Cooperation, grants to private voluntary organizations and miscellaneous schemes.

12. **Investment In Public Enterprises**: Assistance is provided to Hindustan Latex Limited for installing manufacturing facilities for Cu-T under its diversification programme.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No. 42

गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		9.31	299.71	309.02	8.31	286.43	294.74	12.00	307.02	319.02
	पूंजी *Capital*		...	*17.00*	*17.00*	...	*9.94*	*9.94*	...	*13.00*	*13.00*
	जोड़ **Total**		**9.31**	**316.71**	**326.02**	**8.31**	**296.37**	**304.68**	**12.00**	**320.02**	**332.02**
1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	...	14.43	14.43	...	16.15	16.15	...	16.80	16.80
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	***Census Surveys & Statistics***										
2. जनगणना	2. Census	3454	6.31	139.86	146.17	6.31	125.63	131.94	8.50	130.00	138.50
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	***Other Administrative Services***										
3. राजभाषा	3. Official Language	2070	3.00	4.35	7.35	2.00	4.34	6.34	3.50	5.00	8.50
4. आसूचना ब्यूरो	4. Intelligence Bureau	2070	...	103.07	103.07	...	101.65	101.65	...	113.00	113.00
		4216	...	10.00	10.00	...	2.87	2.87	...	6.00	6.00
		4059	...	7.00	7.00	...	7.07	7.07	...	7.00	7.00
जोड़		*Total*	...	*120.07*	*120.07*	...	*111.59*	*111.59*	...	*126.00*	*126.00*
5. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए तथा राज्य सरकारों को अदायगी	5. Payment to State Govts. for Administration of Central Acts & Regulations	3601	...	5.20	5.20	...	5.20	5.20	...	5.30	5.30
6. नागरिक सुरक्षा	6. Civil Defence	2070	...	1.46	1.46	...	1.82	1.82	...	1.55	1.55
		3601	...	5.54	5.54	...	5.54	5.54	...	5.80	5.80
जोड़		*Total*	...	*7.00*	*7.00*	...	*7.36*	*7.36*	...	*7.35*	*7.35*
7. होम गार्ड्स	7. Home Guards	3601	...	22.50	22.50	...	22.50	22.50	...	25.00	25.00
8. अन्य मदें	8. Other Items	2013	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
		2070	...	2.27	2.27	...	2.57	2.57	...	3.84	3.84
		3601	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.70	0.70
जोड़		*Total*	...	*3.30*	*3.30*	...	*3.60*	*3.60*	...	*4.57*	*4.57*
कुल जोड़	***Grand Total***		***9.31***	***316.71***	***326.02***	***8.31***	***296.37***	***304.68***	***12.00***	***320.02***	***332.02***

ग. आयोजना परिव्यय*:-	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total
1. जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1. Census Surveys and Statistics	13454	6.31	...	6.31	6.31	...	6.31	8.50	...	8.50
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2. Other Administrative Services	32070	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	3.50	...	3.50
जोड़	**Total**		**9.31**	...	**9.31**	**8.31**	...	**8.31**	**12.00**	...	**12.00**
	** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है :* **inclusive of Works Outlay as below:-*										
मांग संख्या 78	Demand No.78	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1. **सचिवालय** : इसमें सभी चार विभागों अर्थात् आन्तरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, राजभाषा विभाग और गृह विभाग के लिए व्यय शामिल है ।

2. **जनगणना** : इसके अन्तर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए व्यवस्था की गई है जो जन्म-मरण के आंकड़े इकट्ठे करने तथा दशवार्षिक जनगणना कराने के लिए जिम्मेदार है । इस संगठन के अन्य कार्यकलाप इनसे संबंधित है, सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकी, जातीय और भाषा संबंधी सर्वेक्षण और उनका अध्ययन तथा जनगणना संबंधी आंकड़ों का मानचित्रिक चित्रण । आयोजना व्यय के अन्तर्गत 1981 की जनगणना के आंकड़ों का संगणकीकरण, जनगणना संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन, मानचित्रिक विश्लेषण तथा अन्य खर्चों एवं उसके साथ-साथ 1991 की जनगणना के संबंध में नमूना अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई है । संशोधित अनुमान 1990-91 में बचत मुख्य रूप से किफायत के विभिन्न उपाय अपनाने के कारण है ।

3. **राजभाषा** : इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि के लिए व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

4. **आसूचना ब्यूरो** : इसमें आप्रवास ब्यूरो के लिए भी व्यवस्था शामिल है । बजट अनुमान 1991-92 में हुई वृद्धि का मुख्य कारण उपस्करों की खरीद है ।

1. **Secretariat** : includes expenditure on all the 4 Departments viz. Department of Internal Security, Department of States, Department of Official Language and Department of Home.

2. **Census** : Includes provisions for the office of the Registrar General and Census Commissioner of India who is responsible for collection of vital statistics and taking the decennial population census. The other activities of the organisation pertain to socio-economic, demographic, ethnographic and linguistic surveys and studies and cartographic depiction of census statistics. Plan provision is for computerisation of 1981 census data, evaluation of census data, cartographic analysis and other expenditure as well as for sampling study in connection with 1991 census. The saving in RE 1990-91 is mainly due to adoption of various economy measures.

3. **Official Language** : includes expenditure on teaching Hindi to Central Government employees, Central Hindi Training Institute, Central Translation Bureau, Regional Implementation Offices, etc.

4. **Intelligence Bureau**: includes also provision for Bureau of Immigration. The increase in BE 1991-92 is mainly due to purchase of capital equipments.

5. **राज्य सरकारों को केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए अदायगियां :** इसमें नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का पंजीकरण और उन पर निगरानी तथा अन्य अधिनियम, नियम एवं विनियमों के प्रशासन के लिए व्यवस्था शामिल है ।

6. **नागरिक सुरक्षा :** भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा कार्यों लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता चुने हुए स्थानों और आवश्यक संयंत्रों/प्रतिष्ठानों को उनके सामरिक महत्व को देखते हुए दी जाती है । नागरिक सुरक्षा का गठन, थोड़े से स्थायी न्यूक्लियस स्टाफ को छोड़कर, मुख्यतः स्वैच्छिक आधार पर किया गया है । इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

7. **होम गार्ड :** यह एक स्वैच्छिक बल है जिसका गठन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक विस्तृत ढांचे और नीति के अन्तर्गत किया गया था । होमगार्डों का उपयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए अपने-अपने पुलिस बलों के पूरक के रूप में किया जाता है । सीमा विंग होम गार्डों को सीमा सुरक्षा बलों के साथ पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए नियोजित किया जाता है । इसके अन्तर्गत चुनाव कार्यों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए होम गार्डों पर व्यय के लिए व्यवस्था की गई है । बजट अनुमान 1991-92 में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकारों की बकाया राशि की निकासी के कारण है ।

8. **अन्य मदें :** इसके अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों, अंतर्राज्यीय परिषदों, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, विशेष जांच आयोगों, आई.सी.पी.ओ.-इंटरपोल के लिए अंशदान, आदि के लिए व्यवस्था शामिल है ।

5. **Payments to State-Governments for Administration of Central Acts and Regulations :** includes administration of Citizenship Act, registration and surveillance of foreigners and other Acts, Rules and Regulations.

6. **Civil Defence :** As per the policy of Government of India, Central assistance for Civil Defence measures is confined to selected places and vital plants/installations depending upon their strategic and tactical importance. Civil Defence is organised primarily on a voluntary basis, except for a small permanent nucleus staff. The provision includes expenditure on National Civil Defence College.

7. **Home Guards :** is a voluntary force raised by the State and U.T. Administrations under a broad pattern and policy laid down by the Ministry of Home Affairs. Home Guards are utilised by the State Governments and U.T. Administrations to supplement their respective Police forces for maintaining law and order, traffic control and protection of public property. Border Wing Home Guards are deployed to guard international borders along with the B.S.F. both in the western and the eastern sectors. Provision includes expenditure on Home Guards utilised by the State Governments for election duties. The increase in BE 1991-92 is mainly due to clearance of arrears of State Govts.

8. **Other Items :** include provision for Zonal Councils, Inter-State Council, National Fire Service College, Special Commissions of Enquiry, Contributions to ICPO-Interpol etc.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No. 43

मंत्रिमंडल Cabinet

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	13.42	13.42	...	13.42	13.42	...	11.80	11.80
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**13.42**	**13.42**	...	**13.42**	**13.42**	...	**11.80**	**11.80**
मंत्रि-परिषद	***Council of Ministers***										
1. वेतन	1. Salaries	2013	...	0.12	0.12	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
2. यात्रा व्यय	2. Tour Expenses	2013	...	6.97	6.97	...	7.24	7.24	...	5.50	5.50
3. अन्य मदें	3. Other items	2013	...	0.99	0.99	...	0.91	0.91	...	0.85	0.85
4. मंत्रिमंडल सचिवालय	4. Cabinet Secretariat	2013	...	2.86	2.86	...	2.69	2.69	...	2.78	2.78
5. प्रधान मंत्री का कार्यालय	5. Prime Minister's Office	2013	...	2.48	2.48	...	2.48	2.48	...	2.57	2.57
जोड़-मंत्रिपरिषद	**Total Council of Ministers**		...	**13.42**	**13.42**	...	**13.42**	**13.42**	...	**11.80**	**11.60**
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***13.42***	***13.42***	...	***13.42***	***13.42***	...	***11.80***	***11.80***

1. **वेतन :** इसमें केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के वेतनों पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है ।

2. **दौरे पर होने वाले खर्च :** इसके अन्तर्गत केबिनेट स्तर के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं पर होने वाला व्यय भी शामिल है ।

3. **अन्य मदें :** इसमें व्यय संबंधी भत्ते तथा अन्य भत्ते और मनोरंजन तथा आतिथ्य सत्कार संबंधी खर्च शामिल है ।

4. **मंत्रिमण्डल सचिवालय :** इसमें वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च आदि शामिल है ।

5. **प्रधानमंत्री का कार्यालय :** इसमें वेतन, यात्रा, कार्यालय खर्च आदि शामिल है।

1. **Salaries :** includes expenditure on salaries of Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.

2. **Tour Expenses :** also covers expenditure on travel by Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers.

3. **Other Items :** includes sumptuary and other allowances and entertainment and hospitality expenses.

4. **Cabinet Secretariat :** includes expenditure on salaries, travel, office expenses etc.

5. **Prime Minister's Office :** includes expenditure on salaries, travel, office expenses etc.

गृह मंत्रालय *MINISTRY OF HOME AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No. 44

पुलिस Police

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	1389.07	1389.07	...	1580.46	1580.46	...	1757.42	1757.42
पूंजी	*Capital*		...	*163.76*	*163.76*	...	*253.36*	*253.36*	...	*265.36*	*265.36*
जोड़	**Total**		...	**1552.83**	**1552.83**	...	**1833.82**	**1833.82**	...	**2022.78**	**2022.78**
पुलिस	*Police*										
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	1. Central Reserve Police	2055	...	386.62	386.62	...	437.27	437.27	...	556.35	556.35
2. सीमा सुरक्षा बल	2. Border Security Force	2055	...	542.71	542.71	...	615.00	615.00	...	645.70	645.70
3. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	3. Indo-Tibetan Border Police	2055	...	97.25	97.25	...	104.70	104.70	...	110.00	110.00
4. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	4. Central Industrial Security Force	2055	...	134.00	134.00	...	161.98	161.98	...	178.40	178.40
5. असम राइफल्स	5. Assam Rifles	2055	...	158.75	158.75	...	180.00	180.00	...	190.00	190.00
6. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	6. Education, Training and Research	2055	...	7.26	7.26	...	6.61	6.61	...	7.25	7.25
7. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	7. Criminal Investigation and Vigilance	2055	...	5.96	5.96	...	5.50	5.50	...	6.00	6.00
8. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	8. Inter-State Police Wireless Scheme	2055	...	10.18	10.18	...	9.16	9.16	...	10.00	10.00
9. अन्य सरकारों/विभागों को अदा किये गये प्रभार	9. Charges paid to other Governments/Departments	2055	...	25.90	25.90	...	34.80	34.80	...	27.00	27.00
10. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	10. Modernisation of Police Force	3601	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
		7601	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़		*Total*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*10.00*	*10.00*
11. अन्य योजनाएं	11. Other Schemes	2055	...	7.59	7.59	...	7.59	7.59	...	7.87	7.87
		3601	...	7.80	7.80	...	12.80	12.80	...	13.80	13.80
जोड़		*Total*	...	*15.39*	*15.39*	...	*20.39*	*20.39*	...	*21.67*	*21.67*
जोड़-पुलिस	**Total Police**		...	**1394.02**	**1394.02**	...	**1585.41**	**1585.41**	...	**1762.37**	**1762.37**
आवास	***Housing***										
12. पुलिस के लिये रिहायशी आवास का निर्माण	12. Construction of Residential Accommodation for Police	4216	...	14.73	14.73	...	12.80	12.80	...	20.00	20.00
लोक निर्माण कार्य	***Public Works***										
13. पुलिस के लिये भवनों का निर्माण	13. Construction of Buildings for Police	4059	...	96.03	96.03	...	128.56	128.56	...	120.00	120.00
सड़कें और पुल	***Roads & Bridges***										
भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य	**Indo-Bangladesh Border Works**										
14. कांटेदार बाड़ लगाना	14. Erection of Barbed Wire Fencing	5054	...	1.70	1.70	...	1.70	1.70	...	6.00	6.00
15. सड़कों का निर्माण	15. Construction of Roads	5054	...	26.30	26.30	...	26.30	26.30	...	45.00	45.00
जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य	**Total Indo-Bangladesh Border Works**		...	**28.00**	**28.00**	...	**28.00**	**28.00**	...	**51.00**	**51.00**
16. पंजाब कार्रवाई योजना	16. Punjab Action Plan	5054	...	20.00	20.00	...	79.00	79.00	...	69.36	69.36
17. विविध मदें	17. Misc. Items	3054	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***1552.83***	***1552.83***	...	***1833.82***	***1833.82***	...	***2022.78***	***2022.78***

ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. पुलिस	1. Police	32055	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2. लोक निर्माण कार्य	2. Public Works	32059	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	...	...	...	...	...	...	...	...

* इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है :
*inclusive of Works Outlay as below:

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस : यह पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करती है और उन क्षेत्रों में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना अधिकारियों की सहायता करती है, जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस के हाथ में होती है। इस बल का दैवी विपदाओं के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि सहायक बटालियनों को बनाए रखने के कारण तथा नई बटालियनें बनाने के लिए हुई है। बजट अनुमान 1991-92 में वृद्धि सामान्य बढ़ोतरी के अलावा नई बटालियनों की मंजूरी के कारण हुई है।

2. सीमा सुरक्षा बल : जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी रखने, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमा,

1. Central Reserve Police : assists the State Governments in the maintenance of law and order and also the army authorities in areas where they are operationally in charge for maintaining internal security. The Force is also used in arranging relief at the time of natural calamities etc. Increase in RE 1990-91 is due to continuation of the auxiliary battalions and also for raising new battalions. Increase in BE 1991-92 is for sanctioning of new battalions besides normal growth.

2. Border Security Force : Apart from its normal deployment for keeping vigil along the actual line of control in Jammu and Kashmir,

भारत-बंगलादेश और भारत-बर्मा सीमा पर तैनाती के अपने सामान्य कार्य के अलावा, यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन को प्रभावी सहायता प्रदान करता है । सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ करने और उसका विस्तार करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है जिसमें अतिरिक्त लोगों को भर्ती करने, सीमा पर अतिरिक्त चौकसी पोस्टों तथा निगरानी टावरों की स्थापना करने तथा इस बल को आधुनिक हथियारों से लैस करने और सीमा पर गश्त बढ़ाने की परिकल्पना की गई है । संशोधित अनुमान 1990-91 और ब.अ. 1991-92 में वृद्धि सामान्य बढ़ोतरी के साथ-साथ और अधिक बटालियनों के गठन के कारण हुई है ।

3. **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस :** उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रों से लगी भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है । बैंक सुरक्षा के लिए बल को सुदृढ बनाने की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में वृद्धि नई बटालियनों के गठन एवं सहायक बटालियनों को बनाए रखने के कारण हुई है ।

4. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल :** यह बल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र / राज्य सरकार की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है । संशोधित अनुमान 1990-91 में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य वृद्धि के अलावा उपक्रम में भरती के लिए नये पदों का सृजन करने के कारण हुई है ।

5. **असम राइफल्स :** देश का सबसे पुराना सशस्त्र अर्द्ध-सैनिक बल है । अधिकांश बल सेना के नियंत्रणाधीन उत्तर - पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य करता है । सं.अ. 1990-91 में वृद्धि मुख्य रूप से अतिरिक्त महंगाई भत्ता, बोनस देने, रसद की वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने तथा हथियारों की अधिक खरीद करने के कारण हुई है ।

6. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान :** इसके अन्तर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र, अपराध विज्ञान विधि संस्थान, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो पर होने वाले खर्च को पूरा किया जाता है ।

7. **अपराध संबंधी अन्वेषण और सतर्कता :** इसके अंतर्गत केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला और विवादास्पद कागज-पत्रों के सरकारी परीक्षण आदि के कार्यालय के लिए खर्च की व्यवस्था शामिल है ।

8. **अन्तर-राज्यीय पुलिस वायरलैस स्कीम :** इसका उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आधुनिक उपस्करों का उपयोग करके इस पद्धति को आधुनिक बनाना है ।

9. **अन्य सरकारों/विभागों को अदा किए गए प्रभार :** इसमें व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के संबंध में की जाने वाली अदायगियां शामिल हैं ।

10. **पुलिस बल का आधुनिकीकरण :** इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसे वाहनों, वायरलैस उपस्करों, कम्प्यूटरों और अन्य आधुनिक उपस्करों की खरीद पर किए जाने वाले अनावर्ती स्वरूप के खर्च के लिए प्रयुक्त किया जाना होता है ।

11. **अन्य स्कीमें :** इसमें राष्ट्रीय अपराध अभिलेख कार्यालय, आयुक्त (सीमा) और राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अन्य अनुदान शामिल हैं ।

12. **पुलिस के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण :** इसके अंतर्गत असम राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के लिये रिहायशी आवासों के निर्माण के लिए व्यवस्था शामिल है ।

13. **पुलिस के लिए इमारतों का निर्माण :** इसमें सीमा चौकसी पोस्टों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए इमारतों के निर्माण का खर्च शामिल है ।

14. और 15. काटेदार तार और बाड़ लगाना, तथा भारत-बंगलादेश सीमाओं पर सड़कों के निर्माण का उद्देश्य अवैध आव्रजन को रोकना है ।

16. **पंजाब कार्रवाई योजना :** इसके अंतर्गत भारत-पाक सीमा से आने वाले हथियारों को रोकने के लिये व्यवस्था की गई है । सं.अ. 1990-91 में वृद्धि मुख्यरूप से नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति के कारण हुई है ।

along the Indo-Pak border in Punjab, Rajasthan and Gujarat, Indo-Bangladesh and Indo-Burma borders, it provides effective assistance to the local Administration in the maintenance of law and order. Programme for strengthening and expanding the BSF envisages raising of additional manpower, setting up of additional border out-posts and observation towers, as well as equipping the Force with sophisticated equipment and improved mobility of the border patrols. Increase in RE 1990-91 and BE 1991-92 is due to raising of more battalions besides normal growth.

3. **Indo-Tibetan Border Police :** is for policing the Indo-Tibetan Border in U.P., Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir Sectors. Provision has been made for strengthening the Force for bank security. Increase in RE 1990-91 is due to raising of new battalions and continuation of auxiliary battalions.

4. **Central Industrial Security Force :** assists in the protection of the properties of the Public Sector Undertakings and other Central/State Government agencies. The increase in RE 1990-91 is mainly due to creation of new posts for induction in the undertakings besides normal growth.

5. **Assam Rifles :** is the oldest para-military force in the country. Bulk of the force operates in North East under the operational control of Army. The increase in RE 1990-91 is mainly due to grant of additional DA, Bonus, increase in the prices of articles of ration and purchase of more arms.

6. **Education, Training and Research :** covers expenditure on Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Central Detective Training Schools, C.R.P. Training College, C.R.P. Recruitment Training Centre, Institute of Criminology and Forensic Science, Bureau of Police Research and Development.

7. **Criminal Investigation and Vigilance :** Covers expenditure on Central Forensic Science Laboratories and Government Examiner of Questioned Documents.

8. **Inter-State Police Wireless Scheme :** aims at modernising the system by introducing sophisticated equipment using microprocessor controlled technology.

9. **Charges paid to other Governments/Departments :** include payments for professional and special services.

10. **Modernisation of Police Force :** Under this scheme assistance is provided to State Governments in the form of 50% grants-in-aid and 50% loan, to be utilised for expenditure of non-recurring nature on purchase of vehicles, wireless equipment, computers, and other sophisticated equipment.

11. **Other Schemes :** includes expenditure on National Crime Records Bureau, Commissioner (Border) and other grants to State Governments.

12. **Construction of Residential Accommodation for Police :** The provision has been made for construction of accommodation for Assam Rifles, CRPF, CISF and ITBP.

13. **Construction of buildings for Police :** covers expenditure on construction of border duty posts, buildings for CRPF, CISF, ITBP, Assam Rifles and BSF.

14 and 15 : Erection of barbed wire fencing and construction of roads on Indo-Bangladesh borders are intended to check illegal immigration.

16. **Punjab Action Plan :** Provision has been made to check inflow of arms and ammunition from across Indo-Pak Border. The increase in RE 1990-91 is mainly due to sanctioning of new works.

गृह मंत्रालय *MINISTRY OF HOME AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No. 45

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय Other Expenditure of Ministry of Home Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:

A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		71.45	263.02	334.47	68.57	238.31	306.88	89.56	269.66	359.22
पूंजी	*Capital*		*127.75*	*1.72*	*129.47*	*130.41*	*2.34*	*132.75*	*122.44*	*2.51*	*124.95*
जोड़	**Total**		**199.20**	**264.74**	**463.94**	**198.98**	**240.65**	**439.63**	**212.00**	**272.17**	**484.17**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security And Welfare***										
पुनर्वास	**Rehabilitation**										
1. दंडकारण्य विकास योजना	1. Dandakaranya Development Scheme	2235	...	0.73	0.73	...	0.73	0.73	...	0.51	0.51
		3601	...	14.26	14.26	...	7.34	7.34	...	16.20	16.20
		4235	...	0.04	0.04	...	-0.49	-0.49	...	0.01	0.01
		7601	...	0.05	0.05	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
जोड़		*Total*	...	*15.08*	*15.08*	...	*7.62*	*7.62*	...	*16.76*	*16.76*
2. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास	2. Relief and Rehabilitation of Repatriates from Sri Lanka	2235	...	0.18	0.18	...	0.58	0.58	...	0.26	0.26
		3601	...	1.38	1.38	...	25.60	25.60	...	12.42	12.42
		4235	...	0.03	0.03	...	...	...	...	0.01	0.01
		6235	...	0.03	0.03	...	...	...	...	0.01	0.01
		7601	...	1.21	1.21	...	1.35	1.35	...	2.30	2.30
जोड़		*Total*	...	*2.83*	*2.83*	...	*27.53*	*27.53*	...	*15.00*	*15.00*
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	3. Repatriates from other Countries	2235	...	0.28	0.28	...	0.23	0.23	...	0.29	0.29
		3601	...	11.04	11.04	...	10.99	10.99	...	14.09	14.09
		6235	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
		7601	...	0.27	0.27	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09
जोड़		*Total*	...	*11.61*	*11.61*	...	*11.33*	*11.33*	...	*14.49*	*14.49*
4. राज्य सरकारों को दिये गये पुनर्वास ऋणों को बट्टे खाते डालना	4. Rehabilitation Loans to State Governments written off	2235	...	0.02	0.02	...	0.01	0.01	...	1.29	1.29
5. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	5. Other Rehabilitation Programmes	2235	...	4.67	4.67	...	0.06	0.06	...	4.61	4.61
		3601	...	64.47	64.47	...	37.87	37.87	...	48.13	48.13
		3602	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
		4235	...	0.06	0.06	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
		6235	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
		7601	...	...	...	...	1.30	1.30	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*69.22*	*69.22*	...	*39.27*	*39.27*	...	*52.78*	*52.78*
जोड़-पुनर्वास	**Total Rehabilitation**		...	**98.76**	**98.76**	...	**85.76**	**85.76**	...	**100.32**	**100.32**
6. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ	6. Pensions & Other Benefits to Freedom Fighters	2235	...	150.19	150.19	...	144.28	144.28	...	157.10	157.10
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	***North Eastern Areas***										
उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	**Development of North Eastern Region**										
7. उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं	7. Schemes of North Eastern Council	2552	15.07	...	15.07	13.55	...	13.55	15.97	...	15.97
		3601	54.40	...	54.40	53.24	...	53.24	71.79	...	71.79
		7601	5.86	...	5.86	5.82	...	5.82	7.54	...	7.54
जोड़		*Total*	*75.33*	...	*75.33*	*72.61*	...	*72.61*	*95.30*	...	*95.30*
8. आर्थिक महत्व वाली सड़कों का निर्माण/सुधार	8. Construction/ Improvement of Roads of Economic Importance	4552	41.00	...	41.00	40.34	...	40.34	41.00	...	41.00
9. उत्तर पूर्वी कृषि विपणन निगम	9. North Eastern Agricultural Marketing Corporation	4552	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.50	...	0.50
		6552	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*
10. उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	10. North Eastern Electric Power Corporation Ltd.	4552	51.80	...	51.80	52.39	...	52.39	40.87	...	40.87
		6552	2.54	...	2.54	3.25	...	3.25	0.76	...	0.76
जोड़		*Total*	*54.34*	...	*54.34*	*55.64*	...	*55.64*	*41.63*	...	*41.63*
11. अन्य कार्यक्रम	11. Other Programmes	4552	25.83	...	25.83	27.91	...	27.91	31.57	...	31.57
जोड़-उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास	**Total Development of North Eastern Region**		**197.00**	...	**197.00**	**197.00**	...	**197.00**	**210.00**	...	**210.00**
12. सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास	12. Development of Border Areas	3601	1.98	...	1.98	1.78	...	1.78	1.80	...	1.80
		7601	0.22	...	0.22	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*2.20*	...	*2.20*	*1.98*	...	*1.98*	*2.00*	...	*2.00*
13. जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	13. Modernisation of Prison Administration	3601	...	10.00	10.00	...	8.00	8.00	...	10.00	10.00
		3602	...	5.00	5.00	...	2.00	2.00	...	4.00	4.00
जोड़		*Total*	...	*15.00*	*15.00*	...	*10.00*	*10.00*	...	*14.00*	*14.00*
14. अन्य मदें	14. Other Items	2075	...	0.59	0.59	...	0.41	0.41	...	0.55	0.55
		2250	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़		*Total*	...	*0.79*	*0.79*	...	*0.61*	*0.61*	...	*0.75*	*0.75*
कुल जोड़	***Grand Total***		*199.20*	*264.74*	*463.94*	*198.98*	*240.65*	*439.63*	*212.00*	*272.17*	*484.17*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

क्र. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay *:-	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	Central Sector Plan										
1. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	1. Rehabilitation of Displaced Persons	22235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य योजनाएं	State Plans										
1. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. North Eastern Areas	43601	197.00	...	197.00	197.00	...	197.00	210.00	...	210.00
2. अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम-सीमावर्ती क्षेत्र	2. Other Special Area Programmes-Border Areas	43601	2.20	...	2.20	1.98	...	1.98	2.00	...	2.00
जोड़	Total		199.20	...	199.20	198.98	...	198.98	212.00	...	212.00

• इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है :
**inclusive of Works Outlay as below:-*

पुनर्वास :

1. **दण्डकारण्य विकास योजना :** दण्डकारण्य परियोजना की स्थापना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आएं विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाने और क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 1958 में की गई थी । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए चार जोनों, अर्थात् कोरापुट जिला (उड़ीसा) में उमेरकोट तथा मल्कानगिरी और बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) में परालकोट तथा कोंडागांव, में विभिन्न परिसम्पदाओं का सृजन किया गया और कई संस्थाएं गठित की गई । कुल मिलाकर, परियोजना के अन्तर्गत 25,231 परिवार बसाए गए । राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्र में बसाए जा रहे आदिवासी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी गई है ।

चूंकि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम पूरा हो गया है, इसलिए इन परिसम्पदाओं व संस्थाओं को मध्यप्रदेश और उड़ीसा की सरकारों को अन्तरित कर दिया गया है । अब भारत सरकार का दायित्व राज्य सरकारों को अन्तरित की गई इन परिसम्पत्तियों के 'अनुरक्षण' व 'अभाव' की व्यवस्था करना है ।

पोट्टरू सिंचाई परियोजना नामक एक बड़ी सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन उड़ीसा सरकार द्वारा और वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और जिसका प्रयोजन विस्थापित व्यक्तियों और स्थानीय आदिवासियों को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना है । इस परियोजना के अनुमानों में किए जाने वाले संशोधन अभी विचाराधीन है ।

2. **श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास :** भारत-श्रीलंका करार 1964, 1974 और 1986 के तहत, श्रीलंका में भारतीय मूल के 5.06 लाख व्यक्तियों को, जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, भारत में वापस लाना है तथा उन्हें राहत एवं पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान की जानी है । बजट में की गई व्यवस्था स्वदेश लौटे इन व्यक्तियों को राहत एवं पुनर्वास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए है तथा अन्य बातों के साथ-साथ, इनके पुनर्वास में कार्यरत रिपेट्रिएट कोआपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेन्ट बैंक को सहायता और ऋण तथा राज्य सरकारों व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण व अग्रिम की रकम भी इस व्यवस्था में शामिल है । चूंकि वापस आने वाले व्यक्ति ज्यादातर बागान कामगार हैं इसलिए इन्हें आवास सहायता देने के अलावा काफी, रबड़ आदि जैसी विभिन्न बागान योजनाओं और उद्योग, छोटे कारोबार तथा व्यवसाय, स्व-रोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत फिर से बसाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस व्यवस्था का अधिकांश अंश श्रीलंका से आकर शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों के राहत कार्य पर होने वाले व्यय और उसके साथ-साथ स्टाफ संबंधी व्यय के लिए है ।

3. **अन्य देशों से वापस आने वाले व्यक्ति :** इसके अन्तर्गत बर्मा, तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में व्यय की व्यवस्था शामिल है । भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए पश्चिम बंगाल में 607 आबादकार कालोनियों में भूमि-अधिग्रहण और अधिकार-पत्र वितरण की जो योजना फरवरी, 1987 में अनुमोदित की गई थी, उस पर काम हो रहा है ।

उड़ीसा स्थित तेरूवल्ली, पड़वा और सूनाबेड़ा में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के आप्रवासियों के लिए स्थापित पुराने राहत शिविरों की 2784 कोठरियों को सितम्बर, 1988 में 'जैसा है जहां है' के आधार पर निशुल्क उड़ीसा सरकार को अन्तरित कर दिया गया । तीन बस्तियों का मूल्यह्रास खाता मूल्य 2.78 करोड़ रुपए आंका गया था ।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए स्थापित फुलिया नगर-क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की 15.37 लाख रुपए के मूल्य की परिसम्पत्तियों को भी 'जैसा है जहां है' के आधार पर मार्च, 1988 में

Rehabilitation:

1. **Dandakaranya Development Scheme :** The Dandakaranya project was set up in 1958 for the resettlement of displaced persons from former East Pakistan in the Dandakaranya region and for the integrated development of the area. To fulfil the objectives, various assets and institutions were created in the four zones namely Umerkote and Malkangiri in Koraput District (Orissa) and Paralkote and Kondagaon in Bastar District (Madhya Pradesh). In all 25,231 families were settled in the Project. For the tribal families being settled in the area by the State Govts., financial assistance has been provided by Government of India.

Since the work of rehabilitation of displaced persons from former East Pakistan has been completed, the assets and institutions have been transferred to the Governments of Madhya Pradesh and Orissa. The Government of India's liability is now to provide 'maintenance' and 'deficiency' for the assets transferred to the State Governments.

There is one major irrigation project namely Potteru Irrigation Project being executed by the Government of Orissa and funded by Government of India to provide irrigation facilities to the displaced persons as well as local tribals, Revision of the estimates of this Project is under consideration.

2. **Relief and Rehabilitation of Repatriates from Sri Lanka :** Under the Indo-Sri Lanka Agreements of 1964, 1974 and 1986, 5.06 lakh persons of Indian origin in Sri Lanka granted Indian citizenship are to be repatriated to India and to be provided relief and rehabilitation assistance. The budget provision is for providing relief and rehabilitation assistance to these repatriates and also includes, interalia, assistance and loan to Repatriates Cooperative Finance Development Bank and loans and advances to State Governments and Union Territories involved in their resettlement. The repatriates mainly being plantation workers efforts have been made to settle them in various plantation schemes like coffee, rubber etc. and also in industries, small trade and business, self employment schemes besides providing housing assistance. The major chunk of the provision is for providing relief assistance to refugees from Sri Lanka, who are staying in camps, as also for staff expenditure.

3. **Repatriates from other Countries :** It covers expenditure on refugees from Burma, Tibet, former West Pakistan and East Pakistan. The scheme for acquisition of land and distribution of title deeds for Displaced Persons from the former East Pakistan in 607 Squatters Colonies in West Bengal approved in February 1987 is in progress.

2784 tenements of defunct relief camps set up for the erstwhile East Pakistan migrants at Teruvalli, Padwa and Sunabeda in Orissa were transferred to the Government of Orissa free of cost on 'as is where basis' in September, 1988. The assessed depreciated book value of the three tenements was Rs. 2.78 crores.

The assets of the Central Government in Fulia Township set up for migrants from the former East Pakistan valued at Rs.15.37 lakhs were also transferred to the Government of West Bengal in March 1988 on

पश्चिम बंगाल सरकार को अन्तरित कर दिया गया था । राज्य सरकार द्वारा इन परिसम्पत्तियों को बेचने पर यदि कोई आय होती है तो उसका उपयोग फुलिया नगर क्षेत्र का भविष्य में विकास करने के लिए किया जाएगा ।

5. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम :** इसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास और अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यों के लिए व्यवस्था शामिल है ।

6. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ :** वर्ष 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर और उदार बनाया गया है । स्वतंत्रता सेनानियों (सामान्य) के लिए पेंशन की दर 500/- रुपए से बढ़ाकर 750/- रुपए प्रतिमाह और भूतपूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदियों के लिए 800/- रुपए से बढ़ाकर 1000/- रुपए प्रतिमाह कर दी गई है ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का विकास

7. **उत्तर-पूर्वी परिषद की योजनाएं :** उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत की गई थी जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों का समेकित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है । यह परिषद संघटक एककों द्वारा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में सहायता करती है और क्षेत्रीय आयोजना के दायरे में आने वाली समन्वित योजनाओं और परियोजनाओं को बढ़ावा देती है । राज्य क्षेत्र में उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए 7वीं आयोजना का परिव्यय 675 करोड़ रुपए था एवं वर्ष 1991-92 का परिव्यय 210 करोड़ रुपए है जिनमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जल, बिजली विकास, उद्योग और खनन, परिवहन और संचार, जनशक्ति विकास और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं तथा सामान्य सेवाओं को शामिल किया गया है । इसके समग्र कार्यान्वयन का समन्वय मंत्रियों की एक समिति द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं ।

8. **क्षेत्र में आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार कार्य :** सीमा सड़क विकास बोर्ड और राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है ।

9. **उत्तर-पूर्वी कृषि विपणन निगम :** इसकी स्थापना क्षेत्र में विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करने तथा आवश्यक प्रक्रिया संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है ; थोड़े शब्दों में यह कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य उत्पादनकर्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए कृषि एवं बागान उत्पादों के बाजार में प्रवेश करना और उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए साधन जुटाना है ।

10. **उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति निगम :** इसकी स्थापना क्षेत्र में विद्युत शक्ति की सभी संभावनाओं के समेकित विकास की आयोजना करने, उसे बढ़ावा देने एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है ।

11. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीमेंट के छोटे संयंत्र, चूने के संयंत्र, नमक को आयोडीन युक्त बनाने के संयंत्र स्थापित करने और सामान को मशीनों द्वारा उठाने-धरने पर होने वाले व्यय शामिल हैं ।

12. **सीमा क्षेत्रों का विकास :** विशेष क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम (राज्य आयोजनाएं) के अन्तर्गत किए जाने वाले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए सातवीं आयोजना में 200 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमा क्षेत्रों के संतुलित विकास की योजनाओं को न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी क्रियान्वित किया जाएगा । इस कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण देकर किया गया है । यह कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों अर्थात् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और योजना आयोग के नियंत्रणाधीन है ।

13. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण :** जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की एक योजना को स्वीकृति दी गई है जिसका कुल परिव्यय 1987-88 से प्रारंभ होकर 50 करोड़ रुपए का है । इस योजना के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहायता अनुदान, उनके द्वारा किए जाने वाले समनुरूप अंशदान के आधार पर दिया जाएगा । वर्ष 1991-92 के लिए इस योजना के संबंध में 14 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

14. **अन्य मदें :** इनमें जागीर आदि के एवज में पेंशन के लिये व्यवस्था शामिल है ।

'as is where basis'. Sale proceeds of assets, if any, disposed of by the State Government would be utilised for the future development of Fulia Township.

5. **Other Rehabilitation programmes :** It includes provision for relief and rehabilitation of persons affected by Indo-Pak conflict, 1971 and other social security and welfare measures.

6. **Pensions and other benefits to Freedom Fighters :** The Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, which was introduced in 1972, has been liberalised from time to time. The rate of pension has been raised from Rs.500/- to Rs.750/- per month to freedom fighters (General) and from Rs.800/- to Rs.1000/- per month to Ex- Andaman political prisoners.

Development of North Eastern Region :

7. **Schemes of North Eastern Council :** The North Eastern Council was set up under the North Eastern Council Act, 1971 to ensure integrated economic development of the North Eastern Region in the seven States of the Region. It supplements the efforts of the constituent units in the development of their areas and promotes coordinated schemes and projects within the parameters of the regional Plan. The 7th Plan outlay for North Eastern Council in State Sector was Rs.675 crores and the outlay for 1991-92 is Rs.210 crores covering agriculture and allied sectors, water, power development, industries and mining transport and communications, manpower development and social and community services and General Services. The overall implementation is coordinated by a Committee of Ministers with the Home Minister as the Chairman.

8. **Construction/Improvement of Roads of Economic Importance :** in the area is carried out through the Border Roads Development Board and the State Governments.

9. **North Eastern Agricultural Marketing Corporation :** has been set up to build marketing infrastructures and to provide necessary processing facilities in the region. In the short term, the objective is to enter into marketing of agro-horticultural products to mitigate the difficulties of the growers and also to generate resources to finance the day to day working needs.

10. **North Eastern Electric Power Corporation :** has been set up with the objective to plan, promote and organize integrated development of electrical power in all its aspects in the region.

11. **Other programmes :** covers expenditure on Regional Police Training College, setting up of Mini Cement Plants, Lime Plants, Salt Iodisation Plants, mechanical cargo handling etc.

12. **Development of Border Areas :** An amount of Rs.200 crores had been earmarked in the 7th Plan for Border Area Development Programme undertaken under the Special Areas Development Programme (State Plans). Schemes for the balanced development of Border areas not only from the economic point of view but also from the security angle will be undertaken under this programme. The programme is financed by the Central Government by giving 90% as grant and 10% as loan. The programme is under the control of different Ministries, e.g. Ministries of Human Resource Development, Water Resources and Home Affairs and Planning Commission.

13. **Modernisation of Prison Administration :** A scheme for the modernisation of prison administration with a total outlay of Rs.50 crores starting from 1987-88 has been approved. According to this scheme grants-in-aid to States/UTs, will be given on the basis of matching contributions by them. For the year 1991-92 a provision of Rs.14 crores has been made for this scheme.

14. **Other Items :** includes provision for pensions in lieu of Jagirs etc.

गृह मंत्रालय *MINISTRY OF HOME AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No. 46

संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण Transfers to Union Territory Governments

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		38.76	49.53	88.29	35.92	401.98	437.90	45.51	51.50	97.01
पूंजी	*Capital*		*31.24*	*7.33*	*38.57*	*29.93*	*15.39*	*45.32*	*39.49*	*13.93*	*53.42*
जोड़	**Total**		**70.00**	**56.86**	**126.86**	**65.85**	**417.37**	**483.22**	**85.00**	**65.43**	**150.43**
1. पांडिचेरी	1. Pondicherry										
संसाधनों में आयोजना भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिये अनुदान और ऋण	Grants and Loans to meet Non-Plan gaps in resources	3602	...	49.53	49.53	...	46.76	46.76	...	51.50	51.50
		7602	...	7.33	7.33	...	15.39	15.39	...	13.93	13.93
जोड़		*Total*	...	*56.86*	*56.86*	...	*62.15*	*62.15*	...	*65.43*	*65.43*
संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for U.T. Plans	3602	38.76	...	38.76	35.92	...	35.92	45.51	...	45.51
		7602	31.24	...	31.24	29.93	...	29.93	39.49	...	39.49
जोड़		*Total*	*70.00*	...	*70.00*	*65.85*	...	*65.85*	*85.00*	...	*85.00*
जोड़-पांडिचेरी	**Total - Pondicherry**		**70.00**	**56.86**	**126.86**	**65.85**	**62.15**	**128.00**	**85.00**	**65.43**	**150.43**
2. नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बट्टे खाते डाले गए ऋण	2. Loans written off in terms of the recommendations of the Ninth Finance Commission	2075	...	...	...	...	355.22	355.22	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		***70.00***	***56.86***	***126.86***	***65.85***	***417.37***	***463.22***	***85.00***	***65.43***	***150.43***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	**Union Territory Plans**										
विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र	**Union Territories with Legislature:**										
पांडिचेरी	Pondicherry	43602	70.00	...	70.00	65.85	...	65.85	85.00	...	85.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्र योजनाएं	**Total-Union Territory Plans**		**70.00**	**...**	**70.00**	**65.85**	**...**	**65.85**	**85.00**	**...**	**85.00**
जोड़	**Total**		**70.00**	**...**	**70.00**	**65.85**	**...**	**65.85**	**85.00**	**...**	**85.00**

इस मांग के अंतर्गत विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान और ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है । इस समय विधान मंडल वाला केवल एक ही संघ राज्य क्षेत्र यथा, पांडिचेरी है । आयोजना-भिन्न अन्तरों को पूरा करने के लिए अनुदान और ऋण तथा साथ ही आयोजनागत खर्चों को पूरा करने के लिए भी अनुदान और ऋण दोनों के लिए व्यवस्था की गई है

2. नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, नए गठित किए गए तीन राज्यों-अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम-द्वारा 1986-87 तक संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में प्राप्त किए गए उन ऋणों (31.3.90 को बकाया) को बट्टे खाते डालने के लिए सं.अ. 1990-91 में 355.22 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो उन राज्यों द्वारा उस अवधि में प्राप्त की जाने वाली ऋण राशि से अतिरिक्त थे ।

This Demand covers assistance provided to Union Territories with legislature in the form of grants and loans. At present, there is only one UT with legislature, viz. Pondicherry. Provision has been made both for grants and loans to meet the non-Plan gaps and also grants and loans towards the Plan expenditure.

2. In terms of the Ninth Finance Commission, provision of Rs.355.22 crores has been made in RE 1990-91 for write off of loans obtained by the three newly constituted States of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram, up to 1986-87 as Union Territories (as outstanding on 31.3.90), in excess of what they would have received during that period.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.47

शिक्षा विभाग Department of Education

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		918.30	791.17	1709.47	885.60	762.15	1647.75	1030.70	771.15	1801.85
पूंजी	*Capital*		*1.00*	*2.85*	*3.85*	*1.00*	*2.85*	*3.85*	*0.60*	*2.85*	*3.45*
जोड़	Total		919.30	794.02	1713.32	886.60	765.00	1651.60	1031.30	774.00	1805.30
1. सचिवालय -सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	0.10	6.20	6.30	0.10	6.20	6.30	0.15	6.50	6.65
2. विवेकाधीन अनुदान	2. Discretionary Grant	2013	...	0.03	0.03	...	0.01	0.01	...	0.03	0.03
सामान्य शिक्षा	*General Education*										
प्रारम्भिक शिक्षा	**Elementary Education**										
3. आपरेशन ब्लैक बोर्ड	3. Operation Black Board	2202	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	0.50	...	0.50
		2251	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3601	123.80	...	123.80	125.80	...	125.80	99.00	...	99.00
		3602	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*140.00*	...	*140.00*	*142.00*	...	*142.00*	*100.00*	...	*100.00*
4. अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम	4. Teachers Training Programme	2202	12.00	...	12.00	0.50	...	0.50	1.00	...	1.00
		3601	47.50	...	47.50	30.00	...	30.00	62.94	...	62.94
		3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*59.80*	...	*59.80*	*30.80*	...	*30.80*	*64.24*	...	*64.24*
5. अनौपचारिक शिक्षा	5. Non-Formal Education	2202	10.00	0.15	10.15	12.00	0.15	12.15	30.00	0.15	30.15
		3601	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	75.00	...	75.00
जोड़		*Total*	*50.00*	*0.15*	*50.15*	*42.00*	*0.15*	*42.15*	*105.00*	*0.15*	*105.15*
6. राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना	6. Shiksha Karmi Project in Rajasthan	2202	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	2.30	...	2.30
7. महिला समाख्या	7. Mahila Samakhya	2202	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
8. राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद	8. National Council of Teacher Education	2202	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.00	...	1.00
9. बिहार शिक्षा परियोजना	9. Bihar Education Project	2202	4.00	...	4.00	2.20	...	2.20	6.00	...	6.00
10. प्रारंभिक शिक्षा में नए प्रोत्साहन	10. New Initiative in Elementary Education	2202	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
		3601	2.00	...	2.00	0.50	...	0.50	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*1.00*	...	*1.00*	*3.00*	...	*3.00*
11. बाल भवन सोसायटी	11. Bal Bhawan Society	2202	...	...	...	...	...	...	0.70	0.66	1.36
12. अन्य कार्यक्रम	12. Other Programmes	2202	...	...	...	...	...	...	1.06	...	1.06
जोड़ प्रारंभिक शिक्षा	**Total Elementary Education**		**265.30**	**0.15**	**265.45**	**224.30**	**0.15**	**224.45**	**287.30**	**0.81**	**288.11**
माध्यमिक शिक्षा	*Secondary Education*										
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद	13. National Council of Educational Research & Training	2202	3.50	22.77	26.27	3.50	22.77	26.27	3.50	22.82	26.32
14. केन्द्रीय विद्यालय	14. Kendriya Vidyalayas	2202	...	157.00	157.00	...	138.85	138.85	...	163.01	163.01
15. नवोदय विद्यालय	15. Navodaya Vidyalayas	2202	35.00	42.38	77.38	52.00	45.38	97.38	60.00	44.50	104.50
16. शिक्षा का व्यवसायीकरण	16. Vocationalisation of Education	2202	2.33	...	2.33	2.33	...	2.33	5.60	...	5.60
		2251	0.09	...	0.09	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
		3601	81.33	...	81.33	67.33	...	67.33	81.20	...	81.20
		3602	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	2.10	...	2.10
जोड़		*Total*	*84.20*	...	*84.20*	*70.20*	...	*70.20*	*89.00*	...	*89.00*
17. विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा	17. Computer Education in Schools	2202	4.70	...	4.70	4.70	...	4.70	4.70	...	4.70
		3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
		3602	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*
18. अपंग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	18. Integrated Education for Disabled Children	2202	0.89	...	0.89	0.55	...	0.55	0.95	...	0.95
		3601	2.10	...	2.10	2.44	...	2.44	3.00	...	3.00
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*3.00*	...	*3.00*	*4.00*	...	*4.00*
19. शिक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (इनसेट सैल)	19. Education Technology Programmes (INSAT CELL)	2202	4.70	...	4.70	4.70	...	4.70	5.00	...	5.00
		3601	12.20	1.42	13.62	9.20	1.42	10.62	11.80	1.42	13.22
		3602	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*17.50*	*1.42*	*18.92*	*14.50*	*1.42*	*15.92*	*17.00*	*1.42*	*18.42*
20. विज्ञान प्रयोगशालाओं का संवर्धन	20. Promotion of Science Laboratories	2202	1.39	...	1.39	1.38	...	1.38	2.00	...	2.00
		3601	18.95	...	18.95	19.16	...	19.16	21.96	...	21.96
		3602	0.26	...	0.26	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*20.60*	...	*20.60*	*20.59*	...	*20.59*	*23.97*	...	*23.97*

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
21. विद्यालयी शिक्षा में पर्यावरणीय शिक्षा	21. Environmental Orientation in School Education	2202	0.87	...	0.87	0.87	...	0.87	1.05	...	1.05
		3601	1.12	...	1.12	1.11	...	1.11	1.94	...	1.94
		3602	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*3.00*	...	*3.00*
22. अन्य कार्यक्रम	22. Other Programmes	2202	3.10	5.08	8.18	2.40	5.40	7.80	2.63	4.95	7.58
जोड़ माध्यमिक शिक्षा	**Total-Secondary Education**		**174.90**	**228.65**	**403.55**	**174.19**	**213.82**	**388.01**	**209.10**	**236.76**	**445.86**
विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	***University and Higher Education***										
23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	23. University Grants Commission	2202	125.50	224.00	349.50	112.50	238.20	350.70	128.00	238.20	366.20
24. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (आई.जी.एन.ओ.यू.)	24. Establishment of a National University(IGNOU)	2202	8.00	9.00	17.00	5.01	9.00	14.01	9.00	7.76	16.76
25. वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम	25. Programmes to strengthen Scientific Research	2202	8.50	...	8.50	8.50	...	8.50	10.34	...	10.34
26. विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के वेतन मानों में सुधार	26. Improvement in Salary Scale of University & College Teachers	3601	...	104.54	104.54	...	84.54	84.54	...	70.00	70.00
27. अन्य कार्यक्रम	27. Other Programmes	2202	7.50	7.66	15.16	5.09	8.26	13.35	7.16	8.54	15.70
		6202	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*8.00*	*7.66*	*15.66*	*5.59*	*8.26*	*13.85*	*7.66*	*8.54*	*16.20*
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	**Total-University & Higher Education**		**150.00**	**345.20**	**495.20**	**131.60**	**340.00**	**471.60**	**155.00**	**324.50**	**479.50**
प्रौढ़ शिक्षा	***Adult Education***										
28. स्वैच्छिक संगठन	28. Voluntary Organisations	2202	15.00	...	15.00	12.00	...	12.00	15.00	...	15.00
29. प्रौढ़ शिक्षा के लिए व्यापक अभियान	29. Mass Movement for Adult Education	2202	5.71	...	5.71	6.56	...	6.56	4.75	...	4.75
		3601	0.28	...	0.28	0.28	...	0.28	0.25	...	0.25
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*6.85*	...	*6.85*	*5.00*	...	*5.00*
30. साक्षरता पश्च तथा जारी परियोजना	30. Post Literacy and Continuing Project	2202	0.38	0.29	0.67	0.08	0.29	0.37	0.13	0.30	0.43
		3601	13.10	...	13.10	8.10	...	8.10	9.80	...	9.80
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*13.50*	*0.29*	*13.79*	*8.20*	*0.29*	*8.49*	*10.00*	*0.30*	*10.30*
31. ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना	31. Rural Functional Literacy Project	2202	3.90	0.40	4.30	2.15	0.40	2.55	1.45	0.40	1.85
		3601	39.00	2.30	41.30	29.85	2.30	32.15	24.76	2.30	27.06
		3602	0.60	...	0.60	...	...	...	0.04	...	0.04
जोड़		*Total*	*43.50*	*2.70*	*46.20*	*32.00*	*2.70*	*34.70*	*26.25*	*2.70*	*28.95*
32. प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना	32. Strengthening of Administrative Structure	2202	0.15	...	0.15	0.16	...	0.16	0.17	...	0.17
		3601	5.80	...	5.80	5.81	...	5.81	4.80	...	4.80
		3602	0.05	...	0.05	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*6.00*	...	*6.00*	*6.00*	...	*6.00*	*5.00*	...	*5.00*
33. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	33. Technology Demonstration	2202	1.99	...	1.99	1.99	...	1.99	1.00	...	1.00
		3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*1.00*	...	*1.00*
34. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	34. National Literacy Mission Authority	2202	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.10	...	0.10
		3601	0.75	...	0.75	0.02	...	0.02	...	...	...
		3602	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*0.25*	...	*0.25*	*0.10*	...	*0.10*
35. निरक्षरता उन्मूलन के लिए विशेष परियोजना	35. Special Project for eradication of Illiteracy	2202	0.55	...	0.55	60.00	...	60.00	53.00	...	53.00
		3601	3.00	...	3.00	...	...	...	0.75	...	0.75
		3602	0.45	...	0.45	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*60.00*	...	*60.00*	*53.75*	...	*53.75*
36. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	36. Directorate of Adult Education	2202	...	...	...	...	...	...	0.25	1.22	1.47
		3601	...	...	...	...	...	...	0.12	...	0.12
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*0.37*	*1.22*	*1.59*
37. श्रमिक विद्यापीठों को अनुदान	37. Grants to Shramik Vidyapeeths	2202	...	...	...	...	...	...	0.80	0.72	1.52
		3601	...	...	...	...	...	...	0.20	0.33	0.53
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*1.00*	*1.05*	*2.05*
38. प्रौढ़ शिक्षा में महिलाओं और बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा	38. Non-formal Education for Women and Girls in Adult Education	2202	...	...	...	...	...	...	0.09	...	0.09
		3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*0.10*	...	*0.10*
39. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभिक परियोजना में जनसंख्या शिक्षा	39. Population Education in Adult Education Programme Preparatory Project	2202	...	...	...	...	...	...	0.60	...	0.60
		3601	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*0.63*	...	*0.63*
40. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थान	40. National Institute of Adult Education	2202	...	...	...	...	...	...	1.75	...	1.75

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
41. अन्य कार्यक्रम	41. Other Programmes	2202	4.61	2.27	6.88	3.46	2.15	5.61	0.05	0.29	0.34
		3601	0.39	0.32	0.71	0.36	0.32	0.68	...	...	...
जोड़		*Total*	*5.00*	*2.59*	*7.59*	*3.82*	*2.47*	*6.29*	*0.05*	*0.29*	*0.34*
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा	**Total-Adult Education**		**96.00**	**5.58**	**101.58**	**131.12**	**5.46**	**136.58**	**120.00**	**5.56**	**125.56**
भाषाओं का विकास	***Development of Languages***										
42. आधुनिक भारतीय भाषाएं और साहित्य	42. Modern Indian Languages and Literature	2202	6.07	6.88	12.95	5.44	6.56	12.00	6.31	7.18	13.49
		3601	2.41	0.10	2.51	2.19	0.10	2.29	3.25	0.10	3.35
		3602	0.25	...	0.25	0.13	...	0.13	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*8.73*	*6.98*	*15.71*	*7.76*	*6.66*	*14.42*	*9.81*	*7.28*	*17.09*
43. संस्कृत	43. Sanskrit	2202	2.68	5.62	8.30	2.68	5.13	7.81	3.14	5.73	8.87
		3601	0.53	...	0.53	0.53	...	0.53	0.53	...	0.53
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
जोड़		*Total*	*3.22*	*5.62*	*8.84*	*3.22*	*5.13*	*8.35*	*3.69*	*5.73*	*9.42*
जोड़- भाषाओं का विकास	**Total-Development of Languages**		**11.95**	**12.60**	**24.55**	**10.98**	**11.79**	**22.77**	**13.50**	**13.01**	**26.51**
सामान्य	***General***										
44. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	44. National Scholarship Scheme	2202	0.02	4.44	4.46	0.02	5.08	5.10	0.02	5.34	5.36
		3601	2.40	0.49	2.89	1.40	0.49	1.89	2.45	0.49	2.94
		3602	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
		7601	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85	...	2.85	2.85
जोड़		*Total*	*2.45*	*7.79*	*10.24*	*1.45*	*8.43*	*9.88*	*2.50*	*8.69*	*11.19*
45. शिक्षा क्षेत्र को छपाई के सफेद कागज के लिए आर्थिक सहायता	45. Subsidy for White Printing Paper to Education Sector	2202	...	20.00	20.00	...	10.00	10.00	...	...	...
46. अन्य	46. Others	2202	3.80	8.13	11.93	3.36	8.25	11.61	3.95	10.87	14.82
जोड़-सामान्य	**Total-General**		**6.25**	**35.92**	**42.17**	**4.81**	**26.68**	**31.49**	**6.45**	**19.56**	**26.01**
जोड़-सामान्य शिक्षा	***Total-General Education***		***704.40***	***628.10***	***1332.50***	***677.00***	***597.90***	***1274.90***	***791.35***	***600.14***	***1391.49***
तकनीकी शिक्षा	***Technical Education***										
47. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं	47. Technical Teachers Training Institutes	2203	5.00	4.39	9.39	3.40	4.22	7.62	5.00	4.91	9.91
48. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	48. University Grants Commission	2203	15.00	...	15.00	18.00	...	18.00	22.00	...	22.00
49. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	49. Quality Improvement Programmes	2203	2.00	3.45	5.45	2.00	3.45	5.45	2.00	3.55	5.55
50. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	50. Indian Institutes of Technology	2203	17.60	88.59	106.19	16.60	91.03	107.63	17.60	93.88	111.48
51. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	51. Regional Engineering Colleges	2203	19.00	20.82	39.82	18.00	20.82	38.82	24.00	21.86	45.86
52. छात्रवृत्तियां	52. Scholarships	2203	2.25	4.35	6.60	1.70	4.16	5.86	2.00	4.35	6.35
53. भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद,कलकत्ता,लखनऊ	53. Indian Institutes of Management Ahmedabad, Calcutta, Bangalore.Lucknow	2203	11.50	9.06	20.56	10.60	9.25	19.85	9.00	9.59	18.59
54. आधुनिक तकनीकों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार	54. Expansion of Education and Training facilities for Modern Techniques	2203	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
55. उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का निर्माण	55. Creation of Infrastructure in Areas of Emerging Technologies	2203	10.00	3.00	13.00	8.00	2.00	10.00	9.00	2.20	11.20
56. इंजीनियरी प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	56. Modernisation of Engineering Laboratories and Workshops	2203	37.00	...	37.00	30.00	...	30.00	33.00	...	33.00
57. तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन	57. Revision of Salary Scales of Teachers of Technical Institutions	2203	...	...	...	...	1.11	1.11	...	...	...
		3601	...	8.50	8.50	...	7.39	7.39	...	8.50	8.50
जोड़		*Total*	...	*8.50*	*8.50*	...	*8.50*	*8.50*	...	*8.50*	*8.50*
58. इंडियन इन्स्टीच्यूट आफ साइंस, बंगलौर को अनुदान	58. Grants to Indian Institute of Science,Bangalore	2203	1.00	...	1.00	15.00	...	15.00	22.00	...	22.00
59. एजुकेशनल कन्सल्टेंट्स इंडिया लि.	59. Educational Consultants India Ltd.	4202	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10
60. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य	60. Post Graduate Courses and Research Work	2203	...	...	...	...	...	...	0.80	2.50	3.30
जोड़		3601	...	...	...	...	...	...	0.30	1.50	1.80
		Total	...	...	...	...	...	...	*1.10*	*4.00*	*5.10*
61. तकनीकी शिक्षा के अन्य कार्यक्रम	61. Other Programmes of Technical Education	2203	30.50	9.23	39.73	27.75	9.16	36.91	28.80	7.59	36.39
		3601	0.65	1.40	2.05	0.65	1.40	2.05	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*31.15*	*10.63*	*41.78*	*28.40*	*10.56*	*38.96*	*29.20*	*7.59*	*36.79*
जोड़ तकनीकी शिक्षा	**Total-Technical Education**		**159.00**	**152.79**	**311.79**	**159.20**	**153.99**	**313.19**	**184.00**	**160.43**	**344.43**
खेल और युवा सेवाएं	***Sports & Youth Services***										
62. शारीरिक शिक्षा	62. Physical Education	2204	0.80	0.30	1.10	0.80	0.30	1.10	0.64	0.30	0.94
		3601	...	...	...	...	...	...	0.15	...	0.15

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- खेलकूद और युवा सेवाएं	**Total-Sports & Youth Services**		**0.80**	**0.30**	**1.10**	**0.80**	**0.30**	**1.10**	**0.80**	**0.30**	**1.10**
63. राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	63. Central Assistance for State Plans:										
63.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	63.01 Special Central Assistance-Border Areas	2202	...	...	...	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00
		3601	55.00	...	55.00	49.25	...	49.25	54.00	...	54.00
		Total	*55.00*	...	*55.00*	*49.50*	...	*49.50*	*55.00*	...	*55.00*
64. सकल सहायता सामग्री और उपस्कर	64. Aid Material and Equipment - Gross	3606	...	6.62	6.62	...	6.62	6.62	...	6.62	6.62
घटाइये - प्रकार्यात्मक मुख्य शीर्षों में अन्तरण	Deduct - Transfers to functional major head(s)	3606	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02	...	-0.02	-0.02
निवल सहायता सामग्री और उपस्कर	***Net - Aid Materials & Equipments***		...	***6.60***	***6.60***	...	***6.60***	***6.60***	...	***6.60***	***6.60***
कुल जोड़	***Grand Total***		***919.30***	***794.02***	***1713.32***	***886.60***	***765.00***	***1651.60***	***1031.30***	***774.00***	***1805.30***
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. सामान्य शिक्षा	1. General Education	22202	705.10	...	705.10	677.24	...	677.24	792.05	...	792.05
2. तकनीकी शिक्षा	2. Technical Education	22203	159.00	...	159.00	159.20	...	159.20	184.00	...	184.00
3. खेल और युवा सेवाएं	3. Sports & Youth Services	22204	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	4. Secretariat-Social Services	22251	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*865.00*	...	*865.00*	*837.34*	...	*837.34*	*977.00*	...	*977.00*
राज्य योजनाएं	**State Plans**										
विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	Special Central Assistance-Border Areas	43601	55.00	...	55.00	49.50	...	49.50	55.00	...	55.00
जोड़		*Total*	*920.00*	...	*920.00*	*886.84*	...	*886.84*	*1032.00*	...	*1032.00*

शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण कार्य के लिए प्रयत्न किया गया परिव्यय शामिल है ।

*Inclusive of works outlay in the Ministry of Urban Development

मांग संख्या 79 Demand No. 79	0.70	...	0.70	0.24	...	0.24	0.70	...	0.70

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** पात्र मामलों में अनुदान मंजूर करने के लिए यह राशि मानव संसाधन विकास मंत्री को सौंप दी जाती है ।

3. **आपरेशन ब्लैक बोर्ड:** यह योजना सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्कूलों को न्यूनतम आवश्यक शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए आरंभ की गई है । इस योजना को 1987-88 में आरंभ किया गया था और अब तक दो तिहाई स्कूलों में लागू की जाएगी । इसे पूरा करने के लिए स्कीम आठवीं योजना अवधि में भी जारी रहेगी।

4. **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम (i) जिला स्तर पर शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने/उन्हें जारी रखने के लिए है जो प्राथमिक शिक्षा (अनौपचारिक शिक्षा सहित) और जिलास्तर पर व्यस्क शिक्षा प्रणाली को प्रशिक्षण और शिक्षा संबंधी समर्थन प्रदान करता है । (ii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थानों को सुदृढ बनाता है ताकि वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रभावी प्रशिक्षण और शैक्षिक समर्थन दे सकें । (iii) राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण की राज्य परिषदों को सुदृढ बनाता है और (iv) सेवारत विद्यालयों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ।

5. **अनौपचारिक शिक्षा:** वैधानिक उद्देश्यों के पालन में प्राथमिक शिक्षा के साधारणीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औपचारिक स्कूल शिक्षा की वैकल्पिक सहायक पद्धति के तौर पर प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा का विकास किया जा रहा है । मुख्य रूप से तथा अधिकतम बल शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अरूणाचल प्रदेश में दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, शहरी गंदी बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानों और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए परियोजनाओं के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को भी सहायता दी जा रही है ।

6. **राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना:** 1987-88 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य 6 वर्ष की अवधि में 22 करोड़ रूपए की कुल लागत से राजस्थान के चयनित गांवों में प्रारम्भिक शिक्षा का पुनरूज्जीवन और विस्तार करना है । केन्द्र और राज्य सरकारों के खर्चे के क्रमशः 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हिस्से के आधार पर यह परियोजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार के

1. **Secretariat: Social Services:** Provides for secretariat expenditure.

2. **Discretionary Grant:** is placed at the disposal of the Minister for Human Resource Development for sanctioning grants in deserving cases.

3. **Operation Black Board :** This scheme has been launched to improve primary education by the provision of minimum essential physical facilities to primary schools throughout the country. The scheme was launched during 1987-88 and two third of primary schools have been covered so far. The scheme continues in the 8th Plan period for its completion.

4. **Teachers Training Programme:** For (i) Establishment/continuation of District Institutes of Education and Training (DIETS) for providing training and academic support to Elementary education (including Non-Formal Education) and Adult Education system at the District level; (ii) Strengthening of Secondary Teacher Education Institutions so that they may provide effective training and academic support for Secondary Schools; (iii) Strengthening of State Councils of Educational Research & Training (SCERT) ; and (iv) In-service training programmes for School Teachers.

5. **Non-Formal Education:** To achieve the goal of universalisation of elementary education in fulfilment of constitutional objectives, non-formal education for the elementary age-group children is being developed as an alternative supportive system of formal schooling. The main thrust and maximum extent of coverage is in the ten educationally backward states viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal and Arunachal Pradesh. In addition, assistance is also being given to states other than educationally backward states for NFE programme in urban slums, hilly, desert and tribal areas and projects for education of working children.

6. **Shiksha Karmi Project in Rajasthan :** This project aims at revitalising and expanding elementary education in selected villages of Rajasthan at a total cost of Rs.22 crores over a period of six years, starting in 1987-88. The Project is being implemented as Centrally Sponsored Scheme with Central and State Govt. sharing the expenditure on 90% and 10% basis. The Central share is fully

खर्च के हिस्से की स्वीडन सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जाती है।

7. **महिला समाख्या:** यह परियोजना उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में आरंभ की गई है। अनिवार्यतः यह कार्यक्रम गांवों में महिलाओं के कार्यकलापों संबंधी केन्द्रों (महिला संगठनों) की स्थापना के लिए है। एकमात्र कार्यान्वयन ढांचे के माध्यम से इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में वयस्क शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और सभी शिक्षक कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन करता है। महिला संगठन, महिलाओं को शिक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में भागीदार बनाने को प्रेरित करता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण महिलाओं के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए आवासीय संघनित पाठ्यक्रम और चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों में गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किए जाएंगे।

8 से 10. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, बिहार शिक्षा परियोजना और प्रारंभिक शिक्षा के लिए नए प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

11. **बाल भवन समिति (भारत):** पं० जवाहर लाल नेहरू की पहल पर इसका गठन किया गया और रजिस्ट्रीकृत समिति के रूप में भारत सरकार द्वारा इसे 1955 में स्थापित किया गया था। यह इस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और शारीरिक कार्यों से बच्चों के लिए शिक्षा, व्यक्तित्व का विकास और प्रतिभा के अवसर प्रदान करना, सभी वर्गों और समुदायों के बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का संवर्धन करना; उनमें ऐसी भावना जागृत करना ताकि वे वैज्ञानिक सूझबूझ से आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास कर सकें और इसे आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना।

12. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त उत्तर प्रदेश परियोजना, दक्षिण उड़ीसा परियोजना और लोक जुम्बिश/राजस्थान परियोजना के लिए व्यवस्था शामिल है।

13. **रा.शै.अ.प्र.प:** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा विभाग को उसकी शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों व प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सलाह तथा सहायता प्रदान करती है। यह अनुसंधान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय पूर्व और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट समयबद्ध परियोजनाओं तथा शिक्षा विभाग द्वारा उसको सौंपे गए कतिपय विशेष क्षेत्रों के कार्यकलापों को भी संचालित करती है।

14. **केन्द्रीय विद्यालय:** केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, उनका नियंत्रण व प्रबंध करने के लिए सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक पंजीकृत निकाय के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना 1965 में स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करने तथा इनका विकास माडल स्कूलों के रूप में करने के लिए की गई थी। यह संगठन विदेशों में स्थित 3 विद्यालयों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 744 केन्द्रीय विद्यालयों का प्रशासन करता है।

15. **नवोदय विद्यालय:** प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, अच्छी और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को सातवीं आयोजना के दौरान देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय अर्थात् नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1985-86 में यह निर्णय लिया गया था। इन विद्यालयों को स्थापित करने और इनका प्रबंध करने के लिए एक स्वायत्त संगठन अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना की गई है। इस समय, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, पूना, शिलांग, भोपाल और चंडीगढ़ में नवोदय विद्यालय संगठन के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब तक 261 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत, सभी विद्यार्थियों को आवास, खानपान, स्कूल की वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की सुविधा मुफ्त दी जाती है।

16. **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** विद्यालयों में + 2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन का कार्य केन्द्रीय सरकार ने शुरु किया है। योजना के अन्तर्गत वर्कशेडों का निर्माण करने, उपस्कर प्राप्त करने, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने, पाठ्य-पुस्तकें विकसित करने और अनुदेश सामग्री के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रबंधकीय ढांचे का गठन करने और अध्यापकों का वेतन तथा अन्य मदों के लिए भी हिस्से के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान है।

सातवीं योजना के अन्त तक 1.95 लाख विद्यार्थियों का नामांकन करने की क्षमता के साथ 2748 विद्यालयों के 7820 व्यावसायिक वर्गों को मंजूरी देना संभव हुआ है। सातवीं योजना के अन्त तक इसका लगभग 50% वास्तविक रूप से नामांकित किए जाने की संभावना है। सातवीं योजना के अन्त तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त 10% विद्यार्थियों को व्यावसायिक धारा की ओर मोड़ने के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस ओर वास्तविक झुकाव 0.7% से 6.6% के बीच है। इस कार्यक्रम के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने, समन्वय और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1990 के संकल्प के तहत

reimbursable by Government of Sweden.

7. **Mahila Samakhya :** The project has been launched in Uttar Pradesh, Gujarat and Karnataka. Essentially, the programme contemplates setting up of women's activity centres (Mahila Sanghas) in the villages. Adult education centres, non-formal education centres and intensive training of all education workers in the villages is coordinated in this programme through single implementation structure. The Mahila Sanghas motivate women to participate in the education process. In addition, vocational training for rural women; residential condensed courses for rural women to upgrade their education skills and vocational training in unconventional fields in selected high schools will be taken up under the programme.

8—10. Provision is made for National Council of Teachers Education, Bihar Education Project and New Initiative in Elementary Education.

11. **Bal Bhavan Society (India) :** was founded at the initiative of Pt. Jawaharlal Nehru and established by the Government of India in the year 1955 as a registered Society. It is a fully-financed autonomous organisation of this Department. It's main objective is to afford opportunities to children for education, personality development and talent through recreation and physical activities; to promote social and cultural contacts amongst children of all classes and communities, to inculcate such values as would help them to develop a modern Indian personality with a scientific temper, and to promote this activity as a movement.

12. **Other Programmes:** Include provision for World Bank assisted Uttar Pradesh Project, South Orissa Project and Lok Jumbish/Rajasthan Project.

13. **National Council of Educational Research and Training :** NCERT advises and aids the Department of Education in implementation of its policies and major programmes in the field of education, particularly school education. It also undertakes activities like research and training of teacher and specific time-bound projects in the field of Pre-school and School education and certain special areas entrusted to it by the Department of Education.

14. **Kendriya Vidyalayas:** Kendriya Vidyalaya Sangathan was set up in 1965 as a registered body wholly financed by Government to establish, control and manage Kendriya Vidyalayas, the main objectives of which are to meet the educational needs of the children of transferable Government employees and to develop the Vidyalayas as model schools. The Sangathan administers 744 Kendriya Vidyalayas located in different parts of the country including 3 Vidyalayas abroad.

15. **Navodaya Vidyalayas :** With a view to providing good quality and modern education to the talented Children, particularly from the rural areas, it was decided in 1985-86 to set up residential schools namely Navodaya Vidyalayas, one in each district of the country during the VII Plan. An autonomous organisation namely, Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) has been set up to establish and manage these Vidyalayas. At present, the NVS has 7 regional offices at Jaipur, Lucknow, Hyderabad, Pune, Shillong, Bhopal and Chandigarh. 261 Navodaya Vidyalayas have so far come into being. Under this scheme, boarding, lodging, school uniforms, textbooks, stationery etc are provided free of cost to all students.

16. **Vocationalisation of Education :** The Central Government has undertaken the Implementation of the Centrally Sponsored Scheme for Vocationalisation of Education at + 2 level in Schools. Under the scheme financial assistance is provided to the States/UTs for construction of worksheds, procurement of equipments, training of teachers, development of textbook and instructional materials on 100% basis. Assistance is also provided for setting up of management structure and for salary of teachers and other items on a sharing basis. There is also provisions for assistance to voluntary organisations for innovative programmes in the area of vocational education.

By the end of 7th Plan, it has been possible to sanction 7820 vocational sections in 2748 schools with enrolment capacity of 1.95 lakhs students. The actual enrolment by the end of the 7th Plan is likely to be about 50% of this. As against the target of 10% of diversion of higher secondary students to the vocational stream by the end of the Seventh Plan, the actual diversion ranges from 0.7% to 6.6% in different States/UTs. The Government of India have through a resolution dated April, 1990 set up a Joint Council of Vocational Education (JCVE) and a Standing Committee thereof to ensure proper

व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद और स्थायी समिति का गठन किया है।

17. **विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा** : 1984-85 में 248 चुने हुए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों और अध्यापकों को शिक्षा के माध्यम के रूप में कम्प्यूटर के प्रयोग की सीमाओं से परिचित होने के लिए शिक्षा विभाग और इलैक्ट्रोनिक्स विभाग की संयुक्त भागीदारी से विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन पर एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई थी । यह परियोजना वर्ष दर वर्ष के आधार पर जारी है । अब तक 2598 विद्यालयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का इसमें भाग लेने वाले विद्यालयों को तर्कात्मक समर्थन देने के लिए 60 संसाधन केन्द्रों को चुना गया है ।

18. **विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा** : इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य विकलांग बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराना है ।

19. **शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम** : देश में प्राथमिक विद्यालयों से ऊपर के विद्यालयों में 1987-88 में एक संशोधित योजना आरंभ की गई जिसमें इनसेट उपयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रयासों को समाविष्ट करना, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक कार्यक्रमों संबंधी योग्यताओं को पैदा करना तथा रेडियो/टी.वी. के महत्व को बढ़ाना शामिल है । इस योजना में रंगीन टी.वी. सेटों की पूर्ति करने के लिए उपग्रह के माहपत्र से ई.टी.वी. प्रसारण वाले राज्यों को 75 प्रतिशत सहायता और ऐसी राज्य सरकारों द्वारा पता लगाए गए चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों को रेडियो एवं कैसेट प्लेयर्स देने के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदानकी जाती है।

20. **विज्ञान प्रयोगशालाओं का विकास** : इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को प्रथमिक स्कूलों, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं/पुस्तकालयों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विज्ञान से संबंधी सामान की पूर्ति तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था उपलब्ध कराना और विज्ञान और गणित के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की जिला स्तर पर स्थापना करना ।

21. **स्कूली शिक्षा में पर्यावरण अभिमुखिकरण** : इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों को स्कूलों में पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आरंभ करने तथा उन्हें स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पाठ्यक्रमों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यपुस्तकों आदि, की समीक्षा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है । स्वैच्छिक एजेन्सियों को भी पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में नई परियोजनाएं आरंभ करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

22. **अन्य कार्यक्रम** : इस में सशस्त्र सेना के जवानों/युद्ध के दौरान अपंग हुए जवानों के बच्चों के लिए शिक्षा में रियायत देने के लिए योजना भिन्न स्कीमें और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम के केन्द्र की व्यवस्था की गई है ।

23. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** : इसकी स्थापना विश्वविद्यालय के स्तरों के सम्न्वय और निर्धारण के प्रयोजन से सन् 1956 में संसद के अधिनियम के अन्तर्गत की गयी थी । इसके कार्यों के निष्पादन के लिए अधिनियम के अंतर्गत आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के विकास और रखरखाव के लिए अनुदान वितरित व आबंटित करने का अधिकार प्राप्त है और अन्तरविश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना प्रचालन करने का अधिकार प्राप्त है ।

24. **एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना** : जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को, और विशेष रूप से लाभ प्रप्त न कर सकने वाले समूह को, उच्च शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने, नियमित शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने, ज्ञान और कौशल का उन्नयन करने और महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों, जैसे विशिष्ट लक्ष्य समूहों के लिए उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरु करने के लिए सितम्बर 1985 में इंदिरा गांधी खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी । इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय देश के शैक्षणिक पैटर्न में अन्तराल शिक्षा प्रणाली और खुले विश्वविद्यालय को बढ़वा देगा और ऐसी प्रणालियों में मानकों का समन्वय और निर्धारण करेगा ।

25. **वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने का कार्यक्रम** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यन्वित किया जाने वाला यह कार्यक्रम मूलतः कुछ तय किए गए क्षेत्रों में अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान कार्यकलापों का विकास हो सके ।

26. **विश्वविद्यालय तथा कालेज वेतनमानों में सुधार** : विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करने की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकार के बकाया दावों की पूर्ति करने के लिए प्रावधान किया गया।

27. **अन्य कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत, उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, शिमला, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद, भारतीय समाजविज्ञान अनुसंधान परिषद, शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान, डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट दिल्ली, भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन नई दिल्ली, की सहायता-अनुदानों और अखिल भारतीय महत्व की उच्च अध्ययन संस्थान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

28. **प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन** : इस योजना के अन्तर्गत, पंजीकृत सोसाइटियों, सरकारी ट्रस्टों, कोई लाभ न कमाने वाली कम्पनियों

planning, coordination and implementation of the programme.

17. **Computer Education in Schools** : A pilot project on Computer Literacy and Studies in Schools (CLASS) initiated jointly by the Department of Education and Department of Electronics in 1984-85 in 248 selected Secondary/Higher Secondary Schools to acquaint the students and teachers with project is continuing on a year to year basis. So far 2598 schools have been covered and 60 resource centres have been selected to train school teachers and provide logistic support to the participating schools.

18. **Integrated Education for Disabled Children** : This is a Centrally-sponsored scheme aimed at providing services to disabled children.

19. **Education Technology Programme** : In order to consolidate the efforts under the INSAT utilisation programme, achieve larger programme production capabilities within the education sector and extend Radio/TV coverage to upper primary schools in the country, a revised scheme was started in 1987-88. The scheme provides 75% assistance to States covered by ETV transmissions through satallite, for supply of colour TV Sets and 100% assistance towards Radio-cum-Cassette players to selected elementary schools identified by such State Governments.

20. **Promotion of Science Laboratories**: Under this Scheme, financial assistance is provided to State/UTs for supplying science kits to upper primary schools to upgrade science laboratories/Libraries Secondary/Higher Secondary Schools and to set up District Resource Centres and training of teachers of Science and Mathematics.

21. **Environmental Orientation in School Education** : Under the scheme assistance is provided to State Governments/UTs for taking up various environment related programmes in Schools and for review of curriculum, instructional materials and textbooks, etc. to make them relevant to the local environment. Assistance is also provided to voluntary agencies for taking up innovative projects in the area of environment education.

22. **Other Programmes**: These include non-Plan Scheme like 'educational' concessions to children of Armed Forces Personnal killed/disabled during hostilities and Cultural Exchange Programme in the field of school education.

23. **University Grants Commission** : was established under an Act of Parliament in 1956 for the purpose of coordination and determination of standards in universities. In the discharge of its functions, the Act empowers the Commission among other things to allocate and disburse grants to Universities for their maintenance and development, and to establish and operate Inter-University Centres.

24. **Establishment of a National University**: The Indira Gandhi National Open University (IGNOU) was established in September 1985 to provide access to higher education to large segments of the population especially the disadvantaged groups; to organise programmes of continuing education, to upgrade knowledge and skill; and to initiate special programmes of higher education for specific target groups like women, people living in backward regions, hilly areas etc. The IGNOU will encourage the Open University and Distance Education System in the educational pattern of the country and coordinate and determine standards in such systems.

25. **Programmes to strengthen Scientific Research** : The programme being implemented through UGC is basically meant to strengthen the infrastructure of some of the identified centres which could generate research activities of international standard.

26. **Improvement in Salary Scales of University and College Teachers:** Provision has been made for meeting the residual claims of the State Government for Central assistance for implementation of the Scheme of revision of pay scales for University and college teachers.

27. **Other Programmes** : Include provisions for grants-in -aid to other institutes of higher learning such as Indian Institute of Advanced Study, Shimla; Indian Council of Historical Research; Indian Council of Philosophical Research; Indian Council of Social Science Research, Shastri Indo-Canadian Institute; Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust, Delhi; Association of Indian Universities, New Delhi and institutions of higher learning of all India importance etc.

28. **Voluntary organisations in the field of Adult Education** : Under this scheme, financial assistance is given to registered

आदि को वित्तीय साक्षरता परियोजनाओं और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों तथा अनुवर्ती प्रकाशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं को आयोजित करने आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न स्तरों पर वयस्क शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण आयोजन कर के शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन समर्थन प्रदान करने, प्रारम्भिक शिक्षा और शिक्षा के पश्चात्, दोनों के लिए, अध्यापन/सीखने की सामग्री तैयार करने और वातावरण आदि बनाने में लगी राज्य संसाधन केन्द्रों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

29. **प्रौढ़ शिक्षा के लिए बृहत कार्यक्रम : स्वयंसेवी आधार पर शिक्षा के संवर्धन संबंधी एक या दूसरे कार्यों में** यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्र सेवा योजनेत्तर छात्रों, राष्ट्रीय कैडटकों के छात्रों, शिक्षकों, युवकों, जैल प्रबंध मण्डल, अनुशासित बनों के सदस्यों, नियोक्ताओं ट्रेड यूनिनाओं के सदस्यों, पंचायत राज्य समितियों के सदस्यों, जेसीस, लाइन क्लब और अन्य गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को सम्बद्ध कर के चलाया जाता है। शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों को बिना किसी कीमत के शिक्षा सामग्री दी जाएगी । राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने विद्यालयों के विद्यार्थियों को उनके अनुभव के एक भाग के रूप में शिक्षा कार्यों में शामिल करने का निर्णय लिया है । दूसरे राज्यों से भी ऐसे निर्णय लिए जाने की अपेक्षा है ।

30. **साक्षरोत्तर और जारी परियोजना :** योजना का उद्देश्य साक्षर व्यक्तियों की साक्षरोत्तर शैक्षणिक और जारी शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए जन शिक्षण निलायम के जरिए पर्याप्त आधारभूत संस्थागत सुविधाएं प्रदान करना है । 5000 व्यक्तियों के लिए 4-5 गांवों के समूह में जन शिक्षण निलायम स्थापित किए जाएंगे । जन शिक्षण निलायम के सदस्यों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के नियो-शिक्षित लोग, विद्यालय को छोड़ कर चले गए, प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण सदस्य, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में उत्तीर्ण हुए सदस्य और स्थानीय समुदाय के दूसरे सदस्य शामिल हैं ।

31. **ग्रामीण साक्षरता परियोजना:** ग्रामीण कार्यात्मिक साक्षरता परियोजना एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिस विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है यह केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत इस में निर्धारित वित्तीय पद्धति के अनुसार चालू परियोजना के लिए आवर्ती परियोजना लागत शामिल होती है ।

32. **प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना :** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक ढांचा सृजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । इसमें कर्मचारियों की परिलब्धियां, चिकित्सा और यात्रा व्यय आदि शामिल है । इस समय इस योजना के अन्तर्गत लगभग 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं । 1988 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कर्मचारी मंजूर किए गए और अब तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने संशोधित कर्मचारी पैटर्न को स्वीकार कर लिया है ।

33. **प्रौद्योगिकी प्रदर्शन :** प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जिलों के रूप में हमने 42 चुने हुए जिलों में प्रौद्योगिक-अध्यापन निवेशों के विकास आदि प्रयोग के लिए अनेक सहयोगी अभिकरणों का निर्धारण किया गया है । इन निविष्टियों में से कुछ : सोलर पावर पैक, वीडियोरमा, (पी.टीवी.) संघमित्र प्रणाली (सी.टी.वी. और वी.सी.पी को मिलाकर) बदले जा सकने वाले पावर पैकिज और टू.इन.वन. ध्वनि प्रणालियां, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, चाक और स्लेटें इत्यादि हैं ।

34. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण :** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में 15-35 आयु वर्ग के 800 लाख व्यक्तियों को 1995 तक कार्यात्मिक रूप से शिक्षित करने की परिकल्पना की गई है । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परियोजना में दी गई कार्यनीतियों के कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण स्थापित की गई है । यद्यपि शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित करता है, परिषद द्वारा निर्धारित नीति और मार्गनिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यपालक समिति प्राधिकरण के सभी कार्य करती है।

35. इसमें विशेष साक्षरता शिक्षा परियोजना के लिए व्यवस्था की गई है ।

36. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** भारत में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के लिए वयस्क शिक्षा निदेशालय शीर्ष संसाधन निकाय है । विभाग के तकनीकी स्कन्ध के रूप में यह वयस्क शिक्षा से जुड़े हुए सभी मामलों के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करता रहा है ।

37. **श्रमिक विद्यापीठ:** 1967 में शुरु की गई श्रमिक विद्यापीठ स्कीम शहरी और अर्ध-शहरी श्रमिकों और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग, व्यापारिक इकाइयों, खननों, बागानों, विनिर्माणों, सेवाओं तथा दूसरे संगठित और असंगठित क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त उनके परिवार के सदस्यों को बहुसंवेदी शैक्षणिक, व्यावसायिक और नौकरी-पेशा संबंधी प्रशिक्षण की बहु-आयामी आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रतीक है ।

39. **अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के लिए व्यवस्था, श्रमिक विद्यापीठों को और राज्य संसाधन केन्द्रों अनुदान, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में जनसंख्या शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू

societies, public trusts, non-profit making companies etc. for undertaking functional literacy projects and programmes of post-literacy and follow up as well as for publications, holding seminars, workshops etc. Assistance is also given to State Resource Centres engaged in providing academic and technical resource support by way of organising training to field functionaries of adult education at various levels, production of teaching/learning material, both for basic literacy and post-literacy, and environment building etc.

29. **Mass Movement for Adult Education:** Undertaken by involving NSS and non-NSS students, NCC students, teachers, Youth, prison management, members of disciplined forces, employers and trade unions, workers of Panchayat Raj Samities, JAYCEES, Lion's Clubs and other non-governmental organisations and individuals in one or the other activities relating to promotion of literacy on voluntary basis. Literacy kits for imparting literacy are provided to the volunteers free of cost. The state Governments of Rajasthan, Orissa, Maharashtra and West Bengal have taken decisions to involve school students also in literacy activities as part of their work experience. Other States are also expected to take similar decisions.

30. **Post Literacy and Continuing Project :** The scheme aims at providing adequate institutional infrastructure through Jana Shikshan Nilayams for the post-literacy and continuing education requirements of the neo-literates. The JSNs will be set up in a cluster of 4-5 villages to serve a population of 5000 persons. The clientele of JSNs include neo-literates of adult education programme, school drop-outs, pass-outs of primary schools, pass-outs of non-formal education programme and other members of the local community.

31. **Rural Functional Literacy Project:** Rural Functional Literacy Project is a centrally sponsored scheme, implemented in various States and Union Territories. It is cent per cent funded by the Central Government. This covers recurring project cost for on going projects as per prescribed financial pattern.

32. **Strengthening of Administrative Structure :** 100% grant is given to States/UTs for creating necessary administrative structure at the State and District levels for achieving the aims of National Literacy Mission. This covers expenditure on emoluments of staff, medical and travel expenses, etc. About 27 States/UTs are presently receiving central grant under this scheme. The scheme has been revised in 1988 under which additional staff has been sanctioned to States/UTs and so far 12 States/UTs have accepted the revised staffing pattern.

33. **Technology Demonstration :** A number of collaborating agencies have been identified for developing and application of technopedagogic inputs in 42 selected districts known as Technology Demonstration Districts (TDD). Some of these inputs are : Solar power packs, videoramas(PTV) Sanghamitra systems (CTV and VCP Combination) changeable powerpacks, two-in-one sound systems, dusters, blackboards, chalks and slates etc.

34. **National Literacy Mission Authority :** The National Literacy Mission envisages imparting functional literacy to 80 million persons in the 15-35 age group, by 1995. A National Literacy Mission Authority (NLMA) has been set up to operationalise the strategies contained in the National Literacy Mission project while the council of NLMA lays down policies and programmes in the field of literacy and adult education, the executive committee of NLMA carries out all the functions of the Authority in accordance with the policy and guildelines laid down by the Council.

35. Provision has been made for Special Project for Eradication of illiteracy.

36. **Directorate of Adult Education:** The Directorate of Adult Education is an apex resource body for the Adult Education Programme in India. As a technical wing of the Department, it has been rendering technical services for all matters connected with the Adult Education.

37. **Shramik Vidyapeeth:** Introduced in 1967, the scheme of Shramik Vidyapeeths symbolises the growing awareness of the need for a multi-dimensional of polyvalent educational vocational and occupational training of industrial workers in urban and semi-urban centres and their family members, employed in various sectors like industries, business concerns, mines, plantations, manufacturing, servicing and other organised and unorganised sectors through a programme of non-formal education.

39. **Other Adult Education Programmes :** These include provision for Directorate of Adult Education, grants to Shramik Vidyapeeths and State Resource Centres, population education in

करने के लिए प्रारम्भिक परियोजना कार्यकलाप के लिए व्यवस्था शामिल है।

40. **राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान:** इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और अन्य सभी प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, मीडिया सामग्री आदि तैयार करने और उक्त उद्देश्यों वाले संस्थानों के निर्माण, विकास और प्रशासन के लिए शैक्षिक और तकनीकी संस्थान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ।

42. **आधुनिक भारतीय भाषायें और साहित्य:** हिन्दी, आधुनिक भारतीय भाषायें और अंग्रेजी के संवर्धन और प्रचार के लिए कार्यशालायें, सम्मेलन, सेमिनार आदि आयोजित करने सहित प्रकाशन और दूसरी गतिविधियों के वास्ते स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । संगठनों और पुस्तकालयों को मुफ्त वितरण के वास्ते विभिन्न भाषाओं की कई पुस्तकों की खरीद का भी प्रावधान है । हिन्दी अध्यापकों को नियुक्त करने और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उर्दू संवर्धन ब्यूरो, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, भारतीय भाषा केन्द्रीय संस्थान और अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा केन्द्रीय संस्थान आदि के रख-रखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान देने के वास्ते राशियां निर्धारित की जाती हैं ।

43. **संस्कृत:** सम्पूर्ण भारत में लगभग 700 स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं और पाठशालाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो संस्कृत के विकास के प्रचार-क्षेत्र में संलग्न हैं । ऐसे ही 14 स्नातकोत्तर अध्यापन संस्थाओं और विकास तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए विकास क्षमता वाली दो स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है । इस मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान एक स्वतंत्र संगठन है जो संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने में सहायता देता है। भारत सरकार ने दो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों अर्थात् (i) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और (ii) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की भी स्थापना की है । उन संस्थाओं को, जो माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने की सुविधायें प्रदान करती हैं और जो महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों के पुनः मुद्रण और प्रकाशन में लगी हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ।

44. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:** योग्यता के आधार पर निर्धन लेकिन मेधावी छात्रों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से मैट्रिकोत्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

46. **अन्य:** इसके अन्तर्गत, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, विदेश में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, यूनेस्को और डब्ल्यू. आई.पी.ओ. तथा विदेश स्थित शिक्षा संस्थाओं को अंशदान आदि के लिए व्यवस्था शामिल है ।

47. **तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान:** पालिटेक्निक के डिप्लोमा तथा डिग्रीधारी अध्यापकों के लिए दीर्घावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं । ये संस्थान, अध्ययन की प्रगति और ज्ञान के प्रसार के लिए इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में नवीनीकरणों तथा अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अनुसंधान भी आयोजित करते हैं ।

48. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसके शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

49. **कोटि सुधार कार्यक्रम:** भारत में तकनीकी शिक्षा के स्तरों में सुधार करने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते है जैसे कि एम. टेक. और पी.एच.डी. कार्यक्रम उद्योग में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन कार्यक्रमों और पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

50. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** बम्बई, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास स्थित पांच भा.प्रौ. संस्थानों की स्थापना अवर-स्नातक स्तर पर इंजीनियरी तथा प्रयुक्त विज्ञानों में शिक्षा व प्रशिक्षण के अग्रणी केन्द्रों के रूप में की गई है; इन संस्थानों में स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं हैं ।

आसाम समझौते के तहत आसाम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है ।संस्थान का एक एस.एण्ड टी पार्क भी होगा । परिसर के विकास, आवश्यक भवनों के निर्माण , स्टाफ और कार्यालय पर होने वाले आवर्ती व्यय के अतिरिक्त उपस्कर व फर्नीचर की खरीद के लिए व्यवस्था है ।

51. **क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज:** प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उपक्रमों के रूप में इन 17 कालेजों की स्थापना की गई थी । इनमें से अधिकांश क्षेत्रीय कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा डाक्टोरल कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है।

52 **छात्रवृत्तियां:** शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत, नए इंजीनियरी स्नातकों और डिप्लोमा धारियों और 10 + 2 व्यावसायिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि उन्हें लाभप्रद रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा सके । विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षुओं के लिए न्यूनतम मासिक वृत्तिकाएं 380 रुपए से लेकर 700 रुपए तक है । वृत्तिका की लागत, प्रशिक्षण संस्थानों और केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है । यह कार्यक्रम कानपुर, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

53. **भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर और लखनऊ:** इन चार संस्थानों की स्थापना छात्रों को प्रबंध आजीविका में प्रशिक्षण देने, प्रबंध तकनीकों में अनुसंधान आयोजित करने तथा परामर्श कार्य के अलावा स्नातकोत्तर और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के संचालन के लिए की गई है।

54. **आधुनिक तकनीकी के लिए शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार:** इसका

adult education programmes and preparatory project activity for launching adult education programmes.

40. **National Institute of Adult Education:** To provide academic and technical resource support for implementation of National Literacy Mission and Adult Education Programmes of all descreption, preparation of media materials etc. and to create, develop and administer an institution with the aforesaid objects.

42. **Modern Indian Languages and Literature:** For Promotion and propagation of Hindi, Modern Indian Languages and English, financial assistance is given to voluntary organisations for publication and other activities including holding of workshops, Conferences, seminars etc. Provision is also made for bulk purchase of books in different languages for free distribution to organisations and libraries. Funds are earmarked for giving Grants to States/Union Territories for appointment of Hindi teachers and maintenance of Central Hindi Directorate, Bureau for Promotion of Urdu, Commission for Scientific and Technical Terminology, Central Institute of Indian Languages and Central Institute of English and Foreign Languages, etc.

43. **Sanskrit:** Financial assistance is given to about 700 Voluntary Sanskrit Organisations, Institutions and Pathashalas all over India, which are engaged in the promotion of research in Sanskrit. Financial assistance is also provided to 14 post-graduate teaching institutions and two post-graduate research institutions having potential for further development and offering post graduate studies. The Rashtriya Sanskrit Sansthan, an autonomous organisation under this Ministry assists in the promotion of Sanskrit studies. The Govt. of India have also established two Deemed Universities, namely : (i) Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, New Delhi and (ii) Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati. Institutions providing facilities for teaching Sanskrit in Secondary schools and those which are engaged in reprinting and publication of Sanskrit Classics etc. are being provided financial assistance.

44. **National Scholarship Scheme:** Financial assistance to brilliant but poor students on merit basis to pursue their academic career at post-matric level, and interest free loans to needy and meritorious students at post matric and post-graduate stages through State Governments and Union Territories are provided.

46. **Others:** Include provision for grants to National Institute of Educational Planning and Administration, national scholarships for studies abroad, contributions etc. to UNESCO and W.I.P.O. and educational institutions abroad.

47. **Technical Teachers Training Institutes:** Four Technical Teachers Training Institutes have been set up to provide long term training programmes for diploma and degree holding teachers of the polytechnic. They also undertake research for innovations and optimisation in various branches of engineering and technology for the advancement of learning and dissemination of knowledge.

48. **University Grants Commission:** Assistance is given to UGC for its technical educational programmes.

49. **Quality Improvement Programmes:** To improve the quality and standards of technical education in India, a number of programmes are undertaken for the serving teachers such as M.Tech. and Ph.D. programmes, in-service training programmes in industry and training through summer/winter Institute programmes and Curriculum Development Programme.

50. **Indian Institutes of Technology:** The five I.I.Ts at Bombay, Kharagpur, Delhi, Kanpur and Madras have been established as premier centres of education and training in engineering and applied sciences at the undergraduate level; they provide adequate facilities for post graduate studies and research.

Under the Assam Accord an Indian Institute of Technology is being set up in Assam. The Institute will also have an S&T Park. The provision made is for the development of the campus, construction of essential buildings, purchase of equipment and furniture besides some recurring expenditure on staff and office.

51. **Regional Engineering Colleges:** These colleges, which are seventeen in number, were established as joint ventures between the Centre and the State governments concerned to meet the growing needs for trained technical manpower. Most of these regional colleges have facilities for post graduate and doctoral programmes.

52. **Scholarships:** Under the Apprenticeship Act, 1961, apprenticeship training facilities are being provided to fresh engineering graduates and diploma holders and 10+2 vocational students to condition them for gainful employment. The minimum monthly stipends for different categories of apprentices range from Rs.380 to Rs.700. The cost of the stipend is shared equally by the training establishments and the Central Government. The programme is being implemented through the 4 Boards of Apprenticeship Training located at Kanpur, Bombay, Madras and Calcutta.

53. **Indian Institutes of Management, Ahmedabad, Calcutta, Bangalore and Lucknow:** The four Institutes were set up with the objective of training students for management careers, conducting research in management techniques and conducting post graduate and fellowship programmes besides consultancy work.

54. **Expansion of Education and Training Facilities for**

उद्देश्य प्रशिक्षण के लिए उन क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना है जहां प्रगति नहीं हो पाई है जैसे कि संगणक विज्ञान इलैक्ट्रानिकी, इंजीनियरी डिजाइनों को बनाए रखना, पंजीकरण का विनिर्माण और अनुरक्षण, उत्पाद विकास, जैव-विज्ञान तथा प्रबन्ध विज्ञान और वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थाओं का प्रबन्ध ।

55. **उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण** : इसका उद्देश्य इंजीनियरी कालेजों को उन नवीनतम प्रगतियों से बराबर सज्जित करते रहना है जो उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कि माइक्रो-प्रोसेसर शिक्षा, दूरवर्ती संवेदनशील माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स, लेसर प्रौद्योगिकियां, फाइबर आप्टिक्स और फाइबर संचार माइक्रो-प्रोसेसर, संगणक समर्थित डिजाइन आदि । अन्य उद्देश्य है : जनशक्ति का विकास करना, अनुसंधान और डिजाइन का विकास तथा आवश्यक आधार भूत ढांचे का सृजन।

56. **इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण** : इस योजना का उद्देश्य भा.प्रौ.संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों आदि को आधुनिक उपकरण तथा उपस्कर प्रदान करना है ताकि इन संस्थाओं की प्रयोगशालाओं/ कार्यशालाओं में अप्रचलन को दूर किया जा सके और इन्हे परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार सज्जित किया जा सके ।

57. **तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन** : उन अध्यापकों को जिनके वेतनमानो में संशोधन किया गया है बढ़ी हुई परिलब्धियां देने का प्रावधान किया गया है ।

58. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान** : 51 करोड़ रुपए की लागत और 6 करोड़ रुपए के वार्षिक आवर्ती व्यय से एक सुपर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान को विशेष अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें वातावरणीय विज्ञान, बायो-इंजीनियरी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की क्षमताओं में वृद्धि होगी ।

59. **भारतीय शैक्षणिक परामर्शदाता लिमिटेड (ई.डी.सी.आई.एल.)** शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अकेला सरकारी क्षेत्र का उद्यम है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी । सरकारी क्षेत्र के इस उद्यम की स्थापना करने का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना के क्षेत्र में संसाधन आधार बनाने में भारत को प्राप्त उस विशाल अनुभव और बहुत अधिक विशेषज्ञता को बांटना और विकासशील देशों को प्रशिक्षण देना था । यह संगठन न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श और तकनीकी सेवायें प्रदान करता है । चुनी हुई पोलीटेक्नीक के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना सहित इस संगठन के पास कई परामर्शी परियोजनायें हैं ।

60. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य** : इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के विशिष्टताप्राप्त क्षेत्रों में, जिनकी राष्ट्रीय प्रासंगिकता है, स्नातकोत्तर स्तर पर विशिष्टताप्राप्त ज्ञान और प्रशिक्षण में अनुसंधान प्रक्रिया विकसित करना है । इस स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार की 16 और 24 गैर-सरकारी संस्थाओं की सहायता की जा रही है ।

61. **तकनीकी शिक्षा के अन्य कार्यक्रम** : इसके अन्तर्गत आयोजना तथा वस्तुकला स्कूल, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई, राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना प्रणाली, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए विशेष संस्थाएं/केन्द्र, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रयोगात्मक केन्द्र आदि के लिए अनुदान शामिल है।

62. **शारीरिक शिक्षा** : राष्ट्रीय कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनवला, अखिल भारतीय स्तर की एक योग संस्था है, जिसके अनुरक्षण और विकास व्यय के 80 प्रतिशत तक को पूरा करने में सहयोग दिया जाता है । वर्ष 1989-90 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, स्कूलों में योग शुरु करने के लिए प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण देने और आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए योग संस्थाओं को सहयोग दिया जाएगा । यह निर्णय लिया गया है कि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को भी सहायता दी जाएगी ।

63. **विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमा क्षेत्र** : सीमा क्षेत्रों म शैक्षणिक विकास योजनाओं के लिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू व काश्मीर राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु व्यवस्था की गई है ।

64. **सहायता सामग्री और उपस्कर** : इस स्कीम के अन्तर्गत विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा केवल स्कूल पुस्तकों के उत्पादन के लिए वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर वस्तु सहायता के रूप में, नार्वे से मुद्रण कागज का आयात किया जा रहा है।

Modern Techniques : is to develop facilities for education and training in areas where weakness exists such as computer sciences, electronics, maintenance of engineering designs, manufacture and maintenance of instrumentation, product development, bio-sciences, management sciences and management of scientific and technical institutions.

55. **Creation of Infrastructure in Areas of emerging Technologies** : aims at equipping the engineering colleges to keep them abreast of the latest technical advancement which is vital for the national development in areas of emerging technologies such as micro-processor education, remote sensing, micro-electronics, laser technologies, fibre optics and fibre communication micro- processor, computer aided design etc. The other objective is to generate manpower, develop R&D and create necessary infrastructure.

56. **Modernisation of Engineering Laboratories and Workshops:** is for providing modern equipments and instruments to the IITs., Regional Engineering Colleges, etc. and thereby removing obsolescence in laboratories/workshops in these institutions and equip them according to the changed curricula.

57. **Revision of Salary Scales of Teachers of Technical Institutions** : Provision has been made for meeting the increased emoluments of Teachers whose salary scales have been revised.

58. **Grants to Indian Institute of Science, Bangalore** : A special grant is being given to the Indian Institute of Science for procuring a Super Computer at a capital cost of Rs.51 crores and 6 crores per annum towards the recurring expenditure, which will enhance the research capabilities in various front line fields such as atmospheric sciences, bio-engineering, etc.

59. **Educational Consultants India Limited (Ed.CIL)**: is the only public sector enterprise under the administrative control of the department of Education. This was set up in 1981. The objctive of establishing this public sector enterprise was to channelise the rich experience and the vast expertise that India has acquired in building resource base in the field of establishment of educational institutions and imparting training to the developing countries. This organisation offers consultancy and technical services in different fields of education and human resource development, not only within the country but also on a global basis. This organisation has a number of consultancy projects in hand including the World Bank assisted project for selected polytechnics.

60. **Post-Graduate Courses and Research Work**: aims at developing specialised knowledge and training in research methodology at Post-Graduate level in specialised fields of Technology having national relevance. Under the scheme, 16 State Government and 24 Non-Government Institutes are being assisted.

61. **Other Programmes of Technical Education** : Include grants to School of Planning & Architecture, New Delhi, Post Graduate courses and research work, National Institute of Training in Industrial Engineering, Bombay, National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi, Boards of Apprenticeship Training, National Manpower Information System, Special Institutions/Centres for Appropriate Technology, Experimental Centre for Science and Technology Education etc.

62. **Physical Education** : Kaivalyadhama Shreeman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavla, a yoga institution of all India Character, is being assisted to the extent of 80% of its maintenance and development expenditure. With effect from 1989-90, new Centrally Sponsored Scheme for Introduction of Yoga in schools has been taken up under which yoga institutions will be assisted for training of teachers and building up infrastructural facilities. It has been decided that during 1991-92 assistance will also be given to State/UT Governments for implementing the Scheme.

63. **Special Central Assistance - Border Areas:** Provision has been made for assistance to the State Governments of Punjab, Rajasthan, Gujarat and Jammu & Kashmir for their education developmental schemes in border areas.

64. **Aid Material and Equipment** : Under the scheme, printing paper is being imported from Norway in terms of commodity assistance on year to year basis exclusively for production of school text-books by the NCERT, an autonomous body under this Department.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.48

युवा कार्य और खेल विभाग Department of Youth Affairs and Sports

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		66.33	38.75	105.08	60.14	36.94	97.08	73.38	38.83	112.21
पूंजी	*Capital*		*2.23*	*0.05*	*2.28*	*1.93*	*0.05*	*1.98*	*2.18*	*0.01*	*2.19*
जोड़	Total		68.56	38.80	107.36	62.07	36.99	99.06	75.56	38.84	114.40
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	...	1.51	1.51	...	1.51	1.51	0.20	1.70	1.90
खेल और युवा सेवाएं	***Sports & Youth Services***										
युवा कल्याण योजनाएं	**Youth Welfare Schemes**										
2. नेहरु युवक केन्द्र संगठन	2. Nehru Yuva Kendra Sangathan	2204	3.40	6.94	10.34	3.07	6.00	9.07	4.19	6.03	10.22
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	3. National Service Scheme	2204	1.10	1.11	2.21	0.74	0.90	1.64	1.17	1.00	2.17
		3601	5.54	3.74	9.28	5.00	3.50	8.50	6.12	3.49	9.61
		3602	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
जोड़		*Total*	*6.65*	*4.86*	*11.51*	*5.75*	*4.41*	*10.16*	*7.30*	*4.50*	*11.80*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	4. National Discipline Scheme	3601	...	9.19	9.19	...	9.19	9.19	...	9.65	9.65
5. अन्य युवा कल्याण कार्य-कलाप	5. Other Youth Welfare Activities	2204	7.72	1.07	8.79	7.38	0.96	8.34	6.90	1.04	7.94
		3601	...	...	...	...	...	...	1.33	...	1.33
		4202	2.23	...	2.23	1.93	...	1.93	2.18	...	2.18
जोड़		*Total*	*9.95*	*1.07*	*11.02*	*9.31*	*0.96*	*10.27*	*10.41*	*1.04*	*11.45*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं	**Total -Youth Welfare Schemes**		**20.00**	**22.06**	**42.06**	**18.13**	**20.56**	**38.69**	**21.90**	**21.22**	**43.12**
खेल एवं खेल-कूद	**Sports & Games**										
6. भारतीय खेल प्राधिकरण	6. Sports Authority of India	2204	21.96	12.78	34.74	20.59	12.65	33.24	29.56	13.30	42.86
7. खेल संघों को अनुदान	7. Grants to Sports Federations	2204	2.50	0.89	3.39	2.50	0.89	3.39	3.49	0.94	4.43
		3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*2.50*	*0.89*	*3.39*	*2.50*	*0.89*	*3.39*	*3.50*	*0.94*	*4.44*
8. राष्ट्रीय खेल संगठनों को अनुदान	8. Grants to National Sports Organisations	2204	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	1.50	...	1.50
9. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	9. Incentives for Promotion of Sports Activities	2204	3.30	...	3.30	3.04	...	3.04	3.60	...	3.60
10. राज्य खेल परिषदों के माध्यम से खेलों का विकास	10. Development of Sports through State Sports Councils	2204	2.50	...	2.50	1.90	...	1.90	7.00	...	7.00
		3601	7.00	...	7.00	6.60	...	6.60	3.00	...	3.00
		3602	0.50	...	0.50	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*10.00*	...	*10.00*	*8.60*	...	*8.60*	*10.50*	...	*10.50*
11. क्षेत्रीय आधार पर सिन्थेटिक/एस्ट्रो टर्फ बिछाना	11. Laying of Synthetic/Astro turf on Regional Basis	2204	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
12. अन्य योजनाएं	12. Other Schemes	2204	2.80	1.46	4.26	2.61	1.24	3.85	2.80	1.40	4.20
		4202	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	*2.80*	*1.51*	*4.31*	*2.61*	*1.29*	*3.90*	*2.80*	*1.41*	*4.21*
जोड़-खेल-कूद	**Total Sports & Games**		**48.56**	**15.18**	**63.74**	**43.94**	**14.83**	**58.77**	**53.46**	**15.65**	**69.11**
13. अन्य कार्यक्रम	13. Other Programmes	2204	...	0.05	0.05	...	0.09	0.09	...	0.27	0.27
कुल जोड़	***Grand Total***		*68.56*	*38.80*	*107.36*	*62.07*	*36.99*	*99.06*	*75.56*	*38.84*	*114.40*

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. खेल और युवा कार्य	1. Sports & Youth Affairs	22204	68.56	...	68.56	62.07	...	62.07	75.36	...	75.36
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2. Secretariat-Social Services	22251	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
जोड़	Total		68.56	...	68.56	62.07	...	62.07	75.56	...	75.56

1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं : इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. नेहरू युवक केन्द्र संगठन : नेहरू युवक केन्द्र संगठन विभाग का केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जिसके अन्तर्गत जिलों में नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं । सरकार द्वारा इस संगठन का उपयोग युवा नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल-कूद तथा मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के कार्यकलापों को अतिरिक्त बल देने के लिए किया जाता है ।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना : यह योजना 1969-70 में शुरू की गई थी। इसे विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा उच्चतर-शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस योजना का अधिकांश व्यय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान देकर पूरा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप सम्पन्न किए जाते है, अर्थात् (क) विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर चुने हुए कल्याणकारी अभिकरणों के रूप में करने के लिए भेजे गए विद्यार्थियों द्वारा सम्पन्न संस्थात्मक कार्य,

1. Secretariat - Social Services : Provides for secretariat expenditure.

2. Nehru Yuva Kendra Sangathan: Nehru Yuva Kendra Sangathan is a Central autonomous body of the department which has Nehru Yuva Kendras in the districts functioning under it. This organisation is used by the Government to give extra thrust to the activities of non-student rural youth through programmes such as youth leadership, training, community service programmes, vocational training, sports and recreation, cultural activities, non-formal education, etc.

3. National Service Scheme: The scheme started in 1969-70 is implemented through universities, colleges and other institutions of higher learning. Bulk of the expenditure on the scheme is incurred through grants to the State Governments and Union Territories. The scheme includes (a) institutional work by students sent to selected welfare agencies outside the campus to work as volunteers, (b) institutional projects for the improvement of the campus, construction

(ख) विश्वविद्यालय क्षेत्र में सुधार की परियोजनाएं, खेलकूद के मैदानों का निर्माण कार्य और विश्वविद्यालय क्षेत्र में वृक्षारोपण और (ग) निरक्षरता उन्मूलन के लिए ग्राम्य परियोजनाएं, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, कृषि कार्य, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषाहार कार्यक्रम और ग्रामीण सहकारी संस्थाएं तथा ग्रामीण सड़कें इत्यादि ।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डी.एस.)** : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस योजना के अधीन नियोजित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनों तथा भत्तों के व्यय और अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति की व्यवस्था करती है ।

5. **अन्य युवा कल्याण कार्यकलाप** : इनमें, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना, सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन युवकों के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली यात्राओं, युवा कल्याण कार्यों में संलग्न ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने, युवकों के होस्टलों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना, पर्वतारोही संस्थानों और उनके विकास तथा स्काउटिंग तथा गाइडिंग और राष्ट्रमंडलीय युवक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय एकता के संवर्धन, युवकों के प्रशिक्षण, युवा क्लबों, पिछड़ी जनजातियों में युवा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विशेष योजना और संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक कार्यक्रम को योगदान के लिए व्यवस्था की जाती है । प्रस्तावित राष्ट्रीय युवा नीति अर्थात् अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा स्कीम और युवा विकास राष्ट्रीय संस्था के अन्तर्गत दी गई प्रस्तावित स्कीमों के लिए सांकेतिक व्यवस्था भी की गई है ।

6. **भारतीय खेल कूद प्राधिकरण**: यह एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसमें खेल कूद की प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने, 'सभी के लिए खेल-कूद' भावना को कार्यान्वित करने, विशेष क्षेत्रों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, खेल-कूद उपस्करों का एक केन्द्रीय पूल बनाने, महिला खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण खेल-कूद को बढ़ावा देने, खेल-कूद संबंधी छात्रवृत्तियां देने, राष्ट्रीय प्रशिक्षु कैम्पों का संचालन करने तथा स्टेडियमों का प्रबन्ध करने के साथ-साथ खेल-कूद होस्टलों की स्थापना एवं उनके प्रबन्ध विषयक अनेकों आयोजना-गत योजनाओं को कार्यान्वित करना शामिल हैं । शारीरिक शिक्षा की अवधारणा की प्रगति पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम के माध्यम से निगरानी रखी जाती है ।

7. **खेलकूद संघों को अनुदान** : ये अनुदान खेलकूद प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजनों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने, वरिष्ठ, कनिष्ठ तथा उप-कनिष्ठ खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय चेम्पियनशिप का आयोजन करने तथा अव्ययित प्रकृति के खेलकूद के सामान की खरीद के लिए दिए जाते हैं।

8. **राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों को अनुदान** : ये अनुदान विश्वविद्यालयों में खेलों के तथा खेलों के आधारभूत ढांचे के संवर्धन के लिए दिए जाते हैं । योजनाओं का कार्यान्वियन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है । इसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को दी गई छात्रवृत्तियां शामिल हैं ।

9. **खेलकूद के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन** : खेलकूद क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तथा जिला स्तर पर टूर्नामेंट जीतने वाले विद्यालयों को सहायता देने के लिए भी एक सामुच्चयिक प्रोत्साहन योजना बनाई गई है ।

10. **खेलकूद परिषदों के माध्यम से खेलकूद विकास** : यह योजना राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंटों तथा मैचों का आयोजन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, खेल के मैदानों की व्यवस्था करने, जिमनास्टिक के स्टेडियमों तथा तैरने के लिए जलाशयों का निर्माण करने और खेलकूद संबंधी उपस्करों की खरीद करने आदि के लिए तैयार की गई है।

11. **क्षेत्रीय आधार पर कृत्रिम एस्ट्रोटर्फ आच्छादित सतह की व्यवस्था** : हमारी टीमों को कृत्रिम ट्रैकों और एस्ट्रो आच्छादित खेल के मैदानों के उपयोग से अवगत कराने के लिए इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम ट्रैक व्यवस्थापन तथा कृत्रिम सतही आच्छादन की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाएगी ।

12. **अन्य योजनाएं** : इनके अन्तर्गत खेलकूद की संभावित क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों की खोज से संबंधित छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने, ग्रामीण खेलकूद टूर्नामेंटों की व्यवस्था करने, महिलाओं में खेलकूद को बढ़ावा देने, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल-कूद चैम्पियनशिप, केन्द्रीय स्कूलों को एन.सी.सी. कैडेटों के लिए शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद व शारीरिक शिक्षा दल विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, तथा पिछड़ी जनजातियों में खेल-कूद की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए योजनाएं आती हैं।

13. **अन्य कार्यक्रम**: ये मुख्यतः युवा तथा खेल-कूद, सम्मेलनों, राष्ट्रीय युवा परिषदों आदि के लिए व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं ।

of play-fields, plantation of trees in the campus and (c) rural projects for eradication of illiteracy, minor irrigation works, agricultural operations, environmental conservation, health, family welfare and nutrition programmes, rural cooperatives, rural roads etc.

4. **National Discipline Scheme (NDS):** Under the scheme the Central Government meets the expenditure on the pay and allowances of the NDS instructors under the erstwhile National Fitness Corps Scheme and other incidental expenses.

5. **Other Youth Welfare Activities**: These include provision for National Service Volunteer Scheme, International Exchange of Youth Delegation under Cultural Exchange Programmes, financial assistance to voluntary agencies engaged in youth welfare, youth hostels, National Youth Award Scheme, establishment and development of mountaineering institutions, scouting and guiding, Commonwealth Youth Programme, promotion of national integration, training of youth, youth clubs, special scheme for promotion of Youth activities among Backward Tribes and contributions to United Nation Volunteer Programmes. Token provisions have also been made for the two new proposed schemes under the proposed National Youth Policy i.e., compulsory National Service Scheme and National Institute of Youth Development.

6. **Sports Authority of India** : is an autonomous body implementing a number of plan schemes including spotting and nurturing of sports talent, realisation of the concept 'Sports for All', promotion of sports in special areas, creation of a central pool of sports equipments, promotion of women sports, rural sports, sports scholarships, conduct of national coaching camps, establishment and management of sports hostels besides managing the stadia. Progress of the concept of physical education is monitored through the Laxmibai National College of Physical Education, Gwalior and the Physical Education College, Trivandrum.

7. **Grants to Sports Federations** : are for preparation of national teams for participation in international sports events through coaching camps, organising national championships for seniors, juniors and sub-juniors and purchase of sports equipment of non-expendible nature.

8. **Grants to National Sports Organisations** : are for promotion of games and sports infrastructure in the university sector. The schemes are implemented through agencies like University Grants Commission, Association of Indian Universities and Sports Authority of India. It includes cost of scholarships given to talented Sports persons.

9. **Incentives for promotion of Sports Activities** : A Package Incentive Scheme has been devised for providing incentives to outstanding sports persons and also giving assistance to the schools winning district level tournaments.

10. **Development of Sports through State Sports Councils** : The scheme is for creating facilities for organising tournaments and matches of national and international importance, developing play fields, constructing stadia, gymnasia, swimming pools etc. and purchasing sports equipments.

11. **Laying of Synthetic Astro turf on Regional Basis** : In order to familiarise our teams with the use of synthetic tracks and astro surface fields, the scheme seeks to have a net work of synthetic tracks and artificial surface in the different regions of the country.

12. **Other Schemes** : Include Sports Talent Search Scholarship, Rural Sports Tournaments, Promotion of Sport among Women, National Sports Championships for Women, Exchange of sports and Physical Education team experts and physical education for NCC cadets of Central Schools and special scheme for promotion of sports activities among the Backward Tribes.

13. **Other Programmes** : Provides mainly for meeting expenditure on holding of Youth and Sports Conferences, National Youth Councils, etc.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.49

कला और संस्कृति Art and Culture

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		54.90	61.71	116.61	48.11	58.56	106.67	65.54	62.80	128.34
पूंजी	*Capital*		*0.00*	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	...	...
जोड़	**Total**		**54.90**	**81.71**	**136.61**	**48.11**	**78.56**	**126.67**	**65.54**	**62.80**	**128.34**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	0.38	2.50	2.88	0.37	2.25	2.62	0.50	2.39	2.89
कला और संस्कृति	**Art & Culture**										
कला और संस्कृति का संवर्धन	**Promotion of Art and Culture**										
2. क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र	2. Zonal Cultural Centres	2205	4.00	...	4.00	3.45	...	3.45	3.00	...	3.00
3. संगीत नाटक अकादमी	3. Sangeet Kala Akademi	2205	2.15	1.22	3.37	2.72	1.12	3.84	2.35	1.18	3.53
4. ललित कला अकादमी	4. Lalit Natak Akademi	2205	1.30	1.27	2.57	1.20			1.40	0.86	2.26
5. साहित्य अकादमी	5. Sahitya Akademi	2205	1.90	0.86	2.76	1.75	0.76	2.51	2.10	0.80	2.90
6. अन्तर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां	6. International Art & Cultural Exhibitions	2205	...	3.74	3.74	...	1.76	1.76	...	...	5.29
7. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	7. Indira Gandhi National Centre for Arts	2205	1.00	0.02	1.02	...	...	...	2.00	0.02	2.02
8. अन्य	8. Others	2205	13.27	6.88	20.15	10.32	7.16	17.48	15.83	6.49	22.32
		3601	0.10	0.09	0.19	0.10	0.09	0.19	0.20	0.09	0.29
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*13.39*	*6.97*	*20.36*	*10.44*	*7.25*	*17.69*	*16.06*	*6.58*	*22.64*
जोड़-कला और संस्कृति का संवर्धन	**Total-Promotion of Art and Culture**		**23.74**	**14.08**	**37.82**	**19.56**	**12.17**	**31.73**	**26.91**	**14.73**	**41.64**
पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय	**Archaeology, Archives and Museums**										
9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	9.Archaeological Survey	2205	6.70	24.65	31.35	6.39	24.65	31.04	7.30	25.14	32.44
		3601	...	0.44	0.44	...	0.43	0.43	...	0.43	0.43
		3602	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	*6.70*	*25.10*	*31.80*	*6.39*	*25.09*	*31.48*	*7.30*		*32.88*
10. राष्ट्रीय अभिलेखागार	10. National Archives	2205	1.75	2.02	3.77	0.98	1.85	2.83	2.00	1.93	3.93
11. राष्ट्रीय संग्रहालय	11. National Museum	2205	2.25	2.43	4.68	2.00	2.23	4.23	2.50	2.51	5.01
		4202	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.25*	*22.43*	*24.68*	*2.00*	*22.23*	*24.23*	*2.50*	*2.51*	*5.01*
12. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद	12. National Council of Science Museums	2205	8.30	3.38	11.68	8.30	3.38	11.68	9.70	3.55	13.25
13. मानव विज्ञान सर्वेक्षण	13. Anthropological Survey	2205	1.28	2.62	3.90	0.87	2.43	3.30	1.80	2.55	4.35
14. अन्य कार्यक्रम	14. Other Programmes	2205	6.37	4.46	10.83	6.10	4.38	10.48	9.01	4.47	13.48
जोड़- पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय	**Total- Archaeology, Archives and Museums**		**26.65**	**60.01**	**86.66**	**24.64**	**59.36**	**84.00**	**32.31**	**40.59**	**72.90**
पुस्तकालय	*Libraries*										
15. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	15. National Library , Calcutta	2205	1.40	2.46	3.86	1.15	2.46	3.61	1.64	2.58	4.22
16. अन्य पुस्तकालय	16. Other Libraries	2205	2.68	2.50	5.18	2.39	2.17	4.56	4.13	2.34	6.47
		3601	0.05	0.16	0.21	...	0.15	0.15	0.05	0.17	0.22
जोड़		*Total*	*2.73*	*2.66*	*5.39*	*2.39*	*2.32*	*4.71*	*4.18*	*2.51*	*6.69*
जोड़-पुस्तकालय	**Total-Libraries**		**4.13**	**5.12**	**9.25**	**3.54**	**4.78**	**8.32**	**5.82**	**5.09**	**10.91**
जोड़-कला और संस्कृति	**Total-Art &Culture**		**54.52**	**79.21**	**133.73**	**47.74**	**76.31**	**124.05**	**65.04**	**60.41**	**125.45**
कुल जोड़	***Grand Total***		***54.90***	***81.71***	***136.61***	***48.11***	***78.56***	***126.67***	***65.54***	***62.80***	***128.34***

ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ब. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ब. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.ब. IEBR	जोड़ Total
1. कला और संस्कृति	1. Art and Culture	22205	66.82	...	66.82	51.72	...	51.72	73.70	...	73.70
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2. Secretariat - Social Services	22251	0.38	...	0.38	0.37	...	0.37	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*67.20*	...	*67.20*	*52.09*	...	*52.09*	*74.20*	...	*74.20*

* Inclusive of Works Outlay in the Ministry of Urban Development
*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय शामिल है ।

मांग संख्या नं. 78	Demand No. 78	...	...	...	0.03	...	0.03	0.76	...	0.76
मांग संख्या नं. 79	Demand No. 79	12.30	...	12.30	3.95	...	3.95	7.90	...	7.90
जोड़	**Total**	**12.30**	...	**12.30**	**3.98**	...	**3.98**	**8.66**	...	**8.66**

1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं : इसमें सचिवालय से व्यय के लिए व्यवस्था है।

1. **Secretariat-Social Services** : Provides for secretariat expenditure.

2. **क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सांस्कृतिक सम्बन्धों पर बल देना है, जो क्षेत्रीय और भाषायी सीमाओं से परे होते हैं । ये केन्द्र न केवल विभिन्न राज्यों की संस्कृति के स्वरूप और शैलियों को प्रतिबिम्बित करेंगे बल्कि समूचे देश की मिश्रित संस्कृति का संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे ।

3. **संगीत नाटक अकादमी:** संगीत नाटक अकादमी की स्थापना सन् 1953 में अभिनय कलाओं के संवर्धन के लिए की गई थी । यह अकादमी भारतीय संगीत, नृत्य तथा नाटकों के संवर्धन एवं विकास के लिए, अभिनय कलाओं में प्रशिक्षण के स्तर को बनाए रखने के लिए, संगीत नृत्य तथा नाटकों के विभिन्न रूपों के संबंध में सामग्रियों के संरक्षण, पुनरुद्धार, प्रलेखन तथा प्रचार के लिए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है ।

4. **ललित कला अकादमी:** यह एक राष्ट्रीय संगठन है जो रचनात्मक दृश्य कला के क्षेत्र में कार्यकलापों को प्रोत्साहित और समन्वित करता है और इस प्रकार देश की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है ।

5. **साहित्य अकादमी:** की स्थापना भारतीय साहित्य के विकास तथा उच्च साहित्यिक मानकों को स्थापित करने, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है ।

6. **अन्तर्राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनियां:-** प्रदर्शनियों, अभिनय कलाओं की प्रस्तुति, फिल्मों, गोष्ठियों आदि के माध्यम से देश की छवि को विदेशों में प्रस्तुत करने के लिए भारत महोत्सवों का आयोजन किया जाता है । जिन देशों में हमारे देश के महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, लोगों के आपसी सम्पर्क को बढ़ाने की दृष्टि से उन देशों को भी भारत में महोत्सव आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । जापान मास और भारत में सोवियत महोत्सव आयोजित किए जाने के बाद, भारत में फ्रांस महोत्सव 3 फरवरी, 1989 से प्रारम्भ हुआ जिसका समापन जनवरी, 1990 में हुआ । एक भारत महोत्सव 1991 में पश्चिमी जर्मनी में आयोजित किया जाएगा । जबकि भारत में स्वीडन के महोत्सव, 1991 में आयोजित किये जाने वाले हैं ।

7. **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र:-** इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र की स्थापना फरवरी/मार्च, 1987 में एक पंजीकृत स्वायत्त न्यास के रूप में की गई थी । इसके भवन निर्माण के लिए नई दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 23 एकड़ भूमि आबंटित की गई थी । इसके शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए इसे संग्रह निधि भी दी गई थी ।

अनेकों दीर्घावधिक और अल्पावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से अद्वितीय संकल्पित योजना को साकार किया गया है । इसमें एक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की गई है जिसमें बहुमूल्य वैयक्तिक संग्रहों और दुर्लभ पुस्तकों सहित लगभग 70,000 पुस्तकें हैं । केन्द्र ने भारतीय और विदेशी भाषाओं में भारतीय मूल की कई लाख अप्रकाशित पांडुलिपियों की माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश तैयार करने और उनका संग्रहण करने का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है । इसने कला और विरासत के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक स्तर पर सूचना का कम्प्यूटरीकृत संग्रहण, उसका रख-रखाव और प्रसार आंकड़ा आधार पर विकसित किया है । इसने बच्चों के लिए एक प्रायोगिक शैक्षिक कठपुतली थियेटर की स्थापना की है । इसने एकीकृत कथाओं के परिदृश्य में तीन अन्तर्राष्ट्रीय बहु-अनुशासनिक सेमिनार और प्रदर्शनियां भी आयोजित की हैं ।

यूनेस्को ने केन्द्र को कला और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी है ।

8. **अन्य:** इसमें राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी, केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एशियाटिक सोसाइटी, गांधी स्मृति और दर्शन समिति आदि पर व्यय या उनके अनुदानों की व्यवस्था की गई है । इसमें विभिन्न अन्य योजनाओं जैसे उत्कृष्ट कलाकारों को छात्रवृत्तियों/फैलोशिप, पुस्तकों का संवर्धन, प्रतिनिधि मंडल भेजने शताब्दी तथा वर्षगांठ आयोजित करने, भवन अनुदान, नृत्य, नाट्य-कला, रंगशाला, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक काम्प्लेक्स की स्थापना आदि के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

9. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में देश में पुरातत्वीय अवशेषों का सर्वेक्षण करने के मूल उद्देश्य से की गई थी । इसके मुख्य कार्य केन्द्र द्वारा सुरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण, प्राचीन स्थलों की खोज और उनकी खुदाई; स्मारकों और स्थलों में स्थित उद्यानों का अनुरक्षण, मूर्तियों, स्मारकों और पुरातत्वीय संग्रहालयों का अनुरक्षण करना है ।

10. **राष्ट्रीय अभिलेखागार:** भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के स्थायी प्रकृति के पुराने रिकार्ड रखने का केन्द्रीय भंडार है । यह प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी लेखों और विदेशों से भारतीय हितों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतियों का अधिग्रहण करता है और उन्हें सुरक्षित रखता है । यह ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और अभिलेख अध्ययन स्कूल

2. **Zonal Cultural Centres** : The main objective underlying the scheme is to emphasise the cultural linkages that extend beyond territorial and linguistic boundaries. These centres would reflect not only the forms and styles of different States but would represent jointly the composite culture of the country.

3. **Sangeet Natak Akademi** : The Sangeet Natak Akademi was set up in 1953 for the promotion of performing arts. The Akademi acts at the national level for the promotion and growth of Indian music, dance and drama; for the maintenance of standards of training in the performing arts; for the revival, preservation, documentation and dissemination of materials relating to various forms of music, dance and drama and for the recognition of outstanding artists.

4. **Lalit Kala Akademi** : is a national organisation to foster and coordinate activities in the sphere of creative visual arts and promote thereby the cultural unity of the country.

5. **Sahitya Akademi** : has been set up for the development of Indian letters and to set high literary standards; to foster and coordinate literary activities in all the Indian languages and to promote through them the cultural unity of the country.

6. **International Art and Cultural Exhibitions** : The Festivals of India are organised to present the image of the country abroad through exhibitions, performing arts, films, seminars etc. Reciprocal festivals of the countries where our festivals are held, are also received and held in India with a view to increasing the people to people contact. After a Japan month and Festival of USSR in India, Festival of France started in India on 3rd February, 1989 and concluded in January, 1990. A Festival of India in West Germany will be held in 1991, while the return festival of Sweden in India is scheduled for 1991.

7. **Indira Gandhi National Centre for Arts** : The Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) was set up as a registered Autonomous Trust, in February/March 1987. A piece of land measuring about 23.00 acres was allotted to the Trust in the Central Vista Area in New Delhi for construction of its building complex. The IGNCA was also given corpus fund for running the academic programmes.

The Unique conceptual plan has been concretized through several long-term and short-term programmes. These include the establishement of a Reference Library comprising approximately 70,000 volumes, including precious personal collections and rare books. The centre has initiated a massive programme of collecting and generating microfilms and microfiche of several lakhs of unpublished manuscripts of Indian origin in foreign and Indian collections. It has evolved databases for computerised storage, retrieval and dissemination of a vast volume of information on different aspects of the arts and the heritage. It has established an experimental educational puppet theatre for children. It has also organised three international Multi-disciplinary Seminars and Exhibitions revolving round single unified themes.

The UNESCO has recognised the Centre as Regional Institution in the fields of art and cultural heritage.

8. **Others**: Include provision for expenditure on or grants to National Gallery of Modern Art, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, National School of Drama, Asiatic Society, Gandhi Smriti and Darshan Samiti etc. Provision is also there for various other schemes viz: scholarship/fellowship to outstanding artists, promotion of books, organising delegations, centenaries and anniversaries, building grants, assistance to Dance, Drama and Theatre, setting up of multipurpose cultural complexes etc.

9. **Archaeological Survey of India** : The Archaeological Survey of India was set up in1861 with the primary object of surveying antiquarian remains in the country. Its main functions are: preservation of centrally protected monuments and sites, exploration and excavation of ancient sites; maintenance of gardens at monuments and other works of art and maintenance of archaeological museums.

10. **National Archives** : The National Archives of India is the central repository of non-current records of enduring value belonging to the Ministries and Departments of the Government of India. It also acquires and preserves private papers of eminent Indians and microfilm copies of records of Indian interests from abroad. It provides facilities for historical research and promotes archives keeping in the

के माध्यम से जो इस संबंध में बहुत से पाठ्यक्रम चलाता है, वैज्ञानिक पद्धति पर देश में अभिलेख अनुरक्षण को बढ़ावा देता है। भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है और जयपुर तथा पांडिचेरी में अभिलेख केन्द्र है।

11. **राष्ट्रीय संग्रहालय :** 1949 में स्थापित कला विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसमें पूर्व-ऐतिहासिक, फोटो-ऐतिहासिक, मूर्तिकला, कांस्य और तांबे की पट्टिकाएं, सिक्के, लघु चित्र कलाएं, बौद्ध कलाएं, कोलम्बस से पूर्व की कलाएं, मानव विज्ञान और मध्य एशिया के संग्रहणों की विथिकाएं है।

12. **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता :** इसका काम प्रदर्शनियों और विचार-गोष्ठियों के आयोजन द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, विज्ञान शिक्षकों, विद्यार्थियों, युवा उद्यमियों, तकनीशियनों आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि बनाना है। अन्य कतिपय स्थानों में लघु केन्द्रों के अतिरिक्त कलकत्ता, बंगलोर और बम्बई में परिषद के संग्रहालय/केन्द्र हैं।

13. **भारतीय नृतत्वशास्त्रीय सर्वेक्षण :** 1945 में इसकी स्थापना नृतत्वशास्त्र और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. यह नृतत्व शास्त्र और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में अन्य संगठनों के सहयोग से कार्य करता है। यह भारतीय जनसंख्या पर जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण का कार्य करता है और वैज्ञानिक रूचि के दस्तावेजों का संग्रह और परिरक्षण करता है।

14. **अन्य कार्यक्रम :** इसमें विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ, नेहरू स्मारक संग्रहालय, नयी दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल और इलाहाबाद संग्रहालय आदि के लिए व्यवस्था है।

15. **राष्ट्रीय पुस्तकालय (नेशनल लाइब्रेरी), कलकत्ता:** यह भारत और विदेशों में भारत के संबंध में प्रकाशित सभी पाठ्य और सूचना सामग्री के भंडारण के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करता है। यहां फारसी, संस्कृत, अरबी और तमिल पांडुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों का अमूल्य और विशाल संग्रह है। यह पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालयों) अधिनियम, 1954 के अधीन और दक्षिण एशिया में निक्षेप पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय ने 50 देशों के 144 संस्थानों से आदान-प्रदान संबंध भी स्थापित कर रखा है।

16. **अन्य पुस्तकालय :** इनमें केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता, केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता तथा ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की योजना शामिल है।

country on scientific lines through the School of Archival Studies which runs many courses in this discipline. It has a regional office at Bhopal and record centres at Jaipur and Pondicherry.

11. **National Museum:** Founded in 1949 is a subordinate office of the Department of Culture and is having galleries on pre-history, photo-history, sculptures, bronzes, copper plates, coins, miniature painting, arts, pre-columbian arts, anthropology and Central Asian collections.

12. **National Council of Science Museums, Calcutta** : to popularise science and technology by organising exhibitions and seminars, training programmes for science teachers, students, young entrepreneurs, technicians etc. The Council has museums/centres at Calcutta, Bangalore and Bombay, besides small centres at certain other places.

13. **Anthropological Survey of India** : Established in 1945 for the advancement of scientific research in anthropology and allied disciplines, it collaborates with other organisations in the field of anthropology and allied disciplines. It conducts bio-cultural investigation on Indian population, collects and preserves documents of scientific interest.

14. **Other Programmes** : This provides for Victoria Memorial Hall, Calcutta, National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow, Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi, Indian Museum, Calcutta, Salar Jung Museum, Hyderabad, Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal and Allahabad Museum, etc.

15. **National Library, Calcutta** : serves as a prominent repository of all reading and information materials produced in India as well as abroad concerning India. It has a rich collection of Persian, Sanskrit, Arabic and Tamil manuscripts and also rare books. It is the recipient library under the Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 and the repository library in South Asia. The National Library is also maintaining exchange relations with 144 institutions in 50 countries.

16. **Other Libraries** : These include Central Reference Library, Calcutta, Central Library, Bombay, Delhi Public Library, Delhi and Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, Calcutta and scheme for establishment of rural libraries.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.50

महिला और बाल विकास विभाग Department of Women and Child Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		328.60	37.99	366.59	312.10	37.99	350.09	399.00	39.65	438.65
पूंजी	*Capital*		*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*
जोड़	**Total**		**329.60**	**37.99**	**367.59**	**313.10**	**37.99**	**351.09**	**400.00**	**39.65**	**439.65**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat-Social Services	2251	...	1.75	1.75	...	1.75	1.75	...	1.90	1.90
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security & Welfare***										
बाल कल्याण और महिला कल्याण	**Child Welfare & Women's Welfare**										
2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं	2. Integrated Child Development Services	2235	33.73	...	33.73	31.73	...	31.73	76.70	...	76.70
		3601	233.84	...	233.84	222.34	...	222.34	244.10	...	244.10
		3602	0.73	...	0.73	0.73	...	0.73	0.70	...	0.70
जोड़		*Total*	*268.30*	...	*268.30*	*254.80*	...	*254.80*	*321.50*	...	*321.50*
3. दिवस पोषण केन्द्र	3. Day Care Centre	2235	...	15.55	15.55	...	15.55	15.55	0.10	15.55	15.65
4. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम	4. Balwadi Nutrition Programme	2235	...	3.67	3.67	...	3.67	3.67	...	3.67	3.67
5. संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (युनिसेफ) को अंशदान	5. Contribution to UNICEF	2235	...	2.98	2.98	...	2.98	2.98	...	2.98	2.98
6. प्रारम्भिक बाल-शिक्षा स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	6. Early Childhood Education-Assistance to Voluntary Organisations	2235	...	3.02	3.02	...	3.02	3.02	0.50	3.02	3.52
7. अन्य योजनाएं	7. Other Schemes	2235	3.15	2.02	5.17	3.15	2.02	5.17	3.90	2.38	6.28
जोड़-बाल कल्याण	**Total-Child Welfare**		**271.45**	**27.24**	**298.69**	**257.95**	**27.24**	**285.19**	**326.00**	**27.60**	**353.60**
8. महिला शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम	8. Condensed Courses for Women Education	2235	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	8.00	...	8.00
9. कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	9. Hostels for Working Women	2235	6.00	...	6.00	4.30	...	4.30	5.00	...	5.00
10. रोजगार कार्यक्रम को समर्थन	10. Support to Employment Programme	2235	4.30	...	4.30	4.30	...	4.30	8.50	...	8.50
11. अतिरिक्त लाभ प्राप्तकर्ताओं के लिए पूरक पोषाहार	11. Supplementary Nutrition for Additional Beneficiaries	2235	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.25	...	0.25
		3601	19.50	...	19.50	19.50	...	19.50	29.50	...	29.50
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*20.00*	...	*20.00*	*20.00*	...	*20.00*	*30.00*	...	*30.00*
12. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	12. Socio-economic Programmes	2235	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	6.00	...	6.00
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	13. Central Social Welfare Board	2235	8.00	7.96	15.96	7.35	7.96	15.31	8.00	8.81	16.81
14. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	14. Training-cum-Production Centres	2235	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
15. अन्य कार्यक्रम	15. Other Programmes	2235	6.62	1.04	7.66	5.97	1.04	7.01	5.27	1.34	6.61
		3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
		4235	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*7.85*	*1.04*	*8.89*	*7.20*	*1.04*	*8.24*	*6.50*	*1.34*	*7.84*
जोड़-महिला कल्याण	**Total-Women's Welfare**		**58.15**	**9.00**	**67.15**	**55.15**	**9.00**	**64.15**	**74.00**	**10.15**	**84.15**
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	**Total-Social Security & Welfare**		**329.60**	**36.24**	**365.84**	**313.10**	**36.24**	**349.34**	**400.00**	**37.75**	**437.75**
कुल जोड़	***Grand Total***		***329.60***	***37.99***	***367.59***	***313.10***	***37.99***	***351.09***	***400.00***	***39.65***	***439.65***

ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं. IEBR	जोड़ Total
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1. Social Security and Welfare	22235	329.60	...	329.60	313.10	...	313.10	400.00	...	400.00
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2. Secretariat - Social Services	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**329.60**	...	**329.60**	**313.10**	...	**313.10**	**400.00**	...	**400.00**

1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं : इस विभाग के अन्तर्गत सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं : इस योजना का उद्देश्य छः वर्ष से कम आयु के शिशुओं, गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के लिए स्वास्थ्य, पोषाहार तथा शैक्षणिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करना है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, रोगमुक्ति, स्वास्थ्य संबंधी जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों को रोगी सौंपे जाने की सेवाओं, पोषाहार और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा तथा अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा शामिल है। इस योजना को राज्यों की सरकारों/संघीय राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अब तक 2236 एकीकृत शिशु विकास सेवा केन्द्रों की मंजूरी दी गई है।

1. Secretariat - Social Services : Provides for the secretariat expenditure of the Department.

2. Integrated Child Development Services (ICDS) : The scheme aims at providing integrated package of health, nutrition and educational services to children below six years, pregnant women and nursing mothers. The package comprises supplementary nutrition, immunisation, health check-up, referral services, nutrition & health education and non-formal pre-school education. The scheme is implemented through the State Governments/U.T. Adminis-trations. So far, 2236 ICDS projects have been sanctioned.

राज्य क्षेत्र में इसके अलावा 188 एकीकृत शिशु विकास सेवा परियोजना शुरू की गई है। शिशु विकास परियोजना अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पोषाहार तत्वों की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना दो चरणों में सहायता देगा ।

3. **दिवस पोषण केन्द्र :** ये केन्द्र श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र से संबद्ध निर्धन, कारोबार करने वाली और बीमार स्त्रियों के बच्चों (0-5 वर्ष की आयु तक के) को पोषण की सेवाएं प्रदान करने के कार्य में व्यस्त ऐच्छिक संगठनों की सहायता करने के लिए बनाए गए हैं। इस योजना के अधीन जो बाल सुश्रूषा सदन चलाए जाते हैं, ऐसे बच्चों ,जिनके अभिभावक कार्य स्थलों पर होते हैं अथवा बीमारी के कारण अक्षम होते हैं और उनकी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, के स्वास्थ्य निरीक्षण, पूरक पोषाहार, डाक्टरी जांच तथा रोगमुक्ति उपचार आदि की व्यवस्था भी करते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और सहायता प्राप्त ऐच्छिक संगठनों के जरिए इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

4. **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम :** केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले ऐच्छिक संगठनों के जरिए कार्यान्वित किया जाने वाला यह कार्यक्रम 2.29 लाख बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था करता है, जोकि 3-5 वर्ष की आयु के बीच के आयु वर्ग में है और 5 राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा संचालित बालवाड़ियों में जाते हैं।

5. **संयुक्त राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनीसेफ) को अंशदान :** संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि में भारत द्वारा दिए जाने वाले अंशदान और नई दिल्ली में इसके कार्यालय के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है ।

6. **प्रारम्भिक बाल शिक्षा :** इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के आधार का विस्तार करने और समर्थन देने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अलाभान्वित वर्गों के लिए पूर्व स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करना है। स्कूली शिक्षा की देखभाल के लिए प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है।

7. **अन्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत, मुख्य रूप से, बालसेविका तथा शिशु सदनों के कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक राशियों और शिशु पोषाहार के लिए प्राप्त शुल्क मुक्त सहायता को संभालने तथा उसकी निकासी करने विविध गतिविधियों के लिए ऐच्छिक संगठनों को सहायता । राष्ट्रीय सरकारी सहयोग तथा बाल विकास संस्थान एक निकाय है जो एकीकृत बाल विकास सेवाओं के क्षेत्र में इस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण विचार-गोष्ठी तथा सम्मेलन के आयोजन की व्यवस्थाएं शामिल है । महिला विकास संबंधी कार्य भी इसे ही सौंपा गया है ।

8. **स्त्रियों की शिक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम :** इन का उद्देश्य यह है कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रशिक्षण प्राप्त करके बाद में नौकरियां हासिल करने के योग्य बनाया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों को प्रारंभिक/मिडिल/उच्च स्कूली स्तर की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के प्रयोजन से अनुदान दिए जाते है।

9. **कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल :** नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए स्थायी तथा सस्ते होस्टल भवनों के निर्माण के लिए स्वयं सेवी संगठनों को नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए बने बनाए होस्टल भवनों की खरीद के लिए सहायता व्यवस्था दी जाएगी । वे स्त्रियां जिनकी आय 3000/ रुपए (संचित निधि) से अधिक नहीं है वे ऐसे होस्टलों में रहने की पात्र हैं ।

10. **रोजगार कार्यक्रम को समर्थन :** यह योजना प्रत्येक क्षेत्रों में महिलाओं की परियोजनाओं को हाथों में लेकर कृषि, पशु-पालन, डेरी, मीन उद्योग, हाथकरघा, दस्तकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग और रेशम उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं के कार्य तथा रोजगार को सुदृढ करने तथा विकास के कार्य करती है।

11. **अतिरिक्त लाभ भोगियों के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम :** पहली जनवरी 1986 से एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत स्कूल प्रवेश पूर्व आयु के शिशुओं और धात्री/गर्भवती स्त्रियों को गेहूं से तैयार पूरक पोषाहार दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस नए कार्यक्रम का अभिप्राय अतिरिक्त लाभ जुटाने वालों, खास तौर पर आदिम जाति क्षेत्रों, शहरी गंदी बस्तियों और पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पोषाहार देने संबंधी मौजूदा पोषाहार कार्यक्रमों की व्याप्ति के क्षेत्र को और विस्तृत करना है।

In addition, 188 ICDS projects have been taken up in the State sector. The provision covers a comprehensive training programme for Child Development Project Officers and other functionaries. The Project will cover identified nutritionally deficient backward areas in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Orissa in two phases.

3. **Day Care Centre :** The scheme is to assist voluntary organisations engaged in providing services for children (0-5 years) of poor, working and ailing women belonging mainly to the non-organised sector of labourers. The creches run under the scheme also provide health care, supplementary nutrition, medical check-up and immunisation etc. to the children, whose parents are away at work sites or are incapacitated due to sickness and are unable to look after them. The scheme is being implemented through the Central Social Welfare Board and with the help of Voluntary Organisations.

4. **Balwadi Nutrition Programme :** This programme implemented through voluntary organisations with grants-in-aid from the Central Government covers 2.29 lakh children in the age group of 3 to 5 years attending balwadis run by 5 National level organisations.

5. **Contribution to UNICEF :** Provision has been made for meeting expenditure on India's contribution to the UNICEF and administrative expenditure of its office in New Delhi.

6. **Early Childhood Education:** The scheme intends to provide pre-school education for the disadvantaged sections in rural and backward areas to broad-base and support elementary education. Early childhood education centres are set up to take care of school education.

7. **Other Schemes :** These include, mainly, provision for Balsevika & Creches Workers Training Programme, handling and clearance of duty-free aid material for child nutrition and assistance to voluntary organisations for miscellaneous activities. National Institute of Public Cooperation and Child Development is a body for training of ICDS functionaries and for organising seminars and conferences in the field of ICDS. It is also entrusted with the task of women's development.

8. **Condensed Courses for Women's Education :** The objective is to enable women to complete their education and acquire training and later employment. Under this programme voluntary organisations are given grants to conduct courses for primary/middle/higher school level examinations.

9. **Hostels for Working Women :** Assistance is given to Voluntary Organisations for the construction of Working Women's hostels to provide suitable and economical accommodation to working women and for the purchase of ready-built hostels for the purpose. Women, whose income does not exceed rupees 3,000 (consolidated) are eligible for hostel accommodation.

10. **Support to Employment Programme :** The Scheme intends to strengthen and improve women's work and employment in the areas of agriculture, animal husbandry, dairying, fisheries, handlooms, handicrafts, khadi and village industries and sericulture by taking up Women's Projects in each of these sectors.

11. **Supplementary Nutrition for Additional Beneficiaries:** A new Centrally sponsored scheme of wheat based supplementary nutrition for pre-school children and nursing/expectant mothers was introduced from 1 January 1986. The new programme is meant to enlarge the scope of the existing nutrition programme by covering additional beneficiaries, primarily in the tribal areas, urban slums and backward rural areas.

12. सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, ऐच्छिक संगठनों को अनेक प्रकार के आय उत्पन्न करने वाले कार्यों को शुरू करने, जैसे कि लघु उद्योगों, हथकरघा, दस्तकारी, डेयरी, पशुपालन आदि कार्यों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि जरूरतमंद स्त्रियों, निर्धनों, विधवाओं और परित्यक्त स्त्रियों, को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार दिलाया जा सके।

13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड : यह बोर्ड, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों के लिए कल्याण संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करता है और बच्चों, अपंग व्यक्तियों, वृद्धों तथा कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के लिए ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है।

14. प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र : यह केन्द्र समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाली स्त्रियों को अ-परम्परागत व्यवसायों का प्रशिक्षण देने और तदोपरान्त उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों तथा स्वायत्त निकायों में अनवरत आधार पर रोजगार दिलाने की व्यवस्था करते हैं। योजना को नार्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा धन राशि दी जाएगी।

15. अन्य कार्यक्रम : इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, निर्धन स्त्रियों तथा बच्चों के कल्याण, स्त्रियों के आधारिक स्तर के संगठनों को सुदृढ़ करने, स्त्रियों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए शिक्षण कार्यों तथा अल्पावधिक निवासगृहों की स्थापना करने, सहायता देने, महिला विकास निगम, राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र, लड़कियों के लिए सार्क वर्ष 1990, सफल कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी एजेन्सियों तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए आयुक्त/अखिल भारतीय महिला आयोग को आर्थिक सहायता देने के कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें पूंजी को सम्मिलित करके राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में महिला विकास निगम की स्थापना भी शामिल है। निगम महिलाओं को उनके उद्यम कौशल का विकास करने में सहायता करेगा।

12. **Socio-economic Programmes** : Under this programme, financial assistance is extended to voluntary institutions to take up a wide variety of income generating activities like small industry, handloom, handicrafts, dairy, animal husbandry etc. with the object of providing opportunities of full time or part time work to needy women, destitutes, widows and deserted women.

13. **Central Social Welfare Board** : is to provide welfare services for women and children specially in rural areas and financial and technical assistance to voluntary organisations for the welfare of children, handicapped, aged and infirm.

14. **Training-cum-Production Centres** : The scheme is for training of women belonging to weaker sections in the non-traditional trades and then employing them on sustained basis. The scheme is funded by Norwegian Agency for International Development (NORAD).

15. **Other Programmes** : Include provisions for the welfare of destitute women and children, promotion and strengthening of grass root level women's organisations, education work for prevention of atrocities on women and assistance to voluntary organisations for setting up Short Stay Homes, Women's Development Corporation, National Resource Centre for Women, the SAARC year of the Girl Child, 1990, Assistance to voluntary agencies for replication of successful programmes and Commission for Rights of Women/Statutory All India Commission on Women. It also includes provision for setting up of Women Development Corporation in States and Union Territories by way of capital participation. The Corporation helps women to develop their entrepreneurial skill.

उद्योग मंत्रालय *MINISTRY OF INDUSTRY*

मांग संख्या DEMAND No.51

औद्योगिक विकास विभाग Department of Industrial Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		50.00	34.19	84.19	243.60	33.60	277.20	70.00	101.95	171.95
पूंजी *Capital*		...	*0.12*	*0.12*	...	*0.17*	*0.17*	...	*0.12*	*0.12*
जोड़ Total		**50.00**	**34.31**	**84.31**	**243.60**	**33.77**	**277.37**	**70.00**	**102.07**	**172.07**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 1. Secretariat-Economic Services	3451	0.15	4.65	4.80	0.15	4.75	4.90	0.10	4.95	5.05
उद्योग **Industries**										
2. महानिदेशक, तकनीकी विकास 2. Director General, Technical Development.	2852	...	3.80	3.80	...	3.94	3.94	...	4.05	4.05
3. औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो 3. Bureau of Industrial Costs and Prices	2852	0.75	1.21	1.96	0.60	1.15	1.75	0.50	1.25	1.75
4. नमक आयुक्त 4. Salt Commissioner	2852	0.25	3.42	3.67	0.10	3.50	3.60	0.05	3.60	3.65
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 5. National Productivity Council	2852	0.80	1.60	2.40	0.75	1.60	2.35	1.00	1.60	2.60
	6885	...	0.05	0.05	...	0.10	0.10	...	0.05	0.05
जोड़	*Total*	*0.80*	*1.65*	*2.45*	*0.75*	*1.70*	*2.45*	*1.00*	*1.65*	*2.65*
6. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 6. National Institute of Design	2852	2.50	0.65	3.15	1.90	0.65	2.55	2.00	0.70	2.70
	6885	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
जोड़	*Total*	*2.50*	*0.67*	*3.17*	*1.90*	*0.67*	*2.57*	*2.00*	*0.72*	*2.72*
7. केन्द्रीय मशीन औजार संस्थान 7. Central Machine Tools Institute	2852	2.50	1.23	3.73	2.30	1.23	3.53	2.50	1.23	3.73
8. औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण 8. Industrial Education, Research & Training	2852	1.75	1.10	2.85	1.65	1.08	2.73	1.00	0.80	1.80
9. *अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :* 9. International Cooperation										
9.01 संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन 9.01 United Nations Industrial Development Organisation	2852	...	2.25	2.25	...	2.25	2.25	...	2.35	2.35
9.02 एशियाई उत्पादकता संगठन 9.02 Asian Productivity Organisation	2852	...	0.65	0.65	...	0.74	0.74	...	0.80	0.80
जोड़	*Total*	...	*2.90*	*2.90*	...	*2.99*	*2.99*	...	*3.15*	*3.15*
10. स्वचालित वाहन उद्योग का विकास और अनुसंधान 10. Research and Development of Automotive Industry	2852	0.60	6.15	6.75	0.50	5.30	5.80	2.00	6.30	8.30
11. राज्य व्यापार निगम को साबुन उद्योग द्वारा आयातित चरबीयुक्त अम्लों के कारण हुई हानियां पूरी करने के लिए भुगतान 11. Payment to STC. to cover losses due to imported fatty acids to soap industry	2852	...	...	...	...	...	...	...	41.53	41.53
उद्योगों और खनिजों के लिए अन्य परिव्यय - **Other Outlays on Industries and Minerals**										
12. *पिछड़े क्षेत्रों का विकास* 12. Development of Backward Areas										
12.1 औद्योगिक एककों के लिए निवेशिक आर्थिक सहायता 12.1 Investment subsidy to Industrial Units	2885	...	...	...	175.00	...	175.00	...	...	...
12.2 औद्योगिक एककों को परिवहन आर्थिक सहायता 12.2 Transport subsidy to Industrial Units	2885	...	...	...	30.00	...	30.00	10.00	...	10.00
12.3. वृद्धि केन्द्र 12.3 Growth Centres	2885	35.00	...	35.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
जोड़	*Total*	*35.00*	...	*35.00*	*235.00*	...	*235.00*	*60.00*	...	*60.00*
13. विस्फोटक पदार्थ विभाग 13. Department of Explosives	2070	...	2.64	2.64	...	2.62	2.62	...	2.70	2.70
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं **Other General Economic Services**										
14. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महा नियंत्रक 14. Controller General of Patents, Designs & Trade Marks	3475	0.50	2.90	3.40	0.45	2.90	3.35	0.50	3.30	3.80
15. आर्थिक सलाहाकार 15. Economic Adviser	3475	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50	0.60	0.05	0.54	0.59
16. मैसर्स बंगाल पोटरीज लि. में निवेश की गारंटी के लिए आई आर बी आई को अदायगी 16. Payment to IRBI for Guarantee of Investment in M/s Bengal Potteries Ltd.	2852	...	...	...	...	...	...	...	26.00	26.00
17. अन्य योजनाएं 17. Other Schemes	2852	0.10	1.44	1.54	0.10	1.39	1.49	0.30	0.25	0.55
	3601	4.90	...	4.90	...	...	...	...	...	...
	3602	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
	6860	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
जोड़	*Total*	*5.10*	*1.49*	*6.59*	*0.10*	*1.44*	*1.54*	*0.30*	*0.30*	*0.60*
कुल जोड़ ***Grand Total***		***50.00***	***34.31***	***84.31***	***243.60***	***33.77***	***277.37***	***70.00***	***102.07***	***172.07***

ग. आयोजना परिव्यय **C. Plan Outlay**

	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. इंजीनियरी उद्योग 1. Engineering Industries	12858	3.10	...	3.10	2.80	...	2.80	4.50	...	4.50
2. अन्य उद्योग 2. Other Industries	12875	11.15	...	11.15	5.10	...	5.10	4.85	...	4.85
3. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय 3. Other outlays on Industries & Minerals	12885	35.00	...	35.00	235.00	...	235.00	60.00	...	60.00
4. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 4. Secretariat - Economic Services	13451	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.10	...	0.10

(करोड़ रुपए) *(In crores of rupees)*

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 5. Other General Economic Services	13475	0.60	...	0.60	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55
जोड़ **Total**		**50.00**	...	**50.00**	**243.60**	...	**243.60**	**70.00**	...	**70.00**

1. **सचिवालय :** इसमें औद्योगिक विकास विभाग और लघु उद्योग विभाग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **महानिदेशक, तकनीकी विकास :** यह देश में उद्योगों के विनियंत्रित और एकीकृत विकास की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग और अलग-अलग उद्योगों के लिए, सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को औद्योगिक योजनाएं और नीतियां तैयार करने के काम में एक प्रमुख तकनीकी परामर्शदाता संगठन के रूप में काम करता है । यह निदेशालय आत्म निर्भरता को वांछित बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकीय विकास, औद्योगिक उत्पादकता, आयात नीतियों और आयात प्रतिस्थापन के संबंध में मामलों से संबंधित कामकाज करता है ।

3. **औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो :** इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और यह लागत घटाने, औद्योगिक कार्यकुशलता में सुधार लाने और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो को समन्वय अध्ययनों तथा आयोजना स्कीमों के रूप में शामिल ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययनों का कार्य सौंपा गया है ।

4. **नमक आयुक्त :** यह संगठन केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 और नमक उपकर अधिनियम, 1953 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है । यह नमक और आयोडीन युक्त नमक से उत्पादन तथा वितरण और देश में उस के युक्तिसंगत वितरण को भी विनियमित करता है ।

5. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद :** इसकी स्थापना 1958 में, उत्पादकता के प्रति जागरुकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, प्रयुक्त अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी ।

6. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान :** इसकी स्थापना, उद्योग में डिजाइन के प्रति रुचि पैदा करने और मिट्टी की बनी वस्तुओं के डिजाइन, उत्पादन डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन और एर्गोनोमिक्स और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है । बजट में संस्थान के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था है ।

7. **केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान :** यह एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है जो मशीनी औजार और इंजीनियरी उद्योगों को नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों और विकास के क्षेत्र में प्रोटो-टाइप के मूल्यांकन और कला प्रौद्योगिकी की स्थिति के परीक्षण के सम्बन्ध में अनुसंधान करता है । धातु काटने और उत्पादन प्रौद्योगिकी के द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे है । यह उद्योग को प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी भी देता है।

8. **औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण :** इसके अन्तर्गत भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान (पर्यावरण और वन मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान) को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं।

9. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :** इसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और एशियाई उत्पादकता संगठन को अंशदान के लिए व्यवस्था शामिल है।

10. **स्वचालित (आटोमोटिव) उद्योग का अनुसंधान और विकास :** इसके अन्तर्गत उद्योग के लिए आटोमोटिव इंजीनियरी जिसमें (i) उत्पादन का डिजाइन और विकास (ii) सड़क पर प्रयोग किए जाने की योग्यता, क्षमता और ईंधन कुशलता के लिए स्वचालित उपस्करों और सहायक उत्पादों का मूल्यांकन, और (iii) मानकीकरण तथा तकनीकी सूचना सेवाएं शामिल हैं, के अनुसंधान, विकास और उत्पाद की जांच के लिए व्यवस्था शामिल है ।

11. **साबुन उद्योग को आयातित फैटी एसिडों के कारण हुई हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम को अदायगी :** इसके अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित लांडरी साबुन उद्योग को आयातित फैटी एसिड की उचित सस्ते दामों पर सप्लाई किए जाने के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है।

12. **पिछड़े क्षेत्रों का विकास :** इस योजना के अन्तर्गत (i) राज्य सरकारों को सहायता ताकि प्रत्येक "बिना उद्योग वाले जिलों" में निर्धारित किए गए एक या अधिक विकास केन्द्रों में आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके और देश के

1. **Secretariat:** Provides for secretariat expenditure of the Department of Industrial Development and the Department of Small Scale Industries and Agro & Rural Industries.

2. **Director General, Technical Development:** Acts as the Principal Technical Advisory Organisation to various Ministries/Departments of the Central Government, Planning Commission and individual industries, both in the public and private sectors in formulating industrial plans and policies to secure regulated and integrated development of industries in the country. It deals with matters pertaining to technological development, industrial productivity, import policies and import substitution to give desired thrust to self-reliance.

3. **Bureau of Industrial Costs and Prices:** Set up in 1970, it advises the Government on various issues pertaining to cost reduction, improvement in industrial efficiency and pricing of industrial commodities. BICP has also been entrusted with Tariff Harmonisation and Energy Audit Studies included as Plan Schemes.

4. **Salt Commissioner:** The organisation is responsible for administration of Central Excise and Salt Act, 1944 and the Salt Cess Act, 1953 and the rules framed thereunder. It regulates the production, distribution of salt including iodised salt and its rational distribution in the country.

5. **National Productivity Council:** was set up in 1958 for generating productivity consciousness and providing productivity services to various sectors of the national economy through training programmes, seminars, productivity survey, applied research etc.

6. **National Institute of Design:** Set up to generate design consciousness in Industry and to provide training, research and service in Industrial designs like ceramic design, product design, apparel design and Ergonomics and Visual Communication. The budget provides for grant-in-aid to the Institute.

7. **Central Machine Tools Institute:** is a premier R & D Organisation for Machine Tool Industry providing technical assistance to engineering industries by way of development of new designs and control systems. It conducts evaluation of proto-types and research in the field of development in respect of State-of-the-Art technology for testing, metal cutting and production technology. It also provides training and technical information to the Industry.

8. **Industrial Education, Research and Training:** This covers grants given to The Indian Plywood Industries Research Institute, Indian Rubber Manufacturers Research Association and Central Pulp and Paper Research Institute. (The Indian Plywood Industries Research Institute is now under the Ministy of Environment and Forests.)

9. **International Cooperation:** Provides for contribution to United Nations Industrial Development Organisation and Asian Productivity Organisation.

10. **Research and Development of Automotive Industry:** Provides for research, development and testing of products in Automotive Engineering Industry, including(i) product design and development (ii) evaluation of automotive equipment and ancilliaries for endurance, roadworthiness and fuel efficiency and (iii) standardisation and technical information services.

11. **Payment to STC to cover losses due to imported fatty acids to soap industry:** Provides for subsidy to cover losses on fatty acids to be imported and supplied at reasonable rates to laundry soap industry, reserved for small scale sector.

12. **Development of Backward Areas:** Covers (i) assistance to State Governments to take up infrastructure development in identified growth centres in each 'No industry district' and setting up of 70 growth

पिछड़े क्षेत्रों में 70 संवर्धन केन्द्र स्थापित करना । (ii) 30.9.1988 तक अनुमोदित परियोजनाओं के लिए चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए ठेकेदारों को आर्थिक सहायता । (iii) सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से कच्चे माल और तैयार माल दोनों को लाने और ले जाने से संबंधित परिवहन लागतों पर परिवहन सहायता शामिल की गई है।

13. **विस्फोटक पदार्थ विभाग :** यह कार्यालय भारतीय, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का प्रशासन करता है । यह सभी प्राधिकारियों को इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों पर परामर्श देता है, और पुलिस, हवाई पत्तन सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि को विस्फोटक पदार्थों तथा छिपाए हुए विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण भी देता है । यह सुरक्षात्मक प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए विशेष मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय भी करता है।

14. **पेटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक :** यह कार्यालय, पेटेन्ट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 1911, ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइस मार्क अधिनियम, 1958 और पेटेन्ट सूचना सेवा का प्रशासन करता है ।

15. **आर्थिक सलाहकार :** (i) यह आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर परामर्श देता है (ii) औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति और क्षमता के उपयोग की जांच करता है और औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है (iii) ऋण नीति, ऋण आयोजना और औद्योगिक क्षेत्र तथा विशिष्ट उद्योगों के सन्दर्भ में इसकी उपलब्धता संबंधी मामलों की जांच करता है और (iv) भारत में थोक कीमतों के सरकारी सूचक अंकों का संकलन और विश्लेषण करता है ।

16. **भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को भुगतान :** इसमें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन, 1976 में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई मैसर्स बंगाल पोट्रीज लि. में प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में निवेश किए गए निवेश के कुछ भाग का भुगतान करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा डिनोटिफिकेशन स्थगित कर दिया गया है ।

17. **अन्य स्कीमें :** इसके अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् "प्रदूषण से बचाव"—चमड़ा उद्योग (पर्यावरण और वन मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है) के लिए राज्यों को अनुदान और अग्रिमों की गारंटी पूरी करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था शामिल है।

centres in the backward areas of the country, (ii) subsidy to entrepreneurs for setting up industries in selected backward districts for projects approved upto 30.9.1988 and (iii) transport subsidy on the transport costs of both raw materials and finished goods to and from industrial units in remote and inaccessible areas.

13. **Department of Explosives:** Administers the Indian Explosives Act, 1884, Petroleum Act, 1934 and the Inflammable Substances Act, 1952 and respective rules framed *thereunder*. It renders advice to all authorities on matters covered by these acts and imparts extensive training to police, airport security, senior police officials etc. in identifying explosives and deceptive devices. It also coordinates with the Bureau of Indian Standards for having specific standards for improving safety.

14. **Controller General of Patents, Designs and Trade Marks:** Administers the Patents Act, 1970, the Designs Act, 1911, the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 and Patent Information Service.

15. **Economic Adviser:** (i) renders advice on all matters of economic policies, (ii) examines trends in industrial production and capacity utilisation, assists in formulation of industrial and import policies, (iii) examines matters pertaining to credit policy, credit planning and its availability with reference to Industrial sector and specific industries and (iv) provides compilations and analysis of indices of wholesale prices in India etc.

16. **Payment to I.R.B.I. :** Provides for payment to Industrial Reconstruction Bank of India towards reimbursement of part of their investment made as authorised person in M/s. Bengal Potteries Ltd. taken over by Government in 1976 under Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as the denotification has been stayed by Calcutta High Court.

17. **Other Schemes :** Provides grants to States for a Centrally Sponsored Scheme i.e. 'Prevention of Pollution' — Leather Industry (since transferred under Ministry of Environment and Forests), and payment to IDBI in fulfilment of guarantee of advances.

उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY

मांग संख्या DEMAND No.52

भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		7.90	41.22	49.12	7.11	39.78	46.89	9.30	20.80	30.10
पूंजी	*Capital*		*173.46*	*125.25*	*298.71*	*156.52*	*125.25*	*281.77*	*159.70*	*115.74*	*275.44*
जोड़	**Total**		**181.36**	**166.47**	**347.83**	**163.63**	**165.03**	**328.66**	**169.00**	**136.54**	**305.54**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	1.48	1.48	...	1.42	1.42	...	1.49	1.49
उद्योग	**Industries**										
इंजीनियरिंग उद्योग	Engineering Industries										
2. हाई वोल्टेज डाइरेक्ट करेंट कार्यक्रम	2. High Voltage Direct Current Programme	2852	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	1.00	...	1.00
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2852	5.90	13.56	19.46	5.31	12.18	17.49	8.30	13.13	21.43
4. ब्याज सहायता	4. Interest Subsidy										
4.01 बर्न स्टैंडर्ड क. लि.	4.01 Burn Standard Company Ltd.	2852	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70	...	5.70	5.70
4.02 माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी निगम लि.	4.02 Mining And Allied Machinery Corporation. Ltd	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.03 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि.	4.03 Tungabhadra Steel Products Ltd	2852	...	0.48	0.48	...	0.48	0.48	...	0.48	0.48
4.04 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	4.04 Heavy Engineering Corporation	2852	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	...	...
जोड़		Total	...	26.18	26.18	...	26.18	26.18	...	6.18	6.18
जोड़-उद्योग	**Total-Industries**		**7.90**	**39.74**	**47.64**	**7.11**	**38.36**	**45.47**	**9.30**	**19.31**	**28.61**
5. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	5. Non Plan Loans to Public Enterprises										
सीमेंट उद्योग	**Cement Industries**										
5.01 भारतीय सीमेंट निगम	5.01 Cement Corporation of India	6854	...	25.00	25.00	...	22.50	22.50	...	20.00	20.00
इंजीनियरिंग उद्योग	**Engineering Industries**										
5.02 नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	5.02 National Instruments Ltd.	6858	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.00	1.00
5.03 भारत आपथल्मिक ग्लास लि.	5.03 Bharat Ophthalmic Glass Ltd.	6858	...	2.50	2.50	...	2.30	2.30	...	2.50	2.50
5.04 साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.04 Cycle Corporation of India Ltd	6858	...	14.00	14.00	...	14.00	14.00	...	13.00	13.00
5.05 नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.05 National Bicycle Corporation of India Ltd	6858	...	5.00	5.00	...	4.50	4.50	...	5.00	5.00
5.06 स्कूटर्स इंडिया लि.	5.06 Scooters India Ltd.	6858	...	14.00	14.00	...	17.00	17.00	...	16.00	16.00
5.07 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	5.07 Heavy Engineering Corporation Ltd.	6858	...	...	...	...	...	...	...	10.00	10.00
5.08 माईनिंग एंड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.	5.08 Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	6858	...	5.00	5.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00
5.09 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.	5.09 Engineering Projects (India) Ltd.	6858	...	...	...	...	0.20	0.20	...	...	...
5.10 पुनर्वास उद्योग निगम	5.10 Rehabilitation Industries Corporation	6858	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.50	3.50
5.11 भारत यंत्र निगम लि.	5.11 Bharat Yantra Nigam Ltd.	6858	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	10.00	10.00
5.12 भारत भारी उद्योग निगम लि.	5.12 Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	6858	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	13.00	13.00
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
5.13 टैनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.13 Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	6860	...	3.50	3.50	...	6.00	6.00	...	5.50	5.50
5.14 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.	5.14 Hindustan Paper Corporation Ltd	6860	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.15 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	5.15 Tyre Corporation of India Ltd.	6860	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	7.00	7.00
5.16 हिन्दुस्तान साल्ट लि.	5.16 Hindustan Salts Ltd	6860	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
5.17 भारत लैदर कारपोरेशन लि.	5.17 Bharat Leather Corporation Ltd	6860	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.74	0.74
जोड़		**Total**	...	**97.25**	**97.25**	...	**102.75**	**102.75**	...	**115.74**	**115.74**
6. पीएसयूएस के संबंध में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन	6. Implementation of Voluntary Retirement Schemes for PSUs										
6.01 इंजीनियरिंग उद्योग	6.01 Engineering Industries	6858	...	26.75	26.75	...	22.25	22.25	...	...	...
6.02 उपभोक्ता उद्योग	6.02 Consumer Industries	6860	...	1.25	1.25	...	0.25	0.25	...	...	...
जोड़		**Total**	...	**28.00**	**28.00**	...	**22.50**	**22.50**	...	...	...
7. सरकारी उद्योगों में निवेश	7. Investments in Public Enterprises	4854	32.00	...	32.00	28.80	...	28.80	15.00	...	15.00
		4858	35.00	...	35.00	31.50	...	31.50	31.47	...	31.47
		4860	44.75	...	44.75	40.68	...	40.68	57.58	...	57.58
		4885	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.50	...	0.50

(करोड़ रुपए In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		6854	15.00	...	15.00	13.50	...	13.50	15.00	...	15.00
		6858	30.26	...	30.26	27.24	...	27.24	20.58	...	20.58
		6860	15.95	...	15.95	14.36	...	14.36	19.07	...	19.07
		6885	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.50	...	0.50
जोड़		Total	173.46	...	173.46	156.52	...	156.52	159.70	...	159.70
कुल जोड़	*Grand Total*		*181.36*	*166.47*	*347.83*	*163.63*	*165.03*	*328.66*	*169.00*	*136.54*	*305.54*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
इंजीनियरिंग उद्योग	**Engineering Industries**										
7.01 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	7.01 Bharat Heavy Electricals Ltd.	12858	...	111.00	111.00	...	85.00	85.00	...	100.00	100.00
7.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि.	7.02 HMT Ltd	12858	5.00	45.30	50.30	4.50	57.09	61.59	12.00	35.00	47.00
7.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	7.03 Heavy Engineering Corporation Ltd.	12858	20.00	10.00	30.00	18.00	...	18.00	10.00	...	10.00
7.04 इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.	7.04 Engineering Projects (India) Ltd.	12858	1.00	...	1.00	0.90	9.50	10.40	0.50	...	0.50
7.05 माइनिंग एंड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लि.	7.05 Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.	12858	3.00	3.50	6.50	2.70	...	2.70	4.00	...	4.00
7.06 मारुति उद्योग लिमिटेड	7.06 Maruti Udyog Limited	12858	...	140.00	140.00	...	112.99	112.99	...	40.00	40.00
7.07 स्कूटर्स इंडिया लि.	7.07 Scooters India Ltd.	12858	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
7.08 नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.	7.08 National Instruments Ltd.	12858	0.50	1.00	1.50	0.45	...	0.45	0.85	0.65	1.50
7.09 हिन्दुस्तान केबल्स लि.	7.09 Hindustan Cables Ltd.	12858	...	72.00	72.00	...	86.10	86.10	...	75.00	75.00
7.10 इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	7.10 Instrumentation Ltd.	12858	4.00	4.00	8.00	3.60	3.28	6.88	2.00	6.00	8.00
7.11 भारत आपथैल्मिक ग्लास लि.	7.11 Bharat Opthalmic Glass Ltd.	12858	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	1.00	...	1.00
7.12 साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.12 Cycle Corporation of India Ltd.	12858	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
7.13 नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.13 National Bicycle Corporation of India Ltd.	12858	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.10	...	0.10
7.14 एन्ड्रयु यूले एंड कम्पनी लि.	7.14 Andrew Yule and Co. Ltd.	12858	...	16.00	16.00	...	13.66	13.66	...	16.00	16.00
7.15 पुनर्वास उद्योग निगम लि.	7.15 Rehabilitation Industries Corporation Ltd.	12858	0.50	...	0.50	0.45	...	0.45	0.10	...	0.10
7.16 प्रागा टूल्स निगम लि.	7.16 Praga Tools Ltd.	12858	1.00	3.00	4.00	0.90	2.27	3.17	1.00	2.00	3.00
7.17 भारत यंत्र निगम लि.	7.17 Bharat Yantra Nigam Ltd.	12858	13.56	4.94	18.50	12.20	...	12.20	6.50	5.00	11.50
7.18 भारत भारी उद्योग निगम लि.	7.18 Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd.	12858	16.30	6.50	22.80	14.67	3.70	18.37	13.80	4.65	18.45
7.19 द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान	7.19 Fluid Control Research Institute	12858	...	0.20	0.20	...	...	...	...	0.20	0.20
जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग	**Total - Engineering Industries**		**65.26**	**417.44**	**482.70**	**58.74**	**373.59**	**432.33**	**52.05**	**284.50**	**336.55**
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
7.20 भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	7.20 Bharat Leather Corporation of India Ltd	12860	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.65	...	0.65
7.21 टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.21 Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.	12860	0.10	...	0.10	0.09	...	0.09	0.50	...	0.50
7.22 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड	7.22 Hindustan Paper Corporation Ltd	12860	16.00	6.00	22.00	14.40	...	14.40	5.00	...	5.00
7.23 एन.ई.पी.ए. लि.	7.23 NEPA Ltd	12860	20.00	31.70	51.70	18.00	2.00	20.00	15.00	2.00	17.00
7.24 हिन्दुस्तान साल्टस लि.	7.24 Hindustan Salts Ltd.	12860	1.50	0.50	2.00	1.36	...	1.36	1.50	0.50	2.00
7.25 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि.	7.25 Hindustan Photofilms Manufacturing Co. Ltd.	12860	4.00	48.00	52.00	4.00	55.00	59.00	27.00	45.00	72.00
7.26 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.26 Tyre Corporation of India Ltd.	12860	19.00	5.00	24.00	17.10	...	17.10	27.00	...	27.00
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	**Total - Consumer Industries**		**60.70**	**91.20**	**151.90**	**55.04**	**57.00**	**112.04**	**76.65**	**47.50**	**124.15**
सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	**Cement & Non-metallic Mineral Industries**										
7.27 सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	7.27 Cement Corporation of India Ltd	12854	47.00	20.00	67.00	42.30	...	42.30	30.00	50.00	80.00
उद्योगों पर अन्य परिव्यय	**Other Outlays on Industries**										
7.28 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	7.28 National Industrial Development Corporation Ltd.	12885	0.50	1.00	1.50	0.44	...	0.44	1.00	...	1.00
जोड़	**Total**		173.46	529.64	703.10	156.52	430.59	587.11	159.70	382.00	541.70
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.बा.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. इंजीनियरिंग उद्योग	1. Engineering Industries	12858	73.16	417.44	490.60	65.85	373.59	439.44	61.35	284.50	345.85
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	60.70	91.20	151.90	55.04	57.00	112.04	76.65	47.50	124.15
3. सीमेंट और धातु-भिन्न खनिज उद्योग	3. Cement and Non-metallic mineral Industries	12854	47.00	20.00	67.00	42.30	...	42.30	30.00	50.00	80.00
4. उद्योगों पर अन्य परिव्यय	4. Other Outlays on Industries	12885	0.50	1.00	1.50	0.44	...	0.44	1.00	...	1.00
जोड़	Total		181.36	529.64	711.00	163.63	430.59	594.22	169.00	382.00	551.00

1. सचिवालय : इसके अंतर्गत भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. हाई वोल्टेज डाइरेक्ट करंट कार्यक्रम : यह हाई स्पीड एच. वी. डी. सी. पारेषण के लिए देश में प्रौद्योगिकी के विकास की योजना है। यह योजना इलेक्ट्रानिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारी उद्योग विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है। निचले सिल्लेरू (आन्ध्र प्रदेश) और बसरूर (मध्य प्रदेश) के बीच पारेषण लाइन के लिए व्यवस्था की गई है।

3. अन्य व्यय : इसके अन्तर्गत बी.पीएम.ई.एल और एस. आई.एल. को अपने कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए अनुदान और बर्न एण्ड कम्पनी लि., इण्डियन स्टैण्डर्ड वेगन कम्पनी लि., ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि. आदि के राष्ट्रीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा प्राप्तियों में कमी के लिए व्यवस्था की गई है।

4. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता : इसके अन्तर्गत बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लि., और तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. को आर्थिक सहायता शामिल है।

5. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण : नकद हानियों को पूरा करने के लिए और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने के लिए है।

6. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना : इसमें सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी मार्ग निर्देशों पर आधारित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न-ऋणों द्वारा बजटीय समर्थन दिया जाता है।

7. सरकारी उद्यमों में निवेश : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए ऋण और इक्विटी के ज्यादातर 50 : 50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास उप नगर आदि संबंधी स्कीमों को शुरू किया जा सके या जारी रखा जा सके ताकि उनके कार्य निष्पादन और लाभ में सुधार हो सके।

7.01 भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड : यह कम्पनी विद्युत और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए ऊर्जा उत्पादन उपस्कर, पारेषण और ढुलाई उपस्करों के विनिर्माण, पूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। कम्पनी ने टर्नकी आधार पर भारत और विदेशों में विद्युत स्टेशन सप्लाई किए हैं।

7.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि. : 1953 में स्थापित, धीरे-धीरे देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैली हुई 16 इकाईयों और 22उत्पादन प्रभागों के साथ एक प्रमुख बहु इकाई और बहु-उत्पादन कम्पनी बन गई है। यह कम्पनी हाई प्रिसिशन मशीन टूल, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रैक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही है।

7.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड : 1958 में निगमित की गई थी, इसमें तीन इंजीनियरी इकाइयां शामिल हैं - हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, दी हैवी मशीन टूल संयंत्र और फाउन्डरी फोर्ज संयंत्र। यह कम्पनी इस्पात संयंत्र उपस्कर, उत्खनन, प्लानिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कास्टिंग और फोरजिंग का भी उत्पादन करती है।

7.04 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. : इसकी स्थापना 1970 में सात सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के सहायता संघ के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य मुख्य संविदाकारी कम्पनी के रूप में कार्य करते हुए भारत और विदेश में टर्नकी आधार पर औद्योगिक परियोजनाएं प्राप्त करना है। जिनमें विभिन्न परियोजनाएं लौह, अलौह और संबंधित उद्योग, सिविल और संरचनात्मक कार्य, सामग्री संचालन से संबंधित परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

7.05 माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि. : इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कम्पनी का उद्देश्य भूमिगत कोयला खनन के लिए उपस्कर हेतु कोयला खनन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

7.06 मारुति उद्योग लिमिटेड : यह ईंधन के कुशल प्रयोग वाली यात्री कारों तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हल्के वाणिज्यिक वाहनों के

1. Secretariat: It provides for secretariat expenditure of the Department of Heavy Industry.

2. High Voltage Direct Current Programme: The Scheme is for indigenous development of technology of high speed HVDC transmission. It is being implemented jointly by the Department of Electronics, Department of Atomic Energy and the Department of Heavy Industry. Provision has been made for the transmission line between Lower Sileru (AP) and Basroor (MP).

3. Other Expenditure: Provides mainly for grants to BPMEL & SIL for payment of compensations to staff and shortfall in the realisation by nationalised banks consequent on the nationalisation of Burn and Company Ltd., Indian Standard Wagon Company Ltd., Braithwaite and Company (India) Ltd. etc.

4. Interest Subsidy: Subsidy to Burn Standard Co. Ltd., and Tungabhadra Steel Products Ltd.

5. Non-Plan Loans to Public Enterprises: To meet cash losses and to provide working capital requirements.

6. Voluntary Retirement Schemes : Provides for budgetary support by way of non-plan loans to the Public Sector Enterprises for implementation of the Voluntary Retirement Schemes based on the guidelines issued by the Bureau of Public Enterprises.

7. Investment in Public Enterprises: Provides for budgetary support by way of loans and equity mostly in the ratio of 50 : 50 to the PSUs for taking up continuing schemes for development, diversification, renewal & replacement, modernisation, research & development, township, etc. to improve their performance and profitability.

7.01. **Bharat Heavy Electricals Ltd.:** It is engaged in the manufacture, supply, erection and commissioning of power generating equipment, transmission and transportation equipment for power boards and other core sectors of the economy like steel, fertilizer, metallurgical and mineral industries. The Company has supplied power stations on turnkey basis in India and abroad.

7.02. **Hindustan Machine Tools Ltd.:** Established in 1953 has steadily grown into a major multi-unit and multi-product company with 16 units and 22 product divisions, spread over in 10 different States of the Country. The Company is engaged in the production of high precision machine tools, printing machinery, lamp and lamp making machinery, tractors, wrist watches, horological machines and dairy machinery.

7.03. **Heavy Engineering Corporation Ltd.:** Incorporated in 1958, it comprises three engineering units - the Heavy Machine Building Plant, the Heavy Machine Tools Plant and the Foundry Forge Plant. It produces steel plant equipment, excavators, planing machines, boring machines and also castings and forgings.

7.04. **Engineering Projects (India) Ltd.:** Was established in 1970 as a consortium of seven Public Sector Units with the objective of operating as a prime contracting company for securing industrial projects on turnkey basis in India and abroad in various disciplines like ferrous, non-ferrous and allied industries, civil and structural works, material handling projects, etc.

7.05. **Mining and Allied Machinery Corporation Ltd.:** Was incorporated in 1965 with the objective of meeting the requirements of the coal mining industry for equipment for underground coal mining.

7.06. **Maruti Udyog Limited:** It was incorporated in February, 1981 after taking over the assets of the erstwhile Maruti Limited to

निर्माण के लिए भूतपूर्व मारुति लिमिटेड की परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करके फरवरी, 1981 में निगमित की गई थी । जैसाकि मूल परियोजना में दिया गया था, परियोजना ने पूर्व उत्पादन क्षमता का उपयोग किया है । सरकार ने बाद में कम्पनी के 1000 सी. सी. की तीन बक्सों वाली कारों के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । 3 बक्स वाली कारों का उत्पादन अक्टूबर, 1990 में शुरू हुआ है ।

7.07 **स्कूटर्स इण्डिया लि.** : लखनऊ में स्थित है । इसका निगमन सितम्बर, 1972 में किया गया था और यह स्कूटर और तिपहिया स्कूटरों का निर्माण कर रही है ।

7.08 **नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स लि.** : यह कम्पनी जून, 1957 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित की गई थी । इस कम्पनी ने भूतपूर्व मैथेमैटिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स आफिस की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का अधिग्रहण किया । यह कम्पनी विभिन्न किस्म के सर्वेक्षण और असाप्टिकल उपस्करों का उत्पादन और व्यापार कर रही है।

7.09 **हिन्दुस्तान केबल्स लि.** : यह कम्पनी भारत में आधुनिक दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है । इसके रूपनारायण पुर और हैदराबाद में दो कारखाने है । कंपनी ने इलाहाबाद में एक और आप्टीकल फाइबर केबलस फैक्टरी स्थापित की है ।

7.10 **इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि.** : इसकी स्थापना, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि तापीय विद्युत संयंत्र, इस्पात संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों, तेल शोधन कारखानों और अन्य प्रक्रिया संयंत्रों को इन्स्ट्रूमेंटेशन और नियंत्रण प्रणालियां प्रदान करने में अधिकतम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्च, 1964 में की गई थी । इसकी दो उत्पादन इकाइयां हैं - एक कोटा में और दूसरी पालघाट में ।

7.11 **भारत आप्थलमिक ग्लास लिमिटेड** : इसकी स्थापना अप्रैल, 1972 में की गई थी। यह कम्पनी आप्थलमिक ब्लैंक, फ्लिन्ट बटन, चश्मों के शीशों का निर्माण कर रही है।

7.12 **भारतीय साईकिल निगम लिमिटेड** : इस कम्पनी की स्थापना, मैसर्स सेन रैले के स्वामित्व वाले उपक्रम का राष्ट्रीकरण कर के अक्टूबर, 1980 में की गई थी । इसके दो विनिर्माण एकक हैं - एक आसनसोल में और दूसरा कल्याणी में, जो 'रेले' ब्रान्ड नाम के अंतर्गत बाइसिकिलों का निर्माण कर रहे हैं।

7.13 **भारतीय राष्ट्रीय बाईसिकिल निगम लि.** : इस कम्पनी की स्थापना मैसर्स हिंद साईकिल लिमिटेड के स्वामित्व वाले उपक्रम का राष्ट्रीयकरण करके अक्टूबर, 1980 में की गई थी इसके 'हिंद' ब्रांड नाम से साइकिलों के दो निर्माण एकक-एक गाजियाबाद में और दूसरा बम्बई में है ।

7.14 **एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि.** : प्राथमिक रूप से विनिर्माण कार्यकलापों में संलग्न है, इस समय इस कम्पनी के आठ एकक है जो औद्योगिक पंखे और चाय की मशीने, एच. टी और एल. टी बिजली के उपस्कर, कान्ट्रेक्टर, ओवरलोड रिले, मोल्डीड केस सरकिट ब्रेकरस, विद्युत और वितरण ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, कनवेयर बैल्ट, फैन और वी बैल्ट, वायु-प्रदुषण नियंत्रण उपस्कर का निर्माण और चाय उत्पादन का काम करते हैं ।

7.15 **पुनर्वास उद्योग लि.** : इसकी स्थापना भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अप्रैल, 1959 में की गई थी । निगम के 13 एकक हैं जो विभिन्न किस्म की वस्तुओं जैसे हथकरघा वस्त्र, पोलिएस्टर सूटिंग और शर्टिंग, साज-समान के कपड़े और तुर्की तौलिए, चमड़े के उत्पाद, सिले-सिलाए परिधान, डिब्बा बंद फल, स्टील फर्नीचर, आयरन कास्टिंग और कृत्रिम इस्पात ढांचों का उत्पादन करते है ।

7.16 **प्राग टूल्स लि.** : इस कम्पनी के तीन प्रभाग है अर्थात् (i) सिकन्दराबाद में मशीन टूल प्रभाग (ii) हैदराबाद में फोर्ज और फाउन्डरी प्रभाग और (iii) सी.एन.सी.प्रभाग । यह कम्पनी फरवरी, 1988 से एच.एम.टी.लि. की सहायक कम्पनी बन गई है । इस समय कम्पनी के मुख्य उत्पाद ये है : कटर और टूल ग्राइन्डर, सरफेस ग्राइन्डर, यूनीवर्सल मिलिंग मशीनें, कोपिंग लेथ, थ्रैड बोल्टिंग मशीनें और ड्रिलिंग मशीन फोरजिंग और उपकरण ।

7.17 **भारत यंत्र निगम लि.** : इसे जुलाई, 1986 को छः सहायक कम्पनियों अर्थात् भारत हैवी प्लेट्स एंड वाल्यूस, भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर लि., त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., रिचर्डसन एंड कुडास लि., और ब्रिज एंड रूफ कम्पनी लि., के साथ धारक कम्पनी के रूप

manufacture fuel efficient passenger cars and light commercial vehicles based on the latest technology. The project has already been completed with full production capacity, as envisaged in the original project. The Government had later approved the Company's proposal to manufacture 1000 cc, 3-box car. The production of 3-box car has commenced in October, 1990.

7.07. **Scooters India Ltd.:** Located at Lucknow it was incorporated in September 1972 and is engaged in the manufacture of scooters and three wheelers.

7.08. **National Instruments Ltd.:** It was incorporated in June, 1957 under Companies Act, 1956. It took over the assets and liabilities of the erstwhile Mathematical Instruments Office. It is engaged in production and trade of various types of survey and optical instruments.

7.09. **Hindustan Cables Ltd.:** It is engaged in the manufacture of sophisticated telecommunication cables in India. It has got two factories at Rupnarainpur and Hyderabad. The Company has setup another factory at Allahabad for the manufacture of optical fibre cables.

7.10. **Instrumentation Ltd.:** It was established in March, 1964 with the objective of attaining maximum self-reliance in providing instrumentation and control systems to key sectors of economy such as Thermal Power Plants, Steel Plants, Fertilizer Plants, Refineries and other process plants. It has two production Units - one at Kota and the other at Palghat.

7.11. **Bharat Ophthalmic Glass Ltd.:** It was set up in April, 1972. The Company is engaged in the manufacture of flint buttons, optical glass, radiation shielding windows, etc.

7.12. **Cycle Corporation of India Ltd.:** This was formed in October, 1980 by nationalising the undertakings owned by M/S Sen-Raleigh Ltd. It has got two manufacturing units - one at Asansol and another at Kalyani, manufacturing bicycles under the brand name 'Raleigh'.

7.13. **National Bicycle Corporation of India Ltd.** Was formed in October, 1980 by nationalising the undertaking owned by M/s Hind Cycles Ltd. It has got two manufacturing units - one at Bombay and another at Ghaziabad, manufacturing cycles with brand name 'Hind'.

7.14. **Andrew Yule and Company Ltd.:** Primarily involved in manufacturing activities, the Company at present has eight units which manufacture industrial fans and tea machinery, HT & LT electrical equipment, contactors, overload relays, moulded case circuit breakers, power distribution transformers, switchgears, conveyor belts, fans & V - belts, air pollution control equipment and production of tea.

7.15. **Rehabilitation Industries Corporation Ltd.:** Was set up in April, 1959 with the object of providing employment for displaced persons from former East Pakistan. The Corporation has 13 units which produce a variety of articles like handloom textiles, polyester suiting and shirtings, furnishing fabrics and turkish towels, leather products, ready-made garments, canned fruit, steel furniture, iron castings and fabricated steel structure.

7.16. **Praga Tools Ltd.:** The Company has three Divisions, *viz* (i) Machine Tool Division at Secunderabad (ii) Forge and Foundry Division at Hyderabad and (iii) CNC Division. The company has become a subsidiary of H.M.T Ltd. from February, 1988. The main products of the Company at present are cutters and tool grinders, surface grinder, universal milling machines, copying lathes, thread volting machines and drilling machines forgings and accessories.

7.17. **Bharat Yantra Nigam Limited:** It was incorporated as a Holding Company in July, 1986 with six subsidiaries, namely, Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd., Bharat Pumps and Compressors Ltd., Triveni Structurals Ltd., Tungabhadra Steel Products Ltd., Richardson

में निगमित किया गया । कम्पनी का निगमित कार्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है । बजट अनुमान 1991-92 में प्रावधान कम्पनी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायक कम्पनियों को बजटीय सहायता देने के लिए है.

7.18 **भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड** : इसे सितम्बर, 1986 में सात सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लि., जेसप एंड कम्पनी लि., ब्रेथवेट एंड कम्पनी लि., भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लि., भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि., बी. बी. जे. कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि., और लगन जूट कम्पनी लि. सहित धारक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया जिसका निगमित कार्यालय कलकत्ता में है । बजट अनुमान 1991-92 में प्रावधान कम्पनी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सहायक कम्पनियों को बजटीय सहायता देने के लिए है.

7.19 **द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान (एफ.सी.आर.आई.)** : द्रव्य नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की स्थापना द्रव्य उपायों तथा नियंत्रण उपायों से संबंधित गतिविधियों को अपनाने के लिए तथा न केवल इस देश में बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भी प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए यू.एन.डी.पी. परियोजना के रूप में की गई थी ।

7.20 **भारत लैदर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.** : इसकी स्थापना चमड़े की वस्तुओं के उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए मार्च, 1976 में की गई थी । इसका उद्देश्य आवश्यक आधारभूत ढांचे का सृजन करना और देश में प्रौद्योगिकी का सुधार करना और चमड़ा कामगारों के उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करना है ।

7.21 **भारत टेनरी तथा फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड** : इसकी स्थापना 1969 में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के रुग्ण एककों, जिन का नाम कूपर एलन और नोर्थवेस्ट टेनरी ब्रांच है, को अपने हाथ में लेने के लिए की गई थी तथा यह चमड़े के सज्जित जूतों और जूते के संघटकों का उत्पादन करती है।

7.22 **हिन्दुस्तान कागज निगम लि.** : देश में इस निगम की स्थापना, मई, 1970 में लुगदी/कागज/अखबारी कागज के निर्माण करने के उद्देश्य से की गई है । इसकी दो इकाइयां और 3 सहायक कम्पनियां हैं । हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड अपनी कमियों को दूर करने और अपनी इकाइयों और सहायक कम्पनियों में उत्पादन को सुदृढ़ बनाने में लगी हैं ।

7.23 **नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि.** : भारत सरकार ने मिल का नियंत्रण 1958 में अपने हाथ में ले लिया । एक नई खोई पर आधारित अखबारी कागज परियोजना 414.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अलीगंज, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित की जानी है । जब यह कार्यान्वित हो जाएगी तो यह परियोजना अखबारी कागज की पूर्ति में देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी।

7.24 **हिन्दुस्तान साल्टस लि.** : इसकी स्थापना अप्रैल, 1958 में की गई थी । यह कम्पनी नमक और ब्रोमीन के उत्पादन और बिक्री करने के काम में लगी हुई है । इसकी एक सहायक कम्पनी है जिसका नाम सांभर साल्टस लिमिटेड है ।

7.25 **हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि.** : यह कम्पनी नवम्बर, 1960 में निगमित की गई थी । यह कम्पनी संवेदनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (काली और सफेद), सिने फिल्म ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों का निर्माण कर रही है । यह कम्पनी जम्बो रोल्स, सिने कलर पाजिटिव फिल्म, अमेच्योर रोल फिल्म, आदि का आयात करती है और उन्हें तैयार उत्पादों में परिवर्तित करती है।

7.26 **टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड** : फरवरी 1984 में इसकी स्थापना की गई जिसमें मैसर्स इन्चेक टायर लिमिटेड और राष्ट्रीय रबड़ विनिर्माण लिमिटेड जैसे राष्ट्रीय उपक्रमों को शामिल किया गया । इस उपक्रम में आटोमोबाइल और साइकिल टायरों और ट्यूबों और अन्य रबड़ से बनी वस्तुओं जैसे कि फेन और वी-बैल्टों का उत्पादन किया जाता है ।

7.27 **भारतीय सीमेंट कारपोरेशन** : इसकी स्थापना जनवरी, 1965 में की गई थी । इसका उद्देश्य देश में सीमेंट के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में सीमेंट कारखानों की स्थापना करना है। इसके 10 एकक कार्य कर रहे हैं।

7.28 **राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.** : की स्थापना 1954 में देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी । इसके प्रचालन क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएँ, सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएँ, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी उन्नयन शामिल हैं ।

and Cruddas Ltd., and Bridge and Roof Co. Ltd. The Corporate Office of the Company is at Allahabad, Uttar Pradesh. Provision in Budget Estimates 1991-92 is to meet Company's own requirements and to provide budgetary support to the subsidiaries.

7.18 **Bharat Bharl Udyog Nigam Limited:** Incorporated in September, 1986 as a Holding Company consisting of seven Public Sector Enterprises, viz. Burn Standard Co. Ltd.; Jessop and Co. Limited, Braithwaite & Co. Limited, Bharat Wagon and Engineering Company Limited, Bharat Process and Mechanical Engineers Limited, BBJ Construction Company Limited, and Lagan Jute Machinery Company Ltd., with corporate office at Calcutta. Provision in Budget Estimates 1991-92 is to meet Company's own requirements and to provide budgetary support to the subsidiaries.

7.19. **Fluid Control Research Institute (FCRI)** : The Fluid Control Research Institute has been established at Palghat as a UNDP Project for undertaking activities connected with flow measuring and control devices and to provide the basic framework for technology development and flow products not only for this country but also for South-East Asia.

7.20. **Bharat Leather Corporation of India Ltd.:** Was set up in March, 1976 for the promotion and development of leather and leather goods industry. Its objective is to create necessary infrastructure and also to improve technology in the country and to provide assistance in marketing the products of leather workers.

7.21. **Tannery and Footwear Corporation of India Ltd.:** Was incorporated in 1969 by taking over and amalgamation of the sick units of British India Corporation, namely, Cooper Allen and North West Tannery Branches. It manufactures finished leather footwear, and footwear components.

7.22. **Hindustan Paper Corporation Ltd.:** Was set up in May, 1970 with the objective of establishing pulp and paper and newsprint mills in the country. It has got 2 units and 3 subsidiaries. Hindustan Paper Corporation Limited is in the process of removing bottlenecks and stabilising the production in its units and subsidiaries.

7.23. **National Newsprint and Paper Mills Ltd.:** The Government of India took over the controlling interest of the Mill in 1958. A new bagasse-based newsprint project is to be set up at Aliganj, District Moradabad, Uttar Pradesh at an estimated cost of Rs. 414.46 crores. When implemented, this project will take the country towards self-sufficiency in supply of newsprint.

7.24. **Hindustan Salts Ltd.:** It was set up in April, 1958. It is engaged in the manufacture and sale of salt and bromine. It has a subsidiary company called Sambhar Salts Limited.

7.25. **Hindustan Photo Films Mfg. Company Limited:** Incorporated in November, 1960, it is engaged in the manfuacture of photo-sensitised films, cine positive (black and white), cine films sound negative, medical x-ray films etc. It also imports jumbo rolls, cine colour positive films, amateur roll films, etc. and converts them into finished products.

7.26. **Tyre Corporation of India Ltd.:** Was incorporated in February, 1984 in which the nationalised undertakings of two sick companies, i.e., M/s Inchek Tyres Ltd. and National Rubber Manufacturers Ltd. have been vested. It produces automobile and cycle tyres and tubes and other rubber goods like fan, V-belts etc.

7.27. **Cement Corporation of India Ltd.:** It was established in January, 1965 with the objective of setting up cement factories in public sector to achieve self-sufficiency in cement production in the country. It has got 10 operating units.

7.28. **National Industrial Development Corporation Ltd.:** was established in 1954 to promote the country's industrial development. Its field of operation covers industrial projects, civil engineering projects, energy and technological upgradation.

उद्योग मंत्रालय *MINISTRY OF INDUSTRY*

मांग संख्या DEMAND No.53

सरकारी उद्यम विभाग Department of Public Enterprises

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		...	1.38	1.38	...	1.27	1.27	...	1.41	1.41
पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ Total		...	**1.38**	**1.38**	...	**1.27**	**1.27**	...	**1.41**	**1.41**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं 1.Secretariat-Economic Services	3451	...	1.27	1.27	...	1.14	1.14	...	1.28	1.28
2. अन्य व्यय 2.Other Expenditure	2852	...	0.11	0.11	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
कुल जोड़ ***Grand Total***		...	*1.38*	*1.38*	...	*1.27*	*1.27*	...	*1.41*	*1.41*

1. **सचिवालय :- आर्थिक सेवाएं :** इसके अन्तर्गत सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।
2. **अन्य व्यय :** इसके अन्तर्गत, विकासशील देशों के सार्वजनिक उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की सदस्यता के लिए भारत के अंशदान, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है और निष्पादन में श्रेष्ठता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुरस्कार प्रदान करने पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

1. **Secretariat - Economic Services :** Provides for Secretariat Expenditure.
2. **Other Expenditure :** Includes provision for India's contribution to the membership of International Centre for Public Enterprises for Developing Countries of which India is a founder member and for meeting expenditure on grants of awards to public sector undertakings for excellence in performance.

उद्योग मंत्रालय *MINISTRY OF INDUSTRY*

मांग संख्या DEMAND No.54

लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग विभाग

Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		204.76	97.77	302.53	192.97	97.55	290.52	220.84	99.64	320.48
पूंजी	*Capital*		*125.72*	*151.28*	*277.00*	*111.57*	*146.96*	*258.53*	*137.63*	*150.28*	*287.91*
जोड़	**Total**		**330.48**	**249.05**	**579.53**	**304.54**	**244.51**	**549.05**	**358.47**	**249.92**	**608.39**
लघु उद्योग	**Small-Scale Industries**										
1. लघु उद्योग विकास आयुक्त	1. Development Commissioner for Small-Scale Industries	2851	0.40	2.25	2.65	0.40	2.32	2.72	0.40	2.40	2.80
2. लघु उद्योगों के विकास के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अनुदान	2. Grants to National Small Industries Corpn. for development of Small Scale Industries	2851	5.30	4.50	9.80	4.80	4.25	9.05	5.30	4.50	9.80
3. ऋण गारंटी योजना	3. Credit Guarantee Scheme	2851	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
4. अन्य लघु उद्योग योजनाएं	4. Other Small-Scale Industries Schemes	2851	15.20	16.82	32.02	13.73	16.78	30.51	27.41	17.53	44.94
		3601	4.42	...	4.42	4.22	...	4.22	4.03	...	4.03
		3602	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	0.12	...	0.12
		4851	1.24	...	1.24	1.24	...	1.24	1.48	...	1.48
		6851	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02
		7601	0.46	...	0.46	0.46	...	0.46	1.90	...	1.90
		7602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.08	...	0.08
जोड़		*Total*	*21.57*	*16.82*	*38.39*	*19.90*	*16.78*	*36.68*	*35.04*	*17.53*	*52.57*
5. शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना	5. Scheme for providing self-employment for educated unemployed	2851	57.00	...	57.00	53.00	...	53.00	57.00	...	57.00
खादी तथा ग्रामोद्योग	**Khadi & Village Industries**										
6. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	6. Khadi and Village Industries Commission										
6.01 खादी उद्योग	6.01 Khadi Industries	2851	50.30	39.00	89.30	47.30	39.00	86.30	50.30	40.00	90.30
6.02 अन्य ग्रामोद्योग	6.02 Other Village Industries	2851	20.70	...	20.70	18.70	...	18.70	20.70	...	20.70
जोड़		*Total*	*71.00*	*39.00*	*110.00*	*66.00*	*39.00*	*105.00*	*71.00*	*40.00*	*111.00*
7. नारियल जटा उद्योग	7. Coir Industries	2851	5.90	1.15	7.05	5.55	1.15	6.70	6.00	1.21	7.21
		3601	0.26	...	0.26	0.26	...	0.26	0.28	...	0.28
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
		6851	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
		7601	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.65	...	0.65
		7602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*6.75*	*1.20*	*7.95*	*6.40*	*1.20*	*7.60*	*7.00*	*1.26*	*8.26*
8. जिला उद्योग केन्द्र	8. District Industries Centres	2851	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
		3601	18.60	...	18.60	18.40	...	18.40	18.70	...	18.70
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10
		6851	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		7601	2.50	...	2.50	2.35	...	2.35	2.50	...	2.50
		7602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*22.00*	...	*22.00*	*21.65*	...	*21.65*	*22.00*	...	*22.00*
9. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	9. Interest Subsidies										
9.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	9.01 National Small Industries Corporation	2851	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
9.02 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खादी उद्योग)	9.02 Khadi and Village Industries Commission (Khadi Industries)	2851	12.00	23.00	35.00	12.00	23.00	35.00	14.00	23.00	37.00
9.03 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (अन्य ग्रामोद्योग)	9.03 Khadi and Village Industries Commission (Other Village Industries)	2851	8.00	11.00	19.00	8.00	11.00	19.00	10.00	11.00	21.00
जोड़		*Total*	*20.00*	*34.00*	*54.00*	*20.00*	*34.00*	*54.00*	*24.00*	*34.00*	*58.00*
जोड़		*Total*	*20.20*	*34.00*	*54.20*	*20.20*	*34.00*	*54.20*	*24.20*	*34.00*	*58.20*
10. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	*10. Non-Plan Loans to Public Enterprises*										
10.01 खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	10.01 Khadi and Village Industries Commission	6851	...	151.00	151.00	...	146.73	146.73	...	150.00	150.00
10.02 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	10.02 National Small Industries Corporation	6851	...	0.10	0.10	...	0.05	0.05	...	0.10	0.10
जोड़		Total	...	151.10	151.10	...	146.78	146.78	...	150.10	150.10
11. सरकारी उपक्रमों में निवेश	11. Investment in Public Enterprises	4851	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	15.50	...	15.50
		6851	114.00	...	114.00	100.00	...	100.00	115.00	...	115.00
जोड़		*Total*	*120.50*	...	*120.50*	*106.50*	...	*106.50*	*130.50*	...	*130.50*

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
12. अन्य योजनाएं	12.Other Schemes	2851	0.56	0.05	0.61	0.49	0.05	0.54	0.78	...	0.78
		4851	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.25	...	0.25
		6851	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13	...	0.13	0.13
जोड़		*Total*	*0.76*	*0.18*	*0.94*	*0.69*	*0.18*	*0.87*	*1.03*	*0.13*	*1.16*
कुल जोड़	*Grand Total*		*330.48*	*249.05*	*579.53*	*304.54*	*244.51*	*549.05*	*358.47*	*249.92*	*608.39*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	**Village & Small Industries**										
11.01 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	11.01 National Small Industries Corporation	12851	6.50	...	6.50	6.50	...	6.50	5.50	...	5.50
11.02 लघु उद्योग विकास बैंक आफ इंडिया	11.02 Small Industries Development Bank of India	12851	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
11.03 के.वी.आई.सी.- खादी उद्योग	11.03 KVIC - Khadi Industries	12851	40.00	...	40.00	35.00	...	35.00	40.00	...	40.00
11.04 के.वी.आई.सी.- अन्य ग्राम उद्योग	11.04 KVIC - Other Village Industries.	12851	74.00	...	74.00	65.00	...	65.00	75.00	...	75.00
11.05 अन्य निकाय/संस्थान	11.05 Other Bodies / Institutions	12875	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*120.50*	...	*120.50*	*106.50*	...	*106.50*	*130.50*	...	*130.50*
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1. Village & Small Industries	12851	332.23	...	332.23	307.49	...	307.49	360.12	...	360.12
जोड़		*Total*	*332.23*	...	*332.23*	*307.49*	...	*307.49*	*360.12*	...	*360.12*

* *इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।*

* *Inclusive of Works Outlay provided in the Demands of Ministrty of Urban Development.*

मांग संख्या 78	Demand No 78	12851	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.15	...	0.15
मांग संख्या 79	Demand No 79	12851	1.50	...	1.50	2.70	...	2.70	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*1.75*	...	*1.75*	*2.95*	...	*2.95*	*1.65*	...	*1.65*

1. **लघु उद्योग विकास आयुक्त** : यह देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के समन्वय हेतु प्रमुख अभिकरण है । यह, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, विस्तार केन्द्रों, क्षेत्रीय जांच केन्द्रों आदि के माध्यम से छोटी इकाइयों को बहुत सी सुविधाएं तथा सेवाएं भी प्रदान करता है जिनमें प्रौद्योगिकीय-आर्थिक-प्रबन्धकीय पहलुओं में सलाह देना, विपणन, निर्यात आदि में प्रशिक्षण और सहायता देना शामिल है।

2. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड** : एन. एस. आई. सी., किराया-खरीद पर मशीनों की पूर्ति, बाजार संवर्धन, स्वदेशी और आयातित दोनों प्रकार की कच्ची सामग्री की व्यवस्था, प्रोटोटाइपों आदि के विकास के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के लिए उत्तरदायी है । यह प्रोटोटाइप विकास और टर्नकी परियोजनाओं के निर्यात के लिए प्रशिक्षण व सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है ।

3. **ऋण गारण्टी योजना** : इस योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्योग-धंधों को बैंकों तथा ऋण देने वाली अन्य संस्थाओं के द्वारा जो अग्रिम दिये जाते हैं उनकी वापसी की गारण्टी इन उद्देश्यों से की जाती है कि छोटे पैमाने के उद्योग धंधों को हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करके संस्थागत ऋण की उपलब्धि में बराबर वृद्धि होती रहे ।

4. **अन्य लघु उद्योग योजनाएं** : इसके अन्तर्गत मुख्यतः लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण, हैदराबाद, केन्द्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर, केन्द्रीय औजार कक्ष, लुधियाना, केन्द्रीय यंत्र डिजाइन संस्थान, हैदराबाद, केन्द्रीय यंत्र कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता और विद्युत मापक उपकरण डिजाइन संस्थान आदि के लिए अनुदानों की व्यवस्था है । इसमें 'सांख्यिकी के संग्रहण' और 'लघु उद्योगों की गणना' से संबंधित केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए धनराशियां शामिल हैं। इसमें लघु क्षेत्र में उद्योगों के लिए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है ।

5. **शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने की योजना** : इस योजना का उद्देश्य शिक्षित, बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा अपनी औद्योगिक इकाइयां/व्यापार आदि शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना है । सरकार द्वारा ऋण की 25 प्रतिशत राशि पूंजीगत सहायता के रूप में उधार देने वाले बैंकों को दी जाती है जिसे वे अन्ततोगत्वा लाभभोगियों को देते हैं । यह योजना निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए है।

6. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** : आयोग की स्थापना, खादी और ग्रामोद्योग

1. **Development Commissioner for Small Scale Industries:** is the nodal agency for coordinating the policies and programmes for the development of small scale Industries in the country. It also provides facility and services including consultancy in techno-economic-managerial aspects, training and assistance in marketing,export etc. to small units through Small Industries Service Institutes, Extension Centres, Regional Testing Centres etc.

2. **Grants to National Small Industries Corporation:** NSIC is responsible for promotion and development of Small Scale Industries through supply of machinery on hire purchase,market promotion, arrangement of both indigenous and imported raw materials, development of prototypes etc. It also provides for training and common facilities for prototype development and export of turn-key projects.

3. **Credit Guarantee Scheme:** is a scheme to guarantee repayment of advances granted by banks and other credit institutions to Small Scale Industries with the object of enlarging the supply of institutional credit to Small Scale Industries by offering protection against losses.

4. **Other Small Scale Industries Schemes:** Provides mainly for grants to National Institute of Small Industry Extension Training, Hyderabad, Central Institute of Hand Tools, Jalandhar, Central Tool Room, Ludhiana, Central Institute of Tool Design,Hyderabad, Central Tool Room and Training Centre, Calcutta and Institute for Design of Electrical Measuring Instruments etc. It includes funds for Central Plan Schemes for 'Collection of Statistics' and 'Census of Small Scale Industries'. It also includes a provision of Rs. 1.5 crore for energy conservation programme for industries in the small scale sector.

5. **Scheme for providing self employment for educated unemployed:** aims at granting loans to educated unemployed for starting their own industrial units/business. 25% of loan is paid as capital subsidy by the Govt. to the lending bank to be ultimately passed on to the beneficiaries. The scheme is for the lower income group.

6. **Khadi and Village Industries Commission:** Set up under

आयोग अधिनियम 1956 के अधीन, ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक रोजगार पैदा करने की दृष्टि से खादी और ग्रामोद्योगों, के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी की खुदरा बिक्री पर रियायत देने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। जिससे उन्हें मिल के बने कपड़ों और खादी के कपड़ों के बीच कीमत के अन्तर कम करके मिल क्षेत्र से प्रतियोगिता कर पाने में आंशिक रूप से सहायता मिलती है जिसके फलस्वरूप खादी की बिक्री बढ़ सकती है।

7. **नारियल जटा उद्योग :** इसके अन्तर्गत कॉयर बोर्ड, कोचीन को अनुदान और ऋण देने के लिए व्यवस्था है। इस बोर्ड की स्थापना नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के अधीन नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए की गई है जिसमें नारियल जटा से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है। इसमें नारियल जटा उद्योग के सरकारीकरण छूट, आदर्श नारियल जटा ग्राम के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था करना भी शामिल है।

8. **जिला उद्योग केन्द्र :** ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के संवर्धन करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रोंमें, ये केन्द्र एक ही स्थान पर व्यवस्था के माध्यम से छोटे उद्यमियों को सभी सेवाएं और शहरी क्षेत्रों में लघु, छोटे और कारीगर अभिमुख औद्योगिक इकाइयों के विकास पर आधारित का विकास करना है ताकि ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हों। राज्यों/संघ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजना होने के कारण इस पर होने वाला व्यय केन्द्र सरकार और राज्य/संघ सरकारों द्वारा वहन किया जाता है।

9. **ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :** इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग आयोग और साथ ही राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भी ब्याज के एवज में आर्थिक सहायता दी जाती है।

10. ***सरकारी उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण :***

10.01 **खादी और ग्रामोद्योग आयोग :** (i) सरकार के निर्णय के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिए गए पिछले ऋणों का नवीकरण करने (ii) इसके कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम देने के लिए व्यवस्था है।

10.02 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम :** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऋण, इसके कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम देने के लिए दिए जाते हैं।

11. **सरकारी उपक्रमों में निवेश :** इसमें सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी व ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। इन उद्यमों और आ.ब.बा.स. के लिए बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा व्यय बजट, खण्ड-I में दिया गया है।

11.01 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम :** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना और इसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया गया था। इसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योग की ईकाइयों को किराया खरीद आधार पर आयातित और स्वदेशी मशीनों की सप्लाई करना, कच्ची सामग्री और फालतू पुर्जों आदि की पूर्ति और वितरण, प्रौद्योगिकियों का उन्नयन और तकनीकी प्रशिक्षण तथा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में इसके क्रियाकलापों और सेवाओं को चलाने के लिए वैकल्पिक वित्त प्राप्त करने के लिए इक्विटी के माध्यम से बजटीय समर्थन प्राप्त है।

11.02. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक :** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में निवेश की गई 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था लघु क्षेत्र के उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

11.03 और 11.04 **खादी और ग्रामोद्योग आयोग :** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन, खादी और ग्रामोद्योग के विकास संबंधी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने, उनके कार्यान्वयन के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि सामाजिक रूप से पिछड़े व समाज के कमजोर वर्गों के कारीगरों के लिए खादी और कुटीर तथा ग्रामोद्योगों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के लिए और अधिक रोजगार उत्पन्न किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए इसमें राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों आदि के लिए व्यवस्था शामिल है।

12. **अन्य योजनाएं :** इनके अन्तर्गत मुख्यतः राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, भारतीय सहकारी संघ, राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ के लिए अनुदान और राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी समितियों के संघ में निवेश के लिए व्यवस्था शामिल है।

Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, to plan organise and implement programmes for development of khadi and village industries with a view to generating greater employment for rural population. Grants are given to K.V.I.C. for rebate on retail sales of khadi which help in partly meeting competition from Mill Sector by reducing the price differential between the mill cloth and khadi cloth and consequently boosting up sales of khadi.

7. **Coir Industries:** to meet expenses on account of grants and loans to Coir Board, Cochin, set up under Coir Industry Act, 1953, to promote development of Coir Industry in the country including promotion of export of coir products. It also includes funds for the centrally sponsored schemes for cooperativisation of coir industries, rebate and model coir villages.

8. **District Industries Centres:** For the promotion of village and small industries particularly in rural areas these centres provide all facilities and services to small entrepreneurs under single roof. The main thrust of the programme has been on the development of small, tiny and artisan oriented industrial units in rural and semi-urban areas which could create large employment opportunities in such areas. This being a centrally sponsored plan scheme implemented by State/Union Territory Governments the expenditure is shared by Central and State/Union Territory Governments.

9. **Interest subsidies:** Subsidy in lieu of interest mainly to Khadi and Village Industries Commission and also to National Small Industries Corporation.

10. ***Non-Plan Loans to Public Enterprises:***

10.01. **Khadi and Village Industries Commission:** Provision is (i) for renewal of past loans given to K.V.I.C. as per Government decision and (ii) for granting house building advance to its employees.

10.02. **National Small Industries Corporation :** Loan to N.S.I.C. is for giving house building advance to its employees.

11. **Investment in Public Enterprises:** Provides for equity and loans to the public sector enterprises to meet their requirement of finances for implementing the programmes under the schemes. The equity and loan-wise break up of the budget support to these enterprises, and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol.I.

11.01. **National Small Industries Corporation:** N.S.I.C. was formed and registered under the Companies Act in 1955. Its functions, inter-alia, include supply of imported and indigenous machines to Small-Scale Units on hire purchase basis, supply and distribution of raw materials, spares etc, internal marketing and external marketing, upgradation of technologies and provision of technical training and common facilities. The budgetary support through equity is for securing alternate finances for carrying out its activities and services in backward and hilly areas.

11.02. **Small Industries Development Bank of India:** The provision of Rs. 10 crores invested in Small Industries Development Bank of India is for meeting the loan requirements of industries in the Small Scale Sector.

11.03 and 11.04 - **Khadi & Village Industries Commission :** K.V.I.C. set up under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 to plan, organise and implement programmes for development of Khadi and Village Industries, with a view to generating greater employment for the rural population through khadi and cottage and village industries. The provision is for giving loans for this purpose to State Khadi and Village Industries Boards, Khadi and Village Industries Institutions etc.

12. **Other Schemes:** Provides mainly for grants to National Council for Cooperative Training, National Cooperative Union of India, National Federation of Industrial Cooperatives and Investments in National Federation of Industrial Cooperatives.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय *MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING*

मांग संख्या DEMAND No.55

सूचना और प्रसारण मंत्रालय Ministry of Information and Broadcasting

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		13.87	75.16	89.03	9.12	78.99	88.11	13.83	83.68	97.51
पूंजी	*Capital*		*6.85*	...	*6.85*	*5.76*	...	*5.76*	*5.60*	...	*5.60*
जोड़	**Total**		**20.72**	**75.16**	**95.88**	**14.88**	**78.99**	**93.87**	**19.43**	**83.68**	**103.11**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	0.18	3.61	3.79	0.01	3.92	3.93	0.10	3.93	4.03
सूचना और प्रचार	***Information and Publicity***										
2. फिल्में	2. Films	2220	7.20	17.58	24.78	5.42	16.95	22.37	6.78	18.09	24.87
3. चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	3. Certification of Cinematographic Films	2205	0.07	0.54	0.61	0.07	0.51	0.58	0.20	0.56	0.76
4. जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	4. Research & Training in Mass Communication	2220	1.17	1.18	2.35	0.73	1.12	1.85	0.70	1.25	1.95
5. विज्ञापन और दृश्य प्रचार	5. Advertising and Visual Publicity	2220	0.25	17.10	17.35	0.13	22.84	22.97	0.71	23.66	24.37
6. प्रेस सूचना सेवा	6. Press Information Services.	2220	2.10	6.56	8.66	1.23	6.54	7.77	3.30	7.25	10.55
7. क्षेत्रीय प्रचार	7. Field Publicity	2220	1.00	7.90	8.90	0.78	7.53	8.31	0.95	8.18	9.13
8. संगीत और नाटक प्रभाग	8. Song & Drama Division	2220	0.60	4.75	5.35	0.44	4.48	4.92	0.50	5.04	5.54
9. प्रकाशन	9. Publications	2220	0.35	9.70	10.05	0.02	9.91	9.93	0.10	10.91	11.01
10. पी.टी.आई. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	10 Interest Subsidy to P.T.I.	2220	...	0.05	0.05	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
11. अन्य आर्थिक सहायता	11. Other Subsidies										
क) अखबारी कागज के आयात से हुई हानि	a) Loss on Import of Newsprint	2220	...	3.03	3.03	...	3.03	3.03	...	3.18	3.18
ख) देशी अखबारी कागज के लिए छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों को आर्थिक सहायता	b) Subsidy to Small & Medium Newspapers on indigenous newsprint	2220	...	1.60	1.60	...	0.60	0.60	...	0.01	0.01
जोड़ आर्थिक सहायता	**Total Subsidies**		...	**4.63**	**4.63**	...	**3.63**	**3.63**	...	**3.19**	**3.19**
12. इमारतें और मशीनें	12. Buildings&Machinery	4220	3.85	...	3.85	2.98	...	2.98	2.80	...	2.80
13. सरकारी उद्यमों में निवेश	13. Investments in Public Enterprises	4220	1.50	...	1.50	1.43	...	1.43	1.40	...	1.40
		6220	1.50	...	1.50	1.35	...	1.35	1.40	...	1.40
जोड़		Total	3.00	...	3.00	2.78	...	2.78	2.80	...	2.80
14. अन्य व्यय	14. Other Expenditure	2220	0.95	1.56	2.51	0.29	1.53	1.82	0.49	1.59	2.08
कुल जोड़	***Grand Total***		***20.72***	***75.16***	***95.88***	***14.88***	***78.99***	***93.87***	***19.43***	***83.68***	***103.11***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investments in Public Enterprises:**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	IEBR	जोड़ Total
12.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	12.01 National Film Development Corporation	22220	3.00	3.28	6.28	2.78	3.28	6.06	2.80	3.57	6.37
ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay***										
1. सूचना और प्रचार *	1. Information & Publicity *	22220	20.72	3.28	24.00	14.88	3.28	18.16	19.43	3.57	23.00

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
*Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Developement

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं :** इसमें मंत्रालय के सचिवालय तथा इसके मुख्य लेखा कार्यालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

सूचना तथा प्रचार :

2. **फिल्में :** इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघुवृत्तचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है, (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय का स्थापना व्यय, (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) फिल्म महोत्सवों में पनोरमा आफ इंडियन फिल्म पर व्यय, (ङ) फिल्मोत्सव कम्पलेक्स, सिरिफोर्ट, दिल्ली, का अनुरक्षण (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित रखता है, (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी (एक स्वायत्त निकाय) को बच्चों के लिए फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करने के लिए अनुदान और (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान को अनुदान जो भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध एक स्वायत्त निकाय है और जो फिल्म निर्माण की कला और तकनीक में प्रशिक्षण देता है ।

1. **Secretariat-Social Services :** This covers expenditure of the Secretariat of the Ministry as well as its Principal Accounts Office.

Information and Publicity

2. **Films :** The provision under this head covers the following activities of the Ministry, viz. (a) Films Division, which disseminates information on all important aspects of country's life to Indian and foreign audiences through news-reels, short films and documentaries; (b) Establishment expenses of Directorate of Film Festivals; (c) National Awards for Films; (d) Expenditure on Panorama of Indian Films in the Film Festivals; (e) Maintenance of Film Festival Complex at Siri Fort, Delhi; (f) National Film Archive of India which preserves the best of national and foreign flim classics; (g) Grant to Children's Film Society, India (an autonomous body) which produces and distributes Films for children; and (h) Grants to Film & Television Institute of India, an autonomous body, funded by the Government which imparts training in the art and technique of film making.

3. **चलचित्रकला फिल्मों का प्रमाणन:** इसके अंतर्गत (i) फिल्म प्रमाणन केन्द्रीय बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपील न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था की गई है ।

4. **जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण :** इस शीर्ष के अन्तर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जो जन माध्यम में प्रशिक्षण तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग, जो मंत्रालय और उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा माध्यम एजेंसियों के लिए माध्यम रूचि के महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है ।

5. **विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार :** इसके अंतर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए जन अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है ।

6. **प्रेस सूचना सेवा :** इसके अंतर्गत इनके लिए व्यवस्था शामिल है: (क) प्रेस सूचना ब्यूरो जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है, (ख) भारतीय प्रेस परिषद, जो एक वैधानिक संगठन है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, को अनुदान, और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था ।

7. **क्षेत्रीय प्रचार :** इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के खर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सजीव मीडिया प्रोग्रामों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है ।

8. **संगीत तथा नाटक प्रभाग :** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सजीव मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है ।

9. **प्रकाशन :** इसके अंतर्गत मंत्रालय के प्रकाशन के खर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूल्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है । प्रकाशन प्रभाग हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू में, 'इम्पलाएमेंट न्यूज' / 'रोजगार समाचार' साप्ताहिक भी निकालता है ।

10. **पी.टी.आई. को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :** इसके अंतर्गत प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को इसके समाचार और अनुलिपि परियोजना के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता देने पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

11. **अन्य आर्थिक सहायता :** यह व्यवस्था (क) छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क में राहत देने के लिए की गई है । समाचार-पत्रों को पहले भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा राहत दी जाती है जो कि समाचार -पत्रों के लिए अखबारी कागज का आयात करता है और सरकार द्वारा इस राशि की राज्य व्यापार निगम को प्रतिपूर्ति कर दी जाती है । (ख) वर्ष 1989-90 के दौरान देशी अखबारी कागज की आपूर्ति पर छोटे और मध्यम दर्जे के अखबारों को दी गई आर्थिक सहायता के कारण पहले से चले आ रहे व्यय को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

12. **भवन और मशीनरी :** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) सूचना भवन, दिल्ली (ख) फिल्म डिवीजन, बम्बई के लिए बहु-मंजिली इमारत, (ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एककों के लिए कार्यालय और रिहायशी क्वार्टर, (घ) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय की इमारत, (ङ) सिरिफोर्ट कम्प्लेक्स, दिल्ली में फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा एक नए छोटे-थियेटर (च) प्रेस सूचना कार्यालय के प्रेस केन्द्र को सुदृढ़ बनाने और फिल्मस डिवीजन, बम्बई और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे द्वारा उनके आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपस्कर प्राप्त करना ।

13. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** यह शीर्ष राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को इक्विटी एवं ऋण द्वारा बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए है ।

14. **अन्य खर्च :** इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है ।

3. **Certification of Cinematographic Films:** The provision covers expenditure on (i) Central Board of Film Certification and (ii) Film Certification Appellate Tribunal.

4. **Research and Training in Mass Communication:** The provision under this head is for (a) *Indian Institute of Mass Communication*, an autonomous body which imparts training in mass media and conducts courses in journalism, and (b) *Research and Reference Division* which collects and collates basic information on subjects of media interest for providing assistance to the Ministry and to its Media Units, Indian Missions abroad and newspapers and media agencies.

5. **Advertising & Visual Publicity** This covers expenditure of the DAVP which plans and executes publicity campaigns through advertising and other printed materials, as well as through Radio, T. V., Exhibitions and other out-door publicity media.

6. **Press Information Services:** This provides for expenditure (a) on the Press Information Bureau, which serves as a link between the Government and the Press and attends to the Publicity and Public relations requirements of various Ministrties/Departments of the Govt. (b) Grants to Press Council of India, a statutory organisation seeking to preserve freedom of the Press, and (c) for running India's News Pool Desk of Non-aligned News Agencies Pool through Press Trust of India.

7. **Field Publicity :** This covers expenditure of the Directorate of Field Publicity and its district level field units, engaged in inter-personal developmental communication through film shows, live media programmes, photo displays and seminars.

8. **Song and Drama Division :** Provision under this head is for Song & Drama Division which utilises live entertainment media for creating awareness amongst the masses particularly in rural areas about various activities of national development through its units spread all over the country.

9. **Publications :** This provides for expenditure of the Publications Division of the Ministry which publishes priced books, journals and other printed material in English, Hindi and Regional languages on a wide variety of subjects. Publications Division also brings out the weekly 'Employment News'/ 'Rozgar Samachar' in English , Hindi and Urdu.

10. **Interest Subsidy to P. T. I.:** This covers the expenditure involved in the grant of interest subsidy to Press Trust of India, for its News and Facsimile project.

11. **Other Subsidies :** The provision is for (a) graded relief to small and medium categories of newspapers from payment of customs duty on imported newsprint. This relief is first given by State Trading Corporation of India which imports the newsprint for the newspapers and the amount is reimbursed to the S.T.C. by the Government, and (b) meeting the spill over expenditure on account of subsidy given to small and medium newspapers on supply of indigenous newprint during the year 1989-90.

12. **Buildings & Machinery** : The provision is for capital expenditure on construction of (a) Soochna Bhawan, Delhi, (b) Multi-storeyed building of Films Division, Bombay, (c) Office and residential quarters for units of the Directorate of Field Publicity in the Northeast, (d) Office building for National Film Archives of India, Pune, (e) a new mini-threatre by the Directorate of Film Festivals at Siri-Fort Complex, Delhi, (f) strengthening the Press Centre of Press Information Bureau and for acquisition of equipment by Films Division, Bombay and National Film Archive of India, Pune under their modernisation programmes.

13. **Investment in Public Enterprises :** This budget head is for providing budgetary assistance to N.F.D.C by way of equity and loan.

14. **Other Expenditure :** The provision is for expenditure of the Photo Division, Registrar of Newspapers for India and contribution to International Programme for Development of Communication.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

मांग संख्या DEMAND No.56

प्रसारण सेवाएं Broadcasting Services

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		81.55	243.57	325.12	58.96	230.12	289.08	122.38	268.72	391.10
पूंजी	*Capital*		*168.45*	*15.09*	*183.54*	*105.01*	*13.21*	*118.22*	*163.05*	*5.09*	*168.14*
जोड़	**Total**		**250.00**	**258.66**	**508.66**	**163.97**	**243.33**	**407.30**	**285.43**	**273.81**	**559.24**
प्रसारण	***Broadcasting***										
आकाशवाणी	**Akashvani**										
1. निदेशन और प्रशासन	1. Direction & Administration	2221	2.00	7.29	9.29	1.56	7.29	8.85	3.76	8.29	12.05
2. अनुसंधान और विकास	2. Research and Development	2221	2.12	5.36	7.48	1.87	5.40	7.27	2.90	6.08	8.98
3. परिचालन व्यय :	3. Operational Expenses:										
3.01 परिचालन और रख-रखाव	3.01 Operation & Maintenance	2221	10.19	23.88	34.07	13.25	27.99	41.24	13.21	29.08	42.29
3.02 कार्यक्रम सेवाएं	3.02 Programme Services	2221	24.34	81.32	105.66	10.46	82.53	92.99	38.29	89.85	128.14
3.03 समाचार सेवाएं	3.03 News Services	2221	0.54	8.16	8.70	0.08	9.98	10.06	1.32	9.42	10.74
3.04 विदेश सेवाएं	3.04 External Services	2221	0.20	2.03	2.23	0.05	2.04	2.09	0.43	2.18	2.61
3.05 वाणिज्यिक सेवाएं	3.05Commercial Services	2221	0.08	9.62	9.70	0.01	9.81	9.82	0.15	10.93	11.08
3.06 अन्य व्यय	3.06 Other Expenditure	2221	0.18	11.26	11.44	0.05	3.67	3.72	0.32	5.92	6.24
जोड़-परिचालन व्यय	**Total-Operational expenses**		**35.53**	**136.27**	**171.80**	**23.90**	**136.02**	**159.92**	**53.72**	**147.38**	**201.10**
4. घटाइए - प्राप्तियां	4. Less - Receipts	0221	...	-30.00	-30.00	...	-35.00	-35.00	...	-36.00	-36.00
5. निवल	5. Net		35.53	106.27	141.80	23.90	101.02	124.92	53.72	111.38	165.10
6. वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण	6. Net Transfers to/from Commercial Revenues Fund	2221	...	3.52	3.52	...	3.46	3.46	...	1.96	1.96
7. पूंजीगत व्यय:	7. Capital Expenditure:										
7.01 स्टूडियो	7.01 Studios	4221	49.98	0.06	50.04	40.05	0.25	40.30	42.67	0.08	42.75
7.02 ट्रांसमीटर	7.02 Transmitter	4221	76.62	...	76.62	61.94	...	61.94	76.02	...	76.02
7.03 इमारती उपस्कर आदि	7.03 Buildings Equipments etc.	4221	17.48	5.89	23.37	17.33	6.28	23.61	34.67	...	34.67
7.04 वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण	7.04 Net Transfers to/from Commercial Revenues Fund	4221	-70.00	-0.06	-70.06	-70.00	-0.25	-70.25	-83.00	-0.08	-83.08
7.05 नवीकरण तथा प्रतिस्थापन निधि	7.05 Renewal and Replacement Fund	4221	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.06 अन्य व्यय	7.06 Other Expenditure	4221	1.27	1.57	2.84	0.33	1.59	1.92	1.26	1.44	2.70
जोड़-पूंजीगत व्यय	***Total Capital Expenditure***		***75.35***	***7.46***	***82.81***	***49.65***	***7.87***	***57.52***	***71.62***	***1.44***	***73.06***
जोड़- आकाशवाणी	**Total Akashvani**		**115.00**	**129.90**	**244.90**	**76.98**	**125.04**	**202.02**	**132.00**	**129.15**	**261.15**
दूरदर्शन	**Doordarshan:**										
1. निदेशन और प्रशासन	1.Direction & Administration	2221	0.10	4.39	4.49	0.01	4.80	4.81	0.15	5.82	5.97
2. परिचालन व्यय	2. Operational Expenses:										
2.01 परिचालन और रख-रखाव	2.01 Operation & Maintenance	2221	11.00	35.45	46.45	10.99	33.29	44.28	15.89	43.54	59.43
2.02 कार्यक्रम सेवाएं	2.02 Programme Services	2221	30.70	93.59	124.29	20.62	97.30	117.92	45.90	111.92	157.82
2.03 वाणिज्यिक सेवाएं	2.03 Commercial Services	2221	...	30.12	30.12	...	34.65	34.65	...	34.84	34.84
2.04 अन्य व्यय	2.04 Other Expenditure	2221	0.10	29.36	29.46	0.01	22.83	22.84	0.06	36.37	36.43
जोड़ - परिचालन व्यय	**Total-Operational expenses**		**41.80**	**188.52**	**230.32**	**31.62**	**188.07**	**219.69**	**61.85**	**226.67**	**288.52**
3. घटाइए - प्राप्तियां	3. Less - Receipts	0221	...	-200.00	-200.00	...	-227.00	-227.00	...	-228.00	-228.00
4. निवल	4. Net		41.80	-11.48	30.32	31.62	-38.93	-7.31	61.85	-1.33	60.52
5. वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण	5 Net Transfers to/from Commercial Revenues	2221	...	128.22	128.22	...	147.08	147.08	...	136.52	136.52
6. पूंजीगत व्यय:	6 Capital Expenditure:										
6.01 स्टूडियो	6.01 Studios	4221	73.28	0.33	73.61	63.51	0.74	64.25	84.81	0.02	84.83
6.02 ट्रांसमीटर	6.02 Transmitters	4221	72.03	1.08	73.11	55.34	1.11	56.45	70.69	0.01	70.70
6.03 इमारतें और उपस्कर	6.03 Buildings & Equipments	4221	27.18	3.03	30.21	16.07	2.78	18.85	32.26	1.05	33.31
6.04 वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अन्तरण	6.04 Net Transfer to /from Commercial Revenues Fund	4221	-80.00	-2.91	-82.91	-80.00	-2.49	-82.49	-97.37	-0.03	-97.40
6.05 अन्य व्यय	6.05. Other Expenditure	4221	0.61	6.10	6.71	0.44	3.20	3.64	1.04	2.60	3.64
		6250	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.61*	*6.10*	*6.71*	*0.44*	*3.20*	*3.64*	*1.04*	*2.60*	*3.64*
जोड़- पूंजीगत व्यय	***Total Capital Expenditure***		***93.10***	***7.63***	***100.73***	***55.36***	***5.34***	***60.70***	***91.43***	***3.65***	***95.08***
जोड़- दूरदर्शन	**Total-Doordarshan**		**135.00**	**128.76**	**263.76**	**86.99**	**118.29**	**205.28**	**153.43**	**144.66**	**298.09**
कुल जोड़	***Grand Total***		***250.00***	***258.66***	***508.66***	***163.97***	***243.33***	***407.30***	***285.43***	***273.81***	***559.24***

ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
प्रसारण*	**Broadcasting***	22221	250.00	150.00	400.00	163.97	150.00	313.97	285.43	180.37	465.80

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
*Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Developement

ध्वनि प्रसारण (आकाशवाणी)

राजस्व भाग

1. **निदेशन और प्रशासन :** इसके अन्तर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय तथा आकाशवाणी के वेतन तथा लेखा कार्यालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **अनुसंधान और विकास :** इस कार्य के दो भाग हैं:- आयोजना और विकास तथा अनुसंधान और प्रशिक्षण । पहले भाग के अंतर्गत, आकाशवाणी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं, जो आयोजनागत परियोजनाओं की आयोजना तैयार करने और विकास तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन संस्थापनाओं के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी है, द्वारा किये जाने वाले व्यय, तथा दूसरे भाग के अंतर्गत अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी व्यय की व्यवस्था है । दूसरा कार्य रेडियो और दूरदर्शन दोनों से संबंधित है ।

3.01. **परिचालन और रख-रखाव:** इसके अन्तर्गत उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के प्रचालन तथा रख-रखाव और आकाशवाणी के केन्द्रीय भंडार कार्यालय हेतु सामान और फालतू पुर्जों की इकट्ठी खरीद के लिये व्यवस्था की गई है ।

3.02. **कार्यक्रम सेवाएं:** इसके अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने से संबंधित व्यय और आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के रोजमर्रा के कामकाज व रखरखाव के लिए आवश्यक खर्चों तथा इन केन्द्रों से संबद्ध ट्रांसमीटरों के खर्चों के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.03. **समाचार सेवाएं:** इसके अन्तर्गत समाचार सेवा प्रभाग और मानीटरिंग सेवा के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.04. **विदेश सेवाएं:** इसके अन्तर्गत समुद्र पार श्रोताओं के लिए अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में प्रसारण पर विदेश सेवा प्रभाग द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

3.05. **वाणिज्यिक सेवाएं:** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है । वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्र मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यक्रमों को तैयार करने और उनके प्रसारण के लिए जिम्मेदार है ।

3.06. **अन्य व्यय:** इसके अन्तर्गत (i) "श्रोता अनुसंधान" कार्यकलाप अर्थात आकाशवाणी द्वारा प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने से संबंधित अध्ययनों हेतु व्यय तथा (ii) उचन्त, जिसके अंतर्गत आकाशवाणी के संयंत्रों के अनुरक्षण के लिये आवश्यक कल-पुर्जों/भंडारों संबंधी व्यय की व्यवस्था है ।

4. **प्राप्तियां:** प्राप्तियों के अनुमान मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रसारण से संबंधित हैं ।

6. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से निवल अंतरण :** इसके अंतर्गत अव्यपगत निधि को अंतरित की जाने वाली राशि तथा इस निधि में से खर्च किये जाने वाले व्यय के लिये व्यवस्था है ।

7. **पूंजी भाग**

7.01. **स्टूडियो:** इसके अन्तर्गत, स्टूडियो, भवनों का निर्माण करने, स्टूडियो उपस्कर की खरीद और उनकी स्थापना करने के लिए व्यवस्था शामिल है ।

7.02. **ट्रांसमीटर :** इसके अन्तर्गत ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए भवनों के निर्माण, ट्रांसमीटर उपस्कर खरीदने और उसकी स्थापना करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

7.03. **भवन और उपस्कर:** इसके अन्तर्गत (i) आकाशवाणी की विविध निर्माण कार्य योजनाओं, और (ii) आकाशवाणी की प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण और संस्थापन कार्यों में लगे हुए कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, यात्रा-भत्तों तथा अन्य खर्चों और आकाशवाणी की अन्य योजनाओं के लिये किये जाने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है ।

7.04. **वाणिज्यिक राजस्व निधि को/से अंतरण:** इसके अंतर्गत, एन.एल.एफ. निधि को अंतरित की जाने वाली राशि तथा इस निधि में से खर्च किये जाने वाले व्यय के लिये व्यवस्था है ।

7.06. **अन्य व्यय:** इसमें निम्नलिखित पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है: (i) जोनल मुख्य इंजीनियरों और सिविल निर्माण विंग के कार्यालयों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने वाले कलपुर्जों और संयंत्रों की खरीद और उनके क्षेत्रों से संबंधित अन्य तकनीकी क्रियाकलापों पर होने वाला व्यय, और (ii) उन उपस्करों की खरीद करना जिनकी अदायगी की व्यवस्था इस शीर्ष के अन्तर्गत की जाती है ।

SOUND BROADCASTING (AKASHVANI)

Revenue Section

1. **Direction and Administration :** Provides for the expenditure of the Directorate General, All India Radio and Pay and Accounts Offices, All India Radio.

2. **Research and Development :** The activity has two components viz., Planning and Development and Research and Training. First component provides for the expenditure incurred by the Offices of Zonal Chief Engineers of All India Radio, who are responsible for Planning and Development of Plan projects and maintenance of AIR and TV installations and the Second component provides for the expenditure involved on research and training. The latter activity is both for Radio and TV.

3.01. **Operation and Maintenance :** The provision is for meeting expenditure on the operation and maintenance of High power Transmitters and centralised procurement and deployment of stores and spares for Radio stations through Central Stores office.

3.02 **Programme Services :** Provides for expenditure on production of programmes and on running expenditure required for day-to-day operation and maintenance of all stations of AIR, including transmitters attached to the stations.

3.03 **News Services :** Covers the expenditure of News Services Division and on the Monitoring Service.

3.04 **External Services :** Provision under this activity covers the expenditure incurred by External Services Division on broadcast in several Indian and foreign languages for overseas listeners.

3.05. **Commercial Services :** The expenditure in respect of all commercial broadcasting service centres of AIR has been provided for under this activity. The Commercial Broadcasting Services centres, are mainly responsible for preparation and broadcasting of commercial programmes.

3.06. **Other Expenditure :** Provides for (i) the activity 'Listeners Research' which covers the expenditure on studies undertaken to ascertain reaction of audience to the various programmes broadcast by All India Radio and (ii) Suspense, which covers expenditure on purchase of spares/stores required for maintenance of All India Radio installations.

4. **Receipts :** Estimates of receipts are mainly on account of commercial broadcasting.

6. **Net transfer to/from Commercial Revenues Fund :** Provides for the amount transferable to the Non-lapsable fund and the expenditure incurred from out of this fund.

7. **Capital Section**

7.01 **Studios:** Provision covers expenditure on construction of studios, buildings, purchase of studio equipment and its installation.

7.02 **Transmitters:** Covers expenditure on construction of buildings to house transmitters, purchase of transmitting equipment and its installation.

7.03 **Buildings and Equipments:** Provision is for (i) expenditure to be incurred on Miscellaneous Works Schemes of All India Radio and (ii) for salaries, allowances, travel expenses and other expenses of installation staff employed in construction and installation of capital projects and on other schemes of All India Radio.

7.04 **Net transfer to/from Commercial Revenue Fund:** Provides for the amount transferable to N.L.F. and the expenditure incurred from out of this fund.

7.06 **Other Expenditure:** Provides for expenditure to be incurred on (i) purchase of tools and plants by offices of Zonal Chief Engineers and Civil Construction Wing for installation and other technical activities pertaining to their zones and (ii) purchase of equipments for which payments are made under this head.

श्रम मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR

मांग संख्या DEMAND No.57

श्रम मंत्रालय Ministry Of Labour

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		85.00	251.63	336.63	46:08	247.35	293.43	83.97	299.57	383.54
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		**85.00**	**251.63**	**336.63**	**46.08**	**247.35**	**293.43**	**83.97**	**299.57**	**383.54**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	...	3.17	3.17	...	3.34	3.34	...	3.80	3.80
श्रम और रोजगार	***Labour And Employment***										
श्रम	**Labour**										
2. औद्योगिक संबंध	2. Industrial Relations	2230	4.30	5.64	9.94	1.88	5.23	7.11	3.41	5.91	9.32
		3601	0.20	...	0.20	0.15	...	0.15	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.50*	*5.64*	*10.14*	*2.03*	*5.23*	*7.26*	*3.41*	*5.91*	*9.32*
3. कार्य परिस्थितियां तथा सुरक्षा	3. Working Conditions and Safety	2230	3.70	8.79	12.49	1.43	7.92	9.35	1.34	8.86	10.20
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*3.70*	*8.79*	*12.49*	*1.43*	*7.92*	*9.35*	*1.34*	*8.86*	*10.20*
4. श्रमिक कल्याण योजनाएं	4. Labour Welfare Schemes	2230	...	22.76	22.76	...	18.46	18.46	...	22.09	22.09
		3601	...	7.79	7.79	...	2.17	2.17	...	4.93	4.93
		4250	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
		6250	...	0.92	0.92	...	0.48	0.48	...	0.55	0.55
जोड़		*Total*	...	*31.65*	*31.65*	...	*21.29*	*21.29*	...	*27.75*	*27.75*
5. खान श्रम निधियों में / से निवल अन्तरण	5. Net Transfer to / from Mines Labour Funds	2230	...	-3.04	-3.04	...	1.99	1.99	...	-0.34	-0.34
		3601	...	-7.79	-7.79	...	-2.17	-2.17	...	-4.93	-4.93
		4250	...	-0.18	-0.18	...	-0.18	-0.18	...	-0.18	-0.18
		6250	...	-0.92	-0.92	...	-0.48	-0.48	...	-0.55	-0.55
जोड़		*Total*	...	*-11.93*	*-11.93*	...	*-0.84*	*-0.84*	...	*-6.00*	*-6.00*
श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	**Social Security for Labour**										
6. कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971	6. Employees Family Pension Scheme, 1971	2230	...	161.71	161.71	...	161.71	161.71	...	204.53	204.53
7. औद्योगिक कामगारों के लिए जमा संबद्ध योजना	7. Deposit Linked Insurance Scheme for Industrial Workers	2230	...	21.47	21.47	...	21.47	21.47	...	24.30	24.30
8. आसाम में बागान कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन एवं-जीवन बीमा योजना	8. Family Pension-cum-Life Insurance Scheme for Plantation Workers in Assam	2230	...	2.49	2.49	...	2.49	2.49	...	4.31	4.31
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*2.49*	*2.49*	...	*2.49*	*2.49*	...	*4.31*	*4.31*
जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा	**Total-Social Security for Labour**		...	**185.67**	**185.67**	...	**185.67**	**185.67**	...	**233.14**	**233.14**
9. श्रमिक शिक्षा	9. Labour Education	2230	2.15	5.65	7.80	1.86	4.89	6.75	2.43	5.99	8.42
10. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	10. Rehabilitation of Bonded Labour	2230	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05	0.11	...	0.11
		3601	3.06	...	3.06	2.56	...	2.56	3.46	...	3.46
जोड़		*Total*	*3.16*	...	*3:16*	*2.61*	...	*2.61*	*3.57*	...	*3.57*
11. अन्य योजनाएं	11. Other items	2230	7.12	5.04	12.16	4.94	5.33	10.27	8.06	5.02	13.08
		3601	0.35	...	0.35	0.17	...	0.17	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*7.47*	*5.04*	*12.51*	*5.11*	*5.33*	*10.44*	*8.46*	*5.02*	*13.48*
जोड़ - श्रम	**Total - Labour**		**20.98**	**230.51**	**251.49**	**13.04**	**229.49**	**242.53**	**19.21**	**280.67**	**299.88**
रोजगार और प्रशिक्षण	**Employment and Training**										
12. शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	12. Training of Craftsmen and Supervisors	2230	21.40	12.42	33.82	8.05	9.21	17.26	17.44	9.74	27.18
13. अन्य योजनाएं	13. Other Schemes	2230	1.72	4.74	6.46	0.31	4.52	4.83	1.01	4.76	5.77
		3601	40.79	0.19	40.98	24.63	0.19	24.82	46.19	...	46.19
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*42.52*	*4.93*	*47.45*	*24.95*	*4.71*	*29.66*	*47.21*	*4.76*	*51.97*
जोड़-रोजगार और प्रशिक्षण	**Total-Employment and Training**		**63.92**	**17.35**	**81.27**	**33.00**	**13.92**	**46.92**	**64.65**	**14.50**	**79.15**
जोड़-श्रम और रोजगार	**Total-Labour and Employment**		**84.90**	**247.86**	**332.76**	**46.04**	**243.41**	**289.45**	**83.86**	**295.17**	**379.03**
14. अनु.जा.,अनु. जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14. Welfare of SC, STand other Backward Classes	2225	0.10	0.60	0.70	0.04	0.60	0.64	0.11	0.60	0.71
15. सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	15. Aid Material & Equipmetns-Gross	3606	...	0.82	0.82	...	0.82	0.82	...	0.82	0.82
घटाइये - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	*Deduct - Transfer to Functional Major Heads*	*3606*	...	*-0.82*	*-0.82*	...	*-0.82*	*-0.82*	...	*-0.82*	*-0.82*
सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	Aid Material & Equipments - Net		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*85.00*	*251.63*	*336.63*	*46.08*	*247.35*	*293.43*	*83.97*	*299.57*	*383.54*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*										
1. श्रम और रोजगार	1. Labour and Employment	22230	84.90	...	84.90	48.95	...	48.95	94.89	....	94.89
2. अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2. Welfare of SC, ST& other Backward Classes	22225	0.10	...	0.10	0.04	...	0.04	0.11	...	0.11
			85.00	...	85.00	48.99	...	48.99	95.00	...	95.00

*इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

* *Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development*

मांग संख्या 78	Demand No. 78	...	...	...	0.57	...	0.57	2.20	...	2.20
मांग संख्या 79	Demand No. 79	...	...	...	2.34	...	2.34	8.83	...	8.83
जोड़	Total	...	...	...	2.91	...	2.91	11.03	...	11.03

1. **सचिवालय - सामाजिक सेवाएं** - इसके अन्तर्गत मंत्रालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **औद्योगिक संबंध** - इसके अंतर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों को सुधारने, श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों और प्रथाओं आदि के कार्यान्वियन का मूल्यांकन संबंधी अध्ययन करने के लिये काम की अन्य शर्तों व मजदूरी को नियमित करने के संबंध में निर्धारित आचार संहिता वाले समझौते, पंचाटों, श्रम कानूनों के शीघ्र कार्यान्वियन और सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने से संबंधित खर्च ।

3. **कार्य करने की परिस्थितियां और सुरक्षा** - इसके अंतर्गत महानिदेशक, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रमिक संस्थाओं के लिए व्यवस्था है जो गोदी कामगारों और फैक्टरी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के मामले में संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। खान सुरक्षा महानिदेशक के लिए भी व्यवस्था की गई है जो कि कोयला तथा कोयला-भिन्न खानों और तेल क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है ।

4. **श्रमिक कल्याण योजनाएं** - इसके अंतर्गत ग्रामीण कामगारों के कल्याण, बीड़ी कामगारों, अभ्रक खानें, लोहा, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (कोयला खान के कामगारों को छोड़कर) चूने और डोलोमाइट खानों में काम कर रहे श्रमिकों और सिनेमा कामगार कल्याण आदि के लिए श्रमिक कल्याण निधियों की व्यवस्था है ।

5. **खान श्रमिक निधि को / से निवल अंतरण** - यह विभिन्न कल्याण निधियों को उन करों की अंतरित राशि और इन निधियों में से किये गये कल्याण व्यय के अंतर को दर्शाता है । यह राशि सरकारी खाते में अंतरित की जाती है । इसलिए कोई नकद खर्च नहीं होगा ।

6. **कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971** - इस योजना में परिवारपेंशन और जीवन बीमा लाभों के लिए व्यवस्था की गई है । यह उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो पहली मार्च, 1971 को तथा उसके पश्चात भविष्य निधि के सदस्य बने है और यह उन सब लोगों के लिए वैकल्पिक होगा जो उस तारीख से पहले भविष्य निधि के सदस्य बने हैं । इस योजना का वित्तपोषण कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में किए गए अंशदान में से उनके वेतन के 1-1/6 प्रतिशत भाग को लेकर किया जाता है और इतना ही भविष्य निधि अंशदानों में नियोजक के भाग से लिया जाता है। 1991-92 के बजट अनुमानों में अधिक व्यवस्था, पिछली बकाया राशियों का भुगतान करने के लिये की गई है । यह देनदारी एक कानूनी दायित्व है ।

7. **औद्योगिक कामगारों के लिए जमा से जुड़ी हुई बीमा योजना** - यह योजना उन सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू होती है जहां पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होते है और उन सभी कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है जो छूट वाली और छूट रहित दोनों प्रकार के स्थापनाओं के भविष्य निधि के सदस्य है। नियोजकों को कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना पड़ता है और केन्द्र सरकार को भी कुल परिलब्धियों के 0.25 प्रतिशत की दर से अंशदान करना पड़ता है । कर्मचारियों को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता ।

8. **आसाम में बागान कामगारों के लिए कर्मचारी परिवार पेंशन एवं जीवन बीमा योजना** - यह योजना औद्योगिक कामगारों के संबध में कर्मचारी भविष्य निधि

1. **Secretariat - Social Services** - Provides for secretariat expenditure.

2. **Industrial Relations** - Provides for expenditure incurred in connection with promotion of harmonious industrial relations and speedy implementation of labour laws, awards and agreements, laying down code of discipline etc. for improving industrial relations to regulate wages and other conditions of work and for conducting evaluatory studies of implementation of labour laws, industrial relations, personnel policies and practices etc. in public sector undertakings.

3. **Working Conditions and Safety** - Provides for Directorate General, Factory Advice Service and Labour Institutes which together are responsible for the safety, health and welfare of the dock workers and factory workers. Provision is also included for Directorate General of Mines Safety, who is responsible for the safety, health and working conditions of workers in coal and non-coal mines and oil fields.

4. **Labour Welfare Schemes** - Include Labour Welfare Funds for Beedi Workers, labour working in Mica Mines, Iron, Chrome, Manganese Ore Mines (excluding coal mines workers) Limestone and Dolomite Mines workers and Cine Workers Welfare Fund .

5. **Net Transfer to/from Mines Labour Fund** - Represents the difference between the transfer proceeds of cesses to various Labour Welfare Funds and the welfare expenditure met from these Funds. The amount is transferable to Public Account. As such there is no cash outgo.

6. **Employees Family Pension Scheme, 1971** - The scheme provides for family pension and life assurance benefits. It is compulsorily applicable to all employees who have become members of the Provident Fund on or after Ist March 1971 but is optional to those who had become members of the Provident Fund prior to that date. The scheme is financed by diverting 1-1/6 per cent of the pay of the employees from out of their share of contribution towards the Provident Fund, with an equal amount from the employer's share of Provident Fund contributions at 1-1/6 per cent of the pay of the members of the Fund. Higher provision in B.E. 1991-92 is for liquidating past arrears. The liability is a statutory obligation.

7. **Deposit Linked Insurance Scheme for Industrial Workers** - It is applicable to all factories/establishments to which the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 applies and covers all employees who are members of the Provident Fund in both the exempted and non-exempted establishments. The employers are required to contribute at the rate of 0.5 per cent of the total emoluments of workers, and the Central Government contributes at the rate of 0.25 per cent of the total emoluments. The workers are not required to pay any contribution.

8. **Employees Family Pension-cum-Life Insurance Scheme for Plantation Workers in Assam** - This scheme is administered through the State

संगठन के माध्यम से और आसाम में बागान कामगारों के संबंध में आसाम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित कीजाती है, जिन पर आसाम सरकार द्वारा प्रशासित आसाम चाय बागान भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम लागू होते है ।

9. श्रमिक शिक्षा - इसका उद्देश्य सभी कामगारों में उत्तरदायित्व की भावना जगाना और उन्हें सामाजिक -आर्थिक वातावरण के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें नेतृत्व के गुणों से सुसज्जित करके उनका विकास करना है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान को अनुदान दिया जाता है ।

10. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास - यह योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (योजना) है जो कि राज्यों /स्वैच्छिक एजेंसियों को बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास से संबंधित उनके कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए है।

11. अन्य मदें - इनमें निम्नलिखित की व्यस्था की गई है- (i) अनुसंधान एवं सांख्यिकी - आंकड़े इकट्ठा करना और उन्हें प्रकाशित करना, श्रम के विभिन्न विषयों के बारे में जांच पड़ताल करना, सर्वेक्षण करना और अनुसंधान विषयक अध्ययन करना, (ii) बाल/महिला श्रमिकों की कार्य-परिस्थिति में सुधार लाना, इसके अन्तर्गत बाल/महिला श्रमिकों के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्था की गई है, (iii) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रवर्तन को सुदृढ बनाना और युद्ध में घायल कर्मचारियों तथा नागरिकों को पेंशन मुआवजे की अदायगी करना, (iv) अप्रवासी श्रमिकों का कल्याण- विदेशों में रोजगार में भर्ती को विनियमित करने, कार्य और रहन सहन संबंधी उचित परिस्थितियां सुनिश्चित करने तथा भर्ती करने वाले एजेंटों के अनाचारों पर रोक लगाने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, (v)राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग - इसकी शुरूआत पूरे भारत और इसके साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण श्रमिकों की विशिष्ट समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से की गई है ।

12. शिल्पियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण- महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की गई है, जो रोजगार सेवा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के विकास के लिये भारत में जिम्मेदार शीर्ष संगठन है । रोजगार निदेशालय विकलांगों के लिए बहुत से व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों और अनुशिक्षण-एवं-मार्गदर्शक केन्द्रों का संचालन करता है । प्रशिक्षण निदेशालय देश के विभिन्न भागों में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करता है । महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण ने लगभग 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिये उनके अप्रचलित उपस्करों का आधुनिक मशीनों से प्रतिस्थापन, उनके प्रशिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रशिक्षण, मशीन रखरखाव प्रणाली की स्थापना और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु दृश्य-श्रव्य उपस्कर की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना शुरू की है । इस परियोजना में कामगारों के लिए उच्च प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थानों में उच्च प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना तथा केवल महिलाओं हेतु नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करके और विभिन्न राज्यों में विद्यमान आई. टी. आई. / एकों में नए व्यावसाय शुरू करके महिलाओं के लिए अधिक प्रशिक्षण की सुविधाओं के प्रावधान से सम्बन्धित बहुत-सी योजनाएं शामिल होंगी । इस परियोजना का कार्य-क्षेत्र राष्ट्रीय है और इसमें 28 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं । परियोजना की कुल बुनियादी लागत 441.58 करोड़ रुपए है और इसे 6-7 वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाना है । यह परियोजना अगस्त, 1989 से प्रभावी हो गई है और केन्द्र तथा राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से बहुत-सी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है ।

15. सहायता सामग्री और उपस्कर इसके अंतर्गत निम्न के लिए जर्मन संघीय गणराज्य से सहायता की व्यवस्था है (i) केन्द्रीय प्रशिक्षण संबंधी मीडिया संस्थान, मद्रास, और (ii) फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर जिनकी स्थापना क्रमशः 1986 और 1971 में जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से की गई थी ।

Government of Assam in respect of plantation workers in Assam, who are governed by the Assam Tea Plantation Provident Fund and Family Pension Fund Act administered by the Government of Assam.

9. **Labour Education** - Aims at equipping and developing among all workers, a sense of responsibility and understanding of the socio-economic environment and promoting leadership qualities. Grants for the purpose are given to Central Board for Workers' Education and National Labour Institute.

10. **Rehabilitation of Bonded Labour** - This is a centrally sponsored plan scheme drawn up to assist the States/Voluntary Agencies in their programmes for identification and rehabilitation of bonded labourers.

11. **Other Items** - provide for - (i) Research and Statistics - to collect and publish statistics, to conduct enquiries, surveys and research studies on various labour subjects, (ii) Improvement in working conditions of child/women labour, provides for the formulation, coordination and implementation of policies and programmes concerning the welfare of child/women labour, (iii) International co-operation, strengthening of enforcement machinery and payment of pension compensation to workers and civilians for injuries sustained during war, (iv) Welfare of emigrant labour- setting up of regional offices for regulation of recruitment for employment abroad, to ensure reasonable working and living conditions and to curb the malpractices of the recruiting agents, (v) National Commission on Rural Labour set up for achieving better understanding of all India as well as regional specific problems of rural labourers.

12. **Training of Craftsmen and Supervisors:** Provides for the Director General of Employment & Training, which is the apex organisation in India responsible for the development of programmes relating to the employment service and vocational training. The Employment Directorate operates several Vocational Rehabilitation Centres for the handicapped and Coaching-cum-Guidance Centres. The Training Directorate operates various Vocational Training Institutes in different parts f the country. A comprehensive World Bank assisted Vocational Training Project (VTP) has been taken up by the Directorate General of Employment and Training for improving the all round quality of training in about 400 ITIs by replacing their obsolete equipment with modern machines, training their instructors and other staff members, establishing a machine maintaining system and making provision for audio visual equipment for improving the quality of training. The Project also covers a number of Schemes related to expansion of advanced training programme for workers, establishment of high training facility in different institutions at different levels, and provision of more training facilities for women by starting new ITIs exclusively for women and by adding new trades in the existing ITIs/Wings in various States. The Project is national in scope and covers 28 States/UTs. The total base cost of Project is Rs.441.58 crores and it is to be implemented in a span of 6-7 years period. The Project became effective from August, 1989 and a number of Schemes are being implemented from the year 1990-91, both under Central and State Sectors.

15. **Aid Material and Equipment** - Provides for aid from FRG for (i) Central Instructional Media Institute (CIMI), Madras and (ii) Foreman Training Institute, Bangalore which were set up with the assistance of FRG in 1986 and 1971, respectively.

विधि और न्याय मंत्रालय MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

मांग संख्या DEMAND No. 58

विधि और न्याय Law and Justice

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	84.39	84.39	...	80.03	80.03	...	221.63	221.63
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**84.39**	**84.39**	...	**80.03**	**80.03**	...	**221.63**	**221.63**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	*1. Secretariat-General Services*										
1.01 विधि कार्य विभाग	1.01 Department of Legal Affairs	2052	...	3.83	3.83	...	3.48	3.48	...	4.01	4.01
1.02 विधायी विभाग	1.02 Legislative Department	2052	...	1.40	1.40	...	1.31	1.31	...	1.53	1.53
1.03 न्याय विभाग	1.03 Department of Justice	2052	...	0.20	0.20	...	0.21	0.21	...	0.22	0.22
1.04 अन्य	1.04 Others	2052	...	1.65	1.65	...	1.70	1.70	...	1.76	1.76
जोड़ - सचिवालय	**Total-Secretariat**		...	**7.08**	**7.08**	...	**6.70**	**6.70**	...	**7.52**	**7.52**
2. निर्वाचन	2. Elections	2015	...	64.14	64.14	...	59.51	59.51	...	200.00	200.00
3. आयकर अपीलीय अधिकरण	3. Income Tax Appellate Tribunal	2020	...	4.09	4.09	...	3.84	3.84	...	4.07	4.07
न्याय प्रशासन	**Administration of Justice**										
4. उच्चतम न्यायालय	4. Supreme Court	2014	...	5.48	5.48	...	6.64	6.64	...	6.73	6.73
5. विशेष न्यायालय	5. Special Courts	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. अन्य व्यय	6. Other Expenditure	2014	...	2.02	2.02	...	1.87	1.87	...	2.10	2.10
7. उच्च न्यायालय	7. High Courts	2014	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	...	...
जोड़ - न्याय प्रशासन	**Total-Administration of Justice**		...	**7.90**	**7.90**	...	**8.91**	**8.91**	...	**8.83**	**8.83**
8. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	8. Other Administrative Services	2070	...	1.18	1.18	...	1.07	1.07	...	1.21	1.21
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*84.39*	*84.39*	...	*80.03*	*80.03*	...	*221.63*	*221.63*

1. सचिवालय - सामान्य सेवाएं - इसके अन्तर्गत सचिवालय के लिए व्यवस्था की गई है । अन्यों (1.04) के अन्तर्गत राजभाषा खंड जो केन्द्रीय अधिनियमों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद और छपाई के लिए जिम्मेदार है और केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए की गई व्यवस्था सम्मिलित है, जो कि केन्द्रीय सरकार की ओर से तथा केन्द्रीय अभिकरण स्कीम में सम्मिलित राज्य सरकारों की ओर से उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के संचालन के लिए जिम्मेदार है ।

1. Secretariat - General Services - Provides for Secretariat expenditure. Others (1.04) include provision for Official Languages Wing which is responsible for translation and printing of Central Acts into Hindi and other Regional Languages and Central Agency Section which is responsible for conduct of cases in the Supreme Court on behalf of the Central Government and on behalf of the State Governments participating in the Scheme of the Central Agency.

2. **निर्वाचन** - इसमें निर्वाचन आयोग के लिए व्यवस्था की गई है जो कि संसद, राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडलों और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है और इसके अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनकी छपाई कराने का व्यय भी शामिल है । 1991-92 में अधिक व्यवस्था आम चुनाव 1991 के लिए है।

2. **Elections** - Provision is for the Election Commission of India which is responsible for the conduct of elections to Parliament, State/Union Territory legislatures and to the Offices of the President and Vice-President and includes cost of preparation and printing of the electoral rolls. More provision in 1991-92 is for General Elections, 1991.

3. **आयकर अपीलीय अधिकरण** - आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, अपीलीय सहायक आयुक्त तथा निरीक्षक आयकर सहायक आयुक्त के निर्णयों और आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन की गई है ।

3. **Income Tax Appellate Tribunal** - The Income Tax Appellate Tribunal has been set up under the provisions of the Income Tax Act, 1961 to hear appeals against the decisions and orders of the Commissioner (Appeals), Commissioner of Income Tax, Appellate Assistant Commissioner and Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax.

4. उच्चतम न्यायालय - इसमें उच्चतम न्यायालय के व्यय (भारित व्यय) के लिए व्यवस्था की गई है ।

4. **Supreme Court** - Provides for expenditure (charged) on Supreme Court.

6. अन्य व्यय - निर्धनों को विधि अधिकारियों, विधि सलाहकारों तथा कौंसेलों की सहायता उपलब्ध करने और कानूनी सहायता मुहैया करवाने के लिए व्यवस्था की गई है ।

6. **Other Expenditure** - Provision is for Law Officers, Legal Advisers and Counsels and legal aid to poor.

7. उच्च न्यायालय - महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने पणजी (गोआ) में बम्बई उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ (बैंच) स्थापित की थी और वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक, जब गोआ एक संघ शासित राज्य था, पणजी में बम्बई उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ पर उनके द्वारा किए गए 40 लाख रुपए की राशि के व्यय की वापसी अदायगी के लिए अनुरोध किया है, चूंकि न्याय विभाग को इस राशि की प्रतिपूर्ति महाराष्ट्र सरकार को करनी थी । बजट अनुमान 1990-91 में की गई व्यवस्था 1990-91 के संशोधित अनुमान में भी कायम रही ।

7. **High Courts** - Government of Maharashta had set up a permanent Bench of Bombay High Court at Panaji (Goa) and has requested for the reimbursement of expenditure to the tune of Rs.40 lakhs incurred by them on the permanent bench of Bombay High Court at Panaji during the years 1983-84 to 1985-86 when Goa was a Union Territory. As Department of Justice had to reimburse this amount to Govt. of Maharashtra Provision made in BE 1990-91 has been retained in RE 1990-91.

8. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - इसके अन्तर्गत विधि आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय विधि संघ और कानूनी पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

8. **Other Administrative Services** - Provision is for Law Commission, International Law Association and for publication of law books and journals in Hindi by Vidhi Sahitya Prakashan.

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No.59

कम्पनी कार्य विभाग Department of Company Affairs

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	8.99	8.99	...	8.99	8.99	...	9.99	9.99
पूंजी	*Capital*		...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*
जोड़	**Total**		...	**9.00**	**9.00**	...	**9.00**	**9.00**	...	**10.00**	**10.00**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	2.35	2.35	...	2.34	2.34	...	2.75	2.75
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	**Other General Economic Services**										
2. रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज	2. Registrars Joint Stock Companies	3475	...	3.30	3.30	...	3.38	3.38	...	3.60	3.60
3. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी परिसमापक व क्षेत्रीय निदेशक	3. Official Liquidator under Companies Act and Regional Directors	3475	...	2.50	2.50	...	2.43	2.43	...	2.75	2.75
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	3475	...	0.84	0.84	...	0.84	0.84	...	0.89	0.89
		5475	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		*Total*	...	*0.85*	*0.85*	...	*0.85*	*0.85*	...	*0.90*	*0.90*
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***9.00***	***9.00***	...	***9.00***	***9.00***	...	***10.00***	***10.00***

1. **सचिवालय:** कंपनी विधि बोर्ड सहित, कम्पनी कार्य विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **कम्पनी पंजीयक:** मुख्य रूप से प्रत्येक राज्य में एक कम्पनी पंजीयक का कार्यालय है । कम्पनी पंजीयक के कुल 19 कार्यालय हैं । इन का मुख्य कार्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने सम्बन्धित राज्यों में स्थापित सरकारी तथा निजी कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों, तुलन-पत्रों तथा अन्य कागजातों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप पायी गई अनियमितताओं पर आवश्यक कार्यवाही करना है।

3. **कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत परिसमापक :** कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार, अधिकृत परिसमापक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध किया जाता है और ये अनिवार्य परिसमापन के अन्तर्गत सभी कम्पनियों के प्रभारी हैं । समाप्त होने वाली कम्पनियों की परिसम्पत्तियों को भी यही परिसमापक वसूल करते हैं और कम्पनी के ऋणदाताओं को भी अदायगी करते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर स्थित चार क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय हैं जो कि अपने-अपने क्षेत्रों की कम्पनियों के रजिस्ट्रारों तथा सरकारी परिसमापकों के कार्यालयों का परिवेक्षण करते हैं।

4. **अन्य व्यय:** एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग तथा महानिदेशक अन्वेषण एवं पंजीकरण पर होने वाले व्यय की व्यवस्था की गई है।

1. **Secretariat:** Provides for Secretariat expenditure of the Department of Company Affairs,including the Company Law Board.

2. **Registrars of Companies:** The Offices of the Registrars of Companies are located broadly one in each State. There are in all 19 offices of the Registrars of Companies. Their main functions are to scrutinise the annual returns, balance sheets and other documents of the public and private companies located in their respective States under the provisions of the Companies Act, 1956 and to take necessary action on the irregularities noticed as a result of such scrutiny.

3. **Official Liquidator under the Companies Act:** As per the Companies Act, 1956, the Official Liquidators are appointed by the Central Government and are attached to the High Courts and are incharge of all the Companies under compulsory liquidation. Liquidators realise the assets of the Companies under liquidation and pay off to the creditors of the Company.

Regional Directors: There are four Regional Directors' offices at Bombay, Calcutta, Madras and Kanpur to supervise the offices of the Registrars of Companies and Official Liquidators in their respective regions.

4. **Other Expenditure:** Provides for expenditure on Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission and Director General of Investigation and Registration.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

मांग संख्या DEMAND No.60

खान मंत्रालय Ministry of Mines

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		43.09	92.06	135.15	42.00	95.47	137.47	43.97	81.73	125.70
पूंजी	*Capital*		*11.66*	*30.82*	*42.48*	*103.86*	...	*103.86*	*19.80*	...	*19.80*
जोड़	**Total**		54.75	122.88	177.63	145.86	95.47	241.33	63.77	81.73	145.50
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.63	1.63	...	1.57	1.57	...	1.71	1.71
अलौह खनन और धातु-कर्म उद्योग	**Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries**										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2. Geological Survey of India	2853	29.74	58.70	88.44	27.72	57.00	84.72	15.00	61.63	76.63
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	3. Grants to Mineral Exploration Corporation Ltd.	2853	7.28	...	7.28	7.28	...	7.28	20.00	...	20.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	4. Indian Bureau of Mines	2853	5.30	4.66	9.96	5.30	4.66	9.96	4.97	4.89	9.86
		4853	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
जोड़		*Total*	*5.50*	*4.66*	*10.16*	*5.50*	*4.66*	*10.16*	*4.97*	*4.89*	*9.86*
5. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को आर्थिक सहायता	5. Interest Subsidy to Bharat Gold Mines Ltd.	2853	...	14.00	14.00	...	...	...	...	...	...
6. सरकारी उद्यमों को आर्थिक सहायता	6. Subsidy to Public Sector Undertakings										
6.01 भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	6.01 Bharat Gold Mines Ltd.	2853	...	8.00	8.00	...	27.17	27.17	...	10.00	10.00
6.02 भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि0	6.02 Bharat Aluminium Co. Ltd	2853	...	2.44	2.44	...	2.44	2.44	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*10.44*	*10.44*	...	*29.61*	*29.61*	...	*10.00*	*10.00*
7. अन्य कार्यक्रम	7. Other Programmes	2853	0.77	2.63	3.40	1.70	2.63	4.33	4.00	3.50	7.50
8. सरकारी उद्यमों में आयोजना भिन्न निवेश	8. Non-Plan Investments in Public Enterprises										
8.01 भारत गोल्ड माइंस लि0	8.01 Bharat Gold Mines Ltd.	4853	...	30.82	30.82	...	...	...	...	...	...
जोड़-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	**Total-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries**		43.29	121.25	164.54	42.20	93.90	136.10	43.97	80.02	123.99
9. सरकारी उद्यमों में निवेश	9. Investment in Public Enterprises	4853	9.88	...	9.88	102.08	...	102.08	18.45	...	18.45
		6853	1.58	...	1.58	1.58	...	1.58	1.35	...	1.35
जोड़		*Total*	*11.46*	...	*11.46*	*103.66*	...	*103.66*	*19.80*	...	*19.80*
कुल जोड़	*Grand Total*		*54.75*	*122.88*	*177.63*	*145.86*	*95.47*	*241.33*	*63.77*	*81.73*	*145.50*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
9.01 भारत एल्यूमीनियम कम्पनी	9.01 Bharat Aluminium Company Ltd.	12853	...	69.34	69.34	...	31.88	31.88	...	60.00	60.00
9.02 हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	9.02 Hindustan Copper Ltd.	12853	9.46	45.54	55.00	9.46	45.54	55.00	...	66.00	66.00
9.03 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	9.03 National Aluminium Company Ltd.	12853	...	90.00	90.00	...	90.00	90.00	...	96.00	96.00
9.04 हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	9.04 Hindustan Zinc Ltd.	12853	...	366.00	366.00	92.20	273.80	366.00	0.80	161.20	162.00
9.05 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	9.05 Mineral Exploration Corpn. Ltd.	12853	...	17.66	17.66	...	10.00	10.00	9.00	5.00	14.00
9.06 भारत गोल्ड माइंस लि0	9.06 Bharat Gold Mines Ltd.	12853	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	9.30	...	9.30
9.07 सिक्किम खनन निगम	9.07 Sikkim Mining Corporation	12853	...	...	...	...	...	...	0.70	...	0.70
9.09 भारतीय खान ब्यूरो	9.08 Other bodies/Institutions	12853	...	8.97	8.97	...	11.11	11.11	...	11.03	11.03
जोड़	**Total**		**11.46**	**597.51**	**608.97**	**103.66**	**462.33**	**565.99**	**19.80**	**399.23**	**419.03**
ग. आयोजना परिव्यय *	**C. Plan Outlay** *										
1. अलौह खनन और धातु-कर्म उद्योग	1. Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	12853	55.00	597.51	652.51	150.86	462.33	613.19	70.77	399.23	470.00

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांगों में दिए गए निर्माण कार्यों के परिव्यय शामिल हैं।
* Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development

मांग संख्या 78	Demand No 78	12853	0.06	...	0.06	2.00	...	2.00	1.75	...	1.75
मांग संख्या 79	Demand No 79	12853	0.19	...	0.19	3.00	...	3.00	5.25	...	5.25
जोड़	**Total**		**0.25**	...	**0.25**	**5.00**	...	**5.00**	**7.00**	...	**7.00**

1. **सचिवालय :** इसके अन्तर्गत खान मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण :** इसके अन्तर्गत व्यवस्था भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल है ।

3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान :** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण अनुदानों द्वारा किया जाता है ।

4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत व्यवस्था में निरीक्षण और अध्ययनन के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकता और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण के संवर्धन और वैज्ञानिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए विशेष खनन समस्याओं के अनुसंधान और नई प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए व्यवस्था शामिल हैं ।

5. **भारत गोल्ड माइन्स को ब्याज सहायता:** इसके पूंजी गत ढांचे में सुधार लाने के लिए 1990-91 के बजट अनुमानों में 14.00 करोड़ रुपए की नकद राशि के अतिरिक्त उधार सहायता की व्यवस्था प्रस्तावित प्रथा के कारण वित्तीय रूप से व्यवहार्य न होने के कारण 1990-91 के संशोधित अनुमान में समाप्त कर दी गई है ।

6. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आर्थिक सहायता:**

6.01 **भारत गोल्ड माइन्स, लिमिटेड को आर्थिक सहायता:** इस कम्पनी को आर्थिक सहायता जरूरी हो गई है क्योंकि इस कम्पनी को बहुत ही पुरानी खानों के घाटे वाले प्रचालन के कारण लगातार नकद हानियां हो रही हैं । लगातार नकद हानि के कारण, के. जी.एफ. की खानें धीरे-धीरे बन्द की जा रही हैं और कम्पनी खान-निर्माण तथा इजीनियरी में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है ।

6.02 **भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड को आर्थिक सहायता:** 1990-91 में एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया जे.के इंडस्ट्रीयल अंडरटेकिंग (ए.जे.आई.यू) का राष्ट्रीयकरण होने पर भारत एल्यूमीनियम क० लि० के सभी बकाया का निपटान कर दिए जाने के उपरान्त 1991-92 के बजट अनुमानों में इस संबध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 2.44 करोड़ रुपए की व्यवस्था एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया जे . के इंडस्ट्रीयल अंडरटेकिंग द्वारा देय बकाया देनदारियों के अंतिम निपटान के लिए है ।

7. **अन्य कार्यक्रम :** इनमें निर्दिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त और वैज्ञानिक निकायों को अनुदान सहायता के लिए व्यवस्था, कौलार गोल्ड फील्ड खानों में अधिक गहराई में परीक्षणों के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को विशेष अध्ययनों और पट्टे पर दी जाने वाली खानों के नियंत्रक आदि के लिए भुगतान शामिल है ।

8. **सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश:**

8.01 **भारत गोल्ड माइंस लि० :** बजट अनुमान 1990-91 में 30.82 करोड़ रुपए की नकद राशि से भिन्न व्यवस्था भारत गोल्ड माइंस लि० के पूंजीगत ढांचे के संबंध में वित्तीय व्यवहार्यता प्रथा के अनुसार न होने के कारण 1990-91 के संशोधित अनुमान में समाप्त कर दी गई है ।

9. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** इसके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं पर पूंजी व्यय, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण और अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों के लिए इक्विटी और ऋणों की व्यवस्था की गई है। इन उद्यमों और आं०ब०बा०सं० के लिए बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्योरा, व्यय बजट खण्ड I में दर्शाया गया है ।

9.01 **भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड:** 1990-91 के संशोधित अनुमान में कमी का कारण उनके केप्टिव थर्मल पावर प्लांट के संबंध में पूर्तियों को स्थगित करने के कारण है । 1991-92 के परिव्यय में 20.00 करोड़ रुपए केप्टिव थर्मल पावर प्लांट के लिए 10.00 करोड़ रुपए पुर्नस्थापन और नवीकरण के लिए कोरबा में स्मैल्टर के आधुनिकीकरण के इलए 10 करोड़ रुपए नई स्कीमों के लिए 11.00 रुपए और 9.00 करोड़ रुपए अन्य अनवरत योजनाओं और अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए है ।

9.02 **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :** बजट अनुमान 1991-92 में 66.00 करोड़ रुपए इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए है: (i) मलंजखंड

1. **Secretariat:** The provision is for Secretariat expenditure of Ministry of Mines.

2. **Geological Survey of India :** The provision is for geological mapping and regional mineral assessment of the country including off-shore areas and covers the requirements of remote-sensing through satellite imaging and airborne surveys.

3. **Grants to Mineral Exploration Corporation Ltd. :** Exploration projects assigned by the Central Government to the Corporation on a promotional basis are funded by grants.

4. **Indian Bureau of Mines :** The provision covers the requirements of the Indian Bureau of Mines for inspection and study of mines and research on (i) the benefication of low grade ores and minerals and (ii) special mining problems with a view to promotion of conservation and scientific development of mineral resources and for construction of new laboratory building.

5. **Interest Subsidy to Bharat Gold Mines Ltd:** The non-cash provision of Rs.14.00 crores in B.E. 1990-91 towards capital restructuring of Bharat Gold Mines Ltd. has been dropped in R.E.1990-91 due to the proposed exercise not being found financially viable.

6. **Subsidy to Public Sector Undertakings:**

6.01. **Subsidy to Bharat Gold Mines Ltd. :** The payment of subsidy to the Company has been necessitated as the Company has been continuously incurring cash losses due to un-economic operation of very old mines. In view of the continuing cash losses, the old mines of KGF are being phased out gradually and the Company are diversifying their activities in mine construction and engineering.

6.02 **Subsidy to Bharat Aluminium Company Ltd:** Consequent upon settlement of all dues of Bharat Aluminium Company Limited arising pursuant to nationalisation of Aluminium Corporation of India Jay Kay Industrial Undertaking (AJIU) in 1990-91, no provision is being made in BE 1991-92. The provision of Rs.2.44 crores in RE 1990-91 is towards final clearance of the balance dues payable by AJIU.

7. **Other Programmes :** These include provisions for Grants-in aid to various autonomous and scientific bodies for specific research projects, payment for special studies to Bharat Gold Mines Limited for ultra depth experiments in Kolar Gold Fields and Controller of Minning Leases, etc.

8. **Non-Plan Investments in Public Enterprises:**

8.01 **Bharat Gold Mines Limited:** The non-cash provision of Rs.30.82 crores in BE 1990-91 towards capital restructuring of the Bharat Gold Mines Ltd. has been dropped in RE 1990-91, as the proposed exercise not found financially viable.

9. **Investment in Public Enterprises :** Provides for equity and loans to the public sector undertakings to meet their capital expenditure on new & continuing schemes, replacement & renewals & R&D. The equity and loan-wise breakup of the budget support to these enterprises, and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol.I.

9.01. **Bharat Aluminium Company Ltd. :** The drop in R.E. 1990-91 outlay is due to postponement of supplies in respect of their Captive Thermal Power Plant. The outlay 1991-92 provides Rs.20.00 crores for the Captive Thermal Power Plant, Rs.10.00 crores for replacement and renewals, modernisation of smelter at Korba Rs.10.00 crores, Rs.11.00 crores for New Schemes and Rs.9.00 crores for other continuing schemes and R&D programmes.

9.02. **Hindustan Copper Ltd.:** The outlay of Rs.66.00 crores in B.E. 1991-92 is towards implementation of (i) Malanjkhand Feasibility

व्यवहार्यता अध्ययन 8.00 करोड़ रुपए), (ii) पुर्नस्थापन और नवीनीकरण (15.00 करोड़ रुपए), (iii) एम.सी.पी. खान तथा कनवन्टेरेटर संबंधी विस्तृत अन्वेषण और व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए 10 करोड़ रुपए अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए (2.00 करोड़ रुपए) और अन्य अनवरत योजनाओं के लिए (18.00 करोड़ रुपए) (iv) आई.सी.सी. और के.सी.सी. के पर्यावरण नियंत्रण के संबद्य में (13.00 करोड़ रुपए)।

9.03 **राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी :** बजट 1991-92 में 96.00 करोड़ रुपए के समस्त पूंजीगत परिव्यय को आं बं0 बा0 सा. द्वारा समर्थन दिया जा रहा है वह मुख्यतः (i) उड़ीसा एल्यूमीनियम कम्पनी (8.00 करोड़), (ii) केप्टिव थर्मल पावर प्लांट की छठी इकाई के लिए (77.00 करोड़ रुपए), (iii) पुनर्स्थापन और नवीनीकरण (10.00 करोड़ रुपए), और नई योजनाओं (1.00 करोड़ रुपए) के लिए है ।

9.04 **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड :** 1990-91 के संशोधित अनुमानों के बजट समर्थन में वृद्धि मुख्यतः विदेशी सहायता और रामपुरा अगुच्छा परियोजना की निकासी अनुसूची के कारण है । 1991-92 में 162.00 करोड़ रुपए के परिव्यय में मुख्यतः (i) रामपुरा अगुछा परियोजना (132.00 करोड़ रुपए), (ii) पुर्नस्थापना और नवीनीकरण (10.00 करोड़ रुपए), (iii) अनुसंधान और विकास योजनाएं (2.00 करोड़ रुपए) और (iv) अन्य अनवरत और नई योजनाओं के लिए (18.00 करोड़ रुपए) है

9.05 **खनिज अन्वेषण निगम लि0:** 1991-92 के बजट अनुमानों में 14.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था पूंजीगत व्यय के लिए की गई है ।

9.06 **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड :** गैर किफायती सोने की खानों के कारण बजटीय समर्थन के माध्यम से 1991-92 के दौरान 9.30 करोड़ रुपए का पूर्ण परिव्यय पूरा किया जाना है । पुनर्स्थापन और नवीकरण (1.00 करोड़ रुपए), चिगरगुंटा विस्तार (1.23 करोड़ रुपये), खानों में सुधार (1.28 करोड़ रुपए), और नई योजनाओं (5.79 करोड़ रुपए) के लिए 1991-92 के बजट संबन्धी अनुमानों में 9.30 करोड़ रुपए का प्रावधान है ।

9.07 **सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन :** 1991-92 के बजट अनुमानों में 0.70 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था गई है ।

9.08 **अन्य निकाय/संस्थायें** 1991-92 के बजट संबंधी अनुमानों में एल्यूमीनियम के क्षेत्र में देशी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना करने हेतु जवाहरलाल नेहरू एल्यूमीनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केन्द्र के वास्ते 10.00 करोड़ रुपए और नागपुर में आधुनिक ओर ड्रेसिंग लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए इंडियन ब्यूरो आफ माइन्स के लिए 1.03 करोड़ रुपए का प्रावधान है ।

Studies (Rs. 8.00 crores), (ii) Replacement & Renewals (Rs.15.00 crores), (iii)Rs.10.00 crores for detailed exploration and feasiblity report for MCP Mine and Conventrator, R & D Schemes (Rs. 2.00 crores) and other continuing schemes (Rs.18.00 crores) and (iv) Pollution Control of ICC and KCC (Rs.13.00 crores).

9.03. **National Aluminium Company Ltd. :** The entire outlay of Rs.96.00 crores in B.E. 1991-92, which is supported by IEBR is mainly for (i) Orissa Aluminium Company (Rs. 8.00 crores), (ii) VIth unit of Captive Thermal Power Plant (Rs. 77.00 crores), (iii) Replacement & renewals (Rs.10.00 crores) and (iv) New schemes (Rs. 1.00 crore).

9.04. **Hindustan Zinc. Ltd. :** The increase in Budget suport in RE 1990-91 is mainly due to overseas aid and drawal schedule for Rampura Agucha Project. The outlay in 1991-92 of Rs.162.00 crores is mainly for (i) Rampura Agucha Project (Rs.132.00 crores) (ii) Replacement and Renewals (Rs.10.00 crores) (iii) R & D Schemes (Rs.2.00 crores) and (iv) Other continuing and new schemes (Rs.18.00 crores).

9.05. **Mineral Exploration Corporation Ltd. :** BE 1991-92 provides Rs. 14.00 crores for capital expenditure.

9.06. **Bharat Gold Mines Ltd. :** Because of uneconomic gold mines, the entire outlay of Rs.9.30 crores during 1991-92 has to be met through budgetary support. The provision of Rs.9.30 crores in BE 1991-92 is for replacement and renewals (Rs.1.00 crore), Chigargunta expansion (Rs.1.23 crores), improvement in mines (Rs.1.28 crores) and on new schemes (Rs.5.79 crores).

9.07. **Sikkim Mining Corporation :** An outlay of Rs.0.70 crore has been provided in BE 1991-92.

9.08 **Other Bodies/Institutions:** An outlay of Rs.10.00 crores has been provided for J.L. Nehru Aluminium Research Development and Design Centre for establishment of a Centre for development of indigeneous technologies in the sphere of Aluminium and Rs.1.03 crores for Indian Bureau of Mines for establishing of a modern Ore Dressing Laboratory at Nagpur in BE 1991-92.

संसदीय कार्य मंत्रालय *MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS*

मांग संख्या DEMAND No.61

संसदीय कार्य मंत्रालय Ministry of Parliamentary Affairs

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	1.00	1.00	...	1.23	1.23	...	1.30	1.30
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**1.00**	**1.00**	...	**1.23**	**1.23**	...	**1.30**	**1.30**

		Major Head	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	0.99	0.99	...	1.07	1.07	...	1.12	1.12
2. लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता	2. Leaders of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha	2011	...	0.01	0.01	...	0.16	0.16	...	0.18	0.18
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***1.00***	***1.00***	...	***1.23***	***1.23***	...	***1.30***	***1.30***

इसके अन्तर्गत सचिवालय के व्यय के लिए तथा संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं के लिए व्यवस्था की गई है ।

Provides for Secretariat expenditure and for the Leaders of the Opposition in the two Houses of Parliament.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

मांग संख्या DEMAND No.62

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

			बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
		मुख्य शीर्ष Major Head	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		3.05	41.37	44.42	2.55	42.17	44.72	6.85	45.35	52.20
पूंजी	*Capital*		*3.15*	*6.25*	*9.40*	*1.85*	*4.65*	*6.50*	*1.15*	*4.65*	*5.80*
जोड़	**Total**		**6.20**	**47.62**	**53.82**	**4.40**	**46.82**	**51.22**	**8.00**	**50.00**	**58.00**
1. सचिवालय–सामान्य सेवाएं	1. Secretariat -General Services	2052	1.00	5.40	6.40	0.35	5.93	6.28	1.09	6.29	7.38
2. प्रशासनिक न्यायाधिकरण	2. Administrative Tribunals	2014	...	6.30	6.30	...	5.90	5.90	...	6.87	6.87
3. कर्मचारी चयन आयोग	3. Staff Selection Commission	2051	...	5.50	5.50	...	6.34	6.34	...	6.56	6.56
पुलिस	**Police**										
4. केन्द्रीय जांच ब्यूरो	4. Central Bureau of Investigation	2055	...	17.75	17.75	...	18.00	18.00	...	19.00	19.00
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	**Other Administrative Services**										
5. प्रशिक्षण	5. Training	2070	2.05	5.23	7.28	2.20	4.79	6.99	5.76	5.34	11.10
		4059	3.15	1.60	4.75	1.85	...	1.85	1.15	...	1.15
जोड़		*Total*	*5.20*	*6.83*	*12.03*	*4.05*	*4.79*	*8.84*	*6.91*	*5.34*	*12.25*
6. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	6. Loans to States for House Building Advances to All India Service Officers	7601	...	4.65	4.65	...	4.65	4.65	...	4.65	4.65
7. अन्य मदें	7. Other Items	2070	...	1.19	1.19	...	1.21	1.21	...	1.29	1.29
कुल जोड़	***Grand Total***		***6.20***	***47.62***	***53.82***	***4.40***	***46.82***	***51.22***	***8.00***	***50.00***	***58.00***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay*:-**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat General Services	32052	1.00	...	1.00	0.35	...	0.35	1.09	...	1.09
2. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2. Other Administrative Services	32070	5.21	...	5.21	5.05	...	5.05	6.91	...	6.91
जोड़		Total	6.21	...	6.21	5.40	...	5.40	8.00	...	8.00
* मांग संख्या 79 में शामिल निर्माण कार्यों के लिए परिव्यय सहित	*inclusive of Works Outlay included in Demand No. 79		0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	...	...	...

1. **सचिवालय**:- इसमें निम्नलिखित शामिल हैं (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग: यह विभाग वरिष्ठ तथा मध्य प्रबन्ध स्तर के लिए भर्ती, पदोन्नति तथा आरक्षण नीति बनाने, अधिष्ठान प्रशिक्षण तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करने, सेवा शर्तों, सतर्कता, अनुशासन, संघ लोक सेवा आयोग, वृत्तिका तथा जनशक्ति आयोजना आदि के कार्यों को देखता है (ख) प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग: यह विभाग प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति नीति तथा केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों से संबंधित शिकायतों समेत लोक शिकायतों के निवारण के समन्वय का कार्य करता है और (ग) पेंशन विभाग पेंशन तथा पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले उपदान, पेंशन, आनुषंगिक लाभों आदि समेत सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य करता है ।

2. **प्रशासनिक न्यायाधिकरण** :- इन अधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करना है ताकि उनकी शिकायतों को दूर करने में देरी न हो। देश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की 18 शाखाएं है । इस व्यवस्था में इन अधिकरणों द्वारा किराए पर ली गई इमारतों के किराए की राशि भी शामिल है।

3. **कर्मचारी चयन आयोग**:- मंत्रालयों आदि में निचले वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है । संशोधित अनुमान 1990-91में वृद्धि आयोग द्वारा अधिक परीक्षाओं के आयोजन तथा प्रत्याशियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है ।

4. **केंद्रीय जांच ब्यूरो** :- यह विभाग सरकारी– कर्मचारियों गैर सरकारी व्यक्तियो, फर्मों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में तथा अन्य प्रकार के गंभीर अपराधों के मामलों में जांच कार्य करता है तथा मुकदमे चलाता है । इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के लिए अंशदान और केन्द्रीय अभिलेख स्कन्ध पर होने वाले खर्च के लिए व्यवस्था शामिल है ।

5. **प्रशिक्षण** - इसमें (क) सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (ख) लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान तथा (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है ।

6. **अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मकान निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण**- इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीय रूप में इस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जाती है ।

7. **अन्य मदें** - इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग के खर्च और लोकपाल तथा लोक आयुक्त के लिए सांकेतिक व्यवस्था शामिल है ।

1. **Secretariat** – Includes (a) Department of Personnel and Training which looks after recruitment, promotion and reservation policy, induction training and refresher courses for senior and middle management level, service conditions, vigilance, discipline, UPSC, career and manpower planning etc. (b) Department of Administrative Reforms and Public Grievances which looks after administrative reforms, O&M and policy and coordination of redressal of grievances including those pertaining to Central Government agencies and (c) Department of Pensions and Pensioners' Welfare which administers all schemes relating to retirement benefits including gratuity, pension, fringe benefits to pensioners etc.

2. **Administrative Tribunals** – Have been set up to look into the grievances of public servants exclusively to avoid delay in redressal of their grievances. There are 18 Benches of Central Administrative Tribunal in the country. Provision also includes rent for buildings hired for them.

3. **Staff Selection Commission** – Conducts examinations for recruitment to lower grades in Ministries etc. The increase in R.E. 1990-91 is on account of more examinations being conducted by the Commission and also increase in the number of candidates.

4. **Central Bureau of Investigation** – Deals with investigation and prosecution in corruption cases against public servants, private persons, firms and other cases of serious crimes. The provision includes contribution to Interpol and expenditure on Central Records Wing.

5. **Training** – Includes (a) Institute of Secretariat Training and Management (b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (c) grants to Indian Institute of Public Administration and (d) other training programmes.

6. **Loans to States for House Building Advances to All India Service Officers** – Provision for this purpose is made centrally in the budget of this Ministry.

7. **Other Items** – Includes expenditure on Central Vigilance Commission and token provision for Lok Pal and Lok Ayukta.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

मांग संख्या DEMAND No.63

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय Ministry of Petroleum and Natural Gas

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	101.68	101.68	...	91.59	91.59	...	101.96	101.96
पूंजी	*Capital*		*150.00*	...	*150.00*	*150.00*	*—0.17*	*149.83*	*180.00*	...	*180.00*
जोड़	**Total**		**150.00**	**101.68**	**251.68**	**150.00**	**91.42**	**241.42**	**180.00**	**101.96**	**281.96**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.68	1.68	...	1.78	1.78	...	1.96	1.96
2. बम्बई अपतट के लिए विशेष उपस्कर/नौपत्तन के लिए आर्थिक सहायता	2. Special Equipment for Bombay Off Shore/Subsidy to Shipyards	2802	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. ओ.आई.डी.बी. को उपकरों की अदायगी	3. Payment of Cess to OIDB	2802	...	100.00	100.00	...	89.81	89.81	...	100.00	100.00
4. सार्वजनिक उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	4. Non-plan investments in Public Enterprises:										
आई.बी.पी. कंपनी लि.	I.B.P. Co. Ltd.	4802	...	...	...	...	-0.17	-0.17	...	...	...
5. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	*5. Investment in Public Enterprises*	*4802*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		6802	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	180.00	...	180.00
जोड़		*Total*	*150.00*	...	*150.00*	*150.00*	*-0.17*	*149.83*	*180.00*	...	*180.00*
कुल जोड़	*Grand Total*		*150.00*	*101.68*	*251.68*	*150.00*	*91.42*	*241.42*	*180.00*	*101.96*	*281.96*

ख. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
I. पेट्रोलियम क्षेत्र	**I. Petroleum Sector:**										
5.01 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	5.01 Oil & Natural Gas Commission	12802	115.00	2516.81	2631.81	115.00	3034.38	3149.38	125.00	2970.74	3095.74
5.02 भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	5.02 Gas Authority of India Ltd.	12802	...	233.00	233.00	...	169.94	169.94	...	249.61	249.61
5.03 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	5.03 Hindustan Petroleum Corporation Ltd	12802	...	95.85	95.85	...	110.87	110.87	...	177.63	177.63
5.04 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	5.04 Bharat Petroleum Corporation Ltd	12802	...	62.56	62.56	...	71.32.	71.32	...	151.17	151.17
5.05 मद्रास रिफाइनरीज लि.	5.05 Madras Refineries Ltd.	12802	...	50.07	50.07	...	45.20	45.20	...	73.09	73.09
5.06 कोचीन रिफाइनरीं लि.	5.06 Cochin Refineries Ltd.	12802	...	42.30	42.30	...	39.76	39.76	...	35.44	35.44
5.07 बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रो-कैमिकल्स लि.	5.07 Bongaigaon Refinery and Petro Chemicals Ltd.	12802	...	3.24	3.24	...	6.20	6.20	...	44.74	44.74
5.08 भारतीय तेल निगम लि.	5.08 Indian Oil Corporation Ltd.	12802	...	365.64	365.64	...	307.62	307.62	...	768.88	768.88
5.09 आयल इंडिया लिमिटेड	5.09 Oil India Limited	12802	35.00	185.00	220.00	35.00	169.66	204.66	55.00	189.00	244.00
5.10 लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड	5.10 Lubrizol India Limited	12802	...	10.50	10.50	...	10.65	10.65	...	8.71	8.71
5.11 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	5.11 Engnieers India Limited	12802	...	5.00	5.00	...	3.66	3.66	...	3.25	3.25
5.12 अन्य (मंत्रालय)	5.12 Others (Ministry)	12802	...	60.39	60.39	...	...	...	...	...	...
5.13 आई.बी.पी. कम्प. लि.	5.13 I.B.P. Co. Ltd	12802	...	11.00	11.00	...	10.76	10.76	..	65.00	65.00
जोड़ - पेट्रोलियम क्षेत्र	**Total - Petroleum Sector**		**150.00**	**3641.36**	**3791.36**	**150.00**	**3980.02**	**4130.02**	**180.00**	**4737.26**	**4917.26**
II. पेट्रो-रसायन क्षेत्र	**II. Petro-Chemicals Sector:**										
5.14 भारतीय तेल निगम लि.	5.14 Indian Oil Corporation Ltd.	12856	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	30.00	30.00
5.15 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	5.15 Hindustan Petroleum Corporation Ltd	12856	...	9.40	9.40	...	2.35	2.35	...	13.92	13.92
5.16 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	5.16 Bharat Petroleum Corporation Ltd	12856	...	12.00	12.00	...	2.00	2.00	...	15.00	15.00
5.17 मद्रास रिफाइनरीज लि.	5.17 Madras Refineries Ltd.	12856	...	35.00	35.00	...	35.07	35.07	...	33.00	33.00
5.18 कोचीन रिफाइनरीज लि.	5.18 Cochin Refineries Ltd.	12856	...	2.00	2.00	...	1.31	1.31	...	3.65	3.65
5.19 बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पैट्रो-कैमिकल्स लि.	5.19 Bongaigaon Refinery and Petro Chemicals Ltd.	12856	...	10.77	10.77	...	8.46	8.46	...	5.14	5.14
5.20 भारतीय गैस प्राधिकरण लि.	5.20 Gas Authority of India Ltd.	12856	...	180.00	180.00	...	43.15	43.15	...	20.00	20.00
कुल-पैट्रो-रसायन क्षेत्र	**Total - Petro-Chemicals Sector**		...	**253.17**	**253.17**	...	**96.34**	**96.34**	...	**120.71**	**120.71**
III. इंजीनियरी क्षेत्र	**III. Engineering Sector:**										
5.21 आई.बी.पी. कंपनी लि.	5.21 I.B.P. Co. Ltd.	12858	...	17.00	17.00	...	16.90	16.90	...	12.00	12.00
5.22 बामेर लारी लि.	5.22 Balmer Lawrie Ltd.	12858	...	27.00	27.00	...	26.45	26.45	...	7.00	7.00
5.23 बीको लारी लि.	5.23 Biecco Lawrie Ltd.	12858	...	2.22	2.22	...	2.22	2.22	...	0.10	0.10
जोड़-इंजीनियरी क्षेत्र	**Total - Engineering Sector**		...	**46.22**	**46.22**	...	**45.57**	**45.57**	...	**19.10**	**19.10**
जोड़	**Total**		**150.00**	**3940.75**	**4090.75**	**150.00**	**4121.93**	**4271.93**	**180.00**	**4877.07**	**5057.07**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. पेट्रोलियम	1. Pertroleum	12802	150.00	3641.36	3791.36	150.00	3980.02	4130.02	180.00	4737.26	4917.26
2. पैट्रो-रसायन	2. Petro-Chemicals	12856	...	253.17	253.17	...	96.34	96.34	...	120.71	120.71
3. इंजीनियरी	3. Enginerring	12858	...	46.22	46.22	...	45.57	45.57	...	19.10	19.10
जोड़	**Total**		**150.00**	**3940.75**	**4090.75**	**150.00**	**4121.93**	**4271.93**	**180.00**	**4877.07**	**5057.07**

1. सचिवालय इसके अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

1. **Secretariat:** Provides for Secretariat expenditure of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

3. ओ.आई.डी. बी. को उपकर की अदायगी: बजट अनुमान 1990-91 में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था तेल उद्योग के विकास के लिए उपकर की प्राप्तियों में से तेल उद्योग विकास बोर्ड को अदायगी करने के लिए की गई है। वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 89.81 करोड़ रुपए की कमी की गई है। वर्ष 1991-92 के बजट अनुमान में उपकर प्राप्तियों में से तेल उद्योग विकास बोर्ड को अदायगी करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था फिर से की गई है।

5. सरकारी उद्यमों में निवेश: तैल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड को विश्व बैंक के ऋणों को दुबारा उधार देने के लिए व्यवस्था की गई है।

5.01 तेल और प्राकृतिक गैस आयोग: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना देश में तटवर्ती (आन-शोर) तथा अपतटवर्ती (आफ शोर) दोनों ही स्थानों पर पैट्रोलियम स्रोतों की खोज और उनसे तेल निकालने के कार्यक्रमों के आयोजन तथा क्रियान्वयन के प्रयोजन से की गई थी। इस कम्पनी को विश्व बैंक से प्राप्त ऋण को फिर से उधार दिए जाने के लिए व्यवस्था की गई है।

5.02 भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड: भारतीय गैस प्राधिकरण लि. की स्थापना प्राकृतिक गैस के संसाधन, परिवहन तथा विपणन जैसे कार्यों की देखरेख करने के लिए की गई थी। कंपनी ने हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का कार्य निष्पादित कर लिया है।

5.03 हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लि.: इस कम्पनी का मुख्य उद्देश्य कच्चे तेल को साफ करना तथा पैट्रोलियम उत्पादनों का विपणन करना है। इस कम्पनी की 1991-92 की वार्षिक आयोजना में ल्यूब बेस स्टाक, प्रोपिलिन रिकवरी यूनिट, एल.पी.जी. सिलेंडर/रैगुलेटर्स आदि की व्यवस्था शामिल है।

5.04 भारत पैट्रोलियम निगम लिमिटेड: निगम का उद्देश्य मुख्यतः विनिर्माण तथा पैट्रोयिम उत्पादों का भण्डारण, वितरण और विपणन करना है। एल.पी.जी. कोचीन में नवीन तेल टर्मिनल आदि जैसी परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है।

5.05 मद्रास रिफाइनरीज लि.: इस कम्पनी की स्थापना, एक रिफाइनरी के निर्माण और संचालन के प्रयोजन से की गई थी। ल्यूबे विस्तार परियोजना तथा एरोमेटिक्स परियोजना, काबेरी बेसिन में आसवन सुविधाएं इस कम्पनी द्वारा शुरू की गई मुख्य परियोजनाएं है।

5.06 कोचीन रिफाइनरीज लि.: इसकी स्थापना कच्चे तेल की सफाई तथा विभिन्न पैट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करने के लिए की गई थी। केप्टिव पावर प्लांट, रिफाइनरी डिबोतलनेकिंग और ईंधन गैस का डिसल्फ्यूराजेशन जैसी इसकी कुछ परियोजनाएं है।

5.07 बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल्स लि.: इस कम्पनी की स्थापना कच्चे तेल का शोधन करने और सीलीन, डी.एम.टी. और पी.एस.एफ. का उत्पादन करने के लिए एक पैट्रो रसायन परिसर की स्थापना करने के लिए की गई थी। 1991-92 के लिए अनेक पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन वस्तुओं के उत्पादन हेतु आयोजना में व्यवस्था की गई है।

5.08 भारतीय तेल निगम: भारतीय तेल निगम पाइप लाइनों का संचालन करता है, आयातित तथा स्वदेशी कच्चे तेल का परिशोधन करता है तथा पैट्रोलियम उत्पादों का विपणन करता है। यह गुवाहाटी, बरौनी, कोइली, हल्दिया, मथुरा तथा डिगबोई स्थित 6 तेलशोधन कारखाने चलाता है। वर्ष 1991-92 में जो व्यवस्था की गई है वह गुजरात रिफाइनरी में अतिरिक्त माध्यमिक सुविधाओं की व्यवस्था, खुदरा बाजार विकास, डिगबोई रिफाइनरी आदि के आधुनिकीकरण के लिए है।

5.09 आयल इण्डिया लि.: देश में तेल की खोज और उत्पादन के क्षेत्र में आयल इंडिया लिमिटेड सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। विश्व बैंक से प्राप्त ऋण को इस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को पुनः उधार देने के संबंध में व्यवस्था की गई है।

5.10 लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड: लुब्रीजोल इंडिया लि. की स्थापना रासायनिक संयोजनों के, जिनका उपयोग पैट्रोलियम पर आधारित लुब्रीकेन्ट्स तथा ईंधन की कार्यक्षमता को सुधारने के लिए किया जाता है, देश में उत्पादन करने के लिए अमरीकी लुब्रीजोल कारपोरेशन के सहयोग से 1966 में की गई थी।

5.11 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड: यह कम्पनी सरकारी और निजी क्षेत्र के एककों और अभिकरणों को पैट्रोलियम, पेट्रो-रसायन और उर्वरकों के उद्योगों के क्षेत्र में अनेक औद्योगिक उत्पादों के संबंध में इंजीनियरी में परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करती है।

3. Payment of cess to OIDB: A sum of Rs. 100 crores was provided in BE 1990-91 for payment to Oil Industry Development Board (OIDB) from out of the cess receipts, for development of oil industry. The provision was reduced to Rs.89.81 crores in RE 1990-91. A provision of Rs. 100 crores has again been made in BE 1991-92 from cess receipts for payment to OIDB.

5. Investment in Public Enterprises: Provisions have been made for relending of World Bank Loans to ONGC and OIL.

5. 01 Oil & Natural Gas Commission: Oil and Natural Gas Commission (ONGC) was set up with the object of planning and implementing programmes of exploration and exploitation of petroleum resources of the country, both On-Shore and Off-Shore. Provision has been made for relending of World Bank Loan to ONGC.

5.02 Gas Authority of India Limited: Gas Authority of India Limited (GAIL) was set up to cater to processing, transportation and marketing of natural gas. The Company has executed the Hazira-Bijaipur-Jagdishpur Gas Pipeline Project.

5.03 Hindustan Petroleum Corporation Ltd.: The main objective of the Company is to refine crude oil and market petroleum products. The Annual Plan 1991-92 for this Company includes provision for projects for Lube Base Stock, Augmentation Facilities, Propylene Recovery Unit, LPG Cylinders/Regulators etc.

5.04 Bharat Petroleum Corporation Ltd.: The objectives of the Corporation are mainly to manufacture, to store and distribute and market petroleum products. Provision has been made for projects like marketing of LPG, New Oil Terminal at Cochin, etc.

5.05 Madras Refineries Ltd.: The Company was set up with the objective of installing and running a refinery . The major projects undertaken by the Company are Lube Expansion Project, Aromatics Project, Distillation Facilities in Cauvery Basin.

5.06 Cochin Refineries Ltd.: This Company was set up to refine crude oil and to produce various petroleum products. Some of its projects are Captive Power Plant, Debottlenecking of Refinery and De-sulphurisation of Fuel Gas.

5.07 Bongaigaon Refinery & Petro-Chemicals Ltd.: This Company was set up to refine crude and set up a Petro-Chemicals Complex producing Xylene, DMT and PSF. For 1991-92, plan provision has been made for production of various petroleum and petro-chemical items.

5.08 Indian Oil Corporation: The Indian Oil Corporation operates pipelines and refines imported and indigenous crude oil and markets petroleum products. It has refineries at Gauhati, Barauni, Koyali, Haldia, Mathura and Digboi. Provisions have been made in 1991-92 for Additional Secondary Processing Facilities at Gujarat Refinery, Development of Retail Outlets, Modernisation of Digboi Refinery etc.

5.09 Oil India Limited: Oil India Limited is also engaged in oil exploration and production in the country. A provision has been made on account of relending of World Bank Loan to this Public Sector Company too.

5.10 Lubrizol India Ltd.: This was set up in 1966 in collaboration with Lubrizol Corporation of USA for indigenous manufacture of chemical additives, which are used to improve the performance of petroleum-based lubricants and fuels.

5.11 Engineers India Ltd.: The Company provides engineering consultancy to units in the public and private sectors, covering broad range of industrial products and specially petroleum, petro-chemicals and fertilizers.

5.13 आई.बी.पी. कम्पनी लि.: यह कम्पनी पेट्रोलियम के उत्पादों की बिक्री तथा हाई वैक्यूम उपस्करों और विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करती है। यह असम में एक रिफाइनरी की स्थापना कर रही है।

5.13 **I.B.P. Company Ltd.:** This Company is engaged in marketing petroleum products and manufacturing high vacuum equipment and explosives. It is establishing a refinery in Assam.

5.22 बामेर लारी लि.: यह कम्पनी लुब्रीकेटिंग ग्रीजिज और ल्यूब बैरल का निर्माण करती है और चाय का निर्यात, उत्पादों का विपणन तथा यात्रा और नौवहन से संबंधित कारोबार करती है।

5.22 **Balmer Lawrie Ltd.:** This company is engaged in manufacture of lubricating greases and lube barrels, tea exports, marketing of products and in travel and shipping business.

5.23 बीको लारीः यह कंपनी मुख्यतः स्विचगीयरों का निर्माण करती है।

5.23 **Biecco Lawrie:** The company's main activity is manufacture of switchgears.

सरकारी उद्यमों में निवेश के इक्विटी और ऋण संघटकों को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing equity and loan components of investments in Public Enterprises.

(करोड़ रुपए) (Rs. in crores)

क्रम संख्या Sl. No.	सरकारी उद्यम का नाम Name of the Public Enterprises	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimate 1990-91			बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimate 1991-92		
		इक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total	इक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total
1.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग Oil & Natural Gas Commission.	-	115.00	115.00	-	125.00	125.00
2.	आयल इण्डिया लि. Oil India Ltd.	-	35.00	35.00	-	55.00	55.00
	जोड़ Total	-	**150.00**	**150.00**	-	**180.00**	**180.00**

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

मांग संख्या DEMAND No.64

आयोजना Planning

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		35.72	11.63	47.35	34.60	11.63	46.23	38.30	13.30	51.60
पूंजी	*Capital*		*13.70*	...	*13.70*	*12.60*	...	*12.60*	*16.90*	...	*16.90*
जोड़	**Total**		**49.42**	**11.63**	**61.05**	**47.20**	**11.63**	**58.83**	**55.20**	**13.30**	**68.50**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	0.26	0.26	...	0.26	0.26	...	0.38	0.38
2. योजना आयोग	2. Planning Commission	3451	0.41	10.47	10.88	0.36	10.51	10.87	0.40	11.92	12.32
3. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम	3. Integrated Rural Energy Planning Programme	2501	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.24	...	0.24
		3601	2.82	...	2.82	2.33	...	2.33	3.68	...	3.68
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.08	...	0.08
जोड़		*Total*	*3.00*	...	*3.00*	*2.51*	...	*2.51*	*4.00*	...	*4.00*
4. अन्य	4. Others	3475	4.81	0.90	5.71	4.43	0.86	5.29	5.00	1.00	6.00
		3601	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*5.81*	*0.90*	*6.71*	*5.33*	*0.86*	*6.19*	*6.00*	*1.00*	*7.00*
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	5.National Informatics Centre	3451	26.30	...	26.30	26.30	...	26.30	27.70	...	27.70
		5475	13.70	...	13.70	12.60	...	12.60	16.90	...	16.90
जोड़		*Total*	*40.00*	...	*40.00*	*38.90*	...	*38.90*	*44.60*	...	*44.60*
6. राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता:	6. Central Assistance for State Plans:										
6.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	6.01 Special Central Assistance-Border Areas	3601	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
7. सहायता सामग्री और उपस्कर- सकल	7. Aid Materials and Equipment - Gross	3606	...	3.33	3.33	...	1.38	1:38	...	2.68	2.68
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct-Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-3.33*	*-3.33*	...	*-1.38*	*-1.38*	...	*-2.68*	*-2.68*
निवल	Aid Materials and Equipment - Net	Total	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*49.42*	*11.63*	*61.05*	*47.20*	*11.63*	*58.83*	*55.20*	*13.30*	*68.50*
ख. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	1. Special Programme for Rural Development	12501	3.00	...	3.00	2.51	...	2.51	4.00	...	4.00
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2. Other General Economic Services	13475	46.22	...	46.22	44.59	...	44.59	51.00	...	51.00
जोड़		*Total*	*49.22*	...	*49.22*	*47.10*	...	*47.10*	*55.00*	...	*55.00*
राज्य आयोजना	**State Plans**										
विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	Special Central Assistance-Border Areas	43601	0.20	...	0.20	0.10	...	0.10	0.20	...	0.20
जोड़	**Total**		49.42	...	49.42	47.20	...	47.20	55.20	...	55.20

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं** : इस में योजना विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **योजना आयोग** : इस मद में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित योजना आयोग के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है ।

3. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम** :- इसका उद्देश्य घरेलू खपत के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के एकीकृत प्रयोग के लिए योजना का संवर्द्धन है । यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना चंडीगढ़ को छोड़ कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में पहले ही चल रही है।

4. **अन्य** :- (क) भारत सरकार द्वारा, भारत में मानव संसाधनों की प्रकृति, विशेषताओं तथा उपयोग से संबंधित विज्ञता के संवर्धन के लिए स्थापित एक स्वायत्त निकाय अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों और सरकारी विभागों के लिए सम्पन्न सुलभ की जाने वाली जनशक्ति अनुसंधान सेवाओं के लिए सहायता अनुदानों ; (ख) विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद को सहायता अनुदान ; (ग) कृषि-जलवायु क्षेत्रीय आयोजना परियोजना सहित "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं" की योजना के अन्तर्गत अदायगियां जिसके अंतर्गत आयोजना स्कीमों को तैयार करने हेतु विशेषज्ञों को रखा जाता है और (घ) "राज्यों में आयोजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण " स्कीम कार्यालय पद्धति के आधुनिकीकरण आदि के लिए राज्यों को सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।

1. **Secretariat-Economic Services :** Provides for the secretariat expenditure of the Department of Planning.

2. **Planning Commission:** Provides for the expenditure of the Planning Commission including Programme Evaluation Organisation

3. **Integrated Rural Energy Planning Programme:** To promote planning for integrated use of conventional sources of energy for domestic consumption as well as for productive activities of the people living in rural areas. This centrally sponsored scheme is already in operation in all States and Union Territories except Chandigarh.

4. **Others :-** (a) Grants-in-aid to the Institute of Applied Manpower Research (IAMR) which has been set up by the Government of India for advancement of knowledge about the nature, characteristic and utilisation of human resources in India and to provide manpower research services to Government Departments; (b) Grants-in-aid to Universities, Research Institutions, Institute of Economic Growth, Delhi, and the Administrative Staff College of India, Hyderabad; (c) Payments under the scheme "Payments for Professional and Special Services", including the Agro-climatic Regional Planning Project (ARPU) under which experts are engaged for providing special services for formulation of the Plan Schemes and (d) Grants-in-aid to States under the scheme "Strengthening of Planning Machinery in the States, Modernisation of office system, etc.

5. **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र :-** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र निर्णय, समर्थन और आयोजना के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समस्त विभागों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिला प्रशासनों को संगणक संचार पर आधारित सूचना सेवा प्रदान करता है । मुख्य शीर्ष '3451' के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें मुख्य रूप से जनशक्ति, यात्राओं, कम्प्यूटर और संचार सामग्री के अनुरक्षण, उपग्रह-अन्तर-आकलन संबंधी प्रभारों पुस्तकों और पत्रिकाओं, आदि के प्रभारों की अदायगी पर होने वाला व्यय शामिल है । मुख्य शीर्ष '5475' के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई है वह मुख्यतः कम्प्यूटर और संचार सामग्री की प्राप्ति, रा. सू. वि. के. राज्य केन्द्रों तथा जिला केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थल निर्माण के लिए है।

6. **सीमावर्ती क्षेत्रो का विकास :** यह व्यय अनुसंधान अध्ययन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए है ।

7. **सहायता सामग्री और उपस्कर :-** इसमें 1991-92 के दौरान कनाडा, नार्वे और अमेरिका से विदेशी सहायता के लिए अनुदान शोधवृत्ति, कम्प्यूटर एकीकृत विनिर्माण परियोजना, टेलीडाटा सेवाओं और उसके प्रयोगों के लिए अधिक प्रभार, आंकड़ा-आधारित एम. ई. डी. और ए. आर. एस. सेवाओं के टैरिफ आदि के रूप में होंगे ।

5. **National Informatics Centre (NIC) :-** National Informatics Centre is providing computer communication based information services and related facilities to all the Central and State Government Departments, Union Territories and District Administrations. The provision made under Major Head 3451 includes expenditure mainly on manpower, travel, maintenance of computer and communication hardware, payment of charges for satellite transponder, books and periodicals, etc. The provision under Major Head '5475' is mainly for procuring computer and communication hardware, preparation of computer sites at NIC, State Centres and district centres.

6. **Development of Border Areas:** The expenditure is on account of research studies and Development of Border Areas.

7. **Aid Material and Equipment :** The Foreign Aids/Grants from Canada, Norway and USA during 1991-92 will be in shape of fellowships, Grant for Computer Integrated Manufacture Project, Access charges for Teledata Services and uses Tariff of MED and ARS Databases Services etc.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

मांग संख्या DEMAND No.65

सांख्यिकी विभाग Department of Statistics

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		15.44	39.85	55.29	13.65	40.13	53.78	14.31	42.14	56.45
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ **Total**		**15.44**	**39.85**	**55.29**	**13.65**	**40.13**	**53.78**	**14.31**	**42.14**	**56.45**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.16	1.16	...	1.25	1.25	...	1.29	1.29
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	**Census Survey and Statistics**										
2. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	2. National Sample Survey	3454	0.21	25.84	26.05	0.14	25.56	25.70	3.34	26.80	30.14
3. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन	3. Central Statistical Organisation	3454	8.90	3.39	12.29	9.10	3.14	12.24	1.61	3.40	5.01
4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान	4. Indian Statistical Institute	3454	2.50	8.35	10.85	1.27	9.08	10.35	3.47	9.50	12.97
5. आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी	5. Economic Advice and Statistics	3454	1.90	1.11	3.01	1.50	1.10	2.60	2.59	1.15	3.74
		3601	1.85	...	1.85	1.60	...	1.60	3.23	...	3.23
		3602	0.08	...	0.08	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*3.83*	*1.11*	*4.94*	*3.14*	*1.10*	*4.24*	*5.89*	*1.15*	*7.04*
जोड़- जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	**Total-Census Survey & Statistics**		**15.44**	**38.69**	**54.13**	**13.65**	**38.88**	**52.53**	**14.31**	**40.85**	**55.16**
कुल जोड़	***Grand Total***		***15.44***	***39.85***	***55.29***	***13.65***	***40.13***	***53.78***	***14.31***	***42.14***	***56.45***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Census Survey and Statistics	13454	15.44	...	15.44	13.65	...	13.65	14.31	...	14.31
सांख्यिकी मांग संख्या 76	Statistics Demand 76	13454	...	...	...	...	...	...	...	...	...

• इसमें शहरी विकास मंत्रालय में प्रदान किए गए निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है ।
* Inclusive of works Outlay provided in the Ministry of Urban Development

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**: इसके अन्तर्गत सचिवालय के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण**: यह संगठन अंक संकलन का ऐसा स्थाई और सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाता है, जिससे नीति निमार्ण के लिए अंक संकलन की कमियाँ दूर की जा सकें और पूरक आंकड़े एकत्रित करके अन्य मंत्रालयों और अभिकरणों की ओर से आंकड़े इकट्ठे करता है और इन्हें सारणीबद्ध करता है ।

3. **केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन**: इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि मानकीकरण सहित रीति विधान संबंधी काम करने, राष्ट्रीय लेखा तैयार करने, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने और उनके प्रकाशन, आर्थिक परिकलने तथा सर्वेक्षण करने आदि के लिए जिम्मेदार है ।

4. **भारतीय सांख्यिकीय संस्थान**: यह संस्थान सांख्यिकी अनुसंधान, प्रशिक्षण और उसके व्यवहारिक प्रयोग के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाता है। इस संस्थान का वित्तपोषण लगभग पूर्णतः सरकार के सहायता अनुदान से किया गया है ।

5. **आर्थिक परामर्श और सांख्यिकी**: इसमें संगणक केन्द्र के लिए व्यवस्था की गई है जो मुख्य रूप से सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों को साधित करने की आवश्यकताओं को पूरा करता है । यह केन्द्र परामर्शदात्री सेवा और प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान करता है तथा संगणक प्रयोग तथा प्रणाली विश्लेषण आदि में अध्ययन कार्य करता है । इसमें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और तृतीय आर्थिक गणना संचालित करने के कार्य के संबंध में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान दिए जाने की व्यवस्था भी शामिल है ।

1. **Secretariat-Economic Services:** Provides for secretariat expenditure of the Department.

2. **National Sample Survey:** The Organisation developes a stable and organically connected programme of data collection designed to fill up gaps in statistics for policy formulation, collects and tabulates data on behalf of other Ministries and agencies by supplementary collection of data.

3. **Central Statistical Organisation:** Provision has been made for Central Statistical Organisation, which is responsible for methodological work including standardisation, preparation of national accounts, compilation and publication of reports on annual survey of industries, economic census and surveys etc.

4. **Indian Statistical Institute:** The Institute carries out integrated programmes of research, training and practical application of statistics. The Institute is financed almost wholly by grants-in-aid from Government.

5. **Economic Advice and Statistics:** Provision is for Computer Centre, which mainly takes care of the data processing requirements of the Department of Statistics. The Centre also provides advisory service and training facilities and undertakes studies in computer application and system analysis. This also includes provision for grants-in-aid to States and Union Territory Governments for National Sample Survey work and conduct of Third Economic Census.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

मांग संख्या DEMAND No.66

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग Department of Programme Implementation

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	0.85	0.85	...	0.76	0.76	...	0.85	0.85
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**0.85**	**0.85**	...	**0.76**	**0.76**	...	**0.85**	**0.85**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat-General Services	2052	...	0.85	0.85	...	0.76	0.76	...	0.85	0.85
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***0.85***	***0.85***	...	***0.76***	***0.76***	...	***0.85***	***0.85***

सचिवालय - सामान्य सेवाएं - इसके अन्तर्गत समस्त व्यवस्था सचिवालय व्यय के लिए है ।

Secretariat - General Services : Provides entirely for Secretariat Expenditure.

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES
मांग संख्या DEMAND No.67
विद्युत विभाग Department of Power

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		63.46	305.26	368.72	53.53	366.37	419.90	52.30	118.04	170.34
पूंजी	*Capital*		*2608.76*	...	*2608.76*	*2494.43*	...	*2494.43*	*2081.92*	...	*2081.92*
जोड़	**Total**		2672.22	305.26	2977.48	2547.96	366.37	2914.33	2134.22	118.04	2252.26
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.89	1.89	...	2.25	2.25	...	2.36	2.36
विद्युत	*Power*										
सामान्य	General										
2. केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	2. Central Electricity Authrority	2801	15.97	9.18	25.15	13.50	9.75	23.25	10.39	10.24	20.63
		4801	1.44	...	1.44	1.07	...	1.07	0.70	...	0.70
जोड़		*Total*	*17.41*	*9.18*	*26.59*	*14.57*	*9.75*	*24.32*	*11.09*	*10.24*	*21.33*
3. अनुसंधान और विकास:	3. *Research and Development*										
3.01 राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	3.01. National Thermal Power Corporation	2801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3.02 केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	3.02. Central Power Research Institute, Bangalore	2801	15.00	...	15.00	11.77	...	11.77	19.00	...	19.00
3.03 विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसायटी	3.03. Power Engineers Training Society	2801	6.50	1.68	8.18	4.84	1.86	6.70	6.00	1.95	7.95
3.04 अन्य	3.04. Others	2801	2.98	0.08	3.06	2.88	0.08	2.96	...	0.08	0.08
जोड़		*Total*	*24.48*	*1.76*	*26.24*	*19.49*	*1.94*	*21.43*	*25.00*	*2.03*	*27.03*
4. सर्वेक्षण और अन्वेषण	4. Survey and Investigation	2801	16.62	0.48	17.10	14.28	0.48	14.76	12.52	...	12.52
		3601	6.04	...	6.04	5.94	...	5.94	4.04	...	4.04
जोड़		*Total*	*22.66*	*0.48*	*23.14*	*20.22*	*0.48*	*20.70*	*16.56*	...	*16.56*
जोड़ - सामान्य	**Total - General**		**64.55**	**11.42**	**75.97**	**54.28**	**12.17**	**66.45**	**52.65**	**12.27**	**64.92**
तापीय विद्युत उत्पादन	**Thermal Power Generation**										
5. बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र	5. *Badarpur thermal Power Station*										
5.01 राजस्व व्यय	5.01 Revenue Expenditure	2801	...	308.54	308.54	...	348.54	348.54	...	385.00	385.00
5.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	5.02 Less Revenue Receipts	0801	...	-20.00	-20.00	...	...	...	...	-285.00	-285.00
5.03 निवल	5.03 Net		...	288.54	288.54	...	348.54	348.54	...	100.00	100.00
5.04 बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र का विस्तार	5.04 Expansion of Badarpur Thermal Power Station	4801	8.00	...	8.00	7.28	...	7.28	10.22	...	10.22
जोड़		*Total*	*8.00*	*288.54*	*296.54*	*7.28*	*348.54*	*355.82*	*10.22*	*100.00*	*110.22*
पन बिजली उत्पादन	**Hydel Generation**										
6. पन बिजली परियोजनाएं	6. *Hydel Projects*										
6.01 सलाल पन बिजली परियोजना	6.01 Salal Hydro Electric Project	4801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.02 सरदार सरोवर परियोजना	6.02 Sardar Sarover Project	4801	28.25	...	28.25	25.43	...	25.43	59.75	...	59.75
जोड़		*Total*	*28.25*	...	*28.25*	*25.43*	...	*25.43*	*59.75*	...	*59.75*
पारेषण और वितरण	**Transmission and Distribution**										
7. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	7. Rural Electrification Corporation	2801	...	3.41	3.41	...	3.41	3.41	...	3.41	3.41
8. भार प्रेषण केन्द्र	8. Load Despatching Stations	4801	7.32	...	7.32	0.95	...	0.95	1.25	...	1.25
जोड़		*Total*	*7.32*	*3.41*	*10.73*	*0.95*	*3.41*	*4.36*	*1.25*	*3.41*	*4.66*
9. अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें	9. *Inter State Transmission Lines*										
9.01 राज्य सरकारों को उधार	9.01 Loans to State Governments	7601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
10. राज्य आयोजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	10. Rural Electrification Corporation for State Plans	4801	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
		6801	220.00	...	220.00	208.50	...	208.50	220.00	...	220.00
जोड़		*Total*	*260.00*	...	*260.00*	*248.50*	...	*248.50*	*260.00*	...	*260.00*
जोड़ - विद्युत	**Total - Power**		**388.12**	**303.37**	**691.49**	**356.44**	**364.12**	**720.56**	**403.87**	**115.68**	**519.55**
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	**Technical & Economic Cooperation with other Countries**										
11. नेपाल हितकारी योजना	11. Nepal Benefit Scheme	3605	0.35	...	0.35	0.32	...	0.32	0.35	...	0.35
12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	12. Investments in Public Enterprises	4801	2144.38	...	2144.38	2051.83	...	2051.83	1674.18	...	1674.18
		6801	139.37	...	139.37	139.37	...	139.37	55.82	...	55.82
जोड़		*Total*	*2283.75*	...	*2283.75*	*2191.20*	...	*2191.20*	*1730.00*	...	*1730.00*

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
13. सहायता सामग्री और उपस्कर	13. Aid Materials and Equipments	3606	...	...	...	...	0.33	0.33	...	0.48	0.48
घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अन्तरण	Deduct Transfers to functional Major Head	3606	...	...	...		-0.33	-0.33	-	-0.48	-0.48
निवल	*Net*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*2672.22*	*305.26*	*2977.48*	*2547.96*	*366.37*	*2914.33*	*2134.22*	*118.04*	*2252.26*
ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
12.01 राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम	12.01 National Thermal Power Corporation	12801	1137.75	1452.25	2590.00	1137.75	1127.69	2265.44	800.00	1915.29	2715.29
12.02 राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	12.02 National Hydro Electric Power Corporation	12801	493.65	333.49	827.14	493.65	320.64	814.29	284.00	765.00	1049.00
12.03 विद्युत वित्त निगम	12.03 Power Finance Corporation	12801	244.50	...	244.50	220.05	...	220.05	125.00	...	125.00
12.04 दामोदर घाटी निगम	12.04 Damodar Valley Corporation	12801	7.85	367.15	375.00	7.85	363.64	371.49	25.00	315.00	340.00
12.05 उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम	12.05 North Eastern Electric Power Corporation	12801	91.00	...	91.00	89.40	...	89.40	200.00	...	200.00
12.06 नथपा झाकरी विद्युत निगम	12.06 Nathpa Jhakri Power Corporation	12801	136.00	47.50	183.50	70.00	...	70.00	120.00	...	120.00
12.07 टिहरी जल विकास निगम	12.07 Tehri Hydro Development Corporation	12801	168.00	...	168.00	168.00	...	168.00	170.00	...	170.00
12.08 राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम	12.08 National Power Transission Corporation	12801	5.00	...	5.00	4.50	...	4.50	6.00	...	6.00
जोड़	**Total**		2283.75	2200.39	4484.14	2191.20	1811.97	4003.17	1730.00	2995.29	4725.29
ग. आयोजना परिव्यय	**C.PLAN OUTLAY**										
केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना	***Central Sector Plan***										
विद्युत	Power	12801	2411.87	2200.39	4612.26	2299.14	1811.97	4111.11	1873.87	2995.29	4869.16
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical & Economic Cooperation with Other Countries	13605	0.35	...	0.35	0.32	...	0.32	0.35	...	0.35
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना	**Total - Central Sector Plan**		2412.22	2200.39	4612.61	2299.46	1811.97	4111.43	1874.22	2995.29	4869.51
राज्य आयोजनाएं	**State Plans**										
ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification	43601	260.00	...	260.00	248.50	...	248.50	260.00	...	260.00
जोड़	**Total**		2672.22	2200.39	4872.61	2547.96	1811.97	4359.93	2134.22	2995.29	5129.51

1. **सचिवालय** : इसमें विद्युत विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. **केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण** : यह प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत संसाधनों के नियंत्रण तथा उपयोग के संबंध में विभिन्न एजेंसियों के क्रियाकलापों के बीच समन्वय करता है । यह विद्युत साधनों का सर्वेक्षण और अध्ययन करने, विद्युत के उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने और उनका रिकार्ड रखने तथा विद्युत साधनों के विकास के लिए भी उत्तरदायी है । इसमें तकनीकी नियंत्रण,आयोजन और समन्वय प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और अन्वेषण, डिजाइन और सलाहकारी सेवा, क्षेत्रीय समन्वय आदि पर होने वाले व्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

3. **अनुसंधान और विकास** : केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण सोसाइटी जैसे अनेक संस्थान/निकाय विद्युत संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान करने तथा विद्युत केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने में लगे हुए हैं । इसमें केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान तथा विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण सोसायटी की अनुसंधान स्कीमों पर होने वाले व्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।

4. **सर्वेक्षण और अन्वेषण**: इसमें ऊर्जा संरक्षण बिजली परियोजनाओं के अन्वेषण पर होने वाले व्यय, राज्य सरकारों को पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में पनबिजली परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लिए सहायता-अनुदान देने और राज्य विद्युत बोर्डों को तापीय विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहन संबंधी अदायगी करने तथा पारेषण और वितरण संबंधी हानियों को कम करने तथा अन्य मदों के लिए व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय जल आयोग का अन्वेषण यूनिट, जम्मू और सिक्किम में राष्ट्रीय महत्व के संभाव्य स्थलों का अन्वेषण कर रहा है ।

1. **Secretariat:** Provides for expenditure on the Secretariat of the Department of Power.

2. **Central Electricity Authority :** The Authority coordinates the activities of the various agencies in relation to control and utilisation of national power resources. It is also responsible for carrying out survey and studies, collection and recording of data concerning generation, distribution, utilisation and development of power resources. Includes provision for expenditure on technical control, Planning and Coordination, training, survey and investigation, designs & consultancy, regional coordination etc.

3. **Research and Development :** A number of institutions/bodies such as Central Power Research Institute,Bangalore, Power Engineers Training Society are engaged in research on power problems and in imparting training in various aspects of power station operation and maintenance. Includes provision for expenditure on research schemes by Central Power Research Institute and Power Engineers Training Society.

4. **Survey and Investigation:** Provides for expenditure on Energy Conservation, investigation of new hydro-electric projects, grants-in-aid to State Governments for carrying out survey and investigation of hydro-electric projects in hilly and tribal areas, incentive payments to SEB's for better performance of Thermal Power Stations, as well as for reducing T&D losses and other items. The investigation unit of CWC is carrying out investigation of potential sites of national importance in J&K and Sikkim.

5. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र :

5.01 से 5.03 - इस केन्द्र का प्रबंध एजेंसी के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपा गया था । इसके चरण I, II और III चालू किए जा चुके हैं और इनका वाणिज्यिक कार्यचालन जारी है । वर्ष 1991-92 के लिए 4100 एम.यू. का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 285 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों को हिसाब में लेने के बाद बजट अनुमान, 1991-92 में केन्द्रों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए (आयोजना-भिन्न) की निवल व्यवस्था की गई है।

5.04 बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार कार्य में चरण - II के लिए (2.00 करोड़ रुपए), चरण-III के लिए (2.05 करोड़ रुपए), नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए (3.00 करोड़ रुपए) और राख के गड्ढे की भूमि के लिए (1.17 करोड़ रुपए) तथा अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए (2.00 करोड़ रुपए) की व्यवस्था की गई है ।

6. सरदार सरोवर परियोजना: भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के संसाधनों में लगभग 300 करोड़ रुपए के अन्तर को पूरा करने में सहयोग देने के लिए सहमत हो गई है ताकि यह इस परियोजना की लागत में 57 प्रतिशत का हिस्सा रख सके और बिजली में यथानुपात हिस्सा प्राप्त कर सके। इस परियोजना के बिजली संघटक का चालू अनुमान 1703.75 करोड़ रुपए का है। इसकी क्षमता 1450 मेगावाट है। 1990-91 में 28.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। मार्च, 1990 तक 69.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और वर्ष 1991-92 के लिए 59.75 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

7. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम : इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को 1985-86 के दौरान जारी किए गए बांडों के लिए ब्याज संबंधी विभेदक के संबंध में आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था की गई हैं ।

8. भार प्रेषण केन्द्र : एक मूल 3-टीयर नेटवर्क भार प्रेषण केन्द्र, एक राष्ट्रीय स्तर पर, पांच क्षेत्रीय स्तर पर तथा उनमें से अनेक राज्य/ प्रणाली स्तर पर स्थापित किए जा रहे है। क्षेत्र में उत्पादन तथा पारेषण सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र राज्य भार प्रेषण केन्द्रों का समन्वय करेंगे । एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पांच क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों का समन्वय किया जायेगा। आर.एल.डी.सी. तथा एन.एल.डी.सी. की स्थापना केन्द्रीय आयोजना योजना का एक हिस्सा है। उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों के भार प्रेषण केन्द्रों के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए एकीकृत योजना की भी योजना बनाई गई है।

9. अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें : ये स्कीमें क्षेत्रीय ग्रिडों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सशक्त विद्युत प्रणाली को जोड़ने तथा उसे एक अन्तर-संबद्ध/समेकित ढंग से संचालित करने के लिए अन्तर्राज्यीय/अन्तर-क्षेत्रीय कड़ी का निर्माण करने से संबंधित है ताकि अन्ततः एक अखिल भारतीय ग्रिड बन सके । ये स्कीमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण देकर क्रियान्वित की जाती हैं । यह स्कीम, केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रुप मे केन्द्र द्वारा वित्तपोषित की जा रही है, जिसके लिए राज्यों को शत-प्रतिशत ऋण सहायता दी जा रही है।

10. राज्य आयोजना के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम : देश में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के वित्तपोषण और सहकारी विद्युत संस्थाओं को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से एक सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की जुलाई, 1969 में स्थापना की गई थी । इसके क्रियाकलापों के लिए जिनमें लाइन-हानियों को कम करने के लिए प्रणाली-सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त योजनाओं को क्रियान्वित करना शामिल है, निगम को इक्विटी तथा ऋणों के रूप में बजटीय समर्थन देने के लिए व्यवस्था की गई है ।

11. नेपाल हितकारी स्कीम : इसमें पंचेश्वर परियोजना के अन्वेषण कार्य के लिए व्यवस्था की गई है । इस परियोजना की स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट होने की आशा है ।

12. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश :-

12.01 राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) : इस निगम की स्थापना देश में ताप-विद्युत के आयोजन, संवर्धन और एकीकृत विकास के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्र में नवम्बर, 1975 में की गई थी । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 100-100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर क्रियान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बजट

5. ***Badarpur Thermal Power Station*:**

5.01 – 5.03. The Management of Badarpur Thermal Power Station was entrusted to NTPC on an agency basis. Stages I,II and III have been commissioned and are under commercial operation. The generation target for 1991-92 has been fixed at 4100 M.U. Taking into account, the revenue receipts of Rs. 285 crores, a net provision of Rs.100 crores (Non-Plan) has been made in BE 1991-92 for operation & maintenance of the station.

5.04. Provision has been made for expansion of Badarpur Thermal Power Station in Stage-II (Rs.2.00 crores), Stage III (Rs. 2.05 crores), renovation and modernisation (Rs. 3.00 crores) and land for ash pond (Rs.1.17 crores) and fire protections system (Rs. 2.00 crores).

6.02 **Sardar Sarover Project :** The Government of India have agreed to contribute approximately Rs.300 crores towards the gap in resources of Madhya Pradesh Government to enable it to share 57% of the cost of this project and correspondingly derive pro-rata share in Power. The current estimates of the power component of the project are Rs.1703.75 crores. Its capacity is 1450MW. A provision of Rs.28.25 crores was made in 1990-91. An amount of Rs. 69.06 crores was released upto March 1990 and an amount of Rs.59.75 crores has been provided for 1991-92.

7. **Rural Electrification Corporation (REC) :** Includes provision for subsidy to Rural Electrification Corporation towards interest differential for the bonds floated during 1985-86.

8. **Load Despatching Stations :** A basic 3-tier hierarchical network of load despatch centres, with one at the national level, five at the regional level and a number of them at different State/System level, is in the process of being set up. The Regional Load Despatch Centres(RLDCs) will coordinate the activities of State Load Despatch Centres (SLDCs) in the region so as to ensure optimum utilisation of generation and transmission facilities in the region. A National Load Despatch Centre (NLDC) will eventually coordinate the activities of the five RLDCs. The establishment of RLDCs and NLDC forms part of Central Plan schemes. Unified schemes have also been planned for upgradation/modernisation of the load despatch centres in Northern, Southern,Western and Eastern Regions.

9. **Inter State Transmission Lines :** The Schemes relate to construction of Inter-State/Inter-Regional links to connect the contiguous power systems and operate them in an inter connected/integrated manner with a view to facilitate the formation of regional grids, leading ultimately to an All India Grid. The schemes are executed through loans to States and Union Territories. The scheme is being financed by the Centre as a Centrally sponsored scheme by way of 100% loan assistance to the states.

10. **Rural Electrification Corporation for State Plan:** R.E.C. was set up in July, 1969 as a Government owned company with the principal objective of financing rural electrification schemes and promoting rural electric cooperatives. Provision has been made for providing Budgetary support to the Corporation by way of equity and loans for its activities which include implementation of World Bank assisted schemes of systems improvement to reduce line losses.

11. **Nepal Benefit Scheme:** Includes provision for investigation for Pancheswar Project. The project is expected to have an installed capacity of 1000 M.W.

12. ***Investment in Public Enterprises :-***

12.01 **National Thermal Power Corporation (NTPC) :** NTPC was set up in November 1975 in the Central sector with the objective of planning, promoting and organising integrated development of thermal power in the country. Some of the important projects costing more than Rs.100 crores each, being executed by NTPC for which

अनुमान, 1991-92 व्यवस्था की गई है, जिनका जानकारी नीचे के विवरण में दी गई है :-

provision has been made in BE 1991-92 are given in the following statement:-

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

क्रम सं.	योजना का नाम	Sl No.	Name of the Scheme	स्वीकृत लागत Approved cost	स्वीकृत आयोजना परिव्यय Approved Plan Outlay 1990-91	संशोधित अनुमान RE 1990-91	आयोजना परिव्यय Plan outlay 1991-92	संचालित/पूर्वानुमानित संचालन अवधि Commissioned/ Anticipated Commissioning schedule
			1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	उत्पादन	I.	**Generation**					
1.	सिंगरौली (I और II)	1.	Singrauli(I&II)	1118.88	20.00	25.53	27.51	87/88
2.	कोरबा-I और II	2.	Korba - I & II	1625.25	15.20	-32.57	24.40	88/89
3.	रामागुंडम - I और II	4.	Ramagundam - I & II	1674.62	37.00	48.33	28.02	89/90
4.	फरक्का - I	6.	Farakka - I	565.47	13.72	24.75	17.96	87/88
5.	फरक्का - II	7.	Farakka -II	868.48	320.00	302.11	230.00	92/93
6.	फरक्का - III	8.	Farakka-III	603.65	50.23	0.00	5.00	96/97
7.	विंध्याचल - I	9.	Vindhyachal - I	1460.37	38.10	63.57	40.00	90/91
8.	रिहन्द - I	10.	Rihand - I	1033.00	91.65	97.05	53.27	89/90
9.	कहलगांव - I	11.	Kahalgaon -I	884.16	280.00	301.26	280.00	93/94
10.	एन.सी.टी.पी.पी. (दादरी)	12.	NCTPP (Dadri)	1063.60	245.00	241.18	250.00	93/94
11.	कवास गैस - I	13.	Kawas Gas-I	373.98	120.00	159.4[illegible]	375.00	93/94
12.	अन्ता गैस- I	14.	Anta Gas-I	265.03	39.25	53.94	8.99	90/91
13.	औरिया गैस- I	15.	Auraiya Gas-I	371.67	75.32	94.65	23.32	90/91
14.	तलचर गैस- I	16.	Talcher-I	1404.04	103.80	170.99	350.00	94/95
15.	दादरी गैस - I	17.	Dadri Gas-I	783.44	249.15	268.61	220.00	92/93
II.	पारेषण और वितरण लाइनें और उपकेन्द्र	II.	**Transmission and Distribution lines & substations.**					
1.	सिंगरौली - I और II	1.	Singrauli - I & II	256.05	1.77	4.33	2.02	86/87
2.	कोरबा - I	2.	Korba - I & II	248.54	6.07	-3.03	3.58	89/90
3.	रामागुंडम - I	3.	Ramagundam - I	272.68	0.31	0.41	0.80	88/89
4.	फरक्का - II	4.	Farakka -II	134.91	55.00	58.62	40.00	92/93
5.	विंध्याचल-	5.	Vindhyachal-I	198.85	3.07	11.42	3.00	90/91
6.	रिहन्द - I	6.	Rihand - I	1063.00	83.50	101.12	55.54	91/92
7.	केन्द्रीय प्रशिक्षण परियोजना	7.	Central Tr. Project	388.05	125.00	99.17	55.00	91/92
8.	कहलगांव	8.	Kahalgaon	174.48	55.00	51.15	37.00	91/92
9.	औरैया	9.	Auraiya	100.61	16.49	7.27	0.68	91/92
10.	विंध्याचल अतिरिक्त पारेषण लाइन	10.	Vindhyachal Addl. Transmission Line	339.69	19.20	0.00	10.30	94/95

रामागुंडम और फरक्का-I परियोजना के लिए संशोधित लागत अनुमान की स्वीकृति होने के कारण एन.टी.पी.सी. द्वारा लिए गए ऋण को इक्विटी पूंजी (231.11 करोड़ रुपए) को ऋण और इक्विटी शीर्ष के बीच चालू वर्ष में बाकी शेष का सुधार करके परिवर्तित किया जाएगा।

On account of the approval of Revised Cost Estimates for Ramagundam and Farrakka-I Project, conversion of loans drawn by N.T.P.C. into equity capital (Rs.231.11 crores) will be carried out by correction of balances in the current year between the loan and equity Head.

12.02 **राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम :** केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र, कुशलतापूर्वक और किफायती रूप से पूरा करने और उनका प्रचालन करने के लिए इस निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। 100-100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जिनकी जानकारी नीचे विवरण में दी गई है :-

12.02 **National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) :** NHPC was set up in 1975 to secure speedy, efficient and economical completion and operation of hydro-electric projects in the Central sector. Some of the important projects costing more than Rs.100 crores each for which provision has been made are given in the statement below :

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

क्रम सं. Sl.No.	परियोजना का नाम	Sl.No.	Name of the project	स्वीकृत लागत Approved Cost	स्वीकृत आयोजना परिव्यय Approved Plan Outlay 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1990-91	आयोजना परिव्यय Plan Outlay for 1991-92	पूरा होने की निर्धारित तारीख Target date of completion
1.	सलाल - I	1.	Salal-I	490.54	3.00	6.32	-	11/87
2.	चमेरा - I	2.	Chamera-I	719.40	141.04	224.00	240.00	12/92
3.	टनकपुर	3.	Tanakpur	178.85	50.00	65.00	50.00	3/92
4.	कोयल कारो	4.	Koel Karo	391.83	1.00	3.00	5.00	3/98
5.	दुलहस्ती	5.	Dulhasti	161.72	160.00	165.00	210.00	7/94
6.	उरई	6.	Uri	1578.30	250.00	250.00	338.91	11/95
7.	सलाल-II	7.	Salal-II	297.97	25.00	40.00	80.00	10/93
8.	चुखा पारेषण	8.	Chukha Trans.	118.65	1.00	1.38	1.00	12/95
9.	दुलहस्ती पारेषण	9.	Dulhasti Trans.	150.46	35.00	7.55	25.00	12/94
10.	नाथपा झाकरी पारेषण	10.	Nathpa Jhakri Trans.	794.36	15.00	4.50	5.00	3/98

12.03 **विद्युत वित्त निगम :** 16 जुलाई, 1986 को इस निगम की स्थापना चुनी हुई ताप-विद्युत और पन-बिजली परियोजनाओं का वित्तपोषण करने तथा ताप-विद्युत और पन-बिजली उत्पादन एककों तथा टी.एण्डआर. योजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वियन करने के लिए की गई थी ।

12.03 **Power Finance Corporation(PFC):** Incorporated on July 16, 1986, the Corporation is to finance the selected Thermal and Hydro projects and also to implement the renovation and modernisation programmes of Thermal and Hydro Power Generating Units and T&R Schemes.

12.04 **दामोदर घाटी निगम :** जुलाई, 1948 में इस निगम की स्थापना ताप-विद्युत और पन-बिजली विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण की स्कीमों के संवर्धन और संचालन के लिए की गई थी। यह व्यवस्था मैदान राइट बैंक तापीय विद्युत केन्द्र के लिए है।

12.04 **Damodar Valley Corporation (DVC):** DVC was established in July, 1948 for the promotion and operation of schemes for the generation, transmission and distribution of thermal and hydro-electric power. This provision is intended for Maithon Right Bank Thermal Power Station.

12.05 **उत्तर पूर्वी विद्युत निगम :** उत्तर पूर्वी विद्युत निगम की स्थापना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं का कार्य करने के लिए सन् 1976 में की गई थी । इसके कार्यक्रमों का वित्तपोषण उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा किया जाता है । यह व्यवस्था कठालगुड़ी गैस टरबाइन परियोजना ओर इसकी सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों (अनुमानित लागत 504.55 करोड़ रुपए) के लिए की गई है, जिसका निष्पादन उत्तर पूर्वी विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में किया जाएगा और इसे विद्युत विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

12.05 **North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO):** NEEPCO was set up in 1976 for taking up power project in the North Eastern Region. Its programmes are funded by the North Eastern Council. This provision is intended for Kathalguri Gas Turbine Project and its associated transmission system (estimated cost Rs.504.55 crores) which is to be executed by NEEPCO in the Central Sector and funded by the Department of Power.

12.06 **नाथपा-झाकरी विद्युत निगम :** हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी पन-बिजली परियोजना और सतलुज नदी बेसिन में स्थित अन्य विभिन्न पन-बिजली स्थलों के निर्माण कार्यों, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में निष्पादित किया जा सकेगा, के आयोजन, संवर्धन, गठन, निष्पादन और कार्यचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 24 मई, 1988 को नाथपा-झाकरी विद्युत निगम की स्थापना की गई है। यह निगम भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है और इसकी लागत का वहन दोनों साझेदारों द्वारा क्रमश 75:25 के अनुपात में किया जाएगा।

12.06 **Nathpa-Jhakri Power Corporation(NJPC) :** NJPC has been set up under the Companies Act, 1956 on 24th May, 1988 to plan, promote, organise, execute and operate the Nathpa Jhakri Hydro-Electric Project in Himachal Pradesh and various other Hydro-Electric sites in Sutlej River Basin which could be taken for execution in Himachal Pradesh. The Corporation is a joint venture of the Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh, the two partners sharing the cost of the project in the ratio of 75:25 respectively.

12.07 **टिहरी पन-बिजली विकास निगम :** उत्तरप्रदेश में टिहरी पन-बिजली कम्पलेक्स का विनिर्माण और कार्यान्वयन करने के लिए टिहरी पन-बिजली विकास निगम को 12 जुलाई, 1988 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था । यह निगम, जिससे संबंधित टिहरी कम्पलेक्स के विद्युत संघटक में भारत सरकार और उत्तरप्रदेश सरकार ने 75:25 के अनुपात से सामान्य शेयरधारिता में भागीदारी की है, उत्तरप्रदेश सरकार की सहमति से उस क्षेत्र में अन्य पन बिजली परियोजनाओं को भी क्रियान्वित करेगा । इस निगम ने टिहरी बांध परियोजना (1000 मेगावाट) के कार्यान्वियन का काम शुरु कर दिया है, जो कि टिहरी पन बिजली कम्पलेक्स (2400 मेगावाट) का ही अंग है । निर्माण का यह काम 1373.50 करोड़ रुपए की लागत से सोवियत तकनीकी और वित्तीय सहयोग के साथ पूरा किया जा रहा है । यह निगम टिहरी में कोटेश्वर बांध (400 मेगावाट) और एक पम्पड स्टोरेज संयंत्र(1000 मेगावाट) के निर्माण का काम भी पूरा करेगा और उसके साथ-साथ विद्युत निस्सारण के लिए आवश्यक सम्बद्ध विद्युत पारेषण प्रणाली की स्थापना भी करेगा ।

12.07 **Tehri Hydro Development Corporation (THDC) :** Tehri Hydro Development Corporation was incorporated as a joint venture Corporation under the Companies Act, 1956 on 12th July, 1988 for execution of Tehri Hydro Power Complex in U.P. The Corporation with equity participation of Government of India and Govt. of U.P. in the ratio of 75:25 in the power component of the Tehri Complex will also execute other hydro electric projects in the region with the consent of Government of U.P. The Corporation has already taken up the execution of Tehri Dam Project (1000 MW) which forms part of Tehri Hydro Power Complex(2400 MW) with Soviet Technical and Financial Assistance at a cost of Rs. 1373.50 crores. The Corporation will also implement Koteshwar Dam (400 MW) and a Pumped Storage Plant (1000 MW) at Tehri alongwith associated power transmission system required for evacuation of power.

12.08 **राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम:** यह निगम अतिरिक्त उच्च वोल्टेज/उच्च वोल्टेज वाली सीधे करेंट की पारेषण लाईनों की प्रणाली के कार्यक्रम और सम्बद्ध उप-केन्द्रों तथा भार प्रेषण और संचार सुविधाओं का निर्माण करने के कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए 23 अक्तूबर, 1989 को निगमित किया गया था।

12.08 **National Power Transmission Corporation (NPTC):** Incorporated on 23rd October, 1989 to undertake the programme of laying the Extra High Voltage (EHV)/ High Voltage Direct Current (HVDC) transmission system and associated sub-stations as well as constructing load despatch and communication facilities.

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES
मांग संख्या DEMAND No.68
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग Department of Non-Conventional Energy Sources

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार हैः
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		118.88	1.36	120.24	110.56	1.36	111.92	144.04	1.43	145.47
पूंजी	*Capital*		*5.85*	...	*5.85*	*5.30*	...	*5.30*	*4.99*	...	*4.99*
जोड़	**Total**		**124.73**	**1.36**	**126.09**	**115.86**	**1.36**	**117.22**	**149.03**	**1.43**	**150.46**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	1. Secretariat-Economic Services **Non-Conventional Sources of Energy**	3451	1.14	1.36	2.50	1.14	1.36	2.50	1.34	1.43	2.77
2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2. Solar Energy Programme	2810	18.66	...	18.66	17.04	...	17.04	23.77	...	23.77
		3601	0.25	...	0.25	0.21	...	0.21	0.37	...	0.37
		3602	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	0.07	...	0.07
		4810	0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.33	...	0.33
जोड़		*Total*	*19.26*	...	*19.26*	*17.56*	...	*17.56*	*24.54*	...	*24.54*
3. जैव-गैस कार्यक्रम	3. Biogas Programme										
		2810	22.89	...	22.89	21.87	...	21.87	24.30	...	24.30
		3601	41.25	...	41.25	38.84	...	38.84	44.77	...	44.77
		3602	0.06	...	0.06	0.02	...	0.02	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*64.20*	...	*64.20*	*60.73*	...	*60.73*	*69.13*	...	*69.13*
4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम	4. Wind Energy Programme	2810	6.85	...	6.85	6.17	...	6.17	9.82	...	9.82
		3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		3602	0.06	...	0.06	0.05	...	0.05	0.06	...	0.06
जोड़		*Total*	*6.96*	...	*6.96*	*6.27*	...	*6.27*	*9.93*	...	*9.93*
5. जैव पिंड कार्यक्रम	5. Bio Mass Programme	2810	6.15	...	6.15	5.39	...	5.39	5.95	...	5.95
		3601	0.05	...	0.05	0.04	...	0.04	0.05	...	0.05
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*6.25*	...	*6.25*	*5.48*	...	*5.48*	*6.05*	...	*6.05*
6. चुम्बकीय-पन गतिकी कार्यक्रम	6. Magneto Hydro Dynamics Programme	2810	0.65	...	0.65	0.58	...	0.58	0.65	...	0.65
7.01 ऊर्जा के अन्य स्रोत	7.01 Other Sources of Energy	2810	6.85	...	6.85	6.17	...	6.17	11.90	...	11.90
7.02 अपशिष्ट भस्मीकरण संयंत्र	7.02 Refuse Incineration Plant	4810	1.55	...	1.55	1.43	...	1.43	...	...	...
जोड़		*Total*	*8.40*	...	*8.40*	*7.60*	...	*7.60*	*11.90*	...	*11.90*
8. विकसित चूल्हे	8. Improved Chulhas	2810	6.06	...	6.06	5.63	...	5.63	8.24	...	8.24
		3601	6.29	...	6.29	5.98	...	5.98	8.62	...	8.62
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.07	...	0.07
जोड़		*Total*	*12.40*	...	*12.40*	*11.66*	...	*11.66*	*16.93*	...	*16.93*
9. जलखेड़ी (पंजाब) में चावल भूसा कृषि तापीय विद्युत संयंत्र	9. Rice Straw Agro Thermal Power Plant at Jalkheri (Punjab)	3601	0.50	...	0.50	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50
10. चावल की भूसी का विद्युत संयंत्र (पंजाब)	10. Rice Husk Power Plant (Punjab)	3601	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
11. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	11. Investement in Public Enterprises	4810	3.40	...	3.40	3.06	...	3.06	4.00	...	4.00
		6810	0.60	...	0.60	0.54	...	0.54	0.66	...	0.66
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*3.60*	...	*3.60*	*4.66*	...	*4.66*
12. अन्य मदें	12. Other Items	2810	0.87	...	0.87	0.79	...	0.79	3.40	...	3.40
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.87*	...	*0.87*	*0.79*	...	*0.79*	*3.40*	...	*3.40*
कुल जोड़	***Grand Total***		***124.73***	***1.36***	***126.09***	***115.86***	***1.36***	***117.22***	***149.03***	***1.43***	***150.46***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
11.01 भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	11.01 Indian Renewable Energy Development Agency	12810	3.40	...	3.40	3.06	...	3.06	4.00	...	4.00
11.02 फोटोवोल्टेक्स और सम्बद्ध उद्योग	11.02 Photovoltaics and related Industries	12810	0.60	...	0.60	0.54	...	0.54	0.66	...	0.66
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*3.60*	...	*3.60*	*4.66*	...	*4.66*
ग. आयोजना परिव्यय•	**C. Plan Outlay***										
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	Non Conventional Sources of Energy	12810	125.38	...	125.38	116.32	...	116.32	150.00	...	150.00
मांग संख्या 78	Demand No 78	12810	0.30	...	0.30	0.11	...	0.11	0.30	...	0.30
मांग संख्या 79	Demand No 79	12810	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.67	...	0.67
जोड़		**Total**	**0.65**	...	**0.65**	**0.46**	...	**0.46**	**0.97**	...	**0.97**

• *इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*

* *Inclusive of works outlay provided in the Demands of Ministry of Urban Development*

1. **सचिवालय:** इसमें गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम :** इसमें सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम और सौर ऊर्जा केन्द्र के अधीन प्रोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण के लिए की गई व्यवस्था शामिल है । सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम में सौर तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विस्तार संबंधी कार्य शामिल हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ सौर तापीय उपकरणों पर आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है । उपयोगकर्त्ताओं को सौर कुकर खरीदने के लिए 150 रुपए अथवा सौर कुकर के मूल्य की एक-तिहाई राशि, इनमें से जो भी कम हो, आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है । सौर-प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों और उपकरणों के अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन/उपयोग/प्रदर्शन के अतिरिक्त आकारहीन सिलिकोन सौर कक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना भी आरंभ की गई है । सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना, अनुसंधान और विकास, परीक्षण और मानकीकरण, प्रोटोटाइप विकास, प्रौद्योगिकी अन्तरण प्रदर्शन और क्षेत्र परीक्षण और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से की गई है।

3. **बायोगैस कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम में पारिवारिक (एन.पी.बी.डी) और बड़े आकार की अपशिष्ट रीसाइकलिंग एवं स्रोत प्रतिलाभ प्रणालियां (डब्ल्यू.आर.आर.आर.एस) दोनों किस्मों का प्रदर्शन और मानव अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, जल-हयासिन्थ (पुष्प) इत्यादि पर आधारित संयंत्रों सहित बायोगैस पर अनुसंधान और विकास कार्य भी शामिल है । एन.पी.बी.डी. कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है । सामूहिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए सरकार द्वारा सी.बी.पी. की लागत का 90 प्रतिशत और आई.बी.पी. की लागत का 70 प्रतिशत निधिकरण किया जाता है ।

4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम:** इसमें, पवन प्रवाह आंकड़ा संग्रह केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विभिन्न पवन ऊर्जा साज उपकरणों के क्षेत्रीय परीक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशेषकर पवन फार्मों के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कुल 34 मैगावाट क्षमता कार्यशील हो गई है।

5. **बायोमास कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था का संबंध ऊर्जा प्लांटेशन, बायोमास उत्पादन और बायोमास की उपलब्धता और बायोमास के रूपान्तरण और उपयोग से है ।

6. **चुम्बकीय जलगतिकीय कार्यक्रम:** भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कोयले पर आधारित एक 5 मैगावाट (तापजनित) के एक प्रायोगिक चुम्बकीय जलगतिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संयंत्र तथा अन्य संस्थानों में अनुसंधान तथा विकास संबंधी और कार्य शामिल है ।

7. **ऊर्जा के अन्य स्रोत:** इसमें ऊर्जा के रासायनिक स्रोत, हाइड्रोजन ऊर्जा, जल-भूतल परिवहन के लिए विकल्प ईंधन, भू-तापीय ऊर्जा, माइक्रो जल विद्युत और समुद्री ऊर्जा के विकास हेतु अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

8. **उन्नत चूल्हों संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम:** इसमें अनुसंधान और विकास, धूम्ररहित अच्छे एवं उन्नत चूल्हों के प्रशिक्षण तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए की गई व्यवस्था शामिल है। इसमें कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के लिए वित्तीय समर्थन के लिए, जिसमें लाभभोगियों के लिए आर्थिक सहायता शामिल है, व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम, जो ग्रामीण युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करता है, स्व-रोजगार कामगारों के माध्यम से 1988-89 से क्रियान्वित किया गया है।

9. **जलखेड़ी (पंजाब) में चावल भूसा कृषि तापीय विद्युत संयंत्र:** 10 मैगावाट के चावल भूसा कृषि तापीय विद्युत संयंत्र के लिए पंजाब सरकार को सहायता अनुदान देने के लिए आयोजना की तरफ से 1991-92 के बजट अनुमानों में व्यवस्था की गई है।

11.01 **भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी:** भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना बड़े पैमाने पर विभिन्न नए और नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं और स्कीमों को समर्थन प्रदान करने के लिए की गई है। यह एजेन्सी ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

12. **अन्य मदें:** इसमें सूचना व प्रचार, ऊर्जाग्राम सर्वेक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और देश में जलाभाव क्षेत्र के पशुओं की ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करने से संबंधित जलाभाव क्षेत्र-पशु शक्ति कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।

1. **Secretariat:** Provides for secretariat expenditure of the Department of Non-Conventional Energy Sources.

2. **Solar Energy Programme:** Includes provision for Solar Thermal Energy Programme, Solar Photovoltaic Programme and prototype development and training under Solar Energy centre. The Solar Thermal Energy Programme includes research and development, demonstration and extension of solar thermal energy technologies and inter-alia envisages funding in the form of subsidy on Solar Thermal devices. A subsidy of 1/3rd of the cost of Solar Cookers or Rs.150/- whichever is less is also provided to users for purchase of Solar Cookers. Under Solar Photovoltaic programme in addition to R&D and production/ utilisation/demonstration of various photovoltaic systems and devices, a science & technology mission project for the development of amorphous silicon solar cell technology has also been taken up. The Solar Energy Centre has been established with the objective of research and development, testing and standardisation, prototype development, technology transfer, demonstration and field testing and development of man power in the area of solar energy.

3. **Biogas Programme :** This programme includes demonstration of both the family type (NPBD) and bigger sized Waste Recycling and Resource Recovery Systems (WRRRS) and also research and development in biogas including plants based on human wastes, agricultural waste, water hyacinth, etc. The NPBD programme, *inter-alia,* provides for subsidy to individual users for setting up biogas plants. For community and institutional biogas plants linked with WRRRS the funding by Government is 90% of the cost for CBPs and 70% for IBPs.

4. **Wind Energy Programme :** This includes the strengthening of wind data base, research and development, demonstration and field testing of various wind energy harnessing devices. During the Seventh Five Year Plan significant strides have been made under the Wind Energy Programme, notably in the area of wind farms. A total of 34MW capacity has become operative.

5. **Biomass Programme :** Provision for this programme relates to the energy plantation, biomass production and availability, conversion and utilisation of biomass.

6. **Magneto Hydro Dynamics Programme:** An experimental 5MW (thermal input) coal based magneto hydro dynamics pilot power plant by Bharat Heavy Electricals Limited has been established. The programme includes further research and development activities in this plant and at other institutions.

7. **Other Sources of Energy:** Includes provision for R&D activities for development of Chemical Sources of Energy, Hydrogen Energy, Alternate fuels for Surface Transportation, Geo-Thermal Energy, Micro Hydel Power and Ocean Energy.

8. **The National Programme on Improved Chulhas:** This includes the provision for implementation of programme involving R&D, training and popularisation of improved and efficient smokeless Chulhas. It provides financial support for various aspects of the programme including subsidy to beneficiaries. The programme is implemented from 1988-89 through self-employed workers, which provides employment opportunity to rural youth.

9. **Rice Straw Agro Thermal Power Plant at Jalkheri (Punjab):** Provision for grants-in-aid to the Government of Punjab for 10MW Rice /Straw Agro Thermal Power Plant has been made in BE 1991-92 on the Plan side.

11.01. **Indian Renewable Energy Development Agency:** IREDA has been set up to support various new and renewable sources of energy projects and the schemes on a large scale. The agency would be responsible for financing such projects.

12. **Other Items:** Includes provision for Information & Publicity, Oorjagram Surveys and International Co-operation and Draught Animal Power Programme which relates to increasing the energy output of Draught Animals in the country.

ग्रामीण विकास मंत्रालय *MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT*

मांग संख्या DEMAND No.69

ग्रामीण विकास मंत्रालय Ministry of Rural Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		3128.78	12.78	3141.56	2974.74	12.61	2987.35	3507.50	13.24	3520.74
पूंजी	*Capital*		*0.30*	...	*0.30*	*0.27*	...	*0.27*	*0.50*	...	*0.50*
जोड़	**Total**		**3129.08**	**12.78**	**3141.86**	**2975.01**	**12.61**	**2987.62**	**3508.00**	**13.24**	**3521.24**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	2.22	2.22	...	2.34	2.34	...	2.45	2.45
जल पूर्ति और सफाई	**Rural Water Supply & Sanitation**										
2. त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	2.Accelerated Rural Water Supply Programme	3601	305.10	...	305.10	305.10	...	305.10	682.90	...	682.90
		3602	1.16	...	1.16	1.16	...	1.16	1.20	...	1.20
		2215	116.74	0.82	117.56	96.97	0.56	97.53	73.90	0.67	74.57
जोड़		*Total*	*423.00*	*0.82*	*423.82*	*403.23*	*0.56*	*403.79*	*758.00*	*0.67*	*758.67*
3. ग्रामीण सफाई	3. Rural Sanitation:	3601	14.65	...	14.65	12.65	...	12.65	29.85	...	29.85
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.15	...	0.15
		2215	5.30	0.02	5.32	5.30	0.01	5.31	7.59	0.02	7.61
जोड़		*Total*	*20.00*	*0.02*	*20.02*	*18.00*	*0.01*	*18.01*	*37.59*	*0.02*	*37.61*
जोड़-जल पूर्ति और सफाई	**Total-Water Supply & Sanitation**		**443.00**	**0.84**	**443.84**	**421.23**	**0.57**	**421.80**	**795.59**	**0.69**	**796.28**
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**Special Programmes for Rural Development**										
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	*Integrated Rural Development Programmes*										
4. जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को आर्थिक सहायता	4. Subsidy to District Rural Development Agencies	2501	370.00	...	370.00	355.00	...	355.00	352.66	...	352.66
5. अन्य कार्यक्रम-एकीकृत ग्रामीण विकास	5. Other programmes-IRD	2501	6.48	0.26	6.74	1.03	0.21	1.24	2.15	0.23	2.38
		3601	0.21	...	0.21	0.21	...	0.21	20.57	...	20.57
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.26	...	0.26
जोड़		*Total*	*6.70*	*0.26*	*6.96*	*1.25*	*0.21*	*1.46*	*22.98*	*0.23*	*23.21*
जोड़-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Total-Integrated Rural Development Programmes**		**376.70**	**0.26**	**376.96**	**356.25**	**0.21**	**356.46**	**375.64**	**0.23**	**375.87**
6. स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण	6. Training of Rural Youth for Self Employment	3601	7.96	...	7.96	7.18	...	7.18	7.96	...	7.96
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		2501	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*8.00*	...	*8.00*	*7.22*	...	*7.22*	*8.00*	...	*8.00*
7. प्रखंड स्तर के प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	7. Strengthening of block : level administration	3601	13.28	...	13.28	13.28	...	13.28	14.74	...	14.74
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
		2501	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*13.30*	...	*13.30*	*13.30*	...	*13.30*	*14.76*	...	*14.76*
8. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	8. Drought Prone Areas Programme	3601	51.16	...	51.16	46.06	...	46.06	55.90	...	55.90
		2501	0.10	0.18	0.28	0.10	0.13	0.23	0.10	0.15	0.25
जोड़		*Total*	*51.26*	*0.18*	*51.44*	*46.16*	*0.13*	*46.29*	*56.00*	*0.15*	*56.15*
9. मरूस्थलीय क्षेत्रों का विकास	9. Development of Desert Areas	3601	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	55.00	...	55.00
जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**Total-Special Programmes for Rural Development**		**499.26**	**0.44**	**499.70**	**472.93**	**0.34**	**473.27**	**509.40**	**0.38**	**509.78**
ग्रामीण रोजगार	***Rural Employment***										
10. जवाहर रोजगार योजना	10. Jawahar Rozgar Yojna	2505	2100.00	0.16	2100.16	12.93	0.18	13.11	13.64	0.18	13.82
		3601	...	...	...	1986.27	...	1986.27	2084.64	...	2084.64
		3602	...	...	...	1.53	...	1.53	1.72	...	1.72
जोड़-ग्रामीण रोजगार	**Total-Rural Employment**		**2100.00**	**0.16**	**2100.16**	**2000.73**	**0.18**	**2000.91**	**2100.00**	**0.18**	**2100.18**
भूमि सुधार	**Land Reforms**										
11. भूमि सुधार	11. Land reforms	3601	22.89	...	22.89	20.37	...	20.37	25.64	...	25.64
		3602	0.23	...	0.23	0.23	...	0.23	0.26	...	0.26
		2506	2.21	...	2.21	2.21	...	2.21	8.71	...	8.71
जोड़		*Total*	*25.33*	...	*25.33*	*22.81*	...	*22.81*	*34.61*	...	*34.61*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Other Rural Development Programme**										
12. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास	12. Development of women and children in rural areas	2515	11.19	0.03	11.22	10.16	0.02	10.18	12.75	0.03	12.78
		3601	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.20	...	0.20
		3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*11.49*	*0.03*	*11.52*	*10.46*	*0.02*	*10.48*	*13.00*	*0.03*	*13.03*
13. प्रशिक्षण	13. Training	2515	8.03	2.42	10.45	6.39	2.36	8.75	10.09	2.42	12.51
		3601	8.01	...	8.01	7.34	...	7.34	9.50	...	9.50
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*16.05*	*2.42*	*18.47*	*13.74*	*2.36*	*16.10*	*19.60*	*2.42*	*22.02*
14. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	14. Other programmes of rural development	2515	8.25	0.52	8.77	8.49	0.53	9.02	11.30	0.57	11.87
		3601	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	10.00	0.25	10.25
		4515	0.30	...	0.30	0.27	...	0.27	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*8.55*	*0.72*	*9.27*	*8.76*	*0.73*	*9.49*	*21.80*	*0.82*	*22.62*
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	**Total-Other Rural Development Programme**		**36.09**	**3.17**	**39.26**	**32.96**	**3.11**	**36.07**	**54.40**	**3.27**	**57.67**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
खाद्य, भंडारण और भांडागारण	*Food, Storage, Warehousing*										
15. ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड	15. National grid of rural godowns	3601	3.85	...	3.85	3.46	...	3.46	4.80	...	4.80
		3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
		2408	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
जोड़		*Total*	*4.00*	*0.02*	*4.02*	*3.61*	*0.02*	*3.63*	*5.00*	*0.02*	*5.02*
अन्य कृषि कार्यक्रम	**Other Agricultural Programmes**										
16. कृषि विपणन	16. Agricultural marketing	2435	2.00	5.93	7.93	1.83	6.05	7.88	3.00	6.25	9.25
		3601	4.98	...	4.98	4.49	...	4.49	5.80	...	5.80
		3602	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*7.00*	*5.93*	*12.93*	*6.34*	*6.05*	*12.39*	*9.00*	*6.25*	*15.25*
जोड़-अन्य कृषि कार्यक्रम	**Total-Other Agricultural Programmes**		**7.00**	**5.93**	**12.93**	**6.34**	**6.05**	**12.39**	**9.00**	**6.25**	**15.25**
17 राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	*17. Central Assistance for State Plans:*										
17.01 विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	17.01 Special Central Assistance - Other special areas	3601	14.40	...	14.40	14.40	...	14.40	...	...	...
18. सहायता सामग्री और उपस्कर सकल	18. Aid Material and Equipment-Gross	3606	...	1.05	1.05	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
घटाइये-कार्यशील मुख्य शीर्ष को अन्तरण	*Deduct- Transfer to Functional Major Head*	*3606*	...	*-1.05*	*-1.05*	...	*-0.30*	*-0.30*	...	*-0.30*	*-0.30*
सहायता सामग्री और उपस्कर-निवल	**Aid Material and Equipment-Net**	**Total**	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*3129.08*	*12.78*	*3141.86*	*2975.01*	*12.61*	*2987.62*	*3508.00*	*13.24*	*3521.24*
ग. आयोजना परिव्यय *:-	C. Plan Outlay*:-	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total
1. जल पूर्ति और सफाई	1. Water Supply and Sanitation	22215	443.00	...	443.00	421.23	...	421.23	795.59	...	795.59
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2. Special Programmes for Rural Development	12501	499.26	...	499.26	472.93	...	472.93	509.40	...	509.40
3. ग्रामीण रोजगार	3. Rural Employment	12505	2100.00	...	2100.00	2000.73	...	2000.73	2100.00	...	2100.00
4. भूमि सुधार	4. Land Reforms	12506	25.33	...	25.33	22.81	...	22.81	34.61	...	34.61
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5. Other Rural Development Programmes	12515	36.09	...	36.09	32.99	...	32.99	54.40	...	54.40
6. खाद्य,भंडारण और भांडागारण	6. Food Storage & Warehousing	12408	4.00	...	4.00	3.61	...	3.61	5.00	...	5.00
7. अन्य कृषि कार्यक्रम	7. Other Agricultural Programmes	12435	7.00	...	7.00	6.34	...	6.34	9.00	...	9.00
जोड़		*Total*	*3114.68*	...	*3114.68*	*2960.64*	...	*2960.64*	*3508.00*	...	*3508.00*
राज्य आयोजना:	*State Plan:*										
विशेष केन्द्रीय सहायता-अन्य विशेष क्षेत्र	Special Central Assistance - Other special areas	43601	14.40	...	14.40	14.40	...	14.40	...	...	...
जोड़	**Total**		**3129.08**	...	**3129.08**	**2975.04**	...	**2975.04**	**3508.00**	...	**3508.00**

* *इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।*

* *Inclusive of Works outlay provided in Demand of Ministry of Urban Development*

79. लोक निर्माण कार्य	79. Public Works	12515	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...

1. इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और राज्यों द्वारा गाँवों में पीने के पानी की स्कीमें, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं, लेकिन राज्य के संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा समान व्यवस्था करने के तहत होती है। विभिन्न समस्याओं पर काबू पाने के उद्देश्य से और गाँवों में पीने के पानी की पूर्ति के कार्यक्रम की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय सोसाइटी मिशन के रूप में वर्ष 1986 में एक राष्ट्रीय पेयजल मिशन आरम्भ किया गया।

3. ग्रामीण सफाई की योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन के स्तर में सुधार करने के सम्पूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग घरों में सैनेटरी शौचालयों के निर्माण तथा आंगन वाडी सहित ग्रामीण स्तर की संस्थाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत किए जा रहे प्रयासों की अनुपूर्ति करना है। इस योजना के अन्तर्गत समूचा व्यय, सिवाय लाभभोगियों के अंशदान के जहां जरूरी हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना समीक्षाधीन है।

1. The provision is for expenditure of secretariat of the Ministry of Rural Development.

2. The provision of safe drinking water supply in rural areas is the responsibility of the respective State Governments and schemes for supply of drinking water in villages are formulated and implemented by the States under the State sector of Minimum Needs Programme (MNP). However, to supplement the state resources, Central assistance is being provided as 100% grant under the Accelerated Rural Water Supply Programme subject to a matching provision being made by the State Governments under MNP. In order to overcome the various problems and to give a fillip to the programme of supplying drinking water in villages a National Drinking Water Mission was launched in 1986 as one of the National Societal Missions.

3. The scheme of rural sanitation aims at supplementing the efforts made under different central and state sector programmes for providing sanitary facilities in the rural areas through construction of sanitary latrines in individual houses and village level institutions including Angan Wadis with an overall objective of improving the quality of life in the rural areas. Under this scheme the entire expenditure, except for beneficiaries' contribution wherever called for, is borne by the Central Government. The scheme is under review.

4. और 5. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य दरिद्रता रेखा के नीचे के निर्धारित परिवारों को ऋण और आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के मिश्रण से आय प्राप्त कराने वाली परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने आय के स्तर को ऊंचा उठा सकें और वे दरिद्रता की रेखा को पार कर सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को ग्रामों के लक्ष्यगत समूहों के गरीब सदस्यों को सहायता देने के लिए राशियां दी जाती हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर मात्रा से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के केन्द्रीय परिव्यय में स्वैच्छिक अभिकरणों के माध्यम से अनुसंधान और मूल्यांकन और सहायता देने के लिए व्यवस्था है।

4 & 5. The objective of the IRD Programme is to provide income generating assets to identified families below the poverty line through a mix of credit and subsidy to enable them to improve their income levels so as to eventually cross the poverty line. Under this programme funds are given to the District Rural Development Agencies for providing assistance to members of the target group of rural poor. The expenditure under the programme is equally shared between the Centre and the State Governments. Besides, the IRDP Central outlay provides for research and evaluation and assistance through voluntary agencies.

6. ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की स्कीम का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यगत समूहों वाले परिवारों के ग्रामीण युवकों (18 से 35 वर्ष तक की आयु के) को हुनरों का प्रशिक्षण देना है ताकि वे स्वतः रोजगार/नौकरी कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति और टूल किटें मुफ्त दी जाती हैं। ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना एक अलग समर्थन के रूप में तैयार की गई है।

6. The main objective of TRYSEM is to train the rural youth (18 to 35 years of age) from the target group of families in skills so as to enable them to take up self/wage employment. The trainees are given stipends and free tool kits. In order to strengthen the training infrastructure under TRYSEM a Centrally Sponsored Scheme of strengthening of training infrastructure is provided as a separate support.

7. प्रखंड स्तर के प्रशासन को सुदृढ़ करने की स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रशासन को सुदृढ़ करना है। यह व्यय केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समान आधार पर बांटा जाता है।

7. The scheme of strengthening of Block Level Administration is aimed at strengthening administration of rural development programmes. The expenditure is shared on a matching basis between the Central and State Governments.

8. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जो भूमि, जल और मानव संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है और इसकी वित्त व्यवस्था केन्द्र और राज्यों द्वारा समतुल्य आधार पर की जाती है। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 91 जिलों के 615 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

8. The DPAP is an area development programme designed to tackle the problem of drought with a long term perspective based on the strategy of optimum utilization of land, water and human resources. This is a centrally sponsored scheme, which is funded on a matching basis by the Centre and States. The programme is in operation in 615 blocks in 91 districts of 13 States.

9. मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसकी 100 प्रतिशत वित्त व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है, का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना और सिंचाई, वन मृदा और जल संरक्षण शुष्क भूमि पर खेती आदि जैसे कार्यकलापों को अपने हाथ में लेकर उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए अवसरों में वृद्धि करना है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 राज्यों के 21 जिलों में 131 चुने हुए खण्ड आते हैं।

9. The DDP which is funded 100% by the Central Government, aims at controlling desertification and promoting opportunities to raise level of production, income and employment by taking up activities like irrigation, afforestation, soil and water conservation, dryland farming etc. DDP covers 131 selected blocks in 21 districts in 5 States.

10. जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का बुनियादी उद्देश्य बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना तथा ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करके और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र जीवन-स्तर में सुधार करके दीर्घ कालिक रोजगार उत्पन्न करना है। यह कार्यक्रम जिसे सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, का वित्त-पोषण केन्द्र और राज्यों द्वारा 80 : 20 की भागीदारी से किया जा रहा है। केन्द्र शासित प्रदेशों में होने वाले व्यय को 100% आधार पर केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत, रोजगार के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इन मार्ग-निदेशों में 30% रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की 6 प्रतिशत राशि इन्दिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.) के लिए निर्धारित की गई है तथा इन्हें देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुल निर्धनों तथा बंधुआ मजदूरों में से किसी राज्य में इस विशेष वर्ग से सम्बन्धित गरीब लोगों के अनुपात में राज्यों को वितरित किया गया है। इसके अलावा, जवाहर रोजगारयोजना के अन्तर्गत 20 % संसाधनों को राज्य स्तर पर मिलियन वैल्स स्कीम (एम. डब्ल्यु. एस.) के लिए निर्धारित किया गया है जिन्हें जिलों में आवंटित किया जाएगा। शेष 20% निधियां प्रशासन / आकस्मिकता सहित इन्दिरा आवास योजना तथा मिलियन डब्ल्यु. एस. के लिए निर्धारित करने के पश्चात इस योनजा के तहत जिला स्तर पर अन्तर-खण्ड / ग्रामीण निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। शेष 80% धनराशियां जवाहर रोजगार योजना में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार ग्राम पंचायतों / मंडलों में वितरित की गई है। जवाहर रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली दिहाड़ी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम दिहाड़ी होगी।

10. The Jawahar Rozgar Yojana (JRY) has the basic objectives of generation of additional gainful employment for unemployed and underemployed persons and creation of sustained employment by strengthening rural economic infrastructure and improvement in the overall quality of life in the rural areas. The programme which is being implemented in all the States is funded by the Centre and the States on 80 : 20 sharing basis. Expenditure in the UTs is borne by the Centre on 100% basis. Under the Yojana, preference is given to SCs/STs for employment. The guidelines further envisage 30% of the employment opportunities to be reserved for women under the JRY. 6% of the resources at the national level have been earmarked for Indira Awaas Yojana (IAY) and distributed among the States in proportion of poor among SCs/STs and bonded labourers in a State out of the total rural poor belonging to this particular group in the country. In addition, 20% of the resources under the JRY have been earmarked for the Million Wells Scheme (MWS) at the State level to be allocated among the districts. 20% of the balance funds after setting apart funds for IAY and MWS including administration/contingencies, can be utilised under the Yojana at the district level for inter-block/ village works. The remaining 80% are distributed among the gram panchayats/mandals as per the criteria laid in the JRY guidelines. Wages to be paid to the workers under the JRY are the minimum wages as prescribed under the Minimum Wages Act.

11. भूमि सुधार के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को जो कृषि जोत की सीमा लागू होने के परिणामस्वरूप भूमि के नए मालिक बन गए हैं, सहायता देने के लिए राज्य सरकारों को 2500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से समतुल्य आधार पर सहायता दी जाती है ताकि वे ऐसी भूमि पर लाभ के

11. Under Land Reforms, assistance is given to the State Governments on a matching basis at the rate of Rs.2500 per hectare to assist new assignees of land declared surplus, as a result of imposition of ceiling on agricultural holdings, to enable them to take up cultivation

आधार पर खेती-बाड़ी कर सकें । इसमें राजस्व मशीनरी को सुदृढ़ बनाने, भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने और कृषि संबंधी अध्ययन के लिए सहायता व्यवस्था भी शामिल की गई है ।

12. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की औरतों पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि स्वावलम्बन के आधार पर आय के अवसर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप उत्पन्न करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके । इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ द्वारा बराबर मात्रा में दिए गए एक मुश्त-अनुदान के रूप में 15,000 रुपए की व्यवस्था की गई है जिसे परिवर्तनशील निधि, समूह संगठनकर्ता को मानदेय, बीज के लिए राशि और बाल-देख-रेख सुविधाओं में प्रयोग किया जा सकता है । इसके अलावा, प्रशिक्षण, उत्पादन और बाल-देख-रेख सुविधाओं की सहूलियत देने के लिए बहु-उद्देश्यीय केन्द्रों को इस योजना का एक अनिवार्य भाग बनाया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास योजना के लिए स्टाफ संबंधी समर्थन के लिए धनराशि यूनिसेफ द्वारा दी जाती है । यह योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 160 जिलों में प्रचलित है ।

13. इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, जन कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद्, ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण और अनुसंधान के केन्द्रों और विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों को दी जाने वाली सहायता शामिल है ।

14. इसमें स्वैच्छिक कार्य प्रोत्साहन, पंचायती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में सड़कों पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है।

15. ग्रामीण गोदामों की स्थापना करने की योजना का उद्देश्य छोटे/सीमान्तिक किसानों की कृषि उपज, निविष्टियों आदि के भंडारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण गोदामों के एक विस्तृत जाल (नेटवर्क) का सृजन करना है ताकि वे अनाज की संकट बिक्री न करें । ग्रामीण गोदामों के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य आधार पर आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है और शेष 50 प्रतिशत की पूर्ति बैंक ऋणों आदि द्वारा की जाती है । सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसकी लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत की पूर्ति जवाहर रोजगार योजना की निधियों से की जाएगी । आई. टी. डी. पी. क्षेत्रों में केन्द्रीय आर्थिक सहायता की राशि निर्माण की लागत की 50 प्रतिशत है, राज्यों का हिस्सा 25 प्रतिशत है और शेष 25 प्रतिशत जवाहर रोजगार योजना निधि से पूरा किया जाएगा ।

16. इसमें कृषि विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण, फलों, सब्जियों और वाणिज्यिक फसलों के विपणन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को प्राथमिक और मध्यक बाजारों में आधारभूत सुविधाएं देने के लिए कृषि उत्पादन बाजारों के विकास के वास्ते व्यय की व्यवस्था शामिल की गई है।

17 यह योजना राज्य आयोजना के अन्तर्गत बन्द कर दी गई है।

18. यह व्यवस्था विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्री और उपकरणों के लिए है ।

of such land on a profitable basis. The provision also includes assistance for the scheme of strengthening the revenue machinery & updating the land records and for agrarian studies.

12. The scheme of Development of Women and Children in Rural Areas is meant to focus attention on women members of the families below poverty line so as to improve their socio-economic status through creation of opportunities for income-generating activities on a self-sustaining basis. The scheme inter-alia provides for Rs.15,000 as one time grant contributed in equal measures by the Government, State Government and UNICEF which can be used for revolving fund, honoraium to group organiser, seed money and child-care facilities. In addition, multi purpose centres for providing facilities of training, production and child care facilities form an integral part of the scheme. The staff support for DWCRA is funded by UNICEF. The Scheme is in operation in 160 districts in the States and U.Ts.

13. The provision includes assistance to National Institute of Rural Development, Council for Advancement of People's Action and Rural Technology and to States for strengthening Centres for training and Research in rural development and Extension Training Centres, etc. including EEC assisted programmes.

14. This includes provisions for expenditure on promotion of voluntary action, assistance to Panchayati Raj Institutions and Roads in Ravine areas.

15. The scheme for setting up of Rural Godowns aims at creation of a network of rural godowns to take care of storage requirements for agricultural produce, inputs, etc. of small/marginal farmers so as to avert distress sale of foodgrains. Fifty per cent of the cost of construction of rural godowns is provided as subsidy on a matching basis by the Centre and State Governments and the remaining 50% is met by bank loans etc. In the North-Eastern States/U.Ts. including Sikkim 50% of the cost is met by the Central Government and remaining 50% may be met from JRY funds. In the ITDP areas the level of Central subsidy is 50% of the cost of construction, the states' share is 25 per cent and balance 25 per cent is met from JRY funds.

16. This includes expenditure on agricultural marketing and quality control, development of Agricultural produce markets for creating infrastructural facilities for marketing fruits, vegetables and commercial crops in primary, rural and secondary markets for farmers in rural areas.

17. Scheme discontinued under State Plan.

18. The provision is for Aid Materials and Equipments received from foreign countries.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मांग संख्या DEMAND No. 70

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Department of Science and Technology

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		93.60	134.54	228.14	83.53	132.28	215.81	109.79	138.95	248.74
पूंजी	*Capital*		*28.25*	*2.50*	*30.75*	*20.15*	*2.00*	*22.15*	*32.91*	*2.05*	*34.96*
जोड़	**Total**		**121.85**	**137.04**	**258.89**	**103.68**	**134.28**	**237.96**	**142.70**	**141.00**	**283.70**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	5.35	5.35	...	5.54	5.54	...	5.96	5.96
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	*Other Scientific Research*										
भारतीय सर्वेक्षण	**Survey of India**										
2. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	2. Topographical Surveys	3425	...	21.73	21.73	...	21.45	21.45	...	22.00	22.00
3. विकास परियोजना सर्वेक्षण	3. Development Project Surveys	3425	...	15.15	15.15	...	14.88	14.88	...	15.67	15.67
4. नक्शों/चार्टों आदि का प्रकाशन	4. Publication of Maps/Charts etc.	3425	...	5.32	5.32	...	6.31	6.31	...	6.33	6.33
5. प्रशिक्षण	5. Training	3425	...	1.90	1.90	...	1.90	1.90	...	2.38	2.38
6. अन्य कार्यक्रम	6. Other Programmes										
6.01 बाढ़ संबंधी क्षेत्रों का सर्वेक्षण	6.01 Flood Plain Zoning Surveys	2711	2.00	...	2.00	1.40	...	1.40	...	...	...
		4711	2.00	...	2.00	1.60	...	1.60	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*3.00*	...	*3.00*	...	...	...
6.02 अन्य योजनाएं	6.02 Other Schemes	3425	3.50	4.62	8.12	2.80	3.39	6.19	2.50	4.32	6.82
6.03 निदेशन और प्रशासन	6.03 Direction and Administration	3425	...	8.58	8.58	...	8.29	8.29	...	8.99	8.99
		5425	...	1.20	1.20	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	*7.50*	*14.40*	*21.90*	*5.80*	*12.68*	*18.48*	*2.50*	*14.31*	*16.81*
जोड़-भारतीय सर्वेक्षण	**Total-Survey of India**		**7.50**	**58.50**	**66.00**	**5.80**	**57.22**	**63.02**	**2.50**	**60.69**	**63.19**
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	***Science and Technology***										
7. राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन	7. National Atlas and Thematic Mapping Organisation	3425	0.30	2.29	2.59	0.08	2.51	2.59	0.09	2.44	2.53
		5425	0.70	...	0.70	0.60	...	0.60	0.91	...	0.91
जोड़		*Total*	*1.00*	*2.29*	*3.29*	*0.68*	*2.51*	*3.19*	*1.00*	*2.44*	*3.44*
8. वैज्ञानिक निकायों को सहायता	8. Assistance to Scientific Bodies										
8.01 भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कलकत्ता	8.01 Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta	3425	1.78	2.11	3.89	1.78	2.11	3.89	1.90	2.21	4.11
8.02 बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता	8.02 Bose Institute, Calcutta	3425	1.18	2.31	3.49	0.73	2.31	3.04	1.20	2.43	3.63
8.03 रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	8.03 Raman Research - Institute, Bangalore	3425	3.40	1.59	4.99	2.69	1.59	4.28	3.00	1.67	4.67
8.04 प्लाज़मा अनुसंधान संस्थान, गांधी नगर	8.04 Institute of Plasma Research, Gandhi Nagar	3425	2.16	1.74	3.90	2.16	1.74	3.90	3.20	1.83	5.03
8.05 भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर	8.05 Indian Institute of Astro-Physics, Bangalore	3425	1.91	2.09	4.00	1.65	2.09	3.74	2.15	2.19	4.34
8.06 भारतीय भू-चुम्बकीय संस्थान, बम्बई	8.06 Indian Institute of Geo-Magnetism, Bombay	3425	1.05	0.58	1.63	0.90	0.58	1.48	1.45	0.61	2.06
8.07 भारतीय उष्ण कटिबन्ध ऋतु विज्ञान संस्थान, पुणे	8.07 Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune	3425	0.86	1.72	2.58	0.43	1.72	2.15	0.90	1.67	2.57
8.08 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए श्रीचित्रा तिरुनल चिकित्सा संस्थान, त्रिवेन्द्रम	8.08 Sree Chitra Tirunal Medical Institute of Science and Technology, Trivandrum	3425	3.92	4.67	8.59	3.72	4.67	8.39	3.25	4.75	8.00
8.09 बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट आफ पैलिओ-बोटनी, लखनऊ	8.09 Birbal Sahni Institute of Palaeo-Botany, Lucknow	3425	0.98	1.01	1.99	0.73	0.96	1.69	1.00	1.00	2.00
8.10 एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फार बेसिक साइंस	8.10 S N Bose National Centre for Basic Sciences	3425	2.01	0.19	2.20	1.01	0.19	1.20	1.75	0.20	1.95
8.11 महाराष्ट्र विज्ञान संवर्धन संघ, पुणे	8.11 Maharashtra Association for the Cultivation of Science, Pune.	3425	0.92	0.76	1.68	0.80	0.76	1.56	0.90	0.74	1.64
8.12 वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलाजी	8.12 Wadia Institute of Himamlayan Geology	3425	0.83	1.07	1.90	0.59	1.07	1.66	0.80	1.12	1.92
8.13 जवाहर लाल नेहरू अग्रेतर वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	8.13 Jawahar Lal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore	3425	2.00	...	2.00	1.81	...	1.81	3.50	...	3.50
8.14 प्रौद्योगिकीय पूर्वानुमान सूचना आकलन परिषद	8.14 Technology Information Fore-casting Assessment Council	3425	2.75	0.13	2.88	2.35	0.13	2.48	2.00	0.14	2.14
8.15 अन्य संस्थाएं/ अन्य व्यावसायिक निकाय	8.15 Other Institutes/ Other Professional Bodies	3425	1.90	2.08	3.98	4.06	2.13	6.19	4.50	2.19	6.69
जोड़		*Total*	*27.65*	*22.05*	*49.70*	*25.41*	*22.05*	*47.46*	*31.50*	*22.75*	*54.25*
9. अनुसंधान और विकास समर्थन	9. *Research and Development Support*										
9.01 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु विषयक अनुसंधान	9.01 Multi-Disciplinary Research in Science and Technology (SERC)	3425	5.75	2.50	8.25	7.75	2.50	10.25	9.00	2.50	11.50
9.02 इंजीनियरी में बहु-विषयक अनुसंधान	9.02 Multi-Disciplinary Research in Engineering (SERC)	3425	3.60	...	3.60	3.25	...	3.25	4.00	...	4.00
9.03 उच्च प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों में अधिक तेजी लाना	9.03 Intensification of Research work in high priority areas	3425	2.50	...	2.50	2.27	...	2.27	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*11.85*	*2.50*	*14.35*	*13.27*	*2.50*	*15.77*	*16.00*	*2.50*	*18.50*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
10. *राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम*	10. *Nationally Co-ordinated R & D Programmes*										
10.01 अति चालकता कार्यक्रम	10.01 Super Conductivity Programme	3425	6.00	...	6.00	2.84	...	2.84	6.00	...	6.00
10.02. उपकरण विकास कार्यक्रम	10.02 Instrument Dvelopment Programme	3425	1.32	...	1.32	0.60	...	0.60	2.75	...	2.75
10.03 अन्य कार्यक्रम (भू विज्ञान सहित)	10.03 Other Programmes (Incl. Earth Sciences)	3425	1.70	...	1.70	1.77	...	1.77	1.40	...	1.40
जोड़		*Total*	*9.02*	...	*9.02*	*5.21*	...	*5.21*	*10.15*	...	*10.15*
11. अनुसंधान और विकास संबंधी राष्ट्रीय सुविधाएं	11. R & D National Facilities	3425	1.00	0.91	1.91	1.21	1.10	2.31	4.00	1.15	5.15
12. अनुसंधान और विकास संबंधी आधारभूत समर्थन	12. R & D Infrastructural Support	3425	1.22	0.22	1.44	1.02	0.16	1.18	1.45	0.24	1.69
13. प्रौद्योगिकी विकास और सम्बद्ध कार्यक्रम	13. Technology Development and Related Programmes	3425	4.43	0.02	4.45	2.89	0.02	2.91	4.55	0.02	4.57
14. *सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम*	14. *S & T Programmes for Socio Economic Development*										
14.01 प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास	14.01 Technology Entrepreneurship Development	3425	3.51	...	3.51	4.05	...	4.05	2.00	...	2.00
14.02 विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचारण और प्रसिद्धिकरण	14.02 S & T Communication and Popularisation	3425	2.50	...	2.50	2.70	...	2.70	3.00	...	3.00
14.03 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदें	14.03 State Councils for S & T	3425	1.32	...	1.32	1.20	...	1.20	1.50	...	1.50
14.04 अन्य कार्यक्रम	14.04 Other Programmes	3425	8.37	...	8.37	8.54	...	8.54	6.55	...	6.55
जोड़		*Total*	*15.70*	...	*15.70*	*16.49*	...	*16.49*	*13.05*	...	*13.05*
15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रणाली और संसाधन अध्ययन कार्यक्रम	15. S & T Policy Systems and Resources Studies Programmes	3425	0.33	0.12	0.45	0.47	0.11	0.58	1.50	0.13	1.63
16. मौसम विज्ञान और जलवायु-विज्ञान संबंधी अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	16. R & D Programmes on Metereology and Climatology	3425	1.50	...	1.50	1.25	...	1.25	1.50	...	1.50
17. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता	17. *International Co-operation*										
17.01 भारत और सोवियत संघ के बीच सहकारिता के एकीकृत दीर्घकालिक कार्यक्रम	17.01 Integrated Long Term Programme of Co-operation between India and USSR	3425	7.00	...	7.00	6.15	...	6.15	15.00	...	15.00
17.02 अग्रेत्तर अनुसंधान के लिए भारत-फ्रांस केन्द्र	17.02 Indo French Centre for Advanced Research	3425	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.50	...	1.50
17.03 अन्य कार्यक्रम	17.03 Other Programmes	3425	1.50	1.13	2.63	1.00	1.12	2.12	0.80	1.19	1.99
जोड़		Total	9.60	1.13	10.73	8.25	1.12	9.37	17.30	1.19	18.49
18. *अन्य योजनाएं*	18. Other Schemes										
18.01 राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र	18.01 National Centre for Medium Range Weather Forecasting	3425	2.00	1.57	3.57	1.34	1.54	2.88	2.70	1.62	4.32
		5425	6.55	...	6.55	3.55	...	3.55	8.30	...	8.30
जोड़		*Total*	*8.55*	*1.57*	*10.12*	*4.89*	*1.54*	*6.43*	*11.00*	*1.62*	*12.62*
18.02 अन्य कार्यक्रम	18.02 Other Programmes	3425	...	0.75	0.75	...	0.45	0.45	...	0.48	0.48
		5425	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	0.20	0.30	0.50
जोड़		*Total*	...	*1.05*	*1.05*	...	*0.75*	*0.75*	*0.20*	*0.78*	*0.98*
जोड़		*Total*	*8.55*	*2.62*	*11.17*	*4.89*	*2.29*	*7.18*	*11.20*	*2.40*	*13.60*
जोड़-विज्ञान और प्रौद्योगिकी	**Total-Science and Technology**		**91.85**	**31.86**	**123.71**	**81.04**	**31.86**	**112.90**	**113.20**	**32.82**	**146.02**
जोड़-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	***Total- Other Scientific Research***		***99.35***	***90.36***	***189.71***	***86.64***	***89.08***	***175.92***	***115.70***	***93.51***	***209.21***
मौसम विज्ञान	**Meteorology**										
19. प्रशिक्षण	19. Training	3455	0.08	0.44	0.52	0.06	0.49	0.55	0.07	0.56	0.63
20. उपग्रह सेवाएं	20. Satellite Services	3455	0.27	4.61	4.88	0.26	4.89	5.15	0.41	4.68	5.09
21. वेधशालाएं और मौसम केन्द्र	21. Observatories andWeather Stations	3455	1.95	20.59	22.54	1.10	19.98	21.08	1.56	20.56	22.12
		5455	19.00	1.00	20.00	14.40	0.70	15.10	23.50	0.75	24.25
जोड़		*Total*	*20.95*	*21.59*	*42.54*	*15.50*	*20.68*	*36.18*	*25.06*	*21.31*	*46.37*
22. अनुसंधान कार्यक्रम	22. Research Programmes	3455	0.55	2.45	3.00	0.43	2.35	2.78	0.56	2.77	3.33
23. अन्य मौसम विज्ञान संबंधी सेवाएं	23. Other Meteorological Services	3455	0.65	9.68	10.33	0.59	8.73	9.32	0.90	9.27	10.17
24. अन्य कार्यक्रम	24. Other Programmes	3455	...	2.56	2.56	...	2.52	2.52	...	2.94	2.94
जोड़-मौसम विज्ञान	**Total- Meteorology**		**22.50**	**41.33**	**63.83**	**16.84**	**39.66**	**56.50**	**27.00**	**41.53**	**68.53**
कुल जोड़	**Grand Total**		**121.85**	**137.04**	**258.89**	**103.68**	**134.28**	**237.96**	**142.70**	**141.00**	**283.70**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1. Other Scientific Research	13425	102.00	...	102.00	88.96	...	88.96	119.20	...	119.20
2. मौसम विज्ञान	2. Meteorology	13455	25.00	...	25.00	20.25	...	20.25	30.00	...	30.00
जोड़	**Total**		**127.00**	...	**127.00**	**109.21**	...	**109.21**	**149.20**	...	**149.20**

**इसमें निम्नलिखित के लिए निर्माणकार्य परिव्यय शामिल है :*
*inclusive of Works Outlay as below:-

1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान — 1. Other Scientific Research
   (i) भारतीय सर्वेक्षण — i. Survey of India

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
मांग संख्या 78	Demand No.78	13425	0.65	...	0.65	...	...	...	1.50	...	1.50
मांग संख्या 79	Demand No.79	13425	2.00	...	2.00	2.09	...	2.09	2.00	...	2.00
(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी	ii. Science and Technology										
मांग संख्या 78	Demand No.78	13425	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...
जोड़	*Total*		*2.65*	...	*2.65*	*2.12*	...	*2.12*	*3.50*	...	*3.50*
2. मौसम विज्ञान	2. Meteorology										
मांग संख्या 78	Demand No.78	13455	0.75	...	0.75	0.81	...	0.81	1.40	...	1.40
मांग संख्या 79	Demand No.79	13455	1.75	...	1.75	2.60	...	2.60	1.60	...	1.60
जोड़	*Total*		*2.50*	...	*2.50*	*3.41*	...	*3.41*	*3.00*	...	*3.00*
जोड़	**Total**		5.15	...	5.15	5.53	...	5.53	6.50	...	6.50

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवा :** इसमें विभाग के सचिवालय पर होने वाले व्यय की व्यवस्था शामिल है ।

भारतीय सर्वेक्षण :

2. **स्थलाकृतिक सर्वेक्षण :** भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन का काम मुख्यतः स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना है और देश में रक्षा सेनाओं और विभिन्न राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं को सर्वेक्षण में सहायता प्रदान करना है ।

3. **विकास परियोजना सर्वेक्षण :** विभाग ने वर्ष 1990-91 (अक्तूबर, 90 तक) के दौरान विभिन्न मापदंडों पर लगभग 9,300 वर्ग किलोमीटर के सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया है । सर्वेक्षण में कनाल क्षेत्र सर्वेक्षण, बाढ़ नियंत्रण सर्वेक्षण और अन्य बड़े पैमाने की परियोजनाओं के सर्वेक्षण शामिल हैं ।

4. **मानचित्रों/चार्टों आदि का प्रकाशन :** 1990-91 (अक्तूबर, 90 तक) के दौरान, विभाग ने विभिन्न पैमानों के लगभग 560 विभागीय मानचित्र/चार्ट प्रकाशित किए हैं और इन मानचित्रों/चार्टों में स्थलाकृतिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राज्य मानचित्र और मार्गदर्शी मानचित्र आदि शामिल हैं । इसके अतिरिक्त, लगभग 370 अन्य विभागीय मानचित्र भी मुद्रित किए गए हैं ।

5. **प्रशिक्षण :** हैदराबाद में स्थित सर्वेक्षण संबंधी प्रशिक्षण और मानचित्रिकरण केन्द्र विभागीय/विभागेतर/विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को सर्वेक्षण और मानचित्रण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है । वर्ष 1990-91 (अक्तूबर 90 तक) के दौरान एस.टी.आई. हैदराबाद में लगभग 240 प्रशिक्षणार्थियों, जिनमें 11 विदेशी प्रशिक्षणार्थी सम्मिलित हैं, को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

6. **अन्य कार्यक्रम :** स्थलाकृतिक, सिंचाई योजनाएं, और अन्य विकासात्मक मानचित्र तैयार करने के लिए आधुनिक फोटोग्रामीट्रिक पद्धति का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

हाल ही के मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित रहे हैं :

i) भूगणितीय-क्षितिजीय तंत्र को डाप्लर उपग्रह तकनीक के प्रयोग से सुदृढ़ बनाना ।
ii) उच्च परिशुद्धता के स्तर का विविधिकरण ।
iii) भारतीय उपमहाद्वीप में भूचुम्बकीय दीर्घकालिक परिवर्तन संबंधी अनियमितता और विवर्तनिक पहलुओं का अध्ययन।
iv) पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच समुद्रीस्तरों के अंतरों का विश्लेषण ।
v) भारत में हाल ही की ऊर्ध्वाधर घट-बढ़ ।
vi) बृहत गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन और भूकम्पों के पूर्वानुमानों में इनका प्रयोग ।
vii) आंकड़ा आधार पर मानचित्र सूचना प्रणाली-रूपांकन ।
viii) आंगुलिक पर्यावरण में भारत के एटलस के स्वरूप का अनुवीक्षण।
ix) एस.ओ.आई. पी.सी. /आटो सी ए डी फोटोग्रामेट्रिक मनोप्लोटर प्रणाली का विकास ।
x) कार्टोग्राफिक परिवर्तन मानचित्र से संबंधित मानचित्र के विषय में साफ्टवेयर का विकास।

7. **राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मानचित्रण संगठन :** इस संगठन की स्थापना 1956 में की गई जिसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एटलस तैयार करना था । बाद में इसके कार्यक्षेत्र और गतिविधियों को भूगोलीय अनुसंधान और थिमेटिक मानचित्रण के नए क्षेत्रों में ले जाया गया जिसमें भूगोल और सम्बद्ध विषयों के सभी शैक्षिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं को शामिल किया गया । इस समय संगठन को छः इकाइयों में बांटा हुआ है तथा सभी इकाइयां कलकत्ता में स्थित हैं ।

1. **Secretariat-Economic Services :** Provides expenditure on account of the Secretariat of the Department.

Survey of India.

2. **Topographical Surveys :** The Survey of India, the Principal National Surveying and Mapping Organisation is mainly responsible for producing topographical maps and providing survey support to the Defence Forces and various National Development Projects in the country.

3. **Development Project Surveys :** The Department has completed the survey of about 9,300 sq. km. on various scales during the year 1990-91 (upto Oct., 90). The Surveys conducted cover the areas like Canal Area Surveys, Flood Control Surveys, and other large scale project surveys.

4. **Publication of Maps/Charts etc. :** The Department has brought out about 560 departmental maps/charts on various scales and these maps/charts include topographical maps, geographical maps, state maps and guide maps etc. during 1990-91 (upto Oct., 90). In addition, about 370 extra Departmental maps also have been printed.

5. **Training :** Centre for Survey Training and Map Production at Hyderabad imparts training to Departmental/Extra Departmental/Foreign trainees in various fields of Surveying and Mapping. About 240 trainees including 11 foreign trainees have been trained in STI, Hyderabad during 1990-91 (upto Oct., 90).

6. **Other Programmes :** Modern photogrammetric methods are being extensively used for topographical, irrigation schemes, and other developmental mapping.

The recent main activities have been :

i) Strengthening of Geodetic Horizental Net by Doppler Satellite Techniques.
ii) High Precision level net densification.
iii) Geomagnetic secular change anomaly and tectonic features over India sub continent.
iv) Analysis of difference of ocean levels between East and West coasts.
v) Recent Vertical Movement in India.
vi) Micro gravity variation and their use for earthquake prediction.
vii) Map Information System-Design of Data Base
viii) Design of Motoring Atlas of India in digital environment.
ix) Development of SOI PC/Auto CAD Photogrammetic Manplotter system.
x) Development of Software Package for Map-to-Map cartographic transformation.

7. **National Atlas and Thematic Mapping Organisation :** The Organisation set up in 1956, primarily aims at preparing National Atlas of India. Subsequently its scope and activities were extended to new fields of geographical research, thematic mapping covering all the academic and applied aspects of geography and allied subjects. The organisation is at present divided in six units, all located in Calcutta.

इसके कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

i) भारत की राष्ट्रीय एटलस अंग्रेजी और हिन्दी में तैयार करना;
ii) विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रीय एटलस मानचित्र तैयार करना;
iii) पर्यावरणात्मक पहलुओं और आर्थिक और सामाजिक विकास पर उन में प्रभाव संबंधी अनुसंधान अध्ययनों पर आधारित थिमेटिक मानचित्र तैयार करना;
iv) 1:1 मी. के पैमाने और इससे बड़े पैमाने पर भारत की भूमि प्रयोग और भूमिक्षमता संबंधी मानचित्रण तैयार करना और संकलित करना, और
v) भौगोलिक अनुसंधान और मानचित्रकला संबंधी अनुप्रयोग।

8. *वैज्ञानिक निकायों को सहायता :*

8.01. **भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ, कलकत्ता** : एक सबसे पुरानी अनुसंधान संस्था है जो भौतिकी और रसायन शास्त्र के प्रमुख क्षेत्रों में तथा उससे सम्बद्ध कुछ आन्तरिक क्षेत्रों में आधारभूत अनुसंधान कार्य कर रही है । भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ एमोरफस सिलिकोन सोलर सेल्स के विकास से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है ।

8.02 **बोस संस्थान, कलकत्ता** : आचार्य जगदीश चन्द्र बोस द्वारा 1917 में स्थापित जीव-विज्ञान के विषय पर बल देते हुए आधारभूत और प्रायोगिक विज्ञान के अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है । संस्थान ने भौतिकी और जीव विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की है । पौध-उत्पादकता में सुधार आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी और पौध प्रजनन का प्रयोग करते हुए नाइट्रोजन-निर्धारण और फोटो संश्लेषण, पौधों और समुद्री जीव अध्ययन न्यूक्लीय और अन्य विकिरण की अन्य द्रव्यों से अन्योन्य क्रिया से सम्बन्धित अन्वेषण और संरचना सम्बन्धी अध्ययन और जैव आणविक, जीव-जंतुओं के कार्य और गतिशीलता, परिस्थिति की पर्यावरणीय प्रदुषण सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं और औद्योगिक और चिकित्सा प्रयोग के लिए रोगाणु परजीवी अध्ययन वर्ष 1990-91 के दौरान कार्य के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं ।

बोस संस्थान में कार्यरत क्षेत्रीय आधुनिकतम उपस्कर केन्द्र ने, इस क्षेत्र में काम करने वालों को विश्लेषणात्मक इन्सट्रूमेंटेशन सेवाएं प्रदान करना जारी रखा हैं ।

8.03 **रमण अनुसंधान संस्थान, बंगलौर** : प्रोफेसर सी.वी. रमण द्वारा सन् 1948 में बंगलौर में स्थापित 1972 में भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हुई और यह सहायता अनुदान प्राप्त करने वाला संस्थान बन गया। संस्थान में अनुसंधान के मुख्य क्षेत्र खगोल-विज्ञान, खगोल-भौतिकी और द्रव्य क्रिस्टल है।

8.04 **प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर**, की स्थापना वर्ष 1986-87 में प्लाज्मा विज्ञान के सम्बन्ध में मूल प्रायोगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए की गई थी जिस में चुंबकीय सीमित प्लाज्मा की भौतिकी पर बल दिया गया है । डिजाइन, संरचना, समुच्चय, टोकमार्क आदित्य चालू करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :- (क) प्रारंभिक रचना अवस्था अध्ययन, (ख) प्लाज्मा विसर्जन भौतिकी और (ग) स्लाइड प्लाज्मा विसर्जन भौतिकी, लघु प्रयोगशाला नियुक्तियों के सम्बन्ध में अरेखीय प्लाज्मा (फिनोमिना) संवृत्ति के अध्ययन से सम्बन्धित मूल प्लाज्मा प्रयोग आरंभ करना और जारी रखना, रूचिकर अरेखीय प्लाज्मा (फिनोमिना) संवृन्ति का सैद्धान्तिक अन्वेषण करना और प्रायोगिक प्रयत्नों को समर्थन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना ।

8.05. **भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान, बंगलौर**, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी विज्ञान कार्यों को समर्पित एक अनुसंधान संस्थान है।

8.06. **भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, कोलाबा बम्बई**, की स्थापना सन् 1971 में सुपरिचित कोलाबा और अलीबाग की वेध शालाओं को पुनर्गठित करके की गई । इस संस्था का उद्देश्य देश में भू-चुम्बकत्व और सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है।

8.07 **भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे**, कटिबंधी मौसम विज्ञान में बेसिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है । मौसम विज्ञान के क्षेत्र में उसका संवर्धन, मार्ग दर्शन और अनुसंधान कार्य करना है जिसमें उष्ण कटिबन्धी को विशेष महत्व दिया गया है ।

8.08. **चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए श्री चित्रा तिरूनल संस्थान, त्रिवेन्द्रम**, की स्थापना मार्च, 1981 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई जिसका उद्देश्य जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का विकास करना, चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक विशिष्टताओं के साथ रोगियों की देखभाल के लिए उच्च मानकों का प्रदर्शन करना और उन्हें प्रदान करना और अग्रेत्तर चिकित्सा विशिष्टताओं तथा जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में कुशलतम स्तर के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना है ।

Its functions are :

i) Preparation of the National Atlas of India in English and Hindi.
ii) Preparation of National Atlas maps in different regional languages.
iii) Preparation of thematic maps based on research studies on environmental aspects and their impact on social and economic development.
iv) Preparation and compilation of Land use and Land-capability maps of India on 1:1M scale and on larger scale and
v) Geographical researches and cartographic applications.

8. ***Assistance to Scientific Bodies***

8.01. **Indian Association for Cultivation of Science (IACS) Calcutta**, is one of the oldest research institutions engaged in fundamental research in frontline areas of Physics and Chemistry and some inter disciplinary areas. The IACS is participating very actively in the S & T Mission Project on the development of AMORPHOUS SILICON SOLAR CELLS.

8.02. **Bose Institute, Calcutta**, founded in 1917 by Acharya Jagdish Chandra Bose is devoted to research in Fundamental and Applied Sciences with emphasis in the area of Biology. The Institute has attained major achievements in several areas of Physical and Biological Sciences. Improvements of plant productivity, nitrogen fixation and photosynthesis using modern Biotechnology and plant breeding; studies of plants and marine organisms, investigation on the interaction of nuclear and other radiations with matter and studies in structure, function and dynamics of bio-molecules; studies on ecology environmental pollution and related health problems and on microbes and parasites for industrial and medical application continued to form the major area of work during 1990-91.

Regional Sophisticated Instrumentation Centre (RSIC) functioning in the Institute continued to provide Analytical Instrumentation Services to the users in the region.

8.03. **Raman Research Institute (RRI), Bangalore**, founded by Prof. C. V. Raman in 1948 in Bangalore became a grants-in-aid institution aided by the Government of India in 1972. The main fields of research done at the Institute are Astronomy, Astrophysics and Liquid Crystals.

8.04. **Institute for Plasma Research, (IPR), Gandhinagar**, was set up during 1986-87 to carry out fundamental experimental and theoretical research in plasma sciences with emphasis on physics of magnetically confined plasmas. Physical targets include design, fabrications, assembly, commissioning of Tokamak ADITYA involving (a) study of initial formation phase, (b) physics of plasma discharges and (c) physics of slideway plasma discharges; initiation and continuation of basic plasma experiments on study of nonlinear plasma phenomena in smaller laboratory devices; and to carry out theoretical investigation of interesting nonlinear plasma phenomena and to provide support and guidance to the experimental effort.

8.05. **Indian Institute of Astrophysics (IIA), Bangalore**, is a research institution devoted to the science of Astronomy and Astrophysics.

8.06. **Indian Institute of Geomagnetism (IIG), Colaba, Bombay**, was established in 1971 by reconstituting the well known Colaba and Alibag observatories. The Institute is devoted to give impetus to the growth of geomagnetism and allied fields in the country.

8.07. **Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune**, functions as a National Centre for basic and applied research in tropical meteorology including weather modification with special reference to the tropics and sub-tropics.

8.08. **Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology (SCTIMST), Trivandrum**, was declared as an Institute of National Importance by Act of Parliament in March, 1981 with the main objectives of developing biomedical engineering and technology, providing and demonstrating high standards of patient care in advanced medical specialities and developing postgraduate training programmes of the highest quality in advanced medical specialities and bio-medical engineering and technology.

8.09 **बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ,** की स्थापना 1948 में विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुरावनस्पति वैज्ञानिक प्रो0 बीरबल साहनी की स्मृति में की गई। यह पौधा जीवाश्मों के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक और आधारभूत अनुसंधान कार्य करता है और उन्नत पुरावनस्पतिक जानकारी का प्रसार करता है।

8.10 **एस.एन.बोस नेशनल सेन्टर फार बेसिक साइंसेस (कलकत्ता),** की स्थापना जून 1986 में मूल (बेसिक) विज्ञानों की चुनी हुई शाखाओं में अग्रेत्तर अध्ययनों का संवर्धन और सैद्धान्तिक गणितीय विज्ञानों में आरम्भिक अनुसंधानों के संचालन तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य बेसिक विज्ञानों के संवर्धन के लिए की गई जिसमें भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के सैद्धान्तिक अध्ययनों को स्वीकार करना भी शामिल है।

8.11. **महाराष्ट्र विज्ञान संवर्धन संघ,** की स्थापना 1946 में की गई और यह जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहा है।

8.12. **वाडिया इंस्टीच्यूट आफ हिमालयन जियालाजी, देहरादून :** वर्ष 1968 में प्रो. डी. एन. वाडिया द्वारा संस्थान की स्थापना, हिमालय क्षेत्र में संरचनात्मक भूविज्ञान, कालान्तरिक शैल विज्ञान, भूरसायन, अवसाद विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान में बुनियादी तौर पर अनुसंधान करने के लिए की गई है। संस्थान का कार्यक्रम पर्वत बनाने की प्रक्रिया की जानकारी और हिमालय की भूगतिकीय की जानकारी प्राप्त करना है।

8.13. **जवाहर लाल नेहरू अग्रेत्तर वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर :** जवाहर लाल नेहरू शताब्दी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा स्थापित यह केन्द्र सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक उच्च स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों के लिए समर्पित है।

8.14. **प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान निर्धारण परिषद, नई दिल्ली :** इस परिषद् की स्थापना फरवरी 1988 में की गई जिसके कार्यकलापों के अंतर्गत भारत तथा विदेशों में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न प्रतिकूल क्षेत्रों में आगामी प्रौद्योगिकीय विकास के निदेशन तथा प्रौद्योगिकी के विद्यमान ढांचे का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए विशिष्टता प्राप्त कर उप-समूह स्थापित करना है और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमान रिपोर्ट तैयार करना है जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि शामिल होगी जिसमें विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्र शामिल हैं :

(क) वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त निवेश और
(ख) बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सहायक होगी।

8.15. **अन्य संस्थाएं / अन्य व्यावसायिक निकाय :** इस योजना का उद्देश्य विभाग में व्यावसायिक निकायों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में निर्माण और कार्यान्वयन भी शामिल है, को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इसके अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:- वैज्ञानिक व्यावसायिक निकायों और अकादमियों को सामूहिक एकीकृत वैज्ञानिक समुदाय के प्रोत्साहन के लिए अभिप्रेरित करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए दृष्टिकोणों का निर्माण और राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए नए दृष्टिकोणों का प्रयोग।

9. ***अनुसंधान और विकास समर्थन :***

9.01 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-विषयक अनुसंधान :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप के एक भाग के रूप में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (वि.इ.अ.प.) के अंतर्गत अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों को सहायता देता है। विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद् के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

(i) बहु विषयक क्षेत्रों सहित विज्ञान और इंजीनियरी के नए उभरते हुए और अग्रिम क्षेत्रों में अनुसंधान का संवर्धन;

(ii) अतिथेय संस्थान की विद्यमान अनुसंधान क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान और इंजीनियरी के सम्बद्ध क्षेत्रों में सामान्य अनुसंधान सक्षमताओं का चयनात्मक संवर्धन; और

(iii) युवा वैज्ञानिकों को चुनौती पूर्ण अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को करने के लिए प्रोत्साहित करना।

9.02 **इंजीनियरी में बहुविषयक अनुसंधान :** इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य, जहां व्यवहार्य हो, अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं तथा उद्योगों को संयोजित कर के अंतर्क्षेत्रों में स्वदेशीय प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा हमारे अनुसंधान में विशेषज्ञता और आत्म विश्वास का विकास करना ताकि प्रौद्योगिकी का बाद में सृजन हो सके।

9.03 **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में तेजी लाना :** उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में तेजी लाने की योजना की शुरूआत 1981 में इस उद्देश्य से की गई थी कि मौजूदा मानव साधनों का पूरा उपयोग किया जाए और संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सके जिससे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्र में पहुंचा

8.09. **Birbal Sahani Institute of Palaeobotany (BSIP), Lucknow,** was founded in 1948 in memory of the world renowned Indian Palaeobotanist, Prof. Birbal Sahani. It conducts applied and fundamental research on the varied aspects of plant fossils and disseminates the advanced palaeobotanical knowledge.

8.10. **S N Bose National Centre for Basic Sciences, Calcutta,** has been established in June, 1986 to promote advanced studies in select branches of basic sciences and for conduct of original research in theoretical mathematical sciences and other basic sciences in frontier areas, including challenging theoretical studies of future applications.

8.11. **Maharashtra Association for Cultivation of Science (MACS),** founded in 1946, has been engaged in the research activities in the field of biological sciences.

8.12. **Wadia Institute of Himalayan Geology (WIHG), Dehradun,** founded by Prof. D.N. Wadia in 1968, has been carrying out fundamental research in the fields of structural geology, metamorphicigneous petrology, geochemistry, sedimentology, geomorphology and palaeontology in Himalayan region. The programme of the Institute are oriented towards understanding the mountain building process and geodynamics of the Himalaya.

8.13. **Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore :** The Centre, established by the Government of India during the Centenary Year of Jawaharlal Nehru, is devoted to scientific research at the highest level in frontier areas.

8.14. **Technology Information Forecasting Assessment Council (TIFAC), New Delhi :** The Council setup in February, 1988 pursues activities towards setting up of specialised sub-groups for examining and evaluating the existing state of art of technology and direction of future technological developments in various cross-sectoral areas as well as in other sectors of the economy, both in India and abroad and of preparing technology forecasting reports, covering 10 years or longer periods, specially in production areas involving:

a. Substantial investments of financial resources and
b. Large volume of production.

8.15 **Other Institutes/Other Professional Bodies:** The Scheme was initiated in the Department with the objective of encouraging active involvement of professional bodies and science academies extensively in the national S & T activities including formulation and implementation of S & T programmes. Motivating the scientific professional bodies and academies for promotion of cohesive integrated scientific community, fermentation of new ideas in S & T and innovative approach to application of science and technology for national development Constitute the other objectives.

9. ***Research and Development Support :***

9.01 **Multidisciplinary Research in Science and Technology (SERC) :** The Department of Science and Technology, as a part of its S&T promotional activity has been supporting R&D programmes Science and Engineering Research Council (SERC). The objectives of the SERC are as under :

(i) To promote research in newly emerging and frontline areas of Science and Engineering including multidisciplinary fields;
(ii) To selectively promote general research capability in relevant areas of Science and Engineering taking into account existing research capabilities of the host institution; and
(iii) To encourage young scientists to take up challenging research and development activities.

9.02 **Multidisciplinary Research in Engineering (SERC) :** The primary objective of the programme is to develop indigenous technology in the gap areas by linking R&D institutions and industries wherever applicable and also develop expertise and self confidence in our research to build subsequent generations of Technology.

9.03 **Intensification of Research Work in High Priority Areas (IRHPA) :** this scheme was initiated in 1981 with the objective of utilizing existing manpower resources and strengthening the infrastructure of institutions to leap into advanced areas of Science and Technology. Three types of activities are supported under IRHPA;

जा सके । उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को तेज करने की योजना के अन्तर्गत तीन प्रकार के क्रियाकलापों के लिए सहायता दी जाती है :- (क) इकाइयों/प्रमुख समूहों की स्थापना करना, (ख) राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, और (ग) विशिष्ट राष्ट्रीय सुविधाओं की स्थापना ।

10. *राष्ट्रीय समन्वित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम :*

10.01 **अति चालकता कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अति चालकता प्रौद्योगिकी विकास, उच्च तापीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रयासों को संचालित करना और लागू करना है, तथा इस संबंध में आधारभूत अनुसंधान में तेजी लाना है।

10.02 **उपस्कर विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के लिए तथा उपस्करों के डिजाइन तैयार करने, उनका विकास तथा उत्पादन करने वाले अनुसंधान तथा विकास संस्थानों और उद्योगों को उपस्करों के विकास के लिए आरम्भिक कार्यक्रम तैयार करना है ।

10.03 **अन्य कार्यक्रम (भू विज्ञानों सहित) :**

(क) हिमालयी क्षेत्रों में भूकम्पनीयता परियोजना के अंतर्गत दो भूकम्पनीय स्टेशनों, एक (थेन) पंजाब में और दूसरा जोशीमठ (यू.पी.) की स्थापना की गई हैं ।

(ख) गहन महाद्वीपीय अध्ययन : कार्यक्रम का मुख्य तौर पर उद्देश्य ये हैं:

(i) भारतीय स्थलमंडल के गहन संरचनात्मक विन्यास

(ii) क्षेत्रीय और प्रयोगशाला आंकड़ों के आधार पर प्रतिमान तैयार करना और अभिधारणा करना

(iii) उन्नत अन्वेषी कार्यनीति के लिए आवश्यक अनुसंधान तथा विकास समर्थन का विकास करना।

(ग) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली :** इस योजना का उद्देश्य सक्षम तंत्र के आधार पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली का विकास करना है तथा प्रबंध नमूनों का विकास करना है जिससे कि सूचना की आसानी से जानकारी दी जा सके । देश में सूचना प्रणालियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणालियों के विभिन्न संघटकों में समन्वय स्थापित किया जा सके और कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ आवश्यकतानुसार अनुसंधान एवं उसके विकास सहित सूचना के क्षेत्र में सुविज्ञता को बढ़ावा दिया जाए ।

11. **राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सुविधाएं :** क्षेत्रीय परिष्कृत उपस्कर केन्द्र योजना 1974-75 के दौरान इस उद्देश्य से आरम्भ की गई थी कि वैज्ञानिक समुदाय को आधुनिकतम उपस्कर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें । इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 क्षेत्रीय परिष्कृत उपस्कर केन्द्रों और 4 आधुनिकतम उपस्कर सुविधा केन्द्रों को सहायता दी गई है।

12. *अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए आधारभूत सहायता :*

12.01 **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन सुविधा समन्वय (एनसीटीसीएफ):** इस योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों की कोटि का सुनिश्चयन करना और उसमें सुधार लाना, उपभोक्ताओं को संरक्षण देना, भारतीय मालके निर्यात का संवर्धन और आयातित माल की किस्म का परिवीक्षण करना है ।

12.02 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन गोष्ठी/विचार गोष्ठी और अध्ययन गोष्ठी काम्पलैक्स :-** इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सेमिनार और विचार गोष्ठी के आयोजन को समर्थन प्रदान करना है क्योंकि केवल यही एक ऐसी स्वीकृत प्रणाली है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान में सहायक है ।और ऐसे मामलों में आगे उन्नति करने के लिए उसके परिणामों का आवश्यक विवेचन करना है ।

इसी प्रकार कुछ सुसज्जित सेमिनार काम्पलैक्स की स्थापना महत्वपूर्ण है जो सहजात वातावरण में विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के लिए है ।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में एक प्रमुख अध्ययन गोष्ठी काम्पलैक्स की स्थापना की गई है ।

12.03 **अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश जा रहे भारतीय वैज्ञानिकों को सहायता :** इस योजना का उद्देश्य विदेशों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/गोष्ठियों/ संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे विदेश में अपने प्रतिपक्षियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम गतिविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें ।

13. *प्रौद्योगिकी विकास और सम्बद्ध कार्यक्रम :*

13.01 **नए तंतु और सम्मिश्र :** वर्ष 1990-91 के दौरान इस कार्यक्रम

(a) Setting up of Unit/Core group; (b) National R&D Programmes; and (c) Setting up of specialised National facilities.

10. ***Nationally coordinated R&D Programmes :***

10.01 **Super conductivity programme :** The main objective of the programme is to organise national efforts in the area of High Temperature of Superconductivity technology development, application and intensification of basic research towards this end.

10.02 **Instrument Development Programme :** The objective is to undertake initial programmes on Instrument Development involving Users, R&D Institutions and Industries leading to establishment of a basis for design, development and production of instruments in the country.

10.03 **Other Programmes (including Earth Sciences) :**

(a) Under the Himalayan Seismicity project two seismic stations at Thein (Punjab) & Joshimath (U.P.) were set up.

(b) Deep Continental Studies: The programme is broadly aimed at:

(i) Investigating the deep structural configuration of the Indian Lithosphere.

(ii) Formulating and conceptualising models on the basis of field and laboratory data.

(iii) Developing necessary R & D Support for improved exploration strategies.

(c) **Management Information System for Science and Technology :** The objective of the schemes is to develop vital national S & T information systems on the basis of compatible networking and to evolve management patterns so that the information is easily accessible, to establish linkages various components of information systems within the country and with international information systems and to develop expertise in the field of information including training of personnel and support for needed research and development.

11. **R&D National Facilities:** The Scheme of RSICs was initiated during 1974-75 with the main objectives of providing sophisticated instruments. 7 RSICs and 4 Sophisticated Instrumentation Facilities (SIF) have been supported under this programme.

12. ***R&D Infrastructural Support :***

12.01 **National Co-ordination of Testing and Calibration Facilities (NCTCF) :** The broad objectives of the scheme are to ensure and improve the quality of industrial products, provide consumer protection, promote export of Indian goods and monitor the quality of imported goods.

12.02 **S & T Seminar/Symposia and Seminar Complex :** The objective is to support organisation of S&T Seminar/symposia as this is an accepted mechanism for exchange of ideas between the scientists working in frontier and emerging areas of science and technology and a critical exposure of the results is essential for further progress in such cases.

Similarly establishment of a few well equipped seminar complexes are significant for interaction between the scientists at various level in congenial atmosphere.

A major Seminar Complex at the Indian Institution of Science, Bangalore has been setup.

12.03 **Assistance to Indian Scientists going Abroad for Participation in International Conferences (PFA) :** The objective of the scheme is to provide financial assistance to Indian Scientists to participate in the International Conferences/Seminars/ Symposia held abroad to exchange ideas on the latest development in Science & Technology with their counterparts abroad.

13. ***Technology Development and Related Programmes :***

13.01 **Newer Fibres and Composites :** During 1990-91

के अंतर्गत कार्य कलापों में टैरी पैथालामइट तंतु प्रौद्योगिकी का निर्धारण। पोलीमर रसायन (बहुलक) और उन के संगठकों से निर्मित स्कूटर और साईकल के हिस्से पुर्जों का वाणिज्यीकरण उत्तर प्रदेश, केरल और मिजोरम में सूक्ष्म जल विद्युत यूनिटों को चालू करना, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पोलीमैरिट सामग्री की सहायक उपकरण और सहायक यंत्र, वैल्डिंग अनुसंधान, मैंमरेंज आदि से संबंधित कार्यक्रम आरंभ करना, देशीय अनुसंधान और विकास की अपेक्षा वाले उद्योगों से संबंधित तात्कालिक और भविष्य के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी के निर्धारण के लिए चार क्षेत्रों में उद्योगों के साथ बैठक करना और प्रौद्योगिकी अंतरण आरंभ करना।

13.02 **हिमजनिक, मृत्तिका :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य हिमक्षेत्रों में अनुसंधान और विकास की क्षमताओं को विकसित करना है जिसमें अनुसंधान और विकास की मृत्तिका प्रौद्योगिकी को तैयार करना और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों के व्यवहार्य क्षेत्रों में इसका उपयोग शामिल है।

13.03 **प्रौद्योगिकी मिशन को समर्थन करना :** यह योजना, प्रौद्योगिकी विकास अधिग्रहण और प्रौद्योगिकी की प्रभावकारिता के लक्ष्य के साथ समयबद्ध कार्यक्रम के साथ कुछ प्रौद्योगिकी मिशनों का पता लगाने, आयोजन और शुरू करने के लिए आरम्भ की गई थी ।

13.04 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण :** इस योजना के उद्देश्य जन उपभोग की कुछ मदों जिनकी किस्म असंतोषजनक समझी जाती है, पर अध्ययन, विचार गोष्ठियां आयोजित करके चुनी हुई प्रौद्योगिकी उत्पादों आदि का सुझाव देकर उपभोक्ताओं का संरक्षण करने के उपाय करना है ।

14. ***सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यक्रम:***

14.01 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास योजनाएं :** राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, सतत आधार पर, उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम के साधन जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम पार्कों की स्थापना और प्रशिक्षण सुविधाओं आदि के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यक्तियों के बीच बेरोजगार और अनुप्रयुक्त रोजगार की समस्या का सामना करना है ।

14.02 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संचारण और उसे लोकप्रिय बनाना :** राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और लोगों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रवृत्ति पैदा करने के दो उद्देश्यों में नीति और योजना तैयार करने की जिम्मेदारी का काम सौंपा गया हैं ।

14.03 **राज्य परिषदें:** इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए ऐसी राज्य परिषदें गठित करना और उन्हें समर्थन देना है जो आयोजना, निर्देशन, मूल्यांकन, परिवीक्षण समन्वय के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय मंचों के रूप में कार्य करेंगे और राज्य स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यकलापों का सामान्य रूप से विस्तार करेंगे।

14.04 ***अन्य कार्यक्रम :***

(क) **समाज के कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास,** पिछले वर्ष के दौरान अखिल भारतीय समन्वय कार्यक्रम कार्यान्वियन के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए/किए जा रहे हैं : स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री आदि को प्रयोग कर के कम लागत वाली निर्माण तकनीक; मछली एकत्रीकरण डिवाइसिस / तटवर्ती राज्यों के लिए नकली रीड्स; आधुनिक विज्ञान व प्रौद्योगिक का प्रयोग कर के आय उत्पादन के लिए कमजोर वर्गों के लिए रेशम उत्पादन, खरगोश पालन तथा फर शोधन, ग्रामीण / जनजातीय क्षेत्र में कलाकौशल वाले चमड़े तथा ढांचा आधारित उद्योग, कमजोर वर्गों में आय उत्पादन संबंधित परियोजनाओं पर बल दिया जाएगा।

(ख) **महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी :** इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा महिलाओं के जीवन और समाज में उनकी स्थिति में सुधार लाना है और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास में महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करना है ।

(ग) **युवा वैज्ञानिकों के लिए योजना :** यह योजना अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही है जिसमें नई पीढ़ी के वैज्ञानिक (35 वर्ष की आयु तक) शामिल हैं। इसके उद्देश्य, स्वतंत्र अनुसंधान परियोजनाओं के वित्तपोषण, (आई.एस.सी.ए. और आई.एन.एस.ए. के माध्यम से) उत्कृष्ट कार्यों में युवा वैज्ञानिकों को प्राप्त पुरस्कारों के मान्यता प्रदान करना, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ प्रतिभाशाली स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित करके और युवा अनुसंधानकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अध्ययन गोष्ठियों, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों आदि में भाग लेने में सहायता देकर प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) **सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक विशेषज्ञताओं का अनुप्रयोग :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों जो राष्ट्रीय वैज्ञानिक और

activities under this programme include scale up of Terephthalamide fibre technology, commercialisation of scooter and bicycle components made of polymers and their composites, commissioning of micro-hydel units in UP, Kerala and Mizoram, appliance and aids of polymeric materials for the physically handicapped, initiating coordinated programmes in welding research, membranes, etc., meetings with industries in 4 regions to identify technologies of immediate and future relevance to industry requiring indigenous research and development, and start of technology transfer of projects completed during the 7th Plan.

13.02 **Cryogenics, Ceramics :** The objectives of the programme is to develop R&D capability in cryogenics including its application areas and ceramics technology by involving R&D and academic institutions along with industry.

13.03 **Support to Technology Missions :** The scheme has been launched with the objective to identify, plan and initiate some technology missions incorporating a time-targeted, mission-oriented approach envisaging technology development, acquisition and demonstration of the effectiveness of technology.

13.04 **Consumer Protection through S&T :** The Scheme envisages initiation of measures aimed at consumer protection on a few items of mass consumption, whose quality is considered unsatisfactory by sponsoring studies, organizing seminars and suggesting selective technology inputs, etc.

14. ***S&T Programme for Socio Economic Development :***

14.01 **Technology Entrepreneurship Development :** The main objectives of the National Science and Technology Entrepreneurship Development Board (NSTEDB) is to deal with, on a sustained basis, the problem of unemployment and inappropriate employment among S&T persons through the Entrepreneurship Development Programmes such as setting up of Science and Technology parks and training facilities, etc.

14.02 **Science and Technology Communication and Popularisation :** The National Council for Science and Technology Communication (NCSTC) has been charged with policy and Plan-making responsibilities in twin objectives of popularisation of Science and Technology (S&T), and inculcation of S&T temper among people.

14.03 **State Councils :** The objective is to establish and support State Councils for S&T to act as focal points in the States and Union Territories for Planning, guiding, evaluating, monitoring co-ordinating and in general spreading Science and Technology activities at state level.

14.04 ***Other Programmes :***

(a) **Science and Technology Development for weaker sections** : During the year following All India Coordinated Programmes have been finalised/being finalised for implementations: Low cost construction techniques using locally available materials etc., fish aggregation Devices/Artificial Reeds for Maritime States, sericulture practices for weaker sections for income generation using modern S & T, Rabbit rearing and fur processing, artisanal leather and carcass based industries in rural/tribal areas. Emphasis will be given for projects relating to income generation amongst the weaker sections.

(b) **Science and Technology for Women :** This scheme is aimed at improving the life and status of women through application of Science and Technology and to ensure contribution of women to the development of science and technology.

(c) **Scheme for Young Scientists** : The scheme is being operated to encourage research oriented activities involving the new generation of scientists (upto the age of 35 years). The objectives are persued by funding independent research projects, recognising outstanding work through Young Scientists, Awards (through ISCA & INSA), organising contact programmes for brilliant post-graduate students with eminent scientists and assisting young researchers in travelling to international conferences, seminars, winter and summer schools etc.

(d) **Utilisation of Scientific Expertise of Retired Scientists :** The main objectives of the Scheme is to make effective utilisation of the

प्रौद्योगिक विकास में योगदान के लिए सक्रिय और अभिप्रेरित हैं उनकी क्षमता का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना है ।

(ङ) प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा प्रणाली : इस परियोजना के अंतर्गत विशाखापत्तनम (आ.प्र.), सुलतान पुर (यू.पी.), खेड़ा (गुजरात), कोरापुर (उड़ीसा), गुड़गावां (हरियाणा), अलवर (राजस्थान), पौड़ी (यू.पी.) चंडेल (मणिपुर), मुंगेर (बिहार) और बांकुरा (प.बं.) में 10 जिला स्तरीय आंकड़ा आधारित परियोजनाएं स्थापित की गई हैं । विशेष रूप से भू-स्खलन और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं वाले क्षेत्रों में, इस प्रणाली के और अधिक विकास के लिए अनुसंधान तथा विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

(च) ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग : यह एक नई योजना है । ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग की योजना के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट तंत्र निम्नलिखित शामिल हैं :

i) अनुसंधान, विकास, ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए समयबद्ध परियोजनाएं ;
ii) दीर्घावधिक आधार पर चुने हुए क्षेत्र समूहों को प्रमुख सहायता उपलब्ध कराना;
iii) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय निवेश्य सामग्री द्वारा ग्रामीण विकास की अन्य गतिविधियों को सहायता देना ।

15. *विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रणाली एवं संसाधन अध्ययन कार्यक्रम*

15.01 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजना नीति और भविष्य संदर्श अध्ययन** (भविष्य स्थिति विज्ञान) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भविष्य स्थिति विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययनों और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संबंधी पूर्वानुमान और आयोजना के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण से नीतिसंबंधी विकल्प तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन करता है। यह अनुसंधान करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में अन्य प्रणालियों, संस्थानों/विश्वविद्यालयों को भी सहायता देता है और प्रौद्योगिकी पूर्वानुमानों/भविष्यात्मक अध्ययनों और दीर्घकालिक आयोजनाओं के नीति निर्माताओं, आयोजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

15.02 **विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचक और मानव शक्ति अध्ययन :** इस योजना का उद्देश्य उत्पादन नियोजना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्मिकों के आधार पर अनेक परिमाणात्मक कम्प्यूटरकृत आंकड़े विकसित करना है ताकि इस प्रकार के कार्मिकों का इष्टतम उपयोग करने के लिए नियोजन की विशेषताओं और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्मिकों के उत्पादन का अध्ययन किया जा सके । विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के विभिन्न वर्गों के पूर्वानुमान मांग से विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम की व्यवस्था करने पर भी विचार किया गया है ।

16. *मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रम*

16.01 **वायुमण्डलीय विज्ञान :** इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों/अध्ययनों को कार्यान्वित किया जाना है :—

क. सीमा स्तर प्रयोग के माध्यम से मानसून की जानकारी ;
ख. उष्णकटिबंधीय महासागरीय विश्व-व्यापक वायुमण्डल;
ग. हिमालयी क्षेत्रों में हिमाच्छादन;
घ. सूखा न्यूनीकरण कार्यक्रम;
ङ. कृषि संबंधी मौसम विज्ञान ।

16.02 **एम एस टी राडार प्रणाली को समर्थन :** इस योजना के अंतर्गत ऊपरी और मध्य वायुमण्डल में होने वाली विभिन्न भौतिक क्रियाओं की जांच करने के लिए एम एस टी राडार की आंतरिक प्रणाली के विकास के लिए समर्थन दिया जाना है ।

17. *अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :*

17.01 **भारत और सोवियत समाजवादी जनतांत्रिक संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धित दीर्घावधिक सहयोग कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निर्धारित उच्च विकास शील क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाओं के क्षेत्र में, मूल अनुसंधान से सम्बन्धित विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग परियोजनाएं आरंभ करना और भावी सहयोग के लिए अन्य सम्भव क्षेत्रों का पता लगाना है ।

17.02 **भारत-फ्रांस अनुसंधान केन्द्र :** केन्द्र के मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच मूल-भूत और अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसंधान के विकसित क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, भारत और फ्रांस की संगणित वैज्ञानिक संस्थाओं और वैज्ञानिकों के मध्य तादात्म्य स्थापित करते हुए लाभप्रद तरीके से सहयोग बढ़ाना, दोनों देशों के अनुसंधानकर्त्ताओं को विकसित अनुसंधान की खोज के लिए अन्य अनुदान और उपस्करों के रूप में अन्य प्रयुक्त तरीकों से सहायता प्रदान करना है ।

17.03 *अन्य कार्यक्रम :*

(क) विकासशील देशों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र : इसके उद्देश्य सामान्य नीति द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकीय सहयोग को सुदृढ़ करते हुए उसके कार्यों को बढ़ावा देना, परस्पर लाभकारी सहयोगात्मक कार्यक्रमों

large potential of the retired scientists who continue to be active and deeply motivated for participation in the national S&T development.

(e) **Natural Resources Data Management System (NRDMS) :** Under the NRDMS Project, 10 district level data bases have been setup at Visakhapatnam (AP) Sultanpur (UP) Kheda (Gujarat) Koraput (Orissa) Gurgaon (Haryana) Alwar (Rajasthan), Pauri (UP) Chande (Manipur), Mungher (Bihar) and Bankura (West Bengal). R&D programme for further development of NRDMS methodology, particularly in relation to study of areas prone to natural disasters, like landslide and drought.

(f) Science & Technology Application for Rural Development: The specific mechanism for implementing the scheme of S&T application for rural development of DST involve the following:-

i) Supporting time bound projects of research development, adaptation of Science & Technology for rural development.
ii) Providing core support to selected field groups on long-term basis.
iii) Supporting other activities of rural development through scientific and technological inputs.

15. ***S&T Policy System and Resources Studies Programme***

15.01 **S & T Planning Policy and Future Perspectives Studies (Futurology) :** The Department of Science and Technology promotes studies in the field of futurology with a special reference to Technology Forecasting, social forecasting and technology assessment to draw-up long range perspectives to generate policy alternatives and options for current day planning. It also assists other systems Institutions/ Universities/IITs with grants-in-aid to carry out research and organise training programmes for planners, policy makers in technology forecasting, future studies and long-range planning.

15.02 **S &T Indicator and Manpower Studies :** The scheme aims at evolving a number of quantitative computerised data basis on output, deployment, migration of S&T personnel with a view to make optimum utilisation of such personnel. Demand forecasts of various categories of S&T personnel in the context of various development programmes are also envisaged.

16. ***Research & Development Programmes on Meteorology and Climatology***

16.01 **Atmospheric Sciences :** Under Atmospheric Sciences the following programmes/studies are under implementation :

a. Monsoon Trough Boundary Layer Experiment (MTBLEX);
b. Tropical Ocean Global Atmosphere (TOGA);
c. Himalayan Glaciology;
d. Drought Mitigation Programme;
e. Agrometeorology.

16.02 **Support to MSI Radar** Indigenous development of Mesosphere, Stratosphere, Troposphere (MST) Radar to investigate various physical process occurring inthe upper and middle atmosphere is supported under this scheme.

17. ***International Co-operation***

17.01 **Integrated Long term Programme of Cooperation between India and USSR:** The objective of the programme is to undertake collaborative projects in the identified thrust areas in frontiers of S & T; related areas of Science for basic research and to explore other possible areas for future cooperation.

17.02 **Indo-French Centre for the Advanced Research (IFCPAR) New Delhi :** The principal objectives of the Centre are to promote co-operation in advanced areas of fundamental and applied scientific research between India and France to develop co-operation, through identification of Scientists and Scientific institutions of India and France likely to co-operate in a profitable way, to provide assistance in the form of grants and equipment as well as other appropriate means of support for pursuit of advanced research and to researchers of both the countries.

17.03 Other Programmes :

(a) **Centre for S & T for Developing Countries :** The objectives are for promoting actions called for by common strategy to strengthen S & T co-operation; promoting mutually beneficial collaborative

को बढ़ावा देना, भविष्य में सहयोग संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं सम्बन्धी सूचनाओं के लिए वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना और विशेषज्ञों के विशेष पैनल के माध्यम से निश्चित रिपोर्टें तैयार करना शामिल हैं ।

(ख) **विकासशील देशों के मध्य तकनीकी सहयोग :** इसके उद्देश्य प्रशिक्षण, मूल (बेसिक) और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, परामर्श आदि कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिभाओं का निर्माण करना, संयुक्त उपक्रम स्थापित करना और कार्यक्रमों का निर्माण व उनका विकास करना है ।

18. *अन्य योजनाएं :*

18.01 **राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य अग्रिम रूप से 4 से 10 दिन तक मौसम पूर्वानुमान तैयार करके उनके व्यापक परिचालन माडलों का विकास करना और कृषि कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए किसानों को कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सलाह प्रदान करना है । इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय केन्द्र मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान की स्थापना की गई है जिसमें परिष्कृत गणक सुविधाएं होंगी । विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में कृषि मौसम विज्ञान केन्द्रों के साथ उपयुक्त संचार व्यवस्था के तंत्र को भी स्थापित किया गया है ।

मौसम विज्ञान :

19. **प्रशिक्षण :** पुणे, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रशिक्षण अनुभागों में मौसम विज्ञान और रेडियो मौसम विज्ञान और दूर-संचार संबंधी उपकरणों के संचालन, अनुरक्षण और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाता है । नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, बामरौली का मौसम विज्ञान प्रशिक्षण एकक नागर विमानन विभाग के वायु यातायात कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है ।

20. **उपग्रह सेवाएं :** अन्तरिक्ष विभाग ने अप्रैल, 1982 के प्रारम्भ में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय-भू-कक्षीय उपग्रह-इनसैट-1ए छोड़ा । बहुमूल्य सूचना जून से मध्य अगस्त, 1982 के आरम्भ में इन्सैट-1ए के माध्यम से मेघ कल्पनाओं के संबंध में एकत्रित की गई थी, इसके बाद उपग्रह तकनीकी त्रुटियों के कारण समाप्त हो गया था । द्वितीय बहुप्रयोजनी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह 30 अगस्त, 1983 को छोड़ा गया । मौसम विज्ञान सूचना उपयोग केन्द्र, नई दिल्ली में कार्य कर रहा है और 20 गौण सूचना उपयोग केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

21. **वेधशालाएं और मौसम केन्द्र :** मौसम विज्ञान सेवाओं से संबंधित कार्यकलापों में पूरे देश तथा इसके साथ लगे समुद्री क्षेत्रों में, वेधशालाओं के अनुरक्षण तथा समुद्री जहाजों को सज्जित करके मौसम की सूचना के तीव्र आदान-प्रदान के लिए मौसम सम्बन्धी अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार व्यवस्था करना, उपग्रह से मौसम सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करना इन सूचनाओं को विमानन, नौवहन, कृषि तथा बाढ़-नियंत्रण के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराना, जान और माल की रक्षा के लिए तूफानों इत्यादि के बारे में पूर्व-चेतावनी देना शामिल है ।

22. **अनुसंधान कार्यक्रम :** विभाग की अनुससंधान और विकास सम्बन्धी गतिविधियों में बुनियादी और व्यावहारिक मौसम विज्ञान तथा भूकम्प विज्ञान के बारे में प्रयोग और अनुसंधान कार्य शामिल हैं और इसके अलावा उपकरणों का रूपांकन और विकास भी शामिल है ।

23. **अन्य मौसम विज्ञान सेवाएं :** इनके अंतर्गत गतिविधियों में मौसम संबंधी उपस्करों का निर्माण, पूर्ति और अनुरक्षण तथा विभागीय कार्यशालाओं में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन और इनकी उपरितन वायु के अवलोकन के लिए पूर्ति करना शामिल है । मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों को राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए जलवायु संबंधी आंकड़ों में संसाधित किया जाता है ।

24. **अन्य कार्यक्रम :** इसमें विश्व मौसम संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केन्द्र को भारत के वार्षिक अंशदान की अदायगियों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है ।

programme; serve as clearing-house for information of technology capabilities to promote future co-operation; preparation of state-of-the-art reports through special panels of experts.

(b) Technical Co-operation among Developing Countries : The objectives are to build S & T capability through programmes devoted to training, basic and applied research, consultancy, etc., to set up joint ventures, development and production programmes.

18. *Other Schemes*

18.01 **National Centre for Medium Range Weather Forecasting :** The aim of the programme is to develop global circulation model for preparing weather forecasts upto 4-10 days in advance and issuing agro-meteorological advisories to farmers for facilitating agricultural operations. Towards this objective a National Centre for Medium Range Weather Forecasting with Super Computing facilities has been established. Setting up of agrometeorological centres in different agroglimation zones with suitable communication network is also envisaged.

Meteorology

19. **Training :** The training sections at Pune, New Delhi and Calcutta impart training in meteorology and in operation, maintenance and servicing of radio meteorological instruments and telecommunications. The meteorological training unit at Civil Aviation Training Centre, Bamrauli serves the training requirements of the air traffic personnel of the Civil Aviation Department.

20. **Satellite Services :** The Department of Space launched the first Indian National Geostationary Satellite-INSAT 1A in early April 1982. Valuable data were obtained on cloud imageries through INSAT-1A from early June to mid-August, 1982 after which the satellite's life was terminated due to technical faults. The second multipurpose Indian National Satellite was launched on 30th August, 1983. The Meteorological Data utilisation Centre is functioning at New Delhi and 20 Secondary Data Utilisation Centres have been established.

21. **Observatories and Weather Stations :** The activities consist of recording of observatories and equipping ships, maintenance of inland and over areas meteorological telecommunication network for quick exchange of weather information reception of satellite weather. Information to user interests like aviation, shipping, agriculture and flood control, issue of warnings against cyclones etc. for protection of life and property.

22. **Research Programmes :** The Research and development activities of the department cover experimental work and research on basic and applied meteorology and seismology including design and development of the instruments.

23. **Other meteorological services :** The activities consist of manufacture, supply and maintenance of meteorological instruments and production of hydrogen gas at Departmental Workshops and supply of these to the upper air observatories. Meteorological data are processed into climatological statistics for application to nation building activities.

24. **Other Programmes :** International Co-operation includes through payments of India's annual contribution to World Meteorological Organisation and the International Seismological Centre.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

मांग संख्या DEMAND No.71

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग Department of Scientific and Industrial Research

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		98.50	144.23	242.73	91.65	142.58	234.23	115.28	153.30	268.58
पूंजी	*Capital*		*5.50*	...	*5.50*	*4.94*	...	*4.94*	*3.40*	...	*3.40*
जोड़	**Total**		**104.00**	**144.23**	**248.23**	**96.59**	**142.58**	**239.17**	**118.68**	**153.30**	**271.98**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	0.77	0.77	...	0.77	0.77	...	0.81	0.81
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	**Other Scientific Research**										
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता	***Assistance to C S I R***										
2. प्रशासन	2. Administration	3425	2.65	25.50	28.15	2.59	25.50	28.09	4.00	27.00	31.00
3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3. National Laboratories	3425	79.00	91.21	170.21	74.96	90.06	165.01	87.00	98.49	185.49
4. वैज्ञानिक पूल	4. Scientists Pool	3425	...	3.40	3.40	...	3.00	3.00	...	3.20	3.20
5. छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां	5. Scholarships and Fellowships	3425	4.00	19.50	23.50	2.50	19.50	22.00	6.00	20.50	26.50
6. औद्योगिक अनुसंधान संघ	6. Industrial Research Associations	3425	...	1.00	1.00	...	0.95	0.95	...	0.20	0.20
7. प्रायोगिक संयंत्र	7. Pilot plants	3425	...	1.00	1.00	...	0.95	0.95	...	1.00	1.00
8. आवासीय भवन	8. Residential Buildings	3425	6.00	1.85	7.85	5.40	1.85	7.25	8.00	2.10	10.10
जोड़-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता	**Total Assistance to CSIR**		**91.65**	**143.46**	**235.11**	**85.44**	**141.81**	**227.25**	**105.00**	**152.49**	**257.49**
9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली	9. National Information System for Science and Technology	3425	1.00	...	1.00	0.95	...	0.95	1.50	...	1.50
10. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता	10. Assistance to Other Scientific Bodies	3425	5.85	...	5.85	5.26	...	5.26	8.78	...	8.78
		5425	0.60	...	0.60	0.54	...	0.54	0.60	...	0.60
जोड़		*Total*	*6.45*	...	*6.45*	*5.80*	...	*5.80*	*9.38*	...	*9.38*
11. सरकारी उद्यमों में निवेश	11. Investment in Public Enterprises	4859	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	1.25	...	1.25
		5425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
		6859	2.30	...	2.30	1.80	...	1.80	1.25	...	1.25
		7425	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*4.90*	...	*4.90*	*4.40*	...	*4.40*	*2.80*	...	*2.80*
कुल जोड़	***Grand Total***		***104.00***	***144.23***	***248.23***	***96.59***	***142.58***	***239.17***	***118.68***	***153.30***	***271.98***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
1. केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	1. Central Electronics Ltd.	12859	4.60	...	4.60	4.10	...	4.10	2.50	...	2.50
2. राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम	2. National Research Development Corporation	13425	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
जोड़	**Total**		**4.90**	...	**4.90**	**4.40**	...	**4.40**	**2.80**	...	**2.80**
ग आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	1. Other Scientific Research	13425	99.40	...	99.40	92.49	...	92.49	116.18	...	116.18
2. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	2. Telecommunication and Electronics Industries	12859	4.60	...	4.60	4.10	...	4.10	2.50	...	2.50
जोड़	**Total**		**104.00**	...	**104.00**	**96.59**	...	**96.59**	**118.68**	...	**118.68**

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं :** इसमें विभाग के सचिवालय कार्यालय के लिए व्यय की व्यवस्था है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता :

2. **प्रशासन :** इसमें ऐसे स्वायत्त निकाय के व्यय की व्यवस्था है (अर्थात् वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) जिसके कार्यों का प्रशासन, निदेशन, और नियंत्रण नियमों के अधीन एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन (i) 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं जिनके बहुत से विस्तार और क्षेत्रीय केन्द्र हैं, (ii) दो सहकारी अनुसंधान संघ, अर्थात् विद्युत अनुसंधान और विकास संघ, वडोदरा, और चाय अनुसंधान संघ, टोकलाई (जोरहाट) (iii) और एक विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला, जाजमऊ (कानपुर) हैं ।

3. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं :** राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं बहुत से विस्तार और क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ भौतिकी, रासायनिक, जैविकी और इंजीनियरी विज्ञानों और सूचना विज्ञानों के क्षेत्रों में कार्य कर रही है । प्रयोगशालाएं

1. **Secretariat-Economic Services:** Provides for expenditure on account of the Secretariat of the Department.

Assistance to Council of Scientific and Industrial Research:

2. **Administration:** Provides for expenditure of the autonomous body (viz. Council of Scientific and Industrial Research) whose affairs are administered, directed and controlled subject to the rules of a Governing Body.

CSIR has got (i) Forty national laboratories along with their several extension and regional centres, (ii) Two cooperative research associations, viz. Electrical Research and Development Association, Vadodara; and Tea Research Association, Tocklai (Jorhat) and (iii) One Analytical Testing Laboratory, Jajmau (Kanpur).

3. **National Laboratories:** The National Laboratories are functioning in the areas of Physical, Chemical, Biological, Engineering Sciences and Information Sciences alongwith several extension and

पिछड़े क्षेत्रों के ग्रामीण विकास सहित उचित प्रौद्योगिकियों को विकसित और प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है ।

4. **वैज्ञानिकों का पूल** : 1958 में वैज्ञानिक पूल की स्थापना, उचित रोजगार के बिना सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को अस्थाई रूप से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई थी । आरम्भ में पूल का उद्देश्य विदेशों से वापिस आने वाले वैज्ञानिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना था लेकिन उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यता वाले भारतीयों के चयन पर भी विचार किया जाता है ।

5. **छात्रवृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां** : सी.एस.आई.आर. ने हाल ही में अधिछात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए एक परीक्षा शुरू की है । संगोष्ठियों/सेमिनारों का आयोजन करने, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय भाषाओं में पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए अनुदान दिए जाते है ।

6. **औद्योगिक अनुसंधान संस्था** : इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और औद्योगिक मामलों के संबंध में जानकारी का संग्रह और प्रसार करना है।

7. **प्रायोगिक संयंत्र** : निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन प्रमुख प्रायोगिक संयंत्रों के लिए निधिकरण आवश्यक है

1. सी. जी. सी. आर. आई. कलकत्ता द्वारा विकसित, आयुध कारखानों, भारत सरकार की अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं के लिए सिरैमिक पॉट प्रौद्योगिकी के द्वारा ऑप्टीकल शीशों के 28 प्रकारों का उत्पादन।
2. वायुयान रेडाम्स, जी. आर. एस. लांचर, ट्यूब्स, के लिए एफ. आर. ए. संघटकों, मौसम विज्ञान में प्रयोग के लिए धातु स्पेस फ्रेम्स रेडाम्स तथा एन. ए. एल. बंगलौर की प्रत्येक जानकारी के रूप में हस्तांतरणीय राडार केबिन शटरों का विकास व निर्माण।
3. अर्द्ध-उत्पादन तथा सी. सी. आर. प्रचालन के लिए एन. ई. पी. टी. एच. सुधार के लिए उत्प्रेरक विकास और ए. टी. एफ. के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास तथा आई. आई. पी. देहरादून में सम्पन्न निष्कर्षण द्वारा खाद्य स्तर हैक्सेन।

8. **आवासीय भवन** : चूंकि वैज्ञानिक कर्मचारियों की भरती के लिए एक मुख्य रूकावट आवास व्यवस्था की है, विशेष आवास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के प्रयत्न हुडको के सहयोग से किए जा रहे है ।

9. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली** : यह एक अनवरत योजना है । चर्म प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, मशीनी औजारों, दवाइयों, भेषजों, रसायनों, वस्त्रों, विकसित सिरैमिक सी.डी.-आर.ओ. एम., बिबलियोमीट्रिक्स और क्रिस्टल विज्ञान पर आंकी के क्षेत्र में दस क्षेत्रीय सूचना केन्द्र कार्य कर रहे है ।

10. **अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता** :

10.1 *सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अनुसंधान और विकास स्कीमों को सहायता* :—

इस कार्यक्रम के अंतर्गत परा उच्च शक्ति क्षमता, एकल क्रिस्टल सोलर सैल, लेजर स्क्राइवर, नए एस.पी.वी. व्यवस्थाएं तथा सोलर सेल प्रक्रिया विकास की अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है ।

10.2 *प्रौद्योगिकी संविलयन और अनुकूलन स्कीम* :—

इस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं और अध्ययनों के लिए इस दृष्टि से सहायता दी जाती है; ताकि लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने के बाद प्रौद्योगिकी के आयात की आवश्यकता को कम किया जा सके, आयातित प्रौद्योगिकी का उन्नयन और जिन प्रौद्योगिकी को अपना लिया गया अथवा अन्तर्ग्रहित कर लिया गया है उनके विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके ।

10.3 *अन्य स्कीमें/कार्यक्रम* :—

(क) *प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए एशियाई और प्रशान्त केन्द्र*: यह केन्द्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन एस्केप के तत्वाधान में इस क्षेत्र के विकासशील देशों की क्षमताओं को मजबूत करने में सहायता देने का कार्य करता है । भारत सरकार, केन्द्र को अतिथि सुविधाएं प्रदान करती है ।

regional centres. Laboratories continue to develop and demonstrate suitable technologies including those for rural development of backward areas.

4. **Scientists Pool:** The Scientists Pool was established in 1958 for providing temporary placement to well-qualified Indian Scientific and Technical Personnel without appropriate employment. The Pool was primarily intended for those returning from abroad but Indians with outstanding academic record are also considered for selection.

5. **Scholarships and fellowships:** CSIR has a system of examinations for award of fellowship. Grants are given for organisation of symposia/seminars, publication of periodicals in Indian languages for popularisation of science.

6. **Industrial Research Associations :** The main objective of this scheme is collection and dissemination of information in regard to research and industrial matters.

7. **Pilot Plants:** Funding is necessary for three major Pilot Plants for achieving the following objectives:

1. Production of 28 varieties of optical glasses through ceramic pot technology developed by CGCRI, Calcutta for ordnance factories and Government of India's R & D laboratories.
2. Development and fabrication of FRA. Components for aircrafts radomes, GRS Rocket Launcher, tubes, metal space frames radomes for meteorological application and transferable radar cabin shutters as per knowhow of NAL, Bangalore.
3. Catalysts developed for NEPTH reforming for semi generative and CCR operation and development of indigenous technologies for production of ATF and food grade hexane by solvent extraction at IIP, Dehradun.

8. **Residential Buildings:** Since a major constraint in the recruitment of scientific staff is housing, special efforts are being made to complete rapidly housing schemes with HUDCO assistance.

9. **National Information System for Science and Technology (NISSAT):** This is a continuing scheme. Ten sectoral information centres in the fields of leather technology, food technology, machine tools, drugs and pharmaceauticals, Chemicals, textiles advanced Ceramics, CD-ROM, Bibliometrics and Crystallography are functioning.

10. **Assistance to other Scientific Bodies:**

10.1 *Support to Research & Development Schemes to Central Electronics Ltd.:*

Under this programme R & D projects on development of Ultra High Efficiency, Single Crystal Solar Cells, Laser Scriber, New SPV Systems and Solar Cell process development are supported.

10.2 *Technology Absorption and Adaptation Scheme :*

Under this scheme projects and studies are supported with a view to reduce the necessity for import of technology after having it in use over a long period, upgrade the technology imported and to promote the diffusion and import of technologies which have been assimilated or adopted.

10.3 *Other Schemes/Programmes :*

(a) *Asia & Pacific Centre for Transfer of Technology:* This Centre operates as an UN Institution under the auspices of ESCAP to assist developing countries of the region for strengthening their capabilities. The Government of India provides host facilities to the Centre.

(ख) प्रौद्योगिकी विकास संवर्धन और उपयोग कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदानः

ये कार्यक्रम है :

(i) विदेशी सहयोग का राष्ट्रीय रजिस्टर ।
(ii) प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और प्रदर्शन ।
(iii) प्रौद्योगिकी अन्तरण और व्यापार ।
(iv) परामर्शदात्री सेवाओं का संवर्धन और उनको सहायता।
(v) औद्योगिक अनुसंधान और विकास का संवर्धन

11. ***सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश :***

(क) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) : गतिविधियों में निम्नलिखित अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं ।

(i) सोलर फोटोवोलटिक (एस.पी.वी.) सेल, मोडयूल और बहुत-सी किस्म के उपयोग के लिए एस.पी.वी. प्रणालियां ।

(ii) रेलवे सिगनल और सुरक्षा के लिए कम्पलेक्स इलेक्ट्रानिकी प्रणालियां, दूरभाष और प्रक्षेपण दूरदर्शन प्रणालियां।

(iii) इलेक्ट्रानिक संघटक, जैसे कि व्यावसायिक फेराइट्स, इलेक्ट्रानिक सेरामिक और पिज़ो-इलैक्ट्रिक एलीमेंट । सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, इलेक्ट्रानिकी के उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देशी जानकारी, आन्तरिक अनुसंधान और विकास द्वारा तैयार की गई जानकारी के साथ-साथ सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं से प्राप्त जानकारी के वाणिज्यीकरण को काफी अधिक महत्व देता है।

(ख). राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास निगम (एन.आर.डी.सी.) :

एन.आर.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य और कार्य ये है : सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान और विकास की प्रयोगशालाओं से जानकारी की लाइसेंसिंग और इस प्रकार की जानकारी को वाणिज्यीकृत करना, जिसमें आवश्यक इंजीनियरी और स्केल-अप सेवाओं की व्यवस्था शामिल है, विकास को सीधे वित्तपोषित करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण, औद्योगिक एककों के बीच प्रौद्योगिकी के समस्तर अन्तरण में सुविधा देना, प्रौद्योगिक निर्यात, उद्यमियों को पेटेंट सहायता की व्यवस्था, व्यक्तिगत आविष्कारकों को प्रोत्साहन और शैक्षणिक संस्थानों में आविष्कारशील प्रतिभा का संवर्धन तथा एन आर डी सी द्वारा लाइसेंसीकृत स्वदेशी प्रौद्योगिकी को वाणिज्यीकृत करने के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक समर्थन।

बजट अनुमान 1991-92 में शेयर पूंजी/ऋण तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास तथा उन्नति के लिए अनुदान सहायता, प्रौद्योगिकी निर्यात, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा आविष्कार संवर्द्धन कार्यक्रम के लिए सूचना विज्ञान तथा निगम द्वारा लाइसेंसकृत स्वदेशी प्रौद्योगिकी को वाणिज्यीकृत करने के लिए उद्यमकर्ताओं को प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक समर्थन।

(b) Grants-in-aid for Technology Promotion Development and Utilisation Programme :

The Programmes are :

(i) National Register of Foreign Collaborations (NRFC).
(ii) Technology Evaluation and Demonstration.
(iii) Transfer and Trading in Technology (TATT).
(iv) Promotion and Support to Consultancy Services.
(v) Promotion of Industrial Research and Development.

11. ***Investment in Public Enterprises :***

A. Central Electronics Limited (CEL)'s : Activities include the following research projects :

(i) Solar Photovoltaic (SPV) Cells, Modules and SPV systems for a wide variety of applications.

(ii) Complex electronic systems catering to Railway signalling and safety, Telephones and Projection Television Systems.

(iii) Electronic Components, such as Professional Ferrites, Electronic Ceramics and Piezo electric Elements. CEL gives key importance to the commercialisation of indigenous know how in high technology areas of Electronics knowhow generated by their own house R &D as also that acquired from Government funded R & D Laboratories.

B. National Research and Development Corporation:

The main objective and functions of NRDC are licencing know-how from Government funded R&D Laboratories and getting such know-how commercialised, including the provision of the necessary engineering and scale-up services direct financing of transfer of technology between industrial units, technology export; provision of patent assistance to entrepreneurs; Encouragement of individual inventors and promotion of inventive talent in educational institutions and Techno-commercial support to enterpreneurs commercialising indegenous technology licenced by the NRDC.

The B.E. for 1991-92 has provision for share capital/loan and grants-in-aid for the Development and Promotion of Rural Technology, Export of Technology, Informatics for Technology Transfer and Invention Promotion Programme and Techno-commercial support to enterpreneurs commercialising indegenous technology licenced by the corporation.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
मांग संख्या DEMAND No.72
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग Department of Bio-Technology

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		61.30	3.05	64.35	51.74	2.91	54.65	70.80	3.06	73.86
पूंजी	*Capital*		*1.20*	...	*1.20*	*5.00*	...	*5.00*	*0.20*	...	*0.20*
जोड़	**Total**		**62.50**	**3.05**	**65.55**	**56.74**	**2.91**	**59.65**	**71.00**	**3.06**	**74.06**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	1.41	1.41	...	1.51	1.51	...	1.59	1.59
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	**Other Scientific Research**										
2. अन्य वैज्ञानिक इकाइयों के लिए सहायता अनुदान	2. *Assistance to Other Scientific Bodies*										
2.01 जन-शक्ति विकास के लिए सहायता अनुदान	2.01 Grants in aid for Man Power Development	3425	9.00	...	9.00	7.39	...	7.39	9.00	...	9.00
2.02 आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता अनुदान	2.02 Grants in aid for Infra-structural facilities	3425	11.00	...	11.00	7.86	...	7.86	9.00	...	9.00
2.03 आधारभूत व उत्पादन आधारित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान	2.03 Grants in aid for Basic and Product based R & D Projects	3425	13.10	...	13.10	15.78	...	15.78	23.80	...	23.80
2.04 प्रौद्योगिकी और विनिर्माण गतिविधियों के प्रदर्शन/अंतरण के लिए सहायता अनुदान	2.04 Grants in aid for Demonstration/Transfer of Technology and manufacture activities	3425	16.00	...	16.00	10.57	...	10.57	13.00	...	13.00
2.05 अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम तथा वैज्ञानिक सलाहकार समिति (समुद्रपारीय)	2.05 International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas)	3425	1.20	...	1.20	0.74	...	0.74	1.00	...	1.00
2.06 आई. सी. जी. ई. बी.	2.06 ICGEB	3425	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	8.00	...	8.00
जोड़		*Total*	*54.30*	...	*54.30*	*45.94*	...	*45.94*	*63.80*	...	*63.80*
3. वैज्ञानिक संस्थाओं/व्यावसायिक इकाइयों के लिए सहायता अनुदान	3. *Grants in aid for Scientific Institutions/Professional Bodies*										
3.01 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान	3.01 National Institute of Immunology	3425	4.00	1.05	5.05	3.60	1.00	4.60	4.00	1.05	5.05
3.02 पशु ऊतक और कोशिका संवर्धन की राष्ट्रीय सुविधा, पुणे	3.02 National Facility for Animal Tissue & Cell Culture, Pune	3425	3.00	0.59	3.59	2.20	0.40	2.60	3.00	0.42	3.42
जोड़		*Total*	*7.00*	*1.64*	*8.64*	*5.80*	*1.40*	*7.20*	*7.00*	*1.47*	*8.47*
4. सरकारी उद्यम/संयुक्त उद्यम	4. *Investment in Public Enterprises/Joint Ventures*										
4.01 भारत इम्यूनालोजी तथा बायोलोजिकल कारपोरेशन में निवेश	4.01 Investment in Bharat Immunologicals and Biological Corporation	5425	0.20	...	0.20	4.09	...	4.09	0.20	...	0.20
4.02 इंडियन वैक्सीन एंड बायोलोजिकल कारपोरेशन में निवेश	4.02 Investment in Indian Vaccines Corporation	5425	1.00	...	1.00	0.91	...	0.91	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.20*	...	*1.20*	*5.00*	...	*5.00*	*0.20*	...	*0.20*
5. सकल सहायता सामग्री-उपस्कर	5. Aid Material Equipments - Gross	3606	...	0.72	0.72	...	0.72	0.72	...	0.08	0.08
कार्यात्मक मुख्य शीर्ष में अन्तरण-घटाइए	Deduct - Transfers to functional Major head	3606	...	-0.72	-0.72	...	-0.72	-0.72	...	-0.08	-0.08
निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर जोड़	Net-Aid Materials & Equipments	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*62.50*	*3.05*	*65.55*	*56.74*	*2.91*	*59.65*	*71.00*	*3.06*	*74.06*
ख. संयुक्त उद्यम में निवेश/पी.एस.यू.	**B. Investment in Public Enterprises Joint Venture/PSU.**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
4.01 भारत इम्यूनालोजी एण्ड बायोलोजिकल कारपोरेशन में निवेश	4.01 Investment in Bharat Immunologicals and Biological Corporation	13425	0.20	...	0.20	4.09	...	4.09	0.20	...	0.20
4.02 इंडियन वैक्सीन कारपोरेशन में निवेश	4.02 Investment in Indian Vaccines Corporation	13425	1.00	...	1.00	0.91	...	0.91	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.20*	...	*1.20*	*5.00*	...	*5.00*	*0.20*	...	*0.20*
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research	13425	62.50	...	62.50	56.74	...	56.74	71.00	...	71.00

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं :** इसमें सचिवालय के कार्यालय पर होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है ।

2. ***जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान :***

2.01 **जन-शक्ति विकास:** विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातकोत्तर एम.एस.सी./एम. टैक पाठ्यक्रम; जैव-प्रौद्योगिकी सहचारिता; अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम; तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम; एस. एण्ड टी. कार्मिकों को प्रशिक्षण; विदेशी अतिथि; वैज्ञानिक कार्यक्रम; विद्यालयों, सेमिनारों और परिचर्चाओं में जैव-प्रौद्योगिकी तथा दूसरे विविध कार्यक्रमों सुदृढ़ बनाने वाला एक समन्वित जनशक्ति विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है।

2.02 **आधारभूत सुविधाएं:** अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण संबंधी क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए विभाग द्वारा आधारभूत सुविधाओं के नेटवर्क की सहायता की जा रही है। इसमें माइक्रोब्स, शैवाल और पौधों के लिए कीटाणु प्लास्म बैंक; पशु गृह; ओली-ओक्लि-योटाईड संशोषण; एन्जाइम; रिएजैंट और रेडियो लेबल वाले कंपाउंडों का उत्पादन, आयात और वितरण; वायो-प्रोसेस आप्टमाइजेशन तथा पाइलट प्लांट; जैव-प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली आदि शामिल हैं। विभाग आई. आई. एस. सी., बंगलूर, एम. के. यू., मदुरई, जे. एन. यू., नई दिल्ली और बी. एच, यू., वाराणसी में अनुवांशिकी इंजीनियरी इकाईयों को आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करता है।

2.03 **मूल और उत्पादन पर आधारित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:** अनुसंधान और विकास द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्देश्य उत्पादन में विकास करना है या उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पादन में विकास के लिए ऐसी जानकारी उत्पन्न करे जिनका उपयोग संबंधित उद्योगों द्वारा लाभप्रदता के लिए किया जा सके। ये अनुसंधान और विकास परियोजनाएं मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती है: (i) पशु जैव-प्रौद्योगिकी; (ii) जल कृषि और समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी; (iii) चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी; (iv) पौध आणविक कृषि जैव-प्रौद्योगिकी; (v) ईंधन, चारा, बायोमास और ग्रीनकवर; (vi) सूक्ष्मजीव और औद्योगिक जैव-प्रौद्योगिकी; (vii) जैव-रसायन इंजीनियरी प्रक्रिया इष्टतम उपयोग और जैव-अन्तरण; (viii) कीटों, बीमारियों और खत पतवार का जैविक नियंत्रण; (ix) रेशम उत्पादन; (x) जैव-उर्वरक, पर्यावरण जैव-प्रौद्योगिकी और (xi) प्रजनन क्षमता नियंत्रण के लिए प्रतिरक्षण दृष्टिकोण आदि।

2.04 **प्रदर्शन, प्रौद्योगिकी का अन्तरण और विनिर्माण संबंधी कार्यकलाप :** ऐसे क्षेत्रों में जहां अनुसंधान और विकास संबंधी पर्याप्त कार्य किए गए हैं, प्रौद्योगिकीय पैकेज बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने तथा विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों के क्षेत्र में अंतरित करता है जिसमें आयल पाम प्रदर्शन परियोजना, एमब्रो अन्तरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशु नस्ल में सुधार करना, मुख्य संचारी रोगों को रोकने के लिए प्रतिरोधक तकनीक का विकास, भारत-अमरीका टीका कार्यक्रम, इलायची के पौधों का जीवाणु संवर्धन, झींगा मछली संवर्धन, मसाले वाले पेड़ों के उत्कृष्ट वनों को अधिसंख्यक बनाना, टिश्यू संवर्धन तकनीक का प्रयोग करना, कुक्कुट भूनने की विधियों के क्षेत्रीय प्रदर्शन शामिल हैं।

2.05 **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग :** विभाग के जर्मन संघीय गणराज्य, स्विटजरलैंड, यू.एस.ए. और यू. एस. एस. आर. के साथ निरन्तर आधार पर द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम हैं; जबकि यू. के. स्वीडन, वियतनाम, पोलैंड, नीदरलैंड, चीन, क्यूबा, ब्राजील और कुछ अन्य देशों के साथ ऐसे कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

2.06 **अनुवांशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र:** अनुवांशिक इंजीनियरी और जैव-प्रौद्योगिकी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना दो स्थानों अर्थात् एक नई दिल्ली में और दूसरा ट्रिस्टा, इटली में इस अंतिम उद्देश्य के साथ की गई थी कि आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के लाभ विकासशील देशों को दिए जा सकें। उपर्युक्त दो संघटकों के साथ-साथ आई. सी. जी. ई. बी. का अनुसंधान और विकास केन्द्रों के साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का नेटवर्क होगा जो बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास के सक्रिय कार्यक्रम का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार भूमि, भवन और उपस्कर प्रदान करने तथा तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के संचयी खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 18.00 करोड़ रुपए की कुल लागत सहायता देने पर भी सहमत हो गई है।

3. ***वैज्ञानिक संस्थाओं / वाणिज्यिक इकाइयों के लिए सहायता अनुदान***

3.01 **राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान :** इस संस्थान की स्थापना प्रतिरक्षण में उत्कृष्ट अनुसंधान करने के लिए की गई थी। इसकी अनुसंधान से संबंधित

1. **Secretariat-Economic Services:** provides expenditure on account of the Secretariat office.

2. ***Grants-in-aid for Bio-Technology Research :***

2.01 **Manpower Development :** An integrated manpower development programme comprising of Post-graduate M.Sc./ M.Tech. Courses at various Universities/Institutes; Biotechnology associateships, short-term training courses; technician training programme; training of S & T personnel; visiting scientists programme; strengthening of Biotechnology in schools, seminars & symposia and other miscellaneous programmes has been evolved.

2.02 **Infrastructural Facilities:** To build up a strong R & D base and manufacturing capabilities, a network of infrastructural facilities being supported by the Department include germ plasm banks for microbes, algae and plants; animal house; oligonucleotide synthesis; production, import and distribution of enzymes, reagents and radio-labelled compounds; bio-process optimisation and pilot plant; biotechnology information system etc. The Department also provides infrastructural support for the Genetic Engineering units at IISc, Bangalore, MKU, Madurai, JNU, New Delhi and BHU, Varansi.

2.03 **Basic and Product based R & D Project :** The R & D supported projects aim at product development or are expected to generate know-how for product development which could be profitably utilised by concerned industries. These R & D projects mainly fall under the categories of (i) veterinary Biotechnology; (ii) Acquaculture and Marine Biotechnology; (iii) Medical Biotechnology; (iv) Plant Molecular and Agriculture Biotechnology; (v) Fuel, Fodder, Biomass and Green cover; (vi) Microbial and Industrial Biotechnology; (vii) Biochemical Engineering Process Optimisation and Bioconversion; (viii) Biological control of pests, diseases and weeds; (ix) Sericulture; (x) Biofertilisers, Environmental Biotechnology, (xi) Immunological approaches to fertility control, etc.

2.04 **Demonstration/Transfer of Technology and manufacture Activities :** Provides financial Support for formulation of technological packages in the areas where sufficient R & D work has been carried out for transfer to the field and large-scale production and manufacturing activities. Areas which include oilpalm demonstration projects; cattle herd improvement through embryo transfer technology; development of immunodiagnostics against major communicable diseases; Indo-US Vaccine Action Programme; tissue culture of cardamom plants, prawn acquaculture; bulk multiplication of elite forest tree species, using tissue culture techniques; field demonstration of poultry broilers production etc.

2.05 **International collaboration :** The Department has on-going bilateral cooperation programmes with Fedral Republic of Germany, Switzerland, USA and USSR, while such programmes with UK, Sweden, Vietnam, Poland, Netherland, China, Cuba, Brazil and some other countries are being finalised.

2.06 **International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology :** ICGEB has been established with two components - one in New Delhi and the other in Trieste, Italy with the ultimate objective of bringing the fruits of modern biotechnology to the developing countries. In addition to the two components, the ICGEB would have a network of national, regional and international co-operating R & D centres which would endeavour to promote an active programme of research and development towards fulfilling the stated objectives. For this purpose Government of India has agreed to provide land, building and equipment and also assistance for meeting recurring cost of technical and administrative staff, chemicals, etc. at a total cost of Rs. 18.00 crores approximately.

3. ***Grants in aid for Scientific Institutions/Professional Bodies:***

3.01 **National Institute of Immunology :** This Institute was established to conduct research of excellence in immunology. Its

गतिविधियों में ये शामिल हैं : (क) प्रतिरक्षण - गर्भनिरोध; (ख) गर्भ जैव-प्रौद्योगिकी; (ग) फैलने वाली बीमारियों के लिए टीका और (घ) प्रतिरक्षण नैदानिक।

3.02 **पशु उत्तक और कोशिका संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र, पुणे :** इस संस्थान की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी: (i) पशुओं और मानवों की कोशाणु लाइनों; ऊतकों, अंगों और संसेचित अंडों तथा कुहुटों; हाइब्रिडोमस सहित संकर कोशाणुओं; प्लासमिड्स, जीनस और जेनोमिक लाइब्रेरी को प्राप्त करना, भंडारण उत्पादन और पूर्ति करना शामिल है। (ii) उपर्युक्त कोशाणुओं और सम्बद्ध सामग्री तथा उत्पादों में अनुसंधान और उनका विकास करना (iii) स्वतंत्र रूप से अथवा उद्योग के सहयोग से किस्म नियंत्रण का विकास और उन्हें तैयार करना और संवर्धन माध्यम और अन्य प्रतिकर्मकों तथा सामग्रियों की पूर्ति करना तथा (iv) पशु कोशाणुओं/कोशिकाओं/अंगों का संवर्धन तथा सम्बद्ध तकनीकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की स्थापना और उनका संचालन शामिल है।

4. *सरकारी उद्यमों / संयुक्त उद्यमों में निवेश :*

4.01 **भारत प्रतिरक्षणात्मक और जैविकी निगम लिमिटेड, बुलन्दशहर** सरकारीक्षेत्र में इसकी स्थापना पिलाई जाने वाली पोलियो दवा की 1000 लाख वार्षिक खुराकों के उत्पादन तथा टीकों में अनुसंधान और विकास के लिए सोवियत संघ के साथ प्रौद्योगिकीय परामर्श सहयोग से की गई है।

4.02. **भारतीय टीका निगम लिमिटेड, गुड़गांव** संयुक्त क्षेत्र में इसकी स्थापना फ्रांस के मेरिक्स इंस्टीट्यूट और भारतीय पैट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से खसरे के टीके (200 लाख खुराक), वेरोरेबीज टीके (20 लाख खुराक), इनेक्टिवेटेड पोलियो टीके (500 लाख खुराक) और कुत्ते आदि के काटने से बचाव की टीका (400 लाख खुराक) वार्षिक उत्पादन करने के लिए की गई है।

research activities mainly comprise (a) immuno-contraception; (b) embryo biotechnology; (c) vaccines against communicable diseases and (d) immunodiagnostics.

3.02 **National Facility for Animal Tissue and Cell Culture, Pune:** This Institute was established with the objectives to (i) receive, identify, maintain, store, grow and supply animal and human cell-lines; tissues, organs and fertilised eggs and embryos; hybrid cells including hybridomas; plasmids, genes and genomic libraries; (ii) research and development in the above cell lines related material and products; (iii) develop, prepare, quality control and supply culture media and other reagents and materials independently or in collaboration with industry; and (iv) to establish and conduct training courses in animal cell/tissue/organ embryo culture and related techniques.

4. *Investment in Public Enterprises/Joint Ventures:*

4.01 **Bharat Immunologicals and Biologicals Corporation Ltd. Bulandshahar**, has been set up in the Public Sector in technological consultative cooperation with the Soviet Union for production of 100 million doses of Oral Polio Vaccine annually and research and development in vaccines.

4.02 **Indian Vaccines Corporation Ltd., Gurgaon**, has been set up in the Joint Sector in collaboration with Institute Merieux of France and Indian Petro-chemicals Corporation Ltd. (IPCL) for the manufacture of measles vaccines (20 million doses), Verorabies vaccine (2 million doses), inactivated polio vaccine (50 million doses) and quadruple (DPTP) vaccine (40 million doses annually).

इस्पात मंत्रालय *MINISTRY OF STEEL*

मांग संख्या DEMAND No.73

इस्पात मंत्रालय Ministry of Steel

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		2.90	24.03	26.93	2.70	22.72	25.42	...	13.54	13.54
पूंजी	*Capital*		*264.60*	*202.93*	*467.53*	*523.92*	*234.43*	*758.35*	*433.32*	*56.00*	*489.32*
जोड़	**Total**		**267.50**	**226.96**	**494.46**	**526.62**	**257.15**	**783.77**	**433.32**	**69.54**	**502.86**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	1.86	1.86	...	1.74	1.74	...	1.94	1.94
लौह और इस्पात उद्योग	**Iron and Steel Industries**										
2. खनिज अन्वेषण और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान	2. Grants-in-aid for mineral exploration & research projects	2852	2.90	...	2.90	2.70	...	2.70	...	...	...
3. ब्याज सम्बन्धी आर्थिक सहायता :	*3. Interest Subsidies:*										
3.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	3.01 Bharat Refractries Ltd. (IFICO)	2852	...	1.63	1.63	...	1.63	1.63	...	...	...
4. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आर्थिक सहायता	4. Subsidy for Voluntary Retirement Scheme										
4.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	4.01 Hindustan Steel Works Construction Ltd.	2852	...	15.00	15.00	...	13.50	13.50	...	10.00	10.00
4.02 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०	4.02 Bharat Refractories Ltd	2852	...	4.00	4.00	...	2.00	2.00	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*19.00*	*19.00*	...	*15.50*	*15.50*	...	*10.00*	*10.00*
5. आई.एफ.आई.सी.ओ.(बी.आरएल) के ऋण को रद्द करना	5. Write-Off of loan to IFICO (BRL)	2852	...	...	...	...	2.40	2.40	...	...	...
जोड़-लौह और इस्पात	**Total-Iron & Steel**		**2.90**	**20.63**	**23.53**	**2.70**	**19.53**	**22.23**	...	**10.00**	**10.00**
6. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण :	6. Non-Plan loans to Public Enterprises										
6.01 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	6.01 Hindustan Steel Works Construction Ltd.	6852	...	10.00	10.00	...	36.00	36.00	...	9.00	9.00
6.02 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	6.02 Bird Group of Companies	6852	...	5.00	5.00	...	4.50	4.50	...	1.00	1.00
6.03 आई०आई०एस०सी०ओ० को ब्याज मुक्त ऋण	6.03 SAIL (Interest free loan to IISCO)	6852	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	...	...
6.04 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि० (वी०एस०पी०)	6.04 Rastriya Ispat Nigam Ltd (VSP)	6852	...	35.93	35.93	...	41.93	41.93	...	44.00	44.00
6.05 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि० (आई०एफ०आई०सी०ओ० सहित)	6.05 Bharat Refractories Ltd (including IFICO)	6852	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
जोड़		*Total*	...	*202.93*	*202.93*	...	*234.43*	*234.43*	...	*56.00*	*56.00*
7. सरकारी उद्यमों में निवेश	7. Investment in Public Enterprises	4852	9.65	...	9.65	10.10	...	10.10	16.30	...	16.30
		6852	254.95	...	254.95	513.82	...	513.82	417.02	...	417.02
जोड़		*Total*	*264.60*	...	*264.60*	*523.92*	...	*523.92*	*433.32*	...	*433.32*
8. अन्य कार्यक्रम	8. Other Programmes	2852	...	1.54	1.54	...	1.45	1.45	...	1.60	1.60
कुल जोड़	***Grand Total***		*267.50*	*226.96*	*494.46*	*526.62*	*257.15*	*783.77*	*433.32*	*69.54*	*502.86*

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सं.ज. IEBR	जोड़ Total
7.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	7.01 Steel Authority of India Ltd.	12852	...	2038.00	2038.00	9.32	1464.87	1474.19	...	1969.00	1969.00
7.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि०	7.02 Rashtriya Ispat Nigam Ltd.	12852	248.00	318.00	566.00	498.00	562.00	1060.00	398.93	353.07	752.00
7.03 विजय नगर स्टील लि०	7.03 Vijaynagar Steel Ltd.	12852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
7.04 स्पोंज आयरन इंडिया लि०	7.04 Sponge Iron India Ltd.	12852	4.80	...	4.80	4.80	...	4.80	12.00	...	12.00
7.05 नीलाचल इस्पात निगम लि०	7.05 Neelachal Ispat Nigam Ltd.	12852	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
7.06 हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन वर्क्स लि०	7.06 Hindusthan Steel Works Construction Ltd.	12852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	6.00	...	6.00
7.07 भारत रिफैक्ट्रीज लि०	7.07 Bharat Refractories Ltd.	12852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
7.08 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०	7.08 National Mineral Development Corporation Ltd.	12852	4.30	35.20	39.50	4.30	36.41	40.71	...	92.58	92.58
7.09 कुद्रेमुख लौह ओर कम्पनी लि०	7.09 Kudremukh Iron Ore Company Ltd.	12852	...	70.00	70.00	...	19.52	19.52	...	75.00	75.00
7.10 मैंगनीज ओर इंडिया लि०	7.10 Manganese Ore India Ltd.	12852	...	2.30	2.30	...	7.13	7.13	...	5.41	5.41
7.11 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	7.11 Bird Group of Companies	12852	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	5.39	...	5.39
7.12 मैटालर्जिकल और इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स इंडिया लि०	7.12 Metallurgical & Engineering Consultants India Ltd.	12852	...	0.78	0.78	...	0.72	0.72	...	1.00	1.00
7.13 मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि०	7.13 Metal Scrap Trade Corporation Ltd.	12852	...	0.82	0.82	...	1.28	1.28	...	2.00	2.00

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
7.14 फैरो स्क्रेप निगम लि0	7.14 Ferro Scrap Nigam Ltd.	12852	...	2.10	2.10	...	9.96	9.96	...	2.00	2.00
7.15 राष्ट्रीय मिशन	7.15 National Mission	12852	...	...	...	...	...	...	...	2.00	2.00
जोड़	**Total**		**264.60**	**2467.20**	**2731.80**	**523.92**	**2101.89**	**2625.81**	**433.32**	**2502.06**	**2935.38**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
1. लौह और इस्पात	1. Iron & Steel	12852	267.50	2467.20	2734.70	526.62	2101.89	2626.51	433.32	2502.06	2935.38

1. सचिवालय: इसके अन्तर्गत इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था की गई है ।

1. Secretariat: Provision is for secretariat expenditure of Ministry of Steel.

2. खनिज अन्वेषण और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान : केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं व्यवहार्यता अध्ययनों और खनिजों के अन्वेषणों तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, स्पोन्ज आयरन इंडिया लि., मैंगनीज ओर इंडिया लि0 तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और लौह तथा इस्पात पर आधारभूत अनुसंधान के लिए मिशन को कार्यान्वित करने के लिए है ।

2. Grants-in-aid for Mineral Exploration and Research Projects: Centrally sponsored schemes are for conducting feasibility studies and exploration of minerals as well as research & development projects of National Mineral Development Corporation (NMDC), Sponge Iron India Limited (SIIL), Manganese Ore India Limited (MOIL) and National Mission for Basic Research on Iron and Steel.

3. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता: सरकार द्वारा भारत रिफ्रेक्टरीज लि0 (आई0एफ0आई0सी0ओ0) को इसकी आर्थिक सहायताओं के लिए को दिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगी करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

3. Interest Subsidies : Provided to Bharat Refractories Ltd. for its subsidiary (IFICO) to meet the interest payment on Government loans advanced to them.

4. स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृति स्कीम के लिए आर्थिक सहायता: हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी लि0 को 10 करोड़ रुपए स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृति स्कीम के अन्तर्गत सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को मुआवजे की अदायगी करने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किए गए। यह स्कीम कम्पनी में अतिरिक्त स्टाफ को कम करने की दृष्टि से आरंभ की गई है।

4. Subsidy for Voluntary Retirement Scheme: Rs.10 crores to HSCL provided to meet the additional expenditure for payment of compensation to the workers under the Voluntary Retirement Scheme. The scheme has been introduced with a view to reduce the surplus staff in the company.

5. आई.एफ.आई.सी.ओ. (बी.आर.एल.) के ऋणों को रद्द करना: सरकार के बकाया आयोजना-भिन्न ऋण को रद्द करने के लिए संशोधित अनुमान 1990-91 में 2.40 करोड़ रुपए की व्यवस्था है ।

5. Write Off of Loans to IFICO (BRL): R.E. 1990-91 provides Rs.2.40 crores for write off of outstanding Non-plan Government loans.

6. सरकारी उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण: हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि0, बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 (वी.सी.पी) और भारत रिफ्रेक्टेरीज लि0 (आई.एफ.आई. सी.ओ. के लिए) को उनकी नकद हानियों को पूरा करने और उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

6. Non-plan loan to public enterprises : To meet cash losses and to provide for working capital requirements of Hindustan Steelworks Construction Ltd., Bird Group of Companies, Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (VSP) and Bharat Refractories Ltd (for IFICO).

7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश : इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय समर्थन दिया जाता है । इन उद्यमों के बजट समर्थन की इक्विटी और ऋणवार ब्यौरे और आ. ब. बा. स. व्यय बजट खण्ड— I में दर्शाये गए हैं ।

7. Investment in Public Enterprises : In order to implement various capital schemes by the public sector enterprises under the control of Ministry of Steel, budgetary support by way of equity investment and loans is extended to these enterprises. The equity and loan-wise break-up of the budgetary support to these enterprises, and the I.E.B.R. are given in Expenditure Budget Vol.I.

7.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड: इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, एलाए स्टील प्लांट और सैलम स्टील प्लांट छः मुख्य इस्पात संयंत्र है । इंडियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की सहायक कम्पनी है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड संयंत्रों/एककों का समस्त आयोजनागत परिव्यय और आर्थिक सहायताएं आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा की जा रही हैं । संशोधित अनुमान 1990-91 में 9.32 करोड़ रुपए का एक ऋण भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए प्राप्त किया जा रहा है, जो सरकारी बजट के माध्यम से डी.एस.पी के आधुनिकरण के लिए स्विस मिश्रित ऋण का प्रतिनिधित्व करता है ।

(i) **बोकारो इस्पात कारखाना:** इसके अंतर्गत योजनाएं, 40 मी0 टन तक क्षमता के विस्तार आखरी इकाईयों के पूरा होने तक अर्थात (मार्च, 1990 तक सी.आर.एम. विस्तार) ग्रहीत विद्युत संयंत्र के परिवर्द्धन और फेर-बदल आदि से संबंधित है ।

(ii) **भिलाई इस्पात कारखाना :** इसके अंतर्गत योजनाओं में 2.5 मी0 टन से 4 मी0 टन तक क्षमता का विस्तार करने का कार्यक्रम है, जिसकी मार्च, 1990 तक अंतिम यूनिट पूरी हो जाएगी, परिवर्द्धन और फेर-बदल, अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अड़चनें दूर करने की योजनाएं आदि शामिल हैं ।

7.01 Steel Authority of India Limited : It has six major steel plants under its control : Bokaro, Bhilai, Rourkela, Durgapur, Alloy Steel Plant and Salem Steel Plants. The Indian Iron Steel Co. Ltd. (IISCO) which owns an integrated steel plant at Burnpur is a subsidiary of SAIL. While entire plan outlay of SAIL Plants/Units and the subsidiaries is being met out of internal and extra budgetary resources a loan of Rs.9.32 crores is being obtained in R.E. 1990-91 for SAIL which represent Swiss mix credit for DSP modernisation routed through Government budget.

(i) **Bokaro Steel Plant :** Schemes covered relate to expansion of capacity to 4MT (completion of last Units i.e.CRM expansion by March, 1990) captive power plant, additions and modifications etc.

(ii) **Bhilai Steel Plant :** Schemes covered are expansion of capacity from 2.5 MT to 4 MT, the last unit of which was scheduled for completion by March, 1991, additions and modifications, R & D Projects, captive power plant, debottlenecking schemes etc.

(iii) **राउरकेला इस्पात कारखाना** : परिव्यय में ग्रहीत विद्युत संयंत्र में सिलिकान इस्पात परियोजना फेरबदल और प्रतिस्थापन, अन्य चल रही योजनाओं और संयंत्र का आधुनिकीकरण शामिल है। चरण-1 को 3 वर्षों में और चरण-2 को चार वर्ष में पूरा करने का अनुमान है।

(iv) **दुर्गापुर इस्पात कारखाना** : परिव्यय में संयंत्र के आधुनिकीकरण पर, जिसका अप्रैल, 1993 तक पूरा होने का अनुमान है, व्यय, ग्रहीत विद्युत संयंत्र, कोक ओवन बैटरी का पुर्ननिर्माण, फेरबदल/परिवर्तन/परिवर्द्धन (जो अगस्त 1988 में पूरा हुआ था) आदि बस्तीकरण शामिल है।

(v) **मिश्र धातु इस्पात कारखाना** : परिव्यय में चरण-II जो मार्च 1988 में पूरा हुआ था, का विस्तार और परिवर्द्धन/परिवर्तन/आधुनिकीकरण पर व्यय शामिल हैं

(vi) **इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड** ; परिव्यय बर्नपुर स्टील का आधुनिकी चरण, आठवीं कोक ओवन बैटरी के पुनर्निर्माण, चसनाला वाशरी के लिए बैलेंसिंग सुविधाओं, चसनाला अपर सीम के विकास और परिवर्द्धन/फेरबदल/आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन के लिए हैं।

7.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से (6,849.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जून, 1991 तक पूरा हो जाने का अनुमान है) भारत में स्थापित किया जा रहा समुद्र तट का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है।

7.03 और 7.05 **कर्नाटक और उड़ीसा में नए इस्पात कारखाने**: भारत सरकार कर्नाटक और उड़ीसा में दो नए इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। तदनुसार, इन इस्पात कारखानों अर्थात् विजयनगर इस्पात लिमिटेड और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के निर्माण के लिए दो कम्पनियां स्थापित की गई थीं। धन की कमी के कारण नए इस्पात कारखानों का कार्यान्वयन अभी आरम्भ नहीं किया गया है। तथापि, व्यवस्था प्रारम्भिक व्यय, प्रशासनिक व्यय और भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए की गई है।

7.04 **स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड**: व्यवस्था उत्पाद विविधिकरण योजना, परिवर्द्धन/फेर-बदल/प्रतिस्थापन और अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के लिए की गई है।

7.06. **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड**: आधुनिक इस्पात कारखाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी। व्यवस्था विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की खरीद और संबंधित पूंजी व्यय के लिए है।

7.07. **भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड** : भांड्रीदाह रिफ्रैक्टरीज संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी एकक और भिलाई रिफ्रेक्टरी संयंत्र, तीनों एककों के प्रबन्ध के लिए मई, 1978 में स्थापित की गई थी। व्यवस्था पुराने एककों को स्वस्थ बनाने के लिए परिवर्द्धन/परिवर्तन/फेर-बदल के लिए और बस्ती के लिए है।

7.08 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड**: यह निगम लौह अयस्क और हीरों के निष्कर्षण और खनिज जैसे डोलामाइट, चूने के पत्थर आदि की खोज और विकास का कार्य कर रहा है। व्यवस्था बेलाडिला-11 सी. लौह अयस्क परियोजना बेलाडिला-5शुद्ध अयस्क हैंडलिंग संयत्र और परिवर्द्धन/परिवर्तन/फेर-बदल के लिए है तथा बैलाडीला-14 गहरे स्तर पर खनन बैलाडीला-14 का आधुनिकीकरण।

7.09 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड** : इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए 70 लाख टन लौह अयस्क प्रति वर्ष उत्पादन करने के लिए की गई थी। लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप परियोजना से लौह अयस्क कंसन्ट्रेट का प्रयोग करने के लिए मई, 1981 में एक छोटे संयंत्र की योजना अनुमोदित की गई थी। छोटा संयंत्र अप्रैल, 1987 में स्थापित किया गया है। कम्पनी को किसी बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण परिव्यय अपने आन्तरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

7.10 **मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड** : यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह देश में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी है। व्यवस्था चिकला खान पर खड़ी शाफ्ट निमग्न करने और उक्वा खान पर

(iii) **Rourkela Steels Plant**: Outlay covers captive power plant, Silicon Steel Project modifications and replacements, other continuing schemes, and modernisation of plant in two phases. Phase I is scheduled for completion in 3 years and Phase II in 4 years.

(iv) **Durgapur Steel Plant** : Outlay covers expenses on modernisation of the plant which is scheduled for completion by April, 1993, captive power plant (completed in August 1988) rebuilding of coke oven battery, modifications/alterations/additions etc. and township.

(v) **Alloy Steel Plant** : Outlay covers stage II expansion completed in March, 1988 and expenses on additions/replacements/modifications.

(vi) **Indian Iron & Steel Co. Ltd.**: Provision is for modernisation of Burnpur Steel works, 8th coke oven battery rebuilding, balancing facilities for Chasnalla Washery, development of Chasnalla Upper Seam and additions/modifications and replacements.

7.02 **Rashtriya Ispat Nigam Ltd.**: Is the first onshore integrated Steel Plant being set up in India with technical and financial cooperation from U.S.S.R. (scheduled to be completed by June, 1991 at an estimated cost of Rs. 6,849.70 crores).

7.03 & 7.05 **New Steel Plants in Karnataka & Orissa** : Govt of India agreed in principle for setting up two new steel plants in Karnataka and Orissa. Accordingly, two companies were set up for construction of these steel plants viz. Vijayanagar Steel Limited and Neelachal Ispat Nigam Limited. Due to funds constraints, the implementation of the new steel plants has not been taken up so far. However, provision has been made for preliminary expenses, administrative expenses and cost of acquisition of land.

7.04 **Sponge Iron India Ltd.** : Provision made for product diversification scheme, additions/modification/replacements and R & D programme.

7.06 **Hindustan Steelworks Construction Ltd.** : Incorporated in 1964, has the expertise for undertaking complete construction of modern steel plant as also projects outside steel sector. Provision is for purchase of construction equipment and connected capital expenditure for executing works at various sites of construction.

7.07 **Bharat Refractories Limited** : was formed in May, 1978 for managing three units: Bhandaridah Refractories Plant, Ranchi Road Refractory Plant and Bhilai Refractory Plant. Provision is for additions/modifications and replacement for restoring the health of the old units and for township.

7.08 **National Mineral Development Corporation Ltd.**: Is engaged in extraction of iron ore and diamonds and exploration and development of minerals like dolomite, limestone etc. Provision is for completion of schemes like Bailadila-11C Iron Ore Project, Bailadila-5 Fine Ore Handling Plant & for new schemes viz., Bailadila-14 Deeper level Mining, Bailadila-14 modification and for additions, modifications and replacements.

7.09 **Kudremukh Iron Ore Co. Ltd.** : Set up to produce 7 million tonnes of iron ore per year mainly for export to Iran. Consequent on Iran's inability to take iron-ore concentrates, a pellet plant to utilise the iron ore concentrates from the project was approved in May 1981. The pellet plant has been commissioned in April 1987. No budgetary support is required by the company as the entire outlay will be met out of its internal resources.

7.10 **Manganese Ore India Ltd.** : Is jointly owned by Govt. of India and the Govts. of Madhya Pradesh and Maharashtra. It is the largest producer of high grade manganese ore in the country. Provision is for executing schemes like sinking of vertical shaft at

होस्टिंग शाफ्ट निमज्जन करने और परिवर्द्धन/परिवर्तन तथा फेर-बदल और बस्तीकरण के लिए है । परिव्यय पूरी तरह से कम्पनी के अतिरिक्त संसाधनों से पूरा किया जाएगा ।

7.11 **बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज** : अक्तूबर, 1980 में भारत सरकार द्वारा अधिगृहित बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड मुख्य रूप से खनन और रिफ्रैक्ट्रीय कार्यों में लगी हुई है । व्यवस्था बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि0 की पटपहर डोलोमाइट परियोजना तथा रुग्ण खानों को कार्यशील अवस्था में लाने के लिए परिवर्द्धन, आधुनिकीकरण तथा फेर-बदल के लिए है।

7.12 **मैटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैंट्स (इंडिया) लिमिटेड**; यह कम्पनी लोहा और इस्पात उद्योगों को सेवाएं प्रदान करती है । इन सेवाओं में रोलिंग मिलों की पूर्ति, स्थापना और चालू करने के कार्यों सहित डिजाइन, उपस्कर और प्रणालियां शामिल हैं । किसी बजटीय समर्थन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण व्यय को कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा ।

7.13 **मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड** ; यह पिघलने वाले कतरन, पुनर्बेल्लित किए जा सकने वाले स्क्रेप के आयात, स्पोंज आयरन, कास्ट आयरन स्क्रेप और तोड़ने के लिए पुराने जहाजों के आयात और निर्यात के लिए माध्यमिक एजेंसी है । यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों और अन्य संगठनों से कतरन और अन्य सामग्री के निपटान के लिए भी जिम्मेदार है । कोई बजटीय समर्थन आवश्यक नहीं क्योंकि कम्पनी के पास आयोजनागत परिव्यय पूरा करने के लिए आन्तरिक संसाधन मौजूद है।

7.14 **फैरो स्क्रेप निगम लि0 (एफ.एस.एन.एल.)**: एक संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी है, जिस में मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लि0 के 60 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, शेष 40 प्रतिशत शेयरों का धारक मैसर्ज हार्सको कारपोरेशन आइ.एन.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा है । कम्पनी बर्नपुर,भिलाई और बोकारो में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करती है । लौह-चूर्ण को पुनः संसाधित करने और कूड़े-कर्कट से लौह और इस्पात प्राप्त करने के लिए फैरो स्क्रेप निगम लि0 को विभिन्न प्रकार के उपस्करों पर निर्भर रहना पड़ता है । उस प्रकार के उपस्करों के नियमित प्रयोग के लिए कम्पनी को इनके संवर्धन आधुनिकीकरण और फेरबदल का सहारा लेना पड़ता है।

7.15 **राष्ट्रीय मिशन**: आठवीं योजना के में लोहा और इस्पात क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में प्राथमिक तौर पर सेवा करने और नवीं योजना के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकीय निविष्टियों का विकास करने के लिए है ।

8. **अन्य कार्यक्रम** : इसमें लोहा तथा इस्पात के विकास आयुक्त के कार्यालय का स्थापना कार्य, विख्यात धातु विज्ञानियों के पुरस्कार, भुगतान आदि के लिए आयुक्त के कार्यालय के व्यय शामिल हैं ।

Chikla Mine, sinking of main hoisting shaft at Ukwa mine and for additions/modifications and replacement and township. The outlay will be met entirely out of company's internal resources.

7.11 **Bird group of Companies** : Bird & Co. Ltd. taken over by the Govt. of India in October 1980 is mainly engaged in mining and refractory activities. Provision is for Patpahar Dolomite Project of Bisra Stone Lime Company Limited and additions, modifications and replacement to restore the sick mines to operational conditions.

7.12 **Metallurgical & Engineering Consultants (India) Ltd.** : Renders services to Iron & Steel industry, designs equipment and systems including supply installation and commissioning of rolling mills etc. No budgetary support is required as the entire expenses will be met out of internal resources of the company.

7.13 **Metal Scrap Trade Corporation Ltd.** It is the canalising agency for import and export of melting scrap, import of rerollable scrap, sponge iron, cast iron scrap and old ships for breaking. The company is also responsible for disposal of scrap and other material from public sector steel plants and other organisations. No budgetary support is required as the company has internal resources to meet the plan outlay.

7.14 **Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)**: Is a joint sector Company in which Metal Scrap Trade Corporation Ltd. holds 60% equity shares with the remaining 40% being held by M/s Harsco Corporation INC, USA. The Company undertakes recovery and re-processing of scrap from slag and refuse dumps in the Steel Plant at Rourkela, Burnpur, Bhilai and Bokaro. For processing the slag and reclaiming iron and steel from dumps, FSNL have to depend on various types of equipment. For regular usage of such equipment the Company have to resort to additions, modifications and replacements.

7.15 **National Mission:** Primarily to serve as an effective instrument to achieve the targets laid down for the iron and steel sector in the VIII Plan and to develop necessary technological inputs required for the IX Plan.

8 . **Other Programmes** : These include establishment expenses on office of the Development Commisioner for Iron & Steel, awards to distinguished metallurgists, expenditure on the offices of the Commissioner for Payments etc.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

मांग संख्या DEMAND No.74

जल-भूतल परिवहन Surface Transport

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		22.51	13.10	35.61	13.20	13.08	26.28	14.23	13.79	28.02
पूंजी	*Capital*		*115.49*	*50.10*	*165.59*	*82.97*	*122.07*	*205.04*	*105.77*	*35.10*	*140.87*
जोड़	**Total**		**138.00**	**63.20**	**201.20**	**96.17**	**135.15**	**231.32**	**120.00**	**48.89**	**168.89**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	11.06	11.06	...	11.04	11.04	...	11.65	11.65
सड़क परिवहन	**Road Transport**										
2. प्रशिक्षण और अनुसंधान	2. Training & Research	3055	3.90	...	3.90	3.70	...	3.70	1.75	...	1.75
3. दिल्ली परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न उधार	3. Non-Plan Loans to D.T.C.	7055	...	50.00	50.00	...	120.00	120.00	...	35.00	35.00
जोड़-सड़क परिवहन	**Total - Road transport**		**3.90**	**50.00**	**53.90**	**3.70**	**120.00**	**123.70**	**1.75**	**35.00**	**36.75**
अन्तर्देशीय जल परिवहन	**Inland Water Transport**										
4. प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	4. Training and Research	3056	1.01	...	1.01	1.70	...	1.70	0.68	...	0.68
5. जल परिवहन सेवाओं का विकास-भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण को अनुदान	5. Developement of Water Transport Services - Grants to Inland Water Transport Authority of India	3056	17.10	1.29	18.39	5.45	1.29	6.74	11.40	1.35	12.75
6. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न उधार	6. Non-Plan Loans to C.I.W.T.C.	7056	...	0.10	0.10	...	2.07	2.07	...	0.10	0.10
7. अन्य कार्यक्रम	7. Other Programmes	3056	0.50	0.10	0.60	0.35	0.10	0.45	0.40	0.14	0.54
		7601	3.15	...	3.15	1.75	...	1.75	2.52	...	2.52
जोड़		*Total*	*3.65*	*0.10*	*3.75*	*2.10*	*0.10*	*2.20*	*2.92*	*0.14*	*3.06*
जोड़-अन्तर्देशीय जल परिवहन	**Total - Inland Water Transport**		**21.76**	**1.49**	**23.25**	**9.25**	**3.46**	**12.71**	**15.00**	**1.59**	**16.59**
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
8. एशियाई परिवहन विकास संस्थान को सहायता अनुदान	8. Grants-in-aid to Asian Institute of Transport Dev.	3075	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	**Technical and Economic Co-operation with other Countries:**										
9. बंगलादेश को सहायता	9. Assistance to Bangladesh	3605	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65	...	0.65	0.65
10. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	10. Investments in Public Undertakings	5056	17.62	...	17.62	13.10	...	13.10	17.50	...	17.50
		7055	77.10	...	77.10	55.01	...	55.01	68.25	...	68.25
		7056	17.62	...	17.62	13.11	...	13.11	17.50	...	17.50
जोड़		*Total*	*112.34*	...	*112.34*	*81.22*	...	*81.22*	*103.25*	...	*103.25*
कुल जोड़	***Grand-Total***		***138.00***	***63.20***	***201.20***	***96.17***	***135.15***	***231.32***	***120.00***	***48.89***	***168.89***

ख. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
10.01 दिल्ली परिवहन निगम	10.01 Delhi Transport Corporation	13055	50.00	...	50.00	45.00	...	45.00	53.00	...	53.00
10.02 राज्य परिवहन निगम	10.02 S.T.Corporations	13055	27.00	...	27.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
10.03 राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम	10.03 National Road Transport Development Financial Corporation	13055	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.25	...	0.25
10.04. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	10.04 Central Inland Water Transport Corporation	13056	35.24	...	35.24	26.21	...	26.21	35.00	...	35.00
जोड़	**Total**		**112.34**	...	**112.34**	**81.22**	...	**81.22**	**103.25**	...	**103.25**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay***										
1. सड़क परिवहन	1. Road Transport	13055	81.00	...	81.00	58.71	...	58.71	70.00	...	70.00
2. अन्तर्देशीय जल परिवहन	2. Inland Water Transport	13056	57.00	...	57.00	35.46	...	35.46	50.00	...	50.00
3. अन्य परिवहन सेवाएं	3. Other Transport Services	13075	...	...	...	2.00	...	2.00	...	...	...
जोड़	**Total**		**138.00**	...	**138.00**	**96.17**	...	**96.17**	**120.00**	...	**120.00**

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
*Inclusive ofWorks Outlay provided in the Ministry of Urban Development

1. यह व्यवस्था भूतल परिवहन मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए है।

2. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, व्यापक आन्तरिक-माडल अध्ययन, सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा संस्थान की स्थापना के लिए है।

3, दिल्ली परिवहन निगम को आयोजना-भिन्न ऋण सहायता संबंधी व्यवस्था का अभिप्राय, निगम को अपनी नकद हानियों की पूर्ति के लिए सक्षम बनाना है।

4. यह व्यवस्था मुख्यतः करीमगंज टर्मिनल के विकास और अनुसंधान तथा विकास समेत तकनीकी अध्ययनों के लिए है।

5. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनियमन तथा देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेवार है। प्राधिकरण को दी जा रही सहायता-अनुदान का अभिप्राय, राष्ट्रीय जलमार्गों के जल-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षणों, सर्वेक्षण लांचों और उपस्करों के अधिग्रहण तथा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के प्रशासनिक खर्चों के संबंध में व्यय की पूर्ति करना है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित गंगा और दूसरे राष्ट्रीय जलमार्ग-ब्रह्मपुत्र के सदिया-हुबरी विस्तार क्षेत्र के विकास के लिए भी व्यवस्था शामिल की गई है। प्राधिकरण को आयोजना-भिन्न अनुदान सहायता का अभिप्राय, इसकी स्थापना लागत को पूरा करने से है।

6. यह व्यवस्था, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड को, मुख्यतः उसके बढ़े हुए स्थापना-व्यय के कारण हुई नकद हानियों के भाग की पूर्ति के लिए आयोजना-भिन्न ऋण देने के संबंध में है।

7. इसमें केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई. डब्ल्यू.टी.सी.) को सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र में नदी संरक्षण निर्माण कार्यों के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था, पाण्डू (असम) में स्लिपवे के निर्माण, गोआ में मण्डोवी जौरी और मपूसा नदियों में तलकर्षण कार्य, चमापाकरा नहर के विकास, उद्योग मण्डल नहर का उन्नयन आदि जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए भी की गयी है, जो राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इसमें वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा अन्तर्देशीय जल-परिवहन उद्यमियों को कम दर पर दिये गये ऋणों के बारे में ब्याज विभेदक के लिए भुगतान करने हेतु भी व्यवस्था की गयी है।

8. संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था एशियन परिवहन विकास संस्थान, जो परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान, अध्ययन और प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है, को सहायता अनुदान देने के लिए थी।

9. यह व्यवस्था, बंगलादेश के साथ पारगमन और व्यापार करार के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए है।

10. दिल्ली परिवहन निगम को, बजटीय समर्थन देने का अभिप्राय उसे अपनी आयोजना के अन्तर्गत अपने पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने से है।

राज्य परिवहन निगम को आयोजना सहायता देने के संबंध में यह व्यवस्था सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अनुसार की गई है, जिसके लिए निगम की पूंजी संबंधी आवश्यकता केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर पूरी की जाती है।

इस व्यवस्था में, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल-परिवहन निगम तथा राष्ट्रीय सड़क परिवहन विकास वित्त निगम को अपनी आयोजना स्कीमों के वित्तपोषण के लिए बजटीय समर्थन भी शामिल है।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry of Surface Transport.

2. The provision is mainly for research and development, comprehensive inter-model studies, road safety programmes and setting up of National Road Safety Institute.

3. The provision for Non-Plan loan assistance to Delhi Transport Corporation is intended to enable the Corporation to cover its cash losses.

4. The provision is mainly for development of Karimganj terminal and for technical studies including research and development.

5. The Inland Waterways Authority of India is responsible inter alia for the development, maintenance and regulation of National waterways and to advise the Government on development of inland water transport in the country. The grant assistance to the Authority is intended for meeting expenditure on hydrographic surveys of National waterways, acquisition of survey launches and equipment and administrative expenses of IWAI. It also includes provision for development of Ganga which has been declared as National waterway and Sadiya-Hubri stretch of the Brahmaputra which is the second National waterway. The non-plan grant assistance to the Authority is intended for meeting its establishment cost.

6. The provision is for non-plan loans to Central Inland Water Transport Corporation Limited for meeting part of its cash losses mainly caused by increased establishment expenditure.

7. This includes grant assistance to CIWTC for river conservancy works in Sundarbans and Brahmaputra. Provision has also been made for centrally sponsored schemes like construction of slipway at Pandu (Assam), dredging of Mandovi Zuari and Mapusa rivers in Goa, development of Champakara Canal, improvement of Udyogmandal Canal, etc. which are being implemented through the State Governments. It also includes provision for payment to financial institutions towards interest differential in respect of loans at a lower rate of interest advanced by them to inland water transport enterpreneurs.

8. The provision in the Revised Estimates was for providing grant assistance to the Asian Institute of Transport Development which conducts research, studies and training in the transport sector.

9. The provision is for meeting expenditure arising out of transit and trade agreement with Bangladesh Government.

10. The budgetary support to DTC is intended to enable it to meet its capital expenditure under Plan.

The provision for Plan assistance to State Transport Corporations is in accordance with the Road Transport Corporation Act, 1950 under which the capital requirement of the corporations are contributed by the Centre and State Governments on a fifty-fifty basis.

The provision also includes budgetary support to Central Inland Water Transport Corporation and National Road Transport Development Finance Corporation for financing their Plan schemes.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

मांग संख्या DEMAND No.75

सड़कें Roads

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		30.00	334.98	364.98	16.43	329.48	345.91	35.00	357.87	392.87
पूंजी	*Capital*		*430.00*	*135.90*	*565.90*	*390.50*	*126.31*	*516.81*	*455.00*	*99.68*	*554.68*
जोड़	**Total**		**460.00**	**470.88**	**930.88**	**406.93**	**455.79**	**862.72**	**490.00**	**457.55**	**947.55**
सड़कें और पुल	**Roads and Bridges**										
1. राष्ट्रीय राज मार्ग	1. National Highways	3054	...	146.62	146.62	...	146.62	146.62	...	161.28	161.28
		5054	418.00	66.90	484.90	383.50	64.31	447.81	448.50	72.98	521.48
जोड़		*Total*	*418.00*	*213.52*	*631.52*	*383.50*	*210.93*	*594.43*	*448.50*	*234.26*	*682.76*
2. सामरिक महत्व वाली और सीमावर्ती सड़कें	2. Strategic and Border Roads	3054	...	19.25	19.25	...	18.61	18.61	...	16.66	16.66
		3601	...	143.05	143.05	...	143.16	143.16	...	151.02	151.02
जोड़		*Total*	...	*162.30*	*162.30*	...	*161.77*	*161.77*	...	*167.68*	*167.68*
3. आर्थिक महत्व अथवा अन्तर्राज्यीय सड़कें	3. Roads of Inter State or Economic Importance	3601	15.00	...	15.00	11.23	...	11.23	16.20	...	16.20
		7601	12.00	...	12.00	7.00	...	7.00	6.50	...	6.50
जोड़		*Total*	*27.00*	...	*27.00*	*18.23*	...	*18.23*	*22.70*	...	*22.70*
4. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित स्कीमें	4. Schemes financed from Central Road Fund	3601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00
5. राष्ट्रीय महत्व की विशेष सड़कें/पुल	5. Special Roads/Bridges of National Importance	7601	...	22.00	22.00	...	22.00	22.00	...	24.20	24.20
6. केन्द्रीय सड़क निधि को/से अन्तरण	6. Transfers to/from Central Road Fund	3054	...	9.06	9.06	...	9.06	9.06	...	9.06	9.06
		3601	...	-9.00	-9.00	...	-9.00	-9.00	...	-9.00	-9.00
जोड़		*Total*	...	*0.06*	*0.06*	...	*0.06*	*0.06*	...	*0.06*	*0.06*
7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि को/से अन्तरण	7. Transfers to/from National High Ways Permanent Bridges Fees Fund	3054	...	11.25	11.25	...	11.25	11.25	...	19.00	19.00
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
8. भारतीय सड़क निर्माण निगम को आयोजना-भिन्न उधार	8. Non-Plan Loans to the Indian Roads Construction Corporation	7075	...	47.00	47.00	...	40.00	40.00	...	2.50	2.50
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अनुदान	9. Grants to National Highway Authority	3054	10.00	5.00	15.00	0.01	0.10	0.11	6.00	0.10	6.10
10. अन्य व्यय	10. Other Expenditure	3054	5.00	0.75	5.75	5.19	0.68	5.87	12.80	0.75	13.55
		Total	15.00	5.75	20.75	5.20	0.78	5.98	18.80	0.85	19.65
कुल जोड़	*Grand Total*		*460.00*	*470.88*	*930.88*	*406.93*	*455.79*	*862.72*	*490.00*	*457.55*	*947.55*
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	बा.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	बा.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	बा.ब.सा. IEBR	जोड़ Total
1. सड़कें और पुल	1. Roads and Bridges	13054	460.00	...	460.00	406.93	...	406.93	490.00	...	490.00

इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है।
*Inclusive of Works Outlays provided in the Demands of the Ministry of Urban Development

1. यह व्यवस्था मुख्यत: रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव पर होने वाले व्यय हेतु की गई है । ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंन्सी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड की जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा भी पूरे किए जाते हैं । इस व्यवस्था में यांत्रिक रूप से प्रणोदक वाहनों के प्रयोग पर लगाई गई फीस के संग्रहण की लागत के प्रति संघ राज्य क्षेत्रों को की गई अदायगी भी शामिल है, राज्यों को अनुमति दी गई है कि वे फीस के माध्यम से प्राप्त किए गए राजस्व में से 12 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार काट सकते हैं । 1991-92 में आयोजना-व्यय में वृद्धि मुख्यत:, विश्व बैंक सहायता परियोजनाओं आदि सहित चल रही योजनाओं के कारण है ।

1. The provision is mainly for expenditure on construction and maintenance of national highways. The works are executed by the Public Works Department of the States on an agency basis and also by the General Reserve Engineering Force of the Border Roads Development Board. The provision also includes payment to the Union Territories towards cost of collection of the fees levied for use of permament bridges on national highways by the mechanically propelled vehicles; the States are allowed to deduct collection charges at the rate of 12% out of the revenue derived through the fees. The increase in Plan expenditure in 1991-92 is mainly for ongoing schemes including World Bank assisted projects, etc.

2. इस व्यवस्था में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता अनुदान देना शामिल है । कुछ निर्माण कार्य जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तथा पंजाब एवं राजस्थान में सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किए जाते हैं ।

2. The provision includes grant assistance to States for construction of certain strategic roads in the border areas of Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal. Some works are also executed by the CPWD in J & K and by the Border Roads Development Board in Punjab and Rajasthan.

3. यह व्यवस्था अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की कतिपय चुनी हुई राज्य सड़कों के विकास के लिए है ताकि बेहतर संचार सुविधाओं का संवर्द्धन किया जा सके । इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य खनिज संसाधनों में सम्पन्न क्षेत्रों के विकास में मदद करना और रेलवे जैसे संचार के अन्य माध्यमों से उन्हें जोड़ना है ।

4. केन्द्रीय सड़क निधि कर शुदा मोटर वाहनों पर सीमा और उत्पाद शुल्क पर 3.5 पैसे प्रति लिटर की दर से उपकर की वसूली द्वारा अपने राजस्व से प्राप्त एक अक्षय निधि है । इस निधि का उपयोग, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृत योजनाओं के लिए निर्माण कार्यों के वित्त पोषण और उनके रख-रखाव संबंधी कार्यों में किया जाता है ।

5. इस व्यवस्था का अभिप्राय, कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरे पुल के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण सहायता प्रदान करना है, ताकि कलकत्ता महानगर में यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इस पुल के पूरा होने की तिथि 31 दिसम्बर, 1991 है।

6 और 7. ये प्रावधान, जो कि लेखा समंजनों के लिए है, केन्द्रीय सड़क निधि और राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि, भारत के सरकारी लेखे में अन्तरणों की निवल राशि और निधियों में से आहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

8. यह व्यवस्था, भारतीय सड़क निर्माण निगम लि. नामक एक सरकारी कम्पनी को आयोजना-भिन्न ऋणों के लिए है, जो भारत और विदेशों में सड़कों और पुलों के निर्माण और विकास और संबंधित इंजीनियरी कार्यों संबंधी कार्य करती है । कम्पनी कलकत्ता, दुर्गापुर एक्सप्रेस रास्ते के 4 क्षेत्रों (42 किलोमीटर) का निर्माण कार्य कर रही है जिनकी लागत 32.89 करोड़ होने का अनुमान है । 1991-92 में इस व्यवस्था का उद्देश्य कतिपय विदेशी ऋण दायित्वों के निपटान हेतु कम्पनी को सक्षम बनाना है।

9. इस आयोजना की व्यवस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सहायता अनुदान देने के लिए है, जिसकी स्थापना 15 जून, 1989 को की गई थी ।

10. इस आयोजना की व्यवस्था राजमार्ग इंजीनियरों के प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा आयोजना अध्ययनों के लिए है जबकि आयोजना-भिन्न व्यवस्था जिलों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य सड़कों के लिए है जिसका वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क निधि से होता है ।

3. The provision is towards financial assistance to States for development of certain selected State roads of inter-State and economic importance for promoting better communication facilities. One of the objectives of the programme is to help in the development of regions rich in mineral resources and to provide access to areas not served by any other means of communications like Railways.

4. The Central Road Fund is a non-lapsing fund deriving its revenues from a levy of a cess @ 3.5 paise per litre on the Customs and Excise duties on taxed motor spirit. The Fund is utilised for financing construction and maintenance of approved schemes of road works in the States and Union territories.

5. The provision is intended for providing loan assistance to the Government of West Bengal for construction of second bridge over the river Hooghly in Calcutta to meet the growing requirement of traffic in the metropolitan city of Calcutta. The target date for completion of this bridge is 31st December, 1991.

6&7. The provisions, which are for accounting adjustments, represent the net amount of transfers to the Central Road Fund and National Highways permanent Bridges Fees Fund, in the Public Account of India, and withdrwals out of the Funds.

8. The provision is for non-plan loans to Indian Roads Construction Corporation Ltd, a Government Company, which undertakes construction and development of roads and bridges and related engineering works in India and abroad. The Company is executing works of 4 sectors (42 Kms.) of Calcutta - Durgapur Expressway, which are estimated to cost Rs.32.89 crores. The provisionin 1991-92 is intended to enable the Company to clear certain outstanding external debt obligations.

9. The Plan provision is for grant assistance to National Highway Authority which was set up on 15th June, 1989.

10. The Plan provision is for training of highway engineers and research and planning studies while the non-plan provision is for districts and other roads in union teritories financed from subventions from the Central Road Fund.

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

मांग संख्या DEMAND No.76

पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन Ports, Light houses & Shipping

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries and receipts are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		3.10	94.45	97.55	2.65	81.45	84.10	4.32	101.16	105.48
पूंजी	*Capital*		*215.37*	*-23.80*	*191.57*	*213.23*	*200.71*	*413.94*	*230.68*	*-8.80*	*221.88*
जोड़	**Total**		**218.47**	**70.65**	**289.12**	**215.88**	**282.16**	**498.04**	**235.00**	**92.36**	**327.36**
पत्तन और दीपस्तम्भ	**Ports and Lighthouses**										
पत्तन	*Ports:*										
1. तलकर्षण और सर्वेक्षण संगठन	1. Dredging and Survey Organisation	3051	...	43.78	43.78	...	35.87	35.87	...	37.98	37.98
2. लघु पत्तनों का विकास	2. Development of Minor Ports	5051	15.00	...	15.00	9.40	...	9.40	9.98	...	9.98
		7601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.35	...	0.35
जोड़		*Total*	*16.00*	...	*16.00*	*10.40*	...	*10.40*	*10.33*	...	*10.33*
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	3051	0.30	0.32	0.62	0.30	0.32	0.62	0.20	2.02	2.22
जोड़-पत्तन	**Total - Ports**		**16.30**	**44.10**	**60.40**	**10.70**	**36.19**	**46.89**	**10.53**	**40.00**	**50.53**
दीपस्तम्भ	*Light Houses*										
4. निदेशन और प्रशासन	4. Direction and Administration	3051	...	2.64	2.64	...	2.67	2.67	...	2.96	2.96
5. दीपस्तंभ और दीप पोत	*5. Light Houses and Light Ships*										
5.01 सकल कार्यचालन व्यय	5.01 Gross Working Expenditure	3051	...	20.26	20.26	...	20.23	20.23	...	20.04	20.04
5.02 घटाइए - प्राप्तियां	5.02 Less Receipts	1051	...	-22.90	-22.90	...	-22.90	-22.90	...	-23.00	-23.00
5.03 निवल	5.03. Net		...	-2.64	-2.64	...	-2.67	-2.67	...	-2.96	-2.96
6. दीपस्तंभ और नौचालन संबंधी अन्य सहायक साधनों का निर्माण और विकास	6. Construction and Development of Lighthouses and other Navigational Aids	5051	24.00	-24.00	...	8.43	-8.43	...	24.00	-24.00	...
जोड़-दीपस्तम्भ और दीपपोत	**Total - Light Houses**		**24.00**	**-24.00**	**0.00**	**8.43**	**-8.43**	**...**	**24.00**	**-24.00**	**...**
जोड़-पत्तन और दीपस्तम्भ	***Total - Ports and Light Houses***		***40.30***	***20.10***	***60.40***	***19.13***	***27.76***	***46.89***	***34.53***	***16.00***	***50.53***
नौवहन	*Shipping*										
7. महानिदेशक, नौवहन	7. Director General, Shipping	3052	...	8.74	8.74	...	7.90	7.90	...	9.18	9.18
8. पोत अधिग्रहण के लिए उधारों पर ब्याज विभेदक	8. Interest differentials on loans for acquisition of ships.	3052	...	16.25	16.25	...	16.25	16.25	...	16.25	16.25
9. भारतीय नौवहन निगम को आर्थिक सहायता	9. Subsidy to Shipping Corporation of India	3052	...	13.36	13.36	...	13.41	13.41	...	13.72	13.72
10. ऋणों का इक्विटी निवेश में रूपान्तरण-भारतीय नौवहन निगम लि.	10. Conversion of Loans into Equity investment - Shipping Corporation of India Ltd	5052	...	...	...	...	191.04	191.04	...	...	...
11. अन्य व्यय	11. Other Expenditure	5052	1.82	...	1.82	1.82	...	1.82	2.70	...	2.70
पोत निर्माण	*Ship Building:*										
12. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को आयोजना-भिन्न उधार	12. Non-Plan Loans to Hindustan Shipyard Ltd.	6858	...	...	...	...	18.00	18.00	...	15.00	15.00
13. अन्य आर्थिक सहायताएं	13. *Other subsidies:*										
13.1 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	13.01 Hindusthan Shipyard Ltd.	2852	...	...	...	...	...	...	...	4.24	4.24
13.02 कोचीन शिपयार्ड लि.	13.02 Cochin Shipyard Ltd.	2852	...	9.00	9.00	...	6.70	6.70	...	15.77	15.77
13.03 ट्रालर विकास निधि	13.03 Trawler Development Fund	2852	...	3.00	3.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
जोड़		*Total*	...	*12.00*	*12.00*	...	*7.70*	*7.70*	...	*22.01*	*22.01*
14. अन्य व्यय	14. Other Expenditure	2852	2.55	...	2.55	2.25	...	2.25	3.62	...	3.62
		3601	0.25	...	0.25	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
		6250	...	0.20	0.20	...	0.10	0.10	...	0.20	0.20
जोड़		*Total*	*2.80*	*0.20*	*3.00*	*2.35*	*0.10*	*2.45*	*4.12*	*0.20*	*4.32*
जोड़-नौवहन	**Total - Shipping**		**4.62**	**50.55**	**55.17**	**4.17**	**254.40**	**258.57**	**6.82**	**76.36**	**83.18**
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
15. भागीरथी-हुगली नदियों पर सुधारात्मक कार्य (कलकत्ता पत्तन न्यास के माध्यम से)	15. Corrective works on Bhagirathi - Hooghly Rivers (through Calcutta Port Trust)	5075	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	16. Investments in Public Enterprises	7051	87.10	...	87.10	104.48	...	104.48	138.98	...	138.98
		7052	71.00	...	71.00	71.00	...	71.00	30.29	...	30.29
		4858	3.06	...	3.06	4.66	...	4.66	7.13	...	7.13
		6858	7.39	...	7.39	8.44	...	8.44	12.25	...	12.25
जोड़		*Total*	*168.55*	...	*168.55*	*188.58*	...	*188.58*	*188.65*	...	*188.65*
कुल जोड़	*Grand Total*		*218.47*	*70.65*	*289.12*	*215.88*	*282.16*	*498.04*	*235.00*	*92.36*	*327.36*
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
पत्तन	*Ports:*										
16.01 कलकत्ता पत्तन न्यास	16.01 Calcutta Port Trust	13051	4.00	58.24	62.24	9.25	18.33	27.58	11.00	53.00	64.00
16.02 हल्दिया गोदी	16.02 Haldia Dock	13051	13.00	25.74	38.74	11.10	8.67	19.77	20.35	16.65	37.00
16.03 कोचीन पत्तन न्यास	16.03 Cochin Port Trust	13051	19.00	31.00	50.00	12.43	20.87	33.30	24.60	12.43	37.03

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
16.04 पारादीप पत्तन	16.04 Paradip Port	13051	2.61	7.00	9.61	2.61	7.00	9.61	15.00	25.00	40.00
16.05 तूतिकोरिन पत्तन	16.05 Tuticorin Port	13051	1.03	5.07	6.10	1.03	5.07	6.10	2.95	6.00	8.95
16.06 जवाहर लाल नेहरू पत्तन	16.06 Jawahar Lal Nehru Port	13051	12.00	100.10	112.10	42.00	3.00	45.00	35.00	30.00	65.00
16.07 नया मंगलौर पत्तन	16.07 New Mangalore Port	13051	...	5.48	5.48	...	7.17	7.17	3.02	5.54	8.56
16.08 मद्रास पत्तन न्यास	16.08 Madras Port Trust	13051	10.00	31.88	41.88	17.58	22.23	39.81	16.48	38.52	55.00
16.09 बम्बई पत्तन न्यास	16.09 Bombay Port Trust	13051	5.00	38.12	43.12	1.48	17.60	19.08	10.58	29.42	40.00
16.10 नया कांडला पत्तन न्यास	16.10 New Kandla Port Trust	13051	...	31.49	31.49	...	23.92	23.92	...	55.00	55.00
16.11 मारमागोवा पत्तन	16.11 Mormugao Port	13051	...	5.76	5.76	...	5.76	5.76	...	7.10	7.10
16.12 विशाखापत्तनम पत्तन	16.12 Visakhapatnam Port	13051	...	40.00	40.00	...	37.05	37.05	...	59.79	59.79
16.13 जिग्गर खाली	16.13 Jiggar Khali	13051	20.46	...	20.46	7.00	...	7.00	...	7.00	7.00
जोड़ - पत्तन	**Total - Ports**	13051	**87.10**	**379.88**	**466.98**	**104.48**	**176.67**	**281.15**	**138.98**	**345.45**	**484.43**
16.14 भारतीय तलकर्षण निगम	16.14 Dredging Corporation of India	13051	...	32.50	32.50	...	32.50	32.50	...	20.04	20.04
पोत-निर्माण	**Ship-building**										
16.15 हिन्दुस्तान शिपयार्ड	16.15 Hindustan Shipyard	12858	2.00	...	2.00	5.61	...	5.61	5.08	...	5.08
16.16 कोचीन शिपयार्ड	16.16 Cochin Shipyard	12858	2.41	...	2.41	6.39	...	6.39	5.86	...	5.86
16.17 हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरिंग कम्पनी लि.	16.17 Hooghly Dock and Ports Engineering Co.Ltd.	12858	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.50	...	3.50
16.18 कलकत्ता पत्तन न्यास	16.18 Calcutta Port Trust	12858	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
16.19 बम्बई पत्तन न्यास	16.19 Bombay Port Trust	12858	4.94	2.00	6.94	...	2.00	2.00	3.94	2.00	5.94
जोड़-पोत-निर्माण	**Total - Ship-building**		**10.45**	**2.00**	**12.45**	**13.10**	**2.00**	**15.10**	**19.38**	**2.00**	**21.38**
नौवहन	**Shipping**										
16.20 भारतीय नौवहन निगम	16.20 Shipping Corporation of India	13052	71.00	634.30	705.30	71.00	550.97	621.97	30.29	573.71	604.00
जोड़-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	**Total Investments in Public Enterprises**		**168.55**	**1048.68**	**1217.23**	**188.58**	**762.14**	**950.72**	**188.65**	**941.20**	**1129.85**
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan outlay***										
1. इंजीनियरी उद्योग	1. Engineering Industries	12858	13.00	2.00	15.00	15.35	2.00	17.35	23.00	2.00	25.00
2. पत्तन और दीपस्तंभ	2. Ports and Light Houses	13051	127.40	412.38	539.78	123.61	209.17	332.78	173.51	365.49	539.00
3. नौवहन	3. Shipping	13052	73.70	634.30	708.00	73.71	550.97	624.68	37.29	573.71	611.00
4. अन्य परिवहन सेवाएं	4. Other Transport Services	13075	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
जोड़	**Total**		**219.10**	**1048.68**	**1267.78**	**216.67**	**762.14**	**978.81**	**238.80**	**941.20**	**1180.00**

* इसमें शहरी विकास मंत्रालय की मांग में निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है ।
*Inclusive of Works outlay provided in the Demands of the Ministry of Urban Development

मांग संख्या 78	Demand No.78	13052	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...
मांग संख्या 79	Demand No.79	13052	0.63	...	0.63	0.77	...	0.77	3.80	...	3.80
जोड़	**Total**		**0.63**	**...**	**0.63**	**0.79**	**...**	**0.79**	**3.80**	**...**	**3.80**

1. इस व्यवस्था में, कलकत्ता पत्तन न्यास को हुगली नदी और हल्दिया जलमार्ग चैनल के तलकर्षण और अनुरक्षण के लिए अदायगी और लघु पत्तन, सर्वेक्षण संगठन का स्थापना संबंधी व्यय शामिल है ।

1. The provision comprises payment to Calcutta Port Trust for dredging and maintenance of the river Hooghly and the Haldia Channel and expenditure on the establishment of minor ports survey organisation.

2. यह व्यवस्था अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में अवतरण सुविधाओं और जेटियों के निर्माण, सर्वेक्षण के लिए उपस्कर की खरीद तथा लघु और मध्यम पत्तनों के विकास के वास्ते राज्य सरकारों को ऋण-सहायता के लिए है ।

2. The provision is for construction of landing facilities and jetties in Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands, purchase of equipment for surveying and loan assistance to State Governments for development of minor and intermediate ports.

3. यह आयोजना व्यवस्था, अनुसंधान और विकास संबंधी योजनाओं के व्यय के लिए है। यह आयोजना-भिन्न व्यवस्था अंडमान और लक्षद्वीप बन्दरगाह संबंधी निर्माण कार्यों आदि के स्थापना प्रभारों के लिए है।

3. The Plan provision is for expenditure on research and development schemes. The non-Plan provision is for establishment charges in respect of Andaman and Lakshadweep Harbour Works, etc.

4 से 6. दीपस्तम्भ और दीपपोत संगठन, सरकार का एक वाणिज्यिक उपक्रम है, जो नौचालन संबंधी सहायक-साधनों की व्यवस्था करता है, जिनमें बोयास, डेकानेवीगेटर चेन, रेडियो बीकन आदि शामिल हैं । यह संगठन पोतों के दिशा निर्देश के लिए दीपस्तम्भों का निर्माण और रख-रखाव भी करता है । यह आयोजना व्यवस्था, दीप स्तंभों के निर्माण और विकास पर होने वाले पूंजी व्यय तथा अन्य नौचालन संबंधी सहायक-साधनों के लिए है और इसे दीपस्तम्भ और दीपपोत की सामान्य आरक्षित निधि से पूरा किया जाता है।

4-6. The lighthouses and lightships organisation is a Commercial undertaking of the Government which provides navigational aids, including buoys, decca navigator chains, radio beacons, etc. It also undertakes construction and maintenance of lighthouses for guidance of ships. The Plan provision is for the capital expenditure, on construction and development of lighthouses and other navigational aids; it is met from the General Reserve Fund of the LH&LS.

7. यह व्यवस्था नौवहन महानिदेशालय की स्थापना के लिए है, जो वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है । यह वाणिज्यिक नौवहन कानूनों से संबंधित सभी मामलों के लिए नियमन संबंधी कार्य करता है । यह निदेशालय, नाविकों के कल्याण की देख-रेख के अलावा मर्चेन्ट नेवी के प्रशिक्षण की सुविधाएं भी प्रदान करता है ।

7. The provision is for the establishment of Directorate General, Shipping, which is a statutory authority under the Merchant Shipping Act, 1958. It renders regulatory functions for all matters relating to merchant shipping laws. The Directorate also provides facilities for training for merchant navy besides looking after the welfare of seamen.

8. नौवहन कम्पनियों को विदेशों से पोत अधिग्रहित करने के लिए 7.5 प्रतिशत और देश में ही पोतों का निर्माण करने के लिए 6.75 प्रतिशत

8. Loans to shipping companies are provided at a concessional rate of interest of 7.5% for acquisition of ships from abroad and 6.75%

ब्याज की रियायती दर पर ऋण दिए जाते हैं । ब्याज की सामान्य दर पर अर्जित ब्याज और ब्याज की रियायती दर पर अर्जन योग्य ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति तदनुसार भारतीय नौवहन निगम को कर दी जाती है । भारतीय नौवहन निगम ने विदेशों से पोत अधिग्रहित करने के लिए चार नामित बैंकों से ऋण लिए थे । बैंकों द्वारा लिए जाने वाले ब्याज और 7.5 प्रतिशत की रियायती दर पर लिए जाने वाले ब्याज के अन्तर की प्रतिपूर्ति भी भारतीय नौवहन निगम को की जाती है । इस व्यवस्था में, पोतों का अभिग्रहण करने के लिए ऋणों पर ब्याज विभेदकों और भारतीय नौवहन निगम द्वारा लिए गए बैंक ऋणों पर ब्याज की अदायगी शामिल की गई है।

9. भारतीय नौवहन निगम, मुख्य भूमि और अंदमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्य भूमि और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के बीच यात्री सेवा और बम्बई एवं जेद्दा के बीच हज यात्री सेवा का संचालन करता है । आर्थिक सहायता की व्यवस्था इन नौवहन सेवाओं के संचालन पर होने वाली प्रचालन संबंधी हानियों को पूरा करने के लिए है ।

10. संशोधित अनुमानों में की गई व्यवस्था, भारतीय नौवहन निगम के पिछले ऋणों को उसके पूंजी आधार की पुनर्संरचना के प्रस्ताव के आधार पर इक्विटी-पूंजी में बदलने के संबंध में है।

11. यह व्यवस्था नाविकों के प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुविधाओं से संबंधित है।

12. यह व्यवस्था हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को आयोजना-भिन्न अर्थोपाय ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए है ताकि उसे अपने स्टाफ को वेतन का भुगतान करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

13. यह व्यवस्था ट्रालर विकास निधि को अंशदान देने के अलावा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आर्थिक सहायताओं की अदायगी करने के लिए है । इन शिपयार्डों को पोत निर्माण संबंधी आर्थिक सहायता पोतों के अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर दी जाती है । ट्रालर विकास समर्थन के लिए आर्थिक सहायता के रूप में स्वदेशी शिपयार्डों को मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के निर्माण की अनुमोदित लागत के 33 प्रतिशत तक की राशि दी जाती है ।

14. यह व्यवस्था पोत संबंधी सहायक विकास कार्यों, राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, पोत निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास योजनाओं को सहायता अनुदान देने, अवतरण पोत उद्योग को आर्थिक सहायता देने तथा गोदी कामगारों के संबंध में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं को लागू करने के लिए गोदी मजदूर बोर्डों को सहायता देने के लिए है।

15. यह व्यवस्था भागीरथी-हुगली नदियों में सुधारात्मक निर्माण कार्यों के लिए कलकत्ता पत्तन न्यास को अदायगी करने के लिए की गई है।

16. इस व्यवस्था में मुख्य पत्तन न्यासों, भारतीय नौवहन निगम, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लिमिटेड और भारतीय ड्रेजिंग निगम के आयोजना व्यय के लिए बजट समर्थन शामिल है ।

पत्तन न्यासों को आयोजना-सहायता मुख्यतः पत्तनों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, ताकि ये पत्तन वहां आने वाले पोतों की किस्म और वहां उनके द्वारा लादे/ढोए जाने वाले माल की मात्रा और किस्म के अनुरूप बन सकें और पत्तनों पर वर्तमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन करने के लिए दी जाती है।

पोतों का अधिग्रहण करने के लिए भारतीय नौवहन निगम को ऋण सहायता दी जाती है और वर्तमान सुविधाओं का नवीकरण/आधुनिकीकरण और उनमें वृद्धि करने पर उनका उपयोग करने के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. और कोचीन शिपयार्ड लि., हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियरी कम्पनी लि. (एच.डी.पी.ई.) को सहायता दी जाती है ।

for getting ships built indigenously. The difference between the interest accrued as per the normal rate of interest and that accruable as per the concessional rate of interest is accordingly reimbursed to the Shipping Corporation of India. The SCI had also taken loans from four nominated Banks for acquisition of ships from abroad. The difference between interest charged by the Banks and that leviable as per the concessional rate of 7.5% is also reimbursed to SCI. The provision made covers payment of interest differentials on loans for acquisition of ships and interest on Bank loans availed of by the SCI.

9. The Shipping Corporation of India runs passenger services between mainland and Andaman Nicobar Islands, mainland and Lakshadweep Islands and Haj pilgrim service between Bombay and Jeddah. The provision for subsidy is for meeting the operational losses for running these shipping services.

10. The provision in the Revised Estimates is for conversion of loans outstanding against Shipping Corporation of India, into investments in its equity capital, on the basis of a proposal to restructure its capital base.

11. The provision relates to facilities for training and other welfare schemes for the benefit of seamen.

12. The provisions are for non-Plan ways and means loan assistance to Hindustan Shipyard Ltd., to enable the company to meet expenditure on payment of salary to its staff.

13. The provision is towards payment of subsidies to the Hindustan Shipyard Ltd. and the Cochin Shipyard Ltd. besides contribution to the trawler development fund. The ship building subsidy to the shipyards is provided at the rate of 20% of international parity price of ship. The subsidy for trawler development support is provided to the indigenous shipyards to the extent of 33% of the approved cost of building a fishing trawler.

14. The provision is for giving grants-in-aid for ship ancillary development, National Ship Design and Research Centre, research and development schemes for ship-building, subsidy to sailing vessel industry and assistance to Dock Labour Boards for implementation of voluntary retirement schemes for dock labours.

15. The provision is for payment to Calcutta Port Trust for corrective works in the Bhagirathi-Hooghly rivers.

16. The provision includes budgetary support for the Plan expenditure of major port trusts, Shipping Corporation of India, Hindustan Shipyard Ltd., Cochin Shipyard Ltd., Hooghly Dock and Ports Engineering Company Ltd and Dredging Corporation of India.

The Plan assistance to Port Trusts mainly relate to development of infrastructure at the ports to match the type of vessels as also the volume and types of cargo to be handled by them and for modernisation, renovation and replacement of the existing facilities at the ports.

Loan assistance to SCI is provided for acquisition of ships and the assistance provided to HSL, CSL and HDPE is intended for utilisation on renovation/modernisation and augmentation of existing facilities.

वस्त्रोद्योग मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

मांग संख्या DEMAND No.77

वस्त्रोद्योग, मंत्रालय Ministry of Textiles

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		119.63	565.96	685.59	114.63	541.81	656.44	184.99	573.94	758.93
पूंजी	*Capital*		*98.53*	*183.07*	*281.60*	*82.83*	*167.07*	*249.90*	*49.55*	*134.25*	*183.80*
जोड़	**Total**		**218.16**	**749.03**	**967.19**	**197.46**	**708.88**	**906.34**	**234.54**	**708.19**	**942.73**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	3451	...	1.05	1.05	...	1.40	1.40	...	1.54	1.54
ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	**Village and Small Industries**										
हथकरघा उद्योग	***Handloom Industries***										
2. हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता	2. Handloom Subsidy :										
2.01 हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	2.01 Special rebate on handloom cloth	3601	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	65.00	65.00
2.02 जनता कपड़े पर आर्थिक सहायता	2.02 Subsidy on Janata Cloth	3601	...	169.00	169.00	...	136.00	136.00	...	137.91	137.91
2.03 अन्य	2.03 Others	2851	...	1.50	1.50	...	1.76	1.76	...	2.09	2.09
जोड़		*Total*	...	*220.50*	*220.50*	...	*187.76*	*187.76*	...	*205.00*	*205.00*
3. हथकरघों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	3. Centrally Sponsored Schemes in Handlooms	3601	10.50	...	10.50	8.50	...	8.50	14.60	...	14.60
		7601	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	4.00	...	4.00
जोड़		*Total*	*20.50*	...	*20.50*	*16.50*	...	*16.50*	*18.60*	...	*18.60*
4. अन्य हथकरघा योजनाएं	4. Other Handloom Schemes	2851	15.48	4.78	20.26	12.48	5.12	17.60	23.55	5.70	29.25
		3602	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.40	1.40
		4851	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*17.48*	*5.88*	*23.36*	*14.48*	*6.22*	*20.70*	*26.55*	*7.10*	*33.65*
जोड़- हथकरघा उद्योग	***Total - Handloom Industries***		***37.98***	***226.38***	***264.36***	***30.98***	***193.98***	***224.96***	***45.15***	***212.10***	***257.25***
हस्तशिल्प उद्योग	***Handicraft Industries***										
5. हस्तशिल्प में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	5. Centrally Sponsored Schemes in Handicrafts	3601	0.52	...	0.52	0.52	...	0.52	...	...	...
		7601	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	...	...	...
जोड़		*Total*	*0.60*	...	*0.60*	*0.60*	...	*0.60*	...	...	...
6. अन्य हस्तशिल्प योजनाएं	6. Other Handicrafts Schemes	2851	16.78	5.67	22.45	16.78	5.25	22.03	30.40	5.51	35.91
		4851	2.85	...	2.85	2.85	...	2.85	3.75	...	3.75
जोड़		*Total*	*19.63*	*5.67*	*25.30*	*19.63*	*5.25*	*24.88*	*34.15*	*5.51*	*39.66*
जोड़- हस्तशिल्प उद्योग	***Total - Handicraft Industries***		***20.23***	***5.67***	***25.90***	***20.23***	***5.25***	***25.48***	***34.15***	***5.51***	***39.66***
रेशम उद्योग	**Sericulture**										
7. केन्द्रीय सिल्क बोर्ड	7. Central Silk Board	2851	70.80	8.81	79.61	70.80	7.81	78.61	106.60	9.09	115.69
		6851	0.40	0.10	0.50	0.40	0.10	0.50	0.40	0.25	0.65
जोड़		*Total*	*71.20*	*8.91*	*80.11*	*71.20*	*7.91*	*79.11*	*107.00*	*9.34*	*116.34*
8. अन्य रेशम उद्योग योजनाएं	8. Other Sericulture Schemes	2851	0.75	0.25	1.00	0.75	0.25	1.00	0.75	0.30	1.05
जोड़ - रेशम उद्योग	**Total - Sericulture**		**71.95**	**9.16**	**81.11**	**71.95**	**8.16**	**80.11**	**107.75**	**9.64**	**117.39**
विद्युतकरघा उद्योग	***Powerloom Industries***										
9. अन्य विद्युतकरघा योजनाएं	9. Other Powerloom Schemes	2851	0.45	0.30	0.75	0.45	0.32	0.77	2.39	0.35	2.74
जोड़-ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	**Total-Village and Small Industries**		**130.61**	**241.51**	**372.12**	**123.61**	**207.71**	**331.32**	**189.44**	**227.60**	**417.04**
उपभोक्ता उद्योग	**Consumer Industries**										
10. मूल्य समर्थन कार्य	10. Price support operations										
10.01 जूट	10.01 Jute	2852	...	12.00	12.00	...	7.00	7.00	...	6.00	6.00
10.02 कपास	10.02 Cotton	2852	...	20.00	20.00	...	...	...	...	10.00	10.00
जोड़		*Total*	...	*32.00*	*32.00*	...	*7.00*	*7.00*	...	*16.00*	*16.00*
11. उपकर संग्रह के एवज में अदायगियां	11. Payments against Cess Collections:										
11.01 वस्त्रोद्योग	11.01 Textiles	2852	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	6.50	6.50
11.02 जूट	11.02 Jute	2852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	8.00	8.00
जोड़		*Total*	...	*10.50*	*10.50*	...	*10.50*	*10.50*	...	*14.50*	*14.50*
12. वस्त्र आयुक्त	12. Textile Commissioner	2852	...	3.21	3.21	...	3.21	3.21	...	3.40	3.40
13. वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम	13. Other programmes for development of textiles.	2852	3.60	10.06	13.66	3.60	53.15	56.75	5.90	62.56	68.46
13.01 वस्त्रोद्योग निर्यात संवर्धन के लिए अनुदान	13.01 Grants for Textile Export Promotion	3453	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
13.02 राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अनुदान	13.02 Grants to National Textile Corporation	2852	...	25.00	25.00	...	15.00	15.00	...	18.00	18.00
जोड़		*Total*	*3.60*	*35.09*	*38.69*	*3.60*	*68.18*	*71.78*	*5.90*	*80.59*	*86.49*
14. जूट आयुक्त	14. Jute Commissioner	2852	...	0.49	0.49	...	0.47	0.47	...	0.50	0.50
15. जूट-विकास के लिए अन्य कार्यक्रम	15. Other programmes for development of jute.	2852	12.75	2.20	14.95	12.75	2.05	14.80	12.80	2.90	15.70
		3601	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
जोड़		*Total*	*20.75*	*2.20*	*22.95*	*20.75*	*2.05*	*22.80*	*20.80*	*2.90*	*23.70*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		Major Head	1990-91 Budget Plan	1990-91 Budget Non-Plan	1990-91 Budget Total	1990-91 Revised Plan	1990-91 Revised Non-Plan	1990-91 Revised Total	1991-92 Budget Plan	1991-92 Budget Non-Plan	1991-92 Budget Total
16. जूट विकास निधि को/से अंतरण	16. Transfer to/from Jute Development Fund	2852	-12.00	...	-12.00	-12.00	...	-12.00	-12.00	...	-12.00
		3601	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00	-8.00	...	-8.00
17. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायताएं	17. Interest subsidies										
17.01 राष्ट्रीय वस्त्र निगम	17.01 National Textile Corporation	2852	...	230.00	230.00	...	229.68	229.68	...	210.00	210.00
17.02 बिन्नी एण्ड कम्पनी	17.02 Binny & Co.	2852	...	0.01	0.01	...	1.71	1.71	...	2.16	2.16
जोड़		*Total*	...	*230.01*	*230.01*	...	*231.39*	*231.39*	...	*212.16*	*212.16*
जोड़ - उपभोक्ता उद्योग	**Total-Consumer Industries**		**4.35**	**313.50**	**317.85**	**4.35**	**322.80**	**327.15**	**6.70**	**330.05**	**336.75**
नागरिक आपूर्ति	***Civil Supplies***										
18. मिल निर्मित कंट्रोल के कपड़े पर आर्थिक सहायता	18. Subsidy on Mill-made Controlled Cloth	3456	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00
19. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	19. Non-Plan Investments in Public Enterprises										
19.01 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	19.01 National Textile Corporation	4860	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	7.00	7.00
19.02 जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 25 (i) के अन्तर्गत अदायगी	19.02 Payment under Section 25(i) of Jute Companies (Nationalisation) Act	4860	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
जोड़		*Total*	...	*1.70*	*1.70*	...	*1.70*	*1.70*	...	*7.20*	*7.20*
20. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण	20. Non-Plan loans to Public Enterprises										
20.01 उत्तरी-पूर्वी हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम	20.01 North Eastern Handloom & Handicrafts Development Corporation	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
20.02 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	20.02 National Textile Corporation	6860	...	110.00	110.00	...	94.00	94.00	...	73.00	73.00
20.03 ब्रिटिश इंडिया निगम	20.03 British India Corporation	6860	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
20.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	20.04 National Jute Manufactures Corporation	6860	...	45.00	45.00	...	45.00	45.00	...	35.00	35.00
20.05 एल्गिन मिल्स	20.05 Elgin Mills	6860	...	10.50	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.50
20.06 कानपुर कपड़ा मिल	20.06 Cawnpur Textile Mills	6860	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	2.80	2.80
20.07 बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	20.07 Bird Jute and Export Limited	6860	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.45
जोड़		*Total*	...	*173.25*	*173.25*	...	*157.25*	*157.25*	...	*124.05*	*124.05*
21. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिक पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन	21. Implementation of Labour Rehabilitation Scheme in PSUs.										
21.01 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	21.01 National Jute Manufactures Corporation	6860	...	6.05	6.05	...	6.05	6.05	...	2.00	2.00
21.02 ब्रिटिश इंडिया निगम	21.02 British India Corporation	6860	...	1.97	1.97	...	1.97	1.97	...	0.75	0.75
जोड़		*Total*	...	*8.02*	*8.02*	...	*8.02*	*8.02*	...	*2.75*	*2.75*
22. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	22. Investments in Public Enterprises	4851	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	3.50	...	3.50
		4860	78.90	...	78.90	65.20	...	65.20	29.90	...	29.90
		6851	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	5.00	...	5.00
जोड़		*Total*	*83.20*	...	*83.20*	*69.50*	...	*69.50*	*38.40*	...	*38.40*
कुल जोड़	***Grand Total***		***218.16***	***749.03***	***967.19***	***197.46***	***708.88***	***906.34***	***234.54***	***708.19***	***942.73***

		Head of Dev.	1990-91 Budget Budget Support	1990-91 Budget IEBR	1990-91 Budget Total	1990-91 Revised Budget Support	1990-91 Revised IEBR	1990-91 Revised Total	1991-92 Budget Budget Support	1991-92 Budget IEBR	1991-92 Budget Total
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
22.01 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम	22.01 National Handloom Development Corporation	12851	1.50	...	1.50	1.50	0.76	2.26	1.50	...	1.50
22.02 राष्ट्रीय कपड़ा निगम	22.02 National Textile Corporation	12860	67.00	70.00	137.00	58.30	70.00	128.30	20.00	80.11	100.11
22.03 ब्रिटिश इंडिया निगम	22.03 British India Corporation	12860	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	7.00	...	7.00
22.04 राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	22.04 National Jute Manufactures Corporation	12860	1.90	3.32	5.22	1.90	3.32	5.22	2.90	...	2.90
22.05 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम	22.05 National Cooperative Development Corporation	12851	2.80	1.20	4.00	2.80	1.20	4.00	5.00	...	5.00
22.06 हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम	22.06 Handlooms and Handicrafts Exports Corporation	12851	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़	**Total**		**83.20**	**74.52**	**157.72**	**69.50**	**75.28**	**144.78**	**38.40**	**80.11**	**118.51**
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay:-**										
1. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	1. Village and Small Industries	12851	134.91	1.20	136.11	127.91	1.96	129.87	195.94	...	195.94
2. उपभोक्ता उद्योग	2. Consumer Industries	12860	83.25	73.32	156.57	69.55	73.32	142.87	38.60	80.11	118.71
जोड़	**Total**		**218.16**	**74.52**	**292.68**	**197.46**	**75.28**	**272.74**	**234.54**	**80.11**	**314.65**

1. **सचिवालय :** इसमें वस्त्रोद्योग मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है ।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग :

हथकरघा उद्योग :

2. **हथकरघा संबंधी आर्थिक सहायता :**

2.01. **हथकरघा कपड़ों पर विशेष छूट :** विशेष छूट की योजना के एक विकल्प के रूप में एक बाजार विकास सहायता योजना तैयार की गई है और दिनांक 1.4.89 से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत, संगठन के कार्य निष्पादन से संबद्ध हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता हथकरघा वस्त्रों, सिले-सिलाये वस्त्रों और पोशाकों के पिछले तीन वर्षों में हुए औसत कारोबार के 8 प्रतिशत के आधार पर अथवा संगठन द्वारा प्राप्त/प्राप्तव्य औसत छूट सहायता के आधार पर दी जाती है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का बराबर हिस्सा होता है ।

2.02. **जनता वस्त्र पर आर्थिक सहायता :** सरकार की लोगों को बड़ी मात्रा में क्रययोग्य मूल्य पर वस्त्र उपलब्ध कराने की नीति के अन्तर्गत हथकरघा क्षेत्र द्वारा निर्मित तथा वितरित हथकरघा जनता वस्त्रों की मात्रा पर 3.40 रु. प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सहायता दी जाती है।

2.03. **अन्य :** इसमें अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी संघ लि0 के लिए आर्थिक सहायता शामिल है ।

3. **हथकरघा क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजनाएं :** यहां की गई व्यवस्था हथकरघा के क्षेत्र में बहुत सी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जैसे निर्यात उत्पादन परियोजनाओं/विकास परियोजनाओं, प्रारंभिक समितियों को शेयर पूंजी सहायता, वर्क शेड, आवास, प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण और प्रवर्तन तंत्र की स्थापना से संबंधित आवश्यकताओं के लिए हैं ।

4. **अन्य हथकरघा योजनाएं :** यह व्यवस्था प्रचार और प्रदर्शनी, सांख्यिकी, प्रशिक्षण आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए है ।

हस्तशिल्प उद्योग

5. **हस्तशिल्पों की केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं :** इसमें हस्तशिल्प समितियों के लिए प्रबन्धकीय आर्थिक सहायता देने और हस्तशिल्पियों के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना के लिए ऋण देने की योजनाएं शामिल हैं।

6. **अन्य हस्तशिल्प योजनाएं :** इसमें कालीन बनाने की कला, धातु के बर्तन आदि जैसी विभिन्न प्रमुख कलाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने, विपणन सेवा विस्तार, प्रदर्शनी, संग्रहालयों और प्रचार की योजनाएं, राज्य हस्तशिल्प निगमों और शीर्ष सहकारी समितियों को सहायता देना शामिल है ।

7. **केन्द्रीय रेशम बोर्ड :** केन्द्रीय रेशम बोर्ड का गठन रेशम उद्योग के विकास कार्य का समन्वय करने के लिए केन्द्रीय रेशम अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत किया गया था । बोर्ड की मुख्य योजनाओं में उत्तर -पूर्वी क्षेत्र में मुगा बीज विकास परियोजना, पश्चिम बंगाल में रेशम कीट पालन का व्यापक विकास, राष्ट्रीय रेशम कृषि बीज परियोजना, मूल बीजों का गुणन तथा प्रशिक्षण केन्द्र और कीमत स्थिरीकरण योजनाएं शामिल हैं ।

8. **अन्य रेशम-उद्योग योजनाएं :** इनमें रेशम और कला-रेशम मिल अनुसंधान संघ को दिए जाने वाले अनुदान शामिल हैं ।

विद्युत चालित करघा उद्योग

9. **अन्य विद्युत चालित करघा योजनाएं :** इनमें विद्युत चालित करघों के लिए तकनीकी सेवा केन्द्र शामिल हैं ।

उपभोक्ता उद्योग

10. **जूट/कपास के लिए कीमत समर्थन संबंधी कार्य :** इसमें भारतीय जूट निगम और भारतीय कपास निगम को उनकी कीमत समर्थन कार्यों के कारण हुई हानियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए व्यवस्था है ।

11 **कपड़े/जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में अदायगियां :** इसके अन्तर्गत वस्त्रोद्योग समिति द्वारा संग्रह किए गए उपकर में से समिति को अदायगी करने की व्यवस्था की गई है ताकि समिति निर्यात के लिए निर्धारित वस्त्रों और वस्त्र निर्माण मशीनरी का निरीक्षण जहाज में लदान से पहले कर सके । इसमें जूट पर उपकर के संग्रह के एवज में जूट से बनी वस्तुओं संबंधी विकास परिषद को अदायगी करने के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

12. **वस्त्र आयुक्त :** वस्त्र आयुक्त, वस्त्रोद्योग के विकास की देखभाल करता है और इसमें वस्त्रोद्योग के सभी पहलू जैसे कि लक्ष्य, उत्पादन, नई/अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करना, विभिन्न मिलों को कपास का आबंटन, वस्त्रों, कच्चे माल की पूर्ति और वितरण, मशीनरी का आयात, वस्त्रों का निर्यात, कीमतों की मानिटरिंग आदि शामिल है ।

1. **Secretariat :** Provides for Secretariat expenditure of the Ministry of Textiles.

VILLAGE AND SMALL INDUSTRIES:

Handloom Industries :

2. **Handloom subsidy :**

2.01. **Special rebate on handloom cloth :** A Market Devlopment Assistance Scheme has been formulated and being implemented from 1.4.89 as an alternative to Special rebate scheme. Under this scheme, assistance is provided to handloom sector linked with performance of the organisation. The asistance is on the basis of 8% of the average turnover of the handloom fabrics, made-ups and garments for the past 3 years or on the basis of average rebate assistance received/receivable by the organisation and shared equally by the State and Central Govt.

2.02. **Subsidy on Janata Cloth :** Under the Government's Policy of making available cloth at affordable prices to the masses a subsidy of Rs. 3.40 per square metre is paid on the quantum of handloom Janata Cloth produced and delivered by the handloom sector.

2.03. **Others :** Include provision for subsidy to All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Ltd.,etc.

3. **Centrally Sponsored Schemes in Handlooms :** The provision here covers the requirement in respect of a number of Centrally sponsored schemes in the handloom sector like export production projects/development projects, share capital assistance for the primary societies, workshed, housing, creation of processing facilities, setting up of Enforcement Machinery, etc.

4. **Other Handloom Schemes :** The provision is for programmes like publicity and exhibition, statistics, training etc.

Handicraft Industries

5. **Centrally sponsored schemes in Handicrafts :** Include schemes for managerial subsidy for handicrafts societies and loans for setting up of primary co-operative societies for handicrafts workers.

6. **Other Handicrafts Schemes :** Include schemes for training in various major crafts like carpet art, metal wares, etc., marketing service extension, exhibitions, museums and publicity; assistance to State Handicrafts Corporations and Apex Co-operative Societies.

7. **Central Silk Board :** Central Silk Board was constituted under Central Silk Act, 1948 to coordinate the development of silk industry. Major schemes of the Board include Muga seed development project in North eastern region, intensive development of sericulture in West Bengal, National silk worm seed project, basic seed multiplication and training centres and price stabilisation scheme.

8. **Other Sericulture Schemes :** Include grants to Silk and Art Silk Mills Research Association.

Powerloom Industries

9. **Other Powerloom Schemes :** Include technical service centres for powerlooms.

CONSUMER INDUSTRIES

10. **Price Support Operations for Jute/Cotton :** Provision is for reimbursement of losses incurred by the Jute Corporation of India and Cotton Corporation of India in their price support operations.

11. **Payments against Cess Collections on Textiles/Jute :** Provide for payment to Textiles committee from out of the cess collected by the committee for enabling it to undertake preshipment inspection of textiles and textile machinery meant for export and payment to Development Council for Jute Manufactures against collection of cess on Jute.

12. **Textile Commissioner :** Textile Commissioner looks after the development of textile industry including all aspects of textile industry targets, production, licensing new/additional capacity, allocation of cotton to various mills, supply and distribution of textiles, raw materials, import of machinery, export of textiles monitoring price etc.

13. **वस्त्रोद्योग के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत मुख्यतः वस्त्र अनुसंधान संघों को अनुदान देने की व्यवस्था है ।

13.01. **वस्त्र निर्यात संवर्धन के लिए अनुदान :** इसमें वस्त्र निर्यात संवर्धन निधि में अनुदान देने की व्यवस्था है । चूंकि यह योजना न्यायनिर्णयनाधीन है इसलिए एक मामूली व्यवस्था की गई है ।

13.02. **राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अनुदान :** इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वियन के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अनुदान देने की व्यवस्था है ।

14. **जूट आयुक्त :** जूट आयुक्त, भारत में जूट उद्योग के विकास और जूट मिल संबंधी मशीनरी के विकास की देखभाल करता है । यह, जूट वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1956 और जूट (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश, 1961 को भी प्रशासित करता है ।

15. **जूट के विकास के लिए अन्य कार्यक्रम :** इसके अन्तर्गत मुख्यतः भारतीय जूट उद्योग अनुसंधान संघ को अनुदान देने और अधिग्रहीत/राष्ट्रीयकृत जूट कम्पनियों के सम्बन्ध में अदायगियां करने के लिए व्यवस्था है । इसमें जूट कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये जूट विशेष विकास निधि से की जाने वाली व्यवस्था भी सम्मिलित है ।

16. **जूट विकास निधि को/से अन्तरण :** इसका संबंध विशेष जूट विकास निधि के अंतर्गत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जमा खाते से दी जाने वाली आवश्यक निधि से है ।

17. **ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता :** इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम और बिन्नी एण्ड कं0 को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता दी जाती है ।

नागरिक पूर्ति :

18. **मिल के बने कंट्रोल के कपड़े पर आर्थिक सहायता :** आर्थिक सहायता की स्कीम का ब्यौरा ऊपर दिया गया है ।

19. **सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश :** इसमें रूग्ण वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 (1), वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) अधिनियम, 1983 की धारा 5 (1) के अन्तर्गत अदायगी और जूट कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम की धारा 25(i) के अंतर्गत अदायगी शामिल है ।

20. **सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण :** राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्टीय जूट उत्पादन निगम, बी. आई. सी. आदि की नकद हानियों और कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है ।

21. **श्रमिक पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन :** राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम और ब्रिटिश इंडिया निगम को श्रमिक अभिनवीकरण/स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजनाओं के लिए 2.75 करोड़ रुपए की आयोजना-भिन्न व्यवस्था की गई है।

22. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चल रही योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी और ऋण की व्यवस्था की गई है । इन उद्यमों को दिए जाने वाले बजट समर्थन का इक्विटी और ऋणवार ब्यौरा तथा आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधनों का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड । में दिया गया है ।

22.01 **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम :** राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को राज्य हथकरघा सोसायटियों के प्रयास को अनुपूरित करके और अन्य एजेंसियों आदि के विपणन प्रयासों में वृद्धि करके हथकरघा बुनकरों को सूत (यार्न), रंग और अन्य मिविष्टियां मुहैय्या कराने का दायित्व सौंपा गया है ।

22.02 **राष्ट्रीय वस्त्र निगम :** राष्ट्रीय वस्त्र निगम की स्थापना सरकार द्वारा अपने हाथ मे ली गई रुग्ण मिलों के कार्यों के प्रबन्ध के लिए की गई थी । निगम 124 मिलों का संचालन कर रहा है, जिनकी स्थापित क्षमता 3.87 करोड़ तकलियां और 48600 करघे हैं । रूग्ण मिलों को कार्यक्षम बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

22.03 **ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन :** ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की दो ऊनी मिलें, अर्थात् कानपुर वुलन मिल्स, कानपुर और न्यू एगटन वूलन मिल्स, धारीवाल है ।

22.04 **राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम :** इसकी स्थापना 6 राष्ट्रीयकृत जूट मिलों को चलाने के लिए की गई थी । इन मिलों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य भी आरंभ किया गया है ।

22.05 **राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) :** एन.सी.डी.सी. को ऋण इसलिए दिया जाता है ताकि वह वीवर्स कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल की शेयर पूंजी में हिस्सा लेने के लिए राज्य सरकारों को पुनः ऋण दे सके ।

22.06 **हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम :** हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम को राज्य व्यापार निगम से अलग कर दिया गया था और इसके शेयरों को अंतरित कर दिया गया था तथा इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 के वस्त्रोद्योग मंत्रालय के बजट में हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात निगम के लिए राशि की व्यवस्था की गई है ।

13. **Other programmes for development of textiles :** Provides mainly for grants to various textile research associations.

13.01. **Grants for Textile Export Promotion :** Provides for grant to the Textile Export Promotion fund. Since the scheme is under adjudication, a nominal provision has been made in.

13.02. **Grants to National Textile Corporation :** Provides grants to N.T.C. for implementation of voluntary retirement scheme.

14. **Jute Commissioner :** Jute Commissioner looks after the development of jute industry in India and development of jute mill machinery. He also administers the Jute Textile(control) order, 1956 and the Jute (Licensing and Control) order, 1961.

15. **Other programmes for development of jute :** Provides mainly for grants to Indian Jute Industry Research Association and payments in respect of Jute companies acquired/nationalised. Also includes provision from Jute Special Development Fund for financing Jute programmes.

16. **Transfer to/from Jute Development Fund:-** This relates to the amounts required for the programmes under the Special Jute Development Fund, from the Deposit account.

17. **Interest subsidies:-** are provided to National Textile Corporation, and Binny & Co.

CIVIL SUPPLIES

18. **Subsidy on Mill-made Controlled Cloth:-** The details of the subsidy scheme have been given above.

19. **Non-Plan Investments in Public Enterprises:-** Include payment under sections 27(1) of the Sick Textile Undertaking (Nationalisation) Act, 1974, section 5(1) of Textile Undertaking (Taking over of Management) Act, 1983 and payment under section 25 (i) of Jute Companies (Nationalisation) Act.

20. **Non - Plan loans to Public Enterprises :-** To meet cash losses and provide working capital requirements to NTC, NJMC, BIC etc.

21. **Implementation of Labour Rehabilitation Scheme :** Non-Plan loan of Rs.2.75 crores has been provided to National Jute Manufactures Corporation and British India Corporation for labour rationalisation/ voluntary retirement Schemes.

22. **Investments in Public Enterprises :** Provides for equity and loans to Public Sector Enterprises to meet their new and continuing schemes. The equity and loan-wise break-up of the budget support to these enterprises, and the I.E.B.R., are given in the Expenditure Budget Vol. I.

22.01 **National Handloom Development Corporation:** National Handloom Development Corporation has been entrusted with the task of supplying yarn, dyes and other inputs to handloom workers by supplementing the efforts of State Handloom Societies, augmenting the marketing efforts of other agencies etc.

22.02 **National Textile Corporation:** National Textile Corporation was set up to manage affairs of the sick textiles mills taken over by the Government. The corporation runs 124 mills with an installed capacity of 3.87 million spindles and 48600 looms. Various schemes for modernisation and expansion of the sick mills to make them viable concerns are also being implemented.

22.03 **British India Corporation:** British India Corporation owns two woollen mills, namely Cawnpur Woollen Mills, Kanpur and New Egetton Woollen Mills, Dhariwal.

22.04 **National Jute Manufactures Corporation:** National Jute Manufactures Corporation was set up to run the six nationalised jute mills. Schemes for modernisation and renovation of these mills have also been taken up.

22.05 **National Cooperative Development Corporation (NCDC):-** Loan to NCDC is for relending to the State Governments for participation in the share capital of Weavers' Cooperative spinning mills.

22.06 **Handloom and Handicrafts Export Corporation:** Handloom and Handicrafts Export Corporation was delinked from State Trading Corporation and shares were transferred and for this an amount has been provided to Handloom & Handicrafts Export Corporation for meeting the liabilities in the Ministry of Textiles budget for the year 1991-92.

शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.78

शहरी विकास और आवास Urban Development and Housing

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		182.60	108.36	290.96	167.55	101.04	268.59	193.65	102.26	295.91
पूंजी	*Capital*		91.32	69.19	160.51	84.91	64.60	149.51	112.32	71.08	183.40
जोड़	Total		273.92	177.55	451.47	252.46	165.64	418.10	305.97	173.34	479.31
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1. Secretariat - General Services	2052	0.30	4.00	4.30	0.30	4.36	4.66	0.35	4.41	4.76
शहरी विकास	**Urban Development**										
2. नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन	2. Town & Country Planning Organisation	2217	...	1.17	1.17	...	1.20	1.20	...	1.29	1.29
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	3. National Capital Region	2217	...	0.30	0.30	...	0.29	0.29	...	0.33	0.33
		4217	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	14.00	...	14.00
जोड़		*Total*	*10.00*	*0.30*	*10.30*	*10.00*	*0.29*	*10.29*	*14.00*	*0.33*	*14.33*
4. राज्य राजधानी क्षेत्रों का विकास	*4. Development of State Capital Regions*										
4. 01 बृहद् बम्बई विकास योजना	4. 01 Greater Bombay Development Scheme	3601	...	21.50	21.50	...	17.50	17.50	...	7.50	7.50
5. छोटे और मध्यम नगरों का समेकित विकास	5. Integrated Development of Small & Medium Towns	2217	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
		7601	19.00	...	19.00	15.96	...	15.96	13.25	...	13.25
		7602	4.00	...	4.00	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*25.00*	...	*25.00*	*17.46*	...	*17.46*	*15.00*	...	*15.00*
6. शहरी परिवहन सहायता निधि	6. Urban Transport Consortium Fund	2217	1.80	...	1.80	1.60	...	1.60	4.90	...	4.90
		7601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05
		7602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*1.80*	...	*1.80*	*5.00*	...	*5.00*
7. अन्य शहरी विकास योजनाएं	7. Other Urban Development Schemes	2217	1.00	1.21	2.21	1.71	1.38	3.09	2.50	1.35	3.85
		3601	23.00	...	23.00	21.00	...	21.00	22.75	...	22.75
		3602	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.20	...	0.20
जोड़		*Total*	*24.85*	*1.21*	*26.06*	*23.56*	*1.38*	*24.94*	*25.45*	*1.35*	*26.80*
आवास	**Housing**										
8. राष्ट्रीय भवन संगठन	8. National Buildings Organization	2216	1.30	0.57	1.87	1.28	0.63	1.91	1.28	0.59	1.87
9. सम्पदा निदेशालय	9. Directorate of Estates	2216	...	17.00	17.00	...	12.20	12.20	...	17.47	17.47
10. सरकारी रिहायशी इमारतें	*10. Govt Residential Buildings*										
10. 01 निर्माण	10.01 Construction										
शहरी विकास	Urban Development	4216	22.00	10.48	32.48	24.62	11.57	36.19	30.00	14.10	44.10
राष्ट्रपति एस्टेट	President Estates	4216	...	1.67	1.67	...	1.53	1.53	...	3.48	3.48
कला और संस्कृति	Art and Culture	4216	...	...	...	0.03	...	0.03	0.76	...	0.76
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	4216	3.81	...	3.81	1.68	...	1.68	3.00	...	3.00
श्रम और रोजगार	Labour & Employment	4216	...	...	...	0.57	...	0.57	2.20	...	2.20
पशु-पालन	Animal Husbandry	4216	0.35	...	0.35	0.27	...	0.27	0.30	...	0.30
डेरी विकास	Dairy Development	4216	0.08	...	0.08	0.03	...	0.03	0.11	...	0.11
वानिकी तथा वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	4216	0.05	...	0.05	...	...	...	...	...	...
खानें	Mines	4216	0.06	...	0.06	2.00	...	2.00	1.75	...	1.75
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	Non-Conventional Energy Sources	4216	0.30	...	0.30	0.11	...	0.11	0.30	...	0.30
औद्योगिक विकास	Industrial Development	4216	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.15	...	0.15
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services	4216	0.31	...	0.31	0.30	...	0.30	1.24	...	1.24
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	Science and Technology	4216	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...
भारतीय सर्वेक्षण	Survey of India	4216	0.65	...	0.65	...	...	...	1.50	...	1.50
भारतीय मौसम विभाग	Indian Meteorological Department	4216	0.75	...	0.75	0.81	...	0.81	1.40	...	1.40
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	Ecology & Environment	4216	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...
पूर्ति-अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	Supply - Other Scientific Services	4216	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01
कृषि	Agriculture	4216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
लेखा परीक्षा	Audit	4216	...	4.41	4.41	...	4.74	4.74	...	5.00	5.00
विदेश विभाग	External Affairs	4216	...	0.10	0.10	...	0.02	0.02	...	0.19	0.19
वित्त	Finance	4216	...	21.59	21.59	...	21.10	21.10	...	25.01	25.01
गृह मंत्रालय	Home Affairs	4216	...	1.00	1.00	...	1.12	1.12	...	1.68	1.68
नौवहन	Shipping	4216	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...
लोक सभा/राज्य सभा	Lok Sabha / Rajya Sabha	4216	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...
कार्मिक तथा प्रशिक्षण	Personnel & Training	4216	...	0.25	0.25	...	0.76	0.76	...	0.60	0.60
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery & Printing	4216	...	0.19	0.19	...	0.25	0.25	...	0.02	0.02
जोड़		*Total*	*28.62*	*39.69*	*68.31*	*30.75*	*41.10*	*71.85*	*42.72*	*50.08*	*92.80*
10.02 बड़े और लघु निर्माण कार्य	10.02 Major & Minor Works	2216	...	2.93	2.93	...	2.98	2.98	...	3.50	3.50
10.03 अनुरक्षण और मरम्मत	10.03 Maintenance & Repairs	2216	...	58.45	58.45	...	58.37	58.37	...	64.32	64.32
10.04 अन्य मदें	10.04 Other items	2216	...	1.10	1.10	...	1.30	1.30	...	1.21	1.21
जोड़-सरकारी रिहायशी इमारतें	**Total Govt. Residential Buildings**		**28.62**	**102.17**	**130.79**	**30.75**	**103.75**	**134.50**	**42.72**	**119.11**	**161.83**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
11. अन्य आवासीय योजनाएं	11. Other Housing Schemes	2216	7.20	0.13	7.33	1.37	0.83	2.20	7.52	0.29	7.81
		3601	1.32	...	1.32	2.77	...	2.77	0.54	...	0.54
		3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.26	...	0.26
		4216	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	5.00	...	5.00
जोड़		*Total*	*11.52*	*0.13*	*11.65*	*7.14*	*0.83*	*7.97*	*13.32*	*0.29*	*13.61*
12. नेहरू रोजगार योजना	12. Nehru Rozgar Yojana	2052	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		3475	114.50	...	114.50	102.42	...	102.42	57.00	...	57.00
		3601	5.00	...	5.00	6.84	...	6.84	55.50	...	55.50
		3602	0.30	...	0.30	0.38	...	0.38	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*120.00*	...	*120.00*	*109.84*	...	*109.84*	*113.00*	...	*113.00*
13. शहरी क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की योजना	13. Scheme for employment generation for educated in urban localities	3475	...	...	...	...	...	...	1.90	...	1.90
		3601	...	...	...	...	...	...	0.09	...	0.09
		3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*2.00*	...	*2.00*
जल पूर्ति तथा सफाई	**Water Supply and Sanitation**										
14. शहरी जल पूर्ति तथा मल निकासी	14. Urban Water Supply & Sewerage	2215	22.37	...	22.37	25.33	...	25.33	36.60	...	36.60
		3601	0.95	...	0.95	...	...	...	0.20	...	0.20
		3602	0.01	...	0.01	...	...	...	0.05	...	0.05
जोड़		*Total*	*23.33*	...	*23.33*	*25.33*	...	*25.33*	*36.85*	...	*36.85*
15. सरकारी उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण/इक्विटी	*15. Non-plan loans/equity to Public Enterprises*										
15.01 आवास और नगर विकास निगम	15.01 Housing & Urban Development Corporation	6216	...	15.00	15.00	...	18.50	18.50	...	10.00	10.00
		4216	...	...	...	...	1.00	1.00	...	5.00	5.00
जोड़		*Total*	...	*15.00*	*15.00*	...	*19.50*	*19.50*	...	*15.00*	*15.00*
15.02 हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	15.02 Hindustan Pre-fab Ltd.	6216	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़		*Total*	...	*16.00*	*16.00*	...	*20.50*	*20.50*	...	*16.00*	*16.00*
16. आवास विकास वित्त निगम को आयोजना भिन्न ऋण	16. Non-plan loan to Housing Development Finance Corporation	6216	...	13.50	13.50	...	3.00	3.00	...	5.00	5.00
17. सरकारी उद्यमों में निवेश	*17. Investment in Public Enterprises*	*4215*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*5.00*	...	*5.00*
		4216	21.00	...	21.00	21.00	...	21.00	27.50	...	27.50
		4217	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.50	...	4.50
		6215	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
		6216	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*27.00*	...	*27.00*	*25.00*	...	*25.00*	*37.00*	...	*37.00*
कुल जोड़	*Grand Total*		*273.92*	*177.55*	*451.47*	*252.46*	*165.64*	*418.10*	*305.97*	*173.34*	*479.31*
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
17.01 आवास और नगर विकास निगम	17.01 Housing & Urban Development Corporation	22216	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	26.00	300.00	326.00
		22215	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
		22217	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	4.50	...	4.50
जोड़		*Total*	*26.00*	...	*26.00*	*24.00*	...	*24.00*	*35.50*	*300.00*	*335.50*
17.02 हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.	17.02 Hindustan Pre-fab Ltd.	22216	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*27.00*	...	*27.00*	*25.00*	...	*25.00*	*37.00*	*300.00*	*337.00*
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*:-										
1. जल पूर्ति और सफाई	1. Water Supply & Sanitation	22215	27.33	...	27.33	27.33	...	27.33	41.85	...	41.85
2. आवास	2. Housing	22216	55.82	...	55.82	54.04	...	54.04	72.10	300.00	372.10
3. शहरी विकास	3. Urban Development	22217	63.85	...	63.85	54.82	...	54.82	63.95	...	63.95
4. सचिवालय सामान्य सेवाएं	4. Secretariat - General Services	32052	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.55	...	0.55
5. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5. Other General Economic Services	13475	119.60	...	119.60	109.64	...	109.64	114.80	...	114.80
जोड़	Total		267.30	...	267.30	246.33	...	246.33	293.25	300.00	593.25

*इस मांग में अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्माण कार्यों पर परिव्यय के लिए व्यवस्था शामिल नहीं है।

* Excluding Works Outlay for other Ministries/Deptts. included in this Demand

22216	6.62	...	6.62	6.13	...	6.13	12.72	...	12.72

1. इसके अन्तर्गत, शहरी विकास मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था सम्मिलित है।

2. नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन एक तकनीकी, परामर्शदात्री और सलाहकार, संगठन है और इसका संबंध नगरीय तथा क्षेत्रीय स्थल संबंधी आयोजन से है। यह संगठन राज्य सरकारों के उनकी शहरी और देहाती आयोजना विषयक गतिविधियों को आयोजित करने और उनके संबंध में कानून बनाने में भी मदद करता है।

3. इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजन बोर्ड को दिये जाने वाले अंशदान के लिए व्यवस्था सम्मिलित है। यह बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में समारम्भ की जाने वाली काउन्टर मेगनेट परियोजनाओं का चयन करता है और उनके लिए वित्त व्यवस्था करता है।

1. The provision is for expenditure on Secretariat of the Ministry of Urban Development.

2. Town and Country Planning Organisation is a technical, advisory and consultative organisation and is concerned with urban and regional planning. It also guides the State Governments in organising their town and country planning activities and in formulating allied legislation.

3. The provision includes contribution to National Capital Region Planning Board. The Board selects and finances counter-magnet projects in areas falling within its jurisdiction.

4. इसके अन्तर्गत ग्रेटर बम्बई में शहरी नवीकरण तथा गंदी बस्तियों के विकास की योजनाओं पर व्यय के लिये महाराष्ट्र सरकार को सहायता देने की व्यवस्था शामिल है.।

5. शहरी विकास के निधिकरण और प्रबंध से संबंधित समग्र नीति के एक भाग के रूप में, छोटे और दरम्याने कस्बों का एकीकृत विकास एक सतत स्कीम है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एक लाख तक की आबादी वाले शहरों के एकीकृत विकास के लिए राज्यों को समान ऋण सहायता उपलब्ध करती है ।

6. इसके अन्तर्गत शहरी परिवहन योजनाओं जिनमें उनसे संबंधित अध्ययन और सर्वेक्षण भी सम्मिलित है, का वित्त पोषण करने के लिए व्यवस्था की गई है ।

7. इसके अंतर्गत शहरी बुनियादी सेवा स्कीमों, स्थानीय निकायों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यों तथा यू.एन.सी.एच.एस. को दिये जाने वाले अंशदान से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है । इसके साथ ही इसमें दिल्ली शहरी कला आयोग तथा राष्ट्रीय शहरी-कार्य संस्थान हेतु अनुदान सहायता भी सम्मिलित है ।

8. राष्ट्रीय भवन संगठन ग्रामीण आवास सहित भवन निर्माण संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देता है और उसके अनुप्रयोग को इस आशय से प्रोत्साहित करता है कि निर्माण की लागत में कमी आए और भवनों की गुणवत्ता तथा भवनों के निर्माण की किस्म में सुधार लाया जा सके ।

9. सम्पदा निदेशालय कार्यालय के लिए स्थान और सामान्य आवासन पूल में रिहायशी आवास का आबंटन करने, सरकारी आवास बस्तियों में दुकानों के आबंटित करने और सरकारी होस्टलों, विज्ञान भवन, मावलंकर हाल तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये विभिन्न शहरों में स्थित अवकाश गृहों का प्रबन्ध करने के लिए उत्तरदायी है ।

10. इसके अंतर्गत सरकारी रिहायशी भवनों तथा राष्ट्रपति भवन के मुख्य निर्माण कार्यों, लघु निर्माण कार्य, मरम्मत और अनुरक्षण, सज्जा व्यवस्थापन किराया, पूंजीगत निर्माण कार्य, पट्टे के प्रभारों की व्यवस्था है ।

11. इसके अन्तर्गत ग्रामीण आवास पर व्यय तथा विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न एजेन्सियों अर्थात् हुडको, आदि की तकनीकी सहायता तथा केन्द्र सरकार कर्मचारी आवास कल्याण संगठन हेतु प्रारम्भिक पूंजी की व्यवस्था शामिल है ।

12 और 13. नेहरू रोजगार योजना,जो वर्ष 1989-90 में प्रारम्भ की गयी थी,का उद्देश्य शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है । इसके अंतर्गत चालू मजदूरी योजनाओं लघु उद्यम स्कीमों और आश्रय-स्थलों के उन्नयन से संबंधित स्कीमों के लिये व्यवस्था की गई है।शहरी क्षेत्रों में शिक्षित लोगों के लिये रोजगार सृजित करने की स्कीम,जिसके लिए 1991-92 में प्रावधान रखा गया है, योजना का एक नया घटक है ।

14. भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जलपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रमों के तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने के लिए, केन्द्रीय लोक-स्वास्थ्य तथा पर्यावरणात्मक इंजीनियरी संगठन के माध्यम से सहायता और तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान करती है । इस व्यवस्था में प्रयोगात्मक परियोजना, व्यवहार्यता अध्ययनों, कार्यक्रमों के मूल्यांकन, अनुवीक्षण तथा प्रबंध और प्रशिक्षण योजनाएं शामिल हैं । इसमें शहरी जल आपूर्ति स्कीमों तथा मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिये कम लागत वाली सफाई संबन्धी स्कीमों पर होने वाले व्यय के लिये व्यवस्था की गई है ।

15. इसके अन्तर्गत हुडको तथा हिन्दुस्तान प्री-फैब लि., जो पूर्व निर्मित भवन सामग्री का निर्माण करता है, के लिए आयोजना-भिन्न ऋण सहायता की व्यवस्था की गई है । हुडको के लिए व्यवस्था में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह निधि (संशोधित अनुमान में 9 करोड़ रुपए तथा 1991–92 के बजट में 10 करोड़ रुपए) से ऋण सहायता और विदेशी सहायता से (संशोधित अनुमान में 10.50 करोड़ रुपए और 1991–92 के बजट से 5 करोड़ रुपए) समतुल्य व्यवस्था शामिल है ।

16. एच डी एफ सी को विदेशी सहायता देने के लिए प्रावधान है ।

17. इसमें अपना पूंजीगत आधार बढ़ाने के लिये हुडको में निवेश करने का प्रावधान है जिससे यह आवासीय तथा शहरी आधार क्षेत्र परियोजनाओं के लिए खुले बाजार से अधिक संसाधन जुटा सके । हुडको का अगले वर्ष का योजना परिव्यय अधिकतम 300 करोड़ रुपये तक बांड जारी करके वित्तपोषित किया जायेगा । एच.पी.एल को हौलो ब्लाक, हौलो और स्लैब इत्यादि का विनिर्माण करने के लिए नई मशीनरी स्थापित करने के लिए बजटीय सहायता देने का भी प्रावधान है ।

4. This provision is for assistance to Government of Maharashtra for expenditure on urban renewal and slum areas development schemes in Greater Bombay.

5. Integrated Development of Small and Medium Towns is a continuing scheme as a part of the overall strategy for funding and managing urban growth. Central Government provides matching loan assistance to the States for integrated development of towns with a population upto 1 lakh.

6. The provision is intended to finance urban transport schemes, including studies and surveys relating to them.

7. The provision is for expenditure on urban basic services schemes, research and training activities for local bodies and contribution to the UNCHS. The provision also includes grant assistance to Delhi Urban Arts Commission and National Institute of Urban Affairs.

8. National Buildings Organisation promotes buildings research and its application with the objective of effecting reduction in cost and improvement in the quality of building and house construction including rural housing.

9. Directorate of Estates is responsible for allotment of office and residential accommodation in general pool, shops in Government housing colonies and management of Government hostels, Vigyan Bhavan, Mavalankar Hall and holiday homes for Central Government employees at various cities.

10. The provision includes expenditure on major/minor works, repairs and maintenance, furnishings, rents, capital construction works, lease charges on Government residential buildings and Rashtrapati Bhavan.,

11. The provision includes expenditure on rural housing and rendering technical assistance to various agencies such as HUDCO etc. for developmental works besides, seed capital for Central Government Employees Housing Welfare Organisation.

12 & 13. Nehru Rozgar Yojana, which was launched in 1989-90, aims at providing employment opportinities for the urban poor. The provision includes expenditure on ongoing wage employment schemes, micro enterprises schemes and shelter upgradation schemes. The scheme for employment generation for the educated in urban localities, for which provision has been made in 1991-92, is a new component of the of the Yojana.

14. Government of India provides assistance and technical guidance to the States and union territories for formulation and implementation of water supply and sanitation programmes through Central Public Health and Environmental Engineering Organisation. The provision includes expenditure on pilot projects, feasibility studies, evaluation of programmes, monitoring and management and training schemes. The provision also covers expenditure on urban water supply schemes and schemes of low cost sanitation for liberation of scavengers.

15. The provision is for non-plan loan assistance to HUDCO and Hindustan Pre-fab Limited which manufactures pre-fabricated building material. The provisions for HUDCO comprise loan assistance from Central Government Employees Group Insurance Scheme funds (Rs. 9 crores in RE and Rs. 10 crores in 1991-92) and counter part provision against external assistance (Rs. 10.50 crores in RE and Rs. 5 crores in 1991-92).

16. The provisions are for passing on external assistance to HDFC.

17. This includes provision for investment in HUDCO to expand its capital base so that it can raise more resources from the open market to finance housing and urban infrastructure projects. The plan outlay of HUDCO next year will be financed to the extent of Rs. 300 crores from bond issue. Budgetary support is also to be provided to HPL to enable the company to install new machinery for manufacture of hollow blocks, hollow ore slabs, etc.

शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.79

लोक निर्माण कार्य Public Works

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		0.60	96.21	96.81	1.50	88.99	90.49	1.65	105.10	106.75
पूंजी	*Capital*		*33.12*	*51.81*	*84.93*	*39.02*	*56.61*	*95.63*	46.37	50.00	96.56
जोड़	**Total**		**33.72**	**148.02**	**181.74**	**40.52**	**145.60**	**186.12**	**48.02**	**155.10**	**203.12**
लोक निर्माण	**Public Works**										
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1. Central Public Works Deptt.	2059	0.60	27.27	27.87	1.50	26.26	27.76	1.65	30.31	31.96
2. गैर-आवासीय इमारतों का रख-रखाव और मरम्मत	2. Maintenance and Repairs including minor works	2059	...	67.82	67.82	...	61.45	61.45	...	73.50	73.50
3. कार्यालय इमारतों का निर्माण	*3. Construction of Office Buildings*										
3.01 लेखा परीक्षा	3.01 Audit	4059	...	5.34	5.34	...	3.94	3.94	...	6.00	6.00
3.02 वित्त (राजस्व)	3.02 Finance (Revenue)	4059	...	15.55	15.55	...	16.58	16.58	...	18.19	18.19
3.03 गृह मंत्रालय	3.03 Home Affairs	4059	...	1.06	1.06	...	0.57	0.57	...	1.10	1.10
3.04 शहरी विकास	3.04 Urban Development	4059	4.00	...	4.00	9.65	5.17	14.82	5.00	15.13	20.13
3.05 लेखन सामग्री और मुद्रण	3.05 Stationery & Printing	4059	...	0.08	0.08	0.05	0.31	0.36	...	0.20	0.20
3.06 कार्मिक तथा प्रशिक्षण	3.06 Personnel & Training	4059	0.01	0.60	0.61	1.00	1.07	2.07	...	1.50	1.50
3.07 ग्रामीण विकास	3.07 Rural Development	4059	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...
3.08 खानें	3.08 Mines	4059	0.19	...	0.19	3.00	...	3.00	5.25	...	5.25
3.09 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत	3.09 Non-Conventional Energy Sources•	4059	0.35	...	0.35	0.35	...	0.35	0.67	...	0.67
3.10 अन्य संचार सेवाएं	3.10 Other Communication Services	4059	0.99	...	0.99	0.66	...	0.66	0.26	...	0.26
3.11 पूर्ति - अन्य वैज्ञानिक सेवाएं	3.11 Supply - Other Scientific Services	4059	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	1.65	...	1.65
3.12 लोक सभा	3.12 Lok Sabha	4059	...	0.86	0.86	...	0.63	0.63	...	1.38	1.38
3.13 विदेशी मामले	3.13 External Affairs	4059	...	0.56	0.56	...	0.24	0.24	...	1.00	1.00
3.14 उच्चतम न्यायालय	3.14 Supreme Court	4059	...	1.76	1.76	...	2.10	2.10	...	2.00	2.00
जोड़-कार्यालय इमारतों का	**Total Construction of Office Bldgs.**		**5.99**	**25.81**	**31.80**	**15.19**	**30.61**	**45.80**	**12.83**	**46.50**	**59.33**
4. अन्य गैर-रिहायशी इमारतों का निर्माण	*4. Construction of Other Non-residential Buildings*										
4.01 शिक्षा	4.01 Education	4202	0.70	...	0.70	0.24	...	0.24	0.70	...	0.70
4.02 कला तथा संस्कृति	4.02 Arts & Culture	4202	12.30	...	12.30	3.95	...	3.95	7.90	...	7.90
4.03 स्वास्थ्य (केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना)	4.03 Health (Central Government Health Scheme)	4210	6.66	...	6.66	5.73	...	5.73	4.90	...	4.90
4.04 परिवार कल्याण	4.04 Family Welfare	4211	0.05	...	0.05	0.12	...	0.12	0.05	...	0.05
4.05 श्रम तथा रोजगार	*4.05 Labour and Employment	4250	...	...	...	2.34	...	2.34	8.83	...	8.83
4.06 फसल पालन	4.06 Crop Husbandry	4401	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...
4.07 पशु पालन	4.07 Animal Husbandry	4403	0.94	...	0.94	0.96	...	0.96	1.55	...	1.55
4.08 डेयरी विकास	4.08 Dairy Development	4404	0.25	...	0.25	0.23	...	0.23	0.36	...	0.36
4.09 वानिकी तथा वन्य जीवन	4.09 Forestry & Wildlife	4406	0.23	...	0.23	0.70	...	0.70	0.25	...	0.25
4.10 औद्योगिक विकास	4.10 Industrial Development	4885	1.50	...	1.50	2.70	...	2.70	1.50	...	1.50
4.11 नौवहन	4.11 Shipping	5052	0.63	...	0.63	0.77	...	0.77	3.80	...	3.80
4.12 भारतीय सर्वेक्षण	4.12 Survey of India	5425	2.00	...	2.00	2.09	...	2.09	2.00	...	2.00
4.13 भारतीय मौसम विभाग	4.13 Indian Meteorological Department	5455	1.75	...	1.75	2.60	...	2.60	1.60	...	1.60
4.14 पारिस्थितिक विज्ञान और पर्यावरण	4.14 Ecology & Environment	5425	0.12	...	0.12	1.30	...	1.30	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*27.13*	...	*27.13*	*23.83*	...	*23.83*	*33.54*	...	*33.54*
5. अन्य संगठन	5. Other Organisations	2059	...	1.12	1.12	...	1.28	1.28	...	1.29	1.29
6. सरकारी उद्यमों में आयोजना-भिन्न निवेश	*6. Non-Plan Investment in Public Enterprises*										
6.01 रा.भ.नि.नि. में इक्विटी	6.01 Equity in NBCC	4875	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	2.00	2.00
6.02 रा.भ.नि.नि. को ऋण	6.02 Loans to NBCC	6875	...	25.00	25.00	...	25.00	25.00	...	1.50	1.50
जोड़		**Total**	...	**26.00**	**26.00**	...	**26.00**	**26.00**	...	**3.50**	**3.50**
कुल जोड़	***Grand Total***		*33.72*	*148.02*	*181.74*	*40.52*	*145.60*	*186.12*	*48.02*	*155.10*	*203.12*

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay*:-**										
1. लोक निर्माण कार्य	1. Public Works	32059	4.60	...	4.60	11.15	...	11.15	6.65	...	6.65
*इसमें इस मांग में शामिल अन्य मंत्रालयों/विभागों के लिए निर्माण कार्य पर परिव्यय शामिल नहीं है	*Excluding Works Outlay for other Ministries/Deptt. included in this Demand		29.12		29.12	29.32		29.32	41.37	...	41.37
	Stationery & Printing		...		...	0.05		0.05	...		...
जोड़		**Total**	**29.12**	**...**	**29.12**	**29.37**	**...**	**29.37**	**41.37**	**...**	**41.37**

1. केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के समस्त सरकारी रिहाइशी भवनों और गैर-रिहाइशी भवनों का डिजाइन तैयार करने, उनका निर्माण और रख-रखाव करने के लिए एक प्रमुख अभिकरण है । इसमें देश के विभिन्न भागों में केन्द्र सरकार के सामान्य पूल और अन्य सामान्य प्रयोजन की कार्यालयों की इमारतों के निर्माण पर व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. इसके अन्तर्गत पूरे देश में विद्यमान गैर-रिहायशी भवनों, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सीधे नियंत्रण में है, के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए व्यवस्था की गई है ।

3 और 4. इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की ओर से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यात्मक कार्यालय भवनों और अन्य गैर-रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए व्यवस्था की गई है ।

5. इसमें भूमि तथा विकास कार्यालय के स्थापना, जो दिल्ली में नजूल भूमि पट्टों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, पर व्यय की व्यवस्था शामिल की गई है । इसमें राजघाट समाधि समिति को अनुदान सहायता के लिए भी व्यवस्था शामिल की गई है ।

6. इसमें राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को, जो देश के बाहर निर्माण परियोजनाओं का कार्य कर रहा है, को आयोजना-भिन्न सहायता के लिए व्यवस्था की गई है ।

1. Central Public Works Department is a primary agency for designing, construction and maintenance of all Central Government residential and non-residential buildings. The provision includes expenditure on construction of general pool and other general purposes office buildings of the Central Government in various parts of the country.

2. Provision is for maintenance of and repairs to non-residential buildings all over the country, which are under the direct charge of the Central Public Works Department.

3 & 4. The provisions are for construction of functional office buildings and other non-residential buildings by the Central Public Works Department on behalf of various Ministries/Departments.

5. This covers establishment expenditure of the Land and Development Office which is responsible for administration of Nazul land leases in Delhi. It also includes provision for grant assistance to Rajghat Samadhi Committee.

6. The provision is for non-plan support to National Buildings Construction Corporation which is also involved in construction projects outside the country.

शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.80

लेखन सामग्री तथा मुद्रण Stationery & Printing

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	51.31	51.31	...	44.50	44.50	...	56.67	56.67
पूंजी	*Capital*		*0.10*	*4.00*	*4.10*	*0.90*	*4.00*	*4.90*	*0.10*	*3.70*	*3.80*
जोड़	**Total**		**0.10**	**55.31**	**55.41**	**0.90**	**48.50**	**49.40**	**0.10**	**60.37**	**60.47**
1. मुद्रण तथा लेखन सामग्री नियंत्रक	1. Controller of Printing and Stationery	2058	...	2.99	2.99	...	3.43	3.43	...	4.10	4.10
2. मुद्रणालय	2. Printing Presses	2058	...	9.74	9.74	...	9.08	9.08	...	6.95	6.95
		4058	0.10	4.00	4.10	0.90	4.00	4.90	0.10	3.70	3.80
3. प्रकाशन नियंत्रक	3. Controller of Publications	2058	...	3.14	3.14	...	3.68	3.68	...	3.63	3.63
4. अन्य संगठन	4. Other Organisations	2058	...	34.80	34.80	...	28.28	28.28	...	41.94	41.94
		2202	...	0.64	0.64	...	0.03	0.03	...	0.05	0.05
जोड़		*Total*	...	*35.44*	*35.44*	...	*28.31*	*28.31*	...	*41.99*	*41.99*
कुल जोड़	*Grand Total*		*0.10*	*55.31*	*55.41*	*0.90*	*48.50*	*49.40*	*0.10*	*60.37*	*60.47*

ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay:-*	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.सा. IEBR	जोड़ Total
1. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1. Stationery & Printing	32058	0.10	...	0.10	0.95	...	0.95	0.10	...	0.10
*मांग संख्या 77 में निर्माण कार्यों के लिए की गई व्यवस्था सहित	*inclusive of Works Outlay provided in Demand No. 79			...	...	0.05		0.05	...		

1. लेखन सामग्री नियंत्रण देश तथा विदेश में केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री की खरीद और सप्लाई के लिए उत्तरदायी है ।

2. सरकार द्वारा चलाए जाने वाली प्रिंटिंग प्रैसों की संख्या 21 है । इसमें सरकारी छपाई का अधिकांश कार्य पूरा किया जाता है । संबंधित विभागों से इस संबंध में 1991-92 के दौरान 34.80 करोड़ रुपए की वसूलियां होने का अनुमान है ।

3. प्रकाशन नियंत्रक एक केन्द्रीयकृत संगठन है जो सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्रों के स्टाक रखने, उनका वितरण करने के लिए उत्तरदायी है ।

4. इसके अन्तर्गत विभाग का मुद्रण स्कंध, फार्म स्टोर, प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से मुद्रण कार्य तथा पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रणालय व्यय संबंधी व्यवस्था शामिल है ।

1. Controller of Stationery is responsible for purchase and supply of stationery stores for all Central Government offices in the country and abroad.

2. There are twenty-one Government printing presses, which attend to bulk of Government printing job-work. The recoveries on this account from the concerned Departments are estimated at Rs.34.80 crores during 1991-92.

3. Controller of Publication is a core organisation to stock, distribute and sell Government publications.

4. Provision includes expenditure of the Printing Wing of the department, Form Stores, printing through private parties and Text Book Presses.

जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES

मांग संख्या DEMAND No.81

जल संसाधन मंत्रालय Ministry of Water Resources

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		178.92	70.97	249.89	166.75	97.34	264.09	254.07	68.47	322.54
पूंजी	*Capital*		*81.30*	*2.07*	*83.37*	*52.52*	*1.95*	*54.47*	*48.73*	*2.60*	*51.33*
जोड़	**Total**		**260.22**	**73.04**	**333.26**	**219.27**	**99.29**	**318.56**	**302.80**	**71.07**	**373.87**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	3451	0.30	3.09	3.39	0.25	3.33	3.58	0.30	3.50	3.80
वृहद तथा मध्यम सिंचाई	**Major and Medium Irrigation**										
2. केन्द्रीय जल आयोग	2. Central Water Commission	2701	6.74	19.11	25.85	4.47	20.41	24.88	16.95	21.43	38.38
		4701	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*7.24*	*19.11*	*26.35*	*4.97*	*20.41*	*25.38*	*17.45*	*21.43*	*38.88*
3. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली	3. Central Soil & Materials Research Station, New Delhi	2701	1.50	1.90	3.40	1.30	1.33	2.63	2.23	1.44	3.67
		4701	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.77	...	0.77
जोड़		*Total*	*2.00*	*1.90*	*3.90*	*1.80*	*1.33*	*3.13*	*3.00*	*1.44*	*4.44*
4. केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र	4. Central Water and Power Research Station, Pune	2701	2.32	2.82	5.14	0.61	2.53	3.14	1.04	2.69	3.73
		4701	1.00	...	1.00	2.05	...	2.05	2.96	...	2.96
जोड़		*Total*	*3.32*	*2.82*	*6.14*	*2.66*	*2.53*	*5.19*	*4.00*	*2.69*	*6.69*
5. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	5. National Water Development Agency	2701	3.00	...	3.00	2.75	...	2.75	4.50	...	4.50
6. वृहद् तथा मध्यम सिंचाई की अन्य योजनाएं	6. Other Schemes of Major and Medium Irrigation	2701	2.50	1.78	4.28	2.30	1.49	3.79	3.24	1.55	4.79
		3601	0.35	...	0.35	0.30	...	0.30	0.35	...	0.35
जोड़		*Total*	*2.85*	*1.78*	*4.63*	*2.60*	*1.49*	*4.09*	*3.59*	*1.55*	*5.14*
7. सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना के लिए सहायता	7. Assistance for Sutlej Yamuna Link Canal Project	3601	...	...	...	...	27.00	27.00	...	...	...
8. हरिके बराज	8. Harike Barrage	3601	...	2.06	2.06	...	2.06	2.06	...	...	...
9. राज्य आयोजना	*9. State Plan*										
9.01 विशेष केन्द्रीय सहायता - सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	9.01 Special Central Assistance - Border Areas Development Programme	3601	28.60	...	28.60	25.74	...	25.74	27.80	...	27.80
जोड़ - वृहद् और मध्यम सिंचाई	**Total - Major and Medium Irrigation**		**47.01**	**27.67**	**74.68**	**40.52**	**54.82**	**95.34**	**60.34**	**27.11**	**87.45**
लघु सिंचाई	**Minor Irrigation**										
10. केन्द्रीय भू-गत जल बोर्ड	10. Central Ground Water Board	2702	17.70	16.86	34.56	15.53	17.09	32.62	39.33	18.25	57.58
		4702	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*17.90*	*16.86*	*34.76*	*15.73*	*17.09*	*32.82*	*39.83*	*18.25*	*58.08*
11. भू-गत जल योजनाएं	11. Ground Water Schemes	3601	6.00	...	6.00	5.40	...	5.40	2.00	...	2.00
12. भूतल जल योजनाएं	12. Surface Water Schemes	3601	17.75	...	17.75	15.98	...	15.98	15.75	...	15.75
		3602	0.25	...	0.25	0.22	...	0.22	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*18.00*	...	*18.00*	*16.20*	...	*16.20*	*16.00*	...	*16.00*
जोड़ - लघु सिंचाई	**Total - Minor Irrigation**		**41.90**	**16.86**	**58.76**	**37.33**	**17.09**	**54.42**	**57.83**	**18.25**	**76.08**
13. कमान क्षेत्र विकास	13. Command Area Development	2705	0.20	...	0.20	0.18	...	0.18	2.20	...	2.20
		3601	77.80	...	77.80	80.52	...	80.52	83.80	...	83.80
		7601	30.00	...	30.00	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*108.00*	...	*108.00*	*83.70*	...	*83.70*	*88.00*	...	*88.00*
बाढ़ नियंत्रण	**Flood Control**										
14. केन्द्रीय जल आयोग	14. Central Water Commission	2711	5.05	9.45	14.50	3.37	9.67	13.04	4.80	10.06	14.86
15. ब्रह्मपुत्र बोर्ड	15. Brahmaputra Board	2711	7.75	...	7.75	6.97	...	6.97	8.50	...	8.50
16. गंडक नदी पर बागा-चितौनी रेल एवं सड़क पुल का लागत हिस्सा	16. Sharing cost of Bagaha-Chitauni Rail-cum-Road bridge across river Gandak	2711	...	...	...	...	...	...	25.00		25.00
17. बाढ़ नियंत्रण तथा समुद्र कटाव-रोधी निर्माण कार्य	17. Flood Control and Anti-sea Erosion works:										
17.01 उत्तरी बिहार में बाढ़ रोधक कार्यक्रम	17.01 Flood Proofing Programmes in North Bihar	3601	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
17.02 ब्रह्मपुत्र घाटी	17.02 Brahmaputra Valley	7601	20.00	...	20.00	18.00	...	18.00	20.00	...	20.00
17.03 गंगा बाढ़ बेसिन राज्यों में सामरिक महत्व के बाढ़-नियंत्रण उपाय	17.03 Strategic Flood Proofing measures in Ganga Flood Basin States	7601	9.00	...	9.00	8.10	...	8.10	...	...	...
17.04 राज्यों में समुद्र कटाव-रोधी निर्माण कार्यों के लिए सहायता	17.04 Assistance for Anti-Sea Erosion Works in States	7601	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	4.00	...	4.00
17.05 अन्य	17.05 Others	7601	0.10	2.37	2.47	0.09	2.26	2.35	...	3.00	3.00
जोड़		*Total*	*33.10*	*2.37*	*35.47*	*29.79*	*2.26*	*32.05*	*39.00*	*3.00*	*42.00*
18. बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं	18. Other Schemes of Flood Control	2711	1.11	...	1.11	0.86	...	0.86	1.03	...	1.03
जोड़ - बाढ़ नियंत्रण	**Total - Flood Control**		**47.01**	**11.82**	**58.83**	**40.99**	**11.93**	**52.92**	**78.33**	**13.06**	**91.39**
अन्य परिवहन सेवाएं	**Other Transport Services**										
19. फरक्का बराज परियोजना	19. Farakka Barrage Project	3075	...	11.15	11.15	...	9.93	9.93	...	8.95	8.95
		5075	8.00	-0.40	7.60	7.68	-0.40	7.28	8.00	-0.40	7.60
जोड़		*Total*	*8.00*	*10.75*	*18.75*	*7.68*	*9.53*	*17.21*	*8.00*	*8.55*	*16.55*
20. अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग — नेपाल हितकारी योजना-चन्द्रा नहर	20. Technical and Economic Cooperation with Other countries - Nepal Benefit Scheme - Chandra Canal	3605	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	...	...
21. पश्चिम कोसी नहर, डान नहर तथा जलपापुर बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	21. Western Kosi Canal, Don Canal and Jalpapur Flood Control Works	3601	...	2.50	2.50	...	2.25	2.25	...	0.60	0.60
		7601	...	0.10	0.10	...	0.09	0.09	...	...	...
जोड़		*Total*	...	*2.60*	*2.60*	...	*2.34*	*2.34*	...	*0.60*	*0.60*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
22. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों/वित्तीय संस्थाओं में निवेश	22. Investments in Public Enterprises/ Financial Institutions	6701	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
		6705	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*8.00*	...	*8.00*	*8.80*	...	*8.80*	*10.00*	...	*10.00*
कुल जोड़	***Grand Total***		***260.22***	***73.04***	***333.26***	***219.27***	***99.29***	***318.56***	***302.80***	***71.07***	***373.87***
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
22.01 नेशनल प्रोजेक्ट्स कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि.	22.01 National Projects Construction Corpn. Ltd.	12701	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
22.02 नाबार्ड (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विशेष उधार खाते में अंशदान)	22.02 NABARD(Contribution to special loan Account for Command Area Development Programme)	12705	2.00	...	2.00	1.80	...	1.80	2.00	...	2.00
जोड़		*Total*	*8.00*	...	*8.00*	*8.80*	...	*8.80*	*10.00*	...	10.00
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Central Sector Plan**										
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic services	13451	0.30	...	0.30	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
2. वृहद् तथा मध्यम सिंचाई	2. Major and Medium Irrigation	12701	24.41	...	24.41	21.78	...	21.78	40.54	...	40.54
3. लघु सिंचाई	3. Minor Irrigation	12702	41.90	...	41.90	37.33	...	37.33	57.83	...	57.83
4. कमान क्षेत्र विकास	4. Command Area Development	12705	110.00	...	110.00	85.50	...	85.50	90.00	...	90.00
5. बाढ़ नियंत्रण	5. Flood Control	12711	47.01	...	47.01	40.99	...	40.99	78.33	...	78.33
6. अन्य परिवहन सेवाएं	6. Other Transport Services	13075	8.00	...	8.00	7.68	...	7.68	8.00	...	8.00
जोड़		*Total*	*231.62*	...	*231.62*	*193.53*	...	*193.53*	*275.00*	...	*275.00*
राज्य आयोजनाएं	**State Plans**										
विशेष केन्द्रीय सहायता - सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	Special Central Assistance - Border Areas Development Programme	43601	28.60	...	28.60	25.74	...	25.74	27.80	...	27.80
जोड़	**TOTAL**		**260.22**	...	**260.22**	**219.27**	...	**219.27**	**302.80**	...	**302.80**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं :** इसमें जल संसाधन मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय की व्यवस्था है। इस आयोजना परिव्यय की आवश्यकता विश्व बैंक से सहायता प्राप्त "राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना" के लिए है, जिसके अन्तर्गत जल संसाधन मंत्रालय के जल प्रबन्ध एकक को और सुदृढ़ करने तथा मंत्रालय में मौजूदा विदेशी सहायता प्रभाग को वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि हेतु सहायता प्रवाह के मानीटरिंग के लिए मजबूत करने का प्रस्ताव है ।

2. **केन्द्रीय जल आयोग :** राज्य सरकारों के परामर्श से देश भर में सिंचाई, नौचालन और बाढ़ नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के नियंत्रण, अनुरक्षण तथा उपयोग हेतु स्कीमें शुरु करने, समन्वित करने तथा उन्हें और आगे बढ़ाने के बारे में सलाह देने का उत्तरदायित्व आयोग को सौंपा गया है । देश में जल संसाधनों के विकास और उपयोग के क्षेत्र में प्रमुख तकनीकी संगठन होने के कारण यह बहुप्रयोजनीय नदी घाटी तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन तथा अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. **केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली :** जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान स्टेशन, नई दिल्ली देश में अग्रणी संगठन है, जो क्षेत्र समन्वेषण, प्रयोगशाला-परीक्षण, भू-गर्भ यांत्रिकी के विषय में बुनियादी और प्रायोगिक अनुसंधान, नदी घाटी परियोजना के निर्माण से संबंधित ठोस प्रौद्योगिकी और सामग्री तथा समग्र देश और विदेश से संबंधित ऐसे निर्माण कार्य के क्षेत्र में काम करता है।

4. **केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला :** 1917 में स्थापित की गई केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे, नदी इंजीनियरी, पोत जल-गतिकी, द्रवचालित मशीनरी, स्तरित प्रवाहों, नींवों तथा संरचनाओं, भू-तकनीकों, भूकम्प इंजीनियरी, गणितीय प्रतिरूपण और यंत्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए उत्तरदायी है ।

5. **राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण :** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिशेष जल के अन्तर-बेसिन अन्तरणों की उपयुक्तता के लिए वृहद् समीक्षा और अन्वेषण करने का काम सौंपा गया है।

6. **वृहद् और मध्यम सिंचाई की अन्य योजनाएं :** इसमें राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान और नदी घाटी परियोजनाओं के लिए बुनियादी अनुसंधान कार्यों के लिए की गई व्यवस्था शामिल है । राष्ट्रीय जल विकास संस्थान, रुड़की जल विज्ञान के क्षेत्र में आधारभूत और प्रायोगिक अनुसंधान संबंधी कार्य करता है, इसके अलावा, नदी घाटी परियोजनाओं पर अनुसंधान योजनाएं शुरू करने के लिए विभिन्न स्वायत्त निकायों और राज्य अनुसंधान संस्थानों को सहायता-अनुदान दिए जाते हैं।

7. **सतलुज-यमुना संयोजन (लिंक) नहर परियोजना के लिए सहायता :** इस परियोजना के लिए बजट अनुमान 1991-92 स्तर में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । 1990-91 के संशोधित अनुमान में 27.00 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है ।

8. **हरिके बराज :** हरिके बराज निर्माण लागत में से केन्द्रीय सरकार का 2.06 करोड़ रुपए लागत का हिस्सा 1990-91 के दौरान पंजाब सरकार को पहले ही दिया जा चुका था । इस बराज की लागत का शेष भाग पंजाब और राजस्थान सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

9. **राज्य आयोजनाएं**

9.01 **सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता :** यह, इंदिरा

1. **Secretariat-Economic Services** - This provides for Secretariat expenditure of Ministry of Water Resources. The Plan outlay is meant for World Bank aided "National Water Management Project" under which the Water Management Cell of the Ministry of Water Resources is proposed to be strengthened further and for strengthening the existing External Assistance Division in the Ministry for monitoring the flow of assistance for foreign aided project etc.

2. **Central Water Commission** - It is charged with the responsibilities of giving advice in consultation with the State Governments concerned on initiating, coordinating and furthering schemes for the control, conservation and utilisation of water resources for the purpose of irrigation, navigation and flood control throughout the country. Being the premier technical organisation in the country in the field of development and utilisation of water resources, it plays an important role in the field of planning, investigation, design and research in connection with multipurpose river valley and flood control projects.

3. **Central Soil & Materials Research Station, New Delhi** - The Central Soil & Material Research Station (CSMRS), New Delhi under the Ministry of Water Resources is the premier Organisation in the country dealing with field exploration, laboratory investigations, basic and applied research in the realm of geomechanics, concrete technology and materials of construction relevant to River Valley Projects construction over the entire country and abroad.

4. **Central Water and Power Research Station** - The Central Water and Power Research Station, Pune established in 1917, is responsible for conducting applied research in the field of river engineering, ship-hydrodynamics, hydraulic machinery, stratefied flows, foundation and structures, geo-techniques, earthquake engineering, mathematical modelling and instrumentation.

5. **National Water Development Agency** - National Water Development Agency is entrusted with the task of conducting detailed survey and investigation for feasibility of inter-basin transfers of surplus water to meet the requirement of drought prone areas in the peninsular river systems.

6. **Other Schemes of Major and Medium Irrigation** - These include provision for Research Schemes being undertaken by the National Institute of Hydrology and Fundamental and Basic Research for River Valley projects. The National Institute of Hydrology, Roorkee deals with the fundamental and applied research in the field of hydrology. In addition, grants-in-aid are given to various autonomous bodies and State Research Institutions for carrying out Research Schemes on River Valley Projects.

7. **Assistance for Sutlej-Yamuna Link Canal Project** - No provision has been made for this project in B.E.1991-92. A provision of Rs.27.00 crores was made in RE 1990-91.

8. **Harike Barrage** - The Central Government's share of the cost of construction of Harike Barrage, Ferozepur to the extent of Rs.2.06 crores was released to Govt. of Punjab during 1990-91. The balance of the cost of Barrage would be shared by the Governments of Punjab & Rajasthan.

9. **State Plans:**

9.01 **Special Central Assistance - Border Areas Development**

गांधी नहर परियोजना (राजस्थान नहर परियोजना) से संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के संबंध में है। 1991-92 के ब. अ. में 27.80 करोड़ रुपए के आयोजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

लघु सिंचाई

10. केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड : केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड , देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूगत जल वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूगत जल विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए और राज्यों में भू-गत जल संगठनों को सुदृढ करने के लिए भी उत्तरदायी है ।

11. भूगत जल योजनाएं : केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात् राज्यों में भूगत जल संगठनों को मजबूत बनना, राज्यों को 50% आधार पर सहायता उपलब्ध कराना आदि वर्ष 1991-92 के दौरान भी कार्य करने हेतु जारी रखी गई हैं । इस योजना के लिए 1991-92 में 2.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

12. भूतल जल योजनाएं : - लघु सिंचाई के क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित निम्नलिखित सात योजनाएं 1991-92 के दौरान भी जारी रहेंगी:-

(i) स्प्रिंकलरों, ड्रिप प्रणाली, हाइड्रम्स आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना,
(ii) लघु सिंचाई संबंधी आंकड़ों को युक्तिसंगत बनाना,
(iii) लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के आंकड़े रखना,
(iv) विस्तृत लघु सिंचाई कमांडों का विकास, तथा
(v) मूल्यांकन अध्ययन ।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नई स्कीम 1991-92 के दौरान हाथ में लिएं जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 1991-92 के बजट अनुमान में 5.00 करोड़ रुपए के आयोजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

इन योजनाओं (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नई योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए सहित) के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 16.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम : सरकार द्वारा सन् 1975 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करना तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा वस्तुतः उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को भी कम करना है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन स्रोतों यथा, केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार के अपने संसाधनों और संस्थागत उधारों से किया जाता है । निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए समतुल्य अनुदान दिया जाता है – स्थापना, आयोजना, सर्वेक्षण, वाराबंदी, फसल क्षतिपूर्ति, फील्ड चैनलों और नालियों का निर्माण तथा प्रशिक्षण आदि । फील्ड चैनलों के निर्माण तथा उपस्कर और मशीनरी के लिए ऋण सहायता भी दी जाती हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा रखे जा रहे 'विशेष ऋण खातों' में केन्द्रीय सरकार का अंशदान भी शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम के लिए 1991-92 की अवधि में 90.00 करोड़ रुपए का आयोजनागत परिव्यय रखा गया है ।

बाढ़ नियंत्रण

14. केन्द्रीय जल आयोग : इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के व्यय की व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी आयोजना के दौरान गंगा, ब्रहमपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के सम्भावित सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा साबरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबन्ध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चिनाब जल-वाह क्षेत्र में जल विज्ञान संबंधी प्रेक्षण-कार्य भी शामिल कर लिया गया है जिसके लिए बजट अनुमान, 1991-92 में 0.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आयोग को भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू व कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15. ब्रहमपुत्र बोर्ड- यह प्रयोजनी लाभों के लिए ब्रहमपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के वास्ते सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रहमपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा तट कटाव को रोकने और जल निकास में सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रहमपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी । बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है।

16. गन्डक नदी पर बाधा चितोनी रेलवे तथा सड़क पुल के निर्माण का लागत हिस्सा: रेलवे मंत्रालय द्वारा गंडक नदी पर निर्माण किए जाने वाले पुल की लागत में अंशदान के लिए ब.अ.1991-92 में 25.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

17. बाढ़ नियन्त्रण तथा समुद्री कटाव रोधी निर्माण कार्य :

17.01 उत्तरी बिहार में बाढ़ रोधक कार्यक्रम : इस मद के अन्तर्गत, बिहार राज्य सरकार को उनके राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 'अनुदान' के रूप मे केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । ब. अ. 1991-92 में 15.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

17.02 ब्रहमपुत्र नदी घाटी : ब्रहमपुत्र नदी घाटी में ब्रहमपुत्र नदी घाटी में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने के लिए असम सरकार को शत-प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

17.03 गंगा बाढ़ वाले राज्यों में सामरिक महत्व के बाढ़ नियन्त्रण उपाय :

Programme— This represents Special Central Assistance to Government of Rajasthan under the Border Areas Development Programme related to Indira Gandhi Nahar Pariyojna (Rajasthan Canal Project). A plan outlay of Rs.27.80 crores has been made in BE 1991-92.

Minor Irrigation

10. **Central Ground Water Board** - Central Ground Water Board is responsible for undertaking Hydrogeological surveys and exploratory drilling for delineating the Ground Water worthy areas in the country and assisting the States in the preparation of Ground Water Development Schemes and also for strengthening the Ground Water Organisations in the States.

11. **Ground Water Schemes** - Centrally Sponsored Schemes, viz., Strengthening of Ground Water Organisations in States, providing assistance to States on 50% basis have been continued for execution during 1991-92 also. Plan outlay for this scheme in 1991-92 is Rs.2.00 crores.

12. **Surface Water Schemes** - In the field of minor irrigation, the following five Centrally Sponsored Schmes would continue during 1991-92 also:-

(i) Encouraging use of sprinklers, Drip Systems, hydrams, etc;
(ii) Rationalisation of Minor Irrigation Statistics;
(iii) Census of Minor Irrigation Works;
(iv) Development of large Minor Irrigation Commands; and
(v) Evaluation Studies.

In addition to the above schemes, a new scheme for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also been taken up during 1991-92 for which plan outlay of Rs.5.00 crores has been kept in B.E. 1991-92.

An outlay of Rs.16.00 crores has been kept in B.E. 1991-92 for these schemes (including Rs.5.00 crores for new scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

13. **Command Area Development Programme** - The Command Area Development Programme launched by the Government in 1975 as a Centrally Sponsored Scheme is designed to bring about optimum utilisation of the available water, as also to bridge the gap between the irrigation potential created and ultimately utilised. The financing of the CAD Programme is from three sources, viz., Central Assistance, State Government's own resources and institutional credit. Grants are given on matching basis for the following activities viz., establishment, planning, surveys, warabandi, crop compensation construction of field channels and drains and Training etc. Loan assistance is also given for construction of field channels, equipment and machinery, etc. Central Government's contribution to 'Special Loan Account', being maintained by NABARD is also included under this programme. The plan outlay for 1991-92 for this programme is Rs.90.00 crores.

Flood Control

14. **Central Water Commission** - This includes provision for establishment, maintenance and modernisation of Flood Forecasting and Warning Centres at Key sites on important inter State river basins under the Central Water Commission. The Flood Forecasting work which was taken up during the 4th Plan period in the Flood prone basins of Ganga, Brahmaputra, Narmada, Tapti, Teesta and the coastal rivers of Orissa has been extended to cover the Godavari, Damodar, Krishna, Mahi and the Sabarmati rivers due to its proven usefulness. The Flood Forecasts issued by the Central Water Commission through their net work of Hydrometeorological stations and wireless stations are of great help to the local authorities in the flood management and in minimising the flood damages. Hydrological Observations in Chenab basin has also been included under purview of C.W.C. for which Rs.0.35 crores has been provided in B.E. 1991-92.

The Commission is also entrusted with the responsibility of undertaking and executing specific schemes on behalf of Indo-Bangladesh Joint River Commission.

15. **Brahmaputra Board** - The Brahmaputra Board was constituted by Government of India with the specific objective of preparing of Master Plan for the control of floods and bank erosion and improvement of drainage of the Brahmaputra and the Barak Valleys, besides carrying out surveys and investigations for facilitating the preparation of the Master Plan, keeping in view the water resources development of the Brahmaputra Basin for multipurpose benefits. The entire expenditure of the Board is met by Central Government in the form of Grants-in-aid.

16. **Sharing cost of Bagaha-Chitauni Rail-cum-Road Bridge across River Gandak**:- A Plan outlay of Rs.25.00 crores in B.E. 1991-92 has been kept for sharing the cost of construction of bridge over river Gandak to be constructed by the Ministry of Railways.

17. **Flood Control and Anti-sea-Erosion Works:**

17.01 **Flood Proofing Programmes in North Bihar**:- Under this item, central assistance in the form of 'Grant' is proposed to be released to State Government of Bihar for implementation of flood proofing programmes in the northern part of the State. An outlay of Rs.15.00 crores has been made in B.E. 1991-92.

17.02 **Brahmaputra Valley** - 100% loan assistance is being provided to the Government of Assam for execution of flood control measures in Brahmaputra Valley.

17.03 **Strategic Flood Proofing Measures in Ganga Flood Basin**

232.70						248.90	...	248.90
	...	232.70	232.70	...	232.70	250.00	...	250.00

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
18. संविधान के अनुच्छेद 275 के परन्तुको (i) के अधीन योजनाओं के लिए सहायता	18. Assistance for schemes under proviso(i) to Article 275 of the Constitution	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**Total- Central Assistance for State Plans**		252.70	...	252.70	252.70	...	252.70	270.00	...	270.00
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Tribes**		275.44	0.49	275.93	275.44	0.49	275.93	304.29	0.51	304.80
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes.**		572.70	2.81	575.51	573.70	3.01	576.71	673.75	3.62	677.37
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security And Welfare***										
विकलांगों का कल्याण	**Welfare of Handicapped**										
19. नेत्रहीन, मूक, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान	19. National Institutes for Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically handicapped	2235	5.50	7.92	13.42	5.50	7.92	13.42	7.30	8.32	15.62
20. विकलांगों तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	20. Assistance to voluntary organisations for the welfare of handicapped	2235	2.00	1.75	3.75	2.00	1.75	3.75	3.00	1.70	4.70
21. मिशन मोड में तकनीकी विकास परियोजना	21. Technology Development Project in the Mission Mode	2235	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35
22. मेरुदण्ड क्षति केन्द्र	22. Spinal Cord Injury Centre	2235	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00
23. संस्पैस्टिक सोसायटी को सहायता अनुदान	23. Grants-in-aid to Spastics Society	2235	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
24. आर्थिक पुर्नवास कार्यक्रम	24. Economic Rehabilitation Programme	2235	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
		3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.50*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.50*	...	...	...
25. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	25. Other programmes for the welfare of handicapped	2235	8.10	0.99	9.09	8.10	0.99	9.09	19.71	1.04	20.75
		3601	2.02	2.52	4.54	2.02	2.52	4.54	2.45	2.45	4.90
		3602	0.03	0.07	0.10	0.03	0.07	0.10	0.04	0.05	0.09
जोड़		*Total*	*10.15*	*3.58*	*13.73*	*10.15*	*3.58*	*13.73*	*22.20*	*3.54*	*25.74*
जोड़ - विकलांगों का कल्याण	**Total- Welfare of Handicapped**		25.50	13.25	38.75	25.50	13.25	38.75	37.35	13.56	50.91
शिशु कल्याण	**Child Welfare**										
26. द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	26. Distribution expenses on commodity assistance under Bilateral Agreements	2235	...	6.13	6.13	...	4.86	4.86	...	5.63	5.63
27. अन्य योजनाएं	27. Other schemes	2235	0.30	0.14	0.44	0.35	0.14	0.49	0.58	0.21	0.79
		3601	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	8.00	...	8.00
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*5.00*	*0.14*	*5.14*	*5.05*	*0.14*	*5.19*	*8.98*	*0.21*	*9.19*
जोड़-शिशु कल्याण	**Total- Child Welfare**		5.00	6.27	11.27	5.05	5.00	10.05	8.98	5.84	14.82
28. समाज कल्याण की विविध मदें	28. Miscellaneous items of Social Welfare	2235	8.95	1.53	10.48	8.95	1.49	10.44	11.87	2.04	13.91
		3601	4.10	0.01	4.11	4.10	0.01	4.11	5.85	...	5.85
		3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*13.30*	*1.54*	*14.84*	*13.30*	*1.50*	*14.80*	*18.02*	*2.04*	*20.06*
जोड़-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**Total-Social Security and Welfare**		43.80	21.06	64.86	43.85	19.75	63.60	64.35	21.44	85.79
29. अन्य सामाजिक सेवाएं	29. Other Social Services	2250	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.82	0.82
30. सरकारी उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	30. Non -Plan Loans to Public Enterprises - Artificial Limbs Manufacturing Corporation	6875	...	0.67	0.67	...	0.67	0.67	...	0.55	0.55
31. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	31. Investment in Public Enterprises	4225	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
		4875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*10.50*	...	*10.50*
32. सहायता सामग्री और उपस्कर	32. Aid Material & Equipment	3606	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	...	...
घटाइये-प्रचालनात्मक मुख्य शीर्ष में अन्तरण	Deduct transfers to functional Major Heads	3606	...	-0.22	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	...	...
निवल सहायता सामग्री और उपस्कर	Net- Aid Material & Equipment		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*617.15*	*27.98*	*645.13*	*618.20*	*26.93*	*645.13*	*748.75*	*29.38*	*778.13*
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	B. Investment in Public Enterprises	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
31.01 कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	31.01. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
31.02 राष्ट्रीय अ.जा. और अ.ज.जा. वित्त एवं विकास निगम	31.02 National SC & ST Finance and Development Corporation	22225	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़	**Total**		0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	10.50	...	10.50
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Central Sector Plan**										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	22251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	22225	320.00	...	320.00	321.00	...	321.00	413.75	...	413.75
3. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3. Social Security and Welfare	22235	43.80	...	43.80	43.85	...	43.85	64.35	...	64.35
4. अन्य उद्योग	4. Other Industries	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Total-Central Sector Plan**		364.45	...	364.45	365.50	...	365.50	478.75	...	478.75
राज्य आयोजना	**State Plan**										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1. Normal Central Assistance	43601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
2. जनजातीय उप-आयोजना	2. Tribal Sub-Plans	43601	232.70	...	232.70	232.70	...	232.70	250.00	...	250.00
जोड़-राज्य आयोजना	**Total - State Plan**		252.70	...	252.70	252.70	...	252.70	270.00	...	270.00
जोड़	**Total**		617.15	...	617.15	618.20	...	618.20	748.75	...	748.75

गांधी नहर परियोजना (राजस्थान नहर परियोजना) से संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के संबंध में है। 1991-92 के ब. अ. में 27.80 करोड़ रुपए के आयोजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

लघु सिंचाई

10. केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड : केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड , देश में जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों को हाथ में लेने तथा भूगत जल वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग करने और भूगत जल विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए और राज्यों में भू-गत जल संगठनों को सुदृढ करने के लिए भी उत्तरदायी है ।

11. भूगत जल योजनाएं : केन्द्र प्रायोजित स्कीमें अर्थात् राज्यों में भूगत जल संगठनों को मजबूत बनना, राज्यों को 50% आधार पर सहायता उपलब्ध कराना आदि वर्ष 1991-92 के दौरान भी कार्य करने हेतु जारी रखी गई हैं । इस योजना के लिए 1991-92 में 2.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

12. भूतल जल योजनाएं : - लघु सिंचाई के क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित निम्नलिखित सात योजनाएं 1991-92 के दौरान भी जारी रहेंगी:-

(i) स्प्रिंकलरों, ड्रिप प्रणाली, हाइड्रम्स आदि के प्रयोग को बढ़ावा देना,
(ii) लघु सिंचाई संबंधी आंकड़ों को युक्तिसंगत बनाना,
(iii) लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के आंकड़े रखना,
(iv) विस्तृत लघु सिंचाई कमांडों का विकास, तथा
(v) मूल्यांकन अध्ययन ।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक नई स्कीम 1991-92 के दौरान हाथ में लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 1991-92 के बजट अनुमान में 5.00 करोड़ रुपए के आयोजनागत परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

इन योजनाओं (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की नई योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए सहित) के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 16.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम : सरकार द्वारा सन् 1975 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग करना तथा सृजित सिंचाई क्षमता तथा वस्तुतः उपयोग की गई क्षमता के बीच के अंतर को भी कम करना है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वित्तपोषण तीन स्रोतों यथा, केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकार के अपने संसाधनों और संस्थागत उधारों से किया जाता है । निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए समतुल्य अनुदान दिया जाता है — स्थापना, आयोजना, सर्वेक्षण, वाराबंदी, फसल क्षतिपूर्ति, फील्ड चैनलों और नालियों का निर्माण तथा प्रशिक्षण आदि । फील्ड चैनलों के निर्माण तथा उपस्कर और मशीनरी के लिए ऋण सहायता भी दी जाती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा रखे जा रहे 'विशेष ऋण खातों' में केन्द्रीय सरकार का अंशदान भी शामिल किया गया है । इस कार्यक्रम के लिए 1991-92 की अवधि में 90.00 करोड़ रुपए का आयोजनागत परिव्यय रखा गया है ।

बाढ़ नियंत्रण

14. केन्द्रीय जल आयोग : इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जलवाह क्षेत्रों में केन्द्रीय जल आयोग के अधीन स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करने और तत्संबंधी चेतावनी देने वाले केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण और आधुनिकीकरण के व्यय की व्यवस्था शामिल है। बाढ़ संबंधी पूर्वसूचना देने का जो कार्य चौथी आयोजना के दौरान गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, तिस्ता नदियों के सम्भावित सिद्ध होने के कारण उसे गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, माही तथा साबरमती नदियों के जलवाहक क्षेत्रों में भी शुरू कर दिया गया है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अपने जल विषयक मौसम विज्ञान केन्द्रों तथा वायरलेस केन्द्रों के जरिए बाढ़ संबंधी जो पूर्वसूचना भेजी जाती है वह बाढ़ का प्रबन्ध करने और बाढ़ से होने वाली क्षति को कम से कम करने में स्थानीय प्राधिकारियों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। केन्द्रीय जल आयोग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चिनाब जल-वाह क्षेत्र में जल विज्ञान संबंधी प्रेक्षण-कार्य भी शामिल कर लिया गया है जिसके लिए बजट अनुमान, 1991-92 में 0.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आयोग को भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग की तरफ से विशिष्ट योजनाओं को शुरू व कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

15. ब्रह्मपुत्र बोर्ड- वह प्रयोजनी लाभों के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधन विकास को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर योजना तैयार करने में मदद देने के वास्ते सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करने के अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एवं बारक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा तट कटाव को रोकने और जल निकास में सुधार करने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी । बोर्ड का समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता-अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है।

16. गन्डक नदी पर बाघा चितौनी रेलवे तथा सड़क पुल के निर्माण का लागत हिस्सा: रेलवे मंत्रालय द्वारा गंडक नदी पर निर्माण किए जाने वाले पुल की लागत में अंशदान के लिए ब.अ.1991-92 में 25.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

17. बाढ़ नियन्त्रण तथा समुद्री कटाव रोधी निर्माण कार्य :

17.01 उत्तरी बिहार में बाढ़ रोधक कार्यक्रम : इस मद के अन्तर्गत, बिहार राज्य सरकार को उनके राज्य के उत्तरी भाग में बाढ़ रोधक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 'अनुदान' के रूप में केन्द्रीय सहायता जारी किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । ब. अ. 1991-92 में 15.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

17.02 ब्रह्मपुत्र नदी घाटी : ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बाढ़ नियन्त्रण के उपाय करने के लिए असम सरकार को शत-प्रतिशत ऋण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

17.03 गंगा बाढ़ वाले राज्यों में सामरिक महत्व के बाढ़ नियन्त्रण उपाय :

Programme— This represents Special Central Assistance to Government of Rajasthan under the Border Areas Development Programme related to Indira Gandhi Nahar Pariyojna (Rajasthan Canal Project). A plan outlay of Rs.27.80 crores has been made in BE 1991-92.

Minor Irrigation

10. **Central Ground Water Board** - Central Ground Water Board is responsible for undertaking Hydrogeological surveys and exploratory drilling for delineating the Ground Water worthy areas in the country and assisting the States in the preparation of Ground Water Development Schemes and also for strengthening the Ground Water Organisations in the States.

11. **Ground Water Schemes** - Centrallly Sponsored Schemes, viz., Strengthening of Ground Water Organisations in States, providing assistance to States on 50% basis have been continued for execution during 1991-92 also. Plan outlay for this scheme in 1991-92 is Rs.2.00 crores.

12. **Surface Water Schemes** - In the field of minor irrigation, the following five Centrally Sponsored Schmes would continue during 1991-92 also:-

(i) Encouraging use of sprinklers, Drip Systems, hydrams, etc;
(ii) Rationalisation of Minor Irrigation Statistics;
(iii) Census of Minor Irrigation Works;
(iv) Development of large Minor Irrigation Commands; and
(v) Evaluation Studies.

In addition to the above schemes, a new scheme for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also been taken up during 1991-92 for which plan outlay of Rs.5.00 crores has been kept in B.E. 1991-92.

An outlay of Rs.16.00 crores has been kept in B.E. 1991-92 for these schemes (including Rs.5.00 crores for new scheme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes).

13. **Command Area Development Programme** - The Command Area Development Programme launched by the Government in 1975 as a Centrally Sponsored Scheme is designed to bring about optimum utilisation of the available water, as also to bridge the gap between the irrigation potential created and ultimately utilised. The financing of the CAD Programme is from three sources, viz., Central Assistance, State Government's own resources and institutional credit. Grants are given on matching basis for the following activities viz., establishment, planning, surveys, warabandi, crop compensation construction of field channels and drains and Training etc. Loan assistance is also given for construction of field channels, equipment and machinery, etc. Central Government's contribution to 'Special Loan Account', being maintained by NABARD is also included under this programme. The plan outlay for 1991-92 for this programme is Rs.90.00 crores.

Flood Control

14. **Central Water Commission** - This includes provision for establishment, maintenance and modernisation of Flood Forecasting and Warning Centres at Key sites on important inter State river basins under the Central Water Commission. The Flood Forecasting work which was taken up during the 4th Plan period in the Flood prone basins of Ganga, Brahmaputra, Narmada, Tapti, Teesta and the coastal rivers of Orissa has been extended to cover the Godavari, Damodar, Krishna, Mahi and the Sabarmati rivers due to its proven usefulness. The Flood Forecasts issued by the Central Water Commission through their net work of Hydrometeorological stations and wireless stations are of great help to the local authorities in the flood management and in minimising the flood damages. Hydrological Observations in Chenab basin has also been included under purview of C.W.C. for which Rs.0.35 crores has been provided in B.E. 1991-92.

The Commission is also entrusted with the responsibility of undertaking and executing specific schemes on behalf of Indo-Bangladesh Joint River Commission.

15. **Brahmaputra Board** - The Brahmaputra Board was constituted by Government of India with the specific objective of preparing of Master Plan for the control of floods and bank erosion and improvement of drainage of the Brahmaputra and the Barak Valleys, besides carrying out surveys and investigations for facilitating the preparation of the Master Plan, keeping in view the water resources development of the Brahmaputra Basin for multipurpose benefits. The entire expenditure of the Board is met by Central Government in the form of Grants-in-aid.

16. **Sharing cost of Bagaha-Chitauni Rail-cum-Road Bridge across River Gandak:** - A Plan outlay of Rs.25.00 crores in B.E. 1991-92 has been kept for sharing the cost of construction of bridge over river Gandak to be constructed by the Ministry of Railways.

17. **Flood Control and Anti-sea-Erosion Works:**

17.01 **Flood Proofing Programmes in North Bihar:-** Under this item, central assistance in the form of 'Grant' is proposed to be released to State Government of Bihar for implementation of flood proofing programmes in the northern part of the State. An outlay of Rs.15.00 crores has been made in B.E. 1991-92.

17.02 **Brahmaputra Valley** - 100% loan assistance is being provided to the Government of Assam for execution of flood control measures in Brahmaputra Valley.

17.03 **Strategic Flood Proofing Measures in Ganga Flood Basin**

1990-91 के दौरान गंगा बाढ़ बेसिन राज्यों को सामरिक महत्व के बाढ़ निरोधी उपायों के लिए 'ऋण' के रूप में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी । चूंकि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे ऋणों को लेने की अनिच्छुक थी, इसलिए मौजूदा समय में वर्ष 1991-92 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

17.04 **राज्यों में समुद्री-कटाव रोधी कार्यों के लिए सहायता** - इस मद के अन्दर्गत की गई आयोजना व्यवस्था केरल आदि जैसे विभिन्न राज्यों में समुद्री-कटाव रोधी कार्यों के कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए है। इस योजना के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 4.00 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है ।

17.05 **अन्य** - आयोजना-भिन्न व्यवस्था, देश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में बाढ़ से बचाव करने के तात्कालिक निर्माण कार्यों के लिए विशेष ऋण सहायता के संबंध में है ।

18. **बाढ़ नियंत्रण की अन्य योजनाएं** : इसमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग जोकि गंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान तैयार करने के कार्य और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा समन्वित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के संबंध में मूलभूत अनुसंधान कार्यों में लगा हुआ है, के लिए व्यवस्था शामिल है।

अन्य परिवहन सेवायें

19. **फरक्का बराज परियोजना** : फरक्का बराज परियोजना जो अनिवार्यतः परिवहन क्षेत्र की परियोजना है, का क्रियान्वयन इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है । गंगा नदी पर फरक्का पर मुख्य बराज और जंगीपुर के पास भागीरथी पर एक बराज, रेल एवं सड़क पुल और बराज से निकाली गई तथा भागीरथी में गिरती हुई पृष्ठ नहरों के कार्य 1975 में पूरे कर लिए गए थे । फरक्का में नौवहन लोक को 1987 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया । फरक्का पर नौवहन लोक का कार्य पूरा हो जाने पर, हल्दिया से फरक्का तक और पटना से इलाहाबाद तक का अन्तर्देशीय नौवहन मार्ग फिर से चालू कर दिया गया है । बजट अनुमान, 1991-92 में की गई आयोजना व्यवस्था मुख्यतः भूमि कटाव-रोधी कार्यों के लिए है । फरक्का बराज, जंगीपुर बराज और पृष्ठ नहर के नियमित अनुरक्षण के लिए भी आयोजना-भिन्न शीर्ष के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

20. **अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग — नेपाल हितकारी योजनाएं चंद्रा नहर** - चन्द्रा नहर आदि के नवीकरण और विस्तार के लिए नेपाल की महामहिम सरकार और भारत सरकार के बीच मूलतः अप्रैल, 1976 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । यह सहमति हुई थी कि नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा उपर्युक्त कार्य को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार 18.05 करोड़ रुपए (नेपाली मुद्रा) की वित्तीय सहायता देगी । तथापि करार के अनुसार नेपाल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जा सका । भारत सरकार से 41.80 करोड़ रुपए की सीमा तक (नेपाली मुद्रा) अर्थात् 28.44 करोड़ रुपए (भारतीय मुद्रा) की वित्तीय सहायता के साथ परियोजना की लागत को संशोधित किया गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य अब पूरा कर लिया गया है, इसलिए बजट अनुमान 1991-92 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

21. **डान नहर, जलपापुर बाढ़ नियंत्रण कार्य और पश्चिमी कोसी नहर**

(i) **डान नहर के लिए सहायता:** बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1986 और 1987 में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त डान नहर की तत्काल मरम्मत का कार्य करने के लिए बिहार सरकार को आयोजना-भिन्न अनुदान के रूप में 3.90 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देने का निर्णय किया है, यह नहर पूर्वी नेपाल नहर को सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है और करार के अन्तर्गत पूर्वी नेपाल नहर को जल की आपूर्ति करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। चूंकि बिहार सरकार का अनुरोध पहले ही पूर्णतः पूरा कर लिया गया है, इसलिए 1991-92 को लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(ii) **जलपापुर बाढ़ नियंत्रण कार्य** : नेपाल की महामहिम सरकार के साथ किए गए संशोधित कोसी करार के अन्तर्गत कोसी बराज के प्रतिप्रवाह में नदी की दायीं ओर नेपाल क्षेत्र में कटाव के रोकथाम के उपाय किए जाने है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा की योजना बिहार सरकार की एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है । बजट अनुमान, 1991-92 में 0.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(iii) **पश्चिमी कोसी नहर** : पश्चिमी कोसी नहर परियोजना में नेपाल क्षेत्र में कोसी बराज की पश्चिमी ओर से, बिहार राज्य में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, एक नहर का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है । नेपाल हितकारी कार्यों की लागत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में दी जा रही है, जबकि भारतीय क्षेत्र में निर्माण कार्यों की लागत बिहार सरकार को ऋण सहायता के रूप में दी जा रही है। बिहार राज्य सरकार से ऋण घटक के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए बजट अनुमान, 1991-92 में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

22. **सरकारी उद्यमों/वित्तीय संस्थाओं में निवेश**

22.01 **नेशनल प्रोजेक्टस कंसट्रक्शन कारपोरेशन लि0**: यह 30.00 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी वाला केन्द्रीय और राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है तथा बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, जल विद्युत परियोजनाओं, तापीय विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में लगा हुआ है । एन.पी.सी.सी., 1989-90 के दौरान जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आया है । पहले यह ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के अधीन था। वर्ष 1991-92 के दौरान 8.00 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन एन.पी.पी.सी. के लिए ऋण के रूप में होगा ।

22.02 **नाबार्ड (कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष ऋण खाते में अंशदान)**: यह कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर किसानों को भूमि समतल करने और उसे आकार देने, फील्ड चैनलों की नालियों के निर्माण करने और ड्रेन, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के कार्य करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा रखे जाने वाले "विशेष ऋण खाते" में केन्द्रीय सरकार का अंशदान दर्शाता है । कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्य के लिए जबकि छोटे और सीमांतिक किसानों को ऋण प्रदान किए जाते है, वहीं कमजोर किसानों को "नाबार्ड" द्वारा रखे जाने वाले विशेष ऋण खाते, जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और "नाबार्ड" द्वारा 37.5 : 37.5 : 25 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, से ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

States - During 1990-91, central assistance in the form of 'Loans' were being provided to Ganga Flood Basin States for undertaking strategic flood proofing measures. As the concerned State Governments were reluctant in approaching for loans, no provisions has been made for the year 1991-92 at present.

17.04 **Assistance for Anti-Sea-Erosion Works in States** - The Plan provision under this item represents central loan assistance to be given to States for accelerating the tempo of anti-sea erosion works in various States like Kerala, etc. Plan outlay for the scheme in B.E. 1991-92 is Rs.4.00 crores.

17.05 **Others** - The Non-Plan provision represents special loan assistance to States for emergent flood protection works in the eastern and western sectors of the country.

18. **Other Schemes of Flood Control** - This includes provision for the Ganga Flood Control Commission which is engaged in Master Plan preparation for Flood Control in Ganga Basin and for Fundamental and Basic Research on Flood Control projects.

Other Transport Services:

19. **Farakka Barrage Project** - The Farakka Barrage Project which is essentially a transport sector project is being implemented by this Ministry. The main barrage at Farakka across the river Ganga and a barrage on Bhagirathi near Jangipur, a road-cum-rail bridge and feeder canals taking off from the barrage and falling into Bhagirathi were completed in 1975. The navigation lock at Farakka has been dedicated to the Nation in 1987. With the completion of the lock at Farakka, the inland navigation routes from Haldia to Farakka and from Patna to Allahabad has been restored. The Plan provision in B.E. 1991-92 is mainly for undertaking anti-erosion works. Provision for regular maintenance of Farakka Barrage, Jangipur Barrage and Feeder Canal is also made under Non-Plan.

20. **Technical and Economic Cooperation with other Countries — Nepal Benefit Schemes-Chandra Canal** - An agreement for the renovation and extension of Chandra Canal etc. was originally signed between HMG Nepal and the Government of India in April, 1976. It was agreed that the Government of India would provide financial aid of Rs. 18.05 crores (Nepal Currency) for execution of the above work by HMG Nepal. As per the agreement, the work however could not be completed by Nepal as scheduled. The cost estimates of the project have been revised with financial assistance from Government of India, to the extent Rs.41.80 crores (Nepal Currency) i.e. Rs.28.44 crores (Indian Currency). The work on the project has since been completed and hence no provision in B.E. 1991-92.

21. **Don Canal, Jalpapur Flood Control Works and Western Kosi Canal:**

(i) **Assistance for Don Canal:** On a request from Government of Bihar, the Central Government have decided to provide special assistance in the form of Non-Plan grant to the tune of Rs.3.90 crores to the State Government for undertaking urgent repairs to Don Canal which has been damaged during the floods of 1986 and 1987. This canal provides irrigation waters to the Nepal Eastern Canal and under the treaty, supply of waters to Nepal Eastern Canal is the obligation of Government of India. As the request of State Government of Bihar has already been met in full, no provision is, therefore, kept for 1991-92.

(ii) **Jalpapur Flood Control Works:** Under the revised Kosi agreement entered into with HMG Nepal, preventive measures are to be undertaken against erosion of areas in Nepal on the right side of the river upstream of Kosi Barrage. The scheme for protecting the areas is being implemented through the agency of Bihar Government. The Central Government provides grants-in-aid to Bihar Government for this work. An amount of Rs. 0.60 crores has been kept in B.E. 1991-92.

(iii) **Western Kosi Canal:** The Western Kosi Canal Project envisages the construction of the canal taking off from the Western side of the Kosi Barrage in the Nepal territory before entering the Indian territory in Bihar State. The cost of Nepal benefit works is being provided by the Government of India as grants-in-aid while the cost for the works on the Indian side is being provided as loan assistance to the Government of Bihar. No proposal for loan component has been received from the State Government of Bihar and hence no provision has been made in BE 1991-92.

22. **Investments in Public Enterprises/Financial Institutions** -

22.01 **National Projects Construction Corporation Ltd:** This is a joint venture of the Central and State Governments with an authorised Capital of Rs.30.00 crores and is engaged in the construction of multi-purpose river valley projects, hydro-electric projects, thermal power projects and irrigation projects. NPCC has come under the administrative control of Ministry of Water Resources during 1989-90. Earlier it was under the Ministry of Energy (Department of Power). The budgetary support of Rs.8.00 crores during 1991-92 will be in the form of loan to N.P.C.C.

22.02 **NABARD (Contribution to Special Loan Account for Command Area Development Programmes)** : This represents contribution of Central Government to the 'Special Loan Account' being maintained by NABARD for financing the ineligible farmers for land levelling and shaping, construction of field channels and drains, sprinklers and drip irrigation under the Command Area Development Programme. While the small and marginal farmers are given loans for the above work under the Command Area Development Programme, the ineligible farmers are given loan out of the Special Loan Account being maintained by the NABARD with the contribution being made to it by the Central and State Governments and NABARD in the ratio of 37.5 : 37.5 : 25.

कल्याण मंत्रालय *MINISTRY OF WELFARE*

मांग संख्या DEMAND No. 82

कल्याण मंत्रालय Ministry of Welfare

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		607.53	27.31	634.84	608.58	26.26	634.84	729.13	28.83	757.96
पूंजी	*Capital*		*9.62*	*0.67*	*10.29*	*9.62*	*0.67*	*10.29*	*19.62*	*0.55*	*20.17*
जोड़	**Total**		**617.15**	**27.98**	**645.13**	**618.20**	**26.93**	**645.13**	**748.75**	**29.38**	**778.13**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	2251	0.15	2.69	2.84	0.15	2.75	2.90	0.15	2.95	3.10
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	**Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes And Other Backward Classes**										
अनुसूचित जातियों का कल्याण	***Welfare of Scheduled Castes***										
2. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता संघटक आयोजना	2. Special Central Assistance for Scheduled Castes Component Plan	2225	2.75	...	2.75	2.75	...	2.75	2.12	...	2.12
		3601	212.00	...	212.00	212.00	...	212.00	222.70	...	222.70
		3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.18	...	0.18
जोड़		*Total*	*215.00*	...	*215.00*	*215.00*	...	*215.00*	*225.00*	...	*225.00*
3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	3. Post Matric Scholarship Scheme	2225	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.30	...	0.30
		3601	15.10	...	15.10	15.10	...	15.10	30.00	...	30.00
		3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*15.23*	...	*15.23*	*15.23*	...	*15.23*	*30.33*	...	*30.33*
4. सफाई वालों की मुक्ति	4. Liberation of Scavengers	3601	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	50.00	...	50.00
5. सिविल अधिकार अधिनियम, 1955 के संरक्षण तथा सफाई वालों की मुक्ति के क्रियान्वयन के लिए तंत्र	5. Machinery for implementation of Protection of Civil Rights Act, 1955	2225	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
		3601	4.10	...	4.10	4.10	...	4.10	5.00	...	5.00
		3602	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*5.00*	...	*5.00*	*5.00*	...	*5.00*	*5.50*	...	*5.50*
6. अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता	6. Assistance to Scheduled Castes Development Corporations	2225	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	0.50	...	0.50
		3601	16.35	...	16.35	16.35	...	16.35	19.25	...	19.25
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*17.00*	...	*17.00*	*17.00*	...	*17.00*	*20.00*	...	*20.00*
7. कन्या छात्रावास	7. Girls Hostels	3601	7.60	...	7.60	7.60	...	7.60	7.68	...	7.68
		3602	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.32	...	0.32
जोड़		*Total*	*8.00*	...	*8.00*	*8.00*	...	*8.00*	*8.00*	...	*8.00*
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	8. Other Programmes for Welfare of Scheduled Castes	2225	3.91	0.25	4.16	3.91	0.25	4.16	4.07	0.25	4.32
		3601	8.77	...	8.77	8.77	...	8.77	15.29	...	15.29
		3602	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.48	...	0.48
जोड़		*Total*	*13.53*	*0.25*	*13.78*	*13.53*	*0.25*	*13.78*	*19.84*	*0.25*	*20.09*
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Castes.**		296.76	0.25	297.01	296.76	0.25	297.01	358.67	0.25	358.92
9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए समान कार्यक्रम	9. Common Programmes for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2225	0.50	2.07	2.57	1.50	2.27	3.77	10.79	2.86	13.65
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	**Welfare of Scheduled Tribes**										
10. कन्या हॉस्टल	10. Girls Hostels	2225	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
		3601	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70	3.70	...	3.70
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*
11. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	11. Post Matric Scholarship Scheme	2225	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.08	...	0.08
		3601	6.10	...	6.10	6.10	...	6.10	9.59	...	9.59
जोड़		*Total*	*6.12*	...	*6.12*	*6.12*	...	*6.12*	*9.67*	...	*9.67*
12. जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल की स्थापना	12. Establishment of Ashram Schools in Tribal Sub-Plan Area	2225	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
		3601	1.92	...	1.92	1.92	...	1.92	1.92	...	1.92
		3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
13. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ को अनुदान	13. Grants-in-aid to Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India	2225	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
14. जनजातीय क्षेत्रों में तेलहनों और वृक्ष मूल के तेलों का विकास	14. Development of Oilseeds and Oils of tree origin in Tribal Area	2225	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38	0.38	...	0.38
		7601	1.12	...	1.12	1.12	...	1.12	1.12	...	1.12
जोड़		*Total*	*1.50*	...	*1.50*	*1.50*	...	*1.50*	*1.50*	...	*1.50*
15. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ	15. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India	4225	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
16. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	16. Other Programmes for Welfare of Scheduled Tribes	2225	3.50	0.35	3.85	3.50	0.35	3.85	3.50	0.37	3.87
		3601	3.52	0.14	3.66	3.52	0.14	3.66	3.52	0.14	3.66
		3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*7.12*	*0.49*	*7.61*	*7.12*	*0.49*	*7.61*	*7.12*	*0.51*	*7.63*
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**Central Assistance for State Plans**										
17. जनजातीय उप-आयोजना	17. Tribal sub-plans.										
17.01 भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ	17.01 Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India	4225	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	...	...	...
17.02 अन्य योजनाएं	17.02 Other Schemes	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.10	...	1.10
		3601	223.70	...	223.70	223.70	...	223.70	248.90	...	248.90
जोड़		*Total*	*232.70*	...	*232.70*	*232.70*	...	*232.70*	*250.00*	...	*250.00*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
18. संविधान के अनुच्छेद 275 के परन्तुक (i) के अधीन योजनाओं के लिए सहायता	18. Assistance for schemes under proviso(i) to Article 275 of the Constitution	3601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**Total- Central Assistance for State Plans**		252.70	...	252.70	252.70	...	252.70	270.00	...	270.00
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Tribes**		275.44	0.49	275.93	275.44	0.49	275.93	304.29	0.51	304.80
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	**Total-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes.**		572.70	2.81	575.51	573.70	3.01	576.71	673.75	3.62	677.37
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	***Social Security And Welfare***										
विकलांगों का कल्याण	**Welfare of Handicapped**										
19. नेत्रहीन, मूक, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान	19. National Institutes for Blind, Deaf, Mentally Retarded and Orthopaedically handicapped	2235	5.50	7.92	13.42	5.50	7.92	13.42	7.30	8.32	15.62
20. विकलांगों तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	20. Assistance to voluntary organisations for the welfare of handicapped	2235	2.00	1.75	3.75	2.00	1.75	3.75	3.00	1.70	4.70
21. मिशन मोड में तकनीकी विकास परियोजना	21. Technology Development Project in the Mission Mode	2235	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35	1.35	...	1.35
22. मेरूदण्ड क्षति केन्द्र	22. Spinal Cord Injury Centre	2235	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00
23. संस्तंभी सोसाइटी को सहायता अनुदान	23. Grants-in-aid to Spastics Society	2235	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50
24. आर्थिक पुर्नवास कार्यक्रम	24. Economic Rehabilitation Programme	2235	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
		3601	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	...	...	...
जोड़		*Total*	*2.50*	...	*2.50*	*2.50*	...	*2.50*	...	...	...
25. विकलांगों के कल्याण के लिए अन्य कार्यक्रम	25. Other programmes for the welfare of handicapped	2235	8.10	0.99	9.09	8.10	0.99	9.09	19.71	1.04	20.75
		3601	2.02	2.52	4.54	2.02	2.52	4.54	2.45	2.45	4.90
		3602	0.03	0.07	0.10	0.03	0.07	0.10	0.04	0.05	0.09
जोड़		*Total*	*10.15*	*3.58*	*13.73*	*10.15*	*3.58*	*13.73*	*22.20*	*3.54*	*25.74*
जोड़ - विकलांगों का कल्याण	**Total- Welfare of Handicapped**		25.50	13.25	38.75	25.50	13.25	38.75	37.35	13.56	50.91
शिशु कल्याण	**Child Welfare**										
26. द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत वस्तु सहायता पर वितरण व्यय	26. Distribution expenses on commodity assistance under Bilateral Agreements	2235	...	6.13	6.13	...	4.86	4.86	...	5.63	5.63
27. अन्य योजनाएं	27. Other schemes	2235	0.30	0.14	0.44	0.35	0.14	0.49	0.58	0.21	0.79
		3601	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	8.00	...	8.00
		3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*5.00*	*0.14*	*5.14*	*5.05*	*0.14*	*5.19*	*8.98*	*0.21*	*9.19*
जोड़-शिशु कल्याण	**Total- Child Welfare**		5.00	6.27	11.27	5.05	5.00	10.05	8.98	5.84	14.82
28. समाज कल्याण की विविध मदें	28. Miscellaneous items of Social Welfare	2235	8.95	1.53	10.48	8.95	1.49	10.44	11.87	2.04	13.91
		3601	4.10	0.01	4.11	4.10	0.01	4.11	5.85	...	5.85
		3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*13.30*	*1.54*	*14.84*	*13.30*	*1.50*	*14.80*	*18.02*	*2.04*	*20.06*
जोड़-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	**Total-Social Security and Welfare**		43.80	21.06	64.86	43.85	19.75	63.60	64.35	21.44	85.79
29. अन्य सामाजिक सेवाएं	29. Other Social Services	2250	...	0.75	0.75	...	0.75	0.75	...	0.82	0.82
30. सरकारी उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	30. Non -Plan Loans to Public Enterprises - Artificial Limbs Manufacturing Corporation	6875	...	0.67	0.67	...	0.67	0.67	...	0.55	0.55
31. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	31. Investment in Public Enterprises	4225	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
		4875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		*Total*	*0.50*	...	*0.50*	*0.50*	...	*0.50*	*10.50*	...	*10.50*
32. सहायता सामग्री और उपस्कर	32. Aid Material & Equipment	3606	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	...	...
घटाइये-प्रचालनात्मक मुख्य शीर्ष में अन्तरण	Deduct transfers to functional Major Heads	3606	...	-0.22	-0.22	...	-0.22	-0.22	...	...	...
निवल सहायता सामग्री और उपस्कर	Net- Aid Material & Equipment		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***Grand Total***		*617.15*	*27.98*	*645.13*	*618.20*	*26.93*	*645.13*	*748.75*	*29.38*	*778.13*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**										
31.01 कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	31.01. Artificial Limbs Manufacturing Corporation	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
31.02 राष्ट्रीय अ.जा. और अ.ज.जा. वित्त एवं विकास निगम	31.02 National SC & ST Finance and Development Corporation	22225	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़	**Total**		0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	10.50	...	10.50
ग. आयोजना परिव्यय	**C. Plan Outlay**										
केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Central Sector Plan**										
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	1. Secretariat - Social Services	22251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
2. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2. Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	22225	320.00	...	320.00	321.00	...	321.00	413.75	...	413.75
3. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3. Social Security and Welfare	22235	43.80	...	43.80	43.85	...	43.85	64.35	...	64.35
4. अन्य उद्योग	4. Other Industries	12875	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़ - केन्द्रीय क्षेत्र आयोजना	**Total-Central Sector Plan**		364.45	...	364.45	365.50	...	365.50	478.75	...	478.75
राज्य आयोजना	**State Plan**										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	1. Normal Central Assistance	43601	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
2. जनजातीय उप-आयोजना	2. Tribal Sub-Plans	43601	232.70	...	232.70	232.70	...	232.70	250.00	...	250.00
जोड़-राज्य आयोजना	**Total - State Plan**		252.70	...	252.70	252.70	...	252.70	270.00	...	270.00
जोड़	**Total**		617.15	...	617.15	618.20	...	618.20	748.75	...	748.75

1. इसके अन्तर्गत कल्याण मंत्रालय के सचिवालय व्यय की व्यवस्था है।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों, विशेष-तौर से प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि कृषि, ग्राम और कुटीर उद्योग, पशु पालन आदि पर आवश्यक बल देना है। इस योजना को 20 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपना लिया है। यह योजना पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

3. और 11. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निर्धन विद्यार्थियों के, विशेषतौर पर सरकारी सेवाओं के, अर्थव्यवस्था के माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में प्रवेश के योग्य बनाना है। राज्यों द्वारा वहन किए जाने के वचनबद्ध व्यय के अतिरिक्त इस योजना को शत - प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

4. राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए तन्त्र को सुदृढ बनाने और साथ ही मौजूदा शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के द्वारा झाड़ूकशों की मुक्ति योजना और विस्थापित झाड़ूकशों को उनके और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि झाड़ूकशों को मैला और गन्दगी को स्वयं उठाने की अमानवीय प्रथा से मुक्त कराया जा सके और इस प्रकार न्यूनतम सम्भव समय में शहरों को झाड़ूकशी से मुक्त कराया जा सके और मुक्त हुए झाड़ूकशों को वैकल्पिक व्यवसाय प्रदान कराया जा सके।

5. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारो को आर्थिक सहायता नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रवर्तन के लिए तंत्र को संगठित करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

6. इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, इन निगमों, जिनकी स्थापना अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है 49:51 आधार पर शेयर पूंजी में योगदान देती है। इस प्रकार के निगमों की स्थापना 18 राज्य सरकारों और 3 संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा की गई है।

7. इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की मिडिल और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण और उनके विस्तार के लिए 50:50 आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान सहायता दी जाती है।

8. व्यवस्था में निम्नलिखित योजनाओं के लिए सहायता शामिल है

i) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां।
ii) चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक
iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण और सम्बद्ध योजना
iv) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावास, और
v) अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आश्रम स्कूलों की स्थापना की नई योजना।

9. इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, डा. अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति का व्यय, अल्पसंख्यकों के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण/शिक्षण केन्द्रों को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदानों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि की गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए अनुदानों की व्यवस्था है।

10. इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण/विस्तार के लिए राज्य सरकारों को बराबरी के आधार पर सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं में, विशेष रूप से स्कूल स्तर पर, अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के पर्याप्त नामांकन को सुनिश्चित करना है। व्यावसायिक संस्थानों जैसे कि टंकण, आशुलिपि, नर्सिंग आदि में अध्ययन कर रही अनुसूचित जनजातियों की लड़कियां भी इन छात्रावासों में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

12. इस स्कीम के अन्तर्गत, शैक्षणिक सुविधाएं तथा अध्ययन के लिए प्रेरक परिवेश के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बराबरी के आधार पर सहायता अनुदान दिया जाता है।

1. The provision is for expenditure on secretariat of the Ministry of Welfare.

2. It is additive to the special component plan for the scheduled castes prepared by the States/U.Ts. The intention is to provide the required thrust to programmes relevant for the development of the S.Cs. particularly in core sectors like agriculture, village and cottage industry, animal husbandry etc. The scheme has been adopted by 20 States and 4 Union Territories. It is entirely financed by the Central Government.

3 &11. The objective of the post matric scholarship scheme is to enable poor SC/ST students to enter secondary and tertiary sectors of the economy, specially in the public services. The scheme is financed by the Central Government on 100% basis over and above the committed expenditure to be met by the states.

4. Assistance is provided by the Central Government to the States for the scheme for the liberation of scavengers by conversion of the existing dry latrines into water borne sanitary ones and rehabilitation of the displaced scavengers with a view to liberate the scavergers from inhuman practice of carrying night soil and filth physically and thereby making the towns scavenging free and provide alternative occupations to the liberated scavengers within the short possible time.

5. Assistance is provided by the Central Govt. to the States for strengthening of machinery for the enforcement of the Protection of Civil Rights Act, 1955.

6. Under this scheme the Central Government along with State Governments contributes on 49:51 basis towards the share capital of these Corporations which have been set up to tackle the credit needs of scheduled castes. Such Corporations have been set up by 18 State Governments and 3 U.Ts.

7. Under the scheme grant/assistance is given to the State Governments on 50:50 basis for construction and extension of hostel buildings for S.C. girls who are studying middle and higher level of education.

8. The provision covers assistance for the following schemes:

i) Pre-matric scholarships for the children of those engaged in unclean occupations.
ii) Book banks scheme for SC/ST students studying in medical/engineering colleges.
iii) Coaching and allied scheme for SC/ST candidates;
iv) Hostels for SC/ST boys; and
v) New scheme of establishment of Ashram schools for SC children.

9. The provision includes expenditure on Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and National Commission for Scheduled Castes & Scheduled Tribes, Dr. Ambedkar Centenary Celebrations, Grants to non-government institutions for running pre-examination training/coaching centres for minorities and grants to non-government institutions for running pre-examination training centres for SCs/STs etc.

10. Under this scheme assistance is given to the State Governments on a matching basis for construction/ expansion of hostels for scheduled tribes girls. The main object of the scheme is to ensure adequate enrolment of ST girls in educational institutions particularly at the school stage. Scheduled Tribe girls studying in professional institutions like those for typing, shorthand, nursing etc. are also eligible for admission in these hostels.

12. Under this scheme, grants-in-aid is given to the State Govts./UT Admns. on matching basis to promote educational facilities and environment conducive for learning.

13. यह व्यवस्था ट्राइफेड को सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने के लिए है ताकि वह राज्यों/निगमों/संघों के साथ निकट समन्वय स्थापित करके तेलहनों, पादपों और वृक्षों के बढ़ाने की स्कीम शुरू कर सके ।

14. इस स्कीम के अन्तर्गत, जनजाति क्षेत्रों में तेलहनों, पादपों और वृक्षों के मूल के तेलों के संग्रहण में सुधार लाने के लिए राज्यों को 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 75 प्रतिशत ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की गई है ।

15. इसके अन्तर्गत 'ट्राइफेड' के लिए शेयर पूंजी से संबंधित व्यय शामिल किया गया है ।

16. इसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा, आवास, उनके स्वैच्छिक संगठनों को सहायता और अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर-राज्यीय स्वरूप की सहायक परियोजनाओं और जातीय मामलों और 'ट्राइफेड को कीमत समर्थन' पर विशेषज्ञ परामर्श देने वाले जनजातीय अनुसंधान संस्थानों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के छात्रावासों के लिए व्यवस्था की गई है ।

17. इस आयोजना की परिकल्पना सघन जनजातीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास और जनजातीयों के सर्वतोमुखी विकास को तेज करने के लिए की गई थी । इसके अंतर्गत 193 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, संशोधित क्षेत्र विकास प्रस्ताव के अंतर्गत जनजातीय केन्द्रीकरण के 249 पाकेट, 77 समूह और 74 आदिम जनजातीय समूह शामिल हैं । इस उप-योजना में 18 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं । इस योजना में जनजातीय क्षेत्रों से बाहर रहने वाली जनजातियों को भी शामिल किया गया है । राज्यों को राज्य आयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई ।

18. यह अनुदान राज्य सरकारों को, अनुसूचित जनजातियों द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसूचित जनजाति विकास की विशेष स्कीमों की लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है ।

19. राष्ट्रीय संस्थान विकलांगों के कल्याण का कार्य कर रहे हैं, इनकी स्थापना विकलांगों आदि की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास, अनुसंधान कार्य करने तथा सेवा कार्यों में सुधार लाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है । ये संस्थान ये हैं : श्रवण दोष से विकलांग व्यक्तियों के लिए अली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सिकन्दराबाद, दृष्टि दोषयुक्त विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, देहरादून और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता । इसके अलावा पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान कटक और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, नई दिल्ली की स्थापना, उनके क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है । ये संस्थाएं पूरी तरह केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं ।

20. योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता देना है, जो विकलांगों की विकलांगता की प्राथमिक अवस्था का पता लगाने और उसमें हस्तक्षेप करने और असमर्थता की रोकथाम करने और उनकी शिक्षा और/या प्रशिक्षण करने तथा विकलांगों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास करने का कार्य कर रहे हैं ।

21. इस योजना का उद्देश्य उन देश में निर्धारित संस्थानों में ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है, जिन का उद्देश्य भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त अल्प लागत सहायक वस्तुओं और उपकरणों का विकास करना और अपंग व्यक्तियों के रोजगार तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए विद्यमान औजारों को अपनाना है ।

22. इस योजना में स्वैच्छिक क्षेत्र में सोसायटी रेजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड मेरुदण्ड क्षति केन्द्र नामक एक सोसाइटी को आर्थिक सहायता देने के लिए व्यवस्था की गई है । यह सोसायटी मेरूदण्ड आघात से पीड़ित रोगियों के लिए व्यापक पुर्नस्थापन केन्द्र स्थापित करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने के वास्ते आर्थिक कार्य विभाग के जरिए इटली की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ।

23. इसमें मुख्यतः स्पास्टिक्स सोसाइटियों को प्रमस्तिष्कीय पक्षघात और मानसिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विद्यमान 6 या 7 संस्थानों के लिए प्रशिक्षण और होस्टल सुविधाओं के लिए सामग्री के विकास के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान है ।

24. इसमें शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुर्नवास कार्यक्रम अपनाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान है ।

13. The provision is for providing funds to TRIFED as grant-in-aid to enable it to undertake the scheme for increasing the collection of oilseeds and oils of tree and forest origin in close coordination with State Corporations/Federations.

14. Under this scheme, 25% grant and 75% loan are given to the States for improving the collection of oilseeds and oils of tree and forest origin in tribal areas.

15. The provision covers the expenditure for share capital for Tribal Cooperative Marketing Development Federation (TRIFED).

16. The provision relates to education, housing, assistance to voluntary organisations for scheduled tribes and support projects of all-India or inter-State nature for scheduled tribes and Tribal Research Institutes for rendering expert advice on tribal matters and price support to TRIFED and Boys Hostels for STs.

17. The concept of Tribal Sub-Plans was designed for the integrated development of the tribal areas and for accelerating the all round development of the tribal people. It now covers 193 Integrated Tribal Development projects, 249 pockets of tribal concentration under Modified Area Development approach, 77 clusters and 74 primitive tribal groups. The sub-plan approach covers 18 States and 2 Union Territories. This approach has also been extended to tribals living outside the tribal areas. Special Central assistance is given to the States as an additive to the State Plans.

18. This grant is given to the State Govts. to meet the costs of special schemes for STs development as may be undertaken by them.

19. National Institutes engaged in the welfare of handicapped have been set up to provide facilities for education, training and rehabilitation, carrying out research, improving the services for the handicapped etc. These institutes are Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Bombay, National Institute for the Mentally Handicapped, Secunderabad, National Institute for the Visually Handicapped, Dehra Dun and National Institute for Orthopaedically Handicapped, Calcutta. Besides these, National Institute for Rehabilitation, Training and Research, Cuttack and Institute for the Physically Handicapped, New Delhi have been set up to provide research-cum-training facilities in their fields. These Institutes are fully financed by the Central Government.

20. This scheme envisages financial assistance to organisations working for detection, intervention of primary nature, prevention of disability, education, training, physical, psychological, social and economic rehabilitation of the handicapped.

21. The scheme provides for funding projects in identified institutions in the country which would aim at developing low cost aids and appliances suitable to indian conditions and adopting the existing tools to improve the productivity and employment of the handicapped persons.

22. The scheme provides for assisting to the Spinal Cord Injury Centre, a Society Registered under the Societies Registration Act in Voluntary Sector, which has been in touch with the Govt. of Italy through the Department of Economic Affairs for external assistance for setting up a comprehensive rehabilitation centre for spinal injury patients.

23. The provision is mainly for Grant-in-aid to the Spastics Societies for development of infrastructure for training and hostel facilities for the existing 6 or 7 institutions working in the field of cerebral palsy and mental retardation.

24. This Provision is for providing assistance to State Governments for taking economic rehabilitation programmes for the Disabled.

25. इसमें विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए आधारभूत सुविधा वाले पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना उनके लिए रोजगार, छात्रवृत्तियां, सहायता तथा यंत्रों की व्यवस्था शामिल है और विकलांगता का शुरू में ही पता लगाने के लिए गांवों में कैम्प लगाने के लिए स्वंयसेवी संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था है और मानसिक विकलांग और स्पास्टिकों के राष्ट्रीय न्यास की नई स्कीमों, मानसिक विकलांगों के पुर्नवास संगठनों की सहायता, विशेष शिक्षा, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए सहायता, विकलांग कल्याण बोर्ड के साथ-साथ विकलांग कल्याण आयुक्त और नेत्तूर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र को सहायता । इसमें संयुक्त राष्ट्र के अपंग व्यक्तियों का दशक के संबंध में विदेशी सहायता भी शामिल है ।

25. This includes provision for other schemes relating to employment, scholarships, aids and appliances establishment of district rehabilitation centres with infrastructure facilities for welfare of the handicapped and assistance to voluntary organistions for organising rural camps for early detection of handicapped and new schemes of National Trust for the Mentally Retarded and Spastics, Assistance to organisations for rehabilitation of mentally ill persons, special education, assistance for rehabilitation of leprosy affected persons through voluntary organisations; a Board for Handicapped Welfare; alongwith a Commissioner for Handicapped Welfare; and assistance to Netture Technical Training Centre. This also includes foreign countri bution in regard to United Nations decade of disabled persons.

26. इसके अंतर्गत व्यवस्था द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त उपहार संबंधी प्रेषणों से संबंधित परिवहन तथा अन्य व्यय को पूरा करने के लिए है । इन करारों में गरीब और जरूरतमंद लोगों के सहायतार्थ और उनके पुनर्वास के लिए दान स्वरूप दी गई आपूर्तियों के भारत में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है ।

26. The provision is for meeting the transport and other incidental expenditure connected with gift consignments received from abroad under bilateral agreements. These agreements envisage duty free entry into India of donated supplies for relief and rehabilitation of the poor and the needy.

27. देखभाल और सुरक्षा के लिए जरूरतमंद बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए व्यवस्था शामिल है । इस का उद्देश्य निराश्रित बच्चों की कल्याणकारी देखभाल, सुरक्षा और विकास सेवाएं प्रदान करना है ताकि उन्हें संस्थागत और गैर-संस्थागत सहायता प्रणाली संबंधित समुदाय में नागारिकों की तरह पुनः बसाया जा सके । इसमें केन्द्रीय अभिग्रहण संसाधन अभिकरण के लिए भी व्यवस्था की गई है ।

27. The provision relates to schemes for welfare of children in need of care and protection. The objective is to provide welfare services for welfare care and proctection, growth and development to destitute children so as to rehabilitate them as normal citizens in the community they belong to through institutional and non-institutional support system. The provision is also for the Central Adoption Resource Agency.

28. इसमें मद्य निषेध, नशीले पदार्थों के उपयोग से बचने के कार्यक्रमों, सामाजिक कार्य करने वाले विद्यालयों, वक्फ और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठन, अनुसंधान संबंधी अध्ययन और अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों, सूचना और जन शिक्षा कक्ष, कैदियों का कल्याण और किशोर अपचार की रोकथाम और नियन्त्रण कार्यों के लिए अनुदान तथा वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित लोगों के कार्यक्रम के लिए स्वंयसेवी संगठनों को सहायता शामिल है । इसमें वृद्धों के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास निधि और संयुक्त राष्ट्र अन्तरक्षेत्रीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान, रोम के लिए विदेशी अंशदान भी शामिल है ।

28. The provision is for expenditure relating to prohibition, drug abuse, prevention programmes, grants to schools of social work, Wakfs and All India voluntary organisations in the field of social welfare,research studies and research publications, Information and Mass Education Cell, welfare of prisoners and prevention and control of juvenile maladjustments and Assistance to voluntary organisations for the programme relating to the aged. This also includes provisions for foreign countribution in regard to United Nations Trust Fund for Aging and United Nations Inter-Regional Crime and Justice Reserch Institute, Rome.

29. इसमें अल्प संख्यक आयोग और भाषाई अल्प संख्यकों के लिए विशेष अधिकारों से संबंधित व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

29. The provision is to meet the expenditure of the Minorities Commission and Special Officer for Linguistic Minorities.

30. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम कानपुर, कृत्रिम अंग-प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक अंगों तथा पुनर्वास संबंधी सहायक उपकरणों का निर्माण करता है और इसका उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को इन्हें उचित लागत पर उपलब्ध कराना है ।

30. The Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Kanpur is manufacturing artificial limbs - prosthetic, orthotic and rehabilitational aids and aims at supplying these to needy persons at reasonable cost.

31. **सरकारी उद्यमों में निवेश :** इनके बजटीय समर्थन इक्विटी और ऋणों तथा आं.ब.बा.सं. का ब्यौरा व्यय बजट खण्ड-I में दिया गया है ।

इसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है :

i) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर को इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ।
ii) राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों की शेयर पूंजी, मार्जिन एवं ऋणों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के लिए ।

31. **Investment in Public Enterprises :** The break up of equity and loans through Budgetary support and IEBR are given in Expenditure Budget Vol. I.

The provision is for :

i) providing equity capital to the Artificial Limbs Manufacturing Corporation; Kanpur and
ii) for the National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Finance and Development Corporation for share capital, margin money loans to States/UT Admns.

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

मांग संख्या DEMAND No.83

परमाणु ऊर्जा Atomic Energy

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget			संशोधित 1990-91 Revised			बजट 1991-92 Budget		
			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		50.61	221.76	272.37	47.56	277.01	324.57	48.32	272.65	320.97
पूंजी	*Capital*		*314.05*	*233.05*	*547.10*	*255.19*	*170.72*	*425.91*	*227.33*	*256.26*	*483.59*
जोड़	**Total**		**364.66**	**454.81**	**819.47**	**302.75**	**447.73**	**750.48**	**275.65**	**528.91**	**804.56**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	...	3.60	3.60	...	3.35	3.35	...	4.00	4.00
		5401	0.55	...	0.55	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*0.55*	*3.60*	*4.15*	*1.00*	*3.35*	*4.35*	*1.00*	*4.00*	*5.00*
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा उद्योग	**Atomic Energy Research and Industries**										
2. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र:	*2. Bhabha Atomic Research Centre*										
2.01 अनुसंधान तथा विकास	2.01 Research & Development	3401	0.73	69.57	70.30	0.73	65.31	66.04	0.65	76.92	77.57
2.02 सामान्य सेवाएं	2.02 Common Services	3401	0.15	20.10	20.25	0.15	20.04	20.19	0.15	22.35	22.50
2.03 स्वास्थ्य	2.03 Health	3401	...	5.25	5.25	...	6.11	6.11	...	6.62	6.62
जोड़		*Total*	*0.88*	*94.92*	*95.80*	*0.88*	*91.46*	*92.34*	*0.80*	*105.89*	*106.69*
2.04 औद्योगिक परियोजनाएं	2.04 Industrial Projects	2852	...	15.32	15.32	...	15.17	15.17	...	17.51	17.51
जोड़		Total	0.88	110.24	111.12	0.88	106.63	107.51	0.80	123.40	124.20
2.05 पूंजीगत परियोजनाएं	2.05 Capital Projects	4861	7.00	...	7.00	5.91	...	5.91	8.10	...	8.10
		5401	12.48	...	12.48	11.00	...	11.00	15.35	...	15.35
जोड़		*Total*	*19.48*	...	*19.48*	*16.91*	...	*16.91*	*23.45*	...	*23.45*
2.06 ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र	2.06 Fuel Reprocessing Plant										
(i) प्रीफ्रे, तारापुर	i. PREFRE, Tarapur	2852	...	5.40	5.40	...	6.01	6.01	...	7.90	7.90
		4861	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ii) ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र प्रीफ्रे, कल्पाक्कम	ii Fuel Reprocessing Plant PREFRE, Kalpakkam	2852	...	6.50	6.50	...	4.00	4.00	...	10.40	10.40
		4861	36.33	...	36.33	28.00	...	28.00	28.00	...	28.00
जोड़		*Total*	*36.33*	*11.90*	*48.23*	*28.00*	*10.01*	*38.01*	*28.00*	*18.30*	*46.30*
जोड़ - भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	**Total - BARC**		**56.69**	**122.14**	**178.83**	**45.79**	**116.64**	**162.43**	**52.25**	**141.70**	**193.95**
3. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र:	3. Indira Gandhi Centre for Atomic Research										
3.01 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और अन्य सुविधाओं को चालू करना	3.01 Commissioning of Fast Breeder Reactor & Other Facilities	3401	2.86	8.74	11.60	2.86	8.48	11.34	0.10	12.21	12.31
3.02 सामान्य सेवाएं	3.02 Common Services	3401	1.14	6.67	7.81	1.14	6.04	7.18	...	8.10	8.10
3.03 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फ्यूल रीप्रोसेसिंग	3.03 FBTR Fuel Reprocessing	4861	7.50	...	7.50	4.03	...	4.03	5.00	...	5.00
3.04 पूंजीगत परियोजनाएं	3.04 Capital Projects	5401	15.00	...	15.00	12.28	...	12.28	18.90	...	18.90
जोड़-इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र	**Total - IGCAR**		**26.50**	**15.41**	**41.91**	**20.31**	**14.52**	**34.83**	**24.00**	**20.31**	**44.31**
4. उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	4. Centre for Advanced Technology	3401	...	1.20	1.20	...	1.10	1.10	...	1.65	1.65
		4861	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
		5401	18.14	...	18.14	15.38	...	15.38	18.50	...	18.50
जोड़-उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र	**Total - CAT**		**18.14**	**1.20**	**19.34**	**15.38**	**1.10**	**16.48**	**19.50**	**1.65**	**21.15**
5. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र	5. Variable Energy Cyclotron Centre	3401	...	4.50	4.50	...	5.25	5.25	...	5.75	5.75
		5401	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00	1.50	...	1.50
जोड़		*Total*	*0.25*	*4.50*	*4.75*	*1.00*	*5.25*	*6.25*	*1.50*	*5.75*	*7.25*
6. क्रय तथा भंडार निदेशालय	6. Directorate Purchase & Stores	3401	0.02	3.58	3.60	0.02	3.04	3.06	0.20	3.25	3.45
7. निर्माण और सेवा ग्रुप, बम्बई	"7. Construction & Services Group, Bombay "	3401	0.30	6.07	6.37	0.09	6.66	6.75	0.12	7.88	8.00
		5401	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.35	...	0.35
जोड़		*Total*	*0.40*	*6.07*	*6.47*	*0.19*	*6.56*	*6.85*	*0.47*	*7.88*	*8.35*
8. सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम	8. General Services Organisation, Kalpakkam	3401	...	4.52	4.52	...	3.77	3.77	...	4.42	4.42
9. टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान को अनुदान	9. Grants to Tata Institute of Fundamental Research	3401	22.25	19.35	41.60	17.72	17.50	35.22	18.50	20.00	38.50
10. टाटा स्मारक केन्द्र को अनुदान	10. Grants to Tata Memorial Centre	3401	5.00	12.62	17.62	6.50	12.04	18.54	8.00	13.90	21.90
11. साहा न्यूक्लीय भौतिकी संस्थान को अनुदान	11. Grant to Saha Institute of Nuclear Physics	3401	1.00	4.63	5.63	1.00	4.40	5.40	1.50	5.15	6.65
12. अन्य संस्थाओं को अनुदान	12. Grants to other Institutes	3401	11.00	1.15	12.15	11.25	1.05	12.30	11.25	1.28	12.53
13. आवास परियोजनाएं	13. Housing Projects	5401	13.01	...	13.01	13.80	...	13.80	13.62	...	13.62
14. परमाणु खनिज प्रभाग	14. Atomic Minerals Division	3401	6.16	17.56	23.72	5.85	16.65	22.50	7.60	17.40	25.00
		4861	2.50	...	2.50	2.00	...	2.00	1.40	...	1.40
		5401	1.84	...	1.84	1.22	...	1.22	2.40	...	2.40
जोड़		*Total*	*10.50*	*17.56*	*28.06*	*9.07*	*16.65*	*25.72*	*11.40*	*17.40*	*28.80*
न्यूक्लीय ईंधन	**Nuclear Fuel**										
15. न्यूक्लीय ईंधन कम्पलेक्स	15. Nuclear Fuel Complex										

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
15.01 ईंधन विनिर्माण सुविधाएं	15.01 Fuel Fabrication Facilities:										
15.001 राजस्व व्यय	15.001 Revenue Expenditure	2852	...	127.30	127.30	...	119.40	119.40	...	141.06	141.06
15.002 घटाइए-प्राप्तियां	15.002 Less-Receipts	0852	...	-162.78	-162.78	...	-80.79	-80.79	...	-156.35	-156.35
15.003 निवल	15.003 Net		...	-35.48	-35.48	...	38.61	38.61	...	-15.29	-15.29
15.02 आम सेवाएं	15.02 Common Services	2852	...	1.54	1.54	...	1.60	1.60	...	2.11	2.11
15.03 इस्पात ट्यूब संयंत्र	15.03 Steel Tubes Plant	2852	...	24.69	24.69	...	16.22	16.22	...	21.50	21.50
15.04 पूंजीगत परियोजनाएं	15.04 Capital Projects	4861	46.00	...	46.00	32.15	...	32.15	36.00	...	36.00
जोड़-न्यूक्लीय ईंधन	**Total-Nuclear Fuel**		**46.00**	**-9.25**	**36.75**	**32.15**	**56.43**	**88.58**	**36.00**	**8.32**	**44.32**
भारी पानी	**Heavy Water**										
16. भारी पानी परियोजनाएं	16. Heavy Water Projects										
16.01 भारी पानी संयंत्र मनुगुरु	16.01 Heavy Water Plant Manuguru	4861	38.51	...	38.51	38.61	...	38.61	17.00	...	17.00
16.02 भारी पानी संयंत्र थाल वैशेट	16.02 HeavyWaterPlant Thal Vaishet	4861	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16.03 भारी पानी संयंत्र, हजीरा	16.03 Heavy Water Plant, Hazira	4861	33.37	...	33.37	26.28	...	26.28	3.00	...	3.00
16.04 अन्य भारी पानी संयंत्र आदि	16.04 Maintenance of Housing Colonies for Heavy Water Plants	2852	...	1.07	1.07	...	1.20	1.20	...	1.35	1.35
16.05 नये भारी पानी संयंत्र	16.05 New Heavy Water Plants	4861	22.16	...	22.16	2.29	...	2.29	...	...	...
16.06 अन्य भारी पानी संयंत्र आदि	16.06 Other HeavyWater Plants etc.	4861	12.12	...	12.12	10.51	1.10	11.61	2.00	1.15	3.15
जोड़ - भारी पानी परियोजनाएं	**Total-Heavy Water Projects**		**106.16**	**1.07**	**107.23**	**77.69**	**2.30**	**79.99**	**22.00**	**2.50**	**24.50**
17. भारी पानी उत्पादन	*17. Heavy Water Production*										
17.01 भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा	17.01 Heavy Water Plant, Baroda	4861	...	27.57	27.57	...	27.09	27.09	...	29.54	29.54
17.02 भारी पानी संयंत्र, कोटा	17.02 Heavy Water Plant, Kota	4861	...	4.03	4.03	...	-1.07	-1.07	...	1.96	1.96
17.03 भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन	17.03 Heavy Water Plant, Tuticorin	4861	...	15.48	15.48	...	12.98	12.98	...	16.48	16.48
17.04 भारी पानी संयंत्र,तालचर	17.04 Heavy Water Plant, Talcher	4861	...	9.00	9.00	...	7.00	7.00	...	8.00	8.00
17.05 भारी पानी संयंत्र, थाल	17.05 Heavy Water Plant, Thal	4861	...	33.00	33.00	...	30.00	30.00	...	33.00	33.00
17.06 भारी पानी संयंत्र, हजीरा	17.06 Heavy Water Plant, Hazira	4861	...	15.00	15.00	...	16.90	16.90	...	30.00	30.00
17.07 भारी पानी संयंत्र, मनुगुरु	17.07 Heavy Water Plant, Manuguru	4861	...	35.70	35.70	...	16.70	16.70	...	46.10	46.10
जोड़		*Total*	...	*139.78*	*139.78*	...	*109.60*	*109.60*	...	*165.08*	*165.08*
जोड़ - भारी पानी	**Total - Heavy Water**		**106.16**	**140.85**	**247.01**	**77.69**	**111.90**	**189.59**	**22.00**	**167.58**	**189.58**
18. अनुसंधान तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	*18. Board for Research and Isotope Technology*										
18.01 राजस्व व्यय	18.01 Revenue Expenditure	2852	...	5.50	5.50	...	5.00	5.00	...	6.50	6.50
18.02 पूंजी व्यय	18.02 Capital Expenditure	4861	2.00	...	2.00	0.81	...	0.81	2.50	...	2.50
जोड़		Total	2.00	5.50	7.50	0.81	5.00	5.81	2.50	6.50	9.00
19. अन्य कार्यक्रम	19. Other Programmes	2852	...	0.59	0.59	...	0.92	0.92	...	0.97	0.97
		3401	...	5.52	5.52	0.25	5.84	6.09	0.25	6.14	6.39
		4425	...	0.01	0.01	...	0.02	0.02	...	0.03	0.03
		4861	0.67	93.26	93.93	0.95	60.00	60.95	0.50	90.00	90.50
		5401	0.02	...	0.02	0.09	...	0.09	0.21	...	0.21
जोड़		*Total*	*0.69*	*99.38*	*100.07*	*1.29*	*66.78*	*68.07*	*0.96*	*97.14*	*98.10*
20. इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि. को सहायता अनुदान	20. Grants-in-aid to Electronics Corporation of India Limited	2852	...	2.00	2.00	...	1.65	1.65	...	2.68	2.68
21. सरकारी उद्यमों में निवेश	21. Investments in Public Enterprises	4859	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...
		4861	40.00	...	40.00	43.28	...	43.28	51.00	...	51.00
		6859	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	...	...	...
		6861	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*44.50*	...	*44.50*	*47.78*	...	*47.78*	*51.00*	...	*51.00*
जोड़ -परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और उद्योग	**Total-Atomic Energy Research and Industries**		**364.11**	**451.21**	**815.32**	**301.75**	**444.38**	**746.13**	**274.65**	**524.91**	**799.56**
कुल जोड़	***Grand Total***		***364.66***	***454.81***	***819.47***	***302.75***	***447.73***	***750.48***	***275.65***	***528.91***	***804.56***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investments in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	1. Electronics Corporation of India Ltd.	12859	4.50	16.67	21.17	4.50	13.50	18.00	...	13.00	13.00
2. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	2. Uranium Corporation of India Ltd.	12861	40.00	...	40.00	43.28	...	43.28	51.00	36.00	87.00
3. इंडियन रेयर अर्थस लि.	3. Indian Rare Earths Ltd	12861	...	23.67	23.67	...	30.20	30.20	...	2.50	2.50
जोड़		*Total*	*44.50*	*40.34*	*84.84*	*47.78*	*43.70*	*91.48*	*51.00*	*51.50*	*102.50*
ग. आयोजना परिव्यय--	**C. Plan Outlay**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग	1. Telecommunication and Electronics Industries	12859	4.50	16.67	21.17	4.50	13.50	18.00	...	13.00	13.00
2. परमाणु ऊर्जा उद्योग	2. Atomic Energy Industries	12861	248.16	23.67	271.83	194.82	30.20	225.02	155.50	38.50	194.00
3. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3. Atomic Energy Research	13401	112.00	...	112.00	103.43	...	103.43	120.15	...	120.15
जोड़	**Total**		**364.66**	**40.34**	**405.00**	**302.75**	**43.70**	**346.45**	**275.65**	**51.50**	**327.15**

1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं : इस में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिवालय के तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए भी व्यवस्था है।

2. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र : भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र न्यूक्लीय ऊर्जा तथा तत्संबंधी विषयों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र है । इसकी सुविधाओं के अंतर्गत अनुसंधान रिएक्टर, त्वरक, संगणक और एक यूरेनियम संयंत्र, ईंधन तत्त्व निर्माता संयंत्र और प्लूटोनियम संयंत्र आते हैं । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की पूंजीगत परियोजनाओं के लिए, जिनमें अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं, तथा कार्यचालन क्रियाकलापों के लिए जिनमें वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन, सामग्री तथा सामान, मशीनरी तथा उपस्कर आदि शामिल हैं, और विभिन्न अनुसंधान एवं विकास प्रभागों, प्रयोगशालाओं और केन्द्र के अन्य संयंत्रों के अनुरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है ।

2.01. जिन मुख्य पूंजी परियोजनाओं के लिए बजट में व्यवस्था की गई है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i **नई और आधुनिक संगणक प्रणाली की अभिवृद्धि और उसका विस्तार** यह अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के कार्यकलापों की संगणकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है और इस प्रयोजन के लिए 4.60 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विद्यमान सुविधाओं में पहले से बृहत्तर संगणक सुविधा की स्थापना करके वृद्धि की जा रही है ।

ii **अत्युच्च संभारी सेवाएं**- इसमें उच्च तापमान में अत्युच्च संभारी सेवाओं के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान के लिए भी व्यवस्था है।

iii **राष्ट्रीय उच्च शुद्धता सामग्री विश्लेषणात्मक अभिलक्षण केन्द्र**- इस केन्द्र के लिए भी व्यवस्था प्रस्तावित है । प्रयोगशाला में सिविल निर्माण कार्य चल रहा है और 1991 में 85% कार्य पूरा हो जाएगा ।

अति उच्च संभारी सामग्री एवं मेग्नेट्स, अति उच्च संभारी लाइनक बूस्टर, जीव विज्ञान और कृषि में मूलभूत एवं व्यवहार्य अनुसंधान, अल्ट्रासोनिक इमेजिंग तथा प्रोसेसिंग के विकास रियेक्टर कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेंटेशन के आधुनिकीकरण तथा कैमक एवं फास्ट बुस-इन्स्ट्रूमेंटेशन के विकास आदि जैसी परियोजनाओं के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है ।

2.02 विद्युत रिएक्टर ईंधन पुनःसंसाधन संयंत्र (पी.आर.ई.एफ.आर.ई.)

कलपक्कम में इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है । बजट में 28.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्य रूप से उपस्कर प्राप्त करने तथा सिविल और इलैक्ट्रिकल निर्माण कार्यों आदि के लिए की गई है । परमाणु अनुसंधान रियक्टरों से प्राप्त तरल पदार्थों को संसाधित करने और उन्हें ठोस बनाने के लिए ट्रामबे में एक अपशिष्ट पदार्थ अचलीकरण संयंत्र की स्थापना की जारही है । बजट में 7.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यतः सिविल, विद्युत तथा अभियांत्रिकी निर्माण कार्यों और उपस्करों के लिए की गई है ।

वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों (राजस्व) की तुलना में वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में निवल वृद्धि मुख्यतः अनुसंधान और विकास गतिविधियों, समर्थन सुविधाओं और ईंधन निर्माण सुविधाओं जैसी औद्योगिक गतिविधिओं और विद्युत रिएक्टर और ईंधन पुनः संसाधन संयंत्रों के कार्यचालन के व्ययों के संबंध में है।

3. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र : कलपक्कम में स्थित यह केन्द्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों और थोरियम टैक्नोलाजी से संबंधित अनुसंधान तथा विकास-कार्य करता है । सुविधाओं में फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर और विभिन्न विशेष प्रयोगशालाएं तथा संयंत्र शामिल हैं, जिनकी स्थापना फास्ट ब्रीडर टैस्ट-रिएक्टर के निर्माण और प्रचालन में सहायता देने और विद्युत अर्जन में वृद्धि करने के लिए फास्ट रिएक्टर कार्यक्रम को काम में लाने के उद्देश्य से की जा रही है । 23.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रोटोटाइप, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के समर्थन के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान, और रेडियो धातुकर्म प्रयोगशाला, रेडियो रसायन प्रयोगशाला तथा इंजीनियरिंग सेवाओं, आदि जैसी सुविधाओं के लिए निर्धारित है ।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को समर्थन देने के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इंजीनियरिंग अनुसंधान कार्य शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अन्ततोगत्वा प्रस्तावित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना के कार्य में सहयोग देना है । इस परियोजना के लिए 4.35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ईंधन पुनः संसाधन संयंत्र के लिए 5.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था

1. Secretariat - Economic Services - This includes provisions for the Secretariat of the Department of Atomic Energy as well as for the Atomic Energy Commission.

2. Bhabha Atomic Research Centre (BARC): The BARC is the national centre for research and development work in the nuclear energy and related disciplines. Its facilities include research reactors, accelerators, computers, as also a uranium plant, fuel elements fabrication plant and plutonium plant. Provision has been made for the capital projects of the Bhabha Atomic Research Centre covering the research and development as well as industrial projects and for the operational activities which include salaries of scientific and other personnel, materials and supplies, machinery and equipment, etc. and maintenance of various research and development divisions, laboratories and other plants of the Centre.

2.01. Some of the major capital projects for which provision has been included in the budget are the following:

i. **Augmentation and extension of New and Modern Computer System.** This is to meet the increased computational needs of the Centre for Research and Development activities by augmenting the existing facility with a larger Computer Configuration at an estimated cost of Rs.4.60 crores.

ii. **Super conductivity** : Provision has also been made for superconductivity to carry out basic research in High Temperature Superconductors.

iii. **National Centre for Analytical Characterisation of High Purity Materials.** Provision for National Centre for Analytical Characterisation of High Purity Materials has also been proposed. Civil works on the lab. are on and during 1991, 85% of the work will be over.

Suitable provisions have also been made for projects like Development of Super conducting Materials and Magnets, Super Conducting Linac Booster, Basic and Applied Research in Biology and Agriculture, Ultrasonic Imaging and processing, Modernisation of Reactor Control Instrumentation and Development of CAMAC and FAST BUS— Instrumentation, etc.

2.02 Power Reactor Fuel Reprocessing Plant (PREFRE)

This plant is being set up at Kalpakkam. The provision of Rs. 28.00 crores in the budget is mainly for procurement of equipment and for civil, electrical works etc. A Waste Immobilisation Project at Trombay is also being set up to process and solidify liquid waste from the Research Reactors of the Atomic Energy. The provision of Rs. 7.00 crores in the Budget is mainly for Civil, electrical and mechanical works and equipments.

The net increase in BE 91-92 over the RE 90-91 (Revenue) is mainly on account of larger provisions for Research and Development activities, supporting facilities and industrial activities like Fuel Reprocessing Facilities and for the operational expenses of Power Reactor Fuel Reprocessing Plants.

3. Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) - This Centre at Kalpakkam conducts research and development relating to Fast Breeder Reactors and Thorium technology. Its facilities include Fast Breeder Test Reactor and various special laboratories and plants being set up to help in the construction and operation of the Fast Breeder Test Reactor and use of the Fast Reactor Programme to enhance power generation. The provision of Rs.23.90 crores is for the Engineering Research in support of Prototype Fast Breeder Reactor and Facilities like Radio-metallurgy Laboratory, Radio-chemistry Laboratory, Engineering Services etc.

Engineering Research in support of Prototype Fast Breeder Reactor estimated to cost Rs. 25.00 crores has been undertaken to support the ultimate objective of setting up the proposed Prototype Fast Breeder Reactor. The provision of Rs. 4.35 crores has been made for this project. While an amount of Rs. 5.00 crores has been provided for Fast Breeder Test Reactor Fuel reprocessing to reprocess the fuel

की गई है । फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर और विभिन्न प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए राजस्व बजट में 20.41 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

4. **उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र** : फ्यूजन और त्वरक संबंधी अनुसंधानों के लिए इंदौर में एक नए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जा रही है । पूंजीगत बजट में 19.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था आधारभूत सुविधाओं अर्थात् प्रयोगशाला भवन और वर्कशाप आदि के लिए और लेसर प्रौद्योगिकी और त्वरक के क्षेत्र में नई अनुसंधान और विकास, उद्योग और औषधियों में उनका प्रयोग शुरू करने के लिए की गई है। 7.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लेसर एवं उच्च प्रौद्योगिकी उपस्कर के लिए सुविधाओं का प्रस्ताव है जिसके लिए आई तथा एम एक क्षेत्र में 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है । राजस्व बजट में, मौजूदा अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखने के लिए 1.65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

5.. **परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र कलकत्ता**: यह केन्द्र न्यूक्लीय भौतिकी विज्ञान, न्यूक्लीय रसायन विज्ञान, चिकित्सा औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए आइसोटोप उत्पादन तथा परमाणु भट्टी की सामग्री से उत्पन्न विकिरणों द्वारा होने वाली क्षति का अध्ययन करने के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अध्ययन कार्य सम्पन्न करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा के रूप में स्थापित किया गया है ।

6. **आणविक खनिज प्रभाग** : पूंजीगत व्यय में की गई व्यवस्था मूलरूप से हैदराबाद, बंगलोर, बड़ौदा, जयपुर में प्रयोगशालाओं तथा आवासों के निर्माण कराने एवं बगजथा (बिहार), डोमारेट (मेघालय), कसराकलाटा (हि. प्र.) तथा तुमलापल्ली (आन्ध्र प्रदेश) में खानों का पता लगाने के लिए की गई है । राजस्व बजट में मौजूदा कार्यकलापों तथा खुदाई और अन्य प्रचालन एवं सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों की संभावनाओं तथा विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

7.0 **सहायता प्राप्त संस्थाएं**

7.1 **बम्बई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान** : यह न्यूक्लीय विज्ञान और गणित का एक राष्ट्रीय केन्द्र है तथा इसके दो विभाग हैं, गणित और भौतिकी विभाग । इसकी विशेष सुविधाओं मे राष्ट्रीय संगणक केन्द्र, बैलून बनाने और उड़ाने की सुविधा तथा जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए ट्रिशियम प्रयोगशाला शामिल है । बजट में संस्थान को सहायता अनुदान देने के लिए 38.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यतः सिविल निर्माण कार्यों के अनावर्ती व्यय को पूरा करने और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए आवश्यक उपस्कर प्राप्त करने और पहले से चल रही अनुसंधान की गतिविधियों संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए की गई है जिनमें कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं । यह संस्थान विराट मीटर तरंग रेडियो दूरी दूरवीक्षण यन्त्र, जो खगोल विज्ञान अनुसंधान की दुनियां में एक अद्वितीय शक्तिशाली सुविधा होगी, होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द, जैव-विज्ञान रेडियो मूलभूत अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने जैसे कार्य कर रहा है।

7.2. **टाटा स्मारक केन्द्र (टी.एम.सी.)** : इसमें टाटा स्मारक अस्पताल और कैंसर अनुसंधान संस्थान शामिल हैं, यह देश में कैंसर का इलाज करने वाली अग्रणी संस्थाओं में से एक है और कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है । बजट में निर्धारित 21.90 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान मुख्यतः केन्द्र के लिए उपस्कर प्राप्त करने, सिविल निर्माण कार्यों पर आने वाले व्यय तथा अस्पताल और अनुसंधान संस्थान के चालू खर्चों के तथा नई बम्बई में कैंसर चिकित्सा, अनुसंधान और शिक्षा के लिए आधुनिक केन्द्र, जिसमें 200 बिस्तरे और अन्य सुविधाएं होंगी, के लिए और इसके साथ ही उत्तरपूर्वी क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गुवाहाटी (असम) में डा. बरूआ कैन्सर संस्थान के विकास के लिए है।

7.3 **कलकत्ता स्थित साहा न्यूक्लियर भौतिकी संस्थान** माइक्रोस्कोपी/ मास स्पैक्ट्रोमीटरी, न्यूक्लियर स्पैक्ट्रोस्कोपी कंडेस्ड मेटर फिजिक्स, सर्फेस अध्ययन आदि के क्षेत्र में अनुसंधान करता है । बजट में 6.65 करोड़ रुपए के सहायता-अनुदान की व्यवस्था सिविल निर्माण कार्यों पर आने वाले व्यय को पूरा करने, पूंजीगत उपस्कर प्राप्त करने और विभिन्न जारी अनुसंधान सुविधाओं के खर्चों को पूरा करने के लिए है ।

7.4 **अन्य संस्थानो को अनुदान**

भौतिकी विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर यह संस्थान सैद्धान्तिक तथा प्रयोगिकी भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान कार्य करता है। सहायता अनुदानों की व्यवस्था त्वरक सुविधा की स्थापना, सिविल निर्माण कार्यों और जारी अनुसंधान — गतिविधियों के लिए की गई है ।

अन्य अनुदान : गणित शास्त्र का विकास करने के लिए, गणित विज्ञान संस्थान, मद्रास और मेहता संस्थान, इलाहाबाद, नेशनल बोर्ड फार हायर

from FBTR to close the fuel cycle. The provision of Rs. 20.41 crores in the Revenue Budget is for the operation of FBTR and operation and maintenance of various laboratories for carrying on research work.

4. **Centre for Advanced Technology** : This research centre is being set up at Indore for Fusion and Accelerator Research. A provision of Rs.19.50 crores in the Capital Budget is to provide infrastructural facilities like laboratory buildings, workshop etc and for taking up new research schemes in the field of Advanced Laser Technology and in the field of accelerators to explore their applications in R&D, Industry and Medicine. It is proposed to set up a "Facility for the Production of Lasers and High Technology Equipment" with an estimated cost of Rs. 7.80 crores for which a provision of Rs. 1.00 crore has also been made in the I &M Sector. On the Revenue side, the provision ofRs. 1.65 crores is for carrying on the existing research activities.

5. **Variable Energy Cyclotron Centre, Calcutta** : This centre is a national research facility for advanced work in nuclear physics, nuclear chemistry,isotopes production for medical, Industrial and agricultural purposes and radiation damage studies of reactor materials.

6. **Atomic Minerals Division** The provision made on the capital side is essentially intended towards carrying out construction of laboratories and houses at Hyderabad, Bangalore, Baroda, Jaipur as well as for exploratory mining at Bagjatha (Bihar), Domiaset (Meghalaya), Kasha Kalara (HP) and at Tumalapalli (Andhra Pradesh). The provision on the revenue side takes care of the existing activities and drilling and other operations as well as survey, prospecting and development of mineral resources.

7.0 **Aided Institutions.**

7.1 **Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)** Tata Institute of Fundamental Research, Bombay is a national centre for nuclear science and mathematics with the school of mathematics and school of physics. Its special facilities include a national computer centre, a balloon fabrication facility and tritium laboratory for hydrological studies. The provision of Rs. 38.50 crores in the budget for grants-in-aid to the Institute is mainly to cover non-recurring expenses of civil works and procurement of equipments required for its research programmes and running expenses of its on-going research activities including salaries of staff and other administrative expenses. It is also executing National Programmes viz. Giant Meter Wave length Radio Telescope, which will be a uniquely powerful facility in the world of astronomical research, Homi Bhabha Centre for Science Education and a Centre for Fundamental Research in Biological Science.

7.2 **Tata Memorial Centre (TMC)** This comprises Cancer Research Institute and the Tata Memorial Hospital. It is one of the foremost treatment centre for cancer in the country and also for conducting research on cancer. The Grants-in-aid of Rs.21.90 crores provided in the budget mainly covers procurement of equipments, expenses on civil works and running expenses of the Hospital and the Research Institute besides setting up an Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer at New Bombay with 200 beds and allied facilities as well as developing Dr. Barooah Cancer Institute at Gauhati (Assam) to extend treatment facilities to the people in the North Eastern Region.

7.3. **Saha Institute of Nuclear Physics at Calcutta** Saha Institute of Nuclear Physics at Calcutta conducts research in Electron Microscopy, mass-spectrometry nuclear spectroscopy , Condensed Matter Physics, Surface Studies etc. The Grants-in-aid of Rs. 6.65 crores provided in the budget is to cover expenses on procurement of capital equipments, civil works and running expenses of its on-going research facilities.

7.4 **Grants to other Institutes**

Institute of Physics, Bhubaneswar This Institute conducts research works in different branches of Theoretical and experimental physics. Provision for Grants-in-aid has been made for the establishment of Accelerator facility, civil works and for on-going research activities.

Other Grants: Grants to the extent of Rs. 10.00 crores are also provided to various other Institutes like the Institute of Mathematical

मैथेमेटिक्स,न्यूक्लिय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड आदि जैसी अन्य विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के लिए 10.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है।

8. **न्यूक्लीय ईंधन कम्प्लेक्स** : न्युक्लियर विद्युत रिएक्टरों की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैदराबाद में इस कम्पलैक्स की स्थापना की गई है । परमाणु बिजलीघरों के लिए आवश्यक ईंधन तत्वों तथा कलैंड्रिया ट्यूबों आदि का निर्माण करने के अलावा यह कम्पलैक्स इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए आवश्यक अति शुद्ध धातुओं तथा सामग्रियों का निर्माण भी करता है । जरकोनियम आक्साइड संयंत्र, सिरेमिक ईंधन निर्माण संयंत्र, स्टेनलैस स्टील की जोड़रहित ट्यूब बनाने वाला संयंत्र, समृद्ध यूरेनियम वाले आकसाइड संयंत्र जैसे ईंधन निर्माण करने की सुविधाओं वाले अनेक संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं । कम्पलैक्स में ईंधन निर्माण करने की सुविधाओं का विस्तार करने, और हैदराबाद और तुरमडीह में एक नई ईंधन परियोजना पलायकायल (तमिल नाडु) में जरकोनियम स्पंज निर्माण संयंत्र तथा हैदराबाद में एक नए जिरकालोए निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 36.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । कई सुविधाओं तथा संयंत्र के चालू खर्चों के लिए भी व्यवस्ता की गई है।

वर्ष 1991-92 में ईंधन निर्माण सुविधाओं से लगभग 156.35 करोड़ रुपए की वाणिज्यिक प्राप्तियां होने की आशा है ।

9. **भारी पानी परियोजनाएं** : मानुगुरु और हजीरा में परमाणु बिजलीघरों के उपयोग के लिए आवश्यक भारी पानी संयंत्रों के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिएं भारी पानी का उत्पादन करने के लिए, बजट में 22.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । इसमें कोटा, बड़ौदा, तूतीकोरिन और हजीरा तथा मानुगुरु में भारी पानी संयंत्रों के लिए आवासीय बस्तियां बनाने के लिए 4.17 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी शामिल की गई है । नए भारी पानी संयंत्रों पर काम शुरु करने तथा कोटा, तूतिकोरिन, बड़ौदा और थाल के भारी पानी संयंत्रों में सुधार कार्य करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गई है ।

बजट में तूतीकोरिन, बड़ौदा, कोटा, तलचर और थल वेशट में स्थित भारी पानी संयंत्र, मेटैलिक पोटेशियम संयंत्र एवं बड़ौदा में भारी पानी संयंत्र की अमोनिया सिन्थेसिस गैस सुविधा के लिए और कर्मचारियों की आवास कालोनियों के अनुरक्षण संबंधी व्यय के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में मानुगुरु और हजीरा में भारी पानी परियोजना संबंधी प्रचालन व्यय भी शामिल हैं जो वर्ष के दौरान प्रचालित कर दिए गए हैं ।

10. *सरकारी उद्यमों में निवेश :*

10.1 **इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि.**: परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए आवश्यक परिष्कृत इलेक्ट्रानिक उपकरण तैयार करता है। यह कम्पनी भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक साज-सामान का निर्माण वाणिज्यिक आधार पर करती है । यह कम्पनी अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं, अर्थात् कम्प्यूटरों, टी.वी. सैटों आदि का भी निर्माण करती है । 31-3-90 को कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 42.22 करोड़ रुपए थी । परमाणु ऊर्जा के संबंध में अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों के लिए, सहायता अनुदानों के रूप में 2.68 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

10.2 **इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड** : यह खनिज रेत को अलग करने तथा मोनाजाइट से विरल मृदा निकालने का काम करती है । यह कम्पनी ट्राम्बे में भारत सरकार के थोरियम संयंत्र की प्रबन्ध-व्यवस्था भी देखती है। कम्पनी ने उड़ीसा सेण्ड्स कम्पलैक्स परियोजना की स्थापना का भी काम पूरा कर दिया है, जिसमें उड़ीसा में खनिज रेत पृथक्करण संयंत्र और सिंथेटिक रुटाइल संयंत्र की स्थापना भी शामिल है । 31.3.90 को कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी 63.23 करोड़ रुपए थी ।

10.3 **यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड** : यह खानों से यूरेनियम निकालती है तथा उसकी पिसाई करती है । जादूगुडा में इस निगम की एक खान और एक मिल हैं । यह कम्पनी अन्य यूरेनियम भंडारों से वाणिज्यिक स्तर पर खनिज निकालना चाहती है । 31.3.90 को इस कम्पनी की कुल चुकता पूंजी 55.89 करोड़ रुपए थी । बिहार में नरवापहाड़ तथा तुरमडीह खानों तथा मिलों और जादूगुडा में तीसरे शैफ्ट सिंकिंग पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए कम्पनी को सहायता देने हेतु ईक्विटी निवेश के लिए बजट में 51.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

Sciences at Madras, Mehta Research Institute at Allahabad, National Board for Higher Mathematics, Board of Research in Nuclear Science etc.

8. **Nuclear Fuel Complex** - This Complex at Hyderabad has been established to meet the fuel requirements of the Nuclear Power Reactors. Besides producing the fuel elements, calandria tubes etc. required for the atomic power stations, it also produces special high purity metals and materials, required for electronic industry. A number of fuel fabrication facilities like Zirconium Oxide Plant, Ceramic Fuel Fabrication Plant, enriched Uranium Oxide Plant etc and Stainless Steel Seamless Tubes Plant are already operational. A provision of Rs.36.00 crores has been made for Expansion of Fuel Fabrication Facilities at the complex, setting up of a new fuel project at Hyderabad, a new Zirconium Sponge plant at Palayakayal (Tamil Nadu) and a Zircaloy Fabrication plant at Hyderabad. Provision has also been made for the running expenses of the various facilities and plants.

In 1991-92 the commercial receipts from Fuel Fabrication Facilities are expected to be around Rs.156.35 crores.

9. **Heavy Water Projects** - A provision of Rs. 22.00 crores has been made in the Budget for meeting capital expenditure on the heavy water plants at Manuguru and Hazira for producing heavy water required for the use in the Atomic Power Stations. This also includes a provision of Rs. 4.17 crores for the housing colonies for the Heavy Water Plants at Kota, Baroda, Tuticorin, Hazira and Manuguru. Necessary provision has also been made for improvementworks at Kota, Tuticorin, Baroda and Thal plants.

The Budget also provides for the operational expenses of heavy water plants at Tuticorin, Baroda, Kota, Talcher and Thal Vaishet as also for the metallic potassium plant and the ammonia synthesis gas facility of heavy water plant, Baroda and the maintenance of staff housing colonies. Provision also includes operational expenses of Heavy Water Projects at Manuguru and Hazira which have become operational during the year.

10. ***Investments in Public Enterprises:-***

10.1 **Electronics Corporation of India Ltd. (ECIL)** ECIL produces sophisticated electronics instruments required for the atomic power programme. The company also undertakes commercial manufacturing of various electronic equipments developed at the Bhabha Atomic Research Centre and the Tata Institute of Fundamental Research and other commercial products like computer, TV sets etc. The total paid up capital of the company as on 31.3.90 amounted to Rs.42.22 crores. An amount of Rs. 2.68 crores is also proposed as grant-in-aid for research and development programme relevant to Atomic Energy.

10.2 **Indian Rare Earths Limited (IRE)** IRE undertakes the separation of mineral sands and extraction of rare earths from monazite. The company also manages the Government Thorium Plant at Trombay. It has completed the establishment of Orissa Sands Complex Project in Orissa comprising a minerals separation plant and a synthetic rutile plant. The total paid up capital of the Company as on 31.3.1990 amounted to Rs.63.23 crores.

10.3 **Uranium Corporation of India Ltd. (UCIL)** is responsible for mining and milling of Uranium. It has a mine and a mill at Jaduguda. The Company proposes to undertake, in due course, commercial exploitation of other Uranium deposits. The total paid-up capital of the Company amounted to Rs. 55.89 crores as on 31.3.1990. A Provision of Rs.51.00 crores for investment in equity has been made in the Budget to assist the Company in meeting the expenditure on Narwapahar and Turamdih Mines and Mills in Bihar as well as the Third Shaft Sinking at Jaduguda.

(करोड़ रुपयों में In crores of Rs.)

सार्वजनिक उद्यमों के लिए ईक्विटी तथा ऋण Equity and loan to Public Enterprises :

		सं. अ. RE 1990-91			ब. अ. BE 1991-92		
		ईक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total	ईक्विटी Equity	ऋण Loan	जोड़ Total
1. ई सी आई एल	1. ECIL	2.00	2.50	4.50	...	...	...
2. यू सी आई एल	2. UCIL	43.28	...	43.28	51.00	...	51.00
		45.28	**2.50**	**47.78**	**51.00**	...	**51.00**

परमाणु ऊर्जा विभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

मांग संख्या DEMAND No.84

नयूक्लीय विद्युत संबंधी स्कीमें Nuclear Power Schemes

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	22.61	22.61	...	80.10	80.10	...	119.90	119.90
पूंजी	*Capital*		*195.00*	...	*195.00*	*194.50*	...	*194.50*	*136.49*	...	*136.49*
जोड़	**Total**		**195.00**	**22.61**	**217.61**	**194.50**	**80.10**	**274.60**	**136.49**	**119.90**	**256.39**
न्यूक्लीय विद्युत परियोजनाएं	Nuclear Power Projects										
1. राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र :	1. *Rajasthan Atomic Power Station:*										
1.01 सकल राजस्व व्यय	1.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	55.00	55.00	...	55.00	55.00	...	60.00	60.00
1.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	1.02 Less-Revenue Receipts	0801	...	-38.48	-38.48	...	-28.75	-28.75	...	-33.29	-33.29
1.03 निवल	1.03 Net		...	16.52	16.52	...	26.25	26.25	...	26.71	26.71
2. ईंधन भंडार	2. Fuel Inventory										
2.01 सकल राजस्व व्यय	2.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	99.93	99.93	...	126.00	126.00	...	206.00	206.00
2.02 घटाइये प्राप्तियां	2.02 Less Receipts	0801	...	-124.29	-124.29	...	-89.20	-89.20	...	-115.23	-115.23
2.03 निवल	2.03 Net		...	-24.36	-24.36	...	36.80	36.80	...	90.77	90.77
3 तारापुर और कलपक्कम में अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध सुविधाएं	3. Waste Management Facilities at Tarapur	2801	...	5.90	5.90	...	5.50	5.50	...	6.20	6.20
	and Kalpakkam	4801	2.07	...	2.07	2.46	...	2.46	1.73	...	1.73
जोड़		*Total*	*2.07*	*5.90*	*7.97*	*2.46*	*5.50*	*7.96*	*1.73*	*6.20*	*7.93*
4. भारी पानी पूल प्रबन्ध	4. Heavy Water Pool Management :										
4.01 सकल राजस्व व्यय	4.01 Gross Revenue Expenditure	2801	...	77.50	77.50	...	55.00	55.00	...	75.40	75.40
4.02 घटाइए - राजस्व प्राप्तियां	4.02 Less-Revenue Receipt	0801	...	-53.05	-53.05	...	-43.55	-43.55	...	-79.28	-79.28
4.03 निवल	4.03 Net		...	24.45	24.45	...	11.45	11.45	...	-3.88	-3.88
5. अन्य योजनाएं	5. Other Schemes	2801	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
		4801	7.93	...	7.93	7.04	...	7.04	4.19	...	4.19
जोड़		*Total*	*7.93*	*0.10*	*8.03*	*7.04*	*0.10*	*7.14*	*4.19*	*0.10*	*4.29*
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	6. Investment in Public Enterprises	4801	185.00	...	185.00	185.00	...	185.00	130.57	...	130.57
		6801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*185.00*	...	*185.00*	*185.00*	...	*185.00*	*130.57*	...	*130.57*
कुल जोड़	***Grand Total***		***195.00***	***22.61***	***217.61***	***194.50***	***80.10***	***274.60***	***136.49***	***119.90***	***256.39***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	**B. Investment in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
न्यूक्लीय विद्युत निगम	Nuclear Power Corporation	12801	185.00	630.62	815.62	185.00	738.52	923.52	130.57	441.39	571.96
ए सी सी बाबकूक लि.	ACC Babcock Ltd.	12801	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*185.00*	*630.62*	*815.62*	*185.00*	*738.52*	*923.52*	*130.57*	*441.39*	*571.96*
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay**										
1. विद्युत	1. Power	12801	195.00	630.62	825.62	194.50	738.52	933.02	136.49	441.39	577.88
	* इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है :- * *Inclusive of Works Outlay as below:-*										
न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	Nuclear Power Schemes	(4801)	...	...	...			...		...	...

1. **राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र - यूनिट-I:** राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का प्रबंध अभिकरण व्यवस्था के आधार पर भारतीय परमाणु शक्ति निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है । इसलिए प्रचालन संबंधी व्ययों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है ।

2. **ईंधन भंडार:** इसमें तारापुर के लिए समृद्ध यूरेनियम का आयात करने पर होने वाले व्यय तथा दाबित भारी पानी के रिएक्टरों के लिए न्यूक्लीय ईंधन कम्पलेक्स के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले ईंधन के व्ययों के लिए व्यवस्था की गई है । भारतीय परमाणु शक्ति निगम लिमिटेड से वसूल किए गए ईंधन के उपभोक्ता प्रभारों को हिसाब में शामिल करने के पश्चात, इस से संबंधित राजस्व खाते के व्यय की निवल राशि 90.77 करोड़ रुपए है ।

3. **अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध सुविधाएं:** इनका निष्पादन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा किया जा रहा है और तारापुर तथा कलपक्कम में इनका प्रचालन हो रहा है ।

4. **भारी पानी पूल प्रबंध:** इसमें, भारी पानी के भंडार के प्रबंध के लिए व्यवस्था की गई है । भारी पानी के उपयोग से संबंधित लीज प्रभार प्रचालन विद्युत केन्द्रों द्वारा वसूल कर लिए जाते हैं । इस सम्बन्ध में (-) 3.88 करोड़ रुपए के निवल व्यय की व्यवस्था की गई है ।

5. **अन्य योजनाएं:** इनमें काकरापार में स्थित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं । 33.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के

1. **RAPS-Unit-I:** The management of Rajasthan Atomic Power Station has been entrusted to NPCIL on an agency basis. Hence provision has been made in the Budget for the operational expenses.

2. **Fuel Inventory:** This provides for expenditure on the import of enriched uranium for Tarapur as well as for the fuel supplied by the Nuclear Fuel complex for Pressurised Heavy Water Reactors. Taking into account the user charges for fuel recovered from NPCIL, the revenue expenditure on this account is netted at Rs. 90.77 crores.

3. **Waste Management Facilities:** These are executed by BARC and operated at Tarapur and Kalpakkam.

4. **Heavy Water Pool Management:** This provides for the management of Heavy Water Inventory. Lease charges are recovered for the use of Heavy Water by the operating power stations. The net expenditure on this account is Rs. (-) 3.88 crores.

5. **Other Schemes:** Thease include Environmental Survey Laboratories at Kakrapar. Provision is also made for Prototype Fast

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय न्यूक्लीय विद्युत निगम लिमिटेड (भा. न्यू. वि. नि. लि.) - इस संस्थान को 3 सितम्बर, 1987 को एक कम्पनी के रूप में निगमित किया गया । इस निगम की स्थापना मुख्य रूप से वाणिज्यिक आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए न्यूक्लीय ऊर्जा का विकास और नियमन करने के प्रयोजन से एक वृहत एवं एकीकृत कार्यक्रम का आयोजन करने और उसे कार्यान्वित करने, पर्यावरण के संरक्षण की व्यवस्था करने और क्रय, विक्रय, निर्यात तथा विनिर्माण आदि के कार्य में व्यस्त होने तथा सहायक सुविधाओं का परिचालन और अनुरक्षण करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी ।

इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2,000.00 करोड़ रुपए है । कम्पनी ने अपना कारोबार 17.9.87 को शुरू किया । अब यह अपने मौजूदा विद्युत केन्द्रों का संचालन कर रही है और नई विद्युत परियोजनाओं तथा सहायक परियोजनाओं के विनिर्माण का कार्य भी हाथ में ले रही है ।

कुछ एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण, जिन्हें अब निगम द्वारा चलाया जा रहा है जिनमें से प्रत्येक पर 100.00 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी और जिनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, इस प्रकार है :

Breeder Reactor with an estimated cost of Rs.33.00 crores.

Nuclear Power Corporation of India Ltd. (NPCIL): NPCIL was incorporated as a company on 3rd September, 1987 with the main objective to plan and execute an integrated programme for harnessing and developing nuclear energy for generating electricity on commercial basis, to promote protection of the environment and to engage in purchase, selling, exporting, manufacturing etc., and operation and maintenance of ancillary facilities.

The authorised capital of the company is Rs.2,000.00 crores. The Company commenced its business on 17.9.1987. It is now operating the existing power stations and is undertaking construction of new power projects and ancillary projects.

Some of the important projects costing more than Rs.100.00 crores each, now being executed by NPCIL and for which provision has been made are given below :

योजना का नाम	Name of the scheme	स्वीकृत लागत Approved cost	1990-91 (सं.अ.) RE for 1990-91	आयोजना परिव्यय 1991-92 (ब.अ.) Plan outlay for BE 1991-92	पूर्ति की प्रत्याशित अवधि Anticipated completion date
			(करोड़ रुपए	Rs. in crores)	
1. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	1. Narora Atomic Power project	399.64	36.98	17.69	1990-91*
2. काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना I तथा II	2. Kakrapara Atomic Power Project I & II	382.52	127.43	63.71	1991-92
3. कैगा परमाणु विद्युत स्टेशन यूनिट I तथा II	3. Kaiga Atomic Power Station Unit I & II	730.72	121.15	180.00	1995-96
4. राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन यूनिट III तथा IV	4. Rajasthan A.P.S. Unit III & IV	711.57	130.00	180.00	1995-96

नरोरा प्रमाणु विद्युत परियोजना (एन ए पी पी) - I 1.1.91 से वाणिज्यिक घोषित की गई है ।
नरोरा प्रमाणु विद्युत परियोजना (एन ए.पी पी) - II कार्य समापन के अन्तिम चरण में है और अगस्त 1991 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है ।
* NAPP-I is declared commercial from 1.1.91.
NAPP-II is an advanced stage of completion and is expected to go critical by August 1991.

235 मेगावाट एम्पीयर की चार नई परियोजनाओं एवं तत्संबंधी सहायक सुविधाएं जिसमें 500 मेगावाट एम्पीयर के निर्माण कार्य के लिए (70.00 करोड़ रुपए) तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र और राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र में सुधार कार्य के लिए 60.56 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की गई है ।
Provision is also made for four new 235 MWe projects (Rs 70.00 crores), and for ancillary facilities including development works for 500 MWe. Improvements for TAPS and RAPS (Rs. 60.56 crores).

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के इक्विटी तथा ऋण
Equity and Loans to Public Sector Enterprises :

(करोड़ रुपए Rs. in crores)

	(सं. अ. 1990-91) RE 1990-91			(ब. अ. 1991-92) BE 1991-92		
	इक्विटी Equity	ऋण Loans	जोड़ Total	इक्विटी Equity	ऋण Loans	जोड़ Total
विद्युत Power	185.00	...	185.00	130.57	...	130.57

इलेक्ट्रोनिकी विभाग DEPARTMENT OF ELECTRONICS

मांग संख्या DEMAND No. 85

इलेक्ट्रोनिकी विभाग Department of Electronics

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		81.35	12.31	93.66	67.50	12.70	80.20	77.95	13.34	91.29
पूंजी	*Capital*		*28.65*	...	*28.65*	*28.92*	...	*28.92*	*43.65*	...	*43.65*
जोड़	**Total**		**110.00**	**12.31**	**122.31**	**96.42**	**12.70**	**109.12**	**121.60**	**13.34**	**134.94**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat-Economic Services	3451	1.00	3.40	4.40	0.90	3.40	4.30	1.00	3.77	4.77
दूर संचार और इलेक्ट्रानिक्स उद्योग	**Telecommunications and Electronics Industries**										
2. प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं	2. Technology Development Council Projects	2852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7425	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	*6.00*	...	*6.00*
3. औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी संवर्धन कार्यक्रम	3. Industrial Electronics Promotion Programme	2852	3.95	...	3.95	3.95	...	3.95	2.70	...	2.70
		4859	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.30	...	0.30
जोड़		*Total*	*4.50*	...	*4.50*	*4.50*	...	*4.50*	*3.00*	...	*3.00*
4. राष्ट्रीय राडार परिषद परियोजना	4. National Radar Council Projects	2852	1.60	...	1.60	1.60	...	1.60	2.60	...	2.60
		6859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7425	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*3.00*	...	*3.00*
5. एस ई सी ओ कार्यक्रम	5. SECO Programme	2852	1.20	...	1.20	0.55	...	0.56	0.75	...	0.75
		4859	0.30	...	0.30	0.10	...	0.10	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*1.50*	...	*1.50*	*0.65*	...	*0.65*	*1.00*	...	*1.00*
6. कम्प्यूटर के लिए विशेष जनशक्ति का निर्माण	6 Generation of Special Manpower for Computer	2852	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		Total	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*
7. उत्कृष्ट विकास केन्द्र आदि	7. Centre for Excellence Development etc.	2852	1.70	...	1.70	1.70	...	1.70	0.50	...	0.50
8. इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास कार्यक्रम	8. Electronics Material Development Programme	2852	4.00	...	4.00	3.60	...	3.60	3.00	...	3.00
		4859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		6859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*3.60*	...	*3.60*	*3.00*	...	*3.00*
9. नेशनल माइक्रो इलेक्ट्रानिक काउंसिल-इंडियन माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स प्रोग्राम	9. National Micro Electronics Council-Indian Micro Electronics Programme	2852	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	5.40	...	5.40
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		4859	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.45	...	0.45
		6859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		7425	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.15	...	0.15
जोड़		*Total*	*4.00*	...	*4.00*	*4.00*	...	*4.00*	*6.00*	...	*6.00*
10. परिकलन विकास केन्द्र (सी.डी. ए सी)	10. Centre for Development of Computing(C-DAC)	2852	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
11. राष्ट्रीय एच.वी.डी.सी. परियोजना	11. National HVDC Project	2852	2.00	...	2.00	0.75	...	0.75	1.00	...	1.00
12. अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव एलेक्ट्रानिक इंजीनियरी तथा अनुसंधान संस्था	12. Society for Applied Microwave Electronics Engg. and Research (SAMEER)	2852	4.37	2.30	6.67	4.00	2.30	6.30	2.00	2.42	4.42
13. मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम	13. Standardisation Activities Programme	2852	3.00	2.22	5.22	3.00	2.22	5.22	3.80	2.33	6.13
		3601	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
		4859	2.35	...	2.35	4.35	...	4.35	3.00	...	3.00
जोड़		*Total*	*5.55*	*2.22*	*7.77*	*7.55*	*2.22*	*9.77*	*7.00*	*2.33*	*9.33*
14. इलेक्ट्रानिक डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	14. Centre for Electronics Design and Technology	2852	4.00	1.20	5.20	5.00	1.20	6.20	4.25	1.26	5.51
15. विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम	15. Special Manpower Development Programme	2852	1.50	...	1.50	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
		3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.50*	...	*1.50*	*3.00*	...	*3.00*	*4.00*	...	*4.00*
16. साफ्टवेयर विकास कार्यक्रम	16. Software Development Programme	2852	0.95	...	0.95	1.02	...	1.02	...	...	...
		4859	0.05	...	0.05	0.02	...	0.02	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*1.04*	...	*1.04*	...	...	...
17. साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम	17. Software Export Promotion Programme	2852	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00

(करोड़ रुपए Rs. in crores)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
18. पांचवीं जनरेशन की कम्प्यूटर प्रणाली का विकास कार्यक्रम	18. Fifth Generation Computer System Dev. Programme	2852	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	1.50	...	1.50
		4859	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
जोड़		*Total*	*1.00*	...	*1.00*	*1.00*	...	*1.00*	*1.60*	...	*1.60*
19. सेमिकंडक्टर कम्पलैक्स लिमिटेड (एस सी एल)	19. Semi Conductor Complex Ltd.(SCL)	2852	15.00	...	15.00	1.00	...	1.00	15.00	...	15.00
20. इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र तथा आर ई टी सी	20. Electronic Research & Development Centres & RETCs	2852	2.00	2.30	4.30	4.00	2.69	6.69	3.00	2.67	5.67
21. सी एल ए एस एस कार्यक्रम	21. CLASS Programme	2852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.25	...	0.25
22. भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास	22. Technology Development for Indian Languages	2852	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	0.75	...	0.75
		4859	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.25	...	0.25
जोड़		*Total*	*2.00*	...	*2.00*	*2.00*	...	*2.00*	*1.00*	...	*1.00*
23. फोटोनिक विकास कार्यक्रम	23. Photonics Development Programme	2852	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	0.50	...	0.50
24. अन्य कार्यक्रम	24. Other programmes	2250	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
		2852	7.38	0.20	7.58	6.63	0.20	6.83	10.75	0.20	10.95
		3453	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14	...	0.14	0.14
		4859	3.00	...	3.00	1.50	...	1.50	1.05	...	1.05
		6859	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*10.38*	*0.89*	*11.27*	*8.13*	*0.89*	*9.02*	*11.80*	*0.89*	*12.69*
25. सहायता सामग्री एवं उपस्कर-सकल	25. Aid Material Equipments - Gross	3606	...	5.24	5.24	...	5.24	5.24	...	2.31	2.31
घटाइए - मुख्यशीर्ष में स्थानान्तरण	Deduct - Transfers to functional Major head	3606	...	-5.24	-5.24	...	-5.24	-5.24	...	-2.31	-2.31
निवल-सहायता सामग्री एवं उपस्कर जोड़	Net-Aid Materials & Equipments	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26. सरकारी उपक्रमों में निवेश -	26. Investment in Public Sector Enterprises	4859	15.25	...	15.25	15.25	...	15.25	30.30	...	30.30
		6859	5.75	...	5.75	5.75	...	5.75	6.40	...	6.40
जोड़		*Total*	*21.00*	...	*21.00*	*21.00*	...	*21.00*	*36.70*	...	*36.70*
कुल - जोड़											
ख. सरकारी उपक्रमों में निवेश	**B. Investments in Public Enterprises**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आ.ब.बा.स. IEBR	जोड़ Total
	Grand Total		*110.00*	*12.31*	*122.31*	*96.42*	*12.70*	*109.12*	*121.60*	*13.34*	*134.94*
1.सेमि-कन्डक्टर कम्पलेक्स लि०	1. Semi-Conductor Complex Ltd	12859	20.00	21.70	41.70	20.00	21.70	41.70	35.50	5.00	40.50
2. सी.एम.सी.लि०	2. CMC Ltd.	12859	0.15	26.00	26.15	0.15	26.00	26.15	0.20	4.00	4.20
3. ई.टी.टी.डी.सी.लि.	3. ETTDC Ltd.	12859	0.85	2.00	2.85	0.85	...	0.85	1.00	...	1.00
जोड़		*Total*	*21.00*	*49.70*	*70.70*	*21.00*	*47.70*	*68.70*	*36.70*	*9.00*	*45.70*
अन्य संस्थाएं/निकाय	Other Institutions/Bodies										
एन.सी.एस.टी/एस.ए.एम.ई.ई.आर. के बी सी एस आदि	NCST/SAMEER/KBCS etc.	12859	...	22.30	22.30	...	11.14	11.14	...	2.40	2.40
जोड़		*Total*	*21.00*	*72.00*	*93.00*	*21.00*	*58.84*	*79.84*	*36.70*	*11.40*	*48.10*
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*:-										
1. दूरसंचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योग	1. Telecommunications and Electronics Industries	12859	108.50	72.00	180.50	95.02	58.84	153.86	119.05	11.40	130.45
2.सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2. Secretariat-Economic Services	13451	1.00	...	1.00	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00
3. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3. Other Scientific Research	13425	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	1.55	...	1.55
जोड़		*Total*	*110.00*	*72.00*	*182.00*	*96.42*	*58.84*	*155.26*	*121.60*	*11.40*	*133.00*

*इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय शामिल है :–

Inclusive of Works Outlay as below:-

दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिकी उद्योग	Telecommunications and Electronics Industries	...	...	...	...	...

1. **सचिवालय-आर्थिक सेवाएं :** इसमें इलेक्ट्रोनिकी विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **प्रौद्योगिकी विकास परिषद परियोजनाएं (टी.डी.सी.) :** टी.डी.सी. ने अब तक लगभग 307 परियोजनाओं के लिए सहायता दी है जिसमें से लगभग 247 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं जिनसे इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में देश की अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षमताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। टी.डी.सी. कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के दौरान कुछ नई परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

3. **औद्योगिक इलेक्ट्रोनिकी संवर्धन कार्यक्रम (आई.ई.पी.पी.) :** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एप्रोप्रिएट आटोमेशन प्रोमोशन सेंटर सूक्ष्म-संसाधन अनुप्रयोग इंजीनियरी केन्द्रों और खनन इलेक्ट्रोनिकी उपस्कर विकास के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है ताकि विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों की

1. **Secretariat-Economic Services** - It provides for Secretariat expenditure of the Department of Electronics.

2. **Technology Development Council Projects (TDC)** - The Technology Development Council has so far supported about 307 projects out of which about 247 projects have already been completed which have made much impact on the R&D capabilities of the country in Electronics. Some new projects are proposed to be initiated during 1991–92 under S&T programme as per recommendations of TDC Working Groups.

3. **Industrial Electronics Promotion Programme (IEPP)** - Under this programme Grants-in-aid are released for Appropriate Automation Promotion Centre, Micro-processor Application Engineering Centres and Mining Electronics Equipment

समस्याओं को कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग विदेशों से सहायता पर निर्भर रहने की बजाय अपना आधुनिकीकरण स्वयं कर लें ।

4. **राष्ट्रीय राडार परिषद (एन.आर.सी.)** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में राडार, मार्गनिर्देशी उपकरणों, सोनार तथा अन्तर्जलीय इलेक्ट्रानिकी प्रणालियों के क्षेत्र में लगभग 110 परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जिनमें से अब तक 44 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है।

5. **एस ई सी ओ कार्यक्रम**: सी ए एस ई और एस ई सी ओ, जो सातवीं योजना के लिए विभागीय कार्यक्रम थे, दोनों कार्यक्रमों को मिला कर प्रणाली इंजीनियरिंग और अनुप्रयोग कार्यक्रम (सिस्टम इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम) नामक एक ही कार्यक्रम बना दिया गया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा संगठनों की सुविज्ञता और सुविधाओं का उपयोग करते हुए भारतीय संदर्भ में नये प्रणाली अनुप्रयोग विकसित करना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें समन्वित करना है ।

6. **कम्प्यूटरों के लिए विशेष जनशक्ति जुटाना** : कम्प्यूटर क्षेत्र के लिए विशेष जनशक्ति का विकास करने हेतु चुनिंदा विश्वविद्यालय/कालिजों तथा संस्थाओं में विभिन्न नए पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ।

7. **प्रकर्ष विकास केन्द्र** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों, मुख्यतः कृषि, स्वास्थ्य रक्षा तथा क्षेत्रीय विकास आदि में इलेक्ट्रोनिकी यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है ।

8. **इलेक्ट्रानिकी सामग्री विकास कार्यक्रम** : देश में इस कार्यक्रम की स्थापना इलेक्ट्रानिकी सामग्री के लगातार अत्यधिक आयात को कम करके इलेक्ट्रानिकी संघटक उद्योग में आत्म- निर्भरता प्राप्त करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति के रूप में सी-मेट की स्थापना की गई है । इसके अधीन हैदराबाद, पुणे और त्रिचूर में तीन केन्द्र होंगे, जो व्यावसायीकरण के लिये उद्योगों में अन्तरित करने हेतु बहुत सी इलेक्ट्रोनिक सामग्री के लिये प्रौद्योगिकी की स्थापना करेंगे । इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं में 26 प्रायोजित आर एण्ड डी परियोजनाएं भी निष्पादित की जा रही हैं।

9. **राष्ट्रीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी परिषद- भारतीय सूक्ष्म इलेक्ट्रानिकी कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ए एस आई सी के अभिकल्प पर काम करने के लिए 10 अभिकल्प केन्द्रों की स्थापना की गई है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रायोजित अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी निष्पादित की जा रही हैं ।

10. **उच्च कम्प्यूटरिंग विकास केन्द्र (सी-डैक)** : परियोजना की स्थापना एक पंजीकृत वैज्ञानिक संस्था के रूप में पुणे में की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य सुपर कम्प्यूटरों/उच्च कम्प्यूटरों में प्रयोग में लायी जाने वाली समानान्तर संसाधन तकनीकों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान बढ़ाने के लिए, अपेक्षित देशी अनुसंधान और विकास सक्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न महत्वपूर्ण उपयोगों जैसे मौसम का पूर्वानुमान, भूकंपी आंकड़ों का संसाधन, इकनोमैट्रिक माडलिंग, कृत्रिम आसूचना, आदि के लिए एक समय-बद्ध प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में विकास करना है।

11. **राष्ट्रीय एच.वी.डी.सी. परियोजना** : इसका उद्देश्य एच.वी.डी.सी. प्रौद्योगिकी का विकास करना है जिससे कि उच्च प्रौद्योगिक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया जा सके, उच्च अनुसंधान केन्द्रों को नाभिकीय बनाया जा सके तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में इलेक्ट्रानिकी अनुप्रयोग के लाभों को गुणात्मक और परिमाणात्मक आधार पर प्रदर्शित किया जा सके ।

12. **प्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान सोसाइटी** : बम्बई स्थित यह सोसाइटी सामरिक आवश्यकताओं के लिए कस्टम निर्मित माइक्रोवेव उत्पादों का नमूना तैयार करने और उनकी सप्लाई करने तथा कुछ चुने हुए माइक्रोवेव उत्पादों की बैच संरचना का कार्य कर रही है । यह सोसाइटी कैंसर चिकित्सा के लिए रेखीय त्वरित्र की विभिन्न प्रणालियों का विकास/संरचना करने और इसकी जानकारी के अन्तरण का कार्य भी कर रही है । इसका मद्रास केन्द्र इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के लिए ई.एम.सी. मानक तैयार कर रहा है और ई.एम.आई/ई.एम.सी क्षेत्रों में प्रशिक्षण/ सहायता प्रदान कर रहा है जबकि इसका कलकत्ता केन्द्र राडार और संचार के क्षेत्र में मिलीमीटर-वेव बैंड में संघटक/उप-प्रणालियों का विकास कर रहा है। एस.ए.एम.ई. ई.आर. का सी.ई.पी.टी ई.डी. कार्यक्रम, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता में क्रियान्वित किया जा रहा है, का लक्ष्य पैकेजिंग प्रौद्योगिकी और एरगोनोमिक नमूने तथा इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के लिए सुविधाएं स्थापित करना है।

13. **मानकीकरण गतिविधि कार्यक्रम** : इसका उद्देश्य देश में निर्मित किये गये इलेक्ट्रानिक उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना तथा उन्हें राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 प्रयोगशालाएं और 11 केन्द्र अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में कार्य कर रहे हैं । इसके अलावा, परिक्षण सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के अंतर्गत 7 केन्द्रों को सहायता भी दी जा रही है।

14. **इलेक्ट्रोनिक डिजाइन और प्रौद्योगिकी केन्द्र** : इन केन्द्रों का उद्देश्य इलेक्ट्रोनिकी और इलेक्ट्रो-यांत्रिकी प्रणाली के क्षेत्र में डिजाइन टेक्नालाजी और फेब्रिकेशन तकनीक में विशेषज्ञता का निर्माण करना और इलेक्ट्रानिकी और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली का निर्माण करना हैं । इस समय देश के विभिन्न भागों में छः केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

Development, to mitigate the problems of specific industrial sectors and also to ensure that the industry carry out its modernisation on its own instead of depending for help from outside the country.

4. **National Radar Council Projects (NRC)** - Under this programme about 110 projects have so far been initiated in the Country in the area of Radars, Navigational Aids, Sonars and Underwater Electronics Systems out of which 44 have since been completed.

5. **SECO Programme**: CASE & SECO which were the departmental programmes of the 7th plan have been merged into a single programme called System Engineering and Application Programme, which will aim at new emerging system applications in Indian Context utilising the expertise and facilities of the existing organisations and coordinate meeting with requirements indigenously in the high risk areas.

6. **Generation of Special Manpower for Computers.** - Various new courses have been started at selected Universities/Colleges and other Institutions to develop high calibre manpower for Computer Sector.

7. **Centre for Excellence Development etc.** The main objective of this programme is to promote the use of various electronics instruments in different areas mainly Agriculture, Health care and regional development.

8. **Electronics Material Development Programme** - This programme has been set up in the country to achieve self reliance in electronics components industry reducing the size of the continuous import of Electronics material. C-MET has been set up under this programme as a Society with 3 Centres under it at Hyderabad, Pune & Trichur to establish technology for a range of electronic materials for transfer to industrry for commercialisation. Also, 26 sponsored R&D projects are presently being executed under this programme at different institutions.

9. **National Micro-Electronics Council-Indian Micro Electronics Programme** : Under this programme 10 Design Centres are set up to undertake design of ASICs to cater to customer needs in different sectors of electronics industry. Also, 25 sponsored R&D projects are being executed under this programme.

10. **Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC)** - C-DAC Project has been set up at Pune as a registered Scientific Society with the main objective of development as a time bound technology mission for enhancing the indigenous R&D capability in the techniques of parallel processing used in super computers/advanced computers required for pursuing research in frontier areas of S&T as well as various important applications like weather forecasting seismic data processing econometric modelling, artificial intelligence information etc.

11. **National HVDC Project** - It is aimed to develop the HVDC technology, gain experience in high technology area, to nucleate advanced research Centres and to demonstrate qualitatively and quantitatively the benefits of electronics application in Thermal Power Plants.

12. **Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER)** - SAMEER Bombay is engaged in designing and supplying custom built micro-wave products for strategic needs and batch fabrication of selected microwave products. It is also working in the development fabrication of various systems of linear accelerator for Cancer Therapy and transfer of its know-how. Its Madras centre is engaged in formulating EMC standards for electronic equipments & providing training/support in EMI/EMC area while its Calcutta Centre in the development of Components/sub-systems in millimeter-wave band in Radar & Communication area. The CEPTED programme of SAMEER, which is being implemented with UNDP assistance, aims at establishing facilities for packaging technology and ergonomic design & electronic equipments.

13. **Standardisation Activities Programme** - It aims to improve the quality and reliability of electronic products manufactured in the country and their conforming to the National/International standards. Under this programme 4 Laboratories and 11 Centres are functioning as subordinate offices. Also, assistance is being provided to 7 centres under State Govts. for augmenting the testing facilities.

14. **Centres for Electronics Design and Technology (CEDT)** - The objectives of these centres are to build expertise in design Technology and fabrication techniques in the area of electronics and electro-mechanical system. At present, six Centres are functioning at different locations in the country.

15. **विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में लोगों को शिक्षित, उन्नत और प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

16. **साफ्टवेयर विकास कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरी उद्योग परामर्श संस्थाओं को हर प्रकार से सहायता देने के लिये, कम्प्यूटर-एडिड-डिजाइन (सी.ए.डी.) तथा कम्प्यूटर-एडिड मेनेजमेंट (सी.ए.एम.), नामक दो योजनाएं चलाई जा रही थी ।

17. **साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन कार्यक्रम**: इसका उद्देश्य विश्व भर में बाजारों का पता लगाना और उन बाजारों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना और विभिन्न बाज़ारों के लिये कार्य-नीतियां विकसित करना और विदेशी ग्राहकों के सामने भारतीय क्षमताओं का प्रदर्शन करना, डाटा सम्पर्क के माध्यम से साफ्टवेयर के विकास एवं निर्यात के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना और निर्यात बढ़ाने व लक्ष्य प्राप्त करने के प्रति अपना योगदान देना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं के रूप में भुवनेश्वर, पुणे और बंगलौर में 3 साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सोसायटी के रूप में स्थापित किए गए हैं ।

18. **पांचवी पीढ़ी कम्प्यूटर प्रणाली विकास कार्यक्रम** : यह कार्यक्रम सात संस्थाओं में निष्पादित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सम्बद्ध समस्याओं के बारे में जानकारी पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली (कि.बी.सी.एस.) प्रौद्योगिकी के आधार पर अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन करके के.बी.सी.एस./पांचवी पीढ़ी कम्प्यूटर प्रणाली की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक विशेषज्ञता प्राप्त करना है ।

19. **सेमि कन्डक्टर काम्प्लेक्स लि.**: सेमिकंडक्टर लिमिटेड मोहाली में 7/8 फरवरी, 1989 को हुए अग्निकांड में अनुसंधान और विकास संबंधी सभी सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं । यह निर्णय लिया गया है कि आगामी पांच वर्षों की अवधि के दौरान 42.8 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश तथा 19.2 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय के द्वारा इन सुविधाओं का पुनर्निमाण किया जाए । अनुसंधान और विकास सुविधाओं का उद्देश्य यह है कि जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी को आधुनिकतम और प्रतिस्पर्द्धात्मिक बनाए रखने के लिए उसका विकास और उन्नयन किया जाए तथा एल एस आई/वी एल एस आई क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास कार्य किए जाएं।

20. **इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र (ई.आर.एण्ड डी.सी) तथा ग्रामीण इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र (आर.ई.टी.सी)**: इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों में स्टेट-आफ-आर्ट इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न उत्पादों का विकास करना तथा प्रतिस्पर्द्धात्मिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप उनके उत्पादन में सहायता करना है । इलैक्ट्रोनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के विकास से संबंधित कार्य करते हैं तथा अपने क्षेत्र के निजी और सरकारी दोनों प्रकार के उद्योगों को अनुसंधान और विकास संबंधी सहायता देते हैं । ग्रामीण इलैक्ट्रोनिकी प्रौद्योगिकी केन्द्र ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु इलैक्ट्रोनिकी उत्पाद तैयार करते हैं और उनके प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देते हैं।

21. **सी.एल.ए. एस. एस. कार्यक्रम**: यह परियोजना हमारे स्कूली बच्चों के बीच कम्प्यूटर संबंधी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए 1984-85 में 250 स्कूलों में प्रारम्भ की गई थी । प्रति वर्ष यह कार्यक्रम और अधिक स्कूलों में भी लागू किया जाता रहा है और इन स्कूलों को 60 संसाधन केन्द्रों के माध्यम से सहायता मिलती है । इस कार्यक्रम को चालू रखना है और इसीलिए वर्ष 1991-92 के लिए सांकेतिक बजटीय व्यवस्था की गई है।

22. **भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास**: इस का उद्देश्य प्राकृतिक भाषा समझ, संस्करण तथा निर्माण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानव तन्त्र अंतःक्रिया तथा सूचना संसाधन को सुकर बनाने के वास्ते भारतीय भाषाओं हेतु इलैक्ट्रोनिकी उपकरण तैयार करना है ।

23. **फोटोनिक्स विकास कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम का उद्देश्य उचित प्रौद्योगिकियों की सहायता से शैक्षिक संस्थाओं, प्रयोगशालाओं तथा उद्योग में फोटोनिक्स कल्चर को बढ़ावा देना है ताकि अन्य राष्ट्रीय अभिकरणों के सहयोग से इस क्षेत्र में सहक्रियात्मक विकास किया जा सके ।

24. **अन्य कार्यक्रम**: इसके अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम है: इलैक्ट्रोनिकी क्षेत्र के पावर सेमी कंडक्टर डिवाइसिज, एन.सी.एस.टी, फाइबर आप्टिक्स, कम्पयूटर विकास कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, आदि। इसके अतिरिक्त वर्ष 1991-92 के दौरान कई अन्य नये कार्यक्रम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

25. **सहायता सामग्री और उपस्कर**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री, उपस्करों तथा अन्य मदों के रूप में सहायता को दर्शाया गया है।

26. **सरकारी उद्यमों में निवेश**: इस विभाग के नियंत्रण में 3 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-सी.एम.सी. लिमिटेड, ई.टी.एण्ड टी. तथा एस.सी.एल. आते हैं, ई.टी.एण्ड टी. में इलेक्ट्रानिकी व्यापार के विकास को बढ़ावा देना, सी.एम.सी. में समस्त सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने और भारत में कम्पयूटरों के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा एल.एस.आई./वी.एल.एस.आई. सर्किट और मोड्यूल्स उप-प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने तथा निर्माण करने के लिए एस.सी.एल. में निवेश किया जाएगा ।

15. **Special Manpower Development Programme**- Under this programme different projects are being executed to educate, upgrade and train people in the field of modern electronics.

16. **Software Development Programme** : Two Schemes namely Computer Aided Design (CAD) and Computer Aided Management (CAM) were being implemented under this programme to provide all round support to engineering industry consultancy houses.

17. **Software Export Promotion Programme** : It aims at identifying markets and analysing the market characteristics and developing strategics for different markets world over and projecting the Indian capabilities to the foreign customers, creating basic facilities for development and export of software through data links and contribute towards boosting the exports and achieving targets. Under this programme 3 Software Technology Parks have been set up as Societies at Bhubaneshwar, Pune and Bangalore as 100% export oriented projects.

18. **Fifth Generation Computer System Development Programme** : The programme is being executed at seven institutions to gain extensive expertise in the knowledge Based Computer System/Fifth Generation Computer System technology by research, design, development and demonstrate KBCS Technology based solutions to related problems.

19. **Semi Conductor Complex Limited (SCL)**: The R&D facilities at SCL, Mohali were completely destroyed in a fire on 7th/8th February, 1989. A decision has been taken to rebuild these facilities with a capital investment of Rs.42.8 crores and recurring expenditure of Rs.19.2 crores spread over a period of 5 years during the 8th Plan. The objectives of R&D are to develop and upgrade technology so as to remain as contemporary and competitive as possible and to lead a national R&D effort in LSI/VLSI field.

20. **Electronics Research and Development Centre (ER&DC) and Rural Electron ics Technology Centre**: The main objectives of the centres are to develop products in the State-of-art Electronics Technology in various identified areas and enable their productionisation at competitive prices and international quality. ER&DCs are engaged in development of region specific products and provide R&D support to the industry in their region, both in the private and public sector. The RETCs develop electronics products for rural applications as well as accelerate their usage in addition to providing vocational training for those belonging to weaker sections of the Society.

21. **CLASS Programme**: The CLASS Project was launched in 250 schools in the year 1984-85 to promote computer awareness amongst our school children. This programme was extended to more schools on a year to year basis and these schools are supported through 60 resource Centres. This programme is required to be maintained and as such a token budget provision has been kept for the year 1991-92.

22. **Technology Development for Indian Languages**: Its aim is to develop electronic tools for Indian Languages to facilitate human machine interaction and information processing, to promote research and development in the area of Natural Language Understanding, processing and Generation.

23. **Photonics Development Programme**: It aims to spread photonics culture through support of appropriate technologies at academic institutions, laboratories and industry to enable synergetic development in this area in coordination with other national agencies.

24. **Other Programmes**: The main programmes covered under it are Power Semi-conductor Devices, NCST, Fibre-Optics, Computer Development Programme, Exhibition in Electronics etc. In addition a number of other new programmes are proposed to be initiated during 1991-92.

25. **Aid Material and Equipment**: Under this programme assistance in the form of materials equipments and other commodities is shown.

26. **Investment in Public Enterprises** - There are three Public Sector Undertakings under the control of this Department viz. CMC Ltd., ET&T and SCL. The investment in ET&T is to promote the growth of trade in electroinics, in CMC for augmenting facilities to provide total support services and promote application of computers in India and in SCL for design and manufacture of LSI/VLSI circuits and modules/sub-systems.

महासागर विकास विभाग DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

मांग संख्या DEMAND No.86

महासागर विकास विभाग Department of Ocean Development

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		28.20	8.16	36.36	26.19	8.13	34.32	30.12	9.21	39.33
पूंजी	*Capital*		*6.80*	...	*6.80*	*5.26*	...	*5.26*	*6.88*	...	*6.88*
जोड़	**Total**		**35.00**	**8.16**	**43.16**	**31.45**	**8.13**	**39.58**	**37.00**	**9.21**	**46.21**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat - Economic Services	3451	...	0.54	0.54	...	0.52	0.52	...	0.72	0.72
समुद्र विज्ञान अनुसंधान	**Oceanographic Research**										
2. समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण	2. Oceanographic Survey	3403	...	6.50	6.50	...	6.50	6.50	...	7.30	7.30
3. एंटार्कटिक अनुसंधान (बर्फ तोड़ने वाले यंत्रों सहित)	3. Antarctic Research (Including ice-breakers)	3403	10.20	...	10.20	10.20	...	10.20	10.50	...	10.50
		5403	6.80	...	6.80	5.26	...	5.26	6.88	...	6.88
जोड़		*Total*	*17.00*	...	*17.00*	*15.46*	...	*15.46*	*17.38*	...	*17.38*
4. बहुधात्विक कोषिका कार्यक्रम	4. Polymetallic Nodules Programme	3403	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	8.40	...	8.40
5. अन्य कार्यक्रम	5. Other Programmes	3403	8.00	1.12	9.12	7.99	1.11	9.10	11.22	1.19	12.41
जोड़-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	**Total Oceanographic Research**		**35.00**	**7.62**	**42.62**	**31.45**	**7.61**	**39.06**	**37.00**	**8.49**	**45.49**
कुल जोड़	***Grand Total***		***35.00***	***8.16***	***43.16***	***31.45***	***8.13***	***39.58***	***37.00***	***9.21***	***46.21***
ग. आयोजना परिव्यय*	**C. Plan Outlay*:-**	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.सा. IEBR	जोड़ Total
1. समुद्र विज्ञान अनुसंधान	1. Oceanographic Research	13403	35.00	...	35.00	31.45	...	31.45	37.00	...	37.00

*इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था शामिल है :
inclusive of Works Outlay as below:-

समुद्र विज्ञान अनुसंधान	Oceanographic Research	...	...	...			...		...

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं**- इसमें विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है ।

2. **समुद्र विज्ञान सर्वेक्षण** : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण कार्य में अनुसंधान और प्रशिक्षण, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय रेती (शेल्फ) क्षेत्र की संसाधन क्षमता का मानचित्रण एवं रेखांकन करना है । विभाग के दो अनुसंधान जलयान — सागर कन्या और सागर सम्पदा — भारतीय नौवहन निगम, बम्बई द्वारा चलाए जा रहे है ।

3. **एंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एंटार्कटिक में सजीव और निर्जीव संसाधनों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यह विभाग वर्ष 1981 से प्रति वर्ष एंटार्कटिका में वैज्ञानिक अभियान दल भेज रहा है । ग्यारहवां अनुसंधान अभियान दल नवम्बर, 1991 में भेजे जाने का प्रस्ताव है ।

एंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने तथा उनका परिवीक्षण करने के लिए यह विभाग 'हुडको' के माध्यम से गोआ में एंटार्कटिका अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए एक भवन का निर्माण कर रहा है ।

4. **बहुधात्विक ग्रंथिका कार्यक्रम** :दि प्रिपैरटरि कमीशन फार दि इंटरनेशनल सी-बेड आथारिटी ने भारतीय महासागर के मध्य में भारत के पक्ष में 1,50,000 वर्ग कि. मी. के एक खनन स्थल का पंजीकरण करने के लिए अनुमति दे दी है । धातु-कर्मीय खनन में अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और यह कार्य 1991-92 में जारी रहेगा। इस प्रावधान में मल्टी फ्रिक्वेन्सी एक्सप्लोरेशन सिस्टम और उसके मैपिंग का कार्य भी शामिल है ।

5. **अन्य कार्यक्रम** :

(क) तरंग ऊर्जा :– इसे के द्वारा त्रिवेन्द्रम से दूर तरंगों से बिजली का उत्पादन करने के लिए 150 किलोवाट का एक प्रोटोटाइप तरंग ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रावधान है ।

(ख) समुद्रीय प्रदूषण : इस में महासागर विकास विभाग द्वारा समर्थित क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान बम्बई को एक प्रथम श्रेणी के पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र तक उन्नत करने के लिए तथा इसकी 9 इकाईयों में आधारभूत सुविधाएं तथा परिचालानात्मक सुविधा जुटाने के लिए प्रावधान है ।

(ग) अलवणीकरण और समुद्रीय रसायन कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महासागर के प्रचुर अजैव और जैव रसायनस्रोतों का पता लगाना है।

1. **Secretariat-Economic Services**- Provides for expenditure on account of the Secretariat of the Department.

2. **Oceanographic Survey:** The main objective of this programme is to conduct research and training in marine scientific research and survey, mapping and demarcating of resource potential of the Exclusive Economic Zone (EEZ) and Continental Shelf area. The Department's two research vessels, namely "Sagar Kanya" and "Sagar Sampada", are run by the Shipping Corporation of India, Bombay.

3. **Antarctic Research Programme:** The main objective of this programme is to undertake scientific study of living and non-living resources at Antarctica. The Department is sending every year a scientific expedition to Antarctica, since 1981. The Eleventh Scientifc Expedition is proposed to be sent in November, 1991.

For organising and monitoring the Indian Scientific Research programmes in Antarctica, the Department is constructing through HUDCO a building at Goa to house the Antarctic Study Centre.

4. **Polymetallic Nodules Programme:** The Preparatory Commission for the International Seabed Authority (PREPCOM) allowed registration of one mine site measuring 1,50,000 sq. km. in the Central Indian Ocean in favour of India. R&D work in extractive metallurgy has been carried out and will be continued during 1991-92. The provision also includes the work on Multi Frequency Exploration System (MFES) and its mapping.

5. **Other Programmes:**

(a) Wave Energy : The provision is for installing a Prototype 150 K.W wave energy Plant off Trivandrum for generation of electricity from waves.

(b) Marine Pollution : The provision is for upgradation of DOD supported Centre at Regional Centre, National Institute of Oceanography, Bombay to a first grade Centre for environmental studies, and also for development of infrastructure and other operational facilities in other 9 units.

(c) Desalination and Marine Chemicals Programme : The main objective of this Programme is to exploit the rich inorganic and organic chemical resources of the ocean.

(घ) ***समुद्रीय यांत्रिकी*** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में ही विभिन्न समुद्रीय यंत्रों के डिजाईन और विकास की परिकल्पना की गई है।

(ङ) **प्रदर्शनी और मेले** : विभाग का अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिये प्रगति मैदान में एक स्थाई मंडप है । प्रगति मैदान में प्रदर्शनी के अलावा विभाग भारत में विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रदर्शनियों का आयोजना भी करता है ।

(च) ***द्वीप विकास कार्यक्रम*** : विभाग ने समुद्र-विज्ञान और समुद्रीय संसाधनों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है जिससे द्वीप निवासियों को समुद्र की महत्ता के बारे में शिक्षित करने के लिये समुद्र-विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को तैयार किया जा सके । इसके लिये प्रावधान में झींगापालन परियोजना की गतिविधियाँ प्रारम्भ करना जलाशयों को झींगा के बीजों से भरना तथा अन्डमान और निकोबार द्वीप में प्रदर्शनफार्म स्थापित करना भी शामिल है ।

(छ) ***अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं*** : इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, गोआ, उड़ीसा राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र, भुवनेश्वर, और केन्द्रीय समुद्री मीनपालन अनुसंधान संस्थान, कोचीन, में तीन केन्द्रों की स्थापना की गई है । इसका उद्देश्य विभिन्न समुद्रीय विशिष्टताओं की सुदूर संवेदनशीलता के बारे में इन केन्द्रों को आवश्यक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करना है ।

(ज) ***महासागर अनुसंधान तथा प्रबन्ध के लिए जनशक्ति प्रशिक्षण***: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुद्र-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के लिये पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की भर्ती करना है । देश में युवक वैज्ञानिकों को समुद्री विज्ञान के लिये फैलोशिप/एशोशिएटशिप प्रदान की जाती है ।

(झ) **अनुसंधान परियोजनाओं, विचार-गोष्ठियों-संगोष्ठियों आदि के लिए सहायता** : विशिष्ट महत्व के अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगाने के लिए उच्च स्तर के वैज्ञानिक दल के सृजन के लिए तथा अनुसंधान परियोजनाओं की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए विभाग ने वर्ष 1989 में एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया था । समुद्र विज्ञानी कार्यों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है तथा समय समय पर उनकी प्राप्ति की समीक्षा की जाती है ।

(ञ) **महाविद्यालयों को सहायता** : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों में प्रकर्ष केन्द्र का विकास करना है । विभाग ने समुद्र विज्ञान में उनकी क्षमताओं के विकास एवं संवर्धन के लिये अन्नामलाई और गुजरात विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान की ।

(ट) **समुद्र विज्ञानी आंकड़ा केन्द्र** : राष्ट्रीय समुद्र विज्ञानी आंकड़ा तथा सूचना प्रणाली का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनकी व्याख्या करना तथा उनका प्रचार करना है। एन. आई. ओ. गोआ में स्थित केन्द्र इस बारे में मुख्य (नोडल) बिन्दु का कार्य कर रहा है । विकसित की गई प्रणालियां आंकड़ो के व्यवस्थित संचयन और प्रबंधन, तालिका सूचना प्रणाली के चयन आदि जैसे बड़े कार्यों को करने में सक्षम है ।

(ठ) **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग** : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह विभाग मित्र राष्ट्रों को वैज्ञानिक एवं समुद्री अनुसंधान सहायता प्रदान करता है । इस विभाग को सी. सी. ए. एम. एल. आर. आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान/शुल्क भी जारी होता है ।

(ड) **नई योजनाएं** : इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन नई योजनाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है ।

(1) अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक और जीव मण्डल कार्यक्रम
(2) समुद्र स्तरीय परिवर्तनों की मानीटरिंग तथा माडलिंग और
(3) बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्री फेंस पर एकीकृत अध्ययन ।

(d) ***Marine Instrumentation*** : Under this programme it is envisaged to encourage indigenous designing and development of various marine instruments.

(e) ***Exhibitions & Fairs*** : The Department has its own permanent Pavillion at Pragati Maidan for displaying the achievements of the Department. The Department arranges a number of exhibitions at various places in India apart from the exhibition at Pragati Maidan.

(f) ***Island Development Programme*** : The Department has undertaken various schemes related to oceanography and marine resources of the groups of islands with the aim of creating ocean related Science and Technology projects to educate the islanders about the importance of the Sea. The provision also includes initiation of project activites on prawn farming, stocking of ponds with prawns seeds and setting up of demonstration Farm in Andaman Nicobar Islands.

(g) ***All India Co-ordinated Projects*** : Under this Project three centres have been created at National Institute of Oceanography, Goa, Orissa State Remote Sensing Application Centre, Bhubaneswar and Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin. The objective is to equip these centres with the requisite technology for remote sensing of various oceanic features.

(h) ***Manpower Training for Ocean Research & Management*** : Under this scheme the main objective is to have sufficient number of personnel in various fields of oceanographic sciences. Fellowships/Associateship are awarded to the young scientists in the country to develop their knowledge in the Marine Sciences.

(i) **Assistance for Research Projects, Seminars, Symposia, Etc.** A research Advisory Committee (RAC) was constituted in the Department in 1989 to identify specific research projects of importance, creation of a band of high quality scientists and evaluation of the output of the research projects. The research projects related with oceanographic activities are funded and the progress achieved is reviewed from time to time.

(j) **Assistance to Universities** : The main purpose of this programme is to develop the centre of excellence at the universities. The Department extended financial assistance to Annamalai University and Gujarat University for developing and enhancing their capabilities in marine science.

(k) **Oceanographic Data Centre** : The National Oceanographic Data and Information System is intended to collect, interepret and disseminate the data relating to ocean sector. The Centre at NIO, Goa is acting as the nodal point in this regard. The systems developed are capable of carrying out major functions such as systematic storage and management of data, selection of inventory information, system, etc.

(L) **International Co-operation** : Under this programme the Department provides scientific and oceanic research assistance to friendly countries. The Department is also required to release contribution/fee to the internaional bodies like CCAMLR, etc.

(m) **New Schemes** : These include provision on following three new schemes viz.,

(1) International Geosphere, Bio sphere programme,
(2) Monitoring and Modelling of Sea Level Variations and
(3) Integrated studies on deep sea Fans of the Bay of Bengal.

अन्तरिक्ष विभाग DEPARTMENT OF SPACE

मांग संख्या DEMAND No.87

अन्तरिक्ष विभाग Department of Space

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		227.43	111.51	338.94	198.22	111.61	309.83	266.58	134.50	401.08
पूंजी	*Capital*		*95.57*	...	*95.57*	*81.28*	...	*81.28*	*108.02*	...	*108.02*
जोड़	**Total**		**323.00**	**111.51**	**434.51**	**279.50**	**111.61**	**391.11**	**374.60**	**134.50**	**509.10**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1. Secretariat- Economic Services	3451	0.01	0.93	0.94	0.01	1.04	1.05	0.02	1.08	1.10
अंतरिक्ष अनुसंधान	**Space Research**										
राकेट विकास	Rocket Development										
2. संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ए.एस.एल.वी. - सी सहित)	2. Augmented Satellite Launch Vehicle (including ASLV-C)	3402	5.71	...	5.71	5.05	...	5.05	4.63	...	4.63
		5402	0.08	...	0.08	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़		*Total*	*5.79*	...	*5.79*	*5.15*	...	*5.15*	*4.63*	...	*4.63*
3. पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन	3. Polar Satellite Launch Vehicle	3402	22.75	...	22.75	15.81	...	15.81	12.42	...	12.42
		5402	2.27	...	2.27	5.13	...	5.13	0.81	...	0.81
जोड़		*Total*	*25.02*	...	*25.02*	*20.94*	...	*20.94*	*13.23*	...	*13.23*
4. क्रायोजेनिक्स (इंजन एंड स्टेज)	4. Cryogenics (Engine & Stage)	3402	7.53	...	7.53	2.76	...	2.76	0.30	...	0.30
		5402	12.28	...	12.28	1.63	...	1.63	...	...	...
जोड़		*Total*	*19.81*	...	*19.81*	*4.39*	...	*4.39*	*0.30*	...	*0.30*
5. जिओ-सिंक्रोनाउस प्रक्षेपण वाहन.	5. Geo -Synchronous Launch Vehicle	3402	20.00	...	20.00	2.50	...	2.50	61.05	...	61.05
		5402	10.00	...	10.00	3.00	...	3.00	41.74	...	41.74
जोड़		*Total*	*30.00*	...	*30.00*	*5.50*	...	*5.50*	*102.79*	...	*102.79*
6. पोलर प्रक्षेपण केन्द्र	6. Polar Launch Station	5402	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
7. विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र	7. Vikram Sarabhai Space Centre	3402	12.60	34.99	47.59	16.31	35.60	51.91	3.73	45.32	49.05
		5402	4.09	...	4.09	5.58	...	5.58	3.49	...	3.49
जोड़		*Total*	*16.69*	*34.99*	*51.68*	*21.89*	*35.60*	*57.49*	*7.22*	*45.32*	*52.54*
8 आईएसआरओ इनर्शियल सिस्टम यूनिट	8. ISRO Inertial Systems Unit (IISU)	3402	...	...	...	...	...	...	2.04	...	2.04
		5402	...	...	...	...	...	...	6.02	...	6.02
जोड़		*Total*	...	...	...	...	...	...	*8.06*	...	*8.06*
9. श्री हरिकोटा केन्द्र	9. Sriharikota Centre	3402	7.88	11.54	19.42	8.74	11.54	20.28	3.63	14.95	18.58
		5402	4.88	...	4.88	8.74	...	8.74	5.76	...	5.76
जोड़		*Total*	*12.76*	*11.54*	*24.30*	*17.48*	*11.54*	*29.02*	*9.39*	*14.95*	*24.34*
10. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन टेलीमीटरी, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क	10. ISRO Telemetry, Tracking & Command Network	3402	0.51	8.75	9.26	0.50	7.85	8.35	1.14	7.41	8.55
		5402	2.69	...	2.69	3.04	...	3.04	4.63	...	4.63
जोड़		*Total*	*3.20*	*8.75*	*11.95*	*3.54*	*7.85*	*11.39*	*5.77*	*7.41*	*13.18*
11. तरल नोदन प्रणाली केन्द्र	11. Liquid Propulsion Systems Centre	3402	10.77	5.49	16.26	18.29	5.49	23.78	4.45	8.80	13.25
		5402	11.80	...	11.80	12.41	...	12.41	1.47	...	1.47
जोड़		*Total*	*22.57*	*5.49*	*28.06*	*30.70*	*5.49*	*36.19*	*5.92*	*8.80*	*14.72*
12. अन्य	12. Others	3402	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.30	0.30
जोड़-राकेट विकास	**Total - Rocket Development**		**135.85**	**60.97**	**196.82**	**109.60**	**60.68**	**170.28**	**157.32**	**76.78**	**234.10**
उपग्रह विकास	**Satellite Development**										
13. विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला (एस.आर.ओ.एस.एस. निरंतरता सहित)	13. Stretched Rohini Satellite Series (including SROSS continuation)	3402	1.90	...	1.90	0.66	...	0.66	1.24	...	1.24
		5402	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*1.92*	...	*1.92*	*0.66*	...	*0.66*	*1.24*	...	*1.24*
14. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.निरन्तरता सहित)	14. Indian Remote Sensing Satellite (including IRS continuation)	3402	52.12	...	52.12	44.77	...	44.77	51.27	...	51.27
		5402	11.90	...	11.90	6.89	...	6.89	11.92	...	11.92
जोड़		*Total*	*64.02*	...	*64.02*	*51.66*	...	*51.66*	*63.19*	...	*63.19*
15. इनसेट-II परीक्षण अन्तरिक्ष यान परियोजना (प्रक्षेपण सेवाओं सहित)	15. INSAT - II Test Spacecraft Project (Including launch Services)	3402	40.88	...	40.88	46.44	...	46.44	27.27	...	27.27
		5402	2.78	...	2.78	4.16	...	4.16	1.91	...	1.91
जोड़		*Total*	*43.66*	...	*43.66*	*50.60*	...	*50.60*	*29.18*	...	*29.18*
16. आई.आर.एस-II उपग्रह	16. IRS-II Satellites	3402	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
17. जी-सेट	17. G-SAT	3402	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
18. आईआरएस श्रृंखला/पीएसएलवी की परीक्षा उड़ान पेलोड	18. IRS Series/PSLV Test Flight Payload	3402	1.50	...	1.50	0.50	...	0.50	6.95	...	6.95
19. आईएसआरओ उपग्रह केन्द्र	19. ISRO Satellite Centre	3402	3.44	10.91	14.35	3.76	10.91	14.67	4.94	11.33	16.27
		5402	3.10	...	3.10	3.43	...	3.43	3.85	...	3.85
जोड़		*Total*	*6.54*	*10.91*	*17.45*	*7.19*	*10.91*	*18.10*	*8.79*	*11.33*	*20.12*
जोड़-उपग्रह विकास	**Total - Satellite Development**		**117.64**	**10.91**	**128.55**	**110.61**	**10.91**	**121.52**	**109.86**	**11.33**	**121.19**
अन्तरिक्ष अनुप्रयोग	**Space Applications**										
20. माइक्रोवेव रिमोट सेनसिंग कार्यक्रम	20. Microwave Remote Sensing Programme.	3402	2.65	...	2.65	2.53	...	2.53	2.26	...	2.26

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		5402	1.32	...	1.32	0.68	...	0.68	1.81	...	1.81
जोड़		*Total*	*3.97*	...	*3.97*	*3.21*	...	*3.21*	*4.07*	...	*4.07*
21. डिजिटल फोटोग्रामिट्रिक डब्ल्यू/एस. आदि	21. Digital Photogrametric W/s etc.	5402	1.00	...	1.00	0.05	...	0.05	1.35	...	1.35
22. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन व्यवस्था प्रणाली	22. National Natural Resources Management System	3402	3.95	...	3.95	1.39	...	1.39	3.79	...	3.79
		5402	0.51	...	0.51	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़		*Total*	*4.46*	...	*4.46*	*1.39*	...	*1.39*	*3.80*	...	*3.80*
23. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र	23. Space Applications Centre	3402	5.77	11.01	16.78	7.58	11.01	18.59	2.88	13.70	16.58
		5402	6.82	...	6.82	3.87	...	3.87	4.66	...	4.66
जोड़		*Total*	*12.59*	*11.01*	*23.60*	*11.45*	*11.01*	*22.46*	*7.54*	*13.70*	*21.24*
24. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण	24. National Remote Sensing Agency	3402	3.90	9.50	13.40	3.90	9.50	13.40	1.90	11.85	13.75
25. अन्य	25. Others	3402	4.75	1.81	6.56	5.59	2.03	7.62	6.16	2.27	8.43
		5402	3.36	...	3.36	2.82	...	2.82	2.49	...	2.49
जोड़		*Total*	*8.11*	*1.81*	*9.92*	*8.41*	*2.03*	*10.44*	*8.65*	*2.27*	*10.92*
जोड़-अंतरिक्ष अनुप्रयोग	**Total - Space Applications**		**34.03**	**22.32**	**56.35**	**28.41**	**22.54**	**50.95**	**27.31**	**27.82**	**55.13**
अंतरिक्ष विज्ञान	**Space Sciences**										
26. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला	26. Physical Research Laboratory	3402	0.76	6.03	6.79	0.80	6.25	7.05	1.77	6.65	8.42
27. आईएसआरओ-जीबीपी	27. ISRO - GBP	3402	...	...	...	...	...	...	1.30	...	1.30
28. अन्य योजनाएं	28. Other Schemes	3402	6.22	...	6.22	2.75	...	2.75	5.58	...	5.58
		5402	0.75	...	0.75	...	...	...	...	...	...
जोड़		*Total*	*6.97*	...	*6.97*	*2.75*	...	*2.75*	*5.58*	...	*5.58*
जोड़-अंतरिक्ष विज्ञान	**Total - Space Sciences**		**7.73**	**6.03**	**13.76**	**3.55**	**6.25**	**9.80**	**8.65**	**6.65**	**15.30**
29. अन्य	29. Others	3402	1.51	7.40	8.91	1.73	7.31	9.04	1.78	7.45	9.23
		5402	3.49	...	3.49	3.49	...	3.49	3.90	...	3.90
जोड़		*Total*	*5.00*	*7.40*	*12.40*	*5.22*	*7.31*	*12.53*	*5.68*	*7.45*	*13.13*
इन्सेट आपरेशनल	**INSAT Operational**										
30. इन्सेट-I	30. INSAT-I	3252	0.32	2.95	3.27	0.15	2.88	3.03	0.72	3.39	4.11
		5252	12.42	...	12.42	15.19	...	15.19	0.53	...	0.53
जोड़		*Total*	*12.74*	*2.95*	*15.69*	*15.34*	*2.88*	*18.22*	*1.25*	*3.39*	*4.64*
31. इन्सेट-2 उपग्रह (प्रक्षेपण संबंधी सेवाओं सहित	31. INSAT-2 Satellites (Including Launch Services)	3252	10.00	...	10.00	5.70	...	5.70	52.84	...	52.84
		5252	...	...	...	1.06	...	1.06	11.66	...	11.66
जोड़		*Total*	*10.00*	...	*10.00*	*6.76*	...	*6.76*	*64.50*	...	*64.50*
32. इन्सेट-III उपग्रह	32. INSAT-III Satellites	3252	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़ इन्सेट आपरेशनल	**Total - INSAT Operational**		**22.74**	**2.95**	**25.69**	**22.10**	**2.88**	**24.98**	**65.76**	**3.39**	**69.15**
33. सहायक सामग्री और उपस्कर सकल	33. Aid Material Equipments-Gross	3606	...	0.35	0.35	...	0.25	0.25	...	0.20	0.20
घटाइए-कार्यात्मक प्रमुख शीर्ष को अंतरण	Deduct-Transfers to Functional Major Head	3606	...	-0.35	-0.35	...	-0.25	-0.25	...	-0.20	-0.20
निवल सहायता सामग्री एवं उपस्कर	Net-Aid Materials & Equipments	*Total*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	*Grand Total*		*323.00*	*111.51*	*434.51*	*279.50*	*111.61*	*391.11*	*374.60*	*134.50*	*509.10*

		विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.व.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.व.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.व.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
ग. आयोजना परिव्यय*	C. Plan Outlay*										
1. अंतरिक्ष अनुसंधान	1. Space Research	13402	323.00	...	323.00	279.50	...	279.50	374.60	...	374.60

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं :** इस शीर्ष के अन्तर्गत अन्तरिक्ष विभाग के सचिवालय पर किए जाने वाले व्यय के लिए व्यवस्था की गई है ।

2. **संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (ए एस एल वी) विस्तारण :** ए एस एल वी-सी परियोजना की स्वीकृत लागत 17.98 करोड़ रुपए है । 1992-93 के लिए निर्धारित ए एस एल वी-सी उड़ान एस आर ओ एस एस-3 और 1995-96 के लिए निर्धारित उड़ान एस आर ओ एस एस-4 उपग्रह ले जाएगी ।

3. **पोलर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (पी.एस.एल.वी.) :** परियोजना-कार्यक्रम में एक ऐसे प्रक्षेपण वाहन का विकास करने की परिकल्पना की गई है जिससे भारतीय क्षेत्र से 900 कि.मीटर वाली पोलर सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में 1000 कि.ग्रा. तक का एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह छोड़ा जा सके। यह वाहन भविष्य में पृथ्वी संबंधी प्रेक्षण कार्यों के लिए पोलर कक्षा उपग्रहों के प्रक्षेपण कार्यों के वास्ते वर्क-हार्स वाहन होगा । परियोजना की स्वीकृत लागत 414.96 करोड़ रुपए है । 1991-92 तक प्रथम उड़ान परीक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु परियोजना कार्य प्रगति पर है ।

4. **क्रायोजेनिक्स (इंजिन तथा स्टेज):** वर्ष 1993-94 की समयावधि में इनसेट-II श्रेणी के भू-तुल्यकालिक उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए जी.एस.एल.वी. की भू-स्थिरीकृत प्रक्षेपण क्षमता प्राप्त करने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस कार्य को

1. **Secretariat - Economic Services:** Provision is made for expenditure to be incurred on the Secretariat of the Department of Space.

2. **ASLV Continuation:** The sanctioned cost of the ASLV-C Project is Rs.17.98 crores. The ASLV-C flight scheduled for 1992-93 will carry SROSS-3 and the one scheduled for 1995-96 will carry SROSS-4 Satellite.

3. **Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) :** This project envisages development of an Indian Launch Vehicle to place an Indian Remote Sensing Satellite of 1000 kg class in a 900 km polar sun-synchronous orbit from an Indian range. This will be the future work-horse vehicle for missions for launching polar orbiting satellites for earth observations. The sanctioned cost of the project is Rs.414.96 crores. The project is progressing with the target for the first flight test by 1991-92.

4. **Cryogenics (Engine and Stage) :** The development of the cryogenic engine is vitally important for attaining geo-stationary launch capability with the GSLV for launching INSAT-II class geo-synchronous satellites by 1993-94 timeframe. In order to accomplish

पूरा करने के लिए आई.एस.आर.ओ. में जो एस.एल.वी. के संबंध में विभिन्न विन्यासात्मक विकल्पों के संबंध में गहन अध्ययन किए गए हैं। क्रायोजेनिक इंजीनियरी प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित अग्रिम कार्रवाइयों और सब-स्केल इंजिन का विकास करने के लिए नवम्बर, 1986 में 16.31 करोड़ रुपए की परियोजना-पूर्व वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी । यह कार्य सन्तोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है ।

5. **भू-तुल्यकालिक प्रक्षेपण वाहन (जी.एस.एल.वी.)** : अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य यह भी रहा है कि अनुप्रयोग उपग्रहों की प्राप्ति, पेलोड तथा प्रेक्षपण क्षमता में हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करें ताकि अन्तरिक्ष आधारित उपर्युक्त सेवाएं सुनिश्चित आधार पर प्रदान की जा सकें । संचार उपग्रहों का अपने ही देश से प्रक्षेपण करने में समर्थ होने के लिए भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जी एस एल वी) और क्रायोजेनिक इंजिन व स्टेज का विकास इस दिशा की ओर दो महत्त्वपूर्ण कदम होंगे जिनसे हमारी आत्म-निर्भरता और कम लागत में कार्यसाधकता सुनिश्चित होगी ।

जी एस एल वी परियोजना का उद्देश्य भू-तुल्यकालिक परिवर्तन कक्षा में 1500/2000 कि. ग्रा. के वायुयान को स्थापित करने के लिए एक भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जी एस एल वी) विकसित करके उसे इस कार्य के योग्य बनाना है । इसके अन्तर्गत जी एस एल वी एम के-I की एक विकासात्मक उड़ान और जी एस एल वी एम के-II की दो विकासात्मक उड़ानों के लिए व्यवस्था की गई है ।

नवम्बर 1990 में 756.07 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है जो दो क्रायोइंजिन एवं स्टेज की प्राप्ति सहित जी एस एल वी परियोजना पर कार्य करने के लिए है ।

6. **पोलर प्रक्षेपण स्टेशन** : पी.एस.एल.वी. की पूरी-पूरी क्षमता का उपयोग करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बालासोर के आस-पास उड़ीसा में एक अन्य प्रक्षेपण स्टेशन स्थापित किया जाए जिसके लिए सांकेतिक व्यवस्था की गई है ।

7. **विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र** : यह अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का राष्ट्रीय केन्द्र है । इस केन्द्र में राकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों का उनसे संबंधित नियंत्रण तथा मार्गदर्शन प्रणाली और इलेक्ट्रानिकी समेत देश में ही विकास करने के कार्य पर जोर दिया जा रहा है। इस केन्द्र का मुख्य प्रयास अब ए.एस.एल.वी. - सी., पी.एस.एल.वी. और जी.एस.एल.वी. की प्राप्ति पर केन्द्रित है ।

8. भारतीय अन्तरक्षि अनुसंधान संगठन जड़त्वीय प्रणाली यूनिट (आई आई एस यू) : विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) में पिछले बीस वर्षों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत से कम्प्लेक्सों के सफलतापूर्वक विकास एवं उड़ान संबंधी मूल्यांकनों, स्टेट-आफ दि-आर्ट जड़त्वीय संवेदकों एवं प्रणालियों तथा एस एल वी-3, ए एस एल वी, 'एप्पल', आर आर एस जैसे मिशनों के लिए संबद्ध उपग्रह तत्वों में समर्थ हो सके हैं । पी एस एल वी और इनसेट-II जैसी चालू परियोजनाओं के लिए महत्त्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की जा रही हैं । वर्तमान विकास की स्थिति, भविष्य में प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों और अधिक संख्या में इन संवेदकों व प्रणालियों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए आई एस आर ओ जड़त्वीय प्रणाली यूनिट को एक अलग यूनिट के रूप में गठित किया गया है ।

9. **श्री हरिकोटा अनुप्रयोग अनुसंधान केन्द्र** : यह केन्द्र स्थिर परीक्षण, ठोस नोदक उत्पादन और प्रक्षेपण सेवाओं के संचालन के लिए है । ठोस नोदक अन्तरिक्ष बूस्टर संयंत्र की सुविधाओं का उपयोग प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रमों के लिए ठोस मोटर्स का संसाधन करने के लिए किया जा रहा है, पी.एस.एल.वी. प्रक्षेपण काम्प्लेक्स और भूमि पर सहायक सुविधाएं स्थापित की जा रही है और जल सेवा संरचना का निर्माण किया जा रहा है। स्थिर परीक्षण सुविधाओं को पी.एस.एल.वी. ठोस मोटरों और उनकी उप-प्रणालियों को भूमि पर सापेक्षता के लिए तैयार किया जा रहा है।

10. **भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन दूरमिति, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (आई.एस.टी.आर.ए.सी.)** : आई.एस.टी.आर.ए.सी. को एक अलग यूनिट के रूप में गठित किया गया था जिसका मुख्यालय बंगलौर में होगा और इसके अहमदाबाद, त्रिवेन्द्रम, श्रीहरिकोटा, लखनऊ, कार निकोबार और मारीशस में भूकेन्द्र है जिनका कार्य आई.आर.एस./ एस.आर.ओ.एस.एस./ ए.एस.एल.वी/पी.एस.एल.वी. के कार्यक्रमों में सहायता करना है । बंगलौर स्थित अन्तरिक्षयान नियंत्रण केन्द्र पूरी तरह काम कर रहा है।

11. **तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.)** : तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.) 1985 में स्थापित किया गया था । इसे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रक्षेपण की सभी तरल प्रणोदन प्रणालियों और आई.एस.आर.ओ. की उपग्रह परियोजनाओं के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई ।

12. **अन्य** : इसके अन्तर्गत, उपग्रहों की समग्र गतिशीलता, परीक्षण हेतु अकाउस्टिक परीक्षण सुविधा के लिए व्यवस्था की गई है ।

13. **एस.आर.ओ.एस.एस. विस्तारण** : ए.एस.एल.वी-3 और ए.एस.एल.वी-4 पर उड़ाए जाने वाले 150 कि. ग्रा. वर्ग के दो उपग्रहों के लिए एस.आर.ओ.एस.एस-विस्तारण परियोजना की स्वीकृत लागत 14.33 करोड़ रुपए है। एस.आर.ओ.एस.एस-3 और एस.आर.ओ.एस.एस-4 पर एक एरोनोमी पेलोड (एल.पी.एल और पी.आर.एल) तथा एक एस्ट्रोनोमी

this task, extensive studies have been carried out in ISRO on different configuration options for the GSLV. A Pre-project funding of Rs.16.31 crores was sanctioned in November 1986 for advance actions related to setting up of a cryogenics engineering laboratory and development of a subscale engine. This activity is progressing satisfactorily.

5. **Geo-Synchronous Launch Vehicle (GSLV)** : One of the major objectives of Space Programme has been to achieve self-reliance in realising application satellites, payloads and the launch capability for providing the above space based services on an assured basis. The development of Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) and a Cryogenic Engine & Stage to enable indigenous launch of Communication Satellites will be two crucial steps in this direction which will ensure self reliance and cost effectiveness.

The scope of the GSLV Project is to develop and qualify a Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) for placing 1500/2000 kg class spacecraft in Geosynchronous transfer orbit. It provides for one developmental flight of GSLV MK-1 and two developmental flights of GSLV MK-II.

Financial sanction has been issued for Rs.756.07 crores in November 1990 for undertaking the GSLV project including procurement of two Cryo Engine and Stage.

6. **Polar Launch Station**: In order to exploit the full capability of PSLV, it is necessary to establish another launch station around Balasore in Orissa for which a token provision is made.

7. **Vikram Sarabhai Space Centre** : This is a National Centre for Research and Development in Space Technology. The main thrust of the work in the Centre is towards indigenous development of rockets and satellite launch vehicles with their associated control and guidance systems and electronics. The main efforts of the Centre are now focussed towards the realisation of the ASLV-C, PSLV and GSLV.

8. **ISRO Inertial Systems Unit (IISU)** : The research and development efforts in the Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) in the last twenty years have enabled successful development and flight evaluation of a number of complex, state of the art inertial sensors and systems and allied satellite elements for missions such as SLV-3, ASLV, APPLE, IRS. Significant capabilities are being developed for on-going projects like PSLV and INSAT-II. Taking into account the current development status, future technology challenges and the need for larger number of these sensors and systems, the ISRO Inertial Systems Unit (IISU) is now constituted as a separate Unit.

9. **SHAR Centre** : SHAR Centre is the operations base for static testing, solid propellant production and launch services. The facilities at the Solid Propellant Space Booster Plant (SPROB) are being utilised for processing of solid motors for launch vehicle programmes; the PSLV launch complex and ground support facilities are being set up and fabrication of a Mobile Service Structure taken up. The Static Test Facilities (STEX) are geared up for ground qualification of PSLV solid motors and their sub-systems.

10. **ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC)** : ISTRAC organised into a separate Unit with Head quarter at Bangalore, has ground stations at Ahmedabad, Trivandrum, SHAR, Lucknow, Car Nicobar and Mauritius for supporting the IRS/SROSS/ASLV/PSLV Missions. The Space-craft Control Centre at Bangalore is fully operational.

11. **Liquid Propulsion Systems Centre (LPSC)** : LPSC was established in 1985 with the responsibility for development of all liquid propulsion systems for ISRO launchers and satellite projects of ISRO.

12. **Others** : Provision made for Acoustic Test Facility for overall dynamic testing of satellites.

13. **SROSS Continuation** : The sanctioned cost of SROSS-Continuation Project is Rs.14.33 crores for two satellites of 150 Kg class to be flown on ASLV-3 and ASLV-4. An Aeronomy payload (of NPL and PRL) and an Astronomy payload of (of TIFR and ISAC) are planned to be flown on SROSS and SROSS-4 respectively. The

पेलोड (टी.आई.एफ..आर.और आई.एस.ए.सी.) को उड़ाने की योजना है। एस.आर.ओ.एस.एस.-3 का प्रक्षेपण 1992-93 में और एस. आर. ओ. एस. एस.-4 का 1995-96 में किये जाने का कार्यक्रम है।

launch of SROSS-3 is scheduled for 1992-93 and SROSS-4 for 1995-96.

14. भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.)(आई.आर.एस निरन्तरता सहित) : भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं; (क) भूमिगत संसाधनों के अनुप्रयोगों के वास्ते भारत के ऊपर बिम्वग्रहण के लिए एक 3 - अक्षेप स्थायीकृत पोलर सूर्य-तुल्यकालिक उपग्रह का डिजाइन तैयार करना, उसे विकसित और कार्यरत करना (ख) आंकड़े प्राप्त करने, उन्हें दर्ज करने, संसाधित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए भू-स्थित प्रणालियों की स्थापना एवं संचालन और (ग) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय क्षेत्रों में संशोधनों के सर्वेक्षण एवं प्रबन्ध के लिए आई.आर.एस. से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करना । आई.आर.एस.-1ए जो कि लगभग 2-1/2 वर्षों के अन्तरालों पर छोड़े जाने वाले परिचालन सुदूर संवेदन उपग्रहों की श्रृंखला में पहला था, मार्च, 1988 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया और मई, 1988 में इसे प्रचालित घोषित कर दिया गया । आई. आर. एस-1 ए से बिम्ब नियमित आधार पर प्राप्त किये जा रहे हैं और विभिन्न उपयोगकर्ताओं को आंकड़ें सप्लाई किये जा रहे हैं। आई.आर.एस-1ए का समरूप आई.आर.एस-1बी छोड़े जाने के लिये तैयार हो रहा है।

14. Indian Remote Sensing Satellite (IRS) (including IRS Continuation: The objectives of the Indian Remote Sensing Satellite Project are (a) to design, develop and deploy a three-axes stabilised polar sun-synchronous satellite for acquiring imageries over India for earth resources applications (b) to establish and operate ground based systems for data reception, recording, processing and analysis and (c) to use the data from IRS for survey and management of resources in important national areas. IRS-IA spacecraft, the first of a series of operational remote sensing satellites to be launched at intervals of about 2-1/2 years was successfully launched in March 1988, and was declared operational in May, 1988. Imageries from IRS-1A are being obtained on a regular basis and data products are being supplied to various users. IRS-1B, identical to IRS-1A is getting ready for launch.

136.22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आई.आर.एस-आई.सी और आई.डी. परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वीकृति मई 1989 में जारी कर दी गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य उपयोगकर्ता समुदाय को निरन्तर अन्तरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन सेवाएं प्रदान करने के लिए द्वितीय उत्पादन परिचालन स्टेट-आफ-दी-आर्ट 3-अक्षेप के पिण्ड स्थायीकृत उपग्रहों का डिजाइन और विकास करना है और इस परियोजना में 1993-94 और 1996-97 तक क्रमशः आई.आर.एस.आई.सी और आई.डी के दो उड़ान माडल उपग्रहों के प्रक्षेपण की परिकल्पना की गई है।

Sanction for undertaking IRS-IC and ID Projects at an estimated cost of Rs.136.22 crores was issued in May 1989. The objectives of the project are to design and develop second generation operational state-of-the-art 3-axis body stabilized satellites for providing continued space based remote sensing services to the user community, and the project envisages launch of two flight model satellites of IRS-IC and ID by 1993-94 and 1996-97 respectively.

15. इनसेट - II परीक्षण अन्तरिक्षयान परियोजना - इनसेट II परीक्षण अन्तरिक्षयान परियोजना के अन्तर्गत दो इनसेट- - II परीक्षण अन्तरिक्षयानों के स्वदेशी डिजाइन, विकास, भूमिपर परीक्षण और परिगुण करने, कक्षा में प्रचालित करने और उड़ान परीक्षण की परिकल्पना की गई है । इनसेट--II प्रचालनात्मक अन्तरिक्षयान के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ये आकृति के साथ-साथ सेवा क्षमताओं में समान होंगे। इस अन्तरिक्षयान में उपग्रह से जुड़ा हुआ एक सर्च एण्ड रेस्क्यू पेलोड शामिल होगा । 243.10 करोड़ रुपए की जो लागत स्वीकृत की गई है, वह दो अन्तरिक्ष उपयुक्त इनसेट- - II परीक्षण अन्तरिक्षयानों व इसके अतिरिक्त पुर्जों तथा हसन में इनसेट मास्टर नियंत्रण सुविधा के संवर्धन, और इनसेट-- II परीक्षण अन्तरिक्षयान के निर्माण, परीक्षण और परिगुण के लिए मौजूदा सुविधाओं के निकट आवश्यक संरचना स्थापित करने एवं इनसेट- - II प्रचालनात्मक अन्तरिक्षयान के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए है । एरिएने द्वारा इन दोनों अन्तरिक्षयानों के लिए प्रक्षेपण की स्वीकृत लागत 160.70 करोड़ रुपए है। इनसेट-II की सुपुर्दगी 1991 के मध्य में होने की आशा है और इनका एरिएने प्रक्षेपण 1991 के अंत तक होने की संभावना है। दूसरे अन्तरिक्षयान (इनसेट- IIबी) की सुपुर्दगी और प्रक्षेपण 12 महीने बाद किए जाने का कार्यक्रम है ।

15. INSAT-II Test Spacecraft Project: INSAT-II Test Spacecraft Project envisages indigenous design, development, test and qualification on ground, operation in orbit, and flight test of two INSAT-II Test Spacecraft. These will be identical in configuration as well as service capabilities to the follow on operational INSAT-II spacrecraft. The spacecraft will also include a Satellite aided Search and Rescue (SAS&R) Payload. Sanctioned cost of Rs.243.10 crores is for two spaceworthly INSAT-II Test Spacecrafts and spares along with augmentation of the INSAT Master Control Facility at Hassan, and establishment of necessary infrastructure around the existing facilities for building, testing and qualifying INSAT-II Test Spececraft and consequently for the follow on INSAT-II operational spacecraft. The sanctioned cost for launching these two spacecrafts by Ariane is Rs.160.70 crores. The delivery of INSAT-IIA is expected by the middle of 1991 and the Ariane launch of the same is expected by end 1991. The delivery and launch of the second spacecraft (INSAT-IIB) are scheduled 12 months thereafter.

16. आई आर एस-II उपग्रह : विभाग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आई आर एस-II बस के लिए आवश्यक प्रणाली विकास पर कार्य करने के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है । इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए बजट अनुमान 1991-92 में 0.01 करोड़ रुपए के प्रावधान की मांग रखी गई है।

16. IRS-II Satellites: A provision of Rs.25.00 crores in Eighth Five Year Plan has been proposed by the Department for taking up the essential system developments to be taken up during the Eighth five year plan period itself for the IRS-II Bus. A provision of Rs. 0.01 crore is sought in BE 1991-92 to enable a start on the project.

17. जी-सेट : जी-सेट एक उपग्रह प्रणाली है जिसे ग्रामीण जनसंख्या को; शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये, समर्पित उपग्रह टीवी चैनल प्रदान करने की दीर्घकाल से अनुभव की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया गया था । विकास कार्यक्रमों को, राष्ट्रीय हित के कार्यक्रम होने के साथ-साथ अपने प्रभाव को अधिकाधिक बढ़ाने के लिये एरिया / क्षेत्र / राज्य विशिष्ट होना भी आवश्यक है । जी-सेट उपग्रह की परिकल्पना स्थलीय ट्रांसमीटरों के माध्यम से प्रत्यक्ष ग्रहण अथवा पुनप्रसारण के लिये पर्याप्त क्षमता के 6-8 टीवी चैनल प्रदान करने के लिये की गई है । देशी जी एस एल वी मार्क-1 प्रक्षेपण वाहन के अनुरूप इष्टतम उपग्रह आकृति प्राप्त करने के लिये अध्ययन जारी है ।

17. G-SAT: G-SAT is a satellite system proposed for meeting the long felt need for providing dedicated satellite TV channels for broadcasting development-oriented programmes in the areas of education, rural development, health etc., for rural masses. Apart from programmes of National interest, the development programmes also need to be area/region/state-specific to maximise their impact. G-SAT satellite is envisaged to provide 6-8 TV channels of sufficient power to enable either direct reception or re-broadcast through terrestrial transmitters. Studies are underway for arriving at an optimal satellite configuration compatible with the indigenous GSLV mark-1 launch vehicle.

18. आई.आर.एस श्रृंखला/पी.एस.एल.वी. उड़ान पेलोड: आईआर.एस.- सी और डी मिशनों के बाद आई.आर.एस- II मिशनों के लिए यान पर बहुत-सी प्रौद्योगिकियां हैं और बिम्ब संवेदकों का विकास किया जाना है। पी.एस.एल.वी-डी-I के पश्चात् एक अन्य विकासात्मक उड़ान (पी.एस.एल.वी-डी-2) के 1992 में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। इन मिशनों के लिए पेलोड हेतु तैयारी करने के लिए कम से कम जरूरत है।

18. IRS Series/PSLV Test Flight Payload: There are several technologies on spacecraft and imaging sensors to be developed for IRS-II missions to follow up IRS-IC and ID missions. Following PSLV-DI, another developmental flight (PSLV-D2) is expected to be launched in 1992. There is a minimum need to make preparations for payloads for these missions.

19. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.) बंगलौर आई.एस.ए.सी. मुख्य रूप से अन्तरिक्ष यानों, की योजना बनाने और उपग्रह की मुख्य संरचना से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उत्तरदायी है ।

19. ISRO satellite Centre (ISAC), Bangalore: ISAC is mainly responsible for planning of spacecraft; and for development of technologies related to satellite mainframe.

20. माइक्रोवेव सुदूर संवेदन कार्यक्रम (एम. आर. एस. पी.) : प्रकाशीय / आई. आर. सुदूर संवेदन को माइक्रोवेव सुदूर संवेदन से जोड़ने की अत्यावश्यक जरूरतों पर विचार करते हुए इस उदीयमान क्षेत्र में भारतीय

20. Microwave Remote Sensing Programme (MRSP) : Considering the imperative needs for supplementing the optical/IR remote sensing with microwave remote sensing, a strategy has been

क्षमताओं की स्थापना के लिए एक नीति तैयार की गई है । वायुयान सहित साइड लुकिंग राडार (एस. एल. ए आर.) विकसित किया गया है और इसे माइक्रोवेव बैंड में प्राकृतिक संसाधनों का सुदूर संवेदन करने के कार्य में लगाया गया है । सिंथेटिक एपरचर राडार का प्रयोग करते हुए हवाई उड़ानें चुने हुए परीक्षण स्थलों पर एक विदेशी कम्पनी के माध्यम से आयोजित की गई थीं। वायुवाहित के सी-बैंड सिंथेटिक एपरचर राडार का विकास शुरू किया गया है और इसके 1993-94 तक तैयार हो जाने की संभावना है । देशी सिंथेटिक एपरचर राडार को, उन्नत करके अन्तरिक्षयान में परिवर्तित किया जाएगा जिसे तब नौवीं योजना के दौरान एक माइक्रोवेव सुदूर संवेदन उपग्रह पर उड़ाया जा सकेगा । अनुप्रयोग प्रणाली-विज्ञान को मान्य करने के लिए उपयोगकर्ताओं को माइक्रोवेव उपग्रह सुदूर संवेदन के आंकड़े शीघ्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपीय माइक्रोवेव सुदूर संवेदन उपग्रह, ई.आर. एस.-I, जिसके 1991 के दौरान छोड़े जाने की आशा है, से आंकड़े प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

21. **डिजीटल फोटोग्रेमीट्रिक डब्ल्यू/एस आदि :** यद्यपि हवाई फोटो देश में कई दशकों से उपलब्ध है फिर भी हवाई फोटो के प्रतिपादन के लिए उपलब्ध सुविधाएं, प्रतिपादन और मानचित्रण उपस्कर में हुई उन्नति के बराबर नहीं रही हैं। उपयोगकर्ता की जागरूकता में वृद्धि के साथ हवाई फोटो और इसके उपयोग के लिए मांग में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। उपयोगकर्ता तब तक एन.आर.एस.ए द्वारा दिये गये चित्रों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर सकते जब तक कि उनको दिए गए आंकड़े सीधे ही उपयोगी रूप में न हों। अतः डिजीटल फोटोग्रेमीट्रिक वर्क स्टेशन, त्रिविम निष्कर्षण सुविधा, अंकीय विश्लेषण सुविधा और मानचित्रण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है।

22. **राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली (एन. एन. आर. एम. एस.) :** परम्परागत पद्धतियों और उपग्रह सुदूर संवेदन को अधिकतम मिश्रित करके देश में एक राष्ट्रीय-प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना की गई है । अन्तरिक्षयान की आई. आर. एस. श्रृंखला एन. एन. आर. एम. एस. का अतिमहत्त्वपूर्ण घटक है । एन. एन. आर. एम. एस. का एक मुख्य उद्देश्य उचित एकीकरण और संयोजनों से राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य/जिला/ तालुका स्तरों पर सभी संसाधनों हेतु देश के लिए एक प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली तैयार करना है । प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से संबंधित सभी विभाग और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियां एन. एन. आर. एम. एस. में भाग लेती है । एन. एन. आर. एम. एस. के लिए अंतरिक्ष विभाग केन्द्रीय एजेंसी है और एन. एन. आर. एम. एस. (पी. सी-एन. एन. आर. एन. एस) की आयोजना समिति इस राष्ट्रीय प्रयास का समन्वय करती है । देश में आधारभूत ढांचें के सुदृढीकरण,अनुप्रयोग विकास और जनशक्ति विकास को एकीकृत ढंग से शुरू किया गया है ।

23. **अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस.ए.सी.) अहमदाबाद :** एस.ए.सी को उपग्रह संचार, भू-गणित और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और उपग्रह परियोजनाओं के लिए पेलोड के विकास का कार्य सौंपा गया है।

24. **राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए) :** यह अंतरिक्ष विभाग के अन्तर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है । यह हैदराबाद में स्थित है । यह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी की प्रचालनात्मक सेवाओं और उपयोग के लिए देश में एक प्रमुख संगठन है । यह मुख्य रूप से उपग्रह और वायुयान संबंधी सुदूर संवेदन आंकड़ों को प्राप्त करने, संसाधन और प्रसार, उपयोग की विभिन्न तकनीकों में उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षण और सुदूर संवेदन की तकनीकों को प्रयोग करके संसाधन सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

25. **अन्य :** इसमें निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है :

(क) विकास और शिक्षा संचार इकाई (डी. ई. सी. यू) जन संचार साफ्टवेयर जिसके विकासोन्मुखी दूरदर्शन कार्यक्रम, संचार अनुसंधान और दूरदर्शन के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, का कार्य कर रहा है ।

(ख) सुदूर संवेदन अनुप्रयोग मिशन (आर. एस. ए. एम.) चुने हुए क्षेत्रों जैसे फसल उत्पादन पूर्वानुमान, भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रण, वन किस्म का गहनता मानचित्रण और क्षति का पता लगाने, वाटर-शेड को प्राथमिकता देने, खनन/सुदूर तापीय विद्युत केन्द्रों के पर्यावरणीय प्रभाव, शहरों के अव्यवस्थित प्रसार और तटीय पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन परियोजनाएं संचालित करता है ।

(ग) पांच क्षेत्रीय सुदूर संवेदन सेवा केन्द्र जो कि पहले से ही कार्य कर रहे है तथा उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल आंकड़ा विश्लेषण सुविधा प्रदान कर रहे हैं ।

(घ) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी में डाटा प्रोडक्टस संबंधी सुविधा बढ़ाने के लिए ।

26. **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल), अहमदाबाद :** पी.आर.एल. अंतरिक्ष विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है । यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी वित्त व्यवस्था मुख्यतः अन्तरिक्ष विभाग से प्राप्त सहायता अनुदानों से होती है ।

arrived at for establishing the Indian capability in this emerging field. An aircraft-borne Side Looking Rader (SLAR) has been developed and this has been pressed into operational service for carrying out remote sensing of natural resources in the microwave band. Aerial flights using Synthetic Aperture Radar was carried out through a foreign company over selected test sites. Development of an air-borne C-ban Synthetic Aperture Radar has been undertaken and this is expected to be ready for 1993-94. This indigenous Synthetic Aperture Radar would be upgraded into a spacecraft version which could then be flown on a microwave remote sensing satellite during the Ninth Plan period. In order to make available microwave satellite remote sensing data to users at the earliest for validating the application methodologies, it has been decided to receive data from the European microwave remote sensing satellite, ERS-1, which is expected to be launched during 1991.

21. **Digital Photogrametric W/s etc:** Though aerial photographs have been available for several decades in the country, the facilities available for interpretation of the aerial photographs have not kept pace with advances in the interpretation and mapping equipment. With increased user awareness, the demand for aerial photography and its usage has grown steeply in the recent past. The users cannot utilise the photographs supplied by NRSA in an effective manner unless the data is given to them in a directly useable form. Hence, it is proposed to establish Digital Photogrametric Work Station, Stereo Extracation Facility, Digital Analysis Facility and Cartographic Facility.

22. **National Natural Resources Management System (NNRMS):** A National Natural Resources Management System (NNRMS) has been established in the Country, combining opimally the advantages of the satellite remote sensing and conventional methods. The IRS series of spacecraft form the most vital component of NNRMS. One of the major objectives of NNRMS is to evolve a Natural Resources Information System (NRIS) for the Country for all resources themes at National/Regional/State/Distric/Taluk levels, with appropriate integration and linkages. All Departments and agencies of Central Government and State Governments/UnionTerritories conncerned with natural resource management participate in NNRMS. Department of Space is the nodal agency for NNRMS and the Planning Committee of NNRMS (PC-NNRMS) coordinates this national effort. Strengthening the infrastructure, applications development and manpower development have been undertaken in the Country in an integrated manner.

23. **Space Applications Centre (SAC) Ahmedabad :** SAC is entrusted with the task of research and development work in the areas of satellite communications, geodesy and meteorology, and the development of payloads for the satellite projects.

24. **National Remote Sensing Agency (NRSA)** : This is an autonomous Registered Society under the Department of Space, located at Hyderabad. It is the premier organisation in the country for operational services and applications of remote sensing technology. It is mainly responsible for acquisition, processing and dissemination of satellite and aircraft remote sensing data, training of users in different applications techniques and conducting resources surveys using remote sensing techniques.

25. **Others:** Provision is made for the following:

(a) Development and Educational Communication Unit (DECU) is engaged in mass communication software including television programmes with a developmental orientation, communications research and training programmes for Doordarshan personnel.

(b) Remote Sensing Applications Mission (RSAM) to conduct large scale demonstration projects in selected areas like crop production forecasting, land use mapping, forest type density mapping and damage detection, water-shed prioritisation, environmental effects of mining/super thermal power stations, monitoring urban sprawl and coastal environment.

(c) Five Regional Remote Sensing Service Centres which are already operational and are providing digital data analysis facility for the users.

(d) For augmentation to the Data Products Facility at National Remote Sensing Agency.

26. **Physical Research Laboratory (PRL), Ahmedabad:** PRL is the premier national institution carrying out research in space science and allied fields. It is an autonomous institution supported mainly by way of grants-in-aid by the DOS.

27. **आई एस आर ओ-जी बी पी** : अन्तर्राष्ट्रीय जिओस्फियर-बायोस्फियर का एक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ के तत्वावधान मे आरम्भ किया गया है । भारत के लिए ऐसे कार्यक्रम की महत्ता एवं प्रासंगिकता को देखते हुए और इस क्षेत्र में अन्तरिक्ष विभाग के उल्लेखनीय योगदान की संभावना को देखते हुए यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

28. **अन्य योजनाएं** : अन्य योजनाओं के अंतर्गत की जाने वाली मुख्य: गतिविधियो मे विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों (रिसपोंड) में अनुसंधान परियोजनाओ, जिनमे अंतरिक्ष विभाग की रूचि हो, का वित्त पोषण आदि सम्मिलित है । इनमे निम्नलिखित के लिये भी व्यवस्था की गई है:-

(i) मौसम विज्ञान-संबंधी पेलोड तथा बैलून पेलोड सुविधा ।
(ii) मेसोफेयर, स्ट्रेटोसफेयर और ट्रोपोसफेयर राडार (एम.एस.टी. राडार) जो मध्य वायुमण्डल में हवा, तरंगों, विक्षोभ और वायुमण्डलीय स्थिरता को लगातार मानीटर कर सकता है। यह परियोजना बहुत से उपयोगकर्ता विभागों द्वारा वित्तपोषित की जा रही है।
(iii) अन्तरिक्ष विज्ञान संबंधी प्रयोगों के लिए परिज्ञप्ति राकेट।
(iv) हाई-रेल इलेक्ट्रानिक संघटकों का देशीयकरण।
(v) सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के एम.आई.आर. अन्तरिक्ष केन्द्र पर एम.आई.आर अन्तरिक्ष केन्द्र संबंधी प्रयोग।
(vi) आई आर एस सवर्धनात्मक प्रयास
(vii) भारत का मध्यवर्ती वायुमंडल कार्यक्रम
(viii) संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाएं
(ix) कारपोरेट फ्रन्ट
(x) राष्ट्रीय ड्राप ट्यूब सुविधा
(xi) भारतीय सौर क्षेत्रीय ऊर्जा कार्यक्रम
(xii) अन्तरिक्ष विज्ञान को लोकप्रिय बनाना

29. **अन्य** : निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की गई है :

(क) आई. एस. आर. ओ. मुख्यालय आई. एस. आर. ओ. / केन्द्रों / इकाइयों को समस्त दिशा तथा वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबन्धकीय सहायता देता है और अन्तरिक्ष विभाग के कार्यक्रमों / परियोजनाओं का समन्वय करता है ।

(ख) सिविल इंजीनियरी विभाग अन्तरिक्ष विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सिविल, बिजली तथा वातानुकूलन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार है ।

(ग) बंगलौर तथा हासन में क्वार्टरों और कार्यालयों के भवन के निर्माण के लिए ।

(घ) विकसित और विकासशील देशों के साथ विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों के लिये।

(ङ) मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के लिए ।

30. **भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट)** - भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट) प्रणाली दूरसंचार, मौसम विज्ञान संबंधी भू-प्रेक्षण और आंकड़ों के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सामुदायिक रेडियो तथा टेलीविजन कार्यक्रमों के वितरण/जाल बिछाने संबंधी एक क्रियात्मक, बहु-उद्देशीय स्वदेशी उपग्रह प्रणाली है । अंतरिक्ष विभाग इन्सेट प्रणाली के अंतरिक्ष भाग के कार्यान्वयन तथा संचालन के लिये जिम्मेदार है । अंतरिक्ष-भाग (इन्सेट-1 ए, 1बी, 1सी तथा 1डी) की स्वीकृत लागत 468.57 करोड़ रुपए है ।

अगस्त, 1983 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया इनसेट- 1बी नियमित प्रचालन प्रयोग में है।

इनसेट- 1सी जो कि पावर बसों में से एक में अनियमितता के कारण पूरे पेलोड के साथ कार्य नहीं कर रहा था, इसमें 22 नवम्बर, 1989 को लाक की क्षति हुई।

इनसेट- 1 डी उपग्रह, जो जून, 1990 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, का 17 जुलाई, 1990 से प्रचालनात्मक उपयोग किया जा रहा है । इनसेट-1 डी के प्रक्षेपण के साथ ही इनसेट-1 परियोजना सफलतापूर्वक पूरी हो गई है ।

31. **भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट-2 उपग्रह)** - सरकार ने तीन कार्यात्मक इनसेट-2 अन्तरिक्ष यान (इनसेट-2 सी., डी., ई.) तैयार करना अनुमोदित कर दिया है, इनसेट प्रणाली को अन्तरिक्ष खण्ड क्षमता प्रदान करने के लिए इनके 1994-97 के दौरान प्रक्षेपित किये जाने की संभावना है । इनसेट-2 सी, डी, ई के लिए कुल स्वीकृत लागत 205.25 करोड़ रुपए है । इन अन्तरिक्ष यानों के 1994-97 के दौरान प्रक्षेपित किये जाने की संभावना है ।

32. **भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट-III उपग्रह)** - 1990-2000 दशक के अंत तक इनसेट- III अन्तरिक्षयान की आवश्यकता होगी [illegible] आवश्यक तैयारी की आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही करनी होगी । इसलिए 1991-92 में 1.00 लाख रुपए की सांकेतिक व्यवस्था मांगी गई है ।

27. **ISRO-GBP** : An International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) has been initiated under the auspices of the International Council of scientific Union. Considering the importance and relevance of such a programme to India and significant contribution that DOS could make in this area, a programme has been initiated.

28. **Other Schemes** : The major activites under the Other Schemes is the funding of the research projects of interest to the Department in Universities and academic institutions (RESPOND). Provisions are also included for the following:-

(i) Meteorological payload and balloon facility.
(ii) Mesosphere, Stratosphere and Troposphere Radar (MST Radar), which can monitor continuously winds, waves, turbulances and atmospheric stability in the middle atmosphere. This project is being funded by several user Departments.
(iii) Sounding rockets for space science experiments.
(iv) Indigenisation of Hi-Rel electronic components.
(v) MIR Space Station Experiments on board USSR's MIR Space Station.
(vi) IRS Promotional Efforts.
(vii) Indian Middle Atmosphere Programme.
(viii) Joint International Projects.
(ix) Corporate Front
(x) National Drop Tube Facility
(xi) Indian Solar Terrestrial Energy Programme.
(xii) Space Science Popularisation.

29. **Others**: Provision is made for the following:-

(a) ISRO Headquarters providing overall direction and scientific, technological and managerial support to ISRO Centres/Units and coordination to the programmes/projects of the Department of space.

(b) Civil Engineering Division (CED) is responsible for execution of all civil, electrical and air conditioning work required for the various programmes of the Department of Space.

(c) For construction of quarters and Office building at Bangalore and Hassan.

(d) For various collaborative programmes with developed and developing countries.

(e) For additional instalments of DA.

30. **Indian National Satellite (INSAT-I)** : The Indian National Satellite (INSAT-I) System is an operational, multi-purpose, domestic satellite system for telecommunications, meteorological earth observation and data relay and direct TV broadcasting to augmented community receivers in rural areas as well as for radio-TV programme distribution networking. The Department of Space is responsible for the implementation and operation of the space segment of the INSAT System. The sanctioned cost of the Space Segment (INSAT-IA, IB, IC&ID) is Rs.468.57 crores.

INSAT-IB successfully launched in August 1983 is in regular operational use.

INSAT-IC which was operating with part of the payloads due to an anomaly in one of the power buses on board suffered loss of-lock on November 22, 1989.

INSAT-ID satellite which was successfully lauched in June 1990, is being operationally used since July 17, 1990. With the launch of INSAT-ID, INSAT-I Project was completed successfully.

31. **Indian National Satellite (INSAT-2 Satellites)** : Government has approved building of three operational INSAT-2 Spacecraft (INSAT-2C,D,E) which are expected to be launched during 1994-97 to provide the Space segment capacity of the INSAT system. The total sanctioned cost for INSAT-2C,D,E spacecraft is Rs.205.25 crors. The spaacecraft are expected to be launched during 1994-97.

32. **Indian National Satellite (INSAT-III Satellites)** : By the end of 1990-2000 Decade there will be need for INSAT-III spacecraft for which preparatory actions will need to be taken up during Eighth Five Year Plan itself. Hence, a token provision of Rs. 1.00 lakh is sought in 1991-92.

संसद,राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION :

मांग संख्या DEMAND No.88

लोक सभा LOK SABHA

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
	राजस्व Revenue		...	18.69	18.69	...	18.72	18.72	...	20.36	20.36
	पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़ **Total**		...	**18.69**	**18.69**	...	**18.72**	**18.72**	...	**20.36**	**20.36**
संसद-लोक सभा	**Parliament-Lok Sabha**										
1. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	1. Speaker & Deputy Speaker	2011	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12	...	0.12	0.12
2. सदस्य	2. Members	2011	...	11.12	11.12	...	11.03	11.03	...	12.16	12.16
3. सचिवालय	3. Secretariat	2011	...	6.94	6.94	...	7.22	7.22	...	7.63	7.63
4. अन्य व्यय	4. Other Expenditure	2011	...	0.51	0.51	...	0.35	0.35	...	0.45	0.45
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***18.69***	***18.69***	...	***18.72***	***18.72***	...	***20.36***	***20.36***

लोक सभा

इसमें लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतनों, यात्रा व्यय आदि तथा वेतन और लेखा कार्यालय सहित लोक सभा सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है ।

Lok Sabha

Provision has been made for the salaries, travel expenses, etc. of the Speaker, Deputy Speaker, Members of the Lok Sabha and for the Lok Sabha Secretariat including its Pay and Accounts Office.

संसद,राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION :

मांग संख्या DEMAND No. 89

राज्य सभा RAJYA SABHA

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

मुख्य शीर्ष Major Head			बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	7.49	7.49	...	9.67	9.67	...	9.05	9.05
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**7.49**	**7.49**	...	**9.67**	**9.67**	...	**9.05**	**9.05**
संसद-राज्य सभा	**Parliament-Rajya Sabha**										
1. सभापति और उप-सभापति	1. Chairman & Deputy Chairman	2011	...	0.04	0.04	...	0.05	0.05	...	0.04	0.04
2. सदस्य	2. Members	2011	...	4.38	4.38	...	6.07	6.07	...	5.44	5.44
3. सचिवालय	3. Secretariat	2011	...	3.00	3.00	...	3.45	3.45	...	3.49	3.49
4. अन्य	4. Others	2011	...	0.07	0.07	...	0.10	0.10	...	0.08	0.08
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***7.49***	***7.49***	...	***9.67***	***9.67***	...	***9.05***	***9.05***

राज्य सभा

अनुदानों की मांग में राज्य सभा के सभापति, उपसभापति और राज्य सभा के सदस्यों के वेतनों और यात्रा व्यय आदि तथा वेतन और लेखा कार्यालय सहित राज्य सभा सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था है ।

Rajya Sabha

Includes provision for the salaries and travel expenses etc. of the Chairman, Deputy Chairman, Members of the Rajya Sabha and for the Rajya Sabha Secretariat including its Pay and Accounts Office.

संसद,राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION :

मांग संख्या DEMAND No.90

विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, आवास और भत्ते Appropriation- Staff, Household and Allowances of the President

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	2.60	2.60	...	3.32	3.32	...	3.15	3.15
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**Total**		...	**2.60**	**2.60**	...	**3.32**	**3.32**	...	**3.15**	**3.15**

		Major Head	1990-91 Plan	Non-Plan	Total	1990-91 Revised Plan	Non-Plan	Total	1991-92 Plan	Non-Plan	Total
राष्ट्रपति	**President**										
1. राष्ट्रपति	1. President	2012	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
2. सचिवालय	2. Secretariat	2012	...	0.96	0.96	...	1.04	1.04	...	1.10	1.10
3. अन्य व्यय	3. Other Expenditure	2012	...	1.62	1.62	...	2.26	2.26	...	2.03	2.03
कुल जोड़	***Grand Total***		...	***2.60***	***2.60***	...	***3.32***	***3.32***	...	***3.15***	***3.15***

अनुदानों की मांग में राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों तथा राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रपति भवन के अन्य कर्मचारियों और राष्ट्रपति की गृह स्थापना पर होने वाले व्यय की व्यवस्था है ।

Provides for the salaries and allowances of the President and expenditure on the President's Secretariat and other establishment of the Rashtrapati Bhavan, including President's Household Establishment.

संसद,राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION :

मांग संख्या DEMAND No. 91

उपराष्ट्रपति का सचिवालय Secretariat of the Vice-President

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

	मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व Revenue		...	0.24	0.24	...	0.26	0.26	...	0.27	0.27
पूंजी *Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़ **Total**		...	***0.24***	***0.24***	...	***0.26***	***0.26***	...	***0.27***	***0.27***
उप-राष्ट्रपति Vice-President										
1. सचिवालय 1. Secretariat	2012	...	0.23	0.23	...	0.25	0.25	...	0.26	0.26
2. अन्य 2. Others	2012	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
कुल जोड़ *Grand Total*		...	***0.24***	***0.24***	...	***0.26***	***0.26***	...	***0.27***	***0.27***

अनुदानों की मांगों में उपराष्ट्रपति के सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यय, उपराष्ट्रपति और कर्मचारीवृंद के यात्रा व्यय, आकस्मिक व्यय और उपराष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदानों के लिए व्यवस्था है ।

Provides for expenditure on the Officers and staff of the Vice President's Secretariat, travel expenses of the Vice President and staff, contingencies and discretionary grants of the Vice President.

उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति की हैसियत से वेतन प्राप्त होता है ।

The Vice President draws pay as the Chairman of the Rajya Sabha.

संसद,राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय तथा संघ लोक सेवा आयोग

PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

मांग संख्या DEMAND No. 92

विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग Appropriation- Union Public Service Commission

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		...	12.02	12.02	...	13.33	13.33	...	13.33	13.33
पूंजी	*Capital*		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	Total		...	*12.02*	*12.02*	...	*13.33*	*13.33*	...	*13.33*	*13.33*
संघ लोक सेवा आयोग	**Union Public Service Commission**										
1. प्रशासनिक व्यय	1. Administrative Expenditure	2051	...	8.82	8.82	...	9.03	9.03	...	9.21	9.21
2. परीक्षा और चयन	2. Examinations and Selections	2051	...	3.20	3.20	...	4.30	4.30	...	4.12	4.12
कुल जोड़	***Grand Total***		...	*12.02*	*12.02*	...	*13.33*	*13.33*	...	*13.33*	*13.33*

1. प्रशासनिक व्यय : संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की व्यवस्था है ।

2. परीक्षाएं और चयन : आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं और चयन के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की व्यवस्था है ।

1. **Administrative Expenditure :** Provides for salaries and allowances of the Chairman, Members, Officers and Staff of the Union Public Service Commission.

2. **Examinations and Selections :** Provides for expenditure connected with the examinations and selections conducted/ made by the Commission.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

मांग संख्या DEMAND No. 93-98

बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र Union Territories Without Legislature

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आवंटन इस प्रकार है:
A. The Budget allocations, net of recoveries are given below:

(करोड़ रुपए)
(In crores of Rupees)

		मुख्य शीर्ष Major Head	बजट 1990-91 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	संशोधित 1990-91 Revised आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	बजट 1991-92 Budget आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व	Revenue		333.79	934.93	1268.72	303.40	978.57	1281.97	355.98	1001.46	1357.44
पूंजी	*Capital*		*666.75*	*-13.01*	*653.74*	*638.97*	*-25.67*	*613.30*	*841.52*	*-16.76*	*824.76*
जोड़	**Total**		**1000.54**	**921.92**	**1922.46**	**942.37**	**952.90**	**1895.27**	**1197.50**	**984.70**	**2182.20**
(i) दिल्ली	(i) Delhi										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	283.88	726.63	1010.51	262.51	741.16	1003.67	303.06	780.36	1083.42
1.01 घटाइए - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	-58.77	-58.77	...	-63.19	-63.19	...	-79.36	-79.36
			283.88	667.86	951.74	262.51	677.97	940.48	303.06	701.00	1004.06
2. पूंजी	2. Capital	5710	161.21	...	161.21	147.65	-10.11	137.54	177.57	...	177.57
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	354.91	1.00	355.91	339.84	1.00	340.84	439.37	1.00	440.37
जोड़ - दिल्ली	**Total Delhi**		**800.00**	**668.86**	**1468.86**	**750.00**	**668.86**	**1418.86**	**920.00**	**702.00**	**1622.00**
(ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	(ii) Andaman & Nicobar Islands										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	15.41	108.49	123.90	13.10	125.61	138.71	16.85	131.59	148.44
1.01 घटाइए - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			15.41	108.49	123.90	13.10	125.61	138.71	16.85	131.59	148.44
2. पूंजी	2. Capital	5710	81.12	0.87	81.99	83.34	0.75	84.09	136.70	1.10	137.80
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.47	0.02	0.49	0.56	0.02	0.58	0.45	0.01	0.46
जोड़ :अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**Total A & N Islands**		**97.00**	**109.38**	**206.38**	**97.00**	**126.38**	**223.38**	**154.00**	**132.70**	**286.70**
(iii) दादरा और नगर हवेली	(iii) Dadra & Nagar Haveli										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	6.53	8.33	14.86	5.24	7.87	13.11	6.82	8.43	15.25
1.01 घटाइए - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	-0.06	-0.06	...	-0.06	-0.06	...	-0.07	-0.07
			6.53	8.27	14.80	5.24	7.81	13.05	6.82	8.36	15.18
2. पूंजी	2. Capital	5710	6.20	0.23	6.43	6.68	0.13	6.81	13.96	0.55	14.51
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.26	0.22	0.48	0.24	0.21	0.45	0.22	0.25	0.47
जोड़ : दादरा और नगर हवेली	**Total D & N Haveli**		**12.99**	**8.72**	**21.71**	**12.16**	**8.15**	**20.31**	**21.00**	**9.16**	**30.16**
(iv) लक्षद्वीप	(iv) Lakshadweep										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	11.33	24.22	35.55	10.54	26.42	36.96	12.35	25.44	37.79
1.01 घटाइए - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			11.33	24.22	35.55	10.54	26.42	36.96	12.35	25.44	37.79
2. पूंजी	2. Capital	5710	10.15	0.04	10.19	9.08	0.04	9.12	9.98	0.03	10.01
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.52	...	0.52	0.18	...	0.18	0.13	...	0.13
जोड़ : लक्षद्वीप	**Total Lakshadweep**		**22.00**	**24.26**	**46.26**	**19.80**	**26.46**	**46.26**	**22.46**	**25.47**	**47.93**
(v) चंडीगढ़	(v) Chandigarh										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	11.24	112.82	124.06	8.53	129.05	137.58	12.20	122.74	134.94
1.01 घटाइए - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			11.24	112.82	124.06	8.53	129.05	137.58	12.20	122.74	134.94
2. पूंजी	2. Capital	5710	43.58	-14.81	28.77	41.42	-17.75	23.67	49.83	-19.75	30.08
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	1.15	...	1.15	1.75	...	1.75	2.33	0.01	2.34
जोड़ : चंडीगढ़	**Total Chandigarh**		**55.97**	**98.01**	**153.98**	**51.70**	**111.30**	**163.00**	**64.36**	**103.00**	**167.36**
[vi] दमन और दीव	[vi] Daman and Diu										
1. राजस्व	I. Revenue	3710	5.40	13.27	18.67	3.48	11.71	15.19	4.70	12.33	17.03
1.01 घटाइये - प्राप्तियों के आधार पर निवल राशि	1.01 Less - Amount netted against Receipts	3710	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			5.40	13.27	18.67	3.48	11.71	15.19	4.70	12.33	17.03
2. पूंजी	2. Capital	5710	7.06	-0.62	6.44	8.10	...	8.10	10.93	...	10.93
3. ऋण और अग्रिम	3. Loans & Advances	7710	0.12	0.04	0.16	0.13	0.04	0.17	0.05	0.04	0.09
जोड़ : दमन और दीव	**Total Daman & Diu**		**12.58**	**12.69**	**25.27**	**11.71**	**11.75**	**23.46**	**15.68**	**12.37**	**28.05**
कुल जोड़	***Grand Total***		*1000.54*	*921.92*	*1922.46*	*942.37*	*952.90*	*1895.27*	*1197.50*	*984.70*	*2182.20*

ग. आयोजना परिव्यय	C. Plan Outlay	विकास शीर्ष Head of Dev.	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total	बजट समर्थन Budget Support	आं.ब.बा.सं. IEBR	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाएं	**Union Territory Plans**										
बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	Union Territories without Legislature:										
1. दिल्ली	1. Delhi	43602	800.00	...	800.00	750.00	...	750.00	920.00	...	920.00
2. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2. Andaman & Nicobar Islands	43602	97.00	...	97.00	97.00	...	97.00	154.00	...	154.00
3. दादरा और नगर हवेली	3. Dadra & Nagar Haveli	43602	12.99	...	12.99	12.16	...	12.16	21.00	...	21.00
4. लक्षद्वीप	4. Lakshadweep	43602	22.00	...	22.00	19.80	...	19.80	22.46	...	22.46
5. चन्डीगढ़	5. Chandigarh	43602	55.97	...	55.97	51.70	...	51.70	64.36	...	64.36
6. दमन और दीव	6. Daman & Diu	43602	12.58	...	12.58	11.71	...	11.71	15.68	...	15.68
जोड़		*Total*	*1000.54*	...	*1000.54*	*942.37*	...	*942.37*	*1197.50*	...	*1197.50*

93 दिल्ली DELHI

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 (3)	संशोधित अनुमान RE 90-91 (4)	बजट अनुमान BE91-92 (5)
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	668.86	668.86	702.00
आयोजना	Plan	800.00	750.00	920.00
जोड़	**Total**	**1468.86**	**1418.86**	**1622.00**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **दिल्ली** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Delhi** both on Revenue Account and Capital Account including Loans. A broad analysis of the provision is as follows:-

		BE 90-91	RE 90-91	BE 91-92
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	249.11	255.44	263.75
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	10.87	9.31	13.67
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**259.98**	**264.75**	**277.42**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	587.83	574.36	624.22
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	65.71	64.03	76.86
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**653.54**	**638.39**	**701.08**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	114.80	110.68	116.09
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	84.63	64.20	87.04
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**199.43**	**174.88**	**203.13**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	355.91	340.84	440.37
कुल जोड़	***Grand Total***	***1468.86***	***1418.86***	***1622.00***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 (3)	संशोधित अनुमान RE 90-91 (4)	बजट अनुमान BE91-92 (5)
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	4.04	4.41	4.24
2. पुलिस	2. Police	171.82	171.78	179.61
3. शिक्षा	3. Education	248.81	255.80	260.58
4. स्वास्थ्य	4. Health	70.65	70.75	74.28
5. श्रम	5. Labour	11.11	15.31	11.59
6. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6. Social Security & Welfare	39.66	35.00	42.77
7. अन्य	7. Others	122.77	115.81	128.93
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total Non-Plan**	**668.85**	**668.86**	**702.00**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	10.34	7.72	15.35
2. ग्रामीण विकास	2. Rural Development	3.57	4.67	7.31
3. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3. Irrigation & Flood control	20.00	16.68	15.47
4. ग्राम तथा लघु उद्योग	4. Village & Small Industries	5.24	7.73	6.35
5. परिवहन	5. Transport	58.62	51.56	57.51
6. शिक्षा	6. Education	30.64	28.25	34.75
7. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	7. Health and Family Welfare	35.55	32.53	38.23
8. आवास तथा नगर विकास	8. Housing & Urban Development	320.37	299.45	343.66
9. ऊर्जा	9. Energy	200.65	197.31	270.85
10. सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य	10. Social Security and Others	115.02	104.10	130.52
जोड़-आयोजना	**Total Plan**	**800.00**	**750.00**	**920.00**

94 अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

		BE 90-91	RE 90-91	BE 91-92
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	109.38	126.38	132.70
आयोजना	Plan	97.00	97.00	154.00
जोड़	Total	206.38	223.38	286.70

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Andaman and Nicobar Islands** both on Revenue Account and Capital Account including Loans. A broad analysis of the provision is as follows:-

		BE 90-91	RE 90-91	BE 91-92
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	25.68	27.69	29.58
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	2.88	3.69	4.35
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**28.56**	**31.38**	**33.93**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	26.74	27.25	28.75
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	13.50	14.62	16.42
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**40.24**	**41.87**	**45.17**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	71.48	83.77	90.11
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	65.61	65.78	117.03
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**137.09**	**149.55**	**207.14**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.49	0.58	0.46
कुल जोड़	***Grand Total***	***206.38***	***223.38***	***286.70***

		BE 90-91	RE 90-91	BE 91-92
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	1.22	1.18	1.44
2. पुलिस	2. Police	10.92	11.12	11.93
3. शिक्षा	3. Education	15.11	15.31	16.34
4. वानिकी तथा वन्य जीवन	4. Forestry & Wildlife	14.32	14.00	14.57
5. परिवहन	5. Transport	31.59	44.32	46.37
6. आवास तथा नगर विकास	6. Housing & Urban Development	9.44	11.70	12.01
7. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	7. Food & Civil Supplies	0.31	0.35	0.34
8. ऊर्जा	8. Energy	7.82	8.86	9.64
9. अन्य	9. Others	18.65	19.54	20.06
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total Non-Plan**	**109.38**	**126.38**	**132.70**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	2.74	2.62	4.00
2. ग्रामीण विकास	2. Rural Development	2.41	2.58	4.27
3. परिवहन	3. Transport	52.52	53.50	101.10
4. आवास तथा नगर विकास	4. Housing & Urban Development	20.09	20.31	22.33
5. वानिकी तथा वन्य जीवन	5. Forestry & Wildlife	4.10	3.74	4.08
6. शिक्षा	6. Education	3.24	2.69	2.78
7. ऊर्जा	7. Energy	8.78	8.38	11.26
8. अन्य	8. Others	3.12	3.18	4.18
जोड़- आयोजना	**Total Plan**	**97.00**	**97.00**	**154.00**

95 दादरा और नागर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 (3)	संशोधित अनुमान RE 90-91 (4)	बजट अनुमान BE91-92 (5)
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	8.72	8.15	9.16
आयोजना	Plan	12.99	12.16	21.00
जोड़	**Total**	**21.71**	**20.31**	**30.16**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है । इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Dadra and Nagar Haveli** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

		3	4	5
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	3.69	2.42	3.56
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.48	0.15	0.42
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**4.17**	**2.57**	**3.98**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	5.55	5.16	7.46
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	2.09	1.97	3.30
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**7.64**	**7.13**	**10.76**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	5.56	5.47	4.16
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	3.86	4.69	10.79
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**9.42**	**10.16**	**14.95**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र को सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	**0.48**	**0.45**	**0.47**
कुल जोड़	***Grand Total***	***21.71***	***20.31***	***30.16***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 (3)	संशोधित अनुमान RE 90-91 (4)	बजट अनुमान BE91-92 (5)
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**I. Non-Plan Broad-details are :-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.51	0.36	0.17
2. पुलिस	2. Police	1.27	0.80	1.33
3. स्वास्थ्य	3. Health	0.65	0.65	0.89
4. कृषि तथा ग्रामीण विकास	4. Agriculture & Rural Development	0.74	0.54	0.85
5. शिक्षा	5. Education	2.67	2.83	3.24
6. ऊर्जा	6. Energy	-1.69	-0.85	-3.56
7. आवास तथा नगर विकास	7. Housing & Urban Development	1.25	0.73	1.82
8. परिवहन	8. Transport	1.26	1.10	1.65
9. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	9. Food & Civil Supplies	0.04	0.03	0.05
10. अन्य	10. Others	2.02	1.96	2.72
जोड़ - आयोजना-भिन्न	**Total-Non-Plan**	**8.72**	**8.15**	**9.16**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**II. Plan - Broad-details are :-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	2.27	2.12	5.68
2. वानिकी तथा वन्य जीवन	2. Forestry and wild Life	1.76	1.41	1.34
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	2.80	2.36	3.54
4. परिवहन	4. Transport	1.20	1.21	1.23
5. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	5. Irrigation & Flood Control	0.65	1.15	3.07
6. ऊर्जा	6. Energy	1.83	1.80	1.58
7. अन्य	7. Others	2.48	2.11	4.56
जोड़ - आयोजना	**Total Plan**	**12.99**	**12.16**	**21.00**

96 लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

1	2	3	4	5
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	24.26	26.46	25.47
आयोजना	Plan	22.00	19.80	22.46
जोड़	**Total**	**46.26**	**46.26**	**47.93**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है । इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Lakshadweep** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

		3	4	5
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	4.47	4.38	4.59
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.05	0.05	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**4.52**	**4.43**	**4.63**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	9.74	9.17	9.97
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.21	0.30	0.26
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**9.95**	**9.47**	**10.23**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	21.34	23.41	23.23
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	9.93	8.77	9.71
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**31.27**	**32.18**	**32.94**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र को सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	**0.52**	**0.18**	**0.13**
कुल जोड़	***Grand Total***	***46.26***	***46.26***	***47.93***

1	2	3	4	5
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.64	0.64	0.68
2. पुलिस	2. Police	1.23	1.23	1.29
3. आवास तथा नगर विकास	3. Housing & Urban Development	1.62	1.62	1.70
4. शिक्षा	4. Education	3.40	3.40	3.57
5. ऊर्जा	5. Energy	3.70	3.70	3.89
6. परिवहन	6. Transport	9.55	11.75	10.02
7. कृषि तथा ग्रामीण विकास	7. Agriculture & Rural Development	1.68	1.68	1.77
8. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	8. Food & Civil Supplies	0.03	0.03	0.02
9. स्वास्थ्य	9. Health	1.04	1.04	1.09
10. अन्य	10. Others	1.37	1.37	1.44
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total-Non Plan**	**24.26**	**26.46**	**25.47**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरे इस प्रकार हैं :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. कृषि तथा संबद्ध सेवाएं	1. Agriculture & Allied activities	3.82	3.36	4.04
2. ग्रामीण विकास	2. Rural Development	0.13	0.19	0.35
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	3.52	3.96	3.66
4. परिवहन	4. Transport	7.66	7.61	7.04
5. ऊर्जा	5. Energy	3.02	1.87	3.24
6. शिक्षा	6. Education	0.76	0.41	1.25
7. अन्य	7. Others	3.09	2.40	2.88
जोड़-आयोजना	**Total- Plan**	**22.00**	**19.80**	**22.46**

97 चण्डीगढ़ CHANDIGARH

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 3	संशोधित अनुमान RE 90-91 4	बजट अनुमान BE91-92 5
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	98.01	111.30	103.00
आयोजना	Plan	55.97	51.70	64.36
जोड़	**Total**	**153.98**	**163.00**	**167.36**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **चण्डीगढ़** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Chandigarh** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

1	2	3	4	5
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	40.52	44.34	45.41
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	1.72	1.75	2.17
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**42.24**	**46.09**	**47.58**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	59.82	59.77	63.65
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	12.46	7.58	14.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**72.28**	**67.35**	**78.20**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	23.72	33.47	25.88
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	14.59	14.34	13.37
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total Economic Services**	**38.31**	**47.81**	**39.25**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	1.15	1.75	2.33
कुल जोड़	***Grand Total***	***153.98***	***163.00***	***167.36***

(करोड़ रुपए) (In crores of rupees)

1	2	बजट अनुमान BE 90-91 3	संशोधित अनुमान RE 90-91 4	बजट अनुमान BE91-92 5
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.91	0.79	0.82
2. पुलिस	2. Police	11.46	13.36	13.80
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	17.40	15.35	14.67
4. शिक्षा	4. Education	39.27	42.29	42.99
5. स्वास्थ्य	5. Health	5.01	5.06	5.28
6. श्रम	6. Labour	1.13	0.89	1.00
7. परिवहन	7. Transport	13.84	15.65	16.30
8. ऊर्जा	8. Energy	4.67	13.77	3.24
9. अन्य	9. Others	4.32	4.14	4.90
जोड़-आयोजना-भिन्न	**Total-Non-Plan**	**98.01**	**111.30**	**103.00**
II. आयोजना - विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. परिवहन	1. Transport	3.00	2.88	2.66
2. शिक्षा	2. Education	4.32	2.91	5.22
3. आवास तथा नगर विकास	3. Housing & Urban Development	32.85	31.53	39.87
4. ऊर्जा	4. Energy	7.96	7.22	8.65
5. अन्य	5. Others	7.84	7.16	7.96
जोड़- आयोजना	**Total-Plan**	**55.97**	**51.70**	**64.36**

98 दमन और दीव DAMAN AND DIU

1	2	3	4	5
आयोजना-भिन्न	Non-Plan	12.69	11.75	12.37
आयोजना	Plan	12.58	11.71	15.68
जोड़	**Total**	**25.27**	**23.46**	**28.05**

इस मांग में संघ राज्य क्षेत्र **दमन और दीव** के ऋणों सहित राजस्व खाते और पूंजी खाते के अन्तर्गत होने वाले व्यय के लिए व्यवस्था है। इस व्यवस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-

The provisions in this Demand are for the expenditure of the Union Territory of **Daman and Diu** both on Revenue Account and on Capital Account including Loans. A broad analysis of the provisions is given below:-

1	2	3	4	5
(i) सामान्य सेवाएं	**(i) General Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	2.81	2.47	3.49
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	0.56	0.54	0.70
जोड़-सामान्य सेवाएं	**Total General Services**	**3.37**	**3.01**	**4.19**
(ii) सामाजिक सेवाएं	**(ii) Social Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	6.93	6.73	8.95
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	2.12	2.15	2.68
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**Total Social Services**	**9.05**	**8.88**	**11.63**
(iii) आर्थिक सेवाएं	**(iii) Economic Services**			
(क) राजस्व खाता	(a) Revenue Account	8.93	5.99	4.59
(ख) पूंजी खाता	(b) Capital Account	3.76	5.41	7.55
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**Total-Economic Services**	**12.69**	**11.40**	**12.14**
(iv) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	**(iv) Loans and Advances by the Union Territory Govt.**	0.16	0.17	0.09
कुल जोड़	***Grand Total***	***25.27***	***23.46***	***28.05***

1	2	3	4	5
I. आयोजना-भिन्न विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**I. Non-Plan Broad-details are:-**			
1. सचिवालय	1. Secretariat	0.27	0.26	0.34
2. पुलिस	2. Police	0.75	0.72	0.79
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	1.21	1.03	1.77
4. शिक्षा	4. Education	3.12	3.08	4.08
5. स्वास्थ्य	5. Health	0.69	0.73	0.92
6. श्रम	6. Labour	0.15	0.15	0.22
7. परिवहन	7. Transport	0.74	0.70	0.93
8. ऊर्जा	8. Energy	4.42	3.20	0.97
9. खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	9. Food and Civil Supplies	-0.53	0.09	0.11
10. अन्य	10. Others	1.87	1.79	2.24
जोड़ - आयोजना-भिन्न	**Total-Non-Plan**	**12.69**	**11.75**	**12.37**
II. आयोजना- विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :-	**II. Plan - Broad-details are:-**			
1. परिवहन	1. Transport	1.71	1.57	2.83
2. शिक्षा	2. Education	1.20	0.93	1.00
3. आवास तथा शहरी विकास	3. Housing & Urban Development	3.15	3.15	4.20
4. ऊर्जा	4. Energy	1.36	1.36	1.79
5. ग्राम और लघु उद्योग	5. Village and Small Industries	2.02	1.55	1.35
6. अन्य	6. Others	3.14	3.15	4.51
जोड़ - आयोजना	**Total-Plan**	**12.58**	**11.71**	**15.68**

Receipts Budget 1991-92 (Incorporating Receipts, Recoveries of Loans, other Capital Receipts and Debt position of Central Government), as finally adopted

विषय सूची
Table of contents

		पृष्ठ संख्या *Page No.*
1. परिचायक टिप्पणी	1. **Introductory Note**	(iii)
2. कर और कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	2. **Summary of estimates of tax and non-tax revenue receipts.**	1
3. कर-राजस्व	3. **Tax Revenue**	
(i) कम्पनी कर	(i) Corporation tax	1
(ii) कम्पनी कर से भिन्न आय पर कर	(ii) Taxes on income other than Corporation tax	1
(iii) सीमा-शुल्क	(iii) Customs	3
(iv) संघ उत्पाद-शुल्क	(iv) Union Excise Duties	4
(v) संघ राज्य क्षेत्रों के कर	(v) Taxes of Union Territories	7
4. कर-भिन्न राजस्व	4. **Non-tax Revenue**	
(a) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	(a) Interest receipts, dividends and profits	8
(b) अन्य कर-भिन्न राजस्व	(b) Other non-tax revenue	13
(i) राजकोषीय सेवाएं	(i) Fiscal services	13
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	(ii) Other general services	14
(iii) सामाजिक सेवाएं	(iii) Social services	15
(iv) आर्थिक सेवाएं	(iv) Economic services	16
5. पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	5. **Summary of estimates of capital receipts**	
(i) बाजार उधार	(i) Market loans	19
(ii) विदेशी सहायता	(ii) External assistance	20
(iii) उधारों और अग्रिमों की वसूलियां	(iii) Recoveries of loans and advances	21
(iv) अल्प बचतें और भविष्य निधियां	(iv) Small savings and Provident funds	23
(v) विशेष जमा योजना	(v) Special deposit schemes	24
(vi) रेलवे प्रारक्षित निधियां	(vi) Railway reserve funds	25
(vii) दूर-संचार प्रारक्षित निधि	(vii) Telecommunications reserve funds	27
(viii) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(viii) Special securities issued to IMF, etc	27
अनुबन्ध :	***Annexures:***	
1. सीमा-शुल्कों से प्राप्त राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा	1. Commodity-wise details of revenue from customs duties	33
2. संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा	2. Commodity-wise details of revenue from union excise duties	35
3. नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार करों और शुल्कों के राज्यवार प्रतिशत अंश का ब्यौरा	3. Statement showing the State-wise percentage of shares of taxes and duties under the recommendations of the 9th Finance Commission.	40
4. आयकर, बुनियादी उत्पाद-शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के राज्यवार वितरण का विवरण	4. Statement showing State-wise distribution of income-tax, basic excise duties and additional excise duties.	41

		पृष्ठ संख्या Page No.
5. दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणाम	5. Financial results of the working of Telecommunications Department.	42
6. भारत सरकार के कर्ज की स्थिति	6. Debt position of the Government of India	43
7. केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया उधारों का ब्यौरा	7. Details of current rupee loans of the Central Government.	46
8. विदेशी सहायता-देशवार/संगठनवार प्राप्तियां और वापसी-अदायगियां	8. External assistance-receipts and repayments country/organisation-wise	49
9. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	9. Trends in receipts	68
10. खर्च की प्रवृत्तियां	10. Trends in expenditure	69
11. *अनुबंध 9* में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	11. Analysis of tax and non-tax revenue receipts included in *Annexure 9*	70
12. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के बीच मिलान	12. Reconciliation between estimates of Receipts shown in Annual Financial Statement and Receipts Budget.	71

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

इस पुस्तक के दो भाग हैं - अर्थात् भाग "क", जिसमें राजस्व प्राप्तियां और भाग "ख", जिसमें पूंजी प्राप्तियां प्रदर्शित की गई हैं ।

भाग "क" में राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों की व्याख्या की गई है, जिनको दो वर्गों अर्थात् (क) कर-राजस्व तथा (ख) कर - भिन्न राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

भाग "ख" का सम्बन्ध पूंजी प्राप्तियों से है, जिनमें बाजार ऋण, विदेशी सहायता, अल्प बचतें, सरकारी भविष्य निधियां, विभिन्न जमा खातों में प्राप्त राशियां तथा रेलवे और दूर संचार आदि विभागों की मूल्यह्रास और प्रारक्षित निधियां भी सम्मिलित हैं ।

अनुबन्ध :

अनुबन्ध 1 और 2 में क्रमशः सीमा शुल्कों तथा संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुवार ब्यौरा दिया गया है । अनुबन्ध 3 में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य को, आयकर, संघ उत्पाद-शुल्क तथा रेलवे यात्री किराया कर के बदले दिए जाने वाले अनुदानों के प्रतिशत हिस्से का ब्यौरा दिया गया है । अनुबंध 4 में आयकर, बुनियादी उत्पाद शुल्कों तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों का वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 से संबंधित राज्यवार वितरण प्रदर्शित किया गया है । अनुबन्ध 5 में दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा दिया गया है।

अनुबन्ध 6 में कतिपय वर्षों की भारत सरकार की कर्ज की स्थिति भी प्रदर्शित की गई है जिसके साथ सरकार की देनदारियों तथा परिसम्पतियों का एक अनुबंध भी प्रस्तुत किया गया है, जो सरकार द्वारा किए गए पूंजी निवेशों और प्रदत्त उधारों पर आधारित है । अनुबंध 7 में सरकार के चालू रुपया उधारों का ब्यौरा दिया गया है । विदेशी स्रोतों से प्राप्त ऋणों, नगदी और वस्तु सहायता अनुदानों तथा विदेशी ऋणों की वापसी-अदायगी का ब्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है ।

अनुबन्ध 9 और 10 में क्रमशः प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है, जबकि कर और कर-भिन्न प्राप्तियों का विश्लेषण अनुबंध 11 में किया गया है। व्यय का विश्लेषण "व्यय बजट" पुस्तक खण्ड 1 में प्रस्तुत किया गया है । अनुबन्ध 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमान का प्राप्ति बजट में प्रदर्शित अनुमानों के साथ मिलान दर्शाया गया है ।

This document has two parts, namely, Part A Revenue Receipts and Part B Capital Receipts.

Part A explains the estimates of Revenue receipts which are grouped under two categories, namely (a) Tax revenue, and (b) Non-tax revenue.

Part B deals with Capital Receipts which include market loans, external assistance, small savings, Government provident funds, accretions to various deposit accounts, depreciation and reserve funds of departments like Railways, Telecommunications, etc.

Annexures:

Annexures 1 and 2 give the commodity-wise details of revenue from Customs and Union Excise duties, respectively. Annexure 3 gives the percentage share of each State in respect of Income-tax, Union Excise duties, and grants in lieu of Railway Passenger Fare Tax as recommended by the Finance Commission. Annexure 4 gives State-wise distribution of Income-tax, Basic and Additional Excise Duties in 1990-91 and 1991-92. Annexure 5 gives the financial results of the working of the Telecommunications Department.

Annexure 6 gives a summary of debt position of the Government of India over the years along with statements showing the liabilities of the Government and assets comprising Capital investments and loans by the Government, while Annexure 7 gives details of current rupee loans of the Government. The details of loans, cash and commodity grants received from external sources and repayments of external loans are given in Annexure 8.

Annexure 9 and 10 show the trends in receipts and expenditure respectively, while an analysis of tax and non-tax receipt is included in the Annexure 11. Analysis of expenditure is included in the document Expenditure Budget, Volume 1. In Annexure 12 the estimates of receipts shown in the Annual Financial Statement and the Receipts Budget have been reconciled.

भाग क *PART A*

राजस्व प्राप्तियां REVENUE RECEIPTS

निम्नलिखित विवरण में कराधान वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 से जुटाए जाने वाले अतिरिक्त राजस्वों की संभावना के प्रभाव के हिसाब में लेकर राजस्व प्राप्तियों के अनुमान स्थूल वर्गों के आधार पर सार रूप में दिए गए हैं। इस विवरण के बाद विभिन्न भागों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे दिए गए हैं, जिनके साथ दी गई संक्षिप्त टिप्पणियों में बजट और संशोधित अनुमान 1990-91 के अन्तर और 1991-92 के बजट अनुमानों के अन्तर को स्पष्ट किया गया है।

The Statement below summarises by broad categories, the estimates of revenue receipts after taking into account the effect of the additional revenues likely to be revised from the Finance (No.2) Act, 1991. Further details by sections and heads of account, together with brief notes explaining the variations between the Budget and Revised estimates, 1990-91 and between the latter and the Budget estimates for 1991-92, are given in the notes that follow this Statement.

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
I. कर - राजस्व	**I. Tax Revenue**			
निगम कर	Corporation Tax	6089.00	6350.00	6704.00
आय पर कर	Taxes on Income	5426.00	5560.00	6152.00
ब्याज कर	Interest Tax	..	..	535.00
व्यय-कर अधिनियम, 1987	Expenditure-tax Act, 1987	72.00	75.00	235.00
संपदा शुल्क	Estate Duty	3.50	3.50	2.30
धन कर	Wealth Tax	175.00	190.00	255.00
दान कर	Gift Tax	9.00	2.00	9.00
सीमा शुल्क	Customs	21460.38	20800.00	25899.41
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	25125.03	24500.00	27402.18
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	Taxes of Union Territories	1205.85	1174.01	1361.43
अन्य कर	Other Taxes	212.81	261.50	279.00
जोड़-कर राजस्व	**Total - Tax Revenue**	**59778.57**	**58916.01**	**68834.32**
घटाइए-राज्यों का अंश	***Less - States' Share:***			
आय पर कर	Taxes on Income	4064.31	4120.48	4564.91
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	10361.44	10414.43	11689.84
जोड़-राज्यों का अंश	**Total - States' Share**	**14425.75**	**14534.91**	**16254.75**
घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों पर कर और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अन्तरण	***Less-Transfer of Union territory taxes and duties to local bodies***	58.83	63.25	79.43
	Centre's Net Tax Revenue	***45293.99***	***44317.85***	***52500.14***
II. कर-भिन्न राजस्व	**II. Non-Tax Revenue**			
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	Interest receipts, dividends and profits	10239.98	10352.29	11975.94
संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	Non-Tax Revenue of Union Territories	123.95	137.81	140.51
@अन्य कर-भिन्न राजस्व	Other Non-Tax Revenue @	2280.38	2573.35	2912.51
जोड़-कर भिन्न राजस्व	**Total - Non-Tax Revenue**	**12644.31**	**13063.45**	**15028.96**
*निवल-केन्द्रीय राजस्व**	***Net - Centre's Revenue****	***57938.30***	***57381.30***	***67529.10***

कर-राजस्व TAX REVENUE

कम्पनी कर *CORPORATION TAX*

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है: The details of receipts under this head are as shown below:

(क) साधारण संग्रह	(a) Ordinary collection	1272.00	1272.00	1233.00
(ख) अग्रिम कर संग्रह	(b) Advance tax collections	4186.00	4349.00	4658.00
(ग) अधिकर	(c) Surtax	10.00	10.00	9.00
(घ) अधिभार	(d) Surcharge	604.00	702.00	788.00
(ङ) विविध प्राप्तियां	(e) Miscellaneous receipts	17.00	17.00	16.00
जोड़	**Total**	**6089.00**	**6350.00**	**6704.00**

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के माध्यम से किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेकर 1991-92 में 6,704 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है।

After taking into account the effect of the changes made through the Finance (No.2) Act, 1991, the collections during 1991-92 are estimated at Rs. 6,704 crores.

कम्पनी-कर से भिन्न आय पर कर *TAXES ON INCOME OTHER THAN CORPORATION TAX*

इस शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का ब्यौरा नीचे दिखाया गया है: The details of receipts under this head are as shown below:

(क) साधारण संग्रह	(a) Ordinary collections	2668.00	2668.00	3008.00
(ख) आयकर का अग्रिम संग्रह	(b) Advance collections of Income Tax	2448.08	2522.00	2734.00
(ग) अधिभार (संघ)	(c) Surcharge (Union)	276.00	336.00	373.00
(घ) विविध प्राप्तियां	(d) Miscellaneous receipts	33.92	34.00	37.00
जोड़	**TOTAL**	**5426.00**	**5560.00**	**6152.00**

@ *वाणिज्यिक विभागों को छोड़कर।*

* *इस दस्तावेज के अनुबंध 12 में उपर्युक्त प्राप्तियों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।*

@ *Excluding commercial departments.*

* *Annexure 12 to this document gives a reconciliation of the Receipts shown above with the Annual Financial Statement.*

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के माध्यम से किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेकर 1991-92 में 6,152 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है।

निगम कर तथा कृषि आय पर लगने वाले करों से भिन्न आयकर की निवल प्राप्तियों को संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों के बीच वितरित करना होता है । इस प्रयोजन के लिए संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित आयकर संघीय परिलब्धियों के संबंध में देय कर तथा संघीय प्रयोजनों के लिए लगाये गये आयकर के अधिभार को विभाज्य पूंजी से बाहर रखा गया है । संविधान (राजस्व वितरण) सं. 3 आदेश, 1990 के उपबन्धों के अनुसार, जिसे नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर 1990-95 के दौरान आय संबंधी करों से प्राप्त होने वाली निवल धनराशियों के 85 प्रतिशत अंश को, सिवाए उस स्थिति के जिसमें ये प्राप्तियां संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य अंश (1.437 प्रतिशत) तथा संघीय परिलब्धियों के संबंध में देय करों की द्योतक हो, राज्यों के नाम समनुदेशित कर दिया जाता है और *अनुबन्ध 3* में उल्लिखित प्रतिशतताओं के अनुसार राज्यों में ही संवितरित कर दिया जाता है ।

आयकर में राज्यों के हिस्से का हिसाब उपर्युक्त आधार पर कर लिया गया है और नीचे दिखाया गया है (प्रत्येक राज्य के हिस्से की राशि *अनुबन्ध 4* में दी गई है):-

After taking into account the effect of the changes made through the Finance (No.2) Act, 1991, the collections during 1991-92 are estimated at Rs. 6,152 crores.

Under article 270 of the Constitution, the net proceeds of taxes on income, other than corporation tax and those on agricultural income, are to be distributed between the Union and the States. For this purpose, the proceeds of income tax attributable to Union territories, taxes payable in respect of Union emoluments and surcharge on income-tax levied for Union purposes are excluded from the divisible pool. In terms of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 1990 issued on the basis of the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission for the period 1990-95, 85 per cent of the net proceeds of taxes on income, except in so far as these proceeds represent the portion attributable to Union territories (1.437 per cent) and the taxes payable in respect of Union emoluments, is assigned to the States in each Financial year during 1990-95 and distributed amongst them in accordance with the percentages indicated in *Annexure 3*.

The States' share of Income-tax has been worked out on the above basis and is indicated below (the amount of share of each State is given in *Annexure 4)*:-

(करोड़ रुपए) (*In crores of Rupees*)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
निगम कर से भिन्न कुल आय कर (वापसियों की रकम को घटाकर)	Total taxes on income other than Corporation Tax (net of refunds)	5426.00	5560.00	6152.00
घटाइए	***Less***			
संघ अधिभार	Union surcharge	-276.00	-336.00	-373.22
विविध प्राप्तियां	Miscellaneous receipts	-33.92	-34.00	-37.00
संघीय परिलब्धियों के संबंध में संदेय कर	Taxes payable in respect of Union emoluments	-90.00	-90.00	-98.00
वितरण योग्य प्राप्तियां	Distributable proceeds	5026.08	5100.00	5643.78
घटाइए-संग्रह लागत	Deduct - Cost of Collection	-174.83	-181.70	-195.00
निवल विभाज्य प्राप्तियां	Net distributable proceeds	4851.25	4918.30	5448.78
घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य अंश (1.437%)	Deduct-Proceeds attributable to Union territories (1.437%)	-69.71	-70.68	-78.30
जोड़-विभाज्य राशि	**Total - Divisible Pool**	4781.54	4847.62	5370.48
राज्यों का अंश (85%)	**States' Share (85%)**	4064.31	4120.48	4564.91

ब्याज कर

ब्याज कर जो 1985 में हटा लिया गया था, उसे मुद्रास्फीति रोधी उपाय के रूप में पुनः लागू कर दिया गया है। यह कर बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, वित्तीय कंपनियों आदि जैसी ऋण संस्थाओं के सकल ब्याज आय पर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान इस स्रोत से 535 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान है ।

व्यय कर अधिनियम, 1987

व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत, ऐसे होटलों में ठहरने पर किए गए व्यय के सम्बन्ध में कराधान की व्यवस्था है जहां पर एक रिहायशी इकाई के कमरे का प्रति व्यक्ति दैनिक किराया 400 रुपए अथवा उससे अधिक हो । व्यय कर की दर को 1.6.1989 से बढ़ा दिया गया है और यह कर किसी स्थान, भोजन, पेय पदार्थों और कतिपय अन्य वर्गों की सेवाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में किए गए व्यय पर उसके 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के बराबर की दर से लगाया जाता है । यह अधिनियम विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय पर अथवा ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त हों । वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 में, 1.10.1991 से व्यय-कर वातानुकूलन की उच्च सुविधाएं प्रदान करने वाले अथवा इन सुविधाओं की पहुंच वाले रेस्टोरेन्ट्स पर किए गए व्यय पर भी लगाया गया है। यह कर ऐसे व्यय पर 15 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है । वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के माध्यम से किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में लेने के पश्चात् 1990-91 के संशोधित अनुमानों में और 1991-92 के बजट अनुमानों में क्रमशः 75 करोड़ रुपए और 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था है ।

सम्पदा शुल्क

कृषि भूमि पर संपदा शुल्क को संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया था । 16 मार्च, 1985 को अथवा

INTEREST TAX

The interest tax, which was withdrawn in 1985, has been reintroduced as an anti-inflationery measures. The tax will be levied on the gross interest income of "Credit institutions", that is, banks, public financial institutions, financial companies etc. During the financial year 1991-92, total receipts from this source are estimated at Rs.535 crores.

EXPENDITURE-TAX ACT, 1987

The Expenditure Tax Act, 1987 provides for levy of a tax on expenditure incurred in hotels where the room charges for any unit of residential accommodation are Rs.400 or more per day per individual. The rates of Expenditure-tax have been raised w.e.f. 1.6.1989 from ten percent to twenty percent of the expenditure incurred in connection with provision of any accomodation, food, drinks and certain other categories of services. It will not apply to expenditure incurred in foreign exchange or in the case of persons enjoying diplomatic privileges. In the Finance (No. 2) Act, 1991, w.e.f. 1.10.1991 expenditure tax has been extended to expenditure incured in restuarents providing superior facilities of air conditioning or having access to these facilities. This tax is levied at the rate of 15% of such expenditure. After taking into account the effect of the changes made through Finance (No. 2) Act, 1991, the Revised Estimate for 1990-91 and the Budget Estimate 1991-92 are placed at Rs.75 crores and Rs. 235 crores respectively.

ESTATE DUTY

Estate duty on agricultural land was discontinued under the Estate Duty (Amendment) Act, 1984. The levy of Estate Duty in respect of

उसके बाद मृत्यु होने के कारण हस्तांतरित होने वाली सम्पत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) पर संपदा शुल्क की लेवी को भी संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत समाप्त कर दिया गया है । संशोधित अनुमान 1990-91 तथा बजट अनुमान 1991-92 में, जो कि उपर्युक्त संशोधनों से पहले अन्तरित होने वाली सम्पदाओं से संग्रहीत राशियों के द्योतक हैं, क्रमशः 3.50 करोड़ रुपए और 2.30 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं की गई है।

इन प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

property (other than agricultural land) passing on death occurring on or after 16th March, 1985, has also been abolished under the Estate Duty (Amendment) Act, 1985. The Revised Estimate 1990-91 and Budget Estimate 1991-92 which represent likely collections on estates passing on before the above amendments, are placed at Rs. 3.50 crores and Rs.2.30 crores respectively.

The details are :-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
इनके सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क	Estate Duty in respect of:			
(i) कृषि भूमि	(i) Agricultural land	0.09	0.09	0.01
(ii) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति	(ii) Property other than agricultural land	3.41	3.41	2.29
जोड़	**Total**	**3.50**	**3.50**	**2.30**

धन कर *WEALTH TAX*

प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है:- The details of the receipts are :-

धन कर :-	*Wealth Tax on :*			
(i) कृषि सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति	(i) Property other than agricultural property	174.66	189.73	254.73
(ii) कृषि सम्पत्ति	(ii) Agricultural property	0.34	0.27	0.27
जोड़	**Total**	**175.00**	**190.00**	**255.00**

धन कर अधिनियम, 1957 में प्रत्येक व्यक्ति, और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और अल्प जन धारित कम्पनियों के निवल धन पर कर लगाने की व्यवस्था है। धन कर अधिनियम के अन्तर्गत पहली अप्रैल, 1986 से व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के संबंध में छूट की सीमा को 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया। जिन हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों का कम से कम एक सदस्य ऐसा था जिसके कर-निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारित निवल धन की राशि 2.50 लाख रुपए से अधिक थी उनके संबंध में कोई परिवर्तन नहीं था। यदि व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के संबंध में निर्धारण योग्य धन 20 लाख रुपए से अधिक हो तो कर की अधिकतम दर को भी कर योग्य धन के 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया। जिन हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों का कम से कम एक सदस्य ऐसा है जिसा निर्धारण योग्य कुल धन 2.50 लाख रुपए से अधिक हो, उनके मामले में, यदि कुल निर्धारण योग्य धन 10 लाख रुपए से अधिक हो, अधिकतम कर दर 3 प्रतिशत है।

The Wealth Tax Act, 1957 provides for levy of a tax on the net wealth of every individual, Hindu undivided family (HUFs) and Companies which are closely held. The basic exemption under the Wealth-Tax Act was enhanced from Rs.1.50 lakhs to Rs. 2.50 lakhs with effect from 1.4.1986 in respect of individuals and HUFs. There was no change in respect of HUFs which had at-least one member whose net wealth assessable for the assessment year exceeded Rs.2.50 lakhs. The maximum rate of tax was also lowered from 5 per cent of the taxable wealth to 2 per cent if the assessable wealth exceeds Rs.20 lakhs in respect of individuals and HUFs. The maximum rateof tax in respect of HUFs with at least one member whose net wealth assessable exceeds Rs.2.50 lakhs, is 3% if the total assessable wealth exceeds Rs.10 lakhs.

वित्त अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत कृषि संपत्ति पर धन कर वापस ले लिया गया था । जो अनुमान दिखाये गये हैं वे बकाया राशि की मांग के बारे में है । कृषि सम्पत्ति पर धन कर की निवल प्राप्तियों के बराबर की राशि सहायक अनुदानों के रूप में राज्यों को दे दी जाती है, जिसके लिये व्यय के अनुमानों में आवश्यक व्यवस्था की गई है ।

Wealth Tax on agricultural property was withdrawn under the Finance Act, 1982. The estimates assumed are in respect of arrear demand. An amount equivalent to the net proceeds of wealth tax on agricultural property is passed on to the States as grants-in-aid for which necessary provision is made in the expenditure estimates.

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 में हिन्दु अविभक्त कुटुम्बों द्वारा धारित पी. पी. एफ. तथा व्यक्तियों के संघों अथवा व्यक्तियों के निकाय के अंतर्गत जमाओं पर 1.4.1984 से पूर्वव्याप्ति की तारीख, धन करअधिनियम की धारा 5(1) (XVII क) के अंतर्गत छूट दी गई है ।

In the Finance (No.2) Act, 1991 exemption in respect of deposits under PPF held by HUFs and Association of persons or Body of Individuals has also been extended under section 5(1)(XVII a) of the Wealth Tax Act with retrospective effect from 1.4.1984.

वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1991 में व्यवस्था है कि किसी निवेश कंपनी के गैर उद्धृत शेयरों का मूल्यांकन धन कर अधिनियम की अनुसूची III के नियमों के अनुसार किसी कंपनी की परिसंपतियों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात शेयर के विश्लेषित मूल्य के मुताबिक होगा ।

The Finance (No.2) Act, 1991 provides that unquoted equity shares of an investment company will be valued as per break-up value of the share after revaluing the assets of the company in accordance with Rules of Schedule III of the Wealth Tax Act.

दान कर

20,000 रुपए के मूल्य से अधिक के दान पर, कुछ छूटों को देने के बाद, दानकर लगाया जाता है । 1990-91 के संशोधित अनुमानों में और 1991-92 के बजट अनुमानों में दान कर से क्रमशः 2 करोड़ रुपए और 9.00 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है ।

GIFT TAX

Gift Tax is levied on gifts exceeding value of Rs.20,000 subject to certain exemptions. The Revised Estimate 1990-91 and the Budget Estimate 1991-92 are placed at Rs.2 crores and Rs. 9 crores respectively.

सीमा शुल्क

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत किए गए परिवर्तनों को हिसाब में लेने के बाद 1990-91 के दौरान 20800 करोड़ रुपए और 1991-92 में वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1991 के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों को हिसाब में लेने के बाद 25899.41 करोड़ रुपए का संशोधित निवल सीमा शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । (वापसी अदायगी और चुंगी वापसी की रकम को घटाकर) अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

CUSTOMS

The net Customs revenue has been estimated at Rs. 20800 crores during 1990-91 after taking into account the changes made through the Finance Act, 1990 and Rs. 25899.41 crores in 1991-92 after taking into account the changes brought about under the Finance (No.2) Act, 1991. The following is the break-up of the estimates (net of refunds and drawbacks):-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(i) आयात शुल्क	(i) Import Duties	21213.00	20562.65	25560.85
(ii) निर्यात शुल्क	(ii) Export Duties	6.15	1.00	0.10
(iii) निर्यात पर उपकर	(iii) Cesses on Exports	39.23	33.35	45.31
(iv) अन्य प्राप्तियां	(iv) Other Receipts	202.00	203.00	293.15
जोड़	**Total**	**21460.38**	**20800.00**	**25899.41**

1989-90 में वास्तविक राजस्व का और 1990-91 तथा 1991-92 में अनुमानित राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है ।

(i) *आयात शुल्कः-* मूल बजट में 21213 करोड़ रुपए के अनुमानों की अपेक्षा 1990-91 के संशोधित अनुमान में 20562.65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । सकल राजस्व में अनुमानित कमी मुख्यतया परियोजना विषयक आयात विद्युत मशीनरी, लौह तथा अमिश्रित इस्पात, स्टेनलैस, इस्पात, अलौह धातु, मोटर वाहनों और उनके कलपुर्जों, आर्गेनिक तथा गैर-आर्गेनिक रसायन, हस्तनिर्मित स्टैपल रेशों, शीशा तथा शीशे का सामान तथा उससे संबंधित अन्य सभी वस्तुओं आदि से राजस्व की कम वसूली के कारण है । कच्चे तेल तथा अन्य पैट्रोलियम पदार्थों, मशीनी औजारों, प्लास्टिक, रबड़ उत्पादों, रेलवे लोकोमोटिव और सामग्री, लोहे और इस्पात की प्राथमिक सामग्रियों, विविध रसायनिक उत्पादों के संबंध में लगे आयात शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होने के कारण यह कमी काफी हद तक प्रतिसंतुलित हो जाने की संभावना है ।

वर्ष 1991-92 मे आयात शुल्क की प्रत्याशित निवल वसूली वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों में प्रदर्शित वसूली से 4998.20 करोड़ रुपए ज्यादा है । सकल राजस्व में वृद्धि मुख्यतः कच्चे पेट्रोलियम तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पाद विद्युत और गैर-विद्युत मशीनरी, परियोजनागत आयात, रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद, हस्त निर्मित फिलामेंट तथा फाइबर, रसायन, परिवहन उपस्कर, लौह तथा अलौह धातुओं, यात्री सामान आदि से अपेक्षित है । 1991-92 के बजट अनुमानों में जुलाई, 1991 में लागू विनिमय दरों के समायोजन के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

(ii) *निर्यात शुल्कः-* संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1990-91 में निर्यात शुल्क से मूल अनुमान में 6.15 करोड़ रुपए की तुलना में 1.00 करोड़ रुपए की निवल राशि प्राप्त होने की संभावना है । वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में 0.10 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है ।

(iii) *निर्यात पर उपकरः-* 1990-91 के संशोधित तथा 1991-92 बजट अनुमान क्रमशः 33.35 करोड़ रुपए और 45.31 करोड़ रुपए के है जबकि वर्ष 1990-91 का बजट बनाते समय 39.23 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था ।

(iv) *अन्य प्राप्तियांः-* संशोधित अनुमान 1990-91 तथा बजट अनुमान 1991-92 दोनों में क्रमशः 203 करोड़ रुपए और 293.15 करोड़ रुपए प्राप्त होने के अनुमान हैं जबकि 1990-91 के बजट में 202 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था ।

संघ उत्पाद शुल्क

संघ उत्पाद शुल्क तथा उपकर केन्द्रीय उत्पाद तथा नमक अधिनियम, 1944 और विशेष अधिनियमों के अंतर्गत, जो समय-समय पर लागू होते रहते है, आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं । इन वस्तुओं को बजट शीर्षों की 139 वस्तुओं में बांटा गया है । तथापि कई वस्तुओं को शुल्क से मुक्त कर दिया गया है । अनुमान है कि वर्ष 1990-91 में 24500 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होंगी जबकि बजट अनुमान में 25125.03 करोड़ रुपए की व्यवस्था (वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को हिसाब में शामिल करके) की गई थी, जो 625.03 करोड़ रुपए की कमी की परिचायक है । यह आशा है कि वर्ष 1991-92 मे वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1991 के अन्तर्गत किए गए परिवर्तनों को हिसाब में लेते हुए 27402.18 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होंगी, अर्थात् वर्ष 1990-91 के

The commodity-wise break-up of the actual revenue collections during 1989-90 and the estimated revenue in 1990-91 and 1991-92 are indicated in *Annexure 1.*

(i) *Import Duties.-* As against the original estimate of Rs. 21213 crores, Revised Estimate for 1990-91 is placed at Rs. 20562.65 crores. The estimated decrease in gross revenue is mainly on account of less revenue realisations from project imports, electrical machinery, iron and non-alloy steel, stainless steel, non-ferrous metals, motor vehicles and parts thereof, organic and inorganic chemicals, man-made staple fibres, glass and glassware, all other articles etc. This decrease in estimated revenue realisations is likely to be balanced to a great extent by increased collection of import duties from crude oil & other petroleum products, machine tools, plastics, rubber products, railway locomotives and materials, primary materials of iron and steel, miscellaneous chemical products etc.

Anticipated import duty realisation (net) in 1991-92 shows an increase of Rs.4998.20 crores as compared to the Revised Estimate of 1990-91. The increase in gross revenue is expected mainly from crude petroleum & other petroleum products, electrical & non-electrical machinery, project imports, rubber & plastic products, man-made filament and fibres, chemicals, transport equipment, ferrous & non-ferrous metals, baggage etc. B.E. 1991-92 takes into account the impact of adjustment of exchange rates effected in July, 1991.

(ii) *Export Duties :-* The Revised Estimate of net collections from export duties in 1990-91 is placed at Rs.1.00 crore as against the original estimate of Rs. 6.15 crores. The Budget Estimate for 1991-92 has been placed at Rs. 0.10 crore.

(iii) *Cesses on Exports:-* Revised Estimate for 1990-91 and Budget Estimate for 1991-92 are placed at Rs .33.35 crores and Rs. 45.31 crores respectively, against Rs.39.23 crores as anticipated at the Budget stage for 1990-91.

(iv) *Other Receipts:-* Collections are placed at Rs.203 crores and Rs.293.15 crores respectively in the Revised Estimate for 1990-91 and Budget Estimate for 1991-92 as against the Budget Estimate of Rs.202 crores in 1990-91.

UNION EXCISE DUTIES

Union Excise Duties and Cesses are levied on commodities covered by the Central Excises and Salt Act, 1944 and other special Acts enacted from time to time. The commodities are grouped into 139 budget heads. A number of commodities are, however, exempt from duty. The receipts during 1990-91 are estimated at Rs. 24500 crores as against the Budget Estimate of Rs.25125.03 crores (after taking into account the effect of changes made in the Finance Act, 1990) showing a decrease of Rs.625.03 crores. The receipts in 1991-92 are expected to be Rs.27402.18 crores after taking into account the changes brought about under the Finance (No.2) Act, 1991 i.e. Rs. 2902.18 crores more

संशोधित अनुमानों से 2902.18 करोड़ रुपए ज्यादा प्राप्त होगा । निम्नलिखित सारणी में उत्पाद-शुल्क से प्राप्त राजस्व (वापसी घटाकर) का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है :—

than the Revised Estimate of 1990-91. The following table summarises the position of excise duty revenue (net of refunds):-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(i) बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क (वस्त्रों और वस्त्र संबंधी वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क सहित)	(i) Basic and Special Excise Duties (including additional duties on textiles and textile articles)	19966.05	19617.48	22350.02
(ii) बिक्रीकर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	(ii) Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax	1655.64	1679.96	1933.31
(iii) निर्धारित उपकर	(iii) Earmarked Cesses	3503.34	3202.56	3118.85
जोड़	**Total**	**25125.03**	**24500.00**	**27402.18**

संघ उत्पाद शुल्कों से प्राप्त राजस्व का वस्तु-वार ब्यौरा वर्ष 1989-90 के वास्तविक आंकड़ों के लिए, वर्ष 1990-91 के बजट और संशोधित अनुमानों के लिए और वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों के संबंध में अनुबन्ध 2 में दिया गया है ।

The commodity-wise details of revenue from Union Excise Duties for actuals of 1989-90, budget and revised estimates of 1990-91 as well as the budget estimates of 1991-92 are given in *Annexure 2.*

बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान 1990-91 में बुनियादी और विशेष उत्पाद-शुल्कों में जो कमी हुई है, वह मुख्य रूप से कच्चे तेल पर उपकर पैट्रोलियम पदार्थों, लोहा तथा इस्पात, रबड़ उत्पाद, प्लास्टिक, अलौह धातु, हस्तनिर्मित रेशों, रेफ्रिजरेशन तथा एअर कंडीशनिंग उपस्कर आदि पर कम राजस्व वसूली होने के कारण हुई है ।

The decrease in basic and special excise duties in the Revised Estimate of 1990-91 as compared to be the budget estimate, is mainly on account of less revenue realisation from cess on crude oil, petroleum products, iron and steel, rubber products, plastics, non-ferrous metals, man-made fabrics, refrigeration and air-conditioning equipments etc.

वर्ष 1990-91 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में जो वृद्धि हुई है, वह मुख्य रूप से हस्त निर्मित रेशों और धागो, कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों, सिगरेटों, रसायनों मोटर वाहनों, सीमेंट, लौह तथा अलौह धातुओं, रेफ्रीजिरेटरों, एयर कंडीशनरों, टेलीविजन सेटों, वी.सी.आर. / वी. सी. पी., रबर उत्पादों, रेशों साबुन तथा डिटर्जेंट, प्रसाधन वस्तुओं, सूती धागे और रेशों, में शीशा तथा शीशे के सामान, रंग तथा रोगन, कागज तथा गत्ते, मिट्टी का तेल, आदि से उत्पाद शुल्क वसूली में संभावित वृद्धि होने के कारण हुई है । उपर्युक्त मदों के अन्तर्गत वृद्धि देशीय कच्चे तेल से प्राप्त होने वाले कम उपकर राजस्व से अंशतः प्रतिसंतुलित हो जाएगी।

The increase in Budget Estimate for 1991-92 as compared to the Revised Estimate of 1990-91 is mainly on account of expected growth in excise revenue realisations from petroleum products, cigarettes, chemicals, motor vehicles, cement, ferrous & non-ferrous metals, refrigerators and air-conditions, television sets, VCR/VCP's, rubber products, sugar, man-made fabrics, soap & detergents, cosmetics, cotton yarn & fabrics, glass & glassware, paints & dyes, paper & paperboard, etc. The increase under the above items will be partly offset by decreased revenue from Cess on indigenous crude oil.

संशोधित अनुमान 1990-91 में, (वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप) बिक्री कर के बदले आरोपित अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों की प्राप्तियों को 1679.96 करोड़ रुपए आंका गया है, जबकि मूल अनुमान में 1655.64 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। 1991-92 के बजट अनुमानों में वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1991 के अंतर्गत किए गए परिवर्तनों को हिसाब में लेकर 1933.31 करोड़ रुपए की राशि प्रदर्शित की गई है ।

The receipts from Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax are placed at Rs.1679.96 crores in the Revised Estimate for 1990-91 as against Rs.1655.64 crores in the original estimate (after taking into account the changes made thereon in the Finance Act, 1990). The Budget Estimate for 1991-92 is placed at Rs.1933.31 crores after taking into account the changes brought about under the Finance (No.2) Act, 1991.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

The details of revenue from Central Excise are given below:-

1. (क) निम्नस्थ (ख) से भिन्न बुनियादी तथा विशेष उत्पाद शुल्क	1. (a) Basic and Special Excise Duties other than (b) below	19686.52	19316.35	21983.02
(ख) वस्त्रों तथा वस्त्रों से संबंधित सामग्री पर अतिरिक्त शुल्क	(b) Additional duties on textiles and textile articles	279.53	301.13	367.00
जोड़	Total	19966.05	19617.48	22350.02
2. बिक्री-कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	2. Additional Excise Duties in lieu of sales tax	1655.64	1679.96	1933.31
3. निर्धारित उपकर	3. Earmarked Cesses:			
(क) राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित	(a) Administered by Revenue Department	3394.25	3092.47	2999.41
(ख) अन्यों द्वारा प्रशासित	(b) Administered by others	109.09	110.09	119.44
जोड़	**Total**	**3503.34**	**3202.56**	**3118.85**
जोड़ (1+2+3)	***Total (1+2+3)***	***25125.03***	***24500.00***	***27402.18***

केन्द्र और राज्यों में संघ उत्पाद शुल्कों का वितरण:

संविधान के अनुच्छेद 272 के अन्तर्गत, संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों के ऐसे भाग की अदायगी तथा राज्यों के बीच उनके वितरण के लिए इस प्रयोजन से बनाए गए कानून के अनुरूप व्यवस्था की गई है । तथापि, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र तथा वस्त्र-सामग्री) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत वस्त्रों तथा वस्त्रों से संबंधित सामग्री पर लागू अतिरिक्त शुल्कों से प्राप्तिया उक्त अधिनियम की धारा 3(2) के अनुरूप हैं, जो राज्यों के बीच बांटी नहीं जा सकती । इसी प्रकार, निर्धारित उपकरों से प्राप्त राशि को भी राज्यों में नहीं बांटा जाता ।

Distribution of Union Excise Duties between Centre and States:

Article 272 of the Constitution provides for sharing a part of net proceeds of Union Excise Duties and their distribution among the States in accordance with law enacted for the purpose. However, the receipts from additional duties on textiles and textile articles levied under the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 are, in terms of Section 3(2) of the said Act, not distributable among the States. Similarly, the receipts from earmarked cesses are also not shareable with States.

संघ उत्पाद शुल्क (संवितरण) संशोधन अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिसमें नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत लगाए गए तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित किए गए उपस्करों को छोड़कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत और ऐसे ही शुल्क को आरोपित करने के लिए तथा एकत्रित करने के लिए लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत आरोपित एवं संग्रहीत संघ उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों की रकम के 45 प्रतिशत अंश को राज्यों को 1990-91 से 1994-95 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशतताओं के आधार पर दिया जाना है । प्रतिशतता के आधार पर प्रत्येक राज्य का हिस्सा अनुबंध-3 में दिया गया है ।

Under the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Act, 1990 based on the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission, 45 per cent of the net proceeds of Union duties of excise levied and collected under the Central Excise and Salt Act, 1944, and any other law for the levy and collection of such duty, excluding cesses levied under special Acts and earmarked for specific purposes, are to be paid to the States and distributed among them during each of the financial year 1990-91 to 1994-95 on the basis of the percentage prescribed by the Commission. The percentage share of each States has been given in Annexure-3.

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 में चीनी, तम्बाकू, सूती फेब्रिकों, ऊन के तथा हाथ से बने कपड़ों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने और उसे एकत्रित किए जाने की व्यवस्था है। यह शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 अथवा इस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत देय शुल्कों के अतिरिक्त हैं और राज्यों की सरकारों के साथ सहमति से किए गए निर्णय के अनुसार बिक्री कर को प्रतिस्थापित करता है जिसे राज्य इन वस्तुओं पर अन्यथा आरोपित करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्तव्य राशियों को छोड़कर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों से प्राप्त होने वाली समग्र धनराशियां राज्यों के बीच बांट दी जाती हैं । अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1990 में जो कि नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया था, विभिन्न राज्यों को 1990-91 से 1994-95 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निवल प्राप्तियों से उनके 1.903 प्रतिशत के बराबर की रकम घटाकर जो कि संघ राज्य क्षेत्रों को प्राप्त होती है, अदा की जाने वाली निवल प्राप्तियां प्रतिशतताएं निर्धारित की गई है । प्रत्येक राज्य का प्रतिशत हिस्सा अनुबंध 3 में दिया गया है । उत्पाद शुल्कों का यह विभाजन इस शर्त के अधीन रहेगा कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में उस राज्य के किसी भी कानून के द्वारा अथवा अंतर्गत इन वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की बिक्री या उसकी खरीद पर किसी भी राज्य में कोई कर आरोपित किया जाएगा अथवा एकत्रित किया जाएगा, तो जब तक केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश जारी करके अन्यथा निर्देश न दें तब तक उस वित्तीय वर्ष के दौरान उस राज्य को उस वस्तु के संबंध में कोई धनराशि अदा नहीं की जाएगी ।

The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 provides for the levy and collection of additional duties on sugar, tobacco, cotton fabrics, woollen fabrics and man-made fabrics. This duty is in addition to the duties payable under the Central Excises and Salt Act, 1944 or under any other law for the time being in force, and had replaced, by agreement with the State Governments, the sales tax otherwise levied by the States on these commodities. The entire proceeds of the additional excise duties, other than the proceeds attributable to Union territories, are distributable among the States. Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Act, 1990 based on the recommendations made in the Second Report of the Ninth Finance Commission prescribes the percentages of net proceeds to be paid to various States during each of the financial years 1990-91 to 1994-95, after deducting a sum equal to 1.903 per cent of the net proceeds as being attributable to Union territories. The percentage share of each State is shown in *Annexure 3.* The sharing would be subject to the condition that if during any financial year, there is levied and collected in any State, a tax on the sale or purchase of any of these commodities by or under any law of that State, no sums shall be payable to that State in respect of that commodity in respect of that financial year unless the Central Government by special order otherwise directs.

संघ राज्य उत्पाद शुल्कों तथा बिक्री कर के बदले आरोपित अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा उपर्युक्त आधार पर निर्धारित किया गया है।

The States' share of Union Excise Duties and Additional Excise Duties in lieu of Sales tax has been worked out on the above basis.

राज्यों को देय शेयर का अनुमान नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है

The estimate of share payable to States is shown in the following table:-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

			बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(क) बुनियादी (विशेष उत्पाद शुल्क सहित)	(a)	Basic (including Special Excise Duties)			
जोड़-संग्रह (वापसी घटाकर)		**TOTAL**-Collections (net of refunds)	19686.52	19316.35	21983.02
घटाइए		***Less***			
-विविध प्राप्तियां		-Miscellaneous receipts	-105.00	-63.00	-52.50
-संग्रह की लागत		-Cost of collection	-139.76	-118.96	-141.12
निवल प्राप्तियां		Net proceeds	19441.76	19134.39	27189.40
राज्यों का अंश (45 प्रतिशत)		States' share (45%)	8748.79	8610.48	9805.23
वर्ष 1986-87 और 1987-88 के संबंध में नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत आंकड़ों के आधार पर देय राशि		Amount payable on the basis of certified figures of C&AG for the years 1986-87 and 1987-88	..	+131.42	..
जोड़ राज्यों को देय अंश		**Total-Share payable to States**	**8748.79**	**8741.90**	**9805.23**
(ख) बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	(b)	Additional Excise Duties in lieu of sales tax			
जोड़-संग्रह (वापसी घटाकर)		Total-Collections (net of refunds)	**1655.64**	**1679.96**	**1933.31**
घटाइए: संग्रह की लागत		Deduct-Cost of collection	-11.71	-10.35	-12.14
निवल प्राप्तियां		Net proceeds	1643.93	1669.61	1921.17
घटाइए-संघ राज्य क्षेत्रों का अंश		Deduct-Share of Union Territories (1.903%)	-31.28	-31.77	-36.56
राज्यों का अंश		States' share	1612.65	1637.84	1884.61
वर्ष 1986-87, और 1987-88 के संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत आंकड़ों के आधार पर देय राशियां		Amount payable on the basis of certified figure of C&AG for the years 1986-87 and 1987-88	..	+34.69	..
जोड़-राज्यों को देय अंश		**Total--Share payable to States**	**1612.65**	**1672.53**	**1884.61**
जोड़-संघ उत्पाद शुल्क में राज्यों का अंश (अर्थात् क+ख)		**Total--States' share of Union Excise Duties i.e.(a+b)**	**10361.44**	**10414.43**	**11689.84**

प्रत्येक राज्य को देय राशि के अंश का विवरण अनुबन्ध 4 में दिया गया है।

The amount of share of each State is given in *Annexure 4.*

संघ राज्य क्षेत्र के कर

विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियों का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

TAXES OF UNION TERRITORIES

The receipts are in respect of Union territories without Legislature. Broad details are:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
भू-राजस्व	Land Revenue	0.25	0.43	0.44
स्टाम्प और पंजीकरण	Stamps and Registration	48.32	46.75	52.12
राज्य उत्पाद शुल्क	State Excise Duties	180.99	188.18	213.64
बिक्री कर	Sales Tax	790.82	830.46	991.08
वाहनों पर कर	Taxes on Vehicles	48.16	50.96	44.08
सामान और यात्रियों पर कर	Taxes on goods and passengers	117.64	38.00	39.05
बिजली पर कर और शुल्क	Taxes and Duties on Electricity	2.79	2.92	3.07
अन्य कर और शुल्क	Other Taxes and Duties	16.88	16.31	17.95
जोड़	**Total**	**1205.85**	**1174.01**	**1361.43**
घटाइए	**Less**			
संघ राज्य क्षेत्रों के करों और शुल्कों का स्थानीय निकायों को अंतरण	Transfer of Union Territory Taxes and Duties to Local Bodies	58.83	63.25	79.43
संघ राज्य क्षेत्रों के निवल कर	Net-Taxes of Union Territories	1147.02	1110.76	1282.00

टर्मिनल, मनोरंजन और अन्य करों से होने वाली निवल प्राप्तियां दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड को दे दी जाती है।

Net proceeds of terminal, entertainment and other taxes are paid to the Delhi Municipal Corporation, New Delhi Municipal Committee and Delhi Cantonment Board.

अन्य कर और शुल्क

ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

OTHER TAXES AND DUTIES

The details are as follows:-

(i) विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर	(i) Foreign Exchange Conservation (Travel) Tax	58.00	73.00	80.00
(ii) विदेशी यात्रा कर	(ii) Foreign Travel Tax	71.31	105.00	110.00
(iii) अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	(iii) Inland Air Travel Tax	75.00	75.00	80.00
(iv) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर	(iv) Water (Prevention and Control of Pollution) Cess	8.50	8.50	9.00
जोड़	**Total**	**212.81**	**261.50**	**279.00**

(i)*विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर:-* इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विदेश यात्रा करने के लिए विदेशी मुद्रा लेने वाले व्यक्तियों से, जब तक कि उनको विनिर्दिष्ट रूप से छूट न दे दी जाए, यह अपेक्षा है कि वे, उनको जारी विदेशी मुद्रा के बराबर आकलित रुपयों पर इसे 15 प्रतिशत की दर से हिसाब से विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर की अदायगी करेंगे। इसे 15 अक्तूबर, 1987 से प्रभावी किया गया। इस प्रकार के यात्री से उसको जारी की गई समस्त विदेशी मुद्रा के संबंध में अधिकृत व्यवसायी अथवा मुद्रा विनियमनकर्ता इस कर को वसूल करेगा।

निम्नलिखित श्रेणियों की विदेशी यात्रा पर की की छूट दे दी गई है।

(क) डाक्टरी चिकित्सा (जिस मामले में रिजर्व बैंक मंजूरी दे, उस मामले में रोगी के साथ जाने वाले परिचर की यात्रा भी इसी प्रयोजन के लिए शामिल है),

(ख) विदेशों में अध्ययन,

(ग) हज और जियारत के लिए यात्रा

(घ) पाकिस्तान और बंगलादेश में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा

(ङ) कैलाश मानसरोवर की यात्रा।

(ii)*विदेशी यात्रा कर योजना:-* वित्त अधिनियम, 1971 के जरिए 15 अक्टूबर, 1971 को लागू की गई थी। वित्त अधिनियम, 1989 के द्वारा योजना में अग्रेतर संशोधन किया गया। संशोधित योजना के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में प्रति यात्री 300/- रुपए के हिसाब से, (पड़ोसी देशों की यात्रा के संबंध में 150/- रुपए प्रति यात्री के हिसाब से)

(i) *Foreign Exchange Conservation (Travel) Tax:* In terms of this Act persons drawing exchange for travel abroad are required to pay, unless they are specifically exempted, Foreign Exchange Conservation (Travel) Tax at the rate of fifteen per cent on the rupee equivalent of the foreign exchange released to them. This has been made effective from 15th October, 1987. An authorised dealer or a money changer collects the tax from a traveller in respect of all foreign exchange released by him.

The following categories of foreign travel are exempt from payment of the tax:

(a) Medical treatment (including travel of an attendant of a patient where so authorised by Reserve Bank)

(b) Studies abroad

(c) Haj and Ziarat pilgrimages

(d) Visits to Sikh shrines in Pakistan and Bangladesh

(e) Visits to Kailash Mansarovar

(ii) *The Foreign Travel Tax scheme* was introduced with effect from 15th October, 1971 through Finance Act, 1971. This was further amended by the Finance Act, 1989. The amended scheme provides for a levy of a tax of Rs.300 per passenger for international journey (Rs.150 for journey to neighbouring countries). One per cent of the collection

कर लगाए जाने की व्यवस्था है । इस प्रकार संग्रहित राशि में से, वापस की गई राशि को घटाकर, एक प्रतिशत राशि वाहक को संग्रह प्रभारों के रूप में दे दी जाती है, जिसके लिए व्यय-बजट में व्यवस्था कर दी जाती है।

made, less refund, is paid to the carrier as collection charges, provision for which is made in the expenditure Budget.

(iii) *अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर* की शुरूआत वित्त अधिनियम, 1989 के माध्यम से हुई थी। यह कर जो पहले मूल किराए के 10 प्रतिशत की दर से लगाया गया था, अब पूरे किराए पर लगाया जाएगा ।

(iii) *Inland Air Travel Tax* was introduced through Finance Act, 1989. The tax which was levied earlier at a rate of 10% of the basic fare is now levied on the full fare.

(iv) *जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर*: यह उपकर उद्योगों और स्थानीय निकायों से, उनके द्वारा किए गए जल के इस्तेमाल के संबंध में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत वसूल किए जाते है। प्राप्तियों को आरम्भ में भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया जाता है । निवल प्राप्तियों को एक निर्धारित सूत्र के अनुसार राज्य जल प्रदूषण बोर्डों के बीच वितरित कर दिया जाता है और उसके लिए व्यय बजट में व्यवस्था की जाती है ।

(iv) *Water (Prevention and Control of Pollution) Cess*: is levied from industries and local authorities, on use of water, under the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977. The receipts are initially credited to the Consolidated Fund of India. The net proceeds are distributed to the State Water Pollution Boards under a prescribed formula, provision for which is made in the expenditure Budget.

कर-भिन्न राजस्व NON-TAX REVENUE

ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ INTEREST RECEIPTS, DIVIDENDS AND PROFITS

इस भाग में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधारों की ब्याज प्राप्तियों के अलावा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश और लाभों को शामिल किया गया है । इसमें केन्द्रीय सरकार को अन्तरित भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिरिक्त लाभ को भी शामिल किया गया है ।

Apart from receipts on account of interest on loans by the Central Government, this Section comprises dividends and profits from public sector enterprises. It also includes surplus profits of the Reserve Bank of India transferred to Government.

मुख्य शीर्ष के अनुसार इसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

The details by major heads are: -

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(क) ब्याज प्राप्तियां	(a) Interest Receipts	9519.09	9572.74	11008.82
(ख) लाभांश और लाभ	(b) Dividends and Profits	720.89	779.55	967.12
जोड़	**Total**	**10239.98**	**10352.29**	**11975.94**
(क) ब्याज प्राप्तियां	(a) Interest Receipts:			
(i) उधारों पर ब्याज	(i) Interest on loans to-			
(क) राज्य	(a) States	5577.00	5576.53	6789.51
(ख) संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	(b) Union Territories(with Legislature)	16.00	16.00	18.71
(ग) रेलवे द्वारा देय ब्याज	(c) Interest payable by Railways	932.00	927.00	1037.00
(घ) दूर संचार द्वारा देय ब्याज	(d) Interest payable by Telecommunications	198.00	203.62	224.67
(ङ) अन्य ब्याज प्राप्तियां	(e) Other Interest receipts	2796.09	2849.59	2938.93
जोड़	**Total**	**9519.09**	**9572.74**	**11008.82**

(क) राज्यों को दिए गए उधारों पर ब्याज

नौवें वित्त आयोग, सरकार द्वारा यथास्वीकृत, (वर्ष 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट) की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1984-89 के दौरान किए गए और 1989-90 के अन्त तक बकाया राज्य आयोजना ऋण, 15 वर्ष के लिए 9 प्रतिशत ब्याज की दर से समेकित कर दिए गए हैं । नौवें वित्त आयोग ने 1979 से पहले के समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है । 1979 के से पूर्व के उधारों पर 4.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता है, जबकि 1979-84 के दौरान दिए गए उधारों पर, जिनको 15 से 30 वर्ष की अवधि के लिए समेकित किया गया था, 6 से लेकर 6.75 प्रतिशत तक की दरों से ब्याज लगता है।

राज्य सरकारों को 1.4.1974 से पूर्व दिये गये अल्प बचत उधार पर 4.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । पहली अगस्त 1974 से 31 मई, 1981 तक और 1.6.1981 से 31.5.1982 तक दिये गए उधारों पर क्रमशः 6.25 प्रतिशत और 7.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । 1.6.1982 से 31.5.1983 तक दिए गए उधारों पर 7.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा और 1.6.1983 से 31.5.1984 तक दिए गए उधारों पर 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा । 1.6.1984 से ब्याज की दर 9.75

(a) Interest on loans to States

In pursuance of the recommendations of the Ninth Finance Commission (Second Report for the period 1990-95) as accepted by the Government, the State Plan loans advanced to States during 1984-89 and outstanding as at the end of 1989-90 have been consolidated for 15 years with 9% rate of interest. The Ninth Finance Commission has not recommended any change in respect of the pre-1979 consolidated loans. The pre 1979 consolidated loans carry rate of interest of 4.75 *per cent*, while those advanced during 1979-84 and consolidated for terms ranging from 15 years to 30 years carry interest at rates varying from 6 *per cent* to 6.75 *per cent*.

Small Savings loans given to the State Governments prior to 1.4.1974 carry effective rate of interest of 4.75 *per cent*. The loans from 1.8.74 to 31.5.81 and 1.6.81 to 31.5.82 carry interest at 6.25 *per cent* and 7.25 *per cent* respectively. The loans from 1.6.1982 to 31.5.83 carry interest at 7.75 *per cent* and those from 1.6.83 to 31.5.84 that of 8.75 *per cent*. The rate of interest from 1.6.84 is 9.75 *per cent* and from 1.6.85 it is 10.25 *per cent*. The loans from 1.6.86 to 31.5.89 carry

प्रतिशत और 1.6.1985 से 10.25 प्रतिशत है। 1.6.86 से 31.5.89 तक ऋणों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था। 1.6.89 से 31.5.91 बब्याज दर 13 प्रतिशत है। 1.6.91 से ब्याज की दर बढ़ाकर 13.5 प्रतिशत कर दी गई है।

राज्यों को दिए गए अन्य आयोजना और आयोजना-भिन्न ऋणों पर 1.6.84 से 31.5.85 तक और 1.6.85 से 31.5.86 तक ब्याज की दर क्रमश: 7.50 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी। 1.6.86 से 31.5.87 तक के ऋणों पर 8.75 प्रतिशत की दर से ब्याज लगता था, जबकि 1.6.87 से 31.5.88 तक लिए गए ऋणों पर 9.25 प्रतिशत की दर से ब्याज लगा था। 1.6.88 से 31.5.90 तक लिए गए ऋणों पर 9.75 प्रतिशत ब्याज लगा था। 1.6.90 से 31.5.91 तक के ऋणों पर ब्याज की दर 10.25 प्रतिशत है। दिनांक 1.6.91 से ब्याज की दर बढ़ाकर 10.75 प्रतिशत कर दी गई है।

1990-91 के संशोधित अनुमानों में राज्य सरकारों से 5576.53 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियां तथा 1991-92 के बजट अनुमानों में 6789.51 करोड़ रुपए की ब्याज प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। 1991-92 के बजट अनुमानों में वृद्धि आयोजनागत और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए उधारों पर ब्याज और अल्प बचतों की संग्रहीत राशियों के आधार पर दिए गए / 1990-91 के दौरान दिए जाने वाले उधारों के ब्याज की वसूली के कारण है।

उपर्युक्त अनुमानों में, नौवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है। पंजाब राज्य सरकार को 1989-90 और 1990-91 के दौरान दिए गए विशेष ऋणों के संबंध में अगले वर्ष में ब्याज की अदायगी पर पंजाब को अतिरिक्त स्थगनावधि प्रदान की गई है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए गए उधारों पर ब्याज

संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को दिए गए ऋण अग्रिमों पर 1990-91 के दौरान 16 करोड़ रुपए और 1991-92 के बजट अनुमानों में 18.71 करोड़ रुपए की ब्याज-प्राप्तियां होने का अनुमान है।

(ग) रेलवे द्वारा दिया जाने वाला ब्याज

संसद की अनुक्रमिक रेलवे अभिसमय समितियों की सिफारिशों के अनुसार रेलवे में लगी पूंजी पर, जिसका हिसाब वार्षिक आधार पर लगाया जाता है, रेलवे द्वारा ब्याज के एवज में सामान्य राजस्व को एक निश्चित लाभांश और थोड़ा सा अंशदान दिया जाता है। रेलवे अभिसमय समिति की लोक सभा में 22.2.91 को प्रस्तुत की गई उनकी तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर 1991-92 के लिए अनुमान 1990-91 में किए गए प्रबन्धों के आधार पर अनंतिम रूप से बनाए गए हैं। ये व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :-

(i) रिहायशी इमारतों की पूंजीगत लागत को छोड़कर, जिन पर 3.5 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया जाता है, रेलवे निम्नलिखित दरों पर इस लाभांश की अदायगी करती है:-

   (1) 31.3.1980 तक निवेशित पूंजी पर 6 प्रतिशत (31.3.1964 तक राज्यों को अदायगी के लिए निवेश्य पूंजी पर यात्री किराया कर आदि के बदले 1.5 प्रतिशत सहित)

   (2) उसके बाद निवेशित पूंजी पर 6.5 प्रतिशत

(ii) रेलवे नीचे बताई गई पूंजी के संबंध में लाभांश की अदायगी नहीं करती:-

   (1) *सामरिक महत्व की लाइनों* के संबंध में लगी पूंजी, ऐसी लाइनों के कार्यचालन में वार्षिक हानि सामान्य राजस्व से पूरी की जाती है और उनके कार्यचालन में फालतू राशि, यदि कोई हो तो, सामान्य लाभांश के स्तर तक सामान्य राजस्व को अन्तरित कर दी जाती है।

   (2) *अलाभकारी ब्रांच लाइनें*- लगी पूंजी पर लाभांश की अदायगी से एक ब्रांच लाइन विशेष को छूट इस लाइन की अलाभदायकता की वार्षिक समीक्षा के आधार पर दी जाती है जिसके निर्धारण में "सीमान्तिक लागत" का सिद्धांत अपनाया जाता है।

   (3) नौकाओं, कल्याण, कार्यों से संबंधित इमारतों, (अस्पताल,

interest at 12 per cent. The loans from 1.6.89 to 31.5.91 carry interest at 13 per cent. The rate has been revised to 13.5 per cent from 1.6.91.

The rate of interest on other plan and non-plan loans to States from 1.6.84 to 31.5.85 and 1.6.85 to 31.5.86 carry interest at 7.50 per cent and 8 per cent respectively. Loans from 1.6.86 to 31.5.87 carry interest at 8.75 per cent while loans from 1.6.87 to 31.5.88 carry interest at 9.25 per cent. Loans from 1.6.88 to 31.5.90 carry interest at 9.75 per cent. The loans from 1.6.90 to 31.5.91 carry interest at 10.25 per cent. The rate has been raised to 10.75 per cent w.e.f. 1.6.1991.

The interest receipts from the State Governments are estimated at Rs.5576.53 crores in the Revised Estimate 1990-91 and Rs. 6789.51 crores in Budget Estimate 1991-92. The increase in Budget Estimate 1991-92 is due to recovery of interest on the loans for Plan and Non-Plan purposes and loans against Small Savings Collections advanced during 1990-91.

The above estimates take into account the effect of, the recommendations of the Ninth Finance Commission made in Second Report for 1990-95. Additional maratorium on payment of interest in next year has been granted to Punjab in respect of special loans advanced to the State Government during 1989-90 and 1990-91.

(b) Interest on loans to Union Territory Governments

The interest receipts during 1990-91 is estimated at Rs. 16 crores and Rs. 18.71 crores in Budget Estimates 1991-92 on loans advanced to Union territory of Pondicherry.

(c) Interest payable by Railways

In terms of the recommendations of the successive Railway Convention Committees (RCC) of Parliament, the Railways pay a fixed dividend to General Revenues on the capital invested in the Railways as computed annually in lieu of interest charges *plus* a small amount of contribution. Based on the recommendation of RCC in their 3rd Report presented to Lok Sabha on 22.2.91, the estimates for the year 1991-92 have been provisionally framed on the basis of the arrangements adopted for 1990-91. These arrangements are:

(i) Except for the Capital cost of residential buildings which bears dividend at 3.5 per cent., Railways pay dividend at:

   (1) 6% on capital invested upto 31.3.1980 (inclusive of 1.5% on dividend bearing capital less subsidy capital invested upto 31.3.1964, for payment to States in lieu of passenger fares tax).

   (2) 6.5% on the capital invested thereafter.

(ii) The Railways do not pay dividend on capital in respect of:

   (1) *Strategic Lines* - the annual loss in respect of working of such lines is borne by General Revenues and surplus, if any, in their working is transferred to General Revenues upto the level of normal dividend.

   (2) *Unremunerative branch lines* - the exemption of a particular branch line from payment of dividend on capital is based on annual review of the un-remunerativeness of the line, the remunerativeness being determined adopting the 'marginal cost' principle.

   (3) Ferries, welfare buildings (hospitals, dispensaries, health

दवाखाने, स्वास्थ्य एकक, क्लब, संस्थाएं, स्कूल तथा कालेज, होस्टल तथा अन्य कल्याण केन्द्र) और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के असामरिक भाग के संबंध में लगी पूंजी।

units, clubs, institutes, schools and colleges, hostels and other welfare centres) and non-strategic portion of the Northeast Frontier Railway.

(4) अयस्क लाइनें (किरिबुरू-बिमलगढ़ तथा संभलपुर-टिटलागढ़ लाइनें, जिन पर अयस्क की ढुलाई के लिए भाड़े की रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती हैं) बशर्ते कि वे लाभकारी नहीं हैं। लाभप्रदता, "सीमान्तिक लागत" सिद्धान्त को अपनाते हुए निर्धारित की गई है।

(4) Ore lines (Kiriburu-Bimlagarh and Sambhalpur-Titlagarh lines, which involve concessional rates of freight for the carriage of ore) provided that they are not remunerative, the remunerativeness being determined adopting the 'marginal cost' principle.

(5) "वित्तीय लाभ के आधार से भिन्न आधार पर" पहली अप्रैल, 1955 को अथवा उसके बाद शुरू की गई 28 "नई लाइनों" की पूंजीगत लागत जिनमें से सीमान्तिक लागत के सिद्धान्त के अनुसार वे लाइनें शामिल नहीं है जिनसे वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया था। यह प्रबंध जम्मू-कठुआ तथा तिरुनेलवेली-त्रिवेन्द्रम- कन्याकुमारी लाइनों पर लागू होता है जिनको 'राष्ट्रीय महत्व के निवेश' माना जाता है।

(5) 28 'new lines' taken up on or after 1st April, 1955 on 'other than financial' considerations, except those which become remunerative during the year adopting the 'marginal cost' principle; this arrangement applies also to Jammu Kathua and Tirunelvelli - Trivandrum - Kanyakumari lines which are known as 'national investments'.

उपर्युक्त 'नई लाइनों' को छोड़कर अन्य नई लाइनों में निवेशित पूंजी पर लाभांश, निर्माण की अवधि के दौरान तथा उनके खुलने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए स्थगित किया गया है। स्थगित लाभांश छठे वर्ष से वसूल किया जा सकता है बशर्ते कि नई लाइनों ही की निवल आय में चालू लाभांश की अदायगी के बाद कुछ अधिशेष रहे। नई लाइनों पर स्थगित लाभांश का खाता, उनके खुलने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के बाद किसी भी जिम्मेदारी को समाप्त करते हुए जिसे उस अवधि में समाप्त नहीं किया गया, बन्द कर दिया जाता है।

On the 'new lines' other than those referred to above, dividend on capital invested is deferred during the period of construction as well as for the first five years after their opening. The deferred dividend is recoverable from the sixth year provided the net income of the new lines leaves a surplus after payment of the current dividend. The account of the unliquidated deferred dividend on these lines is closed after a period of 20 years from the date of their opening, extinguishing any liability for deferred dividend not liquidated within that period.

(iii) एक वर्ष में चालू पूंजीगत निर्माण कार्यों पर होने वाले पूंजी-परिव्यय के 50 प्रतिशत भाग को (जिस पर अन्यथा लाभांश देय होता हो) तीन वर्ष की अवधि के लिए लाभांश की अदायगी से छूट दी गई है।

(iv) उपर्युक्त लाभांश छूटों को (सामरिक महत्व की लाइनों से संबंधित कार्यों पर होने वाली हानि को छोड़कर) सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध किया जाता है।

(v) ऐसे वर्षों में जब रेलवे का निवल राजस्व चालू लाभांश देनदारियों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता, चालू लाभांश की अदायगी की कमी को आस्थगित देनदारी माना जाता है (जिसपर कोई ब्याज नहीं लिया जाता) क्योंकि इस राशि की अदायगी आने वाले वर्षों में रेलवे की बचतों से की जाती है।

(iii) 50 per cent of the outlay in a year on capital works-in-progress (which would otherwise be liable to payment of dividend) is exempted from payment of dividend for a period of three years.

(iv) The above dividend concessions (except losses in the working of strategic lines) are provided to Railways in the form of subsidy from General Revenues.

(v) In years in which the net revenue of the Railways is not adequate to meet the current dividend liability, the shortfall in the payment of the current dividend is treated as deferred dividend liability (on which no interest is charged) to be discharged by Railways from surplus in future years.

उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर 1990-91 और 1991-92 के दौरान रेलवे द्वारा देय लाभांश के अनुमान नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:-

Based on the principles mentioned above, the estimates of dividend payable by Railways for 1990-91 and 1991-92 work out as follows:-

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(i) लगी पूंजी पर लाभांश (सामान्य राजस्व द्वारा देय निवल आर्थिक सहायता)	(i) Dividend on Capital at charge (net of subsidy payable by General Revenues)	696.47	695.34	769.85
(ii) सामान्य राजस्व से देय आर्थिक सहायता	(ii) Subsidy payable by General Revenues	278.75	275.62	314.11
(iii) रेल यात्री किराए पर कर के एवज में अदायगी	(iii) Payment by Railways in lieu of Tax on Railway Passenger Fares	23.12	23.12	23.12
(iv) रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिये राज्यों को सहायता	(iv) Payment by Railways for assistance to States for railway safety works	3.21	3.08	3.08
जोड़	**Total**	**1001.55**	**997.16**	**1110.16**
घटाइए-"सामरिक महत्व की लाइनों" के कारण हानियां	**Less-**Loss on working of 'Strategic Lines'	69.55	70.16	73.16
रेलवे द्वारा देय निवल लाभांश जिसे ब्याज के रूप में लिया गया है	**Net dividend payable by Railways taken as interest**	**932.00**	**927.00**	**1037.00**

रेलवे अभिसमय समिति 1977 की सिफारिशों के अनुसार, रेलवे की सामान्य राजस्व के प्रति 1978-79 से पूर्व की देनदारी, जो लाभांश की अदायगी की कमी की द्योतक है उनके द्वारा भविष्य में प्राप्त होने वाले अधिशेषों से अगले दस वर्षों की अवधि में पूरी की जाएगी जिसके बाद

In terms of the recommendations of the Railway Convention Committee1977, the pre-1978-79 liability of the Railways to General Revenues representing the shortfall in dividend payments, was required to be discharged by them out of future surpluses in the next ten years,

स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकेगा । यह लाभांश की देनदारी पूरी कर दी गई है।

1978-79 के बाद के आस्थगित लाभांश का दायित्व 1989-90 के अंत तक 428.44 करोड़ रुपए का था और 1990-91 और 1991-92 के अंत तक, इन वर्षों के दौरान और अधिक वृद्धि की प्रत्याशा न होने से उसी स्तर पर रहेगी ।

1964-65 से पहले की पूंजी पर रेलवे द्वारा दिए जाने वाले 1.5 प्रतिशत के अतिरिक्त लाभांश में से 23.12 करोड़ रुपए की रकम का रेलवे द्वारा प्रदत्त अंशदान, निरसित रेलवे यात्री किराया कर के एवज में राज्यों को तथा अंशतः रेलवे को सुरक्षा कार्यों अर्थात् कर्मचारी नियंत्रित रेलवे फाटक, सड़क ऊपरी पुलों और निचले पुल के खर्च को पूरा करने के लिए दी जाती है। तथापि, आठवें और नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र 95 करोड़ रुपए 1989-90 तक तथा 1990-91 से 150 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान राज्यों को देता है तथा यह राशि आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रतिशत आधार पर राज्यों में बांट दी जाती है जैसा कि अनुबंध 3 में दिखाया गया है ।

(घ) दूर संचार *विभाग द्वारा देय ब्याजः-* दूर संचार विभाग तथा सामान्य राजस्व के वित्तीय संबंधों को शासित करने वाले अभिसमय के अन्तर्गत दूर संचार विभाग सामान्य राजस्व को निम्न दरों के अनुसार लाभांश देगा:-

(i) 1963-64 के अन्त तक दी गई उस निवल पूंजी पर 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष लाभांश, जिसमें डाक-तार विभाग के 31 मार्च 1960 तक के संचित अधिशेष के अंश की रकम (29.78 करोड़ रुपए) और विभाग की नवीकरण प्रारक्षित निधि* में 1963-64 के अन्त में जमा रकम (52.72 करोड़ रुपए) घटा दी जाती है ।

(ii) वर्ष 1980-81 से आगे तक संबंधित वर्षों में लिए गए ऋण पर लागू ब्याज की औसत दर :

(क) वर्ष 1964-65 से 1969-70 तक दी गई पूंजी जिसमें से इसी अवधि में नवीकरण प्रारक्षित निधि* में हुई निवल वृद्धि की रकम घटा दी गई है, और

(ख) 1969-70 के बाद 1984-85 तक प्रदत्त पूंजी जिसमें से डाक संबंधी संचयित घाटे की रकम निकाल दी गई थी, भूतपूर्व डाक व तार विभाग की राजस्व प्रारक्षित निधि में से (938.40 करोड़ रुपए) पूरी कर दी गई ।

यदि विभाग सामान्य राजस्व में देय लाभांश को अदा करने में असमर्थ है, तो उत्तरोक्त विभाग के कार्यचालन परिणामों में हुई कमी और घाटे को यदि, कुछ हो, पूरा करने के लिए दूर संचार राजस्व प्रारक्षित निधि को ब्याज अग्रिम देता है ।

परिव्यय राशि में से घटाकर परिसम्पत्ति की वास्तविक प्रारंभिक लागत के आधार पर मूल्य ह्रास के लिए की गई व्यवस्था को पूंजी खाते में अंतरित कर दिया जाता है ।

राजस्व प्रारक्षित निधि और पूंजी प्रारक्षित निधि के शेषों पर औसत दर से ब्याज मिलता है और यह ब्याज निधियों में जमा कर दिया जाता है।

दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणाम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है :-

*नवीकरण प्रारक्षित निधि को पहली अप्रैल, 1970 से समाप्त कर दिया गया था ।

after which the position could be reviewed. This dividend liability has been completely liquidated.

The post 1978-79 deferred dividend liability stood at Rs.428.44 crores at the end of 1989-90 and will remain the same at the end of the years 1990-91 and 1991-92 with no further accretions or reduction expected during these years.

Out of the additional 1.5 *per cent* dividend paid by the Railways on the pre-1964-65 capital, an amount of Rs.23.12 crores is contributed by the Railways for being passed on to the States as grant in lieu of the repealed tax on railway passenger fares and the balance is made available to States and partly to Railways to finance railway safety works such as manned level crossings, road over-bridges and under-bridges. However, on the basis of the recommendations of Eighth and Ninth Finance Commissions, Centre is paying an annual grant of Rs.95 crores upto 1989-90 and Rs.150 crores from 1990-91 to States and this is distributed among the States according to percentage share recommended by the Commissions, shown in Annexure 3.

(d) *Interest payable by the Department of Telecommunications.-* Under the Convention governing the financial relationship between the Department of Telecommunications and the General Revenues, the Department of Telecommunications would pay dividend to General Revenues at the following rates:

(i) 4.5% per annum on the net capital advanced upto the end of 1963-64 reduced by the Department's share of accumulated surplus as on 31st March, 1960(Rs.29.78 crores), and the balance in the Department's Renewals Reserve Fund* as at the end of 1963-64 (Rs.52.72 crores).

(ii) Average borrowing rate of interest as applicable to the respective years 1980-81 and onwards on:

(a) Capital advanced from 1964-65 to 1969-70 reduced by the net accretion to the Renewals Reserve Fund* during this period and;

(b) Capital advanced after 1969-70 upto 1984-85 reduced by amount of accumulated Postal deficit met out of Revenue Reserve Fund of the erstwhile P & T Department (Rs.938.40 crores).

In case the Department is unable to pay dividend due to General Revenues, the latter makes interest-bearing advance to the Telecommunication Revenue Reserve Fund to cover the shortfall, as well as for meeting the deficit, if any, in the working results of the Department.

Provision for depreciation based on historical cost of assets is transferred to capital in reduction of the outlay.

The balances in the Revenue Reserve Fund and the Capital Reserve Fund earn interest at the average rate and this interest is added to the Funds.

The financial results of the working of the Department of Telecommunications are briefly as under :-

* *The Renewals Reserve Fund was abolished with effect from 1st April, 1970*

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
सकल प्राप्तियां	Gross Receipts	3942.57	3570.00	3965.00
कार्यचालन व्यय (वास्तविक)	Working Expenses (Net)	2070.00	1935.50	2253.33
निवल प्राप्तियां	Net receipts	1872.57	1634.50	1711.67
*सामान्य राजस्व में लाभांश	*Dividend to General Revenues	198.00	203.62	224.67
निवल अधिशेष	*Net surplus :*	1674.57	1430.88	1487.00
विनियोजन	Appropriation to			
राजस्व प्रारक्षित निधि	Revenue Reserve Fund	0.10	17.10	30.10
पूंजी प्रारक्षित निधि	Capital Reserve Fund	1674.47	1413.78	1456.90

**सम्पूर्ण राशि ब्याज के रूप में समायोज्य है । * The entire amount is adjustable as interest.*

1990-91 के बजट अनुमानों में परिकल्पित 3942.57 करोड़ रुपयों की तुलना में 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 3570 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है । बजट अनुमान के समय अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में ट्रंक ट्रैफिक नेटवर्क प्रभारों आदि में राजस्व उगाही में कमी के कारण (सं.अ.में) कुल प्राप्तियां 3570 करोड़ रुपए कम है । संशोधित कार्यचालन व्यय में कमी मुख्यतः कर्मचारी व्यय, छोटे-छोटे निर्माण कार्यों तथा बांडों पर ब्याज की अदायगी पर होने वाले व्यय में कमी के कारण हुई है । वर्तमान बजट में कार्य चालन व्यय के अन्तर्गत लगातार वृद्धि होने का अनुमान है।

Receipts in RE 1990-91 are estimated at Rs.3570 crores as against Rs.3942.57 crores assumed in BE-1990-91. Aggregate receipts of Rs.3570 crores (RE) are less as compared to the figure estimated at BE stage due to shortfall in revenue realisation on account of trunk traffic, net work charges, etc. Decrease in the Revised Working Expenses is mainly on account of less expenditure in staff expenses, petty works and interest on Bonds. Current Budget assumes normal increase under working expenses.

वित्तीय परिणामों का अग्रेतर ब्यौरा अनुबन्ध 5 में दिया गया है।

Further details of the financial results are given in Annexure-5.

(ङ) अन्य ब्याज प्राप्तियां

"अन्य ब्याज प्राप्तियों" के अन्तर्गत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिये गए सरकारी ऋण, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, तथा सरकारी सेवकों आदि को दिये गए उधारों तथा वाणिज्यिक विभागों के पूंजीगत परिव्यय के ब्याज के सम्बन्ध में है।

(e) Other Interest Receipts

The estimates under 'Other Interest Receipts' are in respect of interest on loans advanced to public sector enterprises, port trusts and other statutory bodies, cooperatives, government servants, etc. and capital outlay on departmental commercial undertakings.

प्राप्तियों में रेलवे विकास निधि को दिए गए ऋणों के संबंध में रेलवे से ब्याज भी शामिल है ।

The receipts also include interest from Railways against loans advanced to the Railway Development Fund.

लाभांश और लाभ:

मुख्य मदें निम्न प्रकार हैं

Dividends and Profits:

The details are as follows:–

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष लाभ	(i) Surplus profits of Reserve Bank of India	210.00	210.12	350.00
(ii) राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश	(ii) Share of profits from nationalised banks	65.00	50.70	60.00
(iii) जीवन बीमा निगम से लाभ का अंश	(iii) Share of profits from LIC	62.00	75.73	90.00
(iv) भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियां	(iv) GIC and its subsidiaries	24.25	26.92	26.94
(v) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं	(v) IDBI and other financial institutions	58.48	87.24	95.24
(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	(vi) Dividends from Public sector enterprises and on other investments	301.16	328.84	344.94
जोड़	**Total**	**720.89**	**779.55**	**967.12**

(i) *भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ* : 1991-92 के दौरान सरकार को अन्तरित किए जाने योग्य भारतीय रिजर्व बैंक का अधिशेष लाभ 350 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है ।

(i) *Surplus profits of Reserve Bank of India:* The surplus profits of the Reserve Bank of India transferable to the Government during 1991-92 are estimated at Rs. 350 crores.

(ii) *राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश* : संशोधित अनुमान में राष्ट्रीकृत बैंकों से लाभ के संबंध में 50.70 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है जबकि 1990-91 के बजट में 65.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। 1991-92 के बजट में इस संबंध में कुल 60.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है ।

(ii) *Share of Profits from Nationalised Banks:* The receipts from profits of nationalised banks are estimated at Rs.50.70 crores in the Revised Estimate 1990-91 as against Rs. 65.00 crores assumed in the Budget Estimate 1990-91. Budget Estimate 1991-92 assumes a total receipt of Rs.60.00 crores on this account.

(iii) *जीवन बीमा निगम से लाभ का अंश* जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत, बीमांकिकीय मूल्यांकन द्वारा यथा-निर्धारित निगम के अधिशेष में से ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत की राशि सरकार को देय होती है । भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने

(iii) *Share of Profits from Life Insurance Corporation:* In terms of Section 28 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, not more than 5 per cent of the Corporation's surplus determined by acturial valuation is payable to the Government. The LIC has decided to make actuarial

क्रियाकलापों का बीमांकिकीय मूल्यांकन 31 मार्च, 1986 से वार्षिक आधार पर करने का निर्णय लिया है जबकि पहले यह द्विवार्षिक आधार पर किया जाता था। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार देय निगम के अधिशेष की राशि का अनुमान 1990-91 के संशोधित अनुमान में 75.73 करोड़ रुपए लगाया गया है। चालू बजट में 90.00 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

valuation of its business every year from 31st March, 1986, instead of biennial valuation earlier. The share of the Corporation's surplus payable to the Central Government is estimated at Rs.75.73 crores in the Revised Estimate 1990-91. In the current Budget the estimates are placed at Rs. 90.00 crores.

(iv) *साधारण बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां* : 1990-91 में प्राप्तियों के अनुमानों को और 1991-92 की प्राप्तियों के अनुमानों को साधारण बीमा निगम द्वारा 25 प्रतिशत की दर से और इसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा 30/35 प्रतिशत की दर से, अर्थात् नेशनल इंश्युरेन्स कं. लि. द्वारा (30 प्रतिशत) न्यु इंडिया एश्युरेन्स कं. लि. द्वारा (35 प्रतिशत) ओरिएन्टल इन्श्युरेन्स कं. द्वारा (35 प्रतिशत) और युनाइटेड इन्श्युरेन्स कं. लि. द्वारा (35 प्रतिशत) की दरों से लाभांश की अदायगी किए जाने के आधार पर तैयार किया गया है।

(iv) *GIC and its subsidiaries:* The estimates of receipts in1990-91 as well as in 1991-92 are based on the dividend rates of 25% by GIC and 30/35% by its four subsidiaries, namely , National Insurance Co Ltd. (30%), New India Assurance Co. Ltd (35%), Oriental Insurance Co. Ltd.(35%) and United India Insurance Co. Ltd(35%).

(v) *भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं का* संस्थावार लाभांश का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(v) *IDBI and other financial institutions:* The details of dividends institution wise are as follows:–

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	IDBI	48.00	69.58	79.63
निर्यात-आयात बैंक	Exim Bank	8.00	8.00	9.00
आर. ई. सी	REC	2.48	9.66	6.61
जोड़	**Total**	**58.48**	**87.24**	**95.24**

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश: अनुमानों में पैट्रोलियम क्षेत्र की कम्पनियों, अन्य सरकारी कम्पनियों द्वारा देय लाभांश शामिल है।

(vi) *Dividends from public sector and other investments:* The estimates include dividends payable by companies in the petroleum sector, and other Government companies, etc.

अन्य कर भिन्न राजस्व OTHER NON-TAX REVENUE

राजस्व का स्थूल ब्यौरा इस प्रकार है Broad details of revenue are as follows:-

1. राजकोषीय सेवाएं	1. Fiscal Services	565.22	667.83	1117.63
2. अन्य सामान्य सेवाएं	2. Other General Services	1201.18	1255.37	1402.42
3. सामाजिक सेवाएं	3. Social Services	308.02	330.68	337.46
4. आर्थिक सेवाएं	4. Economic Services	2223.48	2165.69	2527.74
5. सहायता अनुदान और अंशदान	5. Grants-in-aid and Contributions	807.73	822.06	868.14
जोड़	Total	5105.63	5241.63	6253.39
घटाइए—	*Less—*			
वाणिज्यिक विभाग*	Commercial Departments*	2825.25	2668.28	3340.88
निवल-अन्य कर भिन्न राजस्व	**Net-Other Non-Tax Revenue**	**2280.38**	**2573.35**	**2912.51**

* उप - क्षेत्रों द्वारा वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

* Details of receipts of the commercial departments by sub-sectors are as follows:–

राजकोषीय सेवाएं	Fiscal services	279.00	285.14	311.54
अन्य सामान्य सेवाएं	Other General Services	804.00	827.20	980.00
सामाजिक सेवाएं	Social services	230.00	262.00	264.00
आर्थिक सेवाएं	Economic services	1512.25	1293.94	1785.34
जोड़	**Total**	**2825.25**	**2668.28**	**3340.88**

राजकोषीय सेवाएं **FISCAL SERVICES**

अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया है:- The estimates are as follows:

राजकोषीय सेवाएं	Fiscal Services	565.22	667.83	1117.63
घटाएं-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	*Less-Receipts of Commercial Departments*	*279.00*	*285.14*	*311.54*
निवल	**Net**	**286.22**	**382.69**	**806.09**

वाणिज्यिक विभाग

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियों के अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

Commercial Departments:

The details of the estimates of receipts by commercial departments are as follows:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:	(a) Currency,Coinage and Mint:			
करेंसी नोट प्रैस	Currency Note Press	90.00	98.00	113.63
बैंक नोट प्रैस	Bank Note Press	72.00	72.00	67.94
प्रतिभूति कागज कारखाना	Security Paper Mill	44.00	44.14	55.97
जोड़	**Total**	**206.00**	**214.14**	**237.54**
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	(b) Other fiscal services:			
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय	India Security Press	54.00	54.00	55.00
प्रतिभूति मुद्रणालय	Security Printing Press	19.00	17.00	19.00
जोड़	**Total**	**73.00**	**71.00**	**74.00**
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	The net receipts comprise:-			
(क) करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल:	(a) Currency, Coinage and Mint:			
(i) सिक्कों के प्रचलन से लाभ	(i) Profits from circulation of coins	30.00	30.00	30.00
(ii) टकसालें	(ii) Mints	4.50	18.00	18.00
(iii) चांदी शोधनशाला	(iii) Silver Refinery	10.00	11.10	10.05
(iv) अन्य प्राप्तियां	(iv) Other Receipts	1.00	..	..
जोड़	**Total**	**45.50**	**59.10**	**58.05**
(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं	(b) Other Fiscal Services	240.72	323.59	748.04
जोड़ राजकोषीय सेवाएं (निवल)	***Total Fiscal Services(Net)***	***286.22***	***382.69***	***806.09***

(क) करेंसी सिक्का निर्माण और टकसाल:- सिक्कों के परिचालन से लाभ, सिक्कों के अंकित मूल्य और उनके निर्माण की लागत के बीच के अन्तर का द्योतक है।

"टकसाल" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः परिशोधन और धातु परीक्षण प्रभारों से संबंधित है ।

"चांदी शोधनशाला" के अन्तर्गत सामग्री नीलामी से प्राप्त होने वाली विक्रय से संबंधित है ।

(ख) अन्य राजकोषीय सेवाएं:- ये प्राप्तियां मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को देय ई. एफ. एफ. प्रभार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अंशदान, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्त पारितोषण, आदि जब्त किए गए सोने और चांदी की बिक्री से प्राप्त राशि तथा आर्थिक अपराधों इत्यादि से प्राप्त अर्थदण्ड से संबंध रखती है ।

इन वाणिज्यिक विभागों से होने वाली प्राप्तियों को व्यय बजट में व्यय में से घटाकर दिखाया गया है ।

(a) Currency, Coinage and Mint:- Profits from circulation of coins represents the difference between face value of coins and their manufacturing cost.

The receipts under 'Mints' relate mainly to refining and assaying charges.

Receipts under 'Silver Refinery' mainly relate to sale proceeds of material auctioned.

(b) Other Fiscal Services:- The receipts mainly relate to contributions by Reserve Bank of India towards EFF charges payable to the International Monetary Fund, remunerations etc. received from IMF, sale proceeds of confiscated gold and silver and penalties etc. realised against economic offences.

The receipts from these commercial departments have been taken in reduction of expenditure and are dealt with in the Expenditure Budget.

अन्य सामान्य सेवाएं

अनुमान इस प्रकार है:-

OTHER GENERAL SERVICES

The estimates are as follows:-

		1990-91 Budget	1990-91 Revised	1991-92 Budget
अन्य सामान्य सेवाएं	Other General Services	1201.18	1255.37	1402.42
घटाएं-वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां	*Less- Receipts of Commercial Department*	*804.00*	*827.20*	*980.00*
निवल	**Net**	**397.18**	**428.17**	**422.42**
निवल प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल है :-	The net receipts comprise:-			
(i) प्रशासनिक सेवाएं	(i) Administrative services			
लोक सेवा आयोग	Public service commission	3.25	3.65	3.65
पुलिस	Police	146.08	161.06	168.07
पूर्ति और निपटान	Supplies and disposals	31.65	30.02	12.40
लेखन सामग्री और मुद्रण	Stationery and printing	29.00	29.53	27.82
निर्माण कार्य	Public works	27.80	28.80	31.16
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other administrative services	77.66	82.40	84.00
(ii) पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	(ii) Contribution and recoveries towards pension and other retirement benefits	33.66	36.73	39.91
(iii) विविध सामान्य सेवाएं	(iii) Miscellaneous general services	48.08	55.98	55.41
जोड़	**Total**	**397.18**	**428.17**	**422.42**

वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां रक्षा सेवाएं कैंटीन स्टोर विभाग से सम्बन्धित है जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्यिक विभागों में निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

लोक सेवा आयोग की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दी गई परीक्षाओं की फीस आदि की प्राप्तियों की द्योतक है ।

The Commercial Department receipts relate to Defence Services Canteen Stores Department (CSD) which are dealt with under net expenditure of Commercial Departments in the Expenditure budget.

The receipts of 'Public Service Commission' mainly represent examination fees, etc. of the Union Public Service Commission and Staff Selection Commission.

'पुलिस' की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पार्टियों को केन्द्रीय पुलिस बल आदि की तैनाती से संबंधित है।

The receipts of 'Police' are on account of Central Police Forces supplied to State Governments and other parties.

'पूर्ति और निपटान' के अंतर्गत मुख्य रूप से पूर्ति और निपटान महा-निदेशालय के संगठन की मार्फत की गई खरीद और भंडारों के निरीक्षण की फीस तथा पूर्ति और निपटान महा-निदेशालय की मारफत बेचे गए फालतू और बेकार सामान के विपणन से हुई प्राप्तियों को दिखाया गया है।

The receipts under 'Supplies and Disposals' mainly relate to the fees for purchase and inspection of stores; and sale proceeds of surplus and obsolete stores disposed of through Directorate General of Supplies and Disposals.

'लेखन सामग्री और मुद्रण' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों का सम्बन्ध सरकारी मुद्रणालयों, फार्मों, लेखन सामग्री, भण्डार और सरकारी राजपत्रों की बिक्री आदि से है।

The receipts under 'Stationery and Printing' relate to government printing presses, sale of stationery, gazettes and government publications etc.

'लोक निर्माण' शीर्ष के अंतर्गत सरकारी रिहायशी इमारतों के किराए से भिन्न केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधी सभी प्राप्तियों को दिखाया गया है। संशोधित अनुमान में कमी एक होटल प्लाट की नीलामी न किए जाने के कारण है।

'Public Works' accommodates all receipts relating to Central Public Works Department other than rent of government residential buildings.

'अन्य प्रशासनिक सेवाओं' के अंतर्गत प्राप्तियों का संबंध मुख्यतः लेखापरीक्षा फीस, पासपोर्ट तथा वीसा फीस आदि से है। अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः लेखा-परीक्षा फीस, पासपोर्ट और वीसा फीस के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण है।

The receipts under the head 'Other Administrative Services' mainly relate to audit fees, passport and visa fees, etc. The increase is mainly on account of larger receipts from Audit fees and passport and visa fees.

"विविध सामान्य सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत राजस्व खाते में वृद्धि में बट्टे खाते डाली गई डाक प्रमाण पत्रों/बाजार उधारों के संबंध में दावा न किए गए शेषों से संबंधित प्राप्तियां शामिल की गई है।

The head 'Miscellaneous General Services' accommodates receipts relating to unclaimed balances of postal certificates/ market loans written-off to revenue.

सामाजिक सेवाएं

अनुमानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

SOCIAL SERVICES

The estimates are as follows:

(करोड़ रुपए) *(In crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
सामाजिक सेवाएं	Social Services	308.02	330.68	337.46
घटाएं-वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	*Less-Receipts of Commercial Departments*	*230.00*	*262.00*	*264.00*
निवल	**Net**	**78.02**	**68.68**	**73.46**
निम्नलिखित के अलावा प्राप्तियों के अनुमान इस प्रकार हैं :- वाणिज्यिक विभागों में निम्नलिखित शामिल हैं :-	The estimates of receipts, other than the commercial Departments, comprise the following:-			
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	Education, Sports, Art and Culture	12.44	10.35	12.51
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health	9.74	10.08	10.30
परिवार कल्याण	Family Welfare	11.20	9.50	10.50
आवास	Housing	22.61	18.02	18.21
शहरी विकास	Urban Development	0.01	0.01	0.01
सूचना और प्रचार	Information and Publicity	19.38	18.34	19.51
श्रम और रोजगार	Labour and Employment	0.75	0.77	0.77
समाज सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare	1.89	1.61	1.65
जोड़	**Total**	**78.02**	**68.68**	**73.46**

'आकाशवाणी और दूरदर्शन' के संबंध में प्राप्तियां जिन्हें प्रसारण की वाणिज्यिक प्राप्तियां माना जाता है व्यय में निवल रूप में प्रदर्शित की जाती हैं और व्यय बजट में दिखाई जाती है।

The receipts relating to 'Akashvani and Doordarshan', which are treated as commercial receipts of Broadcasting are netted against expenditure and dealt with in Expenditure Budget.

'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य फीसों तथा, अजायबघरों और प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से होने वाली आमदनी से है।

The receipts under 'Education, Sports, Art and Culture' mainly relate to tuition and other fees, and entry fees at museums and the ancient monuments.

'चिकित्सा' प्राप्तियों में सरकारी स्वास्थ्य स्कीम के लिए अंशदान, ट्यूशन और अन्य फीस, अस्पतालों तथा औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्त प्रभार शामिल हैं। 'लोक स्वास्थ्य' प्राप्तियों में सेवा फीसें, सीरम तथा वैक्सीन आदि की बिक्री से होने वाली आमदनी शामिल है।

'Medical' receipts include contributions for Central Government Health Scheme and charges realised from patients for hospital and dispensary services etc.. 'Public Health' receipts include service fees, sale proceeds of sera and vaccine, etc.

'परिवार कल्याण' की प्राप्तियां मुख्यतः सामग्री तथा पूर्ति की बिक्री से प्राप्त राशि से संबंधित हैं।

'Family Welfare' receipts mainly relate to sale proceeds of material and supplies.

'आवास' प्राप्तियों में मुख्यतः सरकारी रिहायशी इमारतों की लाइसेंस फीस शामिल है।

'Housing' receipts mainly relate to licence fees for Government residential buildings.

'शहरी विकास' प्राप्तियों में लाइसेंस शुल्क तथा भू-कर शामिल है।

'Urban Development' receipts include licence fees and ground rent.

'सूचना और प्रचार' प्राप्तियां मुख्यतः विज्ञापन और दृश्य प्रसार के लिए प्रकाशनों की बिक्री तथा चल चित्रों का किराया शामिल है।

'Information and Publicity' receipts include charges from advertising and visual publicity, sale of publications and film rentals.

बजट में 'श्रम तथा रोजगार' प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, फैक्टरी तथा खान अधिनियमों आदि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले शुल्कों से संबंधित है ।

'Labour and Employment' receipts relate mainly to fees realised under labour laws, factories and mines Act, etc.

'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' के अंतर्गत प्रदर्शित प्राप्तियां मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना की प्राप्तियोंसे संबंधित हैं ।

The receipts under "Social Security and Welfare" mainly relate to Central Government Employees Insurance Scheme.

आर्थिक सेवाएं

ECONOMIC SERVICES

अनुमान इस प्रकार है:-

The estimates are as follows:-

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
आर्थिक सेवाएं	**Economic Services**	**2223.48**	**2165.69**	**2527.74**
घटाइए-वाणिज्यिक विभाग	*Less-Commercial Departments*	*1512.25*	*1293.94*	*1785.34*
निवल	**Net**	**711.23**	**871.75**	**742.40**

वाणिज्यिक विभाग

Commercial Departments

वाणिज्यिक विभागों से प्राप्तियों के अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

The details of the receipt estimates by commercial departments are given below:–

कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:	*Agriculture and allied activites:*			
दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	88.75	88.75	93.19
उद्योग और खनिज:	*Industry and Minerals:*			
अफीम और एल्कोलाइड कारखाने	Opium Factories and alkaloid works	30.00	40.00	40.00
ईंधन विनिर्माण सुविधाएं	Fuel fabrication facilities	162.78	80.79	156.35
जोड़	**Total**	**192.78**	**120.79**	**196.35**
ऊर्जा:	*Energy:*			
बदरपुर तापीय विद्युत केन्द्र	Badarpur Thermal Power Station	20.00	..	285.00
राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र	Rajasthan Atomic Power Station	38.48	28.75	33.29
ईंधन इन्वेंटरी	Fuel Inventory	124.29	89.20	115.23
भारी जल पुंज प्रबन्ध	Heavy Water Pool Management	53.05	43.55	79.28
जोड़	**Total**	**235.82**	**161.50**	**512.80**
परिवहन:	*Transport:*			
दीपस्तम्भ और दीपपोत	Lighthouses and lightships	22.90	22.90	23.00
संचार:	*Communications:*			
डाक सेवा	Postal Services	972.00	900.00	960.00
जोड़-वाणिज्यिक विभाग	***Total-Commercial Departments***	***1512.25***	***1293.94***	***1785.34***

इन वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां व्यय को घटाकर दिखाई गई हैं और इन्हें व्यय बचत में दिखाया गया है ।

The receipts of these commercial departments have been taken in reduction of expenditure and dealt with in the Expenditure Budget.

निवल प्राप्तियों के अनुमानों में निम्नलिखित शामिल है:-

The estimates of the net receipts comprise as follows:–

(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	(i) Agriculture and Allied Activities	12.03	20.78	16.50
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(ii) Irrigation and Flood Control	5.52	4.07	5.55
(iii) ऊर्जा	(iii) Energy	526.34	517.32	526.34
(iv) उद्योग और खनिज	(iv) Industry and Minerals	39.31	45.95	54.68
(v) परिवहन	(v) Transport	32.84	33.18	33.21
(vi) दूरसंचार	(vi) Communications	4.76	5.15	4.90
(vii) विज्ञान, प्रोद्योगिकी और पर्यावरण	(vii) Science, Technology and Environment	15.83	16.56	16.98
(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(viii) General Economic Services	74.60	228.74	84.24
जोड़	**Total**	**711.23**	**871.75**	**742.40**

प्रत्येक उपक्षेत्र के अन्तर्गत खातों के मुख्य शीर्षों के अनुसार इन प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

The details of these receipt estimates by major heads of account under each sub-sector are given below:–

(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:	*(i) Agriculture and Allied Activities:*			
कृषि कार्य	Crop Husbandry	0.68	6.32	3.01
पशुपालन	Animal Husbandry	2.70	3.05	2.90
डेयरी विकास	Dairy Development	0.10	0.10	0.10
मीन उद्योग	Fisheries	0.86	0.87	1.10
वन और वन्य जीवन	Forestry and Wild Life	2.70	2.70	2.70
खाद्य-भंडार और भांडागारण	Food Storage and warehousing	2.07	4.73	3.18
अन्य कृषि कार्यक्रम	Other Agricultural Programmes	2.92	3.01	3.51
जोड़	**Total**	**12.03**	**20.78**	**16.50**

इस उपक्षेत्र के अन्तर्गत कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों तथा बागवानी पौधा संरक्षण सेवाओं से होने वाली प्राप्तियों और कृषि शिक्षा, किस्म नियंत्रण तथा कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण की फीस राशियां शामिल हैं । विदेशों और संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरकों, मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकमों को इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया है ।

This sub-sector accommodates receipts from agricultural farms, commercial crops, horticulture, plant protection services, fees from agricultural education., fees for quality control and grading of agricultural product etc. Sale proceeds of inputs like seeds, fertilizers, machinery, etc.received as aid from foreign countries and organisations are also accounted for under it.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(ii) सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण-	(ii) *Irrigation and Flood Control :*			
मुख्य और मध्यम सिंचाई	Major and Medium Irrigation	5.10	3.65	5.10
लघु सिंचाई	Minor Irrigation	0.42	0.42	0.45
जोड़	**Total**	**5.52**	**4.07**	**5.55**

"मुख्य और मध्यम सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना की प्राप्तियों को दर्शाते हैं । "लघु सिंचाई" के अन्तर्गत अनुमान केन्द्रीय राज्य सरकारों आदि के लिए हाथ में लिए गए भूतल जल अन्वेषण के कार्य से संबंधित हैं।

The estimates under the head "Major and medium irrigation" represent mainly the receipts of Central Water Commission and Central Water Power Research Station, Pune. The estimates under "Minor irrigation" relate to receipts of Central Ground Water Board for ground water exploration undertaken by it for State Governments, etc.

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(iii) ऊर्जा	(iii) *Energy :*			
विद्युत	Power	3.30	3.94	4.20
पैट्रोलियम	Petroleum	522.91	513.35	522.13
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	Non-Conventional Sources of Energy	0.13	0.03	0.01
जोड़	**Total**	**526.34**	**517.32**	**526.34**

'विद्युत' शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां आती हैं और अन्य सरकारों की ओर से क्रियान्वित सामान्य कार्यों से प्राप्त राशियां भी दिखाई गई हैं ।

The head 'Power' records receipts of the Central Electricity Authority under the Electricity (Supply) Act etc.

'पैट्रोलियम' शीर्ष के अन्तर्गत संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अपरिष्कृत तेल और गैस की रायल्टी से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं।

Under the head 'Petroleum' the estimates include receipts from royalty on crude oil and gas.

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(iv) उद्योग और खनिज	(iv) *Industry and Minerals :*			
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries	3.81	5.31	5.34
उद्योग	Industries	34.37	39.56	48.41
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	1.13	1.08	0.93
जोड़	**Total**	**39.31**	**45.95**	**54.68**

"ग्राम और लघु उद्योग शीर्ष के अन्तर्गत, औद्योगिक सम्पदा, लघु उद्योग, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम कीटपालन और अन्य ग्रामोद्योगों से होने वाली प्राप्तियां दिखायी गई हैं ।

The head "Village and Small Industries" records receipts from industrial estates, small scale, handloom, khadi, handicraft, coir, sericulture, powerloom and other village industries.

'उद्योग' के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से लाइसेंस शुल्क संग्रह से संबंधित है ।

Receipts under 'Industries' relate mainly to atomic energy industries and licence fees collected from various industries.

"अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग शीर्ष" के अन्तर्गत भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों से होने वाली प्राप्तियां दिखाई गई है।

The head "Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries" mainly accommodates receipts on account of specified jobs undertaken by the Geological Survey of India.

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(v) परिवहन	(v) *Transport*			
पत्तन और दीप स्तम्भ	Ports and Light Houses	1.20	1.48	1.50
नौवहन	Shipping	0.99	1.05	1.06
नागर विमानन	Civil Aviation	0.65	0.65	0.65
सड़कें और पुल	Roads and Bridges	30.00	30.00	30.00
जोड़	**Total**	**32.84**	**33.18**	**33.21**

"पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन" के अन्तर्गत प्राप्तियां प्रकाश से संबंधित प्राप्त व्यय राशियों, सर्वेक्षण तथा जहाजों के रजिस्ट्रेशन की फीस और नौका सेवाओं से संबंधित है ।

The heads "Ports and Light-houses" and "Shipping" account for receipts of light dues, survey and registration fees of ships and ferry services.

"सड़कें और पुल" शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित प्राप्तियां शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों और स्थाई पुलों के उपयोग से संबंधित शुल्क और सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं से विभागीय प्रभारों की वसूली शामिल हैं।

The head "Roads and Bridges" includes receipts on account of national highways, including fees for use of National highways permanent bridges and also departmental charges recovered from State Governments and other bodies for services rendered by the Border Roads Development Board.

		(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees) बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(vi) दूरसंचार "अन्य संचार सेवाएं"	*(vi) Communications:* 'Other Communication Services'	*4.76*	*5.15*	*4.90*

"अन्य संचार सेवाओं" के अंतर्गत प्राप्तियों का संबंध मुख्य रूप से वायरलेस समन्वय संगठन से है ।

Receipts under 'Other Communication Services' mainly relate to the Wireless Planning and Coordination Organisation.

(vii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	*(vii) Science, Technology and Environment:*			
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	Atomic Energy Research	5.89	6.51	6.67
अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	Other Scientific Services and Research	9.94	10.05	10.31
जोड़	**Total**	**15.83**	**16.56**	**16.98**

परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के अन्तर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/यूनिटों द्वारा की गई बिक्रियों और सेवाओं से हुई प्राप्तियों से संबंधित हैं ।

"अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमेटिक मानचित्रण संगठन, से संबंधित है।

The receipts under 'Atomic Energy Research' relate to sales and services rendered by various divisions/units of Bhabha Atomic Research Centre.

"Other Scientific Services and Research" receipts mainly relate to the Survey of India, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, etc.

(viii) सामान्य आर्थिक सेवाएं	*(viii) General Economic Services:*			
विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	Foreign Trade and Export Promotion	30.97	184.21	37.12
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Other General Economic Services	43.63	44.53	47.12
जोड़	**Total**	**74.60**	**228.74**	**84.24**

विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन और निर्यात लाइसेंस आवेदन फीस, सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक निर्यात संसाधन क्षेत्र तथा कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र से प्राप्तियां विदेशी "व्यापार और निर्यात संवर्धन" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई गई है ।

शीर्ष "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं" में मुख्यतः संयुक्त पूंजी कम्पनियों के विनियमन से होने वाली प्राप्तियां और बीमा अधिनियम के अंतर्गत फीस की वसूली की प्राप्तियों को दिखाया गया है । इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की प्राप्तियां तथा जोखिम बीमा निधि की प्राप्तियोंऔर गैरसरकारी निकायों के द्वारा की गई सेवाओं के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा वसूल किए गए शुल्कों को भी शामिल किया गया है ।

Receipts from Foreign trade, import and export licence application fees, Santacruz Electronic Export Processing Zone and Kandla Free Trade Zone are accounted for under head "Foreign Trade and Export Promotion."

The head "Other General Economic Services" mainly accommodates receipts on account of regulation of joint stock companies and fees realised under the Insurance Act. It also includes receipts of the Indian Meteorological Department, fees realised by National Informatic Centre for services rendered by it to non-Government bodies and Risk Insurance Fund Receipts.

सहायता अनुदान और अंशदान

GRANTS-IN-AID AND CONTRIBUTIONS

ये अनुमान बाह्य स्रोतों से नकदी और वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान से संबंधित हैं । ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

The estimates are in respect of Grant assistance, in cash and kind, from external sources. The details are :

(i) बाह्य अनुदान सहायता	(i) External Grant Assistance	684.57	732.29	714.28
(ii) सहायता सामग्री और उपस्कर	(ii) Aid Material & Equipment	123.16	89.77	153.86
जोड़	**Total**	**807.73**	**822.06**	**868.14**

अतिरिक्त ब्यौरे इस प्रलेख के अनुबन्ध 8 के विवरण 2 में दिए गए है

Further details are given in Statement 2 to Annexure 8 of this document.

संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व

अनुमान इस प्रकार है :-

NON-TAX REVENUE OF UNION TERRITORIES :

The estimates are as follows :-

संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल रहित) की प्राप्तियां	Receipts of Union Territories (without legislature)	123.95	137.81	140.51

संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, खासतौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारती लकड़ी तथा वन उत्पादों की बिक्री चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त होने वाली राशियों तथा पर्यटन और विद्युत से होने वाली प्राप्तियों से सम्बद्ध है ।

The receipts of the Union Territories (without legislature) mainly relate to administrative services; sale of timber and forest produce mainly in Andaman and Nicobar Islands; receipts from Chandigarh Transport Undertaking and receipts from tourism and power.

भाग ख PART B

पूंजी प्राप्तियां CAPITAL RECEIPTS

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का स्थूल श्रेणीवार संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। 1990-91 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा संशोधित अनुमानों और 1991-92 के बजट अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणियां और अतिरिक्त जानकारी जिनमें इस घट-बढ़ का स्पष्टीकरण दिया गया है, इस विवरण के बाद दी गई है।

ESTIMATES OF CAPITAL RECEIPTS

The Statement below summarises by broad categories the estimates of capital receipts. Further details together with brief notes explaining the variations between the Budget estimates and the Revised estimates for 1990-91 and between the latter and Budget estimates for 1991-92 are given in the notes that follow this statement.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1. बाजार ऋण	1. Market Loans			
सकल उधार	*Gross Borrowings*	8988.00	8988.00	8918.00
घटाइए-वापसी अदायगियां	*Less - Repayments*	987.72	987.72	1418.18
निवल	Net	*8000.28*	*8000.28*	*7499.82*
2. विदेशी सहायता (निवल)	2. External Assistance (Net)	3519.30	3984.21	3509.89
3. उधारों और अग्रिमों की वसूलियां	3. Recoveries of Loans and Advances	4576.19	6005.28	5666.14
4. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	4. Disinvestment of equity holding in Public Sector Enterprises	..	..	2500.00
5. अल्प बचतें, लोक भविष्य निधि, सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना (निवल)	5. Small Savings, Public Provident Fund and Deposit Scheme for Retiring Government Employees (Net)	5500.00	8000.00	8000.00
6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	5. State Provident funds (Net)	1130.00	1200.00	1300.00
7. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, आदि की विशेष जमा (निवल)	7. Special Deposits of Non-Government PF, LIC, GIC, etc. (Net)	7272.00	8004.00	7763.00
8. अन्य प्राप्तियां (निवल)*	8. Other Receipts (Net)*	4166.52	3370.30	1935.17
कुल-पूंजी प्राप्तियां	**Total Capital Receipts**	**34164.29**	**38564.07**	**38174.02**

*अनुबन्ध 12 में उपर्युक्त अनुमानों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

Annexure 12 gives a reconciliation of the above estimates with the Receipt estimates shown in the Annual Financial Statement.

1. बाजार उधार :

1990-91

1990-91 के बजट और संशोधित अनुमानों में केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार उधारों से वापसी अदायगियां घटाकर, 8000.28 करोड़ रुपए की निवल प्राप्तियों की आशा की गई थी। जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है, अब तक जारी की गई बाजार उधारों की पांच किस्तों से कुल 8001.64 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई।

1. Market Loans:

1990-91

In the Budget and Revised Estimates of 1990-91 the total receipts from market borrowings by the Central Government, net of repayments, were assumed at Rs.8000.28 crores. A total amount of Rs.8001.64 crores were raised in five instalments as detailed below.

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

किस्त और निर्गम की तारीख Instalment and date of issue	लिए गए उधार	Loans raised	अभिदान की धनराशियां Amounts subscribed नकद Cash	रूपांतरण Conversion	जोड़ Total
प्रथम/ First(11.6.1990)	10.50 प्रतिशत ऋण, 1995	10.50% Loan, 1995	64.99	..	64.99
	10.75 प्रतिशत ऋण, 2000	10.75% Loan, 2000	50.15	..	50.15
	11.25 प्रतिशत ऋण, 2005	11.25% Loan, 2005	182.06	..	182.06
	11.50 प्रतिशत ऋण, 2010	11.50% Loan, 2010	1704.52	..	1704.52
	जोड़	**Total**	**2001.72**	..	**2001.72**
द्वितीय/ Second(20.8.1990)	10.50 प्रतिशत ऋण, 1995 (दूसरा निर्गम)	10.50% Loan, 1995 (Second Issue)	56.32	0.10	56.42
	10.75 प्रतिशत ऋण, 2000 (दूसरा निर्गम)	10.75% Loan, 2000 (Second Issue)	3.32	1.90	5.22
	11.25 प्रतिशत ऋण, 2005 (दूसरा निर्गम)	11.25% Loan, 2005 (Second Issue)	115.01	238.89	353.90
	11.50 प्रतिशत ऋण, 2010 (दूसरा निर्गम)	11.50% Loan, 2010 (Second Issue)	2484.97	100.61	2585.58
	जोड़	**Total**	**2659.62**	**341.50**	**3001.12**
तृतीय/Third(26.11.1990)	10.50 प्रतिशत ऋण, 1995 (तीसरा निर्गम)	10.50% Loan, 1995 (Third Issue)	54.65	0.01	54.66
	10.75 प्रतिशत ऋण, 2000 (तीसरा निर्गम)	10.75% Loan, 2000 (Third Issue)	50.01	..	50.01
	11.25 प्रतिशत ऋण, 2005 (तीसरा निर्गम)	11.25% Loan, 2005 (Third Issue)	400.00	..	400.00
	11.50 प्रतिशत ऋण, 2010 (तीसरा निर्गम)	11.50% Loan, 2010 (Third Issue)	913.33	82.87	996.20
	जोड़	**Total**	**1417.99**	**82.88**	**1500.87**

(करोड़ रुपए) (in crores of Rupees)

किस्त और निर्गम की तारीख Instalment and date of issue	लिए गए उधार	Loans raised	नकद Cash	रूपांतरण Conversion	जोड़ Total
चतुर्थ/Fourth(28.1.1991)	10.50 प्रतिशत ऋण, 1995 (चौथा निर्गम)	10.50% Loan, 1995 (Fourth Issue)	57.23	0.08	57.31
	10.75 प्रतिशत ऋण, 2000 (चौथा निर्गम)	10.75% Loan, 2000 (Fourth Issue)	50.87	..	50.87
	11.25 प्रतिशत ऋण, 2005 (चौथा निर्गम)	11.25% Loan, 2005 (Fourth Issue)	300.64	0.03	300.67
	11.50 प्रतिशत ऋण, 2010 (चौथा निर्गम)	11.50% Loan, 2010 (Fourth Issue)	1058.40	33.96	1092.36
	जोड़	**Total**	**1467.14**	**34.07**	**1501.21**
पांचवा/Fifth(11.3.1991)	10.50 प्रतिशत ऋण, 1995 (पांचवा निर्गम)	10.50% Loan, 1995 (Fifth Issue)	58.21	..	58.21
	10.75 प्रतिशत ऋण, 2000 (पांचवा निर्गम)	10.75% Loan, 2000 (Fifth Issue)	50.51	..	50.51
	11.25 प्रतिशत ऋण, 2005 (पांचवा निर्गम)	11.25% Loan, 2005 (Fifth Issue)	101.59	..	101.59
	11.50 प्रतिशत ऋण, 2010 (पांचवा निर्गम)	11.50% Loan, 2010 (Fifth Issue)	774.13	..	774.13
	जोड़	**Total**	**984.44**	..	**984.44**
	कुल जोड़	**Grand Total**	**8530.91**	**458.45**	**8989.36**
	घटाइए-वापसी अदायगी	*Less Repayments*			*(-)987.72*
	निवल	**Net**			**8001.64**

टिप्पणी:- अभिदान और वापसी अदायगी को उपरोक्त वास्तविक आंकड़े अनन्तिम है।

Note:- The above figures of actual subcriptions and repayments are provisional.

निम्नलिखित सारणी में 1990-91 के दौरान अब तक जुटाई गई राशि का उधार-वार सारांश दिया गया है :

The following table gives the loan-wise summary of the amount raised during 1990-91

लिए गए उधार	Loan raised	अभिदान की धनराशियां Amounts subscribed — नकद Cash	रूपांतरण Conversion	जोड़ Total
10.50 प्रतिशत ऋण, 1995	10.50% Loan, 1995	291.40	0.19	291.59
10.75 प्रतिशत ऋण, 2000	10.75% Loan, 2000	204.86	1.90	206.76
11.25 प्रतिशत ऋण, 2005	11.25% Loan, 2005	1099.30	238.92	1338.22
11.50 प्रतिशत ऋण, 2010	11.50% Loan, 2010	6935.35	217.44	7152.79
जोड़	**Total**	**8530.91**	**458.45**	**8989.36**

बजट अनुमान, 1991-92

निम्नलिखित ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 1991-92 में विमोचित किया जाएगा :

Budget Estimates 1991-92

The following loans with outstanding balances indicated against each are due for discharge in 1991-92:

		(करोड़ रुपए Rs. crores)
10.00 प्रतिशत ऋण, 1991	10.00% Loan, 1991	55.26
7.75 प्रतिशत ऋण, 1991	7.75% Loan, 1991	740.76
5.50 प्रतिशत ऋण, 1991	5.50% Loan, 1991	118.03
6.25 प्रतिशत ऋण, 1991	6.25% Loan, 1991	121.41
6.75 प्रतिशत ऋण, 1991	6.75% Loan, 1991	382.72
जोड़	**Total**	**1418.18**

बजट में प्रत्याशित कुल उधारों की उपर्युक्त निवल वसूलियां 7499.82 करोड़ रुपए है ।

The total borrowings assumed in the Budget net of the above recoveries amount to Rs. 7499.82 crores.

2. विदेशी सहायता

बजट 1990-91 में विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) से 5641.73 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है । इसके मुकाबले संशोधित अनुमान 1990-91 में 6241.49 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था । 1991-92 के बजट में 6914.97 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान है ।

1990-91 के बजट में वापसियों के लिए 2122.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी जबकि संशोधित अनुमानों में 2257.28 करोड़ रुपए की वापसी की व्यवस्था थी । 1991-92 में वापसी के लिए 3405.08 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है । बजट अनुमान 1991-92 में वापसी अदायगी पर 1 और 3 जुलाई, 1991 को प्रभावी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल है।

इस प्रकार विदेशी सहायता से होने वाली निवल प्राप्तियों की राशि 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 3984.21 करोड़ रुपए और 1991-92 के बजट अनुमानों में 3509.89 करोड़ रुपए दिखाये गये है।

विदेशी सहायता की प्राप्तियों और चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में मूल धन की वापसियों के अनुमान का सारांश नीचे दिया गया है :-

2. External Assistance :

Budget 1990-91 assumed a gross receipt of Rs. 5641.73 crores from external assistance (excluding external grants). As against this, the Revised estimate 1990-91 was placed at Rs. 6241.49 crores. Gross receipts for 1991-92 are estimated at Rs. 6914.97 crores.

Budget 1990-91 provided for repayments of Rs. 2122.43 crores against which the Revised estimate was placed at Rs. 2257.28 crores. The repayments in 1991-92 are estimated at Rs.3405.08 crores. Budget Estimate 1991-92 takes into account the impact of changes in exchange rates, effected on Ist and 3rd July, 1991 on repayments.

The net receipts from external assistance were thus placed at Rs. 3984.21 crores in the Revised Estimates 1990-91 and BE 1991-92 is placed at 3509.89 crores.

A summary of estimates of receipts of external assistance and repayment of the principal in the current year and in the next is given below :—

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. प्राप्तियां	**A. Receipts**			
(i) विदेशी उधार	*(i) External loans*	5384.66	5669.15	6543.80
(ii) आवर्ती निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	*(ii) Receipts under Revolving fund*	257.07	572.34	371.17
जोड़-प्राप्तियां	**Total Receipts :**	5641.73	6241.49	6914.97
ख. वापसी अदायगियां	**B. Repayments**	-2122.43	-2257.28	-3405.08
निवल प्राप्तियां :	**Net receipts :**	3519.30	3984.21	3509.89

और अधिक ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 8 में दिए गए हैं। कृपया उस अनुबंध के ऊपर की सारणी के अधीन टिप्पणी भी देखें।

Further details are given in Annexure 8 to this document. Please also see note under the top table in that Annexure.

3. उधारों और अग्रिमों की वसूलियां

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले) और गैर-सरकारी पार्टियों से वसूल किए गए उधारों का अनुमान इस प्रकार है ।

3. Recoveries of Loans and Advances

The estimates of recoveries of loans and advances made by the Central Government to the State Governments, Union Territories (with Legislature) and Non-Government parties are as follows:-

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
वसूलियां:	Recoveries from:			
(i) राज्य सरकारों से	(i) State Governments	2927.29	3797.45	3142.74
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधान मंडल वाले)	(ii) Union Territories (with Legislature)	10.00	18.58	17.40
(iii) अन्य	(iii) Others	1638.90	2189.25	2506.00
जोड़-उधारों और अग्रिमों की वसूलियां	**TOTAL- Recoveries of Loans and Advances**	**4576.19**	**6005.28**	**5666.14**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-	*(a) The recoveries from State Governments exclude*			
(1) अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम	*(1) Short-term ways and means advances*	*700.00*	*700.00*	*700.00*
(2) कृषि निविष्टियों के लिए ऋण	*(2) Loans for agricultural inputs*	*310.00*	*298.40*	*310.00*
(ख) सरकारी कर्मचारियों आदि से की गई वसूलियां जिन्हें व्यय बजट में रखा गया है गैर-सरकारी पार्टियों से की गई वसूलियों में शामिल नहीं हैं :-	*(b) The recoveries from non-Government parties exclude recoveries from Government servants, etc. which are netted in the Expenditure Budget*	*99.00*	*91.36*	*102.21*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(i) राज्य सरकारों से वसूलियों का ब्यौरा:-	**(i) Details of Recoveries from State Governments:–**			
(क) 1979 से पहले के समेकित ऋण	(a) Pre-1979 Consolidated loans	369.93	369.93	369.93
(ख) 1979-84 के समेकित ऋण	(b) 1979-84 Consolidated Loans	356.01	356.01	356.01
(ग) 1979-84 के ओवर ड्राफ्ट ऋण	(c) 1979-84 Overdraft Loans	29.97	29.97	29.97
(घ) 1984-89 के समेकित ऋण (राज्य आयोजना स्कीमों के लिए)	(d) 1984-89 Consolidated Loans (for State Plan Schemes)	1600.00	1095.56	1095.56
(ङ) 1984-89 के समेकित ऋण (पूर्व संघ राज्य क्षेत्रों गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को दिए गए अग्रिम)	(e) 1984-89 Consolidated Loans (advanced to Ex-U.Ts of Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh)	..	16.15	16.15
(च) 1984-85 से 1990-91 तक के दौरान आयोजनागत और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋण	(f) Loans for Plan and Non-Plan purposes advanced during 1984-85 to 1990-91	..	446.86	521.26
(छ) अल्प बचतों के संग्रह के एवज में ऋण	(g) Loans against Small Savings collections	450.51	491.94	609.23
(ज) 1984-85 से 1990-91 में संसाधनों को पूरा करने के लिए दिये गये ऋण	(h) Loans to cover gap in resources advanced during 1984-85 to 1990-91	23.00	23.00	143.01
(झ) वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार बट्टे खाते डाले गए ऋण	(i) Loans written off in terms of the recommendations of the Finance Commission	96.25	966.41	...
(ञ) अन्य ऋण	(j) Other Loans	1.62	1.62	1.62
जोड़	**Total**	**2927.29**	**3797.45**	**3142.74**

(क) और (ख) - आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जैसा कि वे सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं, राज्य सरकारों को 1983-84 तक दिए गए और 1984-85 के अन्त तक बकाया केन्द्रीय ऋणों को समेकित किया गया है । समेकन के प्रयोजन से वित्त आयोग ने 1978-79 तक दिए गए ऋणों और 1979 से 1984 तक दिए गए ऋणों को अलग-अलग माना था। यद्यपि कुछ राज्यों के संबंध में 1979 से पहले के ऋणों की शर्तों में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन अन्य राज्यों के मामले में इन ऋणों को 25 वर्षीय ऋणों अथवा 30 वर्षीय ऋणों के रूप में समेकित करने की सिफारिश की गई है । जहां तक 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों का संबंध है, इन ऋणों को सभी राज्यों के मामले में, 15 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक की अवधियों के ऋणों के रूप में समेकित कर दिया गया है । नौवें वित्त आयोग ने अपनी 1989-90 के लिए पहली रिपोर्ट में और 1990-95

(a) & (b): In pursuance of the recommendations of the Eighth Finance Commission, as accepted by the Government, the Central loans advanced to the State Governments upto 1983-84, and outstanding as at the end of 1984-85, have been consolidated. For purposes of consolidation, the Finance Commission had treated loans advanced up to 1978-79 and those advanced during 1979-84 differently. While no change has been recommended in the terms of pre-1979 loans in the case of some States, these loans have been recommended to be consolidated into either 25 year loans or 30 year loans in the case of others. As regards loans advanced during 1979-84, these have been consolidated in the case of all the States with periods ranging from 15 years to 30 years. The Ninth Finance Commission in their First Report

के लिए दूसरी रिपोर्ट में इन समेकित ऋणों के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है ।

(ग) ये वसूलियां राज्यों को 1982-83 और 1983-84 में उनके ओवरड्राफ्टों को चुकाने के लिए दिए गए ऋणों की हैं । इन ऋणों को आठवें/नौवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित समेकन योजना के अन्तर्गत समेकित नहीं किया गया ।

(घ) नौवें वित्त आयोग की 1990-95 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार, जैसा कि सरकार द्वारा मंजूर किया गया है, राज्य सरकारों को 1984-89 के दौरान दिए गए और 1989-90 के अन्त में बकाया राज्य आयोजना ऋणों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है ।

(ङ) नौवें वित्त आयोग की 1990-95 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार, जैसा कि सरकार द्वारा मंजूर की गई हैं, संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गोवा और मिजोरम सरकारों द्वारा 1986-87 तक की योजनाओं के लिए प्राप्त अधिक केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते डालने के बाद, 31.3.1990 को बकाया शेष राशियों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है ।

(च) जबकि मूल बजट और संशोधित बजट 1990-91, 1984-85 से 1989-90 के दौरान आयोजनागत और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में, वसूलियों से संबंधित है, 1991-92 का बजट उन वर्षों में दिए गए ऋणों और 1990-91 के दौरान दिए गए ऋणों पर आधारित है ।

1989-90 में राज्य आयोजनाओं के लिए 1990-91 से आगे स्वीकृत ऋणों की परिपक्वता अवधि, 15 वर्ष के बजाए, 20 वर्ष होगी और उनकी वापसी अदायगी 20 समान किस्तों में की जाएगी । परन्तु, इनमें से 50 प्रतिशत ऋणों के लिए पांच वर्ष की रियायती अवधि दी जाएगी, जिसके बाद इन ऋणों की वापसी अदायगी 15 समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी।

नौवें वित्त आयोग ने अपनी वर्ष 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में 1984-89 के दौरान पंजाब को दिए गए विशेष ऋणों (2301 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में मूल ऋणों की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी के लिए स्थगन अवधि की सिफारिश की है ।

पंजाब राज्य सरकार को वर्ष 1989-90 में (560.01 करोड़ रुपए) और 1990-91 में (800 करोड़ रुपए) दिए गए विशेष ऋणों के सम्बन्ध में पंजाब को वर्ष 1991-92 में अतिरिक्त स्थगन अवधि मंजूर की गई है।

(छ) अल्प बचत ऋण भी उन ऋणों में से है, जिनको आठवें वित्त आयोग की समेकन योजना के अन्तर्गत समेकित नहीं किया गया । इन ऋणों की वसूली जो पहले रोक दी गई थी, 1985-86 से फिर से शुरू कर दी गई है। नौवें वित्त आयोग ने अल्प बचतों में संग्रहित राशियों के प्रति केन्द्रीय ऋणों से संबंधित मौजूदा शर्तों में परिवर्तन करने का कोई सुझाव नहीं दिया है ।

इन ऋणों पर मूलधन की वापसी अदायगी की आस्थगन अवधि 5 वर्ष है और वापसी अदायगी की अवधि 25 वर्ष है जिसमें आस्थगन अवधि शामिल है । अगले वर्ष में वृद्धि का कारण 1985-86 में दिए गए ऋणों की वापसी अदायगी किस्त का शुरू होना है ।

(ज) संशोधित अनुमान 1990-91 में इन ऋणों के संबंध में 23 करोड़ रुपए की वसूली होने का अनुमान है । 1991-92 में वृद्धि वर्ष 1990-91 में अनुमानित दिए जाने वाले 520.51 करोड़ रुपए की राशि के 4 वर्षीय ऋणों के कारण है।

(झ) नौवें वित्त आयोग की 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, जो सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है, चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित ऋणों को बट्टे खाते डाल दिया गया है :-

(i) 1986-87 से 1988-89 के दौरान वार्षिक आयोजना परिव्यय के पांच प्रतिशत के अतिरिक्त राज्यों को दिए गए सूखा ऋण (519.57 करोड़ रुपए);

(ii) भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को राहत कार्यों के लिए 1984-89 के दौरान दिए गए ऋण (91.62 करोड़ रुपए); और

(iii) अरुणाचल प्रदेश, गोवा तथा मिजोरम द्वारा अपनी आयोजनाओं के लिए 1986-87 तक, संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में, प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण (355.22 करोड़ रुपए)।

(ञ) यह वसूली हीराकुड चरण-I से सम्बद्ध ऋणों की है जो कि उड़ीसा सरकार को दिए गए थे । ये समेकन योजना के अन्तर्गत नहीं आते है।

for 1989-90 and Second Report for 1990-95 have not recommended any change in respect of these consolidated loans.

(c) These recoveries pertain to loans given to States in 1982-83 and 1983-84 to overcome their overdraft difficulties. These loans were not covered by the scheme of consolidation of the Eighth/Ninth Finance Commission.

(d) In pursuance of the recommendations of the Ninth Finance Commission contained in its second Report for the period 1990-95, as accepted by the Government, the State Plan loans advanced to State Government during 1984-89 and outstanding as at the end of 1989-90 have been consolidated into 15 year loans.

(e) In pursuance of the recommendation of the Ninth Finance Commission contained in the Second Report for the period 1990-95, as accepted by the Government, the remaining outstanding balance as on 31.3.1990, after write-off of the excess of central loans received by the Government of Goa and Mizoram for plans upto 1986-87 as Union Territories, have been consolidated into 15 year Loans.

(f) While the original Budget and the Revised 1990-91 relate to recoveries in respect of loans advanced for Plan and Non-Plan purposes during 1984-85 to 1989-90, Budget 1991-92 is based on loans advanced during those years and also loans advanced during 1990-91.

The maturity period of the loans sanctioned for State Plans from 1990-91 onwards will be 20 years, instead of 15 years in respect of loans sanctioned in 1989-90, repayment being made in 20 equal annual instalments. However, fifty percent of these loans will enjoy a five year initial grace period, after which the repayments of these loans will be effected in 15 equal annual instalments.

The Ninth Finance Commission in its Second Report for 1990-95 have recommended moratorium on repayment of principal and payment of interest during 1990-91 and 1991-92 in respect of special loans given to Punjab during 1984-89 (Rs. 2301 crores).

The additional moratorium has been granted to Punjab in 1991-92 year in respect of Special loans advanced to the State Government in 1989-90 (Rs. 560.01 crores) and 1990-91 (Rs. 800 crores).

(g) Small Savings loans are also among those loans not covered by the scheme of consolidation of the Eighth Finance Commission. The recovery of these loans suspended earlier has been resumed from 1985-86. The Ninth Finance Commission have not suggested any change in the existing terms and conditions relating to central loans against the small savings collections.

These loans carry moratorium of 5 years towards repayment of principal, and the period of repayment is 25 years including moratorium period. The increase in next year is due to commencement of the repayment instalment of loans advanced in 1985-86.

(h) Revised Estimate 1990-91 assumes recoveries of Rs.23 crores in respect of these loans. Increase in 1991-92 is due to 4 years loans amounting to Rs.520.51 crores estimated to be advanced in 1990-91.

(i) In pursuance of the recommendation of the Ninth Finance Commission made in Second Report for 1990-95, as accepted by the Government, the following loans have been written off during the current year:-

(i) Drought loans advanced to States over and above five percent of annual plan outlays during 1986-87 to 1988-89 (Rs.519.57 crores);

(ii) Loans advanced to Government of Madhya Pradesh during 1984-89 for relief works relating to Bhopal Gas Leak Tragedy (Rs.91.62 crores); and

(iii) Excess of the Central loans received by the Government of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram for their plan upto 1986-87, as Union Territories, and outstanding as on 31.3.1990 (Rs.355.22 crores).

(j) The recovery relates to Hirakud Stage-I loans advanced to Government of Orissa, which are not covered by the scheme of consolidation.

उपर्युक्त अनुमानों में नौवें वित्त आयोग की सरकार द्वारा यथास्वीकृत ऋण राहत संबंधी सिफारिशों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

The estimates above take into account the effect of recommendations of the 9th Finance Commission regarding debt relief as accepted by the Government.

(ii) **संघ राज्य क्षेत्रों से (विधान मंडल सहित) वसूलियां:** ये वसूलियां पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में है ।

(ii) **Recoveries from Union Territories (with Legislature):** The recoveries are in respect of loans advanced to the Union Territorry of Pondichery.

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी अदायगी :** संशोधित अनुमान, 1990-91 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को छोड़कर अन्य पार्टियों अर्थात् सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों, वित्तीय संस्थाओं, विदेशी सरकारों, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि तथा सरकारी सेवकों से ऋणों की वसूलियों के रूप में 2189.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था । 1991-92 के दौरान 2506 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है जिसमें रेलवे विकास निधि को सामान्य राजस्व से दिए गए ऋण की वसूली की 58 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। इनका स्थूल ब्यौरा इस प्रकार है:-

(iii) **Repayments by Others:** Loan repayments by parties other than State and Union Territory Governments, viz. foreign Governments, industrial and commercial enterprises and financial institutions in the public sector, municipalities, Port Trusts, private sector companies and institutions, cooperatives, etc. were estimated at Rs.2189.25 crores in RE 1990-91. During 1991-92, repayment estimates are placed at Rs.2506 crores which also include Rs.58 crores towards recovery of loans advanced from General Revenues to Railway Development Fund. The broad details are:–

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
(क) विदेशी सरकारें	(a) Foreign Governments	372.25	787.62	1202.92
(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय आदि	(b) Public Sector enterprises, statutory bodies etc.	1266.65	1401.63	1303.08
जोड़	**Total**	**1638.90**	**2189.25**	**2506.00**

विदेशी सरकारों से होने वाली वसूलियों में तकनीकी उधारों के संबंध में संशोधित अनुमानों में 760.80 करोड़ रुपए और 1991-92 बजट में 1150 करोड़ रुपए की राशि शामिल है ।

Recoveries from foreign governments included Rs.760.80 crores in Revised Estimates 1990-91 and Rs.1150 crores in Budget 1991-92 on account of technical credits.

4. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश

4. Disinvestment of equity holdings in public sector enterprises.

ये प्राप्तियां सरकारी क्षेत्र के चुनीदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के सरकारी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों और वित्तीय/निवेश संस्थाओं में आंशिक विनिवेश के कारण है। वर्ष के दौरान सरकारी खाते में प्राप्तियों का वास्तविक समायोजन ऐसे लेन-देनों पर लागू सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

The receipts are on account of partial disinvestment of Central Government's holdings in the equity capital of selected public sector enterprises to mutual funds and financial/investment institutions in the public sector. The actual adjustment of the receipts in the Government account during the course of the year will be made according to the normal accounting principles applicable to such transactions.

5. अल्प बचतें, लोक भविष्य निधि और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए जमा योजना

5. Small Savings, Public Provident Fund and Deposit Schemes for Retiring Government Employees/employees of Public Sector Companies.

अनुमान, वापसी अदायगियों को घटाकर निम्नलिखित हैं:

The estimates, net of repayments, are as follows:

(i) अल्प बचतें	(i) Small Savings	5000.00	7280.00	7210.00
(ii) लोक भविष्य निधि	(ii) Public Provident Fund	450.00	700.00	760.00
(iii) सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के लिए जमा योजना	(iii) Deposit Scheme for Retiring Government Employees/Employees of Public Sector Companies	50.00	20.00	30.00
जोड़	**Total**	**5500.00**	**8000.00**	**8000.00**
राज्यों का हिस्सा	*States Share*	*4500.00*	*6770.00*	*6865.00*
केन्द्र के पास निवल शेष	***Net to Centre***	***1000.00***	***1230.00***	***1135.00***

(i) **अल्प बचतें:-** अल्प बचत के साधनों में, डाक घर बचत खाते, डाकघर सावधिक निक्षेप खाते, डाकघर आवर्ती निक्षेप खाते, राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना तथा डाकघर मासिक आय योजना और किसान विकास पत्र शामिल हैं।

(i) **Small Savings:** The small savings instruments comprise post office savings accounts, post office time deposits, post office recurring deposits, national saving certificates, Indira vikas patra, national saving scheme, post office monthly income scheme and kisan vikas patra.

अल्प बचत संग्रहों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, स्कीमों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :-

(क) 1990-91 से राष्ट्रीय बचत योजनाओं में अधिकतम जमा राशि की सीमा 30,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई है। योजना के अन्तर्गत एक महीने में राशियां जमा करने की संख्या पर लगी पाबन्दी हटा दी गई है ।

(ख) डाकघर आवर्ती जमा नियमों में संशोधन किया गया है। खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष के बाद यह पहले ही बंद किया जा सकता है परंतु ऐसे समय पूर्व खाता बंदी पर केवल डाकघर बचत खाते की ब्याज दर पर ही ब्याज देय है। छठे चूक के महीने से छः महीने की अवधि के भीतर चूक फीस का भुगतान करके ही खाता पुनः खोलने की अनुमति होगी। 1.4.1991 को अथवा उसके बाद खोले गए 10 रुपए मूल्य वर्ग के किसी खाते का परिपक्वता मूल्य बढ़ाकर 811.10 रुपए कर दिया गया है।

With a view to step up the small savings collections, the following changes in the schemes have been made.

(a) The limit of maximum deposits in National Savings Scheme has been raised from Rs.30,000 to Rs.40,000 in 1990-91. The restriction on number of deposits in a month under the Scheme has been removed.

(b) Post Office Recurring Deposit Rules have been amended. The account can be closed prematurely after one year from the date of opening the account but interest only at the Post Office Savings account rate is payable on such premature closure. Revival of account is permitted only within a period of six months from the month of sixth default, on payment of a defaulted fee. The maturity value of an account of Rs.10 denomination opened on or after 1.4.1991 stands raised to Rs.811.10.

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र-VIIIवां निर्गम को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवास वित्त निगम के पास प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखना प्राधिकृत कर दिया गया है।

(घ) डाकघर आवधिक जमा नियमों को संशोधित कर दिया गया है। 3 वर्षीय और 5 वर्षीय डाकघर आवधिक जमा खाते में जमाराशि पर ब्याज की दर को 1.4.1991 से 10.5 प्रतिशत और 11 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 11 प्रतिशत और 11.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

अल्प बचत योजनाओं की समीक्षा के परिणामस्वरूप सामाजिक प्रतिभूति पत्रों की बिक्री 1.9.90 से समाप्त कर दी गई है ।

(ii) **लोक भविष्य निधि :-** लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत तैयार की गई लोक भविष्य निधि योजना के अधीन जमा की गई राशियों पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर कटौती में छूट मिलेगी । एक अभिदाता एक वर्ष में 60,000 रु. तक की राशि जमा कर सकता है जब कि कम से कम 100 रुपए प्रति वर्ष जमा करना जरूरी है। इन जमा राशियों पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर कर मुक्त ब्याज मिलता है । इस योजना के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के नाम से और हिन्दू अविभाजित परिवार की ओर से खाते खोले जा सकते हैं।

(iii) **सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना:** यह योजना 1 जुलाई, 1989 से चालू की गई थी । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत अपने सेवा निवृत्ति लाभों का निवेश कर सकते हैं । इस योजना का प्रचालन भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुनी हुई शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत किए गए निवेशों पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा जो छः माह के पश्चात् देय होगा। बाण्डों के मूल्य की राशि पर धनकर से छूट है और ब्याज आय कर मुक्त है । निवेशकर्ताओं को राशि जमा करने की तारीख से 3 वर्ष के पश्चात जमाराशि निकाल लेने का विकल्प है ।

(iv) **सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना :** यह योजना 1 जनवरी, 1991 से शुरू की गई है और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना जैसी ही है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों के सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों द्वारा निवेश के लिए खुली है ।

प्रत्येक राज्य में किए जाने वाले बचतों के निवल संग्रह लोक भविष्य निधि के तीन चौथाई हिस्से तक के दीर्घावधिक ऋण राज्य सरकारों को स्वीकृत किए जाते हैं । इसके अलावा स्थिर दीर्घावधिक बचतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण भी दिया जाता है यदि राज्य में हुए सकल संग्रह के प्रति अल्प बचतों के निवल संग्रह का अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक बैठे । उपर्युक्त अखिल भारतीय प्रतिशत अनुपात से राज्य के प्रतिशत अनुपात में होने वाली 5 प्रतिशत की प्रत्येक वृद्धि के संबंध में राज्य में होने वाले निवल संग्रह के 2.5 प्रतिशत के बराबर की राशि का अतिरिक्त ऋण भी प्रदान किया जाता है ।

राज्य सरकारें भी सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों और प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना के अधीन निवल संग्रहों के 50 प्रतिशत तक लेने की हकदार हैं।

6. ***राज्य भविष्य निधियां :-*** इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेनदेन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य-निधियों से सम्बद्ध होते हैं। जो रकमें जमा की जाती हैं उनमें से निधि में जमा की गई राशियों तथा शेष राशि पर ब्याज और निकासियों तथा अस्थायी अग्रिमों की राशियां घटा दी जाती है । पहली अप्रैल, 1986 से जमा रकमों पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा । बजट अनुमान 1990-91 में कुल 1130 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था । इसकी तुलना में संशोधित अनुमान में 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी । वर्ष 1991-92 के बजट में 1300 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति आंकी गई है।

7. ***विशेष जमा योजना:-*** गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षता और उपदान निधियों द्वारा अपनी निवल प्राप्तियों और जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदि के अधिशेषों में से सरकार के पास किए जाने वाले निवेशों के भाग के रूप में संशोधित अनुमान 1990-91 में 8004 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था। बजट अनुमान 1991-92 में इस मद में 7763 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है।

(c) Pledging of National Savings Certificates VIII Issue as a security with housing finance companies, as approved by the National Housing Bank has been authorised.

(d) Post Office Time Deposit Rules have been amended. The rate of interest on deposits in 3 year and 5 year POTD accounts have been raised from 10.5% and 11% to 11% and 11.5% respectively with effect from 1.4.1991.

As a result of review of the small savings schemes, the sale of Social Security Certificates has been discontinued with effect from 1.9.1990.

(ii) **Public Provident Fund:** Deposits under the Public Provident Fund Scheme framed under the Public Provident Fund Act, 1968 qualify for tax deduction under the Income-tax Act. A subscriber can make deposits upto Rs.60,000 in a year, while the minimum deposit necessary in a year is Rs.100. These deposits carry a tax-free interest at 12 per cent per annum. Under the Scheme accounts can be opened in the name of individual and on behalf of HUF.

(iii) **Deposit Scheme for Retiring Government Employees:** This scheme was introduced from Ist July, 1989. The retired/retiring Central and State Government employees can invest their retirement benefits under the scheme which is being operated through selected branches of State Bank of India and nationalised banks. The investments under this scheme earn interest at the rate of 9% per annum payable half yearly. The value of deposits is exempt from Wealth tax and the interest income is exempt from Income-tax. The investors have the option to withdraw the deposit after 3 years from the date of deposit.

(iv) **Deposit Scheme for Retiring Employees of Public Sector Companies :** The scheme has been introduced from 1st January, 1991 and is on the lines of Deposits Scheme for Retiring Government Employees. The scheme is open to investment by retired/retiring employees of Public Sector Banks, LIC, GIC and other Public Sector Companies.

Long term loans are advanced to the State Governments to the extent of three-fourth of the net collections under Small Savings and the Public Provident Fund in each State. Further, with a view to encourage stable long term savings, additional loan is advanced to State Government if the percentage of net Small Saving collections to gross collections in the State exceeds the all India percentage in this behalf by more than 5 per cent. Additional loan is given to the extent of 2.5 per cent of the net collections in the State for every 5 per cent increase in the State's percentage over the all India percentage.

State governments are also entitled to long term loans to the extent of 50 per cent of the net collections under the Deposit schemes for Retiring Government Employees/Retiring employees of Public Sector Companies in each State.

6. ***State Provident Funds:-*** The transactions under this head relate to various Provident Funds of Government employees. Credit assumed is net of the deposits into the funds including interest and withdrawals / temporary advances therefrom. Effective from 1.4.1986, the deposits carry interest at 12 per cent per annum. Net accretions to the Funds were assumed at Rs. 1130 crores in 1990-91 against which the R.E. was placed at Rs.1200 crores. Budget 1991-92 assumes a net accretion of Rs. 1300 crores.

7. ***Special Deposit Schemes:-*** Investments with Government of part of net accretions by non-Government provident funds, superannuation and gratuity funds and of surplus funds of Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, Employees' State Insurance Corporation, etc. were estimated at Rs.8004 crores in Revised Estimates 1990-91. Budget Estimates 1991-92 assume a credit of Rs.7763 crores on this account.

8. अन्य प्राप्तियां: इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों तथा निक्षेपों आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है । इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैं:

(i) 182 दिनों की राजकोषीय हुंडियां

182 दिनों की राजकोषीय हुंडियां, वित्तीय संस्थानों (जैसे बैंक आदि) और अन्य पार्टियों को अल्पावधिक निवेश का अवसर प्रदान करती है। इन हुंडियों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बोली के आधार पर सावधिक रूप में विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है । इन हुंडियों को भारतीय रिजर्व बैंक से बट्टे पर दुबारा नहीं भुनाया जा सकता । संशोधित अनुमान 1990-91 में 200 करोड़ रुपए के निवल ऋण के मुकाबले बजट अनुमान 1991-92 में 300 करोड़ रुपए के निवल ऋण का अनुमान लगाया गया है ।

(ii) 9 प्रतिशत राहत बांड, 1987

इन बांडों से संबंधित योजना, पहली दिसम्बर, 1987 को लागू की गई थी । इन बांडों में एकल व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त परिवार पूंजी का निवेश कर सकते हैं, जिसके संबंध में कोई सीमा नहीं रखी गई है । एकल व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से बांडों को धारित करने की अनुमति है। बांडों की परिपक्वता अवधि 5 वर्ष की है । इन पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है । इन बांडों की बिक्री से संशोधित अनुमान 1990-91 में और बजट अनुमान 1991-92 में 175 करोड़ रुपए की प्राप्ति मान ली गई है ।

(iii) अनिवार्य जमा के आधार पर उधार

वर्ष 1990-91 के बजट में, अनिवार्य जमा (आय कर दाता) योजना, 1974 के अन्तर्गत जमा के आधार पर लिए गए उधारों की वापसी अदायगी के लिए 105 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । संशोधित अनुमानों में भी उतनी ही रकम की व्यवस्था की गई थी । बजट 1991-92 में ऐसी वापसी अदायगी के लिए 55 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल कर ली गई है, जो अंतिम किस्त है ।

(iv) विशेष धारक बाण्ड, 1991

विशेष धारक बाण्ड, 1991 की बिक्री दो चरणों में अर्थात् 2 फरवरी, 1981 से 30 अप्रैल, 1981 तक, और 1 दिसंबर, 1981 से 9 जनवरी, 1982 तक की गई थी । बाण्डों की वापसी-अदायगी जारी किए जाने की तारीख से 10 वर्ष के पश्चात् की जाएगी । पहले चरण में बिक्री किए गए बाण्ड वापसी के लिए परिपक्व हो गए हैं। जारी किए गए बाण्ड 10,000 रु. के मूल्य वर्गों के थे और बाण्डधारी परिपक्वता अवधि पूरी हो जाने पर प्रत्येक बांड के 12,000 रु. प्राप्त करने के हकदार हैं । 2,000 रु. के फर्क की राशि ब्याज की राशि मानी जाएगी ।

बाण्डों की बिक्री से कुल 964.26 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। संशोधित अनुमान 1991-92 में 31.3.1981 तक बेचे गए बाण्डों के सम्बन्ध में मूलधन की वापसी अदायगी के लिए 88 करोड़ रुपए और ब्याज की अदायगी के लिए 17.60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । बजट अनुमान 1991-92 में शेष राशि की वापसी अदायगी के लिए 876.26 करोड़ रुपए और ब्याज के लिए 175.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(v) रेलवे आरक्षित निधियां

8. Other Receipts: These show the net effect of transactions occurring under the other funds and accounts, deposits, etc. heads. Some of the items included here are:

(i) 182 Days Treasury Bills

182 days treasury bills offer short term investment opportunity to financial institutions (like banks, etc.) and other parties. These bills are periodically offered for sale on auction basis by the Reserve Bank of India. The bills cannot be rediscounted with the Reserve Bank of India. B.E. 1991-92 assumes a net credit of Rs.300 crores as compared to Rs.200 crores assumed in RE 1990-91.

(ii) 9% Relief Bonds, 1987.

This Bond Scheme was introduced from 1st December, 1987. The Bonds are open to investment without limit by individuals and Hindu Undivided Families; joint holding by individuals is also permitted. The Bonds which carry tax free interest at 9% per annum have a maturity period of 5 years. Revised Estimates 1990-91 and Budget Estimates 1991-92 assume a receipt of Rs.175 crores each from sale of these Bonds.

(iii) Borrowings against Compulsory Deposit

Budget for 1990-91 provided Rs.105 crores for repayment of borrowings against deposits under the Compulsory Deposit (Income-tax payers) Scheme 1974. The Revised Estimates were placed at the same level. Budget 1991-92 includes Rs.55 crores for such repayment, which is the last instalment.

(iv) Special Bearer Bonds, 1991

The Special Bearer Bonds, 1991 were on sale in two phases, namely from 2nd February, 1981 to 30th April, 1981 and from 1st December, 1981 to 9th January, 1982. The Bonds are repayable after 10 years from the date of issue. The Bonds sold in the first phase have matured for redemption. The Bonds issued were of the denomination of Rs. 10,000 and the holders are entitled to receive Rs. 12,000 for every bond on maturity, the difference of Rs. 2,000 being treated as interest.

The total realisation from sale of the bonds amounted to Rs. 964.26 crores. R.E. 1990-91provided 88 crores towards repayment of the principal and Rs. 17.60 crores for interest in respect of bonds sold upto 31.3.1981. BE 1991-92 provides Rs.876.26 crores towards the repayment of the balance amount and Rs.175.25 crores for interest.

(v) Railway Reserve Funds:

(करोड़ रुपए) *(in crores of Rupees)*

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
रेलवे पेंशन निधि	Railway Pension Fund			
जमा	Cr.	918.52	919.33	1071.99
नामे	Dr.	835.00	875.94	963.00
निवल	*Net*	*+83.52*	*+43.39*	*+108.99*
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि	Railway Depreciation Reserve Fund			
जमा	Cr	2026.07	2019.16	2080.73
नामे	Dr.	1820.00	1877.00	1887.00
निवल	*Net*	*+206.07*	*+142.16*	*+193.73*
रेलवे राजस्व प्रारक्षित निधि	Railway Revenue Reserve Fund			
जमा	Cr	0.03	0.03	0.03
नामे	Dr.	–	–	–
निवल	*Net*	*+0.03*	*+0.03*	*+0.03*
रेलवे विकास निधि	Railway Development Fund			
जमा	Cr	243.15	209.78	235.00
नामे	Dr.	243.15	209.78	235.00
निवल	*Net*	..	..	..
रेलवे दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और यात्री सुविधा निधि	Railway Accident, Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund			
जमा	Cr	69.06	67.47	68.48
नामे	Dr.	84.68	86.38	80.83
निवल	*Net*	*-15.62*	*-18.91*	*-12.35*
जोड़	**TOTAL**	**+274.00**	**+166.67**	**+290.40**

(क) रेलवे पेंशन निधि: रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन संबंधी खर्च को पूरा करने के लिए बनाई गई है । हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है । पेंशन संबंधी व्यय को शुरू में "राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों" के रूप में माना जाता है और इसके साथ उसे निधि से वसूली के रूप में दिखा दिया जाता है । वर्ष 1990-91 में निधि में 919.33 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान था जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 2.20 करोड़ रुपए शामिल हैं जबकि निधि से 875.94 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था । 1991-92 में इस निधि में 6.99 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 1071.99 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान है । निधि से 963.00 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है ।

(ख) रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि : इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है । अनुमान है कि इस निधि में 1990-91 में सामान्य राजस्व से ब्याज की अदायगी सहित 2019.16 करोड़ रुपए का और 1991-92 के लिए 2080.73 करोड़ रुपए का अंशदान किया जायेगा । इस निधि से 1990-91 के लिए 1877.00 करोड़ रुपए की रकम और 1991-92 के लिए 1887.00 करोड़ रुपए की राशि निकाली जाएगी ।

(ग) रेलवे राजस्व प्रारक्षित निधि: इस निधि का अथशेष 0.61 करोड़ रुपए है जो निवेश और उस पर प्राप्त लाभांश का द्योतक है । 1990-91 और 1991-92 में इस निधि को ब्याज तथा निवेशों पर लाभांश के रूप में क्रमशः 3 लाख और 3 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान था । इस प्रकार 1991-92 के अन्त में में निधि का इति शेष 0.67 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

(घ) रेलवे विकास निधि: रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना है जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता है । इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के अधिशेष, यदि कोई हो, के उस भाग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है । यदि रेलवे अधिशेष के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर उधार लिए जाते हैं । 1990-91 में रेलवे विकास निधि में जमा की जाने वाली अनुमानित राशियां रेलवे के प्रत्याशित अधिशेष से 155.00 करोड़ रुपए और सामान्य राजस्व से ऋण के रूप में, 54.78 करोड़ रुपए है जो कुल 209.78 करोड़ रुपए की है । 1990-91 के दौरान निधि से निकाली गई राशियां अनुमानतः 209.78 करोड़ रुपए की थी जिसमें सामान्य राजस्वों से लिए गए ऋणों पर ब्याज की अदायगियों के लिए 54.78 करोड़ रुपए शामिल थे । 1991-92 के अनुमानित अधिशेषों से निधि में 235 करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान लगाया गया है।

1991-92 में निधि से 235 करोड़ रुपए की निकासी का अनुमान है, जिसमें से निधि को प्रभार्य कार्य के लिए 125.00 करोड़ रुपए और निधि के अधीन बकाया ऋण पर देय ब्याज के रूप में 52 करोड़ रुपए की राशि और सामान्य राजस्व को बकाया निधि से ऋण की वापसी-अदायगी की 58.00 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

(ङ) रेलवे दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और यात्री सुविधा निधि: यह निधि रेलवे दुर्घटनाओं, कुछ सुरक्षा कार्यों और यात्री सुविधाओं के अन्तर्गत यात्रियों के क्षतिपूर्ति व्यय को पूरा करने के लिए पहली अप्रैल 1974 को स्थापित की गई थी । 1990-91 में निधि में, यात्री यातायात पर लगे अधिभार से अनुमानतः 67.47 करोड़ रुपए और शेष धनराशियों पर ब्याज के रूप में 2.47 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे जबकि निधि से 86.38 करोड़ रुपए की निकासियों के अनुमान हैं । 1990-91 के लिए निधि में कुल मिलाकर अनुमानतः 68.48 करोड़ रुपए जमा होंगे, जिसमें से यात्री यातायात पर लगे अधिभार के समायोजन से 67 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में 1.48 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे । निधि से निकाली जाने वाली राशियां 80.83 करोड़ रुपए की है ।

(a) Railway Pension Fund: is intended to meet the pensionary charges of Railway employees. Suitable amounts are transferred annually to the Fund by debit to revenue and capital expenditure heads. The pensionary charges are initially met as part of revenue and capital expenditure heads and simultaneously shown as recovered from the Fund. Credit to the Fund during the year 1990-91 was estimated at Rs.919.33 crores, including Rs.2.20 crores by way of interest payable by the General Revenues on the balance in the Fund, while withdrawals were estimated at Rs. 875.94 crores. During 1991-92 credit is estimated at Rs. 1071.99 crores, including Rs.6.99 crores on account of interest. Withdrawals are estimated at Rs. 963.00 crores.

(b) Railway Depreciation Reserve Fund: provides for replacement, renewal of assets including the improvement element. Contribution to the Fund inclusive of interest payable by General Revenues was estimated at Rs. 2019.16 crores during 1990-91 and Rs.2080.73 crores for 1991-92. The outgo from the Fund was placed at Rs.1877.00 crores for 1990-91 and Rs. 1887.00 crores for 1991-92.

(c) Railway Revenue Reserve Fund: has an opening balance of Rs. 0.61 crore representing investment and dividend thereon. The Fund was estimated to receive about Rs.3 lakhs during1990-91 and Rs.3 lakhs in 1991-92 as interest and dividend on investments. The Fund is expected to close with a balance of Rs. 0.67 crore at the end of 1991-92.

(d) Railway Development Fund: was set up in 1950 on the recommendation of the Railway Convention Committee, 1949, to meet the cost of all works for providing amenities to passengers and other railway users, the cost of labour welfare works and the entire expenditure on unremunerative improvement works costing more than a prescribed limit. The Fund is financed by appropriation of such portion of the Railway surplus, if any, as may be fixed by the Government and voted by Parliament. If the accumulated balance in the Fund, after transfer of the railway surplus to it, be not enough to meet the expenditure to be financed from the Fund, interest-bearing loans are taken from the General Revenues for credit to the Fund. The credits to the Railway Development Fund were estimated at Rs. 155.00 crores out of anticipated Railway surplus in 1990-91 and Rs.54.78 crores as loan from General Revenues totalling Rs. 209.78 crores. Withdrawals from the Fund during 1990-91 including Rs.54.78 crores for interest payments on loans taken from General Revenues, were also estimated at Rs.209.78 crores. Credits to the Fund 1991-92 are placed at Rs.235 crores out of anticipated surplus.

Withdrawals from the Fund in 1991-92 are estimated at Rs.235 crores, comprising Rs.125.00 crores for Works chargeable to the Fund, Rs. 52 crores of interest payable on the outstanding loan under the Fund and Rs.58.00 crores repayment of loan to the Fund outstanding to General Revenues.

(e) Railway Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund: was set up from 1st April, 1974 to meet expenditure on compensation payable to passengers involved in railway accidents and on certain safety works and passenger amenities. Credits to the Fund in 1990-91 were estimated at Rs.67.47 crores from surcharge on passenger traffic and Rs.2.47 crores as interest on balances while withdrawals were placed at Rs. 86.38 crores. The credits for 1991-92 are estimated at Rs.68.48 crores of which Rs.67 crores will be by adjustment of the element of surcharge in passenger earnings and Rs.1.48 crores as interest. Withdrawals from the Fund are placed at Rs.80.83 crores.

(vi) दूर संचार प्रारक्षित निधि

(vi) Telecommunication Reserve Funds

(करोड़ रुपए) (In Crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
दूर-संचार राजस्व प्रारक्षित निधि	**Telecom.Revenue Reserve Fund**			
जमा	*Credits*	3.80	20.86	34.32
नामे	*Debits*	..	17.00	30.00
निवल	Net	3.80	3.86	4.32
पूंजी प्रारक्षित निधि	**Capital Reserve Fund**			
जमा	*Credits*	1711.06	1450.93	1498.58
नामे	*Debits*	1674.57	1413.78	1456.90
निवल	Net	36.49	37.15	41.68
जोड़	**Total**	**40.29**	**41.01**	**46.00**

(क) दूर-संचार-राजस्व प्रारक्षित निधि : विभाग के कार्यचालन के परिणाम में से, अधिशेष के एक हिस्से को, यदि कोई हो, इस निधि में अंतरित कर दिया है । यदि विभाग सामान्य राजस्व के लिए देय लाभांश की अदायगी, चालू राजस्व में से न कर सके तो इस अदायगी को पूरा करने के लिए निधि में से इसी रकम की निकासी कर ली जाती है । विभाग के कार्यचालन के परिणामों में होने वाले घाटों को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए भी इस निधि में से निकासी की जाती है । दिनांक 1.4.1990 से टैलीमेटिक्स विकास केन्द्र को दिये जाने वाले सहायता अनुदान को भी इसी निधि से पूरा किया जाता है ।

(a) Telecom.Revenue Reserve Fund: A part of the surplus, if any, in the working results of the Department is transferred to this Fund which is drawn upon for meeting payment of dividend to General Revenues in case the Department is not in a position to pay the same from current revenues. The Fund is also drawn upon to meet the deficit, if any, in the working results of the Department. Effective from 1.4.1990, the grant assistance provided to Centre for Development of Telematics is also met from this Fund.

निधि में, वर्ष 1990-91 में, ब्याज की 3.76 करोड़ रुपए की राशि सहित 20.86 करोड़ रुपए की राशि जमा होने का अनुमान था । वर्ष 1991-92 में ब्याज की 4.22 करोड़ रुपए की राशि सहित 34.32 करोड़ रुपए की राशि जमा होने का अनुमान है ।

The credits to the Fund in 1990-91 were estimated at Rs.20.86 crores including Rs.3.76 crores as interest. During 1991-92, credits to the Fund are estimated at Rs.34.32 crores including Rs.4.22 crores as interest.

1991-92 में इस निधि में से निकाले जाने वाली की अनुमानित धनराशियां पिछले वर्ष की ही तरह केवल सी. डोट. को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए ही हैं।

Withdrawals from the Fund in 1991-92, as in the preceding year, are entirely intended for providing grant assistance to C.DOT.

(ख) दूर-संचार पूंजी प्रारक्षित निधि: इस निधि का वित्तपोषण दूरसंचार विभाग के चालू अधिशेष के हिस्से का अंतरण करके किया जाता है तथा इस निधि से इस विभाग के पूंजीगत लेखे में आयोजनागत व्यय (सामान्य राजस्व से प्राप्त बजट समर्थन के अतिरिक्त) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को उनकी योजना के वित्तपोषण हेतु दिये जाने वाले ऋणों की पूर्ति के लिए किया जाता है ।

(b) Telecom. Capital Reserve Fund: The Fund is fed by transfer of a part of the current surplus of the Department of Telecommunications, as may be available, for meeting the Plan expenditure of the Department on Capital account (in addition to the budgetary support from the General Revenues) and for loans advanced to Mahanagar Telephone Nigam Limited for financing their Plan.

वर्ष 1991-92 के दौरान इस निधि को 1498.58 करोड़ रुपए दिए जाने का अनुमान है, जिसमें सामान्य राजस्व से 41.68 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी सम्मिलित है । वर्ष 1991-92 में इस निधि में से 1456.90 करोड़ रुपए की निकासी किये जाने का अनुमान है जो दूरसंचार विभाग (1449.90 करोड़ रुपए) के पूंजी परिव्यय को पूरा करने और विदेशी सहायता से आयात की व्यवस्था का एम.टी.एन.एल. को अंतरण करने के लिए है।

Credits to the Fund in 1991-92 are estimated at Rs.1498.58 crores, including interest of Rs.41.68 crores from General Revenues. Withdrawals from the Fund in 1991-92 estimated at Rs.1456.90 crores are intended to meet the Capital Outlay of DOT (Rs.1449.90 crores) and for transfer of portion of foreign aided imports as loan to MTNL.

(vii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

(vii) International Financial Institutions

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग किया गया है, संबंधी अनुमान इस प्रकार है :

The estimates relating to (a) special securities issued towards India's subscriptions/contribution to International Financial Institutions and (b) certain transactions involving use of Special Drawing Rights (SDRs) with the I.M.F. are :

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

		बजट Budget 1990-91			संशोधित Revised 1990-91			बजट Budget 1991-92		
		प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net	प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net	प्राप्तियां Receipts	भुगतान Discharges	निवल Net
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1. International Monetary Fund	509.40	0.05	*509.35*	549.98	326.18	*223.80*	3410.03	0.05	*3409.98*
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	2. International Bank for Reconstruction and Development	115.77	14.00	*101.77*	115.77	18.00	*97.77*	93.38	28.33	*65.05*
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3. International Development Assocation	..	0.60	*-0.60*	0.00	0.60	*-0.60*	0.00	0.60	*-0.60*
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	4. International Fund for Agricultural Development	4.49	1.85	*2.64*	4.49	1.85	*2.64*	4.83	2.31	*2.52*
5. एशियाई विकास बैंक	5. Asian Development Bank	..	0.10	*-0.10*	..	0.40	*-0.40*	..	0.40	*-0.40*
6. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक	6. African Development Fund and African Development Bank	7.44	4.80	*2.64*	7.44	4.70	*2.74*	7.63	5.53	*2.10*
जोड़	**Total:**	**637.10**	**21.40**	***615.70***	**677.68**	**351.73**	***325.95***	**3515.87**	**37.22**	***3478.65***
एस.डी.आर	***S.D.Rs***	**1250.17**	**1033.73**	***216.44***	**2736.26**	**2562.35**	***173.91***	**1323.86**	**1088.66**	***235.20***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : कोष के करार-पत्र के "मूल्य अनुरक्षण" (एम.ओ.वी.) उपबंधों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन से या जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे । 30 अप्रैल, 1991 को कोष में भारत की मुद्राधारिता के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बजट अनुमान 1991-92 में इसके लिए 1805.03 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था है और उतनी ही राशि प्रतिभूति खाते में जमा के रूप में दिखा दी गई है ।

International Monetary Fund (IMF): Under the 'Maintenance of Value' provision of the Fund's Article of Agreement, the value of the currencies of members held in the General Resources Account is required to be maintained in terms of the Special Drawing Rights and an adjustment in the Fund's holdings of a member's currency pursuant to this provision is made on the occasion of the use of that currency in a operation or transaction between the Fund and another member and at such other times as the Fund may decide or the member may request. As a result of revaluation of Fund's holdings of Indian currency as on April 30, 1991 the Budget Estimates 1991-92 provide Rs. 1805.03 crores as expenditure for this purpose with corresponding credit under securities acccount.

जून, 1990 में नौवीं कौटा समीक्षा के परिणामस्वरूप, भारत का कोटा भाग एस.डी.आर 22077 लाख से बढ़कर एस.डी.आर.30555 लाख हो जाएगा । एस. डी. आर. 8478 लाख की यह वृद्धि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान विनिमय दर पर जनवरी-फरवरी, 1992 तक संदेय होगी। इस वृद्धि का 75% अर्थात् 1605 करोड़ रुपए की राशि अपरक्राम्य निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियों में संदेय होगी ।

As a result of 9th quota review in June 1990 India's quota share will go up from SDR 2207.7 million to SDR 3055.5 million. This increase of SDR 847.8 million would be payable to IMF by January-February, 1992 at the current rate of exchange. Of the increase, 75% i.e. Rs.1605 crores would be payable in non-negotiable, non-interest bearing rupee securities.

विशेष आहरण अधिकार: भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. विभाग का भागीदार है । 1990-91 के दौरान भारत को आबंटित निवल संचित एस.डी.आर. 327.00 लाख बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का नया आबंटन नहीं किया गया । भारत अपने एस.डी.आर. का उपयोग प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए कर सकता है । भारत अपने एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अंशदान की अदायगी के लिये भी कर सकता है ।

Special Drawing Rights (SDRs): India is a participant in the Special Drawing Rights Department of the IMF. During the year 1990-91 the net cumulative allocations of SDR to India remained at SDR 327.00 million as there was no fresh allocation of SDRs. The SDRs are used in transactions such as payment of charges and discharge of repurchase obligations including for payment of additional subscription.

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आबंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है । कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आबंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है । प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर तय किया जाता है ।

The Fund pays interest to each holder on its holding of Special Drawing Rights and levies charges at the same rate on each participant's net cumulative allocation. It also levies assessment charges in regard to administration of the SDR account, for all participants on their net cumulative allocations. The net interest or net charges are settled by crediting or by debiting individual holding account at the beginning of February, May, August and November of each year.

1990-91 के दौरान विस्तारित निधि सुविधा के अन्तर्गत भारत ने 30.4.1984 तक 3900 मिलियन एस.डी.आर. का उपयोग करके 1048 करोड़ रुपए के बराबर की राशि की पुनः खरीद की है । इस उद्देश्य के लिए 1991-92 के बजट में 760.29 करोड़ रुपए की राशि के बराबर एस.डी.आर. की राशि के प्रयोग किए जाने का अनुमान है।

During 1990-91India has repurchased an amount of Rs.1048 crores by using SDRs on account of the drawing of SDR 3900 million made upto 30.4.1984 under the Extended Fund Facility. Budget for 1991-92 assumes use of SDRs for an amount equal to Rs.760.29 crores for this purpose.

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेनदेनों को लोक खाते में "विशेष निकासी अधिकार" नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष निकासी अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्यावस्थित आधार पर जमा करके सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है । इसी प्रकार से विशेष निकासी अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है और इस शीर्ष में उनको प्रत्यावस्थित आधार पर नामे डाल दिया जाता है । विशेष निकासी अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 1990-91 में कुल जमा की गई राशि 2736.26 करोड़ रुपए की है और बजट अनुमान 1991-92 में यह राशि 1323.86 करोड़ रुपए की है । संशोधित अनुमान 1990-91 में कुल मिलाकर नामे डाली गई राशि 2562.35 करोड़ रुपए है और बजट अनुमान 1991-92 में यह राशि 1088.66 करोड़ रुपए की है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक:- वर्ष 1990-91 के बजट अनुमान में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक प्रस्ताव संख्या 425 के अंतर्गत "1988 सामान्य पूंजी वृद्धि" के अन्तर्गत आवंटित 6522 शेयरों की किश्त (45.05 करोड़ रुपये), और मूल्य संबंधी दायित्वों के अनुरक्षण (75.22 करोड़ रुपये) की अदायगी के लिए कुल 95.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। संशोधित अनुमान 1990-91 में वास्तविक अदायगी के समय विनिमय संबंधी परिवर्तनों के कारण यह राशि बढ़ाकर 118.21 करोड़ रुपये कर दी गई थी । इस राशि में से 113.71 करोड़ रुपये की अदायगी अपरक्राम्य निर्ब्याज रुपया प्रतिभूति के रूप में और शेष 4.50 करोड़ रुपये की अदायगी नकद अमरीकी डालर के रूप में की गई थी।

बजट अनुमान 1991-92 में (i) 1988 सामान्य पूंजी वृद्धि के अन्तर्गत आवंटित 6552 शेयरों की तीसरी किस्त की अदायगी के लिए (45.05 करोड़ रुपये), और (ii) मूल्य संबंधी दायित्वों के अनुरक्षण के लिए (51.50 करोड़ रुपये) की अदायगी के लिए कुल 96.55 करोड़ रुपयों की राशि की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा बजट अनुमान 1991-92 में नव गठित विश्व पर्यावरण न्यास निधि में भारत की पहली किस्त के रूप में 1.33 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत, विश्व पर्यावरण का सहयोगी सदस्य होने के रूप में 40 लाख एस. डी. आर. अंशदान करेगा, जिसकी अदायगी बराबर आठ वार्षिक किस्तों में की जाएगी। अदायगी अपरक्राम्य और ब्याज मुक्त रुपए प्रतिभूतियों के रूप में की जाएगी।

97.88 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था में से अमरीकी डालर के रूप में 4.50 करोड़ रुपये और रुपया प्रतिभूति के रूप में 93038 करोड़ रुपये की राशि देय है । 1990-91 के संशोधित अनुमान में 18 करोड़ रुपये के मूल्य की प्रतिभूतियों को नगदीकरण के लिए व्यवस्था है । 1991-92 के बजट अनुमान में 28.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से 24 करोड़ रुपये परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भुनाए जाएंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ : 1990-91 के संशोधित अनुमानों और 1991-92 के बजट अनुमानों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष 60 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि: भारत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, मूल सदस्यों में से एक है । भारत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों के तीसरे पुनर्भरण के संबंध में 8 मिलियन डालर का अंशदान करने के लिए सहमत हो गया है । यह अंशदान तीन किस्तों में देय है; अदायगियां अपरक्राम्य, निर्ब्याज रुपया प्रतिभूतियां जारी करके की जाती है । वर्ष 1990-91 के लिए पहली किश्त की अदायगी के लिए बढ़ाई गई रुपए प्रतिभूति की राशि 4.49 करोड़ रुपए है। वर्ष 1991-92 में दूसरी किस्त की अदायगी के लिए राशि 4.83 करोड़ रुपए है।

बजट अनुमान 1991-92 में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए सं.अ. 1990-91 में 1.85 करोड़ रुपए की तुलना में 2.31 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है।

एशियाई विकास बैंक: एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको वह समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनवा लेता है ।

Purchase and repurchase transactions are debited/credited to the head "Special Drawing Rights" in the Public Account. Payments made to the IMF in the form of SDR's are debited to the relevant expenditure heads by contra credit to this head. Similarly, receipts realised in the form of SDR's are credited to the relevant receipt heads by contra debit to this head. The total credits to the head Special Drawing Rights amount to Rs.2736.26 crores in the Revised Estimates 1990-91 and Rs.1323.86 crores in Budget Estimates 1991-92. The total debits amount to Rs.2562.35 crores in R.E. 1990-91 and Rs.1088.66 crores in B.E. 1991-92.

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD): In BE 1990-91 a total provision of Rs.120.27 crores was made for payment of instalment of 6552 shares allocated under 1988 general capital increase under IBRD resolution No. 425 (Rs. 45.05 crores) and maintenance of value obligations (Rs. 75.22 crores). The Revised Estimate 1990-91 was enhanced to Rs.118.21 crores due to exchange variation at the time of actual payment. Out of this amount payment of Rs.113.71 crores was made in the form of non-negotiatable non-interest bearing rupee securities and the balance of Rs. 4.50 crores in US dollars in cash.

In Budget Estimate 1991-92 a total sum of Rs.96.55 crores has been provided for (i) payment of the third instalment of 6552 shares allotted under 1988 general capital increase (Rs.45.05 crores) and (ii) Maintenance of value obligations (Rs. 51.50 crores). In addition, Budget Estimate 1991-92 includes a provision of Rs.1.33 crores for payment of the first instalment of India's contribution to the newly constituted Global Environment Trust Fund. India, as a participant member of the global environment programme, will contribute SDR 4 million, which will be payable in eight equal annual instalments. The payments will be made in the form of non-negotiable and non-interest bearing rupee securities.

Out of the total provision of Rs.97.88 crores, an amount of Rs.4.50 crores is payable in US dollars in cash and Rs. 93.38 crores in rupee securities. The Revised Estimate for 1990-91 provide for encashment of securities worth Rs. 18 crores. A provision of Rs. 28.33 crores has been made in BE 1991-92, out of which Rs. 24 crores will be encashed in convertible foreign currency.

International Development Association (IDA) : Revised Estimate for 1990-91 and Budget Estimate for 1991-92 provide for encashment of securities worth Rs.60 lakhs each year by IDA.

International Fund for Agriculture Development (IFAD): India is one of the original members of the International Fund for Agricultural Development, a specialised agency of the United Nations. India has agreed to a contribution of $ 8 million towards Third Replenishment of resources of IFAD. The contribution is payable in three instalments; payments are made by issue of non-negotiable non-interest bearing rupee securities. The securities issued for the first instalment of the payment in 1990-91 amounted to Rs.4.49 crores. For the second instalment payable in 1991-92, the estimates are placed at Rs.4.83 crores.

Budget Estimate 1991-92 includes a provision of Rs. 2.31 crores as against Rs.1.85 crores in RE 1990-91 towards encashment of securities by IFAD.

Asian Development Bank (ADB): The Asian Development Bank keeps Rupee securities with the Reserve Bank of India which are encashed by it to meet its rupee expenditure in India from time to time.

इस प्रकार भुनाये जाने के लिए अर्थात् संशोधित अनुमान 1990-91 के स्तर पर ही बजट में 40 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक: की स्थापना इस मुख्य उद्देश्य से की गई थी जिससे नरम शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इस निधि में और इस बैंक दोनों ही में शामिल हो गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक के सदस्य के रूप में, भारत को इन संगठनों की पूंजी पुनर्भरण संबंधी वचनबद्धताओं में अपने हिस्से की अदायगी करनी है। तदनुसार 1990-91 में अफ्रीकी विकास निधि को 7.44 करोड़ रुपए अपरक्राम्य, गैर ब्याजू रुपया - प्रतिभूतियों के रूप में अदा किया गया है। 1991-92 में 7.63 करोड़ रुपए की इसी प्रकार अदायगी की जानी है। अफ्रीकी विकास निधि द्वारा प्रतिभूतियों के भुनाए जाने के कार्यक्रम के आधार पर, संशोधित अनुमान 1990-91 में 4.70 करोड़ रुपए और 1991-92 में 5.53 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों को भुनाए जाने का अनुमान है।

(viii) अन्य मदें :

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां और अन्य गैर-सरकारी निकायों और संस्थानों द्वारा सरकार के पास जमा करवाई गई अधिशेष धनराशियां भी सम्मिलित हैं।

A provision of Rs. 40 lakhs for such encashment has been made in the Budget that is, at the same level as in Revised Estimate 1990-91.

African Development Fund (AFDF) and African Development Bank (AFDB): have been set up with the main objective of furthering the economic and social development of the region by providing financial assistance on soft terms. India has joined both the Fund and the Bank in order to develop closer economic co-operation with the African countries.

As a member of AFDF and AFDB India is to pay its share of commitments to the capital replenishments of these organisations. Accordingly, Rs.7.44 crores have been paid in 1990-91 to the AFDF in the form of non-negotiable, non-interest bearing rupee securities. A sum of Rs.7.63 crores is similarly payable 1991-92. On the basis of AFDF's encashment schedule, encashment of securities is estimated to be Rs.5.53 crores in 1991-92 against Rs.4.70 crores in Revised Estimate 1990-91.

(viii) Other Items:

The estimates include, besides accretions under the Family Pension cum Life Assurance Fund for industrial and coal mines workers, Postal Insurance and Life Annuity Fund and Central Government Employees Group Insurance Funds, deposits of surplus funds by other non-Government bodies and institutions with the Government.

अनुबन्ध
ANNEXURES

अनुबन्ध ANNEXURE 1

सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा
COMMODITY-WISE DETAILS OF REVENUE FROM CUSTOMS DUTIES

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. सं.	बजट-शीर्ष	Sl. No.	Budget-head	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
	1		2	3	4	5	6
I.	आयात	I.	**IMPORTS**				
1.	फल, सूखे और ताजे	1.	Fruits, dried & Fresh	79.85	70.23	97.40	128.23
2.	काफी, चाय, मेट और गर्म मसाले	2.	Coffee, tea, mate & spices	10.66	15.05	31.50	31.05
3.	पशु अथवा वनस्पति वसा और तेल, उनके भोज्य पदार्थ, तैयार खाद्य वसा पशु अथवा वनस्पति मोम	3.	Animal or vegetable fats & Oils & their cleavage products, prepared edible fats, animal or veg. waxes	248.70	431.30	520.40	565.39
4.	पेय पदार्थ और सिरका	4.	Beverages, Spirits and vinegar	12.22	12.04	20.00	23.21
5.	खनिज पदार्थ	5.	Mineral substances	153.42	170.55	210.00	279.95
6.	अयस्क, स्लेग और एश	6.	Ores, slag & ash	67.36	65.21	81.50	114.42
7.	पैट्रोलियम तेल, बिटुमन्स निर्मित खनिजों से प्राप्त तेल और कच्चा तेल	7.	Petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals, crude	2148.94	2710.08	3150.00	3390.00
8.	पैट्रोलियम तेल और कच्चे तेल से भिन्न बिटुमन्स मिश्रित खनिजों से प्राप्त तेल	8.	Petroleum oils & oils obtained from bituminous minerals other than crude	282.08	527.36	555.00	616.81
9.	अन्य खनिज ईंधन, तेल, वैक्स और बिटुमन्स पदार्थ	9.	Other mineral fuels, oils, waxes and bituminous substances	165.31	160.52	350.00	472.35
10.	इनआर्गेनिक रसायन	10.	Inorganic chemicals	231.79	341.11	315.00	343.79
11.	आर्गेनिक रसायन	11.	Organic chemicals	1374.49	1570.97	1550.00	1837.03
12.	औषधीय उत्पाद	12.	Pharmaceutical products	6.41	6.92	9.00	17.28
13.	डाइज, कलर्स, पेंटस और वार्निश	13.	Dyes, Colours, Paints and Varnishes	131.19	150.74	180.00	211.12
14.	वाष्पी तेल, रसीनौयड्ज और टायलेट प्रिपेरेशंस	14.	Essential Oils, resinoids & toilet preparations	22.93	25.23	35.50	39.80
15.	साबुन, आर्गेनिक सर्फेस एक्टिव एजेंटस और कृत्रिम वैक्स	15.	Soap, organic surface active agents and artificial waxes	59.43	56.64	87.00	98.88
16.	फोटोग्राफिक एंड सिनेमाटोग्राफिक गुडस	16.	Photographic & cinematographic goods	182.49	207.84	245.00	333.75
17.	विविध रासायनिक उत्पाद	17.	Misc. Chemical products	216.44	221.65	315.00	436.24
18.	प्लास्टिक्स और प्लास्टिक की वस्तुएं	18.	Plastics & articles thereof	996.56	1228.98	1400.00	1777.27
19.	रबड़ और रबड़ की वस्तुएं	19.	Rubber & articles thereof	209.75	211.83	315.00	373.73
20.	लुगदी, कागज, कागज बोर्ड और उससे बनी वस्तुएं	20.	Pulp, paper, paper-board and articles thereof	172.25	200.63	207.65	240.45
21.	रेशम	21.	Silk	2.95	5.02	18.00	20.74
22.	ऊन तथा अन्य पशुओं के बाल	22.	Wool & other animal hair	38.08	41.63	37.00	51.84
23.	मानव निर्मित फिलेमेंट	23.	Man-made filaments	257.62	300.70	380.00	438.18
24.	मानव निर्मित रेशे के धागे	24.	Man-made staple fibres	69.92	93.23	50.50	63.20
25.	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसेबेस्टेस, अभ्रक या उससे मिलते-जुलते खनिजों की वस्तुएं	25.	Articles of stone, plaster cement, asbestos, mica or similar materials	28.68	30.37	40.40	55.60
26.	सिरेमिक उत्पाद	26.	Ceramic products	39.34	45.29	54.00	70.12
27.	कांच और कांच की वस्तुएं	27.	Glass & glassware	65.26	87.85	70.75	91.83
28.	लोहा और इस्पात के प्राथमिक पदार्थ	28.	Primary materials of iron and steel	433.45	455.96	560.00	727.48
29.	लोहा तथा अलोह इस्पात	29.	Iron & non-alloy steel	754.09	913.21	785.00	962.10
30.	स्टेनलैस स्टील	30.	Stainless steel	155.94	185.41	135.00	183.47
31.	अन्य मिश्र धातु इस्पात, होलो ड्रिल, बार्स और रौड्स	31.	Other alloy steel, hollow drill bars and rods	263.88	302.47	335.00	400.88
32.	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	32.	Articles of iron & steel	318.25	354.68	365.00	486.95
33.	तांबा	33.	Copper	439.13	572.19	525.00	655.36
34.	निकल	34.	Nickel	112.34	118.88	90.95	103.68
35.	एल्यूमीनियम	35.	Aluminium	83.04	93.65	50.00	69.12
36.	सीसा	36.	Lead	48.72	60.66	43.00	51.84
37.	जिंक	37.	Zinc	122.35	186.04	125.00	160.95
38.	टिन	38.	Tin	32.74	43.58	30.30	39.50
39.	अन्य आधारभूत धातु	39.	Other base metals	42.88	41.16	55.60	75.72
40.	आधारभूत धातुओं के उपकरण, उपस्कर तथा अन्य विविध वस्तुएं	40.	Tools, implements & other misc.articles of base metals	91.65	93.05	110.00	149.59
41.	मशीनरी, जिसमें मशीनी पुर्जे और उनके भाग तथा सहायक पुर्जे और बाल अथवा रोलर बिअरिंग शामिल नहीं है	41.	Machinery excluding machine tools & their parts and accessories & ball or roller bearings	1541.44	1480.64	1840.00	2321.43
42.	मशीन उपकरण पुर्जे और सहायक पुर्जे	42.	Machine tools; parts and accessories	164.40	149.79	195.00	258.42
43.	बाल या रोलर बियरिंग	43.	Ball or roller bearings	144.39	151.44	220.00	299.32
44.	इलैक्ट्रीकल मशीनरी	44.	Electrical Machinery	1733.30	1782.92	1550.00	2131.07
45.	रेलवे लोकोमोटिव और सामान	45.	Railway locomotives and materials	88.66	57.08	180.00	230.06
46.	मोटर गाड़ियां और उसके पुर्जे	46.	Motor vehicles and parts thereof	296.53	378.71	340.00	457.73
47.	हवाई जहाज और जलयान	47.	Aircrafts and vessels	78.71	59.87	180.00	287.89
48.	आप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमाटोग्राफिक, मैयरिंग, मेडिकल तथा सर्जीकल इन्स्ट्रूमेन्टस	48.	Optical, photographic, cinematographic, measuring, medical and surgical instruments	316.68	321.82	360.00	489.32

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. सं. बजट-शीर्ष	Sl. No. Budget-head	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
1	2	3	4	5	6
49. दीवार घड़ियां, घड़ियां और उनके पुर्जे	49. Clocks & watches and parts thereof	47.87	61.48	51.00	75.04
50. प्रोजेक्ट आयात	50. Project imports	959.40	1519.92	1325.40	1229.57
51. सामान	51. Baggage	585.72	702.53	695.80	873.50
52. अन्य सभी वस्तुएं	52. All other articles	2195.97	2761.84	850.00	1161.91
जोड़-आयात शुल्क (सकल)	**Total Import Duties(Gross)**	**18325.65**	**21838.00**	**21322.65**	**26504.10**
वापसी	Refunds	242.38	225.00	150.00	186.25
प्रति-अदायगी	Drawbacks	408.58	400.00	610.00	757.00
जोड़-आयात शुल्क (निवल)	**Total Import Duties (Net)**	**17674.69**	**21213.00**	**20562.65**	**25560.85**
II. निर्यात	**II EXPORTS**				
1. काफी	1. Coffee	..	..	..	..
2. अभ्रक	2. Mica.	2.33	..	..	..
3. खालें, चर्म और चमड़ा	3. Hides, skins & leathers	3.70	6.00	0.15	0.15
4. काली मिर्च	4. Black pepper	..	..	..	..
5. अन्य सभी वस्तुएं	5. All other articles	0.26	0.40	0.95	..
जोड़-निर्यात शुल्क (सकल)	**Total Export Duties(Gross)**	**6.29**	**6.40**	**1.10**	**0.15**
वापसी	Refunds	0.82	0.25	0.10	0.05
जोड़-निर्यात शुल्क (निवल)	**Total Export Duties (Net)**	**5.47**	**6.15**	**1.00**	**0.10**
III. निर्यातों पर उपकर	III CESSES ON EXPORTS				
1. काफी	1. Coffee	3.02	2.80	2.35	2.80
2. नारियल रेशे	2. Coir	0.06	0.07	0.08	0.10
3. लाख	3. Lac	0.01	0.04	0.01	0.01
4. अभ्रक	4. Mica	1.46	1.50	1.15	1.45
5. तम्बाकू (अविनिर्मित)	5. Tobacco (unmanufactured)	0.93	1.40	1.25	1.65
6. खली और चारा	6. Oil cakes & meal	0.58	0.60	0.45	0.60
7. समुद्री उत्पाद	7. Marine products	4.82	6.00	6.00	7.60
8. काजू की गरी	8. Cashew kernals	2.45	4.00	3.00	3.80
9. काली मिर्च	9. Black pepper	0.75	2.00	0.70	0.90
10. इलायची अधिनियम 1965	10. Cardamom Act 1965	0.19	0.30	0.15	0.20
11. इलायची (ए.पी.उपकर)	11. Cardamom (A.P. Cess)	0.06	0.15	0.10	0.10
12. अन्य कृषि उत्पाद	12. Other agricultural produce	6.15	7.00	5.00	7.00
13. खनिज लोहा	13. Iron Ore	1.90	2.20	2.00	3.25
14. पशु चारा	14. Animal feed	1.15	1.00	1.10	1.75
15. हल्दी	15. Turmeric	0.22	0.40	0.15	0.25
16. हल्दी पिसी	16. Turmeric powder	0.10	0.15	0.05	0.15
17. अन्य वस्तुएं	17. Other articles	7.93	10.00	10.00	14.00
जोड़-निर्यात उपकर शुल्क (सकल)	**Total Export Cess Duties (Gross)**	**31.78**	**39.61**	**33.54**	**45.61**
वापसी	Refunds	0.36	0.38	0.19	0.30
जोड़-निर्यात उपकर शुल्क (निवल)	**Total Export Cess Duties (Net)**	**31.42**	**39.23**	**33.35**	**45.31**
IV. अन्य प्राप्तियां (सकल)	**IV Other Receipts (Gross)**	**198.16**	**205.00**	**205.00**	**297.15**
वापसी	Refunds	2.00	3.00	2.00	4.00
अन्य प्राप्तियां (निवल)	Other Receipts (Net)	196.16	202.00	203.00	293.15
जोड़-सीमा शुल्क राजस्व (सकल)	**Total Customs Revenue (Gross)**	**18561.88**	**22089.01**	**21562.29**	**26847.01**
जोड़ वापसी	**Total Refunds**	**245.56**	**228.63**	**152.29**	**190.60**
जोड़ प्रति अदायगी	**Total Drawbacks**	**408.58**	**400.00**	**610.00**	**757.00**
जोड़-सीमा शुल्क राजस्व (निवल)	**Total Customs Revenue (Net)**	**17907.74**	**21460.38**	**20800.00**	**25899.41**

* *विभागीय अभिलेखों के अनुसार*

* *As per Departmental records.*

अनुबंध ANNEXURE 2

संघ उत्पाद-शुल्कों से प्राप्त होने वाले राजस्व का वस्तुओं के अनुसार ब्यौरा
COMMODITY-WISE DETAILS OF REVENUE FROM UNION EXCISE DUTIES

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
I.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क	I.	BASIC AND SPECIAL DUTIES OF EXCISE				
1.	मांस और खाद्य मांसोवशिष्ट	1.	Meat and edible meat offal	..	..	..	..
2.	मछली और केकड़े मौलस्क तथा अन्य मेरू रहित जलचर	2.	Fish and crusta-ceans, molluscs and other acquatic invertebrates	..	..	..	..
3.	डेयरी उत्पाद, पशुजन्य खाद्य उत्पाद, एन. ई. एस.	3.	Dairy produce; edible products of animal origin, N.E.S.	27.87	26.41	24.57	13.39
4.	पशुजन्य उत्पाद एन. ई. एस.	4.	Products of animal origin, N.E.S.	..	..	..	..
5.	खाद्य सब्जियां तथा कंदमूल	5.	Edible vegetables and roots and tubers	0.09	0.14	0.11	0.14
6.	खाद्य फल तथा गरी, तुर्श फलों और तटवृक्ष की छीलन	6.	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons	0.01	..	..	..
7.	कहवा	7.	Coffee	7.34	3.93	3.65	2.40
8.	अवशिष्ट चाय सहित चाय	8.	Tea including tea waste	78.83	86.73	80.00	82.00
9.	गर्म मसाले और अन्य मदें, यदि कोई अध्याय 9 में हो	9.	Spices and other items; if any, under Chapter 9	0.03	..	..	..
10.	पेषण उद्योग के उत्पाद, माल्ट, स्टार्च, इनुलिन तथा गेहूं ग्लुटिन	10.	Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluton	12.07	12.65	14.18	6.66
11.	लाख, गोंद रेजिन तथा अन्य वनस्पतिक रस और निर्यास	11.	Lac; gums; resins and other vegetable saps and extracts	0.15	..	0.32	0.38
12.	वनस्पति वलितधारी सामग्री वनस्पति उत्पाद एन. ई. एस.	12.	Vegetable Plaiting materials; vegetable products, N.E.S.	0.03	0.02	0.53	0.60
13.	साधित वनस्पति तेल।	13.	Processed fixed vegetable oils	20.91	16.77	16.50	9.78
14.	वनस्पति वसा और तेल अंशतः अथवा पूर्णतः उद्जनित	14.	Vegetable fats and oils, partly or wholly hydrogenated	72.63	98.05	70.37	85.00
15.	अध्याय 15 के अन्तर्गत समस्त मदें	15.	All others falling under Chapter 15	9.68	11.27	12.86	15.18
16.	मांस, मछली केकड़े मौलस्क अथवा अन्य मेरू रहित जलचरों के मांस से बने पदार्थ	16.	Preparations of meat, of fish or of cructaceans, molluscs or other aquatic invertebrates	0.54	0.59	0.68	0.87
17.	गन्ने या चुकन्दर से बनी चीनी और ठोस रूप में शुद्ध रासायनिक सकरोज	17.	Cane or beat sugar and chemically pure sucrose in solid form	200.31	204.33	224.00	273.96
18.	चीनी शोधन के फलस्वरूप प्राप्त सीरा	18.	Molasses, resulting from the extraction of refining of sugar	51.77	40.98	63.00	84.82
19.	अध्याय 17 के अन्तर्गत अन्य समस्त मदें	19.	All others falling under Chapter 17	21.44	22.36	23.63	27.11
20.	कोको और कोको से बने पदार्थ	20.	Cocoa and cocoa preparations	9.26	16.35	16.28	18.98
21.	अनाज से बने पदार्थ; आटा, दुग्ध स्टार्च पेस्टरी और अन्य उत्पाद	21.	Preparations of cereals, flour, starch of milk; pastry cooks products	59.13	70.29	69.83	80.79
22.	वनस्पति, फल, गिरी अथवा अन्य पौधजन्य उत्पाद	22.	Preparation of vegetables fruits; nuts, or other parts of plants	3.89	14.16	6.30	3.00
23.	विविध खाद्य पदार्थ	23.	Miscellaneous edible preparations	48.25	72.69	73.50	67.33
24.	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम खनिज जल तथा वातित जल	24.	Natural or artifical Mineral waters and aerated waters	92.62	111.00	100.80	102.09
25.	अध्याय 22 के अन्तर्गत समस्त मदें	25.	All others falling under Chapter 22	1.28	1.66	1.37	1.47
26.	खाद्य उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थ, तैयार पशु चारा	26.	Residues and wastes from the food industries, prepared animal fodder	..	..	..	..
27.	तम्बाकू अथवा तम्बाकू केस्थानापन्न पदार्थ से बने सिगरेट तथा सिगारिल्स	27.	Cigarettes and Cigarilles of tobacco or tobacco substitutes	1316.88	1454.90	1454.24	1790.03
28.	बीड़ियां	28.	Biris	123.82	133.20	123.01	147.24
29.	खाने का तम्बाकू जिसमें कड़ा मसाला और किमाम आदि शामिल है	29.	Chewing Tabacco including Kara Masala, Kimam etc.	50.45	49.34	53.13	58.79
30.	अध्याय 24 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	30.	All others falling under Chapter 24	14.57	15.48	17.45	20.01
31.	सीमेंट क्लिन्कर्स, सभी प्रकार का सीमेंट	31.	Cement Clinkers, Cement all sorts	951.35	1057.88	1065.44	1208.73
32.	अध्याय 25 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	32.	All others falling under Chapter 25	16.35	18.26	21.00	24.86
33.	अयस्क, धातुमल और राख	33.	Ores, slag and ash	0.04	..	..	..
34.	मोटर स्प्रिट	34.	Motor Sprit	1200.51	1339.39	1275.75	1411.09
35.	मिट्टी का तेल	35.	Kerosene	267.73	300.80	266.90	282.40
36.	आर. डी. तेल	36.	R.D. Oil	731.11	856.76	768.08	805.93
37.	डीजल तेल एन. ई. एस.	37.	Diesel Oil, N.E.S.	37.68	47.07	37.17	42.50
38.	भट्ठी का तेल	38.	Furnace Oil	52.90	59.85	50.40	49.88
39.	पैट्रोलियम गैस और गैसयुक्त हाइड्रोकार्बन्स	39.	Petroleum Gases and other gasseous Hydrocarbons	65.84	71.87	69.30	75.90
40.	अध्याय 27 के अन्तर्गत अन्य मदें	40.	All other falling under Chapter 27	359.13	389.95	399.00	455.40
41.	हाइड्रोक्लोरिक तेजाब और गंधक का तेजाब और एनहाईड्राइट और शोरे का तेजाब	41.	Hydrochloric acid, sulphuric acid and hydrides thereof; nitric acid	38.93	43.96	40.01	42.34
42.	कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश और उसका पैरोक्साईड	42.	Caustic soda and caustic Potash; Peroxides thereof	94.85	109.28	121.17	128.90

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
43. सोडा एश	43. Soda Ash	68.59	67.63	73.04	81.32
44. अध्याय 28 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	44. All others falling under Chapter 28	203.53	242.50	236.25	268.49
45. आर्गेनिक रसायन	45. Organic Chemicals	287.72	425.45	410.87	457.60
46. भेषजीय उत्पाद	46. Pharmaceutical products	311.21	338.09	357.00	371.75
47. उर्वरक	47. Fertilizers	10.27	12.60	8.40	10.84
48. कृत्रिम आर्गेनिक रंजक पदार्थ रंगाई साधन और रंजक द्रव्य व अन्य कलरलेक	48. Synthetic Organic Dye Stuffs, colouring matters and colour lakes	65.88	68.29	74.45	78.48
49. रंग-रोगन और वार्निश	49. Paints and varnishes	137.76	175.48	178.50	196.21
50. अध्याय 32 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	50. All others falling under Chapter 32	16.32	15.07	11.03	11.88
51. वाष्पी तेल और रेजिनाएड संग्रहयुक्त तेल, कास्मैटिक और प्रसाधन सामग्री	51. Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetics or toilet preparation	187.92	211.22	216.30	249.39
52. साबुन	52. Soap	118.49	126.99	142.38	156.12
53. आर्गेनिक तेल, सक्रिय पदार्थ	53. Organic Surface Active Agents	111.99	112.51	128.00	147.32
54. अध्याय 34 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	54. All others falling under Chapter 34	14.50	14.57	17.12	19.78
55. एल्बुमिनिडाल सामग्री, वधित स्टार्च, ग्लूज, एनजाइन	55. Albuminidal substances, modified starches, glues, enzymes	15.81	15.08	23.10	27.11
56. माचिस	56. Matches	41.48	42.80	43.00	45.00
57. अध्याय 36 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	57. All others falling under Chapter 36	35.18	44.14	44.63	50.69
58. सिनेमा चलचित्र अनाकृत अथवा आकृत	58. Cinematograph films, exposed or unexposed	13.03	7.62	4.73	5.42
59. अध्याय 37 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	59. All others falling under Chapter 37	9.15	9.45	12.08	15.05
60. विविध रासायनिक उत्पाद	60. Miscellaneous chemical products	116.88	114.39	131.25	149.73
61. प्लास्टिक तथा, उससे बनी वस्तुएं	61. Plastics and articles thereof	440.94	490.70	462.00	517.53
62. टायर, ट्यूब और फ्लैप	62. Tyres, Tubes and flaps	628.98	900.20	824.25	919.04
63. अध्याय 40 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	63. All others falling under Chapter 40	145.39	182.09	152.25	165.23
64. चमड़ा	64. Leather	0.03	0.03	..	..
65. चमड़े का सामान, यात्रा वस्तुएं हैन्डबैग और इसी प्रकार के डिब्बे आदि	65. Articles of leather, travel goods handbags, and similar containers etc.	23.38	21.85	31.50	37.95
66. समूरदार चमड़ियों से बनी वस्तुएं और नकली समूर	66. Manufactures of furskins and artificial fur	..	..	..	..
67. काष्ठ तथा काष्ठ की बनी वस्तुएं	67. Wood and articles of wood	67.94	67.63	77.70	90.00
68. कार्क तथा कार्क की वस्तुएं	68. Cork and articles of cork	0.65	0.57	0.63	0.77
69. तृण एसपटों अथवा अन्य प्लेटिंग सामग्री से बनी अन्य वस्तुएं टोकरियां और खड़ी टोकरे	69. Manufactures of straw of esparto or of other plaiting materials basketware and wocker work	0.91	0.05	0.42	0.48
70. काष्ठ की लुगदी तथा अन्य सैलुलोसिक तंतु और कागज, गत्ता कतरन	70. Pulp of wood or of other fibrous cellulosic materials, waste and scrap of paper or of paper board	0.15	0.06	0.04	0.05
71. कागज और गत्ता, कागज की लुगदी की वस्तुएं और गत्ते की वस्तुएं	71. Paper and paperboard, articles of paper pulp or paper or paper board	313.13	333.16	325.50	352.56
72. मुद्रित वस्तुएं, अखबार चित्र तथा मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद आदि	72. Printed books, news-papers, pictures& other products of printing industry etc.	0.04	0.05	0.04	0.05
73. रेशम	73. Silk	..	..	..	..
74. ऊन, बारीक या मोटे पशुजन्य बाल	74. Wool, fine or coarse animal hair	6.08	6.77	6.10	6.99
75. कपास और सूत	75. Cotton and cotton yarn	128.73	183.75	196.88	216.86
76. अध्याय 52 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें (सूती वस्त्र)	76. All others falling under Chapter 52 (Cotton fabrics)	56.32	..	..	..
77. जूट के कपड़े (बिंपीलीपट्टम और मेस्ता सहित) या अन्य बारीक रेशे के वस्त्र	77. Woven Fabrics of Jute (including bimplipatam jute or mesta fibres) or of other textile bast fibres	29.68	31.50	31.50	34.49
78. अध्याय 53 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	78. All other falling under Chapter 53	2.82	2.43	1.79	2.07
79. कृत्रिम फिलेमेन्ट धागे और कृत्रिम गैर फिलमेन्ट रद्दी सहित सिलाई के धागे	79. Synthetic filament yarn and sewing thread including synthetic monofilament and waste	1048.82	1378.03	1487.50	1898.42
80. हाथ से बने फिलैमेन्ट यार्न के कपड़े	80. Fabrics of man-made filament yarn	..	..	..	..
81. कृत्रिम स्टेपल फाइबर और छोटे रद्दी पदार्थ सहित	81. Artificial or Synthetic Staple Fibre & tow including waste	226.75	283.58	287.78	363.09
82. पोलियस्टर अथवा कृत्रिम यार्न युक्त स्पन यार्न	82. Spun Yarn containing Polyester or other Synthetic Yarn	52.64	53.33	65.63	76.80
83. अन्य हाथ का बना धागा	83. Other Man-made blended Yarn	51.52	48.60	61.25	86.15
84. हाथ से बने स्टेपल धागे के कपड़े	84. Fabrics of man-made staple fibres	..	..	..	..
85. वेडिंग, फेल्ट और अवूनित विशेष यार्न, टवाइन, काडेंज, रज्जू तार और सम्बद्ध वस्तुएं	85. Wadding, felt & non wovens, special yarns, twine, cordage, ropes & cables and articles thereof	12.56	12.60	15.75	17.90

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
86. कालीन और अन्य फर्शी दरियां	86.	Carpets & other textile floor coverings	5.52	5.51	4.73	5.42
87. विशेष बुने वस्त्र, टफटेड वस्त्र, लैस और कढ़ाई	87.	Special woeven fabrics; tufted textile fabrics, lace, embroidery	2.27	2.63	2.76	3.05
88. गर्भित, कवचित, आवृत अथवा परतदार वस्त्र, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोगी वस्त्र उद्योग	88.	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics, textile articles of a kind suitable for industrial use	29.86	36.31	29.39	33.93
89. बुने अथवा करोशिये से बुने वस्त्र	89.	Knitted or Crocheted fabrics	..	..	..	..
90. परिधान वस्तुएं तथा वस्त्र सामग्री-बुनतीदार अथवा करोशियाई	90.	Articles of apparel and clothing accessories - knitted or crocheted	0.03	..	..	..
91. परिधान तथा वस्त्र सामग्री जो बुनतीदार न हो अथवा करोशिये की तैयार की हुई न हो	91.	Articles of apparel and clothing accessories not knitted or crocheted	0.10	0.15	0.16	0.22
92. अन्य तैयार वस्त्र सामग्री	92.	Other made up textile articles	56.97	55.34	52.50	59.64
93. जूते, गेटर्स तथा इसी तरह की वस्तुएं, और इन वस्तुओं के हिस्से	93.	Footwear, gaiters & the like parts of such articles	17.80	15.01	19.95	22.08
94. शिरस्त्राण तथा उसके हिस्से	94.	Headgear & parts thereof	0.01	..	..	..
95. छतरियां, छोटी छतरियां, छड़िया, आसन स्टिक, कोड़े राइडिंग कार्प्स और हिस्से	95.	Umbrellas, sub-umbrellas, walking sticks, seat sticks, whips, riding corps and parts thereof	..	..	..	..
96. कृत्रिम फूल और मनुष्य के बालों की वस्तुएं	96	Artificial flowers, articles of human hair	0.44	..	..	..
97. एसबेस्टस-सीमेंट अथवा सेल्युलोस फाइबर सीमेंट अथवा इसी प्रकार की सामग्री की वस्तुएं	97.	Articles of asbestos-cement, or cellulose fibre cement or the like	50.19	53.74	57.75	65.06
98. अध्याय 68 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	98.	All others falling under Chap.68	64.77	71.15	73.50	82.01
99. सिरामिक उत्पाद	99.	Ceramic products	151.91	177.07	173.25	200.59
100. कांच और कांच की वस्तुएं	100.	Glass & Glassware	184.31	207.06	204.75	232.78
101. प्राकृतिक अथवा साधित मोती, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान पत्थर, मूल्यवान धातुएं और ग्लास बनी वस्तुएं, नकली जवाहरात आभूषण आदि	101.	Natural or cultured pearls, precious semi-precious stones, precious metals & articles thereof, imitation jewellery etc.	2.99	3.19	6.30	7.59
102. लोहा और इस्पात	102.	Iron & Steel	774.74	990.50	871.50	962.43
103. लोहे और इस्पात की वस्तुएं	103.	Articles of Iron & Steel	294.77	348.00	294.00	304.98
104. तांबा और उससे बनी वस्तुएं	104.	Copper & Articles of Copper thereof	55.69	58.30	58.28	63.69
105. निकल और उससे बनी वस्तुएं	105.	Nickel & articles thereof	2.98	2.63	2.63	3.25
106. अल्युमिनियम और अल्युमिनियम से बनी वस्तुएं	106.	Aluminium & articles thereof	522.87	609.00	574.98	647.32
107. सीसा और उससे बनी वस्तुएं	107.	Lead & articles thereof	3.88	4.20	7.88	9.22
108. जिंक और उससे बनी वस्तुएं	108.	Zinc & articles thereof	31.92	33.54	36.75	44.04
109. टिन और उससे बनी वस्तुएं	109.	Tin & articles thereof	1.14	0.87	2.31	3.10
110. अन्य आधारभूत धातु और उससे बनी वस्तुएं	110.	Other base metals, articles thereof	6.15	5.78	5.25	5.97
111. आधारभूत धातुओं के बने औजार, चाकू, छुरी, चम्मच और कांटे आदि और उनके हिस्से	111.	Tools, implements, cutlery, spoons & forks or base metals; parts thereof	59.64	59.20	68.25	78.60
112. आधारभूत धातुओं के इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग और लैमिनेशन्स	112.	Electrical stampings & laminations of base metals	37.37	44.17	47.25	54.21
113. आधारभूत धातुओं के डिब्बे	113.	Containers of base metals	45.25	49.20	21.00	23.85
114. अध्याय 83 के अन्तर्गत अन्य सभी	114.	All other falling under Chap.83	62.71	67.63	63.00	66.14
115. अन्तरदाह इंजन और उनके पुर्जे, वाष्प और अन्य वैपर टर्बाइन, हाइडलिक टर्बाइन, टर्बो जेक्ट्स, अन्य इंजन और मोटर्स	115.	Internal combustion engines and parts thereof, steam and other vapour turbines, hyderaulic turbines, turbojets, other engines and motors	136.72	135.06	149.63	173.49
116. रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन और उसके हिस्से	116.	Refrigerations & Air conditioners & parts thereof	179.89	232.50	204.75	305.42
117. मशीनी के औजार	117.	Machinery Tools	32.30	22.35	34.65	39.03
118. बाल अथवा रोलर बियरिंग्स	118.	Ball or roller bearings	110.72	83.53	126.00	151.80
119. अध्याय 84 के अन्तर्गत अन्य सभी	119.	All other falling under Chap.84	765.63	760.49	745.50	796.61
120. इलैक्ट्रिक मोटर्स और जेनरेटर्स, जेनरेटिंग इलैक्ट्रिक सैट्स और उनके पुर्जे	120.	Electric motors and generators, electric generating sets and parts thereof	192.91	163.88	215.25	243.97
121. इलैक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, स्टेटिक कनवर्टर्स और इंडक्टर्स	121.	Electrical transformers, static convertors & inductors	108.51	98.98	109.99	124.04
122. इलैक्ट्रिक अक्यूमलेटर्स प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरियां	122.	Electric accumulators, primary cells and primary batteries	124.31	132.28	131.25	149.10
123. रेडियो प्रसारण, टेलीविजन रिसीवर्स के लिए रिसेप्शन एप्रेटस (वीडियो, मानीटर्स और प्रोजेक्टर्स सहित)	123.	Reception apparatus for radio broad-casting Television receivers (including video monitors and projectors)	216.47	208.75	207.90	263.43
124. इंसुलेटिड वायर्स, केबल्स और अन्य इलैक्ट्रानिक कंडक्टर्स	124.	Insulated wires, cables and other electric conductors	201.54	202.90	189.00	212.73
125. अध्याय 85 के अन्तर्गत अन्य सभी	125.	All others falling under Chap.85	585.88	596.10	582.75	648.09
126. रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव रोलिंग और उसके पुर्जे आदि	126.	Railway or tramway locomotive rolling stock & parts thereof etc.	114.73	136.50	120.75	130.93

अनुबंध ANNEXURE 3

नवें वित्त आयोग की (द्वितीय रिपोर्ट 1990-91 से 1994-95 तक) की सिफारिशों के अनुसार आयकर, संघ उत्पाद शुल्क और रेल यात्री किराया कर के बदले में दिए जाने वाले अनुदानों से अंश के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा

STATEMENT SHOWING THE STATE-WISE PERCENTAGE SHARES OF INCOME-TAX, UNION EXCISE DUTIES AND GRANT IN LIEU OF RAILWAY PASSENGER FARES TAX UNDER THE RECOMMENDATIONS OF THE NINTH FINANCE COMMISSION (SECOND REPORT for 1990-91 to 1994-95)

		प्रतिशत हिस्सा/percentage share of			
		आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties	रेलवे यात्री किराया कर के बदले अनुदान Grants in lieu of Tax on Railway Passenger
1. आन्ध्र प्रदेश	1. Andhra Pradesh	8.208	7.170	7.680	7.484
2. अरुणाचल प्रदेश	2. Arunachal Pradesh	0.073	0.897	0.107	0.008
3. असम	3. Assam	2.631	3.610	2.743	1.509
4. बिहार	4. Bihar	12.418	11.028	8.317	8.266
5. गोआ	5. Goa	0.110	0.523	0.228	0.133
6. गुजरात	6. Gujarat	4.550	3.183	5.905	5.717
7. हरियाणा	7. Haryana	1.244	1.099	2.317	1.637
8. हिमाचल प्रदेश	8. Himachal Pradesh	0.595	1.943	0.621	0.098
9. जम्मू और कश्मीर	9. Jammu & Kashmir	0.695	3.548	0.929	0.520
10. कर्नाटक	10. Karnataka	4.928	4.104	5.865	3.271
11. केरल	11. Kerala	3.729	3.087	3.723	3.562
12. मध्य प्रदेश	12. Madhya Pradesh	8.185	7.224	7.164	6.061
13. महाराष्ट्र	13. Maharashtra	8.191	5.185	11.886	22.634
14. मणिपुर	14. Manipur	0.171	1.174	0.213	0.013
15. मेघालय	15. Meghalaya	0.208	0.891	0.190	0.040
16. मिजोरम	16. Mizoram	0.073	1.109	0.068	..
17. नागालैण्ड	17. Nagaland	0.096	1.348	0.120	0.165
18. उड़ीसा	18. Orissa	4.326	5.358	3.488	1.614
19. पंजाब	19. Punjab	1.706	1.362	3.533	3.110
20. राजस्थान	20. Rajasthan	4.836	5.524	4.689	4.579
21. सिक्किम	21. Sikkim	0.030	0.260	0.052	0.004
22. तमिलनाडु	22. Tamil Nadu	7.931	6.379	7.064	6.893
23. त्रिपुरा	23. Tripura	0.303	1.556	0.278	0.042
24. उत्तर प्रदेश	24. Uttar Pradesh	16.787	15.638	14.657	15.437
25. पश्चिम बंगाल	25. West Bengal	7.976	6.600	8.165	7.203
जोड़	TOTAL	100.000	100.000	100.000	100.000

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

क्रम सं. बजट-शीर्ष	उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Exciseable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
86.	कालीन और अन्य फर्शी दरियां	86.	Carpets & other textile floor coverings	5.52	5.51	4.73	5.42
87.	विशेष बुने वस्त्र, टफटेड वस्त्र, लैस और कढ़ाई	87.	Special woeven fabrics, tufted textile fabrics, lace,embroidery	2.27	2.63	2.76	3.05
88.	गर्भित, कवचित, आवृत अथवा परतदार वस्त्र, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोगी वस्त्र उद्योग	88.	Impregnated,coated,covered or laminated textile fabrics,textile articles of a kind suitable for industrial use	29.86	36.31	29.39	33.93
89.	बुने अथवा करोशिये से बुने वस्त्र	89.	Knitted or Crocheted fabrics	..	..	..	..
90.	परिधान वस्तुएं तथा वस्त्र सामग्री-बुनतीदार अथवा करोशियाई	90.	Articles of apparel and clothing accessories - knitted or crocheted	0.03	..	..	..
91.	परिधान तथा वस्त्र सामग्री जो बुनतीदार न हो अथवा करोशिये की तैयार की हुई न हो	91.	Articles of apparel and clothing accessories not knitted or crocheted	0.10	0.15	0.16	0.22
92.	अन्य तैयार वस्त्र सामग्री	92.	Other made up textile articles	58.97	55.34	52.50	59.64
93.	जूते, गेटर्स तथा इसी तरह की वस्तुएं, और इन वस्तुओं के हिस्से	93.	Footwear,gaiters & the like parts of such articles	17.80	15.01	19.95	22.08
94.	शिरस्त्राण तथा उसके हिस्से	94.	Headgear & parts thereof	0.01	..	..	..
95.	छतरियां, छोटी छतरियां, छड़िया, आसन स्टिके, कोड़े राइडिंग कार्पस और हिस्से	95.	Umbrellas,sub-umbrellas, walking sticks, seat sticks, whips, riding corps and parts thereof	..	..	..	..
96.	कृत्रिम फूल और मनुष्य के बालों की वस्तुएं	96	Artificial flowers, articles of human hair	0.44	..	..	..
97.	एसबेस्टस-सीमेंट अथवा सेल्युलोस फाइबर सीमेंट अथवा इसी प्रकार की सामग्री की वस्तुएं	97.	Articles of asbestos-cement, or cellulose fibre cement or the like	50.19	53.74	57.75	65.06
98.	अध्याय 68 के अन्तर्गत समस्त अन्य मदें	98.	All others falling under Chap.68	64.77	71.15	73.50	82.01
99.	सिरामिक उत्पाद	99.	Ceramic products	151.91	177.07	173.25	200.59
100.	कांच और कांच की वस्तुएं	100.	Glass & Glassware	184.31	207.06	204.75	232.78
101.	प्राकृतिक अथवा साधित मोती, मूल्यवान और अर्धमूल्यवान अश्मक, मूल्यवान धातुएं और ग्लास बनी वस्तुएं, नकली जवाहरात आभूषण आदि	101.	Natural or cultured pearls, precious semi-precious stones, precious metals & articles thereof, imitation jewellery etc.	2.99	3.19	6.30	7.59
102.	लोहा और इस्पात	102.	Iron & Steel	774.74	990.50	871.50	962.43
103.	लोहे और इस्पात की वस्तुएं	103.	Articles of Iron & Steel	294.77	348.00	294.00	304.98
104.	तांबा और उससे बनी वस्तुएं	104.	Copper & Articles of Copper thereof	55.69	58.30	58.28	63.69
105.	निकल और उससे बनी वस्तुएं	105.	Nickel & articles thereof	2.98	2.63	2.63	3.25
106.	अल्युमिनियम और अल्युमिनियम से बनी वस्तुएं	106.	Aluminium & articles thereof	522.87	609.00	574.98	647.32
107.	सीसा और उससे बनी वस्तुएं	107.	Lead & articles thereof	3.88	4.20	7.88	9.22
108.	जिंक और उससे बनी वस्तुएं	108.	Zinc & articles thereof	31.92	33.54	36.75	44.04
109.	टिन और उससे बनी वस्तुएं	109.	Tin & articles thereof	1.14	0.87	2.31	3.10
110.	अन्य आधारभूत धातु और उससे बनी वस्तुएं	110.	Other base metals, articles thereof	6.15	5.78	5.25	5.97
111.	आधारभूत धातुओं के बने औजार, चाकू, छुरी, चम्मच और कांटे आदि, और उनके हिस्से	111.	Tools, implements, cutlery, spoons, & forks or base metals; parts thereof	59.64	59.20	68.25	78.60
112.	आधारभूत धातुओं के इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग और लेमिनेशन्स	112.	Electrical stampings & laminations of base metals	37.37	44.17	47.25	54.21
113.	आधारभूत धातुओं के डिब्बे	113.	Containers of base metals	45.25	49.20	21.00	23.85
114.	अध्याय 83 के अन्तर्गत अन्य सभी	114.	All other falling under Chap.83	62.71	67.63	63.00	66.14
115.	अन्तरदाह इंजन और उनके पुर्जे, वाष्प और अन्य वैपर टर्बाइन, हाइडलिक टर्बाइन, टर्बो जेक्ट्स, अन्य इंजन और मोटर्स	115.	Internal combustion engines and parts thereof, steam and other vapour turbines, hyderaulic turbines, turbojets, other engines and motors	136.72	135.06	149.63	173.49
116.	रेफ्रिजरेशंस और वातानुकूलन और उसके हिस्से	116.	Refrigerations & Air conditioners & parts thereof	179.89	232.50	204.75	305.42
117.	मशीनों के औजार	117.	Machinery Tools	32.30	22.35	34.65	39.03
118.	बाल अथवा रोलर बियरिंगस	118.	Ball or roller bearings	110.72	83.53	126.00	151.80
119.	अध्याय 84 के अन्तर्गत अन्य सभी	119.	All other falling under Chap.84	765.63	760.49	745.50	796.61
120.	इलैक्ट्रिक मोटर्स और जैनरेटर्स, जैनरेटिंग इलैक्ट्रिक सैट्स और उनके पुर्जे	120.	Electric motors and generators,electric generating sets and parts thereof	192.91	163.88	215.25	243.97
121.	इलैक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, स्टेटिक कनवर्टर्स और इंडक्टर्स	121.	Electrical transformers, static convertors & inductors	108.51	98.98	109.99	124.04
122.	इलैक्ट्रिक अक्यूमलेटर्स प्राइमरी सेल और प्राइमरी बैटरियां	122.	Electric accumulators, primary cells and primary batteries	124.31	132.28	131.25	149.10
123.	रेडियो प्रसारण, टेलीविजन रिसीवर्स के लिए रिसेप्शन एप्रेटस (वीडियो, मानीटर्स और प्रोजेक्टस सहित)	123.	Reception apparatus for radio broad-casting Television receivers (including video monitors and projectors)	216.47	208.75	207.90	263.43
124.	इंसुलेटिड वायर्स, केबलस और अन्य इलैक्ट्रानिक कंडक्टर्स	124.	Insulated wires, cables and other electric conductors	201.54	202.90	189.00	212.73
125.	अध्याय 85 के अन्तर्गत अन्य सभी	125.	All others falling under Chap.85	585.88	596.10	582.75	648.09
126.	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव रोलिंग और उसके पुर्जे आदि	126.	Railway or tramway locomotive rolling stock & parts thereof etc.	114.73	136.50	120.75	130.93

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

क्रम सं. बजट-शीर्ष — उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Excisable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
127. ट्रैक्टर	127.	Tractors	45.98	50.01	50.01	54.21
128. मोटर कारें और यातायात के लिए अन्य मोटर गाड़ियां	128.	Motor cars & other motor vehicles for transport of persons	391.02	551.50	525.00	699.06
129. सार्वजनिक परिवहन किस्म की यात्री मोटर गाड़ियां और माल परिवहन की मोटर गाड़ियां	129.	Public transport type passenger motor vehicles & motor vehicles for the transport of goods	247.69	194.57	252.00	289.14
130. अध्याय 87 के अन्तर्गत अन्य सभी	130.	All others falling under Chap.87	489.27	542.75	577.50	598.95
131. वायुयान, अंतरिक्षयान और उनके पुर्जे	131.	Aircrafts, spacecrafts & parts thereof	0.83	2.10	0.21	0.27
132. समुद्री जहाज नौकाएं और फ्लोटिंग स्ट्रकचर	132.	Ships, boats & floating structures	24.61	13.65	2.10	16.26
133. चश्मे, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी मापन, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण तथा उनके पुर्जे	133.	Optical, photographic, cinematographic measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus parts & accessories thereof	65.06	62.43	73.50	85.01
134. दीवार घड़ियां, घड़ियां और उनके पुर्जे	134.	Clocks & watches & parts thereof	16.77	17.14	17.85	19.52
135. वाद्य यंत्र, उनके पुर्जे और ऐसे यंत्रों के सहायक पुर्जे	135.	Musical instruments, parts and accessories of such articles	0.06	0.07	1.05	1.20
136. शस्त्र और गोली बारूद, उनके पुर्जे और सहायक पुर्जे	136.	Arms and ammunitions, parts & accessories thereof	8.69	10.50	9.45	10.84
137. फर्नीचर, लेम्प और बिजली की फिटिंग जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है, प्रीफेब्रीकेटिड इमारतें	137.	Furnitures, lamps and lighting fittings, not elsewhere specified, prefabricated buildings	35.82	41.62	36.75	39.03
138. बच्चों के खिलौने, खेल और क्रीड़ा संबंधी आवश्यक सामग्री और सहायक सामान	138.	Toys, games and sports requisite parts and accessories thereof	0.85	..	1.30	1.63
139. विविध विनिर्मित वस्तुएं	139.	Miscellaneous manufactured articles	5.44	7.25	7.22	10.39
विविध		Miscellaneous	107.64	105.00	63.00	52.50
जोड़-सकल राजस्व (मूल)		**Total-Gross Revenue (Basic)**	17719.06	20071.52	19817.65	22644.37
घटाइए-वापसी और प्रतिअदायगी		*Deduct Refunds and Drawbacks*	*379.69*	*385.00*	*501.30*	*661.35*
जोड़-I निवल राजस्व		**TOTAL I - NET REVENUE**	17339.37	19686.52	19316.35	21983.02
II. वस्त्र और वस्त्र आदि पर अतिरिक्त शुल्क	**II.**	**ADDITIONAL DUTIES ON TEXTILES AND TEXTILES ARTICLES**				
1. रेशम	1.	Silk	..	..	..	..
2. पशुजन्य ऊन, बारीक और मोटी	2.	Wool, fine or coarse animal	0.90	2.61	0.87	0.97
3. सूत और सूती यार्न	3.	Cotton and cotton yarn	18.09	24.60	28.13	30.00
4. सूती वस्त्र	4.	Cotton fabrics	10.66	..	..	..
5. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न और सिलाई के धागे जिनमें गैर सिंथेटिक फिलामेंट और अपशिष्ट शामिल है	5.	Synthetic filament yarn and sewing thread including synthetic mono-filament and waste	133.11	196.87	212.50	262.78
6. हाथ से बने धागे तथा फिलामेंट यार्न	6.	Fabrics of man-made filament Yarn	..	..	..	..
7. कृत्रिम तथा संश्लिष्ट स्टेपलरेशे और रद्दी सहित सामग्री	7.	Artificial or synthetic Staple Fibres and tow including waste	31.66	40.51	41.11	50.32
8. पोलिएस्टर और अन्य सिंथेटिक यार्न से बने स्पन यार्न	8.	Spun yarn containing polyester or other synthetic yarn	6.92	7.62	9.38	10.62
9. अन्य हाथ के बने ब्लैंडिड यार्न	9.	Other man-made blended yarn	7.18	6.94	8.75	11.89
10. विशेष बुने हुए कपड़े टफटिड वस्त्र, लैस, कढ़ाई	10.	Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, embroidery	0.28	0.38	0.39	0.42
11. बुने हुए तथा क्रोशियाई वस्त्र	11.	Knitted or crocheted fabrics	..	..	..	..
जोड़-II (सकल राजस्व)		**Total-II (Gross Revenue)**	208.80	279.53	301.13	367.00
घटाइए-वापसी और प्रतिअदायगी		*Deduct Refunds and Drawbacks*	..	..	..	..
जोड़-II (निवल राजस्व)		**Total-II (Net Revenue)**	208.80	279.53	301.13	367.00
III. कर के एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	**III.**	**ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE IN LIEU OF SALES TAX**				
1. गन्ने और चुकन्दर से बनी चीनी और रासायनिक शोधित ठोस सकरोस	1.	Cane or beat sugar and chemically pure sucrose in solid form	229.10	232.75	253.00	309.30
2. सिगरेट तथा तम्बाकू के समान पदार्थ के सिगरेट या सिगारोल्स	2.	Cigarettes or cigarilloes of tobacco or tobacco substitutes	607.94	746.10	745.76	887.95
3. बीड़ी	3.	Biris	32.02	40.05	37.00	44.53
4. खाने वाला तम्बाकू कड़ा मसाला किमाम आदि सहित	4.	Chewing tobacco including kara masala, kimam etc.	15.91	15.66	16.87	18.07
5. अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी	5.	All others falling under Chap. 24	3.38	3.68	4.14	4.61
6. पशुजन्य बारीक और मोटी ऊन	6.	Wool, fine or coarse animal silk	2.39	2.26	2.03	2.26
7. रेशम	7.	Silk	..	..	..	..
8. सूती वस्त्र	8.	Cotton fabrics	59.19	54.64	94.00	100.00
9. हाथ से बने फिलामेंट यार्न के कपड़े	9.	Fabrics of man-made filament yarn	235.99	274.38	250.00	275.00
10. स्टेपल रेशे के हाथ से बने कपड़े	10.	Fabrics ofman-made staple fibres	253.43	241.08	240.00	250.00
11. टफटिड वस्त्र, लेस, कढ़ाई के विशेष बुने हुए वस्त्र	11.	Special woven fabrics, tufted textile fabrics, lace, embroidery	1.31	0.99	1.05	1.13

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्रम सं. बजट-शीर्ष / उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं	Sl.No. Budget Head	Exciseable Commodities	वास्तविक Actuals 1989-90*	बजट अनुमान Budget 1990-91	संशो. अनुमान Revised 1990-91	बजट अनुमान Budget 1991-92
12. गर्भित, कवचित, आवृत अथवा परतदार सूती पटवस्त्र, औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त वस्त्र आदि	12.	Impregnated coated, covered or laminated textile fabrics, textile articles of a kind suitable for industrial use	31.56	41.05	32.61	36.46
13. बुने हुए या क्रोशिये के वस्त्र	13.	Knitted or crocheted fabrics	2.55	3.00	3.50	4.00
जोड़-III सकल राजस्व (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क)		**Total-III Gross Revenue (Addl. Excise)**	**1474.77**	**1655.64**	**1679.96**	**1933.31**
घटाइए-वापसी और प्रति अदायगी		*Deduct - Refunds and drawbacks*	..	..	..	..
जोड़-III निवल राजस्व		**Total-III Net Revenue**	**1474.77**	**1655.64**	**1679.96**	**1933.31**
IV. वस्तुओं पर उप-कर		**IV. CESSES ON COMMODITIES**				
(क) (राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित)	(a)	**(Administered by the Department of Revenue)**				
1. वस्त्रों पर हथकरघा उपकर	1.	Handloom cess on fabrics	10.31	..	..	..
2. चीनी	2.	Sugar	133.74	137.20	145.60	154.00
3. चाय	3.	Tea	11.44	11.92	11.65	12.01
4. बीड़ी	4.	Biris	12.74	14.00	13.12	14.00
5. कागज	5.	Paper	4.12	4.00	4.50	5.00
6. जूट निर्माण	6.	Jute manufactures	7.58	9.00	9.00	10.00
7. आटोमोबाइल	7.	Automobiles	8.78	9.50	10.00	11.00
8. देशी कच्चे तेल	8.	Indigenous crude oil	2946.74	3148.63	2856.60	2750.40
9. सूती	9.	Cotton	0.31	..	..	..
10. वनास्पति घी	10	Vegetable oils	..	..	..	..
11. टेलिवीजन सेट*	11.	Television Sets*	38.25	60.00	42.00	43.00
जोड़ (क)		*Total (a)*	*3174.01*	*3394.25*	*3092.47*	*2999.41*
(ख) राजस्व विभाग से भिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रशासित	(b)	**Administered by Ministries/Departments other than Revenue Department**				
1. कोयला और कोक	1.	Coal and Coke	69.64	77.00	74.78	81.41
2. रबड़	2.	Rubber	14.16	12.60	15.00	16.15
3. नमक	3.	Salt	1.91	1.77	1.86	2.33
4. लौह अयस्क	4.	Iron Ore	2.93	3.00	3.50	4.50
5. चूने के पत्थर और डोलोमाइट	5.	Lime Stone and Dolomite	3.10	3.37	3.50	3.60
6. अभ्रक	6.	Mica	1.34	1.25	1.35	1.35
7. सिनेमा कर्मचारी	7.	Cine Workers	0.05	*0.10*	*0.10*	*0.10*
8. अनुसंधान और विकास	8.	Research and Development	..	10.00	10.00	10.00
जोड़ (ख)		*Total (b)*	*93.13*	*109.09*	*110.09*	*119.44*
जोड़ (क) + (ख)		*Total (a) + (b)*	*3267.14*	*3503.34*	*3202.56*	*3118.85*
जोड़-IV सकल राजस्व		**Total-IV Gross Revenue**	**3267.14**	**3503.34**	**3202.56**	**3118.85**
घटाइए-वापसी और प्रति अदायगी (राजस्व विभाग)		*Deduct - Refunds and Drawbacks (Department of Revenue)*	..	..	..	..
जोड़-IV निवल राजस्व		**TOTAL-IV NET REVENUE**	**3267.14**	**3503.34**	**3202.56**	**3118.85**
कुल जोड़-संघ उत्पाद शुल्क (सकल) I+II+III+IV		***GRAND TOTAL - Union Excise duties (Gross) I+II+III+IV***	***22669.77***	***25510.03***	***25001.30***	***28063.53***
घटाइएं-वापसी और प्रति अदायगी		*Deduct - Refunds and Drawbacks*	*379.69*	*385.00*	*501.30*	*661.35*
कुल जोड़-संघ उत्पाद शुल्क (निवल) I+II+III+IV		***GRAND TOTAL - Union Excise Duties (Net) I+II+III+IV***	***22290.08***	***25125.03***	***24500.00***	***27402.18***

* *विभागीय अभिलेखों के अनुसार*

* *As per Departmental records.*

अनुबंध ANNEXURE 3

नवें वित्त आयोग की (द्वितीय रिपोर्ट 1990-91 से 1994-95 तक) की सिफारिशों के अनुसार आयकर, संघ उत्पाद शुल्क और रेल यात्री किराया कर के बदले में दिए जाने वाले अनुदानों से अंश के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा

STATEMENT SHOWING THE STATE-WISE PERCENTAGE SHARES OF INCOME-TAX, UNION EXCISE DUTIES AND GRANT IN LIEU OF RAILWAY PASSENGER FARES TAX UNDER THE RECOMMENDATIONS OF THE NINTH FINANCE COMMISSION (SECOND REPORT for 1990-91 to 1994-95)

		प्रतिशत हिस्सा/percentage share of			
		आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties	रेलवे यात्री किराया कर के बदले अनुदान Grants in lieu of Tax on Railway Passenger
1. आन्ध्र प्रदेश	1. Andhra Pradesh	8.208	7.170	7.680	7.484
2. अरुणाचल प्रदेश	2. Arunachal Pradesh	0.073	0.897	0.107	0.008
3. असम	3. Assam	2.631	3.810	2.743	1.509
4. बिहार	4. Bihar	12.418	11.028	8.317	8.266
5. गोआ	5. Goa	0.110	0.523	0.228	0.133
6. गुजरात	6. Gujarat	4.550	3.183	5.905	5.717
7. हरियाणा	7. Haryana	1.244	1.099	2.317	1.637
8. हिमाचल प्रदेश	8. Himachal Pradesh	0.595	1.943	0.621	0.098
9. जम्मू और कश्मीर	9. Jammu & Kashmir	0.695	3.548	0.929	0.520
10. कर्नाटक	10. Karnataka	4.928	4.104	5.865	3.271
11. केरल	11. Kerala	3.729	3.087	3.723	3.562
12. मध्य प्रदेश	12. Madhya Pradesh	8.185	7.224	7.164	6.061
13. महाराष्ट्र	13. Maharashtra	8.191	5.185	11.886	22.634
14. मणिपुर	14. Manipur	0.171	1.174	0.213	0.013
15. मेघालय	15. Meghalaya	0.208	0.891	0.190	0.040
16. मिजोरम	16. Mizoram	0.073	1.109	0.068	..
17. नागालैण्ड	17. Nagaland	0.096	1.348	0.120	0.165
18. उड़ीसा	18. Orissa	4.326	5.358	3.486	1.614
19. पंजाब	19. Punjab	1.706	1.362	3.533	3.110
20. राजस्थान	20. Rajasthan	4.836	5.524	4.689	4.579
21. सिक्किम	21. Sikkim	0.030	0.260	0.052	0.004
22. तमिलनाडु	22. Tamil Nadu	7.931	6.379	7.064	6.893
23. त्रिपुरा	23. Tripura	0.303	1.556	0.278	0.042
24. उत्तर प्रदेश	24. Uttar Pradesh	16.787	15.638	14.657	15.437
25. पश्चिम बंगाल	25. West Bengal	7.976	6.600	8.165	7.203
जोड़	TOTAL	100.000	100.000	100.000	100.000

अनुबन्ध **ANNEXURE 4**

आयकर, बुनियादी उत्पाद-शुल्क, तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के राज्यवार वितरण का विवरण
STATEMENT SHOWING STATE-WISE DISTRIBUTION OF INCOME-TAX, BASIC EXCISE DUTIES AND ADDITIONAL EXCISE DUTIES

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

		बजट Budget 1990-91				संशोधित Revised 1990-91				बजट Budget 1991-92			
राज्य	States	आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax	जोड़ Total	आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties*	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax*	जोड़ Total	आयकर Income Tax	बुनियादी उत्पाद शुल्क Basic Excise Duties	बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क Additional Excise Duties in lieu of Sales Tax	जोड़ Total
आन्ध्र प्रदेश	Andhra Pradesh	333.60	627.29	123.85	1084.74	338.21	627.38	128.40	1093.99	374.69	703.04	144.74	1222.47
अरूणाचल प्रदेश	Arunachal Pradesh	2.97	78.48	1.73	83.18	3.01	77.35	1.72	82.08	3.33	87.95	2.02	93.30
असम	Assam	106.93	333.33	44.23	484.49	108.41	333.40	45.82	487.63	120.10	373.58	51.69	545.37
बिहार	Bihar	504.71	964.82	134.12	1603.65	511.68	964.95	139.22	1615.85	566.87	1081.32	156.74	1804.93
गोआ	Goa	4.47	45.76	3.68	53.91	4.53	45.07	3.69	53.29	5.02	51.28	4.30	60.60
गुजरात	Gujarat	184.93	278.47	95.23	558.63	187.48	278.16	98.78	564.42	207.70	312.10	111.29	631.09
हरियाणा	Haryana	50.56	96.15	37.37	184.08	51.26	95.82	38.82	185.90	56.79	107.76	43.67	208.22
हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh	24.18	169.99	10.01	204.18	24.52	169.88	10.40	204.80	27.16	190.52	11.70	229.38
जम्मू और कश्मीर	Jammu & Kashmir	28.25	310.41	14.98	353.64	28.64	309.10	15.52	353.26	31.73	347.69	17.51	397.13
कर्नाटक	Karnataka	200.29	359.05	94.58	653.92	203.06	359.29	98.00	660.35	224.96	402.41	110.53	737.90
केरल	Kerala	151.56	270.08	60.04	481.68	153.65	270.25	62.36	486.26	170.23	302.69	70.16	543.08
मध्य प्रदेश	Madhya Pradesh	332.66	632.01	115.53	1080.20	337.26	632.34	119.75	1089.35	373.64	708.33	135.01	1216.98
महाराष्ट्र	Maharashtra	332.91	453.62	191.68	978.21	337.51	453.70	198.65	989.86	373.91	508.40	224.01	1106.32
मणिपुर	Manipur	6.95	102.71	3.43	113.09	7.05	102.64	3.55	113.24	7.81	115.11	4.01	126.93
मेघालय	Meghalaya	8.45	77.95	3.06	89.46	8.57	77.98	3.17	89.72	9.49	87.36	3.58	100.43
मिजोरम	Mizoram	2.97	97.02	1.10	101.09	3.01	95.60	1.09	99.70	3.33	108.74	1.28	113.35
नागालैण्ड	Nagaland	3.90	117.93	1.94	123.77	3.95	117.83	2.00	123.78	4.38	132.17	2.26	138.81
उड़ीसा	Orissa	175.82	468.76	56.22	702.80	178.25	467.47	58.37	704.09	197.48	525.36	65.70	788.54
पंजाब	Punjab	69.34	119.16	56.97	245.47	70.29	118.81	59.14	248.24	77.88	133.55	66.58	278.01
राजस्थान	Rajasthan	196.55	483.28	75.62	755.45	199.27	481.11	78.48	758.86	220.76	541.64	88.37	850.77
सिक्किम	Sikkim	1.22	22.75	0.84	24.81	1.24	22.73	0.86	24.83	1.37	25.49	0.98	27.84
तमिलनाडु	Tamil Nadu	322.34	558.09	113.92	994.35	326.80	557.79	118.33	1002.92	362.04	625.48	133.13	1120.65
त्रिपुरा	Tripura	12.31	136.13	4.48	152.92	12.48	135.82	4.65	152.95	13.83	152.57	5.24	171.64
उत्तर प्रदेश	Uttar Pradesh	682.27	1368.13	236.37	2286.77	691.70	1368.77	245.03	2305.50	766.31	1533.34	276.23	2575.88
पश्चिमी बंगाल	West Bengal	324.17	577.42	131.67	1033.26	328.65	578.66	136.73	1044.04	364.10	647.15	153.88	1165.13
जोड़	**TOTAL**	**4064.31**	**8748.79**	**1612.65**	**14425.75**	**4120.48**	**8741.90**	**1672.53**	**14534.91**	**4564.91**	**9805.23**	**1884.61**	**16254.75**

* *इसमें बुनियादी उत्पाद शुल्कों के संबंध में (+) 131.42 करोड़ रुपए और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के संबंध में (+) 34.69 करोड़ रुपए का समायोजन परिलक्षित किया गया है, जिसे वर्ष 1983-84 से 1985–86 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (वर्ष 1986-87 और 1987-88) प्रमाणीकृत आंकड़ों के आधार पर प्रदर्शित किया गया है ।*

* *Includes adjustment of (+) Rs.131.42 Crores in respect of Basic Excise Duties and (+) Rs.34.69 crores in respect of Additional Excise Duties on the basis of certified figures of C&AG for the years 1986-87 & 1987-88.*

अनुबंध ANNEXURE 5

दूर-संचार विभाग के कार्यचालन के वित्तीय परिणामों का ब्यौरा
FINANCIAL RESULTS OF THE WORKING OF THE TELECOMMUNICATIONS DEPARTMENT

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

शीर्ष	Heads	वास्तविक Actuals 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
राजस्व प्राप्तियां	Revenue Receipts	2841.14	3942.57	3570.00	3965.00
व्यय	Expenditure				
1. सामान्य प्रशासन	1. General Administration	142.87	178.53	187.07	219.91
2. परिचालन	2. Operation	366.42	411.80	402.91	457.52
3. भंडार तथा कारखानें	3. Stores and Factories	15.86	22.00	20.60	24.83
4. अनुसंधान और विकास	4. Research and Development	2.44	52.76	2.54	2.88
5. लेखा और लेखा परीक्षा	5. Accounts and Audit	13.72	15.11	15.02	16.60
6. इंजीनियरिंग	6. Engineering	696.93	811.95	813.39	910.30
7. कर्मचारियों को सुविधा	7. Amenities to Staff	11.07	13.00	11.50	12.50
8. पेंशन	8. Pension	105.86	150.00	120.00	110.00
9. लेखन सामग्री और मुद्रण	9. Stationary and Printing	9.34	16.10	14.10	12.10
10. मूल्यह्रास	10. Depreciation	302.48	402.52	388.58	513.04
11. अन्य व्यय	11. Other Expenses	137.74	220.23	185.29	210.32
जोड़-व्यय	**Total-Expenditure**	**1804.73**	**2294.00**	**2161.00**	**2490.00**
घटाइए-कार्यचालन व्यय में जमा	*Deduct-Credits to Working Expenses*	*201.99*	*224.00*	*225.50*	*236.67*
निवल कार्यचालन व्यय	***Net Working Expenses***	*1602.74*	*2070.00*	*1935.50*	*2253.33*
निवल प्राप्तियां	***Net Receipts***	*1238.40*	*1872.57*	*1634.50*	*1711.67*
घटाइए-सामान्य राजस्व में लाभांश	*Deduct-Dividend to General Revenues*	*180.37*	*198.00*	*203.62*	*224.67*
अधिशेष	*Surplus*	*1058.03*	*1674.57*	*1430.88*	*1487.00*

अनुबंध **ANNEXURE - 6**

भारत सरकार के कर्ज की स्थिति
DEBT POSITION OF THE GOVERNMENT OF INDIA

1991-92 के अंत तक, भारत सरकार का बकाया आंतरिक और वैदेशिक ऋण 1990-91 (सं.अ.) के अंत तक 311059.21 करोड़ रुपए की तुलना में, 352896.27 करोड़ रुपए होने का अनुमान है । ब्यौरे निम्नानुसार है :–

The outstanding internal and external debt of the Government of India at the end of 1991-92 is estimated to amount to Rs.352896.27 crores, as against Rs.311059.21 crores at the end of 1990-91 (RE). The details are as follows :-

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

		31 मार्च 1991 को As on 31st March 1991	31 मार्च 1992 को As on 31st March 1992
देश में लिया जाने वाला कर्ज और अन्य देनदारियां	Internal debt and other liabilities	279228.27	317773.85
विदेशों से लिया जाने वाला कर्ज	External debt	31830.94	35122.42
जोड़	**Total**	**311059.21**	**352896.27**

भारत में दिए जाने वाले कर्ज के अन्तर्गत खुले बाजार में लिए जाने वाले उधार, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं । इनमें अस्थायी ऋण भी शामिल है जैसे रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों, वाणिज्यक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गयी राजकोषीय हुंडियां, तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, अफ्रीकी विकास बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गयी अपरक्राम्य, निर्ब्याज प्रतिभूतियां भी शामिल हैं । पहली पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में, और वर्ष 1986-87 से लेकर वर्ष 1989-90 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में तथा 1990-91 और 1991-92 के अन्त तक की सरकारी कर्जों की अनुमानित बकाया रकमों का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है । आंतरिक और विदेशी ऋण दोनों के अंतर्गत बकाया रकमों से बकाया कर्जे के अंकित मूल्य के अनुसार भारत सरकार की देनदारी प्रकट होती है ।

Internal Debt comprises loans raised in the open market, special securities issued to Reserve Bank, compensation and other bonds, etc. It also includes borrowings through treasury bills issued to Reserve Bank, State Governments, commercial banks and other parties, as well as non-negotiable, non-interest bearing rupee securities issued to international financial institutions viz., the International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Fund for Agricultural Development, African Development Fund Bank and Asian Development Bank. An analysis of the public debt outstanding at the beginning of the First Five Year Plan and close of each year from 1986-87 to 1989-90 and that estimated to be outstanding at the close of 1990-91 and 1991-92 is given in the **Statement of Liabilities**. The amounts outstanding both under internal and external debt reflect the liability of Government as represented by the book value of the outstanding debt.

इसके अलावा सरकार विभिन्न अल्प बचत स्कीमों, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा स्कीम और रेल तथा दूरसंचार विभाग जैसे विभागों की मूल्यह्रास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों और आयकर, अधिकर आदि जैसी कुछ अन्य जमा रकमों तथा स्थानीय निधियों और सिविल जमा रकमों आदि की वापसी के लिए भी जिम्मेदार है । ऐसी कुल देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिखाया गया है ।

In addition, Government is liable to repay the outstandings against the various Small Savings schemes, Provident Funds, Securities issued to Industrial Development Bank of India, Unit Trust of India and nationalised banks, deposits under the Special Deposit Schemes and depreciation and other interest bearing reserve funds of departments like Railways and Telecommunications and certain other deposits like deposits of Income-tax, Super tax, etc., deposits of local funds and civil deposits. Details of such liabilities are also shown in Statement of Liabilities.

परिसम्पत्तियों के विवरण में बकाया देनदारियों की रकमों को दिखाया गया है जो उन प्रयोजनों से संबंधित है जिनपर सरकार द्वारा जुटाई गई रकमों को खर्च किया गया है । परिसम्पत्तियों को भी अंकित मूल्य में दर्शाया गया है । इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है क्योंकि इसमें वैसी परिसम्पत्तियां, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है, शामिल नहीं हैं ।

Statement of Assets shows the extent to which the money raised by Government has been utilised for asset formation by purposes. These assets are also shown at book value. This statement includes only assets the ownership of which vests in Central Government and it excludes assets created by State Governments and non-Government bodies from grant assistance from Central Government.

केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण :
STATEMENT OF LIABILITIES of the Central Government

के अन्त में/At the end of :

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

				वास्तविक Accounts			संशोधित Revised	बजट Budget
		1950-51	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
क. लोक ऋण	***A. Public Debt***							
1. आंतरिक ऋण	**1. Internal Debt**							
(I) बाजार उधार (अनुबंध 7)	(I) Market Loans (vide Annexure 7)	1438.46	40832.00	46695.47	56114.72	62519.72	70520.00	78019.82
(II) वापसी अदायगी के दौर में चालू उधार	(II) Market Loans in course of repayment	6.49	48.27	47.88	46.26	45.48	45.48	45.48
(III) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(III) 91 days Treasury Bills	358.02	19876.12	8028.18	14272.87	25184.19	34542.19	42260.97
(IV) रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	(IV) Special Securities issued to the Reserve Bank							
1. राजकोषीय हुंडियों को परिवर्तन	*1. In conversion of Treasury Bills*	...	18500.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00	36000.00
2. अन्य	*2. Others*	...	1367.00	1177.00	987.00	881.43	1101.43	1046.43
(V) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	(V) 182 Days Treasury Bills	...	...	...	566.50	774.30	974.30	1274.30
(VI) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	(VI) Compensation and other bonds	6.73	394.60	333.07	480.80	579.68	722.45	887.95
(VII) विशेष वाहक बांड	(VII) Special bearer Bonds	...	964.26	964.26	964.26	964.26	876.26	...
(VIII) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	(VIII) Securities issued to International Financial Institutions	212.60	4330.34	5399.77	6066.05	6244.26	6570.21	10048.86
जोड़-आन्तरिक ऋण	**Total-Internal Debt**	**2022.30**	**86312.59**	**98645.63**	**114498.46**	**133193.32**	**151352.32**	**169583.81**
2. विदेशी ऋण	**2. External Debt**	**32.03**	**20298.89**	**23223.18**	**25745.84**	**28342.69**	**31830.94**	**35122.42**
जोड़-लोक ऋण	**TOTAL - Public Debt**	**2054.33**	**106611.48**	**121868.81**	**140244.30**	**161536.01**	**183163.26**	**204706.23**
3. अन्य देनदारियां	**3. Other Liabilities**	**811.07**	**59934.90**	**73692.47**	**89527.19**	**106656.80**	**128176.32**	**148490.04**
1 अल्प बचत स्कीमें	*1. Small Savings Schemes*	336.87	24724.71	26358.06	33833.15	41791.31	49071.31	56281.31
2 भविष्य निधियां	*2. Provident Funds*							
1. सरकारी भविष्य निधियां	1. State Provident Funds	95.05	4742.29	5602.41	6548.81	7657.74	8857.74	10157.74
2. लोक भविष्य निधियां	2. Public Provident Fund	..	763.28	1041.35	1401.30	2018.04	2718.04	3478.04
जोड़-भविष्य निधियां	**TOTAL-Provident Funds**	**95.05**	**5505..57**	**6643.76**	**7950.11**	**9675.78**	**11575.78**	**13635.78**
3 अन्य खाते	*3. Other Accounts*							
1. गैर सरकारी भविष्य-निधियों आदि के विशेष जमा	1. Special Deposits of Non-Government Provident Funds etc.	..	10063.20	14218.81	19875.52	26866.10	33866.10	40866.10
2. अन्य मदें	2. Other items	16.10	4634.87	5307.31	6876.85	8731.24	11766.58	13544.73
जोड़-अन्य खाते	**TOTAL-Other Accounts**	**16.10**	**14698.07**	**19526.12**	**26752.37**	**35597.34**	**45632.68**	**54410.83**
4 प्रारक्षित निधियां और जमा रकमें	*4. Reserve Funds and Deposits*							
1. सब्याज	1. Bearing interest	260.85	9853.90	6718.24	7854.00	8884.59	10640.45	12497.12
2. निर्ब्याज	2. Not bearing interest	102.20	5152.65	12446.29	13137.56	10707.78	11256.10	11665.00
जोड़-प्रारक्षित निधियां और जमा रकमें	**TOTAL - Reserve Funds and Deposits**	**363.05**	**15006.55**	**19164.53**	**20991.56**	**19592.37**	**21896.55**	**24162.12**
जोड़-देनदारियां	**Total-Liabilities**	**2865.40**	**166546.38**	**195561.28**	**229771.49**	**268192.81**	**311359.58**	**353196.27**
विभाजन पूर्व कर्ज़े में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	Amount due from Pakistan on account of share of pre-partition debt (approx.)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	Net Liabilities of the Central Government	2565.40	166246.38	195261.28	229471.49	267892.81	311059.58	352896.27
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और उधारों की अधिकता	Excess of Capital Outlay and Loans over Liabilities	..	...	...	..	...	...	...
कुल (निवल)	**Total (net)**	**2565.40**	**166246.38**	**195261.28**	**229471.49**	**267892.81**	**311059.58**	**352896.27**

परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूंजी निवेश और उधार)
STATEMENT OF ASSETS
(Capital Investments and Loans by the Central Government)

के अन्त में/At the end of :

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		वास्तविक Accounts					संशोधित Revised	बजट Budget
		1950-51	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
क. पूंजी परिव्यय	A- Capital Outlay							
1. सामान्य सेवाएं	**1. General Services**	**496.74**	**14076.43**	**17425.80**	**21514.17**	**26050.49**	**31254.43**	**36998.30**
(i) रक्षा सेवाएं	(i) Defence Services	260.93	8362.01	11469.64	15252.71	19474.48	24212.04	29423.26
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	(ii) Other General Services	235.81	5714.42	5956.16	6261.46	6576.01	7042.39	7575.04
2. सामाजिक सेवाएं	**2. Social Services**	**26.25**	**3122.92**	**2621.81**	**3028.08**	**3408.58**	**3709.89**	**4115.64**
3. आर्थिक सेवाएं	**3. Economic Services**	**965.02**	**55500.92**	**63525.26**	**70370.83**	**79188.11**	**87285.33**	**95201.70**
(i) कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप	(i) Agriculture and Allied Activities	7.78	3832.81	4277.74	4338.79	4388.55	4442.14	4517.18
(ii) ग्रामीण विकास	(ii) Rural Development	...	..	1.42	1.60	2.15	2.42	2.92
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	(iii) Special Areas Programme	..	...	383.31	453.71	542.07	662.96	776.90
(iv) जल और विद्युत विकास	(iv) Water and Power Development	5.59	..	..	..	...	...	...
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(a) Irrigation & Flood Control	..	515.49	212.41	232.47	256.87	261.72	266.45
(ख) ऊर्जा	(b) Energy	..	6173.64	13915.76	15842.92	18473.31	21409.96	23776.88
(v) उद्योग और खनिज	(v) Industry and Minerals	34.34	23841.17	20151.82	21465.93	22945.57	23799.51	24666.25
(vi) परिवहन	(vi) Transport							
(क) रेलवे	(a) Railways	817.93	10894.52	12243.54	13702.42	15486.65	17073.65	18767.65
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	(b) Other Transport Services	12.47	4257.35	4543.98	5174.63	5860.47	6646.16	7351.38
(vii) संचार	(vii) Communication							
डाक सेवाएं	Postal Services	49.98	239.34	265.40	290.62	319.17	354.79	411.69
दूर संचार सेवाएं	Telecommunications Services	..	2946.91	2946.91	2985.37	3244.83	3304.83	3318.83
अन्य संचार सेवाएं	Othe' Communication Services	...	...	392.36	451.99	386.39	402.64	414.83
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	(viii) Science and Technology and Environments	..	...	877.56	1031.08	1162.72	1305.54	1495.94
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	(ix) General Economic Services	36.93	2799.69	3313.05	4399.30	6119.36	7619.01	9434.80
संघ राज्य क्षेत्रों का वितरण	Disbursements of UT's	...	...	...	..	..	269.33	650.23
कुल जोड़	*Grand Total*	*1488.01*	*72700.27*	*83572.87*	*94913.08*	*108647.18*	*122518.98*	*136965.68*
(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार	D- Loans advanced by the Central Government							
राज्य सरकारों को	State Governments	195.58	42634.04	49407.14	56114.47	64049.16	73646.46	84486.78
संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को	Union Territory Governments	..	1072.30	150.68	173.08	193.11	220.69	257.39
विदेशी सरकारों को	Foreign Governments	0.01	733.45	525.18	495.87	1183.40	1633.77	1644.84
सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि डाक तार राजस्व प्रारक्षित निधि पोर्ट ट्रस्ट, नगर पालिकाएं तथा साविधिक निकाय सहकारी और शैक्षणिक संस्थाओं को, विस्थापितों और गैर-सरकारी संस्थाओं आदि को	Public Sector Enterprises Railway Development & Revenue Reserve Funds Posts & Telegraphs Revenue Reserve Fund Port Trusts, Municipalities and Statutory bodies Co-operative & Educational Institutions, Displaced persons & Private Institutions, etc	24.58	26274.97	28787.77	32158.75	35003.10	37948.20	40478.92
सरकारी सेवकों को	Government Servants	0.51	360.99	366.43	447.55	547.13	650.66	768.05
जोड़	**TOTAL**	220.68	71075.75	79237.20	89389.72	100975.90	114099.78	127635.98
जोड़-पूंजी परिव्यय तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार	**TOTAL- Capital Outlay and Loans Advanced by the Central Government.**	1708.69	143776.02	162810.07	184302.80	209623.08	236618.76	234601.66
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए उधारों की अपेक्षा देनदारियों की अधिकता	Excess of Liabilities over Capital Outlay and Loans Advanced	856.71	22470.36	32451.21	45168.69	58269.73	74440.82	88294.61
जोड़	**Total**	2565.40	166246.38	195261.26	229471.49	267892.81	311059.56	352896.27

अनुबंध ANNEXURE 7

केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया उधारों का ब्यौरा
DETAILS OF CURRENT RUPEE LOANS OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

प्रतिशत में	ऋण की प्रकृति Name of Loan in %	उधार वापस करने की सबसे पहली तारीख Earliest date of maturity	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में As at the end of 1950-51	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
3%	उधार/Loan, 1951-54	15-09-1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3%	उधार/Loan, 1953-55	15-07-1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25%	उधार/Loan, 1954	15-11-1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50%	उधार/Loan, 1954-59	15-12-1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50%	उधार/Loan, 1955-60	15-09-1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50%	उधार/Loan, 1955	01-10-1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3%	विजय उधार/Victory Loan, 1957	01-09-1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50%	उधार/Loan, 1958-68	01-06-1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3%	द्वितीय विजय उधार/Second Victory Loan, 1959-61	15-08-1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75%	उधार/Loan, 1960	15-07-1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1960-70	15-09-1960	63.30	...	...	...	...	...	...
3.50%	राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड/National Plan Bonds, 1961	01-06-1961	...	...	...	...	...	...	...
2.50%	उधार/Loan, 1961	01-08-1961	57.01	...	...	...	...	...	...
3.25%	बाण्ड/Bonds, 1962	16-07-1962	...	...	...	...	...	...	...
2.75%	उधार/Loan, 1962	15-11-1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3.50%	बाण्ड/Bonds, 1963	12-05-1963	...	...	...	...	...	...	...
3%	उधार/Loan, 1963-65	01-06-1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3.50%	राष्ट्रीय आयोजना उधार/National Plan Loan, 1964	19-04-1964	...	...	...	...	...	...	...
3%	उधार/Loan, 1964	15-06-1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3.50%	राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड/National Plan Bonds, 1965	01-07-1965	...	...	...	...	...	...	...
3.50%	बाण्ड/Bonds, 1966	18-07-1966	...	...	...	...	...	...	...
3%	निधिकरण उधार/Funding Loan, 1966-68	01-10-1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3%	भोपाल उधार/Bhopal Loan, 1966-76	16-11-1966	...	...	...	...	...	...	...
3.50%	राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड/National Plan Bonds, 1967	16-07-1967	...	...	...	...	...	...	...
3.75%	राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड/National Plan Bonds, 1967	01-08-1967	...	...	...	...	...	...	...
3.75%	राष्ट्रीय आयोजना बाण्ड/National Plan Bonds, 1968	12-05-1968	...	...	...	...	...	...	...
3.50%	उधार/Loan, 1968	26-08-1968	...	...	...	...	...	...	...
4.25%	राष्ट्रीय रक्षा उधार/National Defence Loan, 1968	27-10-1968	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1969	08-05-1969	...	...	...	...	...	...	...
3.50%	बाण्ड/Bonds, 1969	01-07-1969	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1970	15-04-1970	...	...	...	...	...	...	...
3%	प्रथम विकास उधार/First Development Loan, 1970-75	15-10-1970	115.06	...	...	...	...	...	...
4.50%	उधार/Loan, 1971	01-07-1971	...	...	...	...	...	...	...
4.50%	उधार/Loan, 1972*	15-07-1972	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1972	01-08-1972	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	राष्ट्रीय रक्षा उधार/National Defence Loan, 1972	27-10-1972	...	...	...	...	...	...	...
4.25%	राष्ट्रीय रक्षा बाण्ड/National Defence Loan, 1962	10-11-1972	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1973	12-05-1973	...	...	...	...	...	...	...
4.25%	उधार/Loan, 1973	22-07-1973	...	...	...	...	...	...	...
3.75%	उधार/Loan, 1974	16-07-1974	...	...	...	...	...	...	...
2.75%	उधार/Loan, 1976	16-09-1976	14.77	...	...	...	...	...	...
6.50%	स्वर्ण बाण्ड/Gold Bond, 1977	12-11-1977	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	उधार/Loan, 1978	01-07-1978	...	...	...	...	...	...	...
5.25%	उधार/Loan, 1978	22-11-1978	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1979	01-07-1979	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	उधार/Loan, 1979	15-07-1979	...	...	...	...	...	...	...
5%	उधार/Loan, 1979	16-07-1979	...	...	...	...	...	...	...
7%	स्वर्ण बाण्ड/Gold Bonds, 1980	02-03-1980	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	उधार/Loan, 1980	12-05-1980	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1980	18-07-1980	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	उधार/Loan, 1981	21-07-1981	...	...	...	...	...	...	...
4.75%	उधार/Loan, 1981	21-07-1981	...	...	...	...	...	...	...
4%	उधार/Loan, 1981	24-07-1981	...	...	...	...	...	...	...
5%	राष्ट्रीय रक्षा उधार/National Defence Loan, 1981	20-12-1981	...	...	...	...	...	...	...
5%	उधार/Loan, 1982	15-07-1982	...	...	...	...	...	...	...
5.50%	उधार/Loan, 1982	26-07-1982	...	...	...	...	...	...	...
5%	उधार/Loan, 1983	15-07-1983	...	...	...	...	...	...	...
5%	उधार/Loan, 1984	01-06-1984	...	...	...	...	...	...	...
5.75%	उधार/Loan, 1984	01-07-1984	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

प्रतिशत में ऋण की प्रकृति Name of Loan in %	उधार वापस करने की सबसे पहली तारीख Earliest date of maturity	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में As at the end of 1950-51	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
4.50% उधार/Loan, 1985	12-07-1985	...	...	...	...	...	...	...
5.50% उधार/Loan, 1985	16-07-1985	...	...	...	...	...	...	...
6% उधार/Loan, 1985	21-07-1985	...	...	...	...	...	...	...
4.50% उधार/Loan, 1986	08-05-1986	...	...	...	...	...	...	...
[illegible] उधार/Loan, 1986	12-05-1986	...	...	...	...	...	...	...
5.25% उधार/Loan, 1986	01-07-1986	...	...	...	...	...	...	...
6.25% उधार/Loan, 1986	26-07-1986	...	...	...	...	...	...	...
5.50% राष्ट्रीय रक्षा उधार/N.D. Loan, 1986	20-12-1986	...	...	...	...	...	...	...
6.25% उधार/Loan, 1987	27-04-1987	...	415.89	...	...	...	...	...
6% उधार/Loan, 1987	02-07-1987	...	161.25	...	...	...	...	...
5.25% उधार/Loan, 1987	21-07-1987	...	243.77	...	...	...	...	...
5.25% उधार/Loan, 1988	01-06-1988	...	84.64	84.64	...	...	...	...
6% उधार/Loan, 1988	22-11-1988	...	390.10	390.10	...	...	...	...
4.75% उधार/Loan, 1989	15-04-1989	...	140.26	140.26	140.26	...	...	...
6.25% उधार/Loan, 1989	25-05-1989	...	205.12	205.12	205.12	...	...	...
6.75% उधार/Loan, 1989	11-10-1989	...	144.53	144.53	144.53	...	...	...
7.75% उधार/Loan, 1989	29-10-1989	...	80.32	80.32	80.32	...	...	...
6% उधार/Loan, 1989	22-11-1989	...	68.49	68.49	68.49	...	...	...
5.50% उधार/Loan, 1990	01-07-1990	...	136.16	136.16	136.16	136.16	...	...
6.50% उधार/Loan, 1990	18-07-1990	...	581.67	581.67	581.67	581.67	...	...
9% उधार/Loan, 1990	24-10-1990	...	132.37	132.37	132.37	132.37	...	...
8% उधार/Loan, 1991	04-02-1991	...	137.52	137.52	137.52	137.52	...	...
10% उधार/Loan, 1991	12-05-1991	...	55.26	55.26	55.26	55.26	55.26	...
7.75% उधार/Loan, 1991	15-07-1991	...	740.76	740.76	740.76	740.76	740.76	...
5.50% उधार/Loan, 1991	18-07-1991	...	118.03	118.03	118.03	118.03	118.03	...
6.75% उधार/Loan, 1991	21-07-1991	...	382.72	382.72	382.72	382.72	382.72	...
6.25% उधार/Loan, 1991	29-10-1991	...	121.41	121.41	121.41	121.41	121.41	...
7.25% उधार/Loan, 1992	24-05-1992	...	560.18	560.18	560.18	560.18	560.18	560.18
5.50% उधार/Loan, 1992	15-07-1992	...	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20	150.20
9.25% उधार/Loan, 1992	27-07-1992	...	209.48	209.48	209.48	440.47	440.47	440.47
6.25% उधार/Loan, 1993	01-07-1993	...	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61
10.20% उधार/Loan, 1993	14-07-1993	...	316.84	317.37	317.60	317.60	317.60	317.60
10.00% उधार/Loan, 1993	20-07-1993	...	...	...	174.86	174.86	174.86	174.86
6% उधार/Loan, 1993	26-07-1993	...	289.53	289.53	289.53	289.53	289.53	289.53
6.75% उधार/Loan, 1994	16-02-1994	...	272.43	272.43	272.43	272.43	272.43	272.43
8.50% उधार/Loan, 1994	01-06-1994	...	541.92	541.92	541.92	541.92	541.92	541.92
6% उधार/Loan, 1994	01-07-1994	...	241.80	241.80	241.80	241.80	241.80	241.80
7% उधार/Loan, 1994	12-10-1994	...	169.95	169.95	169.95	169.95	169.95	169.95
5.50% उधार/Loan, 1995	11-05-1995	...	188.56	188.56	188.56	188.56	188.56	188.56
6.25% उधार/Loan, 1995	15-05-1995	...	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70	125.70
9.50% उधार/Loan, 1995	21-05-1995	...	416.76	416.76	416.76	185.77	185.77	185.77
6.50% उधार/Loan, 1995	25-05-1995	...	119.30	119.30	119.30	119.30	119.30	119.30
10.50% उधार/Loan, 1995	11-06-1995	...	...	...	...	...	291.59	291.59
8.25% उधार/Loan, 1995	30-09-1995	...	598.71	598.71	598.71	598.71	598.71	598.71
10.50% उधार/Loan, 1996	12-05-1996	...	178.53	178.53	178.53	178.53	178.53	178.53
10.30% उधार/Loan, 1996	02-11-1996	...	...	...	86.89	86.87	86.87	86.87
6.25% उधार/Loan, 1996	01-12-1996	...	372.05	372.05	372.05	372.05	372.05	372.05
7.25% उधार/Loan, 1997	27-04-1997	...	120.13	120.13	120.13	120.13	120.13	120.13
6.50% उधार/Loan, 1997	02-07-1997	...	151.02	151.02	151.02	151.02	151.02	151.02
6.25% उधार/Loan, 1997	22-11-1997	...	214.81	214.81	214.81	214.81	214.81	214.81
10.50% उधार/Loan, 1997	11-05-1997	...	...	308.87	512.40	512.40	512.40	512.40
7% उधार/Loan, 1998	12-05-1998	...	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48	281.48
10.50% उधार/Loan, 1998	23-05-1998	...	...	...	294.13	294.14	294.14	294.14
6% उधार/Loan, 1998	16-07-1998	...	172.66	172.66	172.66	172.66	172.66	172.66
6.25% उधार/Loan, 1998	01-10-1998	...	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47	143.47
5.50% बैंक (अधिग्रहण और अन्तरण) मुआवजा बांड, 1999 Bank (Acquisition and Transfer) compensation Bond, 1999		...	72.63	72.63	72.63	72.63	72.63	72.63
5.50% उधार/Loan, 1999	30-04-1999	...	275.19	275.19	275.19	275.19	275.19	275.19
10.50% उधार/Loan, 1999	15.05.1999	...	...	...	...	33.50	33.50	33.50
5.50% उधार/Loan, 2000	11-04-2000	...	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23
10.75% उधार/Loan, 2000	11-06-2000	...	...	...	...	...	206.76	206.76
6.50% उधार/Loan, 2000	01-07-2000	...	420.11	420.11	420.11	420.11	420.11	420.11

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

प्रतिशत में ऋण की प्रकृति	Name of Loan in %	उधार वापस करने की सबसे पहली तारीख Earliest date of maturity	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में As at the end of 1950-51	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
5.75%	उधार/Loan, 2001	01-07-2001	...	42.16	230.84	230.84	230.84	230.84	230.84
6.50%	उधार/Loan, 2001	01-07-2001	...	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61	93.61
7.50%	उधार/Loan, 2001	21-07-2001	...	304.28	304.27	304.27	304.27	304.27	304.27
5.75%	राष्ट्रीय रक्षा उधार/N.D. Loan, 2001	20-12-2001	...	230.84	42.16	42.16	42.16	42.16	42.16
11%	उधार/Loan, 2002	11-05-2002	...	...	2750.83	2951.98	2951.98	2951.98	2951.98
7.75%	उधार/Loan, 2002	24-05-2002	...	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56	64.56
5.75%	उधार/Loan, 2002	15-07-2002	...	388.58	388.58	388.58	388.58	388.58	388.58
6.50%	उधार/Loan, 2002	16-10-2002	...	310.25	310.25	310.25	310.25	310.25	310.25
5.75%	उधार/Loan, 2003	12-05-2003	...	378.43	378.43	378.43	378.43	378.43	378.43
11.00%	उधार/Loan, 2003	23-05-2003	...	...	...	192.81	192.94	192.94	192.94
6.50%	उधार/Loan, 2003	26-07-2003	...	396.45	396.45	396.45	396.45	396.45	396.45
11.00%	उधार/Loan, 2004	15-05-2004	...	...	...	...	12.34	12.34	12.34
9.50%	उधार/Loan, 2004	01-06-2004	...	320.59	320.59	320.59	320.59	320.59	320.59
6.50%	उधार/Loan, 2004	20-06-2004	...	411.96	411.96	411.96	411.96	411.96	411.96
11.30%	उधार/Loan, 2004	27-10-2004	...	539.45	539.56	539.56	539.56	539.56	539.56
10.50%	उधार/Loan, 2005	21-05-2005	...	110.95	110.95	110.95	470.22	470.22	470.22
11.25%	उधार/Loan, 2005	11-06-2005	...	...	...	...	...	1338.22	1338.22
6.00%	उधार/Loan, 2005	01-10-2005	...	464.97	464.97	464.97	464.97	464.97	464.97
8.25%	उधार/Loan, 2005	11-10-2005	...	664.79	664.79	664.79	664.79	664.79	664.79
11.50%	उधार/Loan, 2006	12-05-2006	...	5228.63	5259.29	5259.56	5259.55	5259.55	5259.55
6.75%	उधार/Loan, 2006	15-05-2006	...	788.78	788.78	788.78	788.78	788.78	788.78
11.50%	उधार/Loan, 2007	05-10-2007	...	...	3593.39	4356.97	4356.97	4356.97	4356.97
6.75%	उधार/Loan, 2007	22-11-2007	...	621.49	621.49	621.49	621.49	621.49	621.49
9.50%	उधार/Loan, 2008	20-02-2008	...	672.49	672.48	672.48	672.48	672.48	672.48
11.00%	उधार/Loan, 2008	23-05-2008	...	...	...	6976.55	6976.68	6976.68	6976.68
10.80%	उधार/Loan, 2008	22-07-2008	...	361.81	361.81	361.81	361.81	361.81	361.81
11.50%	उधार/Loan, 2009	15-05-2009	...	...	...	...	7997.63	7997.63	7997.63
7%	उधार/Loan, 2009	25-05-2009	...	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44	1197.44
7.50%	उधार/Loan, 2010	12-05-2010	...	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22	1456.22
11.50%	उधार/Loan, 2010	11-06-2010	...	...	...	...	...	7151.43	7151.43
8.75%	उधार/Loan, 2010	13-12-2010	...	500.22	500.22	500.22	500.22	500.22	500.22
8%	उधार/Loan, 2011	27-04-2011	...	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92	1477.92
10.25%	उधार/Loan, 2012	01-06-2012	...	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13	1755.13
9%	उधार/Loan, 2013	24-05-2013	...	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33	1999.33
10%	उधार/Loan, 2014	30-05-2014	...	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26	2333.26
10.50%	उधार/Loan, 2014	29-10-2014	...	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10	1755.10
11.50%	उधार/Loan, 2015	21-05-2015	...	4532.76	4532.76	4532.76	4173.50	4173.50	4173.50
*3%	उधार/Loan, 1896-97 तीन महीने के नोटिस पर सरकार की इच्छा के अनुसार	At the option of Govt. on 3 months notice	8.93	...	...	...	...	...	...
*3%	रूपान्तरण उधार/Conversion Loan, 1946 को या उसके बाद तीन महीने के नोटिस पर सरकार की इच्छा के अनुसार	-Do-on or after 16-09-1986	248.92	...	...	...	...	...	...
8%	हैदराबाद उधार/Hyderabad Loan, 1951-61	01-08-1961	...	...	...	...	...	...	...
4%	हैदराबाद राज्य विकास उधार/Hyderabad State Dev. Loan, 1963	15-10-1963	...	...	...	...	...	...	...
2.50%	हैदराबाद उधार/Hyderabad Loan, 1953-63	16-10-1963	...	...	...	...	...	...	...
1.25%	हैदराबाद उधार/Hyderabad Loan, 1964	30-10-1964	...	...	...	...	...	...	...
4%	हैदराबाद राज्य विकास उधार/Hyderabad State Dev. Loan, 1967	01-09-1967	...	...	...	...	...	...	...
4%	हैदराबाद राज्य विकास उधार/Hyderabad State Dev. Loan, 1968	08-09-1968	...	...	...	...	...	...	...
2.75%	हैदराबाद उधार/Hyderabad Loan, 1974	01-04-1974	...	...	...	...	...	...	...
2.75%	हैदराबाद उधार/Hyderabad Loan, 1975	01-01-1975	...	...	...	...	...	...	...
	अविभाजित पंजाब द्वारा लिए गए उधार के लिए केन्द्र की देनदारी Centre's liability of loans taken by composite Punjab	...	...	...	...	...	...	...	...
	1991-92 में जारी किए जाने वाले नए उधार New loans to be floated in 1991-92	...	...	...	...	...	...	...	8918.00
	जोड़-चालू उधार TOTAL-CURRENT LOANS	...	1438.46	40832.00	46695.47	55114.72	62519.72	70520.00	78019.82

** 1972-73 में परिपक्व असमापनीय उधार (100.13 करोड़ रुपए)*
**Non-Terminable Loans Matured in 1972-73 (Rs.100.13 crores)*

अनुबन्ध ANNEXURE - 8

विदेशी सहायता EXTERNAL ASSISTANCE

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋणों तथा वस्तु सहायता के रूप में मिली सहायता और उसकी मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है । वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में, जो वास्तविक विदेशी सहायता मिली है, उसके और मूलधन की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है ।

This Annexure gives in brief, the nature and magnitude of assistance in the form of loans, grants and commodities received from friendly foreign countries and International Organisations. The estimates of receipts of external assistance and of repayments of Principal and interest payments during the years 1989-90 and 1990-91 are summarised in the following table:–

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		बजट अनुमान B.E.1990-91	संशोधित अनुमान R.E.1990-91	बजट अनुमान B.E. 1991-92
क. ऋण*	**A. Loans***	**5641.73**	**6241.49**	**6914.97**
ख. नकद अनुदान	**B. Cash Grants**	**684.57**	**732.29**	**714.28**
ग. वस्तु अनुदान सहायता	**C. Commodity Grant Assistance**	**123.16**	**89.77**	**153.86**
(i) खाद्य	(i) Food	60.03	3.93	0.00
(ii) अन्य	(ii) Others	63.13	85.84	153.86
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**D. Total(A+B+C)**	**6449.46**	**7063.55**	**7783.11**
ङ वापसी अदायगी	**E. Repayments:**			
(i) ऋण	(i) Loans	1925.64	2053.93	3252.32
(ii) न्यास निधि	(ii) Trust Fund	125.30	126.97	0.00
(iii) विशेष ऋण	(iii) Special Credit	71.49	76.38	152.76
च. जोड़	**F. Total**	**2122.43**	**2257.28**	**3405.08**
छ. विदेशी सहायता (वापसी अदायगियां घटाकर)	**G. External Assistance (Net of Repayments)**	**4327.03**	**4806.27**	**4378.03**
ज. ब्याज अदायगियां	**H. Interest Payments**			
(i) ऋण	(i) Loans	1625.08	1808.77	2680.40
(ii) न्यास निधि उधार	(ii) Trust Fund Borrowings	0.49	0.53	0.01
(iii) विशेष ऋण	(iii) Special Credits	25.94	26.99	21.18
झ. जोड़	**I. Total**	**1651.51**	**1836.29**	**2701.59**
ञ. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी तथा ब्याज अदायगी घटाकर)	**J. External Assistance** (Net of Repayments and Interest Payments)	**2675.52**	**2969.98**	**1676.44**
*इसमें परक्रामी निधि के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं ।	*Includes receipts under Revolving fund*	*257.07*	*572.34*	*371.17*

टिप्पणी :- *वर्ष 1991 में की विनियम दरों हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ऋण प्राप्तियों और अनुदानों में वृद्धि का निर्धारण किया जा रहा है क्योंकि इनका प्रभाव सहायता के स्वरूप और अन्तर्निहित परियोजनाओं पर निर्भर करेगा । ऋण तथा अनुदान प्राप्तियों जिनमें वृद्धि का पता लगा है, तथा व्यय अनुमानों में परिणामी परिवर्तनों को यथा-समय संशोधित अनुमानो में शामिल किया जाएगा ।*

Note :- *The increases in the loan receipts and grants consequent on changes effected in exchange rates in 1991 are under assesment, as the impact will depend on the nature of assistance and the projects involved. The identified increases in loan and grant receipts and consequential changes in the expenditure estimates will be incorporated in due course in the Revised Estimates.*

दो विवरण अर्थात विवरण 1 जिसमें विदेशी ऋणों की प्राप्तियां और वापसी अदायगियां दिखाई गई हैं तथा विवरण 2 जिसमें अनुदान तथा वस्तु सहायता का ब्यौरा दिया गया है, इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा आगे के पैराग्राफों में दिया गया है ।

I. आबुधाबी अरब आर्थिक विकास निधि

आबुधाबी सरकार के एक अभिकरण के रूप में आबुधाबी आर्थिक विकास निधि की स्थापना 1971 में की गई थी जिसका उद्देश्य अरब देशों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। तथापि, इसका कार्यक्षेत्र अन्य विकासशील देशों में भी फैला हुआ है । 1974 से यह संस्थान अफ्रीकी और एशियाई मित्र देशों को भी ऋण प्रदान करके सहायता करने की ओर अग्रसर है । इस निधि ने 6 जुलाई, 1976 के एक करार द्वारा उत्तर प्रदेश में गढ़वाल - ऋषिकेश - चिल्ला पन-बिजली परियोजना के वित्तपोषण के लिए 6 करोड़ 80 लाख संयुक्त अरब अमीरात दिरहम (लगभग 12.92 करोड़ रुपए) का एक ऋण दिया है । इस परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक 30 मेगावाट क्षमता के चार एकक स्थापित करने का विचार है और इस पर लगभग 88 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है । सारा ऋण पहले ही उपयोग में लिया जा चुका है ।

प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिये इस ऋण पर 0.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार सहित 3.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा । इस ऋण की वापसी अदायगी 20 वर्ष में की जायेगी, जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है ।

II. आस्ट्रेलिया

1. भारत में विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए रियायती ऋणों की व्यवस्था के लिए आस्ट्रेलिया के साथ अक्तूबर, 1990 में निम्नलिखित तीन करारों पर हस्ताक्षर किए गए ।

(1) विकास सहयोग करार
(2) लघु गतिविधि स्कीम से संबंधित सहमति ज्ञापन
(3) कार्यक्रम प्रशासनिक समर्थन यूनिट संबंधी सहमति ज्ञापन

2. विकास सहयोग करार भारत को आस्ट्रेलियाई अनुदान प्रदान करने वाला एक व्यापक करार है । आस्ट्रेलिया सरकार ने भारत सरकार को 1990-93 के तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 करोड़ 50 लाख आस्ट्रेलियन डालर का समर्थन देने का कार्यक्रम बनाया है ।

Two statements viz. Statement 1 showing the receipts and repayments of external loans and Statement 2 showing the grants and commodity assistance are appended to this Annexure.

A brief write-up on the assistance extended by different countries and organisations is given in the succeeding paragraphs.

I. ABU DHABI FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development was established in 1971 as an agency of Abu Dhabi Government, with the object of providing economic assistance to Arab countries. However its scope was widened to cover other developing countries also. From 1974 onwards this institution has been helping friendly African and Asian countries also by way of extending loans. This fund has extended a loan of UAE Dirham 68 million (approximately Rs.12.92 crores) by an agreement dated 6th July, 1976 for financing the Garhwal-Rishikesh-Chila Hydro Electric Project in Uttar Pradesh. The project envisaged installation of four units each of 30 M.W. capacity at the estimated cost of about Rs.88 crores. The loan has already been utilised in full.

The loan carries an interest of 3.5 per cent with additional charge of 0.5 per cent towards administrative expenses. The loan is repayable in 20 years including a grace period of 5 years.

II. AUSTRALIA

1. Three agreements were signed with Australia in October, 1990 for provision of concessional loans to finance development projects in India. These included.

(1) Agreement on Development Cooperation
(2) MOU on Small Activities Scheme
(3) MOU on Programme Administration Support (PAS) Unit.

2. The Agreement on Development Cooperation is the Umbrella agreement providing for Australian grant aid to India. The Australian Government has programmed support of Australian $ 35 Million to India for the three year period 1990-93.

लघु कार्यकलाप स्कीम से संबंधित दूसरे करार में लघु योजनाओं को कार्यक्रमबद्ध समर्थन की व्यवस्था है । उनमें से प्रत्येक योजना का परिव्यय 100,000 आस्ट्रेलियाई डालर से अधिक न हो ।

3. कार्यक्रम प्रशासनिक समर्थन यूनिट सम्बन्धी करार के अन्तर्गत आस्ट्रेलियाई सहायता परियोजनाओं को प्रशासनिक समर्थन प्रदान करके आस्ट्रेलियाई सहायता कार्यक्रम में सहायता देना है ।

III. आस्ट्रिया

आस्ट्रिया सरकार ने अब तक 15609.8 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग के पन्द्रह ऋण आस्ट्रियाई मूल की पूंजीगत वस्तुओं को वित्तपोषित करने के लिए दिए हैं । इसमें दिसम्बर, 1976 में भारत को दी गई 260 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग की राशि की खाद्य सहायता भी शामिल है । 1979-80 तक दिए गए ऋणों को 2 से 7 वर्ष की रियायती अवधि सहित 15 से 25 वर्षों में वापिस अदा किया जाना है और इन ऋणों पर 2 से 5.5 प्रतिशत तक ब्याज लगेगा । 1980-81 के पश्चात दिए गए ऋणों को 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में वापिस अदा किया जाना है और इन ऋणों पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।

सहायता के लिए एक करार पर 16.12.1986 को हस्ताक्षर किए गए हैं जिसकी राशि कुल मिलाकर 1000.00 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग से कम न होगी । सहायता की शर्तें पिछले ऋणों की शर्तों जैसी ही हैं अर्थात 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में वापसी अदायगी और 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज । पूंजीगत वस्तुओं संबंधी ऋण 1989 के करार पर दिसम्बर, 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार 1200 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग का ऋण दिया गया था और जिस में से लगभग 95 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग पहले दिए गए ऋण के नामे डाले गए थे और इस प्रकार 1105 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग का निवल ऋण शेष रह गया था । ऋण-रेखा शासित करने की प्रक्रिया नितान्त सरल और तीव्र है । करार के अनुसार, सम्पूर्ण राशि आस्ट्रियाई सरकार द्वारा आस्ट्रियन नेशनल बैंक में जमा करायी जाती है । हम आस्ट्रियन नेशनल बैंक को प्राधिकार-पत्र जारी करते हैं (ए.एन.बी.) जिससे आस्ट्रियन नेशनल बैंक, आस्ट्रियाई पूर्तिकारों को अदायगी करता है और इसके बाद आस्ट्रियाई सरकार द्वारा कोई और संवीक्षा नहीं की जाती है ।

आस्ट्रिया ने भी 9 ऋणों के द्वारा 3716.1 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग की राशि की ऋण राहत सहायता दी है । इसे पच्चीस वर्ष की अवधि में वापस अदा किया जाना है और शुरू में 9 वर्ष की रियायती अवधि भी उपलब्ध है, इन ऋणों पर दो प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा । इसके अलावा 1968-69 से लेकर 1970-71 के दौरान ब्याज की दर को 5.5 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत कर देने के कारण आस्ट्रिया ने अनुदानों के रूप में 430 लाख आस्ट्रियाई शिलिंग की ऋण राहत भी दी है ।

IV. बेल्जियम

बेल्जियम सरकार ने 1989 तक 50,100 लाख बेल्जियम फ्रांक की राशि का कुल ऋण दिया है । इसमें से 12620 लाख बेल्जियम फ्रांक की राशि ऋण राहत के रूप में मिली है और शेष राशि बेल्जियम पूंजीगत वस्तुओं, औद्योगिक उपस्कर तथा उनसे सम्बन्धित सेवाओं की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराई गई ।

बेल्जियम मूल की पूंजीगत वस्तुओं, उपस्करों और सेवाओं के आयात के वित्त-पोषण के लिए 2500 लाख बेल्जियम फ्रांक (9.96 करोड़ रु.) मिश्रित ऋण देने के लिए, अक्तूबर, 1989 में 19 वें ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए । यह ऋण कुल संविदा मूल्य के 40% और शेष 60% वाणिज्यिक ऋणों पर दिया जाने वाला उदार शर्तों वाला ऋण होगा । 1977-78 से आगे जो ऋण दिए गए हैं, उनकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष की अवधि तक की जानी है और उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा ।

V. कनाडा

सन् 1951 से कनाडी विकास सहायता भारत को मिल रही है । यह सहायता कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त होती है । यह सहायता ऋण और अनुदान के रूप में है । क.अ.वि.अ. ने 31 मार्च 1990 तक कुल मिलाकर 3 अरब कनाडी डालर की सहायता दी है । कनाडा ने 217.6 लाख कनाडी डालर की ऋण राहत भी दी है ।

2. 31.3.1986 तक कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के ऋण ब्याज, वचनबद्धता और सेवा प्रभारों से मुक्त थे और इनकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 50 वर्ष की अवधि में की जानी थी । 1.4.86 से कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (क.अ.वि.अ.) की

The Second agreement on Small Activities Scheme provides for uprogrammed support to Small Schemes the outlay of each of which should not exceed Australian $ 100,000.

3. The Agreement on the program Administrative Support Unit (PASU) is to assist Australia's aid programme to India by providing administrative support to Australian Aid Projects.

III. **AUSTRIA**

The Government of Austria have so far extended fifteen credits amounting to A.Sch.1560.98 million for financing capital goods of Austrian origin. This also includes Food Aid amounting to A.Sch. 26 million given to India in December, 1976. The credits extended by Austria upto 1979-80 were repayable over a period of 15 to 25 years with a grace period of 2 to 7 years and carried interest rates ranging from 2 to 5.5 per cent. The credits extended after 1980-81 are repayable over a period of 30 years, including a grace period of 10 years and carry interest at the rate of 2 per cent per annum.

An agreement for aid aggregating not less than A.Sch. 100.00 million has been signed on 16.12.1986. The terms of aid are similar to earlier credits, *viz.* 2% interest and 30 years for repayment including grace period of 10 years. Capital Goods Credit 1989 agreement was signed in December, 1989 for an amount of A.Sch. 120 million against which A.Sch. 9.5 million approx was debited to the earlier credit line leaving a net credit amount of A. Sch. 110.5 million. The procedure governing the credit line is quite simple and speedy. As per the agreement, the entire amount is deposited by the Austrian Govt. with the Austrian National Bank. We issue letter of authority to the Austrian National Bank (ANB) against which the ANB makes the payment to the Austrian supplier, and no further scrutiny is done by the Austrian Government.

Austria has also extended debt relief assistance to the extent of A.Sch.371.61 million through nine credits. These credits are repayable over a period of 25 years with an initial grace period of 9 years, the rate of interest being 2 per cent per annum. Besides, Austria has extended debt relief amounting to A.Sch.43 million in the form of a grant by way of reduction of interest rate from 5.50 per cent to 3 per cent during the years 1968-69 to 1970-71.

IV. **BELGIUM**

The total assistance provided by Belgium till 1989 amounts to around BF 5010 M. Out of this BF 1262M have been provided for debt relief while the balance was made available for procurement of Belgian Capital Goods, industrial equipments and services related thereto.

In October, 1989 the 19th Loan agreement was signed for BF 250M(Rs. 9.96 crores) for financing import of capital goods, equipment and service of Belgian origin in the form of mixed credit. The soft loan would be 40% of the total contract value and balance 60% on commercial credit. The soft loan extended from 1977-78 onwards provide for repayment over 30 years including 10 years grace period and are interest free.

V. **CANADA**

Canada has been extending economic assistance to India since 1951 . This assistance is channelised mainly through Canadian International Development Agency (CIDA). The assistance has been in the form of loans as well as grants. The net total value of CIDA loan assistance extended upto 31-3-1990 has been of the order of 3 Billion C.$ Canada has also provided debt relief of C.$21.76 million.

2. Till 31.3.1986, the CIDA loans were free from interest, commitment or service charges and were repayable over a period of 50 years including a grace period of 10 years. Since 1.4.1986, CIDA assistance is entirely in grant form. The CIDA assistance has been

सहायता पूर्ण रूप से अनुदान के रूप में है । क.अ.वि.स. की सहायता परियोजना सहायता, परियोजना-भिन्न सहायता और खाद्य सहायता (गेहूं ऋण) के रूप में मिली है । परियोजना सहायता पन-बिजली विद्युत परियोजनाओं, तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण तथा विकास, काण्डला तथा हल्दिया बन्दरगाहों पर खुले उर्वरकों को उठाने-धरने और सम्भालने के काम आने वाली सुविधाएं, आई.पी.सी.एल. कृत्रिम रबड़ परियोजना, द्वितीय उपग्रह अर्थ-संचार स्टेशन, डीजल इंजन वर्क्स, राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना, शरावती एल्युमीनियम परियोजना, डाक व तार विभाग के लिए दूर संचार उपस्कर, विंड टनल परियोजना, दुर्गापुर इस्पात संयत्र, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम परियोजना, आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक वानिकी, एन.डी.डी.बी. की तेलहनों की परियोजना आदि के लिए मिली है । हाल ही में, क.अ.वि. अ. ने आयोजनागत आर्थिक पूर्वानुमानों के लिए एन.आई.सी की ग्लोबल माडलिंग परियोजना के लिए भी सहायता प्रदान की है । परियोजना-भिन्न सहायता को अखबारी कागज, एस्बेस्टस, लकड़ी की लुगदी, निकिल, जस्ता, उर्वरक परियोजना आदि पूंजीगत वस्तुओं और तेल तथा गैस, विद्युत और खनन क्षेत्र के लिए अन्य उपस्कर और कनाडा में भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण संबंधी उपयोग के लिए है ।

3. कनाडा के निर्यात विकास निगम ने भी भारत को ऋण दिए हैं । चमेरा पनबिजली परियोजना ऐसी चालू परियोजना है जिसके लिए ऋण दिया गया है । निर्यात विकास निगम ने तेल और गैस क्षेत्र में भी तेल और प्राकृतिक गैस निगम को कई एक ऋण सुविधाओं की व्यवस्था की है । इन ऋणों का उपयोग कनाडी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा दी गई उसी प्रकार की सहायता के साथ मिलकर किया जाना है । इसके अलावा, निर्यात विकास निगम ने एअर इंडिया और इण्डियन एअर लाइन्स द्वारा एक-एक सिमुलेटर की खरीद के लिए सहायता दी है । निर्यात विकास निगम ने हाल ही में राजमहल कोयला खान परियोजना के लिए सी.आई.एल को इसी प्रकार की सहायता दी है।

अनुदान : कनाडा ने खाद्यान्नों तथा खाद्य-भिन्न वस्तुओं के लिए भी अनुदान सहायता दी है । 31–3–90 तक कुल मिलाकर 148229 लाख कनाडी डालर के मूल्य की अनुदान निवल सहायता अधिकृत की गई है ।

VI. चेकोस्लोवाकिया

चेकोस्लोवाकिया ने 1959 से भारत को आर्थिक सहायता देनी शुरू की थी और अब तक उसने कुल मिलाकर 176.20 करोड़ रुपए के तीन ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिए हैं । ढलाई गढ़ाई संयंत्र रांची, भारी मशीन टूल परियोजना, रांची, हाई प्रेशर बायलर संयंत्र, तिरूचिरापल्ली, भारी विद्युत उपस्कर संयंत्र, हैदराबाद, हैवी ड्यूटी बिजली इंजन, हैदराबाद में टर्बो ब्लोअर तथा कम्प्रैसरों के निर्माण के लिए संघटक बनाने की परियोजना, भारत हैवी प्लेट तथा वैसल्ज परियोजना, विशाखापत्तनम, एन्नोर (तमिलनाडु) तापीय बिजलीघर तथा अजमेर मशीन टूल कारखाना आदि ।

पहले ऋण की वापसी अदायगी, जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए थी, आठ वर्षों की अवधि में की जा सकेगी, जिसमें एक वर्ष की रियायती अवधि शामिल है । दूसरे तथा तीसरे ऋणों की वापसी अदायगी इन ऋणों के अन्तर्गत वित्त पोषित पूंजीगत वस्तुओं के आयात के संबंध में बारह वर्षों की अवधि में की जाएगी जोकि क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष की रियायती अवधि के बाद शुरू होगी । इन ऋणों के अन्तर्गत आयात किए गए संघटकों के संबंध में दूसरे ऋण के मामले में वापसी अदायगी की अवधि आठ वर्ष है, जो कि एक वर्ष की रियायती अवधि के बाद शुरू होगी और तीसरे ऋण की वापसी अदायगी की अवधि दस वर्ष है जो कि एक वर्ष की रियायती अवधि के बाद शुरू होगी । इन तीनो ऋणों पर 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा ।

केवल वर्तमान ऋण ही चेकोस्लोवाकिया से तीसरा ऋण है। इस समस्त ऋण अर्थात् 51.33 करोड़ रुपए की राशि को विशाखापत्तनम की मीडियम मर्चेंट एण्ड स्ट्रकचरल मिल की लागत के एक भाग का वित्तपोषण करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है ।

चेकोस्लोवाकिया के ऋणों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऋण-शोधन अदायगियां अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जाती है जिनका उपयोग चेकोस्लोवाकिया की सरकार के द्वारा समय-समय पर लागू भारत-चेकोस्लोवाकिया व्यापार तथा भुगतान करार के उपबन्धों के अनुसरण में भारतीय वस्तुओं की खरीद करने के लिए किया जाता है ।

VII. डेनमार्क

आबद्ध अनुदानों सहित डेनिश ऋण और अनुदान स्पष्ट रूप से भिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध किए जाते हैं, डेनिश ऋण और आबद्ध अनुदान विनिर्दिष्टतः सुनिश्चित और ऐसी मूल्यांकित परियोजनाओं

extended in the form of project aid, non-project aid and food aid (wheat loan). Project aid has been received for Hydro-electric Power Projects, Oil and Gas Exploration and Development, Fertilizer Bulk handling facilities at Kandla and Haldia Ports, IPCL Synthetic Rubber Project, Second Satellite Earth communication station, Diesel Locomotive Works, Rajasthan Atomic Power Project, Sharavathy Aluminium Project, Telecommunication equipment for P&T Department, Wind Tunnel Project, Durgapur Steel Plant, ARDC Projects, Social Forestry in Andhra Pradesh, NDDB's Oilseeds Project Fertilizers Project etc. Recently, CIDA has also provided assistance for N.I.C's global modelling project for planning economic forecasts. Non project assistance has been given for import of industrial commodities such as asbestos, wood pulp, newsprint, Nickel, zinc, fertilizers and capital goods and other equipment for Oil and Gas, Power and mining sectors and for training of Indian personnel in Canada.

3. The Export Development Corporation of Canada (EDC) has also provided credit to India. On-going projects for which Credit has been provided by EDC is Chamera Hydroelectric Project. A Line of Credit facility in the Oil & Gas Sector has also been provided to ONGC by the EDC. These Credits are to be used in combination with parellel asistance extended by CIDA. Besides, EDC has also extended assistance for procurement of one simulator each by Air India and the Indian Airlines. Similar assistance has been extended by EDC to C.I.L. for Rajmahal Coal Mines Project recently.

Grants: Canada has also given grants for food and non-food items. The total value of the grant authorised upto 31.03.90 has been of the order of C.$.1482.29 million.

VI. CZECHOSLOVAKIA

The Government of Czechoslovakia started its economic assistance to India in 1959 and has extended three credits so far to a total value of Rs.176.20 crores for financing the following projects:– Foundry Forge Plant, Ranchi; Heavy Machine Tools Project, Ranchi; High Pressure Boiler Plant, Tiruchi; Heavy Power Equipment Plant, Hyderabad; Heavy Duty Electrical Locomotive; components for manufacture of turbo blowers and compressors at Hyderabad; Bharat Heavy Plates and Vessels Project, Visakhapatnam; Enoore (Tamil Nadu) Thermal Power Station; Ajmer Machine Tools Factory; etc.

The first credit for import of capital goods is repayable over a period of 8 years after a grace period of 1 year. The second and third credits are repayable over a period of 12 years after a grace period of one year and three years respectively, for capital goods imports and over a period of 8 years after a grace period of 1 year in the case of second credit and 10 years after a grace period of 1 year in the case of third credit for components imported under these credits. All the three credits carry interest at the rate of 2.5 per cent per annum.

The only current credit from Czechoslovakia is the third credit, the bulk of the credit viz. Rs. 51.33 crores is being used to finance a part of the cost for the Medium Merchant and Structural Mills of Visakhapatnam.

An important feature of the Czech credits is that the debt-servicing payments are made in non-convertible Indian rupees for utilisation by Czech authorities for export of Indian goods to Czechoslovakia in accordance with the Indo-Czech Trade Agreement in force from time to time.

VII. DENMARK

Danish Loans and Grants including Tied Grant are available for distinctly different types of projects. The Danish Loans and Tied Grants are available for specific identified an appraised projects involving

के लिए उपलब्ध है जिनमें डेनिश वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग होता है जबकि डेनिश अनुदान गरीबी दूर करने की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध किए जाते हैं, जिनमें सामान्य तकनीकी सहयोग करार, 1989 के अन्तर्गत व्यवस्थित स्थानीय लागतों का व्यय भी शामिल है ।

Danish goods and services, whereas the Danish Grants are available for financing poverty alleviation projects, including Local costs under the General Technical Cooperation Agreement of 1989.

वर्ष 1987 तक डेनिश सरकार जो ऋण सहायता देती थी उसमें अनुदान का अंश 86 प्रतिशत रहता था । जून, 1987 में डेनिश सरकार ने सूचना दी कि वह ऐसे देशों को, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय विश्व बैंक की सांख्यिकी के आधार पर 400 संयुक्त अमेरिकी डालर प्रतिवर्ष है, शतप्रतिशत अनुदान सहायता देगी । 25 करोड़ डेनिश क्रोनर के लिए प्रथम आबद्ध अनुदान करार पर 22.12.87 को हस्ताक्षर किए गए थे । 14.20 करोड़ डेनिश क्रोनर के अनुदान करार सं. 2 पर 2-6-1989 में हस्ताक्षर किए गए थे और 18.42 करोड़ डेनिश क्रोनर के आबद्ध अनुदान करार संख्या 3 पर 20.3.89 को हस्ताक्षर किए गए थे ।

Till 1987 the Danish Government was providing loan assistance with 86% grant element. In June, 1987 Danish Government conveyed that they would be providing 100% Grants to countries with per Capita income of US$ 400 as per World Bank Statistics. The first Tied Grant Agreement No. 1 of D.Kr. 250 Million was signed on 22.12.87. Grant No.2 of Dkr 1420 lkhs was signed on 2.6.89 and Grant No.3 of Dkr 184.20 Mln. was signed on 20.3.89.

VIII. जर्मन संघीय गणराज्य

VIII. FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने 1989-90 में अब तक कुल मिलाकर 117838.5 लाख ड्यूश मार्क की रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता का वचन दिया है । यह सहायता दोनों सरकारों के बीच किए गए विनिर्दिष्ट करारों के माध्यम से उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है । 1990-91 के लिए 4000 लाख ड्यूशमार्क प्राप्त होने की आशा है।

The Government of the FRG have so far committed Financial assistance on concessional terms to the extent of DM 11783.85 million upto 1989-90. The assistance is made available for utilisation through specific Loan Agreements signed between the two Governments. For 1990-91 around DM 400 million is expected to be received.

2. 1989-90 के लिए जर्मन संघीय गणराज्य ने 4300 लाख ड्यूश मार्क की वित्तीय सहायता आवंटित की है । इस बात पर भी सहमति हुई है कि पिछले आवंटनों से 881.5 लाख ड्यूश मार्क की उपयोग में न लायी गई राशि को पुनः आवंटित किया जाएगा । अतः 1989-90 के लिए उपलब्ध कुल 5181.5 लाख ड्यूश मार्क की राशि निम्न प्रकार आवंटित की गई है :

2. For 1989-90, the FRG have allocated financial assistance of DM 430 million. It was also agreed that DM 88.15 million unutilised balance from past allocations would be reallocated. Hence the total amount available for 89-90 is DM 518.15 million allocated as follows:

(दस लाख ड्यूशमार्क *in DM million.)*

क. सामान्य वस्तु सहायता	a)	General Commodity Aid		50.70
ख. पूंजीगत वस्तुएं	b)	Capital Goods		60.00
ग. औद्योगिक विकास बैंक:	c)	Industrial Development Bank		45.00
- आई.सी.आई.सी.आई.		ICICI	22.50	
- आई.एफ.सी.आई.		IFCI	22.50	
घ. स्थानीय लागत परियोजनाएं	d)	Local cost projects:		80.00
- जल पूर्ति, डब्ल्यू. पी.		— Water Supply, W.P.	30.00	
- वाटर शेड विकास, कर्नाटक		— Watershed Development, Karnataka	20.00	
- एन.जी.ओ. कार्यक्रम		— NGO Programme	2.00	
- एन.डी.डी.बी. पशु परियोजना		— NDDB Cattle Project	2.00	
- काशीपुर जलमल व्ययन		— Kashipur Sewerage	16.00	
- हुडको निर्माण केन्द्र		— HUDCO Building Centres	10.00	
ङ. मिली-जुली वित्तपोषण योजनाएं	e)	Mixed Financing projects		267.45
- चिनाकुरी पिट माइनिंग		— Chinakuri Pit Mining	12.50	
- दादरी कम्बाइंड साइकल		— Dadri Combined Cycle	129.95	
- राउरकेला इस्पात संयन्त्र		— Rourkela Steel Plant	50.00	
- 30 मेगावाट सौर तापीय		— 30 MW Solar Thermal	50.00	
- रेलवे निवेश कार्यक्रम		— Railway Investment Programme	25.00	
च. विशेष वानिकी कार्यक्रम	f)	Special Forestry Programme		15.00
				518.15

3. पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त सहायता से स्थापित प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं में ये परियोजनाएं शामिल हैं : राउरकेला इस्पात संयंत्र, सिंगरौली, कोरबा और रामगुंडम में सुपर तापीय विद्युत केन्द्र, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर (एच.बी.जे.) पाइपलाइन परियोजना आदि । जर्मन संघीय गणराज्य ने परियोजनाओं की स्थानीय लागत के लिए भी वित्तीय सहायता दी है । इस श्रेणी के अंतर्गत जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा जो पहली परियोजना मंजूर की गई थी, वह टावा (टी ए डब्लू ए) कमान क्षेत्र विकास परियोजना है ।

3. Among the major Industrial projects which have been set up with West German Assistance are the Rourkela Steel Plant, Super Thermal Power Station at Singrauli, Korba & Ramagundum, HBJ Pipeline project etc. FRG has also extended financial assistance for local cost projects. The first project which was sanctioned by FRG in this category was TAWA Command Area Development project in Madhya Pradesh.

4. जर्मन संघीय गणराज्य द्वारा दिए गए उदार ऋणों की वापसी अदायगी 40 वर्षों में, जिसमें 10 वर्ष छूट की अवधि भी शामिल है, की जायेगी और इस पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा । मिश्रित ऋण के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं में, उदार ऋणों के अतिरिक्त निर्यात ऋण भी शामिल है । दोनों को 50:50 के अनुपात में बांटा गया है ।

4. The soft credit provided by the FRG envisages repayment period of 40 years including a grace period of 10 years and at an interest of 0.75% per annum. Projects covered under Mixed Credit include export credit, in addition to soft credit. The two components are blended in 50:50 ratio.

5. जर्मन संघीय गणराज्य उपस्कर विशेषज्ञों की सेवाओं आदि के रूप में तकनीकी सहायता अनुदान भी देता है । वर्ष 1989-90 के लिए ऋणों के अतिरिक्त, जर्मन संघीय गणराज्य ने 450 लाख ड्यूश मार्क आवंटित किए हैं । इस बात पर भी सहमति हुई कि पिछले वर्ष के आवंटनों से 35 लाख

5. Besides loans, the FRG also gives technical assistance grants in the form of equipment, service of experts etc. For the year 1989-90, FRG has allocated DM 45 million. It was also agreed that DM 3.5 million unutilised balance from last year's allocations would be reallocated.

ड्युश यार्क की उपयोग में न लायी गई राशि को पुनः आवंटित किया जाएगा । अतः 1989-90 के वित्त उपलब्ध कुल 485 लाख ड्युश मार्क की राशि को तकनीकी सहयोग के लिए निम्न प्रकार आवंटित किया गया है:-

संसाधन और पर्यावरण संरक्षण
- औद्योगिक पर्यावरण परियोजना एन. पी. सी. (विस्तार)
- गुड़गांव सौर ऊर्जा केन्द्र
- केरल जलाशय मीन उद्योग
- चम्बा घाटी परियोजना

तकनीकी प्रशिक्षण
- पौलीटेक्निक्स मध्यप्रदेश (विस्तार)
- केन्द्रीय सूचनात्मक माध्यम संस्थान, मद्रास (विस्तार)
- एस. टी. सी. में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

भारतीय उद्योगों की प्रतियोगितात्मकता सुदृढ़ करना
- निर्यात संवर्धन (विस्तार)
- टी. आर. सी. दिल्ली में प्रायोगिक उत्पादन केन्द्र

IX. फ्रांस

फ्रांस सरकार, भारत को 1968 से आर्थिक सहायता दे रही है और अप्रैल, 1968 से नवम्बर, 1989 की अवधि के दौरान फ्रांसीसी सहायता की कुल राशि 115930 लाख फ्रांसीसी फ्रांक बैठती है । फ्रांसीसी सहायता का उपयोग, विद्युत, कोयला, रेलवे, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, खनन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए किया गया है।

2. फ्रांसीसी प्राधिकारियों के साथ दुलहस्ती जलीय विद्युत परियोजना के लिए 1900 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के अनुदान भार 9870 लाख फ्रांसीसी फ्रांक के ऋण के लिए पिछले प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए । निर्यात ऋण की व्यवस्था एन. एच. पी. सी द्वारा सीधे ही फ्रांसीसी बैंकों में की जाती है । 24.6.1988 से पहले हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकोल पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगता है और उनकी वापसी अदायगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 28 वर्षों में की जाएगी । फ्रांसीसी सहायता ऋण पर अब ब्याज की दर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष है और वापसी अदायगी की अवधि 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष है । उदार ऋण को निर्यात ऋण के साथ मिश्रित करने के अनुमान में भी 24.6.1988 से सुधार हुआ है । उदार ऋण का भाग पहले 50 प्रतिशत की तुलना में अब 52.5 प्रतिशत हो गया है । फ्रांसीसी ऋण की समग्र रियायत लगभग 37 प्रतिशत बैठती है ।

3. द्विपक्षीय ऋण के अलावा, फ्रांसीसी सरकार हाल ही में भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन या पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए अनुदान विधियां प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है । 90-91 के दौरान 26 लाख फ्रांसीसी फ्रांक की आबद्ध अनुदान निधियों की व्यवस्था की गई है ।

X. हंगरी

अब तक हंगरी गणराज्य सरकार ने, परियोजनाओं के लिए आवश्यक संयंत्र, मशीनरी और साज-सामान आदि के आयात की वित्त व्यवस्था करने के लिए 15.20 करोड़ रुपए, जिसमें से 12.80 करोड़ रुपए सरकार से सरकार को और 2.40 करोड़ रुपए का ऋण, संभरक ऋण के रूप में है, का कुल ऋण दिया है । सरकारी ऋणों की वापसी अदायगी बराबर-बराबर की दस वार्षिक किस्तों में की जाती है, जिनकी अदायगी मांग की आखिरी खेप के लदान के एक वर्ष बाद से शुरू की जाएगी । सरकार को दिए जाने वाले इन ऋणों पर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा । हंगरी के ऋण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मूल और ब्याज की रकम की वापसी अदायगी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जाती है जिनका उपयोग हंगरी के प्राधिकारी, भारत-हंगरी व्यापार करार, जो समय-समय पर होते हैं, के उपबन्धों के अनुसार भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए करते हैं।

XI. ईरान

ईरान सरकार ने अब तक 14003.1 लाख अमरीकी डालर के कुल सात ऋण दिए हैं जिसमें 376.1 लाख अमरीकी डालर के पूंजीकृत ब्याज शामिल है । सात ऋणों में से 5203.10 लाख अमरीकी डालर के पांच ऋण भारतीय तेल निगम और मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड को 1974-75 से ले कर 1977-78 के दौरान दिए गए कच्चे तेल की तेल पूर्ति लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए दिए गए हैं और इन ऋणों पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है, और 13 से 14 वर्षों की अवधि के दौरान इनकी वापसी अदायगी करनी है जिसमें 4 से 5 वर्षों की छूट की अवधि भी शामिल है ।

भारतीय स्टेट बैंक को 25 करोड़ अमरीकी डालर की ऋण सहायता दी गई थी जोकि भारत के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए है । इस ऋण पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और 0.5 प्रतिशत का प्रबंध शुल्क

Hence the total amount available for 89-90 for Technical Cooperation is DM 48.5 million allocated as follows:

	(दस लाख ड्यूशमार्क DMmillion.)
Resource and Environment Protection	
- Industrial Environment Protection NPC Delhi (Extension)	4.0
- Gurgaon Solar Energy Centre	4.0
- Kerala Reservoir Fisheries	3.0
- Chamba Valley Project	3.0
Technical Training	
- Polytechnics M.P. (Extension)	5.5
- Central Instructional Media Instt., Madras(Extension)	8.0
- Technical Training Centre at STC	6.0
Strengthenihg the competitiveness of Indian Industries	
- Export Promotion (Extension)	3.0
- Pilot Production Centre at TRC Delhi	12.0
	48.5

IX. FRANCE

The Government of France started extending economic assistance to India in 1968 and the total French assistance from April 1968 to November 1989 amounts to FF 11593 million. The French assistance has been utilized for various sectors like Power, Coal, Railways, Petroleum & Natural Gas Mining etc.

2. The last protocol signed with the French authorities was for Dulhasti H.E. Project for a grant of FF 190 million and a credit of FF 987 million. The export credit is arranged directly by N.H.P.C. with French Banks. The protocols signed before 24.6.1988 carry an interest rate of 2.5% p.a. and are repayable over 28 years including a grace period of 10 years. The French assistance now carry an interest rate of 2% p.a. and is repayable over 30 years including a grace period of 10 years. The ratio of mixing soft credit with export credit has also improved since 24.6.1988. The soft credit content is now 52.5% compared to 50% earlier. The overall concessionality of the French credit comes to around 37%.

3. Apart from bilateral credit Govt. of France has recently agreed to provide Grant Funds for preparation of feasibility studies or pre-feasibility studies for various projects in India. The Grant Funds tied up during 90-91 are of the order of FF 2.6 million.

X. HUNGARY

The Government of Hungarian People's Republic have so far extended a net total credit of Rs.15.20 crores comprising Rs.12.80 crores as Government to Government credit and Rs.2.40 crores as Suppliers' credit to finance the import of plant, machinery and equipment, etc. required for the projects. The portion representing Government credit is repayable in 10 annual instalments commencing one year after the shipment of the last consignment and carries interest at the rate of 2.5 per cent per annum. An important feature of the Hungarian credit is that repayments of principal and payment of interest are being made in non-convertible Indian rupees which are utilised by the Hungarian authorities for the purchase of Indian goods and export them to Hungary in accordance with the Indo-Hungarian Trade Agreement in force from time to time.

XI. IRAN

The Government of Iran has so far extended seven credits for a total value of US $ 1400.31 million including capitalised interest of US $ 37.61 million. Out of seven credits, five credits amounting to US $ 520.31 million were extended to meet a part of the cost of crude oil supplied to Indian Oil Corporation and Madras Refineries Limited during 1974-75 to 1977-78, and these credits carry interest at the rate of 2.5% per annum and they are repayable over a period of 13 to 14 years with initial grace period of 4 to 5 years.

Another credit of US $ 250 million was extended to State Bank of India for implementing development programmes in India. This credit carries an interest of 2.5 per cent in addition to a management fee of 0.5

लगेगा तथा इसकी वापसी 6 समान वार्षिक किश्तों में की जाती है जो ऋण देने के 6 वर्ष बाद प्रारंभ होगी ।

इसके अतिरिक्त, ईरान सरकार ने 15 करोड़ मीट्रिक टन खनिज लोहे का उत्पादन और ईरान को 20 वर्षों की अवधि में उसकी सप्लाई करने के लिए कर्नाटक राज्य के कुद्रेमुख खनिज लोहा परियोजना के लिए 63 करोड़ अमरीकी डालर को ऋण सहायता भी दी है । यह ऋण 31 समान अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में देय होगा इसकी वापसी ऋण देने के 5 वर्ष बाद शुरु होगी और इस पर 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज और 0.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रबंध शुल्क देय होगा । अब तक ऋणों में से 2551.75 लाख अमरीकी डालर की राशि का उपयोग किया गया है । अक्टूबर 1978 के पश्चात् कोई ऋण निकासी नहीं की गई और ऋण के शेष भाग के भुगतान के संबंध में बातचीत की जा रही है।

XII. ईराक

ईराक सरकार ने 1973-74 से 1976-77 के दौरान 1827.5 लाख अमरीकी डालर मूल्य के कुल तीन ऋण प्रदान किए हैं । ये तीन ऋण ईराक सरकार से वर्ष 1974 से 1976 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल की लागत के एक भाग को पूरा करने के लिए थे । कलेण्डर वर्ष के दौरान आयात की लागत आंशिक रूप में नकद और शेष राशि ऋण में शामिल की गई है । इन ऋणों की 9 वर्षों की अवधि के दौरान वापसी अदायगी की जानी है जिसमें 5 वर्ष की छूट की अवधि शामिल है और इन पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा ।

इसके अलावा विकासशील देशों को, उतनी राशियों के दीर्घावधिक ऋण देकर सहायता देने का उद्देश्य है, जो कि पहली जून, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 के बीच की अवधि में तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के बराबर है । ईराक की सरकार ने 308.37 लाख ईराकी दीनार का एक और ऋण जो कि 1041.6 लाख अमरीकी डालर के बराबर मूल्य का ब्याज मुक्त ऋण देने की पेशकश की है । फिर भी उस पर 0.5 प्रतिशत वार्षिक आधार पर सेवा प्रभार देना पड़ेगा । इस ऋण में से अब तक कोई निकासी नहीं की गई है क्योंकि यह ऋण अभी प्रभावी नहीं हुआ है।

इस प्रकार ईराक की सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 तक अब तक दी गई सहायता 2869.1 लाख अमरीकी डालर बनती है जिसमें 159.4 लाख अमरीकी डालर का पूंजीगत ऋण भी शामिल है

XIII. इटली

इटली से पूंजी और तकनीकी दोनों रूपों में सहायता प्राप्त होती है । पूंजीगत सहायता में, 1.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर नरम शर्तों पर ऋण, जिसकी वापसी अदायगी, 10 वर्षों की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में की जानी है और निर्यात ऋण, ओ.ई.सी.डी. की सहमति से तय की गई ब्याज दर पर, राशि पर निर्भरता के अनुरूप 5 से 10 वर्षों की अवधि के दौरान वापसी अदायगी योग्य होते हैं, शामिल है । अधिक मूल्य की परियोजनाओं को, मिश्रित ऋणों, जिसमें 50:50 के अनुपात के आधार पर नरम शर्तों पर ऋणों और निर्यात ऋणों की एक समतुल्य राशि होती है, से पूरा किया जाता है जबकि कम मूल्यों की परियोजनाओं के मामले में इतालवियों ने केवल नरम शर्तों पर ऋण देने मंजूर कर लिए हैं ।

2. जनवरी,1988 में ऊर्जा क्षेत्र के सम्बन्ध में इटली सरकार के साथ 2500 लाख अमेरीकी डालर के ऋण के एक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस ऋण का उपयोग आपसी हितों वाली परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष तक किया जाना है । नरम ऋण और निर्यात ऋण का अनुपात 60:40 होगा।

3. पूंजीगत सहायता केवल इटली में बनी वस्तुओं और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए ही है, इटली से बाहर की वस्तुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । इटली द्वारा ऋण राशि के आवंटन से पूर्व, प्रत्येक परियोजना के लिए एक पृथक वित्तीय अभिसमय किए जाने की आवश्यकता है । 4000 लाख अमेरीकी डालर के ओ.ई.सी.डी. शर्तों पर निर्यात-ऋण के लिए एक अन्तर्सरकारी करार पर 25 जनवरी 1985 को हस्ताक्षर किए गए । करार 31.12.1987 को समाप्त हो गया । इस करार की अवधि बढ़ाने का मामला इस समय इटली के प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

4. इटली सरकार ने इटली से रेल के डिब्बों की खरीद के वित्तपोषण के लिए अनुमोदन कर दिया है जिसके लिए वित्तीय करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने बाकी है । अन्य संभावित नई परियोजनाएं हैं नेवेली लिग्नाइट निगम के लिए टर्बो जनित्रों की आपूर्ति तथा स्थापना द्वारा तथा बम्बई हाई में गैस लिफ्ट । संविदा दिए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । तकनीकी सहायता करार पर फरवरी, 1981 में हस्ताक्षर किए गए थे । करार की अवधि बढ़ायी गई है । यह करार तब तक प्रभावी रहेगा जब तक दूसरे करार पर हस्ताक्षर न हो जाएं या करने का अपना इरादा न प्रकट कर दे । हाल ही में, दिल्ली में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इतालवी प्राधिकारियों ने भारत में कृषि और बागवानी के क्षेत्रों में जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त, सुषुम्ना उपघात केन्द्र

per cent per annum and it is repayable in six annual instalments beginning six years after disbursement of the loan.

In addition, the Government of Iran has also extended a loan of US $ 630 million to the Kudremukh Iron Ore Project in Karnataka State for production and delivery of 150 million tonnes of Iron Ore concentrates to Iran over a period of twenty years. The loan is repayable in 31 equal semi-annual instalments beginning five years after the effective date of the loan. The loan carries an interest of 2.5 per cent and management fee of 0.5 per cent per annum. The amount of credit utilised so far works out to US $ 255.175 million. No drawal has taken place after October, 1978 and negotiation is in progress for further drawal of the loan.

XII. IRAQ

The Government of Iraq has extended three credits for a total value of US $ 182.75 million during 1973-74 to 1976-77. The three credits were meant for financing a part of the cost of Crude Oil imported from Iraq during the years 1974 to 1976. The cost of the imports made in a calender year was partly paid in cash and the balance was covered by credits. These credits are repayable over a period of nine years with a grace period of five years and carry interest at the rate of 2.5 per cent per annum.

In addition, in order to assist the developing countries by providing them with long term loans for the amounts equivalent to official increase the oil prices for the period from 1st June, 1979 to 31st December, 1979 the Government of Iraq has extended another credit amounting to Iraqi Dinar 30.837 million equivalent to US $ 104.16 million free of interest. However a service charge of 0.5 per cent per annum is payable on this loan. No utilisation has taken place so far, since the credit is not yet made effective.

The total value of assistance extended by Government of Iraq upto 31st December, 1984, including capitalised interest of US $ 15.94 million was amounted to US $ 286.91 million.

XIII. ITALY

The Italian assistance is available in the form of both capital and technical asistance. The capital assistance comprises soft loan carrying an interest rate of 1.5 per cent and repayable over 20 years with a grace period of 10 years and export credits are available at OECD consensus interest rate and repayable over a period ranging from 5 to 10 years depending on the amount. The large value projects are generally covered by Mixed Credit of equal amounts of Soft Credits and Export Credits on 50:50 basis while for smaller value projects, the Italian have agreed to provide only the Soft Loans.

2. In January, 1988 an energy sector agreement for soft credit of US $ 250 million has been signed with Govt. of Italy. The Credit is to be used over five years for the projects of mutual interest. Soft credit and export credit ratio will be 60 : 40.

3. The capital assistance is available for financing the goods and services of Italian origin only with no provision for non-Italian supplies. A separate Financial Convention is required to be concluded for each project before the credit funds can be disbursed by Italy. An Inter-Governmental agreement for export credit of U.S. $ 400 million on OECD terms was signed on 25th January, 1985. The agreement expired on 31.12.1987. The extension of the agreement is under consideration of the Italian authroities for the present.

4. Government of Italy has approved the financing of procurement of Railway bogies from Itlay for which the financial convention is yet to be signed. Other likely new projects are Supply and erection of Turbo Generators for Neyveli Lignite Corporation and Gas Lift in Bombay high. Financial Convention for these projects will be signed only when a final decision regarding award of contract is taken. Technical assistance agreement was signed in February, 1981. The Agreement has been extended. This will remain effective till such time as another agreement is signed or either party has expressed its intention to revoke the agreement. Recently MOU for vocational Training Centre in Delhi, was signed. Apart from the ongoing projects in agriculture and horticulture sectors, Italian authorities have agreed to provide Technical Assistance

(स्पाइनल इंजरीज सैंटर) डुरम गेहूं के सुधार आदि के लिए तकनीकी सहायता अनुदान प्रदान करने की सहमति दी है । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के आधुनिकीकरण, इलाहाबाद क्षेत्र के लिए पशु प्रजनन परियोजना के लिए वित्तपोषण सहायता के अनुरोध पर विचार करने के लिए भी वे सहमत हो गए हैं ।

5. इटली सरकार भारतीय कार्मिकों को ऊर्जा, कृषि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्त आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी छात्रवृत्तियां देती है ।

XIV. जापान

जापान, भारतीय सहायता संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत को 1958 से वित्तिय सहायता दे रहा है । 1958 से भारत को दी गई जापानी सहायता की कुल मात्रा लगभग 13250.89 करोड़ रुपए के बराबर 1196.577 अरब येन हो गई है । जपानी सहायता द्विपक्षीय ऋणों, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में है ।

2. सहायता वर्ष 1990-91 के लिए जापान सरकार ने विद्युत, पर्यावरण, स्वास्थ्य, उद्योग, शहरी विकास के क्षेत्रों के कई परियोजनाओं के कार्य संचालन के लिए लगभग 1160 करोड़ रुपए के बराबर 104.826 अरब येन की ऋण सहायता दी । 1990-91 के लिए दी गई 104.826 अरब येन राशि की ऋण सहायता 1989-90 के दौरान की गई 96.710 अरब येन की ऋण सहायता से 8.4% अधिक है, 1990-91 के लिए ऋण सहायता का भुगतान 10 वर्ष की छूट अवधि सहित 30 वर्षों में किया जाना है और इस पर ब्याज की दर 2.5% प्रतिवर्ष है । 1990-91 में जापानी ओईसीएफ ऋण सहायता से वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं की सूची अनुबंध-I पर दी गई है ।

3. 1990-91 के लिए 104.826 अरब येन की उपरोक्त ऋण राशि के अतिरिक्त जापान सरकार ने भूजल दोहन, अग्नि शमन और बचाव उपकरण, खाद्यान्न उत्पादन के लिए उर्वरक आयात (डी ए पी) तथा ऋण राहत के लिए लगभग 19.62 करोड़ रुपयों के बराबर 1.722 अरब येन राशि की सहायता अनुदान भी दिया है । भारत को जापान सरकार द्वारा 1978-79 से अब तक दी गई सहायता अनुदान की राशि 45.764 अरब येन है जो लगभग 506.79 करोड़ रुपए के बराबर है, 1989-90 के दौरान भारत को दी गई जापानी अनुदानों की सूची अनुबंध-II में दी गई है ।

4. वर्ष 1989-90 के दौरान जापान द्वारा भारत को दिए गए ऋण एवं सहायता अनुदान के अलावा जापान इण्टरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं के विकास अध्ययन भी तैयार किए जा रहे हैं ।

(i) शारदा नहर परियोजना का सिंचाई तथा अपवहन तंत्र विकास पर संभाव्यता अध्ययन ।
(ii) परिवहन अवघटक विकास परियोजना कलकत्ता का विकास अध्ययन ।
(iii) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के केन्द्रीय रेशम परियोजना के लिए तकनीकी सहायता ।
(iv) संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान लखनऊ के लिए तकनीकी सहायता ।
(v) एच.एम.टी. पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यक्रम पर अध्ययन ।

5. जापान और भारत के मध्य आर्थिक सहयोग पर संयुक्त वार्षिकी परामर्शों के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का भी गठन किया गया है । भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग पर वार्षिक संयुक्त परामर्श की पांचवी बैठक 26-28 नवंबर, 1990 तक टोक्यो में संपन्न हुई और आगामी बैठक 1991 में होनी है ।

grant for Spinal Injuries Centre in India, Improvement of Duram Wheat etc. They have also agreed to consider a request for modernisation of Indira Gandhi National Centre for Arts, financing assistance for animal breeding project for Allahabad Area.

5. Govt. of Italy also offers scholarships for Indian personnel in various fields like energy, agriculture, professional training, finance etc.

XIV. JAPAN

Japan, as the founder member of the Aid India Consortium, has been extending financial assistance to India since 1958. The total quantum of Japanese assistance pledged to India since 1958 has aggregated to Yen 1196.577 billion equivalent to Rs.13250.89 crores approximately. The assistance from Japan is in the form of bilateral loans, grant aid and technical assistance.

2. For assistance year 1990-91 the Government of Japan have extended a loan assistance of Yen 104.826 billion equivalent to Rs. 1160 crores approximately for implementation of various projects in power, environment, health, industries & urban development sectors. The loan assistance of Yen 104.826 billion for 1990-91 represents an increase of 8.4% over the loan assistance of Yen 96.710 billion in 1989-90. The loan assistance for 1990-91 is repayable over a period of 30 years including a grace period of 10 years and carries an interest rate of 2.5% per annum. The list of projects to be financed with 1990-91 OECF loan assistance is in Annexure I.

3. In addition to the above loan assistance of Yen 104.826 billion for 1990-91, the Government of Japan have also extended a Grant Aid of Yen 1.772 billion equivalent to Rs.19.62 crores approximately for Exploitation of Ground Water, Fire Fighting & Rescue equipment, import of fertiliser (DAP) for increasing food production and for Debt relief. The total quantum of Grant Aid extended by Japan to India since 1978-79 has aggregated to Yen 45.764 billion equivalent to Rs. 506.79 crores approximately. The list of grants extended by Japan to India during 1989-90 is in Annexure II.

4. Besides the loan and grant assistance extended by Japan to India during the year 1989-90, development of studies of the following projects are also being prepared by the Japan International Cooperation Agency (JICA):

(i) Feasitatility study on Irrigation and Drainage Development of Sharda Canal (CAD) project.
(ii) Development study on Transport Infrastructure Development Project Calcutta.
(iii) Technical assistance for Central Sericulture Project of the Centre Silk Board.
(iv) Technical assistance for the Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.
(v) Study on HMT restructuring and development programme.

5. A Joint Consultative Machinery has also been constituted for joint annual consultations on economic cooperation between Japan and India. The fifth meeting for annual joint consultations on economic cooperation between India and Japan was held in Tokyo from 26-28 November, 90 and the next meeting is due in 1991.

अनुबंध Annexure - I

1990-91 में जापानी समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि ऋण सहायता से वित्तपोषित होने वाली परियोजनाएं

Projects to be financed with 1990-91 OECF Loan assistanc from Japan.

क्रम सं.	परियोजना	Sl. No.	Name of the Project	राशि अरब जापनी येन में / Amount in Yen Million
1.	अनपारा 'बी' तांप विद्युत स्टेशन निर्माण परियोजना (III)	1.	Impara 'B' Thermal Power Station Construction Project (III)	49,801
2.	तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना (II)	2.	Teesta Canal Hydro Electric Project (II)	6,222
3.	इंदिरा गांधी 'नहर क्षेत्र के साथ वनरोपण तथा चरागाह विकास (चरण-II)	3.	Afforestation and Pasture Development along Indira Gandhi Canal Area (Stage-II)	7,869
4.	स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी परियोजना का गुणवत्ता नियंत्रण	4.	Quality Control of Health Technologies Project	7,964
5.	लघु उद्योग विकास कार्यक्रम (II)	5.	Small Scale Industries Development Programme (II)	30,000
6.	निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए आवास कार्यक्रम	6.	Housing Programme for low and Medium Income Households	2,970
	कुल येन		Total Yen	104,826 Million

अनुबन्ध Annexure - II

1990-91 के लिए सहायता अनुदान के उद्देश्य-वार ब्यौरे

Purpose-wise details of Grant Assistance for 1989-90

क्रम सं.	प्रयोजन	Sl. No.	Purpose	राशि अरब जापनी येन में Amount in Yen Million
1.	जापान से सहायता अनुदान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु उर्वरक (डी ए पी) का आयात	1.	Grant Aid for increasing food production-Import of Fertiliser (DAP) from Japan	600.000
2.	अप्रैल 90 से सितम्बर 90 तक की अवधि के लिए ऋण राहत सहायता अनुदान (भारत को छोड़कर सभी विकासशील देशों तथा ओ ई सी जी के सभी सदस्य देशो से मशीनरी, संघटकों, कल पुर्जों आदि का आयात)	2.	Debt Relief Grant Aid for the period April, 90 to September,90 (Import of machinery, components, spare parts etc. from all developing countries (except India) and all member countries of the (OECD)	401.761
3.	अग्नि शमन एवं बचाव उपकरणों में सुधार के लिए सहायता अनुदान	3.	Grant Assistance for the Improvement of Fire Fighting & Rescue Equipment	370.000
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल दोहन के लिए अनुदान सहायता	4.	Grant Assistance for the exploitation of Ground Water in Rural Areas.	401.000
	योग मिलियन		**Total**	**1772.761 Million**

XV.कुवैत अरब आर्थिक विकास निधि

कुवैत अरब आर्थिक विकास निधि ने भारत को 1976 से आर्थिक सहायता देनी प्रारम्भ की । अब तक निधि ने कुल 923.00 लाख कुवैती दीनार की कुल राशि के आठ ऋण दिए है :

XV. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

The Kuwait Fund for Arab Economic Development has been extending economic assistance to India since 1976. So far the Fund has extended eight credits for an aggregate value of KD 92.300 millions for the following projects:

				(कुवैती दीनार दस लाख में KD million)
(क)	कालीनदी पन-बिजली परियोजना चरण-I	(a)	Kalinadi Hydro-Electric project Stage-I	15.000
(ख)	कोपिली पन-बिजली परियोजना	(b)	Kopili Hydro-Electric project	9.400
(ग)	अनपारा तापीय बिजली परियोजना चरण-I	(c)	Anpara Thermal Power Project Stage-I	16.000
(घ)	अनपारा तापीय विद्युत परियोजना (कोयला परिवहन) चरण-II	(d)	Anpara Thermal Power Project (Coal Transportation) Stage-II	9.000
(ङ)	थाल उर्वरक परियोजना	(e)	Thal Fertilizer Project	14.300
(च)	दक्षिण तटीय परियोजना	(f)	South Bassein Project	14.600
(छ)	कालीनदी तापीय विद्युत परियोजना चरण-II	(g)	Kalinadi Hydro Electric Project Stage-II	7.000
(ज)	प्रॉन कल्चर की उन्नति के लिए केरल मछली पालन विकास परियोजना	(h)	Kerala Fishries Development Project for Prawn Culture	7.000
	योग		**Total**	**92.300**

अब तक (क), (ग) (घ) (ङ) ऋण पूरी तरह से उपयोग में लाए जा चुके हैं और (ख) एवं (च) ऋण जो कोपिली तापीय विद्युत परियोजना के लिए है उसमें 89.38 लाख कुवैती दीनार तक की कमी की गई है तथा दक्षिण तटीय परियोजना के ऋण में 116.15 लाख कुवैती दीनार की कमी की गई है और ऋण खाता बन्द कर दिया गया है ।

So far credits at (a), (c), (d) and (e) have been fully utilised and loans for (b) & (f) Kopili Hydro Electric Project has been drawn down to the extent of KD 8.938 million and South Bassein Project to the extent of KD 11.615 million and the loan accounts closed.

उल्लिखित आठ ऋणों में से क्रम संख्या (क) से (छ) तक के ऋणों पर 3.5% की दर से ब्याज लगेगा तथा 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सेवा प्रभार लगेगा । (छ और ज) में दिए गए ऋणों पर4.5 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सेवा प्रभार लगेगा । पहले पांच ऋणों की वापसी अदायगी प्रारंभिक 5 वर्षों की छूट अवधि सहित 25 वर्षों में की जाएगी । दक्षिण तटीय ऋण परियोजना की वापसी अदायगी 4 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में की जाएगी । (छ) और (ज) में दिए गए ऋणों की वापसी अदायगी 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्षों में की जाएगी ।

Out of the eight loans mentioned above, credits at Sl. Nos. (a) to (f) carry interest at the rate of 3.5% and a service charge of 0.5% per annum. The credits at (g) and (h) carry interest at the rate of 4.5% and a service charge of 0.5% per annum. The first five loans are repayable in 25 years including an initial grace period of 5 years. The loan for South Bassein Project is repayable over a period of 20 years including 4 years grace period. The credits at (g) and (h) are for 20 years including 5 years grace period.

XVI. नीदरलैंड

ऋण: सामान्य उद्देश्यों के लिए ऋण - नीदरलैंड की सरकार ने अब तक औद्योगिक विकास निधियों से 120 लाख डच फ्लोरिन सहित कुल 25779.60 लाख फ्लोरिन डच के ऋण दिए है । डच ऋणों का वापसी अदायगी 30 वर्ष की अवधि में की जाएगी जिसमें 8 वर्षों की रियायती अवधि भी शामिल है और जिन पर 2.5 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा । ये ऋण आयातो के वित्तपोषण के साथ-साथ पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं की स्थानीय लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं ।

अनुदान : नीदरलैंड द्वारा अनुदानों के रूप में अब तक दी गई कुल राशि 13728.8 लाख डच फ्लोरिन बैठती है जिसमें 1990 के लिए 1070 लाख डच फ्लोरिन शामिल है । डच अनुदान पूर्व आयातों के वित्तपोषण और पूर्व अनुमोदित परियोजनाओं की स्थानीय लागतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए जाते है ।

XVI. NETHERLANDS

Loans: General Purpose credits:- The Government of Netherlands have so far extended credits totalling Dfl.2577.96 million including Dfl.12 million from Industrial Development Funds. The Dutch credits are repayable in 30 years including 8 years of grace period and carry an interest rate 2.5 per cent per annum. The credits are available for financing imports as well as for meeting local costs of agreed projects.

Grants: The grants provided so far by the Netherlands total Dfl 1372.88 million including Dfl.107 million for 1990. The Dutch grants are available for financing imports as well as local costs of agreed projects.

XVII. नार्वे

नार्वे सरकार भारत को 1952 से आर्थिक तथा तकनीकी सहायता दे रही है । 1972 से सभी नार्वेजियन सहायता अनुदानों के रूप में होती है । यह अनुदान सहायता उपहार कागज/उर्वरकों के रूप में वस्तु सहायता तकनीकी सेवाओं, की लागत को वित्तपोषित करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में स्थानीय लागत परियोजना के लिए उपलब्ध है ।

XVII. NORWAY

Norway started extending asistance to India in 1952. All Norwegian assistance since 1972 has been in the form of grants. This grant is available for financing the cost of technical services, commodity assistance in the form of gift paper/fertilizers, and for local cost projects in the social sectors.

दिनांक 8.11.89 को हस्ताक्षर किए गए करार की शर्तों में नार्वे 1990, 1991 और 1992 (नार्वेजिन वित्त वर्ष जनवरी से दिसम्बर) की अवधि के लिए 1400 लाख नार्वेजियन क्रोनर का आबंटन करने के लिए तैयार है ।

XVIII. अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि (ओपेक)

अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए तेल-निर्यातक देशों के संगठन की निधि जैसे पहले निर्यातक देशों के संगठन की विशेष निधि कहा जाता था, वित्तीय सहयोग और सहायता का एक बहुपक्षीय अभिकरण है । इसकी स्थापना तेल निर्यात देशों के संगठन के सदस्य देशों ने इस उद्देश्य से की थी कि विकासशील देशों को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी कार्यों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके ।

निधि ने कुल मिलाकर 18330 लाख अमरीकी डालर के दस ऋण दिए हैं । पहला ऋण भुगतान शेष के समर्थन के लिए 218 लाख अमरीकी डालर का था और बाकी नौ ऋण विभिन्न विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए थे । पहले ऋण की अदायगी 0.5 प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित और 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 25 वर्षों में की जाएगी ।

शेष नौ ऋण निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए है :

(क) बम्बई हाई अपतट विकास परियोजना
(ख) कोरबा तापीय विद्युत परियोजना
(ग) रामागुन्डम तापीय विद्युत परियोजना, चरण-II
(घ) दूसरी बम्बई हाई अपतट परियोजना
(ङ) दूसरी रामागुन्डम तापीय विद्युत परियोजना
(च) रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना
(छ) उर्वरक (पुनः स्थापना परियोजना)
(ज) नाबार्ड को ऋण श्रृंखला

जोड़

क्रम संख्या (क) से (ग) में दिए गए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन केवल 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का सेवा प्रभार लगेगा तथा इसकी वापसी अदायगी आरंभिक 5 वर्षों की छूट सहित 20 वर्ष में की जाएगी । क्रम संख्या (च) में दिए गए रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना के लिए दिए गए ऋण की वापसी अदायगी 4 वर्षों की अवधि सहित 14 वर्षों में की जाएगी जिसपर 3 प्रतिशत ब्याज दर तथा एक प्रतिशत सेवा प्रभार लगेगा क्रम संख्या (च) से (झ) के ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर तथा एक प्रतिशत के सेवा प्रभार सहित 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 17 वर्ष में होगी ।

XIX. पोलैंड

पोलैंड ने 36.63 करोड़ रुपए (निवल) की कुल कीमत के तीन ऋण, मुख्यतः विद्युत उत्पादन, उर्वरक, कोयला परियोजनाएं, कंक्रीट संयंत्र, मशीनरी तथा उपस्करों के आयात के वित्तपोषण के लिए दिए हैं । पहला ऋण जिस पर 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज था और 8 वर्षों में अदायगी करनी थी वह पूरी तरह अदा किया जा चुका है । दूसरा ऋण 8 वर्षों में अदा किया जाना है और तीसरा ऋण 12 वर्षों में अदा किया जाना है । इन दोनों ऋणों पर 2.5 प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगेगा ।

पोलिश ऋणों का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मूलधन की वापसी और ब्याज की अदायगी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जाती है जो पोलिश प्राधिकारियों द्वारा भारत-पोलैण्ड व्यापार तथा भुगतान करार के उपबन्धों के अनुसार पोलैण्ड के निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए प्राप्य किए जाते हैं । इस समय पोलैण्ड से सरकार द्वारा सरकार को किए गए ऋणों के आधार पर कोई ऋण नही है ।

XX. सऊदी विकास निधि

विकासशील देशों में विकासोन्मुख परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सऊदी विकास निधि की स्थापना की गई है जो स्वायत्तता प्राप्त कानूनी संस्था है; जिसने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए 7692,00 लाख सऊदी रियाल की कुल राशि के चार ऋण दिए है :-

क. श्रीसैलम नागार्जुनसागर विद्युत परियोजना
ख. कोरापुट रायगढ़ रेलवे परियोजना
ख. रामागुण्डम तापीय विद्युत परियोजना
घ. नावा शेवा पत्तन न्यास परियोजना
जोड़

In terms of the agreement signed on 8.11.89, Norway has agreed to allocate NKR 140 million annually for the period 1990, 1991 and 1992 (Norwegian financial year January to December).

XVIII. OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

The OPEC Fund for International Development earlier known as OPEC Special Fund is a multilateral agency for financial Co-operation and assistance. It was established by OPEC Member Countries with the object of reinforcing financial co-operation between OPEC Member countries and other developing countries by providing financial support to the developing countries in their economic and social developmental efforts.

The Fund, in all, has so far extended ten loans for a total sum of US $ 183.300 million. The first loan of US $ 21.8 million was for balance of payments support and the subsequent nine loans for various developmental projects. The first loan is repayable over a period of 25 years including a grace period of 5 years and carries only a service charge of 0.5 per cent.

The remaining nine loans are for the following projects:

	मिलियन अमरीकी डालर में US $ in millions
(a) Bombay High Off-Shore development Project	14.000
(b) Korba Thermal Power Project	20.000
(c) Ramagundam Thermal Power Project Stage-II	20.000
(d) Second Bombay High Off Shore Project	30.000
(e) Second Ramagundam Thermal Power Project	30.000
(f) Railway Modernisation Project	22.500
(g) Fertilizer (Rehabilitation Projects)	7.000
(h) Line of Credit to NABARD	8.000
(i) Rewa Hospital Project M.P.	10.000
Total	**161.500**

Credits at S.Nos. (a) to (e) carry no interest but only a service charge of 0.75% per annum and are repayable over a period of 20 years including an initial grace period of 5 years. The Credit at (f) for the Railway Modernisation Project is repayable in 14 years including a grace period of 4 years with interest rate of 3% and service charge of 1%. The credits at Sl.No.(g) to (i) are for 17 years including a grace period of 5 years with interest at the rate of 2% and service charge at 1% per annum.

XIX. POLAND

Poland has so far extended three credits for a total value of Rs.36.63 crores (net) for financing the imports of plants, machinery and equipment mainly for power generation, fertilizer, coal projects, cellular concrete plants etc. The first credit which was repayable over a period of eight years alongwith interest payment at the rate of 2.5 per cent per annum has been repaid in full. The second credit is repayable over a period of eight years and the third credit is repayable over twelve years. Both these credits carry interest at the rate of 2.5 per cent per annum.

An important feature of the Polish Credits is that the repayment of principal and the payment of interest are made in non-convertible Indian Rupees to enable the Polish authorities to purchase Indian goods for export to Poland in accordance with Indo-Polish Trade and Payments Agreement. At present there are no on-going credits on Government to Government basis from Poland.

XX. SAUDI FUND FOR DEVELOPMENT

Saudi Fund for Development which has an autonomous legal entity set up with the object of providing loans for developmental projects in the developing countries had so far extended four credits for a total value of S.Riyals 769.200 million for the following projects:

	(सऊदी रियाल-दस लाख में S.R. in million)
(a) Srisailam Nagarjunasagar power Project.	353.000
(b) Koraput-Rayagada Railway Project.	103.200
(c) Ramagundam Thermal Power Project.	172.000
(d) Nhava Sheva Port Trust Project.	141.000
Total	**769.200**

जबकि पहले और चौथे ऋण पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा दूसरे और तीसरे ऋण पर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा । इन सभी ऋणों का आरम्भिक 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में भुगतान किया जाना है ।

While the Ist and Fourth loan carry an interest rate of 4 per cent per annum, the 2nd and third loan carry 3 per cent per annum. All these loans are repayable over a period of 20 years including an initial grace period of 5 years.

XXI. स्वीडन

स्वीडन भारत सहायता संघ का 1969 से सदस्य रहा है । फिर भी, स्वीडन की सहायता मुख्यतः सामाजिक और ऊर्जा के क्षेत्र में वस्तुओं के आयात तथा तकनीकी सहयोग के लिए 1964 में उपलब्ध है । दोनों देशों के बीच सामान्यतः दो वर्षीय प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए जाते हैं । परन्तु चालू प्रोटोकोल में तीन वर्ष की अवधि शामिल है । इस प्रोटोकोल के अन्तर्गत, स्वीडिश एजेंसी स्वीडन अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (सीडा) से अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष (जुलाई से जून) 3800 लाख स्वीडिश क्रोनर दिये जाते है । वर्ष 1991-92 के 4000 लाख स्वीडिश क्रोनर की व्यवस्था की गई है । स्वीडन की सहायता वानिकी, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, शिक्षा, निर्यात संवर्धन, ऊर्जा, वस्तु आयात और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध है । स्वीडन सहायता 'बाईट्स' (स्वीडन की अन्तराष्ट्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग एजेन्सी) द्वारा दिए जाने वाले आसान ऋण के जरिए भी सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता 1984-85 से देश के बाहर के कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रही है । इस प्रकार के ऋणों में अनुदान घटक 35% होता है । बाईट्स के जरिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी धन दिया जाता है ।

XXI. SWEDEN

Sweden has been a member of the Aid India Consortium since 1969. However, Swedish assistance has been available since 1964 mainly in social sectors and energy for commodity imports and technical assistance. A two-year protocol is normally signed between the two countries. However, the current protocol covers a period of three years. Under this, 380 million SKR have been provided annually (July to June) as grant from the Swedish agency SIDA for the period 1989-90 and 1990-91. SKR 400 million has been provided for 1991-92. Swedish assistance is available for the forestry, health, water supply, education, export promotion, energy, commodity imports and technical assistance programmes. Swedish assistance is also extended through soft loan administered by the agency called BITS (Swedish Agency for International Technical and Economic Cooperation). This assistance has been available outside the country programme from 1984-85. The grant element in such credits is of the order of 35%. Many international training programmes are also funded through BITS.

XXII. स्विटजरलैण्ड

स्विटजरलैण्ड सरकार ने 1973 तक भारत को तीन अंतरण उधार और एक विकास ऋण दिया, जो विकास के प्रयोजन के लिए पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों के निर्यात के लिए कुल 3000 लाख स्विस फ्रांक का था ।

स्विटजरलैण्ड और भारत के बीच 12 दिसम्बर 1983 को नवीनतम करार पर हस्ताक्षर लिए गए, जिनके अन्तर्गत भारत को स्विटजरलैण्ड द्वारा 10 करोड़ स्विस फ्रांक का एक मिश्रित ऋण (4 करोड़ स्विस फ्रांक स्विस सरकार द्वारा और 6 करोड़ स्विस फ्रांक 6 स्विस बैंकों की सहायता द्वारा) दिए गए । इस ऋण का उपयोग स्विटजरलैण्ड से पूंजीगत वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकी जानकारी का 3 वर्षों तक आयात करने के लिए किया जाएगा । करार को 31.12.1989 तक बढ़ा दिया गया है । सरकारी ऋण की शर्तें निम्नलिखित हैं : शून्य प्रतिशत ब्याज, 10 वर्ष की छूट सहित 25 वर्षों की परिपक्वता अवधि । बैंक ऋण की शर्तें इस प्रकार हैं : स्विस बैंकिंग कार्पोरेशन की निर्गम दर से ऊपर 1-1/2% ब्याज की दर 3 से 8 वर्ष की समयावधि के लिए, 3 वर्षों के लिए छूट की अवधि सहित 10 वर्षों की परिपक्वता अवधि । हाल ही में इस देश ने राजस्थान में भेड़ विकास परियोजना के लिए 10200 लाख रुपए और चंडीगढ़ में प्रशिक्षण केंद्र के लिए 9.3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है ।

इन ऋणों के अतिरिक्त स्विटजरलैण्ड ने दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित 4 करारों के अधीन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :-

XXII. SWITZERLAND

The Government of Switzerland had given to India up to 1973 three Transfer Credits and a Development loan totalling S.Fr.300 million for the import of Capital Goods and machinery for development purposes.

The latest agreement signed beween the Governments of India and Switzerland on 12.12.1983 provides for a Mixed Credit of S.Fr.100 million (S.Fr. 40 million by the Swiss Government and S.Fr.60 million by a Consortium of Six Swiss Banks). This credit is to be used over three years for the import of capital goods and services and know-how from Switzerland. This agreement has been extended up to 31.12.89 The terms of Govt. Credit are: interest zero percent, 25 years of maturity including a grace period of 10 years. The terms of bank's credit are: 1.50% rate of interest above the issuing rate of Swiss Banking Corporation's 3 to 8 years terms notes, 10 years maturity including a grace period of 3 years. Recently this country extended the aid Rs.1020 million for Goat Development Project in Rajasthan and Rs.0.93 million for training centre at Chandigarh.

In addition to loans, Switzerland has given financial assistance of following order to NABARD under the four agreements signed so far between the two Governments :-

		(स्विस फ्रांक दस लाख *S.Fr. in million*)
20 दिसम्बर, 1979	20 December, 1979	40
11 दिसम्बर, 1982	11 December, 1982	25
12 दिसम्बर, 1983	12 December, 1983	30
11 जनवरी, 1985	11 January, 1985	40
16 दिसम्बर, 1987	16 December 1987	40

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्विटजरलैण्ड, केरल और आंध्र प्रदेश में पशु विकास परियोजनाओं, उत्तरी केरल में डेयरी विकास परियोजना, राजस्थान में बकरी विकास परियोजना, अन्तर्-राज्यीय टसर रेशम कीट परियोजना मिलिंग प्रौद्योगिकी स्कूल, मैसूर, आंध्र प्रदेश और तमिल नाडु में रेशम पालन संवर्धन और आनन्द में ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, और जैव प्रौद्योगिकी के लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है ।

Apart from the above, Switzerland is also providing technical assistance to Cattle Development projects in Kerala and Andhra Pradesh Dairy Development Project, Northern Kerala, Goat Development Project in Rajasthan, Inter State Tasar Silk Project, School of Milling Technology, Mysore, Sericulture Promotion in Andhra Pradesh and Tamil Nadu and the Institute of Rural Management, Anand and Biotechnology.

XXIII. न्यास निधि

न्यास निधि जिसका प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, वाशिंगटन द्वारा किया जाता है, उसने भारत को अगस्त, 1980 में 529.009 लाख एस.डी.आर. के बराबर अमरीकी डालर (537.51 करोड़ रुपए) का ऋण भुगतान शेष सहायता की व्यवस्था के लिए दिया है । यह ऋण 10 छमाही किस्तों में परिशोध्य है जो भुगतान की तारीख के बाद छठे वर्ष के पहले छः महीनों की समाप्ति होते हुए शुरू हो जायेगी और भुगतान की तारीख के 10 वर्ष के अन्त तक उन्हें पूरा कर दिया जाएगा ।

XXIII. TRUST FUND

The Trust Fund which is administered by the International Monetary Fund, Washington had extended to India in August, 1980 a loan in US Dollars equivalent to SDR 529.009 million (Rs.537.51 crores) to provide balance of payment assistance. The loan is repayable in ten semi-annual instalments beginning not later than the end of the first six months of the sixth year and the loans to be repaid in full at the end of the tenth year after the date of disbursement.

बकाया ऋण पर एक प्रतिशत का अर्ध वार्षिक दर से प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को छमाही भुगतान किया जाता है ।

Interest on outstanding loan is paid semi-annually at the rate of one half of one per cent per annum on 30th June and 31st December each year.

XXIV. संयुक्त अरब अमीरात

XXIV. UNITED ARAB EMIRATES

संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने अब तक कुल 7 करोड़ अमरीकी डालर के दो ऋण दिए है । 5 करोड़ अमरीकी डालरों का पहली ऋण 27 फरवरी, 1975 के करार के अन्तर्गत भारत को 1975-76 के दौरान मुहैया किए गए कच्चे तेल के एक भाग की पूर्ति के लिए दिया गया था । 31 जनवरी, 1976 के करार द्वारा दिया गया दो करोड़ अमरीकी डालर का दूसरा ऋण आर्थिक विकास के लिए था । ये दोनों ऋण 1976-77 के अन्त तक पूर्णतया उपयोग में लाए जा चुके थे ।

The Government of United Arab Emirates have so far extended two loans amounting to US $ 70.00 million. The first loan dated 27th February, 1975 for US $ 50.000 million was to finance a part of the cost of one million tonnes of crude oil supplied by them to India during 1975-76. The second loan dated 31st January, 1976 for US $ 20.000 million was extended for economic development. Both these loans were fully utilised by the end of 1976-77.

इन दोनो ऋणों पर 2.5 प्रतिवर्ष ब्याज है । जबकि पहला ऋण 20 वर्षों की अवधि में वापिस किया जाएगा जिसमें 5 वर्ष की छूट की अवधि शामिल होगी, दूसरा ऋण 15 वर्षों में वापस किया जाएगा जिसमें 5 वर्ष की छूट की अवधि भी शामिल होगी ।

Both the loans carry an interest of 2.5 per cent per annum. While the first loan is repayable in 20 years including a grace period of 5 years, the second loan is to be repaid in 15 years including a grace period of 5 years.

XXV. यूनाइटेड किंगडम

XXV. UNITED KINGDOM

यूनाइटेड किंगडम की सरकार भारत को 1958 से आर्थिक सहायता दे रही है जो प्रारम्भ में ऋण के रूप में और बाद में अनुदान के रूप में दे रही है । यू के द्वारा दिसम्बर, 1989 के अन्त तक 2368.2 मिलियन पौण्ड की कुल सहायता दी गई जो जून 1975 तक 738.8 मिलियन पौंड ऋण के रूप में और उसके बाद 1629.4 मिलियन पौंड अनुदान के रूप में है । यू. के. से प्राप्त सहायता इस शर्त पर है कि इसके अन्तर्गत यू. के. मूल की वस्तुओं का आयात किया जाएगा और अब यह यू. के. सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं / आयातों के लिए उपलब्ध है । यू के आयात और निर्धनता उन्मूलन परियोजनाओं से संबंधित स्थानीय लागतों का वित्तपोषण करने के लिये स्थानीय लागत अनुदान भी प्रदान करता है ।

The Government of United Kingdom have been providing economic assistance to India since 1958 initially in the form of loans and thereafter grants. The total assistance extended by UK upto end of December, 1989 amounted to £2368.2 million, made up of loan of £738.8 million upto June, 1975 and grants of £1629.4 million thereafter. The Assistance from UK continues to be tied to import of UK origin and is now available for specific projects/imports to be approved by the UK Government. UK also provides local costs grants for financing the local costs of import associated and poverty alleviation Projects.

यू. के. सरकार कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है जो मुख्यतः विशेषज्ञ सेवाओं, प्रशिक्षण अधिछात्रवृत्तियों और अनुसंधान एवं विकास के लिए कम मूल्य के उपस्करों व सामग्रियों के रूप में होती है ।

The UK Government also provides Technical Assistance under Colombo Plan primarily in the form of experts services, training, fellowships and small value equipment/material for research and development.

अनुमान है कि यू. के. से मिलने वाली सहायता से 1989-90 और 1990-91 के दौरान क्रमशः 65 मिलियन पौंड और 85 मिलियन पौंड की राशि का भुगतान होगा ।

The disbursement of UK assistance during 1989-90 and 1990-91 is expected to be about the level of £ 65 million and £85 million respectively.

XXVI. संयुक्त राज्य अमेरिका

XXVI. UNITED STATES OF AMERICA

सन् 1951 से संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को आर्थिक सहायता दे रहा है । 1990 के अन्त तक संयुक्त राज्य अमेरिका 110598.0 लाख अमरीकी डालर (रद्द करने के बाद निवल) की सहायता दी । इसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

The United States of America have been extending economic assistance to India since 1951. The assistance extended by the United States of America upto the end of 1990 amounted to $11059.80 Million (net of cancellation). This is made of :-

		(दस लाख डालर में In Million $.)
डालर ऋण	Dollar Loans	4891.00
डालर अनुदान	Dollar Grants	2108.80
रुपया ऋण	Rupee Loans	3221.00
पी.एल. 480 अनुदान	PL-480 Grants	839.00
जोड़	**Total**	**11059.80**

पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता विभिन्न रूपों से प्राप्त की जा चुकी है, जिसमें 1951 में 1893.5 लाख डालर का गेहूं ऋण तथा तकनीकी सहकारिता मिशन तथा विकास ऋण निधि के ऋण, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से मिलने वाली सहायता के पूर्ववर्ती ऋण थे । इसके अतिरिक्त पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने वापसी प्रक्रिया के अन्तर्गत गैर-सरकारी पक्षों को भी ऋण दिए है । संयुक्त राज्य अमेरिका से ऋण में तथा उनके निर्यात व आयात बैंक से ऋणों के रूप में भी सहायता मिली है ।

US assistance has been received in various forms in the past including wheat loan of $189.35 million in 1951 and also the TCM and DLF aid which were predecessors to US AID assistance. In addition US AID also extended loans to private parties under Special Loan Repayment procedure in the past. Assistance was also received from USA in the shape of debt relief as well as loans from their Export-Import Bank.

उपर्युक्त कुल सहायता में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 सितम्बर, 1990 को समाप्त हुए अमरीकी राजकोषीय वर्ष, 1990 के लिए विकास सहायता के रूप में कुल 209.7 लाख अमेरिकी डालर की सहायता प्राप्त हुई जिसमें निम्नलिखित 9 (नौ) करार शामिल है, अर्थात् : (i) पादप आनुवांशिक संसाधन 2.00 मिलियन डालर के (20.4.90) और अमरीकी 1.20 मिलियन डालर के (25.9.90), (ii) तकनीकी सहायता और समर्थन परियोजना अनुदान 2.77 मिलियन डालर का (30.5.90), (iii) वाणिज्यिक और ऊर्जा अनुसंधान को बढ़ाने के कार्यक्रम के लिए 3.00 मिलियन डालर (30.5.90), (iv) प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र के लिए परियोजना अनुदान 1.00 मिलियन डालर का (30.5.1990), (v) निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन 3.00 मिलियन डालर (27.7.1990), (vi) बाल संरक्षण स्वास्थ्य सहायता

The total assistance reffered to above includes US AID's development assistance of $ 20.97 million authorised for US Fiscal Year 1990 which ended on 30th September, 1990 and covers the following 9 (nine) agreement, namely; (i) Plant Genetic Resources of $ 2.00 million (20.4.90) and US $ 1.20 million (25.9.90), (ii) Technical Assistance and Support Project Grant of $ 2.77 million (30.5.90), (iii) Programme for Acceleration of Commercial and Energy Research $ 3.00 million (30.5.90), (iv) Centre for Technology Development Project Grant of $ 1.00 million (30.5.1990) (v) Private Voluntary Organisation for Health II $ 3.00 million (27.7.1990), (vi) Child Survival Health Support Project Grant of $ 2.00 million (27.7.1990), (vii) Programme for Advancement of

परियोजना अनुदान 2.00 मिलियन डालर (27.7.1990), (vii) वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी प्रगति का अनुदान कार्यक्रम परियोजना 2.00 मिलियन डालर (31.8.90), (viii) स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी गुणवत्ता निमन्त्रण परियोजना 4 मिलियन डालर का अनुदान (24.9.90)

अमेरिका से प्राप्त इन ऋणों की वापसी अदायगी 40 वर्षों में डालरों में की जानी है जिसमें 10 वर्ष की छूट की अवधि भी शामिल है और इन पर पहले 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अमरीकी डालर की इस सीधी सहायता के अतिरिक्त अमेरिका ने ऋण-राहत के रूप में भी सहायता दी है । यह ऋण-राहत गेंहू ऋण 1951 से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज की अदायगी को स्थगित करने के लिए थी । 1972-73 से आगे तक यह ऋण-राहत ऋण की पुनर्वित-व्यवस्था करने के लिए थी जो 7 से 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 26 से 30 वर्षों में अदा की जानी थी । 1972-73 से 1974-75 तक 1034.8 लाख अमरीकी डालर की ऋण राहत सहायता मिली है । उसके बाद अमेरिका ने कोई ऋण राहत सहायता नहीं दी है ।

अमेरिका ने 31 अगस्त, 1981 को गैर-सरकारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठनों को सहायता देने के लिए अमेरिका द्वारा रखे रुपए में से 200 लाख डालर के बराबर रुपया अनुदान के रूप में भी दिया है ।

XXVII. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ

भारत के आर्थिक विकास के लिए सोवियत सहायता 1955 से मिलनी आरम्भ हुई । दिसम्बर, 1989 के अन्त तक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ द्वारा 96550 लाख रूबल की राशि की कुल सहायता दी गई है जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, प्रारम्भिक और भारी उद्योग और विकास परियोजनाओं की सहायता के लिए पन्द्रह ऋण शामिल हैं।

पुराने ऋण सामान्यतः परियोजना को चालू करने के लिए आवश्यक उपस्कर का लदान पूरा हो जाने के एक वर्ष से शुरू करके बारह वर्षों की अवधि में चुकाए जाते हैं । दूसरे अर्थों में सभी अनुवर्ती ऋणों का भुगतान 2 से 3 वर्ष की छूट की अवधि सहित 14 से 15 वर्षों में किया जाता है । 27 अप्रैल 1977 से शुरू हुए सोवियत रूस के 2500 लाख रूबल के ऋणों का भुगतान, तीन वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्षों में अदा किया जाएगा । सभी सोवियत ऋणों पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगता है । 27 नवम्बर, 1986, 24 नवम्बर, 1987, 20 नवम्बर, 1988 और 12 सितम्बर, 1989 के 150 करोड़ रूबल, 77 करोड़ रूबल, 40 करोड़ रूबल और 77 करोड़ रूबल के ऋणों के क्रमशः 120 करोड़ रूबल और 30 करोड़ रूबल, 70 करोड़ रूबल व 7 करोड़ रूबल, 33 करोड़ रूबल व 7 करोड़ रूबल और 60 करोड़ रूबल व 17 करोड़ रूबल के दो-दो संघटक है । 30 करोड़ रूबल/7 करोड़ रूबल/7 करोड़ रूबल/1.7 करोड़ रूबल के संघटक क्रमशः मि. के ऋण पर जो टिहरी जल-विद्युत -कम्पलैक्स/एक अन्य थर्मल पावर प्रोजेक्ट और विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज-II और मैथन कारगंशखलम तथा मंगल स्थिल थर्मल पावर प्रोजैक्ट की स्थानीय लागतों के एक अंश को पूरा करने के लिए होगा, भारत सरकार की राजकोषीय हुंडियों पर 91 दिन से ऊपर लगने वाली ब्याज दर से 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक ब्याज लगेगा । इन मामलों में यह राशि बराबर की पांच किस्तों में वापस की जाएगी जो कि प्रथम यूनिट के चालू हो जाने पर प्रारम्भ होगी, किन्तु यह अवधि क्रमशः 1 जनवरी, 1994 और 1 अक्तूबर, 1995 के बाद की नहीं होगी ।

ब्याज की अदायगी और मूल रकम की वापसी भारतीय रुपयों में की जाती है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक में सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के एक विशेष खाते में जमा कर दिया जाता है तथा इसे सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ को निर्यात के लिए समय-समय पर अनुबन्धित भारत-सोवियत व्यापार तथा अदायगी करार के अनुसार भारतीय माल की खरीद के लिए रूसी अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ।

सोवियत जनतंत्र की सहायता से पूर्णतः अथवा अंशतः वित्तपोषित मुख्य परियोजनाएं है - भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र, भारी मशीन निर्माण संयंत्र, रांची, नेवली, कोरबा, सिंगरौली जैसी कई बिजली परियोजनाएं, तथा लोअर सिलेरू पन बिजली केन्द्र, इंस्ट्रूमेंटेशन परियोजनाएं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए तेल तथा गैस अन्वेषण परियोजनाएं, बरौनी कोयली तथा मथुरा स्थित तेल-शोधनशालाएं, कोयला खनन मशीनरी संयंत्र तथा चश्मे के शीशे की परियोजनाएं आदि ।

कुछ प्रमुख परियोजनाएं जिन पर सोवियत रूस की सहायता से काम चल रहा है और जिन्हें कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है वे है : भिलाई और

Commercial Technology Project Grant of $ 2.00 million (31.8.90) and (viii) Quality Control of Health Technologies Project Grant of $ 4.00 million (24.9.90).

Loan from USA are repayable in Dollars in 40 years including a grace period of 10 years and bear interest rate of 2 per cent per annum during the first 10 years and 3 per cent per annum thereafter.

In addition to the direct total assistance as mentioned above, US had also extended aid in the shape of Debt Relief represented deferment of principal and interest payments relating to the wheat loan of 1951 mentioned earlier. From 1972-73 onwards the debt-relief was, however, in the form of refinancing credit, repayable in 26 to 30 years, inclusive of a grace period of 7 to 10 years. The debt-relief received for the years 1972-73 to 1974-75 was $103.48 million. Thereafter, no debt-relief assistance has been provided by the USA so far.

The USA has also extended on August 31, 1981 a grant of rupee equivalent of $20 million out of the US held rupees for assistance to private voluntary health organisations.

XXVII. UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS (USSR)

The Soviet assistance for India's economic development commenced in 1955. Upto the end of December, 1989 the total value of assistance extended by USSR amounted to Roubles 9655.00 million involving fifteen credits, for assisting Public Sector project, in power sector basic and heavy industries and development Projects, included in the Five Year Plans.

The earlier credits are generally repayable over a period of 12 years, commencing one year after completion of shipments of equipment required for putting the projects into operation. In other words, these credits are generally repayable over a period of about 14 years to 15 years inclusive a grace period of about 2 to 3 years. The recent Soviet credits commencing with the credit of Roubles 250 million dated April 27, 1977 are repayable over a period of 20 years inclusive of a grace period of 3 years. All the Soviet credits carry interest payment at the rate of 2.5 per cent per annum. The credits of Roubles 1500 million, 770 million and 400 million and 770 million dated 27th November, 1986, 24th November, 1987 and 20th November, 1988 and 12th September, 1989 have two each components of Roubles 1200 million and Roubles 300 million; Roubles 700 million and Rubles 70 million and Rubles 330 million and Rubles 70 million and Rouble 600 million and 170 million respectively. The Rubles 300 million/Roubles 70 million/Roubles 70 million/170 million components, which would finance part of the local costs of Tehri-Hydro-Power-Complex/another Thermal power project and Vindhyachal Thermal Power Station Stage-II, thermal power projects at Maithon Karganskhlam & Mangall would carry an interest rate of 1.5% per annum over and above the rate against 91 days Treasury Bills of the Government of India. In these cases, this amount will be repaid in five equal instalments commencing from the year of commissioning of the first unit, but not later than January 1, 1994 and October 1, 1995 respectively.

Interest payments and repayments of principal are made in Indian Rupees for credit to a special account of USSR with the Reserve Bank of India and these are utilised by the Soviet authorities for purchase of Indian goods in accordance with the Indo-Soviet Trade Agreement in force from time to time, for export to USSR.

The important projects financed wholly or in part with Soviet assistance are : the Bhilai and Bokaro Steel Plants, the Heavy Machine Building Plant, Ranchi, Power Projects such as Neyveli, Korba, Singrauli and Lower Sileru Hydro-Electric Station, Instrumentation Project, exploration projects for oil and gas of the ONGC, Barauni, Koyali, and Mathura Refineries, Coal Mining Machinery Plant, the Opthalmic Glass Project, etc.

Some of the important projects presently under implementation and proposed for implementation with Soviet assistance are : Bhilai and

बोकारो इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना (प्रत्येक 40 लाख मीट्रिक टन तक प्रतिवर्ष), विजाग इस्पात परियोजना (34 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष), विंध्याचल तापीय विद्युत परियोजना (6x210) मेघावाट सैट), कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना (4x210) मेघावाट सैट), निगाही, मुकुंद और झंजरा कोयला परियोजनाएं, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के रूग्ण तेलकूपों की सुधार परियोजना उत्तरी कैम्बे और कावेरी बेसिन में गहन और एकीकृत तेल अन्वेषण, टिहरी जल विद्युत परियोजना बीना-नागदा सम्प्रेषण प्रणाली तापीय परियोजना मायथोन, करय्मकुलम और मंगलौर में और कुडनकुलम में नाभिकीय विद्युत स्टेशन आदि ।

XXVIII. यूगोस्लाविया

यूगोस्लाविया की सरकार ने अब तक कुल 88.48 करोड़ रुपए के दो ऋण, जहाजों की खरीद, पूंजीगत सामान और उपस्करों के वित्तपोषण के लिए दिए है । 21 जनवरी 1980 को हस्ताक्षरित पहला ऋण जो 28.48 करोड़ रुपए का था वह पूर्णतयाः सरकार से सरकार को ऋण था । तथापि, इसमें से केवल 26.60 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया जा सका और बाकी 1.88 करोड़ रुपए को व्यपगत माना गया ।

18 जून, 1986 का दूसरा ऋण 60 करोड़ रुपए का था । तथापि, 31.16 करोड़ रुपए मूल्य के ही संविदा किए गए और बाकी 28.84 करोड़ रुपए को व्यपगत माना गया । यह विशुद्ध संभरक ऋण था और केवल 0.10 करोड़ रुपए की राशि का सरकारी ऋण था । इस प्रकार सरकारी खाते में कुल 26.70 करोड़ रुपए के प्रभावी ऋण थे जबकि संभरक ऋण खाते में 31.06 करोड़ रुपए थे ।

सरकारी खाते के ऋणों की अदायगी की अवधि जहाजों के मामले में 9 वर्ष में और उपस्करों और पूंजीगत सामान के मामले में इसकी अवधि ग्यारह वर्ष थी । इन दोनों ऋणों पर ब्याज की दर 3 प्रतिशत वार्षिक थी ।

इन ऋणों की विशेषता यह थी कि मूल की वापसी और ब्याज की अदायगी रुपयों में की गई, जिनको यूगोस्लाविया के अधिकारियों द्वारा दोनों देशों के बीच निष्पन्न ऋण करार के अन्तर्गत यूगोस्लाविया को निर्यात के लिए वस्तुएं खरीदने पर इस्तेमाल किया गया ।

उन दोनों ऋणों की पूर्ण अदायगी की जा चुकी है और अब कोई सरकार से सरकार को ऋण प्रचलन में नही है ।

XXIX अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और इसने आर्थिक सहायता संबंधी कार्यक्रम जून, 1946 से आरम्भ कर दिए थे । इसके उधार देने संबंधी कार्यकलापों का वित्त पोषण मुख्य रूप से इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में दिए गए उधारों से प्रवाहित ऋणों की वापसी अदायगी और सुरक्षित आय से किया जाता है । भारत, विश्व बैंक समूह अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाली सहायता का प्रमुख लाभग्राही है । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋण उन विकासशील देशों को सुलभ कराए जाते हैं जो सापेक्षिक रूप से अधिक उन्नत, मितव्ययी और सामाजिक हैं । अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की शर्तें गैर रियायती होते हुए भी वाणिज्यिक बैंकों की शर्तों की अपेक्षा सामान्यतः अधिक उदार होती है . अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि देश-देश के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है । इस समय भारत के लिए यह अवधि 5 वर्ष की छूट की अवधि सहित 20 वर्ष है । ब्याज की दर परिवर्तनीय है ओर इसमें बैंक की उधार निधि की अपनी लागत के अनुसार छमाही संशोधन किया जाता है । 1 जुलाई से 31 दिसम्बर 1990 तक (आधे वर्ष की अवधि के लिए ब्याज की चालू दर 7.73 प्रतिशत है । ऋण के असंवितरित भाग पर 0.25 प्रतिशत वचनबद्धता शुल्क लगता है ।

31.3.1990 तक ऋण के रूप में दी जाने वाली सहायता, जिनके लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए है, का कुल मूल्य 13.50 अरब अमरीकी डालर है । ये वचनबद्धताएं कृषि सिंचाई, विद्युत, तेल और गैस, रेल, शहरी

Bokaro Steel Plant Expansion Schemes (each upto 4 million tons per annum), Vizag Steel Project (3.4 million tons per annum), Vindhyachal Thermal Power Project (6x210 MW sets), Kahalgaon Thermal Power Project (4x210 MW sets), Nigahi, Mukunda and Jhanjra Coal Projects, renovation of Sick Oil wells projects of the ONGC, Intensive and Integrated oil exploration in North Cambay and Cauvery Basins, Tehri Hydro power project Bina-Nagda transmission system Thermal Projects at Mythan,KaryamKulam and Mangalore a nuclear Power Station at Kundan Kulam etc.

XXVIII. YUGOSLAVIA

The Government of Yugoslavia had so far extended two credits for a gross total value of Rs.88.48 crores for financing the purchase of ships, capital goods and equipments etc. The first credit dated 21st January, 1980 for Rs.28.48 crores was entirely a Government to Government credit. However the utilisation against the credit was only to the tune of Rs.26.60 crores and the balance of Rs.1.88 crores was treated as lapsed.

The second credit dated 18th June, 1986 was for Rs.60.00 crores. However contracts could be concluded to the value of Rs.31.16 crores and the balance of Rs.28.84 crores was treated as lapsed. This credit was purely suppliers' credit and a small sum of Rs.0.10 crores related to Government credit. Thus the total effective loan on Government account amounted to Rs.26.70 crores while the same on suppliers' credit, account stood at Rs.31.06 crores.

The credits on Government account were repayable over a period of nine years in case of ships and eleven years in cases of equipments and capital goods. The two credits carried interest at 3.00 per cent per annum.

The special feature of the credits was that the repayment of principal and payment of interest were made in Indian rupees which are utilised by the Yugoslav authorities for the purchase of Indian goods for export to Yugoslavia in accordance with the loan agreement in force between the two Governments.

Both the loans were repaid in full and no Government to Government credit is in operation now.

XXIX. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)

The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) was established in 1945 and began its programme of economic assistance in June 1946. Its lending operations financed primarily from its borrowing in the Internationl Capital Markets, from retained earnings and the flow of repayments of its loans. India is a major beneficiary of assistance from the World Bank Group, namely IBRD and I.D.A. The IBRD loans are targetted towards those developing countries that are relatively more advanced economicaly and socially. IBRD loans, though non-concessional, are available at terms which are relatively more favourable than commercial sources. The repayment period of IBRD loan varies from country to country. For India, at present it is 20 years, inclusive of a 5 year grace period. The interest rate is variable and revised semi annually in accordance with the Bank's own cost of borrowing funds. The current rate of interest is 7.72% for the half year period from 1st July to 31st December 1990. A commitment charge on undisbursed balance is levied, the present rate is 0.25%.

The total value of assistance extended by way of loans upto 31.3.1990 for which agreements were signed is US.$ 13.50 billion. The commitments were against projects in various sectors like Agriculture,

विकास और जल पूर्ति, परिवहन, उर्वरक, उद्योग और दूर संचार आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में हैं। वर्ष 1990-91 (31 दिसम्बर, 1990 तक) निम्नलिखित ग्यारह नई परियोजनाओं के लिए 1230 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के ऋण प्रदायी करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

Irrigation, Power, Oil and Gas, Railways, Urban Development, and Watersupply, Transport, Fertilizer, Industry, Telecommunication etc. During the year 1990-91 (upto 31st December, 1990) agreements providing loans to the following 11 new projects valuing US$ 1230 million have been signed:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	Sl. No.	Name of the Project	(मिलियन अमरीकी डालर) (Amount in US $ Million)	करार की तारीख Date of agreement
1.	हैदराबाद जल आपूर्ति और निकासी	1.	Hyderabad Water Supply and Sanitation	10.00	23.5.90
2	प्रथम तकनीकी शिक्षा	2.	First Technician Education	25.00	13.8.90
3.	द्वितीय तमिलनाडू आहार पोषण	3.	Second Tamil Nadu Nutrition	Nil	14.9.90
4.	प्रथम समन्वित बाल विकास सेवाएं	4.	First Integrated Child Development Services	10.00	23.10.90
5.	सातवीं जनगणना	5.	Seventh Population	10.00	23.10.90
6.	द्वितीय सिमेन्ट उद्योग	6.	2nd Cement Industry	300.00	13.6.90
7.	द्वितीय पैट्रोकेमिकल्स	7.	2nd Petrochemicals	245.00	7.11.90
8.	समन्वित कार्य विभाग (योजना)	8.	I.W.D. (Plans)	7.00	22.8.90
9.	आन्ध्र प्रदेश	9.	Andhra Pradesh	40.00	23.10.90
10.	उत्तरी क्षेत्र का सम्प्रेषण	10.	Northern Region Transmission	485.00	3.10.90
11.	निजी क्षेत्र उपयोगिता (टी.ई.सी.)	11.	Private Sector Utility (TEC)	98.00	3.10.90
	जोड़		**Total**	**1230.00**	

XXX. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना विश्व के निर्धनतम देशों को रियायती दीर्घावधिक ऋण देने के प्रयोजन से विश्व बैंक के एक सहायक संस्थान के रूप में सन 1960 में हुई थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता भारत को जून, 1961 में मिलनी शुरू हुई थी और यह विदेशी सहायता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक रही है। 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत को 15.35 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण प्रदान किए है। इसमें औद्योगिक आयात के लिए परियोजना-भिन्न और विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में सहायता शामिल है। प्रमुख क्षेत्र, जिनके लिए सहायता दी जाती है वे ये है :- सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास, विद्युत, परिवहन, कृषि उर्वरक, कृषि विस्तार, रेलवे, दूर-संचार, जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषाहार, शहरी विकास और जलपूर्ति और कृषि अनुसंधान एवं विकास निगम परियोजनाएं।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने वर्ष 1990-91 के दौरान (31.12.90) विभिन्न परियोजनाओं के लिए 818.40 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण दिए हैं, वे निम्नलिखित हैं :-

XXX. INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION (IDA)

The International Development Association was established in 1960, as an affiliate of the World Bank to make concessional long term loans to the World's poorest countries. IDA assistance to India began in June 1961 and has been an important component of the external asistance programme. For the period ending 31st March 1990 IDA have extended credits to the Government of India for a total value of US $ 15.35 billion. This includes assistance in the form of non-project credits for industrial imports and credits for various projects. The major sectors for which assistance provided are:- Irrigation and Command Area Development, Agriculture, Power, Transport, Fertilizers, Railways, Telecommunication, Population, Health and Nutrition, Urban Development and Water Supply and ARDC projects.

During the year 1990-91 (upto 31.12.90).IDA have extended credits amounting to US $ 818.40 millions for following projects:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	Sl. No.	Name of the Project	मिलियन अमरीकी डालर Amout in US $ Million	करार की तारीख Date of agreement
1.	समन्वित कार्य विभाग (आई.डब्लू.डी.) (योजनाएं)	1.	I.W.D. (Plans)	55.00	22.8.90
2	आन्ध्र प्रदेश चक्रवात	2.	Andhra Pradesh Cyclone	170.00	23.10.90
3.	हैदराबाद जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	3.	Hyderabad Water Supply & Sanitation	79.90	23.5.90
4.	प्रथम तकनीकी शिक्षा	4.	First Technician Education	235.00	13.8.90
5.	द्वितीय तमिलनाडु आहार पोषण	5.	Second Tamil Nadu Nutrition	95.80	14.9.90
6.	समन्वित बाल विकास सेवाएं	6.	Integrated Child Development Services	96.00	23.10.90
7.	सातवीं जनगणना	7.	Seventh Population	86.70	23.10.90
	जोड़		**Total**	**818.40**	

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है परन्तु, ऋणों के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत का सेवा प्रभार और अवितरित भाग पर 0.5 प्रतिशत के अधिकतम वचनबद्धता शुल्क लगाए जाते है। पहली जुलाई, 1990 से प्रारम्भ विश्व बैंक के चालू राजकोषीय वर्ष में वचनबद्धता प्रभार शून्य प्रतिशत रखा गया है। भारत को 30 जून, 1987 तक अनुमोदित ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित 50 वर्ष में करनी है और जिन ऋणों का अनुमोदन 1 जुलाई 1987 को किया गया है उन की वापसी 10 वर्ष की छूट की अवधि सहित, 35 वर्षों मे की जानी है।

IDA credits carry no interest charge, but a service charge of 0.75% is levied on the disbursed portion of the credit and a maximum commitment fee of 0.5% on the undisbursed portion. The commitment charge for the World Bank's current fiscal year commencing 1st July 1990 has been set at 0%. The credits to India approved upto 30th June, 1987 are repayable in 50 years, inclusive of a grace period of 10 years, and those approved from 1st July 1987 onwards are repayable over 35 years, inclusive of a grace period of 10 years.

XXXI एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) एक प्रमुख क्षेत्रीय संस्थान है और भारत को इसमे एक प्रमुख भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इस

XXXI ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)

The Asian Development Bank (ADB) is a major regional institution and India needs to play a leading role in it. To this end, India's

उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एशियाई विकास बैंक के पूंजी भंडार में, जापान, अमेरिका और चीन लोक गणराज्य के बाद भारत का, सभी सदस्य देशों में चौथा सबसे बड़ा भाग है ।

वर्ष 1966 में इस की स्थापना होने पर, भारत ने स्वेच्छापूर्वक, एशियाई विकास बैंक से ऋण नहीं लिया था । परन्तु, उन स्रोतों में, जिन से हम रियायती विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, विस्तार करने की विविधता लाने के बारे में विचार किया गया ।और भारत ने एशियाई विकास बैंक से वर्ष 1986 से ऋण लेना प्रारम्भ किया । 31.12.1990 तक जिन करारों पर एशियाई विकास बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए उनका कुल मूल्य 2361.30 *मिलियन* अमरीकी डालर था । इसमें आई.सी.आई.सी.आई, आई.डी.बी.आई और आई.एफ.सी.आई. को 100-100 और 150 मिलियन अमरीकी डालर के तीन ऋण, जिनके लिए सरकार द्वारा गारन्टी दी गई है, और सरकार द्वारा बिना गारंटी के कुल 43.7 मिलियन अमरीकी डालर के चार निजी क्षेत्र के ऋण शामिल हैं । एशियाई विकास बैंक द्वारा जिन क्षेत्रों के लिए ऋण दिए गए हैं वे विद्युत, पत्तन, रेलवे, सड़कों और दूर संचार की विकासोन्मुख परियोजनाओं के सहायतार्थ हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त 1989-90 के दौरान भारत के लिए अनुमोदित ऋण करार (31.12.1989 तक) निम्नलिखित थे :-

1. द्वितीय पत्तन विकास परियोजना
2. सड़क सुधार- II
3. उत्तर मद्रास ताप विद्युत परियोजना
4. आई सी आई सी आई - II

जोड़

XXXII स्पेन

स्पेन सरकार ने भारत को 1989 से आर्थिक सहायता देना आरम्भ किया है । स्पेनिश सहायता सरकार से सरकार को उदार ऋण शर्तों पर है । 14.6.89 को एक उदार ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें भारत सरकार को मैसर्स एस्टिलेरोस एस्पनोलेस, स्पेन से भारतीय नौवहन निगम को तीन फासफोरिक एसिड जहाजों के एक भाग के वित्तपोषण (52.2 प्रतिशत) के लिए 460 लाख अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है । इस ऋण की वापसी अदायगी 9 वर्षों की अधिस्थगन अवधि सहित 20 वर्षों में की जाएगी जिसपर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज होगा । शेष 47.8 प्रतिशत राशि निर्यात ऋण के रूप में है । स्पेन सरकार के साथ किया गया यह सर्वप्रथम उदार ऋण करार है ।

XXXIII. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय निकाय

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय, भारत को 1976 से सहायता प्रदान कर रहा है । 1988 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहकारिता के अन्तर्गत ही कुल सहायता दी गई है । गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास आदि परियोजनाओं के लिए 5520 लाख ई. सी. यू. की राशि का करार किया गया है । इसके अतिरिक्त, आपरेशन फ्लड चरण- II-III और अन्य कार्यक्रमों अर्थात् व्यापार संवर्धन, ऊर्जा सहकारिता, औद्योगिक सहकारिता और एन. सी. ओ. को सहायता आदि के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय खाद्य सहायता के अन्तर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने (4380 लाख ई. सी. यू.) सहायता दी है । आपरेशन फ्लड -III के लिए बटर आयल और मखनिया दूध पाउडर के लिए ई. ई. सी. से जो खाद्य सहायता प्राप्त हुई है और जिसे अब क्रियान्वित किया जा रहा है, नीचे दी गई है:-

मखनिया दुग्ध चूर्ण
बटर आयल

1976 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त कुल सहायता की राशि-10752 लाख ई सी यू है ।

इसके 1988 के सहायता कार्यक्रम में, ई ई सी ने 736 लाख ई सी यू (लगभग 118 करोड़ रुपए) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए दिए हैं ।

(क) अन्तर्देशीय मत्स्य पालन विकास 221 लाख ई.सी.यू. ।
(ख) तालाब सिंचाई चरण-II, तमिलनाडु, 245 ई.सी.यू. ।
(ग) कृषि बाजार, केरल, 186 लाख ई.सी.यू. ।
(घ) दक्षिण भागीरथी जल विभाजक प्रबंध चरण-II 84 लाख ई.सी.यू. ।

subscription to the ADB's capital stock is the fourth largest of all member countries after Japan, the USA and People's Republic of China.

Ever since its inception in 1966, India had voluntarily refrained from borrowing from the ADB. However, it was considered desirable to diversify the sources from which we receive concessional external assistance and India started borrowing from ADB from the year 1986. The total value of loans upto 31.12.1990 for which agreements were signed with ADB amounted to US $ 2361.30 million. This includes three lines of credits of US$100 million, $100 million and $150 million to ICICI, IDBI and IFCI respectively, for which Government of India has given guarantee, and four private sector loans totailing to US $ 43.7 million without Government guarantee. The sectors for which the loans have been extended by ADB are for assisting developmental projects in Power, Ports, Railways, Roads and Telecommunications. Out of the above, the loan agreements approved for India during 1990-91 (upto 31.12.1990) were the following:

मिलियन अमरीकी डालर In million US $

1.	Second Port. Dev. Project	129
2.	Road Improvement II	250
3.	North Madras Thermal Power Project II	200
4.	ICICI - II	120
	Total	**699**

XXXII SPAIN

The Government of Spain has started providing economic assistance to India since 1989. Spanish assistance is in the form of government to government soft loan. A soft loan agreement was signed on 14.6.89 providing US $46 million to Government of India for part financing (52.2%) of acquisition of 3 phosphoric acid carriers by Shipping Corporation of India from M/s Astileroes Espanoles, Spain. The loan is repayable in 20 years with moratorium of 9 years at an interest rate of 2% p.a. The balance 47.8% is in the form of export credit. This is the very first soft loan agreement signed with the Government of Spain.

XXXIII. OTHER INTERNATIONAL BODIES

1. EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY (E.E.C)

The European Economic Community has been extending assistance to India since 1976. Till 1988 the total aid committed by EEC under Financial and Technical Cooperation Agreement for projects in the poverty alleviation, Rural development etc. sectors amounts to ECU 552 million. In addition to this, EEC have given assistance under EEC's food aid (ECU 438 M) for Operation Flood II-III and other programme's e.g. trade promotion, energy Co-operation, industrial cooperation and aid to NCO etc. The food aid provided in the form of butter oil and skimmed milk powder from the EEC for Operation Flood-III, which is currently under implementation is indicated below:-

(मिट्रिक टनों में मात्रा)
(Quantity in Metric Tonnes)

	ब.अ. BE 1989-90	सं.अ. RE 1989-90	ब.अ. BE 1990-91
Skimmed Milk Powder	20,000	13,470	16,520
Butter Oil	...	...	5000

The total aid received from EEC since 1976 amounts to ECU 1075.2 Million.

Under its 1988 aid programme, the EEC has extended ECU 73.6 million (Rs.118 crores approximately) for the following projects.

(a) Inland Fishéries Development 22.1. million ECU.
(b) Tank Irrigation Phase II, Tamil Nadu 24.5 million ECU.
(c) Argicultural Markets Kerala 18.6 million ECU.
(d) South Bhagirathi Watershed Management Phase II 8.4 million ECU.

यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने अपने 1989 के सहायता कार्यक्रम में निम्नलिखित परियोजनाओं को सहायता दी है । इन कार्यक्रमों के लिए सहायता 1990-91 में उपलब्ध होगी ।

(क) पशुओं की बीमारियों को रोकने के लिए पशुचिकित्सा सेवाअें सुदृढ़ बनाना

(ख) हरियाणा में साझी भूमि की पुनः स्थापना

(ग) भीमताल एकीकृत जल विभाजक प्रबंध

2. विशेष कार्रवाई ऋण

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों द्वारा दी गई निधियों में स्थापित विशेष कार्रवाही ऋण के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ प्रशासक और भारत के बीच 5 नवम्बर, 1979 को एक विशेष कार्रवाई ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए । ऋण की राशि में विभिन्न करेंसियां (500 लाख अमरीकी डालरों के बराबर) जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों द्वारा दी गई है जो दूसरी ए.आर.डी.सी. परियोजना के वित्तपोषण के लिए थी ।

निकासी और वापसी अदायगी की शर्तें वही है जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के लिए विनिर्दिष्ट है । यह ऋण अप्रैल, 1981 तक पूरी तरह से लिया गया है ।

3. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि :

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना विश्व की खाद्य समस्याओं और खाद्य उत्पादन और विकासशील देशों में बढ़ने वाली ग्रामीण निर्धनता से निपटने के लिए की गई, जो रियायती दरों पर उपयुक्त संसाधनों को उपलब्ध करवाता है, यह भारत को 1979 से सहायता प्रदान कर रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा 31.12.1989 तक कुल 2120.7 लाख अमरीकी डालर मूल्य की सहायता दी गई । सहायता प्राप्त परियोजनाएं ये हैं: भीमा कमान क्षेत्र विकास परियोजना, सुन्दर वन विकास परियोजना, राजस्थान कमान क्षेत्र विकास परियोजना, मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना और उत्तर प्रदेश में दूसरी जलकूप परियोजना, जनजातीय विकास परियोजना और जनजातीय महिला विकास परियोजना ।

यह ऋण 80 छमाही किस्तों में वापिस किए जाने है, वापसी अदायगी 10 वर्ष की कुल अवधि के पश्चात शुरू होगी । ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता किन्तु ऋणों की निकाली गई राशि और समय-समय पर बकाया राशि पर एक प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से सेवा प्रभार लगता है ।

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों की तीसरी संपूर्ति के सम्बन्ध में 80 लाख अमरीकी डालर की राशि का अंशदान किया है, जिस की अदायगी 50:50 की तीन किस्तों में परिवर्तनीय और मुद्रा अंशदान में की जायगी । भारत की अंशदान समय अनुसूची पुनर्भरण की प्रभारोत्पादकता से जुड़ी हुई है, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के अंशदान के साधनों द्वारा प्राप्ति की आवश्यकता है जो प्रत्येक श्रेणी I और II सदस्य देशों से कम से कम वचनबद्ध 50 प्रतिशत राशि के बराबर है ।

4. अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार 1977 के अनुच्छेद 53 के अन्तर्गत, जो पहली जनवरी 1978 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित हुआ और भारत द्वारा अभिपुष्टि की गई । भारत को समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के करार के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत अपनी न्यूनतम बाध्यतानुसार चीनी के विशेष भण्डारों के लिए ब्याज रहित ऋण प्राप्त करने का हक है । उपरोक्त संगठन से प्रति तिमाही ऋण प्राप्त किया जा सकता है और उसे भण्डारों के निर्माण और रख-रखाव आदि पर व्यय किया जा सकता है ।

करार के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत भारत द्वारा रखे जाने वाले कुल 25 लाख मीट्रिक टन के अनुसार कच्चे मूल्य की मात्रा में से भारत को भण्डारण के लिए 1,25,357 मीट्रिक टन के अनुसार कच्चे मूल्य का कोटा दिया गया । भारत ने 50.240 एम.टी.आर.वी. का विशेष भण्डार 1.1.1982 से बनाया और उसके अनुवर्ती 30.6.1983 तक इसे बढ़ाकर 1.25 लाख एम.टी.आर.वी. कर दिया । सितम्बर-नवम्बर, 1982 में भण्डारों का सत्यापन निरीक्षण किया गया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन सन्तुष्ट था ।

The EEC have indicated assistance to the following projects in their 1989 aid programme. Aid for these programmes would become available in 1990-91.

	बाकड़े मिलियन अमरीकी डालर में (ECU million)
(a) Strengthening for Veterinary Services for Livestock Disease Control	40.3
(b) Rehabilitation of Common Lands in Haryana	23.2
(c) Bhimtal Integrated Watershed Management	4.4

2. **SPECIAL ACTION CREDIT**

A special Action Credit agreement was signed on 5th November, 1979 between India and IDA as administrator of the Special Action Account established with funds contributed by the member-States of the European Economic Community. The credit amount consisting of various currencies (equivalent of US$ 50 million) contributed by the member-states of the EEC was for financing the Second ARDC project.

The terms and conditions of drawal and repayment are similar to those specified for IDA credits. This credit was fully utilized by April, 1981.

3. **International fund for Agricultural Development (IFAD)**

The International Fund for Agricultural Development, set up to mobilise additional resources to be made available on concessional terms for dealing with the World Food problems and specifically problem of food production and rural poverty in the developing world has been extending assistance to India since 1979.

The total value of assistance extended by IFAD upto 31.12.1989 amounted to US $ 212.07 million. The projects assisted are :- Bhima Command Area Development project, Sunderban Development project, Rajasthan Command Area Development project, Madhya Pradesh Medium Irrigation project and Second U.P. Tubewells projects. Orissa Tribal Development project and Tamil Nadu Woman's Development projects.

The loans are repayable in 80 semiannual instalments, repayments commencing after a grace period of 10 years. The loans do not carry any interest but only a service charge of one per cent per annum on the amount of the loan withdrawn and outstanding from time to time.

India has decided to subscribe an amount of US $ 8 million towards the 3rd replenishment of the resources of IFAD to be paid in freely Convertible and currency contribution in 3 instalments. The timing of India's contribution is linked to the effectiveness of the replenishment which requires receipt by IFAD of Instruments of contribution representing atleast 50% of amount pledged from each of Category I and II member countries.

4. **INTERNATIONAL SUGAR ORGANISATION**

Under Articles 53 of the International Sugar Agreement, 1977 which came into force with effect from 1st January, 1978 for a period of five years and was ratified by India, India is entitled to interest free loans at the rates prescribed from time to time by the International Sugar Organisation on special stocks of sugar held in conformity with its minimum obligation under Article 46 of the Agreement. Loans are to be made on quarterly basis by the said Organisation and are used for the exclusive purpose of helping to defray the cost of holding the stocks.

Out of total quantity of 2.5 million MTRV to be held as special stocks under Article 46 of the Agreement, India has been given quota of 1,25,357 metric tonnes RAW Value for accumulation. India created special stocks of 50.240 MTRV with effect from 1st January, 1982 and subsequently increased it to the level of 1.25 Lakhs MTRV upto 30th June, 1983. The verification of stocks was conducted in September-November, 1982 to the satisfaction of International Sugar Organisation.

भारत को अमरीकी डालरों में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होता है जो कि अब 7 सेंट प्रति पौंड की दर से लगता है । वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रमशः 12.46 लाख अमरीकी डालर और 16.99 लाख अमरीकी डालर की राशि का ऋण प्राप्त किया गया था । भारत को 1984-85 के दौरान 9.68 लाख अमरीकी डालर और 1985-86 के दौरान 17.96 लाख डालर की राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो सकेगा । इन ऋणों का भुगतान करार के अनुच्छेद 53 के पैरा 3 के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि आर्थिक नियमावली के नियम 532 के पैरा 2 और नियम 533 के पैरा 3 के अनुसार भुगतान जल्दी न किया जाना हो । वापसी अदायगी अमरीकी डालर में की जायेगी जो कि भण्डार वित्तपोषण निधि के निधि प्रबन्धक के नाम खोले गए खाते के नाम में डाली जायेगी । 1988-89 के दौरान, इस मे से कोई राशि नहीं निकाली गयी ।

5. जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि

चालू वर्ष 1990-91 के दौरान 14.52 करोड़ रुपए की नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है । 1991-92 के दौरान 26.94 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता होने की आशा है । यह अनुदान बिहार और राजस्थान की क्षेत्रीय परियोजना और जनसंख्या तथा प्रौढ़ शिक्षा अध्ययन, पौधरोपण और वस्तु सहायता के लिए 90-91 और 91-92 के लिए क्रमशः 0.15 करोड़ रुपए और 5.15 करोड़ रुपए वित्तपोषित करने के वास्ते है ।

6. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, पहली जनवरी, 1966 से अस्तित्व में आया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को जो तकनीकी सहायता मिलती है, यह उपस्करों, विशेषज्ञों की सेवाओं, तथा विदेशों में भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के रूप में मिलती है ।

चालू वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 7.01 करोड़ रुपए वस्तु/सामग्री सहायता प्राप्त होने की आशा है । इसी प्रकार वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 4.17 करोड़ रुपए की यह सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

7. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि:

वर्ष 1989-90 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाल विकास संगठन (आई.सी.डी.एस.) के पदाधिकारियों (कार्यकर्ताओं) डाक्टरों के प्रशिक्षण और महिलाओं तथा लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की आशा है । 1990-91 के दौरान इन योजनाओं के लिए नकद सहायता और ओ.आर.टी. कार्यक्रमों की सहायता के लिए और विश्व प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए कुल सहायता की राशि का अनुमान लगभग 36.00 करोड़ रुपए और 1991-92 के लिए 50.79 करोड़ रुपए है ।

वर्ष 1990-91 के दौरान 23.65 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता प्राप्त होने की आशा है जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान 91.79 करोड़ रुपए की इसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने की आशा है ।

8. विश्व स्वास्थ्य संगठन

वर्ष 1991-92 के दौरान कुष्ठ रोग नियन्त्रण परियोजना के लिए प्रतिबल प्रोटीन और न्यूट्रोपैथालाजी के लिए 0.08 करोड़ रुपए की नकद अनुदान सहायता प्राप्त होने की संभावना है । इस के अलावा, वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 0.39 करोड़ रुपए तक की वस्तु सहायता भी प्राप्त होने की प्रत्याशा है ।

9. संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन

शिक्षा विभाग के अंतर्गत कथा-चित्र सेवा योजनाओं के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान 0.04 करोड़ रुपए का नकद अनुदान प्राप्त होने की संभावना है ।

India is to receive interest free loan in US $ at the present rate of 7 cent per pound. During 1982-83 and 1983-84 the amount of loan received was US$ 1.246 million and US $ 1.699 million respectively. In the year 1984-85 India has received an interest free loan of $ 0.968 million and in 1985-86 an amount of $1.796 million. These loans will be repaid in accordance with Article 53 para 3 of the Agreement unless earlier payment is required, pursuant to Rules 532.2 and 533.3 of the Economic Rules. Repayment shall be made by crediting the amount due in US $ to an Account designated by the Fund Manager of Stock Financing Fund. There are no drawals during 1988-89.

5. UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION ACTIVITIES (UNFPA)

Cash Grant assistance to the value of Rs.14.52 crores is expected to be received during the current year 1990-91. Similar assistance to the tune of Rs.26.94 crores is also expected during the year 1991-92. The grant is intended to provide financial assistance to the Area Project in Bihar and Rajasthan on population and adult education studies, tree plantation & commodity assistance, Rs. 0.15 crores and Rs.5.15 crores for 90-91 & 91-92 respectely.

6. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PRO-GRAMME (UNDP)

The United Nations Development Programme (UNDP) came into existance on 1st January,1966. Under this programme Technical Assistance is being received by India in the form of equipments, services of experts and training facilities for Indian personnel abroad.

During the current year 1990-91 commodity/material assistance to the extent of Rs.7.01 crores is expected to be received. Similar assistance to the value of Rs.4.17 crores is expected to be received during 1991-92.

7. UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILD REN'S EMERGENCY FUND (UNICEF)

Cash Grant Assistance is expected to be received during 1989-90 for training of I.C.D.S. Functionaries, training of doctors and non-formal education for women and girls. The total quantum of cash assistance for these schemes and for Assistance for ORT programme and universal immunisation programme during 1990-91 is expected to be around Rs.36.00 crores and Rs.50.79 crores during 1991-92.

Commodity assistance to the extent of Rs. 23.65 crores is anticipated to be received during 1990-91 while the same is expected to be Rs.91.79 crores during 1991-92.

8. WORLD HEALTH ORGANISATION (WHO)

Cash Grant assistance to the extent of Rs. 0.08 crores is expected to be received during the year 1991-92 and for Stress Proteins & Neutro-pathology in Leprosy Project. Further commodity assistance to the extent of Rs. 0.39 crores is anticipated to be received during the year 1990-91 for 1991-92 National Leprosy Control Programme and National Malaria Eradication Programme.

9. UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION *(UNESCO)*

Cash Grant of Rs. 0.04 crores is expected to be received during the year 1990-91& 1991-92 for Feature Services Schemes under Department of Education.

विवरण Statement 1

विदेशी ऋण External Loans

प्राप्तियां और वापसी-अदायगी Statement of Receipts and Repayments

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

देश/संस्था	Name of the Country/Institutions	प्राप्तियां Receipts			वापसी अदायगियां Repayments		
		बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates 1991-92	बजट अनुमान Budget Estimates 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimates 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimates 1991-92
आस्ट्रिया	Austria	4.08	25.52	2.69	4.71	5.52	8.23
आबु धाबी	Abu Dhabi	..	..	..	2.09	2.20	2.98
बेल्जियम	Belgium	0.91	..	4.57	7.27	9.72	14.31
कनाडा	Canada	..	..	..	20.85	22.17	35.38
चेकोस्लोवाकिया	Czechoslovakia	8.03	17.55	..	0.77	1.16	0.66
डेनमार्क	Denmark	7.40	..	..	2.56	3.12	5.64
जर्मन संघीय गणराज्य	F.R.G.	274.65	443.28	319.64	165.23	200.43	285.84
फ्रांस	France	150.55	118.80	56.12	98.28	122.68	181.59
हंगरी	Hungary	..	..	..	..	..	..
इटली	Italy	31.75	23.13	12.99	4.23	4.55	14.17
जापान	Japan	599.82	996.91	979.60	172.54	184.95	313.37
कुवैत निधि	Kuwait Fund	30.53	1.69	..	22.49	24.66	34.92
नीदरलैंड	Netherlands	55.24	60.77	55.46	63.61	76.45	107.60
पोलैंड	Poland	..	..	..	..	..	..
सऊदी निधि	Saudi Fund	41.26	45.87	43.60	18.81	18.37	27.39
स्पेन	Spain	19.25	40.24	..	..	..	..
स्विटजरलैंड	Switzerland	21.57	10.77	8.92	2.59	4.65	7.44
स्वीडन	Sweden	155.33	112.08	150.13	..	..	..
यूनाईटेड किंगडम	U.K.	..	..	..	74.53	91.16	121.90
संयुक्त राज्य अमरीका	U.S.A.	59.06	60.46	66.44	210.65	212.92	300.41
सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	U.S.S.R.	640.19	481.23	583.20	100.14	118.63	177.03
संयुक्त अरब अमीरात	U.A.E.	..	..	..	9.26	9.22	13.13
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक	I.B.R.D.	2084.32	2181.11	2303.47	722.79	710.21	1209.15
अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	International Development Agency	922.31	1172.35	1260.36	198.00	205.68	354.52
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	International Fund for Agricultural Development	10.42	10.69	11.69	4.59	5.06	8.46
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	I.M.F.	..	..	..	125.30	126.97	..
एशियन विकास बैंक	ADB	118.11	431.13	775.75	..	..	..
ई.ई.सी.(एस.ए.सी.)	EEC(SAC)	..	..	..	0.75	0.86	1.22
ओपेक	OPEC	6.95	7.91	14.34	18.90	19.56	26.78
नए ऋण	New Credits	400.00	...	266.00	...	...	...
जोड़	TOTAL:	5641.73	6241.49	6914.97	2050.94	2180.90	3252.32

विवरण Statement 2

विदेशी मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से अनुदान तथा वस्तु सहायता
Grants and commodity Assistance from friendly Foreign countries and International Bodies.

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

क्र. सं. Sl. No.		स्रोत Sources	बजट अनुमान Budget Estimate 1990-91	संशोधित अनुमान Revised Estimate 1990-91	बजट अनुमान Budget Estimate 1991-92
1.	कनाडा	Canada	112.65	45.53	101.91
2.	डेनमार्क	Denmark	23.20	52.59	24.49
3.	फ्रांस	France	..	0.07	0.04
4.	जर्मन संघीय गणराज्य	F.R.G.	4.27	5.03	9.97
5.	इटली	Italy	..	..	..
6.	जापान	Japan	20.09	67.86	50.48
7.	नीदरलैंड	Netherlands	50.34	74.79	55.46
8.	नार्वे	Norway	53.12	48.15	42.69
9.	स्वीडन	Sweden	56.95	77.76	109.13
10.	स्विटजरलैंड	Switzerland	14.18	7.73	4.94
11.	यूनाईटेड किंगडम	U.K.	218.10	154.23	122.64
12.	संयुक्त राज्य अमरीका	U.S.A.	55.40	91.83	116.43
	अन्तर्राष्ट्रीय निकाय :	**International bodies:**			
13.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय	E.E.C.	95.47	114.65	50.61
14.	जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए संयुक्तराष्ट्र निधि	UNFPA	20.10	14.67	32.09
15.	संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम	UNDP	8.97	7.02	4.17
16.	संयुक्तराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि	UNICEF	74.44	59.65	142.58
17.	विश्व स्वास्थ्य संगठन	W.H.O.	0.42	0.46	0.47
18.	संयुक्तराष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन	UNESCO	0.03	0.04	0.04
	कुल जोड़	*GRAND TOTAL*	*807.73*	*822.06*	*868.14*

अनुबंध ANNEXURE - 9

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां TRENDS IN RECEIPTS

(करोड़ रुपए in crores of Rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
राजस्व प्राप्तियां	**REVENUE RECEIPTS**	**18711**	**23466**	**28035**	**33083**	**37037**	**43591**	**52296**	**57381**	**67529**
क. कर राजस्व (राज्यों के हिस्से को घटाकर) (ब्यौरा अनुबंध 11 में)	A. Tax Revenue (Net of States' Share) (Details in Annexure 11)	15441	17651	21140	24319	28015	33751	38349	44318	52500
ख. कर-भिन्न राजस्व (ब्यौरा अनुबंध 11 में)	B. Non-Tax Revenue (Details in Annexure 11)	4270	5815	6895	8764	9022	9840	13947	13063	15029
पूंजी प्राप्तियां	**CAPITAL RECEIPTS**	**14406**	**16421**	**19315**	**21572**	**25406**	**29878**	**30020**	**38564**	**38174**
1. आंतरिक कर्ज-बाजार उधार (निवल)	***1.Internal Debt-Market Borrowings(Net)***	***4038***	***4095***	***4884***	***5532***	***5862***	***8418***	***7404***	***8000***	***7500***
1.01 सकल बाजार उधार	1.01.Gross Market Borrowings	4382	4583	5543	6570	6684	8894	8044	8988	8918
1.02 घटाइए-वापसी-अदायगी	1.02.Less-Repayments	344	488	659	1038	822	476	640	988	1418
2. विदेशी सहायता (निवल)	***2.External Assistance (Net)***	***1338***	***1452***	***1449***	***2024***	***2893***	***2460***	***2595***	***3984***	***3510***
2.01 सकल विदेशी उधार	2.01.Gross External Borrowings	1892	2003	2145	3040	4069	4016	4443	6241	6915
2.02 घटाइए-वापसी-अदायगी@	2.02.Less Repayments@	554	551	696	1016	1176	1556	1848	2257	3405
*3. ऋणों की वसूली **	***3.Recovery of Loans****	***2793***	***2750***	***2773***	***3491***	***4180***	***4597***	***4980***	***6005***	***5666***
4. अल्प बचतें (निवल)@@	***4.Small Savings(Net)@@***	***2536***	***3716***	***4369***	***3411***	***3911***	***5835***	***8575***	***8000***	***8000***
5. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	***5. State Provident Funds (Net)***	***228***	***364***	***419***	***767***	***893***	***961***	***1116***	***1200***	***1300***
6. विशेष जमा (निवल)	***6.Special Deposits (Net)***	***1021***	***1315***	***1001***	***3913***	***4381***	***6151***	***7970***	***8004***	***7763***
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश	***7. Disinvestment of equity holding in public sector enterprises***	..	..	..	..	..	..	..	..	***2500***
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल) #	***8. Other Items of capital receipts(Net)#***	***2452***	***2729***	***4420***	***2434***	***3288***	***1456***	***-2620***	***3371***	***1935***
जोड़-प्राप्तियां	**TOTAL-RECEIPTS**	**34117**	**39887**	**47350**	**54655**	**62445**	**73469**	**82316**	**95945**	**105703**
राजस्व खाते का घाटा	Deficit on Revenue Account	2540	4225	5889	7777	9137	10515	11914	17585	13854
बजटीय घाटा*	Budgetary Deficit*.	1417	3745	5315	8261	5516	5642	10592	10772	7719
राजकोषीय घाटा	Fiscal Deficit	13030	17416	21857	26342	27044	30923	35632	43331	37727
@ कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना तथा मद्रास रिफाइनरीज आदि के लिए विशेष ऋणों की वापसी अदायगी सहित ।	*@Includes repayment of Special credits for Kudremukh Iron Ore Project, Madras Refineries etc.*	*100*	*64*	*67*	*121*	*30*	*61*	..	*76*	*153*
**निम्नलिखित में से वसूलियां घटा कर :*	** Net of Recovery of*									
अर्थोपाय अग्रिम	*Ways & Means Advances*	*619*	*734*	*864*	*381*	*716*	*131*	*131*	*700*	*700*
कृषि निविष्टयों के लिए ऋण	*Loans for Agricultural inputs*	*333*	*245*	*228*	*253*	*285*	*248*	*263*	*299*	*310*
सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को उधार	*Loans to Govt. servants, etc.*	..	..	..	..	..	*77*	*86*	*91*	*102*
@@ घटाइए-राज्यों का हिस्सा	*@@ Less-Share of States*	*1399*	*1935*	*2903*	*2800*	*3097*	*4205*	*5742*	*6770*	*6865*
केन्द्र को निवल	*Net to Centre*	*1137*	*1781*	*1466*	*611*	*814*	*1630*	*2833*	*1230*	*1135*
# इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को जारी की गई वे प्रतिभूतियां शामिल नही है जिन्हें प्रत्यावस्थित प्रविष्टियों के द्वारा पूंजी व्यय से घटा दिया गया है ।	*# Excludes Securities issued to the I.M.F. omitted per contra from Capital Expenditure*	*503*	*368*	*520*	*1134*	*1029*	*775*	*803*	*550*	*3205*

* *इसमें राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से जमा से ज्यादा ली गई रकमों की अदायगी के लिए 1983-84 में 400 करोड़ रुपए तथा 1985-86 में दिए गए 1628 करोड़ रुपए के ऋण शामिल नहीं हैं ।*

* *Excludes Rs.400 crores in 1983-84 and Rs.1628 in 1985-86 of loans granted to States to clear their overdrafts with R.B.I.*

अनुबन्ध ANNEXURE-10

खर्च की प्रवृत्तियां
TRENDS IN EXPENDITURE

(करोड़ रुपए में) (In crores of rupees)

		वास्तविक Actuals 1983-84	वास्तविक Actuals 1984-85	वास्तविक Actuals 1985-86	वास्तविक Actuals 1986-87	वास्तविक Actuals 1987-88	वास्तविक Actuals 1988-89	वास्तविक Actuals 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. आयोजना-भिन्न व्यय	**A. Non-Plan Expenditure:**	**21496**	**27026**	**32811**	**39920**	**44052**	**52960**	**65388**	**76761**	**79697**
1. ब्याज संबंधी अदायगियां	1. Interest Payments	4795	5974	7512	9246	11251	14278	17757	21850	27450
2. रक्षा व्यय	2. Defence Expenditure	5831	7061	7988	10477	11968	13341	14416	15750	16350
3. आर्थिक सहायता	3. Subsidies	2749	4038	4796	5451	5980	7732	10474	12121	10395
4. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	4. Grants to States and Union Territories	879	1027	1786	1714	1789	2186	2143	2930	2613
5. अन्य अनुदान	5. Other Grants	90	89	81	114	139	124	120	222	181
6. अन्य आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय	6. Other Non-Plan Revenue Expenditure	3671	4250	5430	6491	7782	8386	10693	11831	11536
7. आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय	7. Non-Plan Capital Expenditure	443	853	382	380	667	788	1091	1227	1176
8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	8. Loans and Advances to State and U.T. Governments	1976	3272	4206	3722	3134	4293	5793	7356	6934
9. अन्य व्यय	9. Other Loans	778	141	217	1769	905	1107	2036	2521	2077
10. बिना विधान सभा वाले संघ क्षेत्रों का योजना भिन्न व्यय	10. Non-Plan Expenditure of U.Ts without Legislature	284	321	413	556	437	725	865	953	985
राजस्व	Revenue	284	310	392	449	465	724	849	979	1001
पूंजी	Capital	...	11	22	107	-28	1	16	-26	-16
ख. आयोजना व्यय	**B. Plan Expenditure**	14038	16606	19854	22996	24209	26151	27520	29956	33725
राजस्व	Revenue	4594	5679	6907	8216	9907	11118	11979	14020	17068
पूंजी	Capital	9444	10927	12947	14780	14302	15033	15541	15936	16657
कुल व्यय	**TOTAL EXPENDITURE**	35534	43632	52665	62916	68261	79111	92908	106717	113422
राजस्व व्यय	Revenue Expenditure	22251	27691	33924	40860	46174	54106	64210	74966	81383
पूंजी व्यय	Capital Expendtture	13283	15941	18741	22056	22087	25005	28698	31751	32039

टिप्पणी :- और अधिक ब्यौरे के लिए व्यय बजट, खण्ड I देखें।

Notes:- *For further details, see Expenditure Budget, Vol. 1.*

अनुबंध ANNEXURE 11

अनुबन्ध 9 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण
ANALYSIS OF TAX AND NON-TAX REVENUE RECEIPTS INCLUDED IN ANNEXURE 9

(करोड़ रुपए In crores of Rupees)

		खाता Accounts 1983-84	खाता Accounts 1984-85	खाता Accounts 1985-86	खाता Accounts 1986-87	खाता Accounts 1987-88	खाता Accounts 1988-89	खाता Accounts 1989-90	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
क. कर राजस्व	**A.Tax Revenue**									
सकल कर राजस्व	**Gross Tax Revenue:**	20722	23471	28670	32838	37666	44474	51636	58916	68835
1. कम्पनी कर	1. Corporation Tax	2493	2556	2865	3160	3433	4407	4729	6350	6704
2. कम्पनी कर से भिन्न आय पर कर	2. Taxes on Income other than Corporation Tax	1699	1928	2511	2879	3192	4241	5010	5560	6152
3. ब्याज कर	3. Interest Tax	...	...	...	...	...	...	...	...	535
4. व्यय कर अधिनियम, 1987	4. Expenditure Tax Act, 1987	...	...	...	...	6	42	75	75	235
5. सीमा-शुल्क	5. Customs	5583	7041	9526	11475	13702	15805	18036	20800	25900
6. संघ उत्पाद शुल्क	6. Union Excise Duties	10222	11151	12956	14470	16426	18841	22406	24500	27402
7. सम्पदा शुल्क	7. Estate Duty	26	24	22	14	8	6	4	3	2
8. धन कर	8. Wealth Tax	93	108	153	174	101	122	179	190	255
9. दान कर	9. Gift Tax	9	11	12	9	8	7	8	2	9
10. अन्य कर और शुल्क	10. Other Taxes and Duties	205	199	89	50	67	122	220	262	279
11. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	11. Taxes of Union Territories	392	453	536	607	723	881	969	1174	1362
घटाइए-राज्यों का हिस्सा	**Less**-States' Share	5246	5777	7491	8476	9598	10669	13232	14535	16255
आयकर	Income Tax	1172	1231	1846	2160	2589	2749	3922	4121	4565
सम्पदा शुल्क	Estate Duty	17	20	20	10	6	1	..	..	..
संघ उत्पाद शुल्क	Union Excise Duties	4057	4526	5625	6306	7003	7919	9310	10414	11690
घटाइए-स्थानीय निकायों को संघ शासित क्षेत्रों के करों का समनुदेशन	**Less**-Assignments of UT taxes to Local Bodies	35	43	39	43	53	54	55	63	80
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	**Net-Centre's Tax Revenue**	15441	17651	21140	24319	28015	33751	38349	44318	52500
ख. कर-भिन्न राजस्व	**B.Non Tax Revenue**									
1. राजकोषीय सेवाएं	1. Fiscal Services	63	385	603	564	500	416	574	383	806
2. ब्याज प्राप्तियां	2. Interest Receipts	2668	3963	4595	5353	5755	6981	8474	9573	11009
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से	2.01 From State/U.T. Governments	1264	1616	1872	2754	3158	3770	4424	5592	6808
2.02 रेलवे पूंजी पर	2.02 On Railway Capital	353	244	559	553	614	689	783	927	1037
2.03 डाक व दूरसंचार पूंजी पर	2.03 On Posts & Telecom. Capital	97	135	170	213	...	161	180	204	225
2.04 अन्य ब्याज प्राप्तियां	2.04 Other Interest Receipts	954	1968	1994	1833	1983	2361	3079	2850	2939
3. लाभांश और लाभ	3. Dividends and Profits	451	407	515	507	605	475	716	779	967
3.01 भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ	3.01 Profits of R.B.I.	210	210	210	210	210	210	210	210	350
3.02 अन्य	3.02 Others	241	197	305	297	395	265	505	569	617
4. अन्य सामान्य सेवाएं	4. Other General Services	258	211	261	301	337	395	405	428	423
5. सामाजिक सेवाएं	5. Social Services	227	71	76	454	60	80	57	68	74
6. आर्थिक सेवाएं	6. Economic Services	277	303	358	1149	1273	893	2845	872	742
7. विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र*	7. Union Territories without Legislature*	...	...	...	...	...	...	122	138	140
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	8. Grants-in-aid and contributions	326	475	487	436	492	600	754	822	868
जोड़-कर भिन्न राजस्व**	**Total-Non-Tax Revenue****	4270	5815	6895	8764	9022	9840	13947	13063	15029
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	***Total-Revenue Receipts***	*19711*	*23466*	*28035*	*33083*	*37037*	*43591*	*52296*	*57381*	*67529*

पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों को क्रम संख्या 4, 5 और 6 की मदों के अन्तर्गत मिला दिया गया है ।

**Figures in respect of earlier years are merged under the items at Sr. No.4,5 and 6 above.*

***वाणिज्यिक विभागों से संबंधित निवल प्राप्तियां इस प्रकार हैं ।*

***Net of following receipts of commercial departments.*

		1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
(क) सामान्य सेवाएं	(a). General Services	412	486	535	628	817	938	1323	1112	1292
(ख) सामाजिक सेवाएं	(b). Social Services	64	83	80	123	164	197	244	262	264
(ग) आर्थिक सेवाएं	(c). Economic Services	6829	7415	8895	9846	11355	12901	14996	17247	19453
जोड़	Total	7305	7984	9510	10597	12336	14036	16563	18621	21009

अनुबंध **ANNEXURE - 12**

वार्षिक वित्तीय विवरण* और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

Reconciliation between estimates of Receipts shown in Annual Financial Statement* and Receipts Budget

(करोड़ रुपए *In crores of Rupees*)

		लेखा Accounts 1989-90	संशोधित अनुमान R.E. 1990-91	बजट अनुमान B.E. 1991-92
क. राजस्व प्राप्तियां	**A. Revenue Receipts:**			
कुल राजस्व प्राप्तियां, जो वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई हैं	Total Revenue Receipts as shown in the Annual Financial Statement	78223.54	86916.85	100249.26
घटाइए-	*Less—*			
संघीय उत्पाद शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में राजस्व वितरणों के रूप में प्रदर्शित किया गया है	States' share of Union Excise Duties shown as Revenue disbursements in AFS	-9310.11	-10414.43	-11175.47
राजस्व प्राप्तियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया गया है ।	Revenue receipts taken in reduction of expenditure :			
रेलवे बजट के अनुसार रेलवे की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Railways as per Railway Budget	-11041.27	-12382.35	-13702.72
दूर संचार विभाग की राजस्व प्राप्तियां जिन्हें व्यय में से घटा दिया गया है	Revenue receipts of Telecommunications	-2841.14	-3570.00	-3965.00
डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts of Posts	-702.59	-900.00	-960.00
अन्य वाणिज्यिक विभागों की प्राप्तियां	Receipts of other commercial departments	-1615.66	-1768.28	-2380.88
रक्षा प्राप्तियां	Defence receipts	-361.94	-437.24	-456.66
संघीय राज्य क्षेत्रों के करों का स्थानीय निकायों को राजस्व का समनुदेशन जिसमें से विधान-मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों का राजस्व और व्यय घटा दिया गया है	Assignment of UT taxes to local bodies taken in reduction of revenues and expenditure of Union territories without legislature	-55.35	-63.25	-79.43
बजट प्राप्तियों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां	Revenue receipts as per Receipts Budget	52295.48	57381.30	67529.10
ख. पूंजी प्राप्तियां	**B. Capital Receipts**			
(i) भारत की कुल समेकित निधि की पूंजी खाता प्राप्तियां जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है (जिसमें 91 दिनों की राजकोषीय हुन्डियां शामिल नहीं है	(i) Total Consolidated Fund of India Capital Account Receipts as shown in the Annual Financial Statement (excluding 91 days Treasury Bills)	21467.66	26252.51	32231.52
(ii) भारत के लोक खातों की कुल प्राप्तियां जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित हैं	(ii) Total Public Account of India Receipts as shown in AFS	57377.86	54142.26	52909.64
जोड़	**Total**	**78845.52**	**80394.77**	**85141.16**
घटाइए—	*Less* -			
कुल लोक ऋण संवितरण जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित है (जिसमें 91 दिनों की राजकोषीय हुंडियां शामिल नहीं हैं)	Total Public Debt disbursements as shown in the AFS (excluding 91 days Treasury Bills)	-5628.32	-6868.22	-9148.98
भारत के लोक खाते के कुल संवितरण जो वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित हैं	Total Public Account of India disbursements as shown in the AFS	-41125.72	-32622.74	-32595.92
वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार निवल	**Net according to AFS**	**32091.48**	**40903.81**	**43396.26**
घटाइए—व्यय की तुलना में घटाई गई प्राप्तियां और वसूलियां	*Less* - Receipts and recoveries netted against expenditure			
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गई प्रतिभूतियां	Securities issued to IMF	-802.54	-549.98	-3410.03
राज्य सरकारों को दिए गए अल्पावधिक ऋणों की वसूली	Recoveries of short term loans to State Governments			
- अर्थोपाय अग्रिम	-Ways and Means advance	-131.50	-700.00	-700.00
- कृषि निविष्टियों के लिए ऋण	-Loans for agricultural inputs	-262.80	-298.40	-310.00
सरकारी कर्मचारियों आदि द्वारा ऋण की वापसी अदायगी	Repayment of Loans by Government servant etc.	-86.14	-91.36	-102.21
राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	Securities issued to nationalised banks	-788.42	-700.00	-700.00
प्राप्ति बजट के अनुसार कुल पूंजी प्राप्तियां	**Total Capital Receipts as per Receipts Budget**	**30020.08**	**38564.07**	**38174.02**
प्राप्ति बजट के अनुसार कुल प्राप्तियां	**Total Receipts as per Receipts Budget**	**82315.56**	**95945.37**	**105703.12**

Summary of Demands for Grants, 1991-92

भूमिका

संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (2) में यह अपेक्षित है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित, भारत की समेकित निधि में से किए जाने वाले व्यय के वे अनुमान, जो इस निधि पर "भारित" नहीं होते, अनुदानों की मांगों के रूप में लोक-सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है। तथापि, कुछ बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक मांग में प्रायः एक सेवा के लिए आवश्यक धनराशि की कुल व्यवस्था दिखाई जाती है अर्थात् इसमें राजस्व खाते का व्यय और उस सेवा के लिए, पूंजी खाते का व्यय (उधार सहित) दिखाए जाते है। यद्यपि भारत की समेकित निधि पर "भारित" व्यय के अनुमानों के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता, तथापि संविधान के अनुच्छेद 113 के खण्ड (1) के अनुसार ऐसे व्यय के बारे में संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में बहस की जा सकती है। इसलिए अनुदान की मांग में अगर किसी ऐसे खर्च की व्यवस्था होती है जो भारत की समेकित निधि पर "भारित" होता है तो उसे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। जहां किसी सेवा के लिए यह व्यवस्था भारत की समेकित निधि पर पूरी तरह "भारित" व्यय के लिए होती है जैसे ब्याज संदाय और ऋण की वापसी, तो उसे मांग से पृथक विनियोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यद्यपि उस पर कोई स्वीकृति नहीं मांगी जाती।

2. संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ 1991-92 के लिए अनुदानों की जो मांगें और विनियोग प्रस्तुत किए गए हैं वे समस्त मंत्रालयों/विभागों के लिए इसी खंड में प्रस्तुत किए गए है। लेकिन इन मांगों से पहले मांगों का सारांश प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1991-92 के लिए अनुदानों की मांगों और विनियोगों की पूरी सूची एक साथ दी गई है जिसमें राजस्व खाते और (उधारों सहित) पूंजी खाते के अंतर्गत "स्वीकृत" और "भारित" शीर्षों के अधीन प्रत्येक मांग और विनियोग के सामने की गई व्यवस्था की कुल राशि दिखाई गई है। यह सारांश अनुदानों की मांगों और विनियोगों का अभिसूचक प्रलेख भी है।

3. मांगों के संदर्भ में, मंत्रालयों या विभागों के उल्लेख 7 जुलाई, 1991 के तत्काल पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों से संबंधित हैं, और उस तारीख को या उसके बाद इससे अभिप्राय यह होगा कि यह उल्लेख समय-समय पर पुनर्गठित संबद्ध मंत्रालयों या विभागों के बारे में है। वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के निर्धारित कार्य में अधिसूचित परिवर्तनों को इन मांगों में समाविष्ट कर दिया गया है। 1991-92 की मांगों को इस समय गठित मंत्रालयों/विभागों के अनुरूप प्रदर्शित किया गया है और आंकड़ों की तुलना के कार्य को सरल बनाने के लिए 1990-91 के तदनुरूप बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान भी साथ-साथ प्रस्तुत कर दिए गए हैं, हालांकि 1990-91 की अनुदानों की मांगों में, जिनको मार्च 1990 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, इन व्यवस्थाओं को उस समय विद्यमान मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत दिखाया गया था।

4. पहली अप्रैल, 1987 से, खातों के मुख्य शीर्षों और आयोजना के अंतर्गत यथावस्थित विकास शीर्षों के बीच तादात्म्यतापूर्ण एकरूपता स्थापित करने के लिए लेखांकन संबंधी वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिए गए है। अनुदानों की मांगों में 1991-92 के बजट अनुमानों में की गई व्यवस्था संशोधित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई है।

5. मांगों में सम्मिलित "नई सेवा/सेवा के नए साधनों" का मदवार विवरण अन्त में दिया गया है।

6. इन मांगों पर टिप्पणियों सहित व्यय की मुख्य मदों/योजनाओं का ब्यौरा "व्यय बजट - खंड 2" नामक एक अलग खंड में दिया गया है।

INTRODUCTION

Clause (2) of Article 113 of the Constitution requires that so much of the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of India included in the Annual Financial Statement as are not 'charged' on the Fund shall be submitted in the form of Demands for Grants for the vote of the Lok Sabha. Normally one Demand is presented in respect of each Ministry/Department. In respect of some of the large Ministries/Departments, however, more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a Service, that is to say, expenditure on Revenue Account, as well as expenditure on Capital Account (including Loans) for the Service. Although the estimates of expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India are not required to be voted by Parliament, clause (I) of Article 113 of the Constitution permits discussion thereon in either House of Parliament. Accordingly, a Demand for Grant also shows, distinctly in italics, the provision for expenditure, if any, 'charged' on the Consolidated Fund of India in relation to the Service represented by the Demand. Where the provision for a Service is entirely for expenditure 'charged' on the Consolidated Fund of India, for example, Interest Payments and Repayment of Debt, a separate Appropriation, as distinct from a Demand, is presented, although no vote is sought thereon.

2. The Demands for Grants and the Appropriations for 1991-92 presented to Parliament along with the Annual Financial Statement are contained in this volume in respect of all the Ministries/ Departments. A Summary of the Demands giving at one place a complete list of the Demands for Grants and Appropriations for 1991-92 showing against each the total amount of the provision, separately under Revenue Account and Capital Account (including Loans) as well as "Voted" and *"Charged"* precedes the Demands. This Summary also serves as an Index to the Demands for Grants and Appropriations.

3. References to Ministries or Departments in the Demands are to such Ministries or Departments as existed immediately before July 7, 1991 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries/Departments as reconstituted from time to time. Changes in Allocation of Business to the various Ministries/Departments notified during the year have been given effect to in these Demands. The Demands for 1991-92 have been shown against the Ministries/Departments as presently constituted and to facilitate comparison, figures of the corresponding Budget Estimates and Revised Estimates for 1990-91 have been exhibited along side even though in the Demands for Grants 1990-91 presented to Parliament in March 1990, the provisions were shown under Demands of Ministries/Departments as they existed at that time.

4. From 1.4.1987 changes have been made in the accounts classification to bring about a one to one correspondence between major heads of account and the heads of development adopted in the plans. The Demands for Grants show the provision under the revised classification in regard to Budget Estimates for 1991-92.

5. A Statement showing items of "New Service/New Instrument of Service" included in the Demands is given at the end.

6. Details of major items of expenditure/schemes along with the Notes on these Demands are given in a separate volume "Expenditure Budget Volume 2".

[illegible]

सारांश
SUMMARY

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है		No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय		**MINISTRY OF AGRICULTURE**										
1. कृषि	भारित	1. Agriculture	*Charged*	...	*310.00*	*310.00*	...	*296.57*	*296.57*	...	*352.23*	*352.23*
	स्वीकृत		Voted	1505.87	12.44	1518.31	2037.79	8.47	2046.26	2137.66	11.80	2149.46
	जोड़		**Total**	**1505.87**	**322.44**	**1828.31**	**2037.79**	**305.04**	**2342.83**	**2137.66**	**364.03**	**2501.69**
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	भारित	2. Other Services of Department of Agriculture & Cooperation	*Charged*	...	*44.53*	*44.53*	...	*40.68*	*40.68*	...	*51.03*	*51.03*
	स्वीकृत		Voted	134.16	150.48	284.64	127.55	141.69	269.24	138.12	171.96	310.08
	जोड़		**Total**	**134.16**	**195.01**	**329.17**	**127.55**	**182.37**	**309.92**	**138.12**	**222.99**	**361.11**
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	भारित	3. Department of Agricultural Research and Education	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	327.00	...	327.00	319.71	...	319.71	364.00	...	364.00
	जोड़		**Total**	**327.00**	**...**	**327.00**	**319.71**	**...**	**319.71**	**364.00**	**...**	**364.00**
4. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	भारित	4. Department of Animal Husbandry and Dairying	*Charged*	...	*0.10*	*0.10*	..	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	251.82	40.05	291.87	156.68	38.42	195.10	222.09	53.48	275.57
	जोड़		**Total**	**251.82**	**40.15**	**291.97**	**156.68**	**38.42**	**195.10**	**222.09**	**53.48**	**275.57**
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**										
5. रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	भारित	5. Department of Chemicals and Petro-chemicals	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	13.91	4.10	18.01	11.68	5.09	16.77	12.43	21.40	33.83
	जोड़		**Total**	**13.91**	**4.10**	**18.01**	**11.68**	**5.09**	**16.77**	**12.43**	**21.40**	**33.83**
6. उर्वरक विभाग	भारित	6. Department of Fertilizers	*Charged*	*0.01*	*1.00*	*1.01*	*0.01*	*5.00*	*5.01*	*0.01*	*0.50*	*0.51*
	स्वीकृत		Voted	5283.12	135.44	5418.56	5670.85	154.74	5825.59	4933.94	94.70	5028.64
	जोड़		**Total**	**5283.13**	**136.44**	**5419.57**	**5670.86**	**159.74**	**5830.60**	**4933.95**	**95.20**	**5029.15**
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय		**MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM**										
7. नागर विमानन विभाग	भारित	7. Department of Civil Aviation	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	77.67	5.01	82.68	74.70	4.77	79.47	42.82	27.83	70.65
	जोड़		**Total**	**77.67**	**5.01**	**82.68**	**74.70**	**4.77**	**79.47**	**42.82**	**27.83**	**70.65**
8. पर्यटन मंत्रालय	भारित	8. Department of Tourism	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	60.42	20.92	81.34	56.10	18.74	74.84	64.00	26.40	90.40
	जोड़		**Total**	**60.42**	**20.92**	**81.34**	**56.10**	**18.74**	**74.84**	**64.00**	**26.40**	**90.40**
नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION**										
9. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	भारित	9. Ministry of Civil Supplies and Public Distribution	*Charged*	...	*3.15*	*3.15*	...	*2.95*	*2.95*	...	*3.41*	*3.41*
	स्वीकृत		Voted	8.58	4.06	12.64	7.99	7.76	15.75	9.82	3.49	13.31
	जोड़		**Total**	**8.56**	**7.21**	**15.79**	**7.99**	**10.71**	**18.70**	**9.82**	**6.90**	**16.72**
कोयला मंत्रालय		**MINISTRY OF COAL**										
10. कोयला मंत्रालय	भारित	10. Ministry of Coal	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	154.39	990.00	1144.39	152.64	943.00	1095.64	161.00	743.00	904.00
	जोड़		**Total**	**154.39**	**990.00**	**1144.39**	**152.64**	**943.00**	**1095.64**	**161.00**	**743.00**	**904.00**
वाणिज्य मंत्रालय		**MINISTRY OF COMMERCE**										
11. वाणिज्य विभाग	भारित	11. Department of Commerce	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	2467.15	376.65	2843.80	2876.28	1170.18	4046.46	1433.55	1174.57	2608.12
	जोड़		**Total**	**2467.15**	**376.65**	**2843.80**	**2876.28**	**1170.18**	**4046.46**	**1433.55**	**1174.57**	**2608.12**

अनुदानों की मांगों का सारांश, 1991-92 Summary of Demands for Grants

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
12. आपूर्ति विभाग	12. Department of										
भारित	Supply	*Charged*	*0.30*	...	*0.30*	*0.30*	...	*0.30*	*0.30*	...	*0.30*
स्वीकृत		Voted	27.42	...	27.42	25.80	...	25.80	27.43	...	27.43
जोड़		**Total**	**27.72**	...	**27.72**	**26.10**	...	**26.10**	**27.73**	...	**27.73**
दूरसंचार मंत्रालय	**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**										
13. संचार मंत्रालय	13. Ministry of Communi-										
भारित	cations	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	8.07	...	8.07	10.70	...	10.70	11.58	...	11.58
जोड़		**Total**	**8.07**	...	**8.07**	**10.70**	...	**10.70**	**11.58**	...	**11.58**
14. डाक सेवाएं	14. Postal Services.										
भारित		*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत		Voted	1309.39	53.60	1362.99	1309.37	41.02	1350.39	1525.09	62.90	1587.99
जोड़		**Total**	**1309.40**	**53.60**	**1363.00**	**1309.38**	**41.02**	**1350.40**	**1525.10**	**62.90**	**1588.00**
15. दूरसंचार सेवाएं	15. Telecommunication										
भारित	Services	*Charged*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.30*	*0.01*	*0.31*	*0.20*	*0.01*	*0.21*
स्वीकृत		Voted	4166.27	2329.99	6496.26	3812.20	2377.62	6189.82	4231.47	2635.99	6867.46
जोड़		**Total**	**4166.57**	**2330.00**	**6496.57**	**3812.50**	**2377.63**	**6190.13**	**4231.67**	**2636.00**	**6867.67**
रक्षा मंत्रालय	**MINISTRY OF DEFENCE**										
16. रक्षा मंत्रालय	16. Ministry of Defence										
भारित		*Charged*	*0.01*	*10.00*	*10.01*	*0.01*	*12.00*	*12.01*	*0.01*	*13.00*	*13.01*
स्वीकृत		Voted	952.67	156.53	1109.20	974.67	104.84	1079.51	1109.19	112.77	1221.96
जोड़		**Total**	**952.68**	**166.53**	**1119.21**	**974.68**	**116.84**	**1091.52**	**1109.20**	**125.77**	**1234.97**
17. रक्षा पेंशन	17. Defence Pensions										
भारित		*Charged*	*0.23*	...	*0.23*	*0.33*	...	*0.33*	*0.33*	...	*0.33*
स्वीकृत		Voted	1499.77	...	1499.77	1669.67	...	1669.67	1749.67	...	1749.67
जोड़		**Total**	**1500.00**	...	**1500.00**	**1670.00**	...	**1670.00**	**1750.00**	...	**1750.00**
18. रक्षा सेवा-सेना	18. Defence Services -										
भारित	Army	*Charged*	*2.11*	...	*2.11*	*2.27*	...	*2.27*	*2.48*	...	*2.48*
स्वीकृत		Voted	8183.95	...	8183.95	8260.17	...	8260.17	8364.30	...	8364.30
जोड़		**Total**	**8186.06**	...	**8186.06**	**8262.44**	...	**8262.44**	**8366.78**	...	**8366.78**
19. रक्षा सेवा-नौसेना	19. Defence Services -										
भारित	Navy	*Charged*	*0.20*	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.20*	*0.20*	...	*0.20*
स्वीकृत		Voted	900.80	...	900.80	849.80	...	849.80	915.86	...	915.86
जोड़		**Total**	**901.00**	...	**901.00**	**850.00**	...	**850.00**	**916.06**	...	**916.06**
20. रक्षा सेवा-वायु	20. Defence Services -										
सेना भारित	Air Force	*Charged*	*0.13*	...	*0.13*	*0.13*	...	*0.13*	*0.19*	...	*0.19*
स्वीकृत		Voted	2078.63	...	2078.63	2139.61	...	2139.61	2120.77	...	2120.77
जोड़		**Total**	**2078.76**	...	**2078.76**	**2139.74**	...	**2139.74**	**2120.96**	...	**2120.96**
21. रक्षा आयुध	21. Defence Ordnance										
निर्माणियां भारित	Factories	*Charged*	*1.30*	...	*1.30*	*1.30*	...	*1.30*	*1.30*	...	*1.30*
स्वीकृत		Voted	361.30	...	361.30	366.80	...	366.80	363.89	...	363.89
जोड़		**Total**	**362.60**	...	**362.60**	**368.10**	...	**368.10**	**365.19**	...	**365.19**
22. रक्षा सेवाओं पर	22. Capital Outlay on Defence										
पूंजी परिव्यय भारित	Services	*Charged*	...	*6.35*	*6.35*	...	*6.35*	*6.35*	...	*6.45*	*6.45*
स्वीकृत		Voted	...	4795.54	4795.54	...	4731.21	4731.21	...	5204.77	5204.77
जोड़		**Total**	...	**4801.89**	**4801.89**	...	**4737.56**	**4737.56**	...	**5211.22**	**5211.22**
पर्यावरण और वन मंत्रालय	**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**										
23. पर्यावरण और वन	23. Ministry of Environment										
मंत्रालय भारित	and Forests	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	*0.10*	*0.10*
स्वीकृत		Voted	266.75	4.41	271.16	241.64	4.51	246.15	332.24	7.46	339.70
जोड़		**Total**	**266.75**	**4.41**	**271.16**	**241.64**	**4.51**	**246.15**	**332.24**	**7.56**	**339.80**
विदेश मंत्रालय	**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**										
24. विदेश मंत्रालय	24. Ministry of External										
भारित	Affairs	*Charged*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*
स्वीकृत		Voted	504.29	73.34	577.63	837.23	95.30	932.53	518.16	66.85	585.01
जोड़		**Total**	**504.31**	**73.34**	**577.65**	**837.25**	**95.30**	**932.55**	**518.18**	**66.85**	**585.03**
वित्त मंत्रालय	**MINISTRY OF FINANCE**										
25. आर्थिक कार्य	25. Department of Economic										
विभाग भारित	Affairs	*Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*
स्वीकृत		Voted	425.18	240.15	665.33	482.38	159.20	641.58	422.78	162.63	585.41
जोड़		**Total**	**425.23**	**240.15**	**665.38**	**482.43**	**159.20**	**641.63**	**422.83**	**162.63**	**585.46**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

माँग सं. सेवा, प्रशासन ... क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है		... Demand or Area to which Demand relates		राजस्व Revenue (...-91 Budget Estimates)	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
26. करेंसी, सिक्का और स्टाम्प	भारित	26. Currency, Coinage and Stamps	*Charged*	*0.01*	*0.02*	*0.03*	*0.04*	*0.02*	*0.06*	*0.12*	*0.02*	*0.14*
	स्वीकृत		Voted	302.25	209.01	511.26	346.81	141.44	488.25	366.05	189.86	555.91
	जोड़		**Total**	**302.26**	**209.03**	**511.29**	**346.85**	**141.46**	**488.31**	**366.17**	**189.88**	**556.05**
27. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	भारित	27. Payments to Financial Institutions	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	257.92	1844.71	2102.63	314.85	2242.19	2557.04	515.79	4983.06	5498.85
	जोड़		**Total**	**257.92**	**1844.71**	**2102.63**	**314.85**	**2242.19**	**2557.04**	**515.79**	**4983.06**	**5498.85**
28. पेंशन	भारित	28. Pensions	*Charged*	*2.85*	...	*2.85*	*2.92*	...	*2.92*	*3.21*	...	*3.21*
	स्वीकृत		Voted	500.64	...	500.64	497.66	...	497.66	548.84	...	548.84
	जोड़		**Total**	**503.49**	...	**503.49**	**500.58**	...	**500.58**	**552.05**	...	**552.05**
29. विनियोग ब्याज अदायगियां	भारित	29. Appropriation-Interest Payments	*Charged*	*20850.00*	...	*20850.00*	*21850.00*	...	*21850.00*	*27450.00*	...	*27450.00*
	स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		**Total**	**20850.00**	...	**20850.00**	**21850.00**	...	**21850.00**	**27450.00**	...	**27450.00**
30. राज्य सरकारों को अन्तरण	भारित	30. Transfers to State Governments	*Charged*	*13506.35*	*11457.43*	*24963.78*	*13658.38*	*13898.90*	*27557.28*	*14471.93*	*14438.80*	*28910.73*
	स्वीकृत		Voted	3821.69	115.00	3936.69	4312.33	115.00	4427.33	4454.03	125.00	4579.03
	जोड़		**Total**	**17328.04**	**11572.43**	**28900.47**	**17970.71**	**14013.90**	**31984.61**	**18925.96**	**14563.80**	**33489.76**
31. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	भारित	31. Loans to Government Servants etc	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	...	211.00	211.00	...	196.00	196.00	...	220.80	220.80
	जोड़		**Total**	...	**211.00**	**211.00**	...	**196.00**	**196.00**	...	**220.80**	**220.80**
32. विनियोग ऋण की पुनः अदायगी	भारित	32. Appropriation - Repayment of Debt	*Charged*	...	*119870.59*	*119870.59*	...	*86868.22*	*86868.22*	...	*84148.98*	*84148.98*
	स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़		**Total**	...	**119870.59**	**119870.59**	...	**86868.22**	**86868.22**	...	**84148.98**	**84146.98**
33. व्यय विभाग	भारित	33. Department of Expenditure	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	स्वीकृत		Voted	107.08	2.26	109.34	6.60	1.26	7.86	258.43	3.94	262.37
	जोड़		**Total**	**107.08**	**2.26**	**109.34**	**6.60**	**1.26**	**7.86**	**258.43**	**3.94**	**262.37**
34. लेखापरीक्षा	भारित	34. Audit	*Charged*	*4.78*	...	*4.78*	*5.09*	...	*5.09*	*5.47*	...	*5.47*
	स्वीकृत		Voted	257.41	...	257.41	258.46	...	258.46	269.35	...	269.35
	जोड़		**Total**	**262.19**	...	**262.19**	**263.55**	...	**263.55**	**274.82**	...	**274.82**
35. राजस्व विभाग	भारित	35. Department of Revenue	*Charged*	...	...	...	*0.02*	...	*0.02*	*0.01*	...	*0.01*
	स्वीकृत		Voted	76.50	1.60	78.10	67.23	0.79	68.02	80.98	1.74	82.72
	जोड़		**Total**	**76.50**	**1.60**	**78.10**	**67.25**	**0.79**	**68.04**	**80.99**	**1.74**	**82.73**
36. प्रत्यक्ष कर	भारित	36. Direct Taxes	*Charged*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*
	स्वीकृत		Voted	221.68	120.00	341.68	232.92	120.00	352.92	249.98	120.00	369.98
	जोड़		**Total**	**221.70**	**120.00**	**341.70**	**232.94**	**120.00**	**352.94**	**250.00**	**120.00**	**370.00**
37. अप्रत्यक्ष कर	भारित	37. Indirect Taxes	*Charged*	*0.14*	...	*0.14*	*0.69*	...	*0.69*	*0.81*	...	*0.81*
	स्वीकृत		Voted	348.34	146.75	495.09	344.78	136.23	481.01	401.96	147.14	549.10
	जोड़		**Total**	**348.48**	**146.75**	**495.23**	**345.47**	**136.23**	**481.70**	**402.77**	**147.14**	**549.91**
खाद्य मंत्रालय		**MINISTRY OF FOOD**										
38. खाद्य मंत्रालय	भारित	38. Ministry of Food	*Charged*	*0.10*	*0.22*	*0.32*	*0.10*	*0.20*	*0.30*	*0.10*	*4.00*	*4.10*
	स्वीकृत		Voted	2376.69	166.09	2542.78	2625.35	134.14	2759.49	2749.73	136.40	2886.13
	जोड़		**Total**	**2376.79**	**166.31**	**2543.10**	**2625.45**	**134.34**	**2759.79**	**2749.83**	**140.40**	**2890.23**
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		**MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES**										
39. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	भारित	39. Ministry of Food Processing industries	*Charged*	...	*0.02*	*0.02*	...	*0.02*	*0.02*	...	*1.26*	*1.26*
	स्वीकृत		Voted	22.80	11.61	34.41	19.88	9.92	29.80	30.41	12.76	43.17
	जोड़		**Total**	**22.80**	**11.63**	**34.43**	**19.88**	**9.94**	**29.82**	**30.41**	**14.02**	**44.43**
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**										
40. स्वास्थ्य विभाग	भारित	40. Department of Health	*Charged*	*0.03*	*0.02*	*0.05*	*0.03*	*0.02*	*0.05*	*0.03*	*0.02*	*0.05*
	स्वीकृत		Voted	514.64	167.10	681.74	490.90	168.75	659.65	559.64	185.71	745.35
	जोड़		**Total**	**514.67**	**167.12**	**681.79**	**490.93**	**168.77**	**659.70**	**559.67**	**185.73**	**745.40**

अनुदानों की

(crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित Revised Estimates राजस्व Revenue			बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates	पूंजी Capital	जोड़ Total
41. परिवार कल्याण विभाग	41. Department of Family Welfare	भारित Charged	...	...	...	...	...		...	...	...
		स्वीकृत Voted	755.91	0.05	755.96	872.88	2.15	[illegible]	850.03	0.85	850.88
		जोड़ Total	**755.91**	**0.05**	**755.96**	**872.88**	**2.15**	**875.03**	**850.03**	**0.85**	**850.88**
गृह मंत्रालय	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**										
42. गृह मंत्रालय	42. Ministry of Home Affairs	भारित Charged	*0.02*	...	*0.02*	*0.10*	...	*0.10*	*0.06*	...	*0.06*
		स्वीकृत Voted	309.04	17.00	326.04	294.68	9.94	304.62	319.00	13.00	332.00
		जोड़ Total	**309.06**	**17.00**	**326.06**	**294.78**	**9.94**	**304.72**	**319.06**	**13.00**	**332.06**
43. मंत्रिमंडल	43. Cabinet	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	13.42	...	13.42	13.42	...	13.42	11.80	...	11.80
		जोड़ Total	**13.42**	...	**13.42**	**13.42**	...	**13.42**	**11.80**	...	**11.80**
44. पुलिस	44. Police	भारित Charged	*0.32*	*5.05*	*5.37*	*0.51*	*6.00*	*6.51*	*0.57*	*5.08*	*5.65*
		स्वीकृत Voted	1399.11	158.71	1557.82	1593.59	247.36	1840.95	1772.39	260.28	2032.67
		जोड़ Total	**1399.43**	**163.76**	**1563.19**	**1594.10**	**253.36**	**1847.46**	**1772.96**	**265.36**	**2038.32**
45. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	45. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	भारित Charged	*0.03*	*7.61*	*7.64*	*0.04*	*8.80*	*8.84*	*0.07*	*10.17*	*10.24*
		स्वीकृत Voted	334.44	121.86	456.30	306.84	123.95	430.79	359.15	114.78	473.93
		जोड़ Total	**334.47**	**129.47**	**463.94**	**306.88**	**132.75**	**439.63**	**359.22**	**124.95**	**484.17**
46. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	46. Transfers to Union Territory Governments	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	88.29	38.57	126.86	437.90	45.32	483.22	97.01	53.42	150.43
		जोड़ Total	**88.29**	**38.57**	**126.86**	**437.90**	**45.32**	**483.22**	**97.01**	**53.42**	**150.43**
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**										
47. शिक्षा विभाग	47. Department of Education	भारित Charged	...	*2.85*	*2.85*	...	*2.85*	*2.85*	...	*2.85*	*2.85*
		स्वीकृत Voted	1709.49	1.00	1710.49	1647.77	1.00	1648.77	1801.87	0.60	1802.47
		जोड़ Total	**1709.49**	**3.85**	**1713.34**	**1647.77**	**3.85**	**1651.62**	**1801.87**	**3.45**	**1805.32**
48. युवा कार्य और खेलकूद विभाग	48. Department of Youth Affairs and Sports	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	105.08	2.28	107.36	97.08	1.98	99.06	112.21	2.19	114.40
		जोड़ Total	**105.08**	**2.28**	**107.36**	**97.08**	**1.98**	**99.06**	**112.21**	**2.19**	**114.40**
49. कला और संस्कृति	49. Art and Culture	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	116.61	20.00	136.61	106.67	20.00	126.67	128.34	...	128.34
		जोड़ Total	**116.61**	**20.00**	**136.61**	**106.67**	**20.00**	**126.67**	**128.34**	...	**128.34**
50. महिला और बाल विकास विभाग	50. Department of Women and Child Development	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	366.59	1.00	367.59	350.09	1.00	351.09	438.65	1.00	439.65
		जोड़ Total	**366.59**	**1.00**	**367.59**	**350.09**	**1.00**	**351.09**	**438.65**	**1.00**	**439.65**
उद्योग मंत्रालय	**MINISTRY OF INDUSTRY**										
51. औद्योगिक विकास विकास	51. Department of Industrial Development	भारित Charged	*1.19*	...	*1.19*	*1.19*	...	*1.19*	*26.00*	...	*26.00*
		स्वीकृत Voted	84.00	0.12	84.12	277.01	0.17	277.18	146.95	0.12	147.07
		जोड़ Total	**85.19**	**0.12**	**85.31**	**278.20**	**0.17**	**278.37**	**172.95**	**0.12**	**173.07**
52. भारी उद्योग विभाग	52. Department of Heavy Industry	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	49.12	298.71	347.83	46.89	281.77	328.66	30.10	275.44	305.54
		जोड़ Total	**49.12**	**298.71**	**347.83**	**46.89**	**281.77**	**328.66**	**30.10**	**275.44**	**305.54**
53. सरकारी उद्यम विभाग	53. Department of Public Enterprises	भारित Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		स्वीकृत Voted	1.38	...	1.38	1.27	...	1.27	1.41	...	1.41
		जोड़ Total	**1.38**	...	**1.38**	**1.27**	...	**1.27**	**1.41**	...	**1.41**
54. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग	54. Department of Small Scale Industries and Agro. & Rural Industries	भारित Charged	*5.00*	*3.51*	*8.51*	*5.00*	*3.36*	*8.36*	*5.00*	*5.05*	*10.05*
		स्वीकृत Voted	297.53	273.49	571.02	285.52	255.17	540.69	315.48	282.86	598.34
		जोड़ Total	**302.53**	**277.00**	**579.53**	**290.52**	**258.53**	**549.05**	**320.48**	**287.91**	**608.39**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand / Service, Administration or Area to which Demand relates	बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**									
55. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	55. Ministry of Information and Broadcasting									
भारित	*Charged*	*0.02*	...	*0.02*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत	Voted	92.48	6.85	99.33	91.40	5.76	97.16	101.35	5.60	106.95
जोड़	**Total**	**92.50**	**6.85**	**99.35**	**91.41**	**5.76**	**97.17**	**101.36**	**5.60**	**106.96**
56. प्रसारण सेवाएं	56. Broadcasting Services									
भारित	*Charged*	*0.02*	*0.10*	*0.12*	*0.02*	*0.16*	*0.18*	*0.02*	*0.20*	*0.22*
स्वीकृत	Voted	716.24	346.14	1062.38	708.60	279.41	988.01	813.91	357.23	1171.14
जोड़	**Total**	**716.26**	**346.24**	**1062.50**	**708.62**	**279.57**	**988.19**	**813.93**	**357.43**	**1171.36**
श्रम मंत्रालय	**MINISTRY OF LABOUR**									
57. श्रम मंत्रालय	57. Ministry of Labour									
भारित	*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत	Voted	367.99	1.10	369.09	314.87	0.66	315.53	411.37	0.73	412.10
जोड़	**Total**	**368.00**	**1.10**	**369.10**	**314.88**	**0.66**	**315.54**	**411.38**	**0.73**	**412.11**
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**									
58. विधि और न्याय	58. Law and Justice									
भारित	*Charged*	*5.48*	...	*5.48*	*6.64*	...	*6.64*	*6.73*	...	*6.73*
स्वीकृत	Voted	78.91	...	78.91	73.39	...	73.39	214.90	...	214.90
जोड़	**Total**	**84.39**	...	**84.39**	**80.03**	...	**80.03**	**221.63**	...	**221.63**
59. कम्पनी कार्य विभाग	59. Department of Company Affairs									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	8.99	0.01	9.00	8.99	0.01	9.00	9.99	0.01	10.00
जोड़	**Total**	**8.99**	**0.01**	**9.00**	**8.99**	**0.01**	**9.00**	**9.99**	**0.01**	**10.00**
खान मंत्रालय	**MINISTRY OF MINES**									
60. खान मंत्रालय	60. Ministry of Mines									
भारित	*Charged*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	[illegible]	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*
स्वीकृत	Voted	137.75	42.48	180.23	140.07	103.86	243.93	127.69	19.80	147.49
जोड़	**Total**	**137.80**	**42.48**	**180.28**	**140.12**	**103.86**	**243.98**	**127.74**	**19.80**	**147.54**
संसदीय कार्य मंत्रालय	**MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS**									
61. संसदीय कार्य मंत्रालय	61. Ministry of Parliamentary Affairs									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	1.00	...	1.00	1.23	...	1.23	1.30	...	1.30
जोड़	**Total**	**1.00**	...	**1.00**	**1.23**	...	**1.23**	**1.30**	...	**1.30**
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**									
62. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	62. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions									
भारित	*Charged*	*0.01*	*4.65*	*4.66*	*0.01*	*4.65*	*4.66*	*0.01*	*4.65*	*4.66*
स्वीकृत	Voted	44.41	4.75	49.16	44.71	1.85	46.56	52.19	1.15	53.34
जोड़	**Total**	**44.42**	**9.40**	**53.82**	**44.72**	**6.50**	**51.22**	**52.20**	**5.80**	**58.00**
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**									
63. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	63. Ministry of Petroleum and Natural Gas									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	101.68	150.00	251.68	91.59	150.00	241.59	101.96	180.00	281.96
जोड़	**Total**	**101.68**	**150.00**	**251.68**	**91.59**	**150.00**	**241.59**	**101.96**	**180.00**	**281.96**
योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	**MINISTRY OF PLANNING & PROGRAMME IMPLEMENTATION**									
64. योजना भारित	64. Planning *Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	50.68	13.70	64.38	47.61	12.60	60.21	54.28	16.90	71.18
जोड़	**Total**	**50.68**	**13.70**	**64.38**	**47.61**	**12.60**	**60.21**	**54.28**	**16.90**	**71.18**
65. सांख्यिकी विभाग	65. Department of Statistics									
भारित	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	55.29	...	55.29	53.78	...	53.78	56.45	...	56.45
जोड़	**Total**	**55.29**	...	**55.29**	**53.78**	...	**53.78**	**56.45**	...	**56.45**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates	बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
66. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	66. Department of Programme Implementation									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	0.85	...	0.85	0.76	...	0.76	0.85	...	0.85
जोड़	Total	0.85	...	0.85	0.76	...	0.76	0.85	...	0.85
विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER & NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES									
67. विद्युत विभाग	67. Department of Power									
भारित	Charged	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
स्वीकृत	Voted	388.72	2588.76	2977.48	420.23	2474.43	2894.66	455.82	2061.92	2517.74
जोड़	Total	388.72	2608.76	2997.48	420.23	2494.43	2914.66	455.82	2081.92	2537.74
68. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	68. Department of Non-Conventional Energy Sources									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	120.24	5.85	126.09	111.92	5.30	117.22	145.47	4.99	150.46
जोड़	Total	120.24	5.85	126.09	111.92	5.30	117.22	145.47	4.99	150.46
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT									
69. ग्रामीण विकास मंत्रालय	69. Ministry of Rural Development									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	3142.61	0.30	3142.91	2987.65	0.27	2987.92	3521.04	0.50	3521.54
जोड़	Total	3142.61	0.30	3142.91	2987.65	0.27	2987.92	3521.04	0.50	3521.54
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY									
70. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	70. Department of Science and Technology									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	230.96	30.75	261.71	218.65	22.15	240.80	251.61	34.96	286.57
जोड़	Total	230.96	30.75	261.71	218.65	22.15	240.80	251.61	34.96	286.57
71. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	71. Department of Scientific and Industrial Research									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	242.73	5.50	248.23	234.23	4.94	239.17	268.58	3.40	271.98
जोड़	Total	242.73	5.50	248.23	234.23	4.94	239.17	268.58	3.40	271.98
72. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	72. Department of Biotechnology									
भारित	Charged	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत	Voted	65.07	1.20	66.27	55.37	5.00	60.37	73.94	0.20	74.14
जोड़	Total	65.07	1.20	66.27	55.37	5.00	60.37	73.94	0.20	74.14
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL									
73. इस्पात मंत्रालय	73. Ministry of Steel									
भारित	Charged	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
स्वीकृत	Voted	26.95	467.58	494.53	25.44	758.40	783.84	13.56	489.37	502.93
जोड़	Total	26.95	467.63	494.58	25.44	758.45	783.89	13.56	489.42	502.98
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT									
74. जल-भूतल परिवहन	74. Surface Transport									
भारित	Charged	...	3.15	3.15	...	1.75	1.75	...	2.52	2.52
स्वीकृत	Voted	35.67	162.44	198.11	26.34	203.29	229.63	28.08	138.35	166.43
जोड़	Total	35.67	165.59	201.26	26.34	205.04	231.38	28.08	140.87	168.95
75. सड़कें भारित	75. Roads Charged	0.02	34.03	34.05	0.13	29.12	29.25	0.06	30.74	30.80
स्वीकृत	Voted	375.46	550.35	925.81	356.21	517.34	873.55	403.56	542.44	946.00
जोड़	Total	375.48	584.38	959.86	356.34	546.46	902.80	403.62	573.18	976.80
76. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	76. Ports, Lighthouses and Shipping									
भारित	Charged	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.35	0.35
स्वीकृत	Voted	120.45	221.27	341.72	107.00	428.10	535.10	128.48	252.78	381.26
जोड़	Total	120.45	222.27	342.72	107.00	429.10	536.10	128.48	253.13	381.61
वस्त्रोद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES									
77. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	77. Ministry of Textiles									
भारित	Charged	...	10.08	10.08	...	8.08	8.08	...	4.00	4.00
स्वीकृत	Voted	705.59	271.52	977.11	676.44	241.82	918.26	778.93	179.80	958.73
जोड़	Total	705.59	281.60	987.19	676.44	249.90	926.34	778.93	183.80	962.73

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**										
78. शहरी विकास और आवास	78. Urban Development and Housing										
भारित		*Charged*	*6.97*	*21.27*	*28.24*	*5.92*	*18.95*	*24.87*	*4.19*	*17.57*	*21.76*
स्वीकृत		Voted	283.99	139.28	423.27	262.67	130.60	393.27	291.72	165.87	457.59
जोड़		**Total**	**290.96**	**160.55**	**451.51**	**268.59**	**149.55**	**418.14**	**295.91**	**183.44**	**479.35**
79. लोक निर्माण कार्य	79. Public Works										
भारित		*Charged*	*4.00*	*0.11*	*4.11*	*2.33*	*0.21*	*2.54*	*0.23*	*0.12*	*0.35*
स्वीकृत		Voted	214.26	85.27	299.53	209.61	95.87	305.48	236.63	96.70	333.33
जोड़		**Total**	**218.26**	**85.38**	**303.64**	**211.94**	**96.08**	**308.02**	**236.86**	**96.82**	**333.68**
80. लेखन सामग्री और मुद्रण	80. Stationery and Printing										
भारित		*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	...		...
स्वीकृत		Voted	86.30	4.10	90.40	79.49	4.90	84.39	96.67	3.80	100.47
जोड़		**Total**	**86.31**	**4.10**	**90.41**	**79.50**	**4.90**	**84.40**	**96.67**	**3.80**	**100.47**
जल संसाधन मंत्रालय	**MINISTRY OF WATER RESOURCES**										
81. जल संसाधन मंत्रालय	81. Ministry of Water Resourses										
भारित		*Charged*	*0.02*	*65.57*	*65.59*	*0.02*	*35.14*	*35.16*	*0.02*	*29.00*	*29.02*
स्वीकृत		Voted	265.42	18.20	283.62	278.90	19.73	298.63	338.50	22.73	361.23
जोड़		**Total**	**265.44**	**83.77**	**349.21**	**278.92**	**54.87**	**333.79**	**338.52**	**51.73**	**390.25**
कल्याण मंत्रालय	**MINISTRY OF WELFARE**										
82. कल्याण मंत्रालय	82. Ministry of Welfare										
भारित		*Charged*	*259.08*	*1.12*	*260.20*	*259.08*	*1.12*	*260.20*	*267.77*	*1.12*	*268.89*
स्वीकृत		Voted	375.98	9.17	385.15	375.98	9.17	385.15	470.19	19.05	489.24
जोड़		**Total**	**635.06**	**10.29**	**645.35**	**635.06**	**10.29**	**645.35**	**757.96**	**20.17**	**778.13**
परमाणु ऊर्जा विभाग	**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY**										
83. परमाणु ऊर्जा	83. Atomic Energy										
भारित		*Charged*	...	...	...	*0.09*	...	*0.09*	*0.14*	...	*0.14*
स्वीकृत		Voted	441.14	592.32	1033.46	411.61	452.71	864.32	483.94	552.66	1036.60
जोड़		**Total**	**441.14**	**592.32**	**1033.46**	**411.70**	**452.71**	**864.41**	**484.08**	**552.66**	**1036.74**
84. न्यूक्लीय विद्युत योजनाएं	84. Nuclear Power Schemes										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	238.43	195.00	433.43	241.60	194.50	436.10	347.70	136.49	484.19
जोड़		**Total**	**238.43**	**195.00**	**433.43**	**241.60**	**194.50**	**436.10**	**347.70**	**136.49**	**484.19**
इलेक्ट्रानिकी विभाग	**DEPARTMENT OF ELECTRONICS**										
85. इलेक्ट्रानिकी विभाग	85. Department of Electronics										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	98.90	28.65	127.55	85.44	28.92	114.36	93.60	43.65	137.25
जोड़		**Total**	**98.90**	**28.65**	**127.55**	**85.44**	**28.92**	**114.36**	**93.60**	**43.65**	**137.25**
महासागर विकास विभाग	**DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT**										
86. महासागर विकास विभाग	86. Department of Ocean Development										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	36.36	6.80	43.16	34.32	5.26	39.58	39.33	6.88	46.21
जोड़		**Total**	**36.36**	**6.80**	**43.16**	**34.32**	**5.26**	**39.58**	**39.33**	**6.88**	**46.21**
अन्तरिक्ष विभाग	**DEPARTMENT OF SPACE**										
87. अन्तरिक्ष विभाग	87. Department of Space										
भारित		*Charged*	*0.01*	*0.02*	*0.03*	*0.01*	*0.02*	*0.03*	*0.01*	*0.02*	*0.03*
स्वीकृत		Voted	339.28	95.55	434.83	310.07	81.26	391.33	401.27	108.00	509.27
जोड़		**Total**	**339.29**	**95.57**	**434.86**	**310.08**	**81.28**	**391.36**	**401.28**	**108.02**	**509.30**
संसद, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति का सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग	**PARLIAMENT, SECRETARIATS OF THE PRESIDENT, VICEPRESIDENT AND UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**										
88. लोक सभा भारित	88. Lok Sabha.	*Charged*	*0.12*	...	*0.12*	*0.12*	...	*0.12*	*0.12*	...	*0.12*
स्वीकृत		Voted	18.57	...	18.57	18.60	...	18.60	20.24	...	20.24
जोड़		**Total**	**18.69**	...	**18.69**	**18.72**	...	**18.72**	**20.36**	...	**20.36**
89. राज्य सभा भारित	89. Rajya Sabha	*Charged*	*0.04*	...	*0.04*	*0.05*	...	*0.05*	*0.04*	...	*0.04*
स्वीकृत		Voted	7.45	...	7.45	9.62	...	9.62	9.01	...	9.01
जोड़		**Total**	**7.49**	...	**7.49**	**9.67**	...	**9.67**	**9.05**	...	**9.05**

(करोड़ रुपए) (In crores of Rupees)

मांग सं. सेवा, प्रशासन अथवा क्षेत्र जिससे मांग का संबंध है	No. of Demand Service, Administration or Area to which Demand relates		बजट अनुमान 1990-91 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	संशोधित अनुमान 1990-91 Revised Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	बजट अनुमान 1991-92 Budget Estimates राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
90. विनियोग-राष्ट्रपति के कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते	90. Appropriation - Staff, Household and Allowances of the										
भारित	President	*Charged*	*2.60*	...	*2.60*	*3.32*	...	*3.32*	*3.15*	...	*3.15*
स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**Total**	**2.60**	**...**	**2.60**	**3.32**	**...**	**3.32**	**3.15**	**...**	**3.15**
91. उपराष्ट्रपति का सचिवालय भारित	91. Secretariat of the Vice-President	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	0.24	...	0.24	0.26	...	0.26	0.27	...	0.27
जोड़		**Total**	**0.24**	**...**	**0.24**	**0.26**	**...**	**0.26**	**0.27**	**...**	**0.27**
92. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	92. Appropriation - Union Public Service Commission										
भारित		*Charged*	*12.02*	...	*12.02*	*13.33*	...	*13.33*	*13.33*	...	*13.33*
स्वीकृत		Voted	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**Total**	**12.02**	**...**	**12.02**	**13.33**	**...**	**13.33**	**13.33**	**...**	**13.33**
गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)	**MINISTRY OF HOME AFFAIRS UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)**										
93. दिल्ली भारित	93. Delhi	*Charged*	*5.04*	*25.79*	*30.83*	*5.36*	*16.73*	*22.09*	*5.84*	*15.16*	*21.00*
स्वीकृत		Voted	1022.53	686.06	1708.59	1012.12	731.44	1743.56	1093.15	866.31	1959.46
जोड़		**Total**	**1027.57**	**711.85**	**1739.42**	**1017.48**	**748.17**	**1765.65**	**1098.99**	**881.47**	**1980.46**
94. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	94. Andaman & Nicobar Islands										
भारित		*Charged*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*	*0.01*	...	*0.01*
स्वीकृत		Voted	144.25	99.73	243.98	160.15	102.04	262.19	168.81	157.06	325.87
जोड़		**Total**	**144.26**	**99.73**	**243.99**	**160.16**	**102.04**	**262.20**	**168.82**	**157.06**	**325.88**
95. दादर और नागर हवेली भारित	95. Dadra & Nagar Haveli	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	30.86	8.42	39.28	25.60	8.77	34.37	31.66	16.87	48.53
जोड़		**Total**	**30.86**	**8.42**	**39.28**	**25.60**	**8.77**	**34.37**	**31.66**	**16.87**	**48.53**
96. लक्षद्वीप भारित	96. Lakshadweep	*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	37.66	12.46	50.12	39.07	11.54	50.61	40.01	12.39	52.40
जोड़		**Total**	**37.66**	**12.46**	**50.12**	**39.07**	**11.54**	**50.61**	**40.01**	**12.39**	**52.40**
97. चंडीगढ़ भारित	97. Chandigarh	*Charged*	*4.26*	*1.00*	*5.26*	*5.09*	*1.00*	*6.09*	*5.77*	*1.30*	*7.07*
स्वीकृत		Voted	165.00	44.29	209.29	174.66	42.82	217.48	184.99	51.54	236.53
जोड़		**Total**	**169.26**	**45.29**	**214.55**	**179.75**	**43.82**	**223.57**	**190.76**	**52.84**	**243.60**
98. दमन और दीव	98. Daman & Diu										
भारित		*Charged*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
स्वीकृत		Voted	18.92	8.90	27.82	19.58	10.97	30.55	24.18	13.88	38.06
जोड़		**Total**	**18.92**	**8.90**	**27.82**	**19.58**	**10.97**	**30.55**	**24.18**	**13.88**	**38.06**
कुल जोड़ भारित	**GRAND TOTAL**	*Charged*	*34675.30*	*131910.40*	*166585.70*	*35830.67*	*101289.93*	*137120.60*	*42296.01*	*99169.76*	*141465.77*
स्वीकृत		Voted	56342.49	20225.38	76567.87	58867.22	21407.78	80275.00	60468.62	24276.96	84745.58
जोड़		**Total**	**91017.79**	**152135.78**	**243153.57**	**94697.89**	**122697.71**	**217395.60**	**102764.63**	**123446.72**	**226211.35**
घटाइए खर्च को कम करके दिखाई गई वसूलियां	*Less amount of recoveries shown in reduction of expenditure*		*-2625.80*	*-3301.91*	*-5927.71*	*-2578.61*	*-3325.77*	*-5904.38*	*-2364.11*	*-3730.49*	*-6094.60*
नियल जोड़		**Net Total**	**88391.99**	**148833.87**	**237225.86**	**92119.28**	**119371.94**	**211491.22**	**100400.52**	**119716.23**	**220116.75**

The Appropriation (Vote on Account) Act, 1991

रजिस्ट्री सं० डी(डीएन) 127/88 REGISTERED No. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1991/श्रावण 9, 1913
No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1991/SRAVANA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31st July, 1991/*Sravana* 9, 1913 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st July, 1991, and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) No. 2 ACT, 1991

No. 30 OF 1991

[31*st July*, 1991.]

An Act to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1991-92.

Be it enacted by Parliament in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Appropriation (Vote on Account) No. 2 Act, 1991.

Withdrawal of Rs. 115942,22,00,000 from and out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1991-92.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Act, 1991] to the sum of one lakh fifteen thousand nine hundred forty-two crores and twenty-two lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1991-92.

15 of 1991.

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
15	Telecommunication Services	Revenue Capital	2115,74,00,000 1318,00,00,000	*10,00,000* *1,00,000*	2115,84,00,000 1318,01,00,000
16	Ministry of Defence	Revenue Capital	554,60,00,000 56,38,00,000	*1,00,000* *6,50,00,000*	554,61,00,000 62,88,00,000
17	Defence Pensions	Revenue	874,84,00,000	*16,00,000*	875,00,00,000
18	Defence Services—Army	Revenue	4182,15,00,000	*1,24,00,000*	4183,39,00,000
19	Defence Services—Navy	Revenue	457,93,00,000	*10,00,000*	458,03,00,000
20	Defence Services—Air Force	Revenue	1060,39,00,000	*9,00,000*	1060,48,00,000
21	Defence Ordnance Factories	Revenue	350,00,00,000	*65,00,000*	350,65,00,000
22	Capital Outlay on Defence Services	Capital	3087,46,00,000	*3,23,00,000*	3090,69,00,000
23	Ministry of Environment and Forests	Revenue Capital	166,12,00,000 3,73,00,000	.. *5,00,000*	166,12,00,000 3,78,00,000
24	Ministry of External Affairs	Revenue Capital	259,08,00,000 33,42,00,000	*1,00,000* ..	259,09,00,000 33,42,00,000
25	Department of Economic Affairs	Revenue Capital	211,39,00,000 81,31,00,000	*5,00,000* ..	211,44,00,000 81,31,00,000
26	Currency, Coinage and Stamps	Revenue Capital	183,03,00,000 94,93,00,000	*6,00,000* *1,00,000*	183,09,00,000 94,94,00,000
27	Payments to Financial Institutions	Revenue Capital	279,58,00,000 2701,68,00,000	.. ..	279,58,00,000 2701,68,00,000
28	Pensions	Revenue	274,42,00,000	*1,60,00,000*	276,02,00,000
	CHARGED.—*Interest Payments*	Revenue	..	*13752,00,00,000*	13725,00,00,000
30	Transfer to State Governments	Revenue Capital	2227,02,00,000 62,50,00,000	*7235,96,00,000* *7369,40,00,000*	9462,98,00,000 7431,90,00,000
31	Loans to Government Servants etc.	Capital	110,40,00,000	..	110,40,00,000
32	CHARGED—*Repayment of Debt*	Capital	..	*42074,49,00,000*	42074,49,00,000
33	Department of Expenditure	Revenue Capital	4,22,00,000 1,97,00,000	.. ..	4,22,00,000 1,97,00,000
34	Audit	Revenue	134,68,00,000	*2,73,00,000*	137,41,00,000
35	Department of Revenue	Revenue Capital	40,49,00,000 87,00,000	*1,00,000* ..	40,50,00,000 87,00,000

रजिस्ट्री सं० डी(डीएन) 127/88 REGISTERED No. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1991/श्रावण 9, 1913
No. 42] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1991/SRAVANA 9, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 31st July, 1991/*Sravana* 9, 1913 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st July, 1991, and is hereby published for general information:—

THE APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) No. 2 ACT, 1991

No. 30 OF 1991

[31*st July*, 1991.]

An Act to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1991-92.

BE it enacted by Parliament in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (Vote on Account) No. 2 Act, 1991. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be withdrawn sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Act, 1991] to the sum of one lakh fifteen thousand nine hundred forty-two crores and twenty-two lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1991-92. Withdrawal of Rs. 115942,22,00,000 from and out of the Consolidated Fund of India for the financial year 1991-92.

15 of 1991.

Appropriation.

3. The sums authorised to be withdrawn from and out of the Consolidated Fund by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Construction of references to Ministries and Departments in the Schedule.

4. References to Ministries or Departments in the Schedule are to such Ministries or Departments as existing immediately before the 7th July, 1991 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries or Departments as reconstituted from time to time.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2, 3 and 4)

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Agriculture	Revenue	1731,23,00,000	..	1731,23,00,000
		Capital	2,24,00,000	324,07,00,000	326,31,00,000
2	Other Services of Department of Agriculture and Cooperation	Revenue	47,47,00,000	..	47,47,00,000
		Capital	60,06,00,000	16,55,00,000	76,61,00,000
3	Department of Agricultural Research and Education	Revenue	182,00,00,000	..	182,00,00,000
4	Department of Animal Husbandry and Dairying	Revenue	102,62,00,000	..	102,62,00,000
		Capital	24,45,00,000	..	24,45,00,000
5	Department of Chemicals and Petrochemicals	Revenue	6,22,00,000	..	6,22,00,000
		Capital	10,70,00,000	..	10,70,00,000
6	Department of Fertilizers	Revenue	3041,38,00,000	1,00,000	3041,39,00,000
		Capital	47,35,00,000	25,00,000	47,60,00,000
7	Department of Civil Aviation	Revenue	21,41,00,000	..	21,41,00,000
		Capital	13,92,00,000	..	13,92,00,000
8	Department of Tourism	Revenue	32,00,00,000	..	32,00,00,000
		Capital	13,20,00,000	..	13,20,00,000
9	Ministry of Civil Supplies and Public Distribution	Revenue	4,91,00,000	..	4,91,00,000
		Capital	1,75,00,000	1,70,00,000	3,45,00,000
10	Ministry of Coal	Revenue	20,80,00,000	..	20,80,00,000
		Capital	371,50,00,000	..	371,50,00,000
11	Department of Commerce	Revenue	1215,78,00,000	..	1215,78,00,000
		Capital	787,29,00,000	..	787,29,00,000
12	Department of Supply	Revenue	15,72,00,000	15,00,000	15,87,00,000
13	Ministry of Communications	Revenue	5,79,00,000	..	5,79,00,000
14	Postal Services	Revenue	762,55,00,000	1,00,000	762,56,00,000
		Capital	31,45,00,000	..	31,45,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
15	Telecommunication Services	Revenue	2115,74,00,000	*10,00,000*	2115,84,00,000
		Capital	1318,00,00,000	*1,00,000*	1318,01,00,000
16	Ministry of Defence	Revenue	554,60,00,000	*1,00,000*	554,61,00,000
		Capital	56,38,00,000	*6,50,00,000*	62,88,00,000
17	Defence Pensions	Revenue	874,84,00,000	*16,00,000*	875,00,00,000
18	Defence Services—Army	Revenue	4182,15,00,000	*1,24,00,000*	4183,39,00,000
19	Defence Services—Navy	Revenue	457,93,00,000	*10,00,000*	458,03,00,000
20	Defence Services—Air Force	Revenue	1060,39,00,000	*9,00,000*	1060,48,00,000
21	Defence Ordnance Factories	Revenue	350,00,00,000	*65,00,000*	350,65,00,000
22	Capital Outlay on Defence Services	Capital	3087,46,00,000	*3,23,00,000*	3090,69,00,000
23	Ministry of Environment and Forests	Revenue	166,12,00,000	..	166,12,00,000
		Capital	3,73,00,000	*5,00,000*	3,78,00,000
24	Ministry of External Affairs	Revenue	259,08,00,000	*1,00,000*	259,09,00,000
		Capital	33,42,00,000	..	33,42,00,000
25	Department of Economic Affairs	Revenue	211,39,00,000	*5,00,000*	211,44,00,000
		Capital	81,31,00,000	..	81,31,00,000
26	Currency, Coinage and Stamps	Revenue	183,03,00,000	*6,00,000*	183,09,00,000
		Capital	94,93,00,000	*1,00,000*	94,94,00,000
27	Payments to Financial Institutions	Revenue	279,58,00,000	..	279,58,00,000
		Capital	2701,68,00,000	..	2701,68,00,000
28	Pensions	Revenue	274,42,00,000	*1,60,00,000*	276,02,00,000
	CHARGED.—*Interest Payments*	Revenue	..	*13752,00,00,000*	13725,00,00,000
30	Transfer to State Governments	Revenue	2227,02,00,000	*7235,96,00,000*	9462,98,00,000
		Capital	62,50,00,000	*7369,40,00,000*	7431,90,00,000
31	Loans to Government Servants etc.	Capital	110,40,00,000	..	110,40,00,000
32	CHARGED—*Repayment of Debt*	Capital	..	*42074,49,00,000*	42074,49,00,000
33	Department of Expenditure	Revenue	4,22,00,000	..	4,22,00,000
		Capital	1,97,00,000	..	1,97,00,000
34	Audit	Revenue	134,68,00,000	*2,73,00,000*	137,41,00,000
35	Department of Revenue	Revenue	40,49,00,000	*1,00,000*	40,50,00,000
		Capital	87,00,000	..	87,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
36	Direct Taxes .	Revenue Capital	124,99,00,000 60,00,00,000	1,00,000 ..	125,00,00,000 60,00,00,000
37	Indirect Taxes . .	Revenue Capital	200,98,00,000 73,57,00,000	41,00,000 ..	201,39,00,000 73,57,00,000
38	Ministry of Food .	Revenue Capital	1374,87,00,000 68,20,00,000	5,00,000 2,00,00,000	1374,92,00,000 70,20,00,000
39	Ministry of Food Processing Industries	Revenue Capital	15,21,00,000 6,38,00,000	.. 63,00,000	15,21,00,000 7,01,00,000
40	Department of Health	Revenue Capital	279,82,00,000 92,85,00,000	2,00,000 1,00,000	279,84,00,000 92,86,00,000
41	Department of Family Welfare	Revenue Capital	425,01,00,000 43,00,000	.. ..	425,01,00,000 43,00,000
42	Ministry of Home Affairs	Revenue Capital	159,50,00,000 6,50,00,000	3,00,000 ..	159,53,00,000 6,50,00,000
43	Cabinet	Revenue	5,90,00,000	..	5,90,00,000
44	Police	Revenue Capital	886,19,00,000 164,82,00,000	29,00,000 2,54,00,000	886,48,00,000 167,36,00,000
45	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Revenue Capital	179,57,00,000 57,39,00,000	3,00,000 5,08,00,000	179,60,00,000 62,47,00,000
46	Transfers to Union territory Governments	Revenue Capital	48,50,00,000 26,71,00,000	.. ..	48,50,00,000 26,71,00,000
47	Department of Education	Revenue Capital	899,42,00,000 30,00,000	.. 1,43,00,000	899,42,00,000 1,73,00,000
48	Department of Youth Affairs and Sports	Revenue Capital	56,10,00,000 1,10,00,000	.. ..	56,10,00,000 1,10,00,000
49	Art and Culture .	Revenue	62,27,00,000	..	62,27,00,000
50	Department of Women and Child Development	Revenue Capital	218,82,00,000 50,00,000	.. ..	218,82,00,000 50,00,000
51	Department of Industrial Development	Revenue Capital	73,47,00,000 6,00,000	13,00,00,000 ..	86,47,00,000 6,00,000
52	Department of Heavy Industry	Revenue Capital	15,05,00,000 137,72,00,000	.. ..	15,05,00,000 137,72,00,000
53	Department of Public Enterprises	Revenue	71,00,000	..	71,00,000
54	Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	Revenue Capital	157,74,00,000 141,43,00,000	2,50,00,000 2,52,00,000	160,24,00,000 143,95,00,000
55	Ministry of Information and Broadcasting	Revenue Capital	50,68,00,000 2,80,00,000	1,00,000 ..	50,69,00,000 2,80,00,000
56	Broadcasting Services	Revenue Capital	406,96,00,000 178,61,00,000	1,00,000 10,00,000	406,97,00,000 178,71,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
57	Ministry of Labour	Revenue Capital	205,68,00,000 37,00,000	1,00,000 ..	205,69,00,000 37,00,000
58	Law and Justice	Revenue	107,45,00,000	3,36,00,000	110,81,00,000
59	Department of Company Affairs	Revenue Capital	4,99,00,000 1,00,000	.. ..	4,99,00,000 1,00,000
60	Ministry of Mines	Revenue Capital	70,85,00,000 9,90,00,000	2,00,000 ..	70,87,00,000 9,90,00,000
61	Ministry of Parliamentary Affairs	Revenue	65,00,000	..	65,00,000
62	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Revenue Capital	26,09,00,000 57,00,000	1,00,000 2,33,00,000	26,10,00,000 2,90,00,000
63	Ministry of Petroleum and Natural Gas	Revenue Capital	51,06,00,000 85,00,00,000	.. ..	51,06,00,000 85,00,00,000
64	Planning	Revenue Capital	27,14,00,000 8,45,00,000	.. ..	27,14,00,000 8,45,00,000
65	Department of Statistics	Revenue	26,18,00,000	..	26,18,00,000
66	Department of Programme Implementation	Revenue	36,00,000	..	36,00,000
67	Department of Power	Revenue Capital	227,91,00,000 1030,96,00,000	.. 10,00,00,000	227,91,00,000 1040,96,00,000
68	Department of Non-Conventional Energy Sources	Revenue Capital	72,73,00,000 2,50,00,000	.. ..	72,73,00,000 2,50,00,000
69	Ministry of Rural Development	Revenue Capital	1760,01,00,000 25,00,000	.. ..	1760,01,00,000 25,00,000
70	Department of Science and Technology	Revenue Capital	97,52,00,000 12,48,00,000	.. ..	97,52,00,000 12,48,00,000
71	Department of Scientific and Industrial Research	Revenue Capital	134,29,00,000 1,70,00,000	.. ..	134,29,00,000 1,70,00,000
72	Department of Biotechnology	Revenue Capital	24,97,00,000 3,00,000	.. ..	24,97,00,000 3,00,000
73	Ministry of Steel	Revenue Capital	6,78,00,000 320,18,00,000	.. 3,00,000	6,78,00,000 320,21,00,000
74	Surface Transport	Revenue Capital	14,04,00,000 69,18,00,000	.. 1,26,00,000	14,04,00,000 70,44,00,000
75	Roads	Revenue Capital	201,78,00,000 271,22,00,000	3,00,000 15,37,00,000	201,81,00,000 286,59,00,000
76	Ports, Lighthouses and Shipping	Revenue Capital	64,24,00,000 126,39,00,000	.. 18,00,000	64,24,00,000 126,57,00,000
77	Ministry of Textiles	Revenue Capital	389,46,00,000 89,90,00,000	.. 2,00,00,000	389,46,00,000 91,90,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
78	Urban Development and Housing	Revenue Capital	85,86,00,000 61,16,00,000	*2,09,00,000* *4,78,00,000*	87,95,00,000 65,94,00,000
79	Public Works	Revenue Capital	126,31,00,000 44,76,00,000	*12,00,000* *6,00,000*	126,43,00,000 44,82,00,000
80	Stationery and Printing	Revenue Capital	48,33,00,000 1,90,00,000	.. ..	48,33,00,000 1,90,00,000
81	Ministry of Water Resources	Revenue Capital	169,25,00,000 11,36,00,000	*1,00,000* *14,50,00,000*	169,26,00,000 25,86,00,000
82	Ministry of Welfare	Revenue Capital	227,24,00,000 9,52,00,000	*143,88,00,000* *56,00,000*	371,12,00,000 10,08,00,000
83	Atomic Energy	Revenue Capital	241,97,00,000 276,33,00,000	*7,00,000* ..	242,04,00,000 276,33,00,000
84	Nuclear Power Schemes	Revenue Capital	173,85,00,000 68,25,00,000	.. ..	1,73,85,00,000 68,25,00,000
85	Department of Electronics	Revenue Capital	45,52,00,000 21,68,00,000	.. ..	45,52,00,000 21,68,00,000
86	Department of Ocean Development	Revenue Capital	19,42,00,000 3,44,00,000	.. ..	19,42,00,000 3,44,00,000
87	Department of Space	Revenue Capital	1,91,20,00,000 50,99,00,000	*1,00,000* *1,00,000*	1,91,21,00,000 51,00,00 000
88	Lok Sabha	Revenue	10,12,00,000	*6,00,000*	10,18,00,000
89	Rajya Sabha	Revenue	4,50,00,000	*2,00,000*	4,52,00,000
	CHARGED.—*Staff, Household and Allowances of the President*	Revenue	..	*1,57,00,000*	1,57,00,000
91	Secretariat of the Vice-President	Revenue	13,00,000	..	13,00,000
	CHARGED.—*Union Public Service Commission*	Revenue	..	*6,66,00,000*	6,66,00,000
93	Delhi	Revenue Capital	546,58,00,000 33,15,00,000	*2,92,00,000* *7,58,00,000*	549,50,00,000 440,73,00,000
94	Andaman and Nicobar Islands	Revenue Capital	84,40,00,000 92,81,00,000	*1,00,000* ..	84,41,00,000 92,81,00,000
95	Dadra and Nagar Haveli	Revenue Capital	15,83,00,000 8,43,00,000	.. ..	15,83,00,000 8,43,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
96	Lakshadweep .	Revenue	20,00,00,000	..	20,00,00,000
		Capital	6,20,00,000	..	6,20,00,000
97	Chandigarh .	Revenue	92,50,00,000	2,88,00,000	95,38,00,000
		Capital	25,77,00,000	65,00,000	26,42,00,000
98	Daman and Diu .	Revenue	12,09,00,000	..	12,09,00,000
		Capital	6,94,00,000	..	6,94,00,000
	TOTAL		44924,31,00,000	71017,91,00,000	115942,22,00,000

V. S. RAMA DEVI,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991

The Appropriation (No. 2) Act, 1991

रजिस्ट्री सं० डी(डीएन) 127/88 REGISTERED No. D(DN)127/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 14, 1991/भाद्र 23, 1913
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1991/BHADRA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 14th September, 1991/*Bhadra* 23, 1913 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 13th September, 1991, and is hereby published for general information:

THE APPROPRIATION (No. 4) ACT, 1991

No. 37 OF 1991

[13*th September,* 1991.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1991-92.

BE it enacted by Parliament in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Appropriation (No. 4) Act, 1991. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of India there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule amounting in the aggregate [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) No. 2 Act, 1991] to the sum of two lakhs twenty-six thousand two hundred and eleven crores and thirty-five lakh rupees towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 1991-92, in respect of the services specified in column 2 of the Schedule. (30 of 1991.) Issue of Rs. 226211,35,00,000 out of the Consolidated Fund of India for the year 1991-92.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of India by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Construction of references to Ministries and Departments in the Schedule.

4. References to Ministries or Departments in the Schedule are to such Ministries or Departments as existing immediately before the 7th day of July, 1991 and shall, on or after that date, be construed as references to the appropriate Ministries or Departments as reconstituted from time to time.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2, 3 and 4)

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
1	Agriculture	Revenue	2137,66,00,000	..	2137,66,00,000
		Capital	11,80,00,000	*352,23,00,000*	364,03,00,000
2	Other Services of Department of Agriculture and Cooperation	Revenue	138,12,00,000	..	138,12,00,000
		Capital	171,96,00,000	*51,03,00,000*	222,99,00,000
3	Department of Agricultural Research and Education	Revenue	364,00,00,000	..	364,00,00,000
4	Department of Animal Husbandry and Dairying	Revenue	222,09,00,000	..	222,09,00,000
		Capital	53,48,00,000	..	53,48,00,000
5	Department of Chemicals and Petrochemicals	Revenue	12,43,00,000	..	12,43,00,000
		Capital	21,40,00,000	..	21,40,00,000
6	Department of Fertilizers	Revenue	4933,94,00,000	*1,00,000*	4933,95,00,000
		Capital	94,70,00,000	*50,00,000*	95,20,00,000
7	Department of Civil Aviation	Revenue	42,82,00,000	..	42,82,00,000
		Capital	27,83,00,000	..	27,83,00,000
8	Department of Tourism	Revenue	64,00,00,000	..	64,00,00,000
		Capital	26,40,00,000	..	26,40,00,000
9	Ministry of Civil Supplies and Public Distribution	Revenue	9,82,00,000	..	9,82,00,000
		Capital	3,49,00,000	*3,41,00,000*	6,90,00,000
10	Ministry of Coal	Revenue	161,00,00,000	..	161,00,00,000
		Capital	743,00,00,000	..	743,00,00,000
11	Department of Commerce	Revenue	1433,55,00,000	..	1433,55,00,000
		Capital	1174,57,00,000	..	1174,57,00,000
12	Department of Supply	Revenue	27,43,00,000	*30,00,000*	27,73,00,000
13	Ministry of Communications	Revenue	11,58,00,000	..	11,58,00,000
14	Postal Services	Revenue	1525,09,00,000	*1,00,000*	1525,10,00,000
		Capital	62,90,00,000	..	62,90,00,000
15	Telecommunication Services	Revenue	4231,47,00,000	*20,00,000*	4231,67,00,000
		Capital	2635,99,00,000	*1,00,000*	2636,00,00,000
16	Ministry of Defence	Revenue	1109,19,00,000	*1,00,000*	1109,20,00,000
		Capital	112,77,00,000	*3,00,00,000*	125,77,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
17	Defence Pensions	Revenue	1749,67,00,000	*33,00,000*	1750,00,00,000
18	Defence Services—Army	Revenue	8364,30,00,000	*2,48,00,000*	8366,78,00,000
19	Defence Services—Navy	Revenue	915,86,00,000	*20,00,000*	916,06,00,000
20	Defence Services—Air Force	Revenue	2120,77,00,000	*19,00,000*	2120,96,00,000
21	Defence Ordnance Factories	Revenue	363,89,00,000	*1,30,00,000*	365,19,00,000
22	Capital Outlay on Defence Services	Capital	5204,77,00,000	*6,45,00,000*	5211,22,00,000
23	Ministry of Environment and Forests	Revenue	332,24,00,000		332,24,00,000
		Capital	7,46,00,000	*10,00,000*	7,56,00,000
24	Ministry of External Affairs	Revenue	518,16,00,000	*2,00,000*	518,18,00,000
		Capital	66,85,00,000	..	66,85,00,000
25	Department of Economic Affairs	Revenue	422,78,00,000	*5,00,000*	422,83,00,000
		Capital	162,63,00,000	..	162,63,00,000
26	Currency, Coinage and Stamps	Revenue	366,05,00,000	*12,00,000*	366,17,00,000
		Capital	189,86,00,000	*2,00,000*	189,88,00,000
27	Payments to Financial Institutions	Revenue	515,79,00,000	..	515,79,00,000
		Capital	4983,06,00,000	..	4983,06,00,000
28	Pensions	Revenue	548,84,00,000	*3,21,00,000*	552,05,00,000
	CHARGED.—*Interest Payments*	Revenue	..	*27450,00,00,000*	27450,00,00,000
30	Transfers to State Governments	Revenue	4454,03,00,000	*14471,93,00,000*	18925,96,00,000
		Capital	125,00,00,000	*14438,80,00,000*	14563,80,00,000
31	Loans to Government Servants, etc.	Capital	220,80,00,000	..	220,80,00,000
	CHARGED.—*Repayment of Debt*	Capital	..	*84148,98,00,000*	84148,98,00,000
33	Department of Expenditure	Revenue	258,43,00,000	..	258,43,00,000
		Capital	3,94,00,000	..	3,94,00,000
34	Audit	Revenue	269,35,00,000	*5,47,00,000*	274,82,00,000
35	Department of Revenue	Revenue	80,98,00,000	*1,00,000*	80,99,00,000
		Capital	1,74,00,000	..	1,74,00,000
36	Direct Taxes	Revenue	249,98,00,000	*2,00,000*	250,00,00,000
		Capital	120,00,00,000	..	120,00,00,000
37	Indirect Taxes	Revenue	401,96,00,000	*81,00,000*	402,77,00,000
		Capital	147,14,00,000	..	147,14,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
38	Ministry of Food	Revenue	2749,73,00,000	*10,00,000*	2749,83,00,000
		Capital	136,40,00,000	*4,00,00,000*	140,40,00,000
39	Ministry of Food Processing Industries	Revenue	30,41,00,000	..	30,41,00,000
		Capital	12,76,00,000	*1,26,00,000*	14,02,00,000
40	Department of Health	Revenue	559,64,00,000	*3,00,000*	559,67,00,000
		Capital	185,71,00,000	*2,00,000*	185,73,00,000
41	Department of Family Welfare	Revenue	850,03,00,000	..	850,03,00,000
		Capital	85,00,000	..	85,00,000
42	Ministry of Home Affairs	Revenue	319,00,00,000	*6,00,000*	319,06,00,000
		Capital	13,00,00,000	..	13,00,00,000
43	Cabinet	Revenue	11,80,00,000	..	11,80,00,000
44	Police	Revenue	1772,39,00,000	*57,00,000*	1772,96,00,000
		Capital	260,28,00,000	*5,08,00,000*	265,36,00,000
45	Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Revenue	359,15,00,000	*7,00,000*	359,22,00,000
		Capital	114,78,00,000	*10,17,00,000*	124,95,00,000
46	Transfers to Union territory Governments	Revenue	97,01,00,000	..	97,01,00,000
		Capital	53,42,00,000	..	53,42,00,000
47	Department of Education	Revenue	1801,87,00,000	..	1801,87,00,000
		Capital	60,00,000	*2,85,00,000*	3,45,00,000
48	Department of Youth Affairs and Sports	Revenue	112,21,00,000	..	112,21,00,000
		Capital	2,19,00,000	..	2,19,00,000
49	Art and Culture	Revenue	128,34,00,000	..	128,34,00,000
50	Department of Women and Child Development	Revenue	438,65,00,000	..	438,65,00,000
		Capital	1,00,00,000	..	1,00,00,000
51	Department of Industrial Development	Revenue	146,95,00,000	*26,00,00,000*	172,95,00,000
		Capital	12,00,000	..	12,00,000
52	Department of Heavy Industry	Revenue	30,10,00,000	..	30,10,00,000
		Capital	275,44,00,000	..	275,44,00,000
53	Department of Public Enterprises	Revenue	1,41,00,000	..	1,41,00,000
54	Department of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries	Revenue	315,48,00,000	*5,00,00,000*	320,48,00,000
		Capital	282,86,00,000	*5,05,00,000*	287,91,00,000
55	Ministry of Information and Broadcasting	Revenue	101,35,00,000	*1,00,000*	101,36,00,000
		Capital	5,60,00,000	..	5,60,00,000
56	Broadcasting Services	Revenue	813,91,00,000	*2,00,000*	813,93,00,000
		Capital	357,23,00,000	*20,00,000*	357,43,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
57	Ministry of Labour	Revenue	411,37,00,000	1,00,000	411,38,00,000
		Capital	73,00,000	..	73,00,000
58	Law and Justice	Revenue	214,90,00,000	6,73,00,000	221,63,00,000
59	Department of Company Affairs	Revenue	9,99,00,000	..	9,99,00,000
		Capital	1,00,000	..	1,00,000
60	Ministry of Mines	Revenue	127,69,00,000	5,00,000	127,74,00,000
		Capital	19,80,00,000	..	19,80,00,000
61	Ministry of Parliamentary Affairs	Revenue	1,30,00,000	..	1,30,00,000
62	Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Revenue	52,19,00,000	1,00,000	52,20,00,000
		Capital	1,15,00,000	4,65,00,000	5,80,00,000
63	Ministry of Petroleum and Natural Gas	Revenue	101,96,00,000	..	101,96,00,000
		Capital	180,00,00,000	..	180,00,00,000
64	Planning	Revenue	54,28,00,000	..	54,28,00,000
		Capital	16,90,00,000	..	16,90,00,000
65	Department of Statistics	Revenue	56,45,00,000	..	56,45,00,000
66	Department of Programme Implementation	Revenue	85,00,000	..	85,00,000
67	Department of Power	Revenue	455,82,00,000	..	455,82,00,000
		Capital	2061,92,00,000	20,00,00,000	2081,92,00,000
68	Department of Non-Conventional Energy Sources	Revenue	145,47,00,000	..	145,47,00,000
		Capital	4,99,00,000	..	4,99,00,000
69	Ministry of Rural Development	Revenue	3521,04,00,000	..	3521,04,00,000
		Capital	50,00,000	..	50,00,000
70	Department of Science and Technology	Revenue	251,61,00,000	..	251,61,00,000
		Capital	34,96,00,000	..	34,96,00,000
71	Department of Scientific and Industrial Research	Revenue	268,58,00,000	..	268,58,00,000
		Capital	3,40,00,000	..	3,40,00,000
72	Department of Biotechnology	Revenue	73,94,00,000	..	73,94,00,000
		Capital	20,00,000	..	20,00,000
73	Ministry of Steel	Revenue	13,56,00,000	..	13,56,00,000
		Capital	489,37,00,000	5,00,000	489,42,00,000
74	Surface Transport	Revenue	28,08,00,000	..	28,08,00,000
		Capital	138,35,00,000	2,52,00,000	140,87,00,000
75	Roads	Revenue	403,56,00,000	6,00,000	403,62,00,000
		Capital	542,44,00,000	30,74,00,000	573,18,00,000

1	2		3		
			Sums not exceeding		
No. of Vote	Services and purposes		Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
76	Ports, Lighthouses and Shipping	Revenue	128,48,00,000	..	128,48,00,000
		Capital	252,78,00,000	*35,00,000*	253,13,00,000
77	Ministry of Textiles	Revenue	778,93,00,000	..	778,93,00,000
		Capital	179,80,00,000	*4,00,00,000*	183,80,00,000
78	Urban Development and Housing	Revenue	291,72,00,000	*4,19,00,000*	295,91,00,000
		Capital	165,87,00,000	*17,57,00,000*	183,44,00,000
79	Public Works	Revenue	236,63,00,000	*23,00,000*	236,86,00,000
		Capital	96,70,00,000	*12,00,000*	96,82,00,000
80	Stationery and Printing	Revenue	96,67,00,000	..	96,67,00,000
		Capital	3,80,00,000	..	3,80,00,000
81	Ministry of Water Resources	Revenue	338,50,00,000	*2,00,000*	338,52,00,000
		Capital	22,73,00,000	*29,00,00,000*	51,73,00,000
82	Ministry of Welfare	Revenue	470,19,00,000	*287,77,00,000*	757,96,00,000
		Capital	19,05,00,000	*1,12,00,000*	20,17,00,000
83	Atomic Energy	Revenue	483,94,00,000	*14,00,000*	484,08,00,000
		Capital	552,66,00,000	..	552,66,00,000
84	Nuclear Power Schemes	Revenue	347,70,00,000	..	347,70,00,000
		Capital	136,49,00,000	..	136,49,00,000
85	Department of Electronics	Revenue	93,60,00,000	..	93,60,00,000
		Capital	43,65,00,000	..	43,65,00,000
86	Department of Ocean Development	Revenue	39,33,00,000	..	39,33,00,000
		Capital	6,88,00,000	..	6,88,00,000
87	Department of Space	Revenue	401,27,00,000	*1,00,000*	401,28,00,000
		Capital	108,00,00,000	*2,00,000*	108,02,00,000
88	Lok Sabha	Revenue	20,24,00,000	*12,00,000*	20,36,00,000
89	Rajya Sabha	Revenue	9,01,00,000	*4,00,000*	9,05,00,000
	CHARGED.— *Staff, Household and Allowances of the President*	Revenue	..	*3,15,00,000*	3,15,00,000
91	Secretariat of the Vice-President	Revenue	27,00,000	..	27,00,000
	CHARGED.— *Union Public Service Commission*	Revenue	..	*13,33,00,000*	13,33,00,000
93	Delhi	Revenue	1093,15,00,000	*5,84,00,000*	1098,99,00,000
		Capital	866,31,00,000	*15,16,00,000*	881,47,00,000
94	Andaman and Nicobar Islands	Revenue	168,81,00,000	*1,00,000*	168,82,00,000
		Capital	157,06,00,000	..	157,06,00,000
95	Dadra and Nagar Haveli	Revenue	31,66,00,000	..	31,66,00,000
		Capital	16,87,00,000	..	16,87,00,000

1	2		3		
No. of Vote	Services and purposes		Sums not exceeding		
			Voted by Parliament	Charged on the Consolidated Fund	Total
			Rs.	Rs.	Rs.
96	Lakshadweep .	Revenue	40,01,00,000	..	40,01,00,000
		Capital	12,39,00,000	..	12,39,00,000
97	Chandigarh .	Revenue	184,99,00,000	*5,77,00,000*	190,76,00,000
		Capital	51,54,00,000	*1,30,00,000*	52,84,00,000
98	Daman and Diu .	Revenue	24,18,00,000	..	24,18,00,000
		Capital	13,88,00,000	..	13,88,00,000
	TOTAL . .		84745,58,00,000	*141465,77,00,000*	226211,35,00,000

V. S. RAMA DEVI,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991

15

Economical and Functional Classification of the Central Government Budget for 1991-92

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य - संबंधी वर्गीकरण

AN ECONOMIC AND FUNCTIONAL CLASSIFICATION OF THE CENTRAL GOVERNMENT BUDGET

1991-92

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

आर्थिक कार्य विभाग *DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS*

आर्थिक प्रभाग *ECONOMIC DIVISION*

नई दिल्ली *NEW DELHI*

1991

विषय-सूची CONTENTS

			पृष्ठ PAGE
प्रस्तावना	Preface		(i)
I. आर्थिक वर्गीकरण	I. Economic Classification	...	1
II. आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	II. Economic-cum-Functional Classification	...	15
परिशिष्ट	Appendix	...	24

प्रस्तावना

वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य प्रभाग, बजट को आर्थिक विश्लेषण का एक उपयोगी माध्यम बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1957-58 से केन्द्रीय सरकार के बजटीय लेन-देनों का वर्गीकरण तैयार करता आ रहा है । संक्षेप में, इस वर्गीकरण के द्वारा केन्द्रीय सरकार के, जिसमें रेलवे तथा डाक व तार विभाग भी शामिल हैं, व्ययों और प्राप्तियों का वर्गीकरण, महत्वपूर्ण आर्थिक वर्गों के अनुसार किया गया है, जिसमें चालू खाते के खर्च को पूंजी परिव्यय से, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के व्यय को व्यक्तियों और संस्थाओं को किए गए अन्तरणों से, किस्म के अनुसार कर संबंधी प्राप्तियों को अन्य प्राप्तियों से तथा उधारों और अन्तर-सरकारी ऋणों और अनुदानों आदि से अलग करके दिखाया गया है । इस रीति से पुनर्वर्गीकृत करके केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होने वाली आमदनी तथा उसके द्वारा किए जाने वाले व्ययों को लेन-देनों के महत्वपूर्ण वर्गों से संबंधित किया जा सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं । चूंकि राष्ट्रीय आय-वर्ग की सरकारी खाता पद्धति भी आर्थिक वर्गीकरण की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है, इसलिए इस विश्लेषण में वही प्रणाली तथा सिद्धान्त प्रयोग में लाये गये हैं जो कि राष्ट्रीय आय संबंधी लेखा प्रणाली में प्रयुक्त किए जाते हैं ।

देश में आर्थिक आयोजना के समारम्भ के पश्चात्, वार्षिक आयोजना परिव्ययों को बजट सम्बन्धी परिव्ययों से एकीकृत कर दिया गया है, जिसके अनुसार बजट सम्बन्धी परिव्ययों का और आगे विश्लेषण कार्य सम्बन्धी वर्गों के अनुसार किया जाता है । इस प्रकार के कार्यात्मक वर्गीकरण से इस बात के विश्लेषण में सहायता मिलती है कि केन्द्रीय सरकार आयोजना में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों या प्रयोजनों के लिए कितनी राशि आवंटित कर रही है । तदनुसार केन्द्रीय सरकार के लेनदेनों से संबंधित आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण तैयार करने का काम 1967-68 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है ।

आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया, केन्द्रीय सरकार के 1991-92 के बजट का आर्थिक एवं कार्य-संबंधी वर्गीकरण पहले के वर्षों की प्रणाली के ही अनुरूप किया गया है । इस विश्लेषण के मुख्य-मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण भाग I और II में दिया गया है और इस वर्गीकरण में इस्तेमाल की गई विभिन्न मदो को कहा से प्राप्त किया गया है और इसके लिए औचित्य का आधार क्या है, इसे भी अन्त में तकनीकी परिशिष्ट में विस्तार से बताया गया है ।

PREFACE

Since 1957-58, the Economic Division of the Ministry of Finance has been preparing an economic classification of the Central Government budgetary transactions to make the budget a more useful tool of economic analysis. In brief, this classification involves arranging the expenditures and receipts of the Central Government including those of railways and posts and telecommunications by significant economic categories distinguishing current from capital outlays, spending for goods and services from transfers to individuals and institutions, tax receipts by kind from other receipts, and from borrowing and inter-governmental loans and grants etc. Reclassified in this manner, the flows into and out of the Central Government can be related to important categories of transactions influencing the behaviour of the other sectors of the economy. Since the national income type of government account is the most prevalent form of an economic classification, the methodology and concepts used in this analysis are those used in the national income accounting system.

With the advent of economic planning in the country, annual plan outlays have been integrated with the budgetary outlays which called for a further analysis of budgetary outlays into functional categories. Such a functional classification helps in analysing how much the Central Government is allocating to different functions or purposes in accordance with the priorities laid down in the Plan. Accordingly since 1967-68, an economic-cum-functional classification of the Central Government transactions is being prepared.

The economic-cum-functional classification of the Central Government Budget 1991-92 presented in the following pages conforms to the pattern of the earlier years. The salient features of this analysis are summarised in Sections I and II, and the derivation of rationale of various items used in this classification have been explained in the technical Appendix at the end.

केन्द्रीय सरकार के 1991-92 के बजट के विश्लेषण से पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार का खपत व्यय जो मजदूरी, वेतन और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर आधाति है 1990-91 (संशोधित अनुमान) के 23102 करोड़ रुपए से बढ़कर 1991-92 (बजट अनुमान) में 24655 करोड़ रुपए हो गया है । केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण की रकम भी जो 1989-90 (वास्तविक) में 8136 करोड़ रुपए थी, काफी बढ़कर 1990-91 (संशोधित अनुमान) में 8683 करोड़ रुपए और 1990-91 (बजट अनुमान) में 9750 करोड़ रुपए हो जाएगी । 1991-92 के बजट में दिए गए केन्द्रीय सरकार के साधनों में से सकल पूंजी निर्माण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (अन्य क्षेत्रों को पूंजी निर्माण के लिए दी गई वित्तीय सहायता), दोनों के लिए कुल वित्तीय व्यवस्था की रकम, 1990-91 (संशोधित अनुमान) के 35727 करोड़ रुपए की तुलना में 1991-92 (बजट अनुमान) में 37414 करोड़ रुपए होगी । केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों (गैर-विभागीय उपक्रमों को "शेष अर्थव्यवस्था" के रूप में माना जाता है) की निवल बचतों में चालू वर्ष में सुधार हुआ है । 1989-90 में 3269 करोड़ रुपए और 1990-91 (संशोधित अनुमान) में 7821 करोड़ रुपए की नकारात्मक निवल बचत की तुलना में यह सुधर कर 1991-92 (बजट अनुमान) में 3658 करोड़ रुपए की नकारात्मक राशि पर आ गई ।

केन्द्रीय सरकार के विकास सम्बधी कार्यकलापों पर होने वाले खर्चों में सकल पूंजी निर्माण पर परिव्यय और आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर होने वाला चालू व्यय दोनों शामिल हैं । सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर होने वाले आयोजनागत तथा आयोजना-भिन्न कुल व्यय मोटे तौर पर केन्द्रीय सरकार के कुल विकास व्यय के बराबर ही हैं । अनुमान है कि 1991-92 (बजट अनुमान) में यह व्यय 58271 करोड़ रुपए होगा जो कि उस वर्ष के लिए बजट में निर्धारित कुल व्यय की राशि के 49.2 प्रतिशत के बराबर है ।

Analysis of the Central Government Budget 1991-92 shows that the consumption expenditure of the Central Government composed of wages and salaries and purchase of goods and services will increase from Rs.23102 crores in 1990-91 (Revised Estimates) to Rs.24655 crores in 1991-92 (Budget Estimates). The Central Government's direct gross capital formation will increase substantially from Rs.8136 crores in 1989-90 (Accounts) to Rs.8683 crores in 1990-91 (Revised Estimates) and further to Rs. 9750 crores in 1991-92 (Budget Estimates). The total financial provision for gross capital formation, both direct and indirect (financial assistance provided to other sectors for capital formation) out of the Central Government budgetary resources in 1991-92 (Budget Estimates) will be Rs.37414 crores compared with Rs. 35727 crores in 1990-91 (Revised Estimates). The net savings of the Central Government and its departmental undertakings (non-departmental undertakings are treated as "rest of the economy") have, shown an improvement in the current year. As against a negative net savings of Rs.3269 crores in 1989-90, and Rs. 7821 crores in 1990-91 (R.E.), it improved to a negative figure of Rs.3658 crores in 1991-92 (Budget Estimates).

The Central Government's development expenditure includes both outlays on gross capital formation and current expenditure on economic and social services. The plan and non-plan expenditures in the Central Budget on economic and social services correspond broadly to the total deveopment expenditure of the Central Government. This is estimated at Rs.58271 crores in 1991-92 (Budget Estimates) and forms 49.2 per cent of the total expenditure budgeted for that year.

I. आर्थिक वर्गीकरण

इस खण्ड के अन्त में 1991-92 के केन्द्रीय सरकार के बजट के पुनः वर्गीकृत आंकड़ों के छः विवरण दिये गये हैं । इस लेखा प्रणाली से जिन महत्वपूर्ण बातों का पता पलता है वे ये हैं:-

(क) केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय ,
(ख) केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिव्यय ,
(ग) केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध संसाधनों से *मिली* पूंजी ,
(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी बचतें ,
(ङ) केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी लेन-देनो में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर , और
(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा आय का निर्माण ।

I. ECONOMIC CLASSIFICATION

A set of six accounts containing the relcassified data from the Central Government Budget for 1991-92 is placed at the end of this section. Some significant magnitudes emerging from this system of accounts are:

(a) The Central Government's total expenditure;
(b) The Central Government's final outlays;
(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government;
(d) Net capital formation and savings of the Central Government;
(e) The various measures of deficit in the Central Government's budgetary transactions; and
(f) Income generation by the Central Government.

(क) कुल व्यय

2. अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय जो 1990-91 (संशोधित अनुमान) में 107929 करोड़ रुपए था यह बढ़कर 1991-92 (बजट अनुमान) में 118501 करोड़ रुपए हो जाएगा अर्थात् यह 9.8 प्रतिशत की वृद्धि है । मुख्य व्ययों का आवंटन इस प्रकार है :

(a) Total Expenditure

2. The total expenditure of the Central Government is estimated to increase from Rs. 107929 crores in 1990-91 (Revised Estimates) to Rs.118501 crores in 1991-92 (Budget Estimates), which is an increase of 9.8 per cent. The allocation of major types of expenditure is as follows:

केन्द्रीय सरकार का कुल व्यय *Central Government's Total Expenditure*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. अन्तिम परिव्यय	1. Final outlays:	28920	31785	34405
(क) सरकार का खपत संबंधी व्यय देखिए-विवरण 1)	(a) Government consumption expenditure (vide Acct.1)	20784	23102	24655
(ख) सकल पूंजी निर्माण (देखिए-विवरण 3)	(b) Gross capital formation (vide Acct. 3)	8136	8683	9750
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross fixed capital formation	7800	8485	9374
(ii) निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	(ii) Increase in works stores	336	198	376
2. शेष अर्थ-व्यवस्था के लिए अन्तरण संबंधी अदायगियां	2. Transfer payments to the rest of the economy	44712	53185	59351
(क) चालू अन्तरण (देखिए-विवरण 1)	(a) Current transfers (vide Acct.1)	37877	46177	51207
(ख) पूंजी अन्तरण (देखिए-विवरण 3)	(b) Capital transfers (vide Acct.3)	6835	7008	8144
3. शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और उसके लिए दिए जाने वाले ऋण (देखिए-विवरण 4)	3. Financial investments and loans to the rest of the economy (vide Acct. 4)	21417	22959	24745
4. कुल व्यय (1+2+3)	4. **Total Expenditure (1+2+3)**	**95049**	**107929**	**118501**

(ख) अन्तिम परिव्यय

3. वर्ष 1991-92 के बजट में कुल 118501 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, इसमें से केन्द्रीय सरकार का अन्तिम परिव्यय 34405 करोड़ रुपए या कुल परिव्यय का लगभग 29 प्रतिशत भाग है । यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को सूचित करता है । राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में ये अन्तिम परिव्यय शेष अर्थ-व्यवस्था के खपत संबंधी व्यय और पूंजी निर्माण की रकम से जुड़ जाता है । कुल व्यय के शेष भाग अर्थात् 84096 करोड़ रुपए अथवा लगभग 71 प्रतिशत भाग में अन्तरण अदायगियां वित्तीय निवेशों और ऋणों के रूप में शेष-व्यवस्था को किया गया भुगतान शामिल है । इसका उद्देश्य अन्य क्षेत्रों की चालू या पूंजीगत प्राप्तियों की अनुपूर्ति करना है।

खपत संबंधी व्यय

4. खपत संबंधी व्यय (अर्थात् मजदूरी और वेतन तथा चालू उपयोग के लिए सामान और सेवाओं के संबंध में होने वाले व्यय) के लिए 1991-92 के बजट में 24655 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है वह अन्तिम परिव्यय का 72 प्रतिशत और कुल व्यय का 21 प्रतिशत बैठती है । 1991-92 में खपत संबंधी व्यय में होने वाली वृद्धि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के मुकाबले में 6.7 प्रतिशत बैठती है । इसकी तुलना में 1989-90 (वास्तविक) के मुकबले में 1990-91 (संशोधित अनुमान) में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(b) Final Outlays

3. Of the total expenditure of Rs. 118501 crores budgeted for 1991-92, Rs.34405 crores or about 29 per cent constitute final outlays of the Central Government representing its direct demand for goods and services for consumption and capital formation. In a system of national accounts, these final outlays get linked up with the consumption expenditure and capital formation in other sectors of the economy. The rest of the total expenditure amounting to Rs. 84096 crores or about 71 per cent constitute disbursements by way of transfer payments, financial investment and loans to the rest of the economy, and are intended to supplement current and capital receipts of other sectors.

Consumption Expenditure

4. Consumption expenditure (i.e. expenditure on wages and salaries and commodities and services for current use) budgeted at Rs.24655 crores for 1991-92 forms 72 per cent of the final outlays and 21 per cent of the total expenditure. The growth in consumption expenditure works out to 6.7 per cent for 1991-92 over revised estimates for the previous year. This compared with an increase of 11.2 per cent in 1990-91 (Revised Estimates) over 1989-90 (accounts).

सकल पूंजी निर्माण

5. केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष सकल पूंजी निर्माण (अर्थात् इमारतों, लोक निर्माण कार्यों, उपस्करों और अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में निवेश) के बारे में अनुमान है कि यह 1990-91 के 8485 करोड़ रुपए से बढ़कर 1991-92 में 9374 करोड़ रुपए हो जाएगा । सकल पूंजी निर्माण में कार्य संबंधी भंडारों के परिवर्तन शामिल है, जिसमें 1990-91 (संशोधित अनुमान) के मुकाबले में 1991-92 (बजट अनुमान) में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित होती है ।

Gross Capital Formation

5. The Central Government's direct gross fixed capital formation (i.e. investment in buildings, public works, equipment and other fixed assets) is estimated to rise from Rs. 8485 crores in 1990-91 to Rs.9374 crores in 1991-92. The gross capital formation, which includes changes in works stores, shows an increase of 12.3 per cent in 1991-92(Budget Estimates) over 1990-91 (Revised Estimates).

(ग) केन्द्रीय सरकार के बजट में उपलब्ध साधनों से पूंजी निर्माण

(c) Capital formation out of the budgetary resources of the Central Government

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

6. केन्द्रीय सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था को ऐसे पूंजी निर्माण के अतिरिक्त, जो स्वयं किया जाता है, अनुदानों व ऋणों के माध्यम से और शेयरों में धन लगा कर पूंजी निर्माण करने में सहायता देती है । इस निमित्त 1991-92के बजट में 27664 करोड़ रुपए की सहायता का अनुमान लगाया गया है जिसमें 1990-91 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 2.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है ।

Financial Assistance for Capital Formation

6. In addition to the capital formation directly undertaken, the Central Government also provides assistance to the rest of the economy for capital formation through grants, loans and investment in share capital. The budgeted assistance of Rs. 27664 crores for 1991-92 is estimated to increase by 2.3 per cent over the revised estimate of 1990-91.

पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता *Financial Assistance for Capital Formation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (देखिए विवरण 3, मदसंख्या 3.1क और विवरण 4, मद संख्या 2.1)	1. States and Union Territories (vide items 3.1 (a) in Acct. 3 and 2.1 in Acct. 4)	13935	18640	20365
2. गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1(ख) और विवरण 4, मद संख्या1.1 तथा 2.3)*	2. Non-departmental commercial undertakings (vide items3.1(b) in Acct.3 and 1.1 and 2.3 in Acct.4)*	7054	6463	5155
3. स्थानीय प्राधिकरण (देखिए विवरण 3, मद संख्या 3.1(ग) और विवरण 4, मद संख्या 2.2)	3. Local authorities (vide items 3.1(c) in Acct.3 and 2.2 in Acct.4)	2686	661	817
4. अन्य (देखिए विवरण 3 मद संख्या 3.1(घ) औरविवरण 4, मद संख्या 1.2 और 2.4)	4. Others (vide items 3.1(d) in Acct. 3 and 1.2 and 2.4 in Acct. 4)	1201	1280	1327
5. पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (1+2+3+4)	5. Financial assistance for capital formation (1+2+3+4)	24876	27044	27664

* *यह वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया गया पूंजी निर्माण है, चूंकि गैर-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को शेष अर्थ-व्यवस्था से सम्बद्ध मान लिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के अन्तर्गत आने वाले परिव्यय को, शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मान लिया गया है।*

* *This is essentially capital formation by the Central Government but since non-departmental commercial undertakings are treated as belonging to the rest of the economy, the outlay under this head is taken as financial assistance for capital formation in the rest of the economy.*

पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था

7. इस प्रकार केन्द्रीय सरकार, 1991-92 में सकल पूंजी निर्माण के लिए बजट में उपलब्ध ससाधनों से 37414 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करेगी । यह रकम केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का 31.6 प्रतिशत बैठती है। सकल पूंजी निर्माण के लिए 1991-92में जो कुल व्यवस्था की गई है, उससे 1990-91 के संशोधित अनुमान की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है ।

Total provision for capital formation

7. Thus, in the aggregate, the Central Government would provide Rs. 37414 crores for gross capital formation out of its budgetary resources during 1991-92 representing 31.6 per cent of its total expenditure. The aggregate provision for gross capital formation for 1991-92 shows an increase of 4.7 per cent over the revised estimates for 1990-91.

बजट संबंधी साधनों से सकल पूंजी निर्माण
Gross Capital Formation out of the Budgetary Resources

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा सकल पूंजी निर्माण	1. Gross capital formation by the Central Government	8136	8683	9750
2. शेष अर्थ-व्यवस्था में सकल पूंजी निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	2. Financial assistance for capital formation to the rest of the economy	24876	27044	27664
3. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी साधनों द्वारा सकल पूंजी निर्माण (1+2)	3. Gross capital formation out of the budgetary resources of the Central Government (1+2)	**33012**	**35727**	**37414**

(घ) सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतें

(d) Net Capital Formation and Net Savings by the Government

निवल पूंजी निर्माण

8. सरकार द्वारा किये जाने वाले निवल पूंजी निर्माण और उसकी निवल बचतों में अन्तर से सरकार के बजट संबंधी कार्य के विस्तारकारी प्रभाव का पता चलता है । केन्द्रीय सरकार द्वारा 1991-92 में 7342 करोड़ रुपए के निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों और तालिकागत सामान के स्टाक में होने वाली वृद्धि) का जो अनुमान लगाया गया है वह सकल स्थिर पूंजी-निर्माण की रकम में से विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा नवीकरण और प्रतिस्थापन पर किये जाने वाले व्यय की रकम को घटाने के बाद लगाया गया है । कुल निवल पूंजी निर्माण का ब्यौरा इस प्रकार है :—

Net Capital Formation

8. The expansionary impact of the Government's budgetary operations is indicated by the difference between its net capital formation and net savings. The net capital formation by the Central Government (i.e. net addition to the stock of fixed assets and works stores) estimated at Rs. 7342 crores for 1991-92 has been arrived at by deducting from gross fixed capital formation, the provision for expenditure on renewals and replacements by the departmental commercial undertakings. The components of total net capital formation are as follows:-

केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण Central Government's Net Capital Formation

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. निर्माण कार्य (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.1 (क)	1. Construction works (vide item 1.1(a) in Acct. 3)	3913	4400	4630
2. मशीनें और उपकरण (देखिए-विवरण 3 मद संख्या 1.2 (क)	2. Machinery and equipment (vide item 1.2(a) in Acct. 3)	2014	1813	2336
3. निर्माण कार्य संबंधी सामान में वृद्धि (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 2)	3. Increase in works stores (vide item 2 in Acct. 3)	336	198	376
4. केन्द्रीय सरकार द्वारा निवल पूंजी निर्माण (1+2+3)	4. Net Capital formation by the Central Government (1+2+3)	**6263**	**6411**	**7342**

टिप्पणी: *निवल पूंजी निर्माण की रकम का अनुमान लगाते समय इसमें से प्रशासनिक इमारतों आदि के संबंध में नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर किया गया खर्च घटाया नहीं गया है जिसके लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है ।*

Note: *The net capital formation arrived at is without deducting expenditure on renewals and replacements in respect of administrative buildings for which no estimates are available.*

निवल बचतें

9. चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार और इसके विभागीय उपक्रमों की निवल बचतों में चालू वर्ष में सुधार हुआ है । 1989-90 की 3269 करोड़ रुपए की नकारात्मक बचतों और 1990-91 के संशोधित अनुमानों में 7821 करोड़ रुपए की नकारात्मक बचतों के मुकाबले में 1991-92 (बजट अनुमानों) में यह सुधर कर 3658 करोड़ रुपए पर नकारात्मक रह गई है ।

Net Savings

9. The net savings of the Central Government and its departmental undertakings have shown an improvement in the current year. As against a negative saving of Rs.3269 crores in 1989-90, and Rs.7821 crores in the revised estimates for 1990-91, it improved to a negative figure of Rs.3658 crores in 1991-92 (Budget Estimates).

केन्द्रीय सरकार की निवल बचतें *Central Government's Net Savings*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन की बचतें (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.1)	1. Savings of Government Administration (vide item 5.1 in Acct. 3)	(-)8237	(-)14093	(-)10380
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल लाभ (i)+(ii)	2. Net profits of departmental commercial undertakings (i)+(ii)	897	1488	1960
(i) सरकारी प्रशासन को अन्तरित	(i) Transferred to Government Administration	(-)152	(-)144	193
(ii) प्रतिधारित	(ii) Retained	1049	1632	1767
3. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मूल्यह्रास की रकम (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 5.3)	3. Depreciation provision of departmental commercial undertakings(vide item 5.3 in Acct.3)	2046	2369	2548
4. सरकार की सकल बचत (1+2 (ii)+3)	4. Gross savings by Government (1+2(ii)+3)	(-)5142	(-)10092	(-)6065
5. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिए-विवरण 3, मद संख्या 1.1 (ख) और 1.2 (ख)	5. Expenditure on renewals and replacement of departmental commercial undertakings (vide item 1.1(b) and 1.2(b) in Acct. 3)	1873	2271	2407
6. सरकार की निवल बचत (4-5)	6. Net savings by the Government (4-5)	(-)3269	(-)7821	(-)3658

(ङ) आय संबंधी घाटा

10. केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों की अपेक्षा उसका सीधा निवल पूंजी निर्माण जितना अधिक हो, वह केन्द्रीय सरकार की आय में होने वाले घाटे का द्योतक होता है । आय संबंधी घाटे की रकम जो 1989-90 में 9532 करोड़ रुपए थी वह बढ़कर 1990-91 में 14232 करोड़ रुपए हो गई और 1991-92 में और बढ़कर 11000 करोड़ रुपए हो गई ।

(e) Income Deficit

10. The excess of direct net capital formation over the net savings measures the income deficit of the Central Government. The income deficit which was Rs.9532 crores in 1989-90 went up to Rs.14232 crores in 1990-91 but declined to Rs.11000 crores in 1991-92.

आय संबंधी घाटा *Income Deficit*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. निवल पूंजी निर्माण (अर्थात् केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया निवल निवेश)	1. Net capital formation (i.e. net investment by the Central Government)	6263	6411	7342
2. केन्द्रीय सरकार की निवल बचत	2. Net savings by the Central Government	(-)3269	(-)7821	(-)3658
3. केन्द्रीय सरकार का आय संबंधी घाटा (1-2)	3. Income deficit of the Central Government (1-2)	**9532**	**14232**	**11000**

11. पूंजी अन्तरणों का समायोजन कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार की निवल बचतों और निवल निवेशो के अन्तर को, जो आय संबंधी घाटे का द्योतक है, जब शेयरो तथा ऋणों में किये गये निवेशों जैसे वित्तीय परिसम्पत्तियों में सरकार के निवल लेन-देनों से हुए घाटे में जोड़ दिया जाता है तब वह सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताओं का द्योतक हो जाता है और उसे विवरण 3 और 4 की सन्तुलनकारी मदों की रकम के रूप में दिखाया गया है ।

11. The income deficit, which measures the gap between the Central Government's net savings and net investments when added, after adjusting for net capital transfers, to the deficit arising out of the Government's net transactions in financial assets such as investment in shares and loans, represents the Government's total requirements of finance and is given by the sum of the balancing item in Accounts 3 and 4.

केन्द्रीय सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकताएं *Central Government's Total Requirements of Finance*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देनों और अन्तरणों पर घाटा (देखिए-विवरण 3 की संतुलनकारी मद)	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers (vide balancing item in Acct. 3)	19359	24960	23090
2. वित्तीय परिसम्पत्ति में वास्तविक वृद्धि (देखिए- विवरण 4 की संतुलनकारी मद)	2. Net increase in financial assets (vide balancing item in Acct. 4)	16820	18739	20243
3. कुल वित्तीय आवश्यकताएं (1+2)	3. Total requirements of finance (1+2)	**36179**	**43699**	**43333**

12. नीचे दी गई सारणी में ऊपर दिखाई गई कुल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के स्रोत दिखाए गए है ।

12. The following table sets out the sources through which the total financing requirements in the above table have been met:

वित्तपोषण के स्रोत *Sources of Financing*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. ऋणों की निवल रकम	1. Net borrowings	25243	32927	35614
1.1 बाजार ऋण (निवल)	1.1 Market loans (net)	7404	8000	7500
1.2 विदेशों से लिए गए ऋण (निवल)	1.2 External Debt (net)	2595	3984	3510
(क) पी.एल.480: भारत-अमेरिका करार, 1974 के अन्तर्गत खाते	(a) P.L. 480 Accounts under Indo-U.S. Agreement, 1974	-	-	-
(ख) विशेष ऋण (निवल)	(b) Special credits (net)	(-)33	(-)76	(-)153
(ग) परिक्रामी निधि	(c) Revolving Fund	250	572	371
(घ) अन्य	(d) Others	2378	3488	3292
1.3 छोटी बचत (निवल)	1.3 Small savings (net)	7958	7280	7210
1.4 राज्य/लोक भविष्य निधियां (निवल)	1.4 State/Public Provident Funds (net)	1732	1900	2060
1.5 गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमा रकमें	1.5 Special deposits of non-government Provident Funds	7000	7000	7000
1.6 अनिवार्य जमा के बदले भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष उधार	1.6 Special borrowings from the RBI against compulsory deposits	(-)106	(-)105	(-)55
1.7 विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	1.7 Miscellaneous capital receipts (net)	(-)1170	4542	4910
1.8 विशेष प्रतिभूतियां (निवल)	1.8 Special securities (net)	174	326	3479
1.9 शेष अर्थ-व्यवस्था को राजकोषीय हुण्डियों की बिक्री (निवल) *	1.9 Sales of treasury bills to the rest of the economy (net)*	(-)344	-	-
2. बजट संबंधी घाटा	2. Budgetary deficit	10936	10772	7719#
2.1 रिजर्व बैंक के पास राजकोषीय हुण्डियों में वास्तविक वृद्धि	2.1 Net increase in the RBI's holdings of Treasury Bills	~~10911~~ 11255	9358	7719
2.2 रोकड़ बाकी से आहरण	2.2 Withdrawal from cash balances	(-)319	1414	-Neg-
3. जोड़ (1+2)	3. **Total (1+2)**	**36179**	**43699**	**43333**

* यह राज्य सरकारों, बैंकों, अनुमोदित पार्टियों और जनता के हाथ बेची गई राजकोषीय हुंडियों में हुई निवल वृद्धि की दयोतक है । जैसी कि बजट में धारणा की गई थी, 1989-90 में प्राकलित 10592 करोड़ रुपए के बजटीय घाटे का इसमें समायोजन किया गया है ।

\# इसमें बजट के बाद की गई रियायतें शामिल नहीं की गई हैं ।

* Denotes net change in the treasury bill holdings of State Governments, banks, approved parties and the public. Adjusting for this, the budgetary deficit works out to Rs.10592 crores in 1989-90 as per the concept used in the Budget.

\# Does not take into account the concessions after the presentation of the Budget.

(च) आय का निर्माण

13. केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यों से 1991-92 में कुल 24510 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है जिसकी तुलना में यह आमदनी 1990-91 में 22104 करोड़ रुपए तथा 1989-90 में 19618 करोड़ रुपए थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कुल आमदनी का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(f) Income Generation

13. The budgetary operations of the Central Government during 1991-92 are expected to generate a total income of Rs.24510 crores compared to Rs. 22104 crores in 1990-91 and Rs.19618 crores in 1989-90. The details of the total income generation by the Central Government are as follows:-

आय का निर्माण *Income Generation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन (देखिए-विवरण 1 मद संख्या 1.1)	1. Wages and salaries paid by Government Administration(vide item 1.1 in Acct. 1)	9082	10067	10832
2. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का निवल उत्पादन	2. Net output of departmental commercial undertakings			
(क) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और रख-रखाव संबंधी मजदूरी और वेतन के भाग सहित)	(a) Wages and salaries(including wages and salaries component of repairs and maintenance operations)	6512	7078	7873
(ख) ब्याज	(b) Interest	1245	1451	1636
(ग) लाभ, प्रशासन को अन्तरित और प्रतिधारित लाभ जिसमें नवीकरण और प्रतिस्थापन के मुकाबले मूल्यह्रास की व्यवस्था का आधिक्य शामिल है	(c) Profits transferred to administration and retained plus excess of depreciation provision over renewals and replacements	1071	1585	2101
3. निर्माण कार्य पर होने वाले सरकारी परिव्यय का मजदूरी और वेतन संबंधी भाग•	3. Wages and salaries component of Government outlays on construction*	1708	1923	2068
4. जोड़ (1+2+3)	4. **Total (1+2+3)**	**19618**	**22104**	**24510**

• *विवरण 3 में, दिखाए गए निर्माण संबंधी कुल व्यय का एक तिहाई भाग ।*

* *One-third of the total expenditure on construction shown in Account 3.*

समाधान

14. निम्नलिखित विवरण में 1991-92 के बजट में दिए गए चालू राजस्व और चालू तथा पूंजीगत व्यय के आंकड़ों और वर्तमान वर्गीकरण के विवरण संख्या 1 और 3 में दिए आंकड़ों का पारस्परिक समाधान दिखाया गया है ।

Reconciliation

14. The following statement provides a reconciliation between the magnitudes of current revenues and current and capital expenditures as given in the Budget for 1991-92 and the magnitudes mentioned in Accounts 1 and 3 of the present Classification.

चालू राजस्व खाता *CURRENT ACCOUNT REVENUE*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
I. राजस्व जैसा कि बजट में दिखाया गया है	*I.* Revenue as shown in the Budget	78223.5	86916.9	100249.3
II. घटाइए:-	*II.* Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज संबंधी प्राप्तियां	1. Interest receipts from departmental commercial undertakings	1245.1	1451.3	1635.8
2. पूंजी खाते में अन्तरित विदेशी अनुदानों की रकमें	2. Foreign grants transferred to capital	754.2	822.1	868.1
3. स्वतः सन्तुलनकारी मदें	3. Self-balancing items	5.1	4.2	3.2
4. संघीय उत्पाद शुल्क में राज्यों का हिस्सा	4. States' share of Union excise duty	9310.1	10414.4	11175.5
5. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों की रकम	5. Taxes transferred to Local Authorities	55.4	63.3	79.4
6. विवरण 2 में अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां	6. Receipts of departmental commercial undertakings transferred to Acct. 2:			
(क) रेलवे	(a) Railways	11041.3	12382.3	13702.7
(ख) डाक	(b) Posts	702.6	900.0	960.0
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	2841.1	3570.0	3965.0
(घ) अन्य	(d) Others	1330.4	1538.2	2110.8
7. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटा कर)	7. Defence receipts (netted against defence expenditure)	361.9	437.2	456.7
8. चलन से वापस लिए गए सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	8. Loss on destruction of withdrawn coins	1.3	3.5	2.5
जोड़ - II.	**Total - II**	**27648.5**	**31586.5**	**34959.7**
III. जोड़िए:	*III.* Add:			
विवरण 2 से अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ	Profits of departmental commercial undertakings transferred from Acct. 2	(-)151.9	(-)144.2	192.6
जोड़ - III	**Total - III**	**(-)151.9**	**(-)144.2**	**192.6**
IV. सरकारी प्रशासन का चालू राजस्व जैसा कि बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया है (I-II+III)	*IV.* Current revenue of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	**50423.1**	**55186.2**	**65482.2**

चालू व्यय खाता *Current Account Expenditure*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
I बजट में दिखाया गया राजस्व संबंधी व्यय	I. Revenue expenditure as shown in the Budget	90135.8	104501.6	114103.2
II. घटाइए:	II. Deduct:			
1. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को अन्तरित ब्याज	1. Interest transferred to departmental commercial undertakings	1245.1	1451.3	1635.8
2. संघीय उत्पाद शुल्क के हिस्से की राज्य सरकारों को अदायगी	2. Payment of States' share of Union excise duty	9310.1	10414.4	11175.5
3. स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित कर की रकम	3. Taxes transferred to Local Authorities	55.4	63.3	79.4
4. राजस्व खाते का पूंजी जैसा व्यय	4. Expenditure of capital nature in the Revenue Account	7284.8	7412.2	8765.0
5. निधियों में निवल अन्तरण	5. Net transfer to funds	849.8	518.4	537.4
6. बजट में सम्मिलित विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू व्यय	6. Current expenditure of departmental commercial undertakings included in the Budget:			
(क) रेलवे	(a) Railways	11041.3	12382.3	13702.7
(ख) डाक	(b) Posts	965.6	1059.4	1215.1
(ग) दूर संचार	(c) Telecommunications	2841.1	3570.0	3965.0
(घ) अन्य	(d) Others	1482.2	1682.4	1918.2
7. चलन से वापस लिये गये सिक्कों को नष्ट करने से हुई हानि	7. Loss on destruction of withdrawn coins	1.3	2.5	3.5
8. बट्टे खाते डाले गये ऋण	8. Loans written off	259.2	969.2	1.7
9. स्वतः सन्तुलनकारी मदें	9. Self-balancing items	5.1	4.2	3.2
10. रक्षा प्राप्तियां (रक्षा व्यय से घटाकर)	10. Defence receipts (netted against defence expenditure)	361.9	437.2	456.7
11. विवरण 2 में अन्तरित अतिरिक्त महंगाई भत्ते के लिए विभागीय वाणिजियक उपक्रमों के हिस्से की एक मुश्त व्यवस्था	11. Share of departmental commercial undertakings in the lump sum provision for additional dearness allowance transferred to Account 2	-	-	-
जोड़ - II	**Total - II**	**35702.9**	**39966.8**	**43459.2**
III जोड़िए :	III. Add:			
1. रक्षा पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay	4221.8	4737.6	5211.2
2. पूंजी खाते का राजस्व जैसा व्यय	2. Expenditure of revenue nature in the capital account	6.0	6.5	6.7
जोड़ - III	**Total - III**	**4227.8**	**4744.1**	**5217.9**
IV. बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण I में दिखाया गया सरकारी प्रशासन का चालू व्यय (I-II+III)	IV. Current expenditure of Government Administration as shown in Account I of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	**58660.7**	**69278.9**	**75861.9**

पूंजी खाते का व्यय Capital Account Expenditure

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
I. राजस्व खाते से न चुकाया जाने वाला पूंजी व्यय जैसा बजट में दिखाया गया है	*I.* Capital expenditure outside the revenue account as shown in the Budget	13399.8	13871.8	16946.7
II. घटाइए:-	*II.* Deduct:			
1. विवरण 1 में ले जाया गया रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय	1. Defence capital outlay taken to Account I	4221.8	4737.6	5211.2
2. विवरण 4 में ले जाया गया शेयरों में किया गया वित्तीय निवेश	2. Financial investment in shares taken to Account 4	3736.5	4015.2	3222.6
3. विवरण 4 में ले जाया गया अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों का अंशदान	3. Subscription to International Financial Organisations taken to Account 4	916.0	680.7	3514.9
4. विवरण 4 में ले जाई गई सोने और चांदी की निवल खरीद	4. Net purchase of gold and silver taken to Account 4	3.5	5.2	2.5
5. विवरण 1 और 2 में ले जाई गई राजस्व जैसी मदें	5. Items of revenue nature taken to Accounts 1 and 2	6.0	6.5	6.7
6. ऋणों का इक्विटी पूंजी में परिवर्तन	6. Conversion of loan into equity capital	-	-	-
7. विशेष प्रतिभूतियों के समान राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश	7. Investment in nationalised banks matched by special securities	788.4	700.0	700.0
जोड़ - II	**Total - II**	**9672.2**	**10145.2**	**12657.9**
III. जोड़िए:-	*III.* Add:			
1. रेलवे और डाक-तार की अपनी निधियों से वित्तपोषित पूंजीगत व्यय	1. Capital expenditure financed out of Railways', Posts' and Telecommunications' own funds	3714.0	4297.6	4547.9
2. अन्य निधियों से वित्तपोषित पूंजी व्यय	2. Capital expenditure financed out of other funds	245.0	253.8	291.9
3. राजस्व खाते से लाया गया पूंजी व्यय	3. Capital expenditure brought over from revenue account	7284.8	7412.2	8765.0
4. विवरण 3 में प्राप्तियों के रूप में ले जाई गई वसूलियां	4. Recoveries taken to Account 3 as receipts	0.4	0.4	0.4
जोड़ - III	**Total - III**	**11244.2**	**11964.0**	**13605.2**
IV. बजट के आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 3 में दिया गया पूंजीगत व्यय (I-II+III)	*IV.* Capital expenditure as shown in Account 3 of the Economic Classification of the Budget (I-II+III)	14971.8	15690.6	17894.0

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 1 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन का चालू खाता
Account 1 : Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Government Administration

(करोड़ रुपए) *(Rs. crores)*

व्यय	Expenditure	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget	राजस्व	Revenue	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. उपभोग संबंधी व्यय	**1. Consumption expenditure**	**20783.7**	**23101.7**	**24654.7**	**6. करों से प्राप्तियां**	**6. Tax Receipts**	**38348.7**	**44317.8**	**52500.1**
1.1 मजदूरी और वेतन	1.1 Wages and Salaries	9082.0	10066.5	10831.9	6.1 आय और सम्पत्ति पर कर	6.1 Taxes on income and wealth	6081.2	8060.3	9327.7
1.2 वस्तुएं और सेवाएं	1.2 Commodities and Services	11701.7	13035.2	13822.8	6.2 वस्तुओं और लेन-देनों पर कर	6.2 Taxes on commodities and transactions	32267.5	36257.5	43172.4
2. अन्तरण अदायगियां	**2. Transfer Payments**	**37877.0**	**46177.2**	**51207.2**	**7. सम्पत्ति और उद्यमों से आय**	**7. Income from Property and enterprises**	**8212.1**	**9324.8**	**11111.6**
2.1 ब्याज	2.1 Interest	16525.3	20315.9	25834.5	7.1 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा अन्तरित लाभ	7.1 Profits transferred by departmental commercial undertakings	(-) 151.9	(-) 144.2	192.6
2.2 अनुदान	2.2 Grants:	8643.4	11825.0	13103.5	7.2 गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा दिया गया लाभांश	7.2 Dividends paid by non-departmental commercial undertakings	504.6	569.6	757.0
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	5628.1	7889.8	8769.2					
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	97.0	107.2	114.2					
(ग) अन्य को	(c) To others	2918.3	3828.0	4220.1					
2.3 अन्य चालू अन्तरण	2.3 Other current transfers:	12708.3	14036.3	12269.2	7.3 रिजर्व बैंक का लाभ	7.3 Profits of the Reserve Bank	210.1	210.0	210.1
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	10861.6	10721.8	8789.3	7.4 ब्याज की प्राप्तियां	7.4 Interest Receipts:			
(ख) पेंशनें	(b) Pensions	1598.7	1532.5	1657.4	(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से	(a) From States and Union Territories	4424.2	5597.9	6813.7
(ग) ऋण राहत	(c) Debt Relief	-	1500.0	1500.0	(ख) अन्य से	(b) From others	2796.6	2528.9	2564.8
(घ) अन्य	(d) Others	248.0	282.0	322.5	7.5 अन्य	7.5 Others	428.5	562.6	573.4
3. कुल व्यय (1+2)	**3. Total Expenditure (1+2)**	**58660.7**	**69278.9**	**75861.9**					
4. चालू खाते की बचत	**4. Saving on Current Account**	(-)8237.6	(-)14092.7	(-)10379.7	**8. फीस और विविध प्राप्तियां**	**8. Fees and Miscellaneous Receipts**	**3862.3**	**1543.6**	**1870.5**
5. जोड़	**5. Total**	**50423.1**	**55186.2**	**65482.2**	**9. जोड़**	**9. Total**	**50423.1**	**55186.2**	**65482.2**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 2 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का चालू खाता
Account 2 : Transactions in commodities and services and transfers: Current Account of Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (*Rs. crores*)

व्यय	Expenditure	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. मजदूरी और वेतन	1. Wages and Salaries	4705.3	5139.8	5770.4
2. पेंशनों की अदायगियां	2. Pension Payments	1012.7	1132.3	1219.6
3. वस्तुएं और सेवाएं	3. Commodities and Services	4162.8	4961.9	5681.1
4. मरम्मत और अनुरक्षण	4. Repairs and Maintenance	3613.9	3876.1	4206.3
5. ब्याज	5. Interest	1245.1	1451.3	1635.8
6. मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	6. Provision for depreciation	2046.3	2369.1	2547.8
7. सरकार (प्रशासन) के चालू खातों को अन्तरित लाभ	7. Profits transferred to the current account of Government (Administration)	(-) 151.9	(-) 144.2	192.6
8. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	8. Retained profits of Departmental commercial undertakings	1049.1	1631.5	1767.4
9. जोड़	9. Total	17683.3	20417.8	23021.0

प्राप्तियां	Receipts	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
10. बिक्री से सकल आमदनी	10. Gross Sale Proceeds	**17640.6**	**20376.7**	**22957.8**
(क) रेलवे	(a) Railways	11041.3	12382.3	13702.7
(ख) रेल वर्कशाप और उत्पादन एककों के निर्माण संबंधी क्रियाकलाप	(b) Manufacturing Activity of Railways workshops and production units	1725.2	1986.2	2219.3
(ग) डाक	(c) Posts	702.6	900.0	960.0
(घ) दूर संचार	(d) Telecommunications	2841.1	3570.0	3965.0
(ङ) अन्य	(e) Others	1330.4	1538.2	2110.8
11. ब्याज संबंधी प्राप्तियां	11. Interest Receipts	**42.7**	**41.1**	**63.2**
12. जोड़	12. Total	**17683.3**	**20417.8**	**23021.0**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 3 : वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता
Account 3 : Transactions in commodities and services and transfers: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (*Rs. crores*)

वितरण	Disbursements	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	**1. Gross Fixed Capital Formation**	**7799.9**	**8484.7**	**9373.5**
1.1 भवन और अन्य निर्माण	1.1 Buildings and other construction	5124.9	5769.8	6205.1
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	3913.4	4400.1	4630.3
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	1211.5	1369.7	1574.8
1.2 मशीनरी और उपस्कर	1.2 Machinery and equipment	2675.0	2714.9	3168.4
(क) नया परिव्यय	(a) New outlay	2013.8	1813.2	2336.0
(ख) नवीकरण और प्रतिस्थापन	(b) Renewals and replacements	661.2	901.7	832.4
2. निर्माण कार्य भंडार में वृद्धि	**2. Increase in works stores**	**336.7**	**198.2**	**376.4**
3. पूंजी अन्तरण	**3. Capital transfers**	**6835.2**	**7007.7**	**8144.1**
3.1 पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	3.1 Grants for capital formation:	5980.1	6145.1	7320.0
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	3085.1	5282.9	6458.5
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To non-departmental commercial undertakings	7.8	5.3	6.6
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To local authorities	2248.1	193.7	219.2
(घ) अन्य को	(d) To others	639.1	663.2	635.7
3.2 उपदान और पेंशनों का राशिकृत मूल्य	3.2 Gratuities and commuted value of pensions	720.5	632.1	638.7
3.3 अन्य पूंजी अन्तरण	3.3 Other capital transfers	134.6	230.5	185.4
4. जोड़	**4. Total**	**14971.8**	**15690.6**	**17894.0**

प्राप्तियां	Receipts	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
5. सकल बचत	**5. Gross Savings**	**(-)5142.2**	**(-)10092.1**	**(-)6064.5**
5.1 चालू खाते में बचत (प्रशासन)	5.1 Savings on current account (Administration)	(-)8237.6	(-)14092.7	(-)10379.7
5.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रतिधारित लाभ	5.2 Retained profits of departmental commercial undertakings	1049.1	1631.5	1767.4
5.3 मूल्यह्रास के लिए व्यवस्था	5.3 Depreciation provision	2046.3	2369.1	2547.8
6. पूंजी अन्तरण	**6. Capital Transfers**	**754.6**	**822.5**	**868.5**
6.1 विदेशी अनुदान	6.1 Foreign grants	754.2	822.1	868.1
6.2 अन्य पूंजीगत प्राप्तियां	6.2 Other capital receipts	0.4	0.4	0.4
7. शेष: वस्तुओं और सेवाओं संबंधी सभी प्रकार के लेन-देन पर घाटा और अन्तरण	**7. Balance: Deficit on all transactions in commodities and services and transfers**	19359.4	24960.2	23090.0
8. जोड़	**8. Total**	**14971.8**	**15690.6**	**17894.0**

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 4 : वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता
Account 4: Changes in Financial Assets: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Underkings

(करोड़ रुपए) (*Rs. crores*)

व्यय	Outgoings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. शेयरों में लगाई गई पूंजी	**1. Investments in shares**	3736.5	4015.2	3222.6
1.1 सरकारी उद्यम	1.1 Of Government concerns	3624.1	3856.3	3047.2
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	518.0	427.8	365.0
(ख) अन्य	(b) Others	3106.1	3428.5	2682.2
1.2 अन्य उद्यम	1.2 Of other concerns	112.4	158.9	175.4
2. पूंजी निर्माण के लिए ऋण	**2. Loans for capital formation**	**15159.5**	**16883.9**	**17121.0**
2.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को	2.1 To States and Union Territories	10849.9	13356.8	13906.6
2.2 स्थानीय प्राधिकरणों को	2.2 To local authorities	438.2	467.5	597.4
2.3 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	2.3 To non-departmental commercial undertakings	3422.0	2601.8	2100.7
(क) वित्तीय उद्यम	(a) Financial concerns	680.9	934.3	824.5
(ख) अन्य	(b) Others	2741.1	1667.5	1276.2
2.4 अन्य को	2.4 To others	449.4	457.8	516.3
3. अन्य उधार	**3. Other loans**	**1601.4**	**1374.6**	**883.9**
3.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	3.1 To States and Union Territories	66.5	84.1	130.6
3.2 स्थानीय प्राधिकरणों को	3.2 To local authorities	22.3	8.0	10.0
3.3 गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	3.3 To non-departmental commercial undertakings	575.6	665.1	552.8
3.4 विदेशी सरकारों को	3.4 To foreign governments	723.6	477.2	64.0
3.5 अन्य को	3.5 To others	213.4	140.2	126.5
4. अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को अभिदान	**4. Subscription to International Financial Organisations**	**916.0**	**680.7**	**3514.9**
5. देशीय सोने चांदी की निवल खरीद	**5. Net purchase of domestic gold and silver**	**3.5**	**5.2**	**2.5**
6. जोड़	**6. Total**	21416.9	22959.6	24744.9

आय	Incomings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
7. उधारों की वापसी अदायगी	**7. Repayment of loans**	**4597.0**	**4220.6**	**4501.9**
7.1 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा	7.1 By States and Union Territories	2961.7	2850.0	3160.1
7.2 अन्य द्वारा	7.2 By others	1635.3	1370.6	1341.8
8. शेष: वित्तीय परिसम्पत्तियों में निवल वृद्धि	**8. Balance: Net increase in Financial Assets**	**16819.9**	**18739.0**	**20243.0**
9. जोड़	**9. Total**	**21416.9**	**22959.6**	**24744.9**

केन्द्रीय सरकार

CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 5 : वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता

Account 5 : Changes in Financial Liabilities: Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

व्यय	Outgoings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. बाजार ऋणों की वापसी अदायगी	1. Repayment of market loans	639.5	987.7	1418.2
2. विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी	2. Repayment of external debt	1847.8	2180.9	3252.3
3. शेष: वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि	3. Balance: Net increase in Financial Liabilities	36498.6	42285.5	43332.8
4. जोड़	4. Total	38985.9	45454.1	48003.3

आय	Incomings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
5. बाजार ऋण	5. Market loans	8043.7	8988.0	8918.0
6. विदेशी ऋण	6. External debt	4443.2	6165.0	6762.0
6.1 पी.एल.480 भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका करार, 1974 *(निवल)* के अन्तर्गत खाते	6.1 PL 480: Account under Indo-US agreement, 1974 *(net)*	-	-	-
6.2 विशेष ऋण *(निवल)*	6.2 Special credits *(net)*	(-)32.7	(-)76.4	(-)152.8
6.3 परिक्रामी निधि	6.3 Revolving Fund	250.2	572.3	371.2
6.4 अन्य	6.4 Others	4225.7	5669.1	6543.6
7. अल्प बचतें *(निवल)*	7. Small Savings *(net)*	7958.2	7280.0	7210.0
8. राज्य भविष्य निधियां *(निवल)*	8. State Provident Funds *(net)*	1115.6	1200.0	1300.0
9. लोक भविष्य निधियां *(निवल)*	9. Public Provident Funds *(net)*	616.7	700.0	760.0
10. गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा रकमें *(निवल)*	10. Deposits of Non-Government Provident Funds *(net)*	6999.6	7000.0	7000.0
11. अनिवार्य बचतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष उधार *(निवल)*	11. Special borrowings from RBI against compulsory deposits *(net)*	(-)105.6	(-)105.0	(-)55.0
12. विशेष प्रतिभूतियां *(निवल)*	12. Special Securities *(net)*	173.6	326.0	3478.7
13. राजकोषीय हुण्डियां *(निवल)*	13. Treasury Bills *(net)*	10911.3	9358.0	7719.0
14. विविध पूंजी प्राप्तियां *(निवल)*	14. Miscellaneous Capital receipts *(net)*	(-)1170.4	4542.1	4910.6*
15. जोड़	15. Total	38985.9	45454.1	48003.3

* इसमें चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी को मिलाने के कारण 2500 करोड़ रुपए शामिल हैं। *Includes Rs. 2500 crores on account of dilution of equity of select Public Sector Undertakings.*

केन्द्रीय सरकार
CENTRAL GOVERNMENT

विवरण 6 : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता
Account 6 : Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings

(करोड़ रुपए) (*Rs. crores*)

व्यय	Outgoings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget	आय	Incomings	1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी लेन-देनों में घाटा और अन्तरण-संतुलनकारी मद विवरण-3	1. Deficit on all transactions in commodities and services and transfers - Balancing item Account-3	19359.4	24960.2	23090.0	5. वित्तीय देनदारियों में निवल वृद्धि-सन्तुलनकारी विवरण 5	5. Net increase in financial liabilities-Balancing item Account 5	36498.6	42285.5	43332.8
2. वित्तीय परिसम्पत्ति में निवल वृद्धि सन्तुलनकारी मद विवरण 4	2. Net increase in financial assets-Balancing item Account 4	16819.9	18739.0	20243.0	6. रोकड़ शेष में कमी	6. Decrease in cash balance	-	1413.7	0.2
3. रोकड़ शेष में वृद्धि	3. Increase in cash balance	319.3	-	-					
4. जोड़	4. **Total**	**36498.6**	**43699.2**	**43333.0**	7. जोड़	7. **Total**	**36498.6**	**43699.2**	**43333.0**

II आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण

II. ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION

15. वर्ष 1991-92 के बजट के आंकड़ों के आधार पर आर्थिक और कार्य संबंधी इन दोनों श्रेणियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के व्यय का सम्मिलित वर्गीकरण इस भाग के अन्त में तीन विवरणों में दिया गया है । नीचे के पैराग्राफों में इस प्रकार वर्गीकरण से निकलने वाले निष्कर्षों का संक्षिप्त व्यौरा दिया गया है ।

15. Based on the data in the budget for 1991-92 a cross classification of the Central Government expenditure by both economic and functional categories has been given in the three statements at the end of this section. The following paragraphs provide a brief summary of the findings of the functional classification.

कुल व्यय

16. वर्ष 1991-92 के लिए बजट में की गई कुल व्यय की व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था का अनुमान, जो मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के कुल विकास परिव्यय का द्योतक है, 58271 करोड़ रुपए का है अथवा यह कुल व्यय का 49.2 प्रतिशत है ।

17. सामान्य सेवाओं पर 1991-92 में 25869 करोड़ रुपए अर्थात् कुल व्यय के 21.8 प्रतिशत के खर्च का अनुमान है । इस पुस्तिका में अपनाई गई कार्य संबंधी वर्गीकरण की योजना के अंतर्गत "सामान्य सेवाओं" में रक्षा व्यय और असैनिक व्यय के अतिरिक्त ऐसी मदें शामिल हैं जैसे प्रशासनिक इमारतों पर पूंजी परिव्यय और दैवी विपत्तियों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले आयोजना-भिन्न अनुदान और ऋण ।

18. अनावंटनीय व्यय में ये मदें शामिल हैं, राज्यों को दिए जाने वाले साविधिक सहायक अनुदान, संघ राज्य क्षेत्रों को आयोजना-भिन्न अनुदान, खाद्य और अन्य उपभोक्ता-वस्तु संबंधी आर्थिक सहायता, सरकारी ऋण पर ब्याज, पेंशनें और दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता । इन अनावंटनीयमदों का अनुमानल जो 1991-92 के कुल व्यय का 30.3 प्रतिशत है, 34361 करोड़ रुपए लगाया गया है, जिसकी तुलना में 1990-91 के संशोधित अनुमान 29060 करोड़ रुपए के थे ।

Total Expenditure

16. Of the total expenditure budgeted for 1991-92 the provision for social and economic services which covers broadly the total developmental outlays of the Central Government is estimated at Rs.58271 crores or 49.2 per cent of the total expenditure.

17. The expenditure on general services is estimated at Rs. 25869 crores for 1991-92 i.e. 21.8 per cent of the total expenditure. Under the scheme of functional classification adopted in the brochure, "general services" include, besides defence and civil expenditure, such items as capital outlays on administrative buildings and non-plan grants and loans for natural calamities to States and Union Territories.

18. The unallocable items include statutory grants-in-aid to States, non-plan grants to Union Territories, food and other consumer subsidies, interest on public debt, pensions and aid to foreign countries. These unallocable expenditures, accounting for 30.3 per cent of the total expenditure in 1991-92 are estimated at Rs.34361 crores as compared to the revised estimate of Rs.29060 crores for 1990-91.

कुल व्यय *Total Expenditure*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crores)*

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सामाजिक और आर्थिक सेवाए	1. Social and Economic Services	52177	56744	58271
2. सामान्य सेवाएं	2. General Services	19812	22125	25869
(i) रक्षा	i) Defence	14298	15643	16227
(ii) रक्षा से भिन्न खपत व्यय	ii) Consumption expenditure other than defence	4016	4578	5074
(iii) खपत-भिन्न व्यय	iii) Non-consumption expenditure	1498	1904	4568
3. अनावंटनीय व्यय	3. Unallocable	23060	29060	34361
4. कुल व्यय (1+2+3)	**4. Total Expenditure (1+2+3)**	**95049**	**107929**	**118501**

खपत संबंधी व्यय

19. 1991-92 के बजट में खपत संबंधी व्यय के लिए जो व्यवस्था की गई है उसमें रक्षा सेवाओं के लिए 16227 करोड़ रुपए, अन्य सामान्य सेवाओं के लिए 5074 करोड़ रुपए और सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए 3354 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है । नीचे दी गई सारणी में 1991-92 के बजट में दिखाए गए खपत संबंधी व्यय, 1990-91 के संशोधित अनुमानों और 1989-90 के वास्तविक व्यय की रकमों का विश्लेषण किया गया है ।

Consumption Expenditure

19. The 1991-92 budget provision of consumption expenditure includes Rs.16227 crores for defence, Rs.5074 crores for other general services and Rs.3354 crores for social and economic services. The table below gives a breakdown of the consumption expenditure budgeted for 1991-92, the revised estimates for 1990-91 and actuals for 1989-90.

खपत संबंधी व्यय *Consumption Expenditure*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crores)*

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सामान्य सेवाओं पर व्यय	1. Expenditure on general services	18314	20221	21301
i) रक्षा	i) Defence	14298	15643	16227
ii) अन्य	ii) Others	4016	4578	5074
2. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय	2. Expenditure on Social and Economic services	2470	2881	3354
3. कुल खपत संबंधी व्यय (1+2)	**3. Total Consumption expenditure(1+2)**	**20784**	**23102**	**24655**

अन्तरण अदायगियां

20. 1991-92 के लिए अन्तरण अदायगियों की 59351 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित रकम में से, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तरण के लिए 41.9 प्रतिशत, ब्याज की अदायगियों के लिए 43.5 प्रतिशत, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सांविधिक और विकास भिन्न अनुदानों के लिए 5.6 प्रतिशत रकम रखी गई है। इन अन्तरणों का कार्यानुसार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया है।

Transfer Payments

20. Of the total transfer payments estimated at Rs.59351 crores for 1991-92, transfers intended for social and economic services account for 41.9 per cent, interest payments for 43.5 per cent and statutory and non-developmental grants to States and Union Territories for another 5.6 per cent. The table below gives the details of this functional breakdown.

अन्तरण अदायगियां *Transfer Payments*

(करोड़ रुपए) *(Rs. crores)*

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
I. सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के लिए (चालू और पूंजीगत)	I. Transfer for social and economic services (current and capital)	23160	24230	24845
जिसमें से	of which:			
1. राज्यों को निम्नलिखित के लिए अनुदान	1. Grants to States and Union Territories for:			
i) एक मुश्त आयोजनागत अनुदान	i) Block Plan Grants	3520	4008	4810
ii) सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम	ii) Drought Prone Area Programme	49	56	56
iii) ग्रमीण जलपूर्ति योजनाएं	iii) Accelerated Rural Water Supply Programme	370	306	681
iv) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	iv) National Rural Employment Programme	–	1986	2085
v) परिवार कल्याण कार्यक्रम	v) Family Welfare Programme	582	713	672
vi) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	vi) Rural Landless Employment Guarantee Programme	–	–	
2. आर्थिक सहायता	2. Subsidy:			
i) निर्यात संवर्धन और विपणन विकास योजनाओं के लिए सहायता	i) Assistance for export promotion and market development schemes	2089	2700	1224
ii) उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	ii) Fertilizer subsidy	4601	4400	4000
iii) अन्य	iii) Others	1686	1212	950
II. अन्य अन्तरण	II. Other Transfers	21552	28955	34506
1. चालू	1) Current:	20697	28092	33682
i) ब्याज अदायगियां	i) Interest payments	16525	20316	25835
ii) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सांविधिक और गैर-विकासात्मक अनुदान	ii) Statutory and non-developmental grants to States and Union Territories	1552	3091	3348
iii) खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	iii) Food subsidy	2476	2450	2600
iv) नियंत्रित कपड़े पर आर्थिक सहायता	iv) Subsidy on controlled cloth	10	10	15
v) अन्य	v) Others	134	2225	1864
2. पूंजी	2) Capital	855	863	824
III. जोड़ अंतरण (I+II)	**III. Total Transfers (I+II)**	**44712**	**53185**	**59351**

बजटीय संसाधनों में से पूंजी निर्माण

21. 1991-92 में 37414 करोड़ रुपए के पूंजी निर्माण बजट का अनुमान लगाया गया है जबकि 1989-90 में 35727 करोड़ रुपए और 1989-90 में 33102 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। नीचे दी गई सारणी में, 1991-92 में पूंजी निर्माण के लिए की गई व्यवस्था का विस्तृत कार्य संबंधी आवंटन तथा पहले के दो वर्षों का आवंटन दिखाया गया है।

Capital formation out of the Budgetary Resources

21. Capital formation is estimated at Rs. 37414 crores for 1991-92 compared to Rs. 35727 crores in 1990-91 and Rs. 33012 crores in 1989-90. The following table indicates a detailed functional allocation of the provision for capital formation for 1991-92 and the allocation in the two preceding years.

पूंजी निर्माण के लिए व्यवस्था *Provision for Capital Formation*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सकल स्थिर पूंजी निर्माण	1. Gross Fixed Capital formation	7800	8485	9374
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	536	559	715
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services	6737	7163	7792
क) कृषि	a) Agriculture	72	87	123
ख) उद्योग	b) Industry	540	426	545
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	5933	6473	6898
घ) अन्य	d) Others	192	177	226
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	527	763	867
2. निर्माण कार्य भंडारों में परिवर्तन	2. Changes in works stores	336	198	376
3. वित्तीय सहायता	3. Financial Assistance			
क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	A. Financial assistance to States and Union Territories	13935	18640	20365
i) सामाजिक और आर्थिक सेवाएं	i) Social and Economic Services	13917	18092	20329
ii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय	ii) General Services and unallocable items	18	548	36
ख) गैर-विभागीय उपक्रमों और अन्य पार्टियों को वित्तीय सहायता	B. Financial assistance to non-departmental undertakings and other parties	10941	8404	7299
i) सामाजिक सेवाएं	i) Social Services	3029	1052	1149
ii) आर्थिक सेवाएं	ii) Economic Services			
क) कृषि	a) Agriculture	237	142	192
ख) उद्योग	b) Industry	6951	6356	5286
ग) परिवहन और संचार	c) Transport and Communications	519	590	424
घ) अन्य	d) Others	187	231	203
iii) सामान्य सेवाएं और अनावंटनीय मदें	iii) General Services and unallocable items	18	33	45
4. पूंजी निर्माण के लिए कुल व्यवस्था (1+2+3)	4. Total Provision for Capital formation (1+2+3)	33012	35727	37414

वित्तीय विकास के लिए उपलब्ध चालू राजस्व का अधिशेष

22. विकास से भिन्न चालू व्यय के मुकाबले चालू राजस्व का अधिशेष सरकार के विकास संबंधी चालू और पूंजीगत दोनों प्रकार के खर्च की वित्त व्यवस्था करने के लिए चालू राजस्व से किए जाने वाले अंश का परिचायक होता है। अनुमान है, 1991-92 में इस अधिशेष की रकम 14891 करोड़ रुपए होगी जबकि इसकी तुलना में 1990-91 और 1989-90 के अधिशेष की रकम क्रमशः 10931 करोड़ रुपए और 12936 करोड़ रुपए थी। नीचे की सारणी में ब्यौरा दिया गया है।

Surplus of current revenues available for Financing Development

22. The surplus of current revenues over the current non-developmental expenditure measures the contribution of current revenues towards financing the Government's developmental expenditure, both current and capital. This surplus is estimated at Rs. 14891 crores for 1991-92 and may be compared with the estimated surplus of Rs. 10931 crores for 1990-91 and Rs.12936 crores for 1989-90. The table below sets forth the details.

केन्द्रीय सरकार का अधिशेष *Surplus of the Central Government*

(करोड़ रुपए) (Rs. crores)

		1989-90 वास्तविक Accounts	1990-91 संशोधित Revised	1991-92 बजट Budget
1. सरकारी प्रशासन का कुल चालू राजस्व	1. Total current revenues of Government Administration	50423	55186	65482
2. विकास-भिन्न खपत व्यय-सामान्य सेवाएं	2. Non-Developmental Consumption Expenditure-General Services	18314	20221	21301
3. विकास भिन्न चालू अन्तरण	3. Non-Developmental Current Transfers	22268	28035	33605
i) सामान्य सेवाएं	i) General Services	90	422	134
ii) अनावंटनीय	ii) Unallocable	22178	27613	33471
4. सरकारी प्रशासन का अधिशेष (1-2-3)	4. Surplus of the Government Administration (1-2-3)	9841	6930	10576
5. विभागीय उपक्रमों की सकल बचत	5. Gross Savings of the Departmental Undertakings	3095	4001	4315
6. कुल अधिशेष (4+5)	**6. Total Surplus (4+5)**	**12936**	**10931**	**14891**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :
ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :

आर्थिक	कार्य संबंधी Functional Economic	सामान्य सेवाएं General Services रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Educa-tion
1	2	3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	4015.7	14298.2	260.1
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest	-	-	-
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	43.1	-	535.3
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	-	36.0	1.4
(ग) अन्य को	(c) To Others	23.1	-	1051.8
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	1.1	-	21.8
(ख) ऋण सहायता	(b) Debt Relief			
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-
(घ) अन्य को	(d) Others	22.5	-	37.7
3. सकल चालू अन्तरण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	526.8	-	33.2
(ii) भंडार	(ii) Stocks	-81.4	-	3.7
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	13.3	-	6.7
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	14.6	-	14.2
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-
(ii) अन्य पूंजीगत अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी प्रतिष्ठानों का	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठानों में	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य को	(b) Others	-	-	-
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	-	-	-
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-
(iii) स्थानीय प्राधिकरण	(iii) To Local Authorities	3.9	-	-
(iv) अन्य को	(iv) To Others	-	-	0.5
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	9.1	-	2.4
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	0.9	-	-
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities	-	-	-
(v) अन्य को	(v) To Others	1.2	-	-
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	916.0	-	-
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	3.5	-	-
जोड़	**Total**	**5513.4**	**14298.2**	**2003.4**

1989-90 (वास्तविक)
1989-90 (ACTUAL)

(करोड़ रुपए Rs. crores)

		सामाजिक और Social and	आर्थिक सेवाएं Economic Services					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Communication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अनाबंटनीय Unallocable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
288.7	647.7	175.9	380.7	226.6	490.1	-	-	20783.7
-	-	-	-	-	-	-	16525.3	16525.3
701.3	222.8	347.8	199.4	256.5	9.5	1760.2	1552.2	5628.1
30.3	-	-	-	29.3	-	-	-	97.0
95.2	436.5	427.2	618.0	22.2	244.3	-	-	2918.3
3.4	26.6	4664.6	2636.3	997.1	24.7	-	2486.0	10861.6
-	-	-	-	-	-	-	1598.7	1598.7
0.2	168.4	0.1	0.9	-	2.1	-	16.1	248.0
49.9	453.0	72.4	540.2	5932.7	191.7	-	-	7799.9
7.3	19.2	1.7	105.0	280.4	0.8	-	-	336.7
-	794.2	402.7	19.4	35.7	52.8	1760.3	-	3085.1
		4.8	2.9	0.1	-	-	-	7.8
0.1	2171.4	0.1	0.1	46.9	0.7	-	-	2248.1
-	491.8	-	144.4	2.9	-	-	-	639.1
-	-	-	-	-	-	-	855.1	855.1
-	-	-	458.9	-	59.1	-	-	518.0
0.1	32.6	30.9	2920.0	110.0	12.5	-	-	3106.1
-	0.4	1.3	110.1	-	0.6	-	-	112.4
-	61.5	52.5	50.2	16.2	5745.7	4918.8	5.0	10849.9
-	-	171.1	509.8	-	-	-	-	680.9
-	1.1	22.3	2519.4	195.8	2.5	-	-	2741.1
-	130.0	0.3	164.6	139.4	-	-	-	438.2
	186.5	5.7	120.6	23.7	112.4	-	-	449.4
-	8.2	21.8	-	14.0	4.0	-	7.0	66.5
1.5	6.0	-	420.9	147.2	-	-	-	575.6
-	-	-	708.0	-	-	-	14.7	723.6
-	22.3	-	-	-	-	-	-	22.3
-	4.8	0.4	206.8	-	0.2	-	-	213.4
-	-	-	-	-	-	-	-	916.0
-	-	-	-	-	-	-	-	3.5
1149.1	**5915.3**	**6403.6**	**12836.6**	**8476.7**	**6953.7**	**8439.3**	**23060.1**	**95049.4**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :

ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL CLASSIFICATION :

आर्थिक	Economic	कार्य सम्बंधी Functional — सामान्य सेवाएं General Services: रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Education
1	2	3	4	5
1. खपत संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	4578.6	15642.9	352.3
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest	-	-	-
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	53.6	-	493.9
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	-	47.8	1.7
(ग) अन्य को	(c) To Others	330.3	-	1205.4
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	1.3	-	10.1
(ख) ऋण सहायता	(b) Debt Relief	-	-	-
(ग) पेंशनें	(c) Pensions			
(घ) अन्य को	(d) Others	36.4	-	39.1
3. सकल चालू अन्तरण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	762.9	-	37.6
(ii) भंडार	(ii) Stocks	-77.4	-	6.6
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	28.0	-	9.9
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	29.2	-	17.4
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers			
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी कम्पनियों का	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य को	(b) Others	-	-	-
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों का	(ii) Of Other Concerns	-	-	-
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-
(iii) स्थानीय प्राधिकरण	(iii) To Local Authorities	3.6	-	-
(iv) अन्य को	(iv) To Others	-	-	1.0
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	9.6	-	2.9
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	40.0	-	-
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities	-	-	-
(v) अन्य को	(v) To Others	1.0	-	-
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	680.7	-	-
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	5.2	-	-
जोड़	**Total**	**6483.0**	**15642.9**	**2224.0**

1990-91 (संशोधित अनुमान)

1990-91 (REVISED ESTIMATES)

(करोड़ रुपए Rs. crores)

चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	सामाजिक और आर्थिक सेवाएं Social and Economic Services: कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu-nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना-वंटनीय Unallo-cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
346.9	787.3	231.8	430.0	237.3	494.6	-	-	23101.7
-	-	-	-	-	-	-	20315.9	20315.9
835.8	211.5	425.1	218.8	335.6	20.7	2004.1	3290.7	7889.8
32.1	-	-	-	25.6	-	-	-	107.2
110.9	517.3	522.6	827.3	30.4	283.8	-	-	3828.0
3.8	6.3	4488.1	3364.3	323.8	64.1	-	2460.0	10721.8
-	-	1500.0	-	-	-	-	-	1500.0
			-	-	-	-	1532.5	1532.5
0.2	189.3	0.4	1.0	1.7	-	-	13.9	282.0
51.9	469.3	87.5	425.9	6473.0	176.6	-	-	8484.7
7.3	28.9	1.1	163.5	83.2	-0.4	-	-	198.2
-	2697.5	426.2	33.0	32.1	52.2	2004.0	-	5282.9
-	-	3.8	1.3	0.2	-	-	-	5.3
10.6	83.3	0.1	0.1	52.2	0.8	-	-	193.7
-	535.1	0.1	128.0	-	-	-	-	663.2
-	-	-	-	-	-	-	862.6	862.6
-	-	-	344.0	-	83.8	-	-	427.8
0.3	43.4	29.2	3051.9	292.0	11.7	-	-	3428.5
-	1.0	1.3	155.7	-	0.9	-	-	158.9
-	25.6	55.3	37.8	9.8	6773.0	5934.8	520.5	13356.8
-	0.5	61.0	872.8	-	-	-	-	934.3
-	4.1	46.2	1476.7	140.4	0.1	-	-	1667.5
-	164.2	0.3	194.9	104.5	-	-	-	467.5
-	191.9	-	131.1	1.0	132.8	-	-	457.8
-	15.2	1.1	0.3	22.0	17.6	-	15.4	84.1
2.1	2.0	-	498.9	162.1	-	-	-	665.1
-	-	-	389.2	-	-	-	48.0	477.2
-	8.0	-	-	-	-	-	-	8.0
-	7.0	0.7	128.1	-	3.4	-	-	140.2
-	-	-	-	-	-	-	-	680.7
-	-	-	-	-	-	-	-	5.2
1356.9	**6020.8**	**7881.9**	**12874.6**	**8326.9**	**8115.7**	**9942.9**	**29059.5**	**107929.1**

आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

ECONOMIC-CUM-FUNCTIONAL

आर्थिक	Economic	कार्य सम्बन्धी Functional: सामान्य सेवाएं General Services: रक्षा से भिन्न सेवाएं Services other than Defence	रक्षा सेवाएं Defence Services	शिक्षा Education
1	2	3	4	5
1. उपभोग संबंधी व्यय	1. Consumption Expenditure	5074.0	16226.9	372.6
2. अंतरण अदायगियां	2. Transfer Payments			
(i) ब्याज	(i) Interest	-	-	-
(ii) अनुदान	(ii) Grants			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	57.3	-	550.6
(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को	(b) To Local Authorities	-	44.9	2.4
(ग) अन्य को	(c) To Others	35.4	-	1322.0
(iii) अन्य चालू अन्तरण	(iii) Other Current Transfers			
(क) आर्थिक सहायता	(a) Subsidies	1.6	-	-
(ख) ऋण राहत	(b) Debt Relief	-	-	-
(ग) पेंशनें	(c) Pensions	-	-	-
(घ) अन्य को	(d) Others	39.8		45.5
3. सकल चालू अन्तरण	3. Gross Capital Formation			
(i) सकल स्थिर पूंजी निर्माण	(i) Gross Fixed Capital Formation	867.5	-	49.0
(ii) भंडार	(ii) Stocks	-54.5	-	6.6
4. पूंजी अन्तरण	4. Capital Transfers			
(i) पूंजी निर्माण के लिए अनुदान	(i) Grants for Capital Formation			
(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(a) To States and Union Territories	36.3	-	14.8
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(b) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(ग) स्थानीय प्राधिकरणों को	(c) To Local Authorities	41.2	-	26.7
(घ) अन्य को	(d) To Others	-	-	-
(ii) अन्य पूंजी अन्तरण	(ii) Other Capital Transfers	-	-	-
5. शेयरों में पूंजी निवेश	5. Investment in Shares			
(i) सरकारी कम्पनियों में	(i) Of Government Companies			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य को	(b) Others	-	-	-
(ii) अन्य प्रतिष्ठानों	(ii) Of Other Concerns	-	-	-
6. पूंजी निर्माण के लिए उधार	6. Loans for Capital Formation			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	-	-	-
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings			
(क) वित्तीय प्रतिष्ठान	(a) Financial Concerns	-	-	-
(ख) अन्य	(b) Others	-	-	-
(iii) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iii) To Local Authorities	3.7	-	-
(iv) अन्य को	(iv) To Others	-	-	0.6
7. अन्य उधार	7. Other loans			
(i) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को	(i) To States and Union Territories	9.8	-	2.9
(ii) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों को	(ii) To Non-departmental Commercial Undertakings	-	-	-
(iii) विदेशी सरकारों को	(iii) To Foreign Governments	11.4	-	-
(iv) स्थानीय प्राधिकरणों को	(iv) To Local Authorities	-	-	-
(v) अन्य को	(v) To Others	1.0	-	-
8. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों को अभिदान	8. Subscription to International Financial Organisations	3514.9	-	-
9. सोने और चांदी की निवल खरीद	9. Net Purchase of Gold and Silver	2.5	-	-
जोड़	**Total**	**9641.9**	**16226.9**	**2436.2**

1991-92 (बजट अनुमान)
1991-92 (Budget Estimates)

(करोड़ रुपए *Rs. crores*)

		सामाजिक और Social and	आर्थिक सेवाएं Economic Services					
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य Medical & Public Health	अन्य सामाजिक सेवाएं Other Social Services	कृषि Agri-culture	उद्योग Industry	परिवहन और संचार Transport & Commu-nication	अन्य आर्थिक सेवाएं Other Economic Services	एकमुश्त अनुदान और उधार Block Grants & Loans	अना-बंटनीय Unallo-cable	जोड़ Total
6	7	8	9	10	11	12	13	14
367.5	969.2	310.9	451.9	262.5	619.2	-	-	24654.7
-	-	-	-	-	-	-	25834.5	25834.5
809.2	277.5	479.0	267.3	311.9	263.2	2405.3	3347.9	8769.2
37.8	-	-	-	29.1	-	-	-	114.2
125.9	660.6	674.7	1008.3	34.9	358.3	-	-	4220.1
3.9	4.2	4023.4	1710.4	360.7	70.0	-	2615.0	8789.3
-	-	1500.0	-	-	-	-	-	1500.0
-	-	-	-	-	-	-	1657.4	1657.4
0.3	215.4	0.7	1.2	-	3.6	-	15.8	322.5
65.4	600.2	122.6	545.4	6897.9	225.5	-	-	9373.5
-7.5	44.7	0.9	230.9	156.0	-0.8	-	-	376.4
-	3293.5	581.2	36.3	27.2	64.0	2405.2	-	6458.5
-	-	5.0	1.5	0.1	-	-	-	6.6
11.5	79.5	-	0.1	59.5	0.7	-	-	219.2
-	491.6	0.1	144.0	-	-	-	-	635.7
-	-	-	-	-	-	-	824.1	824.1
-	-	-	296.0	-	69.0	-	-	365.0
0.1	72.9	31.8	2466.4	97.5	13.5	-	-	2682.2
-	1.0	2.9	167.0	-	4.5	-	-	175.4
-	21.0	63.4	31.0	9.4	6868.5	6913.3	-	13906.6
-	29.5	90.0	705.0	-	-	-	-	824.5
-	6.1	61.8	1080.1	127.1	1.1	-	-	1276.2
-	185.9	0.5	268.3	139.0	-	-	-	597.4
-	222.6	-	158.0	1.0	134.1	-	-	516.3
-	14.4	47.2	4.2	24.2	14.2	-	13.9	130.6
0.8	1.9	-	512.5	37.6	-	-	-	552.8
-	-	-	-	-	-	-	52.6	64.0
-	10.0	-	-	-	-	-	-	10.0
-	1.1	0.6	122.7	-	1.3	-	-	126.5
-	-	-	-	-	-	-	-	3514.9
-	-	-	-	-	-	-	-	2.5
1379.5	**7240.6**	**7996.7**	**10208.5**	**8575.6**	**8709.9**	**11723.8**	**34361.2**	**118500.8**

परिशिष्ट

केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण की मदों की परिभाषा और उनकी व्युत्पत्ति पर टिप्पणियां

क. आर्थिक वर्गीकरण

इस पुस्तिका में प्रस्तुत आर्थिक वर्गीकरण का ढांचा 6 विवरणों (खातों) में केन्द्रीय सरकार के लेन-देनों की रूपरेखा पर आधारित है। इन विवरणों में प्रत्येक विवरण की व्युत्पत्ति का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

विवरण 1: *वस्तुओं और सेवाओ के लेन-देन और अन्तरण: सरकारी प्रशासन का चालू खाता*

इस विवरण का संबंध व्यय पक्ष में सरकार के खपत संबंधी व्यय और चालू अन्तरण अदायगियों से है । प्राप्ति पक्ष में, इस विवरण में कर-प्राप्तियों, सरकारी सम्पत्ति और उद्यमों से आय और शुल्क तथा विविध प्राप्तियों को दिखाया जाता है। खपत संबंधी व्यय से चालू राजस्व के आधिक्य से उत्पन्न शेष तथा चालू अन्तरण अदायगियां केन्द्रीय सरकार के प्रशासन में बचत की सूचक होती हैं और वाणिज्यिक उपक्रमों की बचतों को मिलाकर यह पूंजी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की बचत की द्योतक होती है ।

मद 1 : *खपत संबंधी व्यय* : सरकार के खपत संबंधी व्यय में कर्मचारियों को अदा की गई मजदूरी और वेतन तथा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर हुआ चालू व्यय शामिल है । इससे सरकार के मौजूदा विकास संबंधी तथा विकास-भिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं और उपयोग किए गए अन्य तत्वों की उपलब्ध मात्रा के मूल्य का पता चलता है ।

मद 1.1 : *मजदूरी और वेतन* : मजदूरी और वेतन की राशि सरकार द्वारा अदा की गई मजदूरी और वेतन के रूप में उत्पन्न आय के अनुमानों की द्योतक है। असैनिक विभागों द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्तों (जिनमें मंहगाई भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की अदायगी शामिल है, परन्तु यात्रा भत्ते शामिल नहीं है) और मानदेय के रूप में वास्तविक अदायगियों के अलावा, इस मद में रक्षा कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन, जिसमें किट और वस्त्र भत्ता तथा कर्मचारियों के लिए दिया जाने वाला अन्न भी शामिल है, रक्षा पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन का अंश और "मरम्मत और अनुरक्षण" तथा प्रशासनिक विभागों द्वारा रखे गए नैमित्तिक मजदूरों को मजदूरी की अदायगियां भी शामिल है, रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय के मजदूरी और वेतन अंश का अनुमान लगाते समय निर्माण-कार्यों के व्यय के एक तिहाई अंश को मजदूरी और वेतन माना जाता है और दो-तिहाई अंश को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर होने वाला व्यय माना जाता है । "मरम्मत और अनुरक्षण" तथा "एकमुश्त व्यवस्था" के अन्तर्गत व्यय को 50:50 के अनुपात में मजदूरी और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निर्धारित कर दिया जाता है, क्योंकि आवश्यक आंकड़े अलग-अलग उपलब्ध नहीं है।

मद 1.2 : *वस्तुएं और सेवाएं* : वस्तुओं और सेवाओं की मद में "अन्य व्यय" शीर्षक के अधीन होने वाले व्यय शामिल है । बजट में की गई इकट्ठी व्यवस्था की वस्तुओं और सेवाओं तथा मजदूरी और वेतन में 50:50 के अनुपात में बांट दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को इसी प्रकार की जाने वाली अदायगियों की सेवाओं की खरीद के रूप में मान लिया जाता है । राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप रक्षा संबंधी पूंजी परिव्यय को चालू के रूप में मान लिया जाता है । निर्माण-कार्यों, पर हुए व्यय के एक-तिहाई अंश को छोड़कर, जिसे मजदूरी और वेतन माना जाता है, रक्षा पर पूंजी परिव्यय की बाकी राशि यहां दिखाई जाती है ।

APPENDIX

Notes on definition and derivation of items in the Economic-cum-Functional Classification of the Central Government Budget

A. Economic Classification

The framework of economic classification presented in the brochure is based on the delineation of Central Government transactions in a set of six accounts. The following is briefly a description of the derivation of items in each of these accounts

Account 1: *Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Government Administration*

This account is concerned, on the expenditure side, with the Government's consumption expenditure and current transfer payments; on receipt side, it indicates tax receipts, income from Government property and enterprises and fees and miscellaneous receipts. The surplus arising out of the excess of current revenue over expenditure on consumption and current transfer payment denotes the saving of the Central Government administration and together with savings of the commercial undertakings constitutes the saving of the Central Government available for capital formation.

Item 1: *Consumption Expenditure:* The Government's consumption expenditure comprises wages and salaries paid to employees and current expenditure incurred on purchases of commodities and services. This indicates the value of the available supplies of goods and factors drawn into the Government's current use, for developmental as well as non-developmental purposes.

Item 1.1: *Wages and Salaries:* Denote the estimates of income generated in the form of wages and salaries paid by the Central Government. Besides actual payments by the civil departments in the form of pay of officers and staff, allowances (including dearness allowance and city compensatory allowance but excluding travelling allowances) and honoraria, this item includes wages and salaries of the defence personnel including kit and clothing allowance and foodgrains provided to defence personnel, wages and salaries component of defence capital outlay and of 'repairs and maintenance' and also wage payments to casual labour employed by administrative departments. In estimating the wages and salaries component of defence capital outlay, one-third of the works expenditure is treated as wages and salaries and two-thirds as purchase of commodities and services. The expenditure under 'repairs and maintenance' as well as under 'lump sum provision' has been allocated in the ratio of 50:50 between wages and salaries and purchase of commodities and services since the required breakup is not available.

Item 1.2: *Commodities and Services:* Include expenditures under the head 'other charges'. 'Lump sum provisions' in the budget have been broken down into expenditure on commodities and services and wages and salaries in the ratio of 50:50. Contributions to the U.N. and similar payments to other international organisations are treated as purchases of services. Also in conformity with the accepted procedure of national income estimation, defence capital outlay has been treated as current expenditure. Except for one-third of the works expenditure which is treated as wages and salaries, the rest of capital outlay on defence appears here.

मद 2 : *अन्तरण अदायगियां* : ये व्यय माल और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग के द्योतक नहीं होते, ये तो अन्य मदों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केवल अन्तरणों के रूप में होते हैं । वर्तमान विश्लेषण में चालू अन्तरणों और पूंजीगत अन्तरणों में अन्तर की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि जहां चालू अन्तरणों से प्राप्तिकर्ताओं के आय खातों में रकमों की वृद्धि हो जाती है, वहां पूंजीगत अन्तरणों का उद्देश्य पूंजीगत व्यय में सहायता देना होता है। यहां केवल चालू अन्तरणों को दिखाया गया है । इनमें ब्याज, की अदायगियां, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय प्राधिकरणों और लाभ न कमाने वाली संस्थाओं को चालू अनुदान, आर्थिक सहायता, पेंशनें और अन्यों को अन्तरण आदायगियां शामिल है।

मद 2.1 : राष्ट्रीय कर्जे पर ब्याज की अदायगी को कई बार सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया जाता है, परन्तु इन अदायगियों को यहां सकल रूप में दिखाया गया है। ब्याज में राष्ट्रीय कर्जों पर ब्याज भी शामिल है परन्तु विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज इसमें शामिल नहीं है । विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर भारित ब्याज को विवरण 2 में जो इन उपक्रमों का चालू खाता है, दिखाया गया है।

मद 2.2 : अनुदानों में सांविधिक अनुदान तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सभी अन्य आयोजना-भिन्न और आयोजना अनुदान शामिल है, पर इसमें वे अनुदान शामिल नहीं हैं, जिनका उद्देश्य पूंजी निर्माण में सहायता पहुंचाना है (जैसे, ग्रामीण निर्माण कार्य, भूमि-संरक्षण, वन, छोटे सिंचाई कार्य आदि के लिए अनुदान)। विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर किया जाने वाला व्यय भी, जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किया गया है यहां दिखाया गया है। चौथी आयोजना के शुरू से राज्यों और राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त अनुदानों और एकमुश्त ऋणों के रूप में दी जाती है। इस विश्लेषण में एकमुश्त अनुदानों को चालू और पूंजीगत अनुदानों के बीच 50:50 के अनुपात में विधारित किया गया है। उप-मद "अन्य को अनुदान" में मुख्यतः संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान शामिल है और इन संस्थाओं में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं भी शामिल है।

मद 2.3 : अन्य चालू अन्तरणों में ये शामिल हैं : आर्थिक सहायता प्राप्त असैनिक और सैनिक पेंशनों और व्यक्तियों को किए गए अन्य चालू अन्तरण जैसे छात्रवृत्तियां, वृत्तिकायें, इनाम, अकाल और अन्य सहायता संबंधी अदायगियां। इस मद में प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ सहायता व्यय (राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किए गए व्यय से भिन्न) भी शामिल है। इस वर्गीकरण में पेंशन संबंधी अदायगियों को अन्तरण अदायगी के रूप में माना गया है। यद्यपि पेंशन को एक अन्य प्रकार से, अर्थात् आस्थगित वेतन के रूप में माना जा सकता है, परन्तु पेंशनों को अन्तरण के रूप में मानना इस आधार पर सरल और तर्कसंगत है कि पेंशन वाले सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से अर्थव्यवस्था के चालू उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है ।

मद 6 : सरकार की चालू और पूंजी खाते की अंतरण प्राप्तियों (अर्थात् करों) के बीच का अन्तर चालू और पूंजी खाते की अन्तरण अदायगियों के बीच के अंतर की तरह, इस परिकल्पना पर आधारित है कि सरकार की चालू अन्तरण प्राप्तियां आय से की गई आदायगियां है जबकि पूंजीगत प्रप्तियां पूंजी से की गई अदायगियों होती है। इस भिन्नता के आधार पर संपदा-शुल्क और दान-कर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माने जाते और इन्हें यहां पर नहीं दिखाया जाता था । तथापि राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रह और राष्ट्रीय लेखों के संकलन और विश्लेषण की सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार, यह भेद राजकोषीय वर्ष 1983-84 (वास्तविक) से समाप्त कर दिया गया है ।

करों की प्राप्तियों की राशि, यहां राज्यों के हिस्से और स्थानीय प्राधिकरणों को अन्तरित करों को घटा कर दिखाई गई है ।

Item 2: *Transfer Payments:* These expenditures do not involve direct demand on goods and services; they are of the nature of mere transfers intended to add to incomes of others. In the present analysis, a distinction has been drawn between current transfers and capital transfers on the hypothesis that while current transfers supplement the income accounts of recipients, capital transfers are intended to assist capital expenditure. Current transfers alone appear here; these comprise interest payments, current grants to States, Union Territories, local authorities and non-profit making institutions, subsidies, pensions and transfer payments to others.

Item 2.1: Interest Payments on the national debt are sometimes treated as a deduction from the current (transfer) receipts of Government, but these payments have been shown here on a gross basis. Interest comprises interest on the national debt exlcuding interest charged to departmental commercial undertakings. Interest charged to departmental commercial undertakings appear in Account 2, the current account of these undertakings.

Item 2.2: Grants include statutory grants, as well as all other non-plan and plan grants to States and Union Territories excepting those which are intended to assist capital formation (e.g. grants for rural works, soil conservation, forests, minor irrigation etc.). The expenditure on rehabilitation of displaced persons routed through State Governments and Union Territories also appears here. Starting with the Fourth Plan, the Central assistance to States and Union Territories is being given in the form of block grants and block loans; in this analysis, block grants have been allocated between current and capital grants in the ratio of 50:50. The sub-item 'grants to others' comprises grants mainly to institutions and these include grants to public sector institutions, like Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agricultural Research, and University Grants Commission.

Item 2.3: Other current transfers include subsidies, pensions-civil and defence and other current transfers to individuals like scholarships, stipends, prizes, famine and other relief payments. This item also includes relief expenditure (i.e. other than that routed through State Governments and Union Territories) incurred directly on displaced persons. Pension payments have been treated in the present classification as a transfer payment. While an alternative treatment of pensions as deferred pay is possible, the treatment of pensions as transfers is simpler and justifiable on the ground that no increase in current output accrues to the economy from retired personnel receiving pensions.

Item 6: The distinction between transfer receipts (i.e. taxes) of Government on current and capital account - like the distinction between transfer payments on current and capital account - rests on the hypothesis that Government's current transfer receipts constitute payments out of income, while capital receipts constitute payments out of capital. Based on this distinction, estate duty and gift tax were treated as capital receipts and did not appear here until 1982-83. However, following the recommendations made by the Adivisory Committee on collection of data for National Income and Compilation and Analysis of National Accounts, this distinction has been done away with starting from the fiscal year 1983-84 (Accounts).

Tax receipts shown here are net of the States' share and taxes transferred to local authorities.

आय और सम्पत्ति पर करों की मद में आय-कर, धन-कर, संपदा शुल्क, दान-कर और भू-राजस्व (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज प्राप्तियों पर कर शामिल है। वस्तुओं पर कर में संघ उत्पाद शुल्क, (जिसमें राज्यों का हिस्सा शामिल नहीं है) सीमा शुल्क, देशी कच्चे तेल पर उपकर और विदेश यात्रा पर कर और बिक्री कर, पूंजीकरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि (संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में) शामिल है।

मद 7 : *सम्पत्ति और उद्यमों से आय*: इस मद में, प्रशासन को अन्तरित विभागीय और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लाभ और भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ शामिल है। इसमें शामिल ब्याज की प्राप्तियां मुख्यतः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और गैर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्रप्त ब्याज की है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त ब्याज को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उन उपक्रमों पर भारित ब्याज विवरण 2 में दिखाई गई व्यय की मद है, विवरण 1 में नही। "अन्यों में किराये की प्राप्ति और लोक निर्माण कायों से प्राप्तियां, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा देय कच्चे तेल और गैस पर रायल्टी भी शामिल है।

मद 8 : *फीस और विविध प्राप्तियां* : इसमें वाणिज्यिक आधार पर संगठित न की गई फीस पर दी गई सेवाओं के लिए सरकारी विभागों की प्रशासनिक प्राप्तियां शामिल हैं।

विवरण 2 : *वस्तुओं और सेवाओं का लेन-देन तथा अन्तरणः विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम का चालू खाता*

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य जो बजट में दिखाये गये है, सरकार की उद्यमकारी गतिविधियों के रूप में है। इन उपक्रमों के चालू व्यय उत्पादनशील उद्यमो के कार्यचालन व्यय के समान उस मध्यवर्ती व्यय के द्योतक है जो माल तथा सेवाओं के मूल्यों में शामिल किए जाते हैं, और जिन्हें अर्थ-व्यवस्था के दूसरे वर्गों को बेचा जाता है। अतः वह प्रशासनिक विभागों के अन्तिम परिव्यय के रूप में भिन्न होते है। इसी प्रकार वाणिज्यिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त आय केवल प्रशासनिक विभागों की प्राप्तियों (अर्थात् करो) से, जो उनकी अपनी आय नही होती है और व्यय को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों की आयों से ली जाती है, भिन्न होती है. अतः इस विवरण में सामान्यतः विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का लाभ और हानि का लेखा दिया जाता है और यह विवरण 1 के स्वरूप से भिन्न होता है।

स्वतंत्र कम्पनियों या निगमो के रूप में संचालित सरकारी उद्यमों जैसे हिन्दुस्तान स्टील, उर्वरक निगम आदि के लेन-देनों को इस विवरण में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यहां प्रस्तुत किया गया आर्थिक वर्गीकरण उपक्रमों के संबंध में है जो विभागीय तौर पर चलाये जा रहे है और इनमें ये उपक्रम शामिल है :- रेलवे, डाक और दूरसंचार, अफीम की फैक्टरियां और एलक्लायड के कारखाने, विदेशी संचार सेवाएं, परिवहन योजनाएं, परमाणु बिजलीघर सहित बिजली परियोजनाएं, वन और दिल्ली दुग्ध योजना। किन्तु 1972-73 से वर्गीकरण में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार रेल की कर्मशालाओं और उत्पादन एककों (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटेग्रल कोच फैक्टरी) के निर्माण संबंधी कार्यों को इसके अन्तर्गत ले लिया गया है। 1977-78 से लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर रक्षा सेवाए, कैंटीन भण्डार विभाग के कार्यचालन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है क्योंकि इसके द्वारा किए गए लेन-देन सामान्य बजट का एक अंग है। इसमें 1982-83 (लेखा) से प्रारम्भ करके परमाणु ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यचालन को भी शामिल किया गया है और 1983-84 (वास्तविक) से नागर विमानन, वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं, दीप स्तंभों और दीप-पोतो, और सिंचाई निर्माण कायों को भी वाणिज्यिक उपक्रम माना गया है।

Taxes on income and wealth include income tax, corporation tax, wealth tax, estate duty, gift tax, land revenue (in respect of Union Territories) and tax on interest receipts of scheduled commercial banks. Taxes on commodities and transactions include Union excise duties (excluding States' share), customs duties, cesses on commodities and tax on foreign travel and also sales tax, registration fees, stamp duties etc. (in respect of Union Territories).

Item 7: *Income from property and enterprises:* This item includes profits of departmental and non-departmental commercial undertakings transferred to administration as well as profits of the Reserve Bank of India. Interest receipts included here are mainly from States and Union Territories and non-departmental commercial undertakings. Interest received from departmental commercial undertakings is omitted since interest charged to these undertakings is an item of expenditure in Account 2 and not Account 1. 'Others' include rental income, receipts from public works and royalty payable by ONGC on crude oil and gas.

Item 8: *Fees and miscellaneous receipts:* These include administrative receipts of Government departments for services rendered for a fee not organised on a commercial basis.

Account 2: *Transactions in commodities and services and transfers : Current Account of Departmental Commercial Undertaking*

The operation of departmental commercial undertakings which figure in the budget, are of the nature of enterpreneurial activities of the Government. Current expenditure of these undertakings like working expenses of productive enterprises constitute intermediate expenditures that enter into the prices of goods and services as they are sold to other sectors of the economy. Therefore, they are different in character from final outlays by administrative departments. Likewise, sale proceeds of commercial undertakings are different from the receipts (e.g. taxes) of purely administrative departments which have no income of their own and draw upon incomes of other sectors to meet their expenditures. This account, therefore, sets out what is generally known as the profit and loss account of departmental commercial undertakings and is different in character from Account I.

The transactions of Government enterprises run as independent companies or corporations such as the Hindustan Steel, Fertiliser Corporation etc. are not included in this Account, as the economic classification presented here pertains to the magnitudes in the Demands for Grants and the Budget. This account is, therefore, concerned only with those commercial undertakings which are run departmentally and include Railways, Posts, Telecommunications, Opium factories and Alkaloid works, Overseas Communications Services, Transport Schemes, Power Projects including Atomic Power Stations, Forests and Delhi Milk Scheme. However, an important major change introduced since 1972-73 Classification has been to bring in the manufacturing activity of the Railway Workshops and production units (Chittaranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory). With effect from 1977-78, the working of the Defence Services Canteen Stores Department has been included as its transactions now form part of the general Budget following the recommendations of the Public Accounts Committee. Starting from 1982-83 (Accounts), the working of atomic energy industrial projects and from 1983-84 (Accounts), those of Civil Aviation, commercial broadcasting service, light-houses and lightships and irrigation works are also treated as commercial undertakings.

अतः यहां यह बता देना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की उपर्युक्त सूची में, केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिए जाने वाले वाणिज्यिक किस्मों के कार्य-कलापों का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है । तकनीकी दृष्टि से यह संभव है कि आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग, करेंसी नोट प्रेस और सिक्यूरिटी प्रेस की गतिविधियों जैसे कार्य-कलापों को सरकारी वाणिज्यिक कार्य-कलापों के रूप में माना जाए । किन्तु यहां पर ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि उनकी सेवाओं की अधिकांश बिक्री या तो वाणिज्यिक आधार पर नहीं की जाती या उनकी बिक्री मुख्यतः सरकारी विभागों को ही की जाती है ।

इस विवरण की मदें स्वतः स्पष्ट हैं । विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन खाते के व्यय पक्ष में कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक (अर्थात् मजदूरी और वेतन), पेंशन आदायगियां, कच्चे माल आदि की खरीद आदि (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं का व्यय), मरम्मत और अनुरक्षण संबंधी व्यय, इन उपक्रमों द्वारा देय ब्याज और मूल्यह्रास की व्यवस्था दिखाई जाती है । वर्ष 1979-80 से रेलवे के राजस्व में हुई कमी को उनका 'आस्थगित लाभांश दायित्व' माना जाता है और उसे उनके द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांशों में से घटा दिया जाता है । किन्तु रेलवे की सही वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए, उनके पूर्ण लाभांश दायित्व को हिसाब में लिया गया है और कमी को काल्पनिक दृष्टि से रेलवे को दिया गया उधार माना गया है । प्राप्ति पक्ष में उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुछ रकमें तथा विभिन्न निधियों की बकाया राशियों पर प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम दिखाई जाती है अधिशेष के एक अंश को, उपक्रम के अंशदान के रूप में सरकारी प्रशासन के चालू खाते (विवरण 1) में अन्तरित कर दिया जाता है और शेष राशि को धारित लाभों के रूप में दिखाया जाता है ।

यह धारित लाभों सहित सरकारी प्रशासन की बचत की राशि और विभागीय उपक्रमों के मूल्यह्रास की रकम मिलकर सरकार की कुल बचत की राशि बन जाती है जो सकल पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होती है ।

विवरण 3: *वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (सम्मिलित) का पूंजी खाता*

इस विवरण का संबंध, कुल पूंजी-परिव्यय से है जो प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पत्तियों और पूंजीगत अन्तरणों का द्योतक है । चूंकि पूंजी निर्माण संबंधी समस्त व्यय, अन्तिम व्यय होता है और राष्ट्रीय उत्पादन पर भारित होता है तथा सरकार को उसके लिए या तो उपनी बचतों से रकमें निकाल कर साधन जुटाने पड़ते हैं अथवा गैर-सरकारी बचतों से रकम जुटानी पड़ती है, इसलिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्रशासन ओर विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में भेद करना अधिक सार्थक नहीं होगा।

सरकार द्वारा निर्माण की जाने वाली भौतिक परिसम्पत्ति को (विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के नवीकरण और प्रतिस्थापन व्यय को छोड़कर) सकल और निवल परिसम्पत्ति के निर्माण तथा तालिकागत सामान में हुई निवल वृद्धि के रूप में दिखाया गया है । पूंजीगत अन्तरणों को विवरण 3 से सन्तुलनकारी मद के रूप में दिखाया गया है और इससे शेष अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार के निवल दायित्व में हुए परिवर्तन की मात्रा का पता चलता है ।

मद 1.1 : भवन और अन्य निर्माण कार्य में सभी कार्यालय, रिहायशी इमारतें ओर अन्य प्रयोजनों की इमारतें, सड़कें रेलवे तथा डाक और तार संबंधी निर्माण कार्य, बिजली और अन्य पूंजीगत परियोजनाएं शामिल हैं।

It is important to note here that the list of departmental commercial undertakings as given above does not exhaust the activities of a commercial or semi-commercial nature, undertaken by the Central Government. It is technically possible to treat activities like those of the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting, Currency Note Press and Security Press as commercial activities of the Government. This has not been done here either because of the bulk of the sale of their services is not on a commercial basis or because the sale is mainly to Government Departments.

The items in this account are self-explanatory. The expenditure side of the operating account of departmental commercial undertakings spells out compensation to employees (i.e. wages and salaries), pension payments, purchases of raw materials etc. (i.e. commodities and services), expenditure on repairs and maintenance, interest charged to these undertakings and provision for depreciation. With effect from 1979-80 the shortfall in the revenues of the Railways are treated as their "deferred dividend liability" and are deducted from the dividends payable by them to general revenues. However, in order to truly reflect the financial position of the Railways, their full dividend liability has been taken into account and the shortfall has been treated notionally as loans to Railways. The receipt side shows their gross sale proceeds and the interest receipts on their outstanding balances in various funds. A part of the surplus emerging out of this is transferred to the current account of Government administration (Account I) as undertakings' contribution and the balance appears as retained profits.

These retaind profits together with the savings of the Government administration and depreciation provision of departmental undertakings constitute total gross Government savings, available for gross capital formation.

Account 3: *Transactions in commodities and services and transfers : Capital account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings (combined)*

This account is concerned with the total capital outlay representing physical asset formation by administration and departmental commercial undertakings and capital transfers. A distinction between administration and departmental commercial undertakings in respect of capital expenditure is not very meaningful for the reason that the entire expenditure on capital formation is a final expenditure which is a charge on the national product and for which Government has to find resources either from its own savings or by drawing on private savings.

The physical asset formation by Government has been shown in terms of gross and net asset formation (excluding the renewal and replacement expenditure of departmental commercial undertakings) and net increase in inventories. A breakdown of capital transfers has also been indicated. The deficit on all transactions in commodities and services and transfers is shown as a balancing item in Account 3 and this measures the change in Government's net indebtedness to the rest of the economy.

Item 1.1: Building and other construction include all buildings for residential, office and other purposes, road construction, works of railways and posts, telecommunications, power and other capital projects.

मद 1.2 : मशीनें और उपकरण मद में, विभिन्न किस्मों की मशीनों और उपकरणों की खरीद के संबंध में किये जाने वाला व्यय शामिल है। इनमें विदेशी सहायता के अंतर्गत प्राप्त मशीनें भी शामिल होती है नवीकरण और प्रतिस्थापन शीर्षक के अन्तर्गत दिखाए गए व्यय का संबंध विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यह्रास निधियों से वित्तपोषित व्यय से है। इसलिए मशीनों और उपस्करों पर तथा सरकारी प्रशासन द्वारा किए जाने वाले निर्माण संबंधी समस्त व्यय को "नयी परिव्यय" शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है क्योंकि इन परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मद 2 : निर्माण कार्य संबंधी भंडार में वृद्धि : निर्माण कार्य के लिए आवश्यक धारित सामान और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा प्रशासनिक विभागों के तालिकागत सामान में होने वाली वृद्धि अथवा कमी को इस मद में दिखाया गया है। 1977-78 में (वास्तविक) से शुरू करके सरकार के आयातित उर्वरकों के स्टाकों के वर्गीकरण में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत दिखाई गई बकाया उन प्राप्तियों को घटा कर भण्डारों में होने वाली वृद्धि के रूप में, जिनको विविध पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

मद 3.1 : पूंजी निर्माण के लिए अनुदान : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले पूंजीगत अनुदानों में, आयोजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले एकमुश्त का आधा शामिल है, जो पूंजी निर्माण (अर्थात् ग्रामीण निर्माण कार्य) में सहायता देने के उद्देश्य से दिए जाने है। गैर-विभागीय उपक्रमों को दिए जाने वाले अनुदानों में, तेल और प्रकृतिक गैस आयोग जैसे स्वायत्त निगमों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता (ऋणों से भिन्न) शामिल है। अन्यों को दिए जाने वाली अनुदानों में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा औद्योगिक संस्थानों जैसे सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों का एक भाग शामिल है जो उपस्करों की खरीद और निर्माणों के लिए दिए जाते है।

मद 3.3 : इस मद में विदेशों को दिए जाने वाला अनुदान शामिल है। चूंकि इसका संबंध, देश से बाहर के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए की जाने वाली बचतों के अंतरण न मानकर पूंजीगत अंतरण मानना युक्तिसंगत होगा।

मद 5 और 6 : पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध प्राप्तियों में विवरण 1 और 2 से आगे लाई गई चालू खाते की सकल बचते, दान कर और सम्पदा शुल्क तथा विदेशी अनुदानों की प्राप्तियां शामिल है। विदेशी अनुदानों में नगद अनुदान और अन्य देशों से प्राप्त वस्तु अनुदान शामिल हैं। अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में, निष्क्रांत सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि तथा जमीन की बिक्री की रकम को भवन और अन्य निर्माण पूंजी की राशि में से घटा दिया गया है।

विवरण 4 : *वित्तीय परिसंपत्ति के परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता*

विवरण 4 का संबंध औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को शेयर पूंजी में निवेश राशि और शेष अर्थ-व्यवस्था को दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन-देन से है। ऋणों की राशि पूंजी निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नियत कर दी जाती है पूंजी निर्माण के लिए शेयरों ओर ऋणों में निवेशित रकमों से जो विवरण 4 में दिखाई गई है, यह पता चलता है कि केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण करने का जो काम हाथ में लेती है उसके अतिरिक्त वह वित्तीय सहायता देकर अर्थ-व्यवस्था में किस सीमा तक पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देती है। विवरण 4 संतुलनकारी मद सहित, जो वित्तीय निवेशों और केन्द्रीय सरकार के ऋणों के निवल परिव्यय की द्योतक है, विवरण 3 के घाटे की राशि से यह पता चलता है कि निवल आन्तरिक और निवल विदेशी ऋणों की रकम से तथा घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा

Item 1.2: Machinery and equipment include expenditure incurred on the purchase of various types of machinery and equipments including machinery obtained under foreign aid. The expenditure shown against 'renewals and replacement' refers to expenditure financed out of the depreciation funds of the departmental commercial undertakings. The entire expenditure on machinery and equipment as well as on construction by the Government administration therefore appears as 'new outlay', since no provision for depreciation of these assets is made in the budget.

Item 2: *Increase in works stores:* The net increase or decrease in stores needed for construction work and inventories of departmental commercial undertakings and administrative departments is shown under this item. There has been a change introduced in classifying imported fertilizers' transactions beginning 1977-78(Accounts) whereby the net transactions are treated as subsidy instead of increase in stocks after deducting arrear receipts shown under recoveries for past years which are classified under miscellaneous capital receipts.

Item 3.1: Grants for Capital Formation: Capital grants to States and Union Territories include one-half of block grants given as Central assistance for plan schemes, as well as such grants in the revenue budget as are intended to assist capital formation(e.g. rural works). Grants to non-departmental commercial undertakings include capital assistance (other than by way of loans, to autonomous corporations like the Oil and Natural Gas Commission). Grants to others include part of grants to public sector institutions like Council of Scientific and Industrial Research and Institutes of Technology, treated as intended for purchase of equipment and for construction.

Item 3.3: This item includes grants to foreign countries. The rationale of treating these grants as capital rather than current transfer is that they involve transfer of savings for economic reconstruction and development outside the country.

Item 5 and 6: Receipts available for capital formation consist of gross savings on current account brought over from Accounts 1 and 2, and receipts of foreign grants include both cash grants and commodity grants received from other countries. Other capital receipts include sale proceeds of evacuee property and proceeds from sale of land. The sale of other physical assets has been netted against outlay on building and other construction.

Account 4: *Changes in financial assets : Capital Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings*

Account 4 is concerned with transactions in financial assets, i.e. investment in share capital of industrial and commercial concerns and loans and advances granted to the rest of the economy. Loans have been allocated between those meant for capital formation and those for other purposes. Investments in shares and loans for capital formation as shown in Account 4 indicate the extent to which the Central Government promotes capital formation in the rest of the economy through financial assistance in addition to the capital formation directly undertaken by it. The balancing item of Account 4, representing net outlay on financial investments and loans of the Central Government together with the deficit in Account 3 represents the total requirements of finance to be met out of net domestic

पूरी की जाने वाली कुल वित्तीय आवश्यकता कितनी है ।

मद 1 : सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयरों में किए जाने वाले निवेशों का तात्पर्य-सरकार के ऐसे गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो की शेयर पूंजी में निवेश, जिनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्रीय सरकार के पास हो । बैकों, सामान्य बीमा आदि का राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामस्वरूप अधिगृहीत शेयरों आदि को भी निवेश माना जाता है अन्य सभी प्रतिष्ठानों को, चाहे वे गेर-सरकारी, सहकारी अथवा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों हो, "अन्य प्रतिष्ठान" कहा गया हैं । सरकारी प्रतिष्ठानों के मामले में, वित्तीय प्रतिष्ठानों और गैर-वित्तीय प्रतिष्ठानो के बीच भेद किया गया है ।

मद 2 : पूंजी निर्माण के लिए देय ऋणों में पूंजी-परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं । जिसमें राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, गेर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा औरों को दिए जाने वाले ऋण शामिल है । अल्प बचतों को राशि में से राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है केवल गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के दिए गये आयोजनागत ऋणों को पूंजी निर्माण के लिए देय ऋण माना गया है पूंजी निर्माण के लिए औरों को दिए जाने वाले ऋणों में गैर-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों, सहकारी आवास समितियों को दिए जाने वाले तथा मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

मद 3 : राज्य ररकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले अन्य ऋण में अर्थोपाय अग्रिम, अल्पावधिक कृषि ऋण, दैवी विपत्तियों के संबंध में देय ऋण तथा आयोजना-भिन्न अन्तर को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले विशेष ऋण शामिल हैं । चूंकि राज्यों को दिए गए सभी अर्थोपाय अग्रिम उसी वित्तीय वर्ष में ले लिए जाते है इसलिए 1975-76 से इस शीर्ष के अन्तर्गत भुगतान और प्राप्तियों को छोड़ देने का निश्चय किया गया था । इसी प्रकार, कृषि विनिष्टियों के लिए राज्य सरकारों को अल्पावधि ऋणों को 1985-86 (वास्तविक) से छोड़ दिया गया है । राज्यों को दिये गये मध्यावधि ऋणों को, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास उसके घाटों/ओवर ड्राफ्टों को पूरा करने के लिए उन्हें दी गई थी, छोड़ दिया गया क्योंकि इनसे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा पुस्तकों में राज्यों की देनदारियों का केन्द्र को अंतरण ही प्रकट होता था । गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो को अन्य ऋण में उसके घाटा की पूर्ति के लिए तथा पहले की ऋणों की वापसी अदायगियों के लिए दिए गए आयोजना-भिन्न ऋण शामिल हैं । तथापि 1975-76 (संशोधित अनुमान) से गैर-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमो के पिछले ऋणों के नवीनीकरण का ब्यौरा उपलब्ध हो गया है और इस कारण इनको "व्यय" "आय" में शामिल नहीं किया गया है । विदेशी सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों में वे प्रक्रियात्मक ऋण शामिल हैं जो उन देशों को दिए जाते हैं जिनके साथ रुपयों में अदायगी करने के लिए करार किए गए हैं । चूंकि अधिकांश प्रक्रियात्मक ऋणों की वसूली उसी वित्तीय वर्ष में की जाती है इसलिए उन्हें अब 1981-92 (वास्तविक) से निवल आधार पर दिखाया गया है । अन्यों को दिए जाने वाले ऋणों में सरकारी कर्मचारियों के देय वाहन अग्रिम तथा राहत ऋण (जैसे तूफान सहायता) शामिल हैं ।

मद 4 : इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ तथा एशियाई विकास बैंक को दिए जाने वाले अभिदान शामिल हैं ।

मद 5 : यह मद स्वर्ण की किसी भी बिक्री की राशि के समायोजन के बाद स्वर्ण की वास्तविक खरीद की द्योतक है जैसे कि 1980-81 में 4 करोड़ रूपए के राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांडो के रुप में वापसी अदायगी किया जाना ।

मद 7 : औरों द्वारा "ऋणों की वापसी" अदायगी में सरकारी उपक्रमो द्वारा वापस अदा किए गए ऋण शामिल हैं । यहां पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि राज्यों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों और अल्पावधि कृषि ऋण को उसी वर्ष में वापस अदा करना पड़ता है जिसमें वे दिए जाते हैं लेकिन उन्हें प्राप्ति और व्यय दोनों मदों में दिखाया जाता है ।

and net foreign borrowing and by the deficit financing.

Item 1: Investments in shares of Government concerns denote investments in the share capital of such non-departmental commercial undertakings of the Government, in which the Central Government ownership is more than 50 per cent. Acquisition of shares as a result of nationalisation of banks, general insurance etc., is also treated as investment. All other concerns whether in the private, cooperative or public sector have been treated as 'others'. In the case of Government concerns, a distinction has been drawn between financial concerns and non-financial concerns.

Item 2: Loans for capital formation include loans given for the creation of capital assets and comprise loans to States, local authorities, non-departmental commercial undertakings and others. Loans to States out of small savings have been treated as loans for capital formation. Only plan loans given to non-departmental commercial undertakings have been taken as loans for capital formation. Loans for capital formation to others include loans to private industrial undertakings, cooperative housing societies and house-building loans to Government employees.

Item 3: 'Other loans' to State Governments and Union Territories include ways and means advances, short-term agricultural loans, loans for natural calamities and special loans for meeting non-plan gaps. Since the entire ways and means advances to States are recovered within the same financial year, it was decided to ignore both the disbursements and the receipts under this head with effect from 1975-76. Similarly, short-term loans to State Governments for agricultural inputs have been ignored with effect from 1985-86 (Accounts). Medium-term loans to States to clear their deficits/ overdrafts with the Reserve Bank of India are also ignored, as these represent only transfer of liability from the States to the Centre in the books of the Reserve Bank. 'Other loans' to non-departmental commercial undertakings include non-plan loans given for meeting their losses and also for the repayment of past loans. However, from 1975-76(RE) onwards, the details of renewals of past loans in respect of non-departmental commercial undertakings became available and therefore, these have been excluded both from the outgoings and the incomings. Loans to foreign Governments also include technical credits to countries having rupee payment agreements. Since a large part of technical credits are recovered within the same financial year, these are now shown on a net basis with effect from 1981-82(Accounts). Loans to 'others' include conveyance as well as relief (e.g. cyclone) loans to Government employees.

Item 4: This include subscription to IMF, IBRD, IDA and ADB.

Item 5: This represents net purchase of gold after adjusting for any sale of gold, as for instance repayment in gold of National Defence Gold Bonds in 1980-81 valued at Rs.4 crores.

Item 7: Repayments by others include loan repayments by public undertakings. It may be noted that short-term agricultural loans in respect of States are supposed to be repaid in the course of the same year but appear as items of receipts as well as of expenditure.

विवरण 5 : ***वित्तीय देनदारियों में परिवर्तन : सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का पूंजी खाता***

यह विवरण केन्द्रीय सरकार के ऋण संबंधी लेखे का द्योतक है और इसका संबंध विवरण 3 और 4 से होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था से है । प्राप्तियों से सकल बाजार ऋण की रकमें, सकल विदेशी ऋण और अल्प बचतों से निवल प्राप्तियां, भविष्य निधियां, गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमाराशियां, अनिवार्य जमाराशियों विविध पूंजीगत प्राप्तियों (निवल) के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष उधार, 'राजकोषीय हुंडियों' (मद 13) की बिक्री से रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले अन्य उधारः राजकोषीय हुण्डियों की निवल बिक्रियां निधि परिचालनों के समायोजन करने के बाद दर्शायी जाती है । विशेष प्रतिभूतियों की निवल बिक्री (मद 12) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और एशियाई विकास बैंक को अभिदान देने के लिए जारी की जाने वाली हस्तान्तरणीय गैर-ब्याज प्रतिभूतियों की द्योतक है ।

इस संबंध में खर्च होने वाली रकमों में बाजार ऋणों (मद 1) और विदेशी ऋणों (मद 2) के संबंध में वापिस अदायगी की जाने वाली शामिल हैं । इस विवरण के अन्तर्गत शेष राशि को समायोजित रकम के साथ मिलाने पर वह वि व रण 3 और वि वरण 4 की संतुलनकारी मदों के योग के बारबर हो जाती है ।

विवरण 6 : ***सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों का रोकड़ और पूंजी समाधान खाता***

यह एक ऐसा समाधान खाता है जो सार रूप से विव रण 3, 4 और 5 की निवल स्थिति का द्योतक है थऔर केन्द्रीय सरकार के सभी लेन-देनों के, उसकी नकदी राशि पर पड़ने व ाले प्रभाव को दिखाता है । विव रण 5 में राजकोषीय हुंडियों की बिक्री की निवल राशियों और नकद शेष राशि में होने वाले अन्तर को मिलाकर देखना केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी घाटे को मापने की एक परम्परागत व्यवस्था है । किन्तु आर्थिक दृष्टि से घाटे की वित्तव्यवस्था को ठीक-ठीक समझने के लिए और बातों का समायोजन आवश्यक होता है जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य पार्टियों के हाथ बेचे जाने वाली राजकोषीय हुंडियों की रकमों को अलग करना पड़ता है और इस घाटे का हिसाब लगाने के लिए बाजार ऋणों के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले समर्थनों को इसमें शामिल करना पड़ता हैं।

ख. कार्य संबंधी वर्गीकरण

कार्य संबंधी वर्गीकरण का उद्देश्य मुख्य अभीष्ट प्रयोजनों के अनुसार सरकारी खर्च की मुख्य मदों अर्थात् रक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सेवाओं आदि मदों को भिन्न-भिन्न वर्गों में संकलित करना हैं । किन्तु इस पुस्तिका में वर्गीकरण का उद्देश्य सरकारी व्ययों के कार्य संबंधी वर्गीकरण में कुछ संशोधन करना नहीं है जो कि वर्तमान बजट पत्रों में हैं, बल्कि यह आर्थिक वर्गीकरण के साथ कार्यों के अनुसार पुनः वर्गीकरण करने का एक प्रयास है जिसके आर्थिक वर्गीकरण से उत्पन्न आयामों का महत्व बढ़ाया जा सके ।

यह बात भी उल्लेखनीय है कि कार्य संबंधी वर्गीकरण की स्कीम, वस्तुतः व्यय से संबंधित है और यह प्राप्तियों पर लागू नहीं होती । केन्द्रीय सरकार का कुल परिव्यय जिस पर यह लागू होता है, आर्थिक वर्गीकरण विवरण 1 में चालू व्यय, विवरण 3 में पूंजी परिव्यय और विवरण 4 में वित्तीय निवेशों और श्रेणियों तथा अग्रिमों से बनता है । ये तीन विवरण उन व्ययों को प्रदर्शित करते हैं जिनका संबंध सरकारी नीतियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट प्रयोजनों के साथ जोड़ा जा सकता है यही बात विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के चालू व्यय के लिए नहीं कहीं जा

Account 5: ***Changes in financial liabilities : Capital Accounts of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings***

This represents the borrowing account of the Central Government, and is concerned with the provision of finance for meeting the deficits emerging from Account 3 and 4. Incomings detail gross market borrowing, gross borrowing from abroad, net accretions to small savings, provident funds, deposits of non-government provident funds, special borrowings from the R.B.I. against compulsory deposits and miscellaneous capital receipts (net) other borrowing from the Reserve Bank in the sale of 'treasury bills' (item 13): net sales of treasury bills are shown after adjusting for funding operations. The net sale of special securities (item 12) denotes mainly the result of transactions in the issue of non-negotiable non-interest bearing securities from subscriptions to IMF, IBRD, IDA and ADB and their encashment.

The outgoings on this account include repayments on account of market borrowings (item 1) and foreign loans (item 2). The balance emerging from this Account represents the net increase in financial liabilities and together with adjustment in cash balances is equivalent to the sum of balancing items in Account 3 and 4.

Account 6: ***Cash and Capital Reconciliation Account of Government Administration and Departmental Commercial Undertakings***

This is the reconciliation account summing up the net position in respect of Accounts 3, 4 and 5 and showing the effect of all transactions of the Central Government on its cash position. The net variation in the cash balance read with net sales of treasury bills in Account 5 provide a conventional measure of the Central Government's budgetary deficit. The derivation of deficit financing in an economically more meaningful sense, however, calls for further adjustments; sales of treasury bills to parties other than the Reserve Bank of India have to be excluded and the Reserve Bank's support to market borrowings included in the computation of this deficit.

B. Functional Classification

A functional classification is designed to group the main items of Government expenditures in terms of broad purposes to be served, i.e. defence, administration, health, education, economic services etc. The objective of the classification adopted in this brochure, however, is not to introduce some refinements in the functional grouping of Government expenditures as may be already existing in the budget documents, but rather it is to attempt a reclassification by functions in conjunction with an economic classification in order to increase the significance of the magnitudes emerging from the latter.

It is also noteworthy that the scheme of functio[nal] classification relates essentially to expenditures and does [not] apply to receipts. The total outlay of the Central Governm[ent] to which it applies is made up of the current expenditure [in] Account 1, capital expenditure in Account 3 and financial investments and loans and advances in Account 4 of the Economic Classification. These three accounts show expenditures which can be related to specific purposes to be served by Government policies. The same cannot be said of the

सकती। (जैसा आर्थिक वर्गीकरण के विवरण 2 में दिखाया गया है) हालांकि इन उपक्रमों द्वारा किया गया पूंजी निर्माण कार्य संबंधी वर्गीकरण में शामिल किया जाता है ।

केन्द्रीय सरकार के व्यय का वर्गीकरण चार मुख्य श्रेणियों में किया गया है :—

1. सामान्य सेवाएं
2. सामाजिक सेवाएं
3. आर्थिक सेवाएं
4. अनावंटनीय

श्रेणी 1 : इसका संबंध सामान्य सेवाओं से है और इसमें असैनिक (सिविल) तथा रक्षा संबंधी दोनों व्यय आते हैं । ये व्यय राष्ट्र के बुनियादी प्रशासनिक ढंचे की व्यवस्था के लिए किए जाते हैं अतः सामान्य प्रशासन, कर संग्रह, पुलिस, करेंसी तथा टकसाल, विदेशों से संबंध, रक्षा तथा दैवी विपत्तियों से बचाव के लिए किया जाने वाला आयोजना-भिन्न व्यय इस श्रेणी के अन्तर्गत दिखाया जाता है यह भी ध्यान दिया जाए कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यकलापों के निदेशन तथा अधीक्षण से संबंधित प्रशासनिक व्यय को संबद्ध कार्य के संबंधी शीर्षकों के अन्तर्गत दिखाया गया है जहाँ एक से अधिक कार्यकलाप शामिल हों (उदाहरणार्थ लोक निर्माण कार्य), वहां ऊपरी प्रशासनिक खर्च को यथा सम्भव सीमा तक, विभिन्न कार्यकलापों में बांटने का प्रयास किया गया है।

श्रेणी 2 : इसका संबंध सामाजिक सेवाओं से है और यह समाज की बुनियादी सामाजिक सुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था से संबंधित है इसमें शिक्षा, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का व्यय शामिल है शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को संबद्ध कार्यकलाप में आवंटित किया गया है उदाहरण के लिए परमाणु तथा औद्योगिक अनुसंधान दोनों उद्योग के अन्तर्गत दिखाए गए हैं । उपसमूह चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में परिवार कल्याण के कार्यक्रम भी आते हैं उपसमूह अन्य सामाजिक सेवाओं में आवास, श्रमिक कल्याण तथा अन्य समाज कल्याण योजनाएं, संग्रहालय, पुरातत्व, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा प्रसारण और प्रचार के अन्य साधनों से संबंधित व्यय भी शामिल हैं विभिन्न रोजगार कार्यक्रम के व्यय के लिए बजट में जो व्यवस्था की गई है वह इसमें शामिल है । इसी उपसमूह में प्रथमिक शिक्षा, गन्दी बस्ती के सुधार, ग्रामीण जल पूर्ति और ग्रामीण आवास स्थलों के लिए बजट में एक मुख्य रकम के रूप में की गई व्यय व्यवस्था भी शामिल हैं । बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम का व्यय भी यहां पर दिखाया गया है । विस्थापितों के लिए राहत कार्य पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल है।

श्रेणी 3 : इसमें आर्थिक सेवाओं के लिए की गई व्यवस्था आती है और इसमें सभी व्यय शामिल हैं जो अर्थ-व्यवस्था के उत्पादक कार्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं । इसलिए उत्पादक आर्थिक सहायता जैसे कि उर्वरकों, कोयला और रेलवे के लिए दी जाने वाली सहायता के साथ-साथ निर्यात संवर्धन और सहायता बाजार विकास के लिए यहां शामिल की जाती है । कृषि, उद्योग, परिवहन तथा संचार और 'अन्य आर्थिक सेवाएं' में और आगे अन्तर-विभाजित आर्थिक कार्यकलाप की किस्म के अनुसार किया जाता है । कृषि में सिंचाई, पशु-पालन, मीन उद्योग, वन पालन, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास शामिल है । उद्योग में मोटे तौर पर बड़े और छोटे उद्योग, ग्रामोद्योग, विद्युत विकास, खनिज साधनों का उपयोग तथा व्यापार और निर्यात संवर्धन आते हैं । परिवहन और संचार में रेल, डाक, दूर-संचार, सड़क, पत्तन, नौवहन,

current expenditure of departmental commercial undertakings (as shown in Account 2 of the Economic Classification) although capital formation by these undertakings is included in the functional classification.

The expenditure of the Central Government has been grouped into four main categories:

1. General Services
2. Social Services
3. Economic Services
4. Unallocable

Category 1 : Category 1 relates to General Services and covers both civil and defence. These expenditures are incurred for the provision of the basic administrative structure of the nation; thus expenses on general administration, tax collection, police, currency and the mint, conduct of external relations, defence and the non-plan provision against natural calamities are shown under this category. It may be noted that the administrative expenditures concerned with the direction and superintendence of the various social and economic activities appear under the relevant functional heads. Where more than one activity is involved (e.g. public works), an attempt has been made to apportion, to the extent possible, the administrative overheads to the various activities.

Category 2 : Category 2 relates to Social Services and is concerned with the provision of basic social amenities to the community. Expenditures on education, medical and public health and other social services are included here. Education covers both general and technical education (e.g. engineering and medical colleges) and also basic research. However, in-service training and applied research have been allocated to the activities concerned. For instance, both atomic and industrial research appear under Industry. The sub-group 'medical and public health' also covers family welfare programmes. The sub-group 'other social services, includes housing, labour welfare and other social welfare schemes, museums, archaeology, public libraries and also expenditures connected with broadcasting and other publicity media. Expenditures provided in the budget for various programmes of employment are also included here. This sub-group also covers such expenditures as the lump-sum provision made in the budget for primary education, slum improvement, rural water supply and rural home sites. The expenditure on nutrition programme for children is also shown here. The relief expenditure for displaced persons are included here.

Category 3 : Category 3 comprises provision for Economic Services and includes all such expenditures as to promote, directly or indirectly, productive activity within the economy. Producer's subsidies such as for fertilisers, coal and railways, as also the assistance for export promotion and market development are, therefore, included here. Further sub-division into agriculture, industry, transport and communications and 'other economic services' is done according to the type of economic activity. Agriculture includes irrigation, animal husbandry, fisheries, forestry, cooperation and community development. Industry broadly covers both large, small scale and village industries, power development, exploitation of mineral resources and trade and export promotion. Transport

नागर विमानन आदि शामिल है । 'अन्य आर्थिक सेवाएं' एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें बहुप्रयोजनी परियोजनाओं पर व्यय और अल्प बचतों में राज्यों के हिस्से जैसी मदें शामिल हैं, राज्यों को आयोजनागत सहायता के लिए केन्द्र द्वारा मंजूर किए गए एकमुश्त अनुदान और ऋण भी इसी श्रेणी में आते है, हालांकि इन्हें अलग दिखाया गया है । ये सभी व्यय ऐसे हैं जिनका संबंध आर्थिक कार्यकलापों की एक से अधिक किस्मों से है।

अन्त में, कुछ ऐसी किस्म के व्यय हैं जिनका संबंध विशिष्ट प्रयोजनों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता और उनका वर्गीकरण अनावंटनीय श्रेणी के अन्तर्गत किया गया है इसमें शामिल व्यय की मुख्य किस्में हैं-ब्याज अदायगी, पेंशन, खाद्य, खाद्य तेल तथा नियंत्रित कपड़े पर दी जाने वाली उपभोक्ता आर्थिक सहायता तथा राज्य सरकारों को सांविधिक सहायता, अनुदान अर्थोपाय अग्रिम और विशेष ऋण । यद्यपि खपत संबंधी आर्थिक सहायता की रकमें अनावंटनीय मानी गई हैं किन्तु अन्य आर्थिक सहायता की रकमें संगत कार्य श्रेणियों में आवंटित की गई है । अनावंटनीय श्रेणी में विदेशों को रकमों का अन्तरण जैसे नेपाल और भूटान को अनुदान तथा विदेशों को प्रक्रियात्मक ऋण तथा अन्य ऋण आते हैं । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए जाने वाले अभिदानों का संबंध है, यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा खाद्य और कृषि संगठन को दिए जाने वाले अंशदान उनके अपने-अपने कार्य संबंधी शीर्षकों (जैसे स्वास्थ्य तथा कृषि) के अन्तर्गत आते हैं किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ को अंशदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आदि को दिए जाने वाले सामान्य सेवाएं के अन्तर्गत दिखाए गए हैं ।

आर्थिक श्रेणियों तथा कार्यों के द्वारा केन्द्रीय सरकार के व्ययों के सम्मिलित वर्गीकरण में, जैसा इस पुस्तिका में बताया गया है, स्तम्भ (कालम) कार्य संबंधी वर्गों के अनुरूप है और पंक्तियां उनके आर्थिक स्वरूप को सूचित करती है जिसका आधार आर्थिक वर्गीकरण है । स्तम्भों के अनुसार पढ़ते हुए आर्थिक शीर्षकों के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य संबंधी श्रेणी का ब्योरा देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए इससे यह पता चलता है कि प्रत्यक्ष चालू व्यय के रूप में शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ, अनुदानों और ऋणों के रूप में कितना व्यय हुआ और पूंजी निर्माण अर्थात् स्कूली इमारतों आदि के रूप में कितना खर्च हुआ । इसी प्रकार पंक्तियों के साथ-साथ पढ़ते हुए यह पता चलता है कि खपत पूंजी पर होने वाले व्यय में से प्रशासनिक सेवाओं के लिए और सामाजिक तथा आर्थिक शक्ति तैयार करने पर कितना खर्च किया गया। इस प्रकार सम्मिलित वर्गीकरण केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का द्योतक है जिसे, खपत, सकल पूंजी निर्माण, चालू और पूंजीगत वित्तीय निवेशों तथा ऋणों और अग्रिमों की मदों में उसके मुख्य प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक प्रयोजनों के हिसाब से बांट कर दिखाया गया है।

and communications include Railways, Posts, Tele-cummunications, ports, shipping, civil aviation, roads etc. 'Other economic services' is a residual category which includes items like outlays on multipurpose projects, and States' share in small savings. The block grants and loans granted by the Centre to the States for plan assistance, although shown separately, also belong to the same category. All these expenditures are as such concerned with more than one type of economic activity.

Finally, there are certain types of expenditure which cannot be related to specific purposes and have been grouped under the category "unallocable". The main types of expenditures included here are interest payment, pensions, consumer subsidies (such as on food, edible oils and controlled cloth) and such transfers to the State Governments as statutory grants-in-aid, and special loans. While consumption subsidies have been treated as unallocable, other subsidies such as subsidies for fertilisers, cotton and exports have been allocated to the relevant functional categories. The unallocable category also includes transfer to foreign countries e.g. grants to Nepal and Bhutan, technical credits and other loans to foreign countries. As regards contributions to international organisations, it may be noted that while contributions to such organisations as World Health Organisation and Food and Agricultural Organisation of the United Nations, appear under the respective functional heads (viz. health and agriculture) contribution to the United Nations and also subscription to IMF, IBRD etc., are shown under General Services.

In the cross-classification of the Central Government expenditure by economic categories and by functions, as presented in this brochure, columns correspond to the functional categories and rows indicate their economic character, as derived from the Economic Classification. Thus reading along columns one may find out the breakdown of each functional category under economic heads; for instance, it would show as to how much of the total expenidutre on education is in the form of direct current expenditure, how much in the form of grants and loans and how much in the form of capital formation i.e. construction of school buildings, etc. Similarly, reading along rows, one may find out as to how much of the expenditure on consumption or capital formation is for administrative services and how much for building up social and economic potential. The cross-classification thus shows the total expenditure of the Central Government as broken down into consumption, gross capital formation, current and capital transfers and financial investments and loans and advances and as related to their broad administrative, social and economic purposes.

वित्त मंत्रालय (मुद्रणालय) द्वारा मुद्रित
Printed by Ministry of Finance(Press) 10991291

Key to Budget Documents for 1991-92

वर्ष 1991-92 के बजट-पत्रों का संक्षिप्त परिचय

वार्षिक वित्तीय विवरण

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत किया जाता है । "वार्षिक वित्तीय विवरण" नामक यह विवरण मुख्य बजट-दस्तावेज होता है । वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों को तीन भागों में, जिनके अनुसार सरकारी लेखे रखे जाते हैं, दिखाया जाता है । ये भाग इस प्रकार है :- (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक खाता ।

2. सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्वों से, सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधारों से और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियों से जो धनराशियां प्राप्त होती हैं वे सब "समेकित निधि" में दिखाई जाती हैं । सरकार का सभी खर्च समेकित निधि से किया जाता है और जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक इस निधि में से कोई भी रकम खर्च नहीं की जा सकती।

3. कभी-कभी ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब सरकार को संसद की स्वीकृति मिलने के पहले ही कुछ ऐसा बहुत जरुरी खर्च करना पड़ता है जिसका पहले से अन्दाजा नहीं रहता । इस तरह का खर्च आकस्मिकता निधि से किया जाता है । यह निधि अग्रदाय के रूप में राष्ट्रपति के पास रहती है । इस प्रकार आकस्मिकता निधि से जो रकम खर्च की जाती है उसके बारे में, बाद में संसद का अनुमोदन ले लिया जाता है और संसद की स्वीकृति से समेकित निधि में से उतनी ही रकम निकाल कर वापस आकस्मिकता निधि में डाल दी जाती है । इस समय, इस निधि के लिए संसद द्वारा निर्धारित कुल राशि 50 करोड़ रूपए है ।

4. सरकार की सामान्य प्राप्तियों और व्यय के अतिरिक्त, जिनका सम्बन्ध समेकित निधि से होता है, सरकारी खातों में कुछ अन्य लेन-देनों जैसे भविष्य निधियों के सम्बन्ध में लेन-देन, अल्प बचत संग्रह, अन्य जमा आदि का हिसाब भी रखा जाता है । सरकार इन लेन-देनों के सम्बन्ध में लगभग बैंकर के रूप में कार्य करती है । इस तरह जो रकमें प्राप्त होती हैं उन्हें लोक खाते में दिखाया जाता है और सम्बन्धित संवितरण इसी में से रकम निकाल कर किया जाता है । आम तौर से लोक खाते में दिखाई जाने वाली रकम सरकार की निधियां नहीं होती, क्योंकि इस धनराशि को किसी न किसी समय उन व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जो इसे जमा कराते हैं, वापस देना होता है। इसलिए लोक खाते से अदायगी करने के लिए संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होता । सरकार की आय का कुछ भाग, कुछ मामलों में, खास-खास कार्यों के लिए, जैसे चीनी विकास के लिए या वाणिज्यिक उपक्रमों में जो मशीनरी आदि पुरानी पड़ गई हो उसके स्थान पर नई मशीनरी लाने आदि के लिए अलग-अलग निधियों में अलग निकाल कर रख लिया जाता है । यह रकम संसद की स्वीकृति लेकर समेकित निधि से निकाली जाती है और विशेष कार्यों पर खर्च किए जाने के लिए लोक खाते में जमा रखी जाती है । फिर भी, कार्य-विशेष पर जो खर्च किया जाता है उसे संसद के सम्मुख उसकी स्वीकृति के लिए फिर प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि यह रकम निधियों को अन्तरित किए जाने के लिए पहले ही संसद द्वारा निर्धारित की हुई होती है।

5. संविधान के अनुसार, बजट में राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखाना होता है । इसलिए सरकार का बजट (i) राजस्व बजट और (ii) पूंजी बजट, दो भागों में बंटा होता है।

6. राजस्व बजट में सरकार को राजस्व (कर-राजस्व और अन्य राजस्व) से होने वाली आय तथा इन राजस्वों से किया जाने वाला व्यय शामिल होता है । कर-राजस्व में संघ द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं । वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए राजस्व प्राप्तियों के अनुमान में वित्त विधेयक में किए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों का प्रभाव शामिल होता है । सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्यतः उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर ब्याज और लाभांश, फीस तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज प्रभारों आदि पर होता है । मोटे तौर पर ऐसे सभी व्यय जिनसे किसी परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होता, राजस्व व्यय माना जाता है । राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए जाने वाले सभी अनुदान भी राजस्व व्यय माने जाते हैं यद्यपि, ऐसे कुछ अनुदान परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए हो सकते हैं ।

7. पूंजी बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं । पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें ये हैं :- सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार जिन्हें बाजार उधार कहा जाता है, राजकोषीय हुंडियों की बिक्री के जरिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य पक्षों से लिए जाने वाले उधार, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से प्राप्त उधार और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और अन्य पक्षों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उधार की वसूली से होने वाली वसूलियां । पूंजीगत भुगतान में ये मदें शामिल होती हैं :- जमीन, इमारतों, मशीनों, उपकरणों जैसी परिसम्पत्तियों की प्राप्ति पर किया जाने वाला पूंजी व्यय और शेयरों आदि में लगाई जाने वाली पूंजी और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पार्टियों आदि को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले उधार और अग्रिम । पूंजी बजट में लोक खाते के लेन-देन भी शामिल होते हैं ।

लेखाओं का वर्गीकरण

8. वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राप्तियों और भुगतानों के अनुमान तथा अनुदानों की मांगों में व्यय के अनुमान लेखाओं के वर्गीकरण की उसी प्रणाली के अनुसार दिखाए जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत विहित है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य संसद और जनता को यह समझने में सहायता देना है कि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है और इस तरह खर्च करने में सरकार के उद्देश्य क्या हैं ।

9. संविधान के अनुसार, खर्च की कुछ मदें, जैसे राष्ट्रपति की परिलब्धियां, राज्य सभा के सभापति और उप-सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशनें, सरकार द्वारा लिए गए उधारों के ब्याज और उनकी वापसी-अदायगियों और अदालती डिक्रियों के सम्बन्ध में की गई अदायगियां, समेकित निधि पर भारित होती हैं और इन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है । वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि पर भारित खर्च को अलग से दिखाया जाता है ।

अनुदानों की मांगें

10. वार्षिक वित्तीय विवरण में समेकित निधि से किए जाने वाले व्यय के अनुमान दिए गए हैं। ये अनुमान संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में अनुदानों की मांगो के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और इनकी स्वीकृति लोक सभा से लेनी होती है । सामान्यतः, प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग के सम्बन्ध में एक मांग प्रस्तुत की जाती है । लेकिन बड़े मंत्रालयों या विभागों के सम्बन्ध में एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं । प्रायः प्रत्येक मांग में एक सेवा के लिए कुल आवश्यक व्यवस्था दी गई होती है अर्थात् इसमें राजस्व से किया जाने वाला व्यय, पूंजी व्यय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान और उस सेवा के सम्बन्ध में उधारों और अग्रिमों के लिए की गई व्यवस्था शामिल होती है । विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक अलग मांग पेश की जाती है । जिन मामलों में किसी सेवा से संबद्ध व्यवस्था पूर्ण रूप से समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए होती है, जैसे ब्याज की अदायगियां, तो उस व्यय के लिए, मांग से बिल्कुल भिन्न, एक अलग विनियोग प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए संसद से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु किसी ऐसे सेवा व्यय के मामले में, जिसमें स्वीकृत एवं भारित दोनों मदें शामिल हों, तो उस सेवा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मांग में भारित व्यय भी शामिल कर लिया जाता है लेकिन स्वीकृत और भारित व्यवस्थाएं उक्त मांग में अलग-अलग दिखाई जाती हैं ।

11. अनुदानों की मांगें वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ लोक सभा में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रत्येक मांग में ऊपर की ओर पहले "स्वीकृत" और "भारित" व्यय तथा साथ ही मांग में सम्मिलित "राजस्व" और "पूंजी" व्यय के अलग-अलग जोड़ दिखाए जाते हैं । इसके अलावा जिस खर्च के लिए मांग प्रस्तुत की जाती है, उसका कुल जोड़ भी इसमें दिखाया जाता है । इसके बाद विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत व्यय के अनुमान दिए जाते हैं । प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय का आयोजना और आयोजना-भिन्न विभाजन भी दिखाया जाता है । खातों में व्यय में से घटाई गई वसूलियां भी दिखाई जाती हैं । पुस्तक के प्रारम्भ में अनुदानों की मांगो का सारांश दिया जाता है तथा इसके अंत में "नई सेवा" अथवा "नई सेवा के साधनों" जैसे कि नई कम्पनी, उपक्रम का निर्माण, अथवा नई योजना का शुरू किया जाना आदि का विवरण भी दिया जाता है ।

वित्त विधेयक

12. संसद द्वारा अनुमोदित अवधि के आगे नए कर लगाने, विद्यमान कर ढांचे के संशोधन अथवा विद्यमान कर ढांचे को जारी रखने से संबंधित सरकार के प्रस्तावों को वित्त विधेयक के जरिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है ।

13. संविधान की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट दस्तावेजों को कुछ विशेष कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं और इसलिए स्वयं उनके द्वारा बजट की प्रमुख विशेषताओं का स्पष्ट संकेत नहीं दिया जा सकता । बजट के सरल बोध को सुविधाजनक बनाने के लिए बजट के साथ कुछ विशेष व्याख्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं।

बजट का सार

14. बजट का सार नामक पुस्तक में, मोटे तौर पर कर-राजस्व और अन्य प्राप्तियों के ब्यौरे के साथ-साथ, संक्षिप्त रूप में प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण दिया गया है । इस पुस्तक में मोटे तौर पर आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय, आयोजना परिव्यय के क्षेत्रवार आवंटन और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरित किए गए साधनों का

ब्योरा भी दिया गया है । इस पुस्तक में राजस्व घाटा, समग्र घाटा और केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा भी दिखाया जाता है । सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक राजस्व व्यय सरकार का राजस्व घाटा होता है । पूंजी व्यय और पूंजी प्राप्तियों को मिलाकर भी किसी एक वर्ष की प्राप्तियों और व्यय में अन्तर होता है । यह अन्तर, जो 91 दिन की राजकोषीय हुण्डियां (जोकि अधिकांशतः रिजर्व बैंक द्वारा धारित होती हैं) जारी करके पूरा किया जाता है, समग्र बजटीय घाटा होता है । राजकोषीय हुण्डियों के जरिए इस उधार के अलावा सरकार बहुत-सी स्कीमों के तहत निधियां उधार लेती है, जो पूंजी प्राप्तियों का भाग होती हैं । एक ओर, राजस्व, पूंजी और वापसी अदायगियों को घटाकर ऋणों के द्वारा सरकार के कुल व्यय और दूसरी ओर, सरकार की राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, जिनका स्वरूप उधार का नहीं होता परन्तु जो अन्तिम रूप से सरकार को प्राप्त होती हैं, के बीच का अन्तर राजकोषीय घाटा होता है ।

व्यय बजट, खंड-I

15. व्यय बजट, खंड I में राजस्व तथा पूंजी संवितरणों का ब्योरा तथा इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में "आयोजना" और "आयोजना-भिन्न" के अन्तर्गत अनुमानों की जानकारी दी गई है तथा दोनों के अनुमानों में हुई घट-बढ़ के कारण बताए गए हैं । इसमें विभिन्न प्रकार के व्यय का विश्लेषण भी किया जाता है ।

16. लेखा तथा बजट संबंधी वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत कुछ एक प्रकार की प्राप्तियों को जैसे एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को की गई अदायगी और पूंजी परियोजनाओं या योजनाओं से होने वाली आय के उस विभाग के खर्च में से जिसे यह रकम मिलेगी, घटा दिया जाता है । अनुदानों की मांगों में व्यय के जो अनुमान दिए गए है वे सकल व्यय के अनुमान हैं जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए अनुमान, जैसाकि लेखाओं से पता चलता है, निवल व्यय के अनुमान होते हैं, अर्थात् इसमें से वसूलियों को घटा दिया जाता है । व्यय बजट पुस्तक में कतिपय अन्य शोधन भी किए गए हैं जैसे संबंधित प्राप्तियों का व्यय घटाना ताकि प्राप्तियों और व्यय के आंकड़े बढ़ने से बचा जा सके और विभिन्न व्यय की मात्रा का बेहतर मूल्यांकन हो सके । अलग-अलग अनुबन्धों में, सरकार द्वारा दी गई गारंटियों, जो मार्च, 1990 के अन्त तक बकाया थीं, तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को किए गए अंशदान दिखाए गए हैं । इस पुस्तक में विभिन्न सरकारी विभागों की स्थापना की अनुमानित संख्या और उनके लिए की गई व्यवस्था दर्शाने वाले एक विवरण भी शामिल किया गया है ।

व्यय बजट, खण्ड-II

17. अनुदानों की मांगों में शामिल प्रस्तावित व्यय के उद्देश्यों को समझने के लिए, मांगों में शामिल प्रमुख कार्यक्रमों के व्यय की विभिन्न मदों और चालू वर्ष के मूल बजट अनुमानों और संशोधित बजट अनुमानों के बीच के अन्तर के कारण और बजट वर्ष की आवश्यकताएं इस पुस्तक में दी गई हैं।

प्राप्ति बजट

18. "वार्षिक वित्तीय विवरण" में शामिल प्राप्तियों के अनुमानों का और आगे विश्लेषण "प्राप्ति बजट" नामक पुस्तक में किया गया है । इस पुस्तक में राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का ब्योरा दिया जाता है और अनुमानों को स्पष्ट किया जाता है । प्राप्तियों की पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों और प्राप्त हुई विदेशी सहायता का ब्योरा भी इसमें दिया जाता है।

19. वित्त विधेयक में दिए गए कराधान संबंधी प्रस्तावों को समझने में सुविधा देने के लिए विधेयक की व्यवस्थाओं की वित्त विधेयक में व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन शीर्षक वाली पुस्तक में व्याख्या की जाती है ।

20. बजट प्रस्तुत करने के कुछ समय के बाद अनुदानों की मांगों के पश्चात् अनुदानों की ब्यौरे-वार मांगें लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं लेकिन ये अनुदानों की मांगों पर चर्चा से पूर्व रखी जाती है । इन अनुदानों की ब्यौरे-बार मांगों में अनुदानों की मांगों में शामिल व्यवस्था के और ब्यौरे के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय दिया जाता है । प्रत्येक कार्यक्रम/संगठन, जहां कहीं भी अन्तर्ग्रस्त राशि 10 लाख रूपए से कम नहीं है, से संबंधित अनुमानों का विभाजन बहुत से ब्यौरे-वार शीर्षों के अन्तर्गत दिया जाता है जो उस कार्यक्रम, जैसे वेतन, मजदूरी, यात्रा व्यय, सामग्री तथा उपस्कर, सहायता अनुदान आदि, पर किए गए व्यय के स्वरूप और श्रेणियों को विर्दिष्ट करता है । इन ब्यौरे-बार मांगों के अन्त में खातों में व्यय को घटाकर दी गई वसूलियों का ब्यौरा दिखाया जाता है । मुख्य कार्यक्रमों और स्कीमों के वस्तुपूरक और वित्तीय पहलूओं को कार्य-निष्पादन बजटों में शामिल किया जाता है, जो मंत्रालय/विनभागों द्वारा संसद में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं ।

राज्यों को अन्तरित साधन

21. राज्य सरकारों को विभिन्न आयोजना और आयोजना-भिन्न योजनाओं के लिए अनुदान और उधार दिए जाते हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर, संघ उत्पाद-शुल्कों और संपदा-शुल्क के रूप में संग्रहीत कर-राजस्व की काफी बड़ी राशि भी राज्य सरकारों को दी जाती है। कुछ राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके राजस्व साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित कुल साधनों की जानकारी "बजट का सार" नामक पुस्तक में एक विवरण में दी गई है । करों, सहायता अनुदानों और उधारों के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली राशियों का और अधिक ब्यौरा व्यय बजट, खंड-I में दिया गया है । संघ उत्पाद-शुल्कों का हिस्सा और अधिकांश अनुदान तथा उधार वित्त मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं और यह इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली "राज्य सरकारों को अन्तरण" नामक मांग में शामिल किए जाते हैं । जो अनुदान और उधार अन्य मंत्रालयों द्वारा दिए जाते हैं, उन्हें उन मंत्रालयों की मांगों में दिखाया जाता है ।

आयोजना परिव्यय

22. केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय में आयोजना व्यय का अनुपात काफी अधिक होता है । विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में, प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत आयोजना व्यय को आयोजना-भिन्न व्यय से अलग दिखाया जाता है । व्यय बजट, खण्ड-I में प्रत्येक मंत्रालय के कुल आयोजना खर्च को विभिन्न विकास शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया गया है और आयोजना के अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए बजट में की गई खर्च की व्यवस्था को स्पष्ट करके दिखाया गया है ।

निष्पादन बजट

23. विकासात्मक कार्यकलापों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा निष्पादन बजट तैयार किए जाते हैं और संसद सदस्यों को प्रचलित किया जाता है । निष्पादन बजट कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों के संबंध में मंत्रालय/विभाग का बजट प्रस्तुत करता है और यह केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये और इससे अधिक अनुमानित है, के संबंध में अलग से मूल्यांकन रिपोर्ट देता है । इसमें मंत्रालय/विभाग के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों और निष्पादन पर एक विवरण भी शामिल होता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थापित और उपयोग की गई क्षमता, वस्तुपरख लक्ष्यों और उपलब्धियों, प्रचालन

परिव्यय, पूंजी पर आय आदि का संकेत किया जाता है । यह निष्पादन बजट विकास कार्यक्रमों को कार्यन्वयन में प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के हथियार के रूप में प्रबन्ध की सेवा करता है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यम

24. केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले आयोजना- व्यय का अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर खर्च होता है । सरकार द्वारा इन उद्यमों के परिव्यय की वित्त-व्यवस्था के लिए उनकी शेयर पूंजी में धन लगाकर या उन्हें उधार देकर बजटीय सहायता दी जाती है । व्यय बजट, खंड I में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 1990-91 और 1991-92 में आयोजना और आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दी गई पूंजी और दिए गए उधारों के अनुमानों और इन उद्यमों को अपनी आयोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध बजट-बाह्य साधनों का ब्यौरा दिया गया है । सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर एक ब्यौरेवार रिपोर्ट 'सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा' शीर्षक प्रलेख में दी गई है, जो उद्योग मंत्रालय द्वारा अलग से प्रकाशित की गई । विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों के नियंत्रण के अधीन उद्यमों को कार्यचालन की रिपोर्ट विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों में भी दी गई है, जो संसद सदस्यों को अलग से प्रचालित की गई थी । प्रत्येक सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते अलग से संसद के सभा पटल पर रखे जाते हैं । इसके अलावा, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी संसद के सभापटल पर रखी जाती हैं।

25. रेलवे और दूर-संचार सेवाएं सरकार द्वारा विभागीय रूप से चलाए जाने वाले प्रमुख वाणिज्यिक उपक्रम हैं । रेलवे का बजट और रेल व्यय से संबंधित अनुदानों की मांगें संसद में अलग से प्रस्तुत की जाती हैं । लेकिन, रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है । दूर-संचार विभाग की अनुदानों की मांगें केन्द्रीय सरकार की अन्य अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत की जाती हैं ।

26. वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाई गई रक्षा विभाग की प्राप्तियों और व्यय को रक्षा सेवाओं के अनुमानों के प्रलेख में अधिक विस्तृत रूप से बताया जाता है, जो रक्षा मंत्रालय की ब्यौरेवार अनुदानों की मांगो से साथ प्रस्तुत किए जाते हैं ।

27. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अलावा निकायों को दिए गए अनुदानों के ब्यौरे गैर-सरकारी निकायों को अदा किए गए सहायता अनुदानों के विवरणों में दिए गए हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों के ब्यौरेवार अनुदानों की मांगों के साथ संलग्न होते हैं । व्यय बजट, खंड 1 के अनुबन्ध 6 में 5 लाख रुपए (आवर्ती) अथवा 10 लाख (अनावर्ती) से अधिक के उन सहायता-अनुदानों का विवरण दिया गया है जो गैर-सरकारी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को 1989-90 में मंजूर किए गए थे ।

वार्षिक रिपोर्ट

28. वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के कार्यकलापों का विस्तृत हिसाब वार्षिक रिपोर्ट प्रलेख में दिया जाता है, जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग से तैयार किया जाता है और संसद सदस्यों को अनुदानों की मांगों पर विचार-विमर्श के समय प्रचालित किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा

28. केन्द्रीय सरकार का बजट मात्र प्राप्तियों और व्यय का विवरण नहीं है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजना शुरू किए जनो से यह भी सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण विवरण बन गया है । बजट देश के आर्थिक-जीवन को प्रतिबिम्बित और उसे स्वरूप प्रदान करता है। वर्ष 1990-91 के दौरान देश में आर्थिक प्रवृतियों की पृष्ठभूमि बजट में प्रतिबिम्बित संसाधनों के जुटाने और उनके आंवटन में अधिक सहायक होगी । संसद सदस्यों को पहले परिचालित 1990-91 की आर्थिक समीक्षा प्रलेख इस पृष्ठभूमि को बताता है ।आर्थिक समीक्षा कृषि और औद्योगिक उत्पादन, मुद्रा आपूर्ति, कीमतों, आयातों और निर्यातों और ऐसे अन्य संगत आर्थिक कारकों से संबधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है, जिनका बजट पर प्रभाव पड़ता है।

30. सरकार को बजट का अर्थ-व्यवस्था पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है । सरकारी प्राप्तियों में बढ़ोतरी और व्यय का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव के लिए यह जरूरी है कि उन्हें आर्थिक आकार के रूप में समूहबद्द किया जाए, उदाहरणार्थ पूंजी-निर्माण के लिए अलग से कितना रखा गया है, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कितना खर्च किया है, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों को अनुदानों, ऋणों आदि के रूप में कितना अंतरित किया गया है, यह विश्लेषण केन्द्रीय सरकार के बजट के आर्थिक और कार्यचालन वर्गीकरण में किया गया है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से तैयार किया जाता है ।

विनियोग विधेयक

31. लोक सभा द्वारा अनुदानों की मांगो को पारित होने के बाद, इस प्रकार पारित राशियों और संमेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को समेकित निधि में निकालने की संसद की स्वीकृति विनियोग विधेयक के माध्यम से मांगी गई है । संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अन्तर्गत संसद द्वारा कानून बनाए बिना कोई भी राशि समेकित निधि से नहीं निकाली जा सकती ।

32. अनुदानों की मांगों के विस्तृत विचार की पद्धति नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूरी नहीं होती है । सरकार को पहली अप्रैल से विनियोग विधेयक को अधिनियम बनाए जाने की अवधि तक अपने सामान्य कार्यकलापों को जारी रखे जाने के लिए विनियोग विधेयक (लेखानुदान) के माध्यम से संसद से एक लेखानुदान मांगा जाता है ।

33. वर्ष 1991-92 के लिए अंतरिम बजट मार्च, 1991 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष के पहले 4 महीनों में किए जाने वाले अनुमानित व्यय के लिए लेखानुदान संसद से प्राप्त किया गया । चालू वर्ष के लिए नियमित बजट अब प्रस्तुत किया गया है । विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श होने और उनके लिए स्वीकृति मिलने तथा वित्तीय विनियोग विधेयक के अधिनियमित हो जाने तक सितम्बर, 1991 के अन्त तक किए जाने वाले अनुमानित व्यय के संबंध में आगे एक और लेखानुदान भी संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अनुक्रमणिका

		पैराग्राफ संख्या
सेवाओं का वर्गीकरण	.....	8
वार्षिक वित्तीय विवरण	.....	1,6,8,9,11,16,18,25,26
वार्षिक रिपोर्ट	.....	24,28
विनियोग	.....	10
विनियोग विधेयक	.....	31,32,33
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	.....	32
बजट एक नजर में	.....	14,21
बजट/केन्द्रीय सरकार का बजट	.....	1,5,17,20,23,24,25,29,30
पूंजी बजट	.....	5,7
भारित व्यय	.....	9,10,11,31
समेकित निधि	.....	1,2,4,9,10,31
आकस्मिकता निधि	.....	1,3
रक्षा सेवाओं के अनुमान	.....	26
अनुदानों की मांगें	.....	8,10,11,16,17,20,22,25,28,31,32
अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें	.....	20,26,27
केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्य संबंधी वर्गीकरण	.....	30
आर्थिक समीक्षा	.....	29
व्यय बजट	.....	15,17,21,22,24,27
विदेशी सहायता	.....	18
बजट बाह्य संसाधन	.....	24
वित्त विधेयक	.....	6,12,19
राजकोषीय घाटा	.....	14
सहायता - अनुदान	.....	20,21,27
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	.....	16
अन्तरिम बजट	.....	33
अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में अंशदान	.....	16
बाजार उधार	.....	7
वित्त विधेयक में की गई व्यवस्था का व्याख्यात्मक ज्ञापन	.....	19
नई सेवा	.....	11
निष्पादन बजट	.....	20,22,23
आयोजना परिव्यय	.....	14,22
लोक खाता	.....	1,4,7
सरकारी उद्यम समीक्षा	.....	24
सरकारी क्षेत्र के उद्यम	.....	23,24
रेलवे	.....	25
प्राप्ति बजट	.....	18
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरित संसाधन	.....	14,21
राजस्व बजट	.....	5,6
राजस्व घाटा	.....	14
सरकारी विभागों की स्थापना की संख्या	.....	16
अनुदानों की मांगों का सारांश	.....	11
राजकोष हुंडिया	.....	7,14
दूर संचार	.....	25
लेखानुदान	.....	32

KEY TO THE

BUDGET DOCUMENTS 1991-92

Annual Financial Statement

Under article 112 of the Constitution, a statement of estimated receipts and expenditure of the Government of India has to be laid before Parliament in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. This statement titled "*Annual Financial Statement*" is the main Budget document. The Annual Financial Statement shows the receipts and payments of Government under the three parts in which Government accounts are kept: (i) Consolidated Fund, (ii) Contingency Fund, and (iii) Public Account.

2. All revenues received by Government, loans raised by it, and also its receipts from recoveries of loans granted by it form the *Consolidated Fund*. All expenditure of Government is incurred from the Consolidated Fund and no amount can be withdrawn from the Fund without authorisation from Parliament.

3. Occasions may arise when Government may have to meet urgent unforeseen expenditure pending authorisation from Parliament. The *Contingency Fund* is an imprest placed at the disposal of the President to incur such expenditure. Parliamentary approval for such expenditure and for withdrawal of an equivalent amount from the Consolidated Fund is subsequently obtained and the amount spent from Contingency Fund is recouped to the Fund. The corpus of the Fund authorised by the Parliament, at present, is Rs.50 crores.

4. Besides the normal receipts and expenditure of Government which relate to the Consolidated Fund, certain other transactions enter Government accounts, in respect of which Government acts more as a banker, for example, transactions relating to provident funds, small savings collections, other deposits etc. The moneys thus received are kept in the *Public Account* and the connected disbursements are also made therefrom. Generally speaking, Public Account funds do not belong to Government and have to be paid back some time or the other to the persons and authorities who deposited them. Parliamentary authorisation for payments from the *Public Account* is, therefore, not required. In a few cases, a part of the revenue of Government is set apart in separate funds for expenditure on specific objects like sugar development, replacement of depreciated assets of commercial undertakings etc. These amounts are withdrawn from the *Consolidated Fund* with the approval of Parliament and kept in the *Public Account* for expenditure on the specific objects. The actual expenditure on the specific objects is, however, again submitted for

vote of Parliament even though the moneys have already been earmarked by Parliament for transfer to the funds.

5. Under the Constitution, Budget has to distinguish expenditure on revenue account from other expenditure. Government Budget, therefore, comprises (i) Revenue Budget and (ii) Capital Budget.

6. *Revenue Budget* consists of the revenue receipts of Government (tax revenues and other revenues) and the expenditure met from these revenues. Tax revenues comprise proceeds of taxes and other duties levied by the Union. The estimates of revenue receipts shown in the Annual Financial Statement take into account the effect of the taxation proposals made in the Finance Bill. Other receipts of Government mainly consist of interest and dividend on investments made by Government, fees, and other receipts for services rendered by Government. Revenue expenditure is for the normal running of Government departments and various services, interest charges on debt incurred by Government etc. Broadly speaking, expenditure which does not result in creation of assets is treated as revenue expenditure. All grants given to State Governments and other parties are also treated as revenue expenditure even though some of the grants may be for creation of assets.

7. *Capital Budget* consists of capital receipts and payments. The main items of capital receipts are loans raised by Government from public which are called Market Lo borrowings by Government from Reserve Bank and other parties through sale of Treas Bills, loans received from foreign Governments and bodies, and recoveries of loa granted by Central Government to State and Union territory Governments and oth parties. Capital payments consist of capital expenditure on acquisition of assets like lan buildings, machinery, equipment, as also investments in shares etc. and loans ar advances granted by Central Government to State and Union territory Government Government companies, Corporations and other parties. Capital Budget also incorporate transactions in the Public Account.

Accounting classification

8. The estimates of receipts and disbursements in the Annual Financial Statement and of expenditure in the Demands for Grants are shown according to the accounting classification prescribed under article 150 of the Constitution. This classification is intended to allow Parliament and the public to make a meaningful appreciation of allocation of resources and purposes of Government expenditure.

9. Under the Constitution, certain items of expenditure like emoluments of the President, salaries and allowances of the Chairman and the Deputy Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker and the Deputy Speaker of the Lok Sabha, salaries, allowances and pensions of Judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India, interest on and repayment of loans raised by Government and payments made to satisfy decrees of courts etc. are charged on the *Consolidated Fund* and are not required

to be voted by the Lok Sabha. The Annual Financial Statement shows the expenditure *charged* on the *Consolidated Fund* separately.

Demands for Grants

10. The estimates of expenditure from the *Consolidated Fund* included in the Annual Financial Statement and required to be voted by the Lok Sabha are submitted in the form of *Demands for Grants* in pursuance of article 113 of the Constitution. Generally, one Demand for Grant is presented in respect of each Ministry or Department. However, in respect of large Ministries or Departments more than one Demand is presented. Each Demand normally includes the total provisions required for a service, that is, provisions on account of revenue expenditure, capital expenditure, grants to State and Union territory Governments and also loans and advances relating to the service. In regard to Union territories without Legislature, a separate Demand is presented for each of the Union territories. Where the provision for a service is entirely for expenditure *charged* on the Consolidated Fund, for example, interest payments, a separate *Appropriation*, as distinct from a Demand, is presented for that expenditure and it is not required to be voted by Parliament. Where, however, expenditure on a service includes both *'voted' and 'charged'* items of expenditure, the latter are also included in the Demand presented for that service but the *'voted'* and *'charged'* provisions are shown separately in that Demand.

11. The Demands for Grants are presented to the Lok Sabha along with the Annual Financial Statement. Each Demand first gives the totals of *'voted' and 'charged'* expenditure as also the 'revenue' and 'capital' expenditure included in the Demand separately and also the grand total of the amount of expenditure for which Demand is presented. This is followed by the estimates of expenditure under different major heads of account. The break up of the expenditure under each major head between 'Plan' and 'non-Plan' is also given. The amounts of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts are also shown. A summary of Demands for Grants is given at the beginning of this Document, while details of 'New Service' or ' New Instrument of Service' such as formation of a new company, undertaking a new scheme etc. if any, are indicated at the end of the document.

Finance Bill

12. The proposals of Government for levy of new taxes, modification of the existing tax structure or continuance of the existing tax structure beyond the period approved by Parliament are submitted to Parliament through the *Finance Bill.*

13. The Budget documents presented in terms of the Constitution have to fulfil certain legal and procedural requirements and hence may not by themselves give a clear indication of the major features of the Budget. To facilitate an easy comprehension of the Budget, certain explanatory documents are presented along with the Budget.

Budget at a Glance

14. The document Budget at a Glance shows in brief receipts and disbursements along with broad details of tax revenues and other receipts. This document also exhibits

broad break-up of expenditure - Plan and non-Plan, allocation of Plan Outlays by Sectors as well as by Ministries/Departments and details of resources transferred by the Central Government to State and Union territory Governments. This document also shows the revenue deficit, the overall deficit and the fiscal deficit of Central Government. The excess of Govt's revenue expenditure over revenue receipts constitutes revenue deficit of Government. Taking into account the capital expenditure and capital receipts also there is a gap between receipts and expenditure of a year. This gap, which is covered by issue of 91 days Treasury Bills (mostly held by Reserve Bank), constitutes overall budgetary deficit. Apart from this borrowing through Treasury Bills, Government also borrows funds under many schemes which form part of capital receipts. The difference between the total expenditure of Government by way of revenue, capital and loans net of repayments on the one hand and revenue receipts of Government and Capital receipts which are not in the nature of borrowing but which finally accrue to Government on the other, constitute fiscal deficit.

Expenditure Budget Vol. I

15. *Expenditure Budget Vol. I* deals with revenue and capital disbursements and gives the estimates in respect of each under 'Plan' and 'Non Plan' and explains the variations in the estimates of both. This also gives analysis of various types of expenditure.

16. Under the present accounting and budgetary procedures, certain classes of receipts, like payments made by one department to another and receipts of capital pro[illegible] or schemes are taken in reduction of the expenditure of the receiving department. [illegible] estimates of expenditure included in the Demands for Grants are for the gross amo[illegible] while the estimates of expenditure included in the Annual Financial Statement are for t[illegible] net expenditure as will be reflected in the accounts, that is, after taking into account t[illegible] recoveries. The document Expenditure Budget makes certain other refinements like ne[illegible] ting expenditure of related receipts so that inflation of receipts and expenditure figures ar[illegible] avoided and there can be a better appreciation of the magnitudes of various expenditure. In separate annexures guarantees given by Central Government and outstanding as at the end of March 1990 and contributions to International bodies are shown. A statement showing the estimated strength of establishment of various Government Departments and provision made therefor is also included in the document.

Expenditure Budget Vol. II

17. To understand the objectives underlying the expenditure proposed in the *Demands for Grants* a brief description of the various items of expenditure on major programmes included in the Demands together with the reasons for variation between the original budget and revised budget for the current year, and the requirements for the budget year are given in this volume.

Receipts Budget

18. Estimates of receipts included in the "*Annual Financial Statement*" are further analysed in the Document "*Receipts Budget*". The document gives details of revenue

receipts and capital receipts and explains the estimates. Trend of receipts over the years and details of External Assistance received are also included.

19. To facilitate understanding of the taxation proposals made in the Finance Bill, the provisions of the Bill are explained in the document titled Memorandum explaining the provisions in the *Finance Bill.*

20. The Demands for Grants are followed by the *Detailed Demands for Grants* laid on the table of the Lok Sabha some time after the presentation of the Budget, but before the discussion on Demands for Grants commences. These Detailed Demands for Grants show further details of the provisions included in the Demands for Grants as also of actual expenditure during the previous year. A break up of the estimates relating to each programme/organisation, wherever the amount involved is not less than Rs.10 lakhs, is given under a number of detailed heads which indicate the categories and nature of expenditure incurred on that programme, like salaries, wages, travel expenses, material and equipment, grants-in-aid, etc. At the end of these Detailed Demands are shown the details of recoveries taken in reduction of expenditure in the accounts. Physical and financial aspects of major programmes and schemes are included in the *Performance Budgets* presented to Parliament separately by the Ministries/ Departments.

Resources transferred to States

21. The State Governments are paid grants and loans for various Plan and non-Plan schemes. Besides, sizeable amounts of tax revenues collected by the Central Government in the form of income-tax, union excise duties and estate duty are also transferred to the State Governments. Some of the States also get grants to cover the gap in their revenue resources, as recommended by the Finance Commission. The total resources transferred to State and Union Territory Governments are indicated in a statement incorporated in the document *Budget at a Glance.* Further details of these transfers by way of share of taxes, grants-in-aid and loans are given in *Expenditure Budget Vol.1.* The share of Union excise duties and bulk of the grants and loans are paid by the Ministry of Finance and are included in the Demand "Transfers to State Governments" presented on its behalf. The grants and loans paid by other Ministries are provided for in the Demands of respective Ministries.

Plan Outlay

22. Plan expenditure forms a sizeable proportion of the total expenditure of the Central Government. The *Demands for Grants* of the various Ministries show the Plan expenditure under each head separately from the non-Plan expenditure. The Expenditure Budget Vol. 1 also gives the total Plan provisions for each of the Ministries arranged under the various heads of development and highlights the budget provisions for the more important Plan programmes and schemes. A description of important schemes included in the Plan along with the objectives, targets and achievements is given in the *Performance Budget* of the respective Ministry. Variations in the estimates of Plan expenditure are also explained in this document.

Performance Budget

23. *Performance Budgets* are prepared and circulated to Members of Parliament by

all Ministries/Departments dealing with developmental activities. The Performance Budget presents the budget of the Ministry/Department in terms of functions, programmes and activities and gives appraisal reports separately in respect of major central sector projects/programmes estimated to cost Rs.100 crores or more. It also includes a statement on the programmes and performance of the various public sector undertakings under the Ministry/Department indicating, among other things, the capacity installed and utilised, physical targets and achievements, results of operation, return on capital etc. Performance Budget serves the management as a tool of administrative and financial control in the implementation of development programmes.

Public Sector Enterprises

24. A large part of the Plan expenditure incurred by the Central Government is through public sector enterprises. Budgetary support for financing outlays of these enterprises is provided by Government either through investment in share capital or through loans. *Expenditure Budget Vol. I* shows the estimates of capital and loans disbursements to public sector enterprises in 1990-91 and 1991-92 for Plan and Non-Plan purposes and also the extra budgetary resources available for financing their Plans. A detailed report on the working of public sector enterprises is given in the document titled *'Public Enterprises Survey'* brought out separately by the Ministry of Industry. A report on the working of the enterprises under the control of the various administrative Ministries is also given in the Annual Reports of the various Ministries circulated to Members of Parliament separately. The annual reports along with the audited accounts of each of the Government companies are also separately laid before Parliament. Besides, the reports of the Comptroller and Auditor-General of India on the working of various public sector enterprises are also laid before Parliament.

25. The Railways and Telecommunication services are the principal departmentally run commercial undertakings of Government. The Budget of the Railways and the Demands for Grants relating to Railway expenditure are presented to Parliament separately. However, the total receipts and expenditure of the Railways are incorporated in the Annual Financial Statement of the Government of India. The Demands for Grants of the Department of Telecommunications are presented along with other Demands of the Central Government.

26. The receipts and expenditure of the Defence Department shown in the Annual Financial Statement are explained in greater detail in the document Defence Services Estimates presented along with the Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence.

27. The details of grants given to bodies other than State and Union territory Governments are given in the statements of Grants-in-aid paid to non-Government bodies appended to Detailed Demands for Grants of the various Ministries. Annexure 6 to Expenditure Budget Vol. I shows details of grants-in-aid exceeding Rs.5 lakhs (recurring) or Rs.10 lakhs (non-recurring) to private institutions, organisations and individuals sanctioned during the year 1989-90.

Annual Report

28. A descriptive account of the activities of each Ministry/Department during the

year 1990-91 is given in the document *Annual Report* which is brought out separately by each Ministry/Department and circulated to Members of Parliament at the time of discussion on the Demands for Grants.

Economic Survey

29. The Budget of the Central Government is not merely a statement of receipts and expenditure. Since Independence, with the launching of Five Year Plans, it has also become a significant statement of governmental policy. The Budget reflects and shapes, and is in turn shaped by, the country's economic life. A background of the economic trends in the country during 1990-91 will enable a better appreciation of the mobilisation of resources and their allocation reflected in the Budget. The document Economic Survey 1990-91 circulated to Members of Parliament earlier provides this background. The *Economic Survey* analyses the trends in agricultural and industrial production, money supply, prices, imports and exports and other relevant economic factors having a bearing on the Budget.

30. The Budget of the Government has an impact on the economy as a whole. For a better appreciation of the impact of governmental receipts and expenditure on the other sectors of the economy, it is necessary to group them in terms of economic magnitudes, for example, how much is set aside for capital formation, how much is spent directly by the Government and how much is transferred by Government to other sectors of the economy by way of grants, loans etc. This analysis is contained in the document *Economic and Functional Classification* of the Central Government Budget which is brought out by the istry of Finance separately.

propriation Bills

31. After the Demands for Grants are voted by the Lok Sabha, Parliament's approval o the withdrawal from the *Consolidated Fund* of the amounts so voted and of the amount required to meet the expenditure *charged* on the *Consolidated Fund* is sought through the *Appropriation Bill.* Under article 114(3) of the Constitution, no amount can be withdrawn from the Consolidated Fund without the enactment of such a law by Parliament.

32. The process of detailed consideration of the Demands for Grants is not completed before the commencement of the new financial year. To enable Government to carry on its normal activities from 1st April till such time as the *Appropriation Bill* is enacted, a Vote on Account is obtained from Parliament through an Appropriation *(Vote on Account)* Bill.

33. For the year 1991-92 an Interim Budget was presented to Parliament in March 1991 and a vote on account for expenditure estimated to be incurred in the first 4 months of the year was obtained from Parliament. The regular Budget for the current year is presented now. Pending completion of the discussion and voting of the various Demands and enactment of the final Appropriation Bill a further vote on account for expenditure estimated to be incurred upto the end of September 1991 is also being presented to Parliament.

INDEX

		Paragraph Number
Accounting classification	..	8
Annual Financial Statement	..	1,6,8,9,11,16,18,25,26
Annual Report	..	24,28
Appropriation	..	10
Appropriation Bill	..	31,32,33
Appropriation (Vote on Account) Bill	..	32
Budget at a Glance	..	14,21
Budget/Budget of the Central Government	..	1,5,17,20,23,24,25,29,30
Budgetary Deficit	..	18
Capital Budget	..	5,7
Charged Expenditure	..	9,10,11,31
Consolidated Fund	..	1,2,4,9,10,31
Contingency Fund	..	1,3
Defence Services Estimates	..	26
Demands for Grants	..	8,10,11,16,17,20,22,25,28,31,32
Detailed Demands for Grants	..	20,26,27
Economic and functional classification of the Central Government Budget	..	30
Economic Survey	..	29
Expenditure Budget	..	15,17,21,22,24,27
External Assistance	..	18
Extra Budgetary Resources	..	[illegible]
Finance Bill	..	6,12,1[illegible]
Fiscal Deficit	..	14
Grants-in-aid	..	20,21,27
Guarantees given by the Central Government	..	16
Interim Budget	..	33
International Bodies - Contribution to	..	16
Market Loans	..	7
Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill	..	19
New Service	..	11
Performance Budget	..	20,22,23
Plan Outlay	..	14,22
Public Account	..	1,4,7
Public Enterprises Survey	..	24
Public Sector Enterprises	..	23,24
Railways	..	25
Receipts Budget	..	18
Resources transferred to States/ Union Territories	..	14,21
Revenue Budget	..	5,6
Revenue Deficit	..	14
Strength of Establishment of Govt. Deptts.	..	16
Summary of Demands for Grants	..	11
Treasury Bills	..	7,14
Telecommunications	..	25
Vote on Account	..	32

17

Speech of the Railway Minister introducting the Railway Budget for 1991-92

SPEECH OF SHRI C. K. JAFFER SHARIEF

INTRODUCING THE RAILWAY BUDGET, 1991-92

ON 16TH JULY, 1991

MR. SPEAKER,

Sir, I rise to present the Railway Budget Estimates for the financial year 1991-92.

2. An interim Budget was presented on 25th February, 1991 and a Vote on Account was obtained to cover expenditure in the first four months of the financial year. A new Government has since assumed office, after the General Elections.

3. Sir, the tragic assassination of our beloved leader, renowned statesman and great visionary, Shri Rajiv Gandhi has cast a pall of gloom over the country and shocked the entire world community. Railwaymen fondly remember his contribution to the nation and to the Railways in particular. The performance of the Railways in the Seventh Plan, which is a shining example for the entire economy was, in a large measure, due to the encouragement given by Shri Rajiv Gandhi. Railwaymen rededicate themselves in the service of the nation to ensure stability, peace and progress by keeping the wheels moving, as a tribute to the memory of Rajivji and to fulfil his vision of a bright and prosperous India.

4.1 The year 1990-91 was a very difficult one for railway operations. Numerous bandhs, extensive civil disturbances, power shortage in the eastern sector and a devastating cyclone on the east coast affected performance. There seemed to be no prospect of meeting the target of revenue earning freight traffic of 325 million tonnes, and a shortfall of 9 million tonnes was projected in the Revised Estimates. However, in the last quarter of the financial year, Railways achieved a landmark in freight operations with an average loading of more than a million tonnes a day. This helped reduce the shortfall to 7 million tonnes. The loading for the year aggregated to 318 million tonnes against the revised target of 316 million.

Freight Performance, 1990-91

4.2 Passenger traffic registered an impressive growth. The number of passengers originating and the passenger kilometres in 1990-91 have increased by 5.17% and 6.34%, respectively, over 1989-90.

5. The increase in prices of petroleum products in March, 1990 subsequent to the Railway Budget, the Gulf surcharge in October, 1990 and the general increase in the cost of inputs, exerted considerable pressure on working expenses. These, coupled with the anticipated shortfall of 9 million tonnes at the Revised Estimate stage, left no room for comfort, and the budgeted surplus of Rs. 186 cr. had necessarily to be scaled down to Rs. 155 cr. However, an improvement in Gross Traffic Receipts, and reduction in expenditure due to stringent financial control, have enabled the Railways not only to absorb the post-budgetary increases but also achieve a surplus of Rs. 186 cr. as per unaudited figures. Besides, it has been possible to augment the Pension Fund by Rs. 70 cr. This financial performance, without any midterm increase in fares and freight rates, is gratifying, viewed in the context of increases in fares in other transport sectors.

Financial Performance, 1990-91

6.1 Freight traffic has got off to an encouraging start in the current financial year. In the first quarter, Railways have lifted nearly 80 million tonnes and are up by 6 million tonnes as compared to the corresponding period of last year, and by 1.25 million tonnes compared to the target. This augurs well for

Freight prospects, 1991-92

meeting the stiff target of 335 million tonnes of revenue earning traffic for the year.

6.2 However, I must confess that shortage of rolling stock—both wagons and locomotives—and inadequate terminal facilities are posing problems. I have directed the Ministry to examine this expeditiously.

6.3 Adequate terminal facilities are essential for ensuring productive use of the wagon fleet. I propose to have an economic study made as to the terms on which Railways and rail users can jointly augment terminal facilities.

Passenger Services

7.1 The continued constraint of resources, coupled with the need to cater to the increasing volume of freight traffic, which is so vital to the economy, makes it difficult for the Railways to meet adequately the growing demand for passenger services. Despite these constraints, some additional services were introduced during the current financial year. Important among them are :—

1. Puri-Tirupati Express (Weekly).
2. Bombay-Varanasi Express.
3. Allahabad City-Chhapra Express.
4. Bombay-Ahmedabad Karnavati Express (6 days a week).
5. Bombay-New Delhi AC Express (Tri-weekly).
6. Secunderabad-Tirupati Express.
7. Firozpur Cantt.-Jammu Tawi Express.
8. Sirpur Kagaznagar-Kazipet Passenger.

9. Ajmer-Marwar Passenger (on experimental basis for 3 months).

10. Porbandar-Wansjaliya Passenger.

7.2 Also, the run of the following trains has been extended :—

1. Dadar-Varanasi Express up to Gorakhpur on all the 7 days.

2. Bokaro-Madras Express, Tatanagar-Madras Express } up to Alleppey.

3. Virar-Sanjan Passenger up to Bhilad.

4. Kota-Chittaurgarh Passenger up to Neemuch.

5. Dhanbad-Ludhiana Ganga-Sutlej Express up to Firozpur.

6. Veraval-Junagarh Fast Passenger up to Rajkot.

7. Nidadavole-Bhimavaram Passenger up to Rajahmundry.

7.3 A significant event in passenger operation passed off on 1st July, 1991 without much fanfare. For the first time in their history, Indian Railways planned a service following an existing service in quick succession. I refer to the introduction of the tri-weekly New Delhi—Bombay Central A.C. Express which follows the Rajdhani Express at an interval of 45 minutes from both ends and takes about the same time to cover the journey. This is in keeping with the concept of running trains to popular schedule. If this experiment is successful, Railways may consider extending the concept to other routes over a period of time, for it facilitates the most economical and optimal use of capacity. It will, however, call for augmenting terminal facilities.

8.1 Notwithstanding the various problems the Railways face, including the constraint of resources, I am determined to improve the quality of service to the passengers.

Quality of Service

8.2 Passenger operation continues to suffer from acute shortage of coaches. Due to backlog of overaged coaches that had to be phased out, the net addition to the fleet of coaches in the last few years has been only about 500. And, over 5,500 coaches out of a holding of nearly 28,000 coaches are still to be replaced. Last year during civil disturbances more than 500 coaches were badly damaged or destroyed.

8.3 At the same time, the pressure for the introduction of more trains to meet long-standing public demands continued to build up. By adopting innovations like amalgamation of rake links and reducing the lie-over periods at various terminals, Railways introduced more than 50 passenger trains in 1990-91. In order to meet the increased demand for passenger services, more intensive use is being made of coaches. Despite this, the shortage of coaches has become more acute. There is presently a shortage of about 1,500 coaches. Steps have been taken to increase the production and procurement of coaches. Nearly 2,100 coaches are proposed to be acquired in the current financial year, against 2,000 in 1990-91. This is proposed to be increased progressively.

8.4 With the notable exception of services such as Janata, Rajdhani, Shatabdi and Superfast, the growth of passenger services has been largely to satisfy certain specific demands. I propose to rationalise the existing pattern in terms of number of services available, stations served, etc. to cater to the needs of passengers on various routes. In the first instance, the North-South route, which is the most difficult and congested one, will be taken up for study.

8.5 I also propose to appoint a task force to prepare a blue-print of passenger services required in the country and draw up an investment plan to be implemented over a period of five to seven years.

8.6 Improvements to and extension of urban rail transport facilities cannot brook any further delay. Innovative methods have necessarily to be adopted to raise finance for such schemes as no single agency,

whether Railway, Central Government, or State Government, can finance these schemes. Such of the State Governments and other agencies as are keen to improve or provide such facilities will be encouraged to initiate a dialogue so that time-bound and viable schemes can be developed in consultation with the Ministry of Urban Development which is the nodal agency for planning the strategies.

8.7 Computerisation of passenger reservation has led to immense customer satisfaction and has been widely appreciated. Installation of this facility at the following stations, namely, Varanasi, Vadodara, Jodhpur, Agra, Tiruchchirappalli, Coimbatore, Surat and Nagpur, is included in the Budget. On completion of these and other ongoing projects, nearly 70 per cent of the total reservation workload will be on the computer.

8.8 It has been decided to take up a few pilot projects for computerisation of Railway Receipts relating to Coal and Mineral Oil, which account for 47 per cent of the total freight traffic. This would facilitate speed and accuracy in the preparation of Railway Receipts.

Safety

9.1 The safety of passengers will continue to be given the foremost priority in our agenda. Though there has been a significant drop in the number of accidents at the end of the last decade, to almost half the number in the early eighties, there is no room for complacency, for some of the accidents are fraught with danger to life and property. Safety shall continue to receive close and continued attention. Apart from reduction in the involvement of the human element, which continues to be the predominant factor in accidents, modern technological improvements are also being progressively inducted to make railway operations safer.

9.2 Intensive counselling of staff on correct procedures, closer monitoring of their work, inspection and efficient examination of equipment,

including track, rolling stock and signalling equipment would constitute the main strategies in this direction.

9.3 As the House is aware, the success of railway operations depend, to a large extent, upon the law and order situation in the States.

Security

Unfortunately, law and order situation in certain States has not been conducive to smooth working. In certain areas, unauthorised passengers force themselves into reserved compartments, causing great inconvenience to bona fide passengers, and also adversely affecting the punctuality of the trains by stopping them at unscheduled places. Besides, a large number of dacoities and robberies and theft of passenger luggage occur. During the civil disturbances last year, Railways were not afforded adequate protection. Agitators frequently hold up movement of trains on issues which are in no way connected with Railways. While the Railway authorities at different levels liaise with local civil and police authorities, these problems have to be dealt with more effectively.

9.4 I am painfully aware of the setback that punctuality had suffered in the recent past. I have launched a drive to improve it. I am glad to report

Punctuality

that it has already started yielding results. Punctuality that used to be in the range of 75 per cent or so has already improved by 4 to 5 per cent. It is proposed to monitor the running of important long distance trains in particular.

10. Traditionally, Railways have been carriers of bulk commodities for which role they are eminently suited. Nevertheless, certain measures

Marketing efforts

have been taken to attract high profit-yielding traffic by introducing various customer-oriented services like Quick Transit Service, Freight Forwarder Scheme, Speed Link Express and Containerisation. Success has been achieved in the following areas in the recent past :

(i) Maruti Cars for export are being cleared in train loads of reconditioned coaches. It is expected that about 25,000 cars will be moved by rail for export in 1991-92.

(ii) There has been a remarkable spurt in containerised international traffic in 1990-91 which has registered a growth of 38% over 1989-90.

Annual Plan, 1991-92

11.1 The outlay for the Railway Plan 1991-92 was fixed at Rs. 4,820 cr. in the interim Budget. This has now been raised to Rs. 5,325 cr. This represents a very modest increase over the allotment of Rs. 5,000 cr. of the previous year. In allocating the revised outlay emphasis is continued to be placed on the Plan heads relating to Rolling Stock, Traffic facilities, Electrification, Workshops and Sheds, and renewal of track and other overaged assets.

11.2 As in 1990-91, greater reliance has been placed on generation of internal and extra-budgetary resources by the Railways. Market borrowing by Indian Railway Finance Corporation has been raised to Rs. 1,500 cr. compared to Rs. 1,170 cr. in 1990-91.

Track Renewals

12. One of the main areas of thrust in recent times is Track Renewals which had earlier fallen into considerable arrears. At the end of the Seventh Plan the arrears had come down to about 12,000 km. from about 19,500 km at the beginning. Taking into account the availability of resources and the fact that about 2,300 km of track fall due for renewal every year, a part of the overdue renewals will extend into the Ninth Plan period. However, so far as high density routes are concerned, every effort is being made to ensure that track renewals are current by the end of the Eighth Plan. The target for Track Renewals in 1991-92 is 3,325 km and an amount of Rs. 1,000 cr. has been allocated as against Rs. 920 cr. in 1990-91.

New Lines, Gauge Conversions and Doubling

13.1 The following new line projects and sections are programmed to be opened in 1991-92:

Satna—Rewa

Alleppey—Kayankulam

Trichur—Guruvayoor

Adilabad—Pimpalkutti

Amguri—Tuli

Telapur—Patancheru

Talcher—Angul and Maneswar—Sambalpur sections of Talcher—Sambalpur Project

Damanjodi—Lakshmipur and Singapuram Road—Kevatiguda sections of Koraput—Rayagada Project

Rampur—Chauraha section of Rampur—New Haldwani Project

Jammu—Bajalta section of Jammu—Udhampur Project

Sanichara—Birlanagar and Gwalior—Panihar sections of Guna—Etawah Project

Challakere—Phallak section of Chitradurg—Rayadurg Project.

The new lines programmed for opening in 1991-92 total to 314 km.

13.2 The following gauge conversions totalling to 185 km are proposed to be completed in 1991-92 :

Salempur—Barhaj Bazar

Manmad—Aurangabad

Bikaner—Merta Road

Every effort will be made to complete the Mysore—Bangalore gauge conversion project also in 1991-92.

13.3 Doubling of 211 km of track was commissioned in 1990-91. Another 269 km are proposed to be commissioned in 1991-92.

13.4 At the beginning of 1991–92, Railways had on hand 24 new line projects, totalling 2,070 km and 11 gauge conversion projects for 2,118 km. The balance of funds required for their completion is about Rs. 3,005 cr. The House will readily appreciate that it is important to speed up the flow of benefits from the ongoing projects. This objective cannot be realised by adding to their number and distributing the available resources among all of them. No new line or gauge conversion projects have been proposed for inclusion in the Budget.

14. The Konkan Railway Corporation set up in July, 1990 has commenced work on the 837 km long railway line from Mangalore to Roha.

Konkan Railway Corporation

Railways have met in full their commitment amounting to Rs. 70 cr. as contribution to equity in 1990–91. The further contribution of Rs. 51 cr. to equity capital in 1991–92 has been fully provided for.

15.1 While presenting the interim Budget, my predecessor has referred to certain problems coming in the way of the completion of the remaining stretch of 6.5 km between Esplanade and Belgachia of the Metro

Metropolitan Transport Projects

Railway system at Calcutta. I am glad to inform the House that the main problem has since been resolved with the assistance of the State Government and work is expected to commence soon.

15.2 The Mankhurd-Belapur line in Bombay is heading towards completion. It is expected that the State Government's timely help will be forthcoming for removal of encroachments and speeding up some portion of their work to enable early commissioning of the project.

15.3 The Madras Beach—Luz Rapid Transit System is maintaining steady progress.

16.1 Electrification of railway lines, one of our priorities, has assumed special importance in the context of reducing the dependence on petroleum products. Till the end of 1990-91, 10,083 route kilometres have been electrified. The Railways propose to electrify about 3,000 route kilometres during the Eighth Plan.

Railway Electrification

16.2 The target for completion during the year is 675 route kilometres. With the electrification of Bhusawal—Itarsi and Durg—Nagpur sections, the important trunk routes between Delhi and Bombay via Central Railway and Howrah and Bombay via Nagpur will be fully electrified. The North-South route linking Delhi and Madras has been fully electrified. The other sections to be completed this year include Jolarpet—Bangalore, Jolarpet—Salem—Erode and Nagda—Bhopal.

16.3 The following new works of electrification totalling to 812 route kilometres have been included in the Budget :

1. Delhi-Ambala-Ludhiana
2. Kiriburu to Bokaro
3. Gomia-Patratu
4. Sabarmati-Gandhinagar

16.4 Electrification of Sitarampur—Jhajha section which was kept in abeyance is being taken up.

16.5 The Railways are for the first time going in for 2×25 kv system of electrification on the Bina-Katni-Annupur-Bishrampur/Chirimiri section. This has the advantage of 50 kv transmission efficiency

and at the same time permits the use of standard 25 kv A.C. Electric Locos.

17.1 Production Units improved their performance during 1990-91. Chittaranjan Locomotive Works produced 110 electric locomotives and 44 diesel locomotives against 105 and 42 respectively, in the previous year. Diesel Locomotive Works increased its production to 147 diesel locomotives from 140 in 1989-90. Integral Coach Factory also bettered its performance with 1,013 coaches against 925 in the previous year. The performance of the Rail Coach Factory, Kapurthala, has been noteworthy. The unit manufactured 600 coaches in 1990-91 compared to 175 in 1989-90 and the revised target of 500 for 1990-91. The Diesel Component Works and the Wheel & Axle Plant also improved their performance.

Production Units

17.2 Whenever capacity of Production Units is expanded or a new Production Unit is established, due care is taken to utilise the potential of the industry to the best advantage of the Railways.

18.1 Sir, the Eighth Five Year Plan is now on the anvil. It is a matter of great satisfaction for all of us that Railways have commenced this Plan period on a note of high confidence based upon solid achievement and progress. The incremental revenue earning freight traffic of 74 million tonnes during the Seventh Plan period equalled the incremental traffic of the previous 19 years. Freight transport output and passenger transportation rose by 30% and 22% over the level of the Sixth Plan, through improvement in productivity and minimal inputs. Modernisation and technology upgradation came to be established as vital ingredients of the Railways' Plan. Thus a sound foundation has been laid for further growth, development and modernisation.

Eighth Five Year Plan

18.2 The Eighth Plan objectives are 99 million tonnes incremental revenue earning traffic over the Seventh Plan and a minimum of 3% annual growth in passenger traffic. The investment plan in Railways during the Eighth Plan period would be oriented to achieve these objectives while

maintaining the financial viability of the system. The thrust would be on augmentation of capacity, selective expansion of network and upgradation of the system to bring down operational costs. The management philosophy and practices, technology options, prioritisation of programmes and projects for effective utilisation of scarce resources, and upgrading of human resources, will engage my attention.

18.3 Sir, Railways are more energy efficient than roadways and airways. Higher investment in rail infrastructure to meet the growing demands of traffic will be in the national interest. Even in the developed countries of the world, this realisation has led to ambitious investment plans in Railways. But in view of the difficult resource position, it may not be possible to meet all aspirations and demands. It would however be ensured that the growth of the economy will not be allowed to suffer for lack of rail transport.

Strategic Planning

19.1 Sir, I have instructed the Ministry to prepare a detailed Action Plan to achieve reduction in working expenses by cost control, cost reduction and economy measures and also evolve marketing strategies to augment earnings besides plugging loopholes to prevent loss of revenue. My short-term and long-term strategic planning would aim at a trim workforce, aggressive marketing, better utilisation of assets, cost-centre and profit-centre approach for greater accountability for results. The corporate objective is better service with greater emphasis on commercial orientation and market orientation as well as customer orientation.

19.2 In keeping with the new economic thinking in the country, Railways also plan to initiate action to bring about structural changes. I propose to make a beginning with privatisation of certain activities like catering and conservancy services, including cleanliness, at certain locations. Based on the experience gained in terms of both customer satisfaction and cost-effectiveness, the scheme will be progressively extended to other areas and important centres of activity.

19.3 Indian Railways have captive units for production of locomotives, coaches and components. While, on the one hand, there are arrears of replacement of rolling stock to be overcome, on the other, the question of enhancing capacity utilisation to achieve economies of scale assumes importance. Innovative methods of financing expansion and modernisation will be explored, including public participation in equity capital.

Energy Conservation

20.1 Sir, in a developing economy like ours, where scarcity of resources prevails, energy conservation is of vital importance. Indian Railways have been making continuous and concerted efforts in this direction which have been very fruitful. With systematic and better usage of diesel and electric locos, the phasing out of steam locos has been accelerated, due to which it has been possible to reduce specific energy consumption by 17.7% in the Seventh Plan. These efforts would continue.

20.2 In our drive for conservation of energy, various schemes to educate and motivate staff have played a crucial role. We have identified a number of energy conservation measures and programmes, involving technological changes through research and development, which are proposed to be pursued in the Eighth Five Year Plan. These have been mentioned by my predecessor, while presenting the interim Budget. Particular stress will be laid on reduction in specific fuel consumption, saving in electricity, and energy audit.

Rail Tariff Enquiry Committee

21. The pricing policy of Indian Railways for freight traffic was reviewed for the first time after Independence by the Freight Structure Enquiry Committee (1955—57) under the chairmanship of Shri A. Ramaswamy Mudaliar. This was followed, over two decades later in 1977—80, by the Rail Tariff Enquiry Committee headed by Dr. H. K. Paranjape. Setting up of a Rail Tariff Enquiry Committee to review the entire gamut of freight and fare structure and make appropriate recommendations on costing and pricing of services, taking into account the new operational strategies, is overdue. The action initiated by my predecessors in this regard will be pursued by me for early finalisation. Incidentally, the loss on Coaching Services and

low-rated commodities, which was in the region of Rs. 332 cr. in 1980-81, is estimated to go up to Rs. 2,222 cr. in 1990-91.

22. Sir, I am not touching on some of the other aspects which it has been customary to review in the Budget Speech, as these have been covered by my predecessor while presenting the interim Budget.

23. I shall now deal with the Budget Estimates for 1991-92. The estimates of Receipts and Expenditure contained in the interim Budget for 1991-92 have been carefully reviewed, keeping in view the extremely difficult financial situation now being faced by the country and the need to generate adequate resources to finance Plan outlay for development, rehabilitation and modernisation.

23.1 The Gross Traffic Receipts for the year at the existing level of freight rates and fares are now estimated at Rs. 12,735 cr. which is higher by Rs. 70 cr. than the interim Budget, 1991-92. This is based on additional revenue earning freight traffic of 19 million tonnes and an estimated growth of 3% in passenger traffic over the projections in the Revised Estimates for 1990-91.

23.2 The estimate of Ordinary Working Expenses is now placed at Rs. 9,180 cr. representing an increase of Rs. 939 cr. over the Revised Estimates for 1990-91. This is, however, Rs. 90 cr. less than the projection in the interim Budget for 1991-92. The increase over the Revised Estimates is primarily to cover the cost of fuel and other inputs for the incremental traffic, escalating material prices including the full year effect of Gulf surcharge, annual increments to staff, additional payment of Dearness Allowance, higher lease charges payable to Indian Railway Finance Corporation etc.

23.3 The contribution to the Pension Fund is proposed to be increased from Rs. 900 cr. in the Revised Estimates to Rs. 1,050 cr. in the current year. This is higher than the interim Budget level by Rs. 50 cr. in view of the need to strengthen the Fund.

23.4 The contribution to the Depreciation Reserve Fund is, however, proposed to be reduced marginally from the interim Budget level by Rs. 50 cr. It is now placed at Rs. 2,000 cr. as compared to Rs. 1,950 cr. in 1990-91.

23.5 The Total Working Expenses, comprising Ordinary Working Expenses, and the Appropriations to the Pension Fund and Depreciation Reserve Fund will thus amount to Rs. 12,230 cr., leaving Net Traffic Receipts of Rs. 505 cr. A sum of Rs. 183 cr. is now estimated by way of Net Revenue Receipts, as compared to Rs. 180 cr. in the interim Budget,

and thus the Net Revenue would amount to Rs. 688 cr. The estimate of Dividend payable to General Revenues is Rs. 1,037 cr. as in the interim Budget. Thus, at the current level of fares and freight rates, there will be a shortfall of Rs. 349 cr. Further, a loan of Rs. 125 cr. from the General Revenues would be needed for execution of works chargeable to the Development Fund.

23.6 A memorandum on the rate of Dividend payable to General Revenues on Capital-at-charge will be submitted to the Railway Convention Committee for their consideration. In the meantime, provision for Dividend for 1991-92 has been proposed at the same rates as for 1990-91. A resolution for constituting the Committee will be moved in due course.

24. Sir, I now sense a general air of expectancy, and perhaps excitement, among the Hon'ble Members to hear the more interesting part of my speech. I shall not be disappointing them. I am sure this august House is keenly aware of the economic challenges facing the country and will appreciate that in this situation, it behoves the Indian Railways to maintain financial viability and fulfil their obligations to the General Exchequer, as usual. Equally, the House would appreciate that the Railways, of necessity, must carry the banner and march forward in the vanguard of economic progress as the most important infrastructural sector so that they may continue to subserve the larger interests of the economy. It is my firm belief that rail infrastructure must keep ahead of requirements. At present, demand outstrips supply, and certain routes are saturated and operations are becoming extremely hamstrung. This means that the pace of generation of resources for rehabilitation, modernisation and development of the system to enhance the transportation capacity, must not be allowed to slacken. With these objectives in view, I intend to effect modest increases in fares and freight rates to mobilise additional resources.

Tariff Proposals

24.1 It is proposed to increase the freight rates by 10%. However, to lighten the burden on the weaker sections of society, I propose to exempt certain essential commodities of daily use from the purview of the proposed increase. These commodities are salt for human consumption, edible oils, foodgrains, pulses, sugar, gur and jaggery and fruits and vegetables. I am also exempting kerosene and diesel oil altogether. This will afford

relief to the urban and rural poor and the farmers besides pegging down the transportation costs.

24.2 It is also proposed to increase the rates for parcels and luggage by 10%.

24.3 My proposals in regard to passenger fares are as under :—

(i) The fares for upper classes, namely, Air-Conditioned First Class, Air-Conditioned Sleeper, First Class and Air-Conditioned Chair Car are proposed to be increased by 20% for distances up to 800 km and by 15% for distances beyond 800 km. The special fares for the Rajdhani Express, New Delhi—Bombay AC Express and the Shatabdi Express are also proposed to be increased.

(ii) The fares for Second Class Ordinary are proposed to be increased by Re. 1.00 at the lowest slab, rising progressively to a maximum of Rs. 5.00 for distances beyond 400 km, with some marginal adjustments in fares in the distance zones 11 km to 60 km. A passenger travelling by an ordinary passenger train from Delhi to Panipat will pay an additional amount of Re. 1.00 and a person travelling from Madras to Rameswaram, an additional Rs. 5.00. However, no increase is proposed in Second Class Ordinary fares up to 10 km.

(iii) Second Class Mail/Express train fares are proposed to be increased by Re. 1.00 per ticket at the lowest slab, rising progressively to a maximum of Rs. 20.00 per ticket for distances beyond 1,300 km. The fare from Delhi to Trivandrum, a distance of 3,054 km, will go up by only Rs. 20.00.

(iv) For Second Class Monthly Season Tickets, increases in fares varying from Rs. 4.00 to Rs. 16.00 according to the distance travelled are proposed. A Second Class Monthly Season Ticket holder travelling from Bombay VT to Byculla will pay only Rs. 4.00 per month more and from Bombay VT to Lonavla, an additional Rs. 16.00 per month. The increases in Monthly Season Ticket fares for First Class will vary from Rs. 16.00 to Rs. 64.00 according to the distance travelled.

24.4 Various Expert Committees have, from time to time, recommended that fares for Second Class Monthly Season Tickets should be raised to levels equal to 24 times the single journey fares, in phases. Further, they have recommended pricing the First Class Monthly Season Ticket at a level four to six times the Second Class Monthly Season Ticket.

24.5 The present Monthly Season Ticket fares are nowhere near these levels. It may be necessary to initiate changes in the Monthly Season Ticket fares during the year to bring them to a reasonable level compared to the single journey fares.

24.6 I do not propose to make any changes in the existing rates of Sleeper Surcharge for Second Class, Superfast Charges and Reservation Fee. Likewise, the price of the Platform Ticket will also be maintained at the existing level of Rs. 1.50.

24.7 The changes arising out of the above proposals in fares and freight rates and parcel and luggage rates are proposed to be given effect from 16-8-1991.

25. The above proposals are expected to yield an additional revenue of Rs. 584 crores in the current year.

26. Sir, I served the Ministry of Railways as Minister of State between January 1980 and October 1984. I have now the privilege to head the Railway family. Railwaymen have always risen to serve the country with great zeal and zest. I am sure, in these difficult days, Railwaymen would not hesitate to share the travails of the common man and come forward to meet the challenges facing the country. No sacrifice is too small, no effort too great and no goal beyond reach to maintain a vibrant system to ensure customer satisfaction and towards this objective, we shall march with absolute determination and with confidence in the future of our country on the basis of democratic and secular ideals enshrined in our Constitution.

27. With these words, Sir, I now commend the Railway Budget for 1991-92 to the House.

Budget of the Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1991-92

1991-92 में केन्द्रीय सरकार के
रेलवे राजस्व और व्यय
का
बजट

BUDGET
OF THE
Railway Revenue and Expenditure of the Central Government for 1991-92

सी. के. जाफ़र शरीफ
रेल मंत्री

C. K. JAFFER SHARIEF
Minister of Railways

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

दिनांक 16 जुलाई, 1991
Dated the 16th July, 1991

विषय सूची
CONTENTS

	पृष्ठ PAGES
1—रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण STATEMENT OF THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT FROM RAILWAYS	2 & 4
2.—केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण STATEMENT OF THE EXPENDITURE ON RAILWAYS MET FROM THE REVENUE OF THE CENTRAL GOVERNMENT	3 & 5
3.—रेलवे अधिशेष का वितरण DISTRIBUTION OF RAILWAYS' SURPLUS	6
4.—रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के निर्माण व्यय का विवरण STATEMENT OF THE WORKS EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT ON RAILWAYS	7
क.—रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि A. - RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND	8
ख.—रेलवे राजस्व आरक्षित निधि B. - RAILWAY REVENUE RESERVE FUND	9
ग—रेलवे विकास निधि C. - RAILWAY DEVELOPMENT FUND	10
घ—रेलवे पेंशन निधि D. - RAILWAY PENSION FUND	11
ङ—रेल दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि E. - RAILWAY ACCIDENT COMPENSATION, SAFETY AND PASSENGER AMENITIES FUND	12

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण

1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb, 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
1002 और 1003—राजस्व प्राप्तियां 1002 & 1003 —Revenue Receipts					
यात्री—ऊंचे दर्जे Passenger —Upper Classes	333,89,37	381,71,00	407,00,00	420,00,00	462,00,00
यात्री—दूसरा दर्जा Passenger —Second Class	2335,02,20	2733,29,00	2723,00,00	2804,00,00	3031,00,00
जोड़—यात्री यातायात से आमदनी TOTAL —Passenger Earnings	2668,91,57	3115,00,00	3130,00,00	3224.00,00	3493,00,00
कोचिंग यातायात से अन्य आमदनी Other Coaching Earnings	313,30,55	334,00,00	350,00,00	342,00,00	369,00,00
माल यातायात से आमदनी Goods Earnings	7624,49,43	8424,00,00	8380,00,00	8884,00,00	9222,00,00
अन्य फुटकर आमदनी Sundry Other Earnings	226,35,33	207,00,00	226,00,00	235,00,00	255,00,00
जोड़—आमदनी TOTAL —Earnings	10833,06,88	12080,00,00	12086,00,00	12685,00,00	13339,00,00
उचंत Suspense	(—)93,65,44	(—)20,00,00	(—)48,00,00	(—)20,00,00	(—)20,00,00
£*भारतीय रेलों की सकल यातायात प्राप्तियां £*Gross Traffic Receipts of Indian Railways	10739,41,44	12060,00,00	12038,00,00	12665,00,00	13319,00,00
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	2,67,76	3,25,00	3,10,00	3.25.00	3,25,00
*इसमें चालित लाइनों की आमदनी शामिल है, *Includes earnings of worked lines	25,51	25,25	31,37	31,10	31,00

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण

2. Statement of the Expenditure on Railways met from the Revenue of the Central Government

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
बी (सी) (iii)—रेलवे—व्यय B(c)(iii)—RAILWAYS—EXPENDITURE					
3002 और 3003—संचालन व्यय— 3002 & 3003 —Working Expenses —					
(1) £साधारण संचालन व्यय £Ordinary Working Expenses	7444,72,71	8241,00,00	8241,00,00	9270,00,00	9180,00,00
(2) मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	1715,00,00	1950,00,00	1950,00,00	2050,00,00	2000,00,00
(3) पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	728,00,00	900,00,00	900,00,00	1000,00,00	1050,00,00
*3001 ए और बी—भारतीय रेलवे—नीति निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान और अन्य विविध संगठन *3001A & B—Indian Railways—Policy Formulation, Direction, Research and other Misc. Organisations	70,42,00	81,79,00	94,35,00	88,72,00	88,72,00
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	59,71,59	67,25,00	65,00,00	67,00,00	67,00,00
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	41,32,26	50,00,00	50,00,00	48,00,00	45,00,00
3005—सामान्य राजस्व को भुगतान 3005 —Payments to General Revenues —					
**(1) सामान्य राजस्व को लाभांश— **Dividend to General Revenues	782,60,83	905,67,28	900,79,39	498,79,39	1010,79,39
(2) यात्री किराया कर के बदले भुगतान Payment in lieu of Passenger Fare Tax	23,12,00	23,12,00	23,12,00	23,12,00	23,12,00
(3) रेल संरक्षा निर्माण निधि में अंशदान Contribution to Railway Safety Works Fund	3,03,61	3,20,72	3,08,61	3,08,61	3,08,61
जोड़—अग्रेणीत TOTAL —Carried Forward	10868,00,00	12222,04,00	12227,35,00	13048,72,00	13467,72,00
*इसमें निम्नलिखित शामिल हैं— *Includes —					
राजस्व से रेलवे पेंशन निधि में विनियोग Appropriation from Revenue to Railway Pension Fund	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00	5,00,00
चालित लाइनों को भुगतान Payments to Worked Lines	11,54	11,22	26,74	14,50	15,00
सहायता प्राप्त कम्पनियां Subsidised Companies	..	..	..	..	..
**इसमें देय लाभांश की वे रकमें शामिल नहीं है जिन्हें 'आस्थगित लाभांश दायिता लेखे' में अंतरित कर दिया गया है **Figures exclude amounts due as dividend, but transferred to 'Deferred Dividend Liability Accounts	..	..	..	512,00,00	..
£इसमें मेट्रो रेलवे, कलकत्ता शामिल है £Includes Metro Railway, Calcutta	7,93,27	8,24,00	8,19,00	9,22,00	9,22,00

1. रेलवे से केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विवरण—(समाप्त)
1. Statement of the Revenue of the Central Government from Railways—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व के शीर्ष Heads of Revenue	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
रेलवे—राजस्व **RAILWAYS—REVENUE**					
पृष्ठ 2 से अग्रेणीत Brought forward from page 2	10739,41,44	12060,00,00	12038,00,00	12665,00,00	13319,00,00
बी(सी)(iii)—भारतीय रेलें— B(c)(iii)—Indian Railways—					
1001—भारतीय रेलें विभिन्न प्राप्तियां 1001—Indian Railways Miscellaneous Receipts—					
(1) सहायता प्राप्त कम्पनियों से अन्य प्राप्तियां Other Receipts from Subsidised Companies	3,33	4,00	4,00	5,00	5,00
(2) रेल भर्ती बोर्ड Railway Recruitment Boards	1,22,26	56,00	47,00	58,00	58,00
(3) विविध प्राप्तियां Miscellaneous receipts	8,27,03	1,44,00	3,22,00	1,98,00	1,98,00
(4) यात्री यातायात पर अधिप्रभार से प्राप्तियां Receipts from surcharge on passenger traffic	59,71,59	67,25,00	65,00,00	67,00,00	67,00,00
(5) लाभांश राहतों तथा अन्य रियायतों के तौर पर सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता Subsidy from General Revenues towards dividend reliefs and other concessions	232,60,32	278,75,00	275,62,00	314,11,00	314,11,00
जोड़—विविध प्राप्तियां TOTAL—MISCELLANEOUS RECEIPTS	301,84,53	348,04,00	344,35,00	383,72,00	383,72,00
जोड़—प्राप्तियां TOTAL—RECEIPTS	11041,25,97	12408,04,00	12382,35,00	13048,72,00	13702,72,00

2. केन्द्रीय सरकार के राजस्व से रेलवे पर किये गये व्यय का विवरण—(समाप्त)

2. Statement of the Expenditure on Railway met from the Revenue of the Central Government—(Concld.)

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	अब यथा प्रस्तावित As now proposed
पृष्ठ 3 से अग्रेणीत Brought forward from page 3	10868,00,00	12222,04,00	12227,35,00	13048,72,00	13467,72,00
3006—रेलवे अधिशेष से विनियोग— 3006—Appropriation from Railway Surplus—					
(1) रेलवे राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund	..	..	..	..	..
(2) रेलवे विकास निधि में विनियोग Appropriation to Railway Development Fund	173,25,97	186,00,00	155,00,00	..	235,00,00
(3) 1978-79 और इसके आगे की अवधि से संबंधित आस्थगित लाभांश Deferred Dividend in respect of period from 1978-79 onwards	..	..	..	..	..
जोड़—व्यय TOTAL—EXPENDITURE	11041,25,97	12408,04,00	12382,35,00	13048,72,00	13702,72,00

3. रेलवे अधिशेष का वितरण

3. Distribution of Railways' Surplus

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92: फरवरी, 1991 में यथा प्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92: अब यथा प्रस्तावित As now proposed
अधिशेष Surplus	173,25,97	186,00,00	155,00,00	..	235,00,00
8117—रेलवे विकास निधि 8117—Railway Development Fund	173,25,97	186,00,00	155,00,00	..	125,00,00
3005—1978-79 के बाद की प्रास्थगित लाभांश दायिता का भुगतान 3005—Payment of Post-1978-79 Deferred Dividend Liability	...	...	...	...	..
8116—रेलवे राजस्व आरक्षित निधि 8116—Railway Revenue Reserve Fund	...	...	...	...	—
3007—विकास निधि के लिए सामान्य राजस्व से लिये गये ऋणों तथा उस पर ब्याज की अदायगी 3007—Repayment of loan taken from General Revenues for Development Fund and interest on loan	...	...	...	...	110,00,00

4. रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के निर्माण व्यय का विवरण

4. Statement of the Works Expenditure of the Central Government on Railways

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

व्यय के शीर्ष Heads of Expenditure	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92 फरवरी, 1991 में यथाप्रस्तुत As presented in Feb. 1991	बजट Budget 1991-92 अब यथा प्रस्तावित As now proposed
सी (एफ)—पूंजी C(f)—Capital—					
*रेलवे पूंजी जिसकी पूर्ति राजस्व से नहीं की जाती— *Railway Capital not met from Revenue—					
5002 और 5003—रेलों का निर्माण-कार्य 5002 & 5003—Construction of Railways	1773,35,97	1694,00,00	1587,00,00	1169,00,00	1694,00,00
जे—आरक्षित निधि— J—Reserve Funds—					
निर्माण व्यय जिसकी पूर्ति रेलवे निधियों से की जाती है— Works Expenditure met from Railway Funds—					
8115—मूल्यह्रास आरक्षित निधि 8115—Depreciation Reserve Fund	1564,30,27	1820,00,00	1877,00,00	1891,00,00	1887,00,00
8117—विकास निधि 8117—Development Fund	127,37,01	186,00,00	155,00,00	140,00,00	125,00,00
बी (सी) (iii)—राजस्व B(c)(iii)—Revenue—					
3004—चालू लाइन निर्माण—राजस्व 3004—Open Line Works—Revenue	41,32,26	50,00,00	50,00,00	48,00,00	45,00,00
8121—दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि 8121—Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	55,88,63	80,00,00	77,00,00	72,00,00	74,00,00
@कुल जोड़ @GRAND TOTAL	3562,24,14	3830,00,00	3746,00,00	3320,00,00	3825,00,00
*इसमें महानगर परिवहन परियोजनाओं और सर्कुलर रेलवे, कलकत्ता का खर्च शामिल है। *Includes expenditure on Metropolitan Transport Projects and Circular Railway, Calcutta	103,53,43	120,00,00	125,41,62	110,00,00	165,00,00
@इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा चल-स्टाक में निवेश के लिए बाजार से लिया जाने वाला ऋण शामिल नहीं है @Excludes market borrowings by Indian Railway Finance Corporation for investment in Rolling Stock	1000,00,00	1170,00,00	1170,00,00	1500,00,00	1500,00,00

क—रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि
A—RAILWAY DEPRECIATION RESERVE FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92		लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91.	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
*प्रारंभशेष *Opening Balance	520,09,95	803,50,76	725,74,23	867,90,55	मूल्यह्रास आरक्षित निधि से विनियोग Appropriation from Depreciation Reserve Fund	1564,30,27	1820,00,00	1877,00,00	1887,00,00
मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोग Appropriation to Depreciation Reserve Fund	(क) (a) 1730,74,50	(ख) (b) 1969,00,00	(ग) (c) 1969,00,00	(घ) (d) 2020,00,00	इतिशेष Closing Balance	725,74,23	1009,57,81	867,90,55	1061,63,55
मूल्यह्रास आरक्षित निधि पर ब्याज Interest on Depreciation Reserve Fund	39,20,05	57,07,05	50,16,32	60,73,00					
जोड़ TOTAL :	2290,04,50	2829,57,81	2744,90,55	2948,63,55	जोड़ TOTAL	2290,04,50	2829,57,81	2744,90,55	2948,63,55

*इसमें 1-4-1950 से ली गयी भारत की रियासती रेलों के 7,83,93 (अनंतिम) शामिल हैं।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (1,57,54), डीजल रेल इंजन कारखाना (3,11,00), सवारी डिब्बा कारखाना (4,50,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (4,84,64) तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,71,32) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 15,74,50 शामिल हैं।

(ख) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (1,93,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (3,74,00) और सवारी डिब्बा कारखाना (5,25,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (5,72,00) रेल सवारी डिब्बा कारखाना (2,36,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेख के नाम खाते के 19,00,00 शामिल हैं।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (1,93,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (4,31,00), सवारी डिब्बा कारखाना (5,50,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (6,00,00) तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,26,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 19,00,00 शामिल हैं।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (2,00,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (4,40,00), सवारी डिब्बा कारखाना (6,60,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (6,60,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (2,30,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेख के नाम खाते के 22,00,00 शामिल हैं।

*Includes 7,83,93 (provisional) on account of Indian State Railways taken over from 1-4-1950

(a) Includes 15,74,50 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (1,57,54), DLW (3,11,00) ICF (4,50,00) W&AP (4,84,64 and RCF (1,71,32)

(b) ,, 19,00,00 .. .. (1,93,00) .. (3,74,00) .. (5,25,00) .. .. (5,72 00) .. (2,36,00)

(c) ,, 19,00,00 .. .. (1,93,00) .. (4,31,00) .. (5,50,00) .. .. (6,00,00) .. (1,26,00)

(d) ,, 20,00,00 .. .. (2,00,00) .. (4,00,00) .. (6,00,00) .. .. (6,00,00) .. (2,00,00)

ख—रेलवे राजस्व आरक्षित निधि
B—RAILWAY REVENUE RESERVE FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92		लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
शेष Opening Balance	(क) (a) 58,73	(क) (a) 62,61	(क) (a) 61,36	(क) (a) 64,28	रेलवे राजस्व आरक्षित निधि से विनियोग — Appropriation from Railway Revenue Reserve Fund for—				
रेलवे राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग— Appropriation to Railway Revenue Reserve Fund—					(1) पूंजी परिशोधन के लिए (i) Amortising Capital	—	..	..	..
(1) राजस्व अधिशेष Revenue Surplus	..	..	..	..	(2) पूरे लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से शुद्ध राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए (ii) Making good the shortfall in Net Revenue for payment of full dividend	—		...	..
(2) निवेश आदि से लाभांश Dividend from investment etc.	28	40	40	40	(3) ऋणों की अदायगी के लिए (iii) Repayment of loans	—		..	..
(3) सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	..	..	..	..	(4) ऋणों पर ब्याज के लिए (iv) Interest on loans				
रेलवे राजस्व आरक्षित निधि पर ब्याज Interest on Railway Revenue Reserve Fund	2,35	2,60	2,52	2,71	इतिशेष Closing Balance	(क) (a) 61,36	(क) (a) 65,61	(क) (a) 64,28	(क) (a) 67,39
जोड़ TOTAL	61,36	65,61	64,28	67,39	जोड़ TOTAL	61,36	65,61	64,28	67,39

(क) इसमें शाखा लाइन कम्पनियों के हिस्सों में निवेश और उन्हें दिये गये ऋणों के 22.80 लाख रुपये शामिल हैं ।

(a) Includes Rs. 22.80 lakhs on account of investments in shares of and loans to Branch Line Companies.

ग—रेलवे विकास निधि
C—RAILWAY DEVELOPMENT FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
प्रारंभिक शेष Opening Balance	27	..	1	..
विकास निधि में विनियोग— Appropriation to Development Fund—				
(1) राजस्व अधिशेष Revenue Surplus	173,25,97	186,00,00	155,00,00	235,00,00
(2) सामान्य राजस्व से ऋण Loan from General Revenues	5,15,53	57,14,79	54,78,01	..
विकास निधि पर ब्याज Interest on Development Fund	1	..	..	..
जोड़ TOTAL	178,41,78	243,14,79	209,78,02	235,00,00

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
विकास निधि से विनियोग— Appropriation from Development Fund for—				
(1) विकास संबंधी कार्यों के लिए Development Works	127,37,01	186,00,00	155,00,00	125,00,00
(2) ऋणों पर ब्याज के लिए Interest on loans	51,04,76	57,14,79	54,78,02	52,00,00
(3) ऋणों की अदायगी के लिए Repayment of loans	..	..	..	58,00,00
इतिशेष Closing Balance	1	..	..	..
जोड़ TOTAL	178,41,78	243,14,79	209,78,02	235,00,00

घ—रेलवे पेंशन निधि
D—RAILWAY PENSION FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92		लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
अथशेष Opening Balance	†59,98,35	14,17,22	†13,29,52	56,67,89					
पेंशन निधि में विनियोग Appropriation to Pension Fund	††(क) (a) 742,59,18	(ख) (b) 915,00,00	(ग) (c) ††917,12,78	(घ) (d) 1065,00,00	पेंशन निधि से विनियोग Appropriation from Pension Fund	791,65,52	835,00,00	875,94,67	963,00,00
पेंशन निधि पर ब्याज Interest on Pension Fund	2,30,44	3,52,12	2,20,26	6,99,00	इतिशेष Closing Balance	13,22,45	97,69,34	56,67,89	165,66,89
जोड़ TOTAL	804,87,97	932,69,34	932,62,56	1128,66,89	जोड़ TOTAL	804,87,97	932,69,34	932,62,56	1128,66,89

†1957 से पहले के जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित उपांत वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनका भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राजकीय रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1989-90 में 7,08,16 हजार रुपए और संशोधित अनुमान, 1990-91 में 7,07 हजार रुपए शामिल हैं।

††1957 से पहले जिन रेल कर्मचारियों ने पेंशन संबंधी सेवा-निवृत्ति लाभों के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों की समाप्ति से पहले अपना विकल्प दिया था, उनकी भविष्य निधि में जमा सरकारी अंशदान के राजकीय रेलवे भविष्य निधि से अन्तरण के फलस्वरूप 1989-90 में 29,15 हजार रुपये और संशोधित अनुमान 1990-91 में प्रस्तावित 2,12,78 हजार रुपये शामिल हैं।

(क) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,25,00) डीजल रेल इंजन कारखाना (1,35,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,38,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (30,00), डीजल कल पुर्जा कारखाना (12,03) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (90,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 9,30,03 शामिल हैं।

(ख) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,,56,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (1,48,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,16,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (30,00), डीजल कल पुर्जा कारखाना (50,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,00,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 10,00,00 शामिल हैं।

(ग) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,56,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (1,48,00), सवारी डिब्बा कारखाना (3,00,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (28,00), डीजल कल पुर्जा कारखाना (42,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,26,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 10,00,00 शामिल हैं।

(घ) इसमें चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना (3,46,00), डीजल रेल इंजन कारखाना (1,44,00), सवारी डिब्बा कारखाना (2,90,00), पहिया एवं धुरा संयंत्र (28,00), डीजल कल-पुर्जा कारखाना (42,00) और रेल सवारी डिब्बा कारखाना (1,50,00) से संबंधित कारखाना निर्माण उचंत लेखे के नाम खाते के 10,00,00 शामिल हैं।

† Includes Rs. 7,08,16 thousand in 1989-90 and 7,07 thousand in RE 1990-91 by transfer from State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who had elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective penultimate financial years.

††Includes Rs. 29,15 thousand in 1989-90 and 2,12,78 thousand proposed in R.E. 1989-90 by transfer from the State Railway Provident Fund of the accumulated Government contribution to the Provident Fund of pre-1957 staff who elected the pensionary form of retirement benefits before the close of the respective financial years.

(a) Includes 9,30,03 debitable to Workshop Manufacture Suspense Account—CLW (3,25,00) DLW (1,35,00) ICF (3,38,00) W&AP (30,00) DCW (12,03) and RCF (90,00)

(b) .. 10,00,00 .. .. (3,56,00) .. (1,48,00) .. (3,16,00) .. (30,00) .. (50,00) .. .. (1,00,00)

(c) .. 10,00,00 .. .. (3,56,00) .. (1,48,00) .. (3,00,00) .. (28,00) .. (42,00) .. .. (1,26,00)

(d) .. 10,00,00 .. .. 3,46,00) .. (1,44,00) .. (2,90,00) .. (28,00) .. (42,00) .. .. (1,50,00)

ङ.—रेल दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि

E—RAILWAY ACCIDENT COMPENSATION, SAFETY AND PASSENGER AMENITIES FUND

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
अथशेष Opening Balance	42,62,43	36,53,60	48,70,41	29,79,59
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि में विनियोग Appropriation to Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	59,71,59	67,25,00	65,00,00	67,00,00
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि पर ब्याज Interest on Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund	2,82,71	1,80,84	2,47,09	1,48,00
जोड़ TOTAL	105,16,73	105,59,44	116,17,50	98,27,59

	लेखा Accounts, 1989-90	बजट Budget 1990-91	संशोधित Revised 1990-91	बजट Budget 1991-92
दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा एवं यात्री सुविधा निधि से निम्नलिखित के लिए विनियोग— Appropriation from Accident Compensation, Safety and Passenger Amenities Fund for—				
(1) दुर्घटना क्षतिपूर्ति Accident Compensation	57,69	4,68,00	9,37,91	6,83,50
(2) संरक्षा-कार्य और यात्री सुविधाएं Safety works and Passenger amenities	55,88,63	80,00,00	77,00,00	74,00,00
इतिशेष Closing Balance	48,70,41	20,91,44	29,79,59	17,44,09
जोड़ TOTAL	105,16,73	105,59,44	116,17,50	98,27,59

MGIPRRND—S/95 RB/91—TSS-II—9-7-91—10,000

Explanatory Memorandum on the Railway Budget 1991-92